पंचदश माला, खंड 32, अंक 11

शुक्रवार, 8 मार्च, 2013
17 फाल्गुन, 1934 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

तेरहवां सत्र

(पन्द्रहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

Gazettes & Debates Section
Parliament Library Building
Room No. FB-025
Block 'G'
Acc. No. 88
Dated 4 July 2016

(खंड 32 में अंक 11 से 20 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : अस्सी रुपये

सम्पादक मण्डल

टी.के. विश्वानाथन
महासचिव
लोक सभा

विपिन कुमार मित्तल
संयुक्त सचिव

सरिता नागपाल
निदेशक

पीयूष चन्द्र दत्त
अपर निदेशक

अरुणा वशिष्ठ
संयुक्त निदेशक

इन्दु बक्शी
सम्पादक

कीर्ति यादव
सहायक सम्पादक

उमेश कुमार
सहायक सम्पादक

© 2013 लोक सभा सचिवालय

हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। इसमें सम्मिलित मूलत: अंग्रेजी और अन्य भाषाओं में दिए गए भाषणों का हिन्दी अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा। पूर्ण प्रामाणिक संस्करण के लिए कृपया लोक सभा वाद-विवाद का मूल संस्करण देखें।

लोक सभा सचिवालय की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी भी सामग्री की न तो नकल की जाए और न ही पुन: प्रतिलिपि तैयार की जाए, साथ ही उसका वितरण पुन: प्रकाशन, डाउनलोड, प्रदर्शन तथा किसी अन्य कार्य के लिए इस्तेमाल अथवा किसी अन्य रूप या साधन द्वारा प्रेषण न किया जाए, यह प्रतिबंध केवल इलेक्ट्रानिक, मैकेनिकल, फोटोप्रति, रिकॉर्डिंग आदि तक ही सीमित नहीं है। तथापि इस सामग्री का केवल निजी, गैर वाणिज्यिक प्रयोग हेतु प्रदर्शन, नकल और वितरण किया जा सकता है बशर्ते कि सामग्री में किसी प्रकार का परिवर्तन न किया जाए और सभी प्रतिलिप्याधिकार (कॉपीराइट) तथा सामग्री में अंतर्विष्ट अन्य स्वामित्व संबंधी सूचनाएं सुरक्षित रहें।

विषय-सूची

[पंचदश माला, खंड 32, तेरहवां सत्र, 2013/1934 (शक)]

अंक 11, शुक्रवार, 8 मार्च, 2013/17 फाल्गुन, 1934 (शक)

विषय	कॉलम
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	6-40
*तारांकित प्रश्न संख्या 161 से 165	6-40
प्रश्नों के लिखित उत्तर	40-89
तारांकित प्रश्न संख्या 166 से 180	40-89
अतारांकित प्रश्न संख्या 1841 से 2070	89-668
सभा पटल पर रखे गए पत्र	668
सभा का कार्य	
शहरी विकास संबंधी स्थायी समिति	680
21वां और 22वां प्रतिवेदन	680
अनुपूरक अनुदानों की मांगें (सामान्य), 2012-13	680
अतिक्ति अनुदानों की मांगें (सामान्य) 2010-11	681
अध्यक्ष द्वारा उल्लेख	681
अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस	682
सदस्यों द्वारा निवेदन	682-719
अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर	
रेल अभिसमय समिति के तीसरे प्रतिवेदन के अनुमोदन के बारे में संकल्प रेल बजट (2013-14)-सामान्य चर्चा लेखानुदानों की मांगे (रेल), 2013-14 अनुपूरक अनुदानों की मांगें (रेल), 2012-13 तथा अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (रेल), 2010-11	719
श्री गणेश सिंह	719-728
डॉ. मिर्ज़ा महबूब बेग	728-729
डॉ. रत्ना डे	729-731
श्री श्रीपाद येसो नाईक	731-733
डॉ. तुषार चौधरी	733-737
श्रीमती अन्नू टन्डन	737-742

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय	कॉलम
श्री रामसिंह राठवा	742-744
श्री आर. थामराईसेलवन	744-747
श्री राम सिंह कस्वां	747-750
श्री सुखदेव सिंह	750-751
श्री जितेन्द्र सिंह बुन्देला	751-756
श्री शेर सिंह घुबाया	756-759
श्री प्रेम दास राय	759-760
श्री एन. पीताम्बर कुरूप	761-763
श्री संजय दिना पाटील	763-770
श्री अधीर चौधरी	770-775
श्री अजय कुमार	775-778
श्रीमती जयश्रीबेन पटेल	778-780
श्री कमल किशोर 'कमांडो'	780-783
श्री सज्जन वर्मा	783-785
श्री हंसराज गं. अहीर	785-787
श्री राकेश सचान	787-789
श्री रायापति सांबासिवा राव	789-792
श्री ललित मोहन शुक्लवैद्य	792
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के 30वें तथा 31वें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव.	792-793
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक-पुर:स्थापित.	793
(एक) निराश्रित बालक (पुनर्वास और कल्याण) विधेयक, 2011	
श्रीमती प्रिया दत्त	793
(दो) लेखक और कलाकार सामाजिक सुरक्षा विधेयक, 2011	
श्रीमती प्रिय दत्त	793-794
(तीन) नि:शक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) संशोधन विधेयक, 2011 (धारा 33 का संशोधन)	
श्रीमती प्रिया दत्त	794
(चार) निजी क्षेत्र में रिश्वत का निवारण विधेयक, 2012	
श्री वरुण गांधी	794-795

विषय	कॉलम
(पांच) भारतीय दण्ड संहिता (संशोधन) विधेयक, 2012 (नई धारा 304 कक का अंत:स्थापन)	
डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी	795
(छह) लक्षद्वीप नारियल वृक्ष आरोहक (कल्याण) विधेयक, 2012	
श्री हमदुल्लाह सईद	795-796
(सात) पक्ष प्रचारण के क्रियाकलापों का प्रकटीकरण विधेयक, 2013	
श्री कालीकेश नारायण सिंह देव	796
(आठ) जूट उत्पादक (लाभकारी मूल्य और कल्याण) विधेयक, 2013	
डॉ. काकोली घोष दस्तिदार	797
(नौ) अंतरराज्यीय नदियों का राष्ट्रीयकरण विधेयक, 2013	
श्री रमेन डेका	797-798
(दस) भारतीय दण्ड संहिता (संशोधन) विधेयक, 2013 (धारा 304 क का संशोधन, आदि)	
डॉ. भोला सिंह	798
(ग्यारह) बालक कल्याण विधेयक, 2013	
डॉ. भोला सिंह	798-799
(बारह) अनिवार्य सैनिक प्रशिक्षण विधेयक, 2013	
डॉ. भोला सिंह	799
(तेरह) चारा बैंक विधेयक, 2013	
श्री हंसराज गं. अहीर	799-800
(चौदह) संविधान (संशोधन) विधयेक, 2013 (नए अनुच्छेदों 16क और 16 कक का अंत: स्थापन)	
श्री हंसराज गं. अहीर	800
(पन्द्रह) संविधान (संशोधन) विधेयक, 2013 (आठवीं अनुसूची का संशोधन)	
श्री हंसराज गं. अहीर	801
(सोलह) संविधान (संशोधन) विधेयक, 2013 (नए अनुच्छेद 72क का अंत: स्थापन)	
श्री हंसराज गं. अहीर	801-802
(सत्रह) पावरलूम सेक्टर (कल्याण) विधेयक, 2013	
श्री सुरेश काशीनाथ तवारे	802
(अठारह) जवाबदेही ब्यूरो विधेयक, 2013	
श्री जय प्रकाश अग्रवाल	802-803

विषय **कॉलम**

(उन्नीस) चलचित्र (संशोधन) विधेयक, 2013 (धारा 2 का संशोधन, आदि)

श्री जय प्रकाश अग्रवाल 803-804

(बीस) संविधान (संशोधन) विधेयक, 2013(नए अनुच्छेद 30क का अंत: स्थापन)

श्री जय प्रकाश अग्रवाल 805

अध्यक्षपीठ द्वारा टिप्पणी 805-806

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों का संख्यांकन

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी (संशोधन) विधेयक, 2010 (धारा 2 का संशोधन, आदि)

श्री अर्जुन राम मेघवाल 806-810

श्री शैलेन्द्र कुमार 810-813

प्रो. सौगत राय 813-818

श्री हुक्मदेव नारायण यादव 818-822

श्री एस. सेम्मलई 822-824

श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण 825-826

डॉ. भोला सिंह 826-830

श्री रमेन डेका 830-832

श्री वीरेन्द्र कश्यप 833-835

श्री जगदम्बिका पाल 835-839

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन 839-848

श्री प्रदीप जैन 849-851

श्री हंसराज गं. अहीर 851-852

विधेयक वापस लिया गया 853

सफाई कर्मचारी बीमा योजना विधेयक, 2011. 853-854

विचार करने के लिए प्रस्ताव 853

श्री अर्जुन राम मेघवाल 853--854

अनुबंध-I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका 871-872

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका 872-880

अनुबंध-II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका 881-882

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका 881-882

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्रीमती मीरा कुमार

उपाध्यक्ष

श्री कड़िया मुंडा

सभापति तालिका

श्री बसुदेव आचार्य
श्री पी.सी. चाको
श्रीमती सुमित्रा महाजन
श्री इन्दर सिंह नामधारी
श्री फ्रांसिस्को कोज्मी सारदीना
श्री अर्जुन चरण सेठी
डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह
डॉ. एम. तम्बिदुरई
डॉ. गिरिजा व्यास
श्री सतपाल महाराज

महासचिव

श्री टी.के. विश्वानाथन

लोक सभा

शुक्रवार, 08 मार्च, 2013/17 फाल्गुन, 1934 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[**अध्यक्ष महोदया** *पीठासीन हुईं*]

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: प्रश्नकाल 1 प्रश्न संख्या 161

श्री रामसिंह राठवा,

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): माननीय अध्यक्ष महोदया, उत्तर प्रदेश के बारे में यह महत्वपूर्ण मुद्दा है। हमने नोटिस दिया है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: प्रश्न काल चलने दीजिए। बाद में ले लेंगे।

...(व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र कुमार: अध्यक्ष महोदया, उत्तर प्रदेश अंधकार में डूब जाएगा।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: आज प्रश्न काल चलने दीजिए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: कार्यवाही वृतान्त में कुछ भी सम्मिलित नही किया जायेगा।

...(व्यवधान) *

*कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया: हम बाद में देखेंगे कि क्या हर सकते हैं?

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: अब प्रश्न काल चलने दीजिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: बाद में ले लेंगे

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: पहला पूरक प्रश्न।

...(व्यवधान)

श्री रामसिंह राठवा (छोटा उदयपुर): माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपका बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे प्रश्न पूछने का मौका दिया।...*(व्यवधान)*

श्री शैलेन्द्र कुमार: अध्यक्ष महोदया, हमने नोटिस दिया है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: बाद में ले लेंगे।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: आप बताइए कि प्रश्न काल कैसे स्थगित करें? प्रश्न काल स्थगित नहीं हो सकता है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: आप बैठ जाइए। रिकॉर्ड में नहीं जा रहा है।

...(व्यवधान) *

अध्यक्ष महोदया: बाद में बोलेंगे तो रिकॉर्ड में भी चला जाएगा।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

*कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री रामसिंह राठवा: माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं।...*(व्यवधान)*

पूर्वाह्न 11.02 बजे

इस समय श्री प्रेमदास और कुछ अन्य माननीय सदस्य आगे आकर सभा पटल के निकट खड़े हो गए।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: कार्यवाही वृत्तान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जा रहा हे। ऐसा मत कीजिये।

*(व्यवधान)... **

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया: आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। पूरे सदन की भावना है कि सदन को सूचारु रूप से संचालित किया जाए।

...*(व्यवधान)*

श्री रेवती रमण सिंह: (इलाहाबाद) हमारी बात एक मिनट के लिए सुन लीजिए।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: आप पहले बैठ जाइए, तब मैं बात सुनूंगी।

(...व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: कार्यवाही वृतान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

*(व्यवधान)... **

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया: बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: जब मैं खड़ी हूं तो आप क्यों खड़े है?

*(व्यवधान)... **

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया: आप सब अपने स्थान पर जाकर बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: महिला दिवस के दिन ऐसा मत कीजिए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

पूर्वाह्न 11.03 बजे

इस समय श्री प्रेमदास और कुछ अन्य माननीय सदस्य अपने-अपने स्थान पर वापिस चले गए।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मुलायम सिंह यादव (मैनपुरी): माननीय अध्यक्ष महोदया हम आपको महिला दिवस पर बधाई देते हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: जब कार्यवाही-वृत्तान्त में जब सम्मिलित नहीं किया जा रहा है तो आप क्यों बोल रहे है?

*(व्यवधान)... **

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया: मुलायम सिंह जी, बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: कार्यवाही वृत्तान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

*(व्यवधान)... **

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया: आप इतना परिश्रम करते हैं लेकिन रिकॉर्ड में नहीं जाता है। जब मैं बुलाऊं, समय दूं, तब आप बोलें, तब रिकॉर्ड में भी जाएगा।

...(व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र कुमार: उत्तर प्रदेश की बिजली का मामला है। आप हमें बोलने का समय दें।...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: मैं समय दूंगी। बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: मुलायम सिंह जी, हम आपको बोलने का मौका देंगे।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया: किसे बोलना है?

रेवती रमण सिंह जी।

श्री रेवती रमण सिंह: माननीय अध्यक्ष महोदया, उत्तर प्रदेश 22 करोड़ की आबादी वाला प्रदेश है। भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश में पुनर्गठन की बात कही थी। आठ राज्यों में से उत्तर प्रदेश ने भी दस्तखत किया है। बिजली बिल का बकाया पुरानी सरकार का है और इसे उत्तर प्रदेश देने के लिए तैयार है। वहां बजट सत्र चल रहा है। आज रात 12 बजे बिजली काट दी जाएगी और पूरे उत्तर प्रदेश में हाहाकर मच जाएगा। इस समय किसानों का थ्रेशिंग सीज़न है। गेहूं कटकर खलिहान में आ रहा है। अगर इस तरह से बिजली काट देंगे तो पूरे उत्तर प्रदेश में हाकहकार मच जाएगा। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि बिजली मंत्री को बुलकार सदन में बयान दिलवायें कि पावर ग्रिड वाले वहां की बिजली नहीं काटेंगे। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: ठीक है। अब आप प्रश्न पूछिये।

...(व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र कुमार: मैडम, आप कोई निर्देश दीजिए।

अध्यक्ष महोदया: वह मैं नहीं कर सकती हूं, उन्होंने सुन लिया है।

श्री शैलेन्द्र कुमार: आप इस बारे में कोई निर्देश दें।

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदया: स्पीकर निर्देश नहीं दे सकती। उन्होंने सुन लिया है, कृपया अब आप डिस्टर्ब मत कीजिए।

पूर्वाह्न 11.06 बजे

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया: प्रश्न संख्या 161

श्री रामसिंह राठवा

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

खनिज संसाधनों का प्रबंधन

***161. श्री रामसिंह राठवा:**
श्री पी. के. बिजू:

क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश की कुल खनिज समपदा के अब तक कितने प्रतिशत की खोज कर ली गई है;

(ख) क्या विभिन्न एजेंसियों द्वारा किए जा रहे खोज-कार्य संबंधी क्रियाकलाप पूरे देश में खनिज भण्डारों का दोहन करने के लिए पर्याप्त है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) खनिज संसाधनों की गुणवता बढ़ाने तथा देश में उनकी खोज, निष्कर्षण और साथ ही इनके प्रबंधन को सुदृढ़ करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

खान मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) से (ङ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) भारत का कुल भू क्षेत्र 32.80 लाख वर्ग किलोमीटर है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई) ने क्षेत्रीय गवेषण के भाग के रूप में 30.90 लाख वर्ग किलोमीटर का बेसलाइन भूवैज्ञानिक मानचित्रण पूरा किया है। इसके परिणामस्वरूप खनिज संसाधनों की उच्च सम्भावना वाले 5.71 लाख वर्ग किलोमीटर की पहचान हुई है। अधिक गवेषण के लिए जीएसआई भूभौतिकीय और भूरासायनिक मानचित्रण का कार्य कर रहा है और 3.28 लाख वर्ग

किलोमीटर का भूरासायनिक मानचित्रण तथा 1.95 लाख वर्ग किलोमीटर का भूभौतिकीय मानचित्रण पूरा कर लिया है।

(ख) से (ङ) जीएसआई द्वारा किए गए बेसलाइन मानचित्रण के आधार पर परमाणु खनिज निदेशालय, खनिज गवेषण निगम लिमिटेड, राजय भूविज्ञान एवं खनन निदेशालय, राज्य/केन्द्रीय उपक्रम तथा प्राइवेट उद्यमों जैसी अनेक गवेषण एजेंसियां खनिज निक्षेपों के विस्तृत गवेषण के कार्यों में लगी हैं। खनिज गवेषण एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। जीएसआई ने देश के खनिज संसाधन के आकलन के लिए प्रमुख एजेंसी होने के नाते खनिज गवेषण में तेजी लाने के लिए निम्नलिखित प्रमुख उपाय किए हैं:

* सरकार ने अक्तूबर, 2011 में जीएसआई की पुनर्संरचना की और 1353 तकनीकी पद सृजित किए।
* वर्ष 2011 से जीएसआई में 400 से अधिक भूवैज्ञानिक भर्ती किए।
* बहुसंवेदी हवाई-भूभौतिकीय हवाई सर्वेक्षण और हाइपर स्पेक्ट्रल मानचित्रण को अपनाया।
* गुप्त तथा गहरे अवस्थित खनिज निक्षेपों का पता लगाने के लिए एकीकृत सर्वेक्षण।
* उच्च प्रीसिजन ग्रेवीमीटर का समावेश, भूभौतिकीय सर्वेक्षण के लिए पूर्ण फील्ड मैग्नोमीटर और स्पष्ट एलीमेंटल डाटा सृजन के लिए अत्याधुनिक रासायनिक विश्लेषण उपकरणों का उपयोग।
* मौजूदा अनुसंधान पोत के स्थान पर अत्याधुनिक और आधुनिक समुद्रगामी अनुसंधान पोत हासिल करना।

खानों और खनिजों के प्रबंधन को और सुदृढ़ करने के लिए मौजूदा एमएमडीआर अधिनियम, 1957 के स्थान पर खान और खनिज (विकास एवं विनियमन) (एमएमडीआर) विधेयक, 2011 लोक सभा में 12.12.2011 को प्रस्तुत किया गया है।

[हिन्दी]

श्री रामसिंह राठवा: माननीय अध्यक्ष महोदया, अर्नेस्ट एंड यंग की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत केवल 7 से 9 प्रतिशत खनिज संस्थानों की खोज करता है, जबकि दुनिया के अन्य देश और आस्ट्रेलिया जैसे देशों में भू-भौतिकी और भू-रासायनिक सर्वेक्षण के आधार पर 100 प्रतिशत खनिज संस्थानों की खोज होती है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि भारत में खनिज संस्थानों की खोज 7 से 9 प्रतिशत क्यों रही है और इसे बढ़ाने के लिए सरकार क्या कदम उड़ा रही है?

श्री दिनशा पटेल: मैडम, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है, वह पार्ट-ए, पार्टी-बी, पार्ट-सी और पार्ट-डी चार भागों में बंटा हुआ है। पार्ट-ए में कोल लिग्नाइट है, पार्ट-बी में एटोमिक मिनरल है, पार्ट-सी में मैटालिक और नॉन-मैटालिक मिनरल हैं, इसमें 87 मिनरल्स बंटे हुए हैं माइनर मिनरल्स स्टेट के पास है। जो माइनर मिनरल्स है, वह स्टेट के पास बंटा हुआ है। इसके अलावा जो मिनरल्स हैं, उनमें एस्बेस्टस, बॉक्साइट, क्रोमियम, कापर ओर, गोल्ड आयरन ओर, लैड, मैंगनीज ओर, प्रिशस स्टोन्स और जिंक जैसी सीाी धातुएं मेरे डिपार्टमैन्ट के साथ जुड़ी हुई हैं। इसके अलावा माइन्स और मिनरल्स सारे स्टेट के साथ हुआ है। उसमें पत्थर, चूना, माटी, ग्रेवल, ग्रेनाइट आदि के साथ जुड़ा हुआ है और जो एटोमिक मिलनल्स हैं, वे एटोमिक डिपार्टमैन्ट के साथ जुड़े हुए हैं।

माननीय संसद सदस्य ने जो प्रश्न पूछा कि दुनिया के मुकाबले में हमारे खनिजों की क्या पोजीशन हैं, वह इस प्रकार है-लैड कंटैन्ट विश्व में 89 मिलियन टन्स और भारत में 2.6 मिलियन टन्स है। लोहा विश्व में 170 बिलियन टन है और भारत में 28.52 बिलियन टन्स है तथा इसके और बढ़ने की संभावना है। बॉक्साइट विश्व में 28 बिलियन टन्स और भारत में 3.48 बिलियन टन्स है। गोल्ड कंटैन्ट विश्व में 52000 टन्स है और भारत में 665.70 टन्स है। डोलोमाइट विश्व के आंकड़े नहीं है, लेकिन हमारे देश में 7.7 बिलियन टन्स है। चूना पत्थर विश्व के आंकड़े नहीं है, लेकिन हमारे देश में 184 बिलियन टन्स है। कॉपर कंटैन्ट विश्व में 680 मिलियन टन्स है और भारत में 12.29 मिलियन टन्स है। हीरा विश्व में 600 मिलियन कैरेट है और 31.92 मिलियन कैरेट भारत में है। मैंगनीज विश्व में 630 मिलियन टन्स है और भारत में 49 मिलयन टन्स है। सिल्वर कंटैन्ट विश्व में 540 मिलियन टन्स है और भारत में 0.028 मिलियन टन्स है। जिंक कंटैन्ट विश्व में 250 मिलियन टन्स है और भारत में 12 मिलियन टन्स है। इन सारी चीजों को आगे बढ़ाने के लिए भारत प्रयत्न कर रहा है और उसके लिए जो भी साधनों की जरूरत हो, उसके लिए हवाई, जमीन पर और समुद्र में भी संशोधन किया जाता है।

इसके अलावा जो डोलोमाइट की बात पूछी गई है, विश्व के पैमाने पर उसके आंकड़े मेरे पास उपलब्ध नहीं हैं। मगर जो माननीय सदस्य ने पूछा कि इसके लिए आप क्या आयोजन कर रहे हैं तो जमीन और समुद्र में सर्वेक्षण करके उसे कैसे बढ़ाया जाए, उसके लिए भी हम आयोजन कर रहे हैं। एरियल सर्वे से भी कैसे उसका मुआयना किया जाए, उसके लिए भी हम प्रयत्न कर रहे हैं। जैसा मैंने बोला है कि आयरन जो 28.52 बिलियन टन है, उसमें भी बहुत सा बढ़ावा हो सके, ऐसी कोशिश चल रही है।

श्री रामसिंह राठवाः महोदया, खनिज संपदा के लिए भारत में नवीनतम प्रौद्यौगिकी वाली कंपनियां बहुतकम हैं। केवल उड़ीसा माइनिंग कॉर्पोरेशन और एन.एम.डी.सी. के पास नवीनतम यंत्र हैं। लेकिन ये सरकारी कंपनियां अपने अनुसंधान के लिए ही काम करती हैं। में माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि सरकार प्राइवेट कंपनियों को बढ़ावा देने के लिए 49 प्रतिशत सीधे विदेशी धन निवेश लाने के लिए विचार कर रही है? यदि हां तो क्यों और यदि ना तो क्यों? यह बताने की कृपा करें।

श्री दिनशा पटेलः महोदया, मैंने पहले ही बताया है कि जी एसआई और उनके जरिए जो कोशिश सरकार द्वारा की जाती है, वह सरकार द्वारा की जाती है। हमारे पास समुद्र के अंदर संशोध न के लिए जो पोत हे, वह पोत भी पुरानी हो गई है, इसलिए नई पोत खरीदने के बारे में तय किया गया है। हम आज जो संशोध न करते हैं, वह 3500 मीटर तक करते हैं मगर नई पोत आने के बाद 6000 मीटर तक संशोधन कर सकेंगे। कोरिया के साथ इसका कॉन्ट्रैक्ट भी हो गया है। कोरिया की जो नई पोत हे, वह इसी साल छह महीने के बाद आ जाएगी। संशोधन की जो बात हो रही है, मैंने पहले भी बताया कि एरियल सर्वे भी हो रहा है, जमीन पर भी सर्वे हो रहा है और समुद्र में भी सर्वे हो रहा है। ऐसी कोशिश चल रही है कि सरकार के जरिए ज्यादा से जयादा सर्वे हो सके। मैं मानता हूं कि हमें जो संशोधन करना है, उसमें बहुत आगे बढ़ सकेंगे। सन् 2008 से निजी कंपनियों से खरीद देश में आ रही है। उन्होंने जो निजी कंपनियों के आने के बारे में पूछा है, उसका भी सॉल्युशन निकल जाएगा।

[अनुवाद]

श्री पी.के. बिजूः महोदया, खनिज खनन उद्योग हमारे सकल घरेलू उतपाद को 2.2% तक दे रहा है। कुल मिलकर खनन उद्योग हमारे सकल घरेलू उत्पाद 10 से 11% तक देता है। आज कल खनन उद्योग में कुछ कंपनियों द्वारा हमारी आर्थिक वृद्धि को लूटा जा रहा है। अंतिम घटना 1.86 लाख करोड़ रुपये का कोलगेट घोटाला है। यह हमारे शिक्षा बजट का तीन गुना हमारे स्वास्थ्य वजट का चार गुना तथा हमारी पेट्रोलियम राजसहायता का दो गुना है परन्तु हमारी सरकार खनन उद्योग में इस गलत कार्य को बंद करने के लिये तैयार नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। केन्द्रीय सरकार द्वारा गलत कार्यों को रोकने तथा हमारे देश में खनन क्षेत्र को संरक्षित करने तथा भारतीय जनसंख्या के कल्याण हेतु इसका उपयोग करने के लिये कौन से कदम उठाये गये है?

[हिन्दी]

श्री दिनशा पटेलः महोदया, माननीय सदस्य ने कहा है कि लूट रहे हैं। अवैध खनन को रोकने के लिए भी पूरी कोशिश की जा रही है। ओडिशा हो, गोवा हो या आंध्र प्रदेश हो, कहीं भी अवैध खनन हो रही है तो उसको रोकने की पूरी कोशिश हो रही है।

उन्होंने इंवेस्टमेंट के बारे में कहा है, तो हम एफडीआई इन माइनिंग सैक्टर में अलाऊ कर रहे हैं। हमें एफडीआई सैक्टर में भी काम करना है, इसमें आगे बढ़ना है तो उसमें हम अलाऊ कर रहे हैं। मैं मानता हूं कि इस सैक्टर का हिस्सा 2.4 पर्सेंट बताया है। कोल और जो सारी माइनिंग उसमें 2.4 पर्सेंट है। मगर मेरे डिपार्टमेंट का करीब 0.87 पर्सेंट देश के विकास में जुड़ा हुआ हें माइनिंग सेक्टर को कैसे आगे बढ़ाया जाए, इसकी पूरी कोशिश की जा रही है। माइनिंग सेक्टर अच्छी तरह से काम करे, इसके लिए भी पूरे प्रावधान किए गए हैं और अवैध खनन का रोकने के लिए भी पूरी कोशिश हो रही है।

[अनुवाद]

डॉ. रत्ना डेः महोदया, जैसाकि हम जानते हैं हमारे खनिजों के समुचित प्रबंधन की आवश्यकता है। कुछ राज्यों में खनिज विपुलता है उदाहरण के लिये ओडिशा। क्या मंत्रालय इस प्रकार के राज्यों को अतिरिक्त फायदा देगा? पश्चिम बंगाल की खनिज क्षमता क्या है?

[हिन्दी]

श्री दिनशा पटेलः महोदया, मैं मानता हूं कि हर एक राज्य अपने-अपने तरीके से, जो वहां खनिज हैं, उनके लिए काम कर सकते हैं। उसके प्रावधान भी उसके एक्ट में हैं और उसके पहले रूल्स में किए गए हैं। मैं मानता हूं कि उनका जो खनिज है, जो माइनर और मेजर मिनरल्स हैं, माइनर मिनरल्स में जिस स्टेट को जो कुछ करना है, वे अपने कानून के मुताबिक वह कर सकते हैं, कानून भी बना सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट एकसाथ मिलकर इसकी कोशिश कर रहे हैं। जो नया कानून आ रहा है, एमएमडीआर बिल 2011, उसमें भी सारे प्रावधान किए गए हैं। अभी यह स्टैंडिंग कमेटी के पास है। जब यह पास हो जाएगा, तो मैं मानता हूं कि जो दिक्कतें हैं, उनमें से बहुत सी कम हो जाएंगी।

[अनुवाद]

श्री राजय्या सिरिसिल्लाः मुझे यह अवसर देने के लिये ध न्यवाद महोदया।

विद्युत आवश्यक वस्तु बन गई है तथा यह अत्यधिक महंगा चीज हो गया है। विद्युत पैदा होने हेतु भारी मात्रा में कोयले की आवश्यकता होती है यदि आप आम आंध्र प्रदेश का मामला लेते है तो 24 घंटों से हमने कम से कम सात घंटों के लिये विद्युत प्रदान करने की गारंटी दी है परन्तु उसे पैदा करने की कमी के कारण देने में सक्षम नहीं है। आपूर्ति और मांग के बीच अत्यधिक अंतर है। इस अंतर को कम करने के लिये हमें सृजन क्षमता में वृद्धि करने की आवश्यकता है।

वारंगल में मेरे निर्वाचन क्षेत्र के भूचालापल्ली क्षेत्र में हमारे पास प्रत्येक 500 मेगावाट की क्षमता के साथ दो विद्युत सृजन परियोजनायें हैं तथा 800 मेगावाट की क्षमता के साथ एक अन्य परियोजना बन रही है। सभी चीजें जैसेकि भूमि-जल तथा अवसंरचना उपलब्ध है परन्तु वहां पर केवल कोयला उपलब्ध नहीं है। यदि इस विद्युत संचत का कोयला लिंकेज दिया जाये तो इस क्षेत्र में 800 मेगावॉट की अतिरिक्त विद्युत का उत्पादन किया जा सकता है जो आंध्र प्रदेश के तेलंगाना क्षेत्र के लोगों की आवश्यकताओं को पूरा कर सकेगा।

[हिन्दी]

श्री दिनशा पटेल: महोदया, माननीय सदस्य ने कोल और बिजली के बारे में प्रश्न पूछा है। मैं मानता हूं कि उसे कोल और बिजली डिपार्टमेंट से पूछना चाहिए।

अध्यक्ष महोदया: ठीक है।

श्री नामा नागेश्वर राव।

श्री नामा नागेश्वर राव: महोदया, मिनिस्टर ने अपने रिप्लाई में जो जवाब दिया है, टोटल इंडिया की जो लैंड है, 42.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, आज तक पूरा सर्वे कम्प्लीट नहीं कर पाये, जियोलॉजिकल सर्वे का मिनरल्स के बारे में। जो सर्वे किया है, उसमें 5.71 लाख वर्ग किलोमीटर का हाई पोटेंशियल मिनरल रिर्सोसेज है, बोलकर आइडेंटिफाइ कर दिया है। मिनिस्टर ने अपनी बात कहते हुए विश्व के साथ इंडिया को कम्पेयर करते हुए, क्या-क्या मिनरल्स इधर हैं, क्या-क्या मिनरल्स वर्ल्ड में हैं, बोलकर बात की है। आज के दिन मिनरल्स का रिर्सोसेज, मिनरल्स का वेल्थ कंट्री के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इतने महत्वपूर्ण सब्जेक्ट को इतने महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट में आज के दिन में इंडिया में जो मिनरल्स उपलब्ध है, वे मिनरल्स भी हम लोग इम्पोर्ट कर रहे हैं, उदाहरण के लिए कोल है। अभी हमारे एक माननीय सदस्य ने आंध्र प्रदेश के बारे में बात की, यद्धपि यह इससे सम्बन्धि नहीं है, कोल सप्लाई, कोल लिंकेज इससे रिलेटेड नहीं है, तब भी आज के दिन पूरे आंध्र प्रदेश में अंधकार है। अभी मिनिस्टर ने कहा कि इंडिया में एप्रॉक्सिमेटली तीन लाख मिलियन टन का कोल का रिजर्व है।

अध्यक्ष महोदया: आप फिर कोल पर आ गए। वे कह रहे हैं कि वे जवाब नहीं दे सकते।

श्री नामा नागेश्वर राव: में सब्जैक्ट पर आ रहा हूँ।

अध्यक्ष महोदया: आप तुरंत सब्जैकट पर बोलियो।

श्री नामा नागेश्वर राव: महोदय, जो तीन लाख मिलियन टन का कोल का रिज़र्व है, अभी देश का प्रोडक्शन 500 मिलियन का है। इस हिसाब से देखें तो 600 साल तक हम प्रोडक्शन कर सकते हैं। प्रोडक्शन डबल भी कर दें तो भी 300 साल तक हम इस रिज़र्व को इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी इतने इंपॉर्टेन्ट सब्जैक्ट में आपने कहा कि नई टैक्नोलॉजी ला रहे हैं, मगर यदि आप एक्सपैन्डीचर देखें तो पिछले तीन साल में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और मिनिरल एक्सप्लोरेशन ऑफ इंडिया, इन दोनों कंपनियों के लिए 20 करोड़ रुपये, 17 करोड़ रुपये का एक्सपैन्डीचर आप कर रहे हैं। हमारे देश में इतनी मिनिरल वैल्थ है और उसको निकालने के लिए आप एक्सपैन्डीचर ही नहीं कर रहे हैं, उसका कोई टार्गेट और प्लानिंग नहीं है। क्या यह गवर्नमैंट की फेल्योर नहीं है? आप कब तक एक्सप्लोरेशन कंप्लीट करेंगे, एक्सपैन्डीचर को बढ़ाएँगे? कैसे नई टैक्नोलॉजी का उपयोग करेंगे क्योंकि नई टैक्नोलॉजी से उसमें काफी कुछ किया जा सकता है। नई टैक्नोलॉजी को ये लोग नहीं ले पा रहे हैं। हम मंत्री जी से यही पूछना चाहते हैं कि मिनिरल हैल्थ है मगर कंट्री मिनिरल के लिए सफर कर रही है। उसमें एक्सप्लोरेशन के लिए अमाउंट को कोई टार्गेट डेट के साथ इनक्रीज़ करेंगे?

श्री दिनशा पटेल: महोदया, मैंने पहले भी यही बताया कि लेटेस्ट टैक्नोलॉजी के जरिये जितना सर्वेक्षण हो सके, इतना सर्वेक्षण करने की कोशिश जी एस आई के ज़रिये हो रही है। मैं मानता हूँ सर्वेक्षण मानचित्र के ज़रिये तथा हैलीकॉप्टर एरियल सर्वे के ज़रिये और समुद्र में जहाज़ के ज़रिये भी ज्यादा से ज्यादा सर्वे हो सके और कौन सा मैटीरियल कहाँ है, उसके लिए भी टैक्निकली कैसे आगे बढ़ सकें, उसके लिए भी हम कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि मेटीरियल है और उस पर अनुसंधान तो चलता ही रहता है। कहाँ क्या चीज़ है, कितनी डैप्थ में है, कैसे मिलगा, वह पाना बहुत मुश्किल काम है। इसीलिए 11वें प्लान में 925 करोड़ रुपये का 2007-12 तक में प्रावधान किया गया था, 9वें प्लान में भी उसके लिए प्रावधान किया गया था और अब 12वें प्लान में भी उसके लिए 2004 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसलिए जो नॉन प्लान्ड एक्सपैन्स है उसमें प्लान्ड और नॉन-प्लान्ड

एक्सपैन्स के जरिये देखा जा रहा है कि कैसे बढ़ावा किया जाए, कैसे अनुसंधान किया जाए और कैसे उसमें अनुसंधान किया जाए, उस पर भी देखा जा रहा है, विश्व की नई टैक्नोलॉजी के ज़रिये कैसे उसमें अनुसंधान किया जाए, उस पर भी देखा जा रहा है। जापान और कोरिया के पास नई टैक्नोलॉजी है, कनाडा के पास नई टैक्नोलॉजी है, ऑस्ट्रेलिया के पास नई टैक्नोलॉजी है, उन टैक्नोलॉजी के ज़रिये भी कैसे काम किया जाए, उस पर भी काम चल रहा है और इसमें आगे हम कैसे बढ़ सकें इसकी कोशिश हो रही है।

अध्यक्ष महोदया: प्रश्न संख्या 162-श्री रावसाहेब दानवे पाटील।

श्री नामा नागेश्वर राव: अध्यक्ष महोदया...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

(व्यवधान)... *

राजसहायता प्राप्त रसोई गैस सिलेंडरों का दुरुपयोग

***162. श्री दानवे रावसाहेब पाटील:** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार राजसहायता प्राप्त रसोई गैस सिलेंडरों की पहचान के लिए और साथ ही खुले बाजार में अथवा वाणिज्यिक प्रयोजन हेतु इनके दुरुपयोग को रोकने के लिए इनका रंग परिवर्तित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) तेल विपणन कंपनियों द्वारा ऐसे सिलेंडर कब तक शुरू किए जाने की संभावना है; और

(घ) राजसहायता प्राप्त रसोई गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी रोकने के लिए सरकार द्वारा अन्य क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी): (क) से (घ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

*कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

विवरण

(क) से (ग) राजसहायता प्राप्त एलपीजी सिलिंडर का रंग बदलने का कोई प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन नहीं है। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज) नामतः इंडियन आयल कार्पोरेशन लि. (आईओसीएल), भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि. (बीपीसीएल) और हिन्दुस्तान कार्पोरेशन लि. (एचपीसीएल) ने अनाधिकृत उपयोग के लिए घरेलू एलपीजी की आपूर्ति में कदाचार/अनियमितताओं को नियंत्रित करने के लिए घरेलू तथा गैर घरेलू एलपीजी सिलेंडरों हेतु अलग-अलग रंग/आकार पहले ही शुरू कर दिए हैं। गेर घरेलू उपयोग के लिए एलपीजी की बिक्री 5 किग्रा, 19 किग्रा, 35 किग्रा और 47.5 किग्रा के सिलेंडरों में की जाती है और इन सिलेंडरों को आकार और रंग (आक्सफोर्ड ब्लू/बस ग्रीन) के माध्यम से आसानी से पहचाना जा सकता है। घरेलू एलपीजी सिलेंडरों की बिक्री 5 किग्रा और 14.2 किग्रा के लाल रंग के सिलेंडरों में की जाती है।

(घ) ओएमसीज वितरकों के परिसरों का नियमित रूप से औचक निरीक्षण करती हैं, ग्राहक के परिसर पर रिफिल जांच, औचक जांच करती हैं और सुपुर्दगी वाहनों की मार्गस्थ जांच करती है। यदि एलपीजी वितरक किसी कदाचार के दोषी पाए जाते हैं तो विपणन अनुशासन दिशानिर्देशों (एमडीजी) के प्रावधानों के अनुसार दंडात्मक कार्रवाई की जाती है।

[हिन्दी]

श्री दानवे रावसाहेब पाटील: अध्यक्ष महोदया, मेरा प्रश्न यह था कि सब्सीडाइज्ड गैस सिलैन्डर की काला बाज़ारी रोकने के लिए क्या सब्सीडाइज्ड गैस सिलैन्डर और नॉन-सब्सीडाइज्ड गैस सिलैन्डर के कलर में आप कुछ बदलाव करने वाले हैं? पहले सभी सिलैन्डर सब्सीडाइज्ड थे लेकिन अब कुछ सिलैन्डर नॉन-सब्सीडाइज किए गए हैं। उनमें से एक साल में केवल नौ सिलेण्डर सब्सिडाइज किए गए हैं। इस सिलेण्डर की कीमत 411 रुपये है। लेकिन नॉन सब्सिडाइज़ सिलेण्डर की कीमत 942 रुपये है। इन दोनों में 521 रुपये का अंतर है। लेकिन इसमें काफी तफ़ावत है। इसका कारण इन्होंने जो बताया है और इसकी कालाबाजारी रोकने के लिए जो उपाय इन्होंने बताया है कि 5 किलोग्राम और 14.2 किलोग्राम का सिलेण्डर केवल घरेलु उपयोग में लाया जाएगा। हमने केवल उसका आकार कम ज्यादा किया है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि देश में पचास फीसदी जनता ऐसी है, जो गैस का यूज़ नहीं करती है। लेकिन उनके नाम से यदि कोई गैस खरीद कर उसका वाणिज्यि उपयोग करता है तो उसको रोकने के लिए सरकार क्या कर रही है?

[अनुवाद]

श्रीमती पनबाका लक्ष्मी: महोदया, 5 किलोग्राम, 19 किलोग्राम, 35 किलोग्राम ओर 47.5 किलोग्राम में चार प्रकार के मैं राजसहायता प्राप्त सिलैंडर उपलब्ध हैं। वाणिज्यिक सिलैंडरों का रंग अलग है। राजसहायता प्राप्त सिलेंडरों के मामले में रंग (लाल) एक ही है। यह 5 किलोग्राम और 14.5 किलोग्राम में उपलब्ध है। इसकी कालाबाजी रोकने के लिए हमने अपने ग्राहक को जानो (के वाई सी) योजना शुरू की है। इसके माध्यम से हमें पूरे भारत से कार्य प्राप्त हुए हैं। प्रत्येक परिवार के लिए एक कनेक्शन की व्यवस्था है। इसके माध्यम से भी हम इसकी कालाबाजारी रोक सकते हैं।

गैस सिलेंडरों की संख्या बढ़ाने के लिए हमें सभी माननीय सदस्यों तथा कई संगठनों से अनुरोध प्राप्त हुए हैं। इसके आधार पर हमारे मंत्रालय ने सिलेंडरों को सीमा छह से बढ़ाकर नौ कर दी है। इसके जरिए भी हम इसकी कालाबाजारी रोक सकते हैं। कालाबाजारी रोकने के लिए अन्य प्रक्रियाएँ भी हैं।

[हिन्दी]

श्री दानवे रावसाहेब पाटील: अध्यक्ष महोदया, अभी-अभी मंत्री जी ने बोला है कि हम नौ सिलेण्डर करने वाले हैं। लेकिन देहात में जो बीपीएल परिवार रहते हैं, उनका नौ सिलेण्डर से काम नहीं चलता है। उनको कम से कम 12 सिलेण्डर क साल में सब्सिडाइज़ देने चाहिए। जब तक आप 12 सिलेण्डर नहीं देंगे, 146 रुपये मजदूरी एक मजदूर को महाराष्ट्र में मिलती है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: क्वैश्चैन करिए।

श्री दानवे रावसाहेब पाटील: महोदया, मैं प्रश्न पर ही आ रहा हूं। वहां मजदूर को 145 रुपये मजदूरी मिलती है, इसलिए उसके लिए 942 रुपये का सिलेण्डर खरीदना मुश्किल है। मेरी मांग है कि एक परिवार को 9 की बजाय कम से कम 12 सिलेण्डर एक परिवार को देने चाहिए।...*(व्यवधान)*

महोदया, इन्होंने बताया है कि जहां से गाड़ी जाती है, हम उसकी जांच करते हैं। हम उस परिसर में अपने लोग लगाते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि आपकी नजर में आज तक इस तरह के कितने मामले आए हैं?...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्रीमती पनबाका लक्ष्मी: महोदया, लगभग 40 प्रतिशत लोग सौ सिलेंडरों का उपयोग कर रहे हैं। सर्वेक्षण के आधार पर प्रत्येक परिवार के लिए सामान्यत: छह सिलेंडर प्राप्ति होते हैं...*(व्यवधान)* सर्वेक्षण के आधार पर मैं यह बात कह रही हूं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: इसके अतिरिक्त कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)... **

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया: आप लोग मंत्री महोदया को बोलने तो दीजिए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: आप लोग बैठ जाइए और उन्हें बोलने दीजिए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: आप लोग क्या कर रहे हैं? उन्हें बोलने दीजिए। इस तरह से मत कीजिए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: ऐसा न करें।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: ऐसा न करें।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: मैं समझ रही हूं कि आप बहुत उद्वेलित हैं। लेकिन, यह भी याद रखिए कि वे महिला हैं और आज महिला दिवस है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: श्री के. एस. राव।

...*(व्यवधान)*

---

*कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदया: बैठिए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: इस तरह उद्वेलित न हों।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: इतना ज्यादा उद्वेलित न हों।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: गणेश सिंह जी, बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)... *

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया: तूफानी सरोज जी, बैठिए।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: कार्यवाही-वृत्तांत में और कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)... *

डॉ. के.एस. राव: महोदया निरंतर कम होने वन क्षेत्र के साथ हो गांवों में भी रसोई गैस का उपयोग बढ़ रहा है। इन दिनों इसका बहुत अधिक उपयोग हो रहा है। आज कल गरीब लोग भी रसोई गैस सिलेंडरों का उपयोग कर रहे हैं इस पृथ्वी भूमि में, लंबी दूरी तक सिलेंडर ले जाने की लागत बहुत अधिक हो गई है और गरीब लोगों द्वारा लंबी दूरी पर साईकिल से सिलेंडर ले जाने में जोखिम भी है। इसे ध्यान में रखते हुए क्या सरकार गैस एजेंसियों की संख्या बढ़ाने के बारे में सोच रही है जिससे कि दूरी कम हो और यह समाज के निर्धन लोगों के लिए सुविधाजनक होगा...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री दानवे रावसाहेब पाटील: अध्यक्ष महोदया, मेरा यह प्रश्न नहीं था।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: अब आप की बारी खत्म हो गयी। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: अब आप बैठ जाइए।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्रीमती पनबाका लक्ष्मी: महोदया, ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को एल पी जी कनेक्शन मुहैया कराने तथा महिलाओं की सहायता के लिए हमने विजय 2015 योजना हुए की है। हमारा लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि 75 प्रतिशत लोगों को एल पी जी कनेक्शन मिले। हम प्रत्येक मंडल मुख्यालय में एल पी जी डीलरशिप प्रदान करना चाहते हैं। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया: श्री गोरखनाथ पाण्डेय।

श्री गोरखनाथ पाण्डेय: माननीय अध्यक्षा जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि आज शहर से कस्बे और गांवों में 90 से 95% घरों में गैस का प्रयोग किया जाता है।

महोदया, एक तो गैस की जो आपूर्ति थी, जो छः सिलिण्डर माननीय मंत्री जी ने किया। हम लोगों की डिमांड चख्ल रही है कि इसे बारह या उस से अधिक कर दिया जाए। लेकिन, इस से दूसरी समस्या भी जुड़ी हुई है कि एक तो आपूर्ति नहीं हो रही है और दूसरी ओर घटतौती हो रही है। गांव में जो सामान्य परिवार है, गरीब परिवार है, वह किसी तरह से पैसे का जुगाड़ कर गेस लेना चाहता हे जो उसे ब्लैक मार्केट से लेने के लिए मजबूर होना पड़ता है। उसे अधिक दाम देने के लिए मजबूर होना पड़ता है। गांवों में एक तो संयुक्त परिवार प्रथा है। आज भी गांवों में लगभग पचास या उस से अधिक संख्या में रहने वाले लोग एक छत के नीचे रहते हैं। नौ सिलिण्डर से उनके पूरे महीने का खर्च नहीं चल सकता। उसे तो बारह से अधिक करने की आवश्यकता है। आज महिला दिवस है। माननीय अध्यक्षा जी, आप भी महिला हैं, हमारी प्रतिपक्ष की नेता महिला हैं और संयोग से माननीय मंत्री जी जो हमारे प्रश्न का उत्तर दे रही हैं, वे भी महिला हैं। इस से ज्यादा सौभाग्य सदन का नहीं होगा कि एक महिला मंत्री जी

*कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

आज इस बात पर भरोसा दिलाएं कि गैस सिलिण्डरों की घटतौती बंद की जाएंगी और गांवों में गैस की आपूर्ति सुनिश्चित करायी जाएगी।

अध्यक्ष महोदया: ठीक है, अब आप स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री गोरखनाथ पाण्डेय: क्या वे नौ सिलिण्डर से बढ़ाकर बारह सिलिण्डर करने का काम करेंगी, क्या माननीय मंत्री जी सदन को ऐसा आश्वासन देंगी?

[अनुवाद]

श्रीमती पनबाका लक्ष्मी: महोदया हम देश में हर वर्ष लगभग एक करोड़ गैस कनेक्शन उपलब्ध करा रहे हैं। राजीव गांधी ग्रामीण वितरण योजना के माध्यम से हम ग्रामीण क्षेत्रों में भी इसका विस्तार कर रहे हैं। मैं माननीय सदस्य की इस बात से सहमत हूं कि कमी है। परन्तु प्रत्येक परिवार को एक कनेक्शन मिल सकता है ...(*व्यवधान*) महोदया, के वाई सी नियम लागू किये जाने के बाद से घरेलू उपयोग काम हुआ है। इससे पहले वह सिलेंडरों का दुरूपयोग करते थे और वाणिज्यिक उपयोग के लिए अपने सिलेंडर दूसरे लोगों को देते थे। के वाई सी नियमों के क्रियान्वयन के बाद वाणिज्यिक वृद्धि दर भी बढ़ी है इस वर्ष सितंबर जनवरी 2013 के दौरान यह लगभग 12.5 प्रतिशत रही। इस अवधि के दौरान घरेलू उपयोग की कम हो कर 1.8% पर आ गया।

शेयरों की ट्रेडिंग से निलंबित की गई कंपनियां

***163. श्री ए. गणेशमूर्ति:**
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान शेयरों की ट्रेडिंग से निलंबित की गई कंपनियों की संख्या कितनी है;

(ख) ऐसे निलम्बन का निवेशकों पर क्या प्रभाव पड़ा है;

(ग) क्या इनमें से कुछ कंपनियों को हाल ही में ट्रेडिंग एक्सचेंजों में पुनः सूचीबद्घ किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में छोटे निवेशकों के हितों की रक्षा हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): (क) से (ङ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

मुख्यतया सूचीयन करार का अनुपालन न करने और सूचीयन शुल्क की अदायगी न करने के कारण भी 1 अप्रैल, 2009 से 25 फरवरी, 2013 के दौरान 1125 कंपनियों को शेयरों की ट्रेडिंग से निलंबित किया गया था। विभिन्न एक्सचेंजों में कंपनियों को ट्रेडिंग से निलंबित किए जाने के वर्ष-वार आंकड़े निम्नानुसार हैं:

एक्सचेंज का नाम	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13 (25.2.2013 तक)	जोड़
बीएसई लिमिटेड (बीएसई)	शून्य	75	24	144	243
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज आफ इंडिया लिमिटेड (एनएसई)	9	7	6	10	32
यू.पी. स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड (यूपीएसई)	1	शून्य	8	9	18
अहमदाबाद स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड (एएसई)	370	शून्य	शून्य	शून्य	370
भुवनेश्वर स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड (बीएचएसई)	शून्य	शून्य	29	शून्य	29
मध्य प्रदेश स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड (एमपीएसई)	शून्य	शून्य	195	शून्य	195
कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड (सीएसई)	1	2	97	46	145
मद्रास स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड (एमएसई)	39	1	53	शून्य	93
कुल	420	84	412	209	1125

स्टॉक एक्सचेंजों से निलंबित की गई कंपनियों का ब्यौरा संबंधित स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइटों पर दिया गया है। निलंबित की गई 1125 कंपनियों में से 705 कंपनियों को ऐसे क्षेत्रीय स्टॉक एक्सचेंजों द्वारा निलंबित किया गया है जहां कोई ट्रेडिंग नहीं होती। शेष 420 कंपनियों में, से 148 कंपनियों का निलंबन इन एक्सचेंजों द्वारा निरस्त कर दिया गया है। इनका ब्यौरा अधोलिखित है:

	एनएसई	बीएसई	सीएसई
उन कंपनियों की संख्या जिनका निलंबन निरस्त किया गया है	5	109	34

स्टॉक एक्सचेंजो ने एक प्रणाली तैयार की है और वे कंपनियों को ट्रेडिंग से निलंबित करने से पूर्व एक निश्चित प्रक्रिया का पालन करते हैं। एक्सर्चेज, निवेशकों सहित बाजार भागीदारों के प्रस्तावित निलंबन/निरसन के बारे में पर्याप्त नोटिस देते हैं। स्टॉक एक्सचेंज द्वारा किसी कंपनी को शेयरों की ट्रेडिंग से निलंबित करने के मामले में, निलंबन के जारी रहने के दौरान स्क्रिप की ट्रेडिंग उस एक्सचेंज पर नहीं की जाएगी। तदनुसार, निदेशक उस स्टॉक एक्सर्चेज, जहां स्क्रिप को निलंबित किया जाता है, के जरिए शेयरों की खरीद या बिक्री नहीं कर सकेगा। तथापि, यदि निवेशक को एक्सचेंज प्लैटफार्म से बाहर शेयरों की खरीद या बिक्री नहीं कर सकेगा मिल जाते हैं तो वह उन शेयरों के मूल्य को भुना सकेगा जिनकी ट्रेडिंग निलंबित की गई है। इसके अलावा, जिस कंपनी के शेयर निलंबित किए गए हैं, वह निलंबन की अवधि के दौरान पूंजी नहीं जुटा सकेगी।

स्टॉक एक्सचेंज समय-समय पर कंपनियों और निवेशकों की जानकारी के लिए अपनी वेबसाइटों पर कारपोरेट अभिशासन से संबंधित अपेक्षाओं सहित सूचीयन करार से जुड़ी विभिन्न अपेक्षाओं के संबंध में सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा अनुपालन अथवा अनुपालन न किए जाने का ब्यौरा प्रदर्शित करते हैं। एक्सचेंज प्रत्येक तिमाही में अपनी वेबसाइट पर उन सूचीबद्ध कंपनियों के प्रमोटरों, निदेशकों और अनुपालन अधिकारी के नाम (उनके पैन और डीआईएन सहित) प्रदर्शित करते हैं जो सूचीयन करार के किसी खंड का अनुपालन करने में विफल रही हों। सेबी और एक्सचेंज भी निवेशक जनता को नियमित रूप से जानकारी देते रहते है कि वे स्टॉक बाजार में सूचीबद्ध प्रतिभूतियों में निवेश करने से पहले समुचित सावधानी बरतें। सेबी द्वारा मुहैया कराई गई जागरूकता संबंधी सामग्री में, अन्य बातों के साथ-साथ, निवेश करने वाली जनता के लिए करने और न करने वाली बातें शामिल हैं तथा इसमें उन बातों का विवरण दिया गया है जो निवेश करते समय निवेशक को ध्यान में रखनी है जैसे इश्यू से संबंधित जोखिम कारक, आईपीओ ग्रेडिंग/क्रेडिअ रेटिंग, कारोबार पर एक नजर, प्रमोटरों की पृष्ठभूमि, रूके हुए अदालती मामले और चूक, यदि कोई हों। इसके अलावा, इसमें निवेशक के अधिकारों और जिम्मेदारियों का ब्यौरा भी दिया गया है।

श्री ए. गणेशमूर्तिः महोदया, माननीय वित्तमंत्री द्वारा दिए गए वक्तव्य के अनुसार केवल 148 कंपनियों का निलम्बन एक्सचेंजों द्वारा निरस्त किया गया है। इस स्थिति के शेष 977 ट्रेडिंग कंपनियों का क्या हुआ? क्या मैं यह जान सकता हूं कि क्या वे व्यवसाय करने की इच्छुक नहीं हैं अथवा इसके पीछे कोई अन्य कारण है।

श्री पी. चिदम्बरमः महोदया, जब किसी कंपनी को निलम्बित कर दिया जाता है तो उसे तब तक पुन: सूचीबद्ध नहीं किया जा सकता जब तक कि कंपनी सूचीबद्ध किए जाने की शर्तों को पूरा नहीं करती। हो सकता है कि वे सूचीबद्ध किए जाने की शर्तों पूरी करने के असमर्थ हों; जब तक वे शर्तों पूरी नहीं करेंगी तब तक निलम्बित ही रहेंगी। किसी कंपनी के सूची से हराए जाने का आदेश अंतिम आदेश होता है। किसी कम्पनी को सूची से हराया जा सकता है यह संभव है कि उनमें से कई कम्पनियों पुन: सूचीबद्ध होगा न चाहती हों क्योंकि वे सूचीबद्ध किए जाने की शर्तें पूरी नहीं कर सकती। कंपनियों को सूचीबद्ध किए जाने के लिए बहुत व्यापक करार होता है, जिस पर उन्हें प्रत्येक एक्सचेंज के साथ हस्ताक्षर करने होते हैं। यह बहुत ही सख्त करार होता है यदि वे सूचीबद्ध किए जाने के करार की शर्तों को पूरा नहीं कर पाती हैं तो उन्हें सूचीबद्ध नहीं किया जा सकता और न उन्हें सूचीबद्ध किया जाएगा।

श्री ए. गणेशमूर्तिः 2009 से 2012 के दौरान कंपनियों को सूची से हराए जाने के कारण निषेशकों की जो धनराशि फंसी रह गई थी, क्या वह उन्हें लिए पायी है? यदि हो, तो इसका ब्यौरा क्या है?

श्री पी. चिदम्बरमः जब किसी कंपनी की लिस्टिंग को निलम्बित कर दिया जाता है अथवा उसे सूची से हरा दिया जाता है तो शेयर बाजार में कंपनी के शेयरों की खरीद फरोख्त नहीं की जा सकती। जब किसी कंपनी को निलम्बित कर दिया जाता है तो शेयर धारक उसके शेयर बाजार के बाहर किसी इच्छुक खरीदार को बेच सकता है। यदि किसी कम्पनी को सूची से हटा दिया जाता है तो उसका मालिक शेयर धारकों से उचित मूल्य पर शेयर वापस खरीदने के लिए बाध्य होता है। यह एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें उचित मूल्य मूल्यांक द्वारा निर्धारित किया जाता है। जहां तक भाग की बात है, यह बहुत ही छोटा भाग है। उदाहरण के लिए 6 मार्च को एनएसई में कुल मार्केट कैप 64,86,850 करोड़ था, परन्तु निलम्बित कम्पनियों का मार्केट कैप मात्र 0.12 प्रतिशत

था। यह कुल मार्केट कैप का बहुत भाग है। इसी प्रकार बीएसई में निलम्बित कंपनियों का मार्केट कैप कुल मार्केट कैप का मात्र 0.1 प्रतिशत है। यह बहुत छोटी राशि है, परन्तु शेयर धारकों का नुकसान तो होता ही है। शेयर धारकों का नुकसान इसलिए होता है क्योंकि जिस कम्पनी में निषेश किया है वह कंपनी सूचीबद्ध किए जाने के करार की शर्तों का पालन नहीं कर सकती।

[हिन्दी]

श्री एकनाथ महादेव गायकवाड: अध्यक्ष महोदया, हमने यह सवाल पूछा था कि छोटे निवेशकों के हितों की रक्षा हेतु क्या कदम उठाए गए हैं और उठाए जा रहे हैं, उसका जवाब पूरे उत्तर में नहीं आया। ये जो सब तकलीफें हैं, ये चीफ प्रमोटर की वजह से होती हैं और कम्पनी बंद होती हे, निलम्बन होता है।

मेरा सवाल यह है कि छोटे निवेशकों की रक्षा हेतु शासन क्या करने वाला है और राजीव गांधी इक्विटी योजना के तहत क्या कुछ लाभ मिलेगा?

[अनुवाद]

श्री पी. चिदम्बरम: वस्तुत: कंपनी द्वारा सूचीबद्ध किए जाने के करार की शर्तों का पालन न करने से सबसे अधिक नुकसान निवेशक का ही होता है। यदि कोई कंपनी शर्तों का पालन नहीं करती है तो उसे व्यवसाय करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। जब कोई एक्सचेंज बाजार में निवेशकों की रक्षा के लिए किसी कंपनी को निलम्बित करती है तो वह प्रस्तावित निलम्बन के बारे में बाजार भागीदारों को पर्याप्त सूचना देता है। सूचना देने के 21 दिन बाद ही निलम्बत प्रभावी होता है। इस अवधि के दौरान शेयर धारक के पास कंपनी के शेयर बेचने का विकल्प निलम्बन नए निवेशकों को इन प्रतिभूतियों का क्रम-विक्रम करने से भी रोकता है। सूची से हटाए जाने के मामले में प्रमोटर निर्गत मूल्य पर शेयर खरीदता है जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि प्रमोटर 'भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड विभिन्न 2009 के अनुसरण में कंपनी को सूची से हटाए जाने की तारीख एक वर्ष हो जाने पर शेष शंकर फाटकों को निर्गत मूल्य प्रदान करेगा।' मैं यह नहीं कह रहा हूं कि शेयर कारक पर प्रभाव नहीं पड़ता है। शेयर धारक पर प्रभाव पड़ता है क्योंकि उसने एक गलत कंपनी का चयन किया है अथवा उसने जिस कंपनी का चमन किया है वह बाद में ऐसी कंपनी बन जाती है जो शर्तों का पालन करने के असमर्थ है। कीमत तो चुकानी ही पड़ेगी परन्तु निलमवान के मामले में समय दिया जाता है जब आप कंपनी के शेयर बेच सकते हैं और उपर्युक्त विनिमय के अधीन प्रमोटर द्वारा निर्गत मूल्य पर शेयर खरीदने का प्रावधान है।

[हिन्दी]

श्री अर्जुन राम मेघवाल: धन्यवाद अध्यक्षा जी। मंत्री जी अभी जवाब दे रहे थे कि कंपनी के कारण इन्वेस्टर सफर करते हैं। यह तो हमें भी पता है कि कंपनियां रजिस्टर्ड होती हैं, शेयर मार्केट में उतरती हैं और लोक-लुभावने नारे भी देती हैं, लोक-लुभावने लिट्रेचर भी प्रकाशित करती हैं और उसके बाद जो छोटे-छोटे इन्वेस्टर होते हैं, वे आकर्षित होते हैं। यह हमारी जानकारी में है, लेकिन मंत्री जी ने जो जवाब दिया है, इन्होंने यहां इसमें लिखा है कि *[अनुवाद]* "निवेशक उस शेयर का मूल्य भुना सकते हैं जिसकी ट्रेडिंग निलम्बित कर दी गयी है।" *[हिन्दी]* महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि कितने लोगों को इन्होंने यह इनकैश किया, कितने लोगों को वापस सहायता दिलायी या ऐसा कोई मैकेनिज्म ये विकसित करने वाले हैं?

[अनुवाद]

श्री पी. चिदम्बरम: महोदया, लगता है मुझे इसे स्पष्ट करना होगा स्टॉक-एक्सचेंज एक बाजार है। यह एक निजी संस्था है और सेबी इसका विनियामक है। सेबी विनिमय निर्धारित करता है ताकि बाजार का समुचित विनिमयन सुनिश्चित किया जा सके। परन्तु स्टॉक एक्सचेंज किसी अन्य बाजार के समान ही है और बाजार में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कानून का पालन नहीं करते हैं· जैसा कि मैंने कहा है कि यदि कोई शेयरधारक ऐसी कंपनी में निवेश करता है तो उसे थोड़ी-बहुत हानि तो होती है। परन्तु विनियम इस प्रकार अभिकल्पित किए गए हैं कि जब आप कंपनी को शेयर बाजार से निलम्बित करने पर विचार करते हैं तो शेयर धारक को काफी समय दिया जाता है। जब किसी कम्पनी को सूची से हटाया जाता है। जब किसी कम्पनी को सूची से हटाया जाता है तो एक वर्ष की अवधि दौरान प्रमोटर को शेयर वापस खरीदने होते हैं परन्तु ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि सरकार अथवा विनियामक शेयर धारक की क्षतिपूर्ति कर सके। बाजार जोखिम बोध और जोखिम मूल्यांकन पर आधारित होता है। ऐसी कोई तरीका नहीं हैं जिससे सरकार शेयरधारक की क्षतिपूर्ति कर सके। स्टॉक एक्सचेंज या बाजार इस सिद्धांत पर कार्य नहीं करते।

राजकुमारी रत्ना सिंह: अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से यह पूछना चाहती हूं कि क्या ये शेयर टेंडिंग कंपनियां नियमों का पालन कर रही हैं क्योंकि वे अक्सर निवेशकों का पैसा ले कर पोर्टफोलियो की देखरेख करते हैं। ऐसे में वे उस राशि से निजी व्यवसाय कर सकती हैं और उस धन की सब-ब्रेकिंग' भी कर सकती हैं अंत में वे उस धन का उपयोग अधिक मात्रा में ट्रेडिंग के लिए भी कर सकती है। मैंने अगस्त में मंत्री महोदय के पास एक मामला भेजा था जिसका मुझे आज तक उत्तर नहीं मिला है। यह भारत की सबसे बड़ी व्यापारिक

कंपनियों में से एक है जो कई कदाचारों में लिप्त है। सेबी उसके खिलाफ समुचित कार्रवाई नहीं कर रहा है। मैं उन्हें कतिपय लोगों के और अभ्यावेदन दूंगी जो इन बड़ी शेयर कंपनियों में निवेश कर रहे हैं जहां उन्हें सही जानकारी नहीं दी जा रही है। सेबी के नियमों के अनुसार आजकल प्रत्येक ट्रेडिंग की आवाज रिकार्ड करनी होती है। ये बड़ी कंपनियां इसका पालन नहीं करती है और वे अनेक निवेशकों के धन का दुरूपयोग कर रही है। इसलिए महोदया मैं आपके माध्यम से अनुरोध करती हूं कि मंत्री महोदय और सेबी इन शेयर ट्रेडिंग कंपनियों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करें जो किसी अन्य के नाम से बड़ी धनराशि का दुरूपयोग कर रही हैं।

श्री पी. चिदम्बरम: अध्यक्ष महोदया, स्पष्टत: जब तक माननीय सदस्य कंपनी का नाम नहीं बताएंगी तब तक मुझे कैसे पता चलेगा कि वे किस कंपनी की बात कर रही हैं। मुझे दर्जनों अभ्यावेदन प्राप्त होते हैं और मुझे विश्वास है कि उनका अभ्यावेदन सेबी के संबंधित अधिकारी के पास भेज दिया गया है और कार्रवाई की जा रही है। यदि वे मुझे एक अनुस्मारक भेज दे अथवा जब मैं सभा से बाहर जाऊं तो उस समय यह बता दें कि वे किस कंपनी की बात कर रही हैं तो मैं पता लगाओगे कि क्या कार्रवाई की गई है और इसकी सूचना उन्हें दे दी जाएगी। परन्तु मुझे यह मालूम नहीं है कि शेयर ट्रेडिंग कंपनी से माननीय सदस्य का क्या आशय है। हम उन कंपनियों की बात कर रहे हैं जो स्टॉट एक्सचेंज में सूचीबद्ध है या तो कंपनी को सूची से विलम्बित कर दिया जाता है और यदि वह शर्तों का पालन करती हूं तो निलम्बन रह कर दिया जाता है अथवा कंपनी को स्थायी रूप से सूची से हटा दिया जाता है। यही प्रश्न है जिसका मैं उत्तर दे रहा हूं। परन्तु माननीय सदस्य यदि किसी अन्य कंपनी की बात कर रही हैं जो बाजार में शेयर खरीदती और बेचती है तो यह एक अलग बात है।

राजकुमारी रत्ना सिंह: मैं ब्रोकरिंग कंपनियों की बात कर रही हूं।

श्री पी. चिदम्बरम: इस प्रश्न में इस बात पर यह बल नहीं दिया गया है। शेयर ब्रोकिंग एक वैध व्यवसाय है। परन्तु यदि कोई शेयर ब्रोकर कानून का उल्लंधन करता है तो हमें यह पता लगाया होगा कि कौन से कानून का उल्लंघन किया गया है और कार्रवाई की जाएगी। परन्तु हमारे देश में शेयर ब्रोकिंग वैध व्यवसाय है।

[हिन्दी]

अनाथ और बेसहारा बच्चे

***164. डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी:**
श्री कपिल मुनि करवारिया:

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में इस समय कितने अनाथ और बेसहारा बच्चे हैं;

(ख) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान बालिकाओं सहित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ऐसे कितने बच्चों को गोद लिया गया;

(ग) क्या सरकार द्वारा देश में बेसहारा/उपेक्षित और अनाथ बच्चों को घर जैसा परिवेश मुहैया कराने के लिए कोई योजना बनाई गई है/बनाए जाने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उक्त अवधि के दौरान इस प्रयोजनार्थ राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को कितनी धनराशि स्वीकृत, की गई, कितनी जारी की गई तथा कितनी धनराशि उनके द्वारा उपभोग में लाई गई?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा तीरथ): (क) से (ङ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) देश में अनाथ एवं निराश्रित बच्चों की संख्या के संबंध में केन्द्रीय स्तर पर कोई प्रामणिक आंकड़े नहीं हैं क्योंकि इनकी संख्या घटती बढ़ती है।

(ख) दत्तकग्रहण एजेंसियों/राज्य सरकारों द्वारा केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्रधिकरण (कारा) को दी गई सूचना के अनुसार, गत तीन वर्षों एवं मौजूदा वर्ष के दौरान लड़कियों सहित दत्तक ग्रहण दिए गए बच्चों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या संलग्न अनुबंध-I में है।

(ग) और (घ) महिला एवं बाल विकास मंत्रालय अनाथ एवं निराश्रित बच्चों सहित कठिन परिस्थितियों में रह रहे, बच्चों के पुनर्वास एवं पुनर्समेकन हेतु एक केन्द्रीय प्रायोजित समेकिन बाल संरक्षण स्कीम आईसीपीएस क्रियान्वित कर रहा है। आईसीपीएस के तहत, राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासनों को ऐसे बच्चों के लिए संस्थागत देखरेख तथा दत्तक ग्रहण, प्रायोजन एवं पालन पोषण जैसे गैर-संस्थागत देखरेख दोनों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। तदनुसार, शहरी एवं अर्ध शहरी क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के गृहों, दत्तक ग्रहण एजेंसियों के साथ-साथ मुक्त आश्रयों की स्थापना एवं अनुरक्षण के लिए अनुदान दिया जाता है, जहां बच्चों को उनका कल्याण तथा विकास सुनिश्चित करने के लिए आश्रय, भोजन, शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण आदि जैसी सेवाएं प्रदान की जाती है।

(ङ) गत तीन वर्षों एवं मौजूदा वर्ष के दौरान समेकित बात संरक्षण स्कीम के तहत राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को संस्वीकृत एवं निर्मुक्त राशि का राजय/संघ राज्य क्षेत्र-वार तथा वर्ष-वार ब्यौरा संलग्न अनुबंध-II में दिया गया है। राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को निर्मुक्त राशि का उनके द्वारा समान्यत: उपयोग कर लिया जाता है। तथापि अव्ययित शेष को यदि कोई हो, आगामी वर्षों में देय अनुदान में शामिल कर दिया जाता है।

विवरण I

देश के बाहर दत्तक ग्रहणों (कारा द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र) तथा देश के भीतर दत्तक ग्रहणों की संख्या

क्र.सं.	राज्य	2009	2010	2011 (जनवरी, 2011 से मार्च 2012)	2012 (अप्रैल, 2012 दिसंम्बर 2012
1	2	3	4	5	6
1	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	19	20	0
2	आंध्र प्रदेश	237	500	496	162
3	अरुणाचल प्रदेश	5	2	2	0
4	असम	11	20	109	43
5	बिहार	3	61	199	32
6	छत्तीसगढ़	0	65	79	21
7	दिल्ली	210	303	376	193
8	गोवा	20	66	41	16
9	गुजरात	181	190	187	64
10	हिमाचल प्रदेश	0	6	5	0
11	हरियाणा	33	64	58	52
12	झारखण्ड	0	81	122	38
13	कर्नाटक	142	499	448	158
14	केरल	101	309	258	237
15	मणिपुर	7	8	16	2
16	मध्य प्रदेश	37	46	117	134
17	महाराष्ट्र	826	1589	1462	696
18	मिजोरम	31	159	52	8
19	मेघालय	0	0	1	0
20	नागालैंड	0	0	0	5

1	2	3	4	5	6
21	ओडिशा	137	390	683	152
22	पुदुचेरी	27	38	28	18
23	पंजाब	61	130	105	76
24	राजस्थान	44	157	213	122
25	तमिलनाडु	177	690	710	307
26	त्रिपुरा	8	12	48	1
27	उत्तर प्रदेश	10	223	120	78
28	उत्तराखंड	0	6	3	0
29	पश्चिम बंगाल	210	653	595	236
	कुल	2518	6286	6553	2851*

विवरण II

गत तीन वर्षों एवं मौजूदा वर्ष के दौरान समेकित बाल संरक्षण स्कीम के तहत राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र को संस्वीकृत एवं निर्मुक्त राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार एवं वर्ष राशि

क्र.सं.	राज्य	निर्मुक्त राशि (रुपये लाखों में)			
		2009-10	23010-11	2011-12	2012-13 (5.3.2013 तक)
1	2	3	4	5	6
1	आंध्र प्रदेश	504.49	902.54	2038.24	1689.48
2	अरुणाचल प्रदेश	-	-	-	147.05
3	असम	129.92	301.79	-	740.36
4	बिहार	-	604.58	115.22	871.78
5	छत्तीसगढ़	206.13	.	-	397.30
6	गुजरात	269.42	490.54	626.37	1213.28
7	हिमाचल प्रदेश	25.89	371.86	147.29	748.85
8	हिमाचल प्रदेश	-	-	314.47	-
9	झारखंड	-	-	420.67	-
10	कर्नाटक	203.11	381.67	1410.91	1856.50
11	केरल	149.16	320.21	333.33	-

1	2	3	4	5	6
12	मध्य प्रदेश	481.62	–	240.31	1223.10
13	महाराष्ट्र	–	3730.28	1174.79	976.71
14	मणिपुर	105.42	202.29	216.16	–
15	मेघालय	–	102.13	211.25	474.30
16	मिजोरम	–	195.36	225.46	504.95
17	नागालैंड	190.12	–	942.51	838.32
18	ओडिशा	146.42	545.38	546.98	671.33
19	पंजाब	–	–	574.65	–
20	राजस्थान	225.07	332.47	566.55	1422.38
21	सिक्किम	–	–	88.94	–
22	तमिलनाडु	193.12	447.65	1276.56	4326.82
23	त्रिपुरा	–	221.40	198.38	190.30
24	उत्तर प्रदेश	–	–	2142.25	1662.48
25	पश्चिम बंगाल	500.86	186.83	1205.52	487.06
26	चण्डीगढ़	–	–	17.96	–
27	दमन और दीव	–	–	–	16.53
28	पुदुचेरी	–	237.29	341.93	1093.98
	कुल	–	107.22	–	–

डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी: मैं अनाथ और बेसहारा बच्चों के बारे में पूछना चाहता हूं। महोदया, आज मंत्री जी ने जो जवाब दिया है, उस जवाब में मंत्री जी ने ऐसा कहा है कि उनके पास ऐसे बच्चों के प्रमाणित आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। मंत्री जी ने यह भी कहा है कि आंकड़े उपलब्ध नहीं होते हैं क्योंकि इसमें फलक्चूएशन होता है उसमें कहीं बढ़त होती है, कहीं घटत होती है आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। उनकी स्थिति इतनी बदतर है कि "द सेव द चिल्ड्रेन" एक संस्था है उसने यूनिसेफ के माध्यम से उनकी स्थिति के बारे में एक सर्वे किया है। उस सर्वे के जो आंकड़े हैं, वे काफी चौकाने वाले आंकड़े हैं। ये जो बच्चे होते हैं, इनमें 89 परसेंट लड़के होते हैं, 11 परसेंट लड़कियां होती हैं। 49 परसेंट बच्चे की उम्र 11 से 15 साल तक है। 24 परसेंट बच्चे अन्य राज्यों से आते हैं। इनमें से 4.1 परसेंट बच्चे जो अपना नाम भी नहीं लिख सकते हैं। उनमें से 60 परसेंट बच्चे को बीमार होने पर डॉक्टर और स्वास्थ्य बच्चे जो शराब और नशे की लत में इंवाल्व होते हैं।

मंत्री जी ने जो गोलमोल जवाब दिया है। मैं मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि जो जुवेनाइल जस्टिस प्रोटेक्शन एंड केयर ऑफ द चिल्ड्रेन एक्ट 2000 है उनके तहत बालगृहों को पंजीकृत किया जाना चाहिए। कई बालगृह ऐसे होते हैं जो पंजीकरण नहीं कराते हैं और फिर भी वे उन्हें चलाते हैं। इनमें से कुछ गलत प्रवृत्तियों में इंवाल्व होते हैं। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि ऐसे जो बालगृह पंजीकृत नहीं हैं उनकी संख्या कितनी है? जो बालगृह पंजीकृत नहीं हैं तो उनको क्या दंड देना चाहिए? इसके बारे में मंत्री जी बताएं।

श्रीमती कृष्णा तीरथ: आदरणीय अध्यक्ष महोदया, मेम्बर साहब ने जो प्रश्न किया है, मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूं कि हमारे पास जो आईसीपीए के अंदर जो होम्स हैं उनके अंदर कुल 75 हजार बच्चे हैं। जैसा कि आपने कहा कि कुछ होम्स ऐसे चल रहे हैं जो कि अब तक आईसीपीएस के अंदर रजिस्टर्ड

नहीं हुए हैं। हम कोशिश कर रहे हैं। हमने राज्य सरकारों को कई बार पत्र लिखा है कि जितने भी होम्स चल रहे हैं, अंडर दिस इंटिग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम के अंतर्गत उन्हें लाना चाहिए तो अभी कुछ आए हैं। इसलिए मैंने कहा कि हमारे पास टोटल बेसहारा बच्चों का इग्जैक्ट फीगर नहीं है। लेकिन, हमारे अंडर जो होम्स चल रहे हैं, मैंने बताया कि उनमें 75 हजार बच्चे हैं। दूसरा, आपने कहा कि 89 परसेंट लड़के, 11 परसेंट लड़कियां, ये सब हैं। हम इस आईसीपीए स्कीम के अंदर चार तरह के होमस चलाते हैं। इन चारों तरह के होम्स में, ऑब्जरवेशन होम्स, चिल्ड्रेन होम्स और शेल्टर होम्स हैं। इसमें सीडब्ल्यूसी (चाइल्ड वेल्फेयर कमेटीज) हैं। बच्चा जब सरैंडर्ड अबेनडैंड, ऑरफन, स्ट्रीट चिन्ड्रन हो, किसी भी प्रकार के बच्चे देश में जहां हैं, उन्हे सीडब्ल्यूसी के पास लेकर आते हैं। वह फिर डिसाइड करती है कि ये कनफ्लिक्ट विद लॉ हैं या सरैंडर्ड हैं। अगर कनफ्लिक्ट विद लॉ हैं तो उन बच्चों को हम ऑब्जर्वेशन होम और स्पेशल होम में भेजते हैं। अगर बच्चे छोटे हैं, आप जो कह रहे हैं कि कुछ नहीं जानते और उन्होंने कोई क्राइम या ऑफेंस नहीं किया, तो उन्हें हम सिम्पल होम में लाते हैं जिसमें उनके रहने, खाने-पीने पढ़ने, काउंसलिंग करने का इंतजाम होता है। आपने कहा कि ड्रग एडिक्ट्स बच्चे भी हैं। उनके लिए भी काउंसिल है। हम उन बच्चों के लिए अलग-अलग तरह से राज्य सरकारों को पैसे देते हैं और वे उन बच्चों की देखभाल करती हैं।

डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी: अध्यक्ष महोदया, ऐसे बच्चों को गोद लेने की प्रक्रिया, अगर उन्हें अच्छे लोग गोद लेंगे तो उनके जीवन में परिवर्तन होगा, उन्हें मौका मिलेगा और संरक्षण मिलेगा। आजकल कई एजैंसियों द्वारा उन बच्चों को गोद लिया जाता है। विदेश से भी कई लोग आकर उन्हें गोद लेते हें। लेकिन एक विडंबना है कि गोद लेने वाली एजैंसियों में से कुछ ऐसी हैं जो उनका मिसयूज करती हैं, तस्करी करवाती हैं, उनका शोषण करती हैं। क्या ऐसे लोगों को हटाने और गोद लेने की प्रक्रिया को सहज और लचीला बनाने के लिए मंत्री महोदया लॉ में कोई प्रावधान करेंगी? जो लोग ऐसे बच्चों को गोद लेते हैं, जब तक वे मेच्वोर होते हैं तब तक उनहें गोद लेने वाले लोग उनके प्रति कैसा रवैया रखते हैं, क्या हम इसके लिए कोई मौनीटरिंग सिस्टम डवेलप करेंगे?

श्रीमती कृष्णा तीरथ: मैडम मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगी कि माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है, हमारे पास मौनीटरिंग सिस्टम है जिसमें स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक हर लैवल पर मौनीटरिंग होती है। आपने ऐडॉप्शन के बारे में कहां हम कोशिश करते हैं कि जो बच्चे इन होमस में आएं, वे ऐडॉप्अ कर लिए जाएं, उन्हें पारिवारिक माहौल मिले जिससे उन्हें पहले, बढ़ने में मदद मिले। जिससे उन्हें पलने, बढ़ने में मदद मिले। हम कोशिश करते हैं कि देश के बच्चों को देश में ही रखें। हमारे पास इन-कंट्री, इंटर-कंट्री ऐडॉप्शन सिस्टम है। मैं आपको इसके आंकड़े बताती हूं। वर्ष 2009 में इन-कंट्री में 1,852 बच्चे, इंटर-कंट्री में 666, वर्ष 2010 में इन-कंट्री में 5,693 और इंअर-कंट्री में 593, इसी तरह वर्ष 2011 में इन-कंट्री में 5,964 और इंटर-कंट्री 589 और अप्रैल, 2012 से दिसमबर, 2012 तक मेरे पास जो आंकड़े हैं, यह कोर्ट के माध्यम से होता है, क्योंकि सीडब्ल्यूसी डिफरेंट एजेंसियों को एप्रोच करती है और फिर कारक के माध्यम से ऐडॉप्शन होते हैं। इंटर-कंट्री 242 बच्चे ऐडॉप्ट किए गए। जो बच्चे ऐडॉप्ट किए जाते हैं, उनकी पूरी तरह से काउंसलिंग और सिक्योरिटी होती है। जो बच्चे होम में रह जाते हैं, ऐडॉप्ट हुए ही नहीं, उनके लिए वे होम 18 साल तक पूरा प्रोविजन करते है, 18 साल से 21 साल तक वे दूसरे होम में चले जाते हैं। हम कोशिश करते हैं कि वहां उन्हें ट्रेंड करें ताकि वे अपने पैरों पर खड़े हो सकें, एक मेनस्ट्रीम, सोसाइटी में जगह बनाएं और दूसरे की तरह रहें। मेजर होने के बाद यानी 18 से 21, 22 साल तक भी बच्चा हमारे पास रहता है। हम उसकी नौकरी लगवाना चाहते हैं। वह मेन सोसाइटी में रहकर अपना जीवन अच्छी तरह बिता सके, यह हमारी कोशिश रहती है।

श्री कपिल मुनि करवारिया: अध्यक्ष महोदया, माननीय मंत्री जी ने प्रश्न का उत्तर दिया है कि अनाथ व निराश्रित बच्चों की संख्या घटती-बढ़ती रहती है। यह सरकार के एक जिम्मेदार मंत्री का तर्कसंगत उत्तर नहीं है। कृपया आप हमें विगत वर्ष का ही आंकड़ा बताने का कष्ट करें? क्या सरकार ने कोई ऐसी निगरानी एजेंसी बनाय है, जो गोद लेने संबंधी प्रक्रिया की निगरानी करे, ताकि ऐसे बच्चों को कोई गलत व्यक्ति गोद न ले सके। क्योंकि कई बार ऐसा सुनने में आया है कि विदेशों में जो लोग ऐसे भारतीय बच्चों को गोद लेते हैं, उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता हैं मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि गोद लेने वाली व्यवस्था को सरल बनाने और निगरानी समिति बनाने के बारे में सरकार का कया कोई विचार है?

श्रीमती कृष्णा तीरथ: अध्यक्ष महोदया, मैंने अभी बताया कि हमारे पास आईसीपीएस के अंदर जितने होम्स हैं, उनमें 75 हजार बच्चे हैं। कुछ होम्स ऐसे हैं, जो अभी रजिस्टर्ड नहीं हैं, क्योंकि वर्ष 1986 में जो एक्ट बना था, उसे वर्ष 2000 में रिपील किया गया। उसके बाद वर्ष 2006 में उसमें अमेंडमैंअ हुआ, फिर वर्ष 2011 में एक छोटा अमेंडमैंट किया गया। अभी जो 75 हजार बच्चे हैं, उनका हमारे पास पूरा आंकड़ा है।

दूसरा, आपने बच्चों को बाहर एडॉप्ट करके ले जाने के बारे में कहा। उसके लिए मौनीटरिंग की व्यवस्था है। यह बात मैंने पहले भी कही है कि हम ऐम्बेसीज को लिखते हैं कि बच्चा यहां, क्योंकि

कोर्ट के माध्यम से बच्चे जाते हैं, तो विदेशों में हमारी जो एडॉप्शन एजेंसी है, वह बच्चों को दो साल के लिए फॉलों करती है। हमारे मिशन में उनका गेट-टूगैदर कराते रहते हैं। जो बच्चे वहां हैं, जिस-जिस कंट्री में हैं, वहां हमारा जो मिशन है, उनका गेट-टूगैदर वहां पर होता है और उसे हम पूरा मौनीटर करते हैं कि जो बच्चे यहां से गये, उनका पालन-पोषण, लालन-पालन ठीक तरह से हो।

श्री पोन्नम प्रभाकर: अध्यक्ष महोदया, सबसे पहले मैं आपको इंटरनैशनल वूमैन्स डे की मुबारकबाद देना चाहता हूं। पिछले सैशन के जीरो ऑवर में हमारे साथी श्री राजय्या साहब ने ऑरफन के संबंध में बहुत चर्चा की थी। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आपने पहले कहा कि हमारे पास आंकड़े नहीं हैं, लेकिन बाद में कहा कि 75 हजार बच्चे हें। मैं पूछना चाहता हूं कि उनमें गर्ल्स कितनी हैं और उनको स्पेशल प्रोटेक्शन देने के लिए गवर्नमैंट ऑफ इंडिया की तरफ से क्या कदम उठाया जा रहा है? दूसरा, आजकल आधार कार्ड इश्यू हो रहे हैं, तो उनको आधार कार्ड इश्यू करने के लिए पर्टिकुलर गर्ल्स ऑरफन के लिए कोई कड़े स्पेट मिनिस्ट्री ऑफ वूमैन एंड चाइल्ड वेल्पेयर की तरफ से उठाये जा रहे हैं?

श्रीमती कृष्णा तीरथ: अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगी कि हमने राज्यों से अलग-अलग आंकड़े देने के लिए कहा है। राज्यों ने इंटर कंट्री और इन कंट्री एडॉप्शन के जो आंकड़े दिये हैं, उनके मैंने अभी ईयरवाइज टोटल नम्बर बताये हैं। आप कहें तो मैं इसे दोबारा बता देती हूं। ...*(व्यवधान)*

श्री राजय्या सिरिसिल्ला: टोटल चिल्ड्रन कितने हैं, वह आप बतायें।...*(व्यवधान)*

श्रीमती कृष्णा तीरथ: मैं वही बता रही हूं। मैंने टोटल चिल्ड्रन 75 हजार बताये हैं, जो हमारे अंदर आईसीपीएस हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री राजय्या सिरिसिल्ला: यह गलत है 3 टू 4 परसेंट है। ...*(व्यवधान)* यह दिल्ली की जनसंख्या के वराबर है।...*(व्यवधान)*

श्रीमती कृष्णा तीरथ: अध्यक्ष महोदया, मैंने इनको बताया कि आईसीपीएस के अंडर जो होम्स हैं, उनमें 75 हजार बच्चे हैं। गर्ल्स में जो एडॉप्शन की बात है, वह मैं बता सकती हूं। वर्ष 2009 में हमारी जो गर्ल्स एडॉप्टेड हुई हैं, वह इंटर कंट्री में 446 है और मेल 244 है। वर्ष 2010 और मेल 218 हैं। वर्ष 2011 में फीमेल 444 हैं और मेल 225 हैं। वर्ष 2012 अप्रैल से लेकर दिसम्बर 2012 तक फीमेल 173 और मेल 91 हैं, जो एडॉप्टेड हैं।

अध्यक्ष महोदया: प्रश्न संख्या 165 श्रीमती मेनका गांधी। समय कम है, इसलिए आप अपना प्रश्न जल्दी से पूछ लीजिए।

[अनुवाद]

अवैध/नकली/घटिया दवाएं

***165. श्रीमती मेनका गांधी:**
श्रीमती कमला देवी पटले:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विद्यमान कानून और जनशक्ति देश में अवैध, नकली और घटिया दवाओं का विनिर्माण और विपणन रोकने के लिए पर्याप्त है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नही, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इन्हें सुदृढ़ बनाने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है;

(घ) इस समय राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कितनी दवा परीक्षण प्रयोगशालाएं हैं और पूरे देश में नई दवा परीक्षण प्रयोगशालाएं खोलने तथा विद्यमान प्रयोगशालाओं को आधुनिक बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है; और

(ङ) देश में इंटरनेट फार्मेसियों और कुरियर सेवाओं के माध्यम से अवैध/नकली/घटिया/प्रयोग की अवधि समाप्त हो चुकी दवाओं के विपणन पर रोक लगाने हेतु सरकार द्वारा अन्य क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आज़ाद): (क) से (ङ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) औषध तथा सौंदर्य प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 और औषध एवं सौंदर्य प्रसाधन सामग्री नियमावली 1945 के तहत बनाए गए प्रावधान औषधियों की गुणवत्ता को विनियमित करने तथा देश में अवैध, नकली और घटिया दवाओं के विनिर्माण और विपणन पर रोक लगाने के लिए पर्याप्त है।

जहां तक जनशक्ति और अवसंरचना का संबंध है, केन्द्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन, राज्य औषध नियंत्रण विभागों तथा

केन्द्र एवं राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के औषध परीक्षण प्रयोगशालाओं की जनशक्ति के साथ-साथ अवसंरचना को अधिक सुदृढ बनाने की आवश्यकता है।

वर्तमान में आठ केन्द्रीय औषध परीक्षण प्रयोगशालाएं राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के इक्कतीस औषध परीक्षण प्रयोगशालाएं है। इन प्रयोगशालाओं के राज्य/संघ प्रदेश-वार ब्यौरे संलग्न अनुबंध में दिए गए है।

अवैध/नकली/घटिया औषधियों की समस्या को नियंत्रित करने हेतु केन्द्रीय सरकार ने निम्नलिखित उपाए किए हैं:

* नकली और मिलावटी औषधियों के विनिर्माण और व्यापार के लिए अधिक कठोर जुर्माने का प्रावधान करने हेतु औषध तथा सौंदर्य प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 में वर्ष 2008 में संशोधन किया गया था। कुछ अपराधों को संज्ञान योग्य तथा गैर-जमानती भी बनाया गया है।
* नकली और मिलावटी औषधियों से जुडे मामलों के शीघ्र निपटान के लिए विशेष न्यायालय स्थापित करने का भी प्रावधान है। 14 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने ऐसे न्यायालय पहले ही स्थापित कर लिए हैं।
* नकली, मिलावटी और घटिया गुणवत्ता वाले औषधियों पर कार्रवाई करने हेतु दिशानिर्देशों राज्य औषध नियंत्रकों को भेजे गए हैं ताकि एकसमान और प्रभावी कार्यान्वियन किया जा सके।
* नकली औषधियों की आवाजाही में सतर्क जनभागीदारी को प्रोतसाहन देने के लिए सरकार द्वारा व्हीसल ब्लोअर योजना शुरू की गई है।
* 2008 के बाद से सीडीएसीओ में 216 अतिरिक्त पद सृजित किए गए हैं।
* सीडीएससीओ के दो सब-जोन (हैदराबाद और अहमदाबाद) का पूर्ण जोन के रूप में उन्नयन कर दिया गया है।
* तीन नए सब जोन (बंगलुरू, चंडीगढ़ और जम्मू) बनाए गए हैं।
* आयातित औषधियों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए विदेश में स्थित विनिर्माण सुविधाओं की नियमित विदेशी निरीक्षण शुरू किए गए हैं।
* राज्य सरकारों से भी अपनी जनशक्ति और अवसंरचना को मजबूत बनाने के लिए अनुरोध किया गया है।
* इसके अतिरिक्त, 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सरकार ने राज्य औषध नियंत्रण विभागों को मजबूत बनाने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु एक नई योजना शुरू की इस बारे में अलग बजट शीर्ष बनाया गया है।

औषध एवं सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम, 1940 के वर्तमान प्रावधान, इंटरनेट फार्मेसी के माध्यम से औषधियों के विपणन से संबंधित मामलों से निपटने के लिए पर्याप्त है। इंटरनेट के माध्यम से औषधियों के विपणन में संलग्न देश के भीतर किसी भी विनिर्माता अथवा व्यापारी को औषध एवं सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम, 1940 और नियमों के प्रावधानों का अनिवार्य रूप से पालन करना होता है। जहां तक विदेश में स्थित विनिर्माताओं अथवा व्यापारियों से इंटरनेट के माध्यम से औषधियों के विपणन का संबंध है, ऐसे कनसाइंटमेंटों को कानून के प्रावधानों के अनुपालन हेतु हवाईअड्डों/बंदरगाहों में से आवश्यक रूप से गुजरना होता है।

क. केन्द्रीय सरकारी औषध परीक्षण प्रयोगशालाएं

क्र.सं.	नाम
1.	केन्द्रीय औषध परीक्षण प्रयोगशाला, मुम्बई
2.	केन्द्रीय औषध प्रयोगशाला, कोलकाता
3.	केन्द्रीय औषध परीक्षण प्रयोगशाला, चेन्नई
4.	केन्द्रीय औषध परीक्षण प्रयोगशाला, हैदराबाद
5.	केन्द्रीय औषध प्रयोगशाला, केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली
6.	क्षेत्रीय औषध परीक्षण प्रयोगशाला, गुवाहाटी, असम
7.	क्षेत्रीय औषध परीक्षण प्रयोगशाला, चंडीगढ़
8.	राष्ट्रीय जैबिक संस्थान, नोएडा

ख. राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा स्थापित सरकारी औषध परीक्षण प्रयोगशालाएं

क्र.सं.	राज्यों के नाम	औषध परीक्षण प्रयोगशालाओं की संख्या
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	2
2.	बिहार	1
3.	छत्तीसगढ़	1

1	2	3
4.	दिल्ली	1
5.	गोवा	1
6.	गुजरात	1
7.	हरियाणा	1
8.	हिमाचल प्रदेश	1
9.	जम्मू और कश्मीर	1
10.	झारखंड	1
11.	कर्नाटक	3
12.	केरल	1
13.	मध्य प्रदेश	1
14.	महाराष्ट्र	2
15.	मेघालय	1
16.	ओडिशा	2
17.	पुदुचेरी	1
18.	पंजाब	1
19.	राजस्थान	1
20.	तमिलनाडु	2
21.	त्रिपुरा	1
22.	उत्तर प्रदेश	1
23.	उत्तराखंड	1
24.	पश्चिम बंगाल	1
	कुल	31

श्रीमती मेनका गांधी: मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहती हूं कि किन दवाईयों की नकल ज्यादा की जाती है? चूंकि माननीय मंत्री ने कई प्रयोगशालाएं बनवायी हैं, कुछ आंकड़े तो उपलब्ध होंगे। जिससे यह पता चल सके कि किन दवाईयों की नकल ज्यादा की जाती हैं।

अध्यक्ष महोदया: अब हमारे पास समय नहीं है।

...*(व्यवधान)*

श्री गुलाब नबी आजाद: माननीय सदस्य, मुझे लग रहा है कि आप नकली दवाईयों के बारे में पूछ रही है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: डॉ. माननीय मंत्री महोदय, परन्तु अब हमारे पास समय नहीं है। हमारे पास केवल आधा मिनट है।

...*(व्यवधान)*

श्री गुलाम नबी आजाद: क्या मेरे पास उत्तर देने के लिए समय है?

अध्यक्ष महोदया: हां, आपके पास आधा मिनट है।

...*(व्यवधान)*

श्री गुलाम नबी आजाद: मेरे पास काफी ज्यादा जानकारी है...*(व्यवधान)* थे दवाइयां हैं। वस्तुत: मेरे पास दवाईयों की लंबी सूची है। मुझे वह सूची देखनी होगी। परन्तु जयादातर इन दवाइयों सरकार ध्यरोधी दवाइयों हृदय रोगें की दवाइयों और एंटीबाओटिक औषधियों की मांग अधिक होती हैं ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: मेरे विचार में आप माननीय सदस्य को इसका लिखित उत्तर भेज सकते हैं।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[हिंदी]

विमानन कंपनियों पर कर

***166. डॉ. संजय सिंह:**
राजकुमारी रत्ना सिंह:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में विमानन कंपनियों पर लगाए गए करों और तत्संबंधी विधियों का ब्यौरा क्या है

(ख) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान विमानन कंपनियों पर कंपनी-वार करों की कितनी धनराशि लम्बित/बकाया है; और

(ग) इसी अवधि के दौरान उक्त लम्बित/बकाया राशि में से कितनी धनराशि की वसूली की गई?

वित्तीय मंत्री (श्री पी. चिदमबरम): (क) भारत में कंपनियों से प्रत्यक्ष कर कानूनों के तहत निगमित कर और लाभांश संवितरण कर प्रभारित किया जाता है जिनमें विमान कंपनियां भी शामिल हैं सीमा शुल्क, केन्द्रीय उतपाद शुल्क और सेवा कर के रूप में अप्रत्यक्ष कर माल और सेवाओं पर लगते हैं और स्पष्टत: कंपनियों पर नहीं लगाये जाते। सेवा कर समय-समय पर संशोधित वित्त अधिनियम, 1984 के अनुसार विमानन कंपनियों पर इनके द्वारा वायु मार्ग से यात्रियों के परिवहन और इनके द्वारा दी गई संबद्ध सेवाओं जैसे कि वायु मार्ग से माल का परिवहन, प्रबंधन, अनुरक्षण और मरम्मत इत्यादि के लिए लगाया जाता है।

(ख) और (ग) जहां तक प्रत्यक्ष करों और अप्रत्यक्ष करों का संबंध है, विमानन कंपनियों पर लंबित/बकाया करों से संबंधित आंकड़े केन्द्रीय रूप से नहीं रखे जाते। विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान विमानन कंपनियों पर केन्द्रीय रूप से नहीं रखी जाती है।

[अनुवाद]

पेट्रोलियम उत्पादों का निर्यात

***167. श्री एस. अलागिरी:**
श्री एस. आर. जेयदुरई:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान विभिन्न देशों को देश-वार और उत्पाद-वार पेट्रोलियम उत्पादों का कुल कितना निर्यात किया गया;

(ख) देश में पेट्रोलियम उत्पादों की कमी के बावजूद इन उत्पादों का निर्यात किए जाने के क्या कारण हैं;

(ग) इसी अवधि के दौरान आयात करने वाले देशों द्वारा उत्पादों के घटिया होने की दलील देकर अस्वीकृत किए गए उत्पादों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने इन सभी मामलों की कोई जांच कराई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसमें शामिल व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है; और

(ङ) विभिन्न देशों को निर्यात करने से पूर्व उत्पादों की गुणवत्ता की जांच करने हेतु क्या तंत्र बनाया गया है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री एम. वीरप्पा मोइली): विगत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान निर्यातित पेट्रोलियम उत्पादों की मात्रा नीचे दी गई है:

वर्ष	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13 (अप्रैल-दिसम्बर)*
मात्रा	51023	59078	60838	44407

*आरआईल सेज रिफाइनरी से निर्यातों पर सूचना नवम्बर, 2012 तक है।

तेल कंपनियों द्वारा विगत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान पेट्रोलियम उत्पादों का कम्पनी, देश और उतपाद-वार संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) भारत की परिशोधन क्षमता वर्ष 1998 में 62 एमएमटी से भारी वृद्धि के साथ वर्तमान में 215.066 एमएमटी हो गई है। प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादों की मांग को पूरा करने के लिए देश आत्मनिर्भर है, सिवाए एलपीजी के जहां घरेलू खपत और देशी उतपादन के बीच भारी अंतर है। हालांकि निजी तेल कंपनियां अपनी सांविधिक मांग (जैसे सेज रिफाइनरी) तथा वाणिज्यिक स्थितियों के आधार पर पेट्रोलियचम उत्पादों का निर्यात करती हैं, सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियां घरेलू मांग को पूरा करने के बाद केवल अधिशेष उत्पादों का ही निर्यात करती हैं।

(ग) से (घ) इंडियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड और मंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड, रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड तथा एस्सार ऑयल लिमिटेड ने बताया है कि उक्त अवधि के दौरान उनके उत्पाद का कोई निर्यात पार्सल रद्द नहीं हुआ था।

(ङ) ओएमसीज निर्यात किए जाने पूर्व उत्पाद की गुणवत्ता की जांच करने के लिए एक सुव्यवस्थित प्रक्रिया का अनुपालन करती हैं। इस प्रक्रिया के तहत, निर्यात किए जाने वाले उत्पाद की गुणवत्ता और निविदा के अनुसार उत्पाद के विनिर्देशों को प्रमाणित करने के लिए सामान्यत: विक्रेता और क्रेता संयुक्त रूप से एक स्वतंत्र निरीक्षक को नियुक्त करते हैं।

विवरण

वर्ष 2009-10 से 2012-13 के दौरान देश-वार उत्पाद-वार निर्यात (अप्रैल-दिसम्बर)

हजार मीट्रिक टन

देश	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13 (अ) (अप्रैल-दिसम्बर)
1	2	3	4	5
अफगानिस्तान	0	0	0	0.04
अन्य#	0	0	0	0.04
अंगोला	545	453	0	0
हाई स्पीड डीजल	545	453	0	0
आस्ट्रेलिया	33	539.14	824	76
हाई स्पीड डीजल	0	531	716	76
मोटर स्प्रिट	33	0	108	0
अन्य#	0	8.14	0	0
भामास	936	2722	2293	1701
मोटर स्प्रिट	936	2722	2293	1701
बंगलादेश	0.07	5.33	0.41	0.08
अन्यs#	0.07	5.33	0.41	0.08
बेल्जियम	689	767	164	199
हाई स्पीड डीजल	689	767	164	199
भूटान	3.7	5.79	4.83	14.15
ईंधन तेल	3.7	3.48	2.1	0.65
हाई स्पीड डीजल	0	0.42	0.79	1.02
मोटर स्प्रिट	0	0	0	0.02
अन्य#	0	1.89	1.94	12.46
ब्राजील	1305	2473	3832	2199
हाई स्पीड डीजल	1305	2473	3686	2178
मोटर स्प्रिट	0	0	91	0
अन्य#	0	0	55	21

1	2	3	4	5
बंकर्स	188	395	124	106
ईंधन तेल	188	395	124	106
कनाडा	0	0	58	0
मोटर स्प्रिट	0	0	58	0
चीन	655	1124	697	556
नाफ्था	86	591	142	108
अन्य#	569	534	555	448
कोलंबो	81	0	0	0
ईंधन तेल	24	0	0	0
हाई स्पीड डीजल	57	0	0	0
जीबूती	71	37	0	0
एटीएफ	20	37	0	0
हाई स्पीड डीजल	51	0	0	0
पूर्वी आफ्रीका	181	0	0	0
एटीएफ	10	0	0	0
हाई स्पीड डीजल	171	0	0	0
मिश्र	317	562	597	265
एटीएफ	66	0	329	0
हाई स्पीड डीजल	251	562	268	265
यूरोप	98	0	0	0
हाई स्पीड डीजल	98	0	0	0
फिजी	4	0	0	0
अन्य#	4	0	0	0
फ्रांस	1707	2539	569	1039
एटीएफ	950	895	490	572
हाई स्पीड डीजल	757	1644	79	467
फुजिरा	274	129	299	227
ईंधन तेल	207	0	38	131

1	2	3	4	5
हाई स्पीड डीजल	8	0	0	0
नाफ्था	60	129	261	96
जर्मनी	73	202	395	90
हाई स्पीड डीजल	73	202	395	90
घाना	343	0	0	0
हाई स्पीड डीजल	343	0	0	0
ग्रीस	346	69	410	0
एटीएफ	63	0	315	0
हाई स्पीड डीजल	283	69	95	0
हांगकांग	15	26	58	40
हाई स्पीड डीजल	15	26	58	40
इंडोनेशिया	1326	2997	2287	868
हाई स्पीड डीजल	205	239	6	0
मोटर स्प्रिट	975	2721	2246	868
नाफ्था	146	37	35	0
ईरान	252	0	0	0
मोटर स्प्रिट	252	0	0	0
इराक	18	35	56	107
मोटर स्प्रिट	18	35	56	107
इस्राइल	16	70	169	17
हाई स्पीड डीजल	16	70	169	17
इटली	0	573	30	99
हाई स्पीड डीजल	0	573	30	96
अन्य#	0	0	0	3
जामनगर सेज	0	31	0	0
अन्य#	0	31	0	0
जापान	1337	1976	1887	1228
नाफ्था	1337	1976	1887	1228

1	2	3	4	5
जाईन	84	103	0	0
हाई स्प्रीड डीजल	84	0	0	0
मोटर स्प्रिट	0	103	0	0
कीनिया	800	788	953	1581
एटीएफ	201	250	242	272
हाई स्पीड डीजल	431	169	544	982
मोटर स्प्रिट	168	369	167	327
कोरिया	2605	1990	1829	643
हाई स्पीड डीजल	56	0	0	0
नाफ्था	2549	1990	1785	643
अन्य#	0	0	44	0
मडगास्कर	42	0	0	0
हाई स्पीड डीजल	42	0	0	0
मलेशिया	982	987	944	446
ईंधन तेल	162	650	553	323
हाई स्पीड डीजल	386	0	48	32
ल्यूब बेस तेल	0	0	9	11
मोटर स्प्रिट	30	65	170	0
नाफ्था	255	0	106	17
अन्य#	94	272	58	9
निर्वात गैस तेल	56	0	0	55
माले	14	0	0	0
हाई स्पीड डीजल	14	0	0	0
माले, मालद्वी	30	0	0	0
हाई स्पीड डीजल	30	0	0	0
मालटा	908	865	851	221
एटीएफ	42	128	126	33
हाई स्पीड डीजल	619	641	725	158

1	2	3	4	5
मोटर स्प्रिट	216	96	0	0
नाफ्था	0	0	0	30
अन्य#	31	0	0	0
मारिशास	1032	1085	1077	801
एटीएफ	230	239	238	157
ईंधन तेल	365	396	410	310
हाई स्पीड डीजल	319	327	308	237
मोटर स्प्रिट	118	122	121	97
म्यांमार	0	1	0	0
अन्य#	0	1	0	0
मोजांबिक	178	450	97	444
एटीएफ	3	0	0	0
हाई स्पीड डीजल	114	450	63	342
मोटर स्प्रिट	61	0	34	102
मुद्रा सेज	61	0	0	0
ईंधन तेल	61	0	0	0
नेपाल	751	714	865	पद
ईंधन तेल	9	5	1	0
हाई स्पीड डीजल	493	548	540	471
एलपीजी	131	154	174	167
मोटर स्प्रिट	113	0	144	130
अन्य#	5	7	7	9
नीदरलैंड	5301	4760.36	3938.4	3250
एटीएफ	2141	1675	1251	1098
हाई स्पीड डीजल	3120	3048	2627	2152
मोटर स्प्रिट	0	35	58	0
अन्य#	40	2.36	2.4	0
न्यूजीलैंड	34	0	45	0

1	2	3	4	5
हाई स्पीड डीजल	0	0	45	0
मोटर स्प्रिट	34	0	0	0
नाइजिरिया	88	240	0	37
मोटर स्प्रिट	88	240	0	37
ओमान	288	403	383	933
एटीएफ	0	0	18	0
ईंधन तेल	35	0	0	0
हाई स्पीड डीजल	31	40	34	139
मोटर स्प्रिट	73	363	293	794
नाफ्था	26	0	38	0
अन्य#	123	0	0	0
अन्य*	4089	5832	6658	6021
एटीएफ	257	675	830	805
ईंधन तेल	501	1729	1613	1085
हाई स्पीड डीजल	343	434	723	866
मोटर स्प्रिट	25	103	50	123
नाफ्था	2276	2358	2557	2081
अन्य#	686	534	886	1061
पाकिस्तान	0	0	0	17
अन्य#	0	0	0	17
फिलिपिंग	13	0	0	0
हाई स्पीड डीजल	13	0	0	0
कतर	40	0	0	0
एटीएफ	40	0	0	0
रोमानिया	30	64	99	33
हाई स्पीड डीजल	30	64	99	33
सऊदी अरबेरिया	1622	547	1783	3641
एटीएफ	0	0	2	0

1	2	3	4	5
हाई स्पीड डीजल	1419	476	1553	2863
मोटर स्प्रिट	203	0	173	778
नापथा	0	0	55	0
अन्य#	0	71	0	0
सिंगापुर	6217	7140	9843	5429
एटीएफ	292	63	1	0
ईंधर तेल	2455	2635	3254	1781
हाई स्पीड डीजल	1679	1177	1891	228
मोटर स्प्रिट	534	1667	3467	2693
नापथा	966	1186	1088	619
अन्य#	291	412	141	108
सोलवेनिया	34	44	0	33
हाई स्पीड डीजल	34	44	0	33
दक्षिण अफ्रीका	1222	1731	1495	1118
एटीएफ	10	33	15	48
हाई स्पीड डीजल	488	1236	756	819
मोटर स्प्रिट	649	462	724	251
नापथा	75	0	0	0
दक्षिण पूर्व एशिया	48	0	0	0
हाई स्पीड डीजल	48	0	0	0
स्पेन	43	126	0	88
एटीएफ	0	0	0	25
हाई स्पीड डीजल	43	126	0	0
नापथा	0	0	0	63
श्री लंका	711.35	678.6	625.35	478.38
एटीएफ	6	20	84	46
हाई स्पीड डीजल	483	326	290	220
मोटर स्प्रिट	221	331	250	211

1	2	3	4	5
अन्य#	1.35	1.6	1.35	1.38
स्विटजरलैंड	101	0	5	17
एटीएफ	91	0	0	0
हाई स्पीड डीजल	10	0	5	17
ताईवान	1577	1678	1530	1177
हाई स्पीड डीजल	0	280	40	0
नाफ्था	1577	1398	1483	1177
अन्य#	0	0	7	0
तनजानिया	460	728	734	374
एटीएफ	36	83	11	0
हाई स्पीड डीजल	341	428	588	339
मोटर स्प्रिट	83	217	135	35
थाइलैंड	65.85	29.84	36	0
नाफ्था	60.81	0	36	0
अन्य#	5.04	29.84	0	0
तुनेशिया	33	0	0	0
मोटर स्प्रिट	33	0	0	0
टर्की	445	1701	2782	1697.44
एटीएफ	0	0	30	0
हाई स्पीड डीजल	445	1627	2674	1622
अन्य#	0	74	78	75.44
यूएई	7135	6462	6778	4942
एटीएफ	0	0	1	0
ईंधन तेल	1688	1286	2024	1169
हाई स्पीड डीजल	738	593	570	0
मोटर स्पीड	3266	2831	2293	2320
नाफ्था	604	991	707	418
अन्य#	332	731	1250	1036

1	2	3	4	5
यूके	1604	809	722	54
एटीएफ	40	306	491	0
हाई स्पीड डीजल	1205	503	113	14
मोटर्र स्प्रट	359	0	118	0
नाफ्थ	0	0	0	40
यूएसए	1319	1305	1424	1140
हाईपीड डीजल	0	30	30	0
मोटर स्प्रिट	1107	953	1310	760
अन्य#	212	322	84	380
वियतनाम	7	0	6	29
हाई स्पीड डीजल	7	0	6	0
मोटर स्प्रिट	0	0	0	29
पश्चिम अफ्रीका	283.12	0	361	0
हाई स्पीड डीजल	283.12	0	361	0
यमन	421	115	153	153
हाई स्पीड डीजल	255	115	0	0
मोटर स्प्रिट	166	0	153	153
कुल	51023	59078	60838	44407

स्रोत: पीपीएसी के माध्यम से तेल कंपनियां

(अ): अनंतिम आरआईएल सेज आंकड़े 2012-13 में अप्रैल नवम्बर तक

* एमआरपीएल तथा ओएनजीसी का निविदा आधार पर निर्यात।

अन्य उतपादों में मोटर स्प्रिट, नाफ्था, हाई स्पीड डीजल, एटीएफ तथा ईंधन तेल उत्पादों के आलावा अन्य उत्पाद शामिल है।

[हिंदी]

डीजल की दोहरी मूल्य निर्धारण नीति

*168. **श्री राकेश सिंह: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में तेल विपणन कंपनियों को थोक उपभोक्ताओं को गैर-राजसहायता प्राप्त बाजार द्वारा तय किए गए मूल्य पर डीजल की बिक्री करने हेतु प्राधिकृत किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस निर्णय का क्या औचित्य है;

(ग) क्या डीजल की दोहरी मूल्य-निर्धारण नीति के कार्यान्वयन के संबंध में सरकार के ध्यान में कोई खामियां अथवा विसंगतियां आई हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का इस नीति की समीक्षा करने का कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक उपाय किए जा रहे हैं अथवा किए जाने का विचार है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री एम. वीरप्पा मोइली): (क) से (ङ) जी, हां। वर्ष 2012-13 के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज) की संवेदनशील पेट्रोलियम उत्पादों की बिक्री पर 1,63,969 करोड़ रुपए की कुल अनुमानित अल्प वसूली (दिनांक 1 मार्च 2013 से प्रभावी रिफाइनरी द्वार मूल्य के अनुसार) में से डीजल की बिक्री पर होने वाली अल्प वसूली लगभग 57 प्रतिशत होगी। डीजल की बिक्री पर ओएमसीज की अल्प वसूली कम करने के लिए सरकार ने जनवरी 2013 में ओएमसीज की संस्थापनाओं से सीधे ही थोक आपूर्ति प्राप्त रने वाले सभी उपभोक्ताओं को डीजल की बिक्री गैस राजसहायता प्राप्त बाजार निर्धारित मूल्य पर करने का निर्णय लिया है। ओएमसीज ने इस निर्णय को 18 जनवरी 2013 से कार्यान्वित कर दिया है।

सरकार द्वारा किए गए मूल्य निर्धारण संबंधी सुधारों का बुनियादी उद्देश्य पेट्रोलियम उत्पादों पर राजसहायता का भार कम करने के लिए आवश्यक राजकोषीय समेकन की अनिवार्यता को बढ़ाना है ताकि आम आदमी के लिए सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं के लिए और अधिक निधियों का आबंटन किया जा सके और दीर्घ काल के लिए देश की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित किया जा सके।

अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल मूल्यों में वृद्धि और घरेलू स्फीतिकारी दशाओं के प्रभाव से आम आदमी को बचाने के लिए सरकार डीजल (आंशिक रूप से) के खुदरा बिक्री मूल्य (आरएसपी) को आवश्यकतानुसार लगातार घटा-बढ़ा रही है। दिनांक 1.3.2013 से प्रभावी रिफाइनी द्वार मूल्य के आधार पर वर्तमान में ओएमसीज को खुदरा उपभोक्तओं को डीजल की विक्री पर 11.26 रुपए प्रति लीटर की अल्प-वसूली हो रही है।

इस मंत्रालय ने ओएमसीज को अपने खुदरा बिक्री केन्द्रों से राजसहायता प्राप्त डीजल के विपथन से बचने के लिए पर्याप्त रक्षोपाय करने और सभी आवश्यक उपाय करने की सलाह दी है।

मछुआरों के सामने आ रही परेशानियों को रेखांकित करने वाले अनेक अभ्यावेदों पर विचार करने के बाद सरकार ने यह निर्णय लिया है कि दिनांक 7.2.2013 से मछुआरा उपभोक्ता पंपों को डीजल की आपूर्ति ओएमसीज के खुदरा बिक्री केन्द्रों के लिए लागू मूल्य पर की जाए।

[अनुवाद]

कैंसर रोगियों का उपचार

***169. डॉ. पी. वेणुगोपाल:**
श्री पुलीन बिहारी बासके:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में कैंसर के मामलों की बढ़ती संख्या से निपटने के लिए 'मेडिकल आन्कोलॉजिस्ट्स' और अन्य स्पेशलिस्ट्स की संख्या पर्याप्त है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन चिकित्सा संस्थानों की संख्या कितनी है जो आन्कोलॉजी में भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा अनुमोदित विशेषीकृत पाठ्यक्रम चला रहे हैं तथा उनमें कितनी सीटें हैं;

(ग) यदि नहीं, तो सरकार/भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं/किए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) क्या भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् विभिन्न प्रकार के कैंसर हेतु देखरेख संबंधे देश में मानक और उपचार संबंधी नयाचार बना रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इससे कैंसर के रोगियों को कितना लाभ होगा?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) से (ग) जी, नहीं। फिलहाल आन्कोलॉजी में भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद द्वारा अनुमोदित स्पेशियलिटी पाठ्यक्रम देने वाले संस्थानों की संख्या इस प्रकार है5

1) सर्जिकल आन्कोलॉजी में डिग्री प्रदान करने वाले 13 संस्थान जिनकी वार्षिक प्रवेश क्षमता 56 सीट है।

2) डी एम आन्कोलॉजी में डिग्री प्रदान करने वाले 12 संस्थान जिनकी वार्षिक प्रवेश क्षमता 46 सीट है।

3) एम डी रेडियोथैरेपी में डिग्री प्रदान करने वाले 59 संस्थान जिनकी वार्षिक प्रवेश क्षमता 1‘7 सीट है।

मेडिकल आन्कोलॉजी, सर्जिकल आन्कोलॉजी में सुपर स्पेशियलिटी पाठ्यक्रमों तथा रेडियों थैरेपी में व्यापक स्पेशियलिटी पाठ्यक्रम में सीटों की संख्या बढ़ाने के लिए स्नातकोत्तर अध्यापकों और दाखिला दिए जाने वाले छात्रों की संख्या का अनुपात अब बढ़ाकर एक प्रोफेसर के लिए 1:3 कर दिया गया है जिसमें प्रति शैक्षिक वर्ष एक यूनिट में अधिकतम 6 स्नातकोत्तर सीटें होंगी।

(घ) और (ङ) देश के लिए विभिन्न अंगों के कैंसर के प्रबंधन और उपचार के लिए समुचित दिशा-निर्देशों हेतु आय सहमति दस्तावेज तैयार करने बावत भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा एक कार्य दल गठित किया गया है। विषय की प्रकृति को देखते हुए दिशानिर्देश तैयार करने की कोई समय सीमा निध रित नहीं की जा सकती। तथापि, उममीद है किम कैंसर के विभिन्न पहलुओं पर भारतीय संदर्भ में अधिक प्रासंगिक ज्ञान से भारत में कैंसर मरीजों को लाभ होगा।

[हिंदी]

लोक लेखा परीक्षा संबंधी दिशा-निर्देश

***170. श्री गणेशराव नागोराव दूधगांवकर:**
श्रीमती भावना पाटील गवली:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी निजी भागीदारी के अंतर्गत चलने वाली परियोजनाओं के लेखाओं की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक द्वारा की जाती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या नियंत्रक महालेखापरीक्षक ने यह प्रस्ताव किया है कि सरकारी-निजी भागीदारी व्यवस्था को उसके क्षेत्रधिकार के अंतर्गत लाया जाए और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या नियंत्रक और महालेखापरीक्षक ने अवसंरचना संबंधी परियोजनाओं में सरकारी-निजी भागीदारी की लोक लेखा परीक्षा संबंधी नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): (क) से (ङ) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा की जाने वाली लेखापरीक्षा का विनियमन भारत के संविधान और नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्ति तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 के उपबंधों द्वारा किया जाता है, जिसमें सरकारी-निजी भागीदारी (पीपीपी) परियोजनाओं की लेखापरीक्षा करने के बारे में विशेष तौर पर कोई उललेख नहीं है। तथापि, मौजूदा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्त्तव्य, शक्ति तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम के तहत, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को सरकारी विभाग, पब्लिक सेक्टर उपक्रम अथवा स्वायत निकाय, जो पीपीपी व्यवस्था के तहत सार्वजनिक क्षेत्र का भागीदार है, के आँकड़ों रिकॉडों और दस्तावेजों की लेखापरीक्षा करने की शक्तियां प्राप्त हैं। नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्ति तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 के संशोधन का प्रस्ताव नियंत्रक -महालेखापरीक्षक द्वारा पीपीपी व्यवस्थाओं को शामिल करने हेतु नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्ति तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 के संशोधन के लिए भेजा गया है। नियंत्रक -महालेखापरीक्षक ने अवसंरचना परियोजनाओं में सरकारी निजी भागीदारी वाली परियोजनाओं की लेखापरीक्षा के लिए लोक लेखापरीक्षा संबंधी दिशानिर्देश जारी किए हैं। ये सीएजी वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

बायो-डीजल और बायो-एथेनॉल

***171 श्री इज्यराज सिंह:**
श्री रतन सिंह:

क्या **नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वाणिज्यिक उपयोग हेतु डीजल में मिलाने के लिए बायो-डीजल और बायो-एथेनॉल के उत्पादन संबंधी एक नीति बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए और क्या उपलब्धियां प्राप्त की गई हैं;

(ग) क्या सरकार ने हाल ही में डीजल में एथेनॉल मिलाने संबंधी कार्यक्रम की समीक्षा की है और यदि हां, तो इसके क्या परिणाम रहे;

(घ) क्या सरकार ने डीजल में मिलाने हेतु बायो-डीजल फीड स्टॉक के उपलब्ध न होने के कारण बायो-डीजल और बायो-एथेनॉल के उत्पादन के संबंध में एक बैठक आयोजित की थी; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम रहे?

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री (डॉ. फारूख अब्दुल्ला): (क) बायो-ईंधनों के विकास, उत्पादन और उपयोग के लिए एक राष्ट्रीय बायो-ईंधन नीति की घोषणा की गई है जिसमें मुख्य रूप से पेट्रोल के साथ मिलाने के लिए बायो-एथेनॉल और डीजल के साथ मिश्रित करने के लिए बायो-डीजल को शामिल किया गया है।

(ख) राष्ट्रीय बायो-ईंधन नीति की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं:

- बायो-डीजल का उत्पादन बंजर, अवक्रमित अथवा सीमांत भूमि में उगने वाले अखाद्य तिलहनों से किया जाना चाहिए।
- बायो-ईंधनों के रोपण, प्रसंस्करण तथा उत्पादन पर बल देते हुए अनुसंधान, विकास और प्रदर्शन पर मुख्य रूप से ध्यान केन्द्रित करना,
- वर्ष 2017 तक पेट्रोल के साथ बायो-इथॉनोल और डीजल के साथ बायो-डीजल के 2% मिश्रण का सांकेतिक लक्ष्य प्रस्तावित किया गया है;

• विशेष तौर पर द्वितीय पीढ़ी ईंधनों के लिए राजकोषीय एवं वित्तीय प्रोत्साहन।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा सूचित किया गया है कि सरकार के सितम्बर 2006 में 20 राज्यों और 4 संघ राज्य क्षेत्रों में एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के निर्णय के बाद से तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) द्वारा पेट्रोल के साथ मिलाने के लिए कुल लगभग 131 करोड़ लीटर एथेनॉल का प्रापण किया गया है। तथापि आज की तारीख तक किसी भी ओएमसी को बायो-डीजल नहीं दिया गया है।

(ग) पेट्रोल के साथ एथेनॉल का मिश्रण करने संबंधी मामले पर आर्थिक मामलों पर मंत्रिमंडल समिति (सीसीईए) ने दिनांक 22.11.2012 को संपन्न अपनी बैठक में विचार किया। सीसीईए द्वारा निम्नलिखित निर्णय लिए गए:

(i) पेट्रोल के साथ एथेनॉल के 5% अनिवार्य मिश्रण, जैसा कि सीसीईए द्वारा पूर्व में निर्णय लिया गया था, को देशभर में 30 जून, 2013 से कार्यान्वित किया जाना चाहिए जिसके लिए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा शीघ्र ही राजपत्र अधिसूचना जारी की जाएगी।

(ii) एथेनॉल के प्रापण मूल्य का निर्धरण अब से ओएमसी तथा एथेनॉल के आपूर्तिकर्ताओं के बीच किया जाएगा।

(iii) घरेलू आपूर्ति में किसी प्रकार की कमी होने की स्थिति में ओएमसी तथा रासायनिक कंपनियां एथेनॉल का आयात करने के लिए स्वतंत्र हैं।

(घ) और (ङ) नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा बायो-डीजल के उत्पादन हेतु फीड-स्टॉक की उपलब्धता में वृद्धि लाने के विकल्पों पर विचार करने के लिए एक कार्य समूह का गठन किया गया था। कार्य समूह के प्रमुख निष्कर्ष निम्नलिखित हैं:

(i) फिलहाल आयात नीति में कोई परिवर्तन न करने पर विचार किया जाना चाहिए और बायो -ईंधन नीति, जिसमें आवश्यक सीमा तक बायो-डीजल का आयात करने की अनुमति दी गई है, के प्रावधानों में यथास्थिति बनाई रखी जाए और इस पर राष्ट्रीय बायो-ईंधन समन्वय समिति द्वारा निर्णय लिया जाए।

(ii) उपयोग में लाए गए कुकिंग तेल के दुबारा उपयोग को सीमित करने और आयो-डीजल के उत्पादन हेतु उपयोग करने के लिए इसके एकत्रण के लिए एक प्रणाली विकसित की जाए। आरंभ में इसे बड़े होटलों तथा तैयार खाद्य सामग्री उद्योग के लिए लागू किया जा सकता है। इससे कुकिंग तेल के दुबारा उपयोग से होने वाली स्वास्थ्य लिए मानक गंभीर समस्याओं को भी दूर किया जा सकेगा। खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण को इस उद्देश्य के लिए मानक और विनियम तैयार करने की सलाह दी जा सकती है।

(iii) वैकल्पिक फीड-स्टॉक जैसे-नगरीय ठोस अपशिष्ट, माइक्रो एवं मैक्रों शैवाल के उपयोग पर अनुसंधान और विकास के लिए ठोस प्रयास किए जाने चाहिए।

[अनुवाद]

पेट्रोलियम उत्पादों पर राजसहायता

***172.श्री अम्बिका बनर्जी:** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा इस समय मिट्टी के तेल, रसोई गैस सिलेंडरों और अन्य पेट्रोलियम उत्पादों पर मद-वार कितनी राजसहायता प्रदान की जा रही है;

(ख) क्या राजसहायता की राशि का निर्धारण करते समय उक्त मदों की उत्पादन लागत को भी ध्यान में रखा जाता है;

(ग) यदि हां, तो पेट्रोलियम उत्पादों की प्रत्येक की लागत की गणना हेतु विभिन्न घटकों/शीर्षों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार घरेलू रसोई गैस सिलेंडरों पर दी जा रही राजसहायता की राशि बढ़ाने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री एम.वीरप्पा मोइली): (क) सरकार 'पीडीएम मिट्टी तेल और घरेलू एलपीजी राजसहायता योजना, 2002' के तहत उपभोक्ता को पीडीएस मिट्टी तेल पर 0.82 रु/लीटर और राजसहायता प्राप्त घरेलू एलपीजी पर 22.58 रु./14.2 किग्रा सिलेंडर की राजकोषीय राजसहायता उपलब्ध करवा रही है।

इसके अलावा, अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल मूल्यों में वृद्धि के प्रभाव से आम आदमी को बचाने के लिए ओर घरेलू स्फीतिकारी दशाओं को ध्यान में रखते हुए सरकार डीजल (आंशिक उप से), पीडीएस मिट्टी तेल और राजसहायता प्राप्त घरेलू एलपीजी के खुदरा बिक्री मूल्य (आरएसपी) को आवश्यकतानुसार लगातार घटा-बढ़ा रही है जिसके परिणामस्वरूप सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज) को अल्पवसूलियां हो रही है दिनांक

1.3.2013 से प्रभावी रिफाइनरी द्वार मूल्य (आरजीपी) के आधार पर ओएमसीज को खुदरा उपभोक्ताओं को डीजल की बिक्री पर 11.26 रु. प्रतिलीटर, पीडीएस मिट्टी तेल पर 33.43 रु. प्रति लीटर और राजसहायता प्राप्त घरेलू एलपीजी पर 439.00 प्रति 14.2 किग्रा सिलेंडर की अल्प वसूली हो रही है। इन पेट्रोलियम उत्पादों पर वर्तमान में उपभोक्ताओं को प्रदान की जा रही कुल राजसहायता के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

(रु./ली/सिलेंडर)

उत्पाद	'पीडीएस मिट्टी तेल और घरेलू एलपीजी राजसहायता योजना, 2002' के तहत राजकोषीय राजसहायता	ओएमसीज की अल्प वसूली*	अपभोक्ताओं को कुल राजसहायता
डीजल (खुदरा उपभोक्ता)	लागू नहीं	11.26	11.26
पीडीएस मिट्टी तेल	0.82	33.43	34.25
राजसहायता प्राप्त घरेलू एलपीजी	22.58	439.00	461.58

*1.3.2013 से प्रभावी आरजीपी के अनुसार

(ख) और (ग) कच्चे तेल का शोधन एक प्रसंस्करण उद्योग है जिसमें कच्चे तेल की लागत कुल लागत की लगभग 90 प्रतिशत होती है। कच्चे तेल का प्रसंस्करण अनेक प्रसंस्करण इकाइयों के जरिए किया जाता है इनमें से प्रत्येक इकाई मध्यवर्ती उत्पाद स्ट्रीम्स का उत्पादन करती है जिसके लिए व्यापक तौर पर पुनर्संस्करण और मिश्रण अपेक्षित होता है। इसके परिणामस्वरूप कुल लगात को पूरी शुद्धता के साथ अलग-अलग शोधित उत्पादों में विभाजित करने में कठिनाई होती है। अत: अलग-अलग उत्पादवार लागत पृथक रूप से अभिज्ञान नहीं की जाती है।

(घ) और (ङ) सरकार के समक्ष ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिंदी]

कन्या भ्रूण हत्या

***173. श्री वीरेन्द्र कुमार:**
श्री सुरेश काशीनाथ तवारे:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में कन्या भ्रूण हत्या के मामले बढ़ते जा रहे हो;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान विभिन्न राज्यों से राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार कन्या भ्रूण हत्या के कितने मामलों का पता चला है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान कन्या भ्रूण हत्या के विरुद्ध अभियान हेतु कितनी धनराशि आवंटित की गई, जारी की गई और उपयोग में लाई गई; और

(घ) राष्ट्रीय निरीक्षण और निगरानी समिति द्वारा निरीक्षण बढ़ाए जाने सहित गर्भ धारण पूर्व और प्रसूति पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन का प्रतिषेध अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु अवसंरचना को सुदृढ़ बनाने तथा आवश्यक मानव संसाधनों के संवर्धन हेतु सरकार द्वारा आगे और क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) हालांकि जनगणना 2011 (अनंतिम) के अनुसार देश में लिंग अनुपात जो 2001 में 933 था 2011 में बढ़कर 940 हो गया है लेकिन बाल लिंग अनुपात में 2001 में 927 की तुलना में 2011 में घटकर 914 रह गया हे। तथापि, जन्म के समय लिंग अनुपात 2005-07 में 901 की तुलना में 2008-10 में बढ़कर 905 हो गया है।

(ख) राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड बयूरो के अनुसार विभिन्न राज्यों में क्रमश: 2009, 2010, 2011 और 2012 (अनंतिम) में भ्रूण हत्या के कुल 123, 111, 132 और 114 मामले सामने आए हैं जिनका ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ग) गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व नैदानिक तकनीक (लिंगनिर्धारण निषेध) अधिनियम, 1994 के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु आंवटित/जारी और उपयोग की गई निधि का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(घ) सरकार ने कन्या भ्रूम हत्या को रोकने के लिए एक बहु आयामी कार्यनीति अपनाई है जिसमें युवाओं में जागरूकता उतपन्न करना और महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण हेतु वैधानिक उपायों और कार्यक्रम शामिल हैं। कुछ उपाय निम्नलिखित है:

- गर्भधारण से पूर्व और उसके पश्चात, लिंग निर्धारण का निषेध करने हेतु और प्रसव पूर्व नैदानिक तकनीकों के विनियमन हेतु, सरकार ने 1994 में एक व्यापक कानून, गर्भ धारण पूर्व और प्रसवपूर्व नैदानिक तकनीक (लिंग निर्धारण निषेध) अधिनियम बनाया था। इसमें 2003 में आगे संशोधन किया गया।
- सरकार ने उक्त अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन में तेजी लाई और अपंजीकृत अल्ट्रासाउंड मशीनों को सीलिगं करने, जब्ती तथा अपंजीकृत क्लीनिकों के विरुद्ध सजा पर लागू होने वाले नियमों में संशोधन का प्रावधान किया गया। केवल पंजीकृत परिसर के भीतर ही पोर्टेबल अल्ट्रासाउंड मशीन के उपयोग के विनियमन को अधिसूचित किया गया है। मेडिकल प्रैक्टीशनरों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है कि एक जिले के भीतर अधिकतम दो अल्ट्रासांउड सुविधा केन्द्रों पर ही अल्ट्रासोनोग्राफी कर सकते हैं। पंजीकरण राशि बढ़ा दी गई है। नियमों में संशोधन किया गया हे कि कर्मचारियों, स्थान, पते या उपकरणों में परिवर्तन की पूर्व सूचना दी जाए।
- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने सभी राजयों से अधिनियम के कार्यान्वयन को सुदृढ़ बनाने और गैरकानूनी लिंग जांच के उपयोग को रोकने के लिए समय पर उपाय करने का अनुराध किया है। सभी राजय सरकरों से बाल लिंग अनुपात में घटते रुझान को पलटने और शिक्षा व सशतीकरण पर ध्यान देकर कन्या शिशु की उपेक्षा को रोकने का आग्रह किया गया है।
- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने अधिनियम को गंभीरता से कार्यान्वित करने के लिए सभी राज्यों व संघ राज्य क्षेत्रों का आह्वान करने के प्रयासों में तेजी लाई है।
- पी एन डी टी अधिनियम के तहत केन्द्रीय पर्यवेक्षण वोर्ड (सीएसबी का पुनर्गठन किया गया है और नियमित बैठकें आयोजित की जा रही हैं।
- राष्ट्रीय निरीक्षण एवं निगरानी समिति (एनआईएमसी) का पुनर्गठन किया गया है और अल्ट्रासांउड नैदानिक सुविधा केन्द्रों के निरीक्षणों में तेजी लाई गई है। बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, पंजाब, अत्तराखंड, राजस्थान, गुजरात, झारखंड और उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में निरीक्षण किए गए हैं। अब तक 26 जिलों में कुल 83 क्लीनिकों का निरीक्षण किया गया है और 35 मशीन सील की गई हैं। 19 मामले न्यायालय में दायर किए गए हैं।
- क्षमता निर्माण को ध्यान दिया गया है। राज्य उपयुक्त प्राधिकारियों और पी एन डीआी नोडल अधिकारियों और न्यायिक अधिकारियों के साथ-साथ लोक अभियोजकों के लिए कार्यक्रमों आयोजित किए गए हैं।
- राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत सरकार सूचना, शिक्षा ओर संचार अभियानों के लिए और अधिनियम के कार्यान्वयन हेतु ढांचों के सुदृढ़ बनाने के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता उपलब्ध करा रही है।
- राज्यों को कम बाल लिंग अनुपात वाले जिलों/ब्लाकों/गावों पर ध्यान केन्द्रित करने की सलाह दी गई है ताकि कारणों का निर्धारण व उचित व्यवहार परिवर्तन संचार अभियानों की योजना बनाई जा सके और पी सी एवं पी एन डी टी अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी ढंग से लागू किया जा सके।
- अल्प बाल लिंग अनुपात और कन्या शिशु के प्रति भेदभाव के विरुद्ध अभियान में धार्मिक नेताओं, सफल महिलाओं आदि को शामिल किया गया है।

विवरण I

2010, 2011 और 2012 (अनंतिम) के दौरान भ्रूण हत्या के तहत पंजीकृत मामले

क्र.सं.	राज्य	2009	2010	2011	2012 (अनंतिम)
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	6	1	7	0
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6
3.	असम	0	0	0	0
4.	बिहार	5	0	1	0
5.	छत्तीसगढ़	7	9	21	2
6.	गोवा	0	0	0	0
7.	गुजरात	3	10	0	10
8.	हरियाणा	3	2	5	10
9.	हिमाचल प्रदेश	1	0	0	1
10.	जम्मू और कश्मीर	0	1	1	0
11.	झारखंड	0	0	1	0
12.	कर्नाटक	7	4	1	3
13.	केरल	0	0	0	1
14.	मध्य प्रदेश	39	18	38	32
15.	महाराष्ट्र	17	5	12	24
16.	मणिपुर	0	0	0	0
17.	मेघालय	0	0	0	0
18.	मिजोरम	0	0	0	0
19.	नागालैंड	0	0	0	0
20.	ओडिशा	0	0	0	0
21.	पंजाब	23	15	15	10
22.	राजस्थान	12	18	13	19
23.	सिक्किम	0	0	0	1
24.	तमिलनाडु	0	0	0	0
25.	त्रिपुरा	0	0	0	0
26.	उत्तर प्रदेश	0	18	12	0
27.	उत्तराखंड	0	0	0	0
28.	पश्चिम बंगाल	0	0	0	0
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	3	0	0
30.	चंडीगढ़	0	0	0	0
31.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0
32.	दमन और दीव	0	0	0	0
33.	दिल्ली	0	7	5	1
34.	लक्षद्वीप	0	0	0	0
35.	पुदुचेरी	0	0	0	0
	कुल	123	111	132	114

स्रोतः राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो

विवरण II

वित्तीय वर्ष 2009-10 से 2012-13 के लिए पीसी एवं पीएनडीटी अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए आवंटित/जारी खर्च की गई राशि

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राजय क्षेत्र	2009-10		2010-11		2011-12		2012-13	
		आवंटन/ रिलीज	व्यय	आवंटन/ रिलीज	व्यय	आवंटन/ रिलीज	व्यय	आवंटन/ रिलीज	व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	बिहार	150.00	4.73	145.25	6.58	50.00	1.70	46.27	1.87
2.	छत्तीसगढ़	27.40	0.20	5.00	0.10	0.00	0.00	14.50	0.00
3.	हिमाचल प्रदेश	25.00	29.91	52.60	49.24	24.00	15.42	10.00	0.57
4.	जम्मू और कश्मीर	53.55	28.67	25.50	15.76	9.10	7.87	17.70	0.00
5.	झारखंड	17.00	0.00	18.00	0.00	17.00	16.25	24.92	5.28
6.	मध्य प्रदेश	87.00	30.39	128.24	122.82	190.52	78.75	134.00	20.25
7.	हिमाचल प्रदेश	0.00	0.00	21.00	1.91	13.40	0.51	22.64	5.19
8.	राजस्थान	113.68	113.68	143.26	117.60	185.25	124.30	169.35	85.82
9.	उत्तर प्रदेश	210.20	141.06	50.53	38.96	47.35	12.92	34.40	0.25
10.	उत्तराखंड	16.00	15.83	16.00	11.20	0.00	0.00	61.74	12.37
11.	अरुणाचल प्रदेश	14.00	1.54	0.00	1.42	9.00	5.61	13.80	1.02
12.	असम	8.22	8.22	0.00	0.00	0.00	0.00	18.27	0.00
13.	मणिपुर	15.00	7.36	8.79	0.12	13.29	4.45	14.16	0.20
14.	मेघालय	4.24	0.00	4.70	0.17	0.90	0.00	7.71	0.05
15.	मिजोरम	1.00	1.00	1.40	1.40	2.40	2.40	2.00	2.00
16.	नागालैंड	0.00	0.00	0.00	0.00	21.64	16.04	16.13	16.58
17.	सिक्किम	5.43	3.81	1.85	1.35	2.00	7.99	1.97	0.47
18.	त्रिपुरा	7.00	0.99	2.47	2.14	2.64	7.00	2.13	0.00
19.	आंध्र प्रदेश	10.00	8.81	25.00	2.05	0.00	14.09	112.33	44.52
20.	गोवा	25.00	5.22	15.00	6.52	0.00	1.43	1.75	0.00
21.	गुजरात	76.45	51.48	72.70	51.58	66.85	37.08	121.77	66.74
22.	हरियाणा	30.76	18.97	53.10	21.51	90.16	40.99	92.36	17.21
23	कर्नाटक	104.78	32.09	187.50	32.17	31.40	11.69	59.48	0.67

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24.	केरल	0.00	0.00	14.70	8.23	0.00	0.00	0.00	0.00
25.	महाराष्ट्र	59.70	35.50	645.44	98.74	184.40	139.16	469.40	114.82
26.	पंजाब	62.80	137.08	95.04	81.53	295.28	2.88	8.22	129.57
27.	तमिलनाडु	38.50	0.00	128.52	0.00	0.00	0.00	0.00	6.55
28.	पश्चिम बंगाल	50.00	41.29	182.00	43.30	65.60	22.04	51.49	20.19
29.	अंडमान और निकोबार द्वीसमूह	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.09	12.16	0.00
30.	चंडीगढ़	3.74	1.95	3.12	3.03	13.19	12.55	0.24	0.00
31.	दादरा और नगर हवेली	0.40	0.36	0.40	0.40	1.40	1.30	1.40	0.70
32.	दमन	3.00	2.53	3.00	1.93	5.00	2.15	0.00	0.00
33.	दिल्ली	15.80	6.26	25.75	8.16	65.23	8.90	45.10	2.57
34.	लक्षद्वीप	1.00	0.55	2.00	2.16	2.00	0.00	0.50	0.30
35.	पुदुचेरी	1.85	0.70	2.00	1.90	2.00	2.02	2.50	0.00
	महायोग	1238.50	730.18	2079.86	733.98	1411.20	597.58	1590.39	555.75

नोट:

*चंडीगढ़ छत्तीसगढ़, दमन और दीव, मिजोरम पुदुचेरी और उत्तर प्रदेश राज्यों के लिए वित्तीय वर्ष 2012-13 के लिए 30.09.2012 तक व्यय आंकड़े करने के लिए कर रहे हैं,

लेखापरीक्षित विवरण में पी एन डी टी गतिविधियों के व्यय को अलग-अलग न करने के कारण एफएमआर के अनुसार दिए गए व्यय को माना गया और अत: अंनतिम एफ एम आर वित्तीय प्रबंधन की रिपोर्ट

[अनुवाद]

'पार्टिसिपेटरी नोट' के माध्यम से कालाधन

***174. श्री कौशलेन्द्र कुमार:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान 'पार्टिसिपेटरी नोट्स' के माध्यम से देश में आ रहे निवेशों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार के ध्यान में यह बात आई है कि 'पार्टिसिपेटरी नोट्स' का उपयोग धन के शोधन के लिए किया जाता है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार द्वारा ऐसे निवेशों की निगरानी करने और कालेधन के शोधन का पता लगाने के लिए कोई तंत्र बनाया गया है और यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान इसके परिणामस्वरूप प्राप्त उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इसके लिए किन-किन विदेशी संस्थागत निवेशकों/कंपनियों पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें दण्डित किया गया तथा इस मुद्दे के समाधान हेतु सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं?

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): (क) से (ङ) भारतीय परिप्रेक्ष्य में पार्टिसिपेटरी नोट अडरलाइंग भारतीय प्रतिभूतियों के एवज में सेबी में पंजीकृत विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) द्वारा जारी व्युत्पन्न लिखत होती है। पार्टिसिपेटरी नोट केवल उन्हीं कंपनियों को जारी किए जा सकते हैं जो उनके निगमीकरण के देश में संगलित विनियामक प्राधिकरण द्वारा विनियमित होती हैं और वे "अपने ग्राहक को जानिए" मानदंड के अनुपालन करने की

शर्तो पर होती हैं। पार्टिसिपेटरी नोट के निवेशक का न तो अंडरलाइंग भारतीय प्रतिभूतियों में स्वामित्व होता है, और न ही कोई मताधिकार होता है।

पिछले तीन कैलेंडर वर्षों में, प्रत्येक वर्ष की समाप्ति पर, विदेशी संस्थागत निवेशकों के बकाया पार्टिसिपेटरी नोट की स्थिति का ब्यौरा निम्नानुसार है:

वर्ष की समाप्ति पर	इक्विटी संबंधी बकाया पार्टिसिपेटरी नोट और व्युत्पन्न संबंधी पार्टिसिपेटरी नोट सहित ऋण का कुले अनुमानित मूल्य	सभी विदेशी संस्थागत निवेशकों की अभिरक्षा में परिसंपत्तियां (करोड़ भारतीय रुपये)	ख के प्रतिशत के रूप में क
	क	ख	ग
2010	175,584	1,164,623	15.1
2011	138,711	917930	15.1
2012	151,084	1,335,189	11.3

सेबी और प्रवर्तन निदेशालय, जिनकी इस मामले में विनियामक भूमिका है, के सामने धनशोधनृ हेतु पार्टिसिपेटरी नोटों का प्रयोग करने का कोई मामला नहीं आया है।

पार्टिसिपेटरी नोट जारी करने वाले विदेशी संस्थागत निवेशकों से अपेक्षित है किस वे सेबी को मासिक आधार पर पार्टिसिपेटरी नोट के अंतिम लाभदायक धारक के नाम, स्थान, स्वरूप और क्षेत्राधिकार का ब्यौरा दें। इसके अतिरिक्त, विदेशी संस्थागत निवेशकों से यह भी अपेक्षित हे कि वे यह वचन दें कि उन्होंने पार्टिसिपेटरी नोट भारतीय निवासियों अथवा अनिवासी भारतीयों को जारी नहीं किए हैं और पार्टिसिपेटरी नोट के लाभदायक धारक हेतु "अपने ग्राहक को जानिए" मानदंडों का अनुपालन किया गया हे।

इसके अतिरिक्त, सेबी विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा जारी विदेशी व्युत्पन्न लिखतों से जुड़े एफआईआई से कोई भी सूचना, जब वह चाहे और जिस रूप में चाहे, माग सकता है।

[हिंदी]

जनजातीय सलाहकार परिषद् का गठन

***175. श्री हरिश्चंद्र चव्हाण:** क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के नाम क्या हैं, जिन्होंने जनजातीय सलाहकार परिषदें गठित की हैं और वे राज्य/संघ राज्य क्षेत्र कौन-कौन से जिन्होंने इस निदेश का अब तक पालन नहीं किया है;

(ख) क्या सरकार ने इस संबंध में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को कोई सलाह दी है अथवा कोई सलाह जारी की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

जनजातीय कार्य मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री वी. किशोर चन्द्र देव): (क) संविधान की पांचवीं अनुसूची के पैरा-4 (1) के उपबंध के अनुसार आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र ओडिशा तथा राजसीान नामक अनुसूचित क्षेत्रों वाले राज्यों में जनजातीय सलाहकार परिषद (टीएसी) गठित की गई है। इसके अलावा, दो अन्य राज्यों अर्थात तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल ने भी जनजातीय सलाहकार परिषद गठित की है।

यदि कोई राज्य टीएसी स्थापित करना चाहता है तो उस राज्य में टीएसी के गठन के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित होता है। संबंधित मंत्रालयों/विभागों के परामश्च से मंत्रालय द्वारा प्रस्ताव की जांच की जाती है।

(ख) से (घ) उत्तराखंड राज्य सरकार से प्राप्त अनुरोध के प्रत्युत्तर में, उत्तराखंड राज्य सरकार को महामहिम राष्ट्रपति के निर्देश जुलाई, 2010 में, राज्य में जनजातीय सलाहकार परिषद स्थापित करने के लिए भेज दिए गए हैं। टीएसी के गठन के संबंध में राज्य सरकार ने कोई सूचना नहीं भेजी है।

'रूरल बिजनेस हब्स स्कीम'

***176. श्री देवराज सिंह पटेल:**
डॉ. अरविन्द कुमार शर्मा:

क्या **पंचायती राज मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा 'रूरल बिजनेस हब्स स्कीम' कार्यान्वित की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस स्कीम की मुख्य विशेषताएं क्या हैं तथा रूरल बिजनेस हब केन्द्र स्थापित करने हेतु क्या मानदंड है;

(ग) देश में राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार इस समय कितने रूरल बिजनेस हब केन्द्र हैं और इस स्कीम के अंतर्गत रूरल बिजनेस हब केन्द्र खोलने हेतु सरकार को कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, कितने स्वीकृत किए गए और कितने उसके पास लंबित हैं;

(घ) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान रूरल बिजनेस हब स्कीम के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार कितनी धनराशि स्वीकृत की गई, कितनी जारी की गई और कितनी उपयोग में लाई गई; और

(ङ) इस स्कीम के उद्देश्यों को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

जनजातीय कार्य मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री वी. किशोर चन्द्र देव): (क) ग्रामीण व्यवसाय केन्द्र (आरबीएच) स्कीम 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कार्यान्वित की जा रही थी। योजना आयोग के कार्य दल की सिफारिशों पर 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान यह स्कीम जारी नहीं रखी जा रही है। तथापि, इस स्कीम के तहत प्रतिबद्ध देयताओं को पूरा करने के लिए वर्ष 2012-13 के दौरान 25 लाख रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है।

(ख) आरबीएच स्कीम का कार्यान्वयन 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए सहभागितापूर्ण विकास मॉडल के तौर पर की गई जो कि 4 पी अर्थात पब्लिक प्राईवेट पंचायत-पार्टन-रशिप के प्लेटफॉर्म पर तैयार की गई है। स्कीम ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध कच्ची सामग्रियों/प्रकौशलों का उपयोग कर तथा उद्योग व विपणन संगठनों से उन्हें जोड़कर वयवसायों को प्रोत्साहित करने पर लक्षित है। जिससे कि ऐसे उत्पादों को मूल्य संवर्धन का लाभ मिल सके और बाजार में उनकी मांग बढ़ सके। यह समूची प्रक्रिया सशक्तिकृत पंचायती राज संस्थाओं के दृवारा मध्यस्थता करने/सुलभ बनाने से संपन्न हुई। यह स्कीम समस्त पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (बीआरजीएफ) तथा उत्तर-पूर्व क्षेत्र वे जिलों में लागू थी। इस स्कीम के तहत, पंचायती राज मंत्रालय (एमओपीआर) ने व्यवहार्य आरबीएच परियोजनाओं के लिए अल्प वित्तीय सहायता (25 लाख रुपए से अधिक नहीं) प्रदान की एवं शेष परियोजना लागत अन्य केन्द्रीय/राज्य सरकार की स्कीमों/वित्तीय संस्थानों/कार्यान्वयक संगठनों इत्यादि के माध्यम से अभिसरित किया जाना था।

(ग) और (घ) आरबीएच स्कीम के तहत, निधियां सीधे कार्यान्वयक एजेंसियों को जारी की जाती है न कि राज्यों को। इस स्कीम के तहत कोई भी आरबीएच केन्द्र की स्थापना नहीं की गई। आरबीएच स्कीम के तहत विगत तीन वर्षों एवं चालू वर्ष के दौरान स्वीकृत पृथक परियोजनाओं की संख्या एवं कार्यान्वयक एजेंसियों को जारी निधियों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ङ) आरबीएच स्कीम के उद्देश्यों को बढ़ावा देने के लिए, ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, इस मंत्रालय ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग/वाणिज्य एवं उद्योग/वस्त्र/अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत/विद्युत/पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस समेत अनेक केन्द्रीय मंत्रालयों की स्कीमों, जिन्हें आरबीएच की स्थापना हेतु अभिसरित किया जा सकता गि, को मिलाया। खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग एवं निर्यात संवर्धन परिषद को अनके कार्यक्रमों को आरबीएच के साथ अभिसरित करने के लिए प्रस्ताव किया गया। नाबाई एवं सिडबी जैसी संस्थाओं को भी संस्थागत अभिसरण को प्रोत्साहित करने हेतु संघटित किया गया।

विवरण

वर्ष 2009-10 से वर्ष 2012-13 तक (दिनांक 06.03.2013 की स्थिति के अनुसार) संस्वीकृत परियोजनाएं एवं निर्मुक्त निधियां

		विभिन्न राजयों में कार्यान्वयक एजेंसियों को संस्वीकृत परियोजनाओं की संख्या				निर्मुक्त निधि				कुल
		वर्ष 2009-10	वर्ष 2010-11	वर्ष 2011-12	वर्ष 2012-13	वर्ष 2009-10	वर्ष 2010-11	वर्ष 2011-12	वर्ष 2012-13	निर्मुक्त (लाख रु.में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आंध्र प्रदेश	2	1	1	0	13.95	6.38	7.26	0.00	27.59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	1	0	0	0	6.6	0	0.00	6.60
3.	असम	2	0	0	0	14.18	2.46	2.27	0.00	18.91
4.	बिहार	0	0	0	0	1.16	0	0	0.00	1.16
5.	छत्तीसगढ़	0	0	0	0	13.13	0	0	0.00	13.13
6.	हरियाणा	0	1	0	0	0	10.94	3.65	0.00	14.59
7.	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0	7.09	0	0	0.00	7.09
8.	झारखंड	0	0	0	0	8.34	0	5.70	0.00	14.04
9.	कर्नाटक	1	0	0	0	2.56	0	0	0.00	2.56
10.	केरल	2	0	0	0	12.63	0	0	0.00	12.63
11.	मध्य प्रदेश	0	1	0	0	0	6.62	0	0.00	6.62
12.	महाराष्ट्र	4	0	0	0	30.78	0	2.55	0.00	33.33
13.	मणिपुर	1	1	0	0	7.89	13.89	0	0.00	21.78
14.	मेघालय	1	0	0	0	9.29	0	0	0.00	9.29
15.	ओडिशा	0	1	0	0	0	7.05	2.35	0.00	9.40
16.	राजस्थान	0	0	0	0	3.85	0	2.38	0.00	6.23
17.	तमिलनाडु	0	0	0	0	0.69	4.6	0	0.00	5.29
18.	त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
19.	उत्तर प्रदेश	1	2	1	0	11.02	21.92	14.74	4.07	51.75
20.	उत्तराखंड	0	0	0	0	0	2.38	0	0.00	2.38
21.	पश्चिम बंगाल	3	0	3	0	20.25	3.36	23.15	3.22	49.9
	कुल	17	8	5	0	156.81	86.20	64.05	7.29	314.35

[अनुवाद]

स्वच्छ भारत अभियान

***177. श्री नित्यानंद प्रधान:** क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा शुरू किए गए स्वच्छ भारत अभियान का एक घटक पर्यटक स्थलों और स्मारकों को उनके रख-रखाव और साफ-सफाई के लिए सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों/कॉर्पोरेट घरानों द्वारा अंगीकार किया जाना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों/कॉर्पोरेट घरानों के नाम क्या हैं जिन्होंने इस अभियान में भाग लेने के लिए अपनी इच्छा व्यक्त की है;

(ग) इस प्रयोजनार्थ इन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों/कॉर्पोरेट घरानों द्वारा कौन-कौन से स्मारक/स्थल अंगीकार किए गए हैं तथा उनके द्वारा शुरू किए गए कार्य की प्रगति क्या है; और

(घ) इस संबंध में लोगों को जागरूक बनाने और पर्यटन स्थलों में और उनके आसपास साफ-साफाई की समस्या के समाधान हेतु सरकार की भावी कार्य योजना क्या है?

पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (डॉ. के. चिरंजीवी): (क) से (ग) जी, हां। इस अभियान का एक घटक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू)/निगमित सेक्अर द्वारा उनकी निगमित सार्वजनिक जिममेदारी के एक भाग के रूप में स्मारकों/गंतव्यों का उनके रख-रखाव और साफ-सफाई वे लिए अपनाया जाना है। यह एक स्वैच्छिक स्कीम है और सरकार द्वारा इस अभियान के लिए कोई निधि आवंटित नहीं की गई है। भारत पर्यटन विकास निगम (आईटीडीसी) ने स्वच्छ भारत अभियान के तहत एक पॉयलट परियोजना के रूप में नई दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार को अपनाया है। आईटीडीसी द्वारा किए गए विभिन्न कार्यों में शौचालयों की मरम्मत, कुतुब मीनार में और उसके आस-पास उचित संकेतक, कचरा बिन, लॉइट कवरों की मरम्मत/उनको बदलना और रेलिंग की रंगाई शामिल है। आईटीडीसी ने क्षेत्र को साफ रखने के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के स्टाफ के अलावा एक पर्यवेक्षक सहित हाउसकीपिंग स्टाफ को भी तैनात किया है।

(घ) पर्यटन मंत्रालय समय-समय पर टेलीविजन और रेडियो पर पर्यटक गंतव्यों में और उसके आसप-पास साफ-सफाई के प्रति जागरूकता सहित सार्वजनिक जागरूकता अभियान चलाता है। सरकार का बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस अभियान को जारी रखने का प्रस्ताव है। तथापि, सरकार द्वारा इस अभियान के लिए कोई निधि आवंटित नहीं की गई है।

क्षयरोग के लिए टीका

***178. श्री पी॰ विश्वनाथन:**
श्री गुरुदास दासगुप्त:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने शिशुओं और बच्चों को क्षयरोग विशेषरूप से दवा-रोधी क्षयरोग से रक्षा हेतु टीका विकसित करने संबंधी विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान परियोजनाओं की ओर ध्यान दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में अनुसंधान हेतु सहायता देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाने का प्रस्ताव है तथा इसके क्या परिणाम रहे;

(घ) क्या सरकार को दवा-रोधी क्षयरोग से पीड़ित रोगियों के लाभ हेतु भारत में बेडाक्यूलीन नामक क्षयरोग की नई दवा लाने की अनुमति देने संबंधी कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है/करने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) और (ख) जी हां। सरकार ने क्षयरोग के विरुद्ध टीका विकसित करने में संलग्न विविध अंतर्राष्ट्रीय परियोजनाओं को ध्यान में रखा है। 12 क्षयरोग टीके विकास के विविध चरणों में हैं और उनमें से दो चरण-2 बी परिक्षण के तहत हैं। ये टीके क्षयरोग के संक्रमण या उसके पुनर्सक्रिय होने, औषध संवेदन और औषध प्रतिरोधी क्षयरोग दोनों के विरुद्ध सुरक्षा के लिए निर्मित किए गए हैं। हाल ही में, दक्षिण अफ्रीका के केपटाउन के निकट ग्रामीण क्षेत्रों में किए जा रहे टीके (एमवीए 85ए एंटीजन का प्रयोग करने वाले) के परिक्षण क्षेत्रों में किए जा रहे टीके (लेन्सेट में 4 फरवरी, 2013 को ऑनलाइन प्रकाशित) और ये नवजात शिशुओं में क्षयरोग के विरुद्ध महत्वपूर्ण सुरक्षा का अभाव दर्शाते हैं। नवजात शिशुओं में क्षयरोग के विरुद्ध महत्वपूर्ण सुरक्षा का अभाव दर्शाते हैं। नवजात शिशुओं और बच्चों को क्षयरोग, विशेषकर औषध प्रतिरोधी क्षयरोग से बचाने के लिए अभी तक कोई प्रभावी टीका विकसित नहीं किया गया है।

(ग) सरकार क्षयरोग में स्वदेशी टीकों के विकास को, इस क्षेत्र में अनुसंधान के निधीयन द्वारा सहयोग दे रही है। भारतीय चिकितसा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) के साथ-साथ जैव-प्रौद्योगिकी विभाग (डीबीटी) तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) उपयुक्त टीकों की पहचान करने और जांच के लिए देश के विविध अनुसंधान समूहों को धनराशि प्रदान कर रहे हैं। पशु अज्ययनों ने अच्छी सुरक्षातमक प्रभावकारिता दर्शाई है।

(घ) और (ङ) औषध और प्रसाधन अधिनियम के तहत, भारत में नई क्षयरोग औषध बेडाक्वीलीन के प्रवेश की अनुमति हेतु कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है। भारतीय बाजार में कोई नई औषधि भारतीय औषध महानियंत्रक (डीसीजीआई) के अनुमोदन के प्रश्चात ही लाई जा सकती है। तथापि, आईसीएमआर और डीजीएचएस के केन्द्रीय क्षयरोग प्रभाग ने, भारत में नई क्षयरोग औषध बैडाक्वीलीन को लाने पर विचार विमर्श करने के लिए एक विशेषज्ञ समूह का गठन किया है। बहुऔषध और व्यापक औषध प्रतिरोधी क्षयरोग (एम/एक्सडी स्थितियों में भारत में औषध को आरंभ करने का प्रस्ताव है।

[हिंदी]

गैस का उत्पादन

***179. श्री अशोक कुमार रावत:** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान सरकारी और निजी क्षेत्र की कंपनियों द्वारा कृष्णा-गोदावरी बेसिन से उत्पादन सहित देश में कंपनी-वार कितनी मात्र में गैस का उत्पादन किया गया;

(ख) उक्त अवधि के दौरान इन कंपनियों द्वारा समझौते की शर्तों के अनुरूप कंपनी-वार गैस का कितनी मात्रा में अधिक उत्पादन किया गया अथवा कम किया गया तथा इसके परिणामस्वरूप सरकार को वर्ष-वार राजस्व की कितनी हानि हुई;

(ग) क्या उक्त अवधि के दौरान किसी सरकारी अथवा निजी क्षेत्र की कंपनी ने केजी बेसिन सहित देश में गैस के उत्पादन/खोज के संबंध में संविदा/समझौते की शर्तों का अनुपालन नहीं किया है;

(घ) यदि हां, तो कंपनी-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) कंपनियों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है अथवा करने का प्रस्ताव है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री एम. वीरप्पा मोइली): (क) और (ख) उत्पादन हिस्सेदारी संविदा (पीएससी) व्यवस्था और कोल बेड मीथेन (सीबीएम) संविदा व्यवस्था के तहत गैस के उत्पादन के लक्ष्य ब्लाक-वार/क्षेत्र-वार निर्धारित किए जाते हैं, न कि कंपनी-वार तथापि, नामांकन व्यवस्था के तहत वार्षिक समझौता ज्ञापन (एमओयू) लक्ष्य सार्वजनिक क्षेत्र की विपणन कंपनियों नामत: ओएनजीसी और ओआईएल के लिए निश्चित किए जाते है।

पीएससी व्यवस्था और सीबीएम संविदा व्यवस्था के तहत विगत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान लक्षित और वास्तविक गैस उत्पादन निम्नवत है:

(बिलियन घन मीटर में)

2009-10			2010-11			2011-12			2012-13 (जनवरी, 2013 तक)		
लक्ष्य	वास्तविक	% उपलब्धि	लक्ष्य	वास्तविक	% उपलब्धि	लक्ष्य	वास्तविक	% उपलब्धि	लक्ष्य	वास्तविक	% उपलब्धि
25.43	21.98	86.4	28.19	26.77	94.9	25.58	21.61	84.5	12.89	`12.68	98.4

उपर्युक्त गैस उत्पादन आंकड़ों में पीएससी व्यवस्था के तहत कृष्णा-गोदावरी बेसिन में मैसर्स कैर्न एनर्जी इंडिया प्रा.लि. (सीईआईएल) द्वारा प्रचालित रव्वा क्षेत्र और मैसर्स रिलायंस इंडस्ट्रीज लि. (आरआईएल) द्वारा प्रचालित केजी-डी डब्ल्यूएन-98/3 (केजी-डी6) ब्लाक में डी-1, डी-3 तथा एमए क्षेत्रों से गैस उत्पादन के आंकड़े शामिल हैं।

नामांकन व्यवस्था के तहत कृष्णा-गोदावरी (केजी) बेसिन सहित देश में आयल इंडिया लि. (ओआईएल) और आयल एंड नेचुरल गैसा कापोरेशन लि. (ओएनजीसी) द्वारा प्राकृतिक गैस के लक्ष्य एवं उत्पादन नीचे दिए गए हैं5

(प्राकृतिक गैस का उत्पादन (मिलियन मीट्रिक मानक घन मीटर में) (एमएमएससीएम)

वर्ष	2009-10		2010-11		2011-12		2012-13	
	लक्ष्य	वास्तविक	लक्ष्य	वास्तविक	लक्ष्य	वास्तविक	लक्ष्य	वास्तविक
ओआईएल	2528	2415.59	2621	2352.72	2633	2633.29	2919	2212.22 (जनवरी, 13 तक)
ओएनजीसी	22248	23109	22774	23095	23457	23316	17754	17721 (दिसम्बर 12 तक**)

*(अनंतिम आंकड़े)

ओएनजीसी ने सूचित किया है कि उन्होंने प्राकृतिक गैस के उत्पादन के लिए एमओयू लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया है। तथापि, वर्ष 2011-12 और वर्तमान वर्ष अर्थात अप्रैल, 2012 से दिसंबर, 2012 के दौरान मुख्य रूप से बेहतर रिजर्ववायर प्रबंधन के लिए जीएस-15 अपतट क्षेत्र से लिए गए सीमित गैस उत्पादन के कारण के कारण केजी बेसिन उत्पादन एमओयू लक्ष्य से कम रहा। ओआईएल ने सूचित किया है कि उनकी गैस उत्पादन संभाव्यता वर्तमान करारों को पूरा करने के लिए पर्याप्त है और यह ग्राहकों की प्रत्याहार क्षमता निर्भर है।

पीएससी व्यवस्था के तहत, विगत तीन वर्षों के दौरान गैस का उत्पादन विभिन्न कारकों द्वारा निम्नानुसार प्रभावित रहा है:

(i) केजी-डीडब्ल्यूएन-98/3 (केजी-डी6) ब्लाक से अनुमानित गैस से कम उत्पादन

(ii) पानी भर जाने के कारण दक्षिण ताप्ती कूपों का निमन निष्पादन।

(iii) पुराने और परिवक्व क्षेत्रों जैसे रव्वा, हजीरा, सीबी-ओएस/2 आदि में कमी।

(iv) पीवाई-1 क्षेत्र से उत्पादन शुरू होने में विलंब।

(v) एकल बिंदु मूरिंग (एसपीएम) प्रणाली के असफल होने के कारण 96 दिनों के लिए पन्ना-मुक्ता क्षेत्र का पूरी तरह से बंद होना।

(vi) भूमि अधिग्रहण समस्याओं और गैस परिवहन की बुनियादी सुविधाओं की अनुपलब्धता आदि के कारण सीबीएम ब्लाकों से परिकल्पित उत्पादन से कम उत्पादन होना।

उपर्युक्त तीन वर्षों के दोरान मैसर्स आरआईएल द्वारा प्रचालित केजी-डी6 ब्लाक के डी1 और डी3 क्षेत्रों से गैस का उत्पादन पीएससी व्यवस्था के तहत गैस के कुल उत्पादन का 60% से 66% बैठती है जो प्रारंभिक विकास योजना (एआईडीपी) के लिए प्रबंधन समिति (एमसी) से अनुमोदित परिशिष्ट में परिकल्पित गैस उत्पादन से कम रहा है और यह पीएससी व्यवस्था के तहत अनुमानित गैस का कम उत्पादन होने का एक प्रमुख कारण है।

किसी क्षेत्र/ब्लाक से अनुमानित गैस उत्पादन से कम गैस का उत्पादन होने से यह अर्थ नहीं लगाया जा सकता कि भारत सरकार (जीओआई) का राजस्व सीधे तौर पर प्रभावित हो रहा है क्योंकि जो गैस वर्तमान में उत्पादित नहीं हुई है वह विभिन्न कारकों जैसे क्षेत्र/ब्लाकों की भौगोलिक और रिजर्ववायर विशिष्टताओं, प्राप्ति के कारकों के सुधार करने के लिए अद्यतन प्रोद्योगिकी को शामिल करने आदि पर निर्भर करते हुए भविष्य में उत्पादित हो सकती है, इसलिए इससे गैस की बिक्री से राजस्व प्राप्ति आस्थगित हो सकती है।

(ग) से (ङ) जहां तक पीएससी व्यवस्था के तहत गैस के उत्पादन का संबंध है, केजी-डी6 बलाक में डी1 तथा डी3 क्षेत्रों के संबंध में संविदाकार अनुमोदित एआईडीपी की वेधन की शर्तों एवं कूपों की संख्या तथा गैस उत्पादन दर को स्ट्रीम पर रखना दोनों शर्तों का पालन करने में असफल हो गया है, जिसके परिणामस्वरूप 31.03.2012 तक डी1 तथा डी3 क्षेत्रों से वास्तविक संचयी गैस उत्पादन इसी अवधि के लिए एआईडीपी में अनुमोदित 2.030 टीसीएफ अनुमानित संचयी गैस उत्पादन की तुलना मं 1.584 ट्रिलियन घन फीट ओसीएफ था। इसलिए मई, 2012 में सरकार ने आरआईएल को 1.005 बिलियन अमरीकी डालर की उत्पादन सुविधाओं की लागत को अनुपातिक रूप से अस्वीकृत करने के लिए नोटिस जारी किया था, केजी-डी6 ब्लाक के प्रचालक आरआईएल ने मामले में मध्यस्थम कार्रवाईयां शुरू की हैं तथा भारत सरकार ने भी मध्यस्य नियुक्त कर दिया है। संविदाकार ने बताया है कि गैस भंडारों में कमी विभिन्न कारणों जैसे रिजर्वायर और उत्पादन निष्पादन, दाब में कमी, समय से पूर्व जल भराव, मुख्य चैनल क्षेत्रों के बाहर मिट्टी होने से कम योगदान, शेष सामग्री सिमुलेशन से प्राप्त परिणाम, और भूवैानिक माडलों आदि से आई है।

पीएससी व्यवस्था के तहत तेल/गैस के अन्वेषण के संबंध में संविदाकारों द्वारा पूरा नहीं किए गए न्यूनतम कार्य कार्यक्रम, चरण विस्तार आदि के कारण परिनिधिरित नुकसान (एलडी) के भुगतान हेतु अर्थदंड संबंधी प्रावधान लागू होता है। विगत तीन वर्षों के (2009-10 से 2011-12) दौरान भारत सरकार को भुगतान किए गए ऐसे अर्थदंडों के कंपनी-वार ब्यौरे निम्नवत हैं:

पीएससी व्यवस्था के तहत 2009-10 से 2011-12 के दौरान संविदाकारों द्वारा भारत सरकार को भुगतान किए गए अर्थदंड के ब्यौरे

क्र.सं.	कंपनी का नाम	दंड स्वरूप भुगतान की गई राशि (अमरीकी डालर मिलियन)
1.	ओएनजीसी	39.30
2.	ओआईएल	6.09
3.	आरआईएल	78.88
4.	जीओपेट्रोल	4.73
5.	फोकस एनर्जी	0.05
6.	जीओ ग्लोबल रिसोर्सेज	0.29
7.	जुबिलेंट एनर्जी	0.33
8.	पेट्रोगैस	0.33
	योग	131.16

[अनुवाद]

चिकित्सीय ज्ञान को अद्यतन किया जाना

***180. श्री पी. करूणाकरन:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा रोगों के बदलते स्वरूप, दवा प्रतिरोधकता, नवीनतम चिकित्सीय आविष्कारों आदि के बारे में स्वास्थ्य व्यावसायिकों के ज्ञान को आवधिक रूप से नवीनतम करने हेतु क्या विनियम निर्धारित किए गए हैं;

(ख) क्या देश के स्वास्थ्य व्यावसायिकों द्वारा उक्त विनियमों का पालन किया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो उक्त विनियमों के प्रवर्तन और साथ ही चूककर्ता स्वास्थ्य व्यावसायिकों को दण्ड देने हेतु भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है; और

(ङ) इस मामले पर राज्य चिकित्सा परिषदों के साथ बेहतर समन्वय स्थापित करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) भारतीय चिकित्सा परिषद (एमसीआई) ने, केन्द्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से, भारतीय चिकित्सा परिषद (पेशेवर आचरण, शिष्टाचार और आचार) विनियम, 2002, को अधिसूचित किया है, जो अन्य बातों के साथ-साथ विनिर्दिष्ट करता है कि एक चिकित्सक को प्रतिष्ठित पेशेवर शैक्षणिक निकायों या किसी अनय प्राधिकृत संगठन द्वारा आयोजित, निरंतर चिकित्सा शिक्षा (सीएमई) कार्यक्रम के हिस्से के रूप में चिकित्सा ज्ञान को अद्यतन बनाने के लिए, प्रत्येक पांच वर्ष में कम से कम 30 घंटों के लिए, पेशेवर बैइकों में हिस्सा लेना चाहिए। एमसीआई विविध चिकित्सा कॉलेज/संस्थानों में इन सीएमई कार्यक्रमों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। इस आवश्यकता के अनुपालन की जानकारी नियमित रूप से एमसीआई या राज्य चिकित्सा परिषद को देनी चाहिए। एमसीआई विनियम सांविधित यप से एमसीआई या राजय चिकित्सा परिषद को देनी चाहिए। एमसीआई विनियम सांविधिक है और एमसीआई में पंजीकृत सभी चिकित्सकों के लिए बाध्यकारी है।

(ख) से (ङ) इस संबंध में सूचना केन्द्रीय स्तर पर एकत्र नहीं की जाती है।

निवेश संबंधी स्वीकृतियां

1841. श्री प्रहलाद जोशी: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या निवेश संबंधी कैबिनेट समिति गठित की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सिस्टम में पर्यावरणीय विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त सुरक्षोपाय शामिल किए जा रहे हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा): (क) से (ग) जी, हां। मंत्रिमंडल ने 13 दिसंबर, 2012 को आयोजित बैठक में, अन्य बातों के साथ-साथ, परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु अनुमोदनों/स्वीकृतियों संबंधी निर्णय लेने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में निवेश संबंधी मंत्रिमंडल समिति के गइन का अनुमोदन कर दिया है। निवेश संबंधी मंत्रिमंडल समिति विभिन्न लाइसेंसों, अनुमतियों और अनुमोदनों की तवरित ओर समयबद्ध अनुमति प्रदान करना सुनिश्चित करते हुए प्रमुख परियोजनाओं की मानीअरिंग और समीक्षा करेगी। वन और पयावरण मंत्रालय के राजय मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) इस समिति में विशेष आमंत्रितों में से एक हैं।

दावोस शिखर सम्मेलन

1842. श्री संजय निरूपम: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) हाल में आयोजित दावोस शिखर सम्मेलन में हुई चर्चा और लिए गए निर्णयों का ब्यौरा क्या है;

(ख) शिखर सम्मेलन में लिए निर्णयों का देश में निवेश की आवक पर क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है; और

(ग) सरकार द्वारा इस पर क्या अनुवर्ती कार्रवाई की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा): (क) से (ग) विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक 23 से 27 जनवरी, 2013 तक दोवास, स्विटजरलैंड में आयोजित की गई। "समुत्थानशील गतिविशीलता" नामक व्यापक विषय-वस्तु पर हुई चर्चा में 100 से अधिक देशों से आए व्यापार, सरकार और नागरिक समाज के नेताओं ने हिस्सा लिया। यह बैठक निर्णय लेने का मंच नहीं है, लेकिन विश्व के सामने खड़े अति महत्वपूर्ण सामयिक मुद्दों पर चर्चा तथा अधिक विचार करने का एक मंच अवश्य है।

पेंशन फंड

1843. श्रीमती अन्नू टन्डन: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में पेंशन फंड जैसे विदेशी सरकारों की संप्रभु ऋण धनराशि और अन्य संस्थागत धनराशि का निवेश करने संबंधी प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा अवसंरचना क्षेत्र में विदेशी संस्थागत वित्तपोषण को सुकर बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा): (क) और (ख) दीर्घावधिक स्थिर विदेशी पूंजी अंतर्वाह आकर्षित करने और भारतीय ऋण प्रतिभूति बाजार में अनिवासी निवेशक आधार व्यापक करने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक के 25 जून, 2012 के ए.पी. (डीआईआर श्रृंखला) परिपत्र संख्या 135 और 24 जनवरी, 2013 के परिपत्र संख्या 80 के अनुसार सरकारी धन निधियों और सरकारी प्रतिभूतियों व कारपोरेट बाडों में ऋण सीमाओं के आवंअन हेतु पेंशन निधियों जैसे दीर्घावधिक निवेशकों को तरजीही व्यवहार प्रदान किया जाए।

(ग) सरकार अवसंरचना विकास हेतु विदेशी निधियों की उपलब्धता पर विशेष बल देते हुए भारत में अधिक विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए संगठित प्रयास कर रही है। अवसंरचना क्षेत्र में अधिक विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए है:

(i) दीर्घावधिक कारपोरेट बाडों में विदेशी निवेश की सीमा 5 बिलियन अमरीकी डालर से बढ़ाकर 25 बिलियन अमरीकी डालर की गई है।

(ii) दीर्घावधिक अवसंरचना बांडों में विदेशी निवेश हेतु 25 बिलियन अमरीकी डालर की योजना को, अनय बातों के साथ-साथि, अवशिष्ट परिपक्वता मानदंड कम करते हुए व लाक-इन अवधि की सीमा समाप्त करके धीरे-धीरे उदार बनाया गया है।

(iii) विदेशी संस्थागत निवेशकों को पुनर्निवेश की अनुमति देते हुए; ऋण की उपयोग करने की अवधि की सीमा कम करते हुए और दीर्घावधिक अवसंरचना बांडों के मामले में सेबी का अनुमोदन लिए बगैर 90 प्रतिशत तक की ऋण सीमाएं प्राप्त करने की अनुमति देते हुए विदेशी संस्तीगत निवेशकों के लिए ऋण सीमा आवंटन तंत्र युकितसंगत बनाया गया है।

(iv) अवसंरचना परियोजनाओं में दीर्घावधिक ऋण प्रवाह की गति बढ़ाने व इसमें वृद्धि व इसमें वृद्धि करने के लिए अवसंरचना ऋण निधियां (आईडीएफ) स्थापित की गई है आईडीएफ में विदेशी निधियां आकर्षित करने के लिए आईडीएफ द्वारा उधारों संबंधी बयाज अदायगियों पर विदहोल्डिंग टैक्स 20 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिश कर दिया गया है।

(v) इसके अतिरिक्त, विदेशी मुद्रा उधारों व दीर्घावधिक अवसंरचना बांडों के संबंध में ब्याज अदायगियों पर विदहोल्डिंग टैक्स की दर 20 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दी गयी है।

[हिन्दी]

गैर-सरकारी संगठनों की सेवाएं लेना

1844. श्री लालजी टन्डन: क्या **नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के उद्देश्य को पूरा करने के लिए गैर-सरकारी संगठनों तथा अन्य स्वयंसेवी संगठनों की सेवाएं लेने का है;

(ख) यदि हां, तो उत्तर प्रदेश सहित तत्संबंधी राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त प्रस्ताव के कब तक स्वीकृत किए जाने की संभावना है?

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री (डॉ. फारूख अब्दुल्ला): (क) से (ग) नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की विभिन्न स्कीमों जैसे बायोगैस और बायोमास आधारित विद्युत, विकेन्द्रीकृत सौर प्रणालियां, पनचक्कियां, प्रशिक्षण और प्रचार आदि में गैर-सरकारी संगठनों की भागीदारी की परिकल्पना है। ये संगठन पहले से ही समूचे देश में अक्षय ऊर्जा कार्यक्रमों का संवर्धन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे है। इसके अतिरिक्त, उत्तर प्रदेश सहित अधिकांश राज्य नोडल एजेंसियां अपने संबंधित राज्यों में अक्षय ऊर्जा कार्यक्रमों/स्कीमों के कार्यान्वयन में गैर-सरकारी संगठनों और स्वयंसेवी संगठनों की सेवाए लेते हैं।

[अनुवाद]

पर्यावरण पर खनन का प्रभाव

1845. श्रीमती ज्योति धुर्वे: क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश के पर्यावरण पर खनन के प्रभाव पर ध्यान दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा पर्यावरण पर खनन के हानिकारक प्रभाव के शमन के लिए पर्यावरणीय प्रबंधन क्षमता को विकसित करने में स्वीकृत अंतरराष्ट्रीय रीतियों को अपनाने और लागू करने हेतु क्या प्रयास किए गए हैं?

खान मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) और (ख) पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) अधिसूचना, 2006 के अनुसूची में उल्लिखित खनिजों की खनन परियोजनाओं के लिए पूर्व पर्यावरण स्वीकृति अपेक्षित है। खनन परियोजनाओं का मूल्यांकन, उक्त अधिसूचना के तहत गठित विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति द्वारा किया जाता है। परियोजना प्रस्तावकों के लिए विचारार्थ विषय निर्धारित हैं जो अन्य बातों के साथ-साथ पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन और प्रबंधन योजनाओं के विकास पर बल देते हैं जिन्हें खनन कार्य करते समय अपनाए जाने वाले न्यूनीकरण उपायों के संबंध में ध्यान में रखा जाता है। ईआईए अधिसूचना, 2006 में उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार सार्वजनिक-परामर्श किया जाता है जिसके द्वारा यथोचित परियोजना डिजाइन से संबंधित सभी सामग्री पर ध्यान देने के मद्देनजर उन स्थानीय व्यक्तियों और अन्यों की समस्याओं का पता लगाया जाता है जिनकी परियोजना के पर्यावरणीय प्रभाव अथवा गतिविधि में वास्तविक हिस्सेदारी है। पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन, पर्यावरण प्रबंधन योजना और सार्वजनिक परामर्श, पर्यावरणीय स्वीकृति तंत्र के महत्वपूर्ण अंग हैं।

इसके अतिरिक्त भारतीय खान ब्यूरो (आईबीएम), खान मंत्रालय के अधीनस्थ कार्यालय को खनिज संरक्षण और विकास नियम (एमसीडीआर) 1988 के प्रावधानों के कार्यान्वयन का कार्य सौंपा गया नेमी निरीक्षण के दौरान, इन नियमों के प्रावधानों की जांच की जाती है और कमी पाए जाने पर नियमों के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाती है। भारतीय खान ब्यूरो खनन योजना का अनुमोदन करता है जिसमें पर्यावरण प्रबंधन योजना एक अलग अध्याय के रूप में होता है। इसें पर्यावरण प्रस्तावों का उल्लेख रहता है। नेमी निरीक्षण के दोरान इन प्रस्तावों की भी जांच की जाती है और कमी पाए जाने पर नियमों अथवा दस्तावेज में संशोधन करके कार्रवाई की जाती है। एमसीडीआर 1988 के नियम 31 से 41 के कार्यान्वयन का वर्षवार ब्यौरा निम्नानुसार है

नियम सं.	वर्ष	इंगित कुल उल्लंघन	सुधारे गए कुल उल्लंघन	कुल कारण बताओ जारी	कुल सुधारे गए कारण	कुल उल्लंघन जिन पर मामले शुरू किए
31 से 41	2009-10	40	30	15	2	3
पर्यावरण	2011	79	32	29	24	0
	2011-12 (फरवरी, 2012 तक)	89	32	22	9	0
	कुल	286	133	88	46	5

(स्रोत: भारतीय खान ब्यूरो)

(ग) वर्ष 2003 के दौरान एमसीडीआर, 1988 के नियम 23 संशोधन करके क्षान समापन योजना की अवधारणा की शुरूआत की गई। ये खान समापन योजनाएं दो प्रकार की हैं, नामत: 91) प्रगतिशील खान समापन योजना जो तब लागू होता हे जब खनन गतिविधियां जारी रहती है और यह खनन योजना का एक अभिन्न हिस्सा है और (2) अंतिम खान समापन योजना-जैसाकि नाम से स्पष्ट होता है, यह खान के कार्यकाल के बाद लागू होता है। इन समापन योजनाओं की शुरूआत से पट्टाधारियों के लिए पर्यावरण की सुरक्षा के लिए आवश्यक उपाय करना अनिवार्य हो गया है।

राष्ट्रीय गैस ग्रिड

1846. श्री मनोहर तिरकी:
श्री नृपेन्द्र नाथ राय:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को विभिन्न राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों से गैस आधारित उद्योगों की भावी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय गैस ग्रिड की स्थापना हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) इस समय राष्ट्रीय गेस ग्रिड स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, देश भर में प्राकृतिक गैस का परिवहन करने के लिए, समस्त देश में राष्ट्र पारीय पाइपलाइन नेटवर्क बिछाया जा रहा है। इस समय हमारे पास पूर ेदश में लगभग 11500 किलोमीटर प्राकृतिक गैस पाइपलाइन है और दूसरा 12650 किलोमीअर पाइपलाइन की अवसंरचना कार्यान्वयन के विभिनन चरणों में है। सरकार ने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (पीएनजीआरबी) अधिनियम, 2006 के तहत विनियामक निकाय के रूप में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड भी स्थापित किया है ताकि देश में पाइपलाइन अवसंरचना की योजना बनाने, प्राधिकृत करने और विकास पर निगरानी रखी जा सके।

बंधक संपत्तियों की ई-नीलामी

1847. श्रीमती श्रुति चौधरी: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में संपूर्ण देश के सरकारी क्षेत्र के बैंकों से चूककर्त्ता लेनदारों से धनराशि वसूल करने के लिए बेचे जाने वाली संपत्तियों की ई-नीलामी करने के लिए कहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) देश में सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा उक्त निदेश के अनुपालन की बैंकवार क्या स्थिति है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा): (क) और (ख) सरकारी क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) के महाप्रबंधनों की 01 नवम्बर, 2012 को आयोजित की गई बैठक के दौरान पीएसबी को सुझाव दि गया था कि 'स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं पारदर्शी नीलामी के उद्देश्य से वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन (सरफासी) अधिनियम, 2002 के तहत अचल संपत्तियों की सभी नीलामियां ई-नीलामी के माध्यम से कराई जाएं।

(ग) सरकार द्वारा दिए गए अनुदेशों के अनुक्रम में पीएसबी ने पहले ही ई-नीलामी के लिए सेवा प्रदाता के संबंध में अंतिम निर्णय ले लिया है और कई बैंकों ने तो सरफासी अधिनियम के अंतर्गत अचल संपत्तियों की ई-नीलामी कराना भी शुरू कर दिया है।

पर्यटन अवसंरचना विकास कोष

1848. श्री निलेश नारायण राणे: क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने एशियाई विकास बैंक सहित प्रतिष्ठित वित्तीय संस्थाओं की सहायता से पर्यटन अवसंरचना विकास कोष स्थापित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या उद्देश्य हैं; और

(ग) इसके देश में पर्यटन/पर्यटन अवसंरचना के विकास में किस तरह की मदद मिलने की संभावना है?

पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (डॉ. के. चिरंजीवी): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विभिन्न राज्यों में विद्युत उत्सारण की समस्या

1849. श्री प्रताप सिंह बाजवा: क्या **नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राजस्थान, लद्दाख और तमिलनाडु सहित देश में नवीकरणीय ऊर्जा आधारित परियोजनाओं से उत्पादित विद्युत की उत्सारण की समस्या के समाधान के लिए कोई अनुवर्ती कार्रवाई की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से उत्पादित अतिरिक्त विद्युत को प्रत्यावर्तित करने के लिए पारेषण अवसंरचना के वित्तपोषण के मामलों को योजना आयोग के साथ उठाया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री (डॉ. फारूख अब्दुल्ला): (क) और (ख) जी हां। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के आबंटन के तहत भारतीय विद्युत ग्रिड निगम लिमिटेड (पीजीसीआईएल) ने आठ अक्षय संसाधन सम्पन्न राजयों नामत: आंध्र प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान,

तमिलनाडु और जम्मू और कश्मीर में भी 12वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान संभावित अक्षय विद्युत क्षमता संयोजन के लिए निकासी और पारेषण अवसंरचना के विकास हेतु एक रिपोर्ट तैयार की है।

रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि वर्ष 2017 तक 12वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान लगभग 42 जीडब्ल्यू (पवन से 30 जीडब्ल्यू सौर से 10 जीडब्ल्यू और लघु पनबिजली से 2 जीडब्ल्यू) अक्षय ऊर्जा क्षमता का संयोजन किया जाएगा। इसमें आगे अनुमान लगाया गया है कि इंट्रास्टेट और इंटर-स्टेट दोनों स्तर पर पारेषण प्रणाली को सुदृढ़ करने की लागत लगभग 43,000 करोड़ रुपए होगी।

(ग) और (घ) जी हां। योजना आयोग से 12वीं योजना अवधि के लिए अक्षय विद्युत निकासी अवसंरचना हेतु 7,000 करोड़ रु. का अतिरिक्त परिव्यय उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है।

बायो-गैस उत्पादन का केवीआईसी मॉडल

1850. श्रीमती दर्शना जरदोश: क्या **नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार एक बार पुन: नवीन और नवीकरणीय स्रोतों से और अधिक पर्यावरण हितैषी ऊर्जा का उत्पादन करने के लिए बायो-गैस उत्पादन के केवीआईसी मॉडल हेतु राजसहायता प्रदान करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा केवीआईसी मॉडल पर राजसहायता को पुन: बहाल करने संबंधी निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री (डॉ. फारूख अब्दुल्ला): (क) नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा केवीआईसी मॉडल सहित बायोगैस संयंत्रों की संस्थापना करने के लिए राष्ट्रीय बायोगैस एवं खाद प्रबंधन कार्यक्रम की योजना के मानदंडों के अनुसार सब्सिडी प्रदान करना जारी है। वर्ष 2012-13 के दौरान बायोगैस संयंत्रों के लिए दी जा रही केन्द्र सरकार की सब्सिडी का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

वर्ष 2012-13 के लिए पारिवारिक आकार के बायोगैस संयंत्रों के एमएनआरई अनुमोदित मॉडलों के लिए राष्ट्रीय बायोगैस एवं खाद प्रबंधन कार्यक्रम के तहत दी जा रही केन्द्रीय वित्तीय सहायता

क्र.सं.	क्षेत्र	पारिवारिक आकर के वायोगैस संयंत्रों के एमएनआरई अनुमोदित मॉडलों के लिए सब्सिडी की दर (प्रति संयंत्र रुपए में)			
		स्वच्छ ऊर्जा विकास कार्यतंत्र कार्यक्रम के अंतर्गत		सामान्य कार्यक्रम के अंतर्गत	
	वायोगैस संयंत्रों का आकार	1 घनमीटर	2-4 घनमीटर	1 घनमीटर	2-4 घनमीटर
1	2	3	4	5	6
1	पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्य एवं सिक्किम (असम के मैदानी क्षेत्रों को छोड़कर)	11,700	11,700	14,700	14,700
2.	असम के मैदानी क्षेत्र	9,000	9,000	9,000	10,000
3.	जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड, तमिलनाडु के नीलगिरी, दार्जिलिंग जिले के सदर कुर्सग और कलिंगपोंग सब-डिवीजन, सुंदरबन (पश्चिम बंगाल) और अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	3,500	4,500	4,000	10,000

1	2	3	4	5	6
4.	अन्य सभी क्षेत्र	2,100	2,700	4,000	8,000
अन्य सब्सिडी					
5.	शौचालय से जुड़े बायोगैस संयंत्रों हेतु अतिरिक्त सीएफए (प्रति संयंत्र रुपए में)	5,00	1,000		
6.	इंजनों/जेनसेटों और/अथवा बायोगैस आधारित रेफ्रिजरेटरों में बायोगैस का प्रयोग करके डीजल और अन्य पारंपरिक ईंधन की बचत हेतु प्रोत्साहन (रु. प्रति संयंत्र)	2,500	5,000		

[हिंदी]

रसोई गैस के सिलिन्डरों की सुपुर्दगी

1851. श्री भूपेन्द्र सिंह: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी क्षेत्र की तेल विपणन करने वाली विभिन्न कंपनियों के रसोई गैस के वितरकों द्वारा रसोई गैस के सिलेंडरों की सुदुर्गी में विलम्ब के दृष्टांतों पर सरकार ने ध्यान दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा रिफिल बुकिंग कराने के बाद 48 घंटों के अंदर रसोई गैस के सिलेंडरों की सुपुर्दगी सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज) नामत5 इंडियन आयल कार्पोरेशन लि. (आईओसीएल), भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि. (बीपीसीएल) और हिन्दुस्तान कार्पोरेशन लि. (एचपीसीएल) ने अपने एलपीजी वितरकों द्वारा एलपीजी सिलेंडरों की विलंब से सुपुर्दगी के मामले बताए हैं।

पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष में एलपीजी सिलेंडरों की विलंब से सुपुर्दगी के सिद्ध मामलों के कंपनीवार संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

एलपीजी सिलेंडरों की विलंब से सुपुर्दगी के सभी सिद्ध मामलों में विपणन अनुशासन दिशानिर्देशों (एमडीजी), 2001 के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की गई है।

(ग) बुकिंग किए जाने के 48 घंटों के भीतर एलपीजी आपूर्ति की सुपुर्दगी करने के उद्देश्य से ओएमसीज दैनिक आधार पर बल्क एलपीजी स्टाक पर निगरानी रख रही है ताकि आवश्यकता के अनुसार बाजार की मांग पूरी करने के लिए अबाधित भरण प्रचालन सुनिश्चित किया जा सके। इसके अलावा, उच्चतम मांग को पूरा करने के लिए आवश्यकता के आधार पर संयंत्रों को प्रचालन रविवार ओर अवकाश के दिनों तथा नियमित कार्यदिवसों को निधरित काग्र समय के बाद भी किया जाता है। ओएमसीज के क्षेत्र अधिकारी सभी वितरकों पर नियमित रूप से निगरानी रखते हैं और बढ़ी हुई मांग को पूरा करने के लिए यदि किसी वितरक को अतिरिक्त आपूर्ति की जानी अपेक्षित होती है तो यह आपूर्ति उसे जारी की जाती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बाजार में कोई बैकलाग न रहे।

विवरण

पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष में एलपीजी सिलेंडरों की विलंब से सुपुर्दगी के कंपनीवार सिद्ध मामले

2009-10			2010-11			2011-12			2012-13(दिसम्बर तक)		
आईओसी	बीपीसीएल	एचपीसीएल	आईओसी	बीपीसीएल	एचपीसीएल	आईओसी	बीपीसीएल	एचपीसीएल	आईओसी	बीपीसीएल	एचपीसीएल
51	2	9	62	1	6	36	8	12	47	4	10

[अनुवाद]

सोलर स्ट्रीट लाइट

1852. श्री दिलीप सिंह जूदेव: क्या **नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में विद्युत की कमी को देखते हुए बड़े शहरों में सार्वजनिक स्थानों पर सौर ऊर्जा आधारित स्ट्रीट लाइटें प्रदान करने और इस कार्य में स्थानीय सिविक निकायों तथा निजी निवेशकों को शामिल करने का है;

(ख) यदि हां, तो छत्तीसगढ़ सहित तत्संबंधी राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने उक्त प्रयोजनार्थ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को कोई अनुदान जारी किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है?

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री (डॉ. फारूख अब्दुल्ला): (क) और (ख) जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन की ऑफ-ग्रिड और विकेन्द्रीकृत सौर अनुप्रयोग स्कीम के तहत नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय छत्तीसगढ़ सहित देश में 81 रुपए प्रति डब्ल्यूपी, तक सीमित प्रणाली की लागत की 30% सब्सिडी उपलब्ध करा रहा है। विशेष श्रेणी के राजयों में केन्द्रीय और राज्य के मंत्रालयों, विभागों और उनके संगठनों, राज्य नोडल एजेंसियों और स्थानीय निकायों द्वारा संस्थापना हेतु 243 रुपए प्रति डब्ल्यूपी तक सीमित सौर सड़क रोशनी की लागत की 90% सब्सिडी उपलब्ध कराई जाती है।

(ग) और (घ) वर्ष 2012-13 के दौरान मंत्रालय ने हिमाचल प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में 86,199 सौर सड़कें रोशनियां मंजूर की हैं और वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान अब तक मणिपुर (1 करोड़ रु.) नागालैंड (1 करोड़ रु.) और उत्तर प्रदेश (3.70 करोड़ रुपए) के लिए 5.70 करोड़ रुपए जारी किए हैं।

तेल और गैस ब्लॉक

1853. श्री नृपेन्द्र नाथ राय:
श्री नरहरि महतो:
श्री ए. के. एस. विजयन:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान सरकार द्वारा नई अन्वेषण लाइसेंसिंग नीति के अंतर्गत चिन्हित तेल और गैस ब्लॉकों तथा आवंटित ब्लॉकों का कंपनी-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) जिन ब्लॉकों में पहले ही उत्पादन शुरू हो चुका है उनका और जहां उत्पादन शीघ्र शुरू होने की संभावना है, का ब्लॉक-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) आवंटिती कंपनियों तथा सरकार के बीच लाभ की भागीदारी संबंधी शर्तों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) कृष्णा-गोदावरी बेसिन से तेल और प्राकृतिक गैस की बिक्री से आवंटिती कंपनियों तथा सरकार के बीच बांटे जाने वाले लाभ का ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी): (क) पिछले तीन वर्षों (2009-10 से 2011-12) और चालू वर्ष (2012-13, जनवरी 2013 तक) नई अन्वेषण लाइसेंस नीति (एनईएलपी) के आठवें और नौवें दौर के तहत अन्वेषण ब्लाक प्रस्तावित और प्रदान किए गए हैं ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

एनईएलपी दौर	प्रस्तावित ब्लाक	प्रदान किए गए ब्लाक
एनईएलपी-VIII	70	32
एनईएलपी-IX	34	19

एनईएलपी-VIII और IX दौर के तहत कंपनीवार (प्रचालक वार) प्रदान किए गए ब्लाक निम्नानुसार है:

क्र.सं.	कंपनी (प्रचालक) का नाम	हस्ताक्षरित पीएससीज की संख्या		
		एनईएलपी-VIII	एनईएलपी-IX	
		2010-11	2011-12	2012-13
1.	आयल एंड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लि.	14	4	1
2.	आयल इंडिया लि.	2	2	1
3.	गेल (इंडिया) लि.	0	1	0
4.	भारत पेट्रोरिसोर्सेज लि.	0	0	1
5.	नेशनल थर्मल पावर कार्पोरेशन	1	0	0
6.	बंगाल एनर्जी इंटरनेशनल इंक, कनाडा	1	0	0
7.	बीएचपी बिलीटन पेट्रोलियम इंटरनेशनल एकसप्लोरेशन	3	0	0
8.	ब्रिटिश गैस एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडकशन (इंडिया लि. यूके)	1	0	1
9.	केयर्न एनर्जी इंडिया प्रा.लि., यूके	2	0	0
10.	एसवीजी स्टील (गुजरात) प्रा.लि.	3	0	0
11.	हरीशचंद्र (इंडिया) लि.	2	0	0
12.	जय पालीकेम (इंडिया) लि.	1	0	0
13.	जुबीलेंट आयल एंड गैस प्रा.लि.	2	0	0
14.	दीप एनर्जी एलएलसी, यूएसए	0	3	0
15.	फोकस एनर्जी लि.	0	1	0
16.	पेन इंडिया कंसलटेंट्स	0	1	0
17.	प्रतिभा आयल एंड नेचुरल गैस प्रा.लि.	0	1	0
18.	प्राइज पेट्रोलियम कंपनी लि.	0	0	1
19.	संकल्प आयल एंड नेचुरल रिसोर्सेस लि.	0	1	0
	कुल हस्ताक्षरित पीएससीज	32	14	5

(ख) एनईएलपी-VIII और IX दौरों के तहत प्रदान किए गए 51 अन्वेषण ब्लाक या तो अन्वेषण के प्रारंभिक चरणों में है या फिर उनमें अन्वेषण कार्यकलाप अभी शुरू किए जाने हैं। इन ब्लाकों में अभी तक कोई हाइड्रोकार्बन खोज नहीं की गई है अत: तेल/गैस का वाणिज्यिक उत्पादन नहीं हुआ है। तेल/गैस उत्पादन का भावी अनुमान इन ब्लाकों में वाणिज्यिक खोजें किए जाने के बाद ही लगाया जा सकता है।

(ग) और (घ) पीएससी व्यवस्था के तहत प्रदान किए गए ब्लाकों (कृष्णा गोदावरी बेसिन में प्रदान किए गए ब्लाकों सहित) में लाभ हिस्सेदारी पीएससीज के संबंधित प्रावधानों द्वारा अभिशासित होती है। इसके अलावा लाभ को बोली के समय संबंधित कंपनी द्वारा बोली के तहत हिस्सेदारी दरों के अनुसार संविदाकारों और भारत सरकार के बीच बांटा जाता है।

[हिंदी]

जनजातीय कला और संस्कृति को बढ़ावा देना

1854. कुमारी सरोज पाण्डेय:
श्री हमदुल्लाह सईद:

क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा जनजातीय कला और संस्कृति को बढ़ावा देने तथा जनजातीय कलाकारों को सहायता प्रदान करने के लिए कार्यान्वित योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रें तथा गैर-सरकारी संगठनों को ऐसी योजनाओं के अंतर्गत संघ राज्य क्षेत्र लक्षद्वीप सहित राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान ऐसी योजनाओं के अंतर्गत सम्मानित किए गए कलाकारों सहित योजना-वार और राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार कितने लाभार्थी हैं; और

(घ) सरकार द्वारा जनजातियों की कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए क्या उपाय किए गए हैं अथवा किए जाने का प्रस्ताव है?

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रानी नरह): (क) जनजातीय कार्य मंत्रालय एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना, अनुसंधान का संचालन करता है जिसके तहत जनजातीय अनुसंधान संस्थानों (टीआरआई) को सहायता अनुदान दी जाती है, इसके अंतर्गत इन संस्थानों द्वारा निष्पादित विभिन्न गतिविधियों के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को निधियां प्रदान की जाती हैं, जिसमें जनजातीय भाषाओं तथा कला एवं संस्कृति सहित जनजातीय जीवन के विभिन्न पहलुओं पर अनुसंधान का संचालन तथा जनजातीय कारीगरी को प्रदर्शित करने हेतु जनजातीय म्यूजियम स्थापित करना और जनजातीय संस्कृति मंत्रालय के संयोजन में जनजातीय कार्य मंत्रालय अपने सभी तरंगों एवं रंगों में जनजातीय संस्कृति ओर बपौती की संपूर्ण तस्वीर प्रदर्शित करने के लिए राष्ट्रीय जनजातीय त्यौहार भी आयोजित करता है। त्यौहार जनजातीय लोक नृत्य रूपों के माध्यम से समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की विलक्षण झलक प्रस्तुत करते हैं। जनजातीय कार्य मंत्रालय उनके वातावरण में जनजातीय त्यौहार आयोजित करने में राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को समर्थन भी प्रदान करता है। जनजातीय कारीगरों को वितीय सहायता प्रदान करने के लिए संस्कृति मंत्रालय की कोई विशिष्ट योजना नहीं है।

(ख) पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान जनजातीय अनुसंधान संस्थानों/जनजातीय उत्सव आयोजित करने के लिए राज्यों को जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा वित्तीय सहायता के योजना-वार तथा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) जनजातीय कार्य मंत्रालय की योजना में लाभार्थियों/कारीगरों को प्रत्यक्ष सहायता देने की परिकल्पना नहीं की गई है।

(घ) यह योजना जनजातीय कार्य मंत्रालय की एक चल रही योजना है जो जनजातीय कला तथा संस्कृति के संवर्धन के लिए है। साहित्य अकादमी, संस्कृति मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संगठन है। जनजातीय कला के संवर्धन एवं उत्थान के लिए अगरतल्ला में इसका एक अन्य नॉर्थ ईस्ट सेंटर फोर ओर लिटरेचर (एनईसीओ) है। इनिदरा गांधी राष्ट्रीय कला केन्द्र अन्य बातों के साथ-साथ जनजातीय कला एवं संस्कृति सहित समुदायों की जीवन शैली, मौखिक परंपराओं और लोक वार्ता के साथ-साथ जनजातीय कला एवं संस्कृति सहित समुदायों की जीवन शैली, मौखिक परंपराओं और लोक वार्ता तथा कला प्रक्रियाओं सहित संस्कृति के प्रासंगिक आयामों पर अनुसंधान एवं प्रलेखन पर विचार करता है। आंचलिक सांस्कृतिक केन्द्र अन्य बातों के साथ-साथ जनजातीय कलाओं को प्रोतसाहित करने के लिए विशेष प्रयास करता है। इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, भारत की संस्कृति को लोकप्रिय बनाने के लिए काय्रक्रम करता हैं जिसमें देश के अलग-अलग क्षेत्रों में रह रही जनजातियों की कला एवं संस्कृति के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए एक महत्वपूर्ण एवं एकीकृत हिस्सा है। भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण, भारत के लोगों के विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक एवं जैव वैज्ञानिक पहलुओं को कवर करते हुए मानव जातीय अनुसंधान करता है। देश में आठ आंचलिक संग्रहालय हैं, जो देश के अलग-अलग समुदायों से संबंधित कलाकृतियों को प्रदर्शित करते हैं, जिनमें से कई जनजातीय समुदायों एवं उनकी संस्कृति पर केन्द्रित हैं।

विवरण

विगत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान अनुसंधान, सूचना, मास शिक्षा, जनजातीय त्यौहारों तथा अन्य योजनाओं के तहत प्रदान की गई वित्तीय सहायता

उप-योजनाः अनुसंधान और प्रशिक्षणः जनजातीय अनुसंधान संस्थाओं को सहायता अनुदान (लाख रु. में)

क्र.सं.	राज्य/टी आरआई का नाम	2009-10 (निर्मुक्त)		2010-11 (निर्मुक्त)		2011-12 (निर्मुक्त)	2012-13 (1.03.13 तक निर्मुक्त)
		टीआरआई	अध्येतावृति	टीआरआई	अध्येतावृति	टीआरआई	अध्येतावृति
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	35.14	0.436	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	असम	17.00	0.436	32.69	0.00	40.84	27.56
3.	झारखंड	41.79	0.00	0.00	0.00	88.31	0.00
4.	गुजरात	95.83	0.00	39.91	0.00	15.00	0.00
5.	हिमाचल प्रदेश	16.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	कर्नाटक	0.00	0.00	0.00	0.00	8.50	0.16
7.	केरल	13.31	0.00	40.00	0.00	43.87	0.00
8.	मध्य प्रदेश	80.80	0.588	77.36	0.00	54.275	77.00
9.	महाराष्ट्र	74.34	0.436	30.67	0.00	0.00	0.00
10.	मणिपुर	57.50	0.00	49.00	0.00	55.50	68.64
11.	ओडिशा	50.31	0.00	64.83	0.00	50.34	115.31
12.	राजस्थान	23.00	0.00	15.82	0.00	0.00	0.00
13.	तमिलनाडु	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14.	त्रिपुरा	47.25	0.00	40.00	0.00	9.88	28.02
15.	उत्तर प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	पश्चिम बंगाल	36.50	0.315	0.00	0.436	0.00	0.00
17.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18.	छत्तीसगढ़	16.00	0.00	15.50	0.00	0.00	15.50
	कुल	605.34	2.211	405.78	0.436	366.515	332.19

उप-योजना: जनजातीय त्यौहारों का आयोजन (लाख रु. में)

क्र.सं.	राज्य	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13 (06.03.2013 तक)
1.	आंध्र प्रदेश	0.00	7.50	0.00	0.00
2.	असम	0.00	0.00	7.50	0.00
3.	बिहार	0.00	0.00	0.00	7.50
4.	झारखंड	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	छत्तीसगढ़	5.95	0.00	7.09	0.00
6.	गुजरात	0.00	7.50	7.50	0.00
7.	हिमाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	केरल	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	मध्य प्रदेश	6.00	0.00	7.50	0.00
10.	महाराष्ट्र	6.00	0.00	7.50	0.00
11.	मणिपुर	0.00	0.00	7.50	10.00
12.	ओडिशा	0.00	0.00	7.50	10.00
13.	राजस्थान	0.00	0.00	0.00	0.00
14.	तमिलनाडु	5.95	7.50	0.00	0.00
15.	त्रिपुरा	6.00	0.00	7.50	10.00
16.	पश्चिम बंगाल	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	उत्ताराखंड	7.50	0.00	0.00	0.00
	कुल	29.90	30.00	59.59	37.50

एफ.एस.डी.सी.

1855. श्री सैयद शाहनवाज हुसैन: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वित्तीय स्थायित्व और विकास परिषद गठित की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके सदस्य कौन-कौन हैं एवं परिषद के विचारार्थ विषय क्या हैं;

(ख) आज की तिथि तक संगठन द्वारा उपयोग की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(ग) अब तक संगठन ने क्या उपलब्धियां हासिल की हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा): (क) वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद (एफएसडीसी) का गठन भारत सरकार की दिनांक 30 दिसम्बर, 2010 की अधिसूचना द्वारा किया गया है। परिषद के अध्यक्ष भारत के वित्त मंत्री हैं तथा इसके सदस्य गवर्नर, भारतीय रिजर्व बैंक: वित्त सचिव और/अथवा सचिव, आर्थिक कार्य विभाग; मुख्य आर्थिक सलाहकार, वित्त मंत्रालय; अध्यक्ष, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड; अध्यक्ष, बीमा विनियामक तथा विकास प्राधिकरण और अध्यक्ष, पेंशन निधि विनियामक तथा विकास प्राधिकरण हैं।

यह परिषद, अन्य बातों के साथ-साथ, वित्तीय स्थिरता, वित्तीय क्षेत्र विकास, अंतर-विनियामक समन्वय, वित्तीय समावेशन और बड़े वित्तीय संघों की कार्यप्रणाली सहित अर्थव्यवस्था के वृहत स्तर पर विवेकपूर्ण पर्यवेक्षण से संबंधित मुद्दों पर कार्रवाई करती है।

(ख) परिषद को इसके कार्यकलाप के लिए अलग से कोई निधियां आवंटित नहीं की गई हैं।

(ग) एफएसडीसी ओर इसकी उप-समिति (भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर की अध्यक्षता में) ने अब तक कई बैठकें आयोजित की हैं, जिनमें, अन्य बातों के साथ-साथ, वित्तीय स्थिरता, अंतर-विनियामक समन्वय और वित्तीय क्षेत्र विकास के मामलों पर चर्चा की गई थी।

[अनुवाद]

डीजल के बढ़े हुए मूल्यों का प्रभाव

1856. श्री असादूद्दीन ओवेसी: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने परिवहन क्षेत्र पर डीजल के बढ़े हुए मूल्यों के प्रभाव का आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने ऐसे क्षेत्रों की पहचान की है जिनमें डीजल के उपयोग को कम किया जा सकता है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके अनुमानतः डीजल की कितनी बचत होने की संभावना है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं, अथवा उठाए जा रहे हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज) की अल्प वसूली को कम करने के उद्देश्य से सरकार ने ओएमसीज को इन बातों के लिए प्राधिकृत कर दिया है कि डीजल के खुदरा बिक्री मूल्य को 40 पैसे से 50 पैसे प्रति लीटर प्रति माह की रेंज में (विभिन्न राज्य/केन्द्र शासित प्रदेशों में यथा लागू वैट को छोड़कर) अगले आदेशों तक वृद्धि करना तथा (ख) ओएमसीज के संस्थापनों से सीधे थोक आपूर्तियां लेने वाले सभी उपभोक्ताओं को दिनांक 18.01.2013 से गैर राजसहायता प्राप्त बाजार निर्धारित मूल्यों पर डीजल की बिक्री करना।

सरकार को गैर राजसहायता प्राप्त बाजार निर्धारित मूल्य पर डीजल की खरीद पर एसटीयूज के समक्ष आ रही कठिनाइयों को रेखांकित करते हुए विभिन्न राज्य सरकारों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। एसटीयूज को उपयुक्त राहत प्रदान करना राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में है।

सरकार द्वारा मूल्य निर्धारित व्यवस्था में किए गए सुधार के पीछे मुख्य उद्देश्य वित्तीय समेकन के लिए बढ़ती हुई अनिवार्यता है, पेट्रोलियम उत्पादों पर राजसहायता के भार को कम करने की आवश्यकता है ताकि आम आदमी के लिए सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं को और अधिक निधि का आबंटन किया जा सके तथा लम्बे समय तक देश की ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके।

(ग) और (घ) जी, हां। पेट्रोलियम संरक्षण एवं अनुसंधान संगठन (पीसीआरए) के अनुसार, 1998 में सरकार द्वारा गठित कार्यसमूह ने चिन्हित किया था कि योजनाओं को और कृषि क्षेत्र में विशेष रूप से ट्रकों और ट्रैक्टरों के लिए ड्राइविंग ओर अनुरक्षण संबंधी आदतों को अपनाकर डीजल के उपयोग को 15% तक घटाया जा सकता है।

(ङ) ट्रकों और ट्रैक्टरों और मालिकों के बीच अच्छी ड्राइविंग तथा अनुरक्षण संबंधी अच्छी आदतों के संबंध में जागरूकता लाने के लिए सरकार द्वारा पीसीआरए के माध्यम से मीडिया अभियान (टेलीविजन, पत्र-पत्रिकाओं तथा रेडियो) चलाए जा रहे हैं।

नाबार्ड की पनधारा परियोजनाएं

1857. श्री एम॰ कृष्णास्वामी: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की सहायता से देश में पनधारा कार्यक्रम कार्यान्वित किया है; और

(ख) यदि हां, तो ग्यारहवीं और बारहवीं पंचवर्षीय योजना के लिए तत्संबंधी राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा): (क) और (ख) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) दक्षिण बिहार में वाटरशेड विकास निधि के तहत, समेकित वाटरशेड विका कार्यक्रम (आईडब्ल्यूडीपी) कार्यान्वित कर रहा है। वाटरशेड विकास कार्यक्रम और केएफडब्ल्यू, जर्मनी की वित्तीय सहायता से महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गुजरात और राजस्थान में इण्डो-जर्मन वाटरशेड विकास कार्यक्रम (आईजीडब्ल्यूडीपी) कार्यान्वित कर रहा है। ब्यौरा संलगन विवरण में दिया गया है।

इसके अलावा, 31 अभिनिर्धारित ऋण भारग्रस्त जिलों में किसानों की समस्या को कम करने के लिए 'संकटग्रस्त जिलों के लिए प्रधानमंत्री पुनर्वास पैकेज' के अंतर्गत 2006-07 से वाटरशेड कार्यक्रम कार्यान्वित किया जा रहा है। कार्यान्वयन के अंतर्गत योजना का विवरण निम्नानुसार है:

राज्य	जिलों की संख्या	वास्तविक लक्ष्य (हैक्टयर में)	वास्तविक प्रगति (हैक्टेयर में)	कुल जारी राशि
आंध्र प्रदेश	16	480000	483332	226.87
कर्नाटक	6	180000	186528	97.71
केरल	3	90000	92077	82.10
महाराष्ट्र	6	180000	181572	112.29
कुल	31	930000	943509	518.97

विवरण

1. संकटरहित जिलों में नाबार्ड की वाटरशेड विकास निधि के अंतर्गत प्रगति (31 जनवरी, 2013 की स्थिति के अनुसार), अनुदान परियोजना (क) अनुदान परियोजना

(रुपए लाख में)

राज्य का नाम	क्षमता निर्माण चरण में परियोजनाओं संख्या की	एफएसआर चरण में कार्यान्वयन की संख्या	पूर्ण कार्यान्वयन के चरण में परियोजनाओं की संख्या	बंद परियोजनाओं की संख्या	पूर्ण परियोजनाओं की संख्या	कुल परियोजनाओं की संख्या	नाबार्ड द्वारा प्रतिबद्ध अनुदान	नाबार्ड द्वारा जारी अनुदान
गुजरात	6	0	6	5	3	20	751	499
कर्नाटक	4	1	33	2	4	44	3306	2146
राजस्थान	0	0	10	0	3	13	728	532
तमिलनाडु	0	3	12	1	3	19	843	558
उत्तर प्रदेश	0	2	7	0	2	11	566	349
पश्चिम बंगाल	0	0	18	18	2	38	888	406
छत्तीसगढ़	19	16	17	1	0	53	1806	1538
झारखंड	2	7	7	0	2	18	796	706
ओडिशा	26	14	18	4	0	62	2610	997
हिमाचल प्रदेश	5	4	1	0	0	10	132	106
महाराष्ट्र	0	0	22	1	0	23	3683	1359
मध्य प्रदेश	13	1	1	0	0	15	184	46
हरियाणा	0	0	0	1	0	1	0	0
उत्तराखंड	7	2	1	0	0	10	170	114
आंध्र प्रदेश	0	0	0	0	2	2	113	113
कुल	82	50	153	33	21	339	16576	9469

(ख) ऋण परियोजनाएं 31 जनवरी, 2013 की स्थिति के अनुसार

(रुपए लाख में)

राज्य का नाम	क्षमता निर्माण चरण में परियोजनाओं संख्या की	एफएसआर चरण में कार्यान्वयन की संख्या	पूर्ण कार्यान्वयन के चरण में परियोजनाओं की संख्या	बंद परियोजनाओं की संख्या	पूर्ण परियोजनाओं की संख्या	कुल परियोजनाओं की संख्या	नाबार्ड द्वारा स्वीकृत ऋण/अनुदान	सीबीपी/एफएसआर के लिए संवितरित अनुदान और एफआईपी का 50%	नाबाई द्वारा निर्गत ऋण सहायता
गुजरात	4	3	6	4	0	17	394	108	4
कर्नाटक	0	0	7	0	34	41	2052	281	2004
तमिलनाडु	16	27	96	5	10	154	8131	2045	1633
उत्तर प्रदेश	13	36	6	0	0	55	555	276	0
पश्चिम बंगाल	0	0	0	0	0	0	0	0	203
कुल	33	66	115	9	44	267	11132	2710	3844

(एफएसआर-व्यवहाग्रता अध्ययन रिपोर्ट)

2. महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश, गुजरात और राजस्थान में केएफडब्ल्यू, जर्मनी द्वारा वित्तीय समर्थन प्राप्त इण्डो-जर्मन वाटरशेड विकास योजना (आईजीडब्ल्यूडीपी) 31 जनवरी, 2013 की स्थिति के अनुसार प्रगति नीचे दी गई है।

(रुपए करोड़ में)

परियोजना का नाम	परियोजनाओं की संख्या	परियोजना का मूल्य	संचयी संवितरण
आईजीडब्ल्यूडी-महाराष्ट्र	113	134	118.84
आईजीडब्ल्यूडीपी-आंध्र प्रदेश	36	71	44.66
आईजीडब्ल्यूडीपी-गुजरात	33	62	19.20
आईजीडब्ल्यूडीपी-राजस्थान	32	74	19.04
कुल	214	341	201.74

3. एकीकृत वाटरशेड विकास योजना (आईडब्ल्यूडीपी) दक्षिण बिहार

राज्य का नाम	परियोजनाओं की संख्या	पूर्ण कार्यान्वयन के चरण में परियोजनाओं की संख्या	क्षमता निर्माण चरण में समय-पूर्व बंद परियोजनाओं की संख्या	कुल परिव्यय	31.03.2013 के अनुसार स्वीकृत राशि संचयी
दक्षिण बिहार	79	77	2	60 करोड रुपए	54.66 करोड़ रुपए

खाद्य तेल संबंधी आयात शुल्क

1858. श्री एम. बी. राजेश: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान खाद्य तेल संबंधी आयात शुल्क में कोई कमी की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिकम): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) को देखते हुए ये प्रश्न नहीं उठते हैं।

आयकर अधिकारियों की मांगें

1859. श्री ए. साई प्रताप: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आयकर अधिकारी सरकार पर अपनी लम्बे समय से लम्बित मांगों का निपटान करने का दबाव डाल रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसका कर संग्रहण पर क्या प्रभाव पड़ा है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) सरकार द्वारा जल्दी से जल्दी इस मुद्दे का समाधान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. एस. पलानीमनिकम): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) आयकर अधिकारी अपनी सेवा शर्तों जैसे पदोन्नति, नियमितीकरण, वेतनमानों में वृद्धि, वरिष्ठता आदि में सुधार तथा लेपटॉप/डाटा कार्ड के प्रावधान जैसी अन्य अवसंरचनात्मक सुविधाओं के लिए दबाव डाल रहे हैं। इस संदर्भ में अधिकारियों की एसोसिएशन ने अपने सदस्यों को सर्वेक्षण तथा तलाशी जैसे कार्य करने से दूर रखा और यहां तक की बकायों की वसूली में असहयोग किया। इसका कर संग्रहण पर प्रभाव पड़ा है। आयकर अधिकारियों की मांगें विभिन्न चरणों में सरकार के विचाराधीन है।

सरकारी क्षेत्र की तेल कंपनियों का लाभ

1860. श्री पी. के. बिजू: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान सरकारी क्षेत्र के विभिन्न तेल निगमों के कारोबार का प्रतिशत दर्शाते हुए उनके सकल तथा निवल लाभ का कंपनी-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान आरक्षित कोष में अंतरित किए गए लाभ को दर्शाते हुए वास्तविक तथा प्रतिशत के संदर्भ में दोनों में शेयरधारकों को कंपनी-वार तथा वर्ष-वार कितना लाभांश वितरित किया गया है; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान विभिन्न पीएसयू का निगम-वार तथा कंपनी-वार कुल आरक्षित कोष कितना है और धनराशि का विपथन, यदि कोई हो तो, कितना है एवं इसके क्या उद्देश्य हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी): (क) पिछले तीन वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र की छह प्रमुख तेल कंपनियों द्वारा बताए गए कुल तथा निवल लाभों का कंपनी वार ब्यौरा नीचे दिया गया है जिसमें उनके प्रतिशत कारोबार का ब्यौरा भी दिया गया है:

वर्ष	कारोबार (करोड़ रुपए)	सकल लाभ	कारोबार का प्रतिशत सकल लाभ%	निवल लाभ (करोपरांत लाभ) (करोड़ रुपए)	कारोबार का प्रतिशत निवल लाभ
(i) ओएनजीसी:					
04/12-12/12	61,386	25,691	41.85	17,537	28.57
2011-12	76,887	36,643	47.66	25,123	32.68
2010-11	68,649	27.616	40.23	18.924	27.57
2009-10	61,983	24,984	40.31	16,768	27.05

(ii) **ओआईएल:**

वर्ष	कारोबार (करोड़ रुपए)	सकल लाभ	कारोबार का प्रतिशत सकल लाभ%	निवल लाभ (करोपरांत लाभ) (करोड़ रुपए)	कारोबार का प्रतिशत निवल लाभ
04/12-12/12	7,475.82	4,179.27	55.90	2,82479	37.79
2011-12	9.863.23	5,10186	51.72	3.446.92	34.95
2010-11	8.303.38	4,313.20	51.94	2.887.73	34.78
2009-10	7,905.55	3,895.09	49.27	2,610.52	33.02

(iii) **आईओसीएल:**

वर्ष	कारोबार (करोड़ रुपए)	सकल लाभ	कारोबार का प्रतिशत सकल लाभ%	निवल लाभ (करोपरांत लाभ) (करोड़ रुपए)	कारोबार का प्रतिशत निवल लाभ
04/12-12/12	3,04,302	(592)हानि	019हानि	(9,508)हानि	3.12हानि
2011-12	3,73.926	21,600	5.78	3955	1.06
2010-11	3,03695	16.339	5.38	7.445	2.45
2009-10	2,50.065	18.872	755	10,221	4.09

(iv) **एचपीसीएल:**

वर्ष	कारोबार (करोड़ रुपए)	सकल लाभ	कारोबार का प्रतिशत सकल लाभ%	निवल लाभ (करोपरांत लाभ) (करोड़ रुपए)	कारोबार का प्रतिशत निवल लाभ
04/12-12/12	151.798.41	(3.779.04)हानि	2.49हानि	(6.774.60)हानि	4.46हानि
2011-12	188.130.95	5.07141	2.70	911.43	0.48
2010-11	142.39649	4.637.09	3.26	1,539.01	108
2009-10	114,888.63	4,19318	3.65	1.301.37	1.13

(v) **बीपीसीएल:**

वर्ष	कारोबार (करोड़ रुपए)	सकल लाभ	कारोबार का प्रतिशत सकल लाभ%	निवल लाभ (करोपरांत लाभ) (करोड़ रुपए)	कारोबार का प्रतिशत निवल लाभ
04/12-12/12	1.81,544 06	697.75	0.38	(2,154.39)हानि	1.19हानि
2011-12	2,22.393.72	5.568.63	2.50	1.311.27	0 59
2010-11	1,63,218.21	5,167.32	3.17	1.546.68	0.95
2009-10	1.31.499.72	4,619.32	3.51	1537.62	1.17

(vi) गेलः

वर्ष	कारोबार (करोड़ रुपए)	सकल लाभ	कारोबार का प्रतिशत सकल लाभ%	निवल लाभ (करोपरांत लाभ) (करोड़ रुपए)	कारोबार का प्रतिशत निवल लाभ
04/12-12/12	34,924	5,057	14	3,404	10
2011-12	40,281	5,456	14	3,654	9
2010-11	32,459	5.323	16	3,561	11
2009-10	24,996	4,648	19	3,140	13

(ख) पिछले तीन वर्षों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

(i) ओएनजीसीः

वर्ष	लाभांश की राशि (करोड़ रुपए)	लाभांश का प्रतिशत	संचयों में अंतरित लाभ (करोड़ रुपए)
2012-13 (31.12.12)	5990	140	112,565
2011-12	7,273	170	15.453
2010-11	10,052	470	10,222
2009-10	6,844	320	8,548

(ii) ओआईएलः

वर्ष	लाभांश की राशि (करोड़ रुपए)	लाभांश का प्रतिशत	संचयों में अंतरित लाभ (करोड़ रुपए)
2012-13 (31.12.12 तक)	इस अवधि के दौरान ओआईएल में कोई लाभांश घोषित नहीं किया है	-	नीति के अनुसार संचय में लाभांश का अंतरण केवल वर्ष के अंत में किया जाता है।
2011-12	1,142.15	475	2,119.47
2010-11	901.70	375	1,838.08
2009-10	817.54	340	1,655.52

(iii) आईओसीएलः

वर्ष	लाभांश की राशि (करोड़ रुपए)	लाभांश का प्रतिशत	संचयों में अंतरित लाभ (करोड़ रुपए)
2012-13 (31.12.12 तक)	1,213.98	50	-
2011-12	2.306.55	95	2,547
2010-11	3.156.34	130	4,779
2009-10	910.48	75	6.556

(iv) एचपीसीएल:

वर्ष	लाभांश की राशि (करोड़ रुपए)	लाभांश का प्रतिशत	संचयों में अंतरित लाभ (करोड़ रुपए)
2012-13 (31.12.12 तक)	287.83	85	-
2011-12	474.08	140	267.29
2010-11	406.35	120	330.05
2009-10	177.78	52.5	216.54

(v) बीपीसीएल:

वर्ष	लाभांश की राशि (करोड़ रुपए)	लाभांश का प्रतिशत	संचयों में अंतरित लाभ (करोड़ रुपए)
2012-13 (31.12.12 तक)	-	-	-
2011-12	397.70	110	856.41
2010-11	506.16	140	650.50
2009-10	506.16	140	154.00

(vi) गेल:

वर्ष	लाभांश की राशि (करोड़ रुपए)	लाभांश का प्रतिशत	संचयों में अंतरित लाभ (करोड़ रुपए)
2012-13 (31.12.12 तक)	-	-	3404
2011-12	1104	30	2,37
2010-11	951	27	2,454
2009-10	951	30	2,029

(ग) ब्यौरा निम्नानुसार हैं

कंपनी	वर्ष							
	4/12-12/12		2011-12		2010-11		2009-10	
नाम	कुल संचय (करोड़ रु.)	विपथन (करोड़ रु.)	कुल संचय (करोड़ रु.)	विपथन (करोड़ रु.)	कुल संचय (करोड़ रु.)	विपथन (करोड़ रु.)	कुल संचय (करोड़ रु.)	विपथन (करोड़ रु.)
ओएनजीसी	1,21.225	-	1,08.660	-	93,207	2,122	84,857	-
ओआईएल	-	-	17721.34	-	15,601.87.	-	13,763.79	-
आईओसीएल	45.944	-	55,449	-	52,904	-	48,125	-
.एचपीसीएल	12.783 51	-	12,206.80	-	11,218.96	-	-	-
बीपीसीएल	1203669	-	14,552.32.	-	13,696.08	-	12.725.17	-
गेल	23,759.93	-	20.356.00	-	17984.86	-	15,530.52	-

*वर्ष 2010-11 में की गई कटौती जारी किए गए बोनस शेयर से संबंधित है

[हिंदी]

शिक्षा ऋण के लिए पृथक शाखाएं

1861. श्री अर्जुन राम मेघवाल: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का औद्योगिक बैंक शाखाओं की तरह शिक्षा ऋण प्रदान करने के लिए पृथक शाखाओं की स्थापना किए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा): (क) से (ग) वर्तमान में आदर्श शैक्षिक ऋण योजना के अनुसार भारतीय बैंक संघ (आईबीए) के सदस्य बैंक अपनी बैंक शाखाओं के माध्यम से शिक्षा ऋण उपलब्ध कराते हैं। शैक्षिक ऋण प्रदान करने के लिए पृथक बैंक शाखाएं स्थापित करने का सरकार के पास कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

सीमा-पार लेन-देन में कर चोरी

1862. श्री कालीकेश नारायण सिंह देव: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को सीमा-पार लेन-देन में कर चोरी के बारे में जानकारी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ख) कर चोरी और इस प्रकार की समस्याओं को रोकने के लिए वर्तमान में कौन सी पद्धतियां अपनायी जा रही हैं; और

(ग) क्या सरकार सीमा-पार लेनदेन में कर चोरी का पता लगाने के लिए कर प्राधिकारियों की सहायता करने के लिए कोई प्रयास कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिकम): (क) आयकर विभाग कंपनियों के समामेलन अथवा अधिग्रहण सहित सीमा पार लेनदेन के सभी मामलों की जांच करने की निरंतर प्रक्रिया में है और जहां अपेक्षित हो, कानून के उपबंधों के अनुसार समुचित कार्रवाई की जाती है।

(ख) आयकर अधिनियम, 1961 में पूंजीगत अभिलाभ, रायल्टी, तकनीकी सेवाओं के लिए फीस, ब्याज तथा व्यापारिक आय सहित सीमा पार लेनदेन से होने वाली सभी तरह की आय पर कर लगाने के लिए पर्याप्त उपबंध एवं सुरक्षोपाय निहित हैं। संबद्ध उपक्रमों वाले अन्तरराष्ट्रीय लेनदेन अन्तरण मूल्य विनियमों के अध्यधीन हैं। ऐसे लेनदेनों की अन्तरण मूल्य अधिकारियों द्वारा जांच की जाती है। स्रोत पर कर रोकने की अपेक्षा वाले सीमापार लेनदेन भी आयकर अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत स्रोत पर कर कटौती से संबंधित उपबंधों के अध्यधीन हैं जिनकी नियमित आधार पर मानीटरिंग की जा रही है।

(ग) सरकार ने बहु सूत्रीय रणनीति के अन्तर्गत इस दिशा में विभिन्न उपाय किये हैं जिनमें समुचित विधायिका ढांचे का सृजन, अवैध निधियों पर कार्रवाई करने के लिए संस्थानों की स्थापना; क्रियान्वयन के लिए प्रणालियों का विकास; प्रभावी कार्रवाई के लिए कर्मचारियों को दक्षता करना तथा काले धन के विरुद्ध वैश्विक जिहाद में शामिल होना सम्मिलित हैं। इस संबंध में वित्त अधिनियम, 2012, द्वारा विभिन्न वैधानिक उपाय भी किये गये हैं जिनमें देश से बाहर धारित परिसंपत्तियों (बैंक खातों सहित) पर कर लगाने के लिए 16 वर्ष तक के निर्धारणों को पुनः खोलना; तलाशी मामलों के बारे में अर्थदण्ड उपबंधों को सुदृढ बनाना; कुछ और असुरक्षित मदों/क्षेत्रों को शामिल करने के लिए स्रोत पर कर संग्रहण (टीसीएस) के क्षेत्र में विस्तार करना शामिल है।

इसके आलावा, भारत सूचना के आदान-प्रदान के अन्तरराष्ट्रीय मानकों पर अनुच्छेद लाने के लिए दूसरे देशों के साथ अपने दोहरे कराधान के परिहार संबंधी करारों (डीटीएस) पर पुनः बातचीत कर रहा है और बहुत से दूरे देशों के साथ नये डीटीएए पर हस्ताक्षर करके अपने प्रयासों में और अनेक क्षेत्राधिकारों के साथ कर सूचना के आदान-प्रदान संबंधी करार (टीआईईए) करके अपने संधि नेटवर्क का विस्तार भी कर रहा है ताकि सूचना के आदान संबंधी करार (टीआईईए) करके अपने संधि नेटवर्क का विस्तार भी कर रहा है ताकि सूचना के आदान प्रदान को सरल बनाया जा सके और इसमें कर पारदर्शित लाई जा सके। यह वर्ष 2012 में कर मामलों में परस्पर प्रशासनिक सहायता संबंधी बहुपक्षीय सम्मेलन का सदस्य भी बन गया है।

राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजना

1863. श्री निशिकांत दुबे: क्या **पंचायती राज मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आंध्र प्रदेश, झारखंड और कर्नाटक सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ग्राम पंचायतों की कुल संख्या कितनी है और उनमें से कितनी ग्राम पंचायतों के पास पंचायत घर हैं;

(ख) राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजना (आरजीएसवाई) के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार कितने पंचायत घरों का निर्माण किया गया है;

(ग) क्या केंद्र सरकार ने इस उद्देश्य के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उक्त योजना से पृथक कोई वित्तीय सहायता प्रदान की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जनजातीय कार्य मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री वी. किशोर चन्द्र देव): (क) ग्राम पंचायातों की कुल संख्या एवं ग्राम पंचायत घर सहित ग्राम पंचायतों की संख्या का आंध्र प्रदेश, झारखंड एवं कर्नाटक सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजना (आरजीएसवाई) के अंतर्गत निर्मित पंचायत घरों की संख्या का राज्य/संघ-राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ग) और (घ) पंचायती राज मंत्रालय (एमओपीआर) पंचायतों के लिए घरों के निर्माण सहित स्थानीय स्तर पर अनुभूत आवश्यकताओं के आधार पर कार्यों को निष्पादित करने हेतु आरजीएसवाई के अतिरिक्त पिछड़ा क्षेत्र उपलब्ध कराता है। ग्रामीण विकास मंत्रालय (एमओआरडी) भी भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्रों (बीएनआरजीएसकेज) के निर्माण हेतु महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम (एमजीएनआरईजीस) के अंतर्गत निधियां उपलब्ध कराता है एवं 6092 बीएनआरजीएकेज का निर्माण उस स्कीम के तहत किया जा चुका है।

विवरण I

ग्राम पंचायतों की कुल संख्या एवं पंचायत घर सहित ग्राम पंचायत की संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	ग्राम पंचायतों की संख्या	पंचायत घर सहित ग्राम पंचायतों की संख्या
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	21808	16645
2	अरुणाचल प्रदेश	1779	1646
3	असम	2196	1624
4.	बिहार	8463	5328
5	छत्तीसगढ़	9734	9734
6.	गोवा	189	177
7.	गुजरात	13735	13682
8.	हरियाणा	6155	2658
9	हिमाचल प्रदेश	3243	1142
10	जम्मू और कश्मीर	4128	2143
11	झारखंड	4423	2007
12	कर्नाटक	5628	5396
13	केरल	979	979
14	मध्य प्रदेश	23012	19378
15	महाराष्ट्र	27920	22737

1	2	3	4
16.	मणिपुर	165	165
17.	ओडिशा	6234	5887
18.	पंजाब	12800	5895
19.	राजस्थान	9166	9101
20.	सिक्किम	165	165
21.	तमिलनाडु	12618	12618
22.	त्रिपुरा	1038	999
23.	उत्तर प्रदेश	51914	29146
24.	उत्तराखंड	7555	7227
25.	पश्चिम बंगाल	3351	3336
26.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	69	67
27.	चंडीगढ़	17	17
28.	दादरा और नगर हवेली	11	11
29.	दमन और दीव	14	14
30.	लक्षद्वीप	10	10
31.	पुदुचेरी	98	98
	कुल	238617	80032

विवरण II

राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजना स्कीम के अंतर्गत आरंभ से अब तक ग्राम पंचायत स्तर पर अनुमोदित पंचायत घर/संसाधन केन्द्र

(दिनांक 04.03.2013 की स्थिति के अनुसार)

क्र.सं.	राज्य	अनुमोदित अवसंरचना	इकाइयों की संख्या	अनुमोदन वर्ष
1	2	3	4	5
1.	बिहार	ग्राम पंचायत घर	95	
2.	गुजरात	ग्राम पंचायत घर	240	
3.	हिमाचल प्रदेश	ग्राम पंचायत घर	120	2006-07
4.	राजस्थान	ग्राम पंचायत घर	180	
5.	पश्चिम बंगाल	ग्राम पंचायत घर	5	

1	2	3	4	5
6.	असम	ग्राम पंचायत घर	770	
7.	हिमाचल प्रदेश	ग्राम पंचायत घर	120	2008-08
8.	ओडिशा	ग्राम पंचायत घर	350	
9.	मणिपुर	ग्राम पंचायत घर	82	
10.	हिमाचल प्रदेश	ग्राम पंचायत संसाधन केन्द्र	150	2008-09
11.	हिमाचल प्रदेश	ग्राम पंचायत संसाधन केन्द्र	150	
12.	मणिपुर	ग्राम पंचायत घर	82	2009-10
13.	राजस्थान	ग्राम पंचायत घर	180	
14.	कर्नाटक	ग्राम पंचायत घर	40	
15.	छत्तीसगढ़	ग्राम पंचायत घर	580	2010-11
16.	कर्नाटक	ग्राम पंचायत घर	260	
17.	असम	ग्राम पंचायत घर	50	2011-12
18.	हरियाणा	ग्राम पंचायत घर	6	
19.	कर्नाटक	ग्राम पंचायत घर	40	
20.	ओडिशा	ग्राम पंचायत घर	72	
21.	छत्तीसगढ़	ग्राम पंचायत घर	390	
22.	राजस्थान	ग्राम पंचायत घर	79	
23.	पंजाब	ग्राम पंचायत घर	116	
24.	उत्तर प्रदेश	ग्राम पंचायत घर	81	
25.	कर्नाटक	ग्राम पंचायत घर	101	2012-13
26.	राजस्थान	ग्राम पंचायत घर	102	
27.	हरियाणा	ग्राम पंचायत घर	107	
28.	महाराष्ट्र	ग्राम पंचायत घर	142	
	कुल		4690	

एन.बी.एफ.सी. की नयी श्रेणी

1864. **श्री नलिन कुमार कटीलः** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या भारतीय रिज़र्व बैंक ने गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) की एक नई श्रेणी शुरू की है/किए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और एनबीएफसी के श्रेणीकरण/वर्गीकरण के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा क्या मानदंड अपनाया जा रहा है;

(ग) क्या भारतीय रिज़र्व बैंक ने हाल में कंपनियों के एनबीएफसी के रूप में पंजीकरण करने के लिए दिशानिर्देशों में संशोधन किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इसके परिणामस्वरूप सामान्य लोगों को क्या लाभ प्राप्त होने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा): (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का वर्गीकरण उनके द्वारा वहन किए जा रहे उत्तरदायित्वों के स्वरूप, उनके द्वारा किए जा रहे कार्यकलापों के प्रकार तथा उनमें समविष्ट प्रणालीगत महत्व के आधार पर किया है। कार्यकलापों के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक ने एनबीएफसी को आठ श्रेणियों अर्थात ऋण कपनियां (एलसी) निवेश कंपनियां (आईसी) परिसंपत्ति वित्त कंपनियां (एएफसी); अवसंरचना वित्त कंपनियां (आईएफसी); व्यवस्थित महत्वपूर्ण कोर निवेश कंपनियां (सीआईसी-एनडी-एसआई); अवसंरचना ऋण निधि-गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (आईडीएफ-एनबीएफसी); गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी-सूक्ष्म वित्त संस्था (एनबीएफसीएमएफाई); तथा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी-घटक (एनबीएफसी-फैक्टर) में वर्गीकृत किया है। अंतिम तीन श्रेणियों अर्थात आईडीएफ-एनबीएफसी; एनबीएफसी-एमएफआई; एनबीएफसी-फैक्टर को दिनांक 21.11.2011 के पश्चात हाल ही में आरम्भ किया गया है।

(ग) और (घ) भारतीय रिजर्व बैंक ने 03 अगस्त, 2012 को एनबीएफसी-एमएफआई संबंधी पंजीकरण और विनियामकीय ढांचे के संबंध में जारी पूर्व के दिशानिर्देशों को हाल ही में संशोधित किया है। इसका उद्देश्य आंध्र प्रदेश में एमएफआई के सामने आ रही समस्याओं को हल करना था ताकि वे पंजीकरण के लिए आवेदन कर सकें। संशोधित विनियमों में एनबीएफसी अर्थात एनबीएफसी-एमएफाआई के लिए पृथक श्रेणी सृजित करना; एंट्री ज्वाइंट मानदण्डों का चरणबद्ध रूप में अनुपालन, एनबीएफसी -एफएफआई के रूप में तत्काल पंजीकरण की आवश्यकता हेतु अनुदेश ताकि उधार देना पुनः आरम्भ किया जा सके, अर्हक आस्ति मानदण्ड के अनुपालन के उद्देश्य से 01 जनवरी, 2012 को या इसके पश्चात सृजित परिसंपत्तियों को शामिल करने के लिए अर्हक आस्ति की परिभाषा को शिथिल करना; इस तारीख के पूर्व सृजित रिंग फेंसिंग आस्ति और जो गैर-निष्पादनकारी के रूप में परिवर्तित हो गई हो तथा उन्हें अपने तुलन-पत्र से बाहर किए जाने की अनुमति देना शामिल है।

इन संशाधनों/छूट से कंपनियों का एनबीएफसी-एमएफआई के रूप में तत्काल पंजीकरण होगा जिसके परिणामस्वरूप गरीबों को उधार देना पुनः आरम्भ होगा। इस प्रकार आम आदमी के हितों की रक्षा जारी रहेगी क्योंकि नई संरचना के अंतर्गत वे आधार लेना जारी रखेंगे। इसके अलावा नए दिशानिर्देशों को लागू करने से सुदृढ़ और पुनर्ग्राह्य एनबीएफसी क्षेत्र सृजित होगा जिसके परिणामस्वरूप वित्तीय क्षेत्र में स्थायित्व सुनिश्चित होगा जो अंतोगत्वा लोकहित में होगा।

सौर ऊर्जा में निजी क्षेत्र

1865. **श्री एस. पक्कीरप्पाः** क्या **नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने देश में सौर ऊर्जा का उत्पादन करने के लिए कुछ परियोजनाओं के निर्माण का कार्य निजी क्षेत्र को दिया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) निर्माण के लिए निजी क्षेत्र को अब तक दी गई परियोजनाओं की संख्या का ब्यौरा क्या है और इन परियोजनाओं के पूरा किये जाने के लिए निर्धारित की गई समय-सीमा क्या है;

(घ) क्या ये परियोजनाएं अपने निर्धारित समय पर पूरी की गई हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री (डॉ. फारुख अब्दुल्ला): (क) सरकार द्वारा खुली प्रतिस्पर्धा बोली (बिडिंग) के माध्यम से सौर विद्युत परियोजनाएं आबंटित की गई है जिनमें से निजी क्षेत्र को कई परियोजनाएं प्राप्त हुईं।

(ख) और (ग) जेएनएनएसएम के प्रथम चरण के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत अब तक 110 मेगावाट समग्र क्षमता (139 संख्या/610 मेगावाट सौर पीवी प्रौद्योगिकी पर आधारित तथा 10 सख्या/500 मेगावाट सौर तापीय प्रौद्योगिकी पर आधारित) की 149 निजी क्षेत्र की सौर विद्युत परियोजनाओं का चयन किया गया है जिनको पूरा किए जाने की समय-सीमा नीचे दिए ब्यौरे के अनुसार अलग-अलग है:

प्रौद्योगिकी/योजना	परियोजनाओं की संख्या/क्षमता	पूरा करने की समय-सीमा
एसपीवी/आरपीएसएसजीपी	64 संख्या/ 75 मेगावाट	सितम्बर 2011
	1 संख्या/ 1 मेगावाट	नवम्बर 2011
	10 संख्या/ 19 मेगावाट	दिसम्बर 2011
एसपीवी/माइग्रेशन	12 संख्या / 50 मेगावाट	अक्तूबर 2011
एसपीवी/बैच-1	26 संख्या/ 130 मेगावाट	जनवरी 2012
एसपीवी/बैच-2	26 संख्या/355 मेगावाट	फरवरी 2013
एसटी/माइग्रेशन	3 संख्या/ 30 मेगावाट	फरवरी 2013
एसटी/बैच-1	7 संख्या/ 470 मेगावाट	मई 2013

(घ) जी, हां केवल नीचे भाग (ङ) के उत्तर में उल्लिखित कुछ परियोजनाओं को छोड़कर।

(ङ) 139 एसपीवी परियोजनाओं में से 26 मगोवाट समग्र क्षमता की 12 परियोजनाओं (8 संख्या /10 मेगावाट आरपीएसएसजीपी के अंतर्गत, 2 संख्या/ 6 मेगावाट-माइग्रेशन, 2 संख्या/ 10 मेगावाट बैच-। के अंतर्गत), जिन्हें विभिन्न कारणों से, मुख्यत: वित्तीय समापन की व्यवस्था करने में विकासकर्त्ताओं की असमर्थता तथा उनकी कमजोर परियोजना प्रबंधन क्षमताओं के कारण पूरा नहीं किया जा सका, को छोड़कर अधिकांश परियोजनाओं को पूरा किए जाने की निर्धारित समय-सीमा/दंड का भुगतान करने पर 6 माह की अवधि की अनुमेय वर्धितअवधि के भीतर संस्थापित किया गया है।

माइग्रेशन योजना के अंतर्गत सौर तापीय परियोजनाओं में से 20 मेगावाट समग्र क्षमता की दो परियोजनाओं को अनुमोदित समय-सीमा के भीतर पूरा नहीं किया जा सका और रद्द कर दिया गया है जबकि तीसरी परियोजना आंशिक रूप से समय-सीमा से काफी पहले ही लगाई गई थी और विकासकर्ता द्वारा शेष क्षमता को लगाने में कोई रूचि नहीं दिखाई गई है। बैच-। के अंतर्गत चुनी गई शेष अन्य सौर तापीय परियोजनाओं को पूरा करने के लिए अभी भी मई, 2013 तक का समय है (दण्ड का भुगतान किए बिना) और ये परियोजनाएं प्रगति पर हैं।

ज्वारीय विद्युत परियोजनाएं

1866. श्री सी. राजेन्द्रन:
श्री एन. चेलुवरया स्वामी:

क्या **नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का देश में ज्वारीय ऊर्जा के विकास को प्रोत्साहित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने देश में ज्वारीय ऊर्जा का दोहन करने के लिए कतिपय संभावित क्षेत्रों की पहचान की है;

(घ) यदि हां, तो राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) देश में ज्वारीय विद्युत परियोजनाओं को प्रोत्साहित/स्थापित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गये हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री (डॉ. फारुख अब्दुल्ला): (क) और (ख) जी, हां नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के पास ज्वारीय ऊर्जा सहित नवीन और अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में अनुसंधान, विकास और प्रदर्शन के लिए नीतिगत दिशानिर्देश उपलब्ध हैं। इस नीति में संसाधन आकलन, अनुसंधान एवं विकास तथा प्रदर्शन परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता देने का प्रावधान है।

(ग) और (घ) जी, हां। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा देश में ज्वारीय ऊर्जा की संभाव्यता का आकलन करने के लिए एक अध्ययन किया गया था। इस अध्ययन के अनुसार, गुजरात राज्य में खम्बात (कैम्बे) की खाड़ी में लगभग 700 मेगावाट, कच्छ की खाड़ी में 1200 मेगावाट और पश्चिम बंगाल में सुन्दरबन क्षेत्र के गांगेय डेल्टा में लगभग 100 मेगावाट की संभाव्यता अनुमानित की गई है।

(ङ) मंत्रालय द्वारा पश्चिम बंगाल में सुन्दरबन में दुर्गाद्वानी क्रीक में 3.75 मेगावाट के एक प्रदर्शन जवारीय विद्युत संयंत्र की स्थापना करने के लिए पश्चिम बंगाल अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी (डब्ल्यूबीआरईडीए) कोलकाता को फरवरी, 2008 में एक परियोजना मंजूर की गई थी। हाल ही में पश्चिम बंगाल सरकार ने बहुत अधिक परियोजना लागत होने के कारण इस परियोजना को जारी न रखने का निर्णय लिया है।

बीआरजीएफ कार्यक्रम के अंतर्गत परियोजनाएं

1867. श्री हेमानंद बिसवाल: क्या **पंचायती राज मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (बीआरजीएफ) कार्यक्रम के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की परियोजनाएं संस्वीकृत करती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान ऐसी कितनी परियोजनाएं प्राप्त हुईं, स्वीकृत की गईं और सरकार के पास लंबित हैं?

जनजातीय कार्य मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री वी. किशोर चन्द्र देव): (क) और (ख) पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (बीआरजीएफ) कार्यक्रम देश के 272 अभिचिन्हित पिछड़े जिलों में कार्यान्वित किया जा रहा है। बीआरजीएफ दिशा-निर्देशों के अनुसार स्थानीय निकायों (यूएलवीज) एवं पंचायतों द्वारा तैयार वार्षिक कार्य योजनाएं जिला योजना समिति द्वारा जिला योजनाओं में समेकित की जाती है। पंचायती राज मंत्रालय संबंधित राज्य सरकारों द्वारा विधिवत भेजी गई ऐसी जिला योजनाओं के आधार पर जिलों के लिए निधि जारी करता है। राज्यों द्वारा भेजी गई रिर्पोट के अनुसार इन निधियों का उपयोग विकास से संबंधित क्रिया-कलाप जैसे आंगनवाड़ी केन्द्रों के निर्माण, पंचायत घर, सड़क, कल्वर्ट, पुलों, सामुदायिक केन्द्र, जल आपूर्ति आदि हेतु किया जाता हे।

(ग) बी.आर.जी.एफ. कार्यक्रम के अंतर्गत विगत तीन वर्षों एवं चालू वर्ष के दौरान निधियों के राज्यवार आवंटन एवं उपयोग को दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

बी.आर.जी.एफ. कार्यक्रम के तहत पिछले तीन वित्तीय वर्ष (2009-10 से 2011-12) तथा चालू वित्तीय वर्ष (दिनांक 31.01.2013 की स्थिति के अनुसार) के दौरान राज्य-वार निधियों के आवंटन एवं उपयोग की रिपोर्ट

(राशि करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	राज्य	वर्ष 2009-10		वर्ष 2010-11		वर्ष 2011-12		वर्ष 2012-13 (दिनांक 31.01.2013 की स्थिति के अनुसार)	
		निर्मुक्त राशि	उपयोग से संबंधित रिपोर्ट	निर्मुक्त राशि	उपयोग से संबंधित रिपोर्ट	निर्मुक्त राशि	उपयोग से संबंधित रिपोर्ट	निर्मुक्त राशि	उपयोग से संबंधित रिपोर्ट
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	357.39	357.39	348.34	342.71	366.59	180.92	135.89	0.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	14.67	12.79	12.70	9.46	10.70	0.00	0.00	0.00
3.	असम	56.03	55.821	39.12	85.59	59.39	12.84	52.84	0.00
4.	बिहार	518.99	491.85	740.25	668.39	408.58	160.07	303.20	2.90

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.	छत्तीसगढ़	216.06	216.06	280.90	280.90	259.94	189.66	174.56	0.00
6.	गुजरात	96.64	93.05	103.16	99.86	109.64	47.40	37.84	0.00
7.	हरियाणा	19.35	19.35	39.53	39.53	18.67	11.78	24.20	2.06
8.	हिमाचल प्रदेश	27.41	27.41	30.50	30.50	23.62	11.18	20.81	9.12
9.	जम्मू और कश्मीर	9.00	0.00	41.26	31.52	30.40	4.00	9.14	0.00
10.	झारखंड	209.18	209.18	331.02	246.11	183.60	46.56	98.04	0.00
11.	कर्नाटक	103.27	103.27	118.48	107.30	92.74	43.93	46.31	1.58
12.	केरल	24.21	23.84	31.59	20.81	34.66	0.00	0.67	0.00
13.	मध्य प्रदेश	315.65	315.65	535.80	515.60	403.37	144.07	162.96	0.00
14.	महाराष्ट्र	228.19	228.19	290.95	290.95	255.09	215.90	217.20	8.87
15.	मणिपुर	27.71	27.71	54.32	48.54	32.16	9.06	16.37	0.12
16.	मेघालय	23.50	23.50	50.42	48.84	24.60	10.59	13.68	0.00
17.	मिजोरम	21.28	21.28	28.68	28.20	24.90	21.42	19.16	0.00
18.	नागालैंड	43.04	43.04	40.04	40.04	41.48	40.90	34.61	0.00
19.	ओडिशा	223.67	211.56	385.20	381.24	325.95	166.37	129.36	0.00
20.	पंजाब	15.08	15.08	18.22	18.22	15.50	11.40	12.04	0.00
21.	राजस्थान	141.42	141.42	304.68	295.53	286.15	125.81	109.50	0.00
22.	सिक्किम	11.59	11.59	15.92	15.92	14.2	12.5	40.53	0.00
23.	तमिलनाडु	62.09	62.09	113.28	113.28	106.03	69.21	73.49	0.00
24.	त्रिपुरा	8.58	8.58	13.21	13.21	13.66	13.05	11.58	0.00
25.	उत्तर प्रदेश	579.87	579.87	668.09	603.02	540.81	184.60	130.80	0.00
26.	उत्तराखंड	0.00	0.00	37.66	37.66	29.54	21.85	34.32	0.00
27.	पश्चिम बंगाल	181.10	181.10	276.68	251.30	205.02	129.76	167.75	13.06
	कुल	3534.96	3480.67	5050.00	4664.23	3917.00	1874.87	2036.85	37.71

पारादीप रिफाइनरी का शुरू किया जाना

1868. श्री एस.एस. रामासुब्बू: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पारादीप रिफाइनरी के चालू किये जाने में अनावश्यक रूप से विलंब हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस विलंब के कारण लागत में अत्यधिक वृद्धि हुई है

(घ) यदि हां, तो लागत वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और रिफाइनरी कब तक चालू किए जाने की संभावना है; और

(ङ) पारादीप रिफाइनरी से निर्यात का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है?

पेटोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल) के अनुसार पारादीप रिफाइनरी परियोजना का मूल रूप से नवम्बर, 2012 में पूरा होने का कार्यक्रम था। परियोजना को निम्नलिखित कारणों से चालू करने में विलंब हुआ:

- प्रारम्भ में फ्रंट एण्ड इंजीनियरी डिजाइन (एफईईडी) 15 एमएमटीपीए रिफाइनरी-सह-पेट्रोरसायन परिसर के लिए तैयार किया गया था। इसके बाद, पेट्रोरसायन परिसर के लिए प्रस्ताव को स्थगित कर दिया गया था। इसके पुर्नीविन्यास के कारण "केवल ईंधन" रिफाइनरी के लिए में बड़े परिवर्तन हुए, जिससे परियोजना का इंजीनियरी चरण प्रभावित हुआ।

- टाटा संयुक्त उद्यम (जेवी) से अपने निजी विद्युत संयंत्र को ऊर्जा के स्रोत में परिवर्तन। भेल द्वारा निजी विद्युत संयंत्र के निर्माण में भी विलंब हुआ।

- कानून और व्यवस्था की समस्या तथा यूनियनों द्वारा बार-बार होने वाले बंद/हड़तालों के कारण उत्पादकता श्रमदिवसों का नुकसान।

- पारादीप क्षेत्र में और उसके आस-पास कुशल जनशक्ति की कमी।

- दक्षिण जेटी के लिए पर्यावरणीय मंजूरी प्राप्त करने में विलंब।

(ग) और (घ) आईओसी ने सूचित किया है कि अनुमोदित लागत के 10% के अंदर लागत वृद्धि संभावित है। कंपनी ने यह भी सूचित किया है कि चूंकि सभी उपकरण और बड़ी संविदाएं नियत मूल्य आधार पर प्रदान किए गए हैं इसलिए देरी से पूरा होने के कारण परियोजना लागत पर कोई बड़ा प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसके अलावा, संविदा की निबंधन और शर्तों के अनुसार उपकरण/थोक मदों की सुपुर्दगी तथा विक्रेताओं/संविदाकारों द्वारा संविदा के निष्पादन में विलंब के कारण मूल्य कटौती प्रभावित होती है। परियोजना का नवमबर, 2013 तक पूरा होने का अनुमान है।

(ङ) इस रिफाइनरी के उत्पाद की खपत मुख्यत: घरेलू रूप से की जाएगी और घरेलू मांग के पूरा करने के बाद केवल अधिशेष उत्पादों का ही निर्यात किया जाएगा।

गैस की आपूर्ति

1869. श्री जी. एम. सिद्देश्वर: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार कृष्णा-गोदावरी (केजी)-डी 6 क्षेत्र से गैस के कम उत्पादन के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए बिजली उत्पादन हेतु तेल और प्राकृतिक गैस निगम (ओएनजीसी) के क्षेत्रें से गैस की आपूर्ति करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) ओएनजीसी के क्षेत्रों से प्राप्तकर्त्ता उद्योगों को की गई गैस आपूर्ति की मात्रा और बच गई गैस की मात्रा का अन्य प्रयोजनों के लिए उपयोग किए जाने का ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) आयल एंड नेचुरल गैस कार्पोरेशन (ओएनजीसी) के क्षेत्रों में गैर-एपीएम मूल्य पर उपलब्ध प्रस्तावित गैस पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के "गैर-एपीएम गैस का मूल्य निर्धारण और वाणिज्यिक उपयोग" संबंधी दिशा-निर्देशों के अनुसार आबंटित की जाती है।

(ग) अप्रैल, 2012 से जनवरी, 2013 के दौरान आपूर्ति के क्षेत्र-वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

अप्रैल 2012 से जनवरी 2013 के दौरान ओएनजीसी के क्षेत्रों से गैस की औसत दैनिक आपूर्ति

क्षेत्र	औसत दैनिक आपूर्ति (एमएमएससीएमडी)
उर्वरक	13.27
एलपीजी निष्कर्षक के लिए गैस आधारित एलपीजी संयंत्र	22.05
विद्युत	22.05
सीजीडी	5.37
सीजीडी के अलावा न्यायालय द्वारा अधिदेशित ग्राहक	0.98
50,000 एससीएमडी से कम आबंटन वाले लघु उपभोक्ता	2.07
इस्पात/स्पंज लोहा	1.11
रिफाइनरियां	1.13
पेट्रोरसायन	1.12
अन्य	0.23
आंतरिक खपत-पाइपलाइन प्रणाली	0.95
योग	50.94

बायो-डीजल उत्पादन

1870. **श्री एन. चेलुवराया स्वामी:** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में बायो-डीजल उत्पादन के कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है और उत्पादन को पूर्ण रूप से शुरू किए जाने में विलंब के क्या कारण, यदि कोई हों, हैं;

(ख) संग्रहण और प्रसंस्करण संयंत्रों का ब्यौरा क्या है और आय के स्रोत के रूप में इसे अपनाये जाने के लिए लोगों को इससे सहयोजित करने के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार क्या कार्य विधि अपनाई जा रही है;

(ग) वास्तविक उत्पादन कब तक शुरू किए जाने की संभावना है और इस संबंध में संगठनात्मक नेटवर्क को कब तक अंतिम रूप दे दिए जाने की संभावना है;

(घ) क्या देश में गन्ने से पेट्रोलियम का उत्पादन करने के ब्राजील मॉडल का कार्यान्वयन किया जा रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेटोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी): (क) से (ग) बायो-ईंधन से संबधित हैंडलिंग कार्य के लिए उत्तरदायित्व निम्नानुसार है।

क्रम.सं.	मंत्रालय/विभाग	उत्तरदायित्व
1.	नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	बायो-ईंधन से संबंधित सभी नीतिगत मसलों के संबंध में नीति निर्धारण एवं समन्वय
2.	कृषि और सहकारिता विभाग	पौध सामग्री का उत्पादन, पौधशालाओं और प्रौधारोपण के विकास से संबंधित मुद्दे
3.	कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग	बायो-ईंधन से संबंधित पौध आनुवंशिकी में अनुसंधान
4.	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	बायो-ईंधन और इसके मिश्रित उत्पादों का विपणन, वितरण और खुदरा बिक्री
5.	उपभोक्ता मामले विभाग	मानक
6.	ग्रामीण विकास मंत्रालय (भूमि संसाधन विभाग)	जैव-ईंधन संयंत्र उत्पादन का समग्र समन्वय
7.	जैव प्रौद्योगिकी विभाग	जैव-डीजल और जैव-एथेनाल तथा प्रयोगशाला अध्ययनों के संबंध में मिशन मॉड कार्यक्रम
8.	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग/वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग	ड्राउट टॉलरेंस और उपज के लिए जटरोफा कर्कस की अनुवंशिकी में सुधार
9.	रसायन और पेट्रोरसायन विभाग	शीरा रूट से शीरा, अल्कोहल-औद्योगिक और पेय
10.	पर्यावरण और वन मंत्रालय	वन भूमि में जैव-ईंधन पौधरोपण

भूमि संसाधन विभाग ने सूचित किया है कि वे देश में जैव-डीजल उत्पादन के लिए कोई कार्यक्रम कार्यान्वित नहीं कर रहे हैं।

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने सूचित किया है कि यह जैव-डीजल के विकास के क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं में मदद कर रहा है।

तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज) ने छतीसगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्यों में जटरोफा का वृक्षारोपण करने का काम शुरू किया है। वृक्षों को अभी बड़ा होना है।

(घ) और (ङ) ब्राजील जैसे कुछ देश जहां गन्ने आदि से एथेनोल का भरपूर उत्पादन होता है, वे मोटर इंजनों में एथेनोल और एथेनोल मिश्रित गैसोलीन के इस्तेमाल में अग्रणी हैं।

भारत में, एथेनोल मिश्रित पेट्रोल (ईबीपी) कार्यक्रम 01.11. 2006 में पूर्वोत्तर राज्यों, जम्मू और कश्मीर, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप को छोड़कर समस्त देश में चलाया गया था।

आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने दिनांक 22.11.2012 को आयोजित अपनी बैठक में अन्य बातों के साथ-साथ निर्णय लिया था कि पूरे देश के लिए 5% अनिवार्य मिश्रण को रखा जाए और इसे 30.6.2013 तक प्राप्त किया जाए।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने ओएमसीज को बीआईएस विशिष्टताओं के अनुसार 10% तक एथनॉल मिसित पेट्रोल की बिक्री करने का निदेश देते हुए दिनांक 02.01.2013 को एक राजपत्र अधिसूचना जारी की है।

संयुक्त सहभागी के रूप में विदेशी बीमा कंपनियां

1871. श्री पी.आर. नटराजन: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान में देश के बीमा उद्योग में संयुक्त उद्यम सहभागी के रूप में कार्यरत विदेशी कंपनियों का उनके पूंजीगत निवेश सहित कंपनी-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) इन कंपनियों द्वारा पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान अर्जित प्रीमियम राशि का ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान देश के सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि में घरेलू और विदेशी बीमा कंपनियों, दोनों का क्या योगदान रहा है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा): (क) बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीए) द्वारा सूचित किए गए अनुसार देश के बीमा उद्योग में संयुक्त उद्यम सहभागी के रूप में कार्यरत विदेशी कंपनियों का जीवन एवं गैर-जीवन बीमा कंपनियों के पूंजी निवेश (इक्विटी शेयर पूंजी का ब्यौरा क्रमश: संलग्न विवरण-I एवं विवरण-II में दिया गया है।

(ख) पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान जीवन तथा गैर-जीवन बीमा कंपनियों द्वारा अर्जित प्रीमियम का ब्यौरा संलग्न विवरण-III एवं विवरण-IV में दिया गया है।

(ग) आईआरडीए ने सूचित किया है कि सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में बीमा उद्योग के अंशदान का मूल्यांकन बीमा के विस्तार के रूप में किया जाता है। बीमा विस्तार को सकल घरेलू उत्पाद की तुलना में किसी दिए गए वर्ष में हामीदार प्रीमियम के अनुपात के रूप में परिभाषित किया गया है। वर्ष 2009 से 2011 तक की अवधि के दौरान भारत में बीमा विस्तार का ब्यौरा निमनानुसार है:

क्षेत्र	2009	2010	2011
जीवन	4.60	4.40	3.40
गैर-जीवन	0.60	0.70	0.70
उद्योग	5.20	5.10	4.10

विवरण I

भारत में कार्यरत गैर सरकारी जीवन बीमा कंपनियां*			पूंजी निवेश (करोड़ रुपए में)			
क्र.सं	बीकाकर्ता	संयुक्त उपक्रम विदेशी भागीदार	कुल	भारतीय	एफडीआई	एफडीआई%
1	2	3	4	5	6	7
1.	एगोन रेलिगेयर लाइफ इंश्योरेस कंपनी लि.	एगोनि इंडिया होल्डिंग्स बीवी, नीदरलैण्डस	1176.00	870.24	305.76	26.00
2	अवीवा लाइफ इंश्योरेस कंपनी लि.	अवीवा इंटरनेशनल होल्डिंगस लि. यूके	2004.90	1483.63	521.27	26.00

1	2	3	4	5	6	7
3.	बजाज एलियांज लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	एलियांज, एसई जर्मनी	150.70	111.52	39.18	26.00
4.	भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	एक्सा इंडिया होल्डिंग्स फ्रास	1793.701	395.10	398.60	22.22
5.	बिरला सनलाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	सन लाइफ फाइनेंशियल (इंडिया) इंश्योरेंस इंवेस्टमेंट आईएनसी, कनाडा	1969.50	1457.43	512.07	26.00
6.	केनरा एसएसबीसी ओबीसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	एचएसबीसी इंश्योरेंस (एशिया पेसिफिक) होल्डिंग्स लि.	950.00	703.00	247.00	26.00
7.	डीएलएफ प्रेमेरिका लइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	प्रूडेंशियल इंटरनेशनल इंश्योरेंस होल्डिंगस लि. यूएसए	320.02	236.81	83.21	26.00
8.	एडेलवेस टोक्यो इंश्योरेंस कंपनी लि.	टोक्यो मैरीन एंड निचिडो फायर इंश्योरेंस कंपनी लि. जापान	150.00	111.00	39.00	26.00
9.	फ्यूचर जनरेली लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	पार्टीशिपिएट मासचापीजग्रप्पसचैप होलैण्ड एनवी नीदर लैण्ड्स	1223.01	911.14	311.87	25.50
10.	एचडीएफसी स्टैण्डर्ड लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	स्टेण्डर्ड लाइफ एश्यूरेंस, यूके	1994.88	1476.21	518.67	26.00
11.	आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	प्रूडेंशियल कारपोरेशन होल्डिंग्स लि. यूके	1428.89	1058.11	370.78	25.95
12.	आईसीबीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	एजिस इंश्योरेंस इंटरनेशनल एनवी नीदरलैण्डस	800.00	592.00	208.00	26.00
13	इंडियाफर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	लीगल एंड जनरल मिडिल ईस्ट लि.	475.00	351.50	123.50	26.00
14.	आईएनजी वैश्य लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	आईएनजी इंश्योरेंस इंटरनेशनल बीवी नीदरलैण्डस	1464.88	1084.01	380.87	26.00
15.	कोटक महिन्द्रा ओम लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि	ओल्ड म्युचुअल पीएलसी, साउथ अफ्रिका	510.29	377.61	132.68	26.00
16.	मैक्सलाइफ इंश्यौरेंस कंपनी लि	मित्सुई सुमितोमो इंश्योरेंस कंपनी लि. जापान	1944.69	1439.07	505.62	26.00
17.	पीएनबी मेटलाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	मेटलाइफ इंटरनेशनल होल्डिंग्स आईएनसी, यूएसए	1969.57	1457.48	512.09	26.00
18.	रिलायंस लाइफ इंश्यौरेंस कंपनी लि.	निप्पोन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि. जापान	1196.32	885.28	311.04	26.00
19.	एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	बीएनपी पारीबास कारडिफ, फ्रांस	1000.00	740.00	260.00	26.00
20.	स्टार यूनियन दाई-ईची लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	दाई-ईची लाइफ इंश्यौरेंस कंपनी लि. जापान	250.00	185.00	65.00	26.00
21.	टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	अमेरिकन इंटरनेशनल एश्यूरेंस कंपनी (बेरमूडा लि.)	1953.50	1445.59	507.91	26.00
	कुल		24725.85	18371.73	6354.12	25.70

*31 दिसम्बर, 2012 की स्थिति के अनुसार

विवरण II

भारत में कार्यरत गैर सरकारी जीवन बीमा कंपनियां*			पूंजी निवेश (करोड़ रुपए में)			
क्र.सं	बीकाकर्ता	संयुक्त उपक्रम विदेशी भागीदार	कुल	भारतीय	एफडीआई	एफडीआई%
1.	अपोलो म्यूनिख हैल्थ इंश्योरेंस कंपनी लि.	म्यूनिख हैल्थ होल्डिंग एजी, जर्मनी	308.98	229.94	79.04	25.58
2.	बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	एलाइंज, एसई जर्मनी	110.23	81.63	28.60	25.95
3.	भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	मैसर्स सोसिएट ब्यूजॉन, फ्रांस	779.49	606.27	173.22	22.22
4.	चोलामंडलम एमएस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	मित्सुई सुमितोमो, जापान	291.99	216.07	75.92	26.00
5.	फ्यूचर जनरेली इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लि.	पार्टीशिपिएट मासचापीज ग्रापसचैप होलैण्ड एनवी नीदरलैण्ड्स (जनरेली)	560.00	417.201	42.80	25.50
6.	एचडीएफसी इरगो जनरल इंश्यौरेंस कंपनी लि.	इरगो इंटरनेशनल एजी, जर्मनी	523.49	387.51	135.98	25.98
7.	आईसीआईसीआई लोम्बाई जनरल इंश्यौरेंस कंपनी लि.	एफएल कारपोरेशन, कनाडा	437.00	324.35	112.65	25.78
8.	इफको टोक्यो जनरल इंश्यौरेंस कंपनी लि.	टोक्यो मैरीन एशिया पीटीई लि. जापान	269.32	199.30	70.02	26.00
9.	लिबर्टी विडियोकॉन जनरल इंश्यौरेंस कंपनी लि.	लिबर्टी सिटी स्टेट होल्डिंग्स पीटीई लि.	359.35	279.95	79.40	22.10
10.	मागमा एचडीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	एचडीआई-गर्लिंग इंटरनेशनल होल्डिंग एजी, जर्मनी	100.00	74.50	25.50	25.50
11.	मैक्स बूपा हैल्थ इंश्यौरेंस कंपनी लि.	बूपा सिंगापुर होल्डिंग्स पीटीई लि.	475.50	351.87	123.63	26.00
12.	रहेजा क्यूबीई जनरल इंश्यौरेंस कंपनी लि.	क्यूबीई होल्डिंगस (एएपी) पीटीवाई लि. आस्ट्रेलिया	207.00	153.18	53.82	26.00
13.	रॉयल सुंदरम एलाइंस इंश्योरेंस कंपनी लि.	रॉयल एंड सन एलाइंस इंश्योरेंस पीएलसी, यूके	290.00	214.60	75.40	26.00
14.	एसबीआईजनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	आईएजी इंटरनेशनल पीटीवाई लि. आस्ट्रेलिया	150.00	111.00	39.00	26.00
15.	स्टार हैल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस कंपनी लि.	इंडिविजूअल प्रोमोटर्स एंड ओमान इंश्योरेंस पीएससी, यूएई	278.77	228.95	49.82	17.87
16.	टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	चार्टिस मेमसा होल्डिंगस आईएनसी यूएसए	505.00	373.70	131.30	26.00
17.	यूनिवर्सलसोम्पो जनरल इंश्योरेंस वुंपनी लि.	सोम्पो, जापान	350.00	259.00	91.00	26.00
		कुल	5996.12	4509.02	1487.10	24.80

*31 दिसम्बर, 2012 की स्थिति के अनुसार

विवरण III

भारत में कार्यरत गैर-जीवन बीमा कंपनियों द्वारा अर्जित प्रीमियम

क्र.सं.	बीमाकर्ता	2009-10	2011-11	2011-12	2012-13 (अप्रैल-दिसम्बर 2012)
1.	एगोन रेलिगेयर लाइफ कंपनी लि.	165.65	388.61	457.32	269.67
2.	अवीवा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	2378.01	2345.17	2415.87	1364.83
3.	बजाज एलियांज लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	11419.71	9609.95	7483.80	4311.58
4.	भारती एकसा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	669.73	792.02	774.16	492.13
5.	बिरला एनलाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	5505.6	65677.07	5885.36	3532.82
6.	केनरा एसएसबीसी ओबीसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	842.45	1531.86	1861.08	1297.86
7.	डीएलएफ प्रेमेरिका लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	38.44	95.04	167.01	161.89
8.	एडेलवेस टोक्यो इंश्योरेंस कंपनी लि.	0.00	0.00	10.88	21.58
9.	फ्यूचर जनरेली लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	541.51	726.16	779.58	417.12
10.	एचडीएफसी स्टैण्डर्ड लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	7005.10	9004.17	10202.40	7029.67
11.	आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	16528.75	17880.63	14021.58	9090.61
12.	आईडीबीआई फेडरल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	571.12	811.00	736.70	482.59
13.	इंडियाफर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	201.60	798.43	1297.93	716.19
14.	आईएनजी वैश्य लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	1642.65	1708.95	1679.98	1079.26
15.	कोटक महिन्द्रा ओम लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	2868.05	2975.51	2937.43	1671.58
16.	मैक्सलाइफ इंशेरेंस कंपनी लि.	4860.54	5812.63	6390.53	4559.63
17.	पीएनबी मेटलाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	2536.01	2508.17	2677.50	1593.14
18.	रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	6604.90	6571.15	5497.62	2765.20
19.	एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	10104.03	12945.29	13133.74	6702.17
20.	स्टार यूनियन दाई-ईची लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	530.37	933.31	1271.95	581.64
21.	टाटा एआईएल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि.	3493.78	3985.22	3630.30	1952.28
	कुल	78508.07	87100.31	83312.72	50093.42

विवरण IV

भारत में कार्यरत गैर-जीवन बीमा कंपनियों द्वारा अर्जित प्रीमियम

क्र.सं.	बीमाकर्ता	2009-10	2011-11	2011-12	2012-13 (अप्रैल-दिसम्बर 2012)
1.	अपोलो मयूनिख हैल्थ इंश्योरेंस कंपनी लि.	114.66	282.69	475.64	359.04
2.	बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	2482.33	2869.96	3286.62	2818.34
3.	भारती एक्सा जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	310.82	553.90	884.00	876.09
4.	चोलामंडलम एमएस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	784.85	967.99	1346.54	1174.01
5.	फ्यूचर जनरेली इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लि.	376.61	600.16	919.76	832.43
6.	एचडीएफसी इरगो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	915.40	1279.91	1839.46	1786.98
7.	आईसीआईसीआई लोम्बाई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	3295.06	4251.87	5150.14	4499.29
8.	इफको टोक्यो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	1457.84	1783.18	1975.24	1872.62
9.	लिबर्टी विडियोकॉन जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	मागमा एचडीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	0.00	0.00	0.00	24.50
11.	मैक्स बूपा हैल्थ इंश्योरेंस कंपनी लि.	0.13	25.53	99.08	126.68
12.	रहेजा क्यूबीई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	1.32	4.90	14.79	16.33
13.	रॉयल सुंदरम एलाइंस इंश्योरेंस कंपनी लि.	913.11	1143.99	1479.79	1133.01
14.	एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	0.00	43.02	250.14	493.41
15.	स्टार हैल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस कंपनी लि.	961.65	1227.55	1085.06	586.05
16.	टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	853.80	1173.09	1641.57	1540.95
17.	यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लि.	189.28	299.10	404.58	367.53
	कुल	12656.86	16506.84	20852.42	18507.26

[हिंदी]

केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड

1872. श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण: क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड के माध्यम से कार्यान्वित की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या बोर्ड अपने कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए गैर-सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है; और

(ग) बोर्ड द्वारा पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार और योजना-वार ऐसे कितने गैर-सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा तीरथ): (क) और (ख) केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड (सीएसडब्ल्यूबी) निम्न लिखित स्कीमों के कार्यान्वयन के लिए गैर सरकार संगठनों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है:

(i) **अल्प आवास गृह** यह स्कीम नैतिक खतरे, पारिवारिक अलगाव की पीड़ित भावनात्मक उथल-पुथल, शोषण और हिंसा इत्यादि की शिकार महिलाओं और बालिकाओं की सहायता के लिए बनाई गई है। इस स्कीम के माध्यम से अल्प आवास गृह में रहने वाली महिलाओं और बालिकाओं को अस्थायी आवास अनुरक्षण, देखरेख, परामर्श और पुनर्वास सेवाएं उपलब्ध कराई जाती है।

(ii) **परिवार परामर्श केन्द्र** परिवार परामर्श केन्द्र में विवादों, वैवाहित अनबन अथवा वैवाहित असमायोजन द्वारा प्रभावित महिला पीड़ितों सहित परिवार अथवा व्यापक रूप से समाज में नैतिक खतरे की पीड़ित महिलाओं की पामर्श, रैफरल और पुनर्वास सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं।

(iii) **जागरूकता सृजन कार्यक्रम** जागरूकता सृजन परियोजना कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं की प्रस्थिति उनके अधिकार और समस्याओं के मुद्दों के संबंध में समाज में जागरूकता का सृजन करना है।

(iv) **व्यस्क महिलाओं के लिए संगठित पाठ्यक्रम** की स्कीम यह स्कीम कौशल विकास/व्यावसायिक प्रशिक्षण संबंधी अतिरिक्त जानकारियां सहित 15 वर्ष से ऊपर की आयु की किशोरियों/महिलाओं की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है जो मुख्यधारा वाली शिक्षा प्रणाली में शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकीं अथवा जिन्होंने औपचारिक शिक्षा छोड़ दी थी।

(v) **राजीव गांधी राष्ट्रीय शिशु गृह स्कीम** राजीव गांधी राष्ट्रीय शिशु गृह स्कीम में कामकाजी माताओं के बच्चों को पूरक पोषण, पूर्व प्राथमिक शिक्षा और चिकित्सा सुविधाएं आदि जैसी सुविधाओं सहित सुरक्षित स्थान उपलब्ध कराया जाता है। ये केन्द्र प्रतिदिन 8 घंटे कार्य कर रहे हैं।

(vi) **समेकित महिला सशक्तीकरण स्कीम (आईएसडब्ल्यूई)** आईएसडब्ल्यूई पूर्वोत्तर राज्यों के लिए एक विशेष पैकेज कार्यक्रम है। इस स्कीम का उद्देश्य समयक सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से उपलब्ध सेवाओं और संसाधनों को जुटाकर क्षेत्र का विकास करना है।

(ग) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान सीएसएडब्ल्यबी की स्कीमों के अंतर्गत अनुदान संस्वीकृत किए गए गैर सरकारी संगठनों की संख्या की राज्य-वार सूची में संलग्न विवरण के रूप है।

विवरण

वर्ष 2009-2010, 2010-11, 2011-12 और चालू वर्ष (4 मार्च, 2013 तक) के दौरान केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड द्वारा गैर-सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता

वर्ष 2009-10

क्र.सं.	राज्य प्रदेश	सीसीएच*	एफसीसी*	एजीपी*	सीसी*	क्रेच* (शिशु गृह)	बीएजेएसए	आईएसडब्ल्यूई
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आंध्र प्रदेश	44	44	75	1	575	0	0
2.	असम	11	27	40	22	130	1	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	2	0	0	42	0	0
4.	अरुणाचल प्रदेश	13	25	18	46	0	1	
5.	बिहार	13	50	75	45	240	1	0
6.	चण्डीगढ़	1	6	4	1	14	0	0
7.	छत्तीसगढ़	4	14	25	20	112	0	0
8.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0	0	0	0
9.	दिल्ली	2	26	50	11	104	5	0
10.	गुजरात	2	37	105	16	165	0	0
11.	गोवा	0	2	0	0	13	0	0
12.	हरियाणा	5	22	50	10	57	0	0
13.	हिमाचल प्रदेश	0	9	50	3	52	1	0
14.	झारखंड	2	30	30	12	83	0	0
15.	जम्मू और कश्मीर	2	23	80	18	126	3	0
16.	कर्नाटक	21	41	85	0	290	0	0
17.	केरल	6	38	50	2	349	0	0
18.	लक्षद्वीप	0	0	10	0	9	0	0
19.	मध्य प्रदेश	16	47	0	38	474	0	0
20.	महाराष्ट्र	34	73	126	28	407	0	0
21.	मणिपुर	6	9	27	10	321	0	1
22.	मिजोरम	0	6	35	5	202	0	1
23.	मेघालय	0	1	0	10	115	0	1
24.	नागालैंड	1	4	10	11	18	0	1
25.	ओडिशा	33	25	75	31	332	0	0
26.	पंजाब	4	12	35	10	45	0	0
27.	पुदुचेरी	2	11	15	0	72	0	0
28.	राजस्थान	6	32	48	24	177	0	0
29.	सिक्किम	1	1	15	8	66	0	1
30.	तमिलनाडु	34	59	100	0	308	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
31.	त्रिपुरा	5	9	0	7	98	1	0
32.	उत्तर प्रदेश	38	69	161	28	295	11	0
33.	उत्तराखंड	6	11	30	9	504	0	0
34.	पश्चिम बंगाल	36	44	75	23	504	0	0
	कुल	336	787	1506	421	5891	27	7

एसएसएच-अल्प आवास गृह
एफसीसी-परिवार परामर्श केंद्र
एजीपी-जागरूकता सृजन कार्यक्रम
सीसी-व्यस्क महिलाओं के लिए संगठित पाठ्यक्रम की स्कीम
क्रेच-राजीव गांधी राष्ट्रीय शिशु गृह स्कीम
आईएसडब्ल्यूई-समेकित महिला सशक्तीकरण स्कीम (आईएसडब्ल्यूई)

विवरण

वर्ष 2009-2010, 2010-11, 2011-12 और चालू वर्ष (4 मार्च, 2013 तक) के दौरान केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड द्वारा गैर-सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता

वर्ष 2010-11

क्र.सं.	राज्य प्रदेश	सीसीएच*	एफसीसी*	एजीपी*	सीसी*	क्रेच*	बीएजेएसए (शिशु गृह)	आईएसड ब्ल्यूई
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आंध्र प्रदेश	47	40	107	25	556	12	0
2.	असम	12	28	65	25	124	2	1
3.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	2	8	2	38	0	0
4.	अरुणाचल प्रदेश	1	3	50	13	43	1	1
5.	बिहार	13	34	72	60	194	1	0
6.	चण्डीगढ़	1	6	18	2	8	0	0
7.	छत्तीसगढ़	4	9	42	35	106	3	0
8.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0	0	0	0
9.	दिल्ली	2	27	75	9	84	5	0
10.	गुजरात	3	44	93	47	151	2	0
11.	गोवा	0	2	8	5	12	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12.	हरियाणा	5	22	64	6	54	2	0
13.	हिमाचल प्रदेश	0	7	57	6	51	1	0
14.	झारखंड	2	27	45	42	77	0	0
15.	जम्मू और कश्मीर	2	19	78	37	108	5	0
16.	कर्नाटक	24	39	122	23	235	0	0
17.	केरल	6	38	73	5	328	0	0
18.	लक्षद्वीप	0	0	11	2	4	0	0
19.	मध्य प्रदेश	15	44	139	61	441	8	0
20.	महाराष्ट्र	35	73	152	45	354	7	0
21.	मणिपुर	5	13	32	23	265	0	0
22.	मिजोरम	0	8	48	6	163	0	1
23.	मेघालय	0	1	21	10	101	0	0
24.	नागालैंड	1	4	61	11	10	0	0
25.	ओडिशा	30	24	98	28	297	1	0
26.	पंजाब	4	7	56	12	30	0	0
27.	पुदुचेरी	0	9	25	6	71	0	0
28.	राजस्थान	5	35	93	26	126	0	0
29.	सिक्किम	1	4	21	3	62	0	0
30.	तमिलनाडु	35	59	136	53	281	0	0
31.	त्रिपुरा	4	12	25	7	86	0	0
32.	उत्तर प्रदेश	39	65	142	79	258	12	0
33.	उत्तराखंड	6	11	40	16	44	6	0
34.	पश्चिम बंगाल	35	45	110	46	460	0	0
	कुल	337	761	2187	780	5222	68	3

एसएसएच-अल्प आवास गृह
एफसीसी-परिवार परामर्श केंद्र
एजीपी-जागरूकता सृजन कार्यक्रम
सीसी-व्यस्क महिलाओं के लिए संगठित पाठ्यक्रम की स्कीम
क्रेच-राजीव गांधी राष्ट्रीय शिशु गृह स्कीम
आईएसडब्ल्यूई-समेकित महिला सशक्तीकरण स्कीम (आईएसडब्ल्यूई)

विवरण

वर्ष 2009-2010, 2010-11, 2011-12 और चालू वर्ष (4 मार्च, 2013 तक) के दौरान केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड द्वारा गैर-सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता

वर्ष 2011-12

क्र.सं.	राज्य प्रदेश	सीसीएच*	एफसीसी*	एजीपी*	सीसी*	क्रेच*	बीएजेएसए (शिशु गृह)	आईएसड ब्ल्यूई
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आंध्र प्रदेश	37	41	80	21	456	13	0
2.	असम	12	28	33	14	124	2	0
3.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	2	1	0	38	0	0
4.	अरुणाचल प्रदेश	1	5	5	15	43	1	0
5.	बिहार	5	30	32	32	183	1	0
6.	चंडीगढ़	1	6	3	3	7	0	0
7.	छत्तीसगढ़	3	13	29	24	104	3	0
8.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0	0	0	0
9.	दिल्ली	2	23	39	15	75	4	0
10.	गुजरात	3	46	58	7	146	2	0
11.	गोवा	1	4	6	3	11	0	0
12.	हरियाणा	5	21	26	8	43	2	0
13.	हिमाचल प्रदेश	0	7	14	3	46	1	0
14.	झारखंड	2	35	37	32	77	0	0
15.	जम्मू और कश्मीर	2	25	41	17	113	6	0
16.	कर्नाटक	28	40	14	15	235	0	0
17.	केरल	4	40	4	0	317	0	0
18.	लक्षद्वीप	0	0	1	0	0	0	0
19.	मध्य प्रदेश	15	47	83	34	427	8	0
20.	महाराष्ट्र	33	76	50	17	347	7	0
21.	मणिपुर	6	11	9	6	265	0	0
22.	मिजोरम	1	8	1	7	163	0	0
23.	मेघालय	0	2	4	6	81	0	1
24.	नागालैंड	1	3	24	7	10	0	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9
25.	ओडिशा	33	30	56	19	289	1	0
26.	पंजाब	39	1	3	2	26	0	0
27.	पुदुचेरी	2	9	2	2	68	0	0
28.	राजस्थान	2	35	38	17	114	0	0
29.	सिक्किम	1	4	4	1	61	0	0
30.	तमिलनाडु	33	62	13	28	258	0	0
31.	त्रिपुरा	5	12	15	2	82	0	0
32.	उत्तर प्रदेश	37	77	20	71	255	12	0
33.	उत्तराखंड	6	13	2	7	40	5	0
34.	पश्चिम बंगाल	36	46	56	19	463	2	0
	कुल	320	810	813	457	4967	70	2

एसएसएच-अल्प आवास गृह
एफसीसी-परिवार परामर्श केंद्र
एजीपी-जागरूकता सृजन कार्यक्रम
सीसी-व्यस्क महिलाओं के लिए संगठित पाठ्यक्रम की स्कीम
क्रेच-राजीव गांधी राष्ट्रीय शिशु गृह स्कीम
आईएसडब्ल्यूई-समेकित महिला सशक्तीकरण स्कीम (आईएसडब्ल्यूई)

विवरण

वर्ष 2009-2010, 2010-11, 2011-12 और चालू वर्ष (4 मार्च, 2013 तक) के दौरान केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड द्वारा गैर-सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता

वर्ष 2012-13

क्र.सं.	राज्य प्रदेश	सीसीएच*	एफसीसी*	एजीपी*	सीसी*	क्रेच*	बीएजेएसए (शिशु गृह)	आईएसड ब्ल्यूई
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आंध्र प्रदेश	31	43	268	14	456	13	0
2.	असम	12	23	60	14	124	2	0
3.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	2	8	1	38	0	0
4.	अरुणाचल प्रदेश	1	3	89	34	43	1	0
5.	बिहार	1	9	40	0	5	1	0
6.	चंडीगढ़	0	6	8	2	7	0	0
7.	छत्तीसगढ़	2	12	76	25	115	4	0
8.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9.	दिल्ली	1	23	65	4	74	3	0
10.	गुजरात	3	44	100	23	146	2	0
11.	गोवा	0	4	13	0	11	0	0
12.	हरियाणा	2	20	71	9	43	5	0
13.	हिमाचल प्रदेश	0	7	23	0	46	1	0
14.	झारखंड	1	19	25	8	76	5	0
15.	जम्मू और कश्मीर	2	13	137	6	132	6	0
16.	कर्नाटक	26	40	113	17	235	0	0
17.	केरल	5	38	60	0	317	0	0
18.	लक्षद्वीप	0	0	4	0	0	0	0
19.	मध्य प्रदेश	15	42	152	31	437	7	0
20.	महाराष्ट्र	33	73	96	1	346	7	0
21.	मणिपुर	4	12	34	16	265	1	0
22.	मिजोरम	1	8	22	16	168	0	0
23.	मेघालय	0	1	21	25	81	0	1
24.	नागालैंड	1	3	34	2	10	0	0
25.	ओडिशा	31	28	121	15	289	7	0
26.	पंजाब	2	9	13	3	26	0	0
27.	पुदुचेरी	29	11	3	67	0	0	
28.	राजस्थान	3	31	81	10	114	0	0
29.	सिक्किम	1	3	11	1	61	0	0
30.	तमिलनाडु	34	59	174	5	258	7	0
31.	त्रिपुरा	3	9	8	5	82	0	1
32.	उत्तर प्रदेश	35	69	390	94	265	13	0
33.	उत्तराखंड	6	10	23	0	40	6	0
34.	पश्चिम बंगाल	27	43	104	0	463	2	0
	कुल	285	715	2455	384	4840	93	2

एसएसएच-अल्प आवास गृह

एफसीसी-परिवार परामर्श केंद्र

एजीपी-जागरूकता सृजन कार्यक्रम

सीसी-व्यस्क महिलाओं के लिए संगठित पाठ्यक्रम की स्कीम

क्रेच-राजीव गांधी राष्ट्रीय शिशु गृह स्कीम

आईएसडब्ल्यूई-समेकित महिला सशक्तीकरण स्कीम (आईएसडब्ल्यूई)

[अनुवाद]

प्राकृतिक गैस का हिस्सा

1873. श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वैश्विक औसत की तुलना में ऊर्जा क्षेत्र में प्राकृतिक गैस का हिस्सा काफी कम है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) 10वीं और 11वीं पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत क्या लक्ष्य निर्धारित और प्राप्त किए गए और 12वीं पंचवर्षीय योजना के लिए क्या लक्ष्य प्रस्तावित हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) जी हां। ऊर्जा बॉस्केट में प्राकृतिक गैस का हिस्सा वैश्विक औसत की तुलना में बहुत कम है। बीपी सांख्यिकी समीक्षा 2012 के अनुसार, वर्ष 2011 के दौरान विश्व में ऊर्जा की कुल बुनियादी खपत, 12274.6 मिलियन मीट्रिक अन तेल के समतुल्य (एमएमटीओई) थी जिसमें से प्राकृतिक गैस की खपत 2905.6 एमएमटीओई थी, जो विश्व की कुल बुनियादी ऊर्जा खपत का 23.67 प्रतिशत है। इसी अवधि के दौरान, भारत में ऊर्जा की बुनियादी खपत 559.1 एमएमटीओई थी जिसमें से प्राकृतिक गैस की खपत 55 एमएमटीओई थी, जो भारत में कुल बुनियादी ऊर्जा खपत का 9.83 प्रतिशत है।

(ग) 10वीं और 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान घरेलू प्राकृतिक गैस के उत्पादन के लक्ष्य और लक्ष्यों की तुलना में प्राप्त किए गए लक्ष्य का प्रतिशत निम्नवत है:

पंचवर्षीय योजना अवधि	प्राकृतिक गैस (बीसीएम)	प्राप्त लक्ष्य उत्पादन की प्रतिशतता
10वीं	177.48	89.5%
11वीं	255.76	83.10%

12वीं पंचवर्षीय योजना के लिए कार्य समूह की रिपोर्ट के अनुसार 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्राकृतिक गैस की अनुमानित उत्पादन 248.6 बिलियन घनमीटर (बीसीएम) होगी।

[हिंदी]

तटीय क्षेत्रों में सौर ऊर्जा

1874. श्री नरेन्द्र सिंह तोमर: क्या **नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए देश के तटीय क्षेत्रों में बड़े स्तर पर सौर पैनल लगाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसी पहल से कितनी बिजली का उत्पादन होने की संभावना है; और

(ग) इस पर कितनी लागत आने की संभावना है?

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री (डॉ. फारूख अब्दुल्ला): (क) सरकार तटीय राज्यों/क्षेत्रों सहित समूचे देश में बड़े पैमाने की सौर विद्युत परियोजनाओं की स्थापना को बढ़ावा दे रही है। ऐसे संयंत्रों को अधिकांशत: निजी निवेश के साथ मुख्य रूप से निजी क्षेत्र में प्रोत्साहित किया जा रहा है और किसी छायारहित स्थल अथवा वैधानिक नियंत्रण द्वारा वर्जित नहीं है। इस समय केन्द्र सरकार तटीय सीमा के पास सौर विद्युत संयंत्रों की संस्थापना को बढ़ावा देने के लिए विशेष रूप से किसी स्कीम पर विचार नहीं कर रही है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

पर्यटन के माधयम से राजस्व

1875. श्री राजय्या सिरिसिल्ला: क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान सरकार को पर्यटन के माध्यम से प्राप्त राजस्व का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने इस प्रकार से एकत्रित राजस्व के उपयोग के लिए कोई दिशा-निर्देश नियत किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार ने इसके उपयोग के लिए क्या कार्रवाई की है; और

(घ) सरकार ने देश में पर्यटक स्थलों पर बेहतर अवसंरचनात्मक सुविधाएं प्रदान करके पर्यटन के माधयम से राजस्व-संग्रहण को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाया है?

पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (डॉ. के. चिरंजीवी): (क) पर्यटन से विदेशी मुद्रा आय (एफईई) वर्ष 2010, 2011 और 2012 के दौरान क्रमशः 14.19 बिलियन यूएस डॉलर, 16.56 बिलियन यूएस डॉलर और 17.74 बिलियन यूएस डॉलर रही। चालू वर्ष के लिए यह जानकारी उपलब्ध नहीं है। पर्यटन मंत्रालय पर्यटन से विदेशी मुद्रा आय के राज्य-वार अनुमानों का संकलन नहीं करता है।

(ख) और (ग) पर्यटन मंत्रालय ने पर्यटन से एकत्रित राजस्व के उपयोग के लिए कोई दिशा-निर्देश तैयार नहीं किया है।

(घ) विदेशी पर्यटक आगमन (एफटीए) की संख्या और बाद में विदेशी मुद्रा आय (एफईई) में वृद्धि करने के लिए पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार अपनी चालू गतिविधियों के भाग के रूप में देश के सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के पर्यटक गंतव्यों और उत्पादों को कवर करते हुए घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में एक सम्पूर्ण गंतव्य के रूप में भारत का संवर्धन करने के लिए 'अतुल्य भारत' ब्रांड-लाइन के अंतर्गत प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और ऑन-लाइन मीडिया अभियानों को चलाता है। समग्र संवर्धन में विभिन्न भारतीय पर्यटन उत्पादों और गंतव्यों का संवर्धन शामिल है। इसके अतिरिक्त, मंत्रालय अपने विदेश स्थित कार्यालयों के माध्यम से, अन्य बातों के साथ-साथ, विभिन्न भारतीय पर्यटक गंतव्यों और उत्पादों का संवर्धन करने के लिए रोड शो, कार्यशालाओं का आयोजन करता है और विभिन्न मेलों, प्रदर्शनियों और कार्यक्रमों में भाग लेता है।

पर्यटन मंत्रालय मार्केट विकास सहायता (एमडीए) स्कीम के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू बाजारों में पर्यटन के संवर्धन हेतु स्टेकहोल्डरों को वित्तीय सहायता भी प्रदान करता है।

संचारी रोग

1876. श्री के.पी. धनपालन: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में संचारी रोग अत्यधिक हो रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार ऐसे मामलों का ब्यौरा क्या है तथा इससे कितनी मौतें होने की रिपोर्टें हैं;

(ग) देश में संचारी रोगों की अत्यधिक संख्या के क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार ने देश में संचारी रोगों से पीड़ित रोगियों का पूर्व निदान करने, पता लगाने, नियंत्रण करने तथा सस्ते इलाज के लिए क्या कार्ययोजना बनाई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अबूहशीम खां चौधरी): (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों में प्रमुख संचारी रोगों के सूचित किए गए रोगियों तथा इसके कारण हुई मौतों की संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

इससे यह पता चलता है कि विभिन्न रोगों में कमी अथवा वृद्धि के रूझान भिन्न-भिन्न है।

(ग) और (घ) संचारी रोगों का संचरण विभिन्न पर्यावर्णिक व मनुष्य-निर्मित घटकों पर निर्भर करता है। भारत सरकार संचारी रोगों को समाप्त करने के लिए विभिन्न निवारक व नियंत्रण कार्यक्रमों को कार्यान्वित कर रही है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत भारत सरकार प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं की बेहतर प्रदायगी हेतु राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के बुनियादी ढांचे में सुधार लाने के लिए उनकी सहायता कर रही है।

विवरण

देश में मलेरिया की स्थिति

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2010		2011		2012	
		रोगी	मौतें	रोगी	मौतें	रोगी	मौतें
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	33393	20	34949	5	24025	2
2.	अरुणाचल प्रदेश	17944	103	13950	17	6257	5

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	असम	68353	36	47397	45	30945	13
4.	बिहार	1908	1	2643	0	2419	0
5.	छत्तीसगढ़	152209	47	136899	42	112419	89
6.	गोवा	2368	1	1187	3	1714	0
7.	गुजरात	66501	71	89764	127	71480	19
8.	हरियाणा	18921	0	33401	1	23727	1
9.	हिमाचल प्रदेश	210	0	247	0	220	0
10.	जम्मू और कश्मीर	802	0	1091	0	859	0
11.	झारखंड	199842	16	160653	17	131997	11
12.	कर्नाटक	44319	11	24237	0	16618	0
13.	केरल	2299	7	1993	2	1575	3
14.	मध्य प्रदेश	87165	31	91851	109	74440	36
15.	महाराष्ट्र	139198	200	96577	118	58499	95
16.	मणिपुर	947	4	714	1	255	0
17.	मेघालय	41642	87	25143	53	20587	46
18.	मिजोरम	15594	31	8861	30	9905	25
19.	नागालैंड	4959	14	3363	4	2891	1
20.	ओडिशा	395651	247	308968	99	248948	74
21.	पंजाब	3477	0	2693	3	1697	0
22.	राजस्थान	50963	26	54294	45	38137	19
23.	सिक्किम	49	0	51	0	77	0
24.	तमिलनाडु	17086	3	22171	0	15940	0
25.	त्रिपुरा	23939	15	14417	12	11345	7
26.	उत्तराखंड	1672	0	1277	1	1935	0
27.	उत्तर प्रदेश	64606	0	56968	0	46568	0
28.	पश्चिम बंगाल	134795	47	66368	19	55733	29
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	2484	0	1918	0	1551	0
30.	चंडीगढ़	351	0	582	0	225	0

1	2	3	4	5	6	7	8
31.	दादरा और नगर हवेली	5703	0	5150	0	5059	1
32.	दमन और दीव	204	0	262	0	186	0
33.	दिल्ली	251	0	413	0	382	0
34.	लक्षद्वीप	6	0	8	0	0	0
35.	पुदुचेरी	175	0	196	1	114	0
	कुल	1599986	1018	1310656	754	1018729	476

देश में डेंगू की स्थिति

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2010		2011		2012		2013 (अनंतिम)	
		रोगी	मौतें	रोगी	मौतें	रोगी	मौतें	रोगी	मौतें
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	776	3	1209	6	2299	2	41	0
2.	अरुणाचल प्रदेश					346	0	0	0
3.	असम	237	2	0	0	1058	5		0
4.	बिहार	510	0	21	0	872	3	1	0
5.	छत्तीसगढ़	4	0	313	11	45	0	0	0
6.	गोवा	242	0	26	0	39	0	0	0
7.	गुजरात	2568	1	1693	9	3067	5	0	0
8.	हरियाणा	866	20	267	3	768	2	0	0
9.	हिमाचल प्रदेश	3	0	0	0	73	0	0	0
10.	जम्मू और कश्मीर	0	0	3	0	17	1	0	0
11.	झारखंड	27	0	36	0	42	0	0	0
12.	कर्नाटक	2285	7	405	5	3924	21	35	0
13.	केरल	2597	17	1304	10	4172	15	216	0
14.	मध्य प्रदेश	175	1	50	0	239	6	0	0
15.	मेघालय	1	0	0	0	11	2	0	0
16.	महाराष्ट्र	1489	5	1138	25	2931	59	3	0
17.	मणिपुर	7	0	220	0	6	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18.	मिजोरम	0	0	0	0	6	0	0	0
19.	नागालैंड	0	0	3	0	0	0	0	0
20.	ओडिशा	29	5	1816	33	2255	6	2	0
21.	पंजाब	4012	15	3921	33	774	15	0	0
22.	राजस्थान	1823	9	1072	4	1265	10	0	0
23.	सिक्किम	0	0	2	0	2	0	0	0
24.	तमिलनाडु	2051	8	2501	9	12264	66	0	0
25.	त्रिपुरा	0	0	0	0	9	0	0	0
26.	उत्तर प्रदेश	960	8	155	5	342	4	0	0
27.	उत्तराखंड	178	0	454	5	110	2	0	0
28.	पश्चिम बंगाल	805	1	510	0	6456	11	0	0
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	25	0	6	0	24	0	0	0
30.	चंडीगढ़	221	0	73	0	351	2	2	0
31.	दादरा और नगर हवेली	6259	8	1131	8	2093	4	1	0
32.	दमन और दीव	46	0	68	0	156	1	0	0
33.	दिल्ली	0	0	0	0	54	0	0	0
34.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	54	0	0	0
35.	पुदुचेरी	96	0	463	3	3506	5	0	0
	कुल	28292	110	18860	169	49576	247	301	0

देश में नैदानिक रूप से आशंकित चिकनगुनिया की स्थिति

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2010 रोगी	2011 रोगी	2012 रोगी	2013 (अनंतिम) रोगी
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	116	99	2827	51
2.	बिहार	0	91	34	0
3.	गोवा	1429	664	571	0
4.	गुजरात	1709	1042	1317	0

1	2	3	4	5	6
5.	हिमाचल प्रदेश	26	215	9	0
6.	झारखंड	0	816	86	0
7.	कर्नाटक	8740	1941	2382	5
8.	केरल	1708	183	66	0
9.	मध्य प्रदेश	113	280	20	0
10.	मेघालय	16	168	0	0
11.	महाराष्ट्र	7431	5113	1544	0
12.	ओडिशा	544	236	129	0
13.	पंजाब	1	0	1	0
14.	राजस्थान	1326	608	172	0
15.	तमिलनाडु	4319	4194	5018	0
16.	उत्तर प्रदेश	5	3	13	0
17.	उत्तराखंड	0	18	0	0
18.	पश्चिम बंगाल	20503	4482	1381	0
19.	अंडमान और निकोबारद्वीपसमूह	59	96	256	0
20.	चंडीगढ़	0	1	0	0
21.	दिल्ली	120	110	6	0
22.	दादरा और नगर हवेली	0	0	100	0
23.	पुदुचेरी	11	42	45	0
	कुल	48176	20402	15977	56

देश में ए ई एस/जापानीज एन्सेफलाटिस की स्थिति

क्र.सं.	प्रभावित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2010		2011		2012		2013 (अनंतिम)	
		रोगी	मौतें	रोगी	मौतें	रोगी	मौतें	रोगी	मौतें
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	139	7	73	1	64	0		
2.	असम	469	117	1319	250	1343	229		
3.	बिहार	50	7	821	197	745	275		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4.	दिल्ली	0	0	9	0	0	0		
5.	गोवा	80	0	91	1	84	0		
6.	हरियाणा	1	1	90	14	5	0		
7.	झारखंड	18	2	303	19	16	0		
8.	कर्नाटक	143	1	397	0	189	1		
9.	केरल	19	5	88	6	29	6		
10.	महाराष्ट्र	34	17	35	9	37	20		
11.	मणिपुर	118	15	11	0	2	0		
12.	नागालैंड	11	6	44	6	21	2		
13.	पंजाब	2	0	0	0	0	0		
14.	तमिलनाडु	466	7	762	29	935	64		
15.	उत्तर प्रदेश	3540	494	3492	579	3484	557	33	11
16.	उत्तराखंड	7	0	0	0	174	2		
17.	पश्चिम बंगाल	7	0	0	714	58	1216	100	
	कुल	5167	679	8249	1169	8344	1256	33	11

देश में कालाजार की स्थिति

क्र.सं.	राज्य	2010		2011		2012	
		रोगी	मौतें	रोगी	मौतें	रोगी	मौतें
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	बिहार	23084	95	25222	76	16056	27
2.	झारखंड	4305	5	5960	3	3535	1
3.	पश्चिम बंगाल	1482	4	1962	0	990	0
4.	उत्तर प्रदेश	14	0	11	1	5	0
5.	उत्तराखंड	1	0	0	0	7	1
6.	दिल्ली	92	0	19	0	10	0
7.	गुजरात	0	0	0	0	0	0
8.	असम	12	0	5	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8
9.	सिक्किम	3	0	7	0	1	0
10	मध्य प्रदेश	0	0	0	0	0	0
11	हिमाचल प्रदेश	6	1	1	0	0	0
12	पंजाब	1	0	0	0	0	0
	कुल	29000	105	33187	80	20604	29

संशोधित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम

कार्यक्रम के अंतर्गत पंजीकृत क्षयरोगियों और मृत्यु की राज्य और वर्ष-वार कुल संख्या

राज्य	2009		2010		2011		2012*
	पंजीकृत रोगी	मौतें	पंजीकृत रोगी	मौतें	पंजीकृत रोगी	मौतें	पंजीकृत रोगी
1	2	3	4	5	6	7	8
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	803	27	804	38	908	43	844
आंध्र प्रदेश	114074	6077	114414	5841	111915	5371	108727
अरुणाचल प्रदेश	2432	71	2360	56	2311	79	2357
असम	39910	1718	39788	1626	37841	1586	35788
बिहार	82401	2208	78510	2087	76484	1972	73450
चंडीगढ़	2572	50	2764	74	2537	56	2807
छत्तीसगढ़	27463	953	28658	913	27118	988	26885
दादरा और नगर हवेली	386	15	397	22	419	21	415
दमन और दीव	326	16	293	12	313	59	330
दिल्ली	50693	1420	50476	1366	51645	1503	52006
गोवा	1897	78	2156	103	1982	168	1950
गुजरात	80575	4174	77839	4104	74867	3950	72554
हरियाणा	38241	1751	36589	1500	37913	1400	37866
हिमाचल प्रदेश	13743	564	14179	564	13501	630	13615
जम्मू और कश्मीर	13164	410	13482	454	13473	468	12662
झारखंड	39569	1297	39465	1223	38574	1431	36651

1	2	3	4	5	6	7	8
कर्नाटक	67744	4881	68655	4958	70595	4676	67572
केरल	27019	1155	26255	1122	26126	1002	25942
लक्षद्वीप	24	0	13	0	17	3	20
मध्य प्रदेश	83276	3114	87823	3036	90764	4079	89544
महाराष्ट	137705	7794	136135	7858	135281	6735	136046
मणिपुर	4239	139	3652	117	3080	167	2744
मेघालय	4591	278	4947	199	5079	177	5114
मिजोरम	2538	90	2310	98	2304	76	2337
नागालैंड	3614	94	3904	78	3722	135	3526
ओडिशा	52145	2524	49869	2502	48970	2424	49192
पुदुचेरी	1385	80	1437	77	1568	72	1430
पंजाब	38641	1642	40637	1778	39206	1875	39583
राजस्थान	111501	4281	112987	4385	112504	4134	101117
सिक्किम	1720	87	1646	66	1631	164	1832
तमिलनाडु	82634	3973	82457	3980	79830	3794	79576
त्रिपुरा	2851	149	2850	136	2798	292	2557
उत्तर प्रदेश	283317	9384	277245	7986	285884	8221	271568
उत्तराखंड	14300	489	14754	484	14883	823	15239
पश्चिम बंगाल	105816	5258	102397	4938	99829	4691	93273
कुल	1533309	66241	1522147	6378115	15872	63265	1467119

*क्वार्टर में पंजीकृत टीबी रोगियों के जो हुई मौत की सूचना 13-15 माह के बाद उपलब्ध हुई है।

वर्ष 2009-10, 2010-11, 2011-12 और 2012-13 (दिसम्बर, 2012 तक) के दौरान पता लगाये गये नए कुष्ठ रोगी

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13 (दिसम्बर, 12 तक)
1	2	3	4	5
आंध्र प्रदेश	9012	7448	7820	6363
अरुणाचल प्रदेश	24	32	28	34
असम	1176	1252	1000	800

1	2	3	4	5
बिहार	21431	20547	17801	16239
छत्तीसगढ़	7641	7383	6999	5754
गोवा	86	70	64	44
गुजरात	7373	7309	7496	7717
हरियाणा	365	321	524	467
हिमाचल प्रदेश	164	214	195	125
झारखंड	5345	4448	3615	2671
जम्मू और कश्मीर	159	211	175	120
कर्नाटक	4408	3891	3718	2696
केरल	884	931	861	620
मध्य प्रदेश	5592	5708	5858	5050
महाराष्ट्र	15071	15498	17892	12993
मणिपुर	31	26	24	12
मेघालय	20	61	41	19
मिजोरम	10	19	13	14
नागालैंड	79	67	90	137
ओडिशा	6481	6742	8312	6720
पंजाब	824	819	695	756
राजस्थान	1200	1024	974	825
सिक्किम	20	16	20	14
तमिलनाडु	5046	4617	4082	2789
त्रिपुरा	56	29	36	16
उत्तर प्रदेश	27473	25509	24627	18510
उत्तराखंड	587	532	499	414
पश्चिम बंगाल	11453	10321	12169	9473
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	15	26	27	12
चंडीगढ़	25	43	54	45
दादरा और नगर हवेली	156	205	237	289
दमन और दीव	2	2	3	1
दिल्ली	1448	1408	1295	944
लक्षद्वीप	2	0	2	0
पुदुचेरी	58	71	49	47
कुल	133717	126800	127295	102730

केन्द्रीय ऋण पर चूक

1877. **श्री पन्ना लाल पुनिया:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या किसी राज्य सरकार ने केन्द्रीय ऋण नहीं चुकाया है;

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर क्या कदम उठाए गए/कार्रवाई की गई/की जा रही है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

तेल कम्पनियों की कम वसूली की गणना

1878. **श्री पी. सी. गद्दीगौदर:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कम्पनियों की कम वसूली की गणना करने के लिए कोई प्रविधि बनायी है ताकि संवेदनशील तेल उत्पादों की बिक्री के संबंध में उन्हें अपेक्षित सरकारी सहायता दी जा सके;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इस प्रकार की प्रविधि को कब तक बनाए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा): (क) से (ग) वित्त मंत्रालय ने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से अनुरोध किया है कि वित्त वर्ष 2012-13 और उत्तरवर्ती वर्षों के लिए तीन संवेदनशील तेल उत्पादों की बिक्री पर तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) के घाटे की गणना निम्नलिखित विधियों के आधार पर की जाए:

उत्पाद	घाटे की गणना की विधि
एचएसडी	निर्यात समता मूल्य (ईपीपी)
एसकेओ	निर्यात समता मूल्य (ईपीपी)
घरेलू एलपीजी	आयातित मात्रा (40%) के लिए आईपीपी; शेष (60%) के लिए ईपीपी

[हिन्दी]

एलोपैथी की प्रैक्टिस

1879. **श्री हंसराज गं. अहीर:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कतिपय राज्यों/संघ राज्यों क्षेत्रों में होम्योपैथी, यूनानी और आयुर्वेदिक चिकित्सकों को एलोपैथी की प्रैक्टिस करने की अनुमति दी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस संबंध में भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद (एम.सी.आई.) द्वारा निर्धारित विनियमों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इस संबंध में सरकार को महाराष्ट्र सहित विभिन्न राज्यों से कोई प्रस्ताव मिला है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार ने क्या कार्रवाई की है/करने का विचार है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. गांधीसेलवन): (क) जी, नहीं। केन्द्रीय सरकार द्वारा ऐसी कोई अनुमति प्रदान नहीं की गई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) इस संबंध में भारतीय चिकित्सा परिषद (एमसीआई) द्वारा ऐसे कोई विनियम अधिसूचित नहीं किए गए हैं।

(घ) जी, नहीं। इस संबंध में महाराष्ट्र सहित विभिन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से सरकार को कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

विमान कम्पनियों से बकायों की वसूली

1880. **श्री ई. जी. सुगावनम:** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कम्पनियों को विभिन्न विमान कम्पनियों से एयर टरबाइन फ्यूल (ए.टी.एफ.) की आपूर्ति करने के लिए बड़ी राशि की वसूली करनी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी कम्पनी-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त कम्पनियों द्वारा चूककर्त्ता विमान कम्पनियों से बकायों की वसूली के लिए कोई कदम उठाया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) दिनांक 31.12.2012 की स्थिति के अनुसार विभिन्न एयरलाइंसों के पास सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कम्पनियों की बकाया देयताएं कम्पनी-वार और एयरलाइंस-वार निम्नवत हैं:

ओएमसी का नाम	एयरलाइंस का नाम अनुसार ब्याज सहित कुल बकाया	दिनांक 31.12.2012 की स्थिति के अनुसार ब्याज सहित कुल राशि	दिनांक 31.12.12 की स्थिति के अनुसार जमानत राशि अधिदेय राशि	दिनांक 31.12.12 की स्थिति के अनुसार ब्याज
आईओसीएल	एयर इंडिया	2514.97	1703.63	शून्य
	जेट एयरवेज	910.00	107.52	923.00
	गो एयर	112.53	शून्य	115.50
	स्पाइस जेट	91.23	शून्य	95.00
बीपीसीएल	एयर इंडिया	754.75	450.48	शून्य
	जेट एयरवेज	112.06	31.29	150.00
	गो एयर	1.41		मध्यस्थन के अधीन
एचपीसीएल	एयर इंडिया	1007.39	485.54	शून्य
	किंगफिशर एयर लाइंस	66.72	66.72	200 करोड़ रुपए की नैगम गारंटी
	पैरामाउंट एयरवेज	19.28	19.28	शून्य

(ग) से (ङ) यदि एयरलाइंस अपनी देयताओं का भुगतान नहीं कर पाती है तो ओएमसीज देयताओं की वसूली करने के लिए परस्पर सहमत वाणिज्यिक शर्तों के और कानूनी प्रक्रियाओं के अनुसार कार्रवाई करती हैं, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ उनको 'नकद दो और माल लो' आधार पर रखना, अधिदेय भुगतानों पर ब्याज वसूल करना, बैंक गारंटी का नकदीकरण करना, बकाया देयताओं के लिए पूर्व दिनांकित चेक की मांग करना और भुगतान नहीं करने वाली एयरलाइंस के विरुद्ध न्यायालय में मुकदमा दायर करना शामिल है।

[हिंदी]

रसोई गैस सिलिंडर संबंधी आवश्यकता

1881. **श्री महेश्वर हजारी:**
श्री हर्ष वर्धन:
श्रीमती ऊषा वर्मा:
श्रीमती सीमा उपाध्याय:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रसोई गैस के सिलिंडर लेने के लिए उपभोक्ताओं को अपनी-अपनी गैस एजेंसियों में आधार कार्ड जमा करना अनिवार्य बना दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या उक्त शर्तों के कारण उपभोक्ताओं को समस्याएं हो रहीं हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या गैस एजेंसियां कोई वैकल्पिक दस्तावेज भी स्वीकार कर रही हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं तथा इस संबंध में सरकार क्या सुधारात्मक उपाय कर रही है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी): (क) जी, नहीं।

(ख) से (च) उपर्युक्त (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण मिशन

1882. श्री गोपीनाथ मुंडे: क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण मिशन शुरू किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं और इसके अन्तर्गत कितनी धनराशि निर्धारित की गई है;

(ग) कितने राज्यों में यह मिशन शुरू किया गया है;

(घ) इस मिशन से कितनी महिलाएं राज्य-वार लाभान्वित हुई हैं;

(ङ) इस मिशन को शुरू करने के बाद से अब तक राज्य सरकारों द्वारा कितनी धनराशि राज्य-वार संघ राज्य क्षेत्र-वार खर्च किये जाने की रिपोर्ट है;

(च) क्या सरकार का राष्ट्रीय मिशन प्राधिकरण की स्थापना करने का विचार है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा तीरथ): (क) जी, हां।

(ख) राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण मिशन (एमएमईडब्ल्यू) की विविध विशेषताएं संलग्न विवरण-I में दी गई है। वर्ष 2010-15 की अवधि में कुल 14134.53 लाख रुपये की निधियां सुनिश्चित की गई। वर्ष 2012-13 के लिए बजट प्राक्कलन 2500.00 लाख रुपये है जबकि वर्ष 2012-13 के लिए संशोधित अनुमान 1100.00 लाख रुपये है।

(ग) जी, नहीं तथापि विभिन्न राज्यों में 28 राज्य मिशन प्राधिकारी (एसएमए) स्थापित किए गए हैं।

(घ) मिशन वैयक्तिक लाभार्थियों को शीघ्र लाभों का प्रत्यक्ष प्रदान नहीं करता है। राजस्थान में पाली जिले में प्रायोगिक परियोजना तथा इसके साथ ही विभिन्न राज्यों में एसआरसी डब्ल्यू की स्थापना करने के लिए निधियां निर्मुक्त की गई।

(ङ) विभिन्न राज्यों/संघ राज्य प्रशासनों में राज्य मिशन प्राधिकारी के अंतर्गत 23 राज्य महिला स्रोत केंद्र स्थापित किए जा चुके हैं। राज्यों/संघ राज्य प्रशासनों द्वारा किए गए व्यय की रिपोर्ट इस प्रकार है–

I. राजस्थान एसआरसीडब्ल्यू – 8,11,262/- रुपये

II. राजस्थान प्रायोगिक पाली परियोजना –77,12,397/- रुपये

III. कर्नाटक एसआरसीडब्ल्यू – 9,66,000/- रुपये

IV. मेघालय एसआरसीडब्ल्यू – 12,00,000/- रुपये

V. उत्तराखंड एसआरसीडब्ल्यू – 3,62,693/- रुपये

(च) जी, हां।

(छ) सारणी विवरण-II में दी गई है।

विवरण I

महिलाओं के सर्वांगीण सशक्तीकरण के लिए भारतर सरकार ने राष्ट्रीय महिला सशक्तीकरण मिशन की शुरूआत की है। अंतर-क्षेत्रीय संकेंद्रण को सशक्त बनाने एवं सभी महिलाओं के कल्याण के समन्वय प्रक्रिया के सुसाध्य बनाने एवं मंत्रालयों/विभागों में सामाजिक आर्थिक विकास कार्यक्रमों के अधिदेश के साथ इसकी संरचना एक व्यापक मिशन के रूप में की गई है।

राष्ट्रीय महिला सशक्तीकरण मिशन की विशेषताएं

1. महिलाओं का आर्थिक विकास सुनिश्चित करना।
2. महिलाओं के विरुद्ध हिंसा में उत्तरोत्तर उन्मूलन को सुनिश्चित करना।
3. स्वास्थ्य एवं शिक्षा पर बल देते हुए महिलाओं का सामाजिक सशक्तीकरण सुनिश्चित करना।
4. कार्यक्रमों, नीतियों, संस्थागत प्रक्रियाओं से महिलाओं को मुख्य धारा से जोड़ना एवं भागीदारी मंत्रालयों, संस्थानों एवं संगठनों की प्रक्रियाओं की निगरानी करना।

5. विभिन्न स्कीमों तथा कार्यक्रमों के अंतर्गत लाभों की मांग को ऊर्जावान बनाने के लिए समर्थन कार्यकलापों के साथ-साथ जागरूकता उत्पन्न करना और यदि आवश्यक हो तो, इसकी प्राप्ति हेतु पंचायत की सहभागिता से जिला, तहसील एवं ग्रामीण स्तर पर संरचना तैयार करना।

विवरण II

'राष्ट्रीय महिला सशक्तीकरण मिशन' (एन.एम.ए.) की संरचना राष्ट्रीय मिशन प्राधिकरण (एमएमए) की संरचना इस प्रकार है:

I. माननीय प्रधानमंत्री

II. वित्त मंत्री

III. मानव संसाधन विकास मंत्री

IV. आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री

V. पंचायती राज मंत्री

VI. कृषि और सहकारिता मंत्री

VII. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री

VIII. सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री

IX. विधि और न्याय मंत्री

X. पर्यावरण और वन मंत्री

XI. श्रम और रोजगार मंत्री

XII. सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री

XIII. उपाध्यक्ष, योजना आयोग

XIV. महिला ओर बाल विकास मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

XV. अध्यक्ष, राष्ट्रीय महिला आयोग

XVI. दो राज्यों के मुख्य मंत्री

XVII. पांच सिविल सोसाइटी के सदस्य

[अनुवाद]

एल.पी.जी. सिलिंडरों का मूल्य

1883. श्री के. सुगुमारः क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का विचार तेल विपणन कम्पनियों को तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (एल.पी.जी.) सिलिंडरों के मूल्य में वृद्धि होने पर इसके मूल्य में संशोधन करने की अनुमति देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस संबंध में तेल विपणन कम्पनियों से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार ने क्या कार्रवाई की है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल मूल्यों में वृद्धि के प्रभाव से आम आदमी को बचाने के लिए और घरेलू स्फीतिकारी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, सरकार राजसहायता प्राप्त घरेलू एलपीजी (14.2 किग्रा./सिलिंडर) के खुदरा बिक्री मूल्य को घटाती-बढ़ाती रहती है, जिसके परिणामस्वरूप सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज) को अल्प वसूलियां होती हैं। दिनांक 1.3.2013 से प्रभावी रिफाइनरी द्वार मूल्य (आरजीपी) के आधार पर ओएमसीज को राजसहायता प्राप्त घरेलू एलपीजी पर 439.00 रुपए प्रति 14.2 किग्रा. सिलिंडर की अल्प वसूली हो रही है।

तथापि, सरकार ने राजसहायता प्राप्त घरेलू एलपीजी सिलिंडरों की आपूर्ति प्रत्येक उपभोक्ता के लिए 6 सिलिंडर (14.2 किग्रा. का) प्रति वर्ष तक सीमित करने का निर्णय लिया था, जिसे अंततः दिनांक 17/18-1-2013 से बढ़ाकर 9 सिलिंडर प्रति वर्ष कर दिया गया है। राजसहायता प्राप्त घरेलू एलपीजी की आपूर्ति पर लगाई गई उक्त सीमा के बाद कितनी भी संख्या में घरेलू एलपीजी सिलिंडर उपभोक्ताओं के लिए गैर राजसहायता प्राप्त दरों पर उपलब्ध हैं, जिसे ओएमसीज द्वारा मासिक आधार पर अधिसूचित किया जा रहा है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिंदी]

पेट्रोलियम उत्पादों की खपत

1884. श्री राजेन्द्र अग्रवाल: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने 12वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान पेट्रोल, डीजल और गैस की खपत का कोई आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार पेट्रोलियम उत्पादों की मांग और आपूर्ति के बीच अंतर को पाटने के लिए कोई योजना बनाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) वर्ष 2011-12 में वास्तविक खपत की तुलना में वर्ष 2016-17 तक अर्थात् 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक पेट्रोल और गैस की अनुमानित मांग निम्नानुसार है:

उत्पाद	वर्ष 2011-12 में वास्तविक खपत	वर्ष 2016-17 में अनुमानित खपत
पेट्रोल (मिलियन मीट्रिक टन)	14.992	22.588
डीजल (मिलियन मीट्रिक टन)	64.762	81.599
प्राकृतिक गैस (बिलियन घन मीटर)	46.482	172.630

(ग) और (घ) तेल और गैस की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए सरकार पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के अन्वेषण और उत्पादन तथा इससे संबद्ध कार्यकलापों, जो पूंजीपरक हैं और जिनके लिए खर्चीली अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी अपेक्षित है, के लिए विदेशी कम्पनियों सहित निजी कम्पनियों और राष्ट्रीय तेल कम्पनियों की भागीदारी को प्रोत्साहित कर रही है।

निजी कम्पनियों को रियायतें

1885. श्री जगदीश सिंह राणा: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार पेट्रोलियम उत्पादों के व्यापार में लगी निजी कम्पनियों को कतिपय छूट और रियायत दे रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) उक्त रियायतों के परिणामस्वरूप राजस्व पर कितना बोझ बढ़ेगा?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) (क) के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

पवन ऊर्जा हेतु जी.बी.आई.

1886. श्रीमती बोचा झांसी लक्ष्मी: क्या **नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पवन ऊर्जा हेतु प्रोत्साहन के रूप में उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना (जी.बी.आई.एस.) का कार्यान्वयन जारी रखने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त अवधि के दौरान पवन ऊर्जा क्षमता में बढ़ोत्तरी हेतु क्या लक्ष्य तय किया गया है;

(ग) क्या सरकार ने पवन ऊर्जा परियोजनाओं हेतु प्रतियोगी निविदा मूल्य निर्धारण हेतु आगे बढ़ने से पहले विभिन्न हितधारकों से परामर्श किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री (श्री फारुख अब्दुल्ला): (क) और (ख) जी, हां। जीबीआई योजना को जारी रखने हेतु एक प्रस्ताव पर व्यय वित्त समिति (ईएफसी) ने दिनांक 14.12.2012 को सम्पन्न अपनी बैठक में विचार किया है और मंत्रालय द्वारा प्रस्ताव पर मंत्रिमंडल की मंजूरी प्राप्त की जा रही है। 12वीं योजना अवधि के लिए पवन विद्युत क्षमता में बढ़ोतरी हेतु 1500 मेगावाट का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता क्योंकि सरकार द्वारा वर्तमान में पवन विद्युत परियोजनाओं के लिए प्रतियोगी निविदा मूल्य निर्धारण शुरू करने पर विचार नहीं किया जा रहा है।

एम.डी.जी. की समीक्षा हेतु समिति

1887. श्री उदय सिंहः क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने खुदरा विक्रेताओं हेतु विपणन अनुशासन दिशानिर्देश (एम.डी.जी.) 2005 की समीक्षा करने के लिए वर्ष 2008 में कोई समिति नियुक्त की थी;

(ख) यदि हां, तो उक्त समिति ने सरकार को अपनी रिपोर्ट पेश कर दी थी;

(ग) क्या सार्वजनिक क्षेत्र के तेल निगमों द्वारा उक्त समिति की अनुशंसाओं और टिप्पणियों को नई एम.डी.जी., 2010/एम.डी.जी., 2012 में समाहित किया गया है

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो अनुशंसाओं और टिप्पणियों को समाहित नहीं करने के क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सार्वजनिक क्षेत्र के तेल निगमों को कतिपय पेट्रोलियम डीलर्स संघ से एम.डी.जी. 2010/एम.डी.जी. 2012 के निर्धारण के विरुद्ध अभ्यावेदन मिला है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार ने क्या कार्रवाई की है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी): (क) जी, हां। सरकार ने समिति के गठन के संबंध में आम जनता को सूचित करते हुए एक सार्वजनिक सूचना जारी की थी। प्रणाली को और अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के उद्देश्य से आम जनता/पणधारकों से विचारों/सुझावों को प्राप्त करने के लिए सार्वजनिक सूचना जारी की गई थी।

(ख) जी, हां।

(ग) से (च) सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कम्पनियों (ओएमसीज) अर्थात् इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लि. (आईओसीएल), हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि. (एचपीसीएल) और भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि. (बीपीसीएल) द्वारा अखिल भारतीय पेट्रोलियम व्यापारी संघ (एफएआईपीटी) और भारतीय पेट्रोलियम डीलर संगठन (सीआईपीडी) के साथ समिति की सिफारिशों पर व्यापक चर्चा की गई थी। इसके बाद ओएमसीज ने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय को अपनी अंतिम सिफारिशें भेजी थीं। ओएमसीज ने सूचित किया है कि मंत्रालय को भेजी गई अंतिम सिफारिशों में राष्ट्रीय/राज्य डीलर संगठनों/निकायों सहित विभिन्न पण-धारकों से प्राप्त सुझावों/अभ्यावेदनों/आदानों पर विधिवत विचार किया गया था। ओएमसीज के अंतिम सिफारिशों पर सावधानीपूर्वक विचार करने के पश्चात, मंत्रालय ने नए विपणन अनुशासन दिशा-निर्देश (एमडीजी), 2012 को अनुमोदित किया था।

पेट्रोलियम उत्पादों का संरक्षण

1888. श्री जोस के० मणिः क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में पेट्रोलियम उत्पादों के परिरक्षण के लिए कोई कदम उठाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पेट्रोलियम परिरक्षण कार्यसमूह ने अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रें में संरक्षण की संभाव्यता का मूल्यांकन किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ और सार्वजनिक क्षेत्र के तेल उपक्रमों द्वारा इस वर्ष के शुरू में आयोजित तेल और गैस संरक्षण पखवाड़ा की अवधि को बढ़ाकर एक महीने का करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) जी, हां। सरकार ने पेट्रोलियम उत्पादों के संरक्षण और कुशल उपयोग हेतु उपाय करने के लिए वर्ष 1976 में पेट्रोलियम संरक्षण कार्य समूह (पीसीएजी) का गठन किया था, जिसे बाद में वर्ष 1978 में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के तत्वावधान में एक सोसायटी के तौर पर पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ (पीसीआरए) के रूप में पुनर्गठित कर दिया गया था। पीसीआरए के लक्ष्य निम्नवत हैं:

(i) पर्यावरण संरक्षण, ऊर्जा सुरक्षा और सतत विकास हेतु पेट्रोलियम उत्पादों के तेजी से संरक्षण के लिए उपाय करना और उन्हें प्रोन्नत करना।

(ii) जानकारी विस्तार व क्षमता निर्माण द्वारा स्वच्छ वातावरण तथा पेट्रोलियम उत्पादों के संरक्षण के महत्त्व, लाभों और तौर-तरीकों के बारे में लोगों के बीच जागरूकता पैदा करना।

(iii) अनुसंधान, विकास को प्रोन्नत करना तथा पेट्रोलियम संरक्षण और पर्यावरण संरक्षा पर केन्द्रित प्रयासों को अमल में लाना, उन्हें बढ़ावा देना तथा ईंधन दक्ष प्रौद्योगिकियों को स्वीकार करने तथा उन्हें प्रचारित करने के प्रयासों को सहज बनाना तथा वैकल्पिक ईंधनों तथा पुनः प्रयोग में लाए जाने वाले ईंधनों के साथ पेट्रोलियम उत्पादों का प्रतिस्थापन।

(iv) पेट्रोलियम संरक्षण और पर्यावरण संरक्षा के क्षेत्रों में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर सहक्रियाशील संस्थागत संपर्क स्थापित करना।

(v) ऐसी प्रशिक्षण और तकनीकी सलाहकार सेवाएं उपलब्ध करना जो स्वच्छ पर्यावरण के लिए पेट्रोलियम उत्पादों के प्रयोग में किफायत और दक्षता प्राप्ति के लिए बनाई गई हों।

(vi) तेल पर अत्यधिक निर्भरता को कम करने के लिए पेट्रोलियम संरक्षण और पर्यावरण संरक्षा पर कार्यनीतियां तथा नीतियां प्रस्तावित करने के उद्देश्य से भारत सरकार के लिए एक विचारक के तौर पर कार्य करना।

(ग) और (घ) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा वर्ष 1998 में गठित कार्य समूह की रिपोर्ट के अनुसार, अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में तेल और गैस के कुल संभावित संरक्षण का आकलन 30 से 35 प्रतिशत के बीच किया गया था। इसमें से यह अनुमान लगाया गया था कि हाउसकीपिंग रखरखाव तथा कम लागत संरक्षण उपायों से 10 से 25 प्रतिशत का संरक्षण हो सकता है। ईंधन-दक्ष प्रौद्योगिकियों, वैकल्पिक ईंधनों तथा पुन: प्रयोग में लाने वाले ईंधनों के प्रयोग से 20 से 40 प्रतिशत के अतिरिक्त बचत की जा सकती है।

(ङ) और (च) वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

सॉवरेन वेल्थ फंड

1889. श्री मानिक टैगोर: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने देश में बड़े निवेशों को वित्तपोषित करने के लिए एक मल्टी बिलियन डॉलर फंड की स्थापना करने की योजना की परिकल्पना की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा तथा इसकी वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) ऐसे फंड के अनुमानित स्रोत कौन से हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा): (क) से (ग) सरकारी धन निधि (सॉवरेन वेल्थ फंड) की स्थापना हेतु वित्तीय क्षेत्र के विभिन्न हितधारकों से बड़ी संख्या में सुझाव प्राप्त हुए हैं। तथापि, सरकार ने इस संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया है।

ई.सी.बी. मानक

1890. श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई.) ने अवसंरचना कंपनियों हेतु विदेशी वाणिज्यिक उधार (ई.सी.बी.) मानकों में ढ़ील देता है; और

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अब तक बाजार पर इसके क्या प्रभाव पड़े हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा): (क) विनिर्माण और अवसरंचना जैसे महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में निधियों का प्रवाह सुसाध्य बनाने और अर्थव्यवस्था की वृद्धि की संभाव्यता को बढ़ाने के लिए उत्पन्न हो रही वृहद् आर्थिक स्थिति, घरेलू निवेश मांग और वैदेशिक क्षेत्र के घटनाक्रमों के अनुरूप भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से विदेशी वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) नीति की आवधिक रूप से समीक्षा की जाती है।

(ख) अवसंरचना विकास पर विशेष बल देते हुए भारतीय कारपोरेट क्षेत्र की दीर्घावधिक निधियों की उपलब्धता सुसाध्य बनाने के लिए राशि और परिपक्वता, आल-इन-कॉस्ट और अनुमत अंत प्रयोगों आदि जैसे ईसीबी के विनियमों के महत्त्वपूर्ण घटकों का प्रगामी उदारीकरण और यौक्तिकीकरण किया गया है। ईसीबी नीति में किए गए महत्त्वपूर्ण उदारीकरण और यौक्तिकीकरण के उपायों में ये शामिल हैं: (क) नई ईसीबी की 25 प्रतिशत की सीमा तक अवसंरचना क्षेत्र हेतु रुपया ऋणों के पुन: वित्तपोषण के लिए ईसीबी की अनुमति देना; (ख) कम लागत वाली/सस्ते आवासों की परियोजनाओं हेतु ईसीबी की अनुमति देना; (ग) विदेशी मुद्रा में उधार ली गई राशि पर ब्याज भुगतान पर विदहोल्डिंग टैक्स की दर में कमी करना; (घ) एमएसएमई क्षेत्र को आगे उधार देने के लिए ईसीबी तक पहुंच बनाने हेतु पात्र उधारकर्ता के रूप में सिडबी को अनुमति देना; (ङ) सड़कों और राजमार्गों हेतु टॉल प्रणालियों के रखरखाव व संचालन संबंधी पूंजीगत व्यय के लिए ईसीबी की अनुमति देना; (च) एयरलाईन उद्योग की कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं हेतु ईसीबी की अनुमति देना और (छ) विदेशी मुद्रा आय वाले विनिर्माण व अवसंरचना क्षेत्र में कम्पनियों हेतु ईसीबी की नई विंडो की शुरूआत करना।

अवसंरचना क्षेत्र की कम्पनियों द्वारा लिए गए ईसीबी में महत्त्वपूर्ण बढ़ोतरी हुई है। जैसा कि भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है, अवसंरचना क्षेत्र में ईसीबी अनुमोदन की राशि 2009-10 में 5151 मिलियन अमरीकी डॉलर, 2010-11 में 10888 मिलियन

अमरीकी डॉलर, 2011-12 में 14779 मिलियन अमरीकी डॉलर और अप्रैल-दिसंबर 2012 में 3522 मिलियन अमरीकी डॉलर थी।

ईसीबी के मार्ग से कम लागत वाली दीर्घावधिक निधियों की उपलब्धता देश में अवसंरचना विकास की तीव्र गति में सहायता करने में मददगार होगी।

[हिंदी]

फेमा के अंतर्गत पूछताछ

1891. डॉ. किरोड़ी लाल मीणा: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (फेमा) 1999 के प्रावधानों के उल्लंघन के मामलों में भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई.) द्वारा की गई जांच पूरी हो गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसका क्या परिणाम निकला;

(ग) यदि नहीं, तो इसमें विलंब, यदि कोई हो, के क्या कारण हैं;

(घ) क्या प्रवर्तन निदेशालय ने उक्त पूछताछ को पूरा करने के लिए कोई समय-सीमा नियत की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा): (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त सूचना के आधार पर, वर्ष 2009-10 के बाद की अवधि के दौरान फेमा के तहत न्यायनिर्णय प्राधिकरण ने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जांच पूरी किए जाने पर विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 के संगत प्रावधानों के कथित उल्लंघन हेतु 29 कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं।

(घ) और (ङ) प्रवर्तन निदेशालय का हमेशा यही प्रयास होता है कि उचित समय-सीमा के अंदर जांच पूरी कर ली जाए।

[अनुवाद]

आर.ई.सी. III

1892. श्रीमती मौसम नूर: क्या **नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 'ग्रामीण विकास हेतु स्वच्छ ऊर्जा (आर.ई.सी.-III)' परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) देश के ग्रामीण क्षेत्रों में शुरू की जा रही विभिन्न स्वच्छ ऊर्जा परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार आर.ई.सी.-III के तहत कतिपय उप-परियोजनाओं पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री (डॉ. फारुख अब्दुल्ला): (क) विद्युत मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन एक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड (आरईसी) ने ऊर्जा दक्षता परियोजनाओं को और ग्रामीण क्षेत्रों में अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं को आरईसी द्वारा उपलब्ध कराए गए ऋणों को पुनर्वित्तपोषण हेतु दिनांक 30 मार्च, 2012 को के.एफ.डब्ल्यू. जर्मनी के साथ 'ग्रामीण विकास हेतु स्वच्छ ऊर्जा (आरईसी-III)' परियोजना के लिए एक ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ऋण की राशि 100 मिलियन यूरो है जिसे दिनांक 31 दिसम्बर 2017 तक चरणों में प्राप्त किया जा सकता है।

(ख) आज की तिथि तक आरईसी ने आंध्र प्रदेश, गुजरात, ओडिशा, हरियाणा और राजस्थान राज्यों में 27 मेगावाट की समग्र अक्षय ऊर्जा उत्पादन क्षमता की 5 परियोजनाओं, जिसमें 20 मेवा. की 2 बायोमास आधारित परियोजनाएं और 7 मेवा. की 3 सौर विद्युत उत्पादन परियोजनाएं शामिल हैं, को दिए गए ऋण की तुलना में 140.52 करोड़ रु. का दावा किया है।

(ग) और (घ) आरईसी-III ऋण में अनेक उप-परियोजनाएं शामिल हैं जिन्हें राज्य/निजी क्षेत्र के विकासकर्ताओं द्वारा स्थापित किया गया है। इन उप-परियोजनाओं का वित्तपोषण आरंभ में आरईसी द्वारा किया जाता है और केएफडब्ल्यू, जर्मनी द्वारा पुनर्वित्तपोषण किया जाता है।

[हिंदी]

वित्तीय क्षेत्र को उदार बनाना

1893. श्री जयराम पांगी: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यूनाइटेड किंगडम के प्रधान मंत्री ने अपने हाल के दौरे में भारत सरकार से देश के वित्तीय क्षेत्र को और ज्यादा उदार बनाने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा): (क) से (ग) भारत-यू.के. वार्ता का आयोजन ब्रिटिश प्रधानमंत्री, श्री डेविड कैमरान की भारत की सरकारी यात्रा के दौरान 19 फरवरी, 2013 को नई दिल्ली में किया गया था। वार्ता के दौरान, दोनों प्रधानमंत्रियों ने आर्थिक संबंधों में हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। उन्होंने इन संबंधों को एक नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए अतिरिक्त कदम उठाने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने व्यापार में और अधिक वृद्धि करने के उपायों पर चर्चा की। भारतीय पक्ष ने अवसंरचना और ऊर्जा क्षेत्रों सहित भारत में अधिक ब्रिटिश निवेशों को आमंत्रित किया। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने निवेश में व्याप्त बाधाओं को कम करने की आवश्यकता पर बल दिया। दोनों नेताओं ने भारत और यू.के. के मध्य व्यापार और निवेश में जबर्दस्त वृद्धि करने के प्रति अपनी वचनबद्धता व्यक्त की।

[हिंदी]

नेत्र अस्पताल को अनुदान

1894. डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को बिहार के मुजफरपुर में सामाजिक सेवा संगठन द्वारा संचालित नेत्र के अस्पताल को वित्तीय सहायता प्रदान करने के संबंध में कोई प्रस्ताव मिला है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अबू हसीम खां चौधरी): (क) से (ग) राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम (एनपीसीबी) राज्यों में राज्य/जिला स्वास्थ्य सोसायटियों के माध्यम से लागू की जा रही एक केन्द्रीय योजना है। नेत्र परिचर्या कार्यकलापों के लिए आवंटित निर्धारित नेत्र चिकित्सालयों को वित्तीय सहायता, राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तुत तथा सक्षम प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना के अनुसार राष्ट्रीय दृष्टिहीनता कार्यक्रम के तहत प्रदान की जाती है।

क्या जाता है और केएफडब्ल्यू, जर्मनी द्वारा पुनर्वित्तपोषण किया जाता है।

[अनुवाद]

अधिकारियों को मनोरंजन भत्ता

1895. श्री सोमेन मित्र: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार के अधिकारियों के किसी समूह/ग्रेड को मनोरंजन भत्ता दिया जाता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसका उद्देश्य क्या हैं;

(ग) क्या मनोरंजन भत्ते की राशि कर योग्य है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है(और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

जेनेरिक औषधियों की गुणवत्ता

1896. श्री रूद्रमाधव राय:
श्री जोस के॰ मणि:
श्री फ्रांसिस्को कोज्मी सारदीना:
श्री अमरनाथ प्रधान:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा देश में जेनेरिक और गैर-ब्रांडेड औषधियों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए कोई तंत्र स्थापित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसे सुदृढ़ करने के लिए क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या सरकार भेषज कंपनियों के ब्रांडेड नामों के अन्तर्गत जेनेरिक औषधियों के निर्माण और विपणन पर प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा देश में अनुसंधान, कच्चे माल का भंडारण और औषधियों का निर्माण, विशेषकर जेनेरिक औषधियों से संबंधित विभिन्न औषधि-विनियमों के मानकीकरण के लिए क्या कदम उठाये गए/उठाए जाने का विचार है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) और (ख) जी हां। देश में बिक्री के लिए औषधियों की गुणवत्ता, चाहे वे जेनेरिक अथवा गैर ब्रांडेड अथवा

ब्रांडेड विनिर्मित अथवा आयातित है, को औषध और प्रसाधन सामग्री अधिनियम और उसके अंतर्गत बनाए गए औषध एवं प्रसाधन नियमावली, 1945 के प्रावधानों के तहत, विनियमित किया जाता है। इन नियमों के तहत औषधियों का उत्पादन तथा बिक्री राज्य सरकारों द्वारा और नई औषधियों का निर्यात अनुमोदन एवं औषधियों पर प्रतिबंध लगाने के कार्य को केन्द्र सरकार द्वारा इसके औषध विनयामक निकाय, नामत: केन्द्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) द्वारा किया जाता है।

इन संस्थानों को सुदृढ़ करने के लिए सरकार ने 2008 से सीडीएससीओ में 216 अतिरिक्त पदों का सृजन किया गया है। केन्द्रीय औषध परीक्षण प्रयोगशालाओं में अत्याधुनिक परीक्षण उपकरण प्रदान किए गए हैं। सीडीएससीओ के दो उप-क्षेत्र (हैदराबाद और अहमदाबाद) का पूर्ण क्षेत्र के रूप में उन्नयन कर दिया गया है तथा तीन नए उप-क्षेत्र (बंगलुरु, चंडीगढ़ और जम्मू) बनाए गए हैं। औषधियों को आयात करने के लिए उनका पंजीकरण करने से पहले उत्तम विनिर्माण प्रणालियों के दिशानिर्देशों के समुचित अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु विदेश में स्थित विनिर्माण सुविधाओं की नियमित विदेशी निरीक्षण योजना शुरू की गई है। ऐसे दो निरीक्षण पहले ही चीन में हो चुके हैं। जन स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए प्रतिकूल औषध प्रतिक्रिया (एडीआर) को नियंत्रित करने के लिए राष्ट्रीय फार्माकोविजिलेंस कार्यक्रम शुरू किया गया है। भारतीय भेषज संग्रह आयोग गाजियाबाद, (उत्तर प्रदेश) में भारतीय समन्वय केन्द्र और सीडीएससीओ (मुख्यालय) में फार्माकोविजिलेंस प्रकोष्ठ के अलावा 60 एडीआर मॉनीटरिंग केन्द्र पहले ही कार्य कर रहे हैं।

राज्य सरकारों को भी उनकी जनशक्ति तथा अवसंरचना को सुदृढ़ करने के लिए अनुरोध किया गया है। अपनी ओर से केन्द्र सरकार राष्ट्रीय ग्रामयीण स्वास्थ्य मिशन के तहत राज्यों के अवसंरचना का उन्नयन करने के लिए उनको वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। इसके अतिरिक्त, 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्य औषध नियंत्रण विभागों का सुदृढ़ीकरण करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु एक नई योजना शुरू की गई है।

(ग) और (घ) औषध सूत्रीकरण के विनिर्माण के लिए लाइसेंस देते समय, विनिर्माता द्वारा प्रस्तुत किए गए व्यापारिक नाम को भी उत्पादन के उचित नाम के साथ राज्य लाइसेंस प्राधिकारियों द्वारा भी समर्थन किया जा रहा है जिसमें कि ब्रांड अथवा व्यापारिक नाम के तहत औषधि के विपणन करने हेतु वैधता मिल सके। यह कार्य व्यवहार कानून के उद्देश्य के अनुसार नहीं है, जिसमें बिक्री अथवा वितरण के लिए विनिर्माण करने हेतु लाइसेंस देने/नवीकरण के लिए आवेदन पत्र अथवा विभिन्न प्रपत्रों में किसी भी प्रकार व्यापारिक नाम/ब्रांड नाम का उल्लेख करना आवश्यक नहीं होता। इस कार्य प्रणाली को नियंत्रित करने के लिए केन्द्र सरकार ने औषध और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की धारा 33पी के तहत दिनांक 1.10.2012 को राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को सांविधिक निदेश जारी किया जो औषध का उचित/जेनेरिक नाम में ही बिक्री अथवा वितरण के लिए विनिर्माण हेतु लाइसेंस देने/नवीकरण करने के लिए संबंधित औषध लाइसेंस प्राधिकारियों को निर्देश देने के संबंध में था।

(ङ) जेनेरिक औषध सहित औषध के विनिर्माण, आयात और बिक्री के लिए विनियामक प्रावधान औषध और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 और उसके अंतर्गत बनाए गए औषध एवं प्रसाधन सामग्री नियमावली, 1945 में निहित है।

वनाधिकार समितियों का गठन

1897. श्री प्रेम दास राय: क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वनाधिकार अधिनियम, 2006 में किए गए प्रावधान के अनुरूप सभी राज्यों में ग्राम सभा स्तर पर वनाधिकार समितियों का गठन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके कार्यान्वियन की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार स्थिति क्या है;

(ग) क्या ऐसी समितियों का गठन न होने के कारण दावों के सत्यापन कार्य में अवरोध उत्पन्न होता है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा ग्राम सभा स्तर पर दावों का उचित सत्यापन सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किये गए हैं?

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रानी नरह): (क) और (ख) अनुसूचित जनजाति तथा अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 में राज्य सरकारों द्वारा वन अधिकार समिति के गठन के लिए कोई प्रावधान नहीं है। तथापि, अधिनियम के प्रावधानों को कार्यान्वित करने के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा दिनांक 1.1.2008 को अनुसूचित जनजाति तथा अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) नियमावली, 2008 को अधिसूचित किया गया है जिसमें इस अधिनियम के तहत सौंपे गए कार्यों को पूरा करने में ग्राम सभा की सहायता करने हेतु ग्राम सभा द्वारा वन अधिकार समिति के गठन का प्रावधान है। इसकी अपेक्षित कार्यान्वयन स्थिति (राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार) संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) दिनांक 1.1.2008 को अधिसूचित अनुसूचित जनजाति तथा अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) नियमावली, 2008 के अनुसार वन अधिकार समिति से ग्राम सभा के निम्नलिखित कार्यों में सहायता करने की अपेक्षा है:

(1) निर्धारित प्रपत्र में दावों की प्राप्ति, पावती तथा प्रतिधारणा तथा ऐसे दावों के समर्थन में साक्ष्य,

(2) नक्शों सहित दावों तथा साक्ष्यों का रिकॉर्ड तैयार करना,

(3) वन अधिकारों के बारे में दावेदारों की सूची तैयार करना,

(4) दावों का सत्यापन करना जैसी कि नियमों में व्यवस्था है,

(5) ग्राम सभा के समक्ष उनके विचारार्थ दावे की प्रकृति तथा सीमा पर अपने निष्कर्ष प्रस्तुत करना,

(6) प्राप्त प्रत्येक दावे की लिखित रूप में पावती देना,

(7) निर्धारित प्रपत्र में सामुदायिक वन अधिकारों के लिए ग्राम सभा की ओर से दावे तैयार करना।

नियमों में यह प्रावधान भी है कि वन अधिकार समिति संबंधित दावेदार तथा वन विभाग को सूचित करने के उपरांत:

(क) साइट का दौरा करेगी तथा साइट पर वास्तविक रूप से दावे और साक्ष्य की प्रकृति और साक्ष्य को सत्यापित करेगी,

(ख) दावेदार तथा गवाहों की ओर से कोई और साक्ष्य या रिकॉर्ड प्राप्त करेगा,

(ग) यह सुनिश्चित करेगी कि चरवाहों या घुमन्तू जनजातियों से उनके अधिकारियों के निर्धारण के लिए दावे जो व्यक्तिगत सदस्यों, समुदाय या परंपरागत सामुदायिक संस्थान के माध्यम से हो सकते हैं, को उस समय सत्यापित किया जाता है जब ऐसे व्यक्ति, समुदाय या उनके प्रतिनिधि उपस्थित हो;

(घ) यह सुनिश्चित करेगी कि आदिम जनजातीय समूह या कृषि पूर्व समुदाय से आवास के लिए उनके अधिकारों के निर्धारण हेतु दावे जो व्यक्तिगत सदस्यों, समुदाय या परंपरागत सामुदायिक संस्थान के माध्यम से हो सकते हैं, को उस समय सत्यापित किया जाता है जब ऐसे व्यक्ति, समुदाय या उनके प्रतिनिधि उपस्थित हों,

(ङ) अभिज्ञेय सीमाचिन्हों (लैंडमार्क) को दर्शाते हुए प्रत्येक दावे के क्षेत्र का सीमांकन नक्शा तैयार करना, तथा

(च) दावे पर अपने निष्कर्षों को रिकॉर्ड करना तथा उन्हें ग्राम सभा को उनके विचारार्थ प्रस्तुत करना।

नियमों में यह भी व्यवस्था है कि यदि किसी अन्य गांव की परंपरागत या रिवाजात्मक सीमाओं के संबंध में विवादास्पद दावे हैं या यदि एक वन क्षेत्र का एक से अधिक ग्राम सभाओं द्वारा उपयोग किया जाता है तो संबंधित ग्राम सभाओं की वन अधिकार समितियां ऐसे दावों का लाभ उठाने की प्रकृति पर विचार करने के लिए संयुक्त रूप से बैठक करेंगी तथा संबंधित ग्राम सभा को लिखित रूप में अपने निष्कर्ष प्रस्तुत करेगी। अत: वन अधिकार समितियों की अनुपस्थिति दावों के सत्यापन को अवरुद्ध करेगी।

(घ) मंत्रालय ने दिनांक 6.9.2012 को नियमों में उपयुक्त परिवर्तन किए गए हैं तथा अधिनियम के कार्यान्वयन में सामने आ रही कठिनाइयों एवं रुकावटों को दूर करने तथा अधिनियम द्वारा पहले से दिए गए अधिकारों तक बाधा रहित पहुंच प्रदान करने के लिए दिनांक 12.7.2012 को बृहत दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। नियमों में संशोधन के पश्चात मंत्रालय ने वन अधिकार अधिनियम, 2006 पर 5 क्षेत्रीय परामर्श भी आयोजित किए, इसके पश्चात नई दिल्ली में एक राष्ट्रीय बैठक आयोजित की गई जिसमें नियमों में संशोधनों को राज्य सरकार के कार्यकरणों के समक्ष स्पष्ट किया गया तथा राज्य सरकारों को अधिनियम के शीघ्र कार्यान्वयन के लिए विशेष प्रयास करने का निर्देश दिया गया था।

विवरण

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार (कार्यान्वयन स्थिति)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र जिन्होंने वन अधिकार समितियों का गठन किया है।	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र जिन्होंने वन अधिकार समितियों का गठन अभी करना है।
1. आंध्र प्रदेश	1. अरुणाचल प्रदेश
2. असम	2. मणिपुर

3. बिहार	3. मेघालय
4. छत्तीसगढ़	4. नागालैण्ड
5. गोवा	5. सिक्किम
6. गुजरात	6. दमन और दीव
7. हिमाचल प्रदेश	7. दादरा और नगर हवेली
8. झारखंड	
9. कर्नाटक	
10. केरल	
11. मध्य प्रदेश	
12. महाराष्ट्र	
13. मिजोरम	
14. ओडिशा	
15. राजस्थान	
16. तमिलनाडु	
17. त्रिपुरा	
18. उत्तरप्रदेश	
19. उत्तराखंड	
20. पश्चिम बंगाल	
21. अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	

[हिंदी]

ड्रॉप्सी के मामले

1898. श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचौरे: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान देश में अब तक ड्राप्सी के कई मामलों की दुबारा रिपोर्ट मिली है;

(ख) यदि हां, तो राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई/प्रस्तावित है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अबू हशीम खां चौधरी): (क) और (ख) जन स्वास्थ्य राज्य का विषय है। इसलिए, ड्रॉप्सी के मामलों के आंकड़े केन्द्र स्तर पर नहीं रखे जाते हैं। तथापि, कुछ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त उपलब्ध सूचना के अनुसार ड्रॉप्सी के मामलों का विवरण निम्नानुसार है:

क्र.सं.	राज्य	ड्रॉप्सी के मामले
1.	छत्तीसगढ़ (1.7.2006 से 31.5.2011 तक)	2 मामले
2.	त्रिपुरा (25.6.2011 की स्थिति के अनुसार)	2006 से किसी मामले की सूचना नहीं मिली
3.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह (31.5.2011 की स्थिति के अनुसार)	वही
4.	हरियाणा (29.06.2011 की स्थिति के अनुसार)	वही
5.	आंध्र प्रदेश (30.4.2011 की स्थिति के अनुसार)	वही
6.	अरुणाचल प्रदेश (2.6.2011 की स्थिति के अनुसार	वही
7.	कर्नाटक (11.5.2011 की स्थिति के अनुसार)	वही
8.	गुजरात (9.5.2011 की स्थिति के अनुसार)	वही
9.	पुदुचेरी (6.5.2011 की स्थिति के अनुसार	वही
10.	तमिलनाडु (2.5.2011 की स्थिति के अनुसार)	2005 से किसी मामले की सूचना नहीं मिली
11.	राजस्थान	17.2.2010 से किसी मामले की सूचना नहीं मिली।

(ग) खाद्य अपमिश्रण के संकट पर नियंत्रण करने के लिए, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 और इसके तहत बनाए गए नियमों और विनियमों के तहत, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा खाद्य उत्पादों की नियमित निगरानी और मानीटरिंग की जाती है तथा नमूने लिए जाते हैं। खाद्य उत्पादों में अपमिश्रण की जांच करने के लिए, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को समय-समय पर निर्देशिका भी जारी करता रहता है। एफएसएसएआई, गैर-सरकारी संगठनों (एमजीओ), राज्य सरकार के जन स्वास्थ्य विभागों को शामिल करते हुए, खाद्य सुरक्षा पर जागरूकता कार्यशाला/प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित करता है। विनियामकों, अन्य सरकारी एजेंसियों, उत्पादन संगठनों, नगर निकायों, गैर सरकारी संगठनों, उपभोक्ताओं आदि सहित खाद्य शृंखला में सभी स्टेक होल्डरों के साथ प्रत्यक्ष तालमेल/संचार संयोजन के लिए एक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा हेल्पलाइन (1800112100) भी शुरू की गई है।

[अनुवाद]

आयोडाइज्ड नमक

1899. श्रीमती मेनका गांधी: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा किये गए आयोडाइज्ड नमक कवरेज अध्ययन में यह दावा किया गया है कि देश की ग्रामीण जनसंख्या के पचास प्रतिशत से भी ज्यादा लोग अभी भी गैर-आयोडाइज्ड नमक का उपयोग करते हैं;

(ख) यदि हां, तो अध्ययन के इस ब्यौरे पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं और देश में विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रें में गैर-आयोडाइज्ड नमक की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के लिए क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अबू हशीम खां चौधरी): (क) और (ख) नमक आयुक्त, भारत सरकार द्वारा कुछ अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ मिलकर किए गए आयोडीनयुक्त नमक कवरेज अध्ययन 2010 से स्पष्ट हुआ है कि 47.2 प्रतिशत ग्रामीण परिवार पर्याप्त मात्रा में आयोडीनयुक्त नमक (> 15 पीपीएम) का उपभोग कर रहे थे, 42.2 प्रतिशत परिवारों द्वार उपभोग किए गए नमक में आयोडीन की मात्रा (< 15 पीपीएम) अपर्याप्त थी और 10.5 प्रतिशत परिवार आयोडीन रहित नमक का उपभोग कर रहे थे।

आयोडीन युक्त नमक कवरेज अध्ययन 2010 आठ राज्यों अर्थात आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में किया गया था, जबकि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार तथा यूनिसेफ द्वारा देश के 30 राज्यों में किए गए कवरेज मूल्यांकन अध्ययन (सीईएस) से पता चला है कि 66.1 प्रतिशत ग्रामीण परिवारों में पर्याप्त आयोडीन युक्त नमक (> 15 पीपीएम), 22.6 प्रतिशत ग्रामीण परिवारों में अपर्याप्त आयोडीन युक्त नमक (< 15 पीपीएम) और 10.5 प्रतिशत ग्रामीण परिवारों में आयोडीन रहित नमक का उपभोग किया जा रहा था।

(ग) आयोडीन अल्पता विकारों की रोकथाम और नियंत्रण के लिए भारत सरकार देश में पूरी आबादी के लिए राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता विकार नियंत्रण कार्यक्रम (एनआईडीडीसीपी) कार्यान्वित कर रही है। सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आईडीडी प्रकोष्ठ एवं आईडीडी मॉनिटरिंग प्रयोगशाला स्थापित करने, जिला आईडीडी मॉनिटरिंग प्रयोगशाला संचालित करने, जिला स्तर पर आईडीडी सर्वेक्षण करने, लोगों में केवल आयोडीन युक्त नमक का उपयोग करने की जागरूकता पैदा करने के लिए स्वास्थ्य शिक्षा तथा प्रचार-प्रसार हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इसके अलावा, नमक आयुक्त के कार्यालय को उत्पादन स्तर पर आयोडीन युक्त नमक के गुणवत्ता नियंत्रण के लिए निधियां प्रदान की जाती हैं।

खाद्य सुरक्षा एवं मानक (खाद्य उत्पाद मानक एवं खाद्य संवर्धक) विनियम, 2011 के विनियम 2.9.3 (1)(2)(3) में आयोडीन युक्त नमक, आयरन फोर्टिफाइड साधारण नमक और आयरन फोर्टिफाइड आयोडीन युक्त नमक (डबल फोर्टिफाइड नमक) सहित खाद्य सामान्य नमक के मानकों को निर्धारित किया गया है।

खाद्य सुरक्षा एवं मानक (विक्रय निवारण एवं निषेध) विनियम, 2011 के विनियम 2.3.12 द्वारा साधारण नमक को जब तक आयोडीन युक्त न बनाया जाए, तब तक सीधे मानव उपभोग के लिए उसके विक्रय को प्रतिबंधित किया गया है।

[हिंदी]

अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों हेतु कोचिंग केन्द्र

1900. **श्री भूदेव चौधरी:** क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अनुसूचित जनजातियों से संबंधित विद्यार्थियों को निःशुल्क कोचिंग प्रदान करने के लिए देश में वर्तमान में राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार कितने कोचिंग केन्द्र कार्यरत हैं;

(ख) क्या देश में विशेषकर बिहार में और ज्यादा ऐसे केन्द्र खोलने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा तथा स्थानों के नाम क्या हैं?

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रानी नरह): (क) मंत्रालय देश में ''अनुसूचित जनजातियों के लिए कोचिंग'' की केन्द्रीय क्षेत्र की योजना को कार्यान्वित कर रहा है जिसके तहत राज्य सरकारों/विश्वविद्यायों/पंजीकृत निजी संस्थानों द्वारा संचालित परीक्षा पूर्व कोचिंग केन्द्रों (पीईसी) को अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को कोचिंग प्रदान करने के लिए समर्थन दिया जाता है। विगत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान इस मंत्रालय द्वारा निधिपोषित पीईसी की राज्यवार, अवस्थितिवार सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

वर्ष 2009-10 से 2012-13 के दौरान मंत्रालय द्वारा निधिपोषित कोचिंग केन्द्रों की सूची

क्र.सं.	राज्य/संघ	राज्य क्षेत्र/विश्वविद्यालय/निजी संस्थानों के नाम
1	2	3
1.	छत्तीसगढ़	कैरियर प्लस एजुकेशनल सोसाइटी, 302-ए-37--38-39ए अंसल बिल्डिंग, तीसरा तल, निकट बतरा सिनेमा, डॉ. मुखर्जी नगर, दिल्ली-09 (छत्तीसगढ़ के लिए)
2.	दिल्ली	कैरियर प्लस एजुकेशनल सोसाइटी, 302-ए-37-38-39, अंसल बिल्डिंग, तीसरा तल, निकट बतरा सिनेमा, डॉ. मुखर्जी नगर, दिल्ली-09 (दिल्ली के लिए)

1	2	3
		दिल्ली एजुकेशन सेंटर, 28-ए/11, जीआ सराय, निकट आईआईटी, हौज खास, दिल्ली (दिल्ली के लिए)
3.	गुजरात	एमटी एजुकेयर प्राइवेट लि., 101/102 सत्यम माल, निकट कामेश्वर उच्च विद्यालय, स्टारइलिट, अहमदाबाद-380015
4.	झारखंड	झारखंड विकास संस्थान, एल-104, अगरोरा हाउसिंग कॉलोनी, रांची, झारखंड
		निखिलेश्वर इंस्टीच्यूट ऑफ बैंकिंग एंड मैनेजमेंट (एनआईबीएम), 210, हरिओम टावर, सर्कुलर रोड, रांची, झारखंड
5.	केरल	सेशन्स एकेडमी पट्टोम, तिरुवनन्तपुरम, केरल
6.	महाराष्ट्र	एम.टी एजुकेयर प्राइवेट लि., 2201, दूसरा तल, फ्लाइंग कलर्स, पं. दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, एलबीएस क्रॉस रोड के सामने, मुलुंद (पश्चिम), मुंबई महाराष्ट्र
7.	मणिपुर	वालेंटियर फॉर रुरल हेल्थ एंड एक्शन (वीओएचआरए), अचौबा, जिला थाउबाल, थाउबाल, मणिपुर
8.	मध्य प्रदेश	क्रेस्टर एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी, दूसरा तल, यमनोतरी एपार्टमेंट 96. नेहरु कॉलोनी, थाटीपुर, ग्वालियर, पिन-474011, मध्य प्रदेश
		कोठारी इंस्टीच्यूट, 7, शिवविलास पैलेस, रजवाड़ा चौक, इंदौर, मध्य प्रदेश
		कुंदन कल्याण समिति (कौटिल्य एकेडमी), बिरला नगर, ग्वालियर, मध्य प्रदेश
		सोशली एडवांस्ड हैल्प एज रिजौव्वर एसोसिएशन, नपियर टाउन, जबलपुर, मध्य प्रदेश
		जवाहर लाल नेहरू चैरिटेबल एजुकेशनल ट्रस्ट, वीबोरावन, दी कासेरवाड़ जिला खरगांव, मध्य प्रदेश
9.	ओडिशा	सोशल वेलफेयर आर्गेनेजाइशन फॉर स्ट्रेंथनिंग ट्रडेज इंडिया (एसडब्ल्यूओएसटीआई), प्रो. झारपोखरिया, जिला मयूरभंज, ओडिशा
10.	राजस्थान	एनएसए कृषि समिति, डी-23, जगनपथ, चोमु हाउस, सरदार पटेल मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर, राजस्थान
		उत्कर्ष, विकास समिति, 265 विश्वकर्मा नगर, महारानी फार्म, दुर्गा पुरा, जयपुर 302018, राजस्थान
		बीएल सैनी कोचिंग सेंटर, टोंक फाटक, जयपुर, 302018, राजस्थान
		सन सिस्टम ऑफ इंफार्मेशन टेक्नोलौजी, 53 तेज मंड, सदर थाना रोड़, अलवर, राजस्थान
11.	त्रिपुरा	स्कूल ऑफ साइंस, कुंगाबन, जिला पश्चिम त्रिपुरा, त्रिपुरा
12.	तमिलनाडु	एमटी एजुकेयर प्रा.लि., ओल्ड नं. 176, न्यू नं. 212, रामाकृष्ण मठ रोड़, मंडावेली, चेन्नई, तमिलनाडु
13.	पश्चिम बंगाल	नार्थ बंगाल सुखान्ता पाली फाउंडेशन ऑफ ग्लोबल एन्वार्यमेंट, पाउल भवन, शिवमंदिर, पो. काडामातला, जिला दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल

पंचायती राज प्रणाली का कार्यान्वयन

1901. श्री कीर्ति आजादः क्या **पंचायती राज मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या जम्मू और कश्मीर सहित देश के सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में पंचायती राज प्रणाली का कार्यान्वयन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और ऐसे राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के नाम क्या हैं तथा इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है या किए जाने का विचार है?

जनजातीय कार्य मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री वी. किशोर चन्द्र देव): (क) से (ग) संविधान के अनुच्छेद 243ख के अनुसार, ग्राम, मध्यवर्ती एवं जिला स्तरों पर त्रि-स्तरीय पंचायतें उन सभी राज्यों में गठित की जानी हैं, जिनमें संविधान का भाग

IX लागू होता है। तथापि, 20 लाख से कम आबादी वाले राज्यों को मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों के गठन में छूट प्राप्त है। कुल मिलाकर, देश में संचालित त्रि-स्तरीय पंचायती राज प्रणाली संविधान के संदर्भित प्रावधानों के अनुसार अपना स्वरूप धारण कर चुकी है। जम्मू एवं कश्मीर (जे एवं के) की राज्य सरकार का अपना ही पंचायती राज अधिनियम है एवं जम्मू एवं कश्मीर राज्य में राज्य अधिनियम के अनुसार पंचायतों का गठन किया जा चुका है। पंचायतों का चुनाव आयोजित कराना अलग-अलग राज्य सरकार एवं संबंधित राज्य निर्वाचन आयोगों की जिम्मेवारी है। आंध्र प्रदेश में वर्ष 2011 में निर्धारित पंचायतों का चुनाव एवं पुडुचेरी में वर्ष 2011 में निर्धारित पंचायतों का चुनाव निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आयोजित नहीं किए गए। पंचायती राज मंत्रालय ने राज्य सरकारों को शीघ्रातिशीघ्र चुनाव कराने का परामर्श दिया है।

[अनुवाद]

इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम

1902. डॉ. एम. तम्बिदुरई:
श्री एम. कृष्णास्वामी:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम चलाया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस कार्यक्रम की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं;

(ग) क्या सरकार देश में इथेनॉल के उत्पादन को प्रोत्साहित कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान इथेनॉल की उत्पादन और मांग का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) जी, हां। सरकार ने 22.11.2012 को यह निर्णय लिया है कि देश भर में पेट्रोल के साथ 5 प्रतिशत अनिवार्य एथनॉल मिश्रण को लागू किया जाए और इस 5 प्रतिशत अनिवार्य मिश्रण की संगणना पूरे देश में की जाएगी और इसका लक्ष्य 30.6.2013 तक प्राप्त किया जाएगा। इसके उपरांत एथनॉल का खरीद मूल्य ओएमसीज और आपूर्तिकर्ता के बीच तय किया जाएगा और घरेलू आपूर्ति में किसी भी कमी के मामले में ओएमसीज और रसायन कम्पनियां एथनॉल का आयात करने के लिए स्वतंत्र हैं।

उपर्युक्त निर्णय के मद्देनजर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने बीआईएस विर्निदेशक के अनुसार 10 प्रतिशत तक एथनॉल की प्रतिशतता के साथ एथनॉल मिश्रित पेट्रोल बेचने का ओएमसीज को निदेश देते हुए 2.1.2013 को राजपत्रित अधिसूचना जारी की है।

(ग) और (घ) केन्द्र सरकार ने खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा जारी दिनांक 20.12.2007 की अधिसूचना के माध्यम से चीनी कारखानों को, इसके विकल्प के तौर पर, गन्ने के जूस से या बी-शीरे या दोनों सहित शीरे से सीधे एथनॉल बनाने की अनुमति दी है। तथापि, एथनॉल के विनिर्माण के लिए एकमात्र डिस्टीलेरी स्थापित करने की अनुमति नहीं दी गई है। इससे आगे, एथनॉल का उत्पादन बढ़ाने को ध्यान में रखते हुए केन्द्र सरकार एथनॉल परियोजनाएं स्थापित करने व े लिए चीनी विकास निधि (एसडीएफ) से चीनी मिलों को परियोजना लागत के 40 प्रतिशत तक आसान ऋण उपलब्ध करा रही है।

रसायन और पेट्रोलियम विभाग द्वारा प्रदत्त सूचना के अनुसार 10 बड़े राज्यों से पिछले तीन वर्षों में शीरे से एथनॉल का उत्पादन निम्नानुसार है:

वर्ष	उत्पादन (लाख लीटर)
2008-09	22648.66
2009-10	17300.75
2010-11	22314.83

[हिंदी]

पंचायतों के लिए कंप्यूटरों की खरीद

1903. श्री प्रेमचन्द गुड्डू: क्या **पंचायती राज मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय ई-गवर्नेन्स में पंचायतों को शामिल करने के लिए कंप्यूटरों की खरीद में की गई घोर अनियमितताओं के मामले सरकार के ध्यान में आये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है?

जनजातीय कार्य मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री वी. किशोर चन्द्र देव): (क) से (ग) इस मंत्रालय में मध्य प्रदेश

में राष्ट्रीय यई-शासन में पंचायतों के लिए कम्प्यूटरों की खरीद में अनियमितताओं के संबंध में किसी भी प्रकार की सूचना प्राप्त नहीं हुई है। तथापि, इस प्रश्न को मध्य प्रदेश सरकार को उनकी टिप्पणियों के लिए अग्रेषित किया गया। मध्य प्रदेश सरकार ने 6 मार्च, 2013 को सूचित किया है कि उन्हें ऐसी एक शिकायत माननीय सांसद द्वारा मिली है एवं जिला प्रशासन, उज्जैन द्वारा जांच किया गया तथा तकनीकी विशेषज्ञों ने इसक परीक्षण किया। कम्प्यूटरों की अधिप्राप्ति की प्रक्रिया में कोई अनियमितता नहीं पाई गई। उन्होंने यह भी सूचित किया है कि जहां कहीं भी किसी भी प्रकार की विसंगति पाई गई, उसे दूर करने के निदेश दे दिए गए।

सरपंच और पंचायत सदस्यों को सुविधाएं

1904. श्री संजय सिंह चौहानः क्या **पंचायती राज मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में सरपंच और पंचायतों के सदस्यों को प्रदान की जाने वाली सुविधाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का देश में सरपंचों और पंचायतों के सदस्यों को फोन प्रदान करने का प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है?

जनजातीय कार्य मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री वी. किशोर चन्द्र देव): (क) 'पंचायतें' राज्य से संबंधित मामला है तथा सरपंचों एवं पंचायती राज संस्थाओं के अन्य सदस्यों को फोन सहित सुविधाओं का प्रावधान राज्य सरकारों के विवेकाधिकार पर छोड़ा गया है तथा राज्य सरकार ऐसी सुविधाओं के प्रावधान के बारे में निर्णय लेती है। पंचायती राज मंत्रालय (एमओपीआर) में इस बारे में कोई केन्द्रीयकृत आंकड़ा नहीं रखा गया है।

(ख) और (ग) देश भर में पीआरआईज के सदस्यों को ऐसी सुविधाएं मुहैया कराने हेतु पंचायती राज मंत्रालय में राज्यों की मदद हेतु ऐसी कोई योजना नहीं है।

[अनुवाद]

शिक्षा का अधिकार

1905. श्री बलीराम जाधवः क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग और राज्यों में बालक अधिकार संरक्षण आयोग को सुदृढ़ करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा तीरथ): (क) और (ख) राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग ने निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का बालकों का अधिकार अधिनियम, 2009 के क्रियान्वयन के मानीटरन हेतु पहले ही एक प्रकोष्ठ का गठन कर दिया है। राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का बालकों का अधि कार अधिनियम 2009 के मानीटरन हेतु राज्य बालक अधिकार संरक्षण आयोगों को सुदृढ़ करना संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन का उत्तरदायित्व है।

अवसंरचना में निवेश

1906. श्री सुशील कुमार सिंहः क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान अवसंरचना क्षेत्र में किए गये कुल निवेश में निजी उद्यमियों/कंपनियों/प्रतिष्ठापनाओं द्वारा किए गये निवेश और इसमें उनके अनुपात का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और

(ख) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान बिहार में सड़क, विद्युत, इस्पात, कोयला, रेल, पेट्रोलियम और दूरसंचार संबंधी अवसंरचनात्मक परियोजनाओं में सरकार का योगदान क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायण मीणा): (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

नाबार्ड अधिनियम में संशोधन

1907. श्री किसनभाई वी. पटेलः
श्री प्रदीप माझीः

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार के पास राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) अधिनियम, 1981 में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके कारण क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में विभिन्न हितधारकों से सुझाव आमंत्रित किए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) प्रस्तावित विधान में ऐसे सुझावों को किस हद तक समाविष्ट किया गया है; और

(च) नाबार्ड के उद्देश्यों/कार्यकरण पर ऐसे संशोधनों का क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायण मीणा): (क) से (च) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) अधिनियम, 1981 में संशोधन हेतु एक बिल प्रस्तुत करने के लिए सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) एवं नाबार्ड से परामर्श करते हुए एक प्रस्ताव अनुमोदित किया है जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, नाबार्ड की प्राधिकृत पूंजी को 5,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 20,000 करोड़ रुपए तक करने और सहकारी समितियों से संबंधित कोई भी केन्द्रीय कानून अथवा कोई अन्य केन्द्रीय अथवा राज्य कानून के तहत बहु-राज्य सहकारी समितियों को सम्मिलित करने के लिए सहकारी समितियों के अभिप्राय में विस्तार करने की संकल्पना की गई है। इन संशोधनों का उद्देश्य नाबार्ड के व्यवसाय क्रियाकलापों का विस्तार करना/विधिकरण करना और इस संगठन को परिचालनात्मक लचीलापन तथा स्वयात्तता प्रदान कराना भी है।

[हिंदी]

आईसीडीएस योजना का पुनर्गठन

1908. **श्री नारायण सिंह अमलाबे:**
श्रीमती जयश्रीबेन पटेल:
श्री हरिभाऊ जावले:
श्री पी.टी. थॉमस:
श्री सी. शिवासामी:
श्री नामा नागेश्वर राव:
श्री सुरेश कुमार शेटकर:
श्री हमदुल्लाह सईद:
डॉ. पी. वेणुगोपाल:
श्री भूपेन्द्र सिंह:
श्रीमती मौसम नूर:

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान समेकित बाल विकास योजनाओं (आईसीडीएस) का पुनर्गठन और सुदृढ़ करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजन पर होने वाले अनुमानित व्यय सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान आईसीडीएस के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को संस्वीकृत जारी और उपयोग की गई निधियों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार को खाद्यान्नों के दुरुपयोग और इसके वितरण में अनियमितताओं और आईसीडीएस योजना में मौजूद अन्य खामियों/विसंगतियों के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है और आईसीडीएस योजना के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है अथवा किए जाने का प्रस्ताव है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा तीरथ): (क) और (ख) विभिन्न कार्यक्रमागत, प्रबंधकीय और संस्थागत कमियों को दूर करने तथा पिछले वर्षों के दौरान आईसीडीएस में आई प्रशासनिक एवं प्रचालनरत चुनौतियों से निपटने के लिए 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 1,23,580 करोड़ रुपये के समग्र बजटीय आवंटन के साथ आईसीडीएस स्कीम के सुदृढ़ीकरण और पुनर्गठन के प्रस्ताव का सरकार ने अनुमोदन किया है।

पुनर्गठित और सुदृढ़ीकृत आईसीडीएस तीन वर्षों में सभी जिलों में निम्नलिखित ब्यौरे के अनुसार लागू किया जाएगा:

(क) प्रथम वर्ष (2012-13) में 200 से अधिक प्रभावित जिलों में;

(ख) द्वितीय वर्ष (2013-14) में (अर्थात 1.4.2013 से) अतिरिक्त 200 जिलों में इसमें विशेष श्रेणी के राज्य और पूर्वोत्तर क्षेत्र के जिले भी शामिल हैं;

(ग) तृतीय वर्ष (2014-15) में (अर्थात 1.4.2014) से शेष सभी जिलों में।

सुदृढ़ीकृत और पुनर्गठित आईसीडीएस की मुख्य विशेषताओं में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित के द्वारा कमियों और चुनौतियों का समाधान करना शामिल है: (क) तीन वर्ष से कम उम्र के बच्चों और गर्भवती तथा धात्री माताओं पर विशेष ध्यान (ख) सेवाओं का सुदृढ़ीकरण और पुन: पैकेंजिंग जिसमें देखरेख और पोषण परामर्श सेवाएं तथा गंभीर रूप से अल्पवजनी बच्चों की देखरेख शामिल है। (ग) संपर्क कर्मियों पर प्रयोग करने, 5% शिशु गृह सह आंगनवाड़ी केन्द्र के अलावा पूरे देश में चुनिंदा 200

अति प्रभावित जिलों में 3 वर्ष से कम आयु के बच्चों पर विशेष ध्यान देने और गर्भवती तथा धात्री माताओं के लिए पारिवारिक संपर्क, देखरेख और पोषण परामर्श में सुधार लाने हेतु अतिरिक्त आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री सह पोषण परामर्शदात्री का प्रावधान (घ) आरंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा पर विशेष ध्यान (ङ) विशेषकर जिला, ब्लॉक और ग्रामीण स्तरों पर सुदृढ़ संस्थागत और कार्यक्रमगत संकेन्द्रण करना। (च) सामुदायिक भागीदारी के लिए स्थानीय स्तर पर लचीलापन प्रदान करने वाले मॉडल (छ) लागत संशोधन सहित पूरक पोषण कार्यक्रम में सुधार (ज) आंगनवाड़ी केंद्र भवनों के निर्माण और सुधार हेतु प्रावधान (झ) मानीटरन और प्रबंधन तथा सूचना प्रणाली, प्रशिक्षण तथा सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग सहित अन्य घटकों के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधन आबंटित करना (ञ) आईसीडीएस को मिशन मोड में बदलना आदि और (ट) वित्तीय मानदंडों में संशोधन।

(ग) पिछले वर्ष तथा चालू वर्ष (28.2.2013 तक) के दौरान आईसीडीएस (सामान्य और प्रशिक्षण) के तहत, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा जारी की गई और उपयोग की गई निधियों का ब्यौरा संलग्न विवरण-I और विवरण-II में दिया गया है।

(घ) समेकित बाल विकास सेवा स्कीम केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम है, जो पूरे देश में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा क्रियान्वित की जाती है। आईसीडीएस स्कीम का क्रियान्वयन, इसके तहत पूरक पोषण प्रदान किया जाना और इसके प्रबंधन का उत्तरदायित्व राज्यों/संघ क्षेत्रों पर है। आईसीडीएस स्कीम के तहत दुरुपयोग/प्रबंध न में अनियमितताएं/पूरक पोषण का वितरण और अन्य कमियों/विसंगतियों के बारे में प्राप्त शिकायतों को संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उचित कार्रवाई हेतु अग्रेषित कर दिया जाता है। गंभीर प्रकृति की शिकायतों पर राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासनों से रिपोर्ट मांगी जाती है। आईसीडीएस स्कीम के तहत पिछले कैलेंडर वर्ष के दौरान, दुरुपयोग/प्रबंधन/पूरक पोषण के वितरण में अनियमितताओं और अन्य कमियों/विसंगतियों के संबंध में उत्तर प्रदेश (23), बिहार (13), राजस्थान (6), दिल्ली (6), झारखंड (4), हरियाणा (3), महाराष्ट्र (3), ओडिशा (3), असम (2), मध्य प्रदेश (2), उत्तराखंड (1), आंध्र प्रदेश (1), छत्तीसगढ़ (1) और अंडमान और निकोबार द्वीप से (1), कुल 69 शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

(ङ) ऐसी अनियमितताओं की शिकायतों को उपचारात्मक कार्रवाई हेतु संबंधित राज्य सरकारों को अग्रेषित कर दिया जाता है। समीक्षा बैठकों के दौरान, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से पूरक पोषण सहित सभी सेवाओं में सुधार करने हेतु अनुरोध किया जाता है। भारत सरकार ने भी राष्ट्रीय, राज्य, जिला, ब्लॉक और आंगनवाड़ी स्तर पर पांच स्तरीय मानीटरिंग और निरीक्षण का कार्य शुरू किया और दिनांक 31.3.2011 को पूरक पोषण कार्यक्रम सहित आईसीडीएस के बेहतर क्रियान्वयन के लिए दिशा निर्देश जारी किए।

जब कभी भी राज्यों के निरीक्षण के दौरान कोई कमियां पाई गई तो स्कीम के क्रियान्वयन में सुधार और कमियों को दूर करने हेतु पत्रों और समीक्षा बैठकों द्वारा सूचित किया गया।

आईसीडीएस का सुदृढ़ीकरण एवं पुनर्गठन भी आईसीडीएस के तहत सेवाओं में सुधार की दिशा में एक उपाय है।

विवरण-I

आईसीडीएस के तहत जारी की गई धनराशि

क्र.सं.	राज्य	2009-10		2010-11		2011-12		2012-13	
		निर्मुक्त राशि	राज्य द्वारा सूचित व्यय (राज्यों के अंश सहित)	निर्मुक्त राशि	राज्य द्वारा सूचित व्यय (राज्यों के अंश सहित)	निर्मुक्त राशि	राज्य द्वारा सूचित व्यय (राज्यों के अंश सहित)	निर्मुक्त राशि	राज्य द्वारा सूचित व्यय (राज्यों के अंश सहित)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	36306.76	4007.73	36639.25	36852	44587.98	61234.05	59249.75	58436.29
2.	बिहार	29764.48	32710.1	25185ण्2	29650.4	46456.23	44176.11	48471.56	11289.92
3.	छत्तीसगढ़	14393.91	14381.15	12064.647	16233.02	23787.53	28526.95	28882.43	11654.89
4.	गोवा	839.01	827.87	802.74	802.05	846.52	1117.4	1141.79	863.44
5.	गुजरात	15987.35	21081.8	18932.53	22249.69	44276.04	39130.09	31092.56	25029.78

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.	हरियाणा	81776.56	11018.88	10617.842	11673.88	16360.93	17047.46	22840.8	13602.78
7.	हिमाचल प्रदेश	7088.51	8336.86	8727.11	8702ण19	11903.95	13211.73	10109.08	3131.99
8.	जम्मू और कश्मीर	8329.08	8383.48	14751.62	10596.73	15008.35	13144.46	13249.95	19325.35
9.	झारखंड	12891.82	14360.21	17918	15305.85	20501.65	14841.55	15816.91	18932.91
10.	कर्नाटक	21036.48	22641.08	19388.69	26410.23	45102.14	39282.64	30727.02	28296.77
11.	केरल	14287.04	14189.21	12751.76	16581.9	29615.76	26269.61	16442.6	12274.93
12.	मध्य प्रदेश	20518.38	34346.56	31172.69	38211.43	40554.56	63100.15	80885.98	43350.71
13.	महाराष्ट्र	32238.38	47432.87	42503.36	47659.35	76225.79	95934.75	75230.32	64923.80
14.	ओडिशा	22504.1	20791.79	21677.68	24640.66	36038.97	32265.04	31757.15	28141.83
15.	पंजाब	9260.96	10582.99	11832.38	12602.77	17257.36	20378.68	17050.01	10029.89
16.	राजस्थान	22550.03	20466.87	17014.35	24500.33	32506.33	39457.64	46196.82	25316.06
17.	तमिलनाडु	17967.07	23734.47	26319.84	22183.2	37210.68	23097.61	23442.3	21472.39
18.	उत्तराखंड	3717.73	5281.32	3857.79	5242.07	10502.09	9166.67	9168.4	6924.88
19.	उत्तर प्रदेश	51542.93	55950.04	48631.35	62800.77	90164.50	67208.57	105664.72	87125.91
20.	पश्चिम बंगाल	37016.49	37362.32	30717.03	40899.48	79235.59	67029.52	53847.98	26227.07
21.	दिल्ली	3209.81	3014.83	3644.46	3526.1	4918.64	7356.48	7586.11	5973.73
22.	पुदुचेरी	249	303.84	355.54	350.62	712.40	385.32	362.01	308..65
23.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	291.63	292.06	325.3	328.99	599.93	589.87	444.83	315.80
24.	चंडीगढ़	254.5	252.29	244.45	244.45	438.27	438.27	432.13	302.95
25.	दादरा और नगर हवेली	129.84	126.57	137.53	129.94	145.33	134.82	121.34	91.24
26.	दमन और दीव	56.55	56.65	58.18	58.16	82.47	82.47	63.1	51.00
27.	लक्षद्वीप	121.03	75.87	27.49	96.87	169.83	171.87	101.91	7.50,
28.	अरुणाचल प्रदेश	3178.72	3521.15	6391.528	4720.91	7015.96	7743.82	5738.71	3666.78
29.	असम	23849.59	19010.81	36402.43	29525	38663.02	46138.11	46796.39	32336.53
30.	मणिपुर	3387.5	2464.68	3707.71	3783.96	5924.06	5393.12	4754.42	1896.90
31.	मेघालय	2102.15	2560.51	2482.89	2448.01	3536.73	3694.15	3339.48	1602.28
32.	मिजोरम	2089.23	1693.57	2315.96	2131.7	2714.42	2567.23	1871.15	2547.44
33.	नागालैंड	5025.41	2530.22	2264.01	4578.34	5930.26	4555.11	2660.75	3530.75
34.	सिक्किम	683.53	647.6	503.29	724.62	772.27	1061.33	1021.23	595.73
35.	त्रिपुरा	7398.195	3329.42	8132.205	4306.4	6489.28	5981.08	5372.54	2641.93
	कुल	438443.76	48396.07	478698.83	530751.50	796255.82	801913.73	801933.22	572520.8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
36.	एलकेबीवाई के लिए एलआईसी	691.80		742.00		663.72		472.18	
37.	केएसवाई	3626.27							
38.	सीएमपू के लिए एनआईपीसीसीडी					50.68			
	कुल योग	44761.83	483967.07	479440.83	530751.50	796970.22	801913.73	802405.40	572520.80

विवरण II

विगत तीन वर्ष और चालू वर्ष (2009-10, 2010-11, 2011-12 और 2012-13 (दिनांक 28.02.2012 तक) के दौरान पूरक पोषण कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य-वार आंकड़े

क्र.सं.	राज्य	2009-10		2010-11		2011-12		2012-13	
		निर्मुक्त राशि	राज्य द्वारा सूचित व्यय (राज्यों के अंश सहित)	निर्मुक्त राशि	राज्य द्वारा सूचित व्यय (राज्यों के अंश सहित)	निर्मुक्त राशि	राज्य द्वारा सूचित व्यय (राज्यों के अंश सहित)	निर्मुक्त राशि	राज्य द्वारा सूचित व्यय (राज्यों के अंश सहित)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	31285.7	52316.99	16003.74	69979.08	48307.39	87975.62	37662.71	53660.84
2.	बिहार	40695.19	92263.92	48335.94	57052.77	35452.88	77217.2	46532.02	73246.54
3.	छत्तीसगढ़	7461.68	21324.67	14211.95	25938.16	14714.72	30150.63	14092.83	11127.56
4.	गोवा	375.94	918.75	418.23	778.84	410.97	775.22	314.32	372.55
5.	गुजरात	8696.39	24690.5	11985.65	42046.64	36389.64	47957.78	23377.77	34732.20
6.	हरियाणा	6884.01	14571	5211.6	11006.76	6391.63	12275.3	7365.95	9619.16
7.	हिमाचल प्रदेश	2939.36	5939.35	2466.48	4977.92	2819.49	5638.74	2966.00	4124.44
8.	जम्मू और कश्मीर	1671.09	0	1949.78		1949.76	5132.94	1949.77	266.67
9.	झारखंड	16891.64	53308	23438.78	35997.11	12136.86	31917.69	18786.19	21245.34
10.	कर्नाटक	26325.26	56641.93	23585.19	54587.07	31664.85	58234.82	24787.96	31585.72
11.	केरल	7545.81	15826.29	8071.33	14734.74	7459.55	6807.06	4503.83	6980.42
12.	मध्य प्रदेश	22339.36	51990.71	38917.63	89736.4	52322.73	89365.76	57573.72	77006.71
13.	महाराष्ट्र	20350.12	48660	20350.12	73509.16	66743.56	109818.25	54568.47	48306.74
14.	ओडिशा	13968.2	32185.78	19490.01	47782.7	32289.69	54602.92	27463.28	43559.26
15.	पंजाब	1748.03	8825.7	4402.84	7090.7	9001.16	10353.44	4475.86	6970.46
16.	राजस्थान	11014.23	30464.83	20449.06	45138.71	26747.43	50048.53	23084.54	35972.84
17.	तमिलनाडु	13268	26558	12395.76	38109	17072.64	24892.23	18113.45	34694.00
18.	उत्तर प्रदेश	86778.09	178809.82	138267.06	271960.07	131600.18	268028.07	119286.46	162529.15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19.	उत्तराखंड	740.47	1488.21	1303.6	2960.61	1313.2	3976.34	1041.80	1344.26
20.	पश्चिम बंगाल	13577.01	55101.17	35274	67097.58	36926.45	66031.39	30376.51	43349.15
21.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	144.8	511.84	106.95	428.98	120.8	497.16	130.34	401.37
22.	चंडीगढ़	193.78	216.31	129.88	279.89	189.23	425.55	253.72	342.14
23.	दादरा और नगर हवेली	91.58	55.3	62.9	84.35	53.1	0	83.44	0.00
24.	चंडीगढ़	193.78	216.31	129.88	279.89	189.23	425.55	253.72	342.14
25.	लक्षद्वीप	42.87		29.69	78.69	29.69	151.48	44.53	55.90
26.	दिल्ली	4171.53	6878.7	4004.05	8960.11	2017.3	9140	5024	11102.52
27.	पुदुचेरी	139.91	462.19	395.95	643.34	1016.39	663.22	0	152.34
28.	अरुणाचल प्रदेश	856.32	956.32	3047.89	3847.26	2760.74	3454.97	2746.72	1964.43
29.	असम	17680.74	17590.73	21579.99	19135.31	30082.76	37635.4	25257.04	28459.27
30.	मणिपुर	1477.61	2422.45	4449.6	5249.6	2248.3	2248.3	2946.24	0.00
31.	मेघालय	5301	6972.28	5650.42	6408.03	5953.12	6885.16	3702.02	3702.02
32.	मिजोरम	2020.79	2496.63	2241.65	2726.65	1867.08	2502.08	2483.49	1700.62
33.	नागालैंड	2658.79	3304.66	4782.37	5282.37	4855.6	4855.6	2516.84	1749.53
34.	सिक्किम	794.39	622.59	362.44	838.23	563.44	907.42	650.54	97.74
35.	त्रिपुरा	2851.68	3617.54	3464.4	4089.09	6746.08	7167.66	2127.24	1575.52
	कुल	373013.74	818172.79	496870.51	1018602.6	630250.79	1117615.07	566383.02	752080.61

[अनुवाद]

बैंकों की वित्तीय स्थिति

1909. श्री ताराचन्द भगोरा:
चौधरी लाल सिंह:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विगत वर्षों में सरकारी क्षेत्र के बैंकों की वित्तीय स्थिति खराब हो गयी है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं और इस पर सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस मुद्दे के समाधान हेतु सरकार/आरबीआई द्वारा क्या प्रभावी उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा): (क) और (ख) सरकारी क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) का पूंजी पर्याप्तता अनुपात (सीएआर) मार्च 2010 से मार्च 2011 में कम हुआ है और मार्च 2012 में इसमें आंशिक वृद्धि हुई है। तथापि, अनुपात हमेशा विनियामकीय शर्तों से अधिक रहा है। पिछले 3 वर्ष के दौरान सरकारी क्षेत्र के बैंकों के प्रमुख वित्तीय संकेत संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) सरकार सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों को पर्याप्त रूप से पूंजीकृत रखने के लिए प्रतिबद्ध है और इस वर्ष सरकारी क्षेत्र के बैंकों को पुनर्पूंजीकृत करने के लिए 12,517 करोड़ रुपए की राशि अनुमोदित की है। भारतीय रिजर्व बैंक ने 2 मई, 2012 को भारत में बैंकों को पूंजी पर्याप्तता के लिए बासेल-III के अंतर्गत मानदंड निर्धारित किए हैं जो 1 अप्रैल, 2013 से प्रभावी होंगे और ये आरबीआई की वेबसाइट www.rbi.org.in पर उपलब्ध हैं।

विवरण

सरकारी क्षेत्र के बैंकों के अंत में प्रमुख वित्तीय स्थिति संकेतक

बैंक का नाम	मार्च-10				मार्च-11				मार्च-12			
	इक्विटी पर प्रतिलाभ	कुल आस्तियां पर प्रतिलाभ	सीआरएआर (बासेल-II)	निवल लाभ (रु. करोड़ में)	इक्विटी पर प्रतिलाभ	कुल आस्तियां पर प्रतिलाभ	सीआरएआर (बासेल-II)	निवल लाभ (रु. करोड़ में)	इक्विटी पर प्रतिलाभ	कुल आस्तियां पर प्रतिलाभ	सीआरएआर (बासेल-II)	निवल लाभ (रु. करोड़ में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
इलाहाबाद बैंक	18.12	1.14	13.62%	1302	18.71	1.11	12.96%	1548	19.32	1.17	12.83%	1973
आध्रा बैंक	24.56	1.4	13.93%	1199	26.19	1.37	14.38%	1468	19.08	1.2	13.18%	1637
बैंक आफ बड़ौदा	15.52	1.15	14.36%	3058	19.86	1.44	14.52%	4242	16.48	1.34	14.67%	5007
बैंक आफ इंडिया	9.96	0.71	12.94%	1741	12.48	0.81	12.17%	2489	10.92	0.71	11.95%	2678
बैंक आफ महाराष्ट्र	15.77	0.7	12.78%	567	10.68	0.47	13.35%	615	11.88	0.55	12.43%	796
केनरा बैंक	22.49	1.33	13.43%	3021	23.97	1.47	15.38%	4026	14.91	0.96	13.76%	3283
सेन्ट्रल बैंक	14.05	0.64	12.24%	1059	13.71	0.67	11.64%	1254	4.49	0.24	12.40%	535
कार्पोरेशन बैंक	19.88	1.24	15.37%	1170	21.36	1.2	14.11%	1413	18.91	1.05	13.00%	1506
देना बैंक	19.47	1.01	12.77%	511	19.27	1	13.41%	612	18.82	1.11	11.51%	803
आईडीबीआई बैंक लि.	8.35	0.53	11.31%	1102	10.14	0.74	13.64%	2121	10.83	0.79	14.58%	2647
इंडियन बैंक	18.4	1.62	12.71%	1641	18.4	1.56	13.56%	1802	16.28	1.34	13.47%	1836
इण्डियन ओवसीज बैंक	6.62	0.41	14.78%	707	10.93	0.63	14.55%	1073	8.05	0.44	13.32%	1050
ओरियंटल बैंक आफ बैंक	14	0.92	12.54%	1136	16.74	1.04	14.23%	1503	9.92	0.67	12.69%	1142
पंजाब एंड सिंध बैंक	21.4	1.07	13.10%	1106	17.28	0.9	12.94%	1405	11.27	0.65	13.26%	1624
पंजाब नैशनल बैंक	23.54	1.45	13.97%	3913	21.86	1.39	12.42%	4434	19.6	1.24	12.63%	4884
सिंडिकेट बैंक	13.24	0.63	12.70%	813	14.97	0.77	13.04%	1048	14.29	0.82	12.24%	1313
यूको बैंक	23.33	0.87	13.21%	1817	14.52	0.66	13.71%	2256	13.84	0.72	12.34%	2794
यूनियन बैंक आफ इंडिया	19.09	1.2	12.51%	2076	16.47	1	12.95%	2084	12.47	0.74	11.85%	1787
यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया	9.86	0.45	12.80%	322	12.04	0.65	13.05%	524	11.91	0.7	12.69%	633
विजया बैंक	15.04	0.78	12.50%	1258	12.12	0.72	13.88%	1378	11.5	0.67	13.06%	1493

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
स्टेट बैंक आफ बीकानेर और जयपुर	20.68	0.93	13.30%	455	21.37	0.96	11.68%	551	17.67	0.99	13.77%	652
स्टेट बैंक आफ हैदराबाद	22.05	1.04	14.90%	823	23.69	1.24	14.25%	1166	21.22	1.17	13.56%	1298
भारतीय स्टेट बैंक	11.94	0.88	13.39%	9166	9.44	0.69	11.98%	8265	13.54	0.86	13.86%	11713
स्टेट बैंक आफ इन्दौर	17.46	0.88	13.53%	308						भारतीय स्टेट बैंक के साथ विलय		
स्टेट बैंक आफ मैसूर	16.72	1.06	12.42%	466	14.71	1.05	13.76%	501	9.52	0.68	12.55%	369
स्टेट बैंक आफ पटियाला	16.27	0.78	13.26%	551	16.39	0.87	13.41%	653	18	0.94	12.30%	796
स्टेट बैंक आफ त्रावणकोर	5.87	1.28	13.74%	686	23.11	1.14	12.54%	729	13.88	0.65	13.55%	514
सरकारी क्षेत्र के बैंक	**15.37**	**0.96**	**13.27%**	**41955**	**15.24**	**0.96**	**13.08%**	**49157**	**14.03**	**0.88**	**13.23%**	**54764**

तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) द्वारा बड़ी संख्या में ग्राहकों को लाभ

1910. **श्री मधु गौड यास्खी:**
श्री प्रदीप माझी:
श्री किसनभाई वी. पटेल:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तेल विपणन कंपनियां (ओएमसी) देश में बड़ी संख्या में ग्राहकों को कतिपय लाभ, प्रोत्साहन प्रदान कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और वर्ष 2011-12 और 2012-13 के दौरान अभी तक विभिन्न थोक ग्राहकों द्वारा खरीदे गए तेल का ब्यौरा क्या है और उनसे विभिन्न तेल विपणन कंपनियों को अर्जित लाभ अथवा हानि का तेल विपणन कंपनी-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) बड़ी संख्या में ग्राहकों की श्रेणी में ग्राहकों को शामिल करने के लिए क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं;

(घ) क्या सरकार को थोक ग्राहकों की सूची में अन्य बड़ी संख्या में प्रयोगकर्ताओं को शामिल करने के संबंध में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कम्पनियों (ओएमसीज) ने रिपोर्ट दी है कि वे क्रेडिट को छोड़कर डीजल मूल्य में कोई छूट नहीं देते हैं। अन्य उत्पादों के मामले में बाजार की स्थिति और प्रतिस्पर्धा के आधार पर युक्तिसंगत छूट/क्रेडिट पर विचार किया जाता है।

वर्ष 2011-12 और 2012-13 (अप्रैल, 2012 से जनवरी, 2013 तक) के दौरान विभिन्न थोक उपभोक्ताओं को बेचे गए तेल उत्पादों का ओएमसीज-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। ओएमसीज ने रिपोर्ट दी है कि थोक उपभोक्ता खंड के लिए लाभ/हानि नहीं निकाले गए हैं।

(ग) भारत सरकार ने ओएमसीज को बाजार आधारित मूल्यों पर थोक उपभोक्ताओं को ओएमसी स्थापनाओं से सीधे आपूर्ति लेने हेतु डीजल बेचने की अनुमति दी है।

ईंधनों की अपनी खपत के लिए व्यापक आवश्यकता वाले उपभोक्ताओं और जो थोक आपूर्ति स्थलों से न्यूनतम 12000 लीटर अर्थात न्यूनतम ट्रक भार आपूर्ति ले सकते हैं, को थोक उपभोक्ताओं के तौर पर श्रेणीबद्ध किया गया है।

(घ) कोई अभ्यावेदन नहीं मिला है।

(ङ) उपर्युक्त भाग (घ) के प्रत्युत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

वर्ष 2011-12 और 2012-13 (अप्रैल, 2012 जनवरी, 2013) के दौरान विभिन्न थोक उपभोक्ताओं को बेचे गए ओएमसी-वार तेल उत्पाद

उत्पाद	2011-12			2012-13 (अप्रैल, 2012-जनवरी, 2013)		
	आईओसीएल	बीपीसीएल	एचपीसीएल	आईओसीएल	वीपीसीएल	एचपीसीएल
मोटर स्प्रिट (एमएस)	109	13	9	84	12	8.5
हाई स्पीड डीजल (एचएसडी)	8952	1508	1021	7373	1265	876
फर्नेस तेल (एफओ)	3020	973	1355	2579	776	1011
लो सल्फर हैवी स्टॉक (एलएसएचएस)	1290	249	220	779	278	154
लाइट डीजल तेल (एलडीओ)	182	64	157	131	57	146
नापथा	3180	459	41.6	3276	515	94.5
बिटूमन	2254	853	929.5	1717	633	797.7
योग	18987	4119	3733.1	15939	3536	3087.7

तम्बाकू से होने वाले रोग

1911. **श्री एम.आई. शानवास:**
श्री रघुवीर सिंह मीणा:
श्री मानिक टैगोर:
श्री सी.आर. पाटिल:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में विद्यमान अधिकांश रोगों का कारण गुटका और पान मसाला सहित विभिन्न तम्बाकू उत्पादों का उपभोग करना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान देश में तम्बाकू के कारण होने वाले रोगों की संख्या और कथित रूप से इनके उपभोग से मरने वाले रोगियों की संख्या का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में तम्बाकू के उपभोग से होने वाली बीमारियों से ग्रस्त रोगियों के उपचार, स्वास्थ्य परिचर्या और परामर्श के लिए सरकार द्वारा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार उठाए गए कदमों/प्रस्तावित कदमों का ब्यौरा क्या है;

(घ) उक्त अवधि के दौरान उपर्युक्त प्रयोजन हेतु आवंटित और व्यय निधियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) देश में तम्बाकू के उपभोग का स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव के बारे में जागरूकता का प्रसार करने और गुटका और पान मसाला सहित विभिन्न तम्बाकू उत्पादों के विनिर्माण विपणन ओर खपत पर प्रतिषेध हेतु सरकार द्वारा क्या निवारक उपाय किए गए हैं/किए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) जी, हां। गुटखा और पान मसाला सहित विभिन्न तंबाकू उत्पादों के उपयोग के कारण होने वाले रोगों के संबंध में मंत्रालय को जानकारी है।

(ख) भारत में तंबाकू नियंत्रण की रिपोर्ट के अनुसार, भारत में प्रतिवर्ष लगभग 8-9 लाख लोगों की मृत्यु तंबाकू उपभोग से होने वाले रोगों के कारण होती है।

वर्ष 2006 में, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) ने वर्ष 2004 तक प्रकाशित साहित्य के विश्लेषण के आधार पर 'गैर-संचारी रोगों के कारण रोगों के बोझ का आकलन' विषय पर एक अध्ययन किया था। तदनुसार, तंबाकू के उपभोग से क्रमशः स्ट्रोक (78 प्रतिशत), क्षय रोग (65.6 प्रतिशत), इस्केमिक हृदय रोग (85.2 प्रतिशत), तीव्र मायोकार्डियाल संक्रमण (52 प्रतिशत), ओसियोफेगियल कैंसर (43 प्रतिशत), मुँह के कैंसर (38 प्रतिशत) और फेफड़े के कैंसर (16 प्रतिशत) जैसे रोगों का जोखिम था।

साथ ही, आईसीएमआर का राष्ट्रीय कैंसर रजिस्ट्री कार्यक्रम, जिसमें कैंसर के मामलों की सूचना और कुछ हद तक उससे संबंधित मृत्यु की सूचना एकत्रित की जाती है, में बताया गया कि वर्ष 2008, 2009 और 2010 के दौरान मुँह, जीभ औरर फेरिंक्स के कैंसर रोगियों की संख्या क्रमश: 66,129, 68,160 और 170,261 थी।

(ग) इन रोगों के उपचार/प्रबंधन के लिए निम्नलिखित राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों का कार्यान्वयन किया जा रहा है:

(i) वर्ष 2007-08 में राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम (एनटीसीपी) शुरू किया गया जिसके उद्देश्य निम्नलिखित हैं: (i) तंबाकू उपभोग के हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूकता पैदा करना, (ii) तंबाकू उत्पादों के उत्पादन और आपूर्ति में कमी लाना, (iii) 'सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन निवारण और व्यापार एवं वाणिज्य, उत्पादन, आपूर्ति एवं वितरण विनियम) अधिनियम, 2003' (सीओटीपीए) में उल्लिखित उपबंधों का प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित करना और (iv) तंबाकू रोक केन्द्रों के जरिए लोगों को तंबाकू छोड़ने में मदद पहुंचाना। वर्तमान में यह कार्यक्रम 21 राज्यों के 42 जिलों में कार्यान्वित किया जा रहा है।

(ii) वर्ष 2010 में कैंसर, मधुमेह, हृदयवाहिका रोगों एवं आघात की रोकथाम और नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम (एनपीसीडढीसीएस) शुरू किया गया और 21 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के 100 जिलों में इसका कार्यान्वयन किया जा रहा है।

(घ) राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आबंटित निधियों और उनके द्वारा किए गए व्यय का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ङ) (i) वर्ष 2003 में अधिनियमित सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन निषेध और व्यापार एवं वाणिज्य, उत्पादन, आपूर्ति एवं वितरण) अधिनियम (सीओटीपीए), तंबाकू उत्पादों के विषय में विज्ञापन देने, उन्हें बढ़ावा देने तथा उन्हें प्रायोजित करने पर प्रतिबंध लगाकर सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाकर नाबालिग बच्चों को और उनके द्वारा बेचे जाने पर प्रतिबंध लगाकर शैक्षिक संस्थाओं के 100 गज रेडियस के भीतर बिक्री पर रोक लगाकर तथा सभी तंबाकू उत्पादों के पैकों पर विनिर्दिष्ट सचित्र स्वास्थ्य चेतावनियों को दिखाए जाने को अनिवार्य बनाकर तंबाकू उत्पादों के उपभोग, उत्पादन, आपूर्ति और वितरण को विनियमित करता है।

(ii) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत जारी दिनांक 1 अगस्त, 2011 के खाद्य सुरक्षा एवं मानक (बिक्री निवारण और निषेध) विनियम, 2011 में निर्दिष्ट किया गया है कि तंबाकू और निकोटिन का उपयोग किन्हीं भी खाद्य उत्पादों के आवश्यक तत्त्वों के रूप में नहीं किया जाएगा।

वर्तमान में 27 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने खाद्य सुरक्षा विनियमों के कार्यान्वयन के लिए आदेश जारी किए हैं: मध्य प्रदेश, केरल, बिहार, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, मिजोरम, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, झारखंड, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, गुजरात, उत्तर प्रदेश, नागालैंड, अंडमान और निकोबार, दमन और दीव, दादरा और नगर हवेली, उत्तराखंड, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, गोवा, सिक्किम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा तंबाकू के उपयोग के हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए समर्पित जन संचार और वाह्य अभियान भी चलाए जा रहे हैं।

विवरण

वर्ष 2007-08 से 2012-13 के लिए राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम (एनटीसीपी) के तहत जारी और उपयोग को गई निधियों की स्थिति

क्र.सं.	राज्य	2007-08		2008-09		2009-10		2010-11		2011-12		2012-13
		आवंटन	उपयोग	आवंटन	उपयोग	आवंटन	उपयोग	आवंटन	उपयोग	आवंटन	उपयोग	आवंटन
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	राजस्थान	17,24,000/-	-	-	4,37,470	-	6,68-201	-	5,45,120	14-71,626/-	8,27,852	12,59,000/- 1,97,623/-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2.	असम	17,24,000/-	-	4,31,000	12,81,18 0	12,93,000	14,57,20	16,00,000	21,17,698	29-47-168/-	25,76,117/-	26,23-212
3.	कर्नाटक	17,24,000/-	-	-	5,83,858	-	8,44,328	13,29,472	-	-	-	-
4.	पश्चिम बंगाल	17,24,000/-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	तमिलनाडु	17,24,000/-	1,87-738	4,31,000	9,33,590	-	1,72,057	5,78,000	5,15,024	23,34,000/-		-
6.	उत्तर प्रदेश	17-24-000/-	-	-	49,119	-	1,51,140	-	11,07,716	12,53,900/-	-	-
7.	गुजरात	17,24,000/-	7,30,304	4,31,000	6,32,553	-	6,18,914	12,93,000	6,86,082	2,25-825/-	-	-
8.	दिल्ली	17,24,000/-	-	4,31,000	7,31,886	-	2,76,933-	-	4,82,552	25,52,635/-	-	-
9.	मध्य प्रदेश	17,24,000/-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	नागालैंड	-	-	12,12,000	18,760	-	11,83,240	14,84,000	1434,000	25,76,000/-	-	-
11.	त्रिपुरा	-	-	12,12,000	-	-	12,12,000	14,84,000	14 43,328	18,91,324/-	13,69,095	13,63,884/-
12.	मिजोरम	-	-	12,12,000	-	-	7-19,382	10,01-382	6,26,618	-	8,57,382/-	22,20,000/-
13.	अरुणाचल प्रदेश	-		12,12,000	-	-	-	-	5,30,594	12,13,000/-	-	-
14.	सिक्किम	-	-	12,12,000	-	-	9,08,737	14,84,000	17,10,446	12,39,000/-	-	-
15.	झारखंड	-	-	12,12,000	-	-	-	-	-	-	-	-
16.	बिहार	-	-	12,12,000	-	-	-	-	1,39,650/-	-	2,76,015/-	-
17.	उत्तराखंड	-	-	12,12,000	-	-	4,36,113	-	3,30-483	-	5,40,241/-	16,18,452 6,00,000/-
18.	महाराष्ट्र	-	-	12,12,000	-	-	-	-	-	-	-	-
19.	गोवा	-	-	12,12,000	-	-	6,99	-	4-25,577	13,88,944	-	-
20.	आंध्र प्रदेश	-	-	12,12,000	-	-	2,16,365	7,42,000	5,75,446	14,060/-	-	-
21.	ओडिशा	-	-	12,12,000	-	-	-	-	-	-	5,70,826	-

राज्यों द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचना के अनुसार।

भारतीय खान ब्यूरो द्वारा निरीक्षण

1912. श्री प्रदीप माझी:
श्री किसनभाई वी. पटेल:

क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय खान ब्यूरो (आईबीएम) ने देश में खनिज संसाधनों के संरक्षण और वैज्ञानिक विकास को प्रोत्साहित करने और देश के खनन क्षेत्रों में पर्यावरणीय संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए कोई निरीक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो किए गए निरीक्षणों और पता लगाए गए उल्लंघनों का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान भारतीय खान ब्यूरो (आईवीएम) द्वारा उन पर की गई कार्रवाई/की जाने वाली कार्रवाई का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय खान ब्यूरो द्वारा खान संरक्षण और विकास नियम (एमसीडीआर), 1988 के संशोधित नियम 45 के कार्यान्वयन हेतु ऑन लाइन पंजीकरण और रिपोर्टिंग प्रणाली आरंभ कर दी गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उक्त अवधि के दौरान विभिन्न हितधारकों द्वारा किस हद तक ऑनलाइन पंजीकरण और रिपोर्टिंग प्रणाली का उपयोग किया गया है?

खान मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) और (ख) जी हां, खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली (एमसीडीआर), 1988 के

अनुसार आईबीएम गौण खनिजों, कोयला एवं परमाणु खनिजों को छोड़कर खनिजों के पट्टा क्षेत्रों में खनिज संरक्षण, व्यवस्थित एवं वैज्ञानिक रूप से खनन तथा पर्यावरण की सुरक्षा की निगरानी के लिए खानों का आवधिक निरीक्षण करता है।

गत तीन वर्षों एवं वर्तमान वर्ष (फरवरी, 2013) तक में किए गए निरीक्षण के साथ तत्संबंधी कार्रवाई का ब्यौरार संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ग) जी हां, आईबीएम ने एमसीडीआर, 1988 के संशोधित नियम 45 के कार्यान्वयन के लिए ऑनलाइन पंजीकरण शुरू किया है।

(घ) और (ङ) एमसीडीआर 1988 के नियम 45 के प्रावधान के अनुसार गौण खनिजों को छोड़कर पट्टों की दिनांक 4.2.2013 तक की ऑनलाइन पंजीकरणर की स्थिति संलग्न विवरण-II में दी गई है। दिनांक 4.3.2013 के अनुसार व्यापारियों, निर्यातकों, भंडारण एवं अंतिम उपयोगकर्ताओं को निर्गत राज्यवार पंजीकरण का ब्यौरा संलग्न विवरण-III में दिया गया है। विभिन्न क्षेत्रों से भिन्न-भिन्न खनिजों से संबंधित ऑनलाइन विवरणी की स्थिति संलग्न विवरण-IV में दी गई है। खान मालिकों द्वारा प्रस्तुत ऑनलाइन विवरणी के अवलोकन के लिए राज्य सरकारों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों को लॉग-इन आईडी एवं पासवर्ड दिया गया है।

विवरण I

एमसीडीआर, 1988 का अनुपालन (20.02.2013 तक)

क्र.सं.	गतिविधियां	अवधि			
		2009-10	2010-11	2011-12	2012-13 (फरवरी 2013)
1.	निरीक्षित खानों की संख्या	2371	2177	2563	2017
2.	उन खानों की संख्या जहां उल्लंघन पाया गया	797	685	1722	1675
3.	उन खानों की संख्या जहां उल्लिखित उल्लंघनों को सुधारा गया	553	326	872	677
4.	उन खानों की संख्या जिनको एमसीडीआर के उल्लंघन के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किए गए (वे मामले जिनको देखने के बाद उनमें सुधार नहीं किया गया)	404	168	856	744
5.	उन खानों की संख्या जिनमें कारण बताओ नोटिस जारी करने के बाद सुधार किया गया	192	139	385	281
6.	उन खानों की संख्या जिनमें अभियोजन मामले दर्ज किए गए	42	18	23	8
7.	उन खानों की संख्या जिनमें आईबीएम द्वारा अभियोजन मामलों को कम्पाउंड किया गया	17	20	9	5
8.	वसूल किया गया कम्पाउंड शुल्क-रूपए	9000.00	172000.00	73000.00	81000.00
9.	आईबीएम द्वारा दर्ज अभियोजन को न्यायालय द्वारा सही ठहराया गया	17	15	5	3
10.	वसूल किया गया जुर्माना-रूपए	71000.00	52800.00	34000.00	30000.00
11.	उन खानों की संख्या जहां प्रचालन स्थगित किए गए एमसीडीआर, 1988 के नियम 13(2) के तहत	79	104	172	612
	एमसीडीआर, 1988 के नियम 45(7) (1) (क) के तहत	-	-	1445	574
12.	उन खानों की संख्या जहां वापसी का आदेश जारी किया गया				
	एमसीडीआर, 1988 के नियम 13(2) के तहत	25	45	46	31
	एमसीडीआर, 1988 के नियम 45(7) (1) (क) के तहत	-	-	180	102
13.	पट्टे के निर्धारण हेतु राज्य सरकार को सिफारिश किया गया। एमसीडीआर, 1988 के नियम 45 के तहत अपंजीकृत पट्टों के निर्धारण के लिए भी राज्य सरकार को सिफारिश किया गया	03	04	53	651

विवरण II

एमसीडीआर, 1988 के नियम 45 के अनुसार 04.02.2013 तक ऑन लाइन पंजीकरण की स्थिति

क्र.सं.	राज्य	पट्टों की कुल सं.	पंजीकृत पट्टे	अपंजीकृत पट्टे
1.	आंध्र प्रदेश	2007	1619	388
2.	असम	4	4	0
3.	बिहार	21	14	7
4.	छत्तीसगढ़	326	261	65
5.	गोवा	348	335	13
6.	गुजरात	1013	947	66
7.	हरियाणा	3	1	2
8.	हिमाचल प्रदेश	40	37	3
9.	जम्मू और कश्मीर	56	50	6
10.	झारखंड	291	220	71
11.	कर्नाटक	534	520	14
12.	केरल	68	68	0
13.	मध्य प्रदेश	1024	725	299
14.	महाराष्ट्र	251	225	26
15.	मणिपुर	1	1	0
16.	मेघालय	14	14	0
17.	ओडिशा	565	451	114
18.	राजस्थान	2205	1970	235
19.	सिक्किम	2	0	2
20.	तमिलनाडु	921	777	144
21.	उत्तर प्रदेश	80	62	18
22.	उत्तराखंड	70	65	5
23.	पश्चिम बंगाल	49	30	19
	कुल योग	9893	8396	1497**

*सभी पट्टों में अपंजीकृत खनन प्रचालन या तो स्थगित हो गए है अथवा उनकी समाप्ति की सिफारिश की गई है।

विवरण II

दिनांक 4.3.2013 तक व्यापारियों, निर्यातकों, भंडार, अंत्य उपभोक्ता को जारी किया गया राज्यवार पंजीकरण

क्र.सं.	राज्य का नाम	व्यापारी	निर्यातक	भंडार	अंत्य उपयोक्ता	कुल
1.	आंध्र प्रदेश	420	59	131	171	781
2.	असम	2	0	1	8	11
3.	बिहार	2	0	1	13	16
4.	चंडीगढ़	1	0	0	1	02
5.	छत्तीसगढ़	53	16	35	84	188
6.	दादरा और नगर हवेली	0	1	1	4	06
7.	दमन और दीव	1	0	1	1	03
8.	दिल्ली	32	15	14	51	112
9.	गोवा	238	68	110	22	438
10.	गुजरात	340	23	228	307	898
11.	हरियाणा	5	2	2	27	36
12.	हिमाचल प्रदेश	2	0	2	10	14
13.	जम्मू और कश्मीर	1	0	1	11	13
14.	झारखंड	140	11	98	79	328
15.	कर्नाटक	221	62	49	137	469
16.	केरल	20	6	4	27	57
17.	मध्य प्रदेश	142	7	40	94	283
18.	महाराष्ट्र	156	50	68	213	487
19.	मेघालय	0	2	0	4	06
20.	ओडिशा	328	128	184	325	965
21.	पुदुचेरी	9	0	3	3	15
22.	पंजाब	4	1	1	24	30
23.	राजस्थान	583	10	121	181	905
24.	तमिलनाडु	232	50	65	208	555
25.	त्रिपुरा	0	0	0	1	01
26.	उत्तर प्रदेश	30	10	9	70	119
27.	उत्तराखंड	6	0	5	13	24
28.	पश्चिम बंगाल	198	82	64	237	581
	कुल योग	3166	613	1238	2326	7343

विवरण IV

मार्च, 2012 जनवरी, 2013 की अवधि के दौरान क्षेत्रवार रिटर्न की ऑनलाइन की प्रस्तुति की स्थिति

क्र.सं.	क्षेत्र	लौह अयस्क (एफ-1)	मैंगनीज अयस्क (एफ-2)	बाक्साइट एंव लेटराइअ (एफ-3)	क्रोमाइट (एफ-4)	अन्य खनिज	कुल
1.	अजमेर	9	0	0	0	149	158
2.	बैंगलोर	932	157	15	26	814	1944
3.	भुवनेश्वर	597	302	21	113	172	1205
4.	चेन्नई	0	0	4	0	1311	1315
5.	देहरादून	0	0	0	0	30	30
6.	गोवा	1267	105	23	0	476	1871
7.	गुवाहाटी उप क्षेत्र	0	0	0	0	0	0
8.	हैदराबाद	238	360	0	0	789	1387
9.	जबलपुर	46	28	96	0	1043	1213
10.	कोलकाता	161	43	0	0	283	487
11.	नागपुर	73	209	27	0	435	744
12.	नैल्लौर उप क्षेत्र	0	0	0	0	0	0
13.	रांची	0	0	289	0	40	329
14.	उदयपुर	0	20	395	0	607	1022
	कुल	3323	1224	870	139	6149	11705

काले धन हेतु पैनल

1913. श्री अब्दुल रहमानः
श्री अनुराग सिंह ठाकुरः
श्री असादूद्दीन ओवेसीः

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या काला धन देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 10 प्रतिशत से अधिक है;

(ख) यदि हां, तो इस धन की वसूली के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या कथित रूप से अंतरण मूल्य का प्रयोग कर कर-अपवंचन के माधयम से काले धन का सृजन किया जाता है;

(घ) यदि हां, तो इस मुद्दे के समाधान हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ) क्या सरकार ने राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद (एनसीईएआर), राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान (एनआईएफएम) और राष्ट्रीय लोक वित्त और नीति संस्थान (एनआईपीएफपी) द्वारा दी गई काले धन संबंधी रिपोर्टों को सार्वजनिक कर दिया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और उक्त रिपोर्टों को कब तक सार्वजनिक किए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिकम): (क) इस संबंध में कोई आधिकारिक अनुमान उपलब्ध नहीं है। तथापि, सरकार ने अन्य बातों के साथ-साथ देश के अंदर एवं बाहर बेहिसाबी आय व धन का अनुमान लगाने के लिए एक अध्ययन

शुरू करवाया है। यह अध्ययन तीन संस्थानों–राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान (एनआईपीएफपी), राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद (एनसीएईआर) और राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान (एनआईएफएम) द्वारा पृथक् रूप से किया जा रहा है। संबंधित संस्थानों द्वारा अभी अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी है।

(ख) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता है। तथापि, कर अपवंचन के विरुद्ध अभियान एक सतत प्रक्रिया है और कर अपवंचन के मामलों का पता लगाने पर प्रत्यक्ष कर कानूनों के तहत जुर्माना लगाने और अभियोजन शुरू करने सहित समुचित कार्रवाई की जाती है। सरकार ने बहु-स्तरीय रणनीति के तहत विभिन्न कदम उठाए हैं जिसमें समुचित विधायी ढांचे का सृजन; अवैध निधियों से निपटने हेतु संस्थाओं की स्थापना, कार्यान्वयन हेतु तंत्र का विकास; कारगर कार्रवाई के लिए जनशक्ति को कौशल प्रदान करना, और काले धन के खिलाफ वैश्विक अभियान में सम्मिलित होना शामिल है। इस संबंध में वित्त अधिनियम, 2012 के माध्यम से किए गए विधायी उपायों में देश के बाहर धारित परिसम्पत्तियों (बैंक खातों सहित) की सूचना देने की अपेक्षा; देश के बाहर रखी गई अप्रकट परिम्पत्तियां (बैंक खातों सहित) पर कर लगाने के लिए 16 वर्षों तक के कर-निर्धारण को पुन: खोलने; तलाशी के मामलों में दंड के प्रावधानों को सुदृढ़ करने; कतिपय अत्यधिक असुरक्षित मदों/क्षेत्रों को शामिल करने हेतु स्रोत पर कर संग्रहण (टीसीएस) के दायरे को बढ़ाने के प्रावधान शामिल हैं। भारत सूचना के आदान-प्रदान से संबंधित अनुच्छेद के दायरे को अंतर्राष्ट्रीय मानकों तक लाने के लिए अपने दोहरे कराधान परिहार करारों (डीटीएए) पर अन्य देशों के साथ पुर्नवार्ता कर रहा है, और सूचना के आदान-प्रदान में सहायता करने एवं कर पारदर्शिता लाने के अपने प्रयासों में कई अन्य देशों के साथ नए डीटीएए पर हस्ताक्षर करके और कई कर क्षेत्राधिकारों के साथ कर सूचना विनिमय करार (टीआईईए) करके अपने संधि नेटवर्क का भी विस्तार कर रहा है। यह 2012 में कर मामलों में पारस्परिक प्रशासनिक सहायता पर बहुपक्षीय अभिसमय का भी सदस्य बन गया है। विभाग के आसूचना संग्रहण तंत्र को सुधारने के लिए भी कई कदम उठाए गए हैं। इन कदमों से सरकार, कर अपवंचन के संकट का बेहतर तरीके से सामना करने में कामयाब हुई है।

(ग) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता है। तथापि, अंतरण मूल्यन का इस्तेमाल करके कर-अपवंचन सहित विभिन्न माध्यमों द्वारा काले धन का सृजन किया जाता है।

(घ) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता है। तथापि, उपर्युक्त भाग (ख) के उत्तर में उल्लेख किए गए अनुसार सरकार ने कर अपवंचन के मुद्दे के समाधान हेतु विभिन्न उपाय किए हैं।

(ङ) जैसा कि उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर में बताया गया है, इन संस्थानों द्वारा किए जा रहे अध्ययन के संबंध में अंतिम रिपोर्टें इस मंत्रालय में अभी तक प्राप्त नहीं हुई हैं।

(च) संबंधित संस्थानों द्वारा अध्ययन रिपोर्ट को अभी अंतिम रूप दिया जा रहा है। इनके अप्रैल, 2013 की समाप्ति तक मंत्रालय को प्राप्त होने की संभावना है। तीनों संस्थानों द्वारा अध्ययन रिपोर्टों के सौंपे जाने के बाद इन अध्ययन रिपोर्टों की सरकार द्वारा आवश्यक कार्रवाई हेतु जांच-पड़ताल की जाएगी।

एनसीडीसी शाखाएं

1914. श्री हरिन पाठक: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केन्द्र (एनसीडीसी) की शाखाओं का ब्यौरा क्या है और 11वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान उनके द्वारा आरंभ किए गए कार्यकलापों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विभिन्न राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में एनसीडीसी की कुछ नई शाखाएं खोलने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थान और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इस प्रयोजन हेतु राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत/पुनर्प्रस्तुत किए गए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केन्द्र (एनसीडीसी) की शाखाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है। 11वीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान एनसीडीसी की शाखाओं द्वारा आरंभ किए गए प्रमुख कार्यकलापों का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ख) और (ग) 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान एनसीडीसी की वर्तमान शाखाओं को सुदृढ़ करने तथा नई शाखाओं की स्थापना करने का प्रस्ताव किया गया है जो कि योजना आयोग के अनुमोदन तथा अपेक्षित वित्तीय आबंटन के अध्यधीन है।

(घ) और (ङ) 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान किसी भी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र से एनसीडीसी की नई शाखाओं की स्थापना के लिए कोई नया प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

विवरण-I

राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केन्द्र (एनसीडीसी) की वर्तमान शाखाएं

क्र.सं.	शाखा	पता
1.	अलवर	एनसीडीसी, बाली विहार, मनू मार्ग, अलवर, राजस्थान-30100
2.	बैंगलोर	एनसीडीसी, एनटीआई कैंपस, बैल्लारी रोड, बंगलौर, कर्नाटक
3.	कालीकट	एनसीडीसी, तीसरी मंजिल, केन्द्रीय भवन, एम.एस. बाबूराज रोड, कोझिकोड़, केरल-673003
4.	कन्नूर	एनसीडीसी, सानमूगा, प्रिय ब्रूक लैंड्स, कुन्नूर, तमिलनाडु-643101
5.	जगदलपुर	एनसीडीसी, धर्मपुरा-I, जगदलपुर, छत्तीसगढ़, 495005
6.	पटना	एनसीडीसी, कालाआजार यूनिट, 16-किताब भवन लेन, नार्थ एस.के. पुरी, पटना-8000131
7.	राजमुंदरी	एनसीडीसी, वेवर्स कॉलोनी, राजमुंदरी, आंध्र प्रदेश-533105
8.	वाराणसी	एनसीडीसी, ख-20/44, भेलपुरा, वाराणसी, उत्तर प्रदेश-221001

विवरण-II

राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केन्द्र (एनसीडीसी) की शाखाओं द्वारा की गई प्रमुख गतिविधियां

विशिष्ट रोगों के निवारण एवं नियंत्रण हेतु एनसीडीसी की आठ शाखाएं स्थापित की गई थीं, जो संबंधित राज्यों में प्रमुख जन स्वास्थ्य समस्या थी। राजामुंदरी, कोझीकोड और वाराणसी शाखाओं की मुख्य रूप से लिम्फेटिक फाइलेराइसिस पर कार्य करने हेतु स्थापित किया गया था। जगदलपुर और अलवर शाखाओं को मलेरिया पर कार्य करने हेतु स्थापित किया गया था। बैंगलूर और कुन्नूर शाखाओं को प्लेग निगरानी के लिए और पटना शाखा को कालाजार के लिए स्थापित किया गया था। इसके साथ-साथ ये शाखाएं मुख्यालय को अन्य गतिविधियों में मदद करती हैं जैसे महामारी/प्रकोप जांच और उनकी रोकथाम, महामारी आशंका वाली संचारी रोगों का देशव्यापी निगरानी, रेफरल सेवाएं और व्यक्तिगत रोगियों, समुदाय, मेडिकल कॉलेजों, अनुसंधान संस्थानों और राज्य स्वास्थ्य निदेशालयों को तकनीकी सहयोग, विभिन्न निराकरण/उन्मूलन कार्यक्रम जैसे गुनी वॉर्म उन्मूलन कार्यक्रम (जीडब्ल्यूईपी), योज उन्मूलन कार्यक्रम (वायईपी) आदि। इन शाखाओं की विभिन्न गतिविधियां निम्नलिखित हैं:

(क) महामारी/प्रकोप अन्वेषण और उनकी रोकथाम।

(ख) प्रशिक्षित स्वास्थ्य जनशक्ति विकास: एनसीडीसी शाखाएं विभिन्न संचारी रोगों जैसे प्लेग, कालाजार, मलेरिया और फाइलेरिया आदि के निवारण व नियंत्रण हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करती हैं। प्रशिक्षण और तकनीकी ज्ञान के आदान-प्रदान हेतु विश्व स्वास्थ्य संगठन शिक्षावृत्रि पर भारत और विदेशों से वैज्ञानिकों, अनुसंधान कार्मिकों और स्वास्थ्य पेशेवरों, क्षेत्र महामारी विज्ञान प्रशिक्षण कार्यक्रम (एफईटीपी) और एमपीएच विद्वानों को इन शाखाओं में तैनात किया जाता है। इन शाखाओं के अधिकारी, विभिन्न संचारी रोगों की निगरानी प्रबंधन निवारण एवं नियंत्रण हेतु, दिशानिर्देश तैयार करने में सहयोग करते हैं।

(ग) रेफरल सेवाएं: एनसीडीसी शाखाएं विभिन्न संचारी रोगों के लिए रेफरल नैदानिक सेवाएं उपलब्ध करती हैं, जिनमें से कुछ अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में सामान्यत: उपलब्ध नहीं होते, और विशेषीकृत नैदानिक जांचों के लिए राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केन्द्र, दिल्ली मुख्यालयों को नमूने भेजती हैं। इनमें मलेरिया, टोक्सोप्लास्मा, रूबेला समूह जीव, पोलियोमाइलेटिस, खसरा, कोक्सैकी वायरस, अन्य एंटरोवायरसों, वायरस हेपेटाइटिस हेतु सेरेलोजीकल मार्कर, मेनिनजटिस, डिप्थीरिया, गंभीर श्वास संक्रमण, हैजा व नवीनतम एंटरोपथोजन्स, माइकोटिक रोगों, एड्स, रेवीज, कालाजार, बूसैलासिस, रिकेटसियोसिस, लंप्टोस्पीरोसिस, हिडेटिडोजिई, अरबो वायरल संक्रमण, प्लेग, एन्थ्रैक्स, थायरोयड फंक्शन जांच आदि।

(घ) अनुप्रयुक्त अनुसंधान: एनसीडीसी शाखाएं विभिन्न संचारी रोगों जैसे प्लेग, कालाजार, मलेरिया और फाइलेरिया आदि के क्षेत्र में अनुप्रयुक्त अनुसंधान में शामिल हैं।

प्राकृतिक गैस क्षेत्र का विकास

1915. श्री पोन्नम प्रभाकर:
श्री एम. कृष्णास्वामी:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मूल्य निर्धारण और विपणन नीतियों के कारण प्राकृतिक गैस क्षेत्र का विकास बाधित हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी): (क) से (ग) एपीएम और गैर एपीएम गैस का मूल्य निर्धारण सरकार द्वारा किया जाता है। जहां तक एनईएलपी और एनईएलपी पूर्व गैस का संबंध है, इनका मूल्य निर्धारण सरकार और संविदाकार के बीच हस्ताक्षरित उत्पादन हिस्सेदारी संविदा (पीएससी) की शर्तों के अनुसार नियंत्रित होता है। जहां तक आयातित तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) का संबंध है, आवधिक संविदाओं के तहत आयातित एलएनजी का मूल्य एलएनजी विक्रेता और क्रेता के बीच बिक्री और खरीद करार (एसपीए) द्वारा शासित होता है। तत्स्थान नौभार परस्पर सहमति योग्य वाणिज्यिक शर्तों पर खरीदे जाते हैं।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने देश में प्राकृतिक गैस क्षेत्र के विकास को सुविधाजनक बनाने के लिए विपणन मोर्चे पर अनेक नीतिगत पहल की हैं। इसमें सुपरिभाषित गैस उपयोग नीति सम्मिलित है।

प्राकृतिक गैस की स्वैपिंग के संबंध में भी दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। स्वैपिंग, गैस की उपलब्धता और सम्बद्धता के अनुसार अलग-अलग कम्पनियों को आरएलएनजी के जरिए गैस की प्राप्ति को सुविधाजनक बनाती है।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक ही स्वामित्व के विद्युत संयंत्रों के बीच प्राकृतिक गैस के विपथन/क्लबिंग के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए हैं ताकि क्लबिंग/विपथन पूर्व अवधि की तुलना में विद्युत के कुल उत्पादन में तदनुरूपी वृद्धि से संयंत्र भार घटक (पीएलएफ) में सुधार किया जा सके।

दाभोल और बैंगलुरू के बीच गैस पाइप लाइन

1916. श्री सुरेश अंगड़ी: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दाभोल और बैंगलुरू के बीच गैस पाइप लाइन परियोजना पूरी हो चुकी है और हाल ही में इसने कार्य करना आरंभ कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और आने वाले वर्षों में बैंगलुरू के कितने घरों को पाइप द्वारा गैस प्रदान की जाएगी;

(ग) क्या उक्त गैस पाइप लाइन पश्चिमी घाट क्षेत्र के माध्यम से इन दो स्थानों को जोड़ती है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या उक्त पाइप लाइन का लाभ बेलगाम सहित दाभोल और बैंगलुरू के बीच पाइप लाइन के मार्ग पर पड़ने वाले कुछ छोटे और मझौले कस्बों को भी मिलने की संभावना है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी): (क) दाभोल और बैंगलुरु के बीच पाइप लाइन परियोजना दिनांक 18.2.2013 को चालू कर दिया गया है।

(ख) मैसर्स गेल गैस लि. के अनुसार प्रचालन के पहले वर्ष में बैंगलुरु में 22,306 परिवारों को पीएनजी कनेक्शन उपलब्ध करवाए जा सकते हैं। इसमें प्रतिवर्ष वृद्धि होगी और नौ वर्षों के बाद कनेक्शनों की संख्या 12,92,174 तक पहुंचने की उम्मीद है।

(ग) जी, हां।

(घ) दाभोल से शुरू होकर पाइप लाइन को पश्चिमी घाट क्षेत्र में चेनेज 110 किलोमीटर तक बिछाया गया है और यह पाइप लाइन, घाट क्षेत्र में रत्नागिरी और कोल्हापुर जिलों से गुजरती है।

(ङ) और (च) पीएनजीआरबी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दाभोल-बैंगलुरु प्राकृतिक गैस पाइप लाइन रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, कोल्हापुर, बेलगाम, धारवाड़, बेल्लारी, देवांगेरे, चित्रदुर्ग, तुम्कुर, बेंगलुरु, रामनगर, उत्तरी गोवा और दक्षिणी गोवा जिलों से होकर गुजरती है।

रोगियों के लिए एसएमएस सुविधाएं

1917. **श्री प्रतापराव गणपतराव जाधव:**
श्री रतन सिंह:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस) ने हाल ही में सीजीएचएस लाभार्थियों को औषधियां देने के संबंध में लघु संदेश सेवा (एसएमएस) भेजना आरंभ किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान अभी तक अनधिकृत व्यक्तियों को औषधियां दिए जाने के संबंध में पता लगाए गए/अभिज्ञात मामलों की संख्या का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) और (ख) जी, हां। अनधिकृत व्यक्तियों द्वारा सीजीएचएस कार्डों के दुरुपयोग को रोकने के लिए 6 जुलाई, 2012 से एसएमएस अलर्ट प्रणाली शुरू की गई है। फिलहाल यह सेवा एनआईसी द्वारा निःशुल्क मुहैया कराई जा रही है।

(ग) और (घ) अनधिकृत व्यक्तियों को दवाइयां जारी करने की किसी मामले की जानकारी नहीं मिली है। तथापि, विगत में दवाइयों की हेराफेरी के इक्का-दुक्का मामलों का पता चला है तथा उन मामलों में उपयुक्त कार्रवाई की गई है। अनधिकृत व्यक्तियों द्वारा सीजीएचएस कार्डों का दुरुपयोग रोकने के लिए एसएमएस अलर्ट प्रणाली की शुरूआत की गई है।

[हिंदी]

तेल शोधन क्षमता

1918. **श्री अर्जुन राय:**
श्री लालजी टन्डन:
डॉ. मुरली मनोहर जोशी:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में गत कुछ वर्षों में कच्चे तेल शोधन की क्षमता में निरंतर वृद्धि हो रही है

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान उक्त क्षमता में कितनी वृद्धि हुई;

(ग) क्या गत तीन वर्षों के दौरान कच्चे तेल शोधन कार्य में लगी कंपनी के लाभ में वृद्धि हुई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त अवधि के दौरान इन कंपनियों द्वारा प्रति बैरल अर्जित लाभ का कंपनी-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) देश में तेल शोधन क्षमता में वृद्धि हेतु सरकार द्वारा क्या अन्य कदम उठाए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) जी हां। देश में पिछले कुछ वर्षों से शोधन क्षमता में निरंतर बढ़ोतरी हो रही है। देश में प्रत्येक पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान वर्धित शोधन क्षमता निम्नानुसार है:

की क्षमता	संचयी शोधन क्षमता (मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष)
1.4.2010	185.40
1.4.2011	193.40
1.4.2012	213.18
1.10.2012	215.07

(ग) और (घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान डाउनस्ट्रीम सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कम्पनियों और सार्वजनिक क्षेत्र में अपनी तरह की अकेली रिफाइनरियों की अल्प वसूलियों की क्षतिपूर्ति का लेखांकन करने के बाद कर पश्चात लाभ (पीएटी) निम्नानुसार है:

(रुपए करोड़)

कंपनी का नाम	2009-10	2010-11	2011-12
डाउनस्ट्रीम तेल कम्पनियां			
इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लि.	10221	7445	3954
हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि.	1301	1539	911
भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि.	1538	1547	1311
अपनी तरह की अकेली रिफाइनरियां			
मंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकैमिकल्स लि.	1112	1177	909
चेन्नई पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि.	603	512	62
नुमालीगढ़ रिफाइनरीज लिमिटेड	232	279	184

डाउनस्ट्रीम तेल कम्पनियां, सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र की अपस्ट्रीम तेल कम्पनियों से उनकी अल्प वसूलियों की पर्याप्त क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के फलस्वरूप ही लाभ प्राप्त कर सकती हैं।

पिछले तीन वर्षों के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा दी गई सकल रिफाइनिंग मार्जिनों की रिपोर्ट निम्नानुसार है:

कंपनी का नाम	रिफाइनरी	2009-10	2010-11	(डालर/बैरल) 2011-12
इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लि.	बरौनी	3.57	3.91	0.39
	गुजरात	3.91	6.42	5.07
	हल्दिया	5.42	4.03	2.38
	मथुरा	5.62	7.40	0.59
	पानीपत	3.35	5.68	4.39
	गुवाहाटी	7.44	10.01	11.94
	डिगबोर्ड	18.61	16.98	14.85
	बोगाईगांव	5.23	5.23	6.25
भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि.	कोच्चि	4.87	5.95	3.63
	मुम्बई	1.78	4.23	3.12
	औसत	2.97	4.47	3.16
हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि.	मुंबई	2.80	4.65	2.82
	विशाख	2.59	5.81	2.95
	औसत	2.68	5.30	2.89
चेन्नई पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि.	चेन्नई	4.75	5.02	4.16
मंगलौर रिफाइनरी एंड पेट्रोकैमिकल्स लि.	मंगलौर	5.46	5.96	5.60
नुमालीगढ़ रिफाइनरी लि.	नुमालीगढ़	11.19	15.39	11.97

(ङ) रिफाइनरी क्षेत्र को जून, 1998 से लाइसेंसमुक्त किया गया है और अपनी तकनीकी वाणिज्यिक व्यवहार्यता के आधार पर निजी या सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनी द्वारा भारत में कहीं भी रिफाइनरी स्थापित की जा सकती है। देश की वर्तमान नेमप्लेट रिफाइनिंग क्षमता 215.066 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष (एमएमटीपीए) है। नई ग्रास रूट रिफाइनरियों और मौजूदा रिफाइनरियों के माध्यम से 12वीं पंचवर्षीय योजना के लिए रिफाइनरी संबंधी पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस क्षेत्र के कार्य समूह की रिपोर्ट के अनुसार 2016-17 के अंत तक इसमें 307.366 एमएमटीपीए तक वृद्धि होने की संभावना है।

[अनुवाद]

सौर ऊर्जा निगम

1919. श्रीमती सुप्रिया सुले:
डॉ. संजीव गणेश नाईक:

क्या **नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय सौर ऊर्जा निगम (एसईसीआई) ने कार्य करना आरंभ कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके कृत्यों, भूमिका और कर्मचारियों की संख्या का ब्यौरा क्या है; और

(ग) एसईसीआई को अभी तक आवंटित और व्यय की गई निधियों का ब्यौरा क्या है?

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री (डॉ. फारुख अब्दुल्ला): (क) और (ख) जी हां। भारतीय सौर ऊर्जा निम्नलिखित मुख्य उद्देश्यों के साथ कम्पनी अधिनियम 1956 के तहत धारा-25 कम्पनी के रूप में दिनांक 20 सितम्बर, 2011 को गठित किया गया:

1. वाणिज्यीकरण प्राप्त करने के लिए सौर ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के विकास और परिनियोजन पर एक समेकित कार्यक्रम की योजना बनाना और निष्पादित करना;

2. ग्रिड सम्बद्ध और ऑफ-ग्रिड दोनों अनुप्रयोगों का स्वामित्व रखना, चलाना और प्रबंधन करना;

3. पारेषण सुविधाएं स्थापित करके विद्युत की निकासी सहित सौर विद्युत स्टेशनों और सहायक सुविधाओं हेतु अनुसंध ान एवं विकास को बढ़ावा देना, उपयुक्त स्थलों का चयन करना;

4. जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन के तहत बनाई गई नीतियों और उद्देश्यों के अनुसार विद्युत का विनिमय करना, वितरित करना और बिक्री करना;

5. उपयुक्त प्रक्रियाओं के माध्यम से मिशन के उद्देश्यों को लागू करने में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की मदद करना।

कम्पनी में बोर्ड स्तर के पदों को भरने की प्रक्रिया आरंभ हो गई है। डॉ. अनिल काकोडकर को पहले ही इसका अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया है। बोर्ड स्तर के पदों अर्थात निदेशक (सौर), निदेशक (विद्युत प्रणालियां) और निदेशक (वित्त) को भरा जा चुका है। नियमित व्यवस्था में केवल 15 कार्यकारी और 2 गैर-कार्यकारी हैं। कुल मिलाकर 13 सामान्य, 3 अनुसूचित जाति और 1 अन्य पिछड़ी जाति को भर्ती किया गया है।

(ग) कम्पनी की अधिकृत शेयर पूंजी 2000 करोड़ रु. है। वित्तीय वर्ष (2011-12) के अंत में प्रदत्त पूंजी 4.00 करोड़ रु. थी और वार्षिक प्रतिवेदन की तिथि पर 21,00,00,000 रु. थी।

आबंटित और खर्च की गई निधियों के ब्यौरे इस प्रकार हैं:

(करोड़ रुपए में)

वित्तीय वर्ष	आबंटित निधि	खर्च की गई राशि
2011-12	4.00	3.01
2012-13 (दिनांक 28.2.2013 तक)	16.99	4.92

एमएसएमई को ऋण प्रदान करने हेतु बैंकों का लक्ष्य

1920. श्री नीरज शेखर:
श्री एस. सेम्मलई:
श्री ए. के. एस. विजयन:
श्री प्रदीप कुमार सिंह:
श्री जय प्रकाश अग्रवाल:
श्री यशवीर सिंह:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) को अपने कुल (ऋण का कतिपय प्रतिशत सूक्ष्म, लघु और मधयम उद्यम (एमएसएमई) को देने का अधिदेश दिया गया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा वितरित किए गए कुल ऋण का बैंक-वार और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है और वितरित किए गए उक्त ऋण का कितने प्रतिशत एमएसएमई को दिया गया;

(ग) क्या सरकारी क्षेत्र के बैंक उक्त अवधि के दौरान एमएसएमई को ऋण देने के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल रहे हैं यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और इसके कारण का बैंक-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का देश में एमएसएमई को ऋण प्रदान करने में वृद्धि करने का प्रस्ताव है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा): (क) सरकार द्वारा गठित सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम संबंधी प्रधानमंत्री के कार्यदल की सिफारिशों के संदर्भ में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों को निम्नानुसार सलाह दी गई है:

(i) अधिक ऋण उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सूक्ष्म तथा लघु उद्यमों हेतु ऋण में वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 20% की वृद्धि प्राप्त की जाए;

(ii) सूक्ष्म उद्यमों को एमएसई अग्रिमों का 60% आबंटन दिए जाने के लक्ष्य को चरणों अर्थात वर्ष 2010-11 में 50%, वर्ष 2011-12 में 55% तथा वर्ष 2012-13 में 60% में प्राप्त किया जाना है; तथा

(iii) सूक्ष्म उद्यम खातों की संख्या में 10% की वार्षिक वृद्धि दर को प्राप्त करना।

(ख) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) मार्च, 2011 तथा मार्च, 2012 के अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार की स्थिति के अनुसार प्रधानमंत्री के कार्यदल द्वारा निर्धारित किए गए अनुसार एमएसई क्षेत्र को सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा दिए गए उधार के लक्ष्य-प्राप्ति का सार निम्नानुसार है:

एमएसई क्षेत्र को उधार देने हेतु लक्ष्य	सरकारी क्षेत्र के बैंकों की संख्या	
	मार्च, 2011	मार्च, 2012
मार्च 2011 में 50% तथा मार्च, 2012 में 55% लक्ष्य प्राप्त किया गया	10	7
सूक्ष्म उद्यमों की संख्या में वर्ष-दर-वर्ष 10% की वृद्धि	10	11
एमएसई क्षेत्र को उधार देने में 20% की वार्षिक वृद्धि	22	9

(घ) और (ङ) हाल ही में, आरबीआई में सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों, निजी क्षेत्र के प्रमुख बैंकों तथा विदेशी बैंकों के प्रमुख प्रबंध निदेशकों (सीएमडी)/प्रमुख आर्थिक अधिकारियों (सीईओ) की उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई थी जिसका आयोजन एमएसएमई क्षेत्र तथा विशेष रूप से सूक्ष्म तथा छोटे उपक्रमों को ऋण अधिक देने पर बल देने के लिए किया गया था।

एमएसई क्षेत्र में ऋण प्रवाह को बढ़ाने हेतु कई उपाय किए हैं जिनमें अन्य बातों के साथ, ये शामिल हैं:

- वित्त मंत्री द्वारा आवधिक समीक्षा की जाती है जिसकी कार्यसूची में एमएसएमई को ऋण प्रवाह एक मुद्दा होता है।
- पीएसबी के सीएमडी की कार्य निष्पाश्दन समीक्षा में एमएसएमई क्षेत्र में उपलब्धियों हेतु अंकों का अलग से आबंटन होता है।
- एमएसएमई को ऋण एसएलबीसी की कार्यसूची का भाग है तथा उसकी सभी बैठकों में इस पर अनुवर्ती कार्रवाई होती है।
- भारत सरकार जोखिम निधि, भारत सूक्ष्म इक्विटी निधि आईएमईएफ, आरएमएसई, एसएमईआरए की स्थापना।
- ऋण उपलब्धकर्ता तथा जोखिम पूंजी, ऋण समूहन, बाजार लिंकेज, फैक्टरिंग सेवाओं के संवर्धन जैसे क्षेत्रों में सहायता सेवाओं के निर्वहन हेतु सिडबी को फिर से दिशा देना।
- प्राथमिकता क्षेत्र उधार हेतु सेवाओं में कुल ऋण सीमा को एक करोड़ रूपए से बढ़ाकर 2 करोड़ रुपए कर दी गई।
- मंत्रालयों/पीएसयू को निदेश दिया गया है कि वे एमएसई क्षेत्र से कम से कम 20% माल खरीदें।
- राष्ट्रीय शेयर बाजार/मुम्बई स्टॉक एक्सचेंज में एसएमई एक्सचेंज की स्थापना।
- संभावित रूप से अर्थक्षम एमएसएमई इकाईयों का समयबद्ध पुनरुद्धार तथा अन्रू रुग्ण एमएसई यूनिटों को बंद करना।
- एमएसई ग्राहकों हेतु बैंकिंग कोड तैयार करना।
- एमएसई ऋण आवेदनों की इलेक्ट्रानिक ट्रैकिंग।
- सम्पार्श्विक मुक्त ऋण देने हेतु दिशानिर्देशों का पालन।
- 25 लाख रुपए तक के ऋणों हेतु बैंकों द्वारा आईबीए द्वारा अनुमोदित एक समान आवेदन फार्म को अपनाना।
- व्यापक ऋण प्रवाह हेतु अग्रणी बैंकों द्वारा एमएसएमई विशेषता प्राप्त शाखाएं खोलना तथा समूह/अवस्थिति विशिष्ट उद्योग समूहों में उपयुक्त योजनाएं तैयार करना।
- आरबीआई द्वारा दिए गए एमएसई ऋण लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु कार्य योजना।
- अनूठे वित्तपोषण हेतु एजीएम स्तर के अधिकारी के अधीन 10 विशेषता प्राप्त शाखाएं।

विवरण I

मार्च 2010 के अतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार की स्थिति के अनुसार
सरकारी क्षेत्र के बैंकों का एसएसई क्षेत्र के पास
बकाया ऋण तथा एएनबीसी की प्रतिशतता
खातों की संख्या लाख में और बकाया राशि करोड़ में

बैंक का नाम	एएनबीसी	एमएसई		एएनबीसी की प्रतिशतता%
		खातों की सं.	बकाया राशि	
एसबीआई	46193900	19.00	42174.00	9.13
एसबीबीजे	30091. 21	1.62	4579.66	15.22
एसबी हैदराबाद	44087.02	1.32	5442.46	12.34;र
एसबी इंदौर	21738.55	0.33	4555.16	20.95
एसबी मैसूर	25881.00	1.36	2475.91	9.57
एसबी पटियाला	43960.81	088	6606.33	1958
एसबी पटियाला	33056.35	348	3862.00	11.68
एसबी त्रावणकोर	58801.00	3.55	833697	14.18
इलाहाबाद बैंक	44427.60	1,94	4670.85	10.51
आंध्रा बैंक	109283.00	2.98	16752.53	15.33
बैंक आफ बड़ौदा	116290.00	3.87	25810.00	22.19
बैंक आफ इंडिया	34817.28	1.34	3686.ठ०	10.59
केनरा बैंक	151053.00	4.98	24180.00	1601
सेन्ट्रल बैंक	85935.00	3.43	9164.61	10,66
कार्पोरेशन बैंक	48512.16	0.78	540364	11.14
देना बैंक	29185.36	ञ्9सि	4247.59	1455
इंडियन बैंक	48812.02	1.78	5938.87	12.17
आईओबीइ	67104.36	121	9659.44	14.39
ओबीसी	68500.37	1.56	1033281	15.08
पीएनबी	152679.00	4.78	22616.89	14.94
पंजाब एंड सिंध बैंक	24698.10	064	3753.27	15.20
सिंडिकेट बैंक	71297.03	3.73	3695.21	13.60
यूनियन बैंक	96959.49	3.50	14890.76	1536
यूनाइटेड बैंक	35727.00	1.92	`626.96	15.76
यूको बैंक	49774.00	2.03	8757.32	17.59
विजया बैंक	35875.00	125	5048.57	14.07
आईडीबीआई बैंक	103913.80	0.28	8877.66	8.54
कुल	2094400.51	74.49	279348.92	13.34

मार्च 2010 के अतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार की स्थिति के अनुसार
सरकारी क्षेत्र के बैंकों का एसएसई क्षेत्र के पास
बकाया ऋण तथा एएनबीसी की प्रतिशतता
खातों की संख्या लाख में और बकाया राशि करोड़ में

बैंक का नाम	एएनबीसी	एमएसई		एएनबीसी की प्रतिशतता%
		खातों की सं.	बकाया राशि	
एसबीआई	461939.00	19,05	77061.00	16.68
एसबीबीजे	35563.15	145	470517	13.23
एसबी हैदराबाद	53351.09	126	11642.28	2182
एसबी मैसूर	29883.00	085	3872.60	1296
एसबी पटियाला	47028.00	077	869100	1848
एसबी त्रावणकोर	39375.41	1.39	4064.11	10.32
इलाहाबाद बैंक	71604.87	2.55	11990.30	16.75
आंध्र बैंक	56784.00	2.18	640195	11.27
बैंक आफ बड़ौदा	131643.62	3.38	21547.84	18.37
बैंक आफ इंडिया	131623.35	4.58	31090,97	23.62
बैंक आफ महाराष्ट्र	40526.56	1.49	6526.59	1611
केनरा बैंक	160508.00	4.42	29558.00	1842
सेन्ट्रल बैंक	106146.00	403	12088.75	11.39
कार्पोरेशन बैंक	63202.56	086	895ठ.38	14.17
देना बैंक	35721.00	103	5946.65	16.65
इंडियन बैंक	59481.65	1.26	7549.27	12.69
आईओबी	73411.12	199	11839.04	16.13
ओबीसी	83489.30	170	14953.61	17.91
पीएनबी	181363.00	492	28269.59	15.56
पंजाब एंड सिंध बैंक	32748.67	0.66	4959.82	15.15
सिंडिकेट बैंक	73210.11	4.72	11937.51	15.07
यूनियन बैंक	117272.63	3.55	16598.60	14.15
यूनाइटेड बैंक	42756.00	186	7227.32	16.90
यूको बैंक	72145.00	3.23	11968.90	16.55
विजया बैंक	41935.00	1.40	581164	1386
आईडीबीआई बैंक	138624.56	0.22	11362.29	820
कुल	2387336.71	7446	376625.18	16.78

मार्च 2010 के अतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार की स्थिति के अनुसार
सरकारी क्षेत्र के बैंकों का एसएसई क्षेत्र के पास
बकाया ऋण तथा एएनबीसी की प्रतिशतता
खातों की संख्या लाख में और बकाया राशि करोड़ में

बैंक का नाम	एएनबीसी	एमएसई		एएनबीसी की प्रतिशतता%
		खातों की सं.	बकाया राशि	
एसबीबीजे	4174350	141066	5373.56	12.87
एसबी हैदराबाद	65427.00	1.43605	787948	1204
एसबीआई	664023.00	12.09000	66345.24	9.99
एसबी मैसूर	3405100	0.79000	3389.67	9.95
एसबी पटियाला	52343.00	0.76000	699776	13.37
एसबी त्रावणकोर	46483.95	147000	4684.00	10.08
इलाहाबाद बैंक	90782.00	2.50000	15833.31	1744
आन्ध्रा बैंक	72480.25	2.47000	8513.37	11.75
बैंक आफ बड़ौदा	15802210	3.67516	2735291	17.31
बैंक आफ इंडिया	161426.52	444832	26613.73	164
बैंक आफ महाराष्ट्र	47042.43	144228	7497.91	1594
केनरा बैंक	201420.94	3.45505	23929.17	11.88
सेन्ट्रल बैंक	131277.00	4.44317	122.ठ0.89	9.35
कार्पोरेशन बैंक	86850.40	1.20794	12934.34	14.96
देना बैंक	44602.34	1.2202ठ	7042.56	15.ठ3
आईडीबीआई बैंक	155815.77	0.21758	17074.45	10.96
इंडियन बैंक	72291.16	245437	768299	11.04
आईओबी	103189.27	2.26454	15851.37	15.17
ओबीसी	95908.21	184629	17503.15	18.25
पंजाब पंड सिंध बैंक	42155.12	0.67578	5970.91	14.16
पीएनबी	230361.46	5.21700	36831.42	16.01
सिंडिकेट बैंक	91542.15	5.58000	13359.71	14.59
यूको बैंक	84340.00	ष्2.95404	53147.24	15.59
यूनियन बैंक	141759.27	3.53208	16427.84	11.59
यूनाइटेड बैंक	53934.00	2.25000	8453.36	15.67
विजया बैंक	49304.00	147398	7152.88	1461
कुल	3018475.84	71.28515	396543.22	13.13

विवरण II

सरकारी क्षेत्र के बैंकों का एमएसई क्षेत्र के पास बकाया ऋण

अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार के अनुसार | वास्तविक खातों की संख्या, राशि हजार में

	मार्च,2009		मार्च,2010		मार्च,2011		मार्च,2012(अनंतिम)	
राज्य/संघ राज्य क्षे	खातों की सं.	बकाया शेष	खातों की सं.	बकाया शेष	खातों की सं.	बकाया शेष	खातों की सं.	बकाया शेष
1	2	3	4	5	6	7	8	9
पूर्वोत्तर क्षेत्र	158967	23993050	194928	37320691	225401	47079767	195060	59496415
असम	101752	17157709	130028	25148433	153692	34025363	134493	41701954
मेघालय	9718	1889116	12355	2932992	14456	3977262	9641	3178672
मिजोरम	4119	467094	5785	1113389	6070	1268278	3995	1415583
अरुणाचल प्रदेश	6780	992121	9726	1565793	13300	1673403	7926	2354198
नागालैंड	13908	1186535	15282	2411208	13377	;1550207	7515	2824898
मणिपुर	7270	687773	6472	1093471	7177	1164026	6719	1883789
त्रिपुरा	15420	1612702	15280	3055405	17329	3421228	24771	6137321
पूर्वी क्षेत्र	903405	205525863	1449577	383199905	1388869	466825783	1437613	488658461
बिहार	164556	17903175	350742	46100655	329016	41945939	38100	65271632
झारखंड	133803	33125247	193249	51988852	181090	66733595	184433	64754285
पश्चिम बंगाल	415953	118733304	591209	218090597	536902	267465712	513902	256991192
ओडिशा	182449	34079096	302853	63971827	322095	86638595	348535	96394593
सिक्किम	3183	966174	5267	1592763	8455	1915583	3239	2657636
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	3461	718867	6257	1455211	11311	2126359	5604	2589123
मध्य प्रदेश	618698	240678804	1275719	396529046	1269503	429012895	1312573	502008941
मध्य क्षेत्र	349113	123980925	737360	225775188	724275	253330019	660206	263833244
उत्तर प्रदेश	56978	19245775	105455	27000730	101789	35658123	170836	71534872

1	2	3	4	5	6	7	8	9
मध्य प्रदेश	160182	77695026	305534	111107253	304836	93121720	361571	110652550
छत्तीसगढ़	52425	19757078	127370	32645875	138603	46903033	119960	55988275
उत्तरी प्रदेश	487463	424919553	1055253	604672584	1142093	774485271	920141	856632748
दिल्ली	61190	144975296	88365	190167318	109092	243177215	91267	273396996
पंजाब	124870	105072261	260990	149874069	283476	194841314	217194	213111576
हरियाणा	66301	61794547	178394	97126097	192497	125421812	164508	135026305
चंडीगढ़	12721	20884835	31911	25736210	47318	36248964	16956	35788926
जम्मू और कश्मीर	28641	7449676	42151	12439124	43763	13462411	33136	16361729
हिमाचल प्रदेश	42726	12910435	91673	29160785	113306	36017906	76311	41203531
रातस्थान	151014	71832503	361769	100168981	352641	125315649	320769	141743685
पश्चिम बंगाल	558515	510010694	923884	652486540	1083161	1063303702	952815	970180918
गुजरात	210855	122161117	349032	168086870	388428	257333747	359545	262400490
महाराष्ट्र	324056	376006254	539023	464474606	646499	783358977	560716	686798628
दमन और दीव	1216	809663	1283	810106	1240	1491499	666	1448138
गोवा	21952	10550165	34003	18474989	46271	20106158	30971	18247718
दादरा और नगर हवेली	436	483495	543	639969	723	1013321	917	1285944
दक्षिणी क्षे.	1388115	508955205	2317669	68898945	2289458	913593738	2275537	1009570178
आध्रं प्रदेश	323573	126649480	548924	166763382	591776	232174216	648554	291654188
कर्नाटक	352994	116860979	637768	158454711	616066	219550594	515521	207589370
लक्षद्वीप	335	23875	532	45273	570	60669	813	75069
तमिलनाडु	379375	206103252	619914	269836138	706331	361328572	737622	370606611
केरल	326405	57706756	496713	91082192	360945	96749440	353237	134331299
पुदुचेरी	5433	1610863	13818	2799249	13770	3730247	19790	5313641
अखिल भारत	4115163	1914083169	7217030	2763189711	7398486	3694301156	7093739	3886547661

टिप्पणी: इलाहाबाद बैंक और यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया के संबंध में आंकड़े मार्च, 2011 के लिए गए हैं।

[हिंदी]

चिकित्सा/स्वास्थ्य पर्यटन को प्रोत्साहन

1921. **श्री राम सुन्दर दास:**
श्री तूफानी सरोज:
श्री पी. करूणाकरन:

क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विपणन विकास सहायता (एमडीए) योजना के अंतर्गत चिकित्सा/स्वास्थ्य पर्यटन को शामिल किया है और इसके अन्दर चिकित्सा पर्यटन सेवा प्रदाताओं और चिकित्सा पर्यटन सुविधा प्रदाताओं को वित्तीय सहायता प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और दिशानिर्देश क्या हैं;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान योजना के अंतर्गत अनुमोदित परियोजना प्रस्तावों और इसके अंतर्गत स्वीकृत की गई निधियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) देश में चिकित्सा/स्वास्थ्य पर्यटन के प्रोत्साहन हेतु सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं?

पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (डॉ. के. चिरंजीवी): (क) और (ख) जी, हां। मार्केट विकास सहयता स्कीम (एमडीए) के अंतर्गत निधियों की उपलब्धता और दिशा-निर्देशों के अनुसार निम्नलिखित अनुमोदित चिकित्सा पर्यटन सेवा प्रदाताओं को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

- ज्वाइंट कमीशन इंटरनेशनल (जेसीआई) और नेशनल अक्रेडिटेशन बोर्ड ऑफ हॉस्पिटल्स एंड हेल्थकेयर सर्विसेज (एनएबीएच) द्वारा प्रत्यायित अस्पतालों के प्रतिनिधि।
- पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अनुमोदित चिकित्सा पर्यटन सुविधा प्रदाता (यात्रा एजेंट/टूर ऑपरेटर)।

(ग) निरोगता और चिकित्सा पर्यटन के लिए मार्केट विकास सहायता केवल पात्र सेवा प्रदाताओं को प्रदान की जाती है न कि राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को। गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न सेवा प्रदाताओं को पर्यटन मंत्रालय द्वारा प्रदान की गई मार्केट विकास सहायता के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(घ) पर्यटन मंत्रालय चिकित्सा और निरोगता पर्यटन सेवा प्रदाताओं को मार्केट विकास सहायता प्रदान करता है, विदेशी बाजारों में रोड शो आयोजित करता है, ट्रैवल मार्ट में भाग लेता है, ब्रोशर, सीडी, फिल्मों और अन्य प्रचारात्मक सामग्रियों का सृजन करता है और 'अतुल्य भारत' अभियान के माध्यम से संवर्धन भी किया जाता है।

विवरण

गत तीन वर्षों (2010-2013) के दौरान चिकित्सा पर्यटन के अन्तर्गत विभिन्न सेवा प्रदाताओं को प्रदान की गई मार्केट विकास सहायता

(लाख रुपए में)

चिक्तिसा केन्द्र/चिकित्सा पर्यटन सेवा प्रदाता का नाम	जारी की गई राशि
1	2
2010-11	
केरल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (केआईएमएस), केरल	191255
एस्कार्टस हार्ट इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेन्टर, नई दिल्ली	86149
इंडियन हॉलिडेज प्रा.लि., नई दिल्ली	73500
इंडियन हॉलिडेज प्रा.लि., नई दिल्ली	198987
इंद्रप्रस्थ अपोलो, नई दिल्ली	153636

1	2
श्री रामचंद्र मेडिकल सेन्टर, चेन्नई	200000
एएमआरआई हॉस्पिटल, कोलकाता	52155
एस्कार्टस हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेन्टर, फरीदाबाद	49635
इन्द्रप्रस्थ अपोलो, नई दिल्ली	193014
कुल	1198331
2011-12	
मूलचंद मेडीसिटी, नई दिल्ली	136794
रूबी हॉल क्लिनिक, पुणे	138420
महर्षि आयुर्वेद हॉस्पिटल, नई दिल्ली	147000
डॉ. पटनायक लेजर आई इंस्टीट्यूट, नई दिल्ली	200000
बैंगलोर बैपटिस्ट हास्पिटल, बेंगलुरू	200000
श्री रामचन्द्र मेडिकल सेन्टर, चेन्नई	200000
आयुर्वेद हॉस्पिटल, बेंगलुरू	200000
गोदरेज मेमोरियल हॉस्पिटल, मुम्बई	150000
स्टार हॉस्पिटल्स, हैदराबाद	154545
कुल	1526759
2012-13	
नारायण हरूदालय, बेंगलुरू	185747
यशोदा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, गाजियाबाद	200000
प्राइमस सुपर स्पेशलिटी, नई दिल्ली	188475
वावीकर आई इंस्टीट्यूट, ठाणे	44810
एशियन हार्ट इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेन्टर, मुम्बई	150000
कुल	769032

सौर और पवन ऊर्जा

1922. श्रीमती सुमित्रा महाजन:
श्री पोन्नम प्रभाकर:

क्या **नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में सौर और पवन ऊर्जा के विकास के लिए कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो मधय प्रदेश और आंध्र प्रदेश सहित तत्संबंधी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) आगामी पांच वर्षों के दौरान सौर और पवन ऊर्जा द्वारा विद्युत की मांग और आपूर्ति के अंतर को किस हद तक पूरा करने की संभावना है; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री (श्री फारुख अब्दुल्ला): (क) जी हां।

(ख) सौर और पवन ऊर्जा के विकास हेतु स्कीमें राज्य विशिष्ट नहीं है। परियोजना विकासकर्ता मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश सहित अपनी पसंद के स्थलों पर केन्द्र सरकार की स्कीमों के तहत सौर और पवन विद्युत संयंत्रों के विकास के लिए स्वतंत्र हैं बशर्ते कि वे स्कीम में दिए गए निर्धारित निबंधन एवं शर्तों को पूरा करें। सौर विद्युत हेतु स्कीमों में, उत्पादन आधारित प्रोत्साहन अथवा पारम्परिक तापीय विद्युत के साथ मिश्रण हेतु व्यवस्थाएँ उपलब्ध हैं जबकि पवन विद्युत हेतु स्कीम में दिनांक 31.3.2012 तक त्वरित मूल्यह्रास का लाभ न लेने वाले विकासकर्ताओं को 62 लाख रु. प्रति मेगावाट तक सीमित 50 पैसे प्रति यूनिट की दर से उत्पादन आधारित प्रोत्साहन दिया गया था।

(ग) अगले पांच वर्षों के दौरान ग्रिड में सौर विद्युत की 9000 मेवा. और पवन विद्युत की 15000 मेगावाट जोड़ने की परिकल्पना की गई है। इसलिए आशा है कि अगले पांच वर्षों में सौर और पवन ऊर्जा से विद्युत उत्पादन लगभग 42 बिलियन यूनिट प्रतिवर्ष हो जाएगा।

(घ) सरकार सौर और पवन ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सौर और पवन विद्युत संयंत्र स्थापित करने के लिए कुछ संघटकों/उपकरणों/सामग्रियों पर रियायती/शून्य सीमा एवं उत्पाद शुल्क, अधिमान्य फीड-इन-शुल्क दरें, पूंजीगत सब्सिडी, उत्पादन आधारित प्रोत्साहन आदि उपलब्ध करा रही है। पवन विद्युत परियोजनाओं से अर्जित आय पर 10 वर्षों का करावकाश उपलब्ध कराया जाता है। मंत्रालय के पवन ऊर्जा प्रौद्योगिकी केन्द्र (सी-वैट), चेन्नई द्वारा संभाव्य स्थलों की पहचान करने के लिए सौर और पवन संसाधन मूल्यांकन सहित तकनीकी सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

[अनुवाद]

डायलिसिस सुविधाएं

1923. श्री प्रेमदास: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में डायलिसिस सुविधाएं बहुत ही खर्चीला और पहुंच के बाहर है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार उत्तर प्रदेश सहित देशभर के सभी सरकारी अस्पतालों में सस्ते दर पर डायलिसिस सुविधाएं उपलब्ध कराने का विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) और (ख) देश में डायलिसिस सुविधाओं की उपलब्धता और लागत से संबंधित संपूर्ण आंकड़े स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में उपलब्ध नहीं हैं। डायलिसिस की लागत अलग-अलग सुविधाओं में भिन्न-भिन्न होती है।

(ग) और (घ) डायलिसिस की सुविधा केन्द्रीय सरकार के अस्पतालों जैसे अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, सफदरजंग अस्पताल, जवाहरलाल स्नात्तकोत्तर चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (जेआईपीएमईआर), पुडुचेरी तथा स्नात्तकोत्तर चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (पीजीआईएमईआर), चंडीगढ़ में उपलब्ध हैं। तथापि, देश भर में सभी सरकारी अस्पतालों में यथोचित लागत पर डायलिसिस सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए कोई केन्द्र प्रायोजित योजना फिलहाल इस मंत्रालय के तहत विचाराधीन नहीं है।

चूंकि स्वास्थ्य राज्य का विषय है, इसलिए राज्य सरकारों से अपेक्षा की जाती है कि सरकारी अस्पतालों में इस प्रकार की सुविध एं मुहैया कराएं। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम)

फ्लेक्सीपूल के तहत 14 अस्पतालों में डायलिसिस इकाईयां स्थापित करने के बाबत केरल सरकार के प्रस्ताव को वर्ष 2012-13 के कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना (पीआईपी) में मंजूरी दी गई थी।

मानव विकास सूचकांक

1924. डॉ. रत्ना डे: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यूएनडीपी द्वारा तैयार किए गए मानव विकास सूचकांक 2009 में भारत में जन्म होने पर जीवन प्रत्याशा और स्वास्थ्य सुविधाओं में बहुत सी कमियां पाई गई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अबू हशीम खां चौधरी): (क) और (ख) यूनएनडीपी द्वारा तैयार नवीनतम मानव विकास सूचकांक 2011 में 187 देशों में से भारत का 134वां स्थान है और इसका एचडीआई 0.547 दिखाया गया है जिसमें 5.39 प्रतिशत का सुधार है (2010 में एचडीआई वाले भाग में एचडीआई 0.519 था)

स्वास्थ्य संबंधी पहल जन्म के समय जीवन प्रत्याशा में प्रतिबिंबित होते हैं जिन्हें वर्ष 2010 के एचडीआई में 64.4 वर्ष की तुलना में वर्ष 2011 के एचडीआई में 65.4 वर्ष के रूप में दर्शाया गया है।

(ग) और (घ) जन्म के समय जीवन प्रत्याशा में कमी लाने संबंधी मुख्य कारक उच्च आईएमआर तथा 5 वर्ष से कम आयु में एमआर हैं। वर्ष 2017 की समाप्ति के लिए 12वीं पंचवर्षीय योजना दस्तावेज द्वारा आईएमआर के लिए 25/100 तथा एमएमआर के लिए 1000/100,000 जीवित जन्मों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस स्थिति में सुधार लाने के लिए एनआरएचएम के अंतर्गत उठाए गए कुछ कदम निम्नलिखित हैं:

- स्वास्थ्य केन्द्रों पर नियमित एएनसी परिचर्या तथा आशा द्वारा घर-घर जाना।
- एमसीटीएस के जरिए गर्भवती महिलाओं, नवजात शिशुओं तथा प्रसवोत्तर महिला का वैयक्तिक मॉनीटरिंग करना।
- जेएसवाई के जरिए संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देना, प्रसव स्थलों में बढ़ोतरी तथा रेफरल परिवहन में सुधार।
- जेएसएसके।
- समय से पहले जन्मे तथा रुग्ण नवजात शिशुओं के उपचारार्थ एसएनसीयू की संख्या में वृद्धि करना।
- केवल स्तनपान को बढ़ावा देना।
- हस्त प्रक्षालन जैसे उपायों द्वारा स्वच्छता में सुधार के जरिए अतिसार की घटनाओं में कमी तथा जिंक एवं ओआरएस संपूरण के जरिए अतिसार का उपचार।
- प्रतिरक्षण कवरेज का विस्तार।
- मलेरिया, काला अजार, फाइलेरिया, क्षयरोग के प्रति विभिन्न रोग नियंत्रण कार्यक्रम (आरएनटीसीपी) इत्यादि ने जीवन की सभी अवस्थाओं में मुख्य संक्रमक रोगों के कारण होने वाले रोग भार तथा मृत्यु दर में सुधार किया है।
- गैर संचारी रोगों के प्रभाव से निपटने के लिए भारत सरकार ने व्यावहारिक और जीवन शैली संबंधी बदलावों हेतु जन जागरूकता, शीघ्र निदान तथा उपयुक्त उपचारार्थ उच्च सुविधा केन्द्रों में रेफर करने पर ध्यान दिए जाने के साथ 21 राज्यों के 100 जिलों में वर्ष 2010 में राष्ट्रीय कैंसर, मधुमेह, हृदयवाहिका रोग एवं आघात रोकथाम और नियंत्रण कार्यक्रम (एनपीसीडीसीएस) शुरू किया है। एनसीडी की रोकथाम, निदान और उपचार के लिए स्वास्थ्य परिचर्या प्रणाली के विभिन्न स्तरों पर क्षमता निर्माण पर भी विचार किया गया है।

*दिनांक 8.3.2013 के वाद-विवाद में अतारांकित प्रश्न संख्या 1924 के उत्तर के भाग (ग) और (घ) को उत्तरोत्तर दिनांक 23.8.2013 को सभा में दिए गए शुद्धि करने वाले विवरण के माध्यम से ठीक कर दिया गया और तद्नुसार, उत्तर को निमनवत संशोधित किया गया:

भाग	के स्थान पर	पढ़े
(ग) और (घ)	1000/1,00,000	100/1,00,000

[हिन्दी]

विकिरण का आकलन

1925. श्री जगदानंद सिंह: क्या **नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में सौर विद्युत उत्पादन हेतु विकिरण के आकलन हेतु केन्द्र स्थापित किए गए;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राष्ट्रीय स्तर पर सौर विद्युत संयंत्र के माधयम से उत्पादित विद्युत के पारेषण और वितरण हेतु व्यवस्थाएं की गई;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या राष्ट्रीय स्तर पर पारंपरिक और नवीकरण ऊर्जा के उत्पादन में संयंत्र भार कारक (पीएलएफ) के संदर्भ में अत्यधिक अंतर है; और

(च) यदि हां, तो इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किए गए?

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री (श्री फारुख अब्दुल्ला): (क) जी हां। सौर विकिरण संसाधन मूल्यांकन (एसआरआरए) परियोजना के भाग के रूप में, विकिरण के मूल्यांकन हेतु देश के विभिन्न भागों में 51 स्टेशन संस्थापित किए गए हैं।

(ख) ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	स्टेशनों की संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	6
2.	छत्तीसगढ़	1
3.	गुजरात	11
4.	हरियाणा	1
5.	जम्मू और कश्मीर	1
6.	मध्य प्रदेश	3
7.	महाराष्ट्र	3
8.	कर्नाटक	5
9.	पुदुचेरी	1
10.	राजस्थान	12
11.	तमिलनाडु	7
	कुल	51

(ग) और (घ) राज्य के अंदर सौर विद्युत संयंत्र के माध्यम से उत्पादित सौर विद्युत के पारेषण और वितरण हेतु व्यवस्था संबंधित राज्यों की संबंधित राज्य ट्रांसमिशन यूटीलिटी और वितरण कम्पनियों द्वारा की जा रही है। अंतर्राज्यीय ट्रांसमिशन के मामले में व्यवस्था केन्द्रीय ट्रांसमिशन यूटिलिटी (भारतीय विद्युत ग्रिड निगम) द्वारा की जा रही है।

(ङ) और (च) पारम्परिक ऊर्जा संयंत्र नियमित रूप से चलाए जा सकते हैं इसलिए अधिक पीएलएफ का उत्पादन कर रहे हैं; इसके विपरीत अक्षय ऊर्जा संसाधनों की निरंतर उपलब्ध ता न होने के कारण अक्षय ऊर्जा संयंत्रण सीमित अवधि के लिए चलते हैं इसलिए इनका पीएलपी कम है।

यह अक्षय विद्युत की अंतर्निहित प्रकृति है और इसलिए पीएलएफ को एक सीमा से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता। तथापि, इसे उपचारात्मक उपायों जैसे ग्रिड का उन्नयन/प्रबंधन और उपयुक्त ऊर्जा भंडारण प्रणालियों के विकास/उपयोग के माध्यम से कुछ हद तक सुधारा जा सकता है।

[अनुवाद]

ओएनजीसी द्वारा तेल और गैस का अन्वेषण

1926. श्री ए. सम्पत:
श्री जितेन्द्र सिंह बुन्देला:
श्री राजेन्द्र अग्रवाल:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश और विदेश में तेल और प्राकृतिक गैस निगम और ओएनजीसी विदेश लिमिटेड (ओवीएल) की चालू परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और इस पर परियोजना-वार किए गए निवेश का ब्यौरा क्या है;

(ख) ऐसी परियोजनाओं से परियोजना-वार ओएनजीसी और ओवीएल के हुए लाभ या हानि का ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त परियोजनाओं से तेल और गैस के उत्पादन का परियोजना-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) वर्तमान में ओवीएल की संयुक्त उद्यम परियोजनाओं का परियोजना-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या हाल ही में ओवीएल की किन्हीं संयुक्त उद्यम परियोजनाओं में कार्य रोका गया है; और

(च) यदि हां, तो क्षति संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किए गए है

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी): (क) ओएनजीसी विदेश लि. (ओवीएल) के पास 15 देशों में 30 परियोजनाएं हैं, जिसमें से 10 परियोजनाएं ओवीएल द्वारा प्रचालित की जाती हैं, 8 परियोजनाएं संयुक्त रूप से प्रचालित की जाती हैं और 12 परियोजनाएं प्रचालित नहीं हैं, वर्तमान में ओवीएल के पास 8 देशों में 10 परियोजनाएं नामत: रूस (सखालि-1 और इम्पीरियल एनर्जी), सीरिया (ए1-फुरात पेट्रोलियम कम्पनी), वियतनाम (ब्लाक 06.1), कोलंबिया (एमईसीएल), सूडान (ग्रेटर नाइल पेट्रोलियम ऑपरेटिंग कम्पनी), दक्षिण सूडान (ग्रेटर पायनियर आपरेटिंग कम्पनी और सुड पेट्रोलियम आपरेटिंग कम्पनी), वेनेजुएला (सेन क्रिस्टोबल) और ब्राजील (बीसी-10) है, जिनसे तेल और गैस का उत्पादन किया जाता है। पांच परियोजनाओं में हाइड्रोकार्बन्स की खोज की गई है जो विकास के विभिन्न चरणों में हैं और 14 परियोजनाएं अन्वेषण के विभिन्न चरणों के तहत हैं। प्रारंभ से लेकर मार्च, 2012 तक परियोजना-वार निवेश संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान ऑयल एंड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लि. (ओएनजीसी) द्वारा अर्जित लाभ के ब्यौरे निम्नवत हैं:

वित्त वर्ष	करोपरांत लाभ (करोड़ रुपए में)
2009-10	16,768
2010-11	18,924
2011-12	25,123

टिप्पणी: लाभ अथवा हानियां अलग-अलग परियाजनाओं के लिए निर्धारित नहीं की जाती हैं।

विगत तीन वर्षों के लिए ओवीएल का करोपरांत निवल लाभ नीचे दिया गया है:

वित्त वर्ष	करोपरांत लाभ (करोड़ रुपए में)
2009-10	2,089
2010-11	2,690
2011-12	2,721

(ग) वित्त वर्ष 2011-12 में ओवीएल का उत्पादन 8.753 मिलियन मीट्रिक टन तेल समतुल्य (एमएमटीओई) था। अप्रैल से दिसंबर 2012 तमक ओवीएल द्वारा तेल और गैस का उत्पादन अनन्तिम रूप से 5.397 एमएमटीओई दर्ज किया गया है। तेल और गैस का परियोजना-वार उत्पादन संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(घ) परियोजनाओं के ब्यौरे संलग्न विवरण-III में दिए गए हैं।

(ङ) और (च) दक्षिणी सूडान में ब्लॉक 1, 2 एवं 4 और ब्लॉक 5-ए में उत्पादन क्रमशः सूडान में सुविधाओं के माध्यम से दक्षिणी सूडान में तेल के परिवहन हेतु सूडान और दक्षिणी सूडान के बीच मतभेद होने तथा ए1 फुरात पेट्रोलियम कम्पनी (एएफपीसी), सीरिया की परियोजना को राजनीतिक परिस्थितियों के कारण 23 जनवरी, 2012 से बंद कर दिए जाने और यूरोपीय संघ द्वारा लगाए गए प्रतिबंध के पश्चात 2011 से अपरिहार्य घटना के कारण बंद है।

उपर्युक्त कारणों से उत्पादन में वर्ष 2011-12 में 0.344 एमएमटीओई और वर्तमान वर्ष 2012-13 में 1.430 एमएमटीओई का अंतर संभावित है।

भारत सरकार राजनयिक चैनलों के माध्यम से सूडान और दक्षिण सूडान की सरकारों दोनों के साथ संपर्क करती रही है।

सूडान में ओवीएल के हित को सुरक्षित करने से संबंधित मुद्दों सहित भारत और सूडान के बीच तेल से संबंधित विभिन्न द्विपक्षीय मुद्दों पर माननीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री द्वारा सूडान गणराज्य के पेट्रोलियम मंत्री के साथ अक्तूबर, 2012 में उनकी हाल की भारत यात्रा के दौरान चर्चा की गई थी।

विवरण I

ओवीएल का योजनागत व्यय (मार्च, 2012 तक)

क्र.सं.	देश	परियोजना	प्रारंभ से 31.03.2012 तक योजनागत व्यय करोड़ रुपए में
1	2	3	4
उत्पादनरत परियोजनाएं (क)			
1.	वियतनाम	ब्लाक 06.1 (अपतट)	1,774
2.	सूडान	जीएनओपी (जमीनी)	8,834
3.	दक्षिणी सूडान	जीपीओसी (जमीनी)	-
4.	दक्षिणी सूडान	एसपीओसी/ब्लाक 5ए (जमीनी)	1,983
5.	रूस	सखालिन-। (अपतट)	21,931
6.	कोलंबिया	एमईसीएल (जमीनी)	3,984
7.	सीरिया	एएपीसी (जमीनी)	1,245
8.	वेनेजुएला	सेनक्रिस्टोबल, पीआईवीएसए (जमीनी)	1,170
9.	रूस	इम्पीरियल एनर्जी (जमीनी)	12,398
10.	ब्राजील	बीसी-10 (अपतट)	2,934
11.	सूडान	पाईपलाइन परियोजना (जमीनी)	695
		उप-योग (क)	56,948
विकास परियोजना (ख)			
112.	ईरान	फारसी अपतट	159
13.	म्यांमार	ब्लाक ए-1 (अपतट)	799
14.	म्यांमार	ब्लाक-ए3 (अपतट)	482
	म्यांमार	पाइप कं-1 (अपतट)	197
	म्यांमार	पाइप कं.-2 (जमीनी)	229
15.	वेनेजुएला	कराबोबो-1 (जमीनी)	596
16.	सीरिया	ब्लाक 24 (जमीनी)	323
		सब-योग (ख):	2,785
अन्वेषणात्मक परियोजनाएं (ग)			
17.	लीबिया	ब्लाक 43 संविदा क्षेत्र (अपतट)	178
18.	ईराक	ब्लाक-8 (जमीनी)	5

1	2	3	4
19.	क्यूबा	ब्लाक 34 एवं 35 (अपतट)	210
20.	वियतनाम	ब्लाक 128 (अपतट)	299
21.	कोलंबिया	ब्लाक आरसी-8 (अपतट)	12
22.	कोलंबिया	ब्लाक आरसी-9 (अपतट)	15
23.	कोलंबिया	ब्लाक आरसी-10 (अपतट)	17
24.	कोलंबिया	सीपीओ-5 (जमीनी)	105
25.	कोलंबिया	एसएसजेएन-7 (जमीनी)	25
26.	ब्राजील	बीएम सील-4 (अपतट)	32
27.	कजाकिस्तान	सतपायेव	546
	बीडी परियोजनाएं		484
	अन्य बोर्ड अनुमोदित परियोजनाएं		180
	उप-योग (ग)		2,108
	बंद परियोजनाएं (घ)		,988
	मुख्यालय व्यय (ङ)		279
	कुल योग (क+ख+ग+घ+ङ)		67,108

विवरण II

ओवीएल का परियोजना-वार उत्पादन

परियोजनाएं	2011-12	2012-13
1	2	3
तेल (एमएमटी)	वास्तविक	वाईटीडीसी दिसंबर, 12
सखालीन-1, रूस	1.498	1.064
इंपीरियल एनर्जी, रूस	0.771	0.448
बी-06.1, विएतनाम	0.036	0.027
एमईसीएल, कोलंबिया	0.561	0.407
सेनक्रिस्टोबल, वेनेजुएला	0.897	0.616
बीसी-10, ब्राजील	0.450	0.245
कुल तेल (सूडान, दक्षिण सूडान एवं सीरिया को छोडकर)	4.210	2.807

1	2	3
जीएनपीओसी, सूडान	1.324	0.418
जीपीओसी, दक्षिणी सूडान		0
एसपीओसी, दक्षिणी सूडान	0.174	00
एएफपीसी, सीरिया	0.496	0.124
ब्लाक 24, सीरिया	0.010	0.001
उप-योग 2.004	0.543	
कुल तेल(एमएमटी)	6.214	3.350
गैस (बीसीएम)		
सखालीन-1, रूस	0.494	0.402
बी-06.1, वितनाम	2.023	1.513
बीसी-10, ब्राजील	0.015	0.010
एएफपीसी, सीरिया	0.007	0.002
एमईसीएल, आईईसी, एवं पीआईवीएसए		0.120
कुल गैस (बीसीएम)	2.539	2.047
कुल तेल+गैस (एमएमटीओई) सूडान, दक्षिण सूडान एवं सीरिया को छोडकर)	6.742	4.852
कुल तेल+गेस (एमएमटीओई) सूडान, दक्षिण सूडान एवं सीरिया को सहित)	8.753	5.397

विवरण III

ओवीएल की सम्पत्तियाँ

(फरवरी, 2013 को)

उत्पादक परियोजनाएं

क्र.सं.	देश	परियोजना	भागीदार कंपनियां	वर्तामन स्थिति
1	2	3	4	5
1.	विएतनाम	ब्लाक 06.1 (अपतट)	ओवीएल 45%, टीएनके 35% (प्रचालक): पेट्रो विएतनाम 20%	गैस और कंडनसेट
2.	सूडान	जीएनपीओसी (जमीनी)	ओवीएल 25%; सीएनपीसी 40, पेट्रोनास 30% सूडापेट 5% संयुक्त रूप से प्रचालित	तेल उत्पादनरत

1	2	3	4	5
3.	दक्षिणी सूडान	एसपीओसी (जमीनी)	ओवीएल 25%, सीएनपीसी 40% पेट्रोनास 30%, नाइलपेअ 5% संयुक्त रूप से प्रचालित	तेल उत्पादन वर्तमान में बंद है
4.	दक्षिणी सूडान	एसपीओसी (ब्लाक 5ए) जमीनी	ओवीएल 24.125%; पेट्रोनास 67.875%; नाइलपेट 8% संयुक्त रूप से प्रचालित	तेल उतपादन वर्तमान में बंद है
5.	रूस	सखालीन-। (अपतट)	ओवीएल 230; ईएनएल 30% (प्रचालक) सेडेको 30% एसएमएनजी-एस 11.5% आरएन; अस्ट्रा 8.5%	तेल एवं गैस उत्पादनरत
6.	कोलंबिया	एमईसीएल (जमीनी)	ओवीएल 25-50%; एसआईपीसी-25 50% इकोपेट्रोल। 50 संयुक्त रूप से प्रचालित	तेल उत्पादनरत
7.	सीरिया	हिमालय (4 पीएससीज) (जमीनी)	एसएसपीडी (प्रचालक) 62.5-66.67 %, एचईएस बीवी 33.33 से 37.5%	तेल और गैस उतपादन वर्तमान में अपरिहार्य परिस्थितियों के अधीन है
8.	वेनेजुएला	सैनक्रिस्टोबल, पीआईवीएसए (जमीनी)	ओवीएल 40%, पीडीवीएसए 60% संयुक्त रूप से प्रचालित	तेल उत्पादनरल
9.	रूस	इमपीरियल एनर्जी (जमीनी)	ओवीएल 100%	तेल उत्पादनरत
10.	ब्राजील		ओवीएल 15%; शेला 50% (प्रचालक) तथा पेट्रोब्रास 35%	बीसी-10 (अपतट)

खोजी गई और विकास के तहत परियोजनाएं

क्र.सं.	देश	परियोजना	भागीदार कंपनियां	वर्तमान स्थिति
11.	ईरान	फारसी अपतट (अपतट)	ओवीएल 40% (प्रचालक), आईओसी 40, तेल 20	खोजी गई
12.	म्यांमार	ब्लाक ए-1 (अपतट)	ओवीएल 17%, गेल 8.5%, देवू 51% (प्रचालक), कोगास 8.5% एमओजीई 15%	विकास के अधीन जुलाई, 2013 में अनुमानित प्रथम गैस
13.	म्यांमार	ब्लाक-ए3, (अपतट)	ओवीएल-17%, देवू 51% (प्रचालक), कोगास-8.5%, गेल-8.5% एमओजीई-15%	विकास के अधीन जुलाई, 2013 में अनुमानित प्रथम गैस

1	2	3	4	5
14.	सीरिया	ब्लाक 24 (जमीनी)	ओवीएल-60, आईपीआर-25% (प्रचालक), टीओएम-15%	खोजी गई और मूल्यांकन के तहत-वर्तमान में अपरिहार्य परिस्थितियों के अधीन
15.	वेनेजुएला	कराबोबो-1 (जमीनी)	पीडीवीएसए-60%, ओवीएल-11% आईओसीएल-3.5%, ओआईएल 3.5% रेपसोल-11%, पेट्रोनास-11%, संयुक्त रूप से प्रचालित	विकास के अधीन उत्पादन पहले की चालू
16.	लीबिया	43 संविदा क्षेत्र (अपतट)	ओवीएल 100%	अन्वेषण
17.	ईराक	ब्लाक-8 (जमीनी)	ओवीएल 100%	अन्वेषण
18.	क्यूबा	ब्लाक-34 एवं 35 (अपतट)	ओवीएल 100%	अन्वेषण
19.	नाइजीरिया	ब्लाक 285 (अपतट)	ओएमईएल 64.33% (प्रचालक), योग 25.67% 10%	अन्वेषण
20.	कोलंबिया	ब्लाक RC#8 (अपतट)	ओवीएल 40%-(प्रचालक), इकोपेट्रोल-40, पेट्रोब्रास-20%	अन्वेषण
21.	कोलंबिया	ब्लाक RC#9 (अपतट)	इकोपेट्रोल-50% (प्रचालक), ओवीएल-50%	अन्वेषण
22.	कोलंबिया	बलाक आरसी #10 (अपतट)	ओवीएल-50 (प्रचालक), इकोपेट्रोल-50%	अन्वेषण
23.	कालंबिया	सीपीओ-5 (जमीनी)	ओवीएल-70% (प्रचालक), पेट्रोडोराडो-30%	अन्वेषण
24.	कोलंबिया	सीपीओ-7 (जमीनी)	पीएसई 50% (प्रचालक), ओवीएल 50%	अन्वेषण
25.	ब्राजील	बीएम-सीए L-4	पेट्रोब्रास-75% (प्रचालक), ओवीएल-25%	अन्वेषण
26.	कजाकिस्तान	सतपयेव (अपतट)	ओवीएल-25%, कजमूनाग्याज 75% (प्रचालक)	अन्वेषण

1	2	3	4	5
27.	विएतनाम	ब्लाक 128 (अपतट)	ओवीएल-100%	अन्वेषण
28.	कोलंबिया	गुआ आफ-2 (अपतट)	ओवीएल-100%	अन्वेषण
29.	कोलंबिया	एलएलए-69 (अभितट)	ओवीएल-50% एसआईपीसी-50%	अन्वेषण
			741 किमी. उत्पाद पाईपलाइन परियोजना	
30.	सूडान	सूडान सरकार (जीओएस) के लिए पाईपलाइन परियोजना (जमीनी) का निर्माण	ओवीएल 90%; ओआईएल 10% परियोजना 2005 में पूर्ण और जीओएस के पट्टे के तहत	इंजीनियरिंग

[हिंदी]

बैंकशाखाओं को लेखापरीक्षा से छूट

1927. श्री रघुवीर सिंह मीणाः क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार वर्ष में 20 करोड़ रुपये से कम के ऋण वितरित करने वाली बैंक शाखाओं को लेखापरीक्षा से छूट प्रदान करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार द्वारा ऐसी बैंक शाखाओं के कार्यकरण की निगरानी हेतु कोई निगरानी तंत्र स्थापित किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा): (क) से (घ) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने सूचित किया है कि वर्ष 2012-13 के लिए सांविधिक शाखा लेखा-परीक्षा के लिए शाखाओं के चयन के लिए मानदंडों को भारत सरकार, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का कार्यालय, चयनित सरकारी क्षेत्र के बैंक (पीएसबी), भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान, भारतीय बैंक संघ के अधिकारियों को मिलाकर गठित किए गए आरबीआई कार्यदल (डब्ल्यू.जी.) की सिफारिशों के आधार पर संशोधित किया गया है जो निम्नलिखित है:

"सभी शाखाओं जिनके पास 31 मार्च, 2012 तक 20.00 करोड़ रु. और इससे अधिक बकाया अग्रिम है, का वर्ष 2012-13 के लिए लेखा परीक्षा किया जाना अपेक्षित है। सभी केन्द्रीकृत प्रक्रियात्मक इकाईयों की इन्हें जिस नाम से भी पुकारा जाता हो (केन्द्रीकृत प्रक्रियात्मक इकाईयों/ऋण प्रक्रियात्मक इकाईयां आदि) भी लेखा-परीक्षा की जानी है। शेष 1/5 शाखाओं को यादृच्छिक रूप से इस प्रकार चुना जाता है कि शेष सभी शाखाओं की पांच वर्ष में एक बार लेखा परीक्षा की जाए। इस प्रकार से चयनित शाखाओं की कवरेज विस्तृत आधार पर होनी चाहिए ताकि यह बैंकों के क्षेत्रीय/आंचलिक कार्यालयों का प्रतिनिधित्व करे। शाखा लेखा-परीक्षा के माध्यम से 31 मार्च, 2012 तक बैंकों को कुल बकाया अग्रिमों का 90% कवर होगा। अन्य कोई शाखा/शाखाएं जिनकी किसी विशिष्ट कारण/कारणों जैसे धोखाधड़ी, निधियों का गबन आदि जहां संदेहात्मक प्रकृति का अंतरण देखा गया हो से लेखा-परीक्षा की जानी अपेक्षित है, को भी कवर किया जाए।"

सरकारी क्षेत्र के बैंक (पीएसबी) केन्द्रीकृत सांविधिक लेखा-परीक्षा और समवर्ती लेखा-परीक्षा के अधीन आते हैं। पीएसबी की केन्द्रीकृत सांविधिक लेखापरीक्षक की रिपोर्ट संसद में वार्षिक रूप से रखी जाती है।

[अनुवाद]

एलपीजी कनेक्शन

1928. श्री भक्त चरण दासः क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सहित उन राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रें में जहां कैरोसीन की बिक्री प्रतिबंधित है गरीबी रेखा से नीचे के लोगों और अन्य लाभार्थी श्रेणियों के लिए एलपीजी कनेक्शनों को जारी करने के संबंध में तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) वितरकों के लिए कोई मापदंड जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसे लाभार्थियों के लिए ऐसे एलपीजी कनेक्शन प्रदान करने हेतु क्या मापदंड हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और ऐसी श्रेणियों/लाभार्थियों को एलपीजी कनेक्शन प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा क्या वैकल्पिक कदम उठाए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी): (क) से (ग) राजीव गांधी ग्रामीण एलपीजी वितरण योजना (आरजीजीएलवीवाई) के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में बीपीएल परिवारों को घरेलू एलपीजी कनेक्शन जारी करने के लिए, एक बारगी अनुदान मुहैया कराने की योजना लागू है। योजना के अनुसार, घरेलू एलपीजी सिलिंडर और प्रैशर रेगुलेटर के लिए जमानत राशि ओएनजीसी, ओआईएल, गेल, बीपीसीएल, एचपीसीएल और आईओसी की नैगम सामाजिक जिम्मेदारी (सीएसआर) से प्राप्त अंशदानों के जरिए सृजित निधि से दी जाती है।

उपर्युक्त योजना के तहत, बीपीएल कार्ड धारक नया एलपीजी कनेक्शन जारी कराने के लिए डिस्ट्रीब्यूटर के पास पंजीकरण करा सकता है। डिस्ट्रीब्यूटर उसे प्रमाणीकरण के लिए स्थानीय प्रशासन को भेजता है। प्रमाणीकृत सूची की प्राप्ति के बाद, बीपीएल कार्ड धारकों को सूचना-पत्र भेजे जाते हैं।

उपर्युक्त के अतिरिक्त, हाल ही में दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र को केरोसीन मुक्त बनाने के लिए, 'केरोसिन मुक्त दिल्ली' योजना घोषित की थी। नया घरेलू एलपीजी कनेक्शन, मिट्टी तेल की आपूर्ति प्राप्त करने वाले दिल्ली के बीपीएल/एएवाई और जेआरसी कार्ड धारकों को नि:शुल्क जारी किया जाता है। एलपीजी सिलिंडर और प्रैशर रेगुलेटर की आधी जमानत राशि दिल्ली सरकार और शेष आधी राशि उपर्युक्त साझी सीएसआर निधि द्वारा वहन की जाती है।

एनएसटीएफडीसी द्वारा रियायती वित्तीय सहायता

1929. श्री लक्ष्मण टुडु:
श्री मनसुखभाई डी. वसावा:

क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम (एनएसटीएफडीसी) के माध्यम से अनुसूचित जनजातियों (एसटी) के आर्थिक विकास हेतु रियायती वित्तीय सहायता प्रदान करती है;

(ख) यदि हां, तो निगम के उद्देश्य और कार्यकरण क्या हैं;

(ग) इससे वित्तीय सहायता प्राप्त करने हेतु पात्रता मानदंड क्या हैं;

(घ) विगत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान योजना-वार और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार इसकी विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत अनुसूचित जनजातियों के आर्थिक विकास हेतु आय सृजन कार्यकलापों और विपणन सहायक सहायता हेतु निगम द्वारा कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई है; और

(ङ) निगम का कार्यनिष्पादन/उपलब्धियां क्या हैं और उक्त अवधि के दौरान योजना-वार और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार लाभार्थियों की संख्या कितनी है?

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रानी नरह): (क) जी हां। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम अनुसूचित जनजातियों के आर्थिक विकास हेतु रियायती वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

(ख) एनएसटीएफडीसी के उद्देश्य और कार्यकरण संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

(ग) एनएसटीएफडीसी से वित्तीय सहायता प्राप्त करने हेतु पात्रता मानदंड हैं कि आवेदक अनुसूचित जनजाति समुदाय का होना चाहिए और आवेदक के परिवार की वार्षिक आय गरीबी रेखा की सीमा से दुगनी से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसकी सीमा, अब योजना आयोग के मानदंडों के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 81,000/- प्रतिवर्ष और शहरी क्षेत्रों के लिए 1,04,000/ प्रतिवर्ष है।

(घ) और (ङ) विगत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान एलएसटीएमडीसी द्वारा सहायता प्राप्त लाभार्थियों की संख्या सहित योजना-वार प्रदान की गई वित्तीय सहायता संलग्न विवरण-II में दी गई है।

विवरण-I

एनएसटीएफडीसी का उद्देश्य और कार्यकरण

(क) उद्देश्य-एनएसटीएफडीसी के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

(1) अनुसूचित जनजातियों के लिए महत्त्व की आर्थिक गतिविधियों को चिन्हित करना ताकि स्व-रोजगार पैदा किया जा सके और इनके आय स्तर को बढ़ाया जा सके।

(2) संस्थागत तथा कार्य प्रशिक्षण दोनों प्रदान करने हेतु अनुसूचित जनजातियों द्वारा प्रयोग की जाने वाली प्रतिभा तथा प्रक्रियाओं का उन्नयन।

(3) अनुसूचित जनजातियों के आर्थिक विकास में कार्यरत मौजूदा/संघ राज्य क्षेत्र अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम तथा अन्य विकास एजेंसियों को अधिक प्रभावी बनाना।

(4) परियोजना तैयार करने में एनएसटीएफडीसी से सहायता प्राप्त योजनाओं के कार्यान्वयन में तथा उनके कर्मचारियों को आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान करने में एससीए को सहायता प्रदान करना।

(5) एनएसटीएफडीसी से सहायता प्राप्त योजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी करना और प्रभाव का आकलन करना तथा मूल्यांकन के माध्यम से कार्यान्वयन प्रक्रिया का सुधार करना।

(6) मौजूदा एजेंसियों के कार्य को दोहराने के बजाय सुधार, प्रयोग एवं संवर्धन करना।

(ख) कार्यकरण:

(1) पात्रता अनुसूचित जनजातियों के आर्थिक विकास हेतु केन्द्रीय/राज्य माध्यमीकृत (केनेलाइजिंग) एजेंसियों तथा अन्य एजेंसियों के माध्यम से व्यवहार्य आय सृजनकारी योजनाओं के लिए रियायती वित्त प्रदान करना।

(2) कौशल विकास तथा उद्यमशीलता अभिविन्यास के माध्यम से एससीए तथा एसटी की क्षमता निर्माण हेतु समर्थन प्रदान करना।

विवरण I

क. आवधिक ऋण योजना (टीएफ)

क्र.सं.	राज्य का नाम	संवितरित निधि							
		2009-10		2010-11		2011-12		2012-13(28.02.13 तक)	
		संवितरण	लाभार्थियों की संख्या	संवितरण	लाभार्थियों की संख्या	संवितरण	लाभार्थियों की संख्या	संवितरण	लाभार्थियों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	राज्य सरकार के निर्णय के अनुसार, वर्ष 2008-09 से राज्य माध्यमिक एजेंसी (एससीए) निधियां प्राप्त नहीं कर रही है।							
2.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	एससीए कार्यात्मक नहीं है।							
3.	अरुणाचल प्रदेश	128.68	29	137.03	37	288.61	17979	28.30	9
4.	असम	माइक्रो क्रेडिट योजना के तहत प्रदान की गई निधियां							
5.	बिहार	एससीए प्रस्ताव अग्रेषित नहीं किया गया है और सरकारी गारंटी प्रदान नहीं की गई है							
6.	छत्तीसगढ़	838.35	349.00	916.48	364	1441.20	739	24.95	4
7	दादरा और नगर हवेली	सरकार ने एससीए को नामांकित नहीं किया है							
8.	गोवा	47.47	16	6.57	3				
9.	गुजरात	1249.94	4856	1493.68	14054	3246.79	16367		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10.	हिमाचल प्रदेश	71.73	108	5.14	3	4.93	1	4.35	1
11.	जम्मू और कश्मीर	321.65	160		61	9			
12.	झारखंड	97.30	713	431.57	1139	36.60	44	202.94	241
13.	कर्नाटक	1083.23	3293	1007.37	3272	1475	2611		
14.	केरल	13.95	34	96.34	169	73.54	107	86.40	118
15.	लक्षद्वीप	एससीए अतिदेय राशि का निपटान नहीं किया गया है और सरकारी गारंटी प्रदान नहीं की गई है।							
16.	मणिपुर	एससीए अतिदेय राशि का निपटान नहीं किया गया है							
17.	महाराष्ट्र	574.0	410	1682.36	440				
18.	मेघालय	379.77	1230	76.39	159	125.03	577	390.70	1400
19.	मध्य प्रदेश	725.88	570	952.47	676	65.18	70		
20.	मिजोरम	1.40	69	1.40	69				
21.	नागालैंड	146.77	91	1357.68	23868	229.45	174	659.08	7961
22.	ओडिशा	189.85	211						
23.	रास्थान	302.13	776	376.11	667	863.64	1721	810.72	1590
24.	सिक्किम	384.00	192		188.25	95			
25.	तमिलनाडु	एससीए ने प्रस्ताव अग्रेषित नहीं किए हैं							
26.	त्रिपुरा	320.15	199.00	272.10	261	1581.10	2296	167.00	167
27.	उत्तराखंड	एससीए ने प्रस्ताव अग्रेषित नहीं किए हैं							
28.	उत्तर प्रदेश	6.88	5128						
29.	पश्चिम बंगाल	104.92	74	163.40	292	97.10	971		
	कुल (टी.एल.)	6979.77	13311	8981.57	50532	9779.22	43830	2375.84	11560
ख.	**माइक्रो क्रेडिट योजना (एमसीएस)**								
1.	असम	46.80	138	406.60	1362	1014.80	3396		
2.	झारखंड	27.57	203	25.12	257	219.17	2157	103.29	513
3.	केरल	1.75	1						
4.	ओडिशा	157.42	2304	5.12	33				
5.	त्रिपुरा	86.77	622.00						
6.	पश्चिम बंगाल	434.10	4341	205.10	2051	356.70	3567	209.20	2092
	कुल (एमसीएस)	461.67	4544	363.79	3068	1139.89	9390	1334.16	6035

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
(ग) आदिवासी महिला सशक्तिकरण योजना (एएमएसवाई)									
1.	छत्तीसगढ़			45.00	100	116.10	258		
2.	गोवा	0.45	1						
3.	गुजरात					200	800	3318.15	15561
4.	हिमाचल प्रदेश							20.00	50
5.	जम्मू और कश्मीर	20.25	45						
5.	झारखंड			3.00	20				
7.	केरल	1.35	3	66.98	152	6.84	16	8.47	20
8.	महाराष्ट्र	235.24	700						
9.	मेघालय	3.75	9	7.59	20				
10.	मध्य प्रदेश	353.70	786	17ण10	38	37.80	84		
11.	ओडिशा	56.00	140					51.30	380
12.	राजस्थान	20.15	105	33.06	66	22.57	97	38.02	29
13.	सिक्किम	22.50	50		4.50		10		
14.	पश्चिम बंगाल	220.76	2179						
	कुल (एएमएसवाई)	934.15	4018	172.73	396	387.81	1265	3435.94	16040
घ.	**विपणन का समर्थन योजना सहायता**			एससीए से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है					
ङ.	**आदिवासी शिक्षा ऋण योजना**								
1	छत्तीसगढ़							14.40	25
2.	हिमाचल प्रदेश							0.88	2
3.	जम्मू और कश्मीर		वित्तीय वर्ष 2012-13 से नई योजना, कार्यान्वित की गई है					0.69	1
4.	त्रिपुरा							46.08	43
5.	पश्चिम बंगाल							5.09	6
	कुल (एआरएसवाई)							67.14	77
	कुल योग (क+ख+ग+घ+इ)	8375.59	21873	9518.09	53996	11306.92	54485	7213.08	33712

वाहन ईंधनों के मूल्य का निर्धारण

1930. **श्री अनुराग सिंह ठाकुर:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वाहन ईंधनों के मूल्य निर्धारण में अनुपालित किए जाने वाले प्रतिमानों में कोई परिवर्तन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसे परिवर्तन के क्या कारण/औचित्य हैं;

(ग) क्या सरकार ने इन नए मूल्य निर्धारण प्रतिमानों का तेल शोधन उद्योग पर पड़ने वाले संभावित प्रभाव के संबंध में कोई अध्ययन करवाया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा): (क) से (ङ) सरकार ने 26.6.2010 से बाजार द्वारा निर्धारित पेट्रोल की कीमत लागू की है। तब से अंतर्राष्ट्रीय तेल कीमतों और बाजार की स्थितियों की तर्ज पर सरकारी क्षेत्र की तेल विपणन कम्पनियां पेट्रोल के मूल्य निर्धारण संबंधी उपयुक्त निर्णय लेती हैं। हाल ही में, 17 जनवरी, 2013 को भारत सरकार ने (क) अगले आदेश तक डीजल का खुदरा बिक्री मूल्य प्रति लीटर प्रति माह 40 पैसे से 50 पैसे (विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में यथा प्रयोज्य वैट को छोड़कर) तक बढ़ाने; और (ख) तेल विपणन कम्पनियों के प्रतिष्ठानों से सीधे भारी मात्रा में आपूर्ति लेने वाले सभी उपभोक्ताओं को सब्सिडी-रहित बाजार निर्धारित मूल्य पर 'डीजल बेचने हेतु तेल विपणन कम्पनियों को प्राधिकृत किया है। बाजार निर्धारित मूल्य व्यवस्था को अपनाने से सरकारी क्षेत्र की तेल कम्पनियों की वित्तीय स्थिति सुधरने की संभावना है।

[हिंदी]

पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि के अंतर्गत निगरानी समिति

1931. **श्री हरीश चौधरी:**
श्री यशवंत लागुरी:

क्या **पंचायती राज मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (बीआरजीएफ) के अंतर्गत निगरानी समिति में लोक प्रतिनिधियों को सम्मिलित नहीं किया हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) लोक प्रतिनिधियों की अनुपस्थिति में इसकी निगरानी की विधि क्या है और इस संबंध में क्या प्रावधान बनाए गए हैं?

जनजातीय कार्य मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री वी. किशोर चन्द्र देव): (क) और (ख) पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (बीआरजीएफ) कार्यक्रम के दिशा-निर्देशों के अनुसार, लोक प्रतिनिधियों की निगरानी समिति के लिए कोई प्रावधान नहीं है।

(ग) दिशा-निर्देशों के अन्तर्गत, जिला स्तर पर एक निगरानी समिति का प्रावधान है। इस समिति का गठन जिला योजना समिति करती है। इसकी अध्यक्षता जिला/मध्यवर्ती स्तरों की पंचायतों व शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबीज) के अध्यक्षों द्वारा की जानी होती है। दिशा-निर्देशों में जिला स्तर पर समीक्षा समिति के माध्यम से कार्यों का अंकेक्षण व पंचायत स्तरों पर सामाजिक अंकेक्षण का प्रावधान है। बीआरजीएफ कार्यक्रम का मानीटरन राज्यों द्वारा प्रस्तुत आवधिक, वास्तविक एवं वित्तीय प्रगति रिपोर्टों, उपयोग प्रमाण-पत्रों तथा अंकेक्षण रिपोर्टों के माध्यमों से भी किया जाता है।

तेल का अन्वेषण

1932. **डॉ. भोला सिंह:**
श्री लालजी टन्डन:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने तेल के अन्वेषण और उत्पादन हेतु अन्य देशों के साथ किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने अन्य देशों में तेल ब्लॉक अधिग्रहित किए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) सार्वजनिक क्षेत्र के एक उपक्रम (पीएसयू) ओएनजीसी विदेश लि. (ओवीएल) ने वर्ष 2012 के दौरान अन्य देशों की सरकारों (सरकारी प्राधिकरण सहित) के साथ निम्नलिखित समझौता ज्ञापन (एमओयूज)/करार किए हैं:

(i) संविदा क्षेत्र ब्लाक 5 ए में पेट्रोलियम प्रचालन जारी रखने के लिए विशेष अधिकार प्रदान करने के लिए दक्षिण

सूडान गणराज्य की सरकार और पेट्रोनाज कैरीगली नाइले लि. और ओवीएल तथा नाइलपेट कम्पनी लि. के बीच 13 जनवरी, 2012 का ट्रांजीशन करार, और (पप) ब्लाक एन 34 और एन 35 क्यूबा की प्रथम अन्वेषण उप अवधि को बढ़ाने और संविदा क्षेत्रों को संशोधन के संबंध में क्यूबा गणराज्य और ओवीएल के कानून के तहत स्थापित कम्पनी संघ क्यूबा पेट्रोलियो के बीच दिनांक 5 अप्रैल, 2012 का अनुपूरक करार।

(ग) और (घ) ओवीएल के 15 देशों में 30 परियोजनाएं हैं जिनमें से 10 परियोजनाओं का प्रचालन ओवीएल द्वारा 8 परियोजनाओं का प्रचालन संयुक्त रूप से किया जा रहा है और 12 परियोजनाओं का प्रचालनरत नहीं है। वर्तमान में ओवीएल 8 देशों में 10 परियोजनाओं से तेल और गैस का उत्पादन कर रही है।

पारदर्शी एलपीजी सिलेण्डर

1933. श्री बालकृष्ण खांडेराव शुक्लः क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में पारदर्शी या फाइबर ग्लास निर्मित तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) सिलेण्डरों को प्रारंभ करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस्पात की जगह फाइबर के गैस सिलेण्डर बनाए जायेंगे;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) ऐसे एलपीजी सिलेण्डरों को देश में कब तक प्रारंभ किए जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) जी, हां। सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की विपणन कम्पनियों (ओएमसीज) को कम्पोजित सिलिंडरों के विनिर्माण हेतु सुविधाएं स्थापित करने के लिए रुचि की वैश्विक अभिव्यक्ति आमंत्रित करने की सलाह दी थी।

मल्टी फंक्शन रेगुलेटर (एमएफआर) के निष्पादन का मूल्यांकन करने के लिए ओएमसीज ने दिल्ली, मुंबई, पुणे, बंगलुरु और चेन्नई जैसे शहरों में एमएफआर के प्रस्ताव को प्रायोगिक आधार पर शुरू किया है।

(ग) से (ङ) जी, नहीं। सभी स्टील सिलिंडरों को कम्पोजिट सिलिंडरों से बदलने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

पीएनजी कनेक्शन

1934. श्री तूफानी सरोजः
डॉ. बलीरामः
श्रीमती मीना सिंहः

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीटी), दिल्ली में घरेलू उपभोक्ताओं के लिए इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड सहित गैस आपूर्तिकर्ता कंपनियों द्वारा पाइप्ड प्राकृतिक गैस (पीएनजी) कनेक्शन उपलब्ध कराए गए हैं;

(ख) यदि हां,तो आज की तिथि के अनुसार इस सुविधा वाले क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है;

(ग) जिन क्षेत्रों में यह सुविधा नहीं है उन क्षेत्रों में पीएनजी कनेक्शन/सुविधा कब तक प्रदान किए जाने का लक्ष्य रखा गया है;

(घ) क्या सरकार को गैस आपूर्तिकर्ता कंपनियों द्वारा बिना मीटरों की जांच किए मनमाने ढंग से बिल भेजने संबंधी कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) जी, हां। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उन क्षेत्रों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है जिन्हें पीएनजी की आपूर्ति इन्द्रप्रस्थ गैस लि. (आईजीएल) की जा रही है।

(ग) आईजीएल की वित्त वर्ष 2013-14 में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में 40 हजार नए घरेलू कनेक्शन जारी करने की योजना है। तथापि, नये क्षेत्रों में ग्राहक आधार का विस्तार तकनीकी व्यवहार्यता तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में संबंधित भूस्वामी एजेंसियों से सांविधिक अनुमतियां प्राप्त होने की शर्त पर है।

(घ) जैसा कि आईजीएल द्वारा बताया गया है वर्ष 2009-10 से 15.2.2013 तक की अवधि तक बढ़े हुए बिलों के संबंध में 64,290 शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

(ङ) सरकार ने भारत में नगर गैस वितरण कारोबार को विनियमित करने के लिए संसद के एक अधिनियम के तहत एक स्वतंत्र विनियामक निकाय के रूप में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (पीएनजीआरबी) का गठन किया है। तदनुसार, आईजीएल सहित सभी सीजीडी कम्पनियों के लिए पीएनजीआरबी विनियमनों के तहत यथानिर्धारित पद्धतियों का पालन करना अनिवार्य है।

विवरण

ऐसे क्षेत्र, जिन्हें पीएनजी की आपूर्ति आईजीएल द्वारा की जा रही है

उत्तर	पश्चिम
1. रोहिणी	1. पंजाबी बाग
2. प्रीतमपुरा	2. पंजाबी बाग एक्सटेशन
3. शालीमार बाग	3. स्टेट बैंक कालोनी
4. प्रशान्त विहार	4. पश्चिम विहार
5. सरस्वती विहार	5. विकासपुरी
6. अशोक विहार	6. मादीपुर
7. पुष्पांजली एन्क्लेव	7. विकासपुरी एक्सटेंशन
8. डेरावल नगर	8. मियांवाली नगर
9. गुजरावाला टाऊन	9. न्यू मुलतान नगर
10. टेगोर पार्क	10. जनकपुरी
11. भाई परमानन्द कालोनी	11. नसीरपुर
12. हकीकत नगर	12. बिन्दापुर
13. हुडसन लाइन किंगजवे कैम्प	13. द्वारका
14. निमरी कालोनी	14. डाबरी (वैशाली)
15. मुखर्जी नगर	15. हरी नगर
16. न्यू पुलिस लाइन	16. राजोरी गार्डन
17. सरस्वती गार्डन	17. टैगोर गार्डन
18. पंचवटी कालोनी	18. बाली नगर
19. सेंक्टर-14 एक्स्टेशन रोहिणी	19. मानसरोवर गार्डन
20. महेन्द्रू एन्क्लेव	20. राजा गार्डन
21. सिविल लाइन्स	21. न्यू मोती नगर
22. माडल टाऊन	22. शिवनगर
23. तिमारपुर	23. शिवनगर एक्स्टैंशन
24. केशवपुरम	24. वीरेन्द्र नगर
25. मालरोड़	25. अजय एन्क्लेव
	26. मायापुरी
	27. पश्चिमी पंजाबी बाग

पूर्व

1	2
1.	मयूर विहार
2.	मयूर विहार फेस-। एक्सटे,
3.	त्रिलोकपुरी
4.	पटपड़गंज
5.	बसुन्धरा एन्क्लेव
6.	दिलशाद गार्डन
7.	गुरु तेगबहादुर एन्क्लेव
8.	श्रेष्ट विहार
9.	मानक विहार
10.	विज्ञान लोक
11.	विवेक विहार
12.	योजना विहार
13.	सविता विहार
14.	जागृति एन्क्लेव
15.	विज्ञान विहार
16.	आनन्द विहार
17.	दिलशाद कालोनी
18.	अशोक निकेतन
19.	मधु विहार
20.	सूरजमल विहार
21.	ऋशभ विहार
22.	शरद विहार
23.	सूर्या निकेतन
24.	बाहुबल एन्क्लेव
25.	एजीसीआर एन्क्लेव
26.	गीतान्जली एन्क्लेव
27.	राम विहार

1	2
28.	श्याम एन्कलेव
29.	शाहदरा
30.	बलबीर नगर एक्सर्टेशन
31.	ईस्ट आफ लोनी रोड
32.	गगन विहार एक्सटेंशन
33.	सैनी एन्क्लेव
34.	शान्ति विहार
35.	किरण विहार
36.	लॉ अपार्टमेंट (पूर्वी दिल्ली)
37.	प्रिया एन्क्लेव
38.	पुष्पांजली एन्क्लवे
39.	हरगोविन्द एन्कलेव
40.	झिलमिल
41.	दयानन्द विहार
42.	पूर्वी लोनी रोड़ डीडीए फ्लैट
43.	प्रीत विहार
44.	न्यू राजधानी एन्क्लेव
45.	कड़कड्डूमा
46.	शंकर विहार
47.	स्वास्थ्या विहार
48.	पश्चिमी ज्योति नगर
49.	यमुना विहार
50.	डिफैंस एन्क्लेव
51.	पूर्वी ज्योति नगर
52.	चित्र विहार
53.	निर्माण विहार
54.	पार्क एण्ड कालोनी
55.	गुजरात विहार

1	2
56.	मानसरोवर पार्क
57.	न्यू जफराबाद
58.	मधुबन
59.	गगन विहार
60.	सुख विहार
61.	मौसम विहार
62.	लक्ष्मी नगर
63.	पूर्वी गुरू अंगद नगर
64.	पूर्वी अर्जुन नगर
	सैंन्ट्रल
1.	काका नगर
2.	बापा नगर
3.	बाराखम्बा रोड़ कनाट प्लेस
4.	पंजारा पार्क
5.	पंडारा रोड
6.	सुजानसिंह पार्क
7.	गोल्फ लिंकस
8.	खान मार्किट
9.	भारती नगर
10.	रबिन्द्र नगर
11.	जन्तर मन्तर
12.	ओल्ड राजेन्द्र नगर
13.	बंगाली मार्किट
14.	जोरबाग
15.	प्रगति विहार हॉस्टल
16.	लोधी कालोनी
17.	लोधी एस्टेट
18.	डिफैंस कालोनी

1	2
19.	आराम बाग
20.	टेलीग्राफ लेन
21.	चाणक्य पुरी
22.	सुन्दर नगर
23.	निजामुद्दीन पूर्वी
24.	निजामुद्दीन पश्चिमी
25.	कर्म पुरा
26.	आईएनए कालोनी
27.	न्यू फ्रैंडस कालोनी
28.	महारानी बाग
29.	के.जी. मार्ग
30.	काली बाड़ी मार्ग
31.	किलोकरी
32.	लालबहादुर सदन
33.	लक्ष्मीबाई नगर
34.	प्रैजीडेंटस एस्टेट
35.	पृथ्वी राज रोड
36.	पुराना किला रोड
37.	पुष्प विहार एम.बी. रोड
38.	आर.के.आश्रम मार्ग
39.	राजेन्द्र प्रसाद रोड
40.	राम कृष्ण आश्रम मार्ग
41.	राष्ट्रपति भवन
42.	सरदार पटेल मार्ग
43.	सत्य सदन
44.	शाहजहां रोड
45.	साऊथ एवेन्यु
46.	तालकटोरा लेन

1	2
47.	तीन मूर्ति मार्ग
48.	तिलक लेन
49.	तिकल मार्ग
50.	उद्यान मार्ग
51.	वैस्ट किदवई नगर
52.	लोधी रोड काम्पलैक्स
53.	मन्दिर मार्ग
54.	मस्जिद एण्डारा रोड
55.	भारत नगर
56.	भारत नगर
56.	जाकिर बाग
57.	सरिता विहार
58.	सुखदेव विहार
59.	कालिन्दी कालोनी
60.	ईश्वर नगर
61.	जसोला विहार
62.	सिद्धार्थ नगर
63.	जंगपुरा
64.	कीर्ति नगर
65.	रमेश नगर
66.	रामकृष्ण आश्रम मार्ग
67.	गुरूद्वारा रकाबगंज रोड
68.	आदित्य सदन अशोका रोड
69.	अल्वर्ट स्क्योर
70.	अशोक रोड
71.	औरंगजेब रोड
72.	बाबा खड्क सिंह मार्ग
73.	भगवान दास रोड

1	2
74.	विश्म्बर दास मार्ग
75.	कार्नवालिस रोड
76.	सीडब्लयूसी हाउसिंग काम्पलैक्स
77.	डीआईजी एरिया
78.	डॉ. जाकिर हुसैन मार्ग
79.	ईस्ट किदबई मार्ग
80.	फ्रैण्डस कालोनी पूर्वी
81.	फ्रैण्डस कोलोनी पश्चिम
82.	गोल मार्किट
83.	गोल्फ लिंक सदन
84.	जीटीबी एन्क्लेय
85.	गुरुद्वारा रूकाबगंज रोड
86.	हैल्ली लेन
87.	हनुमान रोड
88.	हरीशचन्द्र माथुर लेन
89.	हनुमान रोड
90.	हुमायूं रोड
91.	इंडियन इस्टीच्यूट आफ पब्लिक एडमिन
92.	नार्थ एवेन्यु
93.	ओल्ड राम कृष्ण आश्रम मार्ग
94.	पालिका कुंज
96.	पंचकुला रोड
97.	पार्क लेन
98.	पेशवा रोड
99.	पेशवा रोड, गोल मार्किट
100.	मथुरा रोड
101.	मीना बाग
102.	मदर टेरिसा क्रिसेंट

1	2
103.	मदर टेरिसा रोड
104.	मोती बाग
105.	नियर तालकटोरा स्टेडियम
106.	न्यू मोती बाग
107.	लोधी गार्डन
	दक्षिण
1.	साकेत
2.	आनंद निकेतन
3.	शान्ति निकेतन
4.	वैस्ट एण्ड
5.	एड्रयूज गंज
6.	सादिक नगर
7.	एशियाड गेम्स विल्लेज
8.	गुलमोहर पार्क
9.	मेफेयर गार्डन
10.	नीती बाग
11.	हुडको प्लेस
12.	आनंद लोक
13.	गुलमोहर एन्कलेव
14.	पंचशील पार्क
15.	ए वी नगर
16.	डिफैंस कालोनी
17.	साऊथ एक्सटेंशन-।।
18.	स्वामि नगर
19.	लाजपत नगर-4
20.	सिरी फोर्ट रोड
21.	न्यू किलोकरी
22.	उदय पार्क
23.	मोहम्मद पुर

1	2
24.	सरोजिनी नगर
25.	नेताजी नगर
26.	किदवई नगर
27.	नार्थ मोती बाग
28.	साऊथ मोती बाग
29.	सन्त नगर ईस्ट आफ कैलाश
30.	स्वामि नगर
31.	पन्त नगर
32.	नारोजी नगर
33.	आर के पुरम
34.	सोम विहार
35.	ग्रीन पार्क
36.	हौज खास
37.	नार्थ वैस्ट मोती बाग
38.	पुष्प विहार
39.	सफदरजंग एन्क्लेव
40.	ग्रीन पार्क एक्सटेंशन
41.	अंसारी नगर
42.	मस्जिद मोठ
43.	सफदरजंग डिवलपमेंट एरिया
44.	साधना एन्क्लेव
45.	मालवीया नगर
46.	पमपोस एन्क्लेव
47.	पंचशील एन्क्लेव
48.	गीतांजली एन्क्लेव
49.	श्रीनिवासपुरी
50.	ग्रेटर कैलाश एन्क्लेव-।।
51.	वसन्त कुंज
52.	वसन्त विहार

1	2
53.	मुनिरका
54.	वसन्त एन्क्लेव
55.	अधचिनी
56.	नेताजी नगर
57.	एन्ड्रयूज गंज एक्सटेंशन
58.	ईस्ट आफ कैलाश
59.	हौज खास एक्सटेंशन
60.	हुडको प्लेस एक्सटेंशन
61.	माशीगढ़
62.	मस्जिद मोठ एआईआईएमएस कैम्पस
63.	मस्जिद मोठ एआईआईएमएस कालोनी
64.	नानक पुरा

[अनुवाद]

पंचायतों का सशक्तिकरण

1935. श्री हरिभाऊ जावले:
श्री महेश जोशी:

क्या **पंचायती राज मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार पंचायतों के सशक्तिकरण हेतु पृथक निधि की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अब तक कितनी प्रगति हुई है?

जनजातीय कार्य मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री वी. किशोर चन्द्र देव): (क) और (ख) पंचायतों के सशक्तीकरण हेतु पृथक निधि की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, 12वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान राजीव गांधी पंचायत सशक्तीकरण अभियान (आरजीपीएसए) नामक एक नई योजना को पंचायतों के समग्र विकास हेतु शुरू करने का प्रस्ताव है।

(ग) योजना आयोग ने इस योजना हेतु 'सैद्धान्तिक' अनुमोदन प्रदान कर दिया है। इस योजना हेतु अंतिम रूप से अनुमोदित अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है।

ऐतिहासिक/विरासत स्थलों संबंधी दृश्यक कार्यक्रम

1936. श्रीमती जे. हेलन डेविडसन: क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में सोशल मीडिया में महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक स्थानों/विरासत स्थलों के दृश्यक कार्यक्रमों को प्रारंभ किया/करना प्रस्तावित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) विभिन्न ऐतिहासिक स्थान/स्मारक जिनके दृश्यक कार्यक्रम सोशल मीडिया में रखे गए हैं या रखे जाने की संभावना है?

पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (डॉ. के. चिरंजीवी): (क) और (ख) पर्यटन मंत्रालय (एमओटी) राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर साउंड एंड लाइट शोज (एसईएल) सहित स्कीम के दिशा-निर्देशों के अनुसार सभी तरह से पूर्ण पर्यटन परियोजनाओं के लिए पारस्परिक प्राथमिकता और निधियों की उपलब्धता की शर्त पर वित्तीय सहायता प्रदान करता है। पर्यटन मंत्रालय द्वारा वित्तपोषित की जाने वाली पर्यटन परियोजनाओं का निर्णय राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के परामर्श से उनके साथ प्रतिवर्ष आयोजित की जाने वाली प्राथमिकीकरण बैठकों में लिया जाता है।

11वीं योजना के दौरान पर्यटन अवसंरचना परियाजनाओं की राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्रवार और वर्ष वार संख्या और स्वीकृत राशि संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) पर्यटन मंत्रालय ने सोशल मीडिया वेबसाइट www.youtube.com के माध्यम से अपनी अधिकारिक सूचना वेबसाइट www.incredibleindia.org पर निम्नलिखित गंतव्यों पर साउंड और लाइट शोज के ऑडियो और वीडियो अपलोड किए हैं:

- लाल किला, दिल्ली
- पुराना किला, दिल्ली
- म्यूजियम आर्ट गैलरी, चंडीगढ़
- थिरूमलाई नेकर पैलेस, मदुरई
- चित्तौड़गढ़ फोर्ट, राजस्थान
- जलियांवाला बाग, पंजाब
- कुम्भलगढ़ फोर्ट, राजस्थान
- सोमनाथ, गुजरात
- ज्योतिसर तीर्थ, हरियाणा
- सेल्यूलर जेल, पोर्ट ब्लेयर, अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह।

विवरण

11वीं पंचवर्षीय योजना अवधि में परियोजनाओं की संख्या और स्वीकृत* राशि*

क्र.सं.	राज्य	2007-08		2008-09		2009-10		2010-11		2011-12		कुल योग	
		सं.	राशि	सं.	राशि	सं.	राशि	सं.	राशि	सं.	राशि	सं.	राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आंध्र प्रदेश	9	26.29	8	109.89	13	37.29	10	20.38	12	50.77	52	244.62
2.	अरुणाचल प्रदेश	11	43.30	13	31.47	14	36.54	13	32.26	11	30.68	62	174.25
3.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0
4.	असम	6	17.47	4	21.08	7	22.76	4	23.55	5	11.08	26	95.94
5.	बिहार	4	21.95	10	25.05	3	6.99	1	3.60	0	0.00	18	57.59
6.	चंडीगढ़	2	0.20	5	7.99	5	11.51	5	11.04	2	0.25	19	30.99
7.	छत्तीसगढ़	5	12.94	1	11.34	0	0.00	4	20.95	1	0.35	11	45.58
8.	दादरा और नगर हवेली	0	0.00	3	0.24	0	0.00	0	0.00	0	0.00	3	0.24
9.	दमन और दीव	0	0.00	1	0.12	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.12
10.	दिल्ली	8	20.76	1	0.15	9	44.91	5	9.75	4	2.72	27	78.29
11.	गोवा	0	0.00	2	43.14	2	17.00	3	12.78	1	4.98	8	77.90
12.	गुजरात	5	5.81	7	21.33	1	7.33	1	0.14	3	51.75	17	86.36
13.	हरियाणा	10	22.50	7	36.70	6	12.37	6	27.41	6	0.80	35	99.78
14.	हिमाचल प्रदेश	12	34.81	10	34.58	6	23.95	12	34.98	5	0.47	45	128.79
15.	जम्मू और कश्मीर	33	70.60	28	43.42	31	49.75	20	56.17	33	171.23	145	391.17
16.	झारखंड	7	11.31	0	0.00	3	0.25	5	7.56	6	48.15	21	67.27
17.	केरला	11	41.24	12	42.68	7	12.98	3	42.87	7	23.76	40	163.53
18.	कर्नाटक	6	24.79	4	42.73	13	42.42	2	8.59	6	21.95	31	140.48
19.	लक्षद्वीप	1	7.82	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	7.82
20.	महाराष्ट्र	7	22.79	3	41.10	2	5.01	3	11.30	8	82.76	23	162.96
21.	मणिपुर	5	11.11	9	29.44	9	27.14	8	39.40	5	30.73	36	137.82
22.	मेघालय	2	6.74	7	17.14	7	14.73	9	22.53	3	0.50	28	61.64
23.	मिजोरम	6	26.93	4	3.18	7	24.06	9	11.51	7	13.91	33	79.59
24.	मध्य प्रदेश	16	39.51	11	31.41	11	60.99	13	30.85	8	40.43	59	203.19
25.	नागालैंड	22	32.41	11	25.40	13	24.60	10	29.10	19	65.45	75	176.96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
26.	ओडिशा	13	30.87	6	41.15	9	23.69	6	20.29	6	11.95	40	127.95
27.	पुदुचेरी	6	16.10	4	2.52	3	5.57	3	50.26	4	0.30	20	74.75
28.	पंजाब	2	15.98	5	24.93	3	9.48	4	11.91	2	4.39	16	66.69
29.	राजस्थान	2	15.54	9	44.31	7	19.74	7	31.32	3	14.50	28	125.41
30.	त्रिपुरा	25	55.91	20	66.78	19	42.36	14	23.48	8	25.15	86	213.68
31.	तमिलनाडु	11	27.61	16	36.14	10	16.28	6	60.00	6	20.75	49	160.78
32.	त्रिपुरा	11	11.11	6	3.61	13	20.67	12	40.73	6	15.44	48	91.56
33.	उत्तर प्रदेश	7	29.24	6	38.40	6	21.90	14	27.85	11	51.00	44	168.39
34.	उत्तराखंड	6	21.01	2	44.68	1	0.55	8	29.78	14	102.66	31	198.68
35.	पश्चिम बंगाल	12	32.41	10	37.94	7	28.37	8	22.02	11	28.80	48	149.54
	कुल योग	283	757.06	245	960.04	247	671.19	228	774.36	223	927.66	1226	4090.31

*इसमें गंतव्यों और परिपथों हेतु उत्पाद/अवसंरचना विकास (पीआईडीडीसी), मानव संसाधन विकास (एचआरडी), मेले और उत्सव तथा साहसिक एवं ग्रामीण पर्यटन (एएडआरटी) परियोजनाएं शामिल हैं।

वर्ष 2012-13 (31 दिसम्बर, 2012 तक) के दौरान परियोजनाओं की संख्या और स्वीकृत* राशि*

(करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	राज्य	2012-13	
		सं.	राशि
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	8	59.08
2.	अरुणाचल प्रदेश	8	21.36
3.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0.00
4.	असम	0	0.00
5.	बिहार	0	0.00
6.	चंडीगढ़	0	0.00
7.	छत्तीसगढ़	0	0.00
8.	दादरा और नगर हवेली	0	0.00
9.	दमन और दीव	0	0.00
10.	दिल्ली	2	24.62

1	2	3	4
11.	गोवा	0	0.00
12.	गुजरात	1	4.87
13.	हरियाणा	0	0.00
14.	हिमाचल प्रदेश	8	30.30
15.	जम्मू और कश्मीर	24	96.69
16.	झारखंड	1	38.13
17.	केरल	3	24.14
18.	कर्नाटक	0	0.00
19.	लक्षद्वीप	0	0.00
20.	महाराष्ट्र	2	0.74
21.	मणिपुर	1	0.50
22.	मेघालय	2	0.68
23.	मिजोरम	3	1.02
24.	मध्य प्रदेश	9	73.22
25.	नागालैंड	6	19.47
26.	ओडिशा	2	0.61
27.	पुदुचेरी	0	0.00
28.	पंजाब	2	0.50
29.	राजस्थान	0	0.00
30.	त्रिपुरा	4	20.75
31.	तमिलनाडु	2	20.42
32.	त्रिपुरा	0	0.00
33.	उत्तर प्रदेश	9	21.79
34.	उत्तराखंड	6	13.47
35.	पश्चिम बंगाल	2	46.94
	कुल योग	105	519.30

राष्ट्रीय लिंगानुपात सुधार कार्य-योजना

1937. श्री एंटो एंटोनी: क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में लिंगानुपात में सुधार करने हेतु राष्ट्रीय कार्य-योजना तैयार की है/करने का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) उक्त योजना की वर्तमान स्थिति क्या है और इसे कब तक लागू किए जाने की संभावना है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा तीरथ): (क) से (ग) मंत्रिमंडल सचिव की अध्यक्षता में राष्ट्रीय महिला सशक्तीकरण (एनएमईडब्ल्यू) की अंतर-मंत्रालयी समिति (आईएमसीसी) ने दिनांक 17 अक्तूबर, 2012 को बाल लिंगानुपात (एएसआर) के मुद्दे पर विचार-विमर्श किया था। इसकी अनुवर्ती कार्रवाई के परिणामस्वरूप राष्ट्रीय सलाहकार परिषद और क्षेत्रीय अभिनव परिषद की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए बाल लिंगानुपात (एएसआर) में सुधार करने हेतु एक राष्ट्रीय कार्य योजना बनाने के लिए सचिव महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की अध्यक्षता में एक कार्यदल का गठन किया गया है। कार्यदल की पहले ही तीन बैठकें हो चुकी हैं और दिनांक 8 जनवरी, 2013 को विभिन्न भागीदारों के साथ एक दिवसीय राष्ट्रीय स्तर के परामर्श का आयोजन किया है। इस मुद्दे के विशिष्ट पहलुओं पर चार क्षेत्रीय परामर्श भी आयोजित किए जा चुके हैं।

आरडीडी एंड डी

1938. श्री वैजयंत पांडा: क्या **नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान आज की तिथि तक नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों को विकसित करने के लिए अनुसंधान, अभिकल्प, विकास और प्रदर्शन (आरडीडी एंड डी) के अंतर्गत प्रदान की गई वित्तीय सहायता की राशि का ब्यौरा क्या है;

(ख) ओडिशा में विश्वविद्यालयों सहित देश में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विश्वविद्यालयों के लिए आरडीडी एंड डी के अंतर्गत प्रदान की गई निधियों का विनुपात कितना है और इसमें से कितना प्रतिशत उद्योग को प्रदान किया जा रहा है;

(ग) क्या इस योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता हेतु मुख्य क्षेत्रें का विस्तार किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री (डॉ. फारुख अब्दुल्ला): (क) अनुसंधान, डिजाइन, विकास और प्रदर्शन के तहत मंत्रालय ने पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान नवीन और अक्षय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के विकास हेतु अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं के कार्यान्वियन के लिए क्रमश: 190.51 करोड़ रु. और 45.54 करोड़ रु. की कुल वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई है।

(ख) आरडीडी एंड डी फ्रेमवर्क के अंतर्गत मंत्रालय अनुसंधान एवं विकास/शैक्षिक संस्थाओं/विश्वविद्यालयों, सरकारी/गैर-लाभकारी अनुसंधान संगठनों और गैर-सरकारी संगठनों से एक प्रस्ताव के लिए 100% तक धनराशि उपलब्ध करा सकता है। तथापि, उद्योग के साथ भागीदारी करने वाली परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता सामान्यतया परियोजना लागत के 50% तक सीमित है।

(ग) और (घ) सौर ऊर्जा, बायो-ऊर्जा और अनुसंधान, डिजाइन, विकास और प्रदर्शन हेतु हाइड्रोजन तथा ईंधन सैल के लिए मुख्य रूप से वित्तीय सहायता दी जाती है।

आनुवांशिक रक्त विकार

1939. श्री नारनभाई काछड़िया:
डॉ. अनूप कुमार साहा:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार आनुवांशिक रक्त विकार जैसे सिकल सैल एनीमिया, थालेसीमिया और हीमोफीलिया से ग्रस्त बच्चों की अनुमानित संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार ने सिकल सैल एनीमिया, थालेसीमिया और हीमोफीलिया की रोक और नियंत्रण हेतु दिशानिर्देश तैयार किए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस प्रयोजन हेतु अनिवार्य जांच और आनुवांशिक रक्त विकार की रोक एवं नियंत्रण के लिए कोई कार्यक्रम प्रारंभ करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अबू हशीम खां चौधरी): (क) भारत सरकार द्वारा

आनुवांशिक समस्याओं से संबंधित कोई देश अथवा राज्य वार आंकड़े नहीं रखे जाते हैं। तथापि, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, भारत में 1 लाखा थालेसीमिया और उतनी ही संख्या में सिकल सैल रोगी और लगभग 65000 हीमोफीलिया के रोगी हो सकते हैं। यह अनुमान है कि भारत में प्रत्येक वर्ष लगभग 10,000 नए थालेसीमिया रोग, 8000 नए सिकल सेल एनीमिया रोग और 5000 नए हीमोफीलिया रोग से ग्रसित बच्चे जन्म लेते हैं।

(ख) से (ङ) भारत सरकार ने आनुवांशिक रोगों के लिए आनुवांशिक परामर्शिका और उपचार हेतु कोई विशेष कार्यनीति नहीं बनाई है।

आईसीएमआर ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

(1) हीमोग्लोबिनोपैथीस पर राष्ट्रीय कार्य बल ने काफी अध्ययन किए गए हैं।

(2) इन रोगों से संबंधित सूक्ष्म और वृहद जानपदिक रोग आंकड़े एकत्र किए गए हैं।

(3) आईसीएमआर ने देश में महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक तथा पंजाब राज्य में 5 केन्द्रों में हीमोग्लाबिनोपैथीस के लिए प्रसवपूर्व नैदानिक सुविधा केन्द्र स्थापित करने में सहायता की है।

स्वास्थ्य राज्य का विषय है और राज्य सरकार जिला अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के माध्यम से स्वास्थ्य परिचर्या मुहैया कराती है।

सौर ऊर्जा के विकास हेतु विभिन्न कार्यक्रम

1940. श्री समीर भुजबल:
श्री रेवती रमण सिंह:
श्री दिलीप सिंह जूदेव:

क्या **नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में सौर विद्युत उत्पादन हेतु कार्यक्रमों/योजनाओं का ब्यौरा क्या है और इस संबंध में महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार निर्धारित और प्राप्त लक्ष्य क्या है;

(ख) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार इस प्रयोजन हेतु आवंटित और प्रयुक्त निधियों का ब्यौरा क्या है और ऊर्जा के अन्य स्रोतों की तुलना में इसकी प्रति इकाई लागत कितनी है;

(ग) क्या सरकार की मंशा देश में विशेषकर छत्तीसगढ़ में सौर संयंत्र की स्थापना हेतु जनजातीय बहुल क्षेत्रों में निजी भागीदारी को बढ़ाने की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) देश में विशेषकर जनजातीय और पहाड़ी क्षेत्रों में नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन कार्य के लिए राज्य/निजी निवेशकों को दिए गए प्रोत्साहन का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा देश को सौर विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री (डॉ. फारुख अब्दुल्ला): (क) सरकार द्वारा अन्य बातों के साथ-साथ देश में ग्रिड सम्बद्ध सौर विद्युत परियोजनाओं को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जनवरी, 2010 में आरंभ किए गए जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन (जेएनएनएसएम) का कार्यान्वयन किया जा रहा है जिसके विभिन्न चरणों के लिए निम्नलिखित लक्ष्य हैं:

- चरण I (2010–113): 1100 मेगावाट
- चरण II (2013–17) : 4000-10,000 मेगावाट
- चरण III (2017–22) : 20,000 मेगावाट

जेएनएनएसएम के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जाते हैं। दिनांक 28 फरवरी, 2013 की स्थिति के अनुसार महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार उपलब्धियों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) सौर विद्युत परियोजनाएं मुख्य रूप से निजी क्षेत्र में अधिकांशत: निजी निवेश से लगाई गई हैं और उनकी संस्थापना पर होने वाले व्यय के लिए जेएनएनएसएम के अंतर्गत कोई ध नराशि आबंटित नहीं की गई है।

जेएनएनएसएम की शुरूआत के समय सौर विद्युत के उत्पादन की लागत लगभग 18 रु./यूनिट थी और इसमें उस समय से लेकर धीरे-धीरे कमी आई है। वर्तमान में यह लागत परियोजना क्षमता, चयन की गई प्रौद्योगिकी तथा अन्य स्थल विशिष्ट कारकों पर निर्भर करते हुए 7-12 रु./यूनिट की श्रेणी में है। परम्परागत ऊर्जा स्रोतों के साथ-साथ अन्य अक्षय ऊर्जा स्रोतों, जैसे पवन, बायोमास और लघु पनबिजली की लागत की तुलना में यह अभी भी अधिक है।

(ग) जैसा कि ऊपर भाग (क) के उत्तर में उल्लेख किया गया है कि सौर विद्युत परियोजनाओं को मुख्य रूप से निजी क्षेत्र में बढ़ावा दिया जा रहा है। विकासकर्ता जनजातीय बहुल क्षेत्रों सहित अपनी पसंद के किसी भी स्थान, जो भूमि उपयोग नीति संबंधी

विनियमों अथवा वैधानिक प्रतिबंधों द्वारा वर्जित न हो, में इन परियोजनाओं की संस्थापना करने के लिए स्वतंत्र हैं।

(घ) जनजातीय और पहाड़ी क्षेत्रों सहित देश में अक्षय विद्युत उत्पादन परियोजनाओं की संस्थापना में निजी निवेश को आकर्षित करने के लिए उपलब्ध कराए जा रहे प्रोत्साहनों में मुख्य रूप से पूंजीगत सब्सिडी/उत्पादन आधारित प्रोत्साहन, अधिमान्य शुल्क-दर, त्वरित मूल्यह्रास एवं रियायती/शून्य उत्पाद और सीमा शुल्क शामिल हैं। ये प्रोत्साहन परियोजनाओं की क्षमता और श्रेणी के अनुसार अलग-अलग हैं।

(ङ) जेएनएनएनएसएम के अंतर्गत संस्थापना के अलावा देश में सौर विनिर्माण क्षमता तथा अनुसंधान एवं विकास और क्षमता सृजन संबंधी कार्यकलापों में वृद्धि लाने के लिए अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण करने पर बल दिया जा रहा है। आशा है कि इन कार्यकलापों से देश सौर विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में धीरे-धीरे आत्मनिर्भर बन जाएगा।

विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	दिनांक 2012-13 की स्थिति के अनुसार संचयी क्षमता
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	23.35
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.03
3.	असम	-
4.	बिहार	-
5.	छत्तीसगढ़	4.00
6.	गोवा	-
7.	गुजरात	824.09
8.	हरियाणा	7.80
9.	हिमाचल प्रदेश	-
10.	जम्मू और कश्मीर	-
11.	झारखंड	16.00
12.	कर्नाटक	14.00
13.	केरल	0.03
14.	मध्य प्रदेश	7.85
15.	महाराष्ट्र	30.00
16.	मणिपुर	-
17.	मेघालय	-
18.	मिजोरम	-
19.	नागालैंड	-
20.	ओडिशा	13.00
21.	पंजाब	9.33
22.	राजस्थान	456.15
23.	सिक्किम	-
24.	तमिलनाडु	17.11
25.	त्रिपुरा	-
26.	उत्तर प्रदेश	12.38
27.	उत्तराखंड	5.05
28.	पश्चिम बंगाल	2.05
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.10
30.	चंडीगढ़	-
31.	दादरा और नगर हवेली	-
32.	दमन और दीव	-
33.	दिल्ली	2.53
34.	लक्षद्वीप	0.75
35.	पुदुचेरी	0.03
36.	अन्य	0.83
	कुल	1446.43

गैर-पंजीकृत कंपनियों से सेवाकर

1941. श्री धनंजय सिंह: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार उन गैर-पंजीकृत विभिन्न सेवा प्रदाताओं का रिकार्ड अनुरक्षित करती है जो कर का भुगतान करने के दायी है;

(ख) यदि हां, तो उत्तर प्रदेश सहित तत्संबंधी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या हैं यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और

(ग) सरकार द्वारा ऐसे सेवा प्रदाताओं की पहचान और पुष्टि हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिकम): (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त (क) के उत्तर को देखते हुए यह प्रश्न नहीं उठता है।

(ग) ऐसे सेवा-प्रदाताओं का पता लगाने और उनका सत्यापन करने के लिए सरकार ने निम्नलिखित कदम उठाया है:

(i) क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा सर्वेक्षण करवाना।

(ii) विभिन्न सेवाओं पर सेवाकर की देयता के बारे में व्यापक प्रचार-प्रसार।

(iii) गैर-पंजीकृत सेवा-प्रदाताओं के खिलाफ मामले दर्ज करना।

(iv) विभिन्न सेवा-प्रदाताओं के बारे में अन्य सरकारी एजेंसियों/विभागों से जानकारी प्राप्त करना।

बंध्याकरण

1942. श्री एम. कृष्णास्वामी: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वसेकटामी हेतु सरल प्रक्रिया के बावजूद महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों में बंध्याकरण का अनुपात कम है;

(ख) यदि हां, वसेकटामी हेतु पुरुषों की अनिच्छा हेतु क्या कारण हैं;

(ग) विगत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार पुरुष और महिला बंध्याकरण अनुपात क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किए गए/जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अबू हशीम खां चौधरी): (क) जी हां।

(ख) शारीरिक दुर्बलता, नपुंसकता और सामाजिक-सांस्कृतिक अवरोधों का निराधार भय।

(ग) कुल बंध्याकरण में से पुरुष बंध्याकरण का प्रतिशत निम्नानुसार रहा है:

(i) 2009-10 – 5.3%

(ii) 2010-11 – 4.4%

(iii) 2011-12 – 3.7%

(iv) 2012-13 (दिसम्बर तक) – 2.9%

राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) (i) परिवार नियोजन में पुरुष भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए समर्थन और मांग सृजन कार्यकलाप।

(ii) पुरुष बंध्याकरण क्रिया/विधि में मेडिकल कॉलेजों के शल्य क्रिया संकाय और सेवा प्रदाताओं का प्रशिक्षण।

(iii) पुरुष बंध्याकरण को प्रोत्साहन के लिए राष्ट्रीय कार्यशालाएं आयोजित करना।

विवरण

नसबंदी, नलबंदी और कुल बंध्याकरण तथा कुल बंध्याकरण में से नसबंदी का प्रतिशत

अवधि: 2009-10

अनंतिम आंकड़े (4 जनवरी 2013 की स्थिति के अनुसार)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/एजेंसी	नसबंदी	नलबंदी	कुल बंध्याकरण	कुल बंध्याकरण में नसबंदी का प्रतिशत
1	2	3	4=(2)+(3)	5
अरुणाचल प्रदेश	6	1,384	1.390	0.4
असम	13,898	66,724	80,622	17.2
मणिपुर	172	814	986	17.4
मेघालय	25	1.805	1.830	1.4
मिजोरम	3	2,533	2,536	.0.1
नागालैंड	68	1.144	1,212	5.6
सिक्किम	142	407	549	25.9
त्रिपुरा	593	3,152	3,745	15.8
बिहार	30,904	2,76,036	3,06,940	10.1
छत्तीसगढ़	8,967	1.64.671	1,73,638	5.2
हिमाचल प्रदेश	3,184	24,432	27,616	11.5
जम्मू और कश्मीर	1,446	18,666	20,112	7.2
झारखंड	7,144	1.06,210	1,13,354	6.3
मध्य प्रदेश	18,607	4,16,099	4,34,706	4.3
ओडिशा	6,500	1,11,455	1,17,955	5.5
राजस्थान	9,314	3,36,586	3,45,900	2.7
उत्तर प्रदेश	12,378	4,56,789	4,69,167	2.6
उत्तराखंड	3,003	21,459	24,462	12.3
आंध्र प्रदेश	22,865	6,43,263	6,66,128	3.4
गोवा	26	4,149	4,175	0.6
गुजरात	9,098	2.93,678	3,02,776	3.0

1	2	3	4=(2)+(3)	5
हरियाणा	8,919	77,045	85,964	10.4
कर्नाटक	12,341	3.83,987	3,96,328	3.1
केरल	3.767	97,664	1,01,431	3.7
महाराष्ट्र	34.994	4,81,490	5,16,484	6.8
पंजाब	11,231	65,146	76,377	14.7
तमिलनाडु	2,564	3,41,344	3,43,908	0.7
पश्चिम बंगाल	33,860	2.77,862	3,11,722	10.9
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	6	819	825	0.7
चंडीगढ़	45	2,028	2,073	2.2
दादरा और नगर हवेली		1.160	1.160	
दमन और दीव	–	–	–	–
दिल्ली	4,200	17,490	21,690	19.4
लक्षद्वीप	1	7	8	12.5
पुदुचेरी	22	9,082	9,104	0.2
मंत्रालय रक्षा	2,284	7,168	9,452	24.2
मंत्रालय	574	3,482	4,056	14.2
अखिल भारत	2,63,151	47,17,230	49,80,381	5.3

स्रोत एच एम आई एस पोर्टल

=राज्यों द्वारा डाटा उपलब्ध नहीं कराया गया

नसबंदी, नलबंदी और कुल बंध्याकरण तथा कुल बंध्याकरण में से नसबंदी का प्रतिशत

अवधि: 2010-11

अनंतिम आंकड़े (4 जनवरी 2013 की स्थिति के अनुसार)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/एजेंसी	नसबंदी	नलबंदी	कुल बंध्याकरण	कुल बंध्याकरण में नसबंदी का प्रतिशत
1	2	3	4=(2)+(3)	5
अरुणाचल प्रदेश	3	1,654	1,657	0.2
असम	12,662	65,517	78,179	16.2

1	2	3	4=(2)+(3)	5
मणिपुर	222	1,246	1,468	15.1
मेघालय	14	2,016	2,030	0.7
मिजोरम	5	2,368	2,373	0.2
नागालैंड	7	1.639	1,646	0.4
सिक्किम	93	146	239	38.9
त्रिपुरा	403	3,659	4,062	9.9
बिहार	10,093	4,82,300	4,92,393	2.0
छत्तीसगढ़	7,340	1,42,179	1,49,519	4.9
हिमाचल प्रदेश	2,618	21,020	23,638	11.1
जम्मू और कश्मीर	1,117	18,139	19,256	5.8
झारखंड	13,182	1,14,537	1,27,719	10.3
मध्य प्रदेश	42,813	6,39,032	6,81,845	6.3
ओडिशा	13,762	1,25,486	1,39,248	9.9
रातस्थान	8,200	3,30,374	3,38,574	2.4
उत्तर प्रदेश	9,046	4,04,104	4,13,150	2.2
उत्तराखंड	3,688	28,674	32,362	11.4
आंध्र प्रदेश	14,276	5,43,158	5,57,434	2.6
गोवा	24	3,752	3,776	0.6
गुजरात	7,183	3,14,453	3,21,636	2.2
हरियाणा	6,206	73,642	79,848	7.8
कर्नाटक	6,787	3,24,061	3,30,848	2.1
केरल	2,686	1,02,347	1,05,033	2.6
महाराष्ट्र	24,416	4,68,052	4,92,468	5.0
पंजाब	16,373	65,194	81,567	20.1

1	2	3	4=(2)+(3)	5
तमिलनाडु	2,172	3,25,090	3,27,262	0.7
पश्चिमबंगाल	17,921	2,56,957	2,74,878	65
निकोबार द्वीपसमूह	1	1,027	1,028	0.1
चंडीगढ़	65	1,951	2,016	3.2
दादरा और नगर हवेली	1	1,044	1,045	0.1
दमन और दीव	8	380	388	2.1
दिल्ली	2,801	15,339	18,140	15.4
लक्षद्वीप		32	32	-
पुदुचेरी	13	11,205	11,218	0.1
मंत्रालय रक्षा	1,597	5,563	7,160	22.3
मंत्रालय	288	1,417	1,705	16.9
अखिल भारत	2,28,086	48,98,754	51,26,840	4.4

स्रोत: एच एम आई पोर्टल
=राज्यों द्वारा डाटा उपलब्ध नहीं कराया गया

नसबंदी, नलबंदी और कुल बंध्याकरण तथा कुल बंध्याकरण में से नसबंदी का प्रतिशत

अवधि: 2011-12

अनंतिम आंकड़े (1 मार्च 2013 की स्थिति के अनुसार)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/एजेंसी	नसबंदी	नलबंदी	कुल बंध्याकरण	कुल बंध्याकरण में नसबंदी का प्रतिशत
1	2	3	4=(2)+(3)	5
अरुणाचल प्रदेश	2	975	977	0.2
असम	6,866	67,912	74,778	9.2
मणिपुर	109	1,690	1,799	6.1
मेघालय	56	3,002	3,058	1.9
मिजोरम	0	1,713	1,713	0.0

1	2	3	4=(2)+(3)	5
नागालैंड	6	2,158	2,164	0.3
सिक्किम	49	143	192	25.5
त्रिपुरा	206	6,011	6,217	3.3
बिहार	6,671	4,90,067	4,96,738	1.3
छत्तीसगढ़	6,769	1,30,282	1,37,051	4.9
हिमाचल प्रदेश	2,344	20,514	22,858	10.3
जम्मू और कश्मीर	1,067	15,657	16,724	6.4
झारखंड	13,027	1,17,673	1,30,700	10.0
मध्य प्रदेश	43,041	5,82,581	6,25,622	6.9
ओडिशा	3,070	1,39,571	1,42,641	2.2
राजस्थान	5,841	3,09,134	3,14,975	1.9
उत्तर प्रदेश	11,800	3,21,957	3,33,757	3.5
उत्तराखंड	1,926	18,485	20,411	9.4
आंध्र प्रदेश	13,590	5,27,992	5,41,582	2.5
गोवा	71	5,388	5,459	1.3
गुजरात	3,477	3,23,438	3,26,915	1.1
हरियाणा	6,762	70,038	76,800	8.8
कर्नाटक	3,894	3,08,876	3,12,770	1.2
केरल	1,916	95,841	97,757	2.0
महाराष्ट्र	22,051	4,97,384	5,19,435	4.2
पंजाब	8,286	62,752	71,038	11,7
तमिलनाडु	1,767	2,91,731	2,93,498	0.6
पश्चिम बंगाल	10,081	2,10,362	2,20,443	4.6
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	4	1,159	1,163	0.3

1	2	3	4=(2)+(3)	5
चंडीगढ़	97	1,722	1,819	3
दादरा और नगर हवेली	2	1,239	1,241	0.2
दमन और दीव	4	405	409	1.0
दिल्ली	2,702	17.659	20,361	13.3
लक्षद्वीप	0	47	47	0.0
पुदुचेरी	6	10,235	10,241	0.1
मंत्रालय रक्षा	–	–	–	–
मंत्रालय	363	2,165	2,528	14.4
अखिल भारत	1,77,923	46,57,958	48,35,881	3.7

स्रोत एच एम आई एस पोर्टल
=राज्यों द्वारा डाटा उपलब्ध नहीं कराया गया

नसबंदी, नलबंदी और कुल बंध्याकरण तथा कुल बंध्याकरण में से नसबंदी का प्रतिशत

अवधि: 2012-13

अनंतिम आंकड़े (8 फरवरी 2013 की स्थिति के अनुसार)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/एजेंसी	नसबंदी	नलबंदी	कुल बंध्याकरण	कुल बंध्याकरण में नसबंदी का प्रतिशत
1	2	3	4=(2)+(3)	5
अरुणाचल प्रदेश	1	605	606	0.2
असम	2,227	33,635	35,862	6.2
मणिपुर	87	959	1,046	8.3
मणिपुर	16	2,176	2,192	0.7
मेघालय	1	1,681	1,682	0.1
नागालैंड	12	1,589	1,601	0.7
सिक्किम	18	103	121	14.9
त्रिपुरा	92	4,704	4,796	1.9
बिहार	3,290	2,12,841	2,16,131	1.5
छत्तीसगढ़	3,236	58,907	62,143	5.2
हिमाचल प्रदेश	1,209	9,071	10,280	11.8

1	2	3	4=(2)+(3)	5
जम्मू और कश्मीर	578	8,872	9,450	6.1
झारखंड	5,436	39,156	44,592	12.2
मध्य प्रदेश	6,670	1,83,877	1,90,547	3.5
ओडिशा	1,895	91,311	93,206	2.0
रातस्थान	3,400	1,95,420	1,98,820	1.7
उत्तर प्रदेश	4,877	1,48,573	1,53,450	3.2
उत्तराखंड	695	8,202	8,897	7.8
आंध्र प्रदेश	7,011	3,22,100	3,29,111	2.1
गोवा	54	3,952	4,006	1.3
गुजरात	2,502	1,81,234	1,83,736	1.4
हरियाणा	4,200	47,599	51,799	8.1
कर्नाटक	2,261	2,30,581	2,32,842	1.0
केरल	1,814	76.700	78,514	2.3
महाराष्ट्र	16,351	3,83,528	3,99,879	4.1
पंजाब	3.768	43,011	46,779	8.1
तमिलनाडु	955	2,42,29	2,43,224	0.4
पश्चिम बंगाल	5.645	1,27,723	1,33,363	4.2
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह		916	916	
चंडीगढ़	53	1,291	1,344	3.9
दादरा और नगर हवेली	1	719	720	0.1
दमन और दीव	0	256	256	0.0
दिल्ली	1,280	12,839	14,119	9.1
लक्षद्वीप	0	12	12	0.0
पुदुचेरी	3	6,633	6,636	0.0
मंत्रालय रक्षा				
मंत्रालय	102	854	956	10.7
अखिल भारत	79,740	26,83,899	27,63,639	2.9

स्रोत: एच एम आई एस पोर्टल

=राज्यों द्वारा डाटा उपलब्ध नहीं कराया गयो

होटल की कमी

1943. श्री ए.के.एस. विजयन: क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विस्तारित हो रहे पर्यटन क्षेत्र की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए देश में होटलों की कमी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई अध्ययन करवाया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा देश में होटल उद्योग के विस्तार/वृद्धि हेतु क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए/उठाए जा रहे है?

पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (डॉ. के. चिरंजीवी): (क) और (ख) योजना आयोग द्वारा 12वीं पंचवर्षीय योजना (2012-2017) के लिए गठित किए गए 'पर्यटन पर कार्यकारी समूह' की रिपोर्ट के अनुसार पर्यटन क्षेत्र में 12% की अनुमानित वार्षिक वृद्धि के लिए वर्ष 2010 की तुलना में वर्ष 2016 में वर्गीकृत श्रेणी के अंतर्गत 1,90,108 अतिरिक्त होटल कमरों की मांग होने का अनुमान है।

(ग) और (घ) पर्यटन मंत्रालय ने वर्ष 2008 में मैसर्स ए सी नीलसेन ओआरजी एमएआरजी प्रा.लि. के द्वारा एक अध्ययन करवाया था। इस अध्ययन के अनुसार देश में पहचाने गए 54 स्थलों पर प्रतिवर्ष 1,81,596 होटल कमरों की आवश्यकता होगी।

पर्यटन मंत्रालय ने वर्ष 2009 में भारतीय पर्यटन एवं यात्रा प्रबंध संस्थान, ग्वालियर द्वारा एक और अध्ययन करवाया। इस अध्ययन के अनुसार राष्ट्रमंडल खेल, 2010 के दौरान दिल्ली आने वाले पर्यटकों के लिए औसतन प्रतिदिन 40,190 होटल कमरों की आवश्यकता होगी।

(ङ) देश में होटल उद्योग का विस्तार/वृद्धि एक सतत प्रक्रिया है। होटल परियोजनाओं द्वारा समयबद्ध रूप में अपेक्षित क्लीयरेंसों को सरल बनाने के लिए और देश में आतिथ्य उद्योग में विस्तार/वृद्धि की गति बढ़ाने के लिए जनवरी, 2011 में संघ सरकार ने 'आतिथ्य विकास एवं संवर्धन बोर्ड' (एचडीपीबी) का गठन किया। इसके अतिरिक्त, बजट होटलों की वृद्धि को प्रोत्साहित करने के लिए निम्नलिखित प्रोत्साहनों की घोषणा की गई:

- यूनेस्को द्वारा घोषित सभी विश्व विरासत स्थलों (मुम्बई और दिल्ली के अतिरिक्त) पर स्थित 2, 3 और 4 सितारा श्रेणी के 1.04.2008 से 31.3.2013 की अवधि में प्रचालित होटलों के लिए पांच वर्ष का कर अवकाश।
- सरकार ने भारत में कहीं भी 2 सितारा और उससे ऊपर की श्रेणी के नए होटलों के लिए आयकर अधिनियम की धारा 35 एडी के अंतर्गत निवेश से जुड़े कर प्रोत्साहन के विस्तार की घोषणा की है जिससे देश में आवास की वृद्धि सुगम होगी।
- भारतीय रिजर्व बैंक ने कमर्शियल रियल एस्टेट (सीआरई) से होटल परियोजनाओं के लिए क्रेडिट को डी-लिंक किया है जिससे होटल परियोजनाएं शिथिल मानकों और कम ब्याज दरों पर क्रेडिट सुविधा ले सकेंगी। .
- होटल और पर्यटन संबंधी उद्योग को उच्च प्राथमिकता उद्योग और इसमें आटोमेटिक रूट के अंतर्गत 100% तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की घोषणा की गई।

सभी के लिए मुफ्त दवाइयां

1944. श्री पी.टी. थॉमस:
श्री निलेश नारायण राणे:
श्री कालीकेश नारायण सिंह देव:
श्री जी.एम. सिद्देश्वर:
श्री नरेन्द्र सिंह तोमर:
श्री जयंत चौधरी:
श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकारी स्वास्थ्य केन्द्रों के माधयम से सभी के लिए मुफ्त दवाओं हेतु राष्ट्रीय योजना के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या सभी राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रें ने योजना पर हुए व्यय और लक्ष्यों संबंधी वास्तविक और वित्तीय प्रगति के संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) अगले तीन वर्षों हेतु इस प्रयोजन हेतु कितनी अनुमानित निधियों की आवश्यकता है;

(ङ) दवाइयों की खरीद/सतत आपूर्ति के लिए क्या योजना है और औषधियों के वितरण हेतु क्या क्रियाविधि है; और

(च) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए है कि ये सुविधाएं लक्षित लाभार्थियों तक पहुंचें?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अबू हशीम खां चौधरी): (क) 12वीं पंचवर्षीय योजना दस्तावेज के स्वास्थ्य अध्याय में स्वास्थ्य परिचर्या पर जेब से होने वाले खर्च को कम करने के लिए सरकारी स्वास्थ्य केन्द्रों में मुफ्त अत्यावश्यक दवाओं को देने का उल्लेख किया गया है। तथापि, अब तक किसी प्रकार की राष्ट्रीय योजना नहीं बनाई गई है।

स्वास्थ्य राज्य का विषय है। राज्य सरकारों द्वारा अपने वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना में प्रस्तावित आवश्यकताओं के आधार पर सरकारी स्वास्थ्य केन्द्रों में अत्यावश्यक दवाओं की नि:शुल्क आपूर्ति के लिए निधि सहित उनके स्वास्थ्य प्रणाली को सुदृढ़ करने हेतु राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत राज्यों की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

(ख) से (च) उपरोक्त के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठते।

ईंधन उपयोग मानदंड

1945. श्री अधलराव पाटील शिवाजी:
श्री धर्मेन्द्र यादव:
श्री गजानन ध. बाबर:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विद्युत कंपनियों को इष्टतम उपयोग की प्राप्ति करने के लिए उन्हें अपने एक संयंत्र के लिए आवंटित प्राकृतिक गैस को दूसरे संयंत्र में उपयोग की अनुमति प्रदान करने के लिए ईंधन उपयोग मानदंडों को शिथिल बनाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस उद्देश्य के लिए अधिसूचित दिशानिर्देशों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वर्तमान में गैस उपयोग को किन्हीं विशिष्ट इकाइयों तक सीमित रखा है जिसके लिए गैस लिंकेज प्रदान किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) जी हां। घरेलू गैस का अधिक कुशलता से उपयोग करने हेतु एक ही स्वामी के विद्युत संयंत्रों के बीच गैस की क्लबिंग/विपथन के संबंध में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (पे. और प्रा.गै.मं.) ने दिनांक 1.1.2013 को दिशा-निर्देश जारी किए हैं ताकि बिजली के कुल उत्पादन में होने वाली तदनुरूपी वृद्धि के साथ संयंत्र भार कारक (पीएलएफ) में सुधार किया जा सके।

(ग) और (घ) घरेलू गैस का आबंटन संयंत्र विशेष के लिए किया जाता है केवल उन विशिष्ट मामलों को छोड़कर जहां पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने संयंत्रों की प्रचालनात्मक मांग के आधार पर एक ही स्वामी के एक संयंत्र से दूसरे संयंत्र को गैस के विपथन की अनुमति दी है।

घरेलू नौकरों का उत्पीड़न

1946. श्री सुभाष बापूराव वानखेड़े: क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल के वर्षों में देश में घरेलू नौकरों के यौन उत्पीड़न के मामलों की संख्या में वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार का ऐसी घटनाओं से निपटने के लिए कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के प्रस्तावित कानून के दायरे में ऐसे मामलों को शामिल करने का इरादा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा तीरथ): (क) और (ख) राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार, एनसीआर बी देश में घरेलू नौकरों के यौन शोषण के मामलों की घटना के संबंध में आंकड़े नहीं रखता है।

(ग) और (घ) संसद द्वारा यथापारित कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन शोषण (निवारण, निषेध और प्रतितोष) विधेयक, 2013 के कार्यक्षेत्र में घरेलू नौकर भी शामिल हैं।

बीमा उद्योग में वृद्धि

1947. श्री भर्तृहरि महताब:
श्री संजय धोत्रे:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या साधारण बीमा क्षेत्र ने हाल ही में पर्याप्त वृद्धि दर्ज की है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान कंपनी-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान संग्रहीत प्रीमियम और निपटाये गए दावों का कंपनी-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या देश में साधारण बीमा की पहुंच वैश्विक औसत की तुलना में कम है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण है; और

(च) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा): (क) और (ख) बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आई. आर.डी.ए.) के अनुसार साधारण बीमा क्षेत्र में वर्ष 2009-10, 2010-11 और 2011-12 के दौरान क्रमशः 16.87%, 22.91% और 24.07% की वृद्धि दर्ज की गई। कम्पनी वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ग) गत 3 वर्षों के दौरान एकत्रित प्रीमियम और निपटाये गए दावे का कम्पनी-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(घ) और (ङ) कैलेंडर वर्ष 2011 के दौरान 2.8% के वैश्विक विस्तार की तुलना में भारत में साधारण बीमा का विस्तार (सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की तुलना में किसी वर्ष में हामीदार प्रीमियम का अनुपात)(0.70% था।

(च) देश में बीमा के प्रसार को बढ़ाने के लिए वर्ष 2013-14 के बजट भाषण में कई प्रस्तावों की घोषणा की गई थी:

(i) बीमा कम्पनियों को टीयर-II और इससे निम्न श्रेणी के शहरों में शाखाएं खोलने के लिए अधिकार सम्पन्न किया गया है।

(ii) 10,000 या इससे अधिक जनसंख्या वाले भारत के सभी शहरों में भारतीय जीवन बीमा निगम का एक कार्यालय तथा सार्वजनिक क्षेत्र की कम से कम एक साधारण बीमा कम्पनी का कार्यालय होगा।

(iii) बैंकों का केवाईसी बीमा पॉलिसी प्राप्त करने के लिए पर्याप्त होगा।

(iv) बैंकों को बीमा आढ़तिया के रूप में कार्य करने की अनुमति होगी ताकि बैंक शाखाओं के पूरे नेटवर्क का प्रयोग विस्तार को बढ़ाने के लिए किया जाए।

(vi) बैंकिंग प्रतिनिधियों को सूक्ष्म बीमा उत्पाद बेचने की अनुमति होगी।

विवरण

कंपनीवार वृद्धि

	वृद्धि दर		
बीमाकर्ता	2009-10	2010-11	2011-12
1	2	3	4
बजाज एलाइंज	-5.23%	15.62%	14.52%
भारतीय एक्सा	990,60%	78.21%	59.60%
चोलामंडलम	14.50%	23.33%	39.11%
फ्यूचर जेनेरली	101.95%	59.36%	53.25%
एचडीएफसी इरगो	169.86%	39.82%	43.72%
आईसीआईसीआई लोम्बाई	.3.14%	29.04%	21.13%
ईफ्को टोकियो	6.10%	22.32%	10.77%
एल एंड टी जेनरल	लागू नहीं	लागू नहीं	731.79%

1	2	3	4
रहेजा क्यूबीई	लागू नहीं	लागू नहीं	201.84%
रिलायंस	3.38%	.16.38%	3.45%
रायल सुन्दरम	13.66%	25.29%	29.35%
एसबीआई जेनरल	लागू नहीं	लागू नहीं	481.45%
श्रीराम	266.50%	87.30%	62.18%
टाटा एआईजी	3.63%	37.40%	39.94%
यूनिवर्सल सोम्पो	528.00%	58.02%	35.27%
नैशनल	8.15%	34.42%	25.15%
न्यू इंडिया	9.97%	15.87%	22.47%
ओरियंटल	19.05%	14.73%	11.22%
यूनाईटेड	22.47%	21.71%	28.27%
एआईसी	82.42%	28.26%	32.14%
ईसीजीसी	9.17%	8.91%	13.48%
अपोलो म्यूनिख	138.18%	146.55%	68.25%
मैक्स बूपा	लागू नहीं	19538.46%	288.09%
स्टार हैल्थ	88.61%	27.65%	-11.61%

स्रोत: गत चार वर्षों की वार्षिक रिपोर्ट

टिप्पणी लागू नहीं=चूंकि कंपनी अस्तित्व में नहीं थी, अतः लागू नहीं।

विवरण

एकत्रित प्रीमियम और निपटाय गए दावे

	सकल प्रत्यक्ष प्रीमियम (करोड़ रु. में)				किए गए दावे (निवल) (करोड़ रु. में)		
बीमाकर्ता	2009-10	2010-11	2011-12	सित-2012तक	2009-10	2010-11	2011-12
1	2	3	4	5	6	7	8
एआईसी	1,520.40	1,950.05	2,576.85	स,805.81	1,189.19	950.15	1,025.75
अपोलो म्यूनिख	114.66	282.69	475.64	213.99	59.74	92.15	175.09
बजाज एलाइंज	2,482.33	2,869.96	3,286.62	1,915.98	1,386.57	1,701.27	1,907.95
भारती एक्सा	310.82	553.90	884.00	571.97	86.19	275.96	475.07

1	2	3	4	5	6	7	8
चोलामंडलम	784.85	967.99	1,346,54	786.751	344.34	485.78	658.18
ईसीजीसी	813.00	885.47	1,004.83	541.11	675.18	757.44	679.61
फ्यूचर जेनेरली	376.61	600.16	919.76	553.83	169.15	279.02	409.73
एचडीएफसी इरगो	915.40	1,279.91	1,839.46	1,244.63	395.86	509.88	766.43
आईसीआईसीआई लोम्बाई	3,295.06	4,251.87	5,150.14	2.856.59	1,948.38	2,730.64	3,600.91
ईफ्को टोकियों	1,457.84	1,783.18	1,975.24	284.21	732.67	990.46	1,233.67
एल एंड टी जनरल	लागू नहीं	17.24	143.40	79.25	लागू नहीं	2.45	57.36
मैक्स बूपा	0.13	25.53	99.08	77.36	0.00	4.06	28.59
नैशनल	4,645.99	6,245.17	7,815.69	4,354.72	,245.36	4,623.28	5,314.07
न्यू इंडिया	7,099.14	8,225.51	10,073.88	4,950.72	5,132.45	6,524.87	7,087.53
ओरियंटल	4,854.67	5,569.88	6,194.60	3,299.19	3,260.18	4,065.36	4,453.53
रहेजा क्यूबीई	1.32	4.90	14.79	10.18	0.45	1.83	4.17
रिलायंस	1,979.65	1,655.43	1,712.55	041.45	1,185.69	1,331.38	1,265.87
रेलिगेर हैल्थ	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	10.441	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नही
रॉयल सुन्दरम	913.11	1,143.99ъ	1,479.79	751.24	509.07	660.22	865.59
एसबीआई जेनरल	लागू नहीं	43.02	250.14	295.861	लागू नहीं	5.64	49.93
श्रीराम	416.93	780.89	1,266.44	692.91	95.00	255.08	378.36
स्टार हैल्थ	961.65	1,227.55	1,085.06	5,793.53	531.73	758.14	774.23
टाटा एआईजी	853.80	1,173.09	1,641.57	044.13	396.37	543.11	863.83
यूनाईटेड	5,239.05	6,376.66	8,179.29	4,756.86	3,329.24	4,385.64	5,386.94
यूनिवर्सल सोम्पो	189.28	299.10	404.58	247.1	57.49	142.16	218.76

स्रोत: गत तीन वर्षो रिपोर्ट

बीमाकर्ता द्वारा सितम्बर, 2012 तक प्रस्तुत

सितम्बर, 2012 तक किए गए दावे (निवल) के संबंध में सूचना उपलब्ध नहीं है।

टिप्पणी: लागू नहीं=चूंकि कंपनी अस्तित्व में नहीं थी, अतः लागू नहीं।

पीआरआईएस का कार्यान्वयन

1948. श्री अजय कुमार: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वित्त मंत्रालय ने अपने कर्मियों के लिए छठे वेतन आयोग द्वारा प्रस्तावित कार्यनिष्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन स्कीम (पीआरआईएस) को लागू किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या अन्य मंत्रालयों ने वित्त मंत्रलय द्वारा पीआरआईएस को लागू किए जाने तक इसे लागू किए जाने में अपनी अनिच्छा जतायी है और यदि हां, तो इस पर मंत्रलय की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) मंत्रालय ने इस स्कीम को कार्यान्वित करने में देरी, यदि कोई हो, तो उसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या वित्त मंत्रालय के सभी कार्यालयों में बायोमीट्रिक एक्सेस कन्ट्रोल प्रणाली लगायी गयी है; और

(ङ) यदि हां तो इस पर कितना खर्च आया है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा): (क) जी नहीं, क्योंकि इस प्रयोजन के लिए उपयुक्त दिशा-निर्देश प्रतिपादित नहीं किए गए हैं।

(ख) और (ग) जी नहीं, उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(घ) वित्त मंत्रालय के अनेक कार्यालयों में बायोमीट्रिक एक्सेस कन्ट्रोल प्रणाली लगाई जा चुकी है।

(ङ) उपलब्ध सूचना के अनुसार, इससे संबंधित उपकरण की लागत 4,26,056/- रुपए (चार लाख छब्बीस हजार छप्पन रुपए मात्र) है।

यूनिसेफ को अंशदान

1949. श्री सुल्तान अहमद: क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र बाल निधि (यूनिसेफ) को देश के अंशदान के खर्चे तथा नई दिल्ली स्थित इनके कार्यालय के प्रशासनिक खर्च को पूरा करने के लिए उनके मंत्रालय में कोई प्रावधान हैं; और

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा तीरथ): (क) और (ख) महिला और बाल विकास मंत्रालय में यूनीसेफ को दिए जाने वाले देश के अंशदान के व्यय का प्रावधान है। तदनुसार, महिला और बाल विकास मंत्रालय ने विगत तीन वर्षों के दौरान यूनीसेफ को निम्नानुसार अंशदान दिया है:

क्र.सं.	वर्ष	यूनीसेफ को अंशदान (रुपयों में)
1.	2009	3,80,00,000
2.	2010	3,80,00,000
3.	2011	3,80,00,000
4.	2012	3,80,00,000 (अभी तक निर्मुक्त किया जाना है)

यूनीसेफ के दिल्ली स्थित कार्यालय के प्रशासनिक व्यय हेतु महिला और बाल विकास मंत्रालय में वित्तीय सहायता का कोई प्रावधान नहीं है।

आंगनवाड़ी केन्द्रों की निगरानी

1950. श्री सुरेश कलमाडी: क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास एकीकृत बाल विकास सेवा (आईसीडीएस) स्कीम के तहत आंगनवाड़ी केन्द्रों के कार्यनिष्पादन की निगरानी का कोई तंत्र है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) आंगनवाड़ी केन्द्रों के कार्यकरण से जुड़े गैर-सरकारी संगठनों का महाराष्ट्र सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इन एनजीओ द्वारा की गई किन्हीं अनियमितताओं अथवा गबन के विरुद्ध कोई शिकायत प्राप्त हुई हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए अथवा उठाए जाने वाले प्रस्तावित उपयुक्त कदम क्या है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा तीरथ): (क) और (ख) समेकित बाल विकास

सेवा स्कीम (आईसीडीएस) एक केंद्रीय प्रायोजित स्कीम है जिसमें केन्द्र सरकार कार्यक्रम आयोजना एवं राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार आंगनवाड़ी केन्द्रों के निष्पादन मानीटरन सहित स्कीम के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार होगी। मौजूदा मानीटरन तंत्र में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में आंगनवाड़ी एवं परियोजना स्तर पर मासिक एवं अद्धवार्षिक रिपोर्ट निर्धारित की गई है। इसके अतिरिक्त सरकार ने राष्ट्र, राज्य, जिला, ब्लॉक एवं आंगनवाड़ी स्तर पर पांच स्तरीय मानीटरन एवं समीक्षा तंत्र शुरू किया है जिसके लिए 31.3.2011 को दिशा-निर्देश जारी कर दिया गया है। इन दिशा निर्देशों के अंतर्गत जिला तथा ब्लाक स्तरीय समितियां अन्य बातों के साथ-साथ आंगनवाड़ी केन्द्रों के कार्यकलापोंमें नियमितता, आईसीडीएस कार्यकर्ताओं द्वारा आंगनवाड़ी केन्द्रों में मानीटरन एवं पर्यवेक्षण दौरे इत्यादि पर सूक्ष्म निगरानी रखेगी और आंनगवाड़ी स्तरीय समिति आंगनवाड़ी केन्द्र में प्रदायगी सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए, समीक्षा करेगी और कार्यवाही करने के साथ-साथ उपयुक्त सिफारिशें देगी।

सुदृढ़ीकृत एवं पुनर्गठित आईसीडीएस के संशोधित प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) के अंतर्गत आंगनवाड़ी केन्द्रों में यथोचित प्रचालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आईसीडीएस के अंतर्गत आंगनवाड़ी केन्द्रों में वेब आधारित प्रबंधन सूचना प्रणाली तथा आईसीटी का प्रावधान, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के साथ मजबूत संस्थागत संकेंद्रण एवं सम्पूर्ण अभियान विशेष रूप से जिला एवं ग्रामीण स्तर पर अनुमोदित कर दिया गया है।

(ग) से (ङ) आंगनवाड़ी केन्द्रों की कार्यशीलता में गैर-सरकारी संगठनों के साथ सहयोग राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के विशेषाधिकार में है। अत: आंगनवाड़ी केन्द्रों की कार्यशीलता में गैर सरकारी संगठनों की सहभागिता और इन गैर-सरकारी संगठनों द्वारा किए गए वायदों में अनियमितताओं से संबंधित शिकायतों का का लेखा-जोखा भारत सरकार नहीं रखती है।

[हिंदी]

नवीकरणीय ऊर्जा का केन्द्रीय डाटाबेस

1951. **श्री रमाशंकर राजभर:** क्या **नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने ऊर्जा दक्षता और नवीकरणीय ऊर्जा के लिए घरेलू भारतीय नीतियों और प्रोत्साहनों का केन्द्रीय डाटा बेस विकसित करने की एक परियोजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है और इस परियोजना को कब तक शुरू किए जाने की संभावना है?

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री (डॉ. फारुख अब्दुल्ला): (क) से (ग) अमेरिका-भारत ऊर्जा संवाद के एक भाग के रूप में राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा प्रयोगशाला (एनआरईएल), यूएस ऊर्जा विभाग स्वच्छ ऊर्जा नीतियों के सार्वजनिक रूप से उपलब्ध डाटाबेस के ऑन लाइन विकास में सहायता कर रही है। परियोजना का प्राथमिक उद्देश्य स्वच्छ ऊर्जा नीतिगत डाटा एकत्रित करना, उनकी व्याख्या करना और सार प्रस्तुत करना; नीतिगत डाटा हेतु डाटाबेस तैयार करना एवं रखरखाव करना; और राष्ट्रीय तथा राज्य प्रोत्साहनों को लोगों तक पहुंचाने के लिए एक ऑनलाइन यूजर-इंटरफेस विकसित करना है जो ऊर्जा दक्षता के उपयोग और अक्षय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देते हैं।

एलपीजी सिलेंडरों का दुरुपयोग

1952. **श्री प्रदीप कुमार सिंह:** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एलपीजी सिलेंडरों का वाहन सहित वाणिज्यिक रूप से दुरुपयोग किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण है;

(ग) क्या सरकार का कोई निगरानी प्रणाली बनाने का प्रस्ताव है ताकि छोटे सिलेंडरों का वाणिज्यिक इस्तेमाल नहीं किया जा सके; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) घरेलू और वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडरों के बीच मूल्य में काफी अंतर होने के कारण कुछ बेईमान तत्त्वों द्वारा राजसहायता प्राप्त सिलेंडरों के दुरुपयोग की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है।

सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कम्पनियों (ओएमसीज) ने अप्रैल-दिसम्बर, 2012 की अवधि में विपथन के 312 सिद्ध मामलों का पता लगाया है।

(ग) और (घ) ओएमसीज ने राजसहायता प्राप्त एलपीजी सिलेंडरों के दुरुपयोग को रोकने के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं:

- घरेलू और गैर घरेलू एलपीजी सिलेंडरों के लिए अलग-अलग रंग/आकार।

- ऐसे विज्ञापन जिसमें जनता को इस बात के लिए सावधान किया जाए कि गैर घरेलू प्रयोग के लिए घरेलू एलपीजी का प्रयोग करना गैर कानूनी खतरनाक और राष्ट्रहित के विरुद्ध है।
- वितरकों के परिसरों का नियमित औचक निरीक्षण करना, रिफिल जांच करना, ग्राहकों के परिसरों पर औचक जांच करना और सुपुर्दगी वाहनों की मार्गस्थ जांच करना। यदि एलपीजी वितरक किसी कदाचार के दोषी पाए जाते हैं तो विपणन अनुशासन दिशा-निर्देशों (एमडीजी) के प्रावधानों के अनुसार दंडात्मक कार्रवाई की जाती है।

[अनुवाद]

सरकारी नौकरियों के लिए चिकित्सा प्रतिमान

1953. श्री आनंदराव अडसुल:
श्री गजानन ध. बाबर:
श्री धर्मेन्द्र यादव:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों हेतु चिकित्सा प्रतिमानों में बदलाव संबंधी सुझाव देने के लिए स्वास्थ्य सेवा के महानिदेशक (डीजीएचएस) की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है;

(घ) यदि हां, तो उक्त समिति द्वारा दिए गए सुझावों/सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इन सुझावों को कब तक लागू कर दिए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) से (ङ) जी हां। सिविल सेवा परीक्षा और अन्य परीक्षाओं की 'अनफिट' सूची में निहित रोगों की सूची पर दोबारा विचार करने के लिए कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग से पत्र प्राप्त होने पर स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय में एक समिति गठित की गई थी, जिसमें मेडीसिन, सर्जरी, नेत्र, ईएनटी, स्त्री एवं बाल रोग, भौतिक चिकित्सा तथा पुनर्वास जैसे संगत विषयों के विशेषज्ञों को सदस्य के रूप में शामिल किया गया था। मामले की जांच करने के लिए दिनांक 3.10.2012 को स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक की अध्यक्षता में आयोजित अंतिम बैठक के नतीजे के बारे में कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को अवगत कराया गया। इसके पश्चात, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग से सिविल सेवा परीक्षा नियमों के परिशिष्ट III में जिसमें अभ्यर्थियों की शारीरिक परीक्षा से संबंधित विनियमन शामिल हैं, संशोधन करने का अनुरोध प्राप्त हुआ।

परिशिष्ट III में संशोधन करने के लिए स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक की अध्यक्षता में अन्य समिति गठित की गई थी। विवेचना/परीक्षा की निर्धारित प्रक्रिया के बाद इसे अंतिम रूप दिया जा रहा है।

कच्चे तेल की भंडारण प्रणाली

1954. श्री एम. के. राघवन:
श्री उदय सिंह:
श्री एन. चेलुवरया स्वामी:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का देश में महत्वपूर्ण कच्चा तेल भंडारण प्रणाली को विकसित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी परियोजना, स्थान और क्षमता-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बड़े बंदरगाह सुविधा वाले प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में कम से कम एक ऐसी भंडारण प्रणाली को लगाए जाने की संभावना है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) देश में महत्वपूर्ण कच्चे तेल की भंडारण की अतिरिक्त सुविधाओं को सृजित करने के लिए क्या अन्य कदम उठाए जा रहे हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) देश की ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ाने के उद्देश्य से, सरकार, इंडियन स्ट्रेटजिक पेट्रोलियम रिजर्वस लिमिटेड (आईएसपीआरएल) के माध्यम से तीन स्थलों अर्थात विशाखापत्तनम (भंडारण क्षमता : 1.33 एमटी), मंगलौर (भंडारण क्षमता : 1.5 एमएमटी) और पादुर (भंडारण क्षमता : 2.5 एमएमटी) में 5.33 मिलियन मीट्रिक टन (एमएमटी) की भंडारण क्षमता वाले कार्यनीतिक कच्चे तेल के भंडार को स्थापित कर रही है।

(ग) से (ङ) कार्यनीतिक कच्चे तेल भंडारण क्षमता में और वृद्धि करने के उद्देश्य से, आईएसपीआरएल ने चार स्थलों अर्थात् राजस्थान में बीकानेर, गुजरात में राजकोट, ओडिशा में चंडीखोल और कर्नाटक में पादुर में चरण-II के तहत 12.5 एमएमटी की अतिरिक्त क्षमता वाले कच्चे तेल भंडारों का निर्माण करने के लिए विस्तृत व्यवहार्यता अध्ययन किया है।

एमएफआई के लिए बैंकों का एक्सपोजर

1955. श्री अनंत कुमार:
श्री पी. सी. गद्दीगौदर:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थाओं द्वारा सूक्ष्म वित्त संस्थाओं (एमएफआई) को दिए गए (ऋण तथा इस पर प्रभारित ब्याज-दर का बैंक/संस्था-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार/भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने गैर-वित्तीय और वित्तीय कंपनियों को बैंकों के एक्सपोजर के संबंध में कोई दिशानिर्देश बनाये हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या उक्त अवधि के दौरान सरकार/भारतीय रिज़र्व बैंक के ध्यान में ऐसे दिशानिर्देशों के उल्लंघन का मामला आया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा): (क) सरकारी क्षेत्र के बैंकों और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) द्वारा लघु वित्त संस्थानों (एमएफआई) को दिए गए ऋण का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनियों (एनबीएफसी) में निवेश के संबंध में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) के लिए 2 जुलाई, 2012 के भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों में, (आरबीआई की वेबसाइट www.rbi.org.in पर उपलब्ध है।) अन्य बातों के साथ-साथ, इस बात पर जोर दिया गया है कि किसी बैंक का एकल एनबीएफसी (आस्ति वित्त पोषण और अवसंरचना वित्त में एनबीएफसी के अलावा) में निवेश अपनी अंतिम लेखा परीक्षा तुलन पत्र के अनुसार बैंकों की पूंजी निधि के 10% से अधिक नहीं होनी चाहिए। यह निवेश बढ़कर 15% तक हो सकता है बशर्ते कि अतिरिक्त निवेश अवसंरचना क्षेत्र के लिए एनबीएफसी द्वारा उधार दी गई निधियों के कारण हों।

(घ) और (ङ) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि विनिमय दरों में प्रतिकूल संचलन के कारण कुछ अवसरों पर बैंकों ने विनियामकीय सीमाओं को बढ़ाया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने ऐसे आधिक्य को माफ कर दिया था, लेकिन बैंकों को यह सलाह दी थी कि वे ऋणों को मंजूरी देते समय विनिमय दरों में प्रतिकूल संचलन की संभावना पर विचार करें ताकि सामान्य रूप से ऐसी घटनाएं दोबारा न हों।

विवरण

सरकारी क्षेत्र के बैंकों और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के द्वारा सूक्ष्म वित संस्थानों के ऋण में विस्तार

(राशि करोड़ रु. में)

क्र.सं.	बैंक का नाम	वितीय वर्ष 2009-10		वितीय वर्ष 2010-11		वितीय वर्ष 2011-12		वितीय वर्ष 2012-13(3112.2012 के अनुसार)	
		संवितरित राशि	ब्याज दर (% में)	संवितरित राशि	ब्याज दर (% में)	संवितरित राशि	ब्याज दर (% में)	संवितरित राशि	ब्याज दर (% में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	इलाहाबाद बैंक	132.18	10.00.13.00	127.60	11.50.14.50	97.26	12.00.15.00	61.11	12.00.14.75
2	आंध्रा बैंक	129.44	11.00.15.00	275.00	11.75.13.75	239.00	10.75.14.00	88.06	11.00.14.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	बैंक ऑफ बड़ौदा	109.29	8.75.12.00	50.10	11.00.11.50	42.24	10.75.13.75	25.00	12.50
4	बैंक ऑफ इंडिया	156.29	11.54	163.90	12.92	125.98	13.05	56.42	12.18
5	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	48.50	12.25	9.15	12.00	14.00	14.66	153.00	13.90
6	केनरा बैंक	62.38	10.75.13.75	128.53	10.75.13.25	236.03	10.75.14.50	38.91	10.75.14.00
7	सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया	101.79	12.15	127.79	13.63	684.32	14.57	73.00	14.13
8	कारपोरेशन बैंक	82.25	12.13	222.11	12.12	293.76	12.19	257.03	12.58
9	देना बैंक	51.25	13.01	6.50	14.83	559.50	13.09	368.50	13.53
10	इंडियन बैंक	81.45	13.25	59.89	14.25.14.75	57.94	15.00.15.50	46.15	13.00.14.00
11	इंडियन ओंवरसीज बैंक	443.97	11.25.15.50	154.59	10.75.15.50	149.35	11.50.15.50	184.86	11.75.15.00
12	ओरियंटल बैंक ऑफ कामर्स	93.00	8.00.12.50	20.34	8.75.13.75	182.12	10.60.16.25	76.50	10.75.15.90
13	पंजाब नैशनल बैंक	732.00	11.00.13.00	560.00	11.00.13.75	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
14	पंजाब एंड सिंध बैंक	50.00	12.75.13.25	50.00	12.75.13.25	115.00	12.00.13.25	शून्य	शून्य
15	स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	19.35	12.00	17.81	12.00
16	स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	31.00	15.00	4.00	16.25	14.85	12.00	110.00	12.25
17	भारतीय स्टेट बैंक	397.00	11.75	433.00	11.75.13.00	516.00	13.25.14.75	164.00	11.75.16.50
18	स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	160.00	11.00.12.50	177.00	12.00.12.50	343.00	12.00.12.50	278.00	12.00.14.50
19	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	276.77	9.25.12.25	55.00	11.45.13.25	110.81	12.00.13.50	43.49	10.50.15.75
20	स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर	36.00	11.42	97.90	13.30	20.07	12.69	0.24	12.00
21	सिंडीकेट बैंक	499.87	9.00.12.25	253.00	9.50.15.25	349.89	10.75.16.75	शून्य	शून्य
22	यूको बैंक	शून्य	शून्य	4.39	10.50.15.00	255.00	10.50.15.00	6.00	10.50.15.00
23	यूनियन बैंक	209.14	10.25	206.09	12.00	323.74	13.15	672.17	13.00
24	युनाइटेड ऑफ इंडिया	292.82	9.75.16.10	388.10	9.75.16.10	555.21	9.75.16.10	720.50	9.75.16.10
25	विजया बैंक	110.00	11.75.15.00	140.00	11.45.14.75	101.00	10.95.12.20	130.95	11.15.12.20
26	आईडीबीआई	559.00	11.75.15.00	675.50	11.75.15.00	1182.87	10.50.15.75	755.68	10.50.15.75
27	सिडबी	2719.50	8.00.14.50	810.56	9.25.14.00	572.00	12.00.14.00	135.00	13.00.14.00

स्रोत: सरकारी क्षेत्र के बैंक एवं भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक

निर्यात के लिए स्वचालित आंकड़ा प्रसंस्करण प्रणाली

1956. प्रो. सौगत राय: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) का देश से होने वाले सभी निर्यातों हेतु एक स्वचालित और एकीकृत आंकड़ा प्रसंस्करण एवं निगरानी प्रणाली की स्थापना का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) बैंकों द्वारा घोषित मूल्य और संसाधित राशि के बीच अंतर संबंधित अनियमितताओं का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस पर क्या कार्रवाई की गई/की जा रही है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा): (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने सूचित किया है कि उसने देश से होने वाले सभी निर्यातों हेतु एक स्वचालित और एकीकृत आंकड़ा प्रसंस्करण एवं निगरानी प्रणाली की स्थापना करने का निर्णय लिया है। इस प्रणाली के अंतर्गत, सभी आंकड़े पहले "आरबीआई के समर्पित सर्वर" पर जाएंगे और उसके बाद आरबीआई द्वारा एक नई "सुरक्षित आरबीआई वेबसाइट" के माध्यम से प्राधिकृत डीलर (एडी) बैंकों द्वारा निर्यातकों के साथ आगे की अनुवर्ती कार्रवाई करने हेतु उन्हें भेजा जाएगा। तदनन्तर, दस्तावेजों को प्रस्तुत करने तथा वसूली आंकड़े एडी बैंकों द्वारा आरबीआई को उसी "सुरक्षित आरबीआई वेबसाइट" के माध्यम से भेजे जाएंगे ताकि निर्यात के संबंध में आरबीआई को शीघ्रता से अनुवर्ती कार्रवाई/आंकड़ा सृजन/नीति निर्धारण में सुसाध्य बनाने हेतु आरबीआई डाटाबेस को तत्काल आधार पर अद्यतन किया जा सके। इससे आरबीआई में एक अलग सर्वर से उसकी ओर आने वाले तथा वहां से जाने वाले 'दो तरफा' आंकड़ा ट्रैफिक होगा जो कि समर्पित आरबीआई सर्वर में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न किए बिना कार्य करेगा। आंकड़ों का लगातार प्रवाह बना रहेगा।

(ग) दिनांक 30.6.2011 तक की स्थिति के अनुसार 2010-11 की अवधि के लिए डीटीआर, जीआर तथा एसओएफटीईएक्स फार्मों के संबंध में बेमेल, लेन-देन संबंधी आरबीआई द्वारा यथासूचित आंकड़े निम्नानुसार हैं:

	डीटीआर**		जीआर**		एसओएफटीईएक्स**	
	लेन-देन की सं.	राशि (लाख रु. में)	लेन-देन की सं.	राशि (लाख रु. में)	लेन-देन की सं.	राशि (लाख रु. में)
सीमा शुल्क	2393835	29882578	150065	32002516	170993	15653583
बेमेल (योग)	1350934	19687783	122827	23345005	163394	15133749
बेमेल (%)	56.43	65.88	81.85	72.95	95.96	96.98

**डीटीआर का अर्थ है 'प्रत्यक्ष लेन-देन प्राप्ति'।
जीआर के अंतर्गत आंकड़े सीमा शुल्क में दायर जीआर फार्मों के माध्यम से प्राप्त आंकड़े दर्शाते हैं।
एसओएफईटीएक्स के एसओएफटीईएक्स फार्म के माध्यम से सूचित सॉफ्टवेयर निर्यात तथा उसके आंकड़े दर्शाते हैं।

(घ) वर्तमान में, आरबीआई में एडी बैंकों के साथ अनुवर्ती कार्रवाई करने की प्रणाली है जो कि इसे फिर संबंधित निर्यातक के साथ उठाते हैं। आरबीआई ने सूचित किया है कि एक बार प्रस्तावित प्रणाली की स्थापना होने के उपरान्त एडी को आरबीआई प्रणाली में आरबीआई द्वारा उपलब्ध कराए गए निर्यात लेन-देन आंकड़े का उपयोग करके इनकी स्थिति का अद्यतन नियमित रूप से करना चाहिए (i) दस्तावेजों की प्राप्ति और (ii) उनसे संबंधित लेन-देन हेतु निर्यात की प्राप्तियां। प्रस्तावित प्रणाली, ऐसी संभावना है कि शिपिंग बिल विवरणों के संबंध में एक बारगी आंकड़ा प्रविष्टि होने से, ऐसे बेमेल समाप्त हो जाएंगे।

आंगनवाड़ी केन्द्रों में शिशु गृह

1957. श्री सी. शिवासामी: क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का देश में आंगनवाड़ी केन्द्रों (एडब्ल्यूसी) में शिशु गृह की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राज्यों ने अपने राज्यों में एडब्ल्यूसी में ऐसी सुविधाओं की मांग की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में कब तक निर्णय ले लिए जाने की संभावना है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा तीरथ): (क) और (ख) जी, हां। आईसीडीएस स्कीम को सुदृढ़ीकरण और पुनर्गठन के अंतर्गत 5 प्रतिशत आंगनवाड़ी केंद्रों (कुल 70,000) में आंगनवाड़ी एवं शिशु गृह के प्रावधान को अनुमोदन प्रदान किया गया है। यह प्रावधान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की मांग पर आधारित होगा। अतिरिक्त कमरों के निर्माण, पालना, बिस्तर, नरम खिलौने, अतिरिक्त पूरक पोषण इत्यादि सहित अतिरिक्त स्थान के लिए निधियां उपलब्ध कराई जाएंगी। उपर्युक्त के अतिरिक्त 3000 रुपये के मासिक मानदेय पर एक अतिरिक्त शिशु गृह कार्यकर्ता भी उपलब्ध कराया जाएगा। इस घटक के लिए केंद्र और राज्य के बीच लागत अनुपात 75:25 होगा।

(ग) अभी तक किसी राज्य/संघ क्षेत्र से ऐसी कोई मांग प्राप्त नहीं हुई है। आंगनवाड़ी केंद्र एवं सह शिशु गृह मांग के आधार पर होता है और इन्हें वर्ष 2013-14 के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना (एपीआईपी) में शामिल किया गया है।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

प्रत्यायित ग्राहक कार्यक्रम

1958. श्री विजय इन्दर सिंह सिंगला: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीईसी) ने प्रत्यायित ग्राहक कार्यक्रम को लागू किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) एसीपी सुविधा का लाभ लेने वाले फर्मों की संख्या तथा गत तीन वर्षों के लिए रुपए मूल्य में इस सुविधा के तहत जिन आयात-निर्यात कार्गो को अनुमति प्रदान की जा रही है उसका प्रतिशत क्या है; और

(ग) क्या सरकार को उन मामलों में लेखा परीक्षा पश्चात किन्हीं अनियमितताओं का पता लगा है जिनमें एसीपी सुविधा का लाभ लिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गई/की जा रही है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिकम): (क) जी, हां। अधिकृत ग्राहक कार्यक्रम (एसीपी) का उद्देश्य उन आयातकर्ताओं को आश्वस्त सहायता प्रदान करना है जिन्होंने अपनी क्षमता को तथा उन कानूनों का पालन करने की अपनी इच्छा को प्रकट किया है जिनको सीमाशुल्क विभाग के द्वारा लागू किया जाना जरूरी है। इस सुविधा को पहले एक वर्ष तथा इसके पश्चात वार्षिक आधार पर बढ़ाने की स्वीकृति दी गई है।

(ख) 1.3.2013 तक एसीपी सुविधा का लाभ उठाने वाले आयातकर्ताओं की संख्या 332 है। इस सुविधा के अंतर्गत जिन कार्गो की निकासी की जा रही है उनका प्रतिशत इस प्रकार है:

वर्ष	एसीपी सुविधा के अंतर्गत निकास किए गए आयातित कार्गो का प्रतिशत रुपये में
2009-2010	13.87
2010-2011	12.86
2011-2012	13.09

(ग) जी, हां। चालू वित्तीय वर्ष में (31.12.2012 तक) एसीपी ग्राहकों के क्लियरेंस पश्चात मौके पर किए गए लेखा परीक्षण से पता चलता है कि 5957.53 लाख रु. के शुल्क की वसूली कम हुई थी जिसमें से 148.70 लाख रुपये की वसूली की जा चुकी है। कानूनी प्रावधानों के अनुरूप इस पर कार्यवाही की गई है/की जा रही है।

पेट्रोल खुदरा बिक्री केन्द्र और एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप

1959. श्री एस॰ सेम्मलई:
श्री सज्जन वर्मा:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तेल विपणन कंपनियां (ओएमसी) युद्ध में निःशक्त हुए सैनिकों, भूतपूर्व सैनिकों, युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की विधवाओं और आश्रितों को डीजल, पेट्रोल तथा द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए खुदरा बिक्री केन्द्र आवंटित करती है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान उक्त श्रेणियों को आवंटित एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार तथा श्रेणी/कंपनी-वार संख्या कितनी है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) प्रचलित नीति के अनुसार, 8% आरक्षण संयुक्त श्रेणी के लिए निर्धारित किया गया है जिसमें रक्षा कार्मिक और अर्ध-सैनिक कार्मिक/केन्द्रीय/राज्य सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के केन्द्रीय/राज्य के कर्मचारी सम्मिलित हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान आबंटित राजीव गांधी ग्रामीण एलपीजी वितरक (आरजीजीएलवीज) सहित तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) डिस्ट्रीब्यूटरशिपों की संख्या के ब्यौरे, यथा लागू रक्षा, अर्ध सैनिक कार्मिक (पीएमपी), सरकारी कार्मिक (जीपी) और संयुक्त श्रेणी भी (रक्षा/अर्धसैनिक/पुलिस/सरकारी कार्मिक/विकलांगों/उत्कृष्ट खिलाड़ियों) के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं क्योंकि ये वे श्रेणियां हैं जिनके तहत रक्षा कार्मिक (युद्ध में विकलांग हुए सैनिक, भूतपूर्व सैनिक, युद्ध में मारे गए सैनिकों की विधवाएं और आश्रित) आवेदन कर सकते हैं।

विवरण

पिछले प्रत्येक तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान रक्षा श्रेणी, सरकारी कार्मिकों तथा संयुक्त श्रेणी को आबंटित एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिपों की (राजीव गांधी ग्रामीण एलपीजी वितरक सहित) राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश-वार तथा कंपनी-वार सूची

राज्य	2009-10			2010-11			2011-12			अप्रैल-दिसम्बर-2012		
	आईओसी	बीपीसी	एचपीसी	आईओसी	बीपीसी	एचपीसी	आईओसी	बीपीसी	एचपीसी	आईओसी	बीपीसी	एचपीसी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
आंध्र प्रदेश	4	5	2	10	7	2	2				1	1
अरुणाचल प्रदेश												
असम		3		1	1		2		1	2		
बिहार	2		1	4	4	2	1	2				2
छत्तीसगढ़				2		1		1		1		2
दिल्ली												
गोवा												
गुजरात							5	1	1	3	1	2
हरियाणा		1	1				7	3		2		
हिमाचल प्रदेश							1					
जम्मू और कश्मीर			1							1		
झारखंड				1			1	2		1		
कर्नाटक		2	1	3	1	1	4	1		2		1
केरल	1	1							1			
मध्य प्रदेश	1	1		8		1	3	1	1	10		1
महाराष्ट्र	1	3	2	5	10	6	2	1	2	2	1	4
मणिपुर							2					
मणिपुर												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
मेघालय												
मिजोरम												
ओडिशा			2	2	1	1	2	1		2		4
पंजाब	2	1	2				3	2	1		1	
राजस्थान	5	1	2	9	4	1	8	6	1	5	1	3
सिक्किम												
तमिलनाडु	4		1	6	2	2	7	2		6	1	
त्रिपुरा												
उत्तर प्रदेश		1										
उत्तराखंड	6	2		15	4	7	15	11	5	8		6
पश्चिम बंगाल	1	1		2	1		2	1	1	3		1
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह												
चंडीगढ़												
दादरा और नगर हवेली												
दमन और दीव												
लक्षद्वीप												
पुदुचेरी												
समय योग	27	22	15	68	35	24	67	35	14	48	6	27

बैंकों के माध्यम से जाली नोटों का परिचालन

1960. श्री रमेन डेका: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने देश में जाली नोटों के परिचालन के संबंध में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को कोई निर्देश/दिशा-निर्देश जारी किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान सरकार/आरबीआई के ध्यान में बैंकों द्वारा इन दिशा-निर्देशों का पालन नहीं किए जाने के संबंध में शिकायतें आयी हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी वर्ष-वार और बैंक-वार ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा): (क) और (ख) अपने काउंटरों/एटीएम के जरिए नोट जारी किए जाने के संबंध में बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर अनुदेश जारी किए गए हैं। इनमें से कुछेक निम्नानुसार हैं:

- बैंक नोटों में नई सुरक्षा विशेषताएं/नए डिजाइनों को शामिल करना।
- बैंकों को अपने काउंटरों/एटीएमों के जरिए केवल छांटे गए और असली नोट वितरित करने के अनुदेश जारी किए गए हैं।

- नियमित रूप से प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना।

- सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को यह अनुदेश जारी किया गया है कि मशीनों द्वारा बैंक नोटों की प्रामाणिकता/यथार्थता तथा उपयुक्तता की जांच किए जाने के बाद ही 100/- रुपए या इससे अधिक मूल्य के बैंक नोटों को बैंकों के काउंटरों या एटीएम के जरिए जारी किए जाएं।

- 15 अगस्त, 2010 से "पैसा बोलता है" शीर्षक से बहु-संचार माध्यम, बहुभाषा जागरूकता कार्यक्रम आरंभ किया गया है।

- बैंक शाखाओं/कोषागारों में पता लगाए गए जाली नोटों की सूचना पुलिस प्राधिकारियों को निम्नलिखित पद्धति में तत्काल दिया जाना अपेक्षित है।

(i) एक लेन-देन में 4 की संख्या तक जाली नोट का पता चलने के मामले में महीने के अंत में पुलिस प्राधिकारियों को एक समेकित रिपोर्ट भेजी जानी चाहिए।

(ii) एक लेन-देन में 5 या इससे अधिक जाली नोटों का पता चलने के मामले में, क्षेत्राधिकार के अनुसार नोडल पुलिस स्टेशन/पुलिस प्राधिकारियों के पास एफआईआर दायर की जानी चाहिए।

- बैंकों को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी गई है कि काउंटरो से प्राप्त नोटों की समुचित प्रामाणिकता मशीनों के जरिए सुनिश्चित किए जाने के पश्चात ही उन्हें पुनः परिचालित किया जाए।

- जाली नोटों से संबंधित समस्याओं के संबंध में बैंकों के अध्यक्ष/प्रबंध निदेशकों को संवेदनशील बनाने के उद्देश्य से भारतीय रिजर्व बैंक उनके साथ बारी-बारी से बैठकें आयोजित कर रहा है।

- बैंकों को यह सलाह दी गई है कि जहां कहीं जाली नोटों का पता चलता है परंतु उन्हें जब्त नहीं किया जाता है और न ही उसकी रिपोर्ट की जाती है, तो यह माना जाएगा कि जाली नोटों के परिचालन में संबंधित बैंकों की स्वैच्छिक भागीदारी है और इसके लिए दंडात्मक कदम उठाए जा सकते हैं।

(ग) और (घ) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई सूचना के अनुसार बैंकों/एटीएम के जरिए नकली मुद्रा के परिचालन के संबंध में 28 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। वर्ष-वार ब्यौरा निम्नानुसार है:

वर्ष	शिकायतों की संख्या
1.7.2009 से 30.6.2010	4
1.7.2010 से 30.6.2011	9
1.7.2011 से 30.6.2012	11
1.7.2012 से 31.1.2013	4
कुल	28

स्वर्ण बाजार

1961. श्री वरूण गांधी: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत का औपचारिक स्वर्ण बाजार तेजी से बढ़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या स्वर्ण बाजार पर असंगठित कर्मों का आधिपत्य है; और

(घ) यदि हां, तो असंगठित और संगठित फर्मों द्वारा वैश्विक बाजार में हिस्सेदारी कितनी है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा): (क) और (ख) जी, हां। हाल के वर्षों में घरेलू स्वर्ण बाजार के बढ़ते आकार को प्रतिबिम्बित करते हुए भारत का स्वर्ण बाजार बढ़ा है। भारत का स्वर्ण आयात 2009-10 में 28.6 बिलियन अमरीकी डॉलर, 2010-11 में 40.5 बिलियन अमरीकी डॉलर, 2011-12 में 56.3 बिलियन अमरीका डॉलर तथा 2012-13 (जनवरी, 2013 तक) में 42.0 बिलियन अमरीकी डॉलर था।

(ग) और (घ) भारतीय रिजर्व बैंक की "भारत में स्वर्ण आयात और एनबीएफसी के स्वर्ण ऋण (फरवरी, 2013) से संबंधित मामलों का अध्ययन" कार्यदल की रिपोर्ट के अनुसार मुख्यतः नामित बैंकों और एमएमटीसी के माध्यम से स्वर्ण का आयात किया गया। वर्ष, 2011-12 के दौरान नामित बैंकों के जरिए 603 टन स्वर्ण का आयात किए जाने का अनुमान था जो कुल स्वर्ण आयात का लगभग 56 प्रतिशत बैठता है।

अवसंरचनात्मक परियोजनाओं के लिए क्षतिपूर्ति

1962. श्री गुथा सुखेन्द्र रेड्डी: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का देश में चल रही सरकारी-निजी भागीदारी (पीपीपी) की अवसंरचनात्मक परियोजनाओं को डीजल की कीमतों में वृद्धि से अलग रखने के लिए क्षतिपूर्ति देने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं कि रियायती समझौता मूल्य वृद्धि से पीपीपी परियोजनाओं के निवल वर्तमान मूल्य एन वी की रक्षा करे;

(घ) क्या इस संबंध में किसी अस्थायी क्षतिपूर्ति लागत पर विचार किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी): (क) से (ग) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं से संबंधित परियोजनाएं अधिकांशत: अधिक पूंजी वाली परियोजनाएं हैं जिनकी अवधि लम्बी है और वर्तमान में डीजल के मूल्यों में की गई मामूली वृद्धि का इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।

(घ) और (ङ) उपर्युक्त (क) से (ग) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

रेलवे स्टेशन/फुटपाथ पर रह रहे अनाथ

1963. श्री बदरूद्दीन अजमल: क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने महानगरों/बड़े शहरों में विभिन्न रेलवे स्टेशनों फुटपाथों पर रह रहे अनाथों की बढ़ती संख्या पर गौर किया है;

(ख) क्या ये बच्चे समेकित बाल संरक्षण योजना (आईसीपीएस) से संरक्षित/के अन्तर्गत कवर नहीं हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार इस संबंध में आई सी पी एस की समीक्षा करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा अब तक अनाथों के कल्याण के लिए आईसीपीएस के अंतर्गत क्या उपाय किए गए हैं?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा तीरथ): (क) से (ग) देश में फुटपाथों और रेलवे स्टेशनों पर रहने वाले अनाथ बच्चों की संख्या के संबंध में कोई प्रमाणिक आंकड़े प्राप्त नहीं हैं। तथापि इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि बहुत से बच्चे पटरियों और रेलवे स्टेशनों पर रहते हुए देखे जाते हैं, महिला और बाल विकास मंत्रालय समेकित बाल संरक्षण स्कीम (आईसीपीएस) कार्यान्वित कर रहा है जो अन्य बातों के साथ-साथ कठिन परिस्थितियों में रहने वाले बच्चों, जिनमें ये बच्चे भी शामिल हैं, को पुनर्वास सेवाएं प्रदान करती है। इस स्कीम के अंतर्गत ऐसे बच्चों के लिए जिनमें रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और भीडभाड़ वाले बाजारों के क्षेत्रों के संपर्क स्थल भी शामिल हैं, उनके लिए अल्पावधि समुदाय आधारित देखभाल और आश्रय के लिए खुले आश्रय स्थापित करने तथा उनका अनुरक्षण करने के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। स्कीम कठिन परिस्थितियों में जीवन यापन करने वाले बच्चों के लिए विभिन्न प्रकार के गृह स्थापित करने के लिए अनुदान प्रदान करती है। जिन बच्चों को लम्बी अवधि के लिए ठहरने और अन्य पुनर्वास सुविधाओं की आवश्यकता है, उन्हें 'बालगृहों' में भेज दिया जाता है। राज्य/संघ राज्य प्रशासन वार खुले आश्रयों और विभिन्न प्रकार के गृहों जिनमें बाल गृह भी शामिल हैं, जिन्हें 2012-13 (5 मार्च 2013 तक) में आईसीपीएस के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्रदान की गई और उसमें शामिल लाभार्थियों जिसमें अनाथ भी शामिल हैं, की संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वार विभिन्न प्रकार के गुणों जिनमें बाल गृह भी शामिल हैं और मुक्त आश्रम जिन्हें 2013-13 (दिनांक 05.03.2013 तक) में आईसीपीएस के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्रदान की गई, उनकी तथा उनमें शामिल लाभार्थियों की संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	गृह	लाभार्थी	खुले आश्रम गृह	लाभार्थी
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदश	105	6687	10	250

1	2	3	4	5	6
2.	असम	7	221	3	75
3.	बिहार	14	815	11	275
4.	छत्तीसगढ़	29	1243	6	150
5.	गुजरात	52	2344	–	–
6.	हरियाणा	12	597	–	–
7.	हिमाचल प्रदेश	22	1673	2	50
8.	झारखंड	14	527	1	25
9.	कर्नाटक	69	2217	23	575
10.	केरल	28	1035	3	55
11.	मध्य प्रदेश	44	1565	4	100
12.	महाराष्ट्र	86	4432	2	50
13.	मणिपुर	13	507	2	50
14.	मेघालय	18	732	1	34
15.	मिजोरम	7	153	–	–
16.	नागालैंड	19	704	2	50
17.	ओडिशा	134	9611	9	225
18.	पंजाब	15	396	–	–
19.	रातस्थान	74	2419	20	500
20.	राजस्थान	5	228	.	–
21.	तमिलनाडु	243	18452	14	531
22.	त्रिपुरा	13	436	3	75
23.	उत्तर प्रदेश	64	2125	18	450
24.	पश्चिम बंगाल	53	3060	22	3085
25.	चंडीगढ़	2	223	–	–
26.	दिल्ली	25	1995	14	350
27.	पुदुचेरी	27	1266	2	50
	कुल	1194	65663	172	7005

[हिंदी]

राज्यों को विशेष पर्यटन दर्जा

1964. श्री मारोतराव सैनुजी कोवासे: क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कतिपय राज्यों को विशेष पर्यटन केन्द्र का दर्जा दिया है अथवा देने का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे राज्यों के नाम क्या हैं; और

(ग) इसके परिणामस्वरूप ऐसे राज्यों को कितना लाभ/सुविधाएं प्राप्त होने की संभावना है?

पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (डॉ. के. चिरंजीवी): (क) से (ग) जी नहीं, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को विशेष पर्यटन का दर्जा देने के लिए पर्यटन मंत्रालय में ऐसी कोई स्कीम नहीं है।

तथापि पर्यटन मंत्रालय (एमओटी) विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ परामर्श से प्राथमिकता प्राप्त पर्यटन परियोजनाओं के लिए योजना दिशा-निर्देशों के अनुसार, पारस्परिक प्राथमिकता और निधियों की उपलब्धता की शर्त पर केन्द्रीय वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

[अनुवाद]

क्रेडिट कार्डों के लिए नए मानदंड

1965. श्री डी. बी. चन्द्रेगौडा: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने देश में क्रेडिट कार्ड की सुरक्षा से संबंधित नए दिशा-निर्देश बनाए हैं/बनाने का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने इस संबंध में विभिन्न बैंकों के विचार जानने के लिए उनके साथ चर्चा की थी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त प्रस्ताव को कब तक अंतिम रूप दे दिए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा): (क) और (ख) जी, हां। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने "इलेक्ट्रॉनिक भुगतान लेन-देन हेतु सुरक्षा तथा जोखिम उपशमन उपाय" पर अपने दिनांक 28.2.2013 के परिपत्र के माध्यम से सभी बैंकों को क्रेडिट तथा डेबिट कार्ड लेन-देन हेतु निम्नलिखित सुरक्षा उपाय करने का निदेश दिया है:

- जारी किए जाने वाले सभी नए डेबिट तथा क्रेडिट कार्ड केवल घरेलू उपयोग के लिए हों जब तक कि ग्राहक द्वारा विदेशी उपयोग की विशेष रूप से मांग न की जाए। अंतर्राष्ट्रीय उपयोग परिचालन में लाए जाने वाले ऐसे कार्डों में अनिवार्य रूप से ईएमवी चिप होंगी तथा वे पिन समर्थित होंगे। (30 जून, 2013 तक)

- जारीकर्ता बैंकों को उन सभी ग्राहकों के लिए जिन्होंने अपने कार्ड का कम से कम एक बार अंतर्राष्ट्रीय रूप से प्रयोग किया है (ई-कॉमर्स/एटीएम/पीओएस हेतु/द्वारा) के सभी विद्यमान मैगस्ट्राइप कार्ड को ईएमवी चिप कार्ड में परिवर्तित करना होगा (30 जून, 2013 तक)।

- बैंकों द्वारा जारी सभी सक्रिय मैगस्ट्राइप अंतर्राष्ट्रीय कार्डों में अंतर्राष्ट्रीय उपयोग हेतु प्रारंभिक सीमा होनी चाहिए। प्रारंभिक सीमा का निर्धारण ग्राहक के जोखिम प्रोफाइल तथा ग्राहक द्वारा स्वीकार किए जाने के आधार पर बैंक द्वारा किया जाना चाहिए (30 जून, 2013 तक)।

- बैंकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कार्ड भुगतानों को रिकार्ड करने हेतु व्यापारियों के यहां लगाए गए टर्मिनल (उपयोग किए जा रहे दोहरे स्वाइप टर्मिनलों सहित) पीसीआई-डीएसएस (भुगतान कार्ड उपयोग-आंकड़ा सुरक्षा मानक) तथा पीए-डीएसएस (भुगतान उपयोग-आंकड़ा सुरक्षा मानक) हेतु प्रमाणित होने चाहिए (30 जून, 2013 तक)।

- धोखाधड़ी को रोकने हेतु बैंकों को प्राधिकृत कार्ड भुगतान नेटवर्कों के साथ समन्वय करते हुए ग्राहकों द्वारा कार्डों के उपयोग के लेन-देन पैटर्न पर आधारित नियम बनाने चाहिए (30 जून, 2013 तक)।

- बैंकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि समस्त अधिग्रहण अवसंरचना जो कि वर्तमान में आईपी (इन्टरनेट प्रोटोकाल) आधारित सोल्यूशन पर परिचालनरत है में पीसीआई-डीएसएस तथा पीए-डीएसएस सर्टिफिकेशन का प्रयोग अनिवार्य होगा। इसमें अधिग्रहणकर्ता, प्रोसेसर/एग्रीग्रेटर्स तथा बड़े व्यापारी शामिल होने चाहिए (30 जून, 2013 तक)।

- बैंकों को शीघ्रातिशीघ्र वास्तविक समय धोखाधड़ी निगरानी प्रणाली की ओर अग्रसर होना चाहिए।

- बैंकों को ग्राहकों को अपने कार्ड ब्लॉक करने तथा कार्ड को ब्लॉक करने के उपरान्त उसकी पुष्टि प्राप्त करने हेतु सरल तरीके (जैसे एसएमएस) उपलब्ध कराने चाहिए।
- बैंकों को एक ऐसी प्रणाली की ओर अग्रसर होना चाहिए जिसमें भारत में जारी तथा अंतर्राष्ट्रीय रूप से उपयोग किए जाने वाले (विदेशों में अवस्थित बैंकों द्वारा अर्जित लेन-देन) कार्डों के अधिप्रमाणन के अतिरिक्त कारक के कार्यान्वयन की सुविधा प्रदान की जा सके।

(ग) और (घ) बैंकों के साथ चर्चा के उपरांत आरबीआई ने दिनांक 28.2.2013 के परिपत्र के माध्यम से "इलेक्ट्रॉनिक भुगतान लेन-देन हेतु सुरक्षा तथा जोखिम उपशमन उपाय पर दिशानिर्देश जारी किए हैं।

बाल अपराधियों का सुधार

1966. प्रो. रंजन प्रसाद यादव: क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बाल सुधार गृह हिंसा, नशाखोरी और शोषण के केन्द्र में बदल गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बलात्कार संबंधी कानूनों में सुधार पर न्यायमूर्ति वर्मा समिति की रिपोर्ट ने किशोर अपराधियों और निराश्रित किशोरों के सुधार पर सुझाव दिए है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इन पर क्या कार्रवाई की गई या किए जाने का विचार है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा तीरथ): (क) और (ख) यह सिद्ध करने वाला कोई साक्ष्य नहीं है कि पर्यवेक्षण गृह और विशेष गृह हिंसा, नशे पर निर्भरता और दुर्व्यवहार के केंद्रों में परिवर्तित हो गए हैं।

(ग) और (घ) जी हां। किशोरों के सुधार के संबंध में दंड निधि में संशोधन पर न्यायमूर्ति वर्मा समिति की सिफारिशों में, अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:

(i) यह सर्वोच्च महत्त्व का विषय है कि आश्रय गृहों और सुधार संस्थाओं की किसी स्वतंत्र निकाय द्वारा सतत रूप से निगरानी की जाती है और राज्य सरकारों द्वारा रिपोर्टों की आवधिक रूप से समीक्षा की जाती है।

(ii) पुलिस की किशोर अपराधों के निवारण में प्रमुख भूमिका है। विशेष किशोर पुलिस यूनिट (एसजेजीयू) में कार्यरत पुलिस अधिकारियों का समुचित रूप से प्रशिक्षण प्रदान किया जाना चाहिए।

(iii) सभी अभिरक्षा गृहों, वार्डन, अधीक्षकों और केयरटेकरों की नियुक्ति उनकी व्यावसायिक क्षमता के आधार पर की जानी चाहिए।

(ङ) किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 (जेजे अधिनियम) और इसके तहत बनाए गए केन्द्रीय मॉडल नियमों में बाल कल्याण समितियों (सीडब्ल्यूसी) और राज्य, जिला और शहर स्तरों पर राज्य सरकार द्वारा गठित निरीक्षण समितियों के माध्यम से इन बाल देखरेखा संस्थाओं द्वारा उपलब्ध कराई जा रही सेवाओं की गुणवत्ता की कड़ी मॉनीटरिंग के लिए तंत्रों का प्रावधान है।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि इन सभी गृहों में बच्चों को सर्वोच्च देखभाल प्राप्त होती है और इन संस्थाओं में देखरेख के न्यूनतम मानक अपनाए जाते हैं, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय जे जे अधिनियम के अंतर्गत सभी बाल देखरेख संस्थाओं (सीसीआई) की पहचान करने और उनका पंजीकरण करने के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से निरंतर अनुरोध करता रहा है। इसके अतिरिक्त जेजे अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार विशेष किशोर पुलिस यूनिटों के सृजन के लिए सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य के प्रशासनों को एडवाइजरियां भी जारी की गई हैं।

जेजे अधिनियम के तहत ढांचों की स्थापना और प्रक्रियाओं को तेजी प्रदान करने के लिए, महिला एवं बाल विकास समेकित बाल संरक्षण स्कीम (आईसीपीएस) कार्यान्वित कर रहा है, जिसके अंतर्गत कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों सहित कठिन परिस्थितियों में जीवन यापन करने वाले बच्चों को सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। आईसीपीएस में यह भी प्रावधान है कि व्यावसायिक सक्षमता सुनिश्चित करने की किशोर न्याय तंत्र में प्रशिक्षित व्यक्तियों और बच्चों की देखरेख और संरक्षण के संबंध में विशेष ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों के इन संस्थाओं के अधीक्षक/परियोजना प्रबंधक, परिवीक्षा अधिकारी और बाल कल्याण/संरक्षण अधिकारी के पदों पर नियुक्ति की जानी चाहिए।

राज्य की सूची के अंतर्गत विषय

1967. श्री एल. राजगोपाल: क्या **पंचायती राज मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बहुत से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने देश में सभी 29 विषयों को पंचायतों को स्थानांतरित नहीं किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ग) राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रें को राज्य सूची के अंतर्गत उक्त विषयों के स्थानांतरण करने हेतु मनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए या उठाए जाने का विचार है?

जनजातीय कार्य मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री वी. किशोर चन्द्र देव): (क) और (ख) संविधान के अनुच्छेद 243 छ के अनुसार, राज्यों द्वारा पंचायतों को ऐसी शक्तियां व प्राधिकार, जैसे भी आवश्यक हो, प्रदान किया जाना है जिससे कि वे स्व-शासन की संस्थाओं के तौर पर कार्य करने एवं ग्यारहवीं अनुसूची में सूचीबद्ध विषयों समेत आर्थिक विकास व सामाजिक न्याय की योजनाएं तैयार कर उन्हें कार्यान्वित करने में समर्थ बना सकें। संवैधानिक ढांचे के अंतर्गत, 'स्थानीय सरकार' राज्य विषय है एवं राज्य विधायिकाएं अपने-अपने संदर्भ में उपयुक्त कानून को पारित करती हैं। विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा पंचायतों को कार्यों, कोषों व कर्मियों (3 क) के अंतरण की वर्तमान स्थिति संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) संविधान के भाग IX में संवैधानिक प्रावधानों एवं इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि 'पंचायतें' राज्य से संबंधित विषय है, पंचायती राज मंत्रालय के पास 3 'क' के अंतरण हेतु राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को प्रोत्साहन देने के लिए एक पंचायत सशक्तिकरण एवं जवाबदेही प्रोत्साहन स्कीम (पीईएआईएस) नाम की एक योजनाा है। मंत्रालय ने परामर्शिकाओं व बैठकों के माध्यम से भी इस मामले को उठाया है।

विवरण

प्रमुख राज्यों में पंचायती राज संस्थानों को कोष, कार्य और कर्मियों के साथ विभागों/विषयों के अंतरण की स्थिति

क्र.सं.	राज्य/संघ क्षेत्र निम्नांकित के संदर्भ में पंचायतों को स्थान्तरित विभागों/विषयों की संख्या और नामक		
	कोष	कार्य	कर्मी
1	2	3	4
1. आंध्र प्रदेश	केवल ग्राम पंचायत कर इकठ्टा करने के लिए अधिकृत हैं। 10 विभागों के निधि के हस्तांतरण के लिए सरकार का आदेश (जीओ) जारी।	1997-2002 के दौरान 22 जीओ जारी किए गए। साथ ही 10 संबंधित विभागों ने कुछ शक्तियां पंचायती राज संस्था को हस्तांतरित की है।	कर्मियों उनके संदर्भ के संबंधित विभागों के प्रशासनिक नियंत्रण में है लेकिन वे कुछ हद तक पंरासं के प्रति उत्तरदायी हैं।
2. अरुणाचल प्रदेश	पंरास कर इकठ्टा नहीं करते हैं। विभागों द्वारा निधि का स्थातांतरण नहीं हुआ है।	29 विषयों को हस्तांतरित किया गया है। 20 विभागों को कवर करने वाला जीओ जारी किया गया लेकिन अभी लागू नहीं हुआ है।	कर्मियों को स्थातांतरित नहीं किया गया है।
3. असम	पंरासं कर एकत्रित करने के लिए सक्षम हें लेकिन लागू नहीं कर सकते। राजस्व का मुख्य स्रोत बाजार, नदी किनारों और पोखर से पट्टा किराया है	23 विषयों के लिए एक्टीविटी-मैपिंग किया गया। लेकिन जीओ केवल 6 विभागों द्वारा 7 विषयों के लिए जारी किया गया है।	कर्मियों का बहुत ही न्यूनतम हस्तांतरण रहा है। अधिकारी, विभागों को रिपोर्ट करना जारी रखते हैं।
4. बिहार	पंरासं द्वारा किसी कर का संग्रह नहीं किया गया है लेकिन उसके समान एक प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन है।	गतिविधि मैपिंग संचालित की गई है। 20 संबंधित विभागों ने जीओ जारी किया है।	विभागीय स्टाफ, विभागों के प्रति जवाबदेह हैं। आंगनवाड़ी कामगार, शिक्षक और स्वास्थ्य कामगारों की नियुक्ति पंरास द्वारा की जाती है।

1	2	3	4
5. छत्तीसगढ़	ग्राम पंचायत, विविध प्रकार के करों के संग्रह के लिए सक्षम है। 12 विभागों की निधि हस्तातरित कर दी गई है।	27 मामलों की गतिविधि मैपिंग शुरु की गई है। जीओ जारी नहीं किया गया।	पंचायत 9 विभागों के लिए नियुक्ति करती है।
6. गोवा	पंचायत 11 प्रकार का कर लगाता है। अबद्ध निधि, पंचायत को सौंप दिया जाता है	18 मामलों को जीपी को हस्तांतरित किया गया है, जबकि 6 जेपी को हस्तांतरित किया गया है।	कार्यों के निष्पादन के लिए पंरासं का अपने प्रमुख स्टाफ हैं
7. गुजरात	पंरासं द्वारा 8 प्रमुख करों का संग्रह किया जाता है। 2008-09 में 13 विभागों ने पंरासं को निधि आवंटित किया।	14 कार्यों को पूरी तरह से हस्तांतरित किया गया है और 5 को आंशिक रूप से।	14 कार्यों के लिए कर्मियों के हस्तांतरण के लिए जीओ जारी किया गया है।
8. हरियाणा	ग्राम पंचायत, पंचायत भूमि, शराब उपकर और पंचायत परिसर के किराये के पट्टे से राजस्व उत्पादित करते है।	पंचायती राज अधिनियम, 29 कार्यों को हस्तांतरित करता है। 10 विभागों के लिए जीओ जारी किया गया है।	कर्मियों का कोई महत्वपूर्ण हस्तातरण नहीं है।
9. हिमाचल प्रदेश	केवल ग्राम पंचायत कर उगाहने के लिए अधिकृत हैं। निधि का स्थातांतरण नहीं किया गया है।	29 में से 27 विषयों को पंरासं को हस्तांतरित किया गया है।	कर्मियों को पंरासं को स्थातारित नहीं किया गया है।
10. जम्मू और कश्मीर	राज्य सरकार ने जीओ अधिसूचित गतिविधि मैंपिंग जारी किया है। निधि को सीमित अर्थों में हस्तांतरित किया गया है। कर्मियों को गतिविधि मैपिंग दस्तावेज में पहचान गया है जो पंचायतों को निर्धारित कार्य के निष्पादन में सहायता करेगा लेकिन स्थान्तरित नहीं किया गया है।		
11. झारखंड	73वें सीएस के प्रभाव में आने के बाद परासं के लिए चुनाव नवम्बर-दिसम्बर 2010 में पहली बार किया। गतिविधि मैंपिग अभी तक नहीं की गई है।		
12. कर्नाटक	पंरास 7 प्रकार का कर संग्रह करते हैं। पंचायती राज अधि नियम, परास को अबद्ध निधि के लिए अनिवार्य स्थानतरण प्रदान करता है।	कर्नाटक ने गतिविधि मैपिंग को अधिसूचित कर सभी 29 विषयों को पंरास को सौंप दिया है।	सभी पंचायत कर्मचारी संबंधित विभागों और पंरास के दोहरे नियंत्रण के अंतर्गत काम करते हैं।

1	2	3	4
13. केरल	ग्राम पंचायत के पास 9 प्रकार के करों का क्षेत्र है। विभागों द्वारा अबद्ध निधि और विशिष्ट उद्देश्यों के लिए निधि को पंरासं को दिया गया।	29 किए गए कार्यो और पंचायतों को हस्तांतरित गतिविधियों के लिए गतिविधि मैपिंग।	पंरास के पास स्थान्तरित कर्मियों के ऊपर संपूर्ण प्रबंधकीय और आंशिकीय अनुशासनात्मक नियंत्रण है।
14. मध्य प्रदेश	ग्राम पंचायत को कर संग्रह करने की शक्ति प्राप्त है। 19 मामलों को कवर करने वाले 13 विभागों के लिए निधि पंरासं को जारी किया गया।	22 विभागों से संबंधित 25 मामलों के संदर्भ में गतिविधि मेंपिंग सहित जीओ जारी किया गया है	13 विभागों के लिए कर्मियों को पंरास को स्थान्तरित किया गया है। यहा एक राज्य पंचायत सेवा है।
15. महाराष्ट्र	जिला परिषद और ग्राम पंचायत कर संग्रह करते हैं। 11 विभागों के लिए अनुदान, पंरास को स्थानान्तरित किया गया।	11 विषयों को पूरी तरह से हस्तांतरित कर दिया गया है। 18 विषयों के लिए पंरासं द्वारा योजनाएं लागू की जा रही हैं।	सभी स्तर के वर्ग 3 और वर्ग 4 के कर्मचारी, जिला परिषद के कर्मचारी हैं।
16. मणिपुर	पांच विभागों ने परासं को निधि स्थार्तरित करने का जीओ जारी किया है।	22 विभागों से संबंधित कार्यों के हस्तांतरण के लिए जीओ जारी किया गया है।	पंचायती राज संस्थाओं को कर्मियों के स्थान्तरण के लिए 5 विभागों ने जीओ जारी किया गया है।
17. ओडिशा	पंरास 6 प्रकार का कर एकत्र करती है। अबद्ध निधि का स्पष्ट हस्तांतरण नहीं हे।	11 विभागों ने 21विषयों को हस्तांतरित किया है।	11 विभागों के अधिकारी पंरास के प्रति उत्तरदायी हैं।
18. पंजाब	ग्राम पंचायतों का मुख्य आय स्रोत पंचायत भूमि की नीलामी से है। निधि का स्पष्अ हसतांतरण नहीं है।	13 विषयों से संबंधित 7 मुख्य विभागों के हस्तांतरण को मंजूरी दी गई।	संबंधित विभागों द्वारा पंरास को काई कर्मी को स्थान्तरित नहीं किया गया है।
19. राजस्थान	5 विभागों ने जिला स्तर तक पंरास को निधि स्थानतरित करने के लिए जीओ जारी किया है। पंरास को 10 प्रतिशत अबद्ध निधि।	पांच विभागों ने जिला स्तर पर सभी कार्यो को पंरास को स्थान्तरित कर दिया है। उपर्युक्त 5 विभागों की फिर से गतिविधि मैपिंग की गई है।	पांच विभागों ने जिला स्तर पर सभी कर्मियों को पंरास को स्थान्तरित कर दिया है।

1	2	3	4
20. सिक्किम	पंरास कर नहीं संग्रह करती हैं। 17 विभागों द्वारा निधि स्थान्तरित किया जा रहा है। प्रत्येक विभाग के कुल निधि का 10 प्रतिशत पंचायतों को दिया गया। अबद्ध निधि पंरास को दिया गया।	29 सभी विषयों को कानून वु अनुसार हस्तांतरित किया गया। 16 विभागों को कवर करने वाले 20 विषयों के लिए गतिविधि मैपिंग का संचालन किया गया है।	कर्मचारी पंरास के नियंत्रण के अंतर्गत हैं, लेकिन पंचायत उन पर सीमित नियंत्रण करते हैं।
21. तमिलनाडु	केवल ग्रामीण पंचायत को कर उगाहने की शक्ति प्राप्त है। 9 प्रतिशत राज्य, स्थानीय निकायों को हस्तांतरित कर राजस्व रखते हैं जिसका 58 प्रतिशत भाग ग्रामीण स्थानीय निकाय प्राप्त करेंगे।	तमिलनाडु सरकार ने पंरासं को 29 विषयों की शक्ति का पर्यवेक्षण और निगरानी सौंपा है।	कर्मियों का कोई महत्वपूर्ण हस्तांतरण नहीं है।
22. त्रिपुरा	पीडब्ल्यूडी विभाग प्राथामिक स्कूल और सामाजिक कल्याण और सामाजिक शिक्षा विभाग एवं पेंशन निधि से संबंधित निधि का हिस्सा पंचायतों को स्थान्तरित किया गया है। अबद्ध निधि भी पंरास स्थान्तरित किया गया।	अभी तक सिचाई योजना, प्राथमिक स्कूल और प्रौढ़ एवं गैर-औपचारिक शिक्षा से जुड़ी गतिविधियां, महिला और बाल विकास और सामाजिक कल्याण के हस्तान्तरण के लिए जीओ जारी किया गया है।	5 विषयों के कर्मियों जिनके लिए कार्यों को हस्तांतरित किया गया है, उन्हें पंचायतों को स्थान्तरित किया गया।
23. उत्तर प्रदेश	सभी 3 स्तरों को कर संग्रह की शक्ति प्राप्त हे।	12 विभागों से संबंधित 16 विषयों को पंचायती राज संस्था को हस्तान्तरित किया गया है।	पंरास का कर्मियों नियंत्रण नहीं है।
24. उत्तराखंड	केवल जिला परिषद् कर संग्रह करते है। केवल 3 कार्यों के लिए पंचायती राज संस्था को निधि उपलब्ध कराया गया।	14 विषयों पर वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियों के स्थान्तरण पर 2003 में मास्टर जीओ जारी किया गया है।	14 विषयों से संबंधित कर्मियों के ऊपर पर्यवेक्षी भूमिका।
25. पश्चिम बंगाल	जिला परिषद् कर लगा और वसूल सकती हैं। ओएफसी और साथ ही एसएफसी अनुदान के अंतर्गत अबद्ध निधि को आवंटित किया जाता है। पांच विभागों ने इन वजट पर पंचायत विंडो खोला है।	राज्य सरकार इन 28 विषयों के स्थातान्तरण से सहमत है। अभी तक 14 विभागों में 27 विषयों के स्थानांतरण के लिए मिलता जुलता जीओ जारी किया है।	पंचायत कर्मचारियों को विभिन्न जिला कैडर में बनाया गया है। पंचायत निकाय में सृजित पद के अतिरिक्त, राज्य सरकार के 7 विभागों ने कर्मियों को हस्तान्तरित किया है।

नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में निवेश

1968. श्री अशोक तंवर:
श्री सुरेश अंगड़ी:

क्या **नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) सहित कुछ देशों से निवेश का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में किए गए निवेश का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) लक्ष्य प्राप्ति के लिए इस क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री (डॉ. फारुख अब्दुल्ला): (क) और (ख) नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा देश में अक्षय ऊर्जा विद्युत परियोजनाओं की संस्थापना करने के लिए निवेश प्राप्त करने के उद्देश्य से जून, 2012 में लंदन, यूनाइटेड किंगडम में एक निवेश प्रोन्नयन बैठक आयोजित की गई। इसके अलावा, सरकार द्वारा निवेश को बढ़ावा देने के लिए अक्षय ऊर्जा विकासकर्ताओं को राजकोषीय एवं आर्थिक प्रोत्साहन दिए जाते हैं। अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के निवेशकों के लिए 'ऑटोमेटिक रूट' के माध्यम से 100% एफडीआई उपलब्ध है।

(ग) पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष (31.12.2012 की स्थिति के अनुसार) के दौरान अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में 8569 करोड़ रु. (1756 मिलियन अमेरिकी डॉलर) का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त हुआ है। पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष अर्थात् 2009-10, 2010-11, 2011-12 और 2012-13 (31.12.2012 की स्थिति के अनुसार) के दौरान प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) और विद्युत उत्पादन की बढ़ाई गई क्षमता के राज्य-वार ब्यौरे संलग्न विवरण-I और विवरण-II में दिए गए हैं।

(घ) सरकार द्वारा अक्षय ऊर्जा क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। इन कदमों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- निजी क्षेत्र की कम्पनियों द्वारा सरकार के साथ भागीदारी की जा रही है और अनुसंधान और विकास और प्रौद्योगिकी विकास में सह-निवेश किया जा रहा है।
- राजकोषीय एवं वित्तीय प्रोत्साहन, जैसे पूंजी/ब्याज सब्सिडी, त्वरित मूल्यह्रास, शून्य/रियायती उत्पाद और सीमा शुल्क;
- राष्ट्रीय विद्युत नीति 2005 तथा राष्ट्रीय शुल्क-दर नीति 2006 के तहत किए गए प्रावधानों के अनुसरण में अधिकांश संभाव्यता वाले राज्यों में ग्रिड-इंटरएक्टिव अक्षय विद्युत के लिए अधिमान्य शुल्क-दर, इस प्रकार की अधिमान्य शुल्क-दरों का निर्धारण करने के लिए सीईआरसी द्वारा प्रत्येक वर्ष समान दिशा-निर्देश जारी किए जा रहे हैं;
- सौर ऊर्जा क्षेत्र में बड़े पैमाने पर पूंजी निवेश को सुगम बनाने के लिए जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन की शुरूआत की गई, मिशन के अंतर्गत ग्रिड-सम्बद्ध सौर विद्युत परियोजनाओं के लिए भुगतान सुरक्षा कार्यतंत्र।

सरकार के पास विदेशी प्रौद्योगिकियों, जिनमें अक्षय ऊर्जा की प्रौद्योगिकियां भी शामिल हैं, के अंतरण को बढ़ावा देने की नीति भी विद्यमान है। अक्षय ऊर्जा उत्पादन और वितरण परियोजनाओं में ऑटोमेटिक रूट के अंतर्गत विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों के अध्यधीन 100% तक के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दी जाती है।

विवरण I

पिछले 3 वर्षों और चालू वर्ष के दौरान अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में किए गए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (31.12.2012 की स्थिति के अनुसार)

(राशि करोड़ रुपए और मिलियन अमेरिकी डॉलर में)

क्र. सं.	शामिल किए गए राज्य	2009-10 अप्रैल-मार्च		2010-11 अप्रैल-मार्च		2011-12 अप्रैल-मार्च		2012-13 अप्रैल-मार्च		कुल	
		रुपये	यूएस डॉलर	रुपये	यूएस डॉलर	रुपये	यूएस डॉलर	रुपये	यूएस डॉलर	रुपये	यूएस डॉलर
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	आंध्र प्रदेश	0.00	0.00	138.51	30.07	630.37	132.04	48.38	8.90	817.26	171.01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.	गुजरात	172.81	37.60	567.31	124.98	0.00	0.00	0.45	0.08	740.57	162.66
3.	कर्नाटक	138.87	29.55	123.15	26.77	45.34	9.03	275.28	52.96	582.64	118.31
4.	महाराष्ट्र दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव	328.17	71.87	98.10	21.49	701.08	142.95	654.01	120.14	1,781.35	356.45
5.	राजस्थान	0.00	0.00	0.01	0.00	0.51	0.10	0.00	0.00	0.52	0.10
6.	तमिलनाडु, पुदुचेरी	14.09	3.03	20.47	4.48	104.43	20.57	1,106.32	202.87	1,245.31	230.95
7.	उत्तर प्रदेश उत्तराखंड	1.03	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.03	0.21
8.	पश्चिम बंगाल सिक्किम अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.00	0.00	0.63	0.14	0.00	0.00	22.50	4.13	23.13	4.27
9.	चंडीगढ़ पंजाब, हरियाणा हिमाचल प्रदेश	0.00	0.00	2.45	0.54	2.95	0.57	0.00	0.00	5.40	1.12
10.	दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के हिस्से	2,217.34	480.25	26.48	5.79	707.53	145.83	308.42	58.75	3,259.77	690.62
11.	गोवा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.85	0.15	0.85	0.15
12.	क्षेत्र का उल्लेख नहीं किया गया है	0.10	0.02	0.61	0.13	5.30	1.08	104.86	19.08	110.86	20.31
	कुल जोड़	2,872.41	622.52	977.71	214.40	2,197.50	452.17	2,521.08	467.07	8,568.69	1,756.17

विवरण I

उपर्युक्त राज्य-वार प्राप्तियां आरबीआई, मुंबई द्वारा प्रस्तुत की गई आरबीआई की क्षेत्र-वार प्राप्ति के अनुसार वर्गीकृत की गई है।

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	लघु पनबिजली (मेगावाट)	पवन विद्युत (मेगावाट)	बायो विद्युत (मेगावाट)	सौर विद्युत (मेगावाट)	कुल (मेगावाट)
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	37.00	312.95	35.00	23.15	408.10

1	2	3	4	5	6	7
2.	अरुणाचल प्रदेश	36.16	0.00	0.00	0.00	36.16
3.	असम	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00
4.	बिहार	16.10	0.00	43.42	0.00	59.52
5.	छत्तीसगढ़	10.20	0.00	93.50	4.00	107.70
6.	गोवा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	गुजरात	8.60	1526.38	30.00	824.09	2389.07
8.	हरियाणा	7.40	0.00	39.30	7.80	54.50
9.	हिमाचल प्रदेश	275.74	0.00	0.00	0.00	275.74
10.	जम्मू और कश्मीर	18.70	0.00	0.00	0.00	18.70
11.	झारखंड	0.00	0.00	0.00	16.00	16.00
12.	कर्नाटक	405.70	785.95	188.50	14.00	1394.15
13.	केरल	24.55	8.10	0.00	0.00	32.65
14.	मध्य प्रदेश	15.00	173.20	17.40	7.75	213.35
15.	महाराष्ट्र	74.20	1037.00	562.85	25.00	1699.05
16.	मणिपुर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17.	मेघालय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18.	मिजोरम	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00
19.	नागालैंड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20.	ओडिशा	20.00	0.00	20.00	13.00	53.00
21.	पंजाब	30.60	0.00	96.50	9.00	136.10
22.	रातस्थान	0.00	1616.80	62.00	251.25	1930.05
23.	सिक्किम	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
24.	तमिलनाडु	33.00	2856.20	207.40	17.05	3113.65
25.	त्रिपुरा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26.	उत्तर प्रदेश	0.00	0.00	361.90	12.00	373.90
27.	उत्तराखंड	42.40	0.00	10.00	5.00	57.40
28.	पश्चिम बंगाल	0.00	0.00	26.50	2.12	28.62
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7
30.	चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31.	दादरा और नगर हवेली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32.	दमन और दीव	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33.	दिल्ली	0.00	0.00	16.00	2.52	18.52
34.	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35.	पुदुचेरी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल	1076.34	8316.58	1810.27	1233.73	12436.92

विदेशी ऋण

1969. श्री जय प्रकाश अग्रवाल: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में आज की तारीख तक बकाया विदेशी ऋण का ब्यौरा क्या है;

(ख) विश्व के ऋण ग्रस्त देशों में भारत का स्थान क्या है;

(ग) आज की तारीख तक प्रति व्यक्ति विदेशी ऋण कितना है;

(घ) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान मूल राशि और ब्याज के रूप में उधार देने वाले देशों को कुल भुगतान की गई राशि का देश-वार और संस्थान-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) देश के ऋण बोझ को कम करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा): (क) सितंबर, 2012 के अंत में भारत का कुल विदेशी ऋण 365,315 मिलियन अमरीकी डॉलर था।

(ख) विश्व बैंक के "अंतर्राष्ट्रीय ऋण के आंकड़े 2013", जिसमें वर्ष, 2011 के लिए ऋण की संख्याएं दी गई हैं और जिसके लिए दो वर्ष का समय है, समस्त विदेशी ऋण स्टॉक के संदर्भ में शीर्ष 20 ऋणग्रस्त विकासशील देशों में भारत का चौथा स्थान है।

(ग) अनुमान के अनुसार वर्ष 2011-12 में प्रति व्यक्ति विदेशी ऋण 14,687 रुपये था।

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान विदेशी सहायता के तहत सरकारी खाते पर संस्थावार और देशवार मूलधन तथा ब्याज के भुगतान का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

सारणी: सरकारी खाते पर विदेशी ऋण शोधन हेतु भुगतान (मिलियन अमरीकी डॉलर)

		2009-10			2010-11 आं.सं.			2011-12 त्व.अ.		
		मूलधन	ब्याज	जोड़	मूलधन	ब्याज	जोड़	मूलधन	ब्याज	जोड़
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	सरकारी खाते पर विदेशी ऋण (क+ख)	2471	802	3273	2634	706	3340	2667	687	3354
क	बहुपक्षीय (1से6)	1386	432	1818	1528	317	1845	1545	314	1859

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	एडीबी	135	100	235	182	53	235	213	46	259
2.	ईईसी	2	0	2	1	0	1	1	0	1
3.	आईबीआरडी	388	126	514	474	70	544	469	69	5384
4.	आईडीए	849	203	1052	858	191	1049	849	196	1045
5.	आईडीए	11	3	14	11	3	14	11	3	14
6.	ओपीईसी	1	0	1	2	0	2	2	0	2
ख	द्विपक्षीय (7 से 12)	1085	370	1455	1106	389	1495	1122	373	1495
7.	जर्मनी	106	24	130	93	28	121	114	30	144
8.	फ्रांस	56	11	67	47	9	56	44	8	52
9.	जापान	699	262	961	733	280	1013	737	271	1008
10.	रूसी परिसंघ	162	60	222	184	61	245	193	55	248
11.	स्विटजरलैंड	1	0	1	1	0	1	1	0	1
12.	यूएसए	61	13	74	48	11	59	33	9	42

पीआर: आंशिक रूप से संशोधित त्व. अ.: तवरित अनुमान, एडीबी: एशियाई विकास बैंक, ईईसी5 यूरोपीय आर्थिक समुदाय, आईबीआरडी: अंतरराष्ट्रीय पुनर्गठन और विकास बैंक, आईडीए: अंतरराष्ट्रीय विकास संघ, आईएफएडी: अंतरराष्ट्रीय कृषि विकास निधि, ओपीईसी: पेट्रोल निर्यातक देशों का संगठन

(ङ) भारत द्वारा अपनाई गई विदेशी ऋण प्रबंधन नीति में दीर्घकालिक और अल्पकालिक ऋण की निगरानी, कभी-कभार दीर्घकालिक परिपक्वता वाले गारंटीकृत ऋण जुटाने, अंतिम उपयोग के माध्यम से विदेशी वाणिज्यिक उधारों को विनियमित करने तथा अनिवासी भारतीय जमा पर लागत प्रतिबंध लगाने और ब्याज दरों को यौक्तिक बनाने पर जोर दिया गया है। इसके फलस्वरूप विदेशी ऋण प्रबंधन योग्य स्तर पर बना रहा जैसा कि 2011-12 में 19. 7 प्रतिशत ऋण सकल घरेलू उत्पाद अनुपात और 6.0 प्रतिशत ऋण शोधन अनुपात द्वारा दर्शाया गया है।

[अनुवाद]

तेल की कीमतें

1970. श्री रवनीत सिंह:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विश्व में कच्चे तेल की बढ़ती हुई कीमतों को देखते हुए देश में तेल की कीमतों को स्थिर रखने के लिए कोई कार्य योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने वैकल्पिक गैस स्रोतों को तेल के विकल्प के रूप में उपयोग करने के लिए कोई नीति बनाई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) अंतर्राष्ट्रीय तेल मूल्यों में होने वाली वृद्धि तथा घरेलू स्फीतिकारी दशाओं के प्रभाव से आम आदमी को बचाने के लिए सरकार द्वारा लगातार खुदरा उपभोक्ताओं को बेचे जाने वाले डीजल, पीडीएस मिट्टी तेल और राजसहायता प्राप्त घरेलू एलपीजी के खुदरा बिक्री मूल्यों को आवश्यकतानुसार बढ़ाया घटाया जाता है जिसके परिणामस्वरूप सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कम्पनियों (ओएमसीज) को इन उत्पादों की बिक्री पर अल्प-वसूलियां हो रही हैं। दिनांक 1.3.2013 से प्रभावी रिफाइनरी द्वारा मूल्य (आरजीपी) आधार पर ओएमसीज को डीजल की खुदरा बिक्री पर 11.26 रुपए प्रति लीटर, पीडीएस मिट्टी तेल पर 33.43 रुपए प्रति लीटर तथा 14.2 किग्रा. के राजसहायता प्राप्त घरेलू एलपीजी सिलेंडर पर 439.00 रुपए की अल्प-वसूली हो रही है।

इसके अलावा, घरेलू उपभोक्ताओं पर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में उच्च तेल मूल्यों के प्रभाव को कम करने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं जिनमें करों और शुल्कों का युक्तीकरण शामिल है। हाल ही में उठाए गए कदमों में निम्नलिखित शामिल हैं:

(i) जब मूल्य अधिक हो तो उपभोक्ताओं को बचाने के लिए यथामूल्य दर से उत्पाद शुल्क की विनिर्दिष्ट दर पर परिवर्तित करना,

(ii) मोटर स्प्रिट (पेट्रोल) पर शुल्क की विनिर्दिष्ट दर को 14. 35 रु. से घटाकर 9.20 रु. प्रति लीटर करना।

(iii) कच्चे तेल के आयात पर सीमा शुल्क की पूरी छूट देना।

(iv) पेट्रोल और डीजल के आयात पर 2.5 प्रतिशत की दर से सीमा शुल्क की रियायती दर,

(v) घरेलू एलपीजी और पीडीएस मिट्टी तेल की बिक्री पर सीमा और उत्पाद शुल्क से पूरी छूट देना, तथा

(vi) पीडीएस मिट्टी तेल और राजसहायता घरेलू एलपीजी का मूल्य 25.6.2011 बढ़ाया नहींजाना।

(ग) और (घ) तेल और गैस के वैकल्पिक स्रोत की महत्ता और संभाव्यता पर विचार करते हुए, देश में संभाव्य क्षेत्रों की पहचान करने और शेल गैस रिर्सोसिज का आकलन करने के साथ शेल गैस पर नीति बनाने के लिए सरकार ने शुरूआती कदम उठाए हैं। इसके अलावा, शेल गैस के संसाधन अनुमान का कार्य यूनाइटेड स्टेट्स जियोलोजिकल सर्वेज (यूएसजीएस), ऑयल एंड नेचुरल गैस कारपोरेशन (ओएनजीसी) तथा सेन्ट्रल माइनिंग एंड पलैनिंग डिजाइन इंस्टीट्यूट (सीएमपीडीआई) द्वारा किया गया।

टेढ़े-मेढ़े पांव की विकृति वाले बच्चे

1971. **श्री रेवती रमण सिंह:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या टेढ़े-मेढ़े पांव से युक्त पैदा हुए बच्चे देश में बच्चों के बीच नि:शक्तता के एक महत्वपूर्ण कारक हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा देश में प्रतिवर्ष टेढ़े-मेढ़े पांव की विकृति वाले पैदा हुए बच्चों की अनुमानित संख्या का राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में टेढ़े-मेढ़े पांव की विकृति से पैदा हुए बच्चों के उपचार के लिए क्या पद्धति अपनाई जा रही है;

(घ) क्या सरकार का विचार बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान समय पर और वहनीय उपचार के लिए राष्ट्रीय टेढ़े-मेढ़े पांव विकृति निवारण कार्यक्रम शुरू करने का है तथा इसने इस प्रयोजन के लिए कतिपय संगठनों से सहभागिता की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अबू हशीम खां चौधरी): (क) और (ख) टेढ़-मेढ़े पांव होना (फुट क्लब) एक प्रकार की जन्मजात विकृति है तथा विश्व में सबसे आम जन्मजात शारीरिक विकलांगताओं में से एक है जो विकासशील देशों में उच्च दरों के प्रमाण के साथ प्रत्येक 1000 जन्म (विश्व भर में) में से 1-3 में होते हुए देखा जाता है। राज्यवार विशिष्ट आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) से (ङ) हाल ही में, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की तहत एक नया राष्ट्रीय कार्यक्रम ''राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम'' आरंभ किया गया है। इस पहल के ब्यौरे इस प्रकार हैं:

1. आरबीएसके का उद्देश्य विकलांगता सहित जन्म के समय दोष, रोग, कमियों, विकास में विलंब का शीघ्र पता लगाकर शून्य से 18 वर्ष तक के आयु समूह में बच्चों के जीवन की उत्तरजीविता, विकास तथा गुणवत्ता में सुधार करना तथा अपेक्षित होने पर उचित प्रबंधन और उपचार (चिकित्सा या शल्य चिकित्सा) के लिए आगामी कार्रवाई करना है।
2. आरबीएसके में शीघ्र पहचान के लिए बच्चों में व्याप्त 30 सामान्य स्वास्थ्य स्थितियों, नि:शुल्क हस्तक्षेप तथा उपचार शामिल करने की संकल्पना की गई है तथा क्लब फुट इनमें से एक है।
3. बाल स्वास्थ्य जांच सेवा मौजूदा विद्यालय स्वास्थ्य सेवाओं पर आधारित है तथा प्रत्येक प्रखंड में नियुक्त समर्पित

चल स्वास्थ्य दलों के जरिए प्रदान की जाएगी। प्रखंड स्तरीय समर्पित चल चिकित्सा स्वास्थ्य दलों में प्रशिक्षित चिकित्सक और पराचिकित्सक शामिल होंगे।

4. स्वास्थ्य सुविधा केन्द्रों में प्रसव स्थान पर तथा एचबीएनसी योजना के तहत आशा द्वारा घर-घर जाकर नवजात शिशुओं के जन्मजात विकृतियों की जांच की जाएगी।

5. ये दल सरकारी विद्यालयों तथा सरकार द्वारा सहायता प्राप्त विद्यालयों में नामांकित कक्षा 1 से कक्षा 12 तक के सभी बच्चों की जांच के अलावा आंगनवाड़ी केन्द्रों में 6 सप्ताह से 6 वर्ष तक की आयु समूह के बच्चों की जांच करेंगे।

6. शून्य से 18 वर्ष के आयु समूह में लगभग 27 करोड़ बच्चों को चरणबद्ध रूप से शामिल किए जाने की आशा है।

7. प्रखण्डों से भेजे गए मामलों के प्रबंधन के लिए जिला स्तर पर जिला प्रारंभिक हस्तक्षेप केन्द्रों को तथा आगे आवश्यकता होने पर क्षेत्र स्तरीय सेवाओं को भेजने का प्रावधान है।

8. महिला और बाल विकास मंत्रालय, सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण तथा शिक्षा विभाग द्वारा प्रदत्त मौजूदा सेवाओं का भी इष्टतम रूप से उपयोग किया जाएगा।

[अनुवाद]

सरकारी और निजी क्षेत्र में सौर ऊर्जा उत्पादन

1972. श्री चार्ल्स डिएसः क्या **नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान सरकारी और संगठित निजी क्षेत्र में अब तक उत्पादित सौर ऊर्जा की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार मात्र कितनी है;

(ख) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान निजी घरानों और संबंधित निजी व्यापार प्रतिष्ठानों द्वारा उत्पादित सौर ऊर्जा की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार मात्र कितनी है; और

(ग) वर्तमान में घरेलू प्रयोजन के लिए निजी व्यक्तियों को सौर ऊर्जा उत्पादन हेतु सरकार द्वारा दी जा रही सब्सिडी की मात्र कितनी है?

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री (डॉ. फारुख अब्दुल्ला): (क) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान जेएनएनएसएम के अंतर्गत ग्रिड-संबद्ध सौर संयंत्रों द्वारा अब तक उत्पादित सौर विद्युत की मात्रा संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ख) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान निजी घरों तथा निजी व्यापार प्रतिष्ठानों में संस्थापित एसपीवी पावर वैक्स/संयंत्रों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौररा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ग) एमएनआरई द्वारा 1 केडब्ल्यूपी से 100 केडब्ल्यूपी तक की क्षमता श्रेणी की परियोजनाओं के लिए जेएनएनएसएम के अंतर्गत ऑफ-ग्रिड विकेन्द्रित सौर अनुप्रयोग योजना के तहत 30% की सब्सिडी दी जाती है जो 72 रु./डब्ल्यूपी तक सीमित है।

विवरण I

पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान जेएनएनएसएम के अंतर्गत सौर परियोजनाओं द्वारा राजय-वार सौर विद्युत उत्पादन

क्र.सं.	राज्य	2009-10 (एमयू में)	2010-11 (एमयू में)	2011-12 (एमयू में)	2012-13 (एमयू में)
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	0	0	9.205	26.032
2.	छत्तीसगढ़	0	0	2.495	3.013
4.	झारखंड	0	0	0.57	11.432
5.	मध्य प्रदेश	0	0	0	3.07
6.	महाराष्ट्र	0	1.233	10.924	16.198
7.	ओडिशा	0	0	3.163	11.342

1	2	3	4	5	6
8.	पंजाब	0.429	1.99	2.742	7.515
9.	राजस्थान	0	5.12	50.853	175.326
10.	तमिलनाडु	0	2.068	11.262	16.52
11.	उत्तर प्रदेश	0	0	0.609	6.979
12.	उत्तराखंड	0	0	0.651	4.743
13.	कर्नाटक	0	0	0	3.6
14.	पश्चिम बंगाल	0.683	1.09	0.755	0.385

विवरण II

दिनांक 28.02.2013 की स्थिति के अनुसार पिछले 3 वर्षों तथा चालू वर्ष (2012-13) के दौरान निजी घरों और निजी व्यापार प्रतिष्ठानों में संस्थापित एसपीवी पावर पैक्स/संयंत्र

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	संस्थापित क्षमता (किवापी. में)				
		2009-10	23010-11	2011-12	2012-13	कुल किवापी. में
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश					21.4
2.	अरुणाच प्रदेश					0
3..	असम					0
4.	बिहार					0
5.	छत्तीसगढ़	140	278	2659	500	3477
6.	दिल्ली			7		7
7.	गोवा					0
8.	गुजरात					0
9.	हरियाणा	400	21			446
10.	हिमाचल प्रदेश					0
11.	जम्मू और कश्मीर					0
12.	झारखंड					0
13.	कर्नाटक	26				456
14.	केरल					0
15.	लक्षद्वीप					0

1	2	3	4	5	6	7
16.	मध्य प्रदेश	40			44	84
17.	महाराष्ट्र					0
18.	मणिपुर					0
19.	मेघालय					0
20.	मिजोरम					0
21.	नागालैंड					0
22.	पुदुचेरी					0
23.	राजस्थान				263	263
24.	सिक्किम					0
25	तमिलनाडु			97	583	680
26.	त्रिपुरा					0
27.	उत्तराखंड					0
28.	उत्तर प्रदेश	100	159	120		379
29.	पश्चिम बंगाल					0
30.	अन्य (सीईएल, आरईआईएल और अन्य चैनल भागीदार)			1055	92	1147
	कुल	706	565	4731	592	6594

ईरान से तेल आयात

1973. श्री नामा नागेश्वर राव:
श्री अमरनाथ प्रधान:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र द्वारा लगाए गए प्रतिबंध के कारण ईरान से तेल आयात प्रभावित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) ईरान से तेल आयात का भुगतान नहीं कर पाया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार ईरान से आयातित कच्चे तेल की ढुलाई के लिए वैकल्पिक भुगतान तंत्र स्थापित करने में सफल हुई है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) जी, नहीं। संयुक्त राष्ट्र द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के कारण ईरान से कच्चे तेल का आयात प्रभावित नहीं हुआ है।

(ग) और (घ) बीपीसीएल द्वारा वर्ष 2011-12 में ईरान से कच्चे तेल के आयात के लिए भुगतान में विलंब भुगतान चैनल की अनुपलब्धता के कारण हुआ था। बाद में भुगतान को भारतीय रुपए (एनआर) में निबटाया गया था।

(ङ) और (च) जी, हां। भारतीय रुपए में आंशिक भुगतान के लिए एक व्यवस्था बनाई गई है।

[हिंदी]

ऋण के लिए लंबित आवेदन

1974. **श्री सुरेन्द्र सिंह नागर:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान आज की तारीख तक उत्तर प्रदेश सहित ऋण की स्वीकृति के लिए सरकारी क्षेत्र के बैंकों को प्राप्त/लंबित आवेदनों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) कितने किसानों को ऋण मिल रहा है तथा उत्तर प्रदेश सहित उक्त अवधि के दौरान किसानों से लिए गए ब्याज का बैंक-वार, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) लंबित आवेदनों को कब तक निपटाए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा): (क) से (ग) बैंकों में ऋण का प्रवाह एक सतत प्रक्रिया है। सरकारी क्षेत्र के प्रत्येक बैंक (पीएसबी) के पास ऋणों की मंजूरी के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति होती है और साथ ही ऋण आवेदनों के प्रोसेसिंग के संबंध में आंतरिक नीति दिशा-निर्देश भी होते हैं। अलग-अलग बैंकों की ब्याज दरें अलग-अलग होती हैं जो उस बैंक की ब्याज मूल आधार दर पर निर्भर करती हैं। इन दिशा-निर्देशों के अनुसार ही ऋण आवेदनों की प्रोसेसिंग की जाती है और इन्हें निपटाया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दी गई सूचना के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य सहित पिछले तीन वर्ष के लिए सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा संवितरित कृषि ऋणों का बैंक-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्रमशः विवरण-I और विवरण-II में दिया गया है।

विवरण I

सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा कृषि को संवितरण

क्र.सं.	बैंक का नाम	2009-10	2010-11	2011-12
1	2	3	4	5
1	भारतीय स्टेट बैंक	34178.84	41208.00	53214.36
2	स्टेट बैंक बीकानेर एंड जयपुर	5240.80	4636.20	6824.51
3	स्टेट बैंक आफ हैदराबाद	3429.43	5264.40	4609.00
4	स्टेट बैंक ऑफ इंदौर	2354.73	0.00	0.00
5	स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	3497.00	2675.20	1924.74
6	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	5129.90	5857.69	7495.11
7	स्टेट बैंक त्रावणकोर	3082.44	5716.20	96.39
8	इलाहाबाद बैंक	3615.38	4989.45	5977.52
9	आंध्रा बैंक	5515.49	6622.96	8767.15
10	बैंक ऑफ बड़ौदा	7832.69	9178.50	11635.49
11	बैंक ऑफ इंडिया	6392.40	16629.00	10408.93

1	2	3	4	5
12	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	3747.62	2874.28	3575.53
13	केनरा बैंक	18125.27	22374.39	27326.81
14	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	7541.79	7870.53	7093.36
15	कारपोरेशन बैंक	4616.68	6056.02	0.00
16	देना बैंक	1511.95	2034.68	2768.41
17	आईडीबीआई बैंक	8802.79	9737.76	4454.15
18	इंडियन बैंक	6580.11	8227.54	12738.26
19	इंडियन ओवरसीज बैंक	13326.89	18547.43	22271.72
20	ओरियंअल बैंक ऑफ कामर्स	4937.07	6947.06	9174.00
21	पंजाब नेशनल बैंक	21806.78	27733.19	35509.19
22	पंजाब एंड सिंध बैंक	8355.35	5212.93	4783.30
23	सिंडिकेट बैंक	8013.73	10044.09	10751.19
24	युनियन बैंक ऑफ इंडिया	6490.82	8033.78	10253.83
25	यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	3090.89	3300.00	3406.92
26	यूको बैंक	6019.27	5666.67	3919.24
27	विजया बैंक	4111.22	3960.38	5144.92
	कुल	207347.33	251398.33	274124.03

विवरण II

पिछले तीन वर्षों के लिए एसएसीपी के तहत सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा किए गए राज्य-वार संवितरण

दक्षिण क्षेत्र	2009-10	2010-11	2011-12
1	2	3	4
दक्षिण क्षेत्र	80641.95	106223.65	119599.66
कर्नाटक	13802.16	17728.93	16224.11
आंध्र प्रदेश	27550.44	35114.32	40016.98

1	2	3	4
तमिलनाडु	27497.64	35459.91	44985.50
केरल	11413.55	17530.58	17924.79
पुदुचेरी	377.22	388.45	443.80
लक्षद्वीप	0.94	1.46	4.48
उत्तरी क्षेत्र	58203.90	59989.74	66918.56
राजस्थान	9625.71	12179.27	16756.52
पंजाब	15565.42	18453.68	23971.03
हिमाचल प्रदेश	1225.45	1097.76	1377.41
हरियाणा	11835.65	14668.51	14553.60
जम्मू और कश्मीर	170.76	262.62	367.71
दिल्ली	11350.96	6660.13	4518.77
चंडीगढ़	8429.95	6667.77	5373.52
मध्य प्रदेश	29517.68	34334.13	40180.40
उत्तर प्रदेश	15792.30	19051.43	23855.79
उत्तराखंड	1363.62	1768.07	2570.02
मध्य प्रदेश	8615.03	10148.51	10217.49
छत्तीसगढ़	3746.73	3366.12	3537.10
पश्चिमी क्षेत्र	22001.73	28419.77	27152.61
महाराष्ट्र	14030.58	17815.67	16662.15
गुजरात	7771.87	10363.49	10154.08
गोवा	194.50	227.43	292.91
दादरा और नगर हवेली	1.68	8.25	2.10
दमन और दीव	3.10	4.93	41.37
पूर्वी क्षेत्र	15541.04	20706.55	18014.03

1	2	3	4
बिहार	3195.27	5418.63	4944.36
झारखंड	983.30	1753.78	875.18
ओडिशा	3997.66	4653.13	4185.28
पश्चिम बंगाल	7351.43	8853.61	7631.70
सिक्किम	8.55	13.21	17.87
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	4.83	14.19	359.64
उत्तर पूर्वी क्षेत्र	1298.94	1724.49	2188.60
असम	934.53	1209.98	1297.50
नागालैंड	36.51	53.13	196.18
मणिपुर	36.32	60.28	35.25
त्रिपुरा	185.70	187.95	161.56
मिजोरम	24.59	58.48	140.55
मेघालय	45.85	82.09	238.85
अरुणाचल प्रदेश	35.44	72.58	118.71
विशिष्टीकृत नहीं किए गए राज्य	142.09	0	
आरआईडीएफ	0.00	0	
बांड्स	0.00	0	
कुल	207347.33	251398.33	274053.86

एलपीजी का उत्पादन

1975. प्रो॰ रामशंकर: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में तेल विपणन कंपनियों द्वारा प्रदान किए जा रहे तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) का कंपनी-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) एलपीजी के उत्पादन के संबंध में प्रत्येक कंपनी द्वारा क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए तथा पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान प्राप्त उपलब्धि का कंपनी-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या तेल और प्राकृतिक गैस निगम का विचार 2012-13 में अपनी कुछ इकाइयों में एलपीजी के उत्पादन में वृद्धि करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान और अप्रैल-दिसंबर, 2012 की अवधि में तेल विपणन कम्पनियों (ओएमसीज) के एलपीजी उत्पादन का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

ओएमसीज ने बताया है कि उन्होंने एलपीजी उत्पादन के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया है। एलपीजी का उत्पादन मांग के अनुसार नियोजित है।

(ग) और (घ) ऑयल एंड नेचुरल गैस कारपोरेशन लिमिटेड (ओएनजीसी) ने सूचना दी है कि वे अपनी हजीरा यूनिट में एलपीजी का उत्पादन 2011-12 के दौरान 567 केटी की तुलना में वर्ष 2012-13 के दौरान 608 केटी तक बढ़ाने की योजना बना रहे हैं।

विवरण

पिछले तीन और अप्रैल-दिसमबर, 2012 तक की अविध के दौरान तेल विपणन कंपनियों द्वारा एलपीजी का उतपादन (टीएमटी में)

2009-10			2010-11			2011-12			2012-2013 (दिसम्बर तक)		
आईओसी	बीपीसीएल	एचपीसीएल	आईओसी	बीपीसीएल	एचपीसीएल	आईओसी	बीपीसीएल	एचपीसीएल	आईओसी	बीपीसीएल	एचपीसीएल
2021	932	567.8	2257	1013	534.8	2409	1073	809.6	1797	828.9	580.7

[अनुवाद]

मानसिक स्वास्थ्य परिचर्या

1976. श्री विलास मुत्तेमवार:
श्री जयराम पांगी:
श्री निलेश नारायण राणे:
श्री एस. पक्कीरप्पा:
श्री एस. एस. रामासुब्बू:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान मानसिक स्वास्थ्य परिचर्या विशेषकर बाल और किशोर मानसिक स्वास्थ्य परिचर्या के लिए आवंटित और उपयोग की गई निधि का राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान मानसिक स्वास्थ्य परिचर्या विशेषकर बाल और किशोर मानसिक स्वास्थ्य परिचर्या को प्राथमिकता प्रदान करने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान (एनआईएमएचएएनएस), बंगलोर जैसी संस्थाएं स्थापित करने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) देश में मानसिक स्वास्थ्य परिचर्या पेशेवरों की संख्या बढ़ाने तथा इससे जुड़ी सेवाओं में वृद्धि करने के लिए सरकार द्वारा अन्य क्या उपाय किए गए है/किए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद: (क) राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत मानसिक बीमारियों से पीड़ित पुरुषों, महिलाओं व बच्चों को मानसिक स्वास्थ्य परिचर्या सेवाएं प्रदान की जाती हैं। 11वीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान मानसिक स्वास्थ्य परिचर्या के लिए आबंटित व उपयोग किए गए धन का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) सरकार ने मानसिक स्वास्थ्य परिचर्या विशेष तौर से 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान बाल व किशोर मानसिक स्वास्थ्य परिचर्या को उच्च प्राथमिकता प्रदान की है। समुदाय तक और अधिक प्रभावी ढंग से पहुंचाने के लिए 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सरकार राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के संघटकों अर्थात स्कूल स्वास्थ्य, प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य व किशोर अनुकूल क्लीनिकों के साथ राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के विभिन्न संघटकों को एकीकृत कर रही है।

(घ) इस मंत्रालय में देश के विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थान एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान (निम्हांस) जैसी संस्थाएं स्थापित करने के किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा रहा है।

(ङ) भारत सरकार मानसिक विकारों के अत्यधिक भार को कम करने के लिए वर्ष 1982 से राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (एनएमएचपी) कार्यान्वित कर रही है। जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत 30 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कुल 123 जिलों को शामिल किया गया है। 11वीं पंचवर्षीय योजना के तहत निम्नलिखित घटकों को शामिल करने के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम की पुनर्संरचना की गई है:

I. जनशक्ति विकास योजनाः

(i) उत्कृष्टता केन्द्रों की स्थापना (योजना-क)

(ii) मानसिक स्वास्थ्य में जनशक्ति विकास की योजना (योजना-ख)

II. जीवन कौशल शिक्षा और स्कूलों व कॉलेजों में परामर्श, आत्महत्या निवारक सेवाओं आदि के अतिरिक्त घटकों सहित जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम।

III. सरकारी मेडिकल कॉलेजों की मनचिकित्सा विंग का उन्नयन।

IV. सरकारी मानसिक स्वास्थ्य अस्पतालों का आधुनिकीकरण।

इसके अलावा, देश भर में मानसिक रोगों से पीड़ित रोगियों के उपचार के लिए केन्द्र द्वारा चलाए जाने वाले 3 मानसिक स्वास्थ्य संगठन, राज्य द्वारा चलाए जाने वाले 40 मानसिक अस्पताल और विभिन्न मेडिकल कॉलेजों में मनचिकित्सा के 335 विभाग (154 सरकारी और 181 निजी) हैं।

विवरण

राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत आबंटित और उपयोग की गई धनराशि

क्र.सं.	वर्ष		आबंटन		
			बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	व्यय
1.	2007-08	सामान्य	58 करोड़	28 करोड़	14.5736 करोड़
		पूर्वोत्तर	12 करोड़	10 करोड़	0
2.	2008-09	सामान्य	58 करोड़	58 करोड़	23.2622 करोड़
		पूर्वोत्तर	12 करोड़	12 करोड़	0
3.	2009-10	पूर्वोत्तर	10 करोड़	50 करोड़	49.3710 करोड़
		पूर्वोत्तर	10 करोड़	5 करोड़	2.6194 करोड़
4.	2010-11	सामान्य	103 करोड़	93 करोड़	90.72 करोड़
		पूर्वोत्तर	17 करोड़	8 करोड़	0.1922 करोड़
5.	2011-12	सामान्य	110 करोड़	70 करोड़	108.8992 करोड़
		पूर्वोत्तर	20 करोड़	5 करोड़	4.78 करोड़
		कुल	460 करोड़	339 करोड़	294.4176 करोड़

एनएमएचपी की विभिन्न योजनाओं के तहत 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जारी धनराशि 2007-08

1. जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम

क्र.सं.	राज्य	जिला	धनराशि
1	2	3	4
1.		कांचीपुरम	रु. 26,20,000/-
2.		कुड्डालोर	रु. 26,20,000/-
3.		थिरूवल्लीर	रु. 26,20,000/-

1	2	3	4
4.	तमिलनाडु	परम्बलुर	रु. 26,20,000/-
5.		विरुधुनगर	रु. 26,20,000/-
6.		थिरूवरूर	रु. 26,20,000/-
7.		नमक्कल	रु. 26,20,000/-
8.		चेन्नई	रु. 26,20,000/-
9.		पश्चिम जिला	रु. 26,20,000/-
10.	दिल्ली	पश्चिम जिला	रु. 26,20,000/-
11.		उत्तरी जिला	रु. 26,20,000/-
12.		इम्फाल पूर्व	रु. 7,60,548/-
13.		इंफाल पश्चिम	रु. 25,41,000/-
14.	मणिपुर	थोबल	रु. 22,36,000/-
15.		चुराचांदपुर	रु. 26,20,000/-
16.		चंदेल	रु. 26,20,000/-
17.		डाल्टनगंज	रु. 26,20,000/-
18.	झारखंड	गुमला	रु. 26,20,000/-
19.	गुजरात	गोधरा	रु. 20,53,261/-
20.	मिजोरम	आइजोल	रु. 21,00,000/-

2. राज्य के वर्तमान मानसिक अस्पतालों का आधुनिकीकरण

क्र.सं.	राज्य	संस्थान	धनराशि
1.	राजस्थान	अधीक्षक, मनोरोग केंन्द्र, जनता कॉलोनी, जयपुर, राजस्थान 302,004	रु. 2,60,50,000/-
2.	जम्मू और कश्मीर	चिकित्सा अधीक्षक, भारत सरकार, मानसिक रोगों के अस्पताल, कांठिदरवाजा, रेनवारी, श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर	रु. 2,60,50,000/-
3.	नागालैंड	अधीक्षक, मानसिक अस्पताल, कोहिमा, नागालैंड	रु. 1,60,00,000

3. सरकारी मेडिकल कालेजों/सिविल अस्पतालों के मनोरोग विभाग का उन्नयन

क्र.सं.	राज्य	संस्थान	धनराशि
1	2	3	4
1.	केरल	प्रधानाचार्य, सरकारी मेडिकल कॉलेज लिरुवनंतपुरम, केरल	रु. 35,71,575/-

1	2	3	4
2.		प्रधानाचार्य, सरकारी मेडिकल कॉलेज, त्रिशूर केरल	रु. 33,49,500/-
3.		प्रधानाचार्य, सरकारी मेडिकल कॉलेज, कोझीकोड केरल	रु. 29,10,375/-
4.		प्रधानाचार्य, सरकारी मेडिकल कॉलेज, कोट्टायम	रु. 45,20,000/-
5.	राजस्थान	प्रधानाचाय्र आरटीएन, मेडिकल कॉलेज, उदयपुर, राजस्थान	रु. 47,60,000/-
6.	मेघालय	अधीक्षक सिविल अस्पताल, तूरा	रु. 46,38,000/-
7.		अधीक्षक, जोवाई सिविल अस्पताल, जोवाई	रु. 46,38,000/-

2008-09

1. जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम

क्र.स.	राज्य	जिला	धनराशि
1.	केरल	थ्रिस्सुर	रु. 23,37,816/-
2.		तिरूवनंतपुरम	रु. 13,50,027/-
3.		रायबरेली	रु. 21,80,000/-
4.	उत्तर प्रदेश	सीतापुर	रु. 21,80,000/-
5.		फैजाबाद	रु. 21,80,000/-
6.	दिल्ली	उत्तर पश्चिम जिला	रु. 21,28,133/-
7.	दादरा और नगर हवेली	दादरा और नगर हवेली	रु. 15,04,926/-

2. राज्य के वर्तमान मानसिक अस्पतालों का आधुनिकीकरण

क्र.सं.	राज्य	संस्थान	धनराशि
1.	मेघालय	मेघालय मानसिक स्वास्थ्य और न्यूरोलॉजिकल विज्ञान संस्थान, शिलांग	रु. 3,00,00,000/-
2.	महाराष्ट्र	क्षेत्रीय मानसिक अस्पताल, रत्नागिरी	रु. 2,84,00,000/-
3.	उत्तर प्रदेश	मानसिक अस्पताल, वाराणसी	रु. 3,00,00,000/-

3. सरकारी मेडिकल कालेजों/सिविल/जनरल अस्पतालों के मनोरोग विभाग खंडों का उन्नयन

क्र.सं.	राज्य	संस्थान	धनराशि
1.	राजस्थान	एसपी मेडिकल कॉलेज, बीकानेर	रु. 50,00,000/-

2009-10

1. जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम

क्र.सं.	राज्य	संस्थान	धनराशि
1.	हरियाणा	गुडगांव	रु. 17,27,945/-
2.		हिसार	रु. 15,05,749/-
3.	मणिपुर	इंफाल पश्चिम	रु. 17,40,804/-
4.		थोबल	रु. 18,32,251/-

2. सरकारी मेडिकल कालेजों/सिविल/जनरल अस्पतालों के मनोरोग विभाग का उन्नयन

क्र.सं.	राज्य	संस्थान	धनराशि
1.	अरुणाचल प्रदेश	जनरल अस्पताल, पासीघाट	रु. 50,00,000/-
2.	दादरा और नगर हवेली	श्री विनोवाभावे सिविल अस्पताल सिलवासा, दादरा और नगर हवेली	रु. 50,00,000/-
3.	ओडिशा	वीएसएस मेडिकल कॉलेज, बुला	रु. 50,00,000/-

3. जनशक्ति विकास योजनाएं

क्र.सं.	राज्य	संस्थान	धनराशि
		योजना-कः उत्कृष्टता केन्द्रों की स्थापना	
1.	उत्तर प्रदेश	संस्थान के मानसिक स्वास्थ्य एवं अस्पताल, आगरा, उत्तर प्रदेश	रु. 5,28,00,000/-
2.	गुजरात	मानसिक स्वास्थ्य के लिए अस्पताल, अहमदाबाद, गुजरात	रु. 5,28,00,000/-
3.	हरियाणा	राज्य मानसिक स्वास्थ्य संस्थान, पंडितभागवत, दयाल शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, रोहतक, हरियाणा	रु. 5,28,00,000/-
4.	पश्चिम बंगाल	संस्थान मनश्चिकित्सा कोलकाता, पश्चिम बंगाल	रु. 5,28,00,000/-
5.	आंध्र प्रदेश	मानसिक स्वास्थ्य संस्थान, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश	रु. 5,28,00,000/-
6.	जम्मू और कश्मीर	मानसिक रोगों के अस्पताल, भारत सरकार, मेडिकल कॉलेज, श्रीनगर	रु. 5,28,00,000/-
7.	चंडीगढ़	विभाग, सरकार, मनश्चिकित्सा मेडिकल कॉलेज, चंडीगढ़	रु. 20,50,000/-
		योजना-खः मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञता के पीजी विभागों के लिए सहायता	
8.	गुजरात	पीडीयू मेडिकल कॉलेज, राजकोट, गुजरात	रु. 32,78,000/-
		गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, सूरत, गुजरात	रु. 47,12,000/-

1	2	3	4
9.	उत्तर प्रदेश	सीएसएम चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ, उत्तर प्रदेश	रु. 1,73,66,000/-
10.	झारखंड	रांची मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान, रांची,	रु. 1,21,00,000/-
11.	दिल्ली	डॉ. आरएमएल अस्पताल, दिल्ली	रु. 35,16,000/-
12.	राजस्थान	एसपी मेडिकल कॉलेज, बीकानेर, राजस्थान	रु, 58,60,000/-
13.		आरएनअी कॉलेज, उदयपुर, राजस्थान	रु. 58,60,000/-
14.	तमिलनाडु	मानसिक स्वास्थ्य संस्थान, चेन्नई	रु. 90,38,000/-
15.	असम	लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलोई क्षेत्रीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थान, तेजपुर	रु. 1,73,66,000/-

2010-11

1. जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम

क्र.सं.	राज्य	संस्थान	धनराशि
1.	आंध्र प्रदेश	कडपह	रु. 21,80,000/-
2.	दादरा और नगर हवेली	सिल्वासा	रु. 17,42,400/-
3.	केरल	कुन्नूर	रु. 21,80,000/-
4.		वायनाड	रु. 21,80,000/-
5.	कर्नाटक	शिमोगा	रु. 21,08,200/-
6.		गुलबर्ग	रु. 19,59,400/-
7.		कारवार	रु. 13,44,800/-
8.		चामराजनगर	रु. 13,44,800/-
9.	पश्चिम बंगाल	24-परगना	रु. 21,80,000/-
10.		जलपाईगुड़ी	रु. 15,81,648/-

2. जनशक्ति विकास योजना

क्र.सं.	राज्य	संस्थान	धनराशि
		योजना-कः उत्कृष्टता केन्द्रों की स्थापना	
1.	जम्मू और कश्मीर	मानसिक रोग अस्पताल, सरकारी मेडिकल कॉलेज, श्रीनगर	रु. 10,54,08,352/-
2.	ओडिशा	मानसिक स्वास्थ्य संस्थान, कटक	रु. 5,28,00,000/-

1	2	3	4
3.	हरियाणा	राज्य मानसिक स्वाथ्य संस्थान, पं.बी.डी. शर्मा विश्वविद्यालय, स्वास्थ्य संस्थान, रोहतक	रु. 15,56,00,000/-
5.	उत्तर प्रदेश	मानसिक स्वास्थ्य एवं अस्पताल, आगरा के संस्थान	रु. 15,56,00,000/-
6.	केरल	निमहांस, कोझीकोड	रु. 20,84,00,000/-
7.	चंडीगढ़	मनश्चिकित्सा विभाग, सरकारी मेडिकल कॉलेज, चंडीगढ़	रु. 5,07,50,000/-
8.	दिल्ली	आईएचबीएएस, शाहदरा	रु. 5,28,00,000/-

योजना-ख: मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञता के पीजी विभागों के लिए सहायता

7.	केरल	सरकारी मेडिकल कॉलेज, त्रिवेन्द्रम	रु. 1,73,66,000/-

2011-12

1. जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम

क्र.सं.	राज्य	संस्थान	धनराशि
1	2	3	4
1.	गुजरात	गोधरा	रु. 20,70,000/-
2.	मेघालय	वेस्ट गारो हिल्स	रु. 21,80,000/-
3.		जयंतिया पहाडियां	रु. 21,80,000/-
4.		फैजाबाद	रु. 20,70,000/-
5.	उत्तर प्रदेश	रायबरेली	रु. 20,47,000/-
6.	मणिपुर	चूर्णचंदपुर	रु. 21,57,000/-
7.		चंदेल	रु. 21,80,000/-
8.	पश्चिम बंगाल	पश्चिम मिदनापुर	रु. 20,98,564/-
9.	त्रिपुरा	पश्चिम त्रिपुरा	रु. 12,35,000/-
10.		मदुराई	रु. 49,41,500/-
11.		रामनाथपुरम	रु. 49,41,500/-
12.		धर्मपुरी	रु. 77,90,000/-
13.	तमिलनाडु	नागपट्टिनम	रु. 75,43,000/-

1	2	3	4
14.		थेनी	रु. 76,56,000/-
15.		कन्याकुमारी	रु. 74,78,000/-
16.		थिरूवरूर	रु. 46,37,000/-
17.		नमक्कल	रु. 46,37,000/-
18.		पेरम्बलुर	रु. 46,37,000/-
19.		विरुधुनगर	रु. 46,37,000/-
20.		कुड्डालोर	रु. 46,37,000/-
21.		थिरूवल्लूर	रु. 46,37,000/-

2. जनशक्ति विकास योजना

क्र.सं.	राज्य	संस्थान	धनराशि
		योजना क: उत्कृष्टता केन्द्रों की स्थापना	
1.	जम्मू और कश्मीर	मानसिक रोग अस्पताल मेडिकल कॉलेज, भारत सरकार, श्रीनगर	रु. 13,01,91,648/-
2.	ओडिशा	मानसिक स्वास्थ्य संस्थान कटक	रु. 22,50,00,000/-
3.	हरियाणा	पं.बी.डी. शर्मा, मानसिक स्वास्थ्य संस्थान, स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, रोहतक	रु. 5,52,38,788/-
4.	महाराष्ट्र	महाराष्ट्र मानसिक स्वास्थ्य संस्थान	रु. 30,00,00,000/-
5.	उत्तर प्रदेश	मानसिक स्वास्थ्य संस्थान एवं अस्पताल, आगरा	रु. 7,97,00,000/-
		योजना-ख: मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञता के पीजी विभागों के लिए सहायता	
6.	कर्नाटक	निम्हांस, बंगलुरू	रु. 87,12,000/-
7.	दिल्ली	डा. आरएमएल अस्पताल, नई दिल्ली	रु. 1,30,00,000/-

3. राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण के लिए समर्थन/सहायता

क्र.सं.	राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण	धनराशि
1	2	3
1.	राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण, आंध्र प्रदेश	रु. 9,00,000/-
2.	राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण, अरुणाचल प्रदेश	रु. 9,00,000/-

1	2	3
3.	राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण, असम	रु. 9,00,000/-
4.	राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण, बिहार	रु. 9,00,000/-
5.	राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण, चंडीगढ़	रु. 9,00,000/-
6.	राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण, छत्तीसगढ़	रु. 9,00,000/-
7.	राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण, दादरा और नगर हवेली	रु. 9,00,000/-
8.	राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण, दमन और दीव	रु. 9,00,000/-
9.	राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण, दिल्ली	रु. 9,00,000/-
10.	राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण, गोवा	रु. 9,00,000/-
11.	राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण, गुजरात	रु. 9,00,000/-
12.	राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण, हरियाणा	रु. 9,00,000/-
13.	राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण, हिमाचल प्रदेश	रु. 9,00,000/-
14.	राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण, झारखंड	रु. 9,00,000/-
15.	राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण, कर्नाटक	रु. 9,00,000/-
16.	राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण, केरल	रु. 9,00,000/-
17.	राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण, मध्य प्रदेश	रु. 9,00,000/-
18.	राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण, महाराष्ट्र	रु. 9,00,000/-
19.	राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण, मणिपुर	रु. 9,00,000/-
20.	राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण, मेघालय	रु. 9,00,000/-
21.	राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण, मिजोरम	रु. 9,00,000/-
22.	राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण, नागालैंड	रु. 9,00,000/-
23.	राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण, ओडिशा	रु. 9,00,000/-
24.	राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण, पुदुचेरी	रु. 9,00,000/-
25.	राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण, राजस्थान	रु. 9,00,000/-
26.	राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण, सिक्किम	रु. 9,00,000/-
27.	राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण, तमिलनाडु	रु. 9,00,000/-
28.	राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण, त्रिपुरा	रु. 9,00,000/-
29.	राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश	रु. 9,00,000/-
30.	राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण, उत्तराखंड	रु. 9,00,000/-
31.	राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण, पश्चिम बंगाल	रु. 9,00,000/-

गैस का आबंटन

1977. डॉ. अनूप कुमार साहा: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने उर्वरक क्षेत्र के लिए घरेलू गैस को गैस के अतिरिक्त आबंटन के बारे में कोई ठोस निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण है; और

(ग) इस क्षेत्र में गैस की अतिरिक्त मांग को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए या उठाए जाने का विचार है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी): (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) उर्वरक क्षेत्र को उपलब्ध होने पर प्राकृतिक गैस मौजूदा गैस उपयोग नीति के अनुसार आबंटित की जाएगी जिसमें उर्वरक क्षेत्र को आबंटन में उच्चतम प्राथमिकता दी गई है। तथापि, देश में प्राकृतिक गैस की कम होती जा रही उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए उर्वरक क्षेत्र को आयातित पुनर्गैसीकृत तरलीकृत प्राकृतिक गैस (आरएलएनजी) का भी उपयोग करने की योजना बनाने की सलाह दी गई है।

[हिंदी]

पेट्रोल और डीजल की बिक्री

1978. श्री सुदर्शन भगत: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पेट्रोल और डीजल की खरीदारी के लिए सरकार द्वारा थोक और खुदरा ग्राहकों की क्या परिभाषा अपनाई गई है;

(ख) ऐसी संस्थाओं और उपक्रमों के नाम क्या है जो इस श्रेणी में आते हैं;

(ग) क्या नए दिशा-निर्देश के अनुसार रेलवे और सैनिक प्रतिष्ठान खुदरा पेट्रोल पम्प से सीधे पेट्रोल और डीजल नहीं खरीद सकते हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) सरकार ने 26 जून, 2010 से रिफाइनरी गेट और खुदरा स्तर दोनों पर पेट्रोल का मूल्य बाजार निर्धारित कर दिया है। इसके बाद से सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कम्पनियां (ओएमसीज) अंतर्राष्ट्रीय तेल मूल्यों और बाजार दशाओं के अनुसार पेट्रोल के मूल्य निर्धारण पर उचित निर्णय लेती हैं।

मार्च, 2012 की उद्योग निष्पादन पुनरीक्षा (इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल) द्वारा प्रकाशित) के अनुसार यह पाया गया है कि वर्ष 2011-12 के दौरान देश में कुल डीजल बिक्री का लगभग 17.77% थोक उपभोक्ताओं को सीधे किया गया था। अल्प वसूली में कमी लाने के उद्देश्य से सरकार ने 17/18-1-2013 से ओएमसीज के डिपो/विपणन स्थापनाओं से सीधे थोक आपूर्ति लेने वाले सभी उपभोक्ताओं को गैर राजसहायता प्राप्त बाजार निर्धारित मूल्य पर डीजल की बिक्री हेतु ओएमसीज को प्राधिकृत करने का निर्णय लिया है। आईओसीएल के अनुसार डीजल के थोक उपभोक्ताओं में रेलवे, रक्षा, राज्य परिवहन उपक्रम, ऑटोमोबाइल विनिर्माता, खनन समुद्री और सीमेन्ट कम्पनियां आदि शामिल हैं।

(ग) से (ङ) सरकार ने 18.1.2013 से प्रभावी गैर राजसहायता प्राप्त बाजार निर्धारित मूल्य पर थोक ग्राहकों को ओएमसीज की स्थापनाओं से सीधे आपूर्ति लेने के लिए डीजल की बिक्री हेतु ओएमसीज को अनुमति दी है। उपर्युक्त के अनुसार इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा दी गई सूचना के आधार पर रेलवे और सेना अपनी स्वयं की खपत के लिए ईंधनों की व्यापक जरूरत वाले थोक उपभोक्ताओं के तौर पर श्रेणीबद्ध है और थोक आपूर्ति स्थापनाओं से न्यूनतम 12,000 लीटर अर्थात न्यूनतम ट्रक लोड आपूर्ति ले सकते हैं।

[अनुवाद]

कॉर्पोरेटों को प्रोत्साहन

1979. श्री शिवकुमार उदासी: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश के कॉर्पोरेटों को प्रोत्साहन और कर छूट दे रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान इस क्षेत्र को कितना कर छूट दिया गया है; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान सरकार द्वारा कॉर्पोरेट को कुल कितनी राशि का कर छूट दिया गया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिकम): (क) और (ख) अप्रत्यक्ष कर 'अपने स्वरूप के अनुसार' माल एवं सेवाओं पर लगाये जाते हैं और न कि व्यक्तियों अथवा कम्पनियों पर सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क में छूट सामान्यत: माल पर दी जाती है। इसी प्रकार, सेवा कर में छूट सामान्यत: सेवाओं पर दी जाती है। जहां तक प्रत्यक्ष करों का संबंध है, आयकर अधिनियम, 1961 में निगमित क्षेत्र को प्रत्यक्ष कर प्रोत्साहन का प्रावधान है। ये कटौतियां अथवा प्रोत्साहन मुख्यत: लाभसम्बद्ध कटौतियों, निवेश सम्बद्ध कटौतियों, अतिरिक्त मूल्यह्रास और भारित कटौतियों के रूप में दिए जाते हैं।

(ग) और (घ) निगमित क्षेत्र को दी गई छूटों के परिणामस्वरूप छोड़े गए कर को प्राप्ति बजट में छोड़े गए राजस्व विवरण के रूप में रखा जाता है, जो कि वार्षिक बजट दस्तावेजों का एक भाग है। विगत तीन वर्षों के दौरान निगमित क्षेत्र द्वारा लाभ उठाए गए प्रत्यक्ष कर प्रोत्साहनों और छूटों के कारण छोड़े गए राजस्व का कुल प्राक्कलन निम्न प्रकार है:

(आंकड़े करोड़ रु. में)

व्रित्तीय वर्ष	निगमित क्षेत्र*
2009-10	72881
2010-11	833228
2011-12	81214

*एमएटी के कारण इन आंकड़ों में निवल अतिरिक्त कर देयता को शामिल नहीं किया गया है।

एलपीजी वितरकों द्वारा अनियमितताएं

1980. श्री सी.आर. पाटिल:
श्री पोन्नम प्रभाकर:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या द्रव्यकृत पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) वितरकों द्वारा कदाचार, सिलेन्डरों को रिफिलिंग में अनियमितताएं और ग्राहकों के उत्पीड़न में लिप्त होने संबंधी बड़ी संख्या में मामले संज्ञान में आए हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसी प्राप्त शिकायतों की कुल संख्या कितनी है तथा उत्तर प्रदेश सहित पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान एलपीजी वितरकों के विरुद्ध की गई कार्रवाई का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान सरकार द्वारा निरस्त डीलरशिप की संख्या कितनी है;

(घ) देश में एलपीजी एजेन्सियों में कदाचार और अनियमितताओं को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कम्पनियों नामत: इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड (आईओसी) भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) और हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) ने रिपोर्ट दी है कि उन्होंने एलपीजी सिलेंडरों से संबंधित कदाचार और अनियमितताओं के मामलों पर पता लगाया है। पिछले तीन वर्षों और अप्रैल-जनवरी, 2013 की अवधि में कम्पनीवार देखी गई अनियमितताओं की संख्या निम्नानुसार है:

अवधि	देखी गई अनियमितताओं की संख्या		
	आईओसी	बीपीसीएल	एचपीसीएल
2009-10	993	94	437
2010-11	959	83	454
2011-12	1022	139	720
अप्रैल-जनवरी,2013	889	110	672

कदाचार/अनियमितताओं के सभी सिद्ध मामलों में एमडीजी, 2001 के प्रावधानों के अनुसार दोषी एलपीजी वितरकों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है।

पिछले तीन वर्षों और अप्रैल-जनवरी, 2013 की अवधि में राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार देखी गई अनियमितताओं की संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) ओएमसीज ने पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष (दिसम्बर, 2012 तक) के दौरान 146 एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिपों को बंद किया है।

(घ) कदाचार की अनियमितताओं को रोकने के लिए ओएमसीज वितरकों के परिसरों का नियमित रूप से औचक निरीक्षण करती है, ग्राहकों के परिसरों पर रिफिल जांच, औचक जांच करती हैं और सुपुर्दगी वाहनों की मार्गस्थ जांच करती हैं। यदि एलपीजी वितरक किसी कदाचार के दोषी पाए जाते हैं तो विपणन अनुशासन दिशानिर्देशों (एमडीजी) 2001 के प्रावधानों के अनुसार दंडात्मक कार्रवाई की जाती है।

विवरण

पिछले तीन वर्षो के दौरान राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार देखी गई अनियमितताओं की संख्या निम्नानुसार है:

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य	2009-10	2010-11	2011-12	2013(अप्रैल)
1	2	3	4	5	6
1.	चंडीगढ़	5	19	0	0
2.	दिल्ली	38	16	57	65
3.	हरियाणा	13	59	65	61
4.	हिमाचल प्रदेश	11	8	11	2
5.	जम्मू और कश्मीर	22	19	16	17
6.	पंजाब	75	89	72	57
7.	रातस्थान	82	117	208	48
8.	उत्तर प्रदेश	281	339	376	624
9.	उत्तराखंड	11	4	10	54
10.	अंडमान	0	0	0	0
11.	अरुणाचल प्रदेश	1	0	2	2
12.	असम	8	19	35	18
13.	बिहार	42	81	98	43
14.	झारखंड	50	34	44	26
15.	मणिपुर	0	0	0	0
16.	मेघालय	0	1	4	2
17.	मिजोरम	0	0	0	0
18.	नागालैंड	0	1	0	0
19.	ओडिशा	41	49	34	34
20.	सिक्किम	0	0	1	0
21.	त्रिपुरा	0	0	0	0
22.	पश्चिम बंगाल	45	18	57	15

1	2	3	4	5	6
23.	छत्तीसगढ़	15	29	17	38
24.	दादरा और नगर हवेली	0	0	4	0
25.	दमन और दीव	1	0	0	0
26.	गोवा	5	1	9	5
27.	गुजरात	32	86	78	86
28.	मध्य प्रदेश	155	91	85	80
29.	महाराष्ट्र	179	83	137	110
30.	आंध्र प्रदेश	133	87	137	95
31.	कर्नाटक	96	96	123	106
32.	केरल	87	67	41	35
33.	लक्षद्वीप	0	0	0	0
34.	पुदुचेरी	6	4	15	2
35.	तमिलनाडु	90	79	145	46
	योग	1524	1496	1881	1671

[हिंदी]

आर्थिक अपराध

1981. श्री रामकिशुन:
श्री एन. चेलुवरया स्वामी:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में आर्थिक अपराध बढ़ रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ऐसे अपराधों को रोकने के लिए कोई कदम उठा रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) आर्थिक अपराधों के बड़े मामलों की समीक्षा के लिए तथा दोषियों के विरुद्ध यथाशीघ्र कड़ी कार्रवाई करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिकम): (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

आयातित औषधियों की गुणवत्ता

1982. डॉ. संजीव गणेश नाईक:
श्री हंसराज गं. अहीर:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में आयात हो रही औषधियों की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने करने के लिए सरकार द्वारा क्या तंत्र स्थापित किए गए है;

(ख) क्या देश में मिलावटी और घटिया औषधियों के मामले संज्ञान में आए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान सरकार द्वारा इन पर क्या कार्रवाई की गई/किए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) क्या भारत ने हाल में मिलावटी दवाओं को बाजार में पहुंचने से रोकने के लिए ब्यूनस आयर्स में एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता करने संबंधी वैश्विक चर्चा में भाग लिया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा इस मामले पर क्या रुख अपनाया गया है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) औषध और प्रसाधन अधिनियम, 1940 के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों के अंतर्गत, पंजीकरण, आयात लाइसेंस तथा नामित पतनों पर खेपों के आयात के समय उनकी जांच की व्यवस्था के माध्यम से, देश में आयात की जाने वाली औषधों की गुणवत्ता नियंत्रित की जाती है।

(ख) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान सरकार की जानकारी में आई नकली और घटिया औषधों के आयात के मामलों की संख्या नीचे दी गई है:

वर्ष	नकली	घटिया
2009-2010	7	35
2010-2011	शून्य	35
2011-2012	शून्य	34
चालू वर्ष	शून्य	18

(ग) सीमा शुल्क प्राधिकारियों द्वारा नकली तथा घटिया पाई गई औषधों के आयात की अनुमति नहीं दी जाती। 2009-2010 में नकली औषधों के आयात के मामलों की केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा जांच की गई और विधि के प्रावधानों के अनुसार उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अभियोजन आरंभ किए गए।

(घ) जी हां।

(ङ) घटिया/नकली/गलत लेबल की गई/गलत/जाली (एसएसएफएफसी) चिकित्सा उत्पादों पर सदस्य राज्य तंत्र (एमएसएम) की पहली बैठक ब्यूनस आयर्स में 19 से 21 नवम्बर 2012 में हुई। बैठक में एक ओपन एंडेड कार्यदल गठित करने का निर्णय लिया गया जो उन कार्रवाईयों, गतिविधियों तथा व्यवहारों की पहचान करेगा, जिनका प्रतिफल एसएसएफएफसी चिकित्सा उत्पाद हैं। कार्यदल में सक्रिय रूप से भागीदारी करने के लिए, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने, एसएसएफएफसी की कार्यप्रणालियों के अनुरूप अंतर्राष्ट्रीय सहयोग सुदृढ़ करने से संबंधित मुद्दों से निपटने के लिए 15 जनवरी 2013 को भारतीय औषध संग्रह आयोग के तीन विशेषज्ञों वाले एक प्रकोष्ठ का गठन किया।

सब्सिडी

1983. डॉ. मुरली मनोहर जोशी:
श्री अनंत कुमार हेगड़े:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान दर्ज की गई जीडीपी वृद्धि का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान दी गई सब्सिडी राशि का क्षेत्र-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) आम आदमी को राहत देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए है/उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा): (क) वर्ष 2009-10 से 2012-13 तक की अवधि के लिए स्थिर (2004-05) मूल्य पर उपादान लागत पर सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि दर नीचे की सारणी में दी गई है:

सारणी:1 स्थिर मूल्य (2004-05) पर सकल घरेलू (प्रतिशत वृद्धि)

	2009-10^	2010-11@	2011-12*	2012-13अ.अ.
उपादान लागत पर सकल घरेलू उत्पाद	8.6	9.3	6.2	5.0

स्रोत: केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ)
अ.अ.: अग्रिम अनुमान, *पहला संशोधित अनुमान,
@ दूसरा संशोधित अनुमान,
^तीसरा संशोधित अनुमान।

(ख) क्षेत्र-वार विभाजन सहित केन्द्र सरकार द्वारा प्रदत्त सब्सिडी की राशि से संबंधित ब्यौरा नीचे सारणी 2 में दिया गया है।

सारणी: 2 केन्द्र सरकार द्वारा प्रदत्त सब्सिडी (करोड़ रुपये में)

	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13(सं.अ.)
खाद्य सब्सिडी	58443	63844	72822	85000
उर्वरक सब्सिडी	61264	62301	70013	65974
पेट्रोलियम सब्सिडी	14951	38371	68484	96880
अन्य सब्सिडी 14951	6693	8904	6622	9800
कुल सब्सिडी	141351*	173420	217941	257654

*इसमें तेल कंपनियों को जारी प्रतिभूतियां शामिल नहीं हैं
सं.अ. संशोधित अनुमान।

(ग) विकास की गति को फिर से प्राप्त करने के लिए बड़ी निवेश परियोजनाओं को तेजी से आरंभ करने की दृष्टि से निवेश संबंधी मंत्रिमंडल समिति का गठन; वित्तीय और बैंकिंग सेक्टरों को सुदृढ़ करना; कतिपय सरकारी क्षेत्रक उपक्रमों में विनिवेश; बहु-ब्रांड खुदरा व्यापार सहित विद्युत उत्पादन और विमानन के क्षेत्रों सहित अन्य क्षेत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अनुमत करने; राजकोषीय सुदृढ़ीकरण आदि सहित अनेक कदम उठाए गए हैं। अवसंरचना और उद्योग में निवेश बढ़ाने के लिए केंद्रीय बजट 2013-14 में अनेक पहलों की रूपरेखा निर्धारित की गई है, इसमें अन्य बातों के साथ-साथ अवसरंचना ऋण निधि को प्रोत्साहित करना, अवसरंचना कम्पनियें के लिए ऋण में बढ़ोतरी करना, ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि की आधारभूत निधि जुटाना, नए उच्च मूल्य के निवेश हेतु निवेश भत्ते की शुरूआत आदि शामिल हैं। इन उपायों से बाजार को पुनः विश्वास प्राप्त होगा। इसके अतिरिक्त मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए आयात शुल्कों में कटौती और कतिपय वस्तुओं में वायदा व्यापार को स्थगित करने, मौद्रिक नीति कठोर बनाने सहित अनेक उपाय किए गए हैं।

स्वास्थ्य में मानव संस्थानों हेतु आयोग

1984. श्री गणेश सिंह: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा विगत कुछ वर्षों के दौरान चिकित्सा, दन्त चिकित्सा और नर्सिंग शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हेतु क्या कदम उठाए गए/प्रस्तावित हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार इस प्रयोजन हेतु राष्ट्रीय स्वास्थ्य मानव संसाधन आयोग की स्थापना करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी वर्तमान स्थिति क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) चिकित्सा, दंत-चिकित्सा और नर्सिंग शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार की प्रक्रिया एक सतत प्रक्रिया है और संबद्ध व्यवसायिक परिषदें अपने संबद्ध क्षेत्रों में शिक्षा के उच्च मानक कायम रखने हेतु उत्तरदायी हैं तथा ये परिषदें देश में शिक्षा के मानकों में वृद्धि एवं संबद्ध व्यवसायों में प्रशिक्षण की आवश्यकता का निरंतर मूल्यांकन करती हैं। इन मूल्यांकनों के आधार पर संबद्ध विनियमों में आवश्यकता के आधार पर संशोधन किए जाते हैं। इन परिषदों द्वारा उठाए गए कुछेक कदम निम्नलिखित हैं।

I. भारतीयय आयुर्विज्ञान परिषद ने सभी चिकित्सा कॉलेजों के लिए यह अनिवार्य बना दिया है कि वे चिकित्सा शिक्षा यूनिटों अथवा विभागों की स्थापना करें ताकि शिक्षण हेतु आधुनिक शैक्षिक प्रौद्योगिकी का संकाय सदस्यों द्वारा लाभ उठाया जा सके;

II. भारतीय दंत चिकित्सा परिषद ने डैन्टिस्ट्री में इंटर्नशिप कार्यक्रम को पुनः शुरू किया है और नये चिकित्सा कॉलेजों की स्थापना के लिए चिकित्सा कॉलेज के साथ संबद्धता को अनिवार्य बना दिया है;

III. राष्ट्रीय नोडल केन्द्र तथा राज्य नोडल केंद्र के रूप में सहायक नर्सधात्री (एएनम) कार्यक्रम की सेवा-पूर्व शिक्षा का सुदृढ़ीकरण तथा भारतीय नर्सिंग परिषद् द्वारा नर्सिंग पाठ्यक्रमों का संशोधन।

(ख) और (ग) केंद्रीय सरकार ने दिनांक 22 दिसंबर, 2011 को एनसीएचआरएच विधेयक, 2011 को पुर:स्थापित किया, जिसने इस विधेयक को जांच हेतु स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी विभाग से संबद्ध संसदीय स्थाई समिति को भेज दिया। समिति ने 2 अक्तूबर, 2012 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है और अन्य बातों के साथ-साथ मंत्रालय से इस विधेयक को वापस मंगाने तथा विभिन्न पणधारियों द्वारा व्यक्त सभी विचारों, सुझावों और सरोकारों पर पर्याप्त ध्यान देने के उपरांत एक नवीन विधेयक लाने हेतु अनुशंसा की है। समिति की सिफारिशों की इस मंत्रालय में जांच की जा रही है।

मलेरिया रोधी औषधियों और टीकों पर अनुसंधान

1985. श्री उदय प्रताप सिंह:
श्रीमती मेनका गांधी:
श्री आधि शंकर:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश में नए और वहनीय मलेरिया रोधी औषधियों और टीकों के विकास के लिए बहुत सी अनुसंधान परियोजनाओं को सहायता दे रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसी परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति और परिणाम क्या है;

(घ) क्या मलेरिया के लक्षित उपचार के लिए नैनो कैप्सूल का विकास भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (आईआईटी) कानपुर के एक दल द्वारा की गई है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ङ) देश में मलेरिया अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या और उपाय किए/किए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अबू हशीम खां चौधरी): (क) जी हां, देश भर में नए और वहनीय मलेरिया रोधी औषधों तथा वैक्सीनों को विकसित करने हेतु विभिन्न अनुसंधान परियोजनाओं में अन्य बातों के साथ निम्नलिखित शामिल हैं:

1. भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) ने दिल्ली स्थित अपने राष्ट्रीय मलेरिया अनुसंधान संस्थान के जरिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम की अपेक्षा के अनुसार मलेरिया रोधी औषधों के विभिन्न नैदानिक परीक्षण किए हैं। इन परीक्षणों में मलेरिया रोधी के नए संयोजनों (एसीटी) अर्थात आर्टेसुनेट + अमोडियाक्विन (एस+एक्यू), आर्टेसुनेट + मेफलोक्विन (एएस+एमक्यू), डिहाइट्रोआर्टेमिसिनन + पाइपेराक्विन (डीएचए+पीपीक्यू) पाइटोनारीडाइन + आर्टेसुनेट; इ आर्टिहार, बुलाक्विन और एजिथ्रोमाइसिन के चरण-III के परीक्षण शामिल हैं।

2. इसके अलावाए एनआईएमआर, नई दिल्ली ने ओडिशा, कर्नाटक और झारखंड में स्थित चिकित्सा कॉलेजों तथा अस्पतालों के सहयोग से भारत, थाईलैंड और अफ्रीका में बहु-राष्ट्रीय परीक्षणों के भाग में आर्टिरोलेन+पाइपेराक्विन (रैनबैक्सी द्वारा तैयार) का मूल्यांकन करने हेतु नैदानिक परीक्षण किए। बाद में इस संयोजन को "सिनेरियम" जेनेरिक नाम के अंतर्गत शुरू किया गया।

3. आयुष-64 बनाम क्लोरोक्विन की प्रभावकारिता की तुलना के लिए अजटिल विवाक्स मलेरिया के रोगियों में एक चरण-II प्रत्याशित तुलनात्मक यादृच्छिकीकृत नैदानिक परीक्षण किया गया था। आयुर्वेद और सिद्ध परिषद् द्वारा पेटेंट करवाए गए पादप उत्पाद फार्मूलेशन आयुष-64 की तुलना क्लोरोक्विन से की गई थी।

4. जैस प्रौद्योगिकी विभाग क्षय रोग और मलेरिया के प्रति औषधों की जांच के लिए आईसीजीईबी में उच्च प्रवाह क्षमता औषध-जांच केन्द्र की स्थापना के लिए सहयोग कर रहा है।

5. वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर) मलेरिया के लिए एक विवृत स्रोत औषध खोज संबंधी कार्यक्रम (ओपेन सोर्स ड्रग डिस्कवरी) को सहायता प्रदान कर रही है।

6. जैव प्रौद्योगिकी विभाग (डीबीटी) पी. फेल्सीपेरम मलेरिया और पी विवाक्स मलेरिया दोनों के लिए वैक्सीनें तैयार करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय आनुवांशिक अभियांत्रिकी और जैव प्रौद्योगिकी केन्द्र (आईसीजीईबी), नई दिल्ली तथा मलेरिया वैक्सीन विकास कार्यक्रम (एमवीडीपी), नई दिल्ली को सहयोग प्रदान कर रहा है।

7. इसके अतिरिक्त, एनआईएमआर, नई दिल्ली ने सुंदरगढ़ जिला, ओडिशा तथा जबलपुर जिले, मध्य प्रदेश के दो वैक्सीन परीक्षण स्थल तैयार किए हैं।

(ख) भारत सरकार द्वारा सहायता प्राप्त औषध तथा वैक्सीन विकास परियोजनाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) अनुसंधानात्मक परियोजनाओं की मौजूदा स्थिति नीचे दी गई है:

औषध:

मलेरिया रोधी संयोजनों अर्थात (एएस+एक्यू), (एएस+एमक्यू), आटैरोलेन+पाइपेराक्विन, लाक्विन, αβ आर्टिथर का भारत में विपणन हेतु पंजीकरण किया गया है।

वैक्सीन:

पी. फेल्सीपेरम, जेएआईबीएसी-2 तथा जेएआईवीएसी-3 के लिए आगामी पीढ़ी रक्त चरण वैक्सीन प्रार्थकों का इम्युनोजेनेसिटी के लिए प्री-क्लीनिकल अध्ययन में फिलहाल जांच की जा रही है। पी. विवाक्स मलेरिया के लिए वैक्सीन तथा पी. फेल्सीपेरम के प्रति प्री-रिक्रोसाइटिक वैक्सीन तैयार की जा रही है।

(घ) दिनांक 28.1.2013 के टाइम्स ऑफ इंडिया समाचार पत्र (कोलकाता संस्करण) में प्रकाशित खबर के अनुसार यह सूचना दी गई थी रसायन विज्ञान विभाग, आईआईटी, कानपुर में वैज्ञानिक मलेरिया रोधी औषधों के साथ भरे जाने वाले सूक्ष्म आकार के नैनो-कैप्सूल पर कार्य कर रहे हैं।

उपर्युक्त खबर के अनुसार इस सूक्ष्म आकार के नैनो कैप्सूल द्वारा मलेरियारोधी औषध की मानव तंत्र में अवक्रमण से रक्षा करना तथा अपव्यय को कम करके औषध की इसके कार्रवाई स्थल पर प्रभावी प्रदानगी सुनिश्चित करना प्रस्तावित है जो एक पेप्टाइडों का एक ऐसा मृदु, खोखला पात्र डिजाइन करने हेतु प्रयासरत है जो एक कैप्सूल की भांति कार्य कर सके। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद, (आईसीएमआर) के पास इस संबंध में सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ङ) देश में मलेरिया नियंत्रण के संबंध में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित उपाय किए जा रहे हैं:

1. पूरे देश में अजटिल पी. फेल्सीपेरम मलेरिया के उपचार्थ आटेमिसिनन आधारित संयोजन थिरेपी शुरू करना
2. देश में अनुशंसित मलेरिया-रोधी औषधों की प्रभावकारिता का निरंतर अनुवीक्षण।
3. शुरू में ही रोग निदान व शीघ्र उपचार के लिए दूरदराज के परिसरीय क्षेत्रों में द्रुत नैदानिक परीक्षण किटों की शुरूआत, इनमें दो प्रमुख मलेरिया प्रजातियों के निदान के लिए हाल ही में शुरू की गई द्विसंयोजक द्रुत नैदानिक किट शामिल हैं।
4. इस क्षेत्रों में संस्तुत मलेरिया-रोधी सम्मिश्रणों की उपचार विफलता के अधिक अनुपात के बाद पूर्वोत्तर क्षेत्र में दूसरी पंक्ति की मलेरिया रोधी औषधों की शुरूआत।
5. वाइवेक्स मलेरिया में प्राइमाक्विन से रिलेप्सरोधी के अनुपालन को बढ़ाने के लिए एक नैदानिक परीक्षण की योजना बनाई गई है।
6. वेक्टर नियंत्रण के लिए नए साधनों की शुरूआत।

विवरण

भारत सरकार द्वारा सहायता प्राप्त औषध एवं वैक्सीन विकास परियोजनाएं

औषधियां

प्राइमाक्विन के साथ और इसके बिना आर्टेसुनेट + सल्फेडोक्सिन-पीरेमेथेमिन का परीक्षण भी चल रहा है। परिणामों के आधार पर भारत में एएस + एक्यू, एएस + एमक्यू, आर्टेरोलेन+ पिपेरेक्विन, इ आर्टीथर और बुलाक्विन के सम्मिश्रणों को पंजीकृत किया गया, जबकि भारत के औषध महानियंत्रक को डीएचए + पीपीक्यू के पंजीकरण हेतु एक डोजियर प्रस्तुत किया गया है।

वैक्सीनें

- दो इंटरनेशनल सेंटर फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग व बायोटेक्नोलॉजी (आईसीजीईबी), नई दिल्ली व मलेरिया वैक्सीन विकास कार्यक्रम (एमवीडीपी), नई दिल्ली संयुक्त रूप से पी. फाल्सीपेरम मलेरिया के लिए एक वैक्सीन तैयार कर रहे हैं। इस कार्यक्रम के अंतर्गत, भारत बायोटैक इंटरनेशनल लिमिटेड, हैदराबाद ने आईसीजीईबी, नई दिल्ली द्वारा विकसित पी. फाल्सीपेरम मलेरिया, जेएआईवीएसी-1 के लिए प्रथम जेनरेशन वैक्सीन केन्डीडेट को निर्मित किया और भारत के औषध महानियंत्रक (डीसीजीआई) व इन्स्टीट्यूशनल रिव्यु बोर्डस (आईआरबी) से विनियामक अनुमोदनों को प्राप्त करने के पश्चात स्वस्थ वयस्क स्वयंसेवकों में चरण.1 सुरक्षा व प्रतिरक्षाजनकता (इम्युनोजेनिसिटी) परीक्षण किया। आईसीजीईबी, नई दिल्ली में जेएआईवीएसी-1 से रोग प्रतिरक्षित स्वयंसेवकों की रोग प्रतिरक्षा अनुक्रियाओं का विश्लेषण किया गया। जेएआईवीएस-1 को सुरक्षित पाया गया लेकिन प्रतिरक्षाजनकता में सुधार की जरूरत थी। आईसीजीईबी

ने डीबीटी से प्राप्त वित्तपोषण से अब पी. फाल्सापेरम, जेएआईवीएसी-2 व जेएआईवीएसी-3 हेतु अगले उत्पादन के रक्त अवस्था वैक्सीन केंडीडेटों को विकसित किया है जिनका इस समय प्रतिरक्षाजनकता हेतु पूर्व नैदानिक अध्ययनों में परीक्षण किया जा रहा है।

- आईसीजीईबी में मलेरिया वैक्सीन इनिसिएटिव व डीबीटी की संयुक्त सहायता से डफी बाइंडिंग प्रोटीन पर आधारित पी. वाइवेक्स मलेरिया हेतु एक वैक्सीन को भी विकसित किया जा रहा है।

- इन रक्त अवस्था वैक्सीन केंडीडेटों के अतिरिक्त डीबीटी, डिलीवरी के लिए विषाणु जैसे कणों का उपयोग करते हुए पी. फाल्सीपेरम के विरुद्ध एक पूर्व-इरिथरोसिटिक वैक्सीन के विकास हेतु आईसीजीईबी व सीपीएल बायोलॉजिकल्स प्राइवेट लिमिटेड, अहमदाबाद के बीच सहयोग का भी समर्थन कर रहा है। इस वैक्सीन के बारे में आगे के ब्यौरे आईसीजीईबी/डीबीटी से प्राप्त किए जा सकते हैं।

- सुन्दरगढ़ जिला, ओडिशा व जबलपुर जिला, मध्यप्रदेश में एनआईएमआर द्वारा विकसित दो स्थलों के अंतर्गत जनगणना की गई है और उनके रोग प्रतिरक्षा विज्ञानीय प्रोफाइल का अध्ययन किया गया। नियमित अंतरालों पर कीट विज्ञानीय व परजीवी विज्ञानीय सर्वेक्षण भी किए गए। अत: जब यह उपलब्ध हो जाएगी तो इस क्षेत्र में एक मलेरिया वैक्सीन का परीक्षण करने के लिए नैदानिक परीक्षण स्थल उपलब्ध हैं।

[अनुवाद]

ऋण की वसूली

1986. श्रीमती रमा देवी:
श्री एस. अलागिरी:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान देश में सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा संवितरित वाहन और आवास ऋण का बैंक-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) आज की तारीख तक इन खातों में वसूल नहीं किए गए ऋण का ब्यौरा क्या है तथा बैंक-वार इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या ऋण की वसूली के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने सरकारी क्षेत्र के बैंकों को कोई निर्देश/दिशानिर्देश जारी किया है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है एवं यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए/उठाए जाने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा): (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा संवितरित वाहन तथा आवास ऋणों का बैंक-वार ब्यौरा तथा अब तक वसूल नहीं हुए ऋणों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने अनुदेश जारी किए हैं जिसमें वह तिथि निर्धारित की गई है जब तक प्रत्येक बैंक में सभी अर्थक्षम खातों के पुनर्गठन के समय ही संकट के संकेतों का आरम्भ में ही पता लगाने संबंधी सुदृढ़ तंत्र रखे जाने की आवश्यकता है। एक ऋण वसूली नीति, जिसमें बकाया की वसूली की पद्धति निर्धारित हो, कमी के लक्षित स्तर (अवधि-वार) अनुमत त्याग/छूट के लिए मानदंड, माफी पर विचार करने से पूर्व विचारणीय मदें, निर्णय स्तरों एवं उच्च प्राधिकारियों को रिपोर्ट करना, बट्टे खाते डालने/माफी के मामलों की निगरानी, अपनी ऋण जोखिमों के लिए स्वीकार किए गए जमानतों सहित संपत्तियों का मूल्यांकन, सरफासी अधिनियम, 2002, डीआरटी तथा लोक अदालत जैसे विधिक तंत्र का सहारा लेना शामिल हो।

सरकार ने वसूली की गति को बढ़ाने तथा एनपीए के प्रबंधन के लिए सरकारी क्षेत्र के बैंकों को कई नए कदम उठाने की सलाह दी है, जिनमें वसूली के लिए नोडल अधिकारियों की नियुक्ति, हानि वाली आस्तियों की वसूली के लिए विशेष अभियान चलाना, पूर्व चेतावनी प्रणाली लगाना, उत्तरदिनांकित चैक प्रणाली के स्थान पर इलेक्ट्रानिक समाशोधन प्रणाली (ईसीएस) लागू करना और वसूली की निगरानी के लिए बोर्ड स्तरीय समिति गठित करना शामिल है।

संसद ने अशोध्य ऋणों की वसूली में कतिपय अवरोधों को दूर करने के लिए हाल ही में प्रतिभूति हित का प्रवर्तन और ऋण वसूली विधि (संशोधन) अधिनियम, 2012 को अधिनियमित किया गया है। यह संशोधन अधिनियम दिनांक 15.1.2013 से लागू हुआ है।

विवरण

संवितरित और वसूल न हुए वाहन तथा आवास ऋण

(करोड़ रुपए में)

क्र.सं	बैंक का नाम	संवितरित वाहन ऋण				वसूल नहीं हुए वाहन ऋण	संवितरित आवास ऋण				वसूल नहीं हुए आवास ऋण
		2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	दिस. 2012 की स्थिति के अनुसार	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13^	केवल 2012-13 (दिस. 12 तक की स्थिति के अनुसार)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	इलाहाबाद बैंक	248.72	289.76	347.40	363.83	43.29	533.30	687.01	794.33	817.12	193.57
2.	आंध्रा बैंक	182.00	182.00	167.00	186.00	14.00	1404.00	1260.00	949.00	1118.00	170.00
3.	बैंक ऑफ बड़ौदा	840.92	3948.09	1162.21	1037.69	39.12	3539.76	1175.64	3300.84	2710.70	58.32
4.	बैंक ऑफ इंडिया	357.87	751.05	974.33	799.57*	73.00	368.38	1129.60	2213.87	2367.55*	124.75
5.	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	172.17	1185.51	162.88	337.76*	7.94	1239.56	1352.76	1179.26	1863.44	52.29
6.	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	147.00	197.00	267.00	360.00	45.00	994.00	978.00	1491.00	1280.00	380.00
7.	कारपोरेशन बैंक	642.86	758.56	1172.89	1244.96	51.12	1385.40	2022.32	1849.24	2012.31	69.27
8.	केनरा बैंक	803	714	739	632	49.27	1270	1575	2069	1244	162.52
9.	देना बैंक	84.06	108.36	120.15	267.57	8.18	410.77	445.28	774.87	435.71	103.20
10.	इंडियन बैंक	139.20	184.70	254.30	267.01	5.60	1050.87	1112.64	1334.81	1264.66	35.13
11.	ओरियंटल बैंक ऑफ कामर्स	469.93	579.78	681.04	630.58*	38.80	1134.08	1358.75	1690.25	1576.11*	138.98*
12.	पंजाब नैशनल बैंक	614.88	871.99	1486.44	999.55	60.83	277526	4178.05	4874.02	2759.63	330.96
13.	भारतीय स्टेट बैंक	6184.00	8572	8669	10163*	330	20843	20364	18820	17436*	2028
14.	विजया बैंक	459.98	1305.98	868.05	721.70	57.29झ	614.40	59689	701.93	689.73	162.99^
15.	युनियन बैंक ऑफ इंडिया	674.40	610.7	625.0	845.1*	89.4	3121.0	2566.7	278.7	2701.6*	368.3
16.	आईडीबीआई	76.13	107.25	28.17	20.00	1.29	6153.70	6034.84	3528.65	2220.85	98.41
17.	इंडियन ओवरसीज बैंक	123.30	260.30	332.13	303.13*	शून	254.47	870.95	136.49	106.41*	शून्य
18.	पंजाब एंड सिंध बैंक	127.13	195.78	269.25	300.29*	4.09	390.76	465.72	598.50	537.07*	49.46
19.	स्टेट बैंक बीकानेर एंड जयपुर	316.51	303.62	394.61	550.66	14.63	575.72	591.46	530.01	491.61	77.61
20.	स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	512.58	67.94	517.63	807.42	24.76	1517.76	1643.54	1836.70	1738.89	89.24
21.	स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	225.65	211.42	184.04	248.00^	0.14	788.16	794.30	668.77	877.96	1.33@
22.	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	708.00	796	627	721^	1.0^	1048	1125	1211	1031*	1.0*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23.	स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर	659.15	535.66	351.96	447.78	57.44	1777.75	1717.86	1324.92	920.02	174.20
24.	सिंडिकेट बैंक	177.24	352.94	263.11	290.45	46.80	1017.75	1121.96	1094.24	805.45	362.81
25.	यूको बैंक	80.74	118.05	208.63	387.99	6.55	517.33	595.37	490.32	919.66	45.52
26.	यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	186.30	268.02	210.14	161.62	11.15	606.76	743.32	709.19	626.93	96.80

^दिसम्बर 2012 की स्थिति के अनुसार

*जनवरी 2013 की स्थिति के अनुसार

@फरवरी 2013 की स्थिति के अनुसार

नए ग्लोबल रिस्पायरेटरी वायरस के प्रति डब्ल्यू.एच.ओ. की चेतावनी

1987. श्री पी. कुमारः
डॉ. पी. वेणुगोपालः
श्री सुरेश अंगड़ीः
श्री अब्दुल रहमानः
श्री सी. शिवासामीः
श्री संजय निरूपमः

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या पूरे विश्व में नए सीवीयर एक्यूट रिस्पायरेटरी सिण्ड्राम (एस.ए.आर.एस.) जैसे रिस्पायरेटरी वायरस के फैलने के प्रति विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यू.एच.ओ.) ने वैश्विक चेतावनी जारी की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) देश में सार्स की तरह के वाइरस फैलने की निगरानी के लिए विभिन्न हवाई अड्डों, पत्तनों और भू-सीमाओं पर विद्यमान स्वास्थ्य निगरानी इकाइयां कौन सी है;

(घ) क्या सरकार ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रवेश के विभिन्न स्थानों पर स्वास्थ्य निगरानी को सुदृढ़ बनाने के लिए कोई कार्य योजना बनाई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या प्रगति हुई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) और (ख) जी नहीं। तथापि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने गंभीर तीव्र श्वसनी पीड़ा सिंड्रोम (एसएआरएस) के कारण बनने वाले एक नवीन कोरोनावायरस के उभरने के संबंध में 25 सितंबर, 2012 को सदस्य राष्ट्रों को सचेत किया है। आज की तारीख तक डब्ल्यूएचओ को नवीन कोरोनावायरस से मानव संक्रमण की 7 मौतों सहित कुल 13 पुष्ट मामलों की सूचना मिली है। ये मामले कतर (2 मामले, कोई मौत नहीं), सऊदी अरब (6 मामले, 4 मौतें), जॉर्डन (2 मामले, 2 मौतें) और यूनाइटेड किंगडम (3 मामले, 1 मौत) से सूचित किए गए हैं। सरकार ने इस स्थिति की समीक्षा की है।

(ग) देश में 15 अंतर्राष्ट्रीय प्रवेश बिंदुओं पर नामोद्दिष्ट स्वास्थ्य यूनिटें हैं। ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) और (ङ) डब्ल्यूएचओ ने इस घटना के संबंध में प्रवेश बिंदुओं पर विशेष जांच की सलाह नहीं दी है और न ही इसने किसी भी यात्रा अथवा व्यापार संबंधी प्रतिबंध लागू करने की सिफारिश की है।

विवरण

नामोद्दिष्ट हवाई अड्डे बंदरगाह और जमीनी सीमा स्वास्थ्य संगइन की सूची (एपीएचओएस/पीएचओएस/सीमा क्रासिंग स्वास्थ्य यूनिट) (संख्या 15)

क्र.सं.	हवाई अड्डा स्वास्थ्य संगठन (एपीएचओ)
1.	एपीएचओ, चेन्नई
2.	एपीएचओ, तिरुचिरापल्ली
3.	एपीएचओ, दिल्ली
4.	एपीएचओ, कोलकाता
5.	एपीएचओ, मुंबई

बंदरगाह स्वास्थ्य संगठन (पीएचओ)	
6.	पीएचओ, मुंबई
7.	पीएचओ, कोलकाता
8.	पीएचओ, कांडला
9.	पीएचओ, जेएनपीटी, शेवा
10.	पीएचओ, कोचीन
11.	पीएचओ, विशाखापट्टनम
12.	पीएचओ, मंडपम कैमप
13.	पीएचओ, चेन्नई
14.	पीएचओ, मार्मागोआ
	जमीनी सीमा संगरोध पोस्ट
15.	एबीक्यू, अमृतसर
कुल =15(5 एपीएचओ +9 पीएचओ +1 जमीनी सीमा क्रासिंग)	

एम्स जैसे संस्थान

1988. श्री यशवीर सिंह:
श्री हरिश्चंद्र चव्हाण:
श्री निशिकांत दुबे:
श्री नीरज शेखर:
योगी आदित्यनाथ:
श्री रेवती रमण सिंह:
श्री एन. चेलुवरया स्वामी:
श्री दिलीप सिंह जूदेव:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को विभिन्न राज्य सरकारों से अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (ए.आई.आई.एम.एस.) जैसे संस्थान अपने राज्यों में खोलने के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो इन प्रस्तावों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार वर्तमान स्थिति क्या है और यदि कोई देरी है तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इन प्रस्तावों के कब तक स्वीकृत होने की संभावना है; और

(घ) 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान एम्स जैसे नए संस्थान खोलने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) जी हां। केन्द्र सरकार को दिल्ली, केरल, महाराष्ट्र और झारखंड की सरकारों से अनुरोध प्राप्त हुए हैं।

(ख) और (ग) वर्तमान में उपर्युक्त उल्लिखित चार राज्यों में एम्स जैसे संस्थानों की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) वर्तमान में 12वीं पंचवर्षीय योजना के तहत एम्स जैसे नए संस्थान की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। एम्स जैसे 8 संस्थानों की मंजूरी 12वीं पंचवर्षीय योजना से पहले दी गई थी।

अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट

1989. श्री आनंद प्रकाश परांजपे:
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड:
श्री भास्करराव बापूराव पाटील खतगांवकर:
श्री एन॰एस॰वी॰ चित्तन:

क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में गुवाहाटी में तीन-दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का आयोजन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा तथा इसके उद्देश्य क्या है;

(ग) इस मार्ट में कितने देशों ने हिस्सा लिया;

(घ) देश के, विशेषकर उत्तर-पूर्व क्षेत्र के पर्यटन संभाव्यता को बढ़ावा देने/पर प्रकाश डालने में ऐसे मार्ट किस प्रकार से सहायक होते हैं और इसमें क्या सफलता मिली; और

(ङ) सरकार ने देश के अन्य भागों में ऐसे अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का आयोजन करने के लिए क्या कदम उठाया है?

पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (डॉ. के. चिरंजीवी): (क) जी, हां।

(ख) घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में उत्तर-पूर्व क्षेत्र की व्यापक अप्रयुक्त पर्यटन संभाव्यता को प्रदर्शित करने के उद्देश्य से

18 जनवरी से 20 जनवरी, 2013 तक गुवाहाटी में यह मार्ट आयोजित किया गया।

(ग) 23 देशों ने भाग लिया।

(घ) इस समारोह से भारत के आठ उत्तर-पूर्वी राज्यों और पश्चिम बंगाल एवं अन्य प्रतिभागी देशों और राज्यों के पर्यटन व्यवसायिकों को एक साथ लाने का मौका दिया। बिजनेस-टू-बिजनेस मीटिंग में क्रेताओं और विक्रेताओं में बातचीत को सुविधाजनक बनाने के लिए इस समारोह की योजना बनाई गई और कार्यक्रम तैयार किया गया। इससे क्षेत्र के पर्यटन उत्पाद आपूर्तिकर्ता अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू खरीददारों तक पहुंच सके।

(ङ) पर्यटन मंत्रालय इस क्षेत्र में पर्यटन के संवर्धन पर अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट गुवाहाटी के प्रभाव का विश्लेषण कर रहा है।

सौर लैम्प

1990. श्री अदगुरू एच. विश्वनाथः
श्री एम.आई. शानवासः
श्री प्रेम दास रायः

क्या **नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा देश के ग्रामीण क्षेत्रें में सौर ऊर्जा का दोहन करने के लिए बनाये गये कार्यक्रमों/योजनाओं का ब्यौरा क्या है और सौर ऊर्जा से विद्युतीकृत तथा गैर-विद्युतीकृत गांवों की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान इस उद्देश्य हेतु आबंटित और उपयोग की गई धनराशि का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) देश के दूरस्थ और ग्रामीण क्षेत्रों विशेषकर सीमित विद्युत सम्पर्क वाले दूर-दराज के ग्रामीण बसावटों में सौर लैम्प हेतु दी जा रही राज सहायता का ब्यौरा क्या है;

(घ) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान इस कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार लाभाथियों की संख्या कितनी है; और

(ङ) क्या सरकार ने सौर लैम्पों की खरीद के लिए कोई विशिष्टियां अधिसूचित की है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है एवं ऐसे लैम्पों की आपूर्ति के लिए पात्र विक्रेताओं की सूची क्या है?

नवीन और नवीनकरणीय ऊर्जा मंत्री (डॉ. फारुख अब्दुल्ला): (क) से (ग) जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन की ऑफ-ग्रिड और विकेन्द्रीकृत सौर अनुप्रयोग स्कीम के तहत नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय सामान्य श्रेणी के राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों में सौर लालटेनों, घरेलू रोशनियों, सड़क रोशनियों, जल पंपन प्रणालियों, लालटेन चार्जिंग स्टेशनों और 100 किलोवाट पीक तक की प्रकाशवोल्टीय (पीवी) मॉड्यूल क्षमता के स्टैंड-अलोन विद्युत संयंत्रों की संस्थापना के लिए अधिकतम 81 रु. प्रति डब्ल्यूपी के अध्यधीन परियोजना लागत की 30% सब्सिडी उपलब्ध करा रहा है। स्कीम के तहत मंत्रालय केन्द्रीय तथा राज्य सरकार के मंत्रालयों, विभागों और उनके संगठनों, राज्य नोडल एजेंसियों तथा स्थानीयय निकायों द्वारा संस्थापना हेतु विशेष श्रेणी के राज्यों में अधिकतम 243 रु. प्रति डब्ल्यूपी तक सीमित सौर सड़क रोशनियों और ऑफ-ग्रिड पीवी विद्युत संयंत्रों की लागत की 90% सब्सिडी उपलब्ध कराता है। मंत्रालय नाबार्ड, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और वाणिज्यिक बैंकों के माध्यम से 210 डब्ल्यूपी तक की मॉड्यूल क्षमता वाली लघु क्षमता की पीवी प्रणालियों और सौर लालटेनों, घरेलू रोशनियों के लिए 108 रु. प्रति डब्ल्यूपी तक सीमित प्रणाली की लागत की 40% की सब्सिडी भी उपलब्ध कराता है। मंत्रालय बिजली की पूरी न की गई मांग को पूरा करने के लिए ग्रामीण बैंकों में माइक्रो/मिनी ग्रिड प्रणालियों के साथ सौर पीवी विद्युत संयंत्रों की संस्थापना के लिए 150 रु. प्रति डब्ल्यूपी तक सीमित परियोजना लागत की 30% सब्सिडी भी उपलब्ध करा रहा है।

मंत्रालय के दूरस्थ ग्राम विद्युतीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत देश में 10,095 दूरस्थ गांवों और बस्तियों में सौर प्रकाशवोल्टीय रोशनी प्रणाली उपलब्ध कराई गई है।

ग्रामीण क्षेत्रों में सौर रोशनियों और ऑफ-ग्रिड एसपीवी विद्युत संयंत्रों के लिए निधियों का कोई राज्य-वार आबंटन नहीं किया गया है। पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में सौर रोशनी प्रणालियों और विद्युत संयंत्रों के लिए जारी की गई राज्य-वार निधियां संलग्न विवरण-I में दी गई हैं।

(घ) पिछले तीन वर्षो और वर्तमान वर्ष के दौरान सौर लालटेनों, घरेलू रोशनियों और सड़क रोशनियों की राज्य-वार सूची संलग्न विवरण-II में दी गई है।

(ङ) मंत्रालय ने सीएफएल और एलईडी आधारित सौर लालटेनों, घरेलू रोशनियों हेतु विनिर्देश बनाए हैं। ऑफ-ग्रिड और विकेन्द्रीकरण सौर अनुप्रयोग स्कीम के तहत इन प्रणालियों की आपूर्ति हेतु आर्हता प्राप्त विक्रेताओं की सूची संलग्न विवरण-III में दी गई है।

विवरण I

वर्ष 2009-10, 2010-11, 2011-12 और वर्ष 2012-13 के दौरान दिनांक 28.02.2013 तक रोशनी प्रणालियों, पंपों और ऑफ-ग्रिड- एसपीवी विद्युत संयंत्रों हेतु एसपीवी ऑफ-ग्रिड कार्यक्रमों के अंतर्गत जारी निधियां

क्र.सं.	राज्य/संघ	कुल
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	17.44
2.	अरुणाचल प्रदेश	333.00
3.	असम	104.00
4.	बिहार	20.00
5.	छत्तीसगढ़	950.56
6.	गोवा	64.00
7.	हरियाणा	843.14
8.	हिमाचल प्रदेश	639.00
9.	जम्मू और कश्मीर	300.60
10.	झारखंड	300.00
11.	केरल	45.00
12.	मध्य प्रदेश	603.78
13.	महाराष्ट्र	5.00
14.	मणिपुर	173.00
15.	मेघालय	100.00
16.	नागालैंड	100.00
17.	ओडिशा	4.00
18.	पुदुचेरी	5.00
19.	पंजाब	488.00
20.	राजस्थान	4147.00
21.	सिक्किम	507.18
22.	तमिलनाडु	2403.00
23.	त्रिपुरा	240.00
24.	उत्तराखंड	1439.53
25.	उत्तर प्रदेश	1670.00
26.	पश्चिम बंगाल	661.96
27.	अन्य (सीईएल, आरईआईएल, नाबार्ड, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, गैर सरकारी संगठन आदि) और अन्य चैनल भागीदार	140.46
	कुल	16344.65

विवरण II

पिछले तीन वर्षों और वर्ष 2012-13 के दौरान दिनांक 31.01.2013 तक एसपीवी रोशनी प्रणालियों की राजयवार संचयी संस्थापन (संख्या में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	लालटेन	घरेलू रोशनी	सड़क रोशनी
1	2	3	4	5
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	63	32
2.	अरुणाचल प्रदेश	6208	6709	2540
3.	अरुणाचल प्रदेश	496	10302	183
5.	बिहार	0	3799	265
6.	चंडीगढ़	0	0	898
7.	छत्तीसगढ़	119	226	633

1	2	3	4	5
8.	दिल्ली	54	0	0
9.	गोवा	181	71	312
11.	हरियाणा	48893	26155	15493
12.	हिमाचल प्रदेश	939	5746	5064
13.	जम्मू और कश्मीर	15813	26364	310
14.	झारखंड	7000	4368	0
15.	कर्नाटक	0	19701	423
16.	केरल	13186	608	645
17.	लक्षद्वीप	5289	0	1725
18.	मध्य प्रदेश	35	1101	3144
19.	महाराष्ट्र	60000	2617	4929
20.	मणिपुर	904	1015	558
21.	मेघालय	0	0	0
22.	मिजोरम	3777	3756	116
23.	नागालैंड	1361	365	0
24.	ओडिशा	0	0	15
26.	पंजाब	0	0	1296
27.	राजस्थान	0	57109	220
28.	सिक्किम	19550	5653	277
29.	तमिलनाडु	0	6320	3678
30.	त्रिपुरा	21922	29023	426
31.	उत्तराखंड	0	0	5679
32.	उत्तर प्रदेश	10332	145972	113463
33.	पश्चिम बंगाल	14000	47136	6475
34.	अन्य	0	15463	0
		230059	419642	168799

विवरण III

सौर लालटेनों, घरेलू रोशनियों और सड़क रोशनियों के विनिर्माताओं के नाम, जिन्होंने सौर ऊर्जा केन्द्र और एमएनआरई के अधिकृत परीक्षण केन्द्रों से प्रमाणपत्र प्राप्त किए है।

क्र.स.	सौर
1	2
1.	सौर लालटेनों, घरेलू रोशनियों और सड़क रोशनियों के विनिर्माताओं के नाम
1.	मैसर्स पावर टेक्नोलोजी कारपोरेशन, एस-158, ग्रेटर कैलाश-11, नई दिल्ली-110048
2.	मैसर्स सिल्वर स्पार्क (प्रा.) लि., सी-143, हौजरी कॉम्प्लैक्स, फैज-11, एकसटेंशन-नोएडा 201305, राज्य-उत्तर प्रदेश
3.	मैसर्स एक्सिकोन पेले सिस्टम, लि. कमर्शियल कॉम्प्लैक्स, ग्रेटर कैलाश-11, मस्जिद मोठ, नई दिल्ली
4.	मैसर्स इकान्त रिन्यूएबल एनर्जीज प्रा. लि., सी-134, नारायणा इंडस्ट्रियल एरिया, फेज-1, नई दिल्ली-110028
5.	मैसर्स यूएम ग्रीन लाइटिंग प्रा. लि., को, ऑफिस यूएम हाउस, प्लॉट सं. 35, सैक्टर-35, सैक्टर-44, गुड़गांव-122002, राज्य हरियाणा
6.	मैसर्स एस.जी. एंटरप्राइजेज ब्रांच ऑफिस, प्लॉट नं. 4/8, यूपीएसआईडीसी, साइट-II, इंडस्ट्रियल एरिया, अजन्ता कम्पाउंड, लोनी रोड़ मोहन नगर, जिला गाजियाबाद, राज्य-उत्तर प्रदेश, पिन-201007
7.	मैसर्स कम्यूनिकेशन एंड सिस्टम इंजीनियरिंग प्रा. लि., प्रथम तल, वत्स प्रिंटिंग प्रेस कॉम्प्लैक्स, उद्योग विहार, फेंस-I, गुड़गांव-122001
8.	मैसर्स सनलाइट सोलर सिस्टम प्रा. लि. 561/415, सिंधु नगर, पोस्ट ऑफिस मानस नगर, लखनऊ, राज्य-उत्तर प्रदेश, पिन-226023
9.	मैसर्स माइक्रोटेल हैड ऑफिस 50/001, मनीष नगर, कालवा, थाणे-400605, राज्य महाराष्ट्र
10.	मैसर्स सोलंकी सोलर (इंडिया), ए-38/1, प्रथम तल, इलेक्ट्रोनिक पार्क, ओपो, गुजरात टीवी, सैक्टर, पी.एस. तारकुरपुरकर कोलकाता-700104
12.	मैसर्स सनशाइन पावर प्रोडक्ट प्रा. लि., सनशाइन हाउस, हसपुरकर ग्रीन पार्क (खेल पोल) बकराहअ रोड, पी.ओ-जोका, थरकारपुर, कोलकाता-7001004
13.	मैसर्स यूकेबी इलेक्ट्रोनिक्स प्रा.लि., सी-118, 119, 120, सैक्टर-63 नोएडा, जिला जी.बी.नगर, राज्य-उत्तर प्रदेश
14.	मैसर्स जैन सिंचाई प्रणाली लि., 51/1, लवन्या थिएअर के पीछे, ओसबोकरने रोड, बंगलौर-560042
15.	मैसर्स अक्षय ज्योति एनर्जी प्रा. लि0, 608, प्रथम तल, मारूति प्लाजा, संजय पैलेस, आगरा-282002
16.	मैसर्स एवीआई एप्लाईसिज प्रा. लि., 66, नारायण इंडस्ट्रीयल इस्टेट, रायपुर मिल्स के सामने, सारापुर, अहमदाबाद-380018
17.	मैसर्स हाईलाइट एंटरप्राइजेज, ऑफिस-बी-61, इंदिरा नगर, लखनऊ-226016, वर्क्स दफती मिल्स कम्पाउंड, टिकेत राय तालाब, लखनऊ-226004
18.	मैसर्स महर्षि सोलर टेक्नोलोजी (पी) लि0, रजिस्टर्ड ऑफिस ए-14, मोहन कोप., इंडस्ट्रियल एरिया, मथुरा रोड, नई दिल्ली-110044
19.	मैसर्स मोजरबेयर (इंडिया) लि. 66, उद्योग विहार, ग्रेटर नोएडा, जिला-गौतमबुद्ध नगर, राज्य-यूपी-201306
20.	मैसर्स नोएडा सोलर एनर्जी प्रा. लि., सी-79, सैकटर-88, फेज-2, जी.बी. नगर, नोएडा, राज्य-यूपी पिन 201305
21.	मैसर्स सिकांड एंड पॉल्स लि., बी-27, वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया, दिल्ली-110052
22.	मैसर्स नविस टेक्नोलोजिज प्रा. लि. 141 बी इलेक्ट्रोनिक कॉम्प्लेक्स परदेसीपुरा, इंदोर, मध्य प्रदेश, इंडिया, पिन-452010

1	2
23.	मैसर्स तपन सोलर एनर्जी प्रा. लि., जी-174, फेज-II, रिको, इंडस्ट्रियल एरिया, नीमराना-301705
24.	मैसर्स संधु एनर्जी सेविंग सिस्टम, हाउस नं. 357, लक्ष्मी नगर, बड़ोदा रोडद्व गोहाना-131301, सोनीपत, हरियाणा
25.	मैसर्स माइक्रोटेल सोलर सिस्टम एंड प्रोजेक्ट कंसल्टेसी एच.ओ. 50/001, मनीष नगर, कालवा, थाणे-400605
26.	मैसर्स राज फाउंटेनस एंड लाइट्स 7, पोलोविक्ट्री कॉम्प्लैक्स, स्टेशन रोड, जयपुर, राजस्थान
27.	मैसर्स सैंट्रल इलेक्ट्रोनिक्स लि., साहिबाबाद, यूपी-201301
28.	मैसर्स रितिका सोलर सिस्टम लि. नोएडा, राज्य-उत्तर-प्रदेश
29.	टॉपसन एनर्जी प्रा. लि. अहमदाबाद
30.	एस.एस. इलेक्ट्रोनिक्स
31.	सूर्यलोक सोलर एंटरप्राइज
32.	2एन सोलर
33.	आस्था सोलर एनर्जी (पी.) लि.
34.	अभिनव एंटरप्राइजेज
35.	अभिषेक सोलर इंडस्ट्रीज प्रा. लि.
36.	अक्सेस सोलर
37.	आदित्य सोलर एनर्जी प्रणाली
38.	आदित्य सोलर एनर्जी प्रणाली
39.	अडोज रिन्यूएबल
40.	एई टेले लिंक
41.	अक्षय सोलर पावर इंडिया (प्रा.) लि.
42.	अक्सन्स सोलर (प्रा.) लि.
43.	आलविंड टेक्नोलोजिज
44.	अलपेक्स एक्सपोर्टस (प्रा.) लि.
45.	अम्बिका एंटरप्राइजेज
46.	अमिनी सोलर
47.	एरो एरोस्पेस (प्रा.) लि.
48.	अयूरो पावर (प्रा.) लि.
49.	अवनी एनर्जी सोल्यूशन
50.	बेन बरी सोलर सिस्टमस

1	2
51.	बीईएल, मुम्बई
52.	बीजी एप्लाइंसिज
53.	बिपिन इंजीनियर्स
54.	ब्रायो-एनर्जी
55.	चमनलल जैन एंड सन्स
56.	चिप्स एंड बाइटस
57.	दरसी इंजीनियरिंगस
58.	दीपा सोलर
59.	दीपा सोलर लाइटिंग सिस्टम
60.	देशमुख सोलर
61.	धनश्री एंटरप्राइजेज
62.	डाइआी फ्यूल
63.	डिगीफिल्क कंट्रोलस (प्रा.) लि.
64.	दुरोन सोलर
65.	डायनेमिक पावर
66.	इकोसन रिन्यूएबल
67.	ईएल सोल एनर्जी (प्रा.) लि.
68.	इलेक्ट्रा सोलर सिस्टमस
69.	ईमवी फाटोवोल्टिक पावर (प्रा.) लि.
70.	एनर्जी एफिशिएन्सी लाइटस
71.	इन्फ्रोज पावर
72.	इनोलर सिस्टमस
73.	ईपीई इंडस्ट्रीज
74.	गोतम पोलीमर
75.	गीतांजलि सोलर एंटरप्राइज
76.	गेनसाई एनर्जी (प्रा.) लि.
77.	जीके एनर्जी मार्केटर्स
78.	ग्लोमिंग पावर

1	2
79.	ग्लोबल टेलेलिंक्स
80.	ग्रीन टेक इंडिया (प्रा.) लि.
81.	इंडो ऑटोमेटिव बैटरी
82.	इंडस्ट्रियल कलिंग
83.	जगथ ज्योथि सोलर एनर्जी (प्रा.) लि.
84.	जायसवाल बैटरी सर्विस
85.	जेजेपीवी सोलर
86.	जेएम एसोसिएट
87.	के.एस. पावर इंफ्रा
88.	के.एस.पी. इंडस्ट्रीज
89.	किनारा पावर सिस्टम
90.	कोटेक ऊर्जा
91.	कृपा टेलीकॉम
92.	लक्ष्मी एग्रो एनर्जी (प्रा.) लि.
93.	लेविकॉन इंडिया सिस्टमस (प्रा.) लि.
94.	लिबर्टी एंटरप्राइजेज
95.	मैकॉन इंडस्ट्रीज
96.	मंत्री सोलर
97.	मैक्सप्योर
98.	मेल्को पावर टेक
99.	एमजी सोलर
100.	माइक्रोसन सोलर
101.	एमआईआरसी इंडस्ट्रीज
102.	मॉडर्न लाइटिंग सिस्टम
103.	मॉडर्न सोलर (प्रा.0 लि.
104.	मल्टी सर्विसेज इंक
105.	नेचुरल लाइटस
106.	न्यू टेक सोलर

1	2
107.	निकिता इलेक्ट्रोनिक्स
108.	निर्मल पावर्स
109.	नोवस रेमिडिज
110.	ओम शकित इंडस्ट्रीज
111.	ओर्ब एनर्जी
112.	पीएई रिन्यूएबलस
113.	पावर इलेक्ट्रो सिस्टम
114.	पावरकॉन इलेक्ट्रो सिस्टम
115.	पावरटेक कंट्रोल
116.	प्रगट अक्षय ऊर्जा
117.	प्रोलाइट सिस्टम्स
118.	प्रोम्पट रिन्यूएबलस
119.	पी-ट्रोनिक्स
120.	पुंका
121.	आर ई आई इलेक्ट्रोनिक्स
122.	आर.बी. इलेक्ट्रोनिक्स
123.	रवि किरन रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम्स
124.	रश्मि इंडस्ट्रीज
125.	रेडरेन एनजी (प्रा.) लि.
126.	सालुंके इंडस्ट्रीज
127.	संघु एनजी सेविंग सिस्ट्म्स
128.	सांगवान एनर्जी
129.	सतीश एग्रो इंडस्ट्रीज
130.	सत्यम सोल्यूशनस
131.	एसईडीओपी
132.	शिव निरवरूति सोलर
133.	शिवचैतन्या सोलर
134.	श्री एंटरप्राइजेज

1	2
135.	सिग्मा स्टील एंड इंजी. (प्रा.) लि.
136.	सिलिकॉन टेक्नोलोजिज
137.	सोलेक रिन्यूएबल एनर्जी (प्रा.) लि.
138.	सोलर इलेक्ट्रोनिक्स
139.	सोलर प्रोडक्ट कंपनी
140.	सोल्यूशन 4 एनर्जी
141.	सोर इंजीनियर्स
142.	स्पेस सोलर सोफी
143.	श्री सांई टेक्नोलोजिज
144.	एसआरके सोलर
145.	सुजलाम इको सॉल्यूशंस (प्रा.) लि.
146.	सुमेधा एनर्जी सॉल्यूशंस (प्रा.) लि.
147.	सन एनर्जी सिस्टम
148.	सनराइज टेक्नोलोजी
149.	संस्कृति सोलर
150.	सुपर पावर एनर्जी (प्रा.) लि.
151.	सु-प्रा
152.	सूर्यकोटि
153.	स्वास्तिक एंटरप्राइजेज
154.	सिनर्जिक सिस्टम्स
155.	सिनर्जी निन्यूएबल एनर्जी
156.	थ्राइव एनर्जी सिस्टम्स
157.	त्रिमर्ति सोलर स्टीम (प्रा.) लि.
158.	ऊर्जा विकास सोलर
159.	ऊर्जा फयूचर सिस्टम
160.	यूटोपिया ऑटोमेशन
161.	वेदिस सोलर
162.	वेलनेट नॉन कॉन्वेंशनल

1	2
163.	विन सेमीकंडक्टर्स
164.	वारी एनर्जीस
165.	जेनिथ एनर्जी
166.	फिलिप्स इलेक्ट्रोनिक्स इंडिया लि., फिलिप्स इनोवेशन कैम्पस, मान्यता टेक पार्क नागावारा, बंगलौर 560045
167.	कोम्प्अन ग्रीव्ज लि., सीजी हाउस, 6वां तल, डा. एनी बेसेंट रोड, वर्ली मुम्बइ 400030
168.	मिंडा नेक्सजेनटेक लि. ए-37, राजस्थान, उद्योग नगर, जीटी करनाल रोड, दिल्ली-10033
169.	नवसेमी टेकनोलोजिज प्रा. लि., प्लॉट नं. 31 (पी2) फेज 11, सेमीकोन पार्क, इलेक्ट्रोनिक्स सिटी, बंगलौर-560100
170.	सोलर लैंड रिन्यूएबल एनर्जी (इंडिया) पी 28/40, द्वितीय तल, 72 स्ट्रीट, आर.वी. नगर, जफरखानपेट, चैन्नई-600083
171.	पेस पावर सिस्टम्स प्रा. लि. वी-12, इंडस्ट्रियल इस्टेट कंबलगोडु, बंगलौर, 560074
172.	स्टोन इंडिया लि., 16 तरताला रोड, कोलकाता 700088
173.	जीई इंडिया इंडस्ट्रियल प्रा. लि., प्लॉट 42/1 एंड 45/5, इलेक्ट्रोनिक सिटी फेज-II, बंगलौर 560100

सार्वभौमिक निःशुल्क स्वास्थ्य कवरेज

1991. श्रीमती हरसिमरत कौर बादल:
श्री ई.जी सुगावनम:
श्री संजय निरूपम:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज (यू.एच.सी.) प्रणाली के अंतर्गत स्कीमों के क्रियान्वयन के लिए क्या दिशा-निर्देश विकसित किए गए हैं;

(ख) लक्षित जनसंख्या के लिए यू.एच.सी. प्रणाली के अंतर्गत 12वीं परियोजना अवधि के दौरान शुरू किए गए प्रत्येक कार्यक्रम/पहलों के लिए आबंटित निधियों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) विभिन्न जन स्वास्थ्य सुविधाओं/सेवाओं के माध्यम से यू.एच.सी. की दिशा में क्या उपलब्धियां हासिल की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अबू हशीम खां चौधरी): (क) से (ग) सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज प्रणाली की स्थापना में प्रत्येक व्यक्ति को कम मूल्य पर परिभाषित अत्यावश्यक दवाइयां एवं उपचार मुहैया कराने का प्रावधान है। इस दिशा में 12वीं पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या को सुदृढ़ करने के साथ जन-स्वास्थ्य प्रणालियों के व्यापक विस्तार और सुदृढ़ीकरण पर विचार किया जा रहा है।

प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य, संचारी एवं गैर-संचारी रोग नियंत्रण जैसे वर्तमान में किए जा रहे कई उपायों में लक्षित आबादी के लिए जन स्वास्थ्य सुविधा केन्द्रों के माध्यम से सार्वभौमिक कवरेज का प्रावधान है। इन उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- निःशुल्क मातृ स्वास्थ्य सेवाएं, जिनमें मुफ्त जांच और आयरन फोलिक एसिड (आईएफए) संपूरण सहित प्रसव पूर्व जांच, प्रसवोत्तर परिचर्या और सुरक्षित गर्भपात सेवाएं शामिल हैं। जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम जैसे हाल के उपायों में जन स्वास्थ्य केन्द्रों में सीजेरियन सेक्शन सहित मुफ्त प्रसव की गारंटी दी जाती है और हकदारी में घर से अस्पताल तथा अस्पताल से घर तक आवागमन के लिए मुफ्त परिवहन, मुफ्त आहार दवाइयां, उपभोज्य वस्तुएं, नैदानिक जांच और रक्त मुहैया कराना शामिल है। रोग ग्रस्त नवजात शिशुओं के लिए इसी प्रकार की गारंटी दी जाती है।

- निःशुल्क बाल स्वास्थ्य सेवाएं जिनमें घर पर नवजात शिशु की परिचर्या, स्वास्थ्य सुविधा केन्द्र पर नवजात शिशु की परिचर्या, पोषण पुनर्वास, निःशुल्क ओरल रि-हाइड्रेशन शॉल्यूशन (ओआरएस) और जिंक सहित अतिसार का

उपचार और एंटीबायोटिक्स सहित न्यूमोनिया का उपचार शामिल हैं। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम जैसे नए उपायों द्वारा बच्चों के स्वास्थ्य की जांच की जाती है और शीघ्र उपचार सेवाएं मुहैया कराई जाती हैं।

- सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम के तहत बच्चों में 7 रोगों की रोकथाम के लिए मुफ्त टीके और गर्भवती महिलाओं को मुफ्त टीके (टीटी) की गारंटी दी जाती है।
- किशोर स्वास्थ्य सेवाएं जिनमें किशोर प्रजनन एवं यौन स्वास्थ्य क्लिनिकों तथा डब्ल्यूआईएफएस (डीवॉर्मिंग सहित साप्ताहिक आयरन-फोलिक एसिड संपूरण) के माध्यम से किशोर हितैषी सेवाएं शामिल हैं।
- परिवार नियोजन क्रियाकलाप, जिसमें सूचना प्रदान करने, गर्भ निरोधकों की आपूर्ति तथा परिवार नियोजन के अन्य उपायों सहित नि:शुल्क सेवाएं शामिल हैं।
- संचारी रोग नियंत्रण जिसमें मलेरिया, कालाजार, फाइलेरिया, डेंगू, जापानी एनसेफलाइटिस तथा चिकुनगुनिया, क्षयरोग और कुष्ठ आदिकी नि:शुल्क जांच एवं उपचारा शामिल हैं।
- गैर-संचारी रोग नियंत्रण जिसमें दृष्टिहीनता नियंत्रण के लिए मोतियाबिंद का मुफ्त ऑपरेशन, मुफ्त कॉर्निया प्रत्यारोपण, ग्लूकोमा/डायबिटीज रेटिनोपैथी, बच्चों को मुफ्त चश्मा आदि शामिल हैं।

इन योजनाओं के लिए दिशा-निर्देश तैयार कर उन्हें राज्यों को जारी किए गए हैं तथा ये योजनाएं चल रही हैं।

12वीं पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और परिवार कल्याण के तहत 193405.71 करोड़ रुपए की निधियों का आबंटन किया गया है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:

क्र.सं.	मुख्य योजनाएं	आबंटन (करोड़ रुपए में)
1.	एनआरएचएम-आरसीएच फ्लेक्सिबल पूल	115285.69 रु
2.	एनयूएचएम-फ्लेक्सिबल पूल	15143.00 रु
3.	संचारी रोगों के लिए फ्लेक्सिबल पूल	10551.87 रु
4.	गैर-संचारी रोगों, जख्मों और अभिघात के लिए फ्लेक्सिबल पूल	12325.71 रु

यूएचसी, जो कि एक क्रमिक रूप से बढ़ने वाली प्रक्रिया है, के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उठाए जाने वाले कदम पर्याप्त वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता से जुड़े होते हैं

एफ.आर.ए., 2006 संबंधी संयुक्त समिति

1992. श्री बैद्यनाथ प्रसाद महतो:
श्री प्रेम दास राय:
श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचौरे:
श्री पी.के. बिजू:
श्री राजू शेट्टी:

क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (एफ.आर.ए.) के क्रियान्वयन संबंधी ब्यौरे के अध्ययन के लिए गठित संयुक्त समिति ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी हैं;

(ख) यदि हां, तो समिति द्वारा क्या सिफारिशें की गई है; और

(ग) इस पर सरकार द्वारा क्या अनुवर्ती कार्रवाई की गई है?

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रानी नरह): (क) से (ग) पर्यावरण और वन मंत्रालय तथा जनजातीय कार्य मंत्रालय ने उन कारकों जो वन अधिकार अधिनियम, 2006 के कार्यान्वयन में सहायता/बाधा डाल रहे थे, सहित एफआरए के विस्तृत अध्ययन तथा भारत में वानिकी क्षेत्र के भविष्य के प्रबंध न में आवश्यक नीति परिवर्तनों जो वन अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन के परिणाम के रूप में आवश्यक हो सकते हैं, की सिफारिश करने के लिए अप्रैल, 2010 में एक संयुक्त समिति गठित की थी। समिति ने सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ-साथ एफआरए की प्रक्रिया एवं संस्थानों से संबंधित सिफारिशें/सुझाव, व्यक्तिगत और सामुदायिक वन अधिकार, वन अभिशासन के भविष्य की संरचना, गैर-इमारती लकड़ी के वन उत्पाद के माध्यम से आजीविका को बढ़ाना तथा जनजातीय लोगों और वन निवासियों के लिए विकास कार्यक्रमों का अभिसरण शामिल है। मंत्रालय ने दिनांक 12.7.2012 को राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को बृहत दिशानिर्देश जारी किए थे तथा अवरोधों को दूर करने और जमीनी स्तर पर अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए 6 सितंबर, 2012 को वन अधिकार नियमावली, 2008 को संशोधित किया था। संयुक्त समिति की सिफारिशों/सुझावों को वन अधिकार नियमावली

में संशोधन करते समय तथा दिशा निर्देश जारी करते समय भी ध्यान में रखा गया था।

प्रवासी भारतीय डॉक्टर

1993. श्री धर्मेन्द्र यादव:
श्री अधलराव पाटील शिवाजी:
श्री आनंदराव अडसुल:
श्री गजानन ध. बाबर:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का प्रवासी भारतीय डॉक्टरों को देश में प्रैक्टिस करने की अनुमति प्रदान करने के लिए भारतीय चिकित्सा परिषद् (एम.सी.आइ.) अधिनियम में संशोधन करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार से इस प्रयोजन हेतु विभिन्न प्रविधियों की युक्ति निकाली है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त प्रस्ताव के कब तक लागू होने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) से (घ) प्रवासी भारतीय मामलों के मंत्रालय ने पंजीकृत प्रवासी भारतीय नागरिकों (ओसीआई) को कुछ लाभ प्रदान किए हैं जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ भारत में डॉक्टरी का प्रैक्टिस करना शामिल है। तथापि ये लाभ सरकार के संबद्ध नियमों में संशोधन पर निर्भर हैं तथा तदनुसार भारत में डॉक्टरी का प्रैक्टिस करने के लिए प्रवासी भारतीय नागरिकों को पंजीकरण प्रदान करने के लिए भारतीय चिकित्सा परिषद (आईएमसी) अधिनियम, 1956 में संशोधन करने के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।

हवाई अड्डों के माध्यम से तस्करी:

1994. श्री प्रहलाद जोशी:
श्री राजेन्द्र अग्रवाल:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश के दक्षिणी राज्यों के विभिन्न हवाई अड्डों पर माल की तस्करी और जाली मुद्रा के अन्तरण के मामलों का पता लगा है;

(ख) अब तक दोषियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) ऐसी अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिकम): (क) पिछले तीन वर्ष के दौरान देश के दक्षिणी राज्यों में विभिन्न हवाई अड्डों पर पता लगाये गये मामलों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	पता लगाये गये मामलों की संख्या	जब्त किये गये माल का मूल्य	अन्तर्ग्रस्त शुल्क
2009-10	2785	37.24	4.99
2010-11	4146	54.02	6.14
2011-12	2967	60.94	11.09
2012-13 (फरवरी, 13 तक)	2386	72.85	2.62

जाली मुद्रा का अन्तरण

वर्ष	पता लगाये गये मामलों की संख्या	(करोड़ रुपये में) जब्त की गई मुद्रा का मूल्य
2009-10	1	0.24
2010-11	3	0.41
2011-12	-	-
2012-13 (फरवरी, 13 तक)	3	0.60

(ख) दोषी पाये गये व्यक्तियों के विरुद्ध सीमशुल्क अधिनियम के उपबंधों के अंतर्गत अभियोजन प्रारंभ करने सहित अर्थदंड तथा जुर्माना लगाने के लिए कार्रवाई की गई है।

(ग) डीआरआई सहित हवाई अड्डों पर स्थित सभी सीमा शुल्क कार्यालयों को माल की तस्करी तथा जाली मुद्रा रोकने के लिए सुग्राही बना दिया गया है। सभी बन्दरगाहों, हवाई अड्डों तथा जमीनी सीमाशुल्क स्टेशनों पर सतत निगरानी रखी जाती है।

शिक्षा ऋण

1995. **श्री पी. करुणाकरन:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को छात्रें को शिक्षा ऋण प्रदान करने के लिए विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो केरल सहित राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त अभ्यावेदनों पर निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा): (क) से (ग) भारतीय बैंक संघ (आईबीए) की आदर्श शिक्षा ऋण योजना के अंतर्गत सरकार को सुझाव एवं अभ्यावेदन प्राप्त होते हैं, जिनमें शिक्षा ऋण प्राप्त करने संबंधी छात्र की आवश्यकताओं पर प्रकाश डाला जाता है।

विद्यार्थियों की आवश्यकताओं और पणधारकों से प्राप्त सुझावों को ध्यान में रखते हुए, इस योजना को भारतीय बैंक संघ (आईबीए) द्वारा समय-समय पर संशोधित किया जाता है। ऐसा अंतिम संशोधन सितंबर, 2012 में किया गया था।

सरकारी क्षेत्र के बैंकों का बकाया शिक्षा ऋण मार्च, 2010 के अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार की स्थिति के अनुसार 19.11 लाख खातों में 35,855 करोड़ रुपए से बढ़कर दिनांक 31.12.2012 को 25.09 लाख खातों में 52,982 करोड़ हो गया है। केरल सहित राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

सरकारी क्षेत्र के बैंकों के बकाया राज्य-वार शिक्षा ऋण

(राशि करोड़ रु. में) (वास्तविक खातों की संख्या)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	मार्च के अंतिम रिपोर्टिंग शुक्रवार तक						31.12.2012 तक**	
	2010		2011		2012			
	खातों की सं.	बकाया शेष	खातों की सं.	बकाया शेष	खातों की सं.	बकाया शेष	खातों की सं.	बकाया शेष
1	2	3	4	5	6	7	8	9
पूर्वोत्तर क्षेत्र	15502	375.10	17875	431.48	20071	510.36	25810	634.70
असम	11166	267.60	12941	303.82	14489	363.13	15868	398.41
मेघालय	930	22.22	1257	29.51	1445	34.50	1735	44.65
मिजोरम	439	16.37	585	21.22	664	23.92	753	27.66
अरुणाचल प्रदेश	463	10.03	372	8.29	476	10.54	539	12.41
नागालैंड	239	6.38	336	8.54	361	9.57	3139	62.90
मणिपुर	1259	31.86	1164	35.28	1057	36.38	1160	35.13

1	2	3	4	5	6	7	8	9
त्रिपुरा	1006	20.64	1220	24.82	1579	32.33	2616	53.54
पूर्वी क्षेत्र	188325	3841.58	239414	5064.19	259993	5922.57	333929	8150.42
बिहार	43395	939.44	62597	1380.69	78733	1799.20	88851	2283.63
झारखंड	31620	687.61	38088	927.45	41552	1086.17	47946	1273.92
पश्चिम बंगाल	60456	1195.03	72617	1373.54	71378	1512.76	69558	1627.94
ओडिशा	52158	1002.88	65289	1363.94	67008	1474.88	69530	1695.20
सिक्किम	346	9.25	338	8.53	382	16.44	6353	115.69
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	350	7.37	485	10.05	940	33.12	51691	1154.04
मध्य क्षेत्र	213087	4127.73	240483	4863.77	252846	5445.27	266631	6255.29
उत्तर प्रदेश	109450	2287.80	126071	2790.72	136448	3095.02	143486	3572.67
उत्तर प्रदेश	19725	396.69	22795	502.06	24536	560.06	25933	633.41
मध्य प्रदेश	72378	1195.17	76968	1289.16	76773	1477.34	81478	1711.02
छत्तीसगढ़	11534	248.07	14649	281.83	15089	312.86	15734	338.19
उत्तर क्षेत्र	159588	3962.40	174427	4239.92	182914	4526.94	188457	4894.98
दिल्ली	36187	1155.04	36445	1096.20	36362	1104.90	33661	1079.19
पंजाब	30388	774.18	32700	831.35	32578	898.04	33169	941.70
हरियाणा	30181	693.54	33815	769.41	36546	834.50	38976	970.23
चंडीगढ़	5895	178.02	5905	182.81	5977	194.54	5477	181.87
जम्मू और कश्मीर	3523	91.32	3672	93.26	3774	93.00	4160	105.89
हिमाचल प्रदेश	10254	194.60	12282	248.81	13827	279.86	14535	311.34
राजस्थान	43160	875.71	49608	1018.09	53850	1122.10	58479	1304.76
पश्चिमी क्षेत्र	169524	4146.68	186269	4325.97	198923	5087.41	216641	5325.32
गुजरात	40520	1166.44	43780	1108.43	44221	1200.43	44661	1207.99
महाराष्ट्र	125063	2882.58	138197	3122.21	150829	3789.26	167335	3995.13

1	2	3	4	5	6	7	8	9
दमन और दीव	440	13.57	245	4.11	97	2.89	624	17.12
गोवा	3362	80.57	3481	84.31	3588	89.29	3810	99.07
दादरा और नगर हवेली	139	3.52	566	6.90	188	5.54	211	6.01
दक्षिणी क्षेत्र	1165397	19401.18	1353076	22416.50	1458356	25234.93	1477479	27721.54
आंध्र प्रदेश	215832	4761.77	218054	5008.10	213281	4988.98	154765	4022.32
कर्नाटक	156179	2814.70	167291	3103.71	167517	3402.17	179571	3633.15
लक्षद्वीप	14	0.16	15	0.23	24	0.36	230	3.70
तमिलनाडु	555223	7111.79	689094	9234.20	786634	11265.55	831651	13043.35
केरल	228395	4576.67	267703	4903.62	278992	5376.30	296992	6743.60
पुदुचेरी	9754	136.09	10919	166.64	11908	201.57	14270	275.42
कुल	1911423	35854.67	2211544	41341.84	2373103	46727.48	2508947	52982.25

[हिंदी]

पेट्रोल पम्प

1996. **श्रीमती कमला देवी पटले:** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों (एस.सी.)/अनुसूचित जनजातियों (एस.टी.) से संबंधित व्यक्तियों को पेट्रोल पम्प आबंटित करने के बारे में सरकार द्वारा जारी नए दिशा-निर्देशों का ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार द्वारा राष्ट्रीय राजमार्गों पर चलाए जा रहे बिक्री केन्द्रों की छत्तीसगढ़ सहित राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार संख्या कितनी है और उनमें से कितने अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों द्वारा चलाए जा रहे हैं; और

(ग) देश में कुल बिक्री की केन्द्रों की तुलना में ऐसे बिक्री केन्द्रों का कुल प्रतिशत कितना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी): (क) नए आरोज अर्थात् पेट्रोज पम्प स्थापित करने के लिए खुदरा बिक्री केन्द्र (आरओ) डीलरशिप के चयन के लिए संशोधित दिशा-निर्देश दिनांक 20.7.2012 से जारी कर दिए गए हैं। पात्रता मापदंड के अनुसार, किसी आवेदक को उपयुक्त भूमि की उपलब्धता, वित्त, आयु तथा शैक्षणिक योग्यता पर न्यूनतम अपेक्षाओं को पूरा करना होता है और इसका चयन लॉटरी ड्रा की एक पारदर्शी प्रणाली के द्वारा पात्रता, मापदंड पूरा करने वाले सभी आवेदकों में से किया जाता है। संशोधित दिशा-निर्देशों के अनुसार पूर्वोत्तर राज्यों अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड और मिजोरम को छोड़कर अनुसूचित जनजाति श्रेणी के लिए क्रमश: 70%, 80%, 80% और 90% है, को छोड़कर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (एससी/एसटीज) श्रेणी के लिए 22.5% आरक्षण है।

(ख) सार्वजनिक क्षेत्र की विपणन कम्पनियों (ओएमसीज) द्वारा राष्ट्रीय राजमार्गों पर चलाए जा रहे आरओज की छत्तीसगढ़ सहित राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश-वार संख्या के ब्यौरे और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणी से संबंधित व्यक्तियों के आरओज की संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) राष्ट्रीय राजमार्ग पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से संबंधित व्यक्तियों के लगभग 13% आरओज हैं। ऐसे आरओज के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं।

	बीपीसीएल	एचपीसीएल	आईओसीएल	योग
राष्ट्रीय राजमार्गों पर आरओज	2481	2774	5933	11188
राष्ट्रीय राजमार्गों पर एससीज/एसटीज व्यक्तियों वे आरओज	223	415	821	1459

विवरण

अ.जा./अ.ज.जा से संबंधित आरओज सहित राष्ट्रीय राजमार्गों पर पर स्थित आरओज की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वार सूची

		योग	अजा.ज.अ/जा.
1	2	3	4
1	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0
2	आंध्र प्रदेश	812	124
3	असम	334	47
4	अरुणाचल प्रदेश	22	17
5	बिहार	698	73
6	चंडीगढ़	2	0
7	छत्तीसगढ़	222	34
8	दमन और दीव	0	0
9	दादरा और नगर हवेली	0	0
10	दिल्ली	41	0
11	गोवा	19	0
12	गुजरात	491	59
13	हरियाणा	610	49
14	हिमाचल प्रदेश	166	30
15	जम्मू और कश्मीर	142	8
16	झारखंड	327	48
17	कर्नाटक	606	72
18	केरल	412	28
19	लक्षद्वीप	0	0
20	मध्य प्रदेश	439	41
21	महाराष्ट्र	689	88

1	2	3	4
22	मणिपुर	38	12
23	मेघालय	102	67
24	मिजोरम	17	13
25	नागालैंड	31	10
26	ओडिशा	458	72
27	पुदुचेरी	18	6
28	पंजाब	651	62
29	राजस्थान	829	114
30	सिक्किम	16	1
31	तमिलनाडु	861	105
32	त्रिपुरा	27	3
33	उत्तराखंड	206	17
34	उत्तर प्रदेश	1354	180
35	पश्चिम बंगाल	548	79
	योग	11188	1459

[अनुवाद]

सहस्राब्दि विकास लक्ष्य

1997. श्रीमती ज्योति धुर्वे:
श्री नारनभाई कछाड़िया:

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र सहस्राब्दि शिखर सम्मेलन में कुपोषण से निपटने के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा विशेषरूप से गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के संदर्भ में संयुक्त राष्ट्र (यू.एन.) के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए किए जा रहे प्रयास पर्याप्त हैं;

(घ) यदि हां, तो इसके कारण क्या है और

(ङ) यदि नहीं, तो इस संबंध में सरकार द्वारा कौन-कौन से सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा तीरथ): (क) और (ख) भारत सहित 189 देशों द्वारा संयुक्त राष्ट्र सहस्त्राब्दि शिखर, 2000 के दौरान अपनाए गए सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्य (एमडीजी) में आठ लक्ष्य समाहित हैं जिसे वर्ष 1990 से 2015 के दौरान प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है।

सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्य (एमडीजी)-I नितांत निर्धनता एवं भुखमरी के उन्मूलन से संबंधित है जिसके 2 लक्ष्य नामत: (i) वर्ष 1990 एवं 2015 के राष्ट्रीय गरीबी रेखा से नीचे की पचास प्रतिशता जनता और (ii) वर्ष 1990 एवं 2015 के बीच भुखमरी से पीड़ित पचास प्रतिशत जनता। दूसरा लक्ष्य बिंदु के लिए 3 वर्ष के भीतर के अल्पवजनी बच्चों की व्यापकता संसूचक है। अत: वर्ष 1990 में अनुमानित 52 प्रतिशत से वर्ष 2015 तक 3 वर्ष के अल्पवजनी बच्चों के अनुपात में 26 प्रतिशत तक कमी करनी होगी। 3 वर्ष से कम आयु के अल्पवजनी बच्चों का अखिल भारतीय चलन दर्शाता है कि (राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2005-06) के अनुसार) लगभग 43 प्रतिशत से 40 प्रतिशत से घटकर वर्ष

1998-99 से 2005-06 के दौरान 3 वर्ष से कम आयु के अल्पवजनी बच्चों की व्यापकता में 3 प्रतिशत तक की कमी आई है। भारत कुपोषण के प्रभाव को मिटाने में धीमी गति से चल रहा है। इस ऐतिहासिक कमी दर से अल्पवजनी बच्चों के अनुपात में वर्ष 2015 के लक्षित स्तर 25 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2015 तक लगभग 33 प्रतिशत की कमी आना अपेक्षित है।

(ग) से (ङ) कुपोषण की समस्या जटिल, बहुआयामी तथा पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली प्रकृति की है तथा केवल एक क्षेत्र द्वारा इसे कम नहीं किया जा सकता। पारिवारिक खाद्य असुरक्षा, निरक्षरता एवं जागरूकता विशेषकर महिलाओं में स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच, सुरक्षित पेयजल की उपलब्धता एवं सफाई सुविधाओं एवं उचित पर्यावरणीय परिस्थितियों में कमी के साथ-साथ गरीबी एवं भूख कुपोषण के कुछ निर्धारक हैं। वास्तविकता में, कुपोषण में सुधार 6 सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्यों से जुड़ा है।

पोषण की चुनौतियों से निपटने का दृष्टिकोण दो आयामी है। पहला दृष्टिकोण सभी क्षेत्रों की स्कीमों/कार्यक्रमों में पोषण को लक्ष्य बनाते हुए कुपोषण के निर्धारकों पर त्वरित कार्रवाई हेतु बहु-क्षेत्रीय दृष्टिकोण है। दूसरा दृष्टिकोण 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों किशोरियों, गर्भवती महिलाओं एवं धात्री माताओं जैसे संवेदनशील समूहों के प्रति लक्षित प्रत्यक्ष एवं विशिष्ट उपाय है।

सरकार कुपोषण की समस्या को उच्च प्राथमिकता देती है और राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के माध्यम से कई स्कीमों/कार्यक्रमों का क्रियान्वयन कर रही है। इन स्कीमों/कार्यक्रमों में प्रत्यक्ष लक्षित उपायों के रूप में समेकित बाल विकास सेवा, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, मध्याह्न भोजन स्कीम, राजीव गांधी किशोरी सशक्तीकरण स्कीम अर्थात सबला, इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना शामिल हैं। इसके अलावा, अप्रत्यक्ष बहु क्षेत्रीय उपायों में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली, राष्ट्रीय बागवानी मिशन, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम, निर्मल भारत अभियान, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम आदि शामिल हैं। इन सभी स्कीमों में पोषण से संबंधित किसी न किसी पहलू से निपटने की क्षमता है। हाल ही में सरकार ने गर्भवती एवं धात्री माताओं तथा 3 वर्ष आयु तक के बच्चों पर विशेषा संकेद्रण के साथ आईसीडीएस के सुदृढ़ीकरण एवं पुनर्गठन का अनुमोदन कर दिया है। वर्ष 2012-13 के दौरान कुपोषण से अति प्रभावित 200 जिलों (जिसमें गुजरात के 15 जिले, मध्य प्रदेश के 27 जिले और उत्तर प्रदेश के 41 जिले शामिल हैं); वर्ष 2013-14 में विशेष श्रेणी के राज्यों तथा पूर्वोत्तर राज्यों तथा वर्ष 2014-15 के शेष जिलों सहित 200 अतिरिक्त जिलों को संकेद्रित करते हुए सुदृढ़ीकृत एवं पुनर्गठित आईसीडीएस का तीन चरणों में विस्तार किया जाएगा।

इसके अतिरिक्त कुपोषण के विरुद्ध जागरूकता के प्रचार हेतु सूचना, शिक्षा एवं संप्रेषण अभियान (आईईसी) की गुजरात, मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश सहित संपूर्ण भारत में शुरूआत की गई है।

जे.एन.एन.एस.एम. के अंतर्गत लक्ष्य

1998. श्री प्रताप सिंह बाजवा: क्या **नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन (जे.एन.एन.एस.एम.) के प्रथम चरण के अंतर्गत सभी लक्ष्यों को प्राप्त करने में समर्थरही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है;

(ग) क्या सरकार ग्रिड से जुड़े सौर विद्युत उत्पादन की क्षमता बढ़ाने के लिए घरेलू और अन्तर्राष्ट्रीय निजी फर्मों के साथ साझेदारी पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री (डॉ. फारुख अब्दुल्ला): (क) जी, हां। सरकार जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन के प्रथम चरण के अंतर्गत सभी लक्ष्यों को प्राप्त करने में समर्थ रही है।

(ख) इसका ब्यौरा निम्नलिखित है:

अनुप्रयोग खंड	प्रथम चरण हेतु लक्ष्य (2010-13)	प्रथम चरण में प्राप्त की गई उपलब्धि
ग्रिड सौर विद्युत (बड़े संयंत्र, रूफटॉप एवं वितरण ग्रिड संयंत्र) अंतर्गत उपलब्धि सहित)	1100 मेगावाट	14 मेगावाट (राज्य पहल के
ऑफ-ग्रिड सौर अनुप्रयोग	200 मेगावाट	233 मेगावाट
सौर तापीय संग्राहक (एसडब्ल्यूएच, सौर कुकिंग, सौर कूलिंग, औद्योगिक प्रक्रिया ताप अनुप्रयोग आदि)	7 मिलियन वर्गमीटर	6.92 मिलियन वर्ग मीटर

(ग) और (घ) भारत सरकार द्वारा बोली लगाने (बिडिंग) की प्रक्रिया के माध्यम से ग्रिड-संबद्ध विद्युत परियोजनाएं आवंटित की जाती हैं जिसमें घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों प्रकार के परियोजना विकासकर्ता बोली और सौर विद्युत उत्पादन यूनिट लगा सकते हैं।

राष्ट्रीय महिला आयोग

1999. श्री हरिश्चंद्र चव्हाण: क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान राष्ट्रीय महिला आयोग (एन.सी.डब्ल्यू.) को रिपोर्ट किए गए बलात्कार के मामलों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या कितनी है;

(ख) क्या उक्त अवधि के दौरान महाराष्ट्र से बड़ी संख्या में बलात्कार के मामले जानकारी में आए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) बलात्कार के खतरे से निपटने के लिए एन.सी.डब्ल्यू. को क्या सुझाव प्राप्त हुए हैं और इस पर क्या कार्रवाई की गई है;

(ङ) क्या सरकार इस संबंध में कोई विशेष नीति बनाने पर विचार कर रही है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा तीरथ): (क) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) के पास दर्ज बलात्कार के संबंध में शिकायतों की संख्या का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) वर्ष 2010, 2011, 2012 और 2013 (दिनांक 4.3.2013 तक) के दौरान महाराष्ट्र ने एनसीडब्ल्यू को बलात्कार के क्रमश: 4, 3, 3 और 11 मामले सूचित किए हैं।

(घ) से (च) राष्ट्रीय महिला आयोग ने बलात्कार और यौन अपराधों के लिए दंड को और सख्त बनाने तथा बलात्कार के पीड़ितों को राहत और पुनर्वास के लिए योजना बनाने के लिए कानून में संशोधन करने हेतु सुझाव दिए हैं। इसको ध्यान में रखते हुए बारहवीं योजना के शेष वर्षों के दौरान कार्यान्वयन के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा महिलाओं के संरक्षण और सशक्तीकरण के लिए व्यापक स्कीम के एक घटक के रूप में बलात्कार पीड़ित को पुनर्वास न्याय की एक स्कीम बनाई है।

हाल ही में, सरकार ने दंड विधि (संशोधन) अध्यादेश, 2013 लागू किया है, जिसमें यौन हमले के लिए कड़े कानून का प्रावधान है। सरकार ने 18 वर्ष की आयु से कम की आयु के सभी बच्चों को यौन हमला, यौन उत्पीड़न और अश्लील साहित्य के अपराधों से रक्षा करने के प्रयोजन से यौन अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 भी अधिनियमित किया है।

विवरण

राष्ट्रीय महिला आयोग के पास बलात्कार की दर्ज शिकायतें

क्र.सं.	राज्य	2010	2011	2012	2013(4.09.13 तक)
1	2	3	4	5	6
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	-	-	-	-
2.	आंध्र प्रदेश	-	1	2	-
3.	अरुणाचल प्रदेश	1	-	-	-
4.	असम	1	1	2	-
5.	बिहार	16	14	24	5
6.	चंडीगढ़	-	2	1	-
7.	छत्तीसगढ़	4	2	1	1

1	2	3	4	5	6
8.	दादरा और नगर हवेली	–	1	–	–
9.	दमन और दीव	–	–	–	–
10.	दिल्ली	68	53	44	9
11.	गोवा	–	–	1	–
12.	गुजरात	1	3	1	1
13.	हरियाणा	50	56	73	19
14.	हिमाचल प्रदेश	1	–	–	–
15.	जम्मू और कश्मीर	3	1	–	–
16.	झारखंड	12	8	5	1
17.	कर्नाटक	2	–	2	1
18.	केरल	–	–	–	–
19.	लक्षद्वीप	–	–	–	–
20.	मध्य प्रदेश	30	21	24	9
21.	महाराष्ट्र	4	3	3	11
22.	मणिपुर	1	–	1	–
23.	मेघालय	–	–	1	–
24.	मिजोरम	–	–	–	–
25.	नागालैंड	2	1	–	–
26.	ओडिशा	–	3	1	–
27.	पुदुचेरी	–	–	–	1
28.	पंजाब	3	6	1	3
29.	राजस्थान	93	99	79	25
30.	सिक्किम	–	–	–	–
31.	तमिलनाडु	1	–	1	1
32.	त्रिपुरा	–	–	–	–
33.	उत्तर प्रदेश	280	333	353	84
34.	उत्तराखंड	13	9	11	–
35.	पश्चिम बंगाल	1	4	3	–
	कुल	587	621	634	171

जम्मू और कश्मीर में पर्यटन पर हिंसा का प्रभाव

2000. **श्री असादूद्दीन ओवेसी:** क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जम्मू और कश्मीर में हाल में हुई हिंसा और अशांति का राज्य में पर्यटन पर प्रभाव पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा यदि कोई मूल्यांकन किया गया है तो उसे दर्शाते हुए तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) राज्य में हिंसा शुरू होने के बाद जम्मू और कश्मीर में आने वाले कुल विदेशी और घरेलू पर्यटकों की कुल संख्या कितनी है;

(घ) राज्य में पर्यटकों के आगमन की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा जम्मू और कश्मीर में और अधिक पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए राज्य सरकार से परामर्श करके क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जा रहे हैं?

पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (डॉ. के. चिरंजीवी): (क) कश्मीर में पर्यटन के लिए यह मंदी का मौसम होता है और कुछ दिनों को छोड़कर जब आवागमन पर प्रतिबंध था, लगभग सामान्य आगमन रिकार्ड किए गए। विदेशी पर्यटकों (अधिकांशत: स्की करने वाले) जो वर्ष के इस भाग में गुलमर्ग आते हैं, के आगमन पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा।

(ख) पर्यटन मंत्रालय ने इस संबंध में कोई अध्ययन नहीं किया है।

(ग) और (घ) 9.2.2013 से 26.2.2013 के दौरान घरेलू और विदेशी पर्यटक आगमनों की संख्या निम्नानुसार है:

दिनांक	घरेलू पर्यटक आगमन	विदेशी पर्यटक आगमन	कुल
09-02-2013	515	242	757
10-02-2013	244	336	580
11-02-2013	223	135	358
12-02-2013	254	193	447
13-02-2013	175	129	304
14-02-2013	481	139	620
15-02-2013	345	120	465
16-02-2013	600	-96	696
17-02-2013	644	115	759
18-02-2013	808	-58	866
19-02-2013	950	105	1055
20-02-2013	1219	115	1334
21-02-2013	1100	-88	188
22-02-2013	848	-60	908
23-02-2013	618	110	728
24-02-2013	1106	-81	1187
25-02-2013	903	-36	939
26-02-2013	1145	-32	1177

(ङ) पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार अपनी चालू गतिविधियों के एक भाग के रूप में देश के सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के पर्यटक गंतव्यों और उत्पादों को कवर करते हुए घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में एक समग्र गंतव्य के रूप में भारत का संवर्धन करने के लिए 'अतुल्य भारत' ब्रैंड लाइन के अंतर्गत प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और ऑनलाइन मीडिया अभियान चलाता है। समग्र संवर्धन में विभिन्न भारतीय पर्यटन उत्पादों और गंतव्यों का संवर्धन शामिल है। इसके अतिरिक्त मंत्रालय अपने विदेश स्थित कार्यालयों के माध्यम से अन्य बातों के साथ-साथ भारतीय पर्यटक गंतव्यों और उत्पादों के संवर्धन के लिए रोड शोज, कार्यशालाओं को आयोजित करता है और विभिन्न मेलों, प्रदर्शनियों और समारोहों में भाग लेता है।

पर्यटन मंत्रालय मार्केट विकास सहायता (एमडीए) स्कीम के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू बाजारों में पर्यटन मंत्रालय के संवर्धन के लिए स्टेक होल्डरों को वित्तीय सहायता भी देता है।

बाल यौन शोषण

2001. डॉ. पी. वेणुगोपाल: क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान देश में अलग-अलग बाल देख-रेख केन्द्रों से जानकारी में आए बाल यौन शोषण के मामले राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार कितने हैं;

(ख) क्या सरकार ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उनके यहां संचालित सभी बाल देख-रेख संस्थाओं की पहचान करने और रजिस्टर में दर्ज करने को कहा है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा तीरथ): (क) राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार, विगत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान विभिन्न बाल देखरेख केन्द्रों में बाल दुर्व्यवहार के संबंध में प्राप्त शिकायतों और अपनी ओर से पता लगाए गए मामलों तथा उनके द्वारा निपटाई गई शिकायतों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) महिला और बाल विकास मंत्रालय सभी बाल देखरेख संस्थाओं में बच्चों को उपलब्ध कराए जाने वाली सेवाओं के लिए अधिनियम और इसके तहत बनाए गए नियमों के अंतर्गत देखरेख के न्यूनतम मानक लागू करने के आशय से किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 के अंतर्गत सभी बाल देखरेख संस्थाओं की समय-समय पर पहचान करने और पंजीकृत करने के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से बार-बार अनुरोध करता रहा है।

विवरण

विगत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान विभिन्न बाल देखरेख केन्द्रों में बाल दुर्व्यवहार के संबंध में एनसीपीसीआर में प्राप्त शिकायतें और अपनी और से निपटाई गई शिकायतों को राज्य/संघ राज्य-वार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य/संघ क्षेत्र का नाम	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13(15 फरवरी 2013)
1	2	3	4	5	6
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	1	0
2.	आंध्र प्रदेश	0	1	0	0
3.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0
4.	असम	0	0	0	0
5.	बिहार	0	0	0	0
6.	छत्तीसगढ़	2	1	0	0
7.	चंडीगढ़	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6
8.	दमन और दीव	0	0	0	0
9.	दिल्ली	1	4	0	1
10.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0
11.	गोवा	0	0	0	0
12.	गुजरात	0	0	0	0
13.	हिमाचल प्रदेश	2	0	0	0
14.	हरियाणा	0	3	0	3
15.	झारखंड	0	0	0	0
16.	जम्मू और कश्मीर	1	0	0	0
17.	कर्नाटक	2	0	2	0
18.	केरल	0	0	0	0
19.	लक्षद्वीप	0	0	0	0
20.	महाराष्ट्र	0	1	0	1
21.	मेघालय	0	0	0	1
22.	मणिपुर	1	0	0	0
23.	मध्य प्रदेश	4	3	0	3
24.	मिजोरम	1	0	0	0
25.	नागालैंड	0	0	0	0
26.	ओडिशा	1	6	0	0
27.	पंजाब	0	1	0	0
28.	पुदुचेरी	0	0	0	0
29.	राजस्थान	2	0	0	0
30.	सिक्किम	0	0	0	0
31.	तमिलनाडु	0	1	2	2
32.	त्रिपुरा	0	0	0	0
33.	उत्तर प्रदेश	0	0	1	0
34.	उत्तर प्रदेश	1	3	0	7
35.	पश्चिम बंगाल	0	1	0	0
	कुल	18	25	6	18

सौर उपकरण

2002. श्री सी. राजेन्द्रनः क्या **नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का देश में सौर उपकरणों के प्रयोग को बढ़ावा देने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उपर्युक्त उपकरणों को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा कोई राजसहायता दी गई है;

(घ) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान अब तक का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार का घरों में सौर ऊर्जा से प्रकाश के संबंध में ऐसी स्कीम शुरू करने का कोई प्रस्ताव है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री (डॉ. फारुख अब्दुल्ला): (क) जी, हां।

(ख) नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन की ऑफ-ग्रिड और विकेन्द्रित अनुप्रयोग योजना के अंतर्गत सौर लालटेनों, घरेलू रोशनी सड़क रोशनी, सौर जल पंपिंग प्रणालियों तथा सौर जल तापन प्रणालियों की लागत की 30% सब्सिडी दी जा रही है। यह सब्सिडी सामान्य श्रेणी के राज्यों में सौर रोशनी प्रणालियों के लिए प्रति वाट पीक 81/- रु., सौर पंपिंग प्रणालियों के लिए प्रति वाट पीक 57/- रु. और सौर जल तापन प्रणाली के लिए प्रति वर्ग मीटर संग्राहक क्षेत्र 3000 रु.-3300 रु. तक सीमित है। विशेष श्रेणी के राज्यों में केन्द्र तथा राज्य सरकारों के मंत्रालयों, विभागों और उनके संगठनों, राज्य नोडल एजेंसियों तथा स्थानीय निकायों द्वारा संस्थापना किए जाने के लिए सौर सड़क रोशनी की लागत के 90% की सब्सिडी उपलब्ध है जो 243 रु. प्रति वाट पीक तक सीमित है। योजना के अंतर्गत सौर जल तापक की लागत का 60% उपलब्ध है, जो सौर तापीय संग्राहक क्षेत्र के प्रति वर्ग मीटर 6000 रु.-6600 रु. तक सीमित है।

(ग) और (घ) जी, हां। मंत्रालय द्वारा सौर रोशनी, जल पंपिंग प्रणालियों, ऑफ-ग्रिड विद्युत संयंत्रों और सौर जल तापकों के लिए वर्ष 2009-10 के दौरान 103.05 करोड़ रु. वर्ष 2010-11 के दौरान 287.05 करोड़ रु., और वर्ष 2012-13 के दौरान दिनांक 31.1.2013 तक 589.76 करोड़ रु. तथा 300.85 करोड़ रु. की राशि जारी की गई है।

(ङ) मंत्रालय द्वारा वर्ष 2013-14 के दौरान जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन की ऑफ-ग्रिड एवं विकेन्द्रित सौर अनुप्रयोग योजना के अंतर्गत व्यक्तियों को सौर रोशनी प्रणालियों के लिए सब्सिडी देना जारी रखा जाएगा।

बी.आई.एफ.आर. को सौंपे गए मामले

2003. श्री पी.सी. गद्दीगौदरः क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) औद्योगिक और वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड (बीआईएफआर) को सौंपे जाने वाले मामलों के लिए क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान सौंपे गए मामलों की राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या कितनी है;

(ग) इसी अवधि के दौरान राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार कितने मामलों पर निर्णय ले लिया गया है और कितने मामलों में अनुमोदन लंबित है; और

(घ) ऐसे मामलों के लंबित होने के क्या कारण है और इस संबंध में क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा): (क) रुग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 की धारा 15 के अनुरूप जब कोई औद्योगिक कम्पनी रुग्ण औद्योगिक कम्पनी बन जाती है, कम्पनी का निदेशक मंडल, उस वित्तीय वर्ष हेतु जिस के अंत में वह कम्पनी रुग्ण औद्योगिक कम्पनी बन गई है, कम्पनी के विधिवत रूप से लेखा परीक्षित लेखा को अंतिम रूप देने की तिथि से साठ दिन के भीतर, कम्पनी के संबंध में अपनाए जाने वाले उपायों के निर्धारण हेतु औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्सरचना बोर्ड को संदर्भित करेगा। यदि लेखे को ऐसा अंतिम रूप दिए जाने से पहले ही निदेशक मंडल के पास यह मत बनाने हेतु पर्याप्त कारण हैं कि कम्पनी एक रुग्ण औद्योगिक कम्पनी बन गई है, तो निदेशक मंडल, ऐसा मत बनाने के बाद 60 दिन के भीतर, उन उपायों के निर्धारण हेतु बीआईएफआर को पत्र भेजेगा जिन्हें कम्पनी के संबंध में अपनाया जाएगा।

(ख) से (घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान बीआईएफआर को भेजे गए मामलों के साथ उनकी स्थिति का राज्यय-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। जहां तक सरकारी क्षेत्र के रुग्ण उपक्रमों (पीएसई) के पुनरुद्धार हेतु विभिन्न उपाय सुझाने का संबंध है, ऐसी रुग्ण कम्पनियों जिनमें पुनरुद्धार योजना कार्यान्वयनाधीन है, में बीआईएफआर की ओर से उनकी संबंधित मानीटरिंग एजेंसी (एमए) पुनरुद्धार योजना की प्रगति की निगरानी एवं मॉनीटरिंग करती है। योजना के सफलतापूर्वक कार्यान्वयन तथा रुग्ण कम्पनी व उसके उधारकर्ताओं के सर्वोत्तम हितों को सुनिश्चित करने हेतु योजना में आशोधन, यदि हो तो, आवधिक रूप से किए जाते हैं।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान बीआईएफआर में मामलों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार स्थिति

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	उन मामलों की संख्या जिन पर निर्णय ले लिया गया है	उन मामलों की संख्या जिन पर निर्णय लम्बित है	कुल
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	03	02	05
2.	आंध्र प्रदेश	11	07	18
3.	असम	0	01	01
4.	चंडीगढ़	03	01	04
5.	छत्तीसगढ़	01	0	01
6.	दादरा और नगर हवेली	0	02	02
7.	दमन और दीव	0	01	01
8.	गुजरात	17	04	21
9.	हरियाणा	05	02	07
10.	हिमाचल प्रदेश	01	0	01
11.	कर्नाटक	08	0	08
12.	केरल	02	01	03
13.	मध्य प्रदेश	04	01	05
14.	महाराष्ट्र	51	11	62
15.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र	13	07	20
16.	ओडिशा	01	0	01
17.	पंजाब	07	05	12
18.	राजस्थान	07	02	09
19.	तमिलनाडु	12	05	17
20.	उत्तर प्रदेश	05	03	08
21.	उत्तराखंड	01	0	01
22.	पश्चिम बंगाल	17	07	24
	कुल	169	62	231

क्षेत्रीय पर्यटन कार्यालय

2004. श्री ई. जी. सुगावनम: क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विभिन्न देशों में स्थित भारतीय पर्यटन कार्यालयों का स्थान-वार ब्यौरा क्या है तथा इसके कार्य क्या है;

(ख) वर्ष 2012-13 के दौरान इन कार्यालयों के रख-रखाव पर देश-वार कुल कितनी राशि व्यय हुई;

(ग) क्या सरकार के पास विभिन्न देशों में ऐसे और कार्यालय खोलने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ये किन-किन स्थानों पर खोले जाएंगे तथा इनके कब तक खोले जाने की संभावना है; और

(ङ) देश में पर्यटन को बढ़ावा और इसके विकास में ऐसे कार्यालय किस हद तक मददगार हैं?

पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (डॉ. के. चिरंजीवी): (क) और (ख) देश में इनबाउंड पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विदेशी बाजारों में भारतीय पर्यटन गंतव्य और उत्पादों का संवर्धन करने और भारत की पर्यटन संभावनाओं को प्रदर्शित करने के क्रियाकलाप करने हेतु तेरह देशों में 14 विदेशी भारत पर्यटन कार्यालय स्थित हैं। इन कार्यालयों का विस्तृत विवरण और वर्ष 2012-13 के दौरान उनके रखरखाव पर किया गया व्यय संलग्न विवरण में दिया गया है। विदेश स्थित कार्यालयों के द्वारा किए गए प्रयासों से देश में विदेशी पर्यटक आगमन और पर्यटन से विदेशी मुद्रा आय में वृद्धि करने में सहयोग प्राप्त हुआ है।

(ग) और (घ) वर्तमान में विदेश में और अधिक भारत पर्यटन कार्यालय स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

विवरण

पर्यटन मंत्रालय के विदेश स्थित कार्यालयों द्वारा 28.02.2013 तक (अतंतिम) बुक किए गए व्यय

(रुपए में)

क्र.सं. भारती पर्यटन कार्यालय का नाम	योजना व्यय	गैर-योजना व्यय	कुल
1. सिडनी	110163627	17991415	128155042
2. पेरिस	49609907	15854805	65464712
3. मिलान	35420020	7654508	43074528
4. टोक्यो	65174722	13296295	78471017
5. फ्रैंकफर्ट	126066837	15670736	141737573
6. टोरंटो	22101291	6551093	28652384
7. एम्सर्डस	34236751	9330496	43567247
8. दुबई	62495302	8160129	70655431
9. लंदन	152816926	22255758	175072684
10. न्यूयार्क	105188903	23094978	128283881
11. जोहान्सबर्ग	18607656	5445617	24053273
12. लॉस एंजिलस	41589765	8626355	50216120
13. सिंगापुर	55308982	8181190	63490172
14. बीजिंग	28395273	9740895	38136168
कुल योग	907175962	171854270	1079030232

बालकों के प्रति अपराध

2005. श्री के. सुगुमार: क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने बालकों के प्रति अपराध के संबंध में कोई अध्ययन कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और इसके क्या परिणाम रहे;

(ग) क्या 50 प्रतिशत से अधिक बच्चों को कभी न कभी यौन शोषण का शिकार बनना पड़ा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ङ) क्या सरकार ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 'द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ओफेन्सेज एक्ट, 2012' को कड़ाई से लागू करने के आदेश दिए हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा तीरथ): (क) से (घ) जी, हां। 'बाल दुर्व्यवहार पर अध्ययन: भारत, 2007' रिपोर्ट के मुख्य आंकड़े/अवलोकन संलग्न विवरण में प्रस्तुत हैं।

सरकार का महिला और बाल मंत्रालय देखरेख एवं संरक्षण के जरूरतमंद बच्चों के कल्याण के लिए 2009-10 से समेकित बाल संरक्षण स्कीम (आईसीपीएस) क्रियान्वित कर रहा है। स्कीम क्रियान्वित करने के लिए जम्मू और कश्मीर को छोड़कर अन्य सभी राज्यों संघ शासित क्षेत्रों ने मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। बच्चों को यौन दुर्व्यवहार और शोषण से संरक्षित करने के लिए, 14 नवंबर 2012 से यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 लागू हुआ है। साथ ही बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अधीन 2007 में बालकों के अधिकारों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग गठित किया गया है। 17 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने राज्य बालक अधिकार संरक्षण आयोग स्थापित किए हैं।

(ङ) और (च) जम्मू और कश्मीर को छोड़कर सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को विशेष न्यायालय, विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति, पीड़ितों के लिए क्षतिपूर्ति का प्रावधान, प्रचार-प्रसार एवं जागरूकता उत्पत्ति, प्रशिक्षण का प्रावधान, अधिनियम के प्रावधानों के कार्यान्वयन के मानीटरन हेतु तंत्र तथा विशेष किशोर पुलिस इकाई (एसजेपीयू) की स्थापना सहित यौन शोषण से बाल संरक्षण अधिनियम, 2012 को लागू करने का अनुरोध किया गया है।

विवरण

'बाल दुर्व्यवहार अध्ययन: 2007' के मुख्य आंकड़े:

शारीरिक दुर्व्यवहार

1. प्रति तीन में से दो बच्चों के साथ शारीरिक दुर्व्यवहार किया गया।
2. 13 नमूना राज्यों के 69% बच्चे जिनके साथ शारीरिक दुर्व्यवहार किया गया, उनमें 54.68% लड़के हैं।
3. जिन बच्चों के साथ परिवार में शारीरिक दुर्व्यवहार किया गया, उनमें से 88.6% बच्चों के साथ माता-पिता द्वारा शारीरिक दुर्व्यवहार किया गया।
4. स्कूल जाने वाले 65% बच्चों को शारीरिक दंड दिया गया अर्थात तीन में से दो बच्चों को शारीरिक दंड दिया गया।
5. सरकारी और नगर निगम के स्कूलों में भी 62% शारीरिक दंड के मामले थे।
6. अधिकांश बच्चों ने मामलों की रिपोर्ट किसी को भी नहीं दी।

यौन दुर्व्यवहार

1. 53.22% बच्चों के साथ एक या एक से अधिक प्रकार के यौन दुर्व्यवहार हुए थे।
2. 21.90% बाल प्रत्यर्थियों ने गंभीर प्रकृति के यौन दुर्व्यवहार का सामना किया और 50.76% ने अन्य प्रकार के यौन दुर्व्यवहार का सामना किया।
3. बाल प्रत्यर्थियों में से 5.69% का यौन शोषण किया गया।
4. बेसहारा बच्चों, कामकाजी बच्चों और संस्थागत देखरेख के बच्चों में सबसे अधिक यौन दुर्व्यवहार की घटना की रिपोर्ट की गई।
5. 50% दुर्व्यवहार करने वाले व्यक्ति वे हैं जो बच्चे को जानते हैं या विश्वसनीयता या उत्तरदायित्व की स्थिति में हैं।
6. अधिकांश बच्चों के मामले की रिपोर्ट किसी को भी नहीं की गई।

भावनात्मक दुर्व्यवहार और बालिकाओं की उपेक्षा

1. हर दूसरा बच्चा भावनात्मक दुर्व्यवहार का सामना कर रहा है।
2. भावनात्मक दुर्व्यवहार का सामना करने वाले बालकों और बालिकाओं का प्रतिशत समान है।
3. 83% मामलों में माता-पिता दुर्व्यवहारकर्ता थे।
4. 48.4% बालिकाएं चाहती थीं कि काश वे बालक होतीं।

[हिंदी]

'ड्यूटी फ्री' दुकानों में भारतीय उत्पादों के प्रति भेदभाव

2006. श्री राजेन्द्र अग्रवाल: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पूरे देश में हवाई अड्डों पर 'ड्यूटी फ्री' दुकानों पर बिक्री किए जा रहे भारतीय उत्पादों का मद-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या ऐसी ड्यूटी फ्री दुकानों में भारतीय उत्पादों के साथ भेदभाव की जानकारी/सूचना मिली है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) शुल्कमुक्त दुकानों में भारतीय उत्पादों और विदेशी उत्पादों को समान अवसर उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिकम): (क) 'ड्यूटी फ्री' दुकानों पर बिक्री किए जा रहे भारतीय उत्पादों का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) और (ग) व्यापारिक निकायों (एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री) से अभ्यावेदन प्राप्त किए गए हैं जिसमें अनुरोध किया गया है कि भारत में विनिर्मित/बनाए गए सामान को सीमाशुल्क (अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे) के आगमन और प्रस्थान दोनों क्षेत्रों में अवस्थित ड्यूटी फ्री दुकानों के माध्यम से बिक्री की अनुमति दी जाए।

(घ) विशिष्ट भारतीय उत्पादों को जब उक्त अधिसूचना में निर्धारित शर्तों के अध्यधीन विदेश से आने वाले यात्रियों को, विदेशी मुद्रा में, भारत में स्थित उनकी विनिर्माण फैक्ट्रियों से सीमाशुल्क हवाई अड्डों पर आगमन हालों की दुकानों में बिक्री के लिए लाया जाताहै तो यथा संशोधित दिनांक 19.5.1989 की अधिसूचना सं. 145/89-सीई के अंतर्गत उत्पाद शुल्क से छूट दी जाती है। ऐसे अनुमति प्राप्त विनिर्दिष्ट उत्पादों का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है। ड्यूटी फ्री दुकानों पर उन सामानों को भी बेचा जा रहा है जिन पर कि शुल्क का भुगतान किया गया होता है। उन स्वदेशी विनिर्मित सामानों की सूची का विस्तार किए जाने के मुद्दे की मंत्रालय द्वारा जांच-परख की जा रही है जिनको कि आगमन और प्रस्थान दोनों ही क्षेत्रों में अवस्थित ड्यूटी फ्री दुकानों पर उत्पाद शुल्क के भुगतान के बिना बेचे जाने की अनुमति दी गई है।

विवरण I

देश के सभी हवाई अड्डों पर 'ड्यूटी फ्री' दुकानों पर मदवार बेचे गए भारतीय उत्पाद

अमृतसर	चायपत्ती, खिलौने, हस्तशिल्प
चेन्नई	चायपत्ती, टी पाउडर, हस्तशिल्प, मसाले, काजू, अगरबत्ती, वॉल हैंगिंग्स और खिलौने
कोचीन	काजू, मसाले, चाय, हस्तशिल्प, इत्र, अगरबत्ती, बैग्स
मुंबई	इंडियन होम डेकोर, एवं सोवेनियर्स, भारतीय खिलौने और एस्सेसरीज जैसे कि चेन्स, मैग्नेट इंडियन आर्टिफैक्ट्स और हस्तशिल्प, भारतीय परिधान, जेवरात, टेक्सटाइल एस्सेसरीज, वेलनेस, भारतीय चाय, मसाले और डिब्बाबंद भोजन
कोलकाता	चाय, हेल्थ केयर और हस्तशिल्प
दिल्ली	इत्र, चॉकलेट्स, इलेक्ट्रॉनिकस, सौन्दर्य प्रसाधन, नकली जेवरात, फास्टफूड, हस्तशिल्प, किताबें, परिधान, आयुर्वेदिक दवाइयां
बंगलैर	फैशन एस्सेसरीज, बैगस, कलम, मसाले, भोजन, टी-शर्ट्स, सुगंधियां, सोवेनियर्स, खिलौने, सिम सहित मोबाइल फोन, चॉकलेट्स, सन-ग्लासेज, मैगनेट एस्ससरीज, इलेक्ट्रॉनिक्स, यात्रा साजोसामान, किताबें और पीरिऑडिकल्स, सीडीज, सिगरेट्स, कुर्ते,
त्रिवेन्द्रम	मसाले, चाय, सूखे मेवे

विवरण II

क्र.सं.	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ उप-शीर्षक सं.	सामान
1.	8519	टर्नेबल्स (रिकॉर्ड डेक्स), रिकॉर्ड-प्लेयर्स, कैसेट-प्लेयर्स और अन्य साउंड रिप्रोड्यूसिंग यंत्र, जिसमें साउंड रिकॉर्डिंग उपकरण समाविष्ट नहीं है।
2.	8519	मैग्नेटिक टेप रिकॉर्ड्स और अन्य साउंड रिकॉर्डिंग यंत्र चाहे उसमें कोई साउंड रिकॉर्डिंग उपकरण हो अथवा नहीं।
3.	8521	वीडियो रिकॉर्डिंग अथवा रिप्रोड्यूसिंग यंत्र
4.	8523	अनरिकॉर्डेड ऑडियो कैसेट्स
5.	8523	अनरिकॉर्डेड वीडियो कैसेट्स
6.	8524	रिकॉर्डेड ऑडियो कैसेट्स
7.	8524	रिकॉर्डेड वीडियो कैसेट्स
8.	8527	रेडियो प्रसारण हेतु रिसेप्सन यंत्र जो साउंड रिकॉर्डिंग अथवा रिप्रोड्यूसिंग यंत्रों अथवा किसी क्लॉक सहित, एक ही स्थान में चाहे सम्मिश्रित हो अथवा नहीं।
9.	8528	टेलीविजन रिसीवर्स (वीडियो मॉनीटर्स और वीडियो प्रोजेक्टर्स सहित) जो रेडियो-ब्रॉडकास्ट रिसीवर्स, साउंड अथवा वीडियो रिकॉर्डिंग अथवा रिप्रोड्यूसिंग यंत्रों सहित, एक ही स्थान में चाहे सम्मिश्रित हो अथवा नहीं।

[अनुवाद]

एलपीजी कनेक्शन

2007. श्री उदय सिंह: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सार्वजनिक क्षेत्र के तेल निगमों ने हरियाणा और पंजाब में कतिपय एलपीजी वितरकों के पास हजारों निष्क्रिय एलपीजी कनेक्शन कार्डों का पता लगाया है और निष्क्रिय कार्डों की इतनी मात्र में होने के कारणों का पता लगाने के लिए कोई जांच नहीं की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सार्वजनिक क्षेत्र के तेल निगम अपराध की पुष्टि होने के बाद वितरकों के विरुद्ध इस अपराध के लिए विपणन अनुशासन दिशा-निर्देश लागू करने के लिए बाध्य है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सार्वजनिक क्षेत्र के तेल निगम जाली एलपीजी कनेक्शनों और बहु कनेक्शनों जैसे निष्क्रिय कार्डों के कारणों का रिकॉर्ड रखते हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं तथा ऐसे रिकॉर्ड कब तक रखे जाएंगे?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कम्पनियों (ओएमसीज), नामतः इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल), भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि. (बीपीसीएल) और हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि. (एचपीसीएल) ने सूचना दी है कि छः मास से अधिक समय तक रीफिल नहीं लेने पर एलपीजी कनेक्शनों को बंद (मृत समझा जाता है) कर दिया जाता है। सामान्यतया ऐसे ग्राहकों की अलग से कोई जांच नहीं होती। दिनांक 1.1.2013 की स्थिति के अनुसार, पंजाब और हरियाणा राज्य में बंद कनेक्शनों की संख्या क्रमशः 609589 और 329757 है।

(ग) और (घ) जिन वितरकों के पास निष्क्रिय ग्राहक हैं उनके लिए अलग से कोई विपणन अनुशासन दिशा-निर्देश नहीं हैं।

(ङ) और (च) एक से अधिक एलपीजी कनेक्शनों की संदिग्ध सूची का रिकार्ड ओएमसीज के पास उपलब्ध है। इस सूची से कनेक्शन उस स्थिति में काट दिए जाते हैं जब उचित सत्यापन के बाद

ड्रग्स की जब्ती

2008. श्री मानिक टैगोर: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में देशभर के विभिन्न हवाई अड्डों से भारी मात्र में ड्रग्स जब्त की गई है;

(ख) यदि हां, तो पिछले छह माह का तत्संबंधी विवरण क्या है;

(ग) इस संबंध में गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों की संख्या क्या है और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई/की जा रही है; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा किये गये/प्रस्तावित निवारक उपाय क्या हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिकम): (क) और (ख) पिछले छ: माह में हाल ही में देश के विभिन्न हवाई अड्डों से जब्त किये गये ड्रग्स के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

अवधि (सितंबर 2012 से फरवरी, 2013 तक)

मामलों की संख्या	जब्त की गई मात्रा (कि.ग्रा. में)	जब्त किये गये माल का मूल्य (करोड़ रुपए में)
39	342.657	85.27

(ग) एनडीपीएस अधिनियम के उपबंधों के अंतर्गत 41 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। उनके विरुद्ध एनडीपीएस अधि नियम के उपबंधों के अंतर्गत अभियोजन प्रारंभ करने तथा जुर्माना लगाने आदि की कार्रवाई की गई है।

(घ) ड्रग्स की तस्करी रोकने के लिए (एनडीपीएस) डीआरआई सहित हवाई अड्डों पर स्थित सीमा शुल्क कार्यालयों को सुग्राही बना दिया गया है। बन्दरगाहों, हवाई अड्डों तथा जमीनी सीमाशुल्क स्टेशनों पर सतत निगरानी रखी जाती है।

पेट्रोलियम उत्पादों की उत्पादन लागत

2009. श्री रामसिंह राठवा: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पेट्रोल, डीजल और केरोसीन प्रति लीटर और एलपीजी प्रति किग्रा॰. की वास्तविक उत्पादन लागत का मद-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) पेट्रोल, डीजल, केरोसीन प्रति लीटर और एलपीजी गैस प्रति किग्रा. उत्पादन लागत की गणना में तेल विपणन कम्पनियों (ओएमसी) द्वारा अपनाई गई विधि क्या है;

(ग) क्या तेल विपणन कंपनियां कम वसूली की समस्या से ग्रस्त है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कम वसूली की गणना की प्रक्रिया क्या है; और

(ङ) तेल विपणन कंपनियों की कम वसूली को घटाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) कच्चे तेल का शोधन एक प्रसंस्करण उद्योग है जिसमें कच्चे तेल की लागत कुल लागत की लगभग 90 प्रतिशत होती है। कच्चे तेल का प्रसंस्करण अनेक प्रसंस्करण इकाइयों के जरिए किया जाता है इनमें से प्रत्येक इकाई मध्यवर्ती उत्पाद स्ट्रीम्स का उत्पादन करती है जिसके लिए व्यापक तौर पर पुनर्संस्करण और मिश्रण अपेक्षित होता है। इसके परिणामस्वरूप कुल लागत को पूरी शुद्धता के साथ अलग-अलग शोधित उत्पादों में विभाजित करने में कठिनाई होती है। अत: अलग-अलग उत्पादवार लागत पृथक रूप से अभिज्ञात नहीं की जाती है।

(ग) और (घ) अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल मूल्यों में होने वाली वृद्धि तथा घरेलू स्फीतिकारी दशाओं के प्रभाव से आम आदमी को बचाने के लिए सरकार द्वारा लगातार डीजल (अंशत:), पीडीएस मिट्टी तेल और राजसहायता प्राप्त घरेलू एलपीजी के खुदरा बिक्री मूल्य (आरएसपी) को आवश्यकतानुसार बढ़ाया घटाया जाता है जिसके परिणामस्वरूप सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कम्पनियों (ओएमसीज) को इन उत्पादों की बिक्री पर अल्प-वसूलियां हो रही हैं। दिनांक 1.3.2013 से प्रभावी रिफाइनरी द्वार मूल्य (आरजीपी) के आधार पर ओएमसीज को डीजल की खुदरा बिक्री पर 11. 26 रुपए प्रति लीटर, पीडीएस मिट्टी तेल पर 33.43 रुपए प्रति लीटर तथा 14.2 कि.ग्रा. के राजसहायता प्राप्त घरेलू एलपीजी

सिलेंडर पर 439.00 रुपए की अल्प-वसूली हो रही है। दिनांक 1.3.2013 से प्रभावी डीजल (खुदरा उपभोक्ताओं को), पीडीएस मिट्टी तेल और राजसहायता प्राप्त घरेलू एलपीजी पर होने वाली अल्प-वसूली परिकलन के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ङ) सरकार ने निम्नलिखित सुधार उपाय किए हैं:

(i) दिनांक 26.6.2012 से पेट्रोल का मूल्य बाजार निर्धारित कर दिया गया है।

(ii) ओएमसीज को प्राधिकृत किया गया है कि वे (क) डीजल के मूल्य में आगामी आदेशों तक (विभिन्न राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में यथा लागू वैट को छोड़कर) 40 पैसे से 50 पैसे के बीच प्रति लीटर प्रति माह की सीमा में खुदरा बिक्री मूल्य में वृद्धि कर सकती हैं, और (ख) दिनांक 18.1.2013 से ओएमसीज के संस्थापनाओं से सीधे थोक आपूर्तियां लेने वाले सभी उपभोक्ताओं को डीजल की बिक्री गैर राजसहायता प्राप्त बाजार निर्धारित मूल्य पर करना, तथा

(iii) दिनांक 18.1.2013 से प्रत्येक उपभोक्ता के लिए प्रति वर्ष राजसहायता प्राप्त घरेलू एलपीजी सिलिंडरों की आपूर्ति 9 सिलिंडरों (14.2 कि.ग्रा.) तक सीमित करना।

विवरण

दिल्ली में 01 मार्च, 2013 से डीजल, पीडीएस मिट्टी तेल और राजसहायता प्राप्त घरेलू एलपीजी पर अल्प-वसूली

क्र.सं.	ब्यौरे	डीजल
1.	रिफाइनरी को प्रदत्त मूल्य (आरजीपी)	46.93
2.	अंतरदेशीय भाड़ा और सुपुर्दगी प्रभार	0.86
3.	विपणन लागत तथा मार्जिन	1.38
4. (1+2+3)	कुल वांछित मूल्य उत्पाद शुल्क, वैट तथा डीजल कमीशन से पूर्व	49.17
5.	ओएमसीज द्वारा डीलर से प्रभारित मूल्य (डिपो मूल्य) (आरएसपी घटाएं उत्पाद शुल्क, वैट तथा डीलर कमीशन)	37.91
6. (4-5)	ओएमसीज को होने वाली अल्प-वसूलियां	11.26

क्र.सं.	ब्यौरे	पीडीएस मिट्टी तेल रु./लीटर	राजसहायता प्राप्त घरेलू एलपीजी रु./सिलिंडर
1.	रिफाइनरी को प्रदत्त मूल्य (आरजीपी)	45.69	739.30
2.	अंतरदेशीय भाड़ा और सुपुर्दगी प्रभार	0.77	38.15
3.	विपणन लागत तथा मार्जिन, भरण प्रभार (एलपीजी)	0.75	57.61
4 (1+2+3)	कुल वांछित मूल्य उतपाद शुल्क, वेट तथा डीलर कमीशन से पूर्व	47.21	835.06
5.	सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई राजसहायता	0.82	22.58
6.(4-5)	सरकारी राजसहायता के बाद वांछित मूल्य	46.39	812.48
7.	ओएमसीज द्वारा डीलर से प्रभारित मूल्य (डिपो मूल्य) (आरएसपी घटाएं उत्पाद शुल्क, वैट तथा डीलर/डिस्ट्रीब्यूटर कमीशन)	12.96	373.41
8.(6-7)	ओएमसीज को होने वाली अल्प-वसूलियां	33.43	439.07

अनुपूरक पोषण कार्यक्रम

2010. श्रीमती मौसम नूर: क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एकीकृत बाल विकास सेवा (आईसीडीएस) योजना के अधीन अनुपूरक पोषण कार्यक्रम (एसएनपी) के लिए आवंटित निधियों का पूर्ण उपयोग नहीं हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और तत्संबंधी कारण क्या हैं;

(ग) क्या एसएनपी का कवरेज लक्ष्य से कम है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और तत्संबंधी कारण क्या हैं; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा किये गये या प्रस्तावित उपाय क्या हैं?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा तीरथ): (क) और (ख) समेकित बाल विकास सेवा (आईसीडीएस) स्कीम एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम है जिसका देश में क्रियान्वयन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा किया जाता है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में आईसीडीएस के क्रियान्वयन हेतु राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को सहायता अनुदान के रूप में राशि निर्मुक्त की जाती है। आईसीडीएस के तहत पोषण कार्यक्रम हेतु केन्द्र सरकार और राज्यों/संघ राज्यों क्षेत्रों के बीच भागीदारी अनुपात, पूर्वोत्तर राज्यों को छोड़कर 50:50 हैं। पूर्वोत्तर राज्यों हेतु यह अनुपात 90:10 है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उनके द्वारा सूचित लाभार्थियों की संख्या तथा उनके द्वारा पूरक पोषण प्रदान करने हेतु व्यय के आधार पर लाभार्थियों की विभिन्न श्रेणियों हेतु अनुमोदित लागत मानकों को ध्यान में रखते हुए, राशि निर्मुक्त की जाती है। गत तीन वर्षों तथा मौजूदा वर्ष के दौरान पूरक पोषण कार्यक्रम हेतु केन्द्र सरकार द्वारा राज्य-वार निर्मुक्त राशि की मात्रा तथा अपने हिस्से सहित राज्यों द्वारा पूरक पोषण कार्यक्रम पर सूचित व्यय दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) आईसीडीएस के तहत अन्य सेवाओं के साथ-साथ पूरक पोषण कार्यक्रम का कवरेज सर्वसुलभ है। तथापि, आईसीडीएस एक स्वा चयनित स्कीम है। राज्यों से भी पात्र लाभार्थियों अर्थात बच्चों (6 माह से 5 वर्ष) और गर्भवती एवं धात्री माताओं को आईसीडीएस स्कीम के पैटर्न एवं मानकों के अनुसार पूरक पोषण प्रदान करना अपेक्षित है। 31.1.2013 तक की स्थिति के अनुसार पूरक पोषण के 927.65 लाख लाभार्थी हैं जिनमें 746.81 लाख बच्चे (6 माह से 6 वर्ष) तथा 180.84 लाख गर्भवती एवं धात्री माताएं शामिल हैं। राज्यों से आईसीडीएस स्कीम के तहत लाभार्थियों को शामिल करने के लिए अनुकूल विधि अपनाने हेतु समय-समय पर कहा जाता है।

(ङ) सरकार ने राष्ट्र, राज्य, जिला ब्लॉक एवं आंगनवाड़ी स्तर पर 5 स्तरीय मानीटरन एवं समीक्षा तंत्र शुरू किया है तथा 31.3.2011 को दिशानिर्देश जारी किए हैं। राज्य स्तर तथा जिला स्तर पर समितियों में संसद सदस्यों एवं विधायकों को प्रतिनिधित्व दिया गया है। राज्य स्तरीय समिति में संसद सदस्यों तथा 5 विधायकों को बारी-बारी से शामिल किया गया है जबकि जिला स्तरीय समितियों में जिले के संसद सदस्य तथा विधायक सदस्य होते हैं।

विवरण

वर्ष 2009-10, 2010-11, 2011-13 एवं 2012-13 के दौरान पूरक पोषण कार्यक्रम के लिए निर्मुक्त एवं उपयोग की गई राशि

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2009-10		2010-11		2011-12		2012-13		
		निर्मुक्त	राज्यों द्वारा यथा सूचित के अंश सहित	निर्मुक्त	राज्यों द्वारा यथा सूचित के अंश सहित	निर्मुक्त	राज्यों द्वारा यथा सूचित के अंश सहित	निर्मुक्त	राज्यों द्वारा यथा सूचित के अंश सहित	किसी तारीख तक व्यय को सूचित किया गया
1	2	3	4	5	6	7	8	10	9	11
1	आंध्र प्रदेश	31285,70	52316,99	16003,74	69979,08	48307,39	87975,62	37662,71	53660,84	31,12,2012
2	बिहार	40695,19	92263,92	48335,94	57052,77	35452,88	77217,20	46532,02	73246,54	31,12,2012
3	छत्तीसगढ़	7461,68	21324,67	14211,95	25936,16	14714,72	30150,63	14092,83	11127,56	30,9,2012
4	गोवा	375,94	918,75	418,23	778,84	410,97	775,22	314,32	372,55	31,12,2012
5	गुजरात	8696,39	24690,50	11985,65	42046,64	36389,64	47957,78	23377,77	34732,20	31,12,2012

1	2	3	4	5	6	7	8	10	9	11
6	हरियाणा	6884,01	14571,00	5211,60	11006,76	6391,63	12275,30	7365,95	9619,16	31,12,2012
7	हिमाचल प्रदेश	2939,36	5939,35	2466,48	4977,92	2819,49	5638,74	2966	4124,44	31,12,2012
8	जम्मू और कश्मीर	1671,09	एनआर	1949,78	7743,95	1949,76	5132,94	1949,77	266,67	30,6,2012
9.	झारखंड	16893,64	53308,00	23438,78	35997,11	12136,86	31917,69	18786,19	21245,34	31,12,2012
10	कर्नाटक	26325,26	56641,93	23585,19	54567,07	31664,85	58234,82	24787,96	31585,72	31,12,2012
11	केरल	7545,81	15826,29	8071,33	14734,74	7459,55	6807,06	4503,83	6980,42	30,9,2012
12	मध्य प्रदेश	22339,36	51990,71	38917,63	89736,4	52322,73	89365,76	57573,72	77006,71	31,12,2012
13	महाराष्ट्र	20350,12	48660,00	20350,12	73509,16	66743,56	109818,25	54568,47	48306,74	30,6,2012
14	ओडिशा	13968,2	32185,78	19490,01	47782,7	32289,69	54602,92	27463,28	43559,26	31,12,2012
15	पंजाब	1748,03	8825,70	4402,84	7090,7	9001,16	10353,44	4475,86	6970,46	31,12,2012
16	राजस्थान	11014,23	30464,83	20449,06	45138,71	26747,43	50048,53	22656,26	35972,84	31,12,2012
17	तमिलनाडु	13268,00	26558,00	12395,76	38109,00	17072,64	24892,23	17979,7	34694	31,12,2012
18	उत्तराखंड	86778,09	178809,82	138267,1	271960,07	131600,18	268028,07	117953,04	162529,15	31,12,2012
19	उत्तराखंड	740,47	1488,21	1303,60	2960,61	1313,20	3976,34	1041,8	1344,26	31,12,2012
20	पश्चिम बंगाल	13577,01	55101,17	35274,00	67097,58	36926,45	66031,39	33100,13	43349,15	31,12,2012
21	दिल्ली	144,80	511,84	106,95	428,99	120,80	497,16	130,34	401,37	31,12,2012
22	पुदुचेरी	193,78	216,31	129,88	279,88	189,23	425,55	253,72	342,14	31,12,2012
23	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	91,58	55,30	62,90	84,35	53,10	0,00	83,44		
24	चंडीगढ़	50,37	179,63	33,58	66,63	32,38	181,14	93,42	4,084	30,6,2012
25	दादरा और नगर हवेली	42,87	एनआर	29,69	एनआर	29,69	151,48	44,53	50,99	30,9,2012
26	दमन और दीव	4171,53	6878,70	4004,05	8960,11	2017,30	9140,00	5024	11102,52	31,12,2012
27	लक्षद्वीप	139,91	462,19	395,95	643,34	1016,39	663,22	0,00	152,34	31,12,2012
28	अरुणाचल प्रदेश	856,32	956,32	3047,89	3847,25	2760,74	3454,97	2746,72	1964,43	30,9,2012
29	असम	17660,74	17590,73	21579,99	19135,31	30082,76	37635,40	25257,04	28459,27	31,12,2012
30	मणिपुर	1477,61	2422,45	4449,60	5249,6	2248,30	2248,30	2946,24	एनआर	
31	मेघालय	5301,00	6972,28	5650,42	6408,03	5953,12	6585,16	3702,02	3702,00	31,12,2012
32	मिजोरम	2020,79	2496,63	2241,65	2726,65	1867,08	2502,08	2483,49	1700,62	31,12,2012
33	नागालैण्ड	2658,79	3304,66	4782,37	5282,37	4855,60	4855,60	1817,03	1749,53	30,9,2012
34	सिक्किम	794,39	622,59	362,44	838,23	563,44	907,42	650,54	97,74	31,12,2012
35	त्रिपुरा	2851,68	3617,54	3464,40	4089,09	6746,08	7167,66	2127,24	1575,52	31,12,2012
	कुल	373013,74	818172,79	496870,5	1026245,80	630250,79	1117615,07	566511,38	751996,56	

पर्यटन क्षेत्र हेतु अनुसंधान और विकास

2011. श्री जयराम पांगी: क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय पर्यटन क्षेत्र देश में पर्यटन विकास के लिए पश्चिम पर्यटन मॉडलों और अनुसंधान का अनुसरण मात्र कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार देश में पर्यटन विकास के लिए देशी मॉडल विकसित करने पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) पर्यटन क्षेत्र में अनुसंधान और विकास (आरएंडडी) को सुधारने के लिए सरकार द्वारा उठाये गये/उठाये जा रहे अन्य कदम क्या हैं?

पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (डॉ. के. चिरंजीवी): (क) से (ङ) पर्यटन मंत्रालय विभिन्न प्लान स्कीमों के कार्यान्वयन द्वारा देश में पर्यटन का विकास कर रहा है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:

(i) पर्यटन अवसरंचना का विकास;

(ii) विदेशों और घरेलू बाजारों में संवर्धन और विपणन;

(iii) पर्यटन आतिथ्य सेक्टर में सेवा प्रदाताओं का क्षमता निर्माण;

(iv) निश पर्यटन उत्पादों का विकास और संवर्धन करना;

(v) बाजार अनुसंधान करना।

पर्यटन मंत्रालय नियमित रूप से विदेशी पर्यटक आगमन, पर्यटन से विदेशी मुद्रा आय और घरेलू पर्यटक यात्राओं के आंकड़े समेकित करता है। इसके अतिरिक्त, पर्यटन मंत्रालय, पर्यटकों की प्रोफाइल पर्यटकों को प्रेरित करने वाले कारकों, यात्राओं के दौरान अनुभव आदि जैसे पर्यटन के अनेक पहलुओं पर घरेलू और विदेशी बाजारों में विभिन्न सर्वेक्षण और अध्ययन करता है। ये इनपुट नीति निर्माण और प्रभावी कार्यान्वयन को सुगम बनाते हैं।

एनएपीसीसी के लक्ष्य

2012. श्री कालीकेश नारायण सिंह देव: क्या **नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत देश में कुल विद्युत उत्पादन में 15 प्रतिशत नवीकरणीय ऊर्जा हिस्सेदारी के राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्रवाई योजना के लक्ष्य को प्राप्त करने में सक्षम होगा;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और लक्ष्यों की निर्धारित समय-सीमा और अनुरूपी उपलब्धियां क्या हैं;

(ग) नवीकरणीय ऊर्जा खरीद बाध्यताओं (आरपीओ) के संबंध में उपलब्धियों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार सूची क्या है;

(घ) 12वीं पंचवर्षीय योजना के तहत देश के बिजली उत्पादन में नवीकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किये गये हैं; और

(ङ) क्षमता वृद्धि हेतु क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है और कुल ऊर्जा में नवीकरणीय हिस्सेदारी संबंधी क्षमता वृद्धि का क्या प्रभाव पड़ा है?

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री (डॉ. फारुख अब्दुल्ला): (क) और (ख) राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्रवाई योजना (एनएपीसीसी) में देश में कुल विद्युत उत्पादन में अक्षय ऊर्जा की हिस्सेदारी के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है। इसमें सुझाव दिया गया है कि वर्ष 2009-10 से आरंभ करते हुए, राष्ट्रीय अक्षत स्रोत मानक को ग्रिड विद्युत की कुल खरीद का 5% निधारित किया जाना चाहिए जिसमें अगले 10 वर्षों के लिए प्रत्येक वर्ष 1% की वृद्धि की जानी चाहिए।

केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के अनुमान के अनुसार वर्ष 2011-12 में तथा अप्रैल-अगस्त, 2012 की अवधि के दौरान कुल विद्युत मिश्रण में अक्षय विद्युत की हिस्सेदारी क्रमश: 5.52 प्रतिशत और 7 प्रतिशत थी जो आमतौर पर एनएपीसीसी द्वारा विद्युत मिश्रण में अक्षय विद्युत की हिस्सेदारी के संबंध में दिए गए सुझाव के अनुरूप है।

(ग) वर्ष 2011-12 के दौरान उपलब्ध जानकारी के अनुसार हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और त्रिपुरा राज्यों द्वारा गैर-सौर अक्षय ऊर्जा खरीद संबंधी बाध्यता प्राप्त की गई।

(घ) और (ङ) योजना आयोग के अनुसार 12वीं पंचवर्षीय योजना अवधि (2012-17) के दौरान लगभग 118.5 जीडब्ल्यू क्षमता बढ़ाए जाने का प्रस्ताव है। इसमें से अक्षय विद्युत की हिस्सेदारी 30 जीडब्ल्यू अथवा कुल प्रस्तावित क्षमता का लगभग 25% है।

बीआरजीएफ के तहत निधियों का उपयोग

2013. श्री प्रेम दास राय: क्या **पंचायती राज मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आवंटित पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (बीआरजीएफ) के उपयोग के लिए उनको जिम्मेदार बनाया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जनजातीय कार्य मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री वी. किशोर चन्द्र देव): (क) और (ख) पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (बीआरजीएफ) कार्यक्रम के दिशानिर्देशों के अनुसार बीआरजीएफ कार्यक्रम के तहत प्रत्येक जिला में कार्यों का नियमित रूप से वास्तविक एवं वित्तीय अंकेक्षण प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में निष्पादित किए जाने की जरूरत होती है। अंकेक्षण या तो स्थानीय निधि अंकेक्षकों अथवा राज्य सरकार के पैनल में सूचीबद्ध चार्टड अकाउंटेंटों अथवा राज्य के महालेखाकार द्वारा किया जाता है। राज्य सरकारों द्वारा आगामी निर्मुक्तियों का दावा करते समय पंचायती राज मंत्रालय को पहले से निर्मुक्त निधियों के संबंध में अंकेक्षण रिपोर्टों, वास्तविक एवं वित्तीय प्रगति रिपोर्टों, उपयोग प्रमाण पत्रों, अविपथन/अगबन प्रमाण पत्रों इत्यादि प्रस्तुत किया जाना होता है। बीआरजीएफ निधियों को राज्यों की समेकित निधि में निधियों की निर्मुक्ति के 15 दिनों के भीतर कार्यान्वयक इकाइयों को हस्तांतरित करना होता है, ऐसा नहीं होने पर राज्य सरकारों द्वारा शास्ति ब्याज का भुगतान करना होता है।

किसानों को दीर्घावधि ऋण

2014. श्रीमती बोचा झांसी लक्ष्मी: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने किसानों को दिए जाने वाले दीर्घावधि ऋण के विस्तार की योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और तत्संबंधी वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो तत्संबंधी कारण क्या हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा): (क) से (ग) बैंक अपने कारोबार के हिस्से के रूप में कृषि और सम्बद्ध क्रियाकलापों को दीर्घावधि ऋण प्रदान करते हैं। वर्ष 2008-09, 2009-10 और 2010-11 के दौरान अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा कृषि एवं सम्बद्ध क्रियाकलापों के लिए दिए गए दीर्घावधि ऋण निम्नानुसार थे:

(करोड़ रुपए में)

	संवितरित ऋण	बकाया ऋण
2008-09	67337	158908
2009-10	66442	153436
2010-11	84501	278145

[हिंदी]

वित्तीय सहायता

2015. श्री सैयद शाहनवाज हुसैन: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के सामाजिक-आर्थिक विकास हेतु विश्व के कई देश वित्तीय सहायता दे रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष में अब तक के दौरान प्राप्त सहायता का वर्ष-वार और देश-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारत सरकार भी अन्य देशों को उनके सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो उक्त अवधि का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा): (क) और (ख) जी हां। वर्ष 2009-10, 2010-11, 2011-12 और 2012-13 के दौरान प्राप्त की गई देशवार सहायता का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

देश/वर्ष	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13 4.3.2013 तक
जीओडीई-जर्मनी	487.42	881.68	1,536.30	338.17
जीओएफआर-फ्रांस	0	0	0	16.02
जीओजेपी-जापान	6,161.20	5,952.12	6,083.00	4,782.79
जीओआरयू-रूसी परिसंघ	923.01	220.53	35.91	24.61
ईईसी-यूरोपीय आर्थिक आयोग	315.96	268.98	208.07	104.04
जीओयूके-यूनाईटेड किंगडम	1,707.36	1,682.22	1,689.42	1,172.78
जीओयूएस-संयुक्त राज्य अमेरिका	14.15	30.55	55.10	23.60

(ग) और (घ) जी, हां। इस अवधि का ब्यौरा निम्नानुसार है:

2009-10	2010-11	2011-12	2012-13 (जनवरी, 2013 तक)
1878.13	2383.68	2260.00	3365.51

संपत्ति लेनदेनों की निगरानी

2016. श्री बलीराम जाधव: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मौजूदा तंत्र के अधीन संपत्ति के लेनदेन की निगरानी में कौन-सी प्रक्रिया/कार्यप्रणाली अपनाई जा रही है;

(ख) क्या सरकार वित्तीय आसूचना एकक (एफआईयू) के माध्यम से देशभर में संपत्ति के लेनदेन की सघन निगरानी किए जाने पर विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में एफआईयू की भूमिका क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिकम): (क) केन्द्रीय सूचना शाखा के अंतर्गत आयकर विभाग रजिस्ट्रारों/स्थानीय नगरपालिका निकायों से 5 लाख रुपए अथवा उससे अधिक किन्तु 30 लाख रुपए से कम मूल्य की अचल सम्पत्ति के विक्रय एवं क्रय से संबंधित सूचना मैनुअल तरीके से एकत्र करता है। जहां स्टाम्प शुल्क के प्रयोजन हेतु घोषित मूल्य विक्रय मूल्य से अधिक होता है वहां पूंजीगत परिसम्पत्ति के हस्तांतरण से संबंधित सूचना भी समान स्रोतों से एकत्र की जाती है। इसके अलावा, 30 लाख रुपए से ऊपर की अचल सम्पत्ति के विक्रय एवं क्रय से जुड़ी इलेक्ट्रॉनिक ऑनलाइन सूचना भी वार्षिक समान स्रोतों से सूचना विवरणी के माध्यम से एकत्र की जाती है। प्राप्ति के उपरान्त, प्रत्येक मामले के तथ्यों के अनुसार संवीक्षा और/या जांच हेतु मामलों की पहचान करने सहित सूचना को विभाग में इस्तेमाल किए जाने हेतु संबंधित व्यक्ति के स्थायी खाता संख्या (पैन) के साथ जोड़ा जाता है। जिन मामलों में पैन के साथ सूचना को जोड़ना व्यवहार्य नहीं होता है वहां इसे आवश्यक कार्रवाई हेतु क्षेत्राधिकारीय कर-निर्धारण अधिकारियों में प्रसारित किया जाता है।

(ख) जी, नहीं। एफआईयू-आईएनडी का गठन, भारत सरकार के दिनांक 18 नवम्बर, 2004 के कार्यालय ज्ञापन द्वारा किया गया ताकि धनशोधन एवं इससे जुड़े अपराधों से निबटने के लिए कारगर राष्ट्रीय, क्षेत्रीय एवं वैश्विक नेटवर्क के माध्यम से वित्तीय आसूचना के संग्रहण एवं हिस्सेदारी का सुदृढ़ीकरण एवं समन्वय किया जा सके। एफआईयू-भारत, मामलों की जांच नहीं करता है। जैसा कि धनशोधन निवारण अधिनियम, 2002 एवं उसके तहत बनाए गए नियमों के अंतर्गत विहित किया गया है, एफआईयू-आईएनडी नकद संव्यवहारों, संदिग्ध संव्यवहारों, जाली मुद्रा संव्यवहारों एवं गैर-लाभकारी संगठनों द्वारा प्राप्त निधियों पर रिपोर्टें प्राप्त करता है। एफआईयू-आईएनडी रिपोर्ट किए गए वित्तीय संव्यवहारों का राष्ट्रीय डाटाबेस रखता है तथा अनुरोध किए जाने पर प्रवर्तन एवं आसूचना एजेंसियों के साथ इस सूचना को साझा करता है। एफआईयू-आईएनडी अपने डाटाबेस के विश्लेषण के आधार पर रणनीतिक एवं धनशोधन की मुख्य वृत्तियों, वर्गीकरणों एवं घटनाक्रमों की निगरानी तथा पहचान करता है।

(ग) उपर्युक्त भाग (ख) के उत्तर के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

(घ) उपर्युक्त भाग (ख) के उत्तर के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

अनुसूचित जनजातियों की लंबित योजनाएं

2017. **श्री सुरेश काशीनाथ तवारे:** क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या योजना आयोग के पास अनुसूचित जनजातियों (एसटी) के विकास वाली कई योजनाएं अनुमोदन हेतु लंबित पड़ी हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मौजूदा स्थिति का ब्यौरा क्या है?

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रानी नरह): (क) इस मंत्रालय की कोई स्कीम योजना के अंतर्गत के पास अनुमोदन के लिए लंबित नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

एमजीएनआरईजीएस के तहत बैंक शेयर

2018. **श्री गणेशराव नागोराव दूधगांवकर:**
श्रीमती भावना पाटील गवली:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस) के अधीन मजदूरी वितरण में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) सहित प्रत्येक बैंक की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार भूमिका और भागीदारी क्या है;

(ख) उक्त योजना के तहत आरआरबी सहित विभिन्न बैंकों में जमा राशि के प्रतिशत का ब्यौरा क्या है और उनके तहत लाभार्थियों की संख्या बैंक-वार, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार क्या है;

(ग) क्या सरकार को योजना के तहत लाभार्थियों की मदद के लिए श्रमशक्ति, सेवा प्रभार, आनुपातिक निधि जमा बढ़ाने के लिए अखिल भारतीय क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कर्मचारी संघ से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई/की जा रही है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा): (क) और (ख) ग्रामीण विकास मंत्रालय (एमओआरडी) के अनुसार समय से भुगतान, पारदर्शिता लाना और मजदूरी भुगतान की एकरूपता में वृद्धि को सुनिश्चित करने के लिए डाक घरों अथवा बैंकों में खातों के जरिए मनरेगा कामगारों को मजदूरी का संवितरण की व्यवस्था करने के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) की सूची II में संशोधन किया गया है। मनरेगा मजदूर बैलेंस के साथ डाकघरों अथवा बैंकों में खाते खुलवाने के हकदार हैं। एमआईएस में ग्रामीण विकास मंत्रालय को राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार मनरेगा कामगारों के लिए खोले गए बैंक खातों की संचयी संख्या और मनरेगा के अंतर्गत बैंक खातों के जरिए संवितरित की गई मजदूरी की राशि का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) से (ङ) अखिल भारतीय ग्रामीण बैंक कर्मचारी संघ (एआईआरआरबीईए) ने 2009-10 में अभ्यावेदन दिया था जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, शाखाओं का अत्यधिक विस्तार, वित्तीय समावेशन और मनरेगा आदि को ध्यान में रखते हुए स्टाफ की कमी के मामले को उठाया था।

आरआरबी सहित बैंकों में कार्मिकों की नियुक्ति एक सतत प्रक्रिया है जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ व्यवसाय में वृद्धि और कार्मिकों की अधिवर्षिता पर विचार किया जाता है।

कर्मचारियों की आवश्यकता को पूरा करने और आरआरबी के सुचारू कामकाज को सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

(i) आरआरबी के नियुक्ति और पदोन्नति से संबंधित नियमों को 2010 में संशोधित और अधिसूचित किया गया था।

(ii) सभी आरआरबी ने कोर बैंकिंग सॉल्यूशन को अपना लिया है और राष्ट्रीय भुगतान प्रणाली से जुड़ गए हैं।

(iii) आरआरबी को सभी शाखाओं में एटीएम स्थापित करने की सलाह दी गई है।

(iv) अपने ग्राहकों को इंटरनेट बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराने और अपने स्टाफ को नियमित आधार पर प्रशिक्षण देने के लिए आरआरबी को अति सूक्ष्म शाखाएं खोलने की सलाह दी गई है।

विवरण

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा में बैंक/पोस्ट ऑफिस के जरिए खोले गए खाते और संवितरित राशि मनरेगा में बैंक/ऑफिस के जरिए खोले गए खाते और संवितरित राशि

क्र.सं. राज्य	पंजीकृत की सं.		खोले गए बैंक खातों की सं.		बैंक खातों के माध्यम से संवितरित वेतन की राशि (2012-13) (लाख रु. में)	खोले गए डाकघर खातें की सं.		बैंक खातों के माध्यम से संवितरित वेतन की राशि (2012-23) (लाख रु. में)	कुल खाते			कुल संवितरित राशि (2012-13) (लाख रु. में)
	परिवार	व्यक्ति	व्यक्तिगत	संयुक्त	व्यक्तिगत	संयुक्त	व्यक्तिगत	संयुक्त	व्यक्तिगत	संयुक्त	कुल	
1 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+8	12=6+5	13=11+12	14=7+10
1 आंध्र प्रदेश	12076114	28192442	658278	21882	2358.963	11655875	59239	109453.003	12313953	81121	12395074	133038.965
2. अरुणाचल प्रदेश	170548	390797	40588	1099	549ण109	85877	5041	1279.149	126465	6140	132605	1828.258
3. असम	3960715	5824472	917722	173596	12850.814	1260099	136805	15330.887	2177821	310401	2488222	28181.701
4. बिहार	12801109	19260237	225334	49639	6448.765	3579619	654152	89950.633	3804953	703791	4508744	96399.398
5. छत्तीसगढ़	4438669	14596470	21906969	61557	40022.821	4551596	177598	73589.679	6742565	239155	6881720	113612.5
6. गोवा	32941	43068	16686	160	84.439	5	0	0	16691	160	16851	84.439
7. गुजरात	3836930	9857952	373319	225466	8678.019	1172023	801226	18692.231	1545342	1026692	2572034	27370.25
8. हरियाणा	732293	1500503	347429	185767	15981.404	40674	17949	1324.439	388103	203716	591819	17305.842
9. हिमाचल प्रदेश	1131763	2206670	311988	23410	9845.936	63306	3896	2111.757	375294	27306	402600	11957.693
10. जम्मू और कश्मीर	996171	1599766	518427	83625	15981.292	29397	8331	691.731	547824	91956	63639780	16673.023
11. झारखंड	406961	890552	352199	93279	6023.041	2067069	720071	44244.489	2419268	813350	3232618	50267.53
12. कर्नाटक	5376629	15650998	1036969	1819355	62570.126	467667	683222	21945.874	1504636	2502580	4007216	84516
13. केरल	2535986	4053807	1644944	14638	94859.383	173968	1178	10814.843	1818912	15816	1834728	105674.226
14. मध्य प्रदेश	12022400	37802152	1950216	976096	36143.05	984542	512896	25785.35	2934758	1488992	4423750	61928.4
15. महाराष्ट्र	7166713	17680165	884971	88089	28107.106	2576293	171549	92317.364	3461264	259638	3720902	120424.47
16. मणिपुर	479046	963673	27870	3145	0	121969	33725	0	149839	36870	186709	0
17. मेघालय	460132	1001044	65413	14890	0	48944	6107	0	114357	20997	135354	0
18. मिजोरम	209957	508033	12504	6997	11620.761	43136	48201	7365.872	55640	55198	110838	8986.633
19. नागालैंड	382502	651937	63128	32929	3582.988	1	0	0.041	63129	32929	96058	3583.029
20. ओडिशा	6299778	17010825	1990134	670439	29890.735	1005289	725275	18657.899	29995423	1395714	4391137	48548.635
21. पंजाब	911180	1579545	326928	76428	4965.333	180275	29918	2905.186	507203	106346	613549	7870.518
22. राजस्थान	9979816	25208693	3656822	966214	117284.318	4212674	293299	82587.658	7872496	1259513	9132009	199871.975
23. सिक्किम	82185	163286	36543	9027	1424.231	26329	4018	900.924	62872	13042	75941	2325.155
24. तमिलनाडु	9067340	15195408	3552583	35964	0	318	278	0	3552901	36242	3589143	0
25. त्रिपुरा	639588	1045677	155271	340647	38999.209	68883	96595	11921.564	224154	437242	661396	50920.773
26. उत्तर प्रदेश	15056749	21467714	10721921	1020085	133025.832	1037912	71032	9102.943	11759833	1091117	12850850	142128.775
27. उत्तराखंड	1047614	1821494	323082	17485	7980.991	181027	9857	4486.447	504109	27342	531451	12467.438

1 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=5+8	12=6+5	13=11+12	14=7+10
28. पश्चिम बंगाल	11317540	24465097	2365610	534788	69221.067	3991670	806115	109831.532	6357280	1340903	7698183	179052.6
29. अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	45784	64790	10229	708	93.045	607	3	1.004	10836	711	11547	94.049
30. चंडीगढ़	4	14	4	2	0	0	0	0	4	2	6	0
31. दादरा और नगर हवेली	7886	12026	929	9	0.011	0	0	0	929	9	938	0.011
32. लक्षद्वीप	3444	17398	1165	4	16.947	6240	27	67.738	7405	31	7436	84.685
33. पुदुचेरी	67802	159542	68268	559	1094.993	1096	0	10.549	69364	559	69923	1108.542
कुल	127411939	279261257	34848243	7547981	770934.729	39637380	6077600	755370.786	74485623	13625581	88111204	156305.514

स्वच्छ ऊर्जा

2019. श्री वीरेन्द्र कुमार: क्या **नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश की जनता को सस्ती दरों पर स्वच्छ ईंधन प्रदान करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो तत्संबंधी कारण क्या हैं?

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री (डॉ. फारुख अब्दुल्ला): (क) से (ग) जी, हां। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा हेतु 12वीं पंचवर्षीय योजना प्रस्तावों में शामिल हैं: (क) 30 जीडब्ल्यू अक्षय विद्युत क्षमता संयोजन; (ख) बिजली और ऊर्जा की पहुंच उपलब्ध कराने हेतु विकेन्द्रीकृत/वितरित अक्षय ऊर्जा पर बल; और (ग) दक्षता और वहन करने की योग्यता सुधारने के लिए अनुसंधान एवं प्रौद्योगिकी विकास।

पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षण

2020. श्री अशोक कुमार रावत: क्या **पंचायती राज मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान अनिवार्य है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने उक्त प्रावधान का कार्यान्वयन किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो ऐसे राज्य/संघ राज्य क्षेत्र कौन से हैं जिन्होंने उक्त प्रावधानों को लागू नहीं किया है; और

(च) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कदम उठाये गये हैं?

जनजातीय कार्य मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री वी. किशोर चन्द्र देव): (क) और (ख) संविधान के अनुच्छेद 243 घ के अनुसार, संविधान के भाग IX के तहत आने वाले राज्यों/संघ क्षेत्रों के पंचायती राज संस्थाओं में स्थानों व अध्यक्षों के पदों का आरक्षण क्षेत्र की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के अनुपात में किया गया है। तथापि, अनुच्छेद 243 ड (3 क) अरुणाचल प्रदेश को अनुसूचित जाति हेतु स्थानों को आरक्षित करने के प्रावधान से छूट प्रदान करता है।

(ग) और (घ) इस मंत्रालय में उपलब्ध सूचना के अनुसार, संबंधित राज्यों/संघ क्षेत्रों ने ऐसे आरक्षण की व्यवस्था की है।

(ङ) और (च) ऊपर वर्णित (क) से (घ) के संदर्भ में, लागू नहीं होता।

आईआरडीए द्वारा प्रीमियम वृद्धि

2021. डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी:
श्री महेश्वर हजारी:
श्री हर्ष वर्धन:
श्रीमती ऊषा वर्मा:
श्रीमती सीमा उपाध्याय:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बीमा नियामक विकास प्राधिकरण (आईआरडीए) अगले वित्त वर्ष से विभिन्न वाहनों के लिए बीमा प्रीमियम बढ़ाने पर विचार कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और तत्संबंधी कारण क्या है

(ग) क्या आईआरडीए जीवन बीमा की तर्ज पर मोटर बीमा को वैकल्पिक बनाने पर विचार कर रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उक्त प्रस्ताव का बीमाकर्त्ताओं पर संभावित प्रभाव क्या होगा?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा): (क) और (ख) बीमा विनियामक तथा विकास प्राधिकरण (इरडा) ने सूचित किया है कि वाहन बीमा में दो भाग होते हैं यथा स्वयं क्षति (ओडी) तथा तृतीय पक्ष (टीपी) वाहन बीमा के ओडी भाग में प्रीमियम के निर्धारण अथवा आशोधन करने में इरडा शामिल नहीं होता है। तथापि, वाहन तृतीय पक्ष प्रीमियम दरें इरडा द्वारा विनियमित होती हैं, तथा इरडा ने अगले वित्त वर्ष (यथा वित्त वर्ष 2013-14) हेतु वाहन टीपी प्रीमियम दरों के आशोधन का प्रस्ताव करने वाला दिनांक 15 फरवरी, 2013 का ऋण जोखिम ड्राफ्ट (एक्सपोजर) जारी किया है।

(ग) और (घ) किसी भी अन्य बीमा कवर की तरह वाहन बीमा का "स्वयं क्षति" भाग पहले से ही स्वैच्छिक है। तथापि, मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 146 के अनुसार वाहन तृतीय पक्ष बीमा सड़क पर चल रहे प्रत्येक वाहन हेतु अनिवार्य है।

बाल गृह

2022. श्री एस. अलागिरी:
राजकुमारी रत्ना सिंह:

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) ने देश के विभिन्न भागों में स्थित बाल गृहों का निरीक्षण/जांच दौरे किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान ऐसे राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार कितने निरीक्षण/जांच दौरे किये गये;

(ग) उक्त निरीक्षण/जांच दौरों के दौरान पायी गयी अनियमितताओं की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या क्या है; और

(घ) उस पर सरकार द्वारा की गयी/प्रस्तावित कार्रवाई क्या है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा तीरथ): (क) और (ख) जी, हां। विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) द्वारा बाल गृहों में किए गए निरीक्षणों/जांच दौरों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) एनसीपीसीआर के सदस्यों/एनसीपीसीआर पैनल द्वारा अनियमितताओं की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है। तथापि, बाल गृहों की दशाओं पर एनसीपीसीआर की टिप्पणियों और सिफारिशें उचित उपचारात्मक उपाय करने के निदेश के साथ संबंधित राज्य सरकारों को भेज दी जाती हैं।

विवरण

विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान एनसीपीसीआर द्वारा किए गए निरीक्षण/जांच दौरे

क्र.सं.	बाल गृह का नाम	दौरे की तारीख
1	2	3
वर्ष 2009-10 के दौरान		
	1. आशा किरण कॉम्पलेकस मानसिक रूप से विकलांग बच्चों के लिए गृह, नई दिल्ली	30.12.2009
	2. बालिकाओं-। के लिए बाल गृह, बालिकाओं-।। के लिए बाल गृह,एवं निर्मल छाया कॉम्पलेक्स, दिल्ली	30.12.2009
	3. लड़कों के लिए गृह, कस्तूरबा निकेतन कॉम्पलेक्स, लाजपत नगर दिल्ली	30.12.2009
	4. आशा किरण कॉम्पलेकस मानसिक रूप से विकलांग बच्चों के लिए गृह, नई दिल्ली	28.01.2010

1	2	3
वर्ष 2010-11 के दौरान		
5.	फुलवारी तथा आसियाना नाम से लड़कों के लिए सरकारी बालगृह-I, लड़कों के लिए सरकारी बालगृह-II अलीपुर नई दिल्ली	30.03.2011
वर्ष 2011-12 के दौरान		
6.	बालगृह, खानपुर, अहमदाबाद, गुजरात	09.10.2011
7.	रामनाथपुरम, में साथिया अमय्यार निनायवू अनाथालय (बालगृह), तमिलनाडु	18.11.2011
8.	रामनाथपुरम में साथिया अमय्यार निनायवू अनाथालय (बालिकाओं के लिए बालगृह), तमिलनाडु	18.11.2011
9.	द्रोण फाउडेशन, मारूति कुंज (डीपीएस स्कूल के पास), गुड़गांव	18.1.2012
10.	अम्बावत्ता बालगृह, उदयपुर, राजस्थान	27.2.2012
11.	नारी निकेतन में बालगृह, उदयपुर, राजस्थान	27.2.2012
12.	प्रर्यवक्षण/बालगृह, गढ़चिरोली, महाराष्ट	15.3.2012
वर्ष 2012-13 के दौरान		
13.	केरल राज्य बाल कल्याण परिषद् द्वारा चलाया जा रहे बालगृह, तिरूअंनतपुरम	01.04.2012
14.	सुपरना का आंगन, गुड़गांव	5.5.2012
15.	अपना घर, भारत विकास संघ, श्रीनगर कालोनी, डबल फाटक के पास, रोहतक	9.5.2012
16.	बाल संरक्षण केन्द्र, मेंगलोर	27.5.2012
17.	बालगृह, स्वर्ण जयन्तिपुरम, गोविन्दपुरम, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश	4.6.2012
18.	आशियाना लड़कों के लिए बालगृह-I, अलीपुर, दिल्ली-110036	14.6.2012
19.	फुलवारी, लड़कों के लिए बालगृह-II, अलीपुर, दिल्ली-110036	14.6.2012
20.	प्रयास, तुगलकाबाद, तुगलकाबाद संस्थानक क्षेत्र, नई दिल्ली-110025	16.6.2012
21.	बालिकाओं-I, के लिए बालगृह, निर्मल छाया, एनसी काम्पलेक्स, जेल रोड, नई दिल्ली-110064	18.6.212
22.	बालिकाओं-II के लिए बालगृह, निर्मल छाया, एन.सी. कॉम्पलेक्स, जेल रोड, नई दिल्ली-110064	18.6.2012
23.	डीएमआरसी-लड़को के लिए बालगृह, बालगृह, मेट्रो पिलर संख्या 65, भार्ग्वा लेन, तीस हजारी, दिल्ली-54	20.62012
24.	बरसात जिला दक्षिण 24 परगना में लड़कों के लिए किशालयगृह	18.7.2012
25.	आनंद आश्रम, बेहरामपुर, मुर्शिदाबाद	19.7.2012

1	2	3
26.	राजकीय बालगृह (शिशु), आगरा, उत्तर प्रदेश	6.08.2012
27.	आशा किरण कॉम्पलेक्स-मानसिक रूप से विकलांग बच्चों के लिए गृह, नई दिल्ली	9.10.2012
28.	गांधी नगर राजस्थान में लड़कियों के लिए बाल गृह	11.10.2012
29.	शिशुगृह, गांधीनगर राजस्थान	11.10.2012
30.	लड़कों के लिए बालगृह, गांधीनगर, राजस्थान	11.10.212
31.	जीवन ज्योति गृह, जंगपुरा-बी, मथुरा रोड, नई दिल्ली-14	7.11.2012
32.	मानव मंदिर मिशन ट्रस्ट, सराय काले खा, आईएसबीटी, रिंगरोड, नई दिल्ली	8.11.2012
33.	एसओएस सोपान दत्तक गृह, 347, दूसरी मंजिल मंदाकिनी इंकलेव, अलकनंदा, नई दिल्ली	8.11.2012
34.	डॉन बॉस्कों आश्रयगृह, ओखला, नई दिल्ली 110025	8.11.2012
35.	एसओएस उद्यान, दत्तकगृहण गृह, डॉक्टर लेन, गोल मार्केट, नई दिल्ली	7.11.2012
36.	अंतोदय निकेतन, ओल्ड कोर्ट रोडद्व कशमिरी गेट, रिट सिनेमा के पास दिल्ली-110006	7.11.2012
37.	निर्मल शिशु भवन, 12-कमिशनरस लेन, दिल्ली-54	8.11.2012
38.	ममता-बाल देखरेख केन्द्र, प्लाट नं. 5, पीएसपी पॉकेट, सेक्टर 8, द्वारका, नई दिल्ली-110075	7.11.2012
39.	डॉन बास्को आशयालम, ओल्ड नजपुगढ़रोड, पालम गांव, नई दिल्ली-110045	7.11.2012
40.	एसओएस उपवन दत्तक ग्रहण गृह, बी-5/21, पहली मंजील, सफदरजंग इंक्लेव दिल्ली	8.11.2012
41.	बअरफलाइज रेसिलेंस केन्द्र, यू-4, ग्रीनपार्क एकसटेंशन, नई दिल्ली-16	7.11.2012
42.	करेज एंड हिलिंग होम, 4-45, फ्रिडम फाइटर कॉलोनी, नेव सराय, नई दिल्ली	7.11.2012
43.	विलिवर चर्च, एम-4, हॉजखास, नई दिल्ली	9.11.2012
44.	लड़कों के लिए अमन उम्मीद घर, कुटुब स्टेंड के पास, महरौली, दिल्ली	3.11.2012
45.	बालिकाओं के लिए किलकारी गृह, निकोलसन रोड, कशमीरी गेट, नई दिल्ली	3.11.2012
46.	अपना घर, गोवा	13.12.2012
47.	एल सदाई गैर सरकारी संगठन द्वारा चलाए जा रहे गृह, गोवा	13.12.2012
48.	आशा किरण कॉम्पलेक्श7मानसिक रूप से विकलांग बच्चों के लिए गृह, नई दिल्ली	27.12.2012
49.	एचपी, आईसीडब्ल्यू द्वारा चलाए जा रहे विशेष दत्तक ग्रहण एजेंसी, हिमाचल प्रदेश	5.1.2013
50.	बाल अनाथालय, बालगृ जटल रोड़, सोनडापुर गॉव, पानीपत हरियाणा	30.1.2013
51.	नरेंद्रपुर में स्नेहा में संलप कोलकाता	1.2.2013

[हिंदी]

बालगृहों से गायब बच्चे

2023. श्री इज्यराज सिंह:
श्री हरीश चौधरी:

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान देश में बाल गृहों से गायब बच्चों की संख्या राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार क्या है;

(ख) क्या सरकार ने इस दिशा में कोई जांच करवाई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और निष्कर्ष क्या है;

(घ) क्या उक्त अवधि के दौरान बाल गृहों से गायब होने वाले बच्चों में किसी व्यक्ति/अधिकारी की संलिप्तता सरकार के ध्यान में आई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध की गई या प्रस्तावित कार्रवाई क्या है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा तीरथ): (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

एल.पी.जी. कनेक्शनों का वितरण

2024. श्री अम्बिका बनर्जी: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में उपभोक्ताओं को एल.पी.जी. कनेक्शन वितरित करने के कार्य से निपटने के लिए तेल विपणन कंपनियों को अनुमति प्रदान कर दी है;

(ख) यदि हां, तो पश्चिम बंगाल सहित कंपनी-वार और राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या देश में अनेक एल.पी.जी. वितरकों ने उपभोक्ताओं को लुभाने के लिए अनुचित प्रतिस्पर्धा का सहारा लिया है;

(घ) यदि हां, तो पश्चिम बंगाल सहित तत्संबंधी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक उपाय किए जा रहे हैं/किए जाने का विचार किया जा रहा है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) उपभोक्ताओं को एलपीजी सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कम्पनियों (ओएमसीज) के डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क के माध्यम से उपलब्ध कराई जाती है। ओएमसीज के डिस्ट्रीब्यूटरों को एक परिभाषित चयन प्रक्रिया के पश्चात् दो श्रेणियों अर्थात विनियमित और राजीव गांधी ग्रामीण एलपीजी वितरक में नियुक्त किया जाता है।

दिनांक 1.1.2013 की स्थिति के अनुसार उपभोक्ताओं के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) से (ङ) पश्चिम बंगाल राज्य सहित देश में ग्राहकों को प्रलोभन देने के लिए कोई विकृत प्रतिस्पर्धा ओएमसीजम के ध्यान में नहीं आई है।

विवरण

दिनांक 01.01.2013 की स्थिति के अनुसार घरेलू एलपीजी ग्राहकों की संख्या (लाख में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आईओसीएल	बीपीसीएल	एचपीसीएल	उद्योग योग
1	2	3	4	5
चंडीगढ़	2.55	0.5	0.82	3.87

1	2	3	4	5
दिल्ली	33.58	11.09	7.18	51.85
हरियाणा	20.83	13.82	9.05	43.70
हिमाचल प्रदेश	13.54	1.06	1.86	16.46
जम्मू और कश्मीर	4.92	1.6	11.17	17.69
पंजाब	34.38	14.17	11.92	60.47
राजस्थान	30.85	18.36	18.87	68.08
उत्तर प्रदेश	94.04	38.22	23.85	156.11
उत्तराखंड	17.16	2.84	1.42	21.42
योग उत्तर	251.85	101.66	86.14	439.65
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.66	0	0	0.66
अरुणाचल प्रदेश	1.96	0.02	0	1.98
असम	24.01	1.58	0.66	26.25
बिहार	25.71	8.61	8.2	42.52
झारखंड	10.33	2.04	3.08	15.45
मणिपुर	3.09	0	0	3.09
मेघालय	1.67	0.03	0	1.70
मिजोरम	2.62	0	0	2.62
नागालैंड	2.01	0.01	0	2.02
ओडिशा	7.95	4.6	9.12	21.67
सिक्किम	1.68	0	0	1.68
त्रिपुरा	3.59	0	0	3.59
पश्चिम बंगाल	48.34	12.49	17.07	77.90
कुल पूर्व	133.62	29.38	38.13	201.13
छत्तीसगढ़	7.44	2.1	4.83	14.37
दादरा और नगर हवेली	0	0	0.58	0.58
दमन और दीव	0	0.21	0.37	0.58
गोवा	0.12	1.71	3.15	4.98
गुजरात	38.38	16.79	15.22	70.39
मध्य प्रदेश	29.57	12.39	16.88	58.84

1	2	3	4	5
महाराष्ट्र	21.32	80.96	79.04	181.32
कुल पश्चिम	96.83	114.16	120.07	331.06
आंध्र प्रदेश	57.23	33.51	70.97	161.71
कर्नाटक	36.72	20.47	28.16	85.35
केरल	38.17	22.14	12.29	72.60
लक्षद्वीप	0.02	0	0	0.02
पुदुचेरी	1.22	0.89	1.27	3.38
तमिलनाडु	91.19	37.64	21.59	150.42
कुल दक्षिण	224.55	114.65	134.28	473.48
अखिल भारत	706.85	359.85	378.62	1445.32

आरजीईएसएस

2025. श्री कौशलेन्द्र कुमार: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राजीव गांधी इक्विटी बचत योजना नामक नई कर लाभ योजना की शुरुआत की है;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य विशेषताओं सहित योजना के लक्ष्य और उद्देश्य क्या हैं; और

(ग) इससे खुदरा निवेशकों को क्या लाभ होगा?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिकम): (क) जी, हां। आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80 गगछ के तहत केन्द्र सरकार द्वारा दिनांक 23 नवम्बर, 2012 की राजपत्रित अधिसूचना का.आ. 2777 (अ) के माध्यम से राजीव गांधी इक्विटी बचत योजना अधिसूचित की गई है।

(ख) आरजीईएसएस का लक्ष्य एवं उद्देश्य घरेलू पूंजी बाजार में छोटे निवेशकों की बचतों को प्रोत्साहित करना है। योजना की प्रमुख विशेषताएं निम्नवत हैं:

- दस लाख रुपए तक की सकल कुल आय वाले किसी नए खुदरा निवेशक को योजना के अंतर्गत निवेश की गई राशि के पचास प्रतिशत की कटौती, 25,000/- रुपए की अधिकतम कटौती के अधीन अनुमत है।
- कटौती एक बारगी कटौती है तथा यह निवेशित राशि के संबंध में केवल एक कर-निर्धारण वर्ष में ही उपलब्ध कराई जाती है।
- आरजीईएसएस के अनुसार निवेश अधिग्रहण की तिथि से 3 वर्षों की अवधि के लिए निवेश अवरुद्ध (लॉक्ड-इन) रहता है।
- नए खुदरा निवेशक को योजना के तहत लाभ उठाने हेतु एक नया डीमेट खाता खोलना होगा अथवा इस प्रयोजन हेतु अपने मौजूदा डीमैट खाते को नामित करना होगा।

(ग) खुदरा निवेशक इक्विटी शेयरों में निवेशित राशि के 50 प्रतिशत की कटौती हेतु पात्र होता है परन्तु उक्त कटौती 25,000/- रुपए से अधिक नहीं होगी।

वित्त विधेयक, 2013 के माध्यम से यह प्रस्ताव किया गया है कि किसी इक्विटी उन्मुख निधि की सूचीगत इकाइयों में किया गया निवेश भी कटौती हेतु पात्र होगा तथा यह कि कटौती उन नए खुदरा निवेशकों को तीन लगातार कर निर्धारण वर्षों हेतु उपलब्ध होगी जिनकी सकल कुल आय 12 लाख रुपए से अधिक नहीं है।

[हिंदी]

आयुर्वेद पद्धति

2026. श्री देवराज सिंह पटेल:
श्री बलीराम जाधव:
श्री प्रेमचन्द गुड्डू:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में आयुर्वेद महाविद्यालयों, अस्पतालों और अनुसंधान संस्थानों की राज्य क्षेत्र/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या क्या है;

(ख) क्या सरकार को मधय प्रदेश के रीवा और उज्जैन सहित विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से उनमें आयुर्वेद महाविद्यालय, अस्पताल और अनुसंधान संस्थानों को खोलने और उन्नयन के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान उन पर सरकार द्वारा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार की गई/प्रस्तावित कार्रवाई क्या है;

(घ) क्या बड़ी संख्या में ये प्रस्ताव अनुमोदन हेतु लंबित है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और कारण क्या है तथा इन लंबित प्रस्तावों को कब तक अनुमोदित कर दिया जाएगा; और

(ङ) देश में दवाओं की आयुर्वेदिक पद्धति को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए/करने का विचार है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. गांधीसेलवन): (क) देश में आयुर्वेद कॉलेजों, अस्पतालों और अनुसंधान संस्थानों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ख) से (घ) गत प्रत्येक तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान आयुर्वेद कॉलेजों को खोलने और उनके उन्नयन के लिए विभिन्न राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त प्रस्तावों सहित सरकार द्वारा की गई कार्रवाई का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है। राज्य सरकारों से 50/10 बिस्तरों वाले एकीकृत आयुष अस्पतालों की स्थापना के लिए प्राप्त प्रस्तावों और की गई कार्रवाई का ब्यौरा संलग्न विवरण-III में दिया गया है। रीवा और उज्जैन के राजकीय कॉलेजों से प्राप्त प्रस्तावों को आवेदन पूर्ण न होने के कारण आवेदकों को लौटा दिया गया है। गत प्रत्येक तीन वर्षों और वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान आयुर्वेद अस्पतालों सहित आयुष अस्पतालों के उन्नयन के लिए प्राप्त प्रस्तावों और उन पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई का ब्यौरा संलग्न विवरण-IV में दिया गया है। गत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान आयुर्वेद अस्पतालों को खोलने और उनके उन्नयन के लिए मध्य प्रदेश के रीवा और उज्जैन से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। जहां तक आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान का संबंध है, सरकार को मध्य प्रदेश के रीवा और उज्जैन सहित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में आयुर्वेद अनुसंधान संस्थानों को खोलने और उन्नयन के लिए विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ङ) आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए, विभाग, देश के विभिन्न भागों में आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी पर व्यापक स्वास्थ्य मेलों का आयोजन करता है। विभाग, राज्य आरोग्य मेलों के आयोजन करने के लिए राज्य सरकारों को निधि भी प्रदान करता है और इस पद्धति के बारे में सामान्य लोगों को शिक्षित करने के लिए आयुष विभाग ने विभिन्न फोल्डरों, पुस्तिकाओं, पत्रकों और अन्य प्रचार सामग्री का प्रकाशन किया है। विभाग ने आयुष पद्धतियों को बढ़ावा देने के लिए चलचित्र, वीडियो स्पॉट और ऑडियो स्पॉट निर्मित किए हैं। इन वीडियो स्पॉटों का दूरदर्शन के राष्ट्रीय नेटवर्क और अन्य चैनलों पर प्रसारण किया जाता है। कई विषयों, जिनमें पद्धति की प्रमाणित क्षमता है, जैसे जरा स्वास्थ्य परिचर्या, खून की कमी, मां और बच्चा परिचर्या आदि पर राष्ट्रीय अभियान आयोजित किए गए हैं। विभाग, सरकारी और गैर-सरकारी एजेंसियों द्वारा आयुष संबंधित विषयों पर आयोजित संगोष्ठियों और सम्मेलनों को भी सहायता देता है।

विवरण I

देश में आयुर्वेद कॉलेजों, अस्पतालों और अनुसंधान संस्थानों की संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आयुर्वेद कॉलजों	आयुर्वेद अस्पताला	आयुर्वेद अनुसंधान
1	2	3	4	5
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	00	01	01
2.	आंध्र प्रदेश	07	09	02
3.	अरुणाचल प्रदेश	00	12	01
4.	असम	01	01	01
5.	बिहार	08	12	01
6.	चंडीगढ़	01	01	00

1	2	3	4	5
7.	छत्तीसगढ़	03	09	00
8.	दिल्ली	02	05	01
9.	गोवा	01	01	00
10.	गुजरात	12	43	01
11.	हरियाणा	07	08	00
12.	हिमाचल प्रदेश	01	29	01
13.	जम्मू और कश्मीर	01	02	02
14	झारखंड	01	01	00
15.	कर्नाटक	58	134	02
16.	केरल	17	128	02
17.	मध्य प्रदेश	18	22	01
18.	महाराष्ट्र	65	65	03
19.	मेघालय	00	03	00
20.	नागालैंड	00	00	01
21.	ओडिशा	06	09	01
22.	पुदुचेरी	01	01	00
23.	पंजाब	12	16	01
24.	राजस्थान	09	121	01
25.	सिक्किम	00	01	01
26.	तमिलनाडु	05	02	02
27.	त्रिपुरा	. 00	01	00
28.	उत्तर प्रदेश	17	1772	02
29.	उत्तराखंड	05	07	01
30.	पश्चिम बंगाल	03	05	01
	कुल	261	2421*	30

विवरण II

शैक्षणिक सत्र 2010-11 में प्रवेश अप्रैल, 2009 में प्राप्त आईएमसीसी अधिनियम, 1970 की धारा 13 (क) के अंतर्गत आयुर्वेद कॉलेजों को खोलने और उनका उन्नयन करने हेतु विभिन्न राज्यों के प्रस्ताव

क्र.सं. राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कुल आवेदन	नए आचुर्वेद कॉलेज की स्थापना करना			अध्ययन के किसी भी पाठ्यक्रम में अपनी प्रवेश क्षमता में वृद्धि करना			अध्ययन के नए उच्चतर पाठ्यक्रम शुरू		
		वापस किए गए आवेदन	अनुमति हेतु अस्वीकृत आवेदन	अनुमति प्रदत्त कॉलेज	वापस किए गए आवेदन	अनुमति हेतु अस्वीकृत आवेदन	अनुमति प्रदत्त कॉलेज	वापस किए गए आवेदन	अनुमति हेतु अस्वीकृत आवेदन	अनुमति प्रदत्त कॉलेज
1. आंध्र प्रदेश	03	1	0	0	0	0	0	1	1	0
2. बिहार	02	0	0	0	1	0	0	0	1	0
3. छत्तीसगढ़	01	0	0	0	0	0	1	0	0	0
4. दिल्ली	02	0	0	1	0	0	0	0	1	0
5. गुजरात	05	0	2	0	0	0	2	0	1	0
6. हरियाणा	02	1	0	1	0	0	0	0	0	0
7. झारखंड	02	0	1	0	0	0	0	0	1	0
8. कर्नाटक	23	0	0	0	0	1	5	0	4	13
9. केरल	05	0	1	1	0	0	1	1	0	1
10. मध्य प्रदेश	09	1	1	1	0	2	0	1	1	2
11. महाराष्ट्र	23	1	2	2	0	1	6	1	0	10
12. ओडिशा	01	0	0	0	1	0	0	0	0	0
13. पुदुचेरी	01	0	0	1	0	0	0	0	0	0
14. पंजाब	03	0	0	0	0	2	0	0	1	0
15. राजस्थान	05	2	1	1	0	0	1	0	0	0
16. तमिलनाडु	03	0	0	0	1	0	0	1	1	0
17. उत्तर प्रदेश	07	0	0	0	0	0	3	0	1	3
18. पश्चिम बंगाल	02	0	1	0	0	0	0	0	1	0
कुल	99	06	09	09	03	06	19	05	14	29

शैक्षणिक सत्र 2011-12 में प्रवेश हेतु अप्रैल, 2010 में प्राप्त आईएमसीसी अधिनियम, 1970 की धारा 13 (क) के अंतर्गत आयुर्वेद कॉलेजों को खोलने और उनका अन्नयन करने हेतु विभिन्न राज्यों के प्रस्ताव

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कुल आवेदन	नए आचुर्वेद कॉलेज की स्थापना करना			अध्ययन के किसी भी पाठ्यक्रम में अपनी प्रवेश क्षमता में वृद्धि करना			अध्ययन के नए उच्चतर पाठ्यक्रम शुरू		
			वापस किए गए आवेदन	अनुमति हेतु अस्वीकृत आवेदन	अनुमति प्रदत्त कॉलेज	वापस किए गए आवेदन	अनुमति हेतु अस्वीकृत आवेदन	अनुमति प्रदत्त कॉलेज	वापस किए गए आवेदन	अनुमति हेतु अस्वीकृत आवेदन	अनुमति प्रदत्त कॉलेज
1.	आंध्र प्रदेश	03	0	2	0	0	0	0	0	1	0
2.	असम	01	0	0	0	0	0	0	0	1	0
3.	बिहार	02	0	0	0	0	0	0	1	1	0
4.	छत्तीसगढ़	04	0	1	0	0	1	0	0	2	
5.	दिल्ली	02	1	0	0	0	0	0	1	0	0
6.	गुजरात	06	0	1	0	1	2	0	0	2	0
7.	हरियाणा	02	0	0	0	1	0	0		0	0
8.	हिमाचल प्रदेश	02	0	0	0	0	1	0	1	0	0
9.	जम्मू और कश्मीर	02	1	0	0	0	0	0	0	1	0
10.	कनाटक	17	1	2	0	1	2	ट	2	6	2
11.	केरल	06	0	0	0	2	0	0	4	0	0
12.	मध्य प्रदेश	07	0	2	0	0	1	0	0	4	0
13.	महाराष्ट्र	15	0	3	0	0	1	1	0	7	3
14.	ओडिशा	02	0	0	0	0	0	1	0	1	0
15.	पंजाब	03	0	0	0	0	2	0	0	1	0
16.	राजस्थान	03	0	2	0	0	0	1	0	0	0
17.	तमिलनाडु	02	0	0	0	0	0	0	1		0
18.	त्रिपुरा	01	0		0	0	0	0	0	0	0
19.	उत्तर प्रदेश	04	0	1	0	0	0	0		2	0
20.	उत्तराखंड	02	0	0	0	0	0	0	0	2	0
21.	पश्चिम बंगाल	01	0	0	0	0	0	0	0	1	0
	कुल	87	03	15	00	05	10	04	12	33	05

शैक्षणिक सत्र 2012-13 में प्रवेश हेतु अप्रैल, 2011 में प्राप्त आईएमसीसी अधिनियम, 1970 की धारा 13 (क) के अंतर्गत आयुर्वेद कॉलेजों को खोलने और उनका अन्नयन करने हेतु विभिन्न राज्यों के प्रस्ताव

क्र.सं. राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कुल आवेदन	नए आचुर्वेद कॉलेज की स्थापना करना			अध्ययन के किसी भी पाठ्यक्रम में अपनी प्रवेश क्षमता में वृद्धि करना			अध्ययन के नए उच्चतर पाठ्यक्रम शुरू		
		वापस किए गए आवेदन	अनुमति हेतु अस्वीकृत आवेदन	अनुमति प्रदत्त कॉलेज	वापस किए गए आवेदन	अनुमति हेतु अस्वीकृत आवेदन	अनुमति प्रदत्त कॉलेज	वापस किए गए आवेदन	अनुमति हेतु अस्वीकृत आवेदन	अनुमति प्रदत्त कॉलेज
1. आंध्र प्रदेश	03	1	1	0	0	0	0	0	1	0
2. बिहार	03	0	0	0	0	0	0	2	1	0
3. दिल्ली	02	0	0	0	0	0	0	0	2	0
4. गुजरात	08	1	1	0	1	2	0	2	1	0
5. हरियाणा	03	1	0	0	1	0	0	1	0	0
6. झारखंड	01	0	0	0	0	1	0	0	0	0
7. कर्नाटक	21	1	2	0	3	3	2	2	3	5
8. केरल	04	1	0	0	0	1	0	0	2	0
9. मध्य प्रदेश	08	0	1	0	0	1	0	1	4	1
10. महाराष्ट्र	17	1	2	0	0	1	0	2	8	3
11. मेघालय	01	1	0	0	0	0	0	0	0	0
12. ओडिशा	01	0	0	0	0	0	0	0	1	0
13. पंजाब	02	0	0	0	0	0	1	0	0	1
14. राजस्थान	02	1	0	0	0	0	0	1	0	0
15. तमिलनाडु	01	0	0	0	0	0	0	0	1	0
16. उत्तर प्रदेश	05	0	4	0	0	0	0	0	0	1
17. उत्तराखंड	03	1	0	0	0	0	0	0	0	2
18. पश्चिम बंगाल	01	1	0	0	0	0	0	0	0	0
कुल	86	10	11	00	05	09	03	11	24	13

शैक्षणिक सत्र 2013-14 में प्रवेश हेतु अप्रैल, 2012 में प्राप्त आईएमसीसी अधिनियम, 1970 की धारा 13 (क) के अंतर्गत आयुर्वेद कॉलेजों को खोलने और उनका अन्नयन करने हेतु विभिन्न राज्यों के प्रस्ताव

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कुल आवेदन	नए आचुर्वेद कॉलेज की स्थापना करना		अध्ययन के किसी भी पाठ्यक्रम में अपनी प्रवेश क्षमता में वृद्धि करना		अध्ययन के नए उच्चतर पाठ्यक्रम शुरू	
			वापस किए गए आवेदन	सीसीआईएम को अग्रेषित आवेदन प्रस्तुत निरीक्षण रिपोर्ट/प्रस्तुत सीसीआईएम की सिफारिश	वापस किए गए आवेदन	सीसीआईएम को अग्रेषित आवेदन प्रस्तुत निरीक्षण रिपोर्ट/प्रस्तुत सीसीआईएम की सिफारिश	वापस किए गए आवेदन	सीसीआईएम को अग्रेषित आवेदन प्रस्तुत निरीक्षण रिपोर्ट/प्रस्तुत सीसीआईएम की सिफारिश
1.	असम	01	0	0	0	0	1	0
2.	बिहार	02	0	0	0	0	0	2
3.	छत्तीसगढ़	02	0	1	0	0	0	1
4.	दिल्ली	02	0	0	0	0	1	1
5.	गुजरात	11	1	0	0	2	6	2
6.	हरियाणा	01	0	0	0	0	0	1
7.	हिमाचल प्रदेश	03	1	0	0	1	1	0
8.	जम्मू और कश्मीर	01	0	0	0	0	0	1
9.	कर्नाटक	17	0	1	1	4	2	9
10.	केरल	97	0	0	0	2	1	4
11.	मध्य प्रदेश	09	0	0	6	0	1	2
12.	महाराष्ट्र	26	3	1	3	7	2	10
13.	ओडिशा	01	0	0	0	0	0	1
14.	पंजाब	07	1	1	0	1	0	4
15.	राजस्थान	02	1	0	0	0	0	1
16.	तमिलनाडु	03	0	0	0	1	1	1
17.	उत्तर प्रदेश	13	0	2	3	0	8	0
18.	उत्तराखंड	02	1	1	0	0	0	0
19.	पश्चिम बंगाल	01	0	1	0	0	0	0
	कुल	111	08	08	13	18	24	40

विवरण III

आयुष अस्पताल और औषधालय विकास केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम 50/10 बिस्तरों वाले एकीकृत आयुष अस्पताल की स्थापना हेतु वित्तीय सहायता

वर्ष 2011-12

क्र.सं.	राज्य	स्थान	बिस्तार क्षमता	पद्धति	वास्तविक एकांश	अनावर्ती (रु. लाखों में)	आवर्ती (रु. लाखों में)	कुल वित्तीय (रु. लाखों में)
1.	अरुणाचल प्रदेश	पासीघाट	10	आयुर्वेद, होमयोपैथी	1	215.90	0	215.90
2.	असम	मंडकटा	10	आयुर्वेद, होम्योपैथी	1	215.90	39.95	255.85
3.	मेघालय	भोरियमबोंग जिला-रि-भोई	10	आयुर्वेद	1	215.90	0	215.90
4.	नागालैंड	दीमापुर	10	आयुर्वेद	1	215.90	0	215.90
5.	सिक्किम	सिचे	10	आमची, आयुर्वेद	1	183.52	33.96	217.47
6.	मणिपुर	लाम्फेल	50	आयुर्वेद, होम्योपैथी योग	1	637.50	127.50	765.00
7.	मिजोरम	थेनजावल	50	आयुर्वेद, होम्योपैथी	1	637.50	127.50	765.00
8.	त्रिपुरा	कैलाशहर	50	आयुर्वेद, होम्योपैथी	1	541.88	108.38	650.25
9.	उत्तराखंड	देहरादून	50	आयुर्वेद	1	318.75	0	318.75
10.	हिमाचल प्रदेश	हमीरपुर	50	आयुर्वेद, होम्योपैथी	1	541.88	108.38	650.25
11.	जम्मू और कश्मीर	हरवान	50	आयुर्वेद, होम्योपैथी यूनानी, याग	1	637.50	127.50	765.00
		कुल			11	4362.12	673.15	5035.27

विवरण IV

आयुष अस्पताल और औषधालय विकास केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम

वर्ष 2009-10 हेतु आयुर्वेद सहित आयुश अस्पतालों के उन्नयन हेतु प्राप्त प्रस्तावों और निर्मुक्त अनुदान की स्थिति

क्र.सं.	राज्य का नाम	प्राप्त प्रस्ताव	पद्धति	कालम 3 में से अनुमोदित एकांश	निर्मुक्त अनुदान (रु.लाखों में)
1	2	3	4	5	6
1.	हिमाचल प्रदेश	28 आयुष (आयु) अस्पताल	आयुर्वेद-12	12	646.27
2.	जम्मू ओर कश्मीर	8 आयुष अस्पताल	यूनानी-।,आयुर्वेद-।	2	107.71

1	2	3	4	5	6
4.	कर्नाटक	65 आयुष अस्पताल	आयुष-9	9	484.70
5.	केरल	72 आयुष अस्पताल होमयोपैथी-10	आयुर्वेद-12	22	1,184.83
6.	मध्य प्रदेश	23 आयुष अस्पताल	आयुर्वेद-12	12	646.27
7.	ओडिशा	8 आयुष अस्पताल	आयुर्वेद-5	5	269.28
8.	पंजाब	6 आयुष अस्पताल	आयुर्वेद-5	5	269.28
9.	राजस्थान	50 आयुष अस्पताल	आयुर्वेद-23	23	1,238.69
	कुल	260		93	5,008.60

वर्ष 2010-11 हेतु आयुर्वेद सहित आयुष अस्पतालों के उन्नयन हेतु प्राप्त प्रस्तावों और निर्मुक्त अनुदान की स्थिति

क्र.सं.	राज्य का नाम	प्राप्त प्रस्ताव	पद्धति	कॉलम 3 में से अनुमोदित एकांश	निर्मुक्त अनुदान (रु.लाखों में)	अभ्युक्तियां
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	17 आयुष अस्पताल	आयुर्वेद	3	155.84	-
2.	बिहार	27-आयुष अस्पताल (13-आयुर्वेद, 7 यूनानी, 7-होम्योपैथी)	आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी	27	1,454.11	-
4.	गुजरात	24 आयुष अस्पताल	आयुष	24	405.35	-
5.	हिमाचल प्रदेश	16 आयुर्वेद अस्पताल	आयुर्वेद	16	861.69	-
6.	जम्मू और कश्मीर	2 आयुष अस्पताल	आयुर्वेद	-	-	विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं किए जाने के कारण निधियां निर्मुक्त नहीं की जा सकी।
7.	कर्नाटक	56 आयुष अस्पताल (39-आयुर्वेद, 7 होमयोपैथी,10 यूनानी)	आयुर्वेद, होमयोपैथी, यूनानी	56	3,015.93	-

1	2	3	4	5	6	7
8.	केरल	91 आयुष अस्पताल	आयुर्वेद, होम्योपैथी	91	3,158.40	
9.	मध्य प्रदेश	11 आयुष अस्पताल (9-आयुर्वेद, 2-होम्योपैथी)	आयुर्वेद, होम्योपैथी	11	592.41	-
10.	राजस्थान	आयुष अस्पताल (94 आयुर्वेद, 5-यूनानी, 4-होम्योपैथी, होम्योपैथी, 3-योग व प्राकृतिक चिकित्सा)	आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी, योग व प्राकृतिक चिकित्सा	106	5,708.73	-
12.	त्रिपुरा	3 आयुष अस्पताल (2-आयुर्वेद,1-होम्योपैथी)	आयुर्वेद, होम्योपैथी	3	171.06	-
13.	उत्तराखंड	8 आयुर्वेद अस्पताल	आयुर्वेद	8	370.60	-
	कुल	361	-	345	15,894.12	

वर्ष 2011-12 हेतु आयुर्वेद सहित अस्पतालों के उन्नयन हेतु प्राप्त प्रस्तावों और निर्मुक्त अनुदान की स्थिति

क्र.सं.	राज्य का नाम	प्राप्त प्रस्ताव	पद्धति	कॉलम 3 में से अनुमोदित एकांश	निर्मुक्त अनुदान (रु.लाखों में)	अभ्युक्तियां
1.	आंध्र प्रदेश	18 आयुष असपताल (12-आयुर्वेद, 6 यूनानी)	आयुर्वेद, यूनानी	18	2.13	-
2.	छत्तीसगढ़	3 आयुर्वेद अस्पताल	आयुर्वेद	3	5.35	-
3.	हिमाचल प्रदेश	28 आयुर्वेद अस्पताल	आयुर्वेद	28	5.45	-
4.	उत्तराखंड	17 आयुर्वेद अस्पताल	आयुर्वेद	8	6.80	-
5.	केरल	30 आयुष अस्पताल (30 होम्योपैथी)	होम्योपैथी	30	8.50	-
		68 आयुर्वेद अस्पताल	आयुर्वे	68	86.70	-
		51 आयुष अस्पताल	आयुष	-	-	सहायता अनुदान, लम्बित उपयोग प्रमाण पत्रों के कारण निर्मुक्त नहीं किए गए।

1	2	3	4	5	6	7
6.	मिजोरम	10 आयुष अस्पताल	आयुष	-	-	वर्ष 2009-10 तक की गई निर्मुक्तियों के संबंध में लंबित उपयोग प्रमाण पत्रों के कारण राज्यों को निधियां निर्मुक्त नहीं की जा सकी।
7.	बिहार	128 आयुष अस्पताल	आयुष	-	-	
8.	जम्मू और कश्मीर	2 आयुष अस्पताल (1-यूनानी, 1-आयुर्वेद) (आवर्ती)	यूनानी, आयुर्वेद	-	-	
9.	पश्चिम बंगाल	9 आयुष अस्पताल	आयुष	-	-	
10.	पश्चिम बंगाल	6 आयुष अस्पताल	आयुष	-	-	
	कुल	370	-	155	114.93	-

वर्ष 2012-13 हेतु आयुर्वेद सहित आयुष अस्पतालों के उन्नयन हेतु प्राप्त प्रस्तावों और निर्मुक्त अनुदान की स्थिति

क्र.सं.	राज्य का नाम	प्राप्त प्रस्ताव	पद्धति	कॉलम 3 में से अनुमोदित एकांश	निर्मुक्त अनुदान (रु.लाखों में)	अभ्युक्तियां
1.	अंडमान और निकोबारे द्वीपसमूह	1 आयुष अस्पताल	आयुर्वेद	1	1.60	-
2.	आंध्र प्रदेश	13 आयुष अस्पताल (5 यूनानी)	आयुर्वेद, यूनानी,	-	-	लंबित उपयोग प्रमाण पत्रों को परिसमाप्त करने के अध्यधीन निधियों को निर्मुक्त करने का सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान किया गया है।
3.	जम्मू और कश्मीर (1-यूनानी,1-अस्पताल)	2 आयुष अस्पताल	आयुर्वेद, यूनानी	-	-	
4.	पंजाब	5 आयुर्वेद अस्पताल	आयुर्वेद	-	-	
5.	हिमाचल प्रदेश	29 आयुष अस्पताल				
6.	मणिपुर	2 आयुष अस्पताल	आयुर्वेद	-	-	
7.	त्रिपुरा	2 आयुष अस्पताल	आयुर्वेद, होम्योपैथी		-	वर्ष 2012-13 के लिए पीआईपी, स्कीम के दिशा निर्देशों के अनुसार प्रस्तुत नहीं किया गया था और वर्ष 2010-11 तक की निर्मुक्तियों के संबंध में लंबित उपयोग प्रमाण पत्र।
	कुल	54	-	1	1.60	-

[अनुवाद]

प्रशामक परिचर्या

2027. श्री नित्यानंद प्रधानः क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश के अधिकांश लोगों की गुणवत्तापूर्ण प्रशामक परिचर्या सेवा तक सीमित पहुंच है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कितने प्रतिशत लोगों को प्रशामक परिचर्या उपलब्ध है और इसके अंतर्गत क्या गतिविधियां शुरू की गई हैं;

(ग) देश में प्रशामक परिचर्या के लिए गठित विशेषज्ञ दल द्वारा की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार द्वारा क्या अनुवर्ती कार्रवाई-की-गई/प्रस्तावित है

(घ) क्या सरकार का विचार प्रशामक परिचर्या सबंधी राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किए जाने और 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश के विभिन्न जिलों में प्रशामक परिचर्या केंद्र खोलने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रयोजन हेतु क्या प्रचालनात्मक और वित्तीय नीतियां तैयार की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) और (ख) प्रशामक परिचर्या सेवाएं, राष्ट्रीय कैंसर, मधुमेह, हृदयवाहिका रोगों और आघात के निवारण और नियंत्रण कार्यक्रम (एनपीसीडीसीएस) के अंतर्गत की जाती हैं। देश में प्रशामक परिचर्या के लिए कोई ऊर्ध्वाधर कायक्रम नहीं है।

प्रशामक परिचर्या सेवाओं सहित बुनियादी कैंसर परिचर्या के लिए एनपीसीडीसीएस के तहत केन्द्र से प्राप्त होने वाली वित्तीय सहायता के लिए 2010-11 में 30 जिलों का तथा 2011-12 में 70 जिलों का चयन किया गया था।

(ग) भारत में प्रशामक परिचर्या हेतु कार्यनीतियों पर विशेषज्ञ समूह की रिपोर्ट ने सरकारी मेडिकल कॉलेजों और जिला अस्पतालों में प्रशामक परिचर्या हेतु प्रशामक परिचर्या प्रकोष्ठ तथा आरक्षित बिस्तरों की शुरूआत करने की सिफारिश की है। एनपीसीडीसीएस के तहत, जिला अस्पतालों में प्रशामक परिचर्या सहित विविध कार्यकलापों के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करने का प्रावधान है।

भारत सरकार ने एनआरएचएम के तहत केरल, तमिलनाडु और महाराष्ट्र की सरकारों को उनके कार्यक्रम क्रियान्वयन हेतु वित्तीय सहायता भी जारी की है।

(घ) और (ङ) इस पर निर्णय नहीं लिया गया है।

आदिवासी बस्तियां

2028. श्री के.पी. धनपालनः क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का विचार देश की आदिवासी बसावटों को आदर्श आदिवासी बस्तियों में विकसित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसी बस्तियों को क्या सुविधाएं प्रदान किए जाने की संभावना है;

(ग) क्या सरकार को इस संबंध में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है और इसके अंतर्गत कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई है?

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रानी नरह): (क) देश में जनजातीय कस्बों को आदर्श जनजातीय बस्तियों में विकसित करने संबंधी ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के पास नहीं है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

बैंकों हेतु वित्तीय होल्डिंग कंपनी

2029. श्री एकनाथ माहदेव गायकवाडः
श्री आनंद प्रकाश परांजपेः
श्री भास्कराव बापूराव पाटील खतगांवकरः
श्री एन.एस.वी. चित्तनः

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने देश में सार्वजनिक क्षेत्र के सभी बैंकों (पी.एस.बी.) हेतु एक वित्तीय होल्डिंग कंपनी शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और इसकी वर्तमान स्थिति क्या है तथा इस कदम से पी.एस.बी. को किस प्रकार से लाभान्वित होने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा): (क) से (ग) वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण 2012-13 में घोषणा की थी कि सरकार एक वित्तीय धारक कम्पनी के सृजन की सम्भावनाओं की जांच करेगी जो कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की पूंजी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संसाधन जुटाएगी। उपर्युक्त घोषणा के अनुक्रम में यह मामला सरकार के विचाराधीन है और इस मामले में अंतर-मंत्रालीय परामर्श किया जा रहा है।

डीआरटी में ई-गवर्नेंस

2030. **श्री मधु गौड यास्खी:**
श्री प्रदीप माझी:
श्री किसनभाई वी. पटेल:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार (ऋण वसूली अधिकरणों तथा (ऋण वसूली अपीलीय अधिकरण में ई-गवर्नेंस को कार्यान्वित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ई-गवर्नेंस शुरू होने के पश्चात् इन अधिकरणों की सेवाओं में किस रीति से सुधार होने की संभावना है;

(घ) क्या उक्त परियोजना के कार्यान्वयन के लिए किसी एजेन्सी की पहचान की गई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा इस बारे में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा): (क) से (च) जी, हां। सरकारी धन की वसूली में तेजी लाने के लिए ऋण वसूली अधिकरणों (डीआरटी) तथा ऋण वसूली अपीली अधिकरणों (डीआरएटी) की दक्षता बढ़ाने के लिए एवं बैंकों, वित्तीय संस्थाओं और आम जनता को समस्यारहित प्रचालनों हेतु प्लेटफार्म उपलब्ध कराने के लिए डीआरटी में ई-गवर्नेंस शुरू करने का प्रस्ताव है। ई-डीआरटी लागू करने में परिकल्पित मुख्य उद्देश्य निम्नानुसार हैं:

(i) डीआरटी/डीआरएटी की प्रक्रिया/प्रणालियों को स्वचालित करने हेतु सूचना प्रौद्योगिकी का कार्यान्वयन।

(ii) डीआरटी के अधिकारियों को प्रौद्योगिकी रूप से दक्ष कार्मिक उपलब्ध कराकर उन्हें सर्वोत्तम संभव सेवाएं कुशलतापूर्वक प्रदान करने तथा विघ्नरहित प्रशासनिक सेवाएं प्रदान करने हेतु समर्थ बनाना।

(iii) आवेदकों तथा प्रतिवादियों को जानकारी तक बाधा रहित पहुंच उपलब्ध कराना।

(iv) समय से तथा सही रिपोर्टों तक पहुंच होना।

(v) मामले से संबंधित अभिलेखों का दक्षतापूर्ण प्रबंधन करना।

(vi) बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं को अपनी मामले से संबंधित जानकारी का सरलता से पता करने में सक्षम बनाना।

(vii) आदेशों को शीघ्रता से लागू करने हेतु वसूली अधिकारियों को उत्कृष्ट माध्यमों तथा प्रौद्योगिकी से समर्थकारी बनाना। परियोजना के कार्यान्वयन से संबंधित एजेन्सी हेतु कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।

जनजातीय क्षेत्रों में औद्योगिक परियोजनाएं

2031. **श्री एम.आई. शानवास:** क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जनजातीय क्षेत्रों में औद्योगिक परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए ग्राम सभा की सहमति की जरूरत होती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार द्वारा इस संबंध में किसी विधान का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) ऐसे विधान के प्रारूप हेतु परामर्शदात्री प्रक्रिया में ग्राम सभाओं के प्रतिनिधियों को शामिल करने पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रानी नरह): (क) और (ख) पंचायत (अनूसचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम, 1996 के उपबंधों के अनुसार, 5वीं अनुसूची क्षेत्रों में स्थित ग्राम सभाओं को ग्रामीण स्तर पर पंचायत द्वारा कार्यान्वयन हेतु ऐसी योजनाओं, कार्यक्रमों और परियोजनाओं को हाथ में लेने से पहले सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए योजनाओं, कार्यक्रमों और परियोजनाओं को अनुमोदित करना होता है। ग्राम सभाएं व्यक्तियों की शिनाख्त और चयन करने के लिए, गरीबी

उन्मूलन और अन्य कार्यक्रमों के तहत लाभार्थियों के रूप में, जिम्मेदार होते हैं।

इस अधिनियम में यह भी व्यवस्था है कि पंचायतों से, विकास परियोजनाओं हेतु अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि अधिग्रहण करने से पहले और अनुसूचित क्षेत्रों में ऐसी परियोजनाओं द्वारा प्रभावित व्यक्तियों के पुन: स्थापन अथवा पुनर्वास से पहले, समुचित स्तर पर ग्राम सभा अथवा पंचायतों से परामर्श किया जाये; अनुसूचित क्षेत्रों में वास्तविक आयोजना और कार्यान्वयन राज्य स्तर पर समन्वित किया जाये; समुचित स्तर पर ग्राम सभा अथवा पंचायतों की सिफारिशें, अनुसूचित क्षेत्रों में लघु खनिजों के लिए संभावित लाइसेंस अथवा खनन पट्टे की मंजूरी से पहले अनिवार्य की जाएं।

इस अधिनियम की धारा 4(ट) के अनुसार, समुचित स्तर पर ग्राम सभा अथवा पंचायतों की सिफारिशें, अनुसूचित क्षेत्रों में लघु खनिजों के लिए संभावित लाइसेंस अथवा खनन पट्टे की मंजूरी से पहले अनिवार्य होंगी और अधिनियम की धारा 4 में यह व्यवस्था है कि समुचित स्तर पर ग्राम सभाओं अथवा पंचायतों की पूर्व सिफारिशें, नीलामी द्वारा लघु खनिजों के दोहन के लिए रियायत की मंजूरी देने हेतु अनिवार्य की जाएं।

(ग) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

ऊर्जा शिक्षा पार्क

2032. श्री मनोहर तिरकी:
श्री नरहरि महतो:

क्या **नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश के विभिन्न राज्यों में ऊर्जा शिक्षा पार्कों की स्थापना को बढ़ावा देती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा क्या सहायता प्रदान की गई है तथा इस प्रयोजन के लिए किन स्थानों को चुना गया है और ऐसे स्थानों के चयन हेतु क्या मानदंड अपनाए गए हैं;

(ग) विभिन्न राज्यों में ऐसे पार्कों के विकास हेतु क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए और अभी तक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार पार्कों की संख्या कितनी है; और

(घ) क्या सरकार ने पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान ऐसे पार्कों के विकास के लिए किसी संस्थान को सहायता प्रदान की है?

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री (डॉ. फारुख अब्दुल्ला): (क) जी, हां। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा अक्षय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के प्रदर्शन एवं लोकप्रिय बनाने के लिए विभिन्न राज्यों/संघ राज्य-क्षेत्रों में विशेष क्षेत्र प्रदर्शन कार्यक्रम (एसएडीपी) के अंतर्गत अक्षय ऊर्जा पार्कों की स्थापना को बढ़ावा दिया जा रहा है।

(ख) एसएडीपी के अंतर्गत, प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में दो राज्य स्तर के ऊर्जा पार्क (एसएलईपी) स्थापित किए जा सकते हैं। राजधानी शहरों तथा जिन स्थानों में प्रतिदिन बड़ी संख्या में लोगों और पर्यटकों का आना-जाना होता है, में स्थापित किए जाने वाले प्रत्येक एसएलईपी में अक्षय ऊर्जा प्रणालियों/उपकरणों की संस्थापना करने के लिए 1.00 करोड़ रु. तक की केन्द्रीय वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

(ग) एसएडीपी के अंतर्गत कोई विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जाते हैं, तथापि अब तक 30 एसएलईपी की संस्थापना की गई है। एसएलईपी की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(घ) पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान दो संस्थानों में एसएलईपी के विकास हेतु केन्द्रीय वित्तीय सहायता प्रदान की गई है।

विवरण

राज्य स्तर के ऊर्जा पार्कों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	राज्य स्तर के ऊर्जा पार्कों की संख्या
1	2	3
1.	अरुणाचल प्रदेश	1
2.	असम	1
3.	छत्तीसगढ़	2
4.	नई दिल्ली	1
5.	गुजरात	1
6.	गोवा	1
7.	हरियाणा	1
8.	हिमाचल प्रदेश	2

1	2	3
9.	जम्मू और कश्मीर	2
10.	झारखंड	1
11.	कर्नाटक	1
12.	केरल	1
13.	महाराष्ट्र	1
14.	मणिपुर	1
15.	मेघालय	1
16.	नागालैंड	1
17.	ओडिशा	1
18.	पंजाब	1
19.	सिक्किम	1
20.	तमिलनाडु	1
21.	त्रिपुरा	1
22.	उत्तराखंड	1
23.	उत्तर प्रदेश	1
24.	पश्चिम बंगाल	1
25.	संघ राज्य क्षेत्र, अंडमान और निकोबार	1
26.	संघ राज्य क्षेत्र, चंडीगढ़	1
27.	संघ राज्य क्षेत्र, पुदुचेरी	1

चिकित्सक जनसंख्या अनुपात

2033. श्री पुलीन बिहारी बासके: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रें में जनसंख्या के अनुपात में अस्पतालों में चिकित्सकों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार अनुपात क्या है;

(ख) क्या कई अन्य विकासशील/विकसित देशों की तुलना में यह चिकित्सक-जनसंख्या अनुपात न्यूनतम है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार चिकित्सकों की संख्या की समीक्षा करने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) सरकार द्वारा उस मुद्दे से निपटने के लिए क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) से (ग) विश्व स्वास्थ्य सांख्यिकी 2012 के अनुसार भारत में प्रत्येक 10,000 जनसंख्या के लिए 6.5 डॉक्टर हैं।

डॉक्टर-जनसंख्या अनुपात (प्रत्येक 10,000 जनसंख्या के लिए) का वैश्विक औसत 14.2 है। कुछ विकासशील/विकसित देशों के संबंध में अनुपात नीचे दिया गया है:

देश	डॉक्टर-जनसंख्या अनुपात (प्रति 10,000 जनसंख्या)
ब्राजील	17.6
चीन	14.2
रूस	43.1
श्री लंका	4.9
संयुक्त राज्य अमेरिका	24.2

(घ) से (च) देश में डॉक्टरों, विशेषज्ञों और संकाय की कमी पर ध्यान देने के लिए सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

(i) चिकित्सा कॉलेज की स्थापना के लिए भूमि, संकाय, स्टाफ, पलंग क्षमता/पलंगधारिता और अन्य अवसंरचना संबंधी अपेक्षा के संदर्भ में मानकों में छूट।

(ii) स्नातकोत्तर स्तर पर सीटों में वृद्धि करने हेतु अध्यापक-विद्यार्थी अनुपात में छूट।

(iii) चिकित्सा कॉलेजों में विभिन्न संकाय पदों पर नियुक्ति हेतु डीएनबी अर्हताओं का मान्यता प्रदान करना।

(iv) एमबीबीएस स्तर पर अधिकतम प्रवेश क्षमता में 150 से 250 तक वृद्धि।

(v) चिकित्सा कॉलेजों में अध्यापक/संकायाध्यक्ष/प्रधानाचार्य/निदेशक के पदों पर नियुक्ति/विस्तार/पुनः रोजगार के संबंध में आयु सीमा बढ़ाकर 65 से 70 वर्ष करना।

(vi) विभिन्न विषयों में स्नातकोत्तर सीटों में वृद्धि करने तथा नए स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रम शुरू करने हेतु "राज्य सरकारी चिकित्सा कॉलेजों का सुदृढ़ीकरण और उन्नयन" स्कीम के अंतर्गत राज्य चिकित्सा कॉलेजों के लिए वित्तीय सहायता का प्रावधान।

टीएपीआई गैस पाइपलाइन परियोजना

2034. श्री प्रदीप माझी:
श्री असादूद्दीन ओवेसी:
श्री किसनभाई वी. पटेल:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने तुर्कमेनिस्तान -अफगानिस्तान -पाकिस्तान-भारत (टीएपीआई) गैस पाइपलाइन परियोजना के द्रुत कार्यान्वयन के लिए एक समिति गठित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है

(ग) क्या एशियाई विकास बैंक उक्त परियोजना को सहायता प्रदान करने के लिए सहमत हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी निबंधन एवं शर्तों का ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि, चार देशों (पक्षकारों) द्वारा अंतर-सरकारी करार पर हस्ताक्षर करने के अनुसरण में, पक्षकारों ने मंत्रिस्तर की एक विषय निर्वाचन समिति (एससी) और तकनीकी कार्य समूह (टीडब्ल्यूजी) का गठन किया है। अब तक एससी की 16 बैठकें और टीडब्ल्यूजी की 20 बैठकें हो चुकी हैं।

(ग) और (घ) एशियाई विकास बैंक (एडीबी) परियोजना में प्रमुख विकास भागीदार है। दिनांक 23 सितंबर, 2012 को हुई एससी की 16वीं बैठक के दौरान, एडीबी पक्षकारों को उपलब्ध कराई गई लेनदेन संबंधी परामर्शी कार्यकलापों को करने के लिए सहमत हो गया है और एडीबी पारस्परिक तौर पर निबंधन एवं शर्तों से सहमत है।

प्रतिभूति कानूनों में आमूल-चूल परिवर्तन

2035. श्री अब्दुल रहमान:
श्री सुरेश अंगड़ी:
श्री डी. बी. चन्द्रे गौडा:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने प्रतिभूति कानूनों में आमूल-चूल परिवर्तन करने एवं बाजार विनियमन के सुदृढ़ीकरण की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार का विचार निवेशकों के हितों के संरक्षण हेतु सेबी को और अधिक शक्तियां प्रदान करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा): (क) जी, हां।

(ख) सेबी ने, वित्त मंत्रालय को संबोधित, दिनांक 21 फरवरी, 2013 के पत्र द्वारा, प्रतिभूति कानूनों (भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992, प्रतिभूति संविदा विनियमन अधिनियम, 1956 और निक्षेपागार अधिनियम, 1996) में कुछ संशोधनों की मांग की है।

सेबी से प्राप्त प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

(ग) और (घ) ऊपर (ख) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

बैंक हड़ताल का प्रभाव

2036. श्री सुरेश अंगड़ी:
श्री एस. आर. जेयदुरई:
श्री डी.बी. चन्द्रे गौडा:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस (यू.एफ.बी.यू.) द्वारा की गई हड़ताल के मद्देनजर समूचे देश में बैंकिंग सेवाएं ठप्प हो गई थीं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार को इसके परिणामस्वरूप अनुमानित रूप से कितनी हानि हुई;

(ग) यू.एफ.बी.यू. द्वारा रखी गई प्रमुख मांगें क्या हैं;

(घ) क्या सरकार ने उनकी मांगे स्वीकार कर ली हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) भविष्य में ऐसी हड़तालों की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा): (क) से (च) यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस (यूएफबीयू) ने निम्नलिखित मुद्दों और मांगों के संबंध में 20 और 21 फरवरी, 2013 को दो दिनों के हड़ताल की सूचना दी थी:

(i) केन्द्रीय मजदूर संघ के 10 सूत्री मांग पत्र के समर्थन में;

(ii) चिंताजनक मूल्य वृद्धि को नियंत्रित करने;

(iii) मजदूर संघ को अधिकार सौंपने;

(iv) बैंकिंग सुधारों को रोकने;

(v) आऊसोर्सिंग रोकने;

(vi) शीघ्र वेतन संशोधन करने; तथा

(vii) लंबित मामलों जैसे अनुकंपा नियुक्ति योजना का निपटारा करना।

सरकारी क्षेत्र के बैंकों में वेतन संशोधन बैंक कर्मचारियों के प्रतिनिधियों तथा प्रबंधन के बीच द्विपक्षीय समझौते के जरिए होता है। हड़ताल की सूचना देने पर मुख्य श्रम आयुक्त के कार्यालय, नई दिल्ली में भारतीय बैंक संघ (आईबीए) के साथ यूएफबीयू की समझौता बैठक हुई थी, जिसमें यूएफबीयू से हड़ताल पर न जाने और मामलों को सौहार्दपूर्ण तरीके से आपस में निपटाने और हड़ताल को टालने की अपील की गई थी। तथापि, यूएफबीयू ने 20 और 21 फरवरी, 2013 को दो दिन के हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया।

व्यवसाय की क्षति का आकलन करना संभव नहीं है तथापि लोगों को होने वाली असुविधा को एटीएम एवं इंटरनेट बैंकिंग की सहायता से न्यूनतम किया गया था।

नर्सिंग महाविद्यालय/विद्यालय

2037. श्री जी.एम. सिद्देश्वरः
श्री गोपीनाथ मुंडेः
श्री हेमानंद बिसवालः
श्री के.पी. धनपालनः

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकारी और निजी एवं विदेशी संस्थानों को देश में विशेषकर कर्नाटक में नए नर्सिंग महाविद्यालय/विद्यालय खोलने तथा मूलभूत नर्सिंग पाठ्यक्रम शुरू करने की अनुमति देने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों में से प्रत्येक के दौरान तथा वर्तमान वर्ष में सरकार द्वारा इस बारे में प्राप्त प्रस्तावों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या कितनी है; और

(घ) सरकार द्वारा इन पर क्या कार्रवाई की गई और इस प्रयोजन हेतु कितनी धनराशि जारी की गई?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) और (ख) भारतीय उपचर्या परिषद (आईएनसी), कर्नाटक राज्य में सरकार और निजी क्षेत्र दोनों से तथा अन्य राज्यों से भी नए उपचर्या कॉलेज/विद्यालयों को खोलने के प्रस्ताव स्वीकार कर रही है। जहां तक विदेशी संस्थानों से नए उपचर्या कॉलेज/विद्यालयों को खोलने के प्रस्ताव का संबंध है, देश में उपचर्या पाठ्यक्रम चलाने के लिए विदेशी संस्थानों/विश्वविद्यालयों को अनुमति देने का कोई प्रावधान नहीं है।

(ग) और (घ) पिछले तीन वर्षों में सरकार और निजी क्षेत्र से उपचर्या विद्यालय तथा कॉलेज खोलने के प्राप्त प्रस्तावों का ब्यौरा क्रमशः संलग्न विवरण-I और संलग्न विवरण-II में दिया गया है। 22 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 68 एएनएम विद्यालयों तथा 85 जीएनएम विद्यालयों की स्थापना के लिए 496.8 करोड़ रु. की राशि जारी की गई है।

विवरण

सरकारी और निजी उपचर्या विद्यालयों से प्राप्त प्रस्तावों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वार संख्या

राज्य	2013*			2012									2011						2010		
	स्वीकृति प्रस्ताव सरकारी	प्राइवेट	योग	स्वीकृति प्रस्ताव सरकारी	प्राइवेट	योग	स्वीकृति प्रस्ताव सरकारी	प्राइवेट	योग	स्वीकृति प्रस्ताव सरकारी	प्राइवेट	योग	स्वीकृति प्रस्ताव सरकारी	प्राइवेट	योग	स्वीकृति प्रस्ताव सरकारी	प्राइवेट	योग	स्वीकृति प्रस्ताव सरकारी	प्राइवेट	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
आंध्र प्रदेश	6	1	7	0	6	6	0	5	5	0	6	6	0	3	3	0	4	4	0	3	3
अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
असम	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	4	4	0	3	3	0	3	3	0	2	2
बिहार	1	0	1	0	6	6	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1
छत्तीसगढ़	0	2	2	0	14	14	0	5	5	0	17	17	0	11	11	0	4	4	0	2	2
दिल्ली	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	2	2	0	2	2	0	0	0	0	0	0
गुजरात	0	1	1	1	22	23	1	11	12	0	21	21	0	16	16	1	16	17	1	11	12
हरियाणा	0	3	3	0	13	13	0	7	7	6	21	27	1	4	5	0	3	3	0	1	1
हिमाचल प्रदेश	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	4	4	0	4	4
जम्मू और कश्मीर	0	1	1	0	4	4	0	0	0	0	7	7	0	4	4	0	3	3	0	2	2
झारखंड	0			0	3	3	0	1	1	0	3	3	0	3	3	0	4	4	0	3	3
कर्नाटक	0	1	1	0	9	9	0	5	5	2	12	14	2	11	13	0	5	5	0	3	3
केरल	1		1	0	0	0	0	0	0	0	6	6	0	6	6	2	3	5	2	3	5
मध्य प्रदेश	0	5	5	2	95	97	0	35	35	0	150	150	0	58	58	0	76	76	0	48	48
महाराष्ट्र	1	8	9	0	127	127	0	24	24	2	24	26	2	10	12	0	0	0	0	0	0
मणिपुर	0			0	1	1	0	0	0	0	7	7	0	4	4	0	1	1	0	0	0

	2013*						2012						2011						2010		
राज्य	स्वीकृति प्रस्ताव सरकारी	प्राइवेट	योग	स्वीकृति प्रस्ताव सरकारी	प्राइवेट	योग	स्वीकृति प्रस्ताव सरकारी	प्राइवेट	योग	स्वीकृति प्रस्ताव सरकारी	प्राइवेट	योग	स्वीकृति प्रस्ताव सरकारी	प्राइवेट	योग	स्वीकृति प्रस्ताव सरकारी	प्राइवेट	योग	स्वीकृति प्रस्ताव सरकारी	प्राइवेट	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
मिजोरम	4		4				0	0	0				0	0	0	ख			0	0	0
नागालैंड	0	1	1	0	0	0	0	ख	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0
ओडिशा	0			0	24	24	0	2	2	1	17	18	0	5	5	0	4	4	0	3	3
पुदुचेरी	1		1	0	1	1	0	1	1	0	2	2	0	2	2	0	0	0	0	0	0
पंजाब	0	1	1	4	29	33	4	7	11	2	42	44	2	19	21	1	6	7	1	5	6
राजस्थान	0			1	12	13	1	1	2	0	36	36	0	22	22	0	5	5	0	3	3
सिक्किम	0			1	0	1	0	0	0	1	1	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0
तमिलनाडु	0			0	11	11	0	7	7	0	15	15	0	11	11	1	5	6	1	4	5
त्रिपुरा	0			0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	2	2	0	1	1	0	0	0
उत्तर प्रदेश	0	17	17	0	31	31	0	26	26	0	29	29	0	22	22	0	30	30	0	29	29
उत्तराखंड	0			0	0	0	0	0	0	0	9	9	0	5	5	2	3	5	2	3	5
पश्चिम बंगाल	2	2	4	1	2	3	1	1	2	2	8	10	2	7	9	0	1	1	0	1	1
योग	16	46	62	10	413	423	7	144	151	16	446	462	9	232	241	7	182	189	7	131	138

* 31 दिसंबर, 2012 तक प्राप्त प्रस्ताव

विवरण

सरकारी और निजी उपचर्या विद्यालयों से प्राप्त प्रस्तावों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वार संख्या

राज्य	2013*						2012						2011					2010			
	स्वीकृति प्रस्ताव सरकारी	प्राइवेट	योग	स्वीकृति प्रस्ताव सरकारी	प्राइवेट	योग	स्वीकृति प्रस्ताव सरकारी	प्राइवेट	योग	स्वीकृति प्रस्ताव सरकारी	प्राइवेट	योग	स्वीकृति प्रस्ताव सरकारी	प्राइवेट	योग	स्वीकृति प्रस्ताव सरकारी	प्राइवेट	योग	स्वीकृति प्रस्ताव सरकारी	प्राइवेट	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
आंध्र प्रदेश	5	0	5	1	4	5	1	2	3	0	7	7	0	7	7	0	3	3	0	3	3
असम	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
बिहार	0	0	0	0	3	3	0	2	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
छत्तीसगढ़	0	0	0	0	13	13	0	5	5	0	16	16	0	8	8	2	7	9	2	4	6
दादरा और नगर हवेली	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
दिल्ली	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0		0	0	0	0	1	1	0	1	1
गुजरात	0	0	0	1	6	7	1	5	6	0	12	12	0	8	8	3	7	10	3	5	8
हरियाणा	0	0	0	0	4	4	0	1	1	0	7	7	0	4	4	0	2	2	0	1	1
हिमाचल प्रदेश	0	2	2	0	3	3	0	1	1	0	1	1	0	0	0	1	3	4	1	2	3
जम्मू और कश्मीर	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1
झारखंड	0	0	0	0	2	2	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1
कर्नाटक	2	1	3	0	10	10	0	4	4	0	22	22	0	12	12	0	5	5	0	3	3
केरल	0	0	0	1	10	11	0	6	6	0	17	17	0	14	14	1	10	11	0	8	8
मध्य प्रदेश	0	4	4	1	39	40	0	8	8	0	35	35	0	12	12	3	9	12	2	4	6
महाराष्ट्र	0	1	1	0	8	8	0	3	3	0	18	1सि	0	9	9	1	2	3	1	2	3
मणिपुर	0	0	0	1	1	2	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2013*						2012					2011						2010			
राज्य	स्वीकृति प्रस्ताव सरकारी	प्राइवेट	योग	स्वीकृति प्रंस्ताव सरकारी	प्राइवेट	योग	स्वीकृति प्रस्ताव सरकारी	प्राइवेट	योग	स्वीकृति प्रस्ताव सरकारी	प्राइवेट	योग	स्वीकृति प्रस्ताव सरकारी	प्राइवेट	योग	स्वीकृति प्रस्ताव सरकारी	प्राइवेट	योग	स्वीकृति प्रस्ताव सरकारी	प्राइवेट	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
मेघालय	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	1	1
ओडिशा	0	0	0	0	6	6	0	0	0	0	2	2	0	80	0	0	0	0	0	0	0
पुदुचेरी	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	2	2	0	1	1
पंजाब	0	2	2	0	12	12	0	2	2	0	1	1	0	1	1	0	10	10	0	9	9
राजस्थान	0	0	0	0	22	22	0	0	0	1	21	22	1	6	7	2	34	36	1	20	21
सिक्किम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1
तमिलनाडु	0	1	1	0	16	16	0	8	8	1	21	22	1	18	19	0	10	10	0	9	9
त्रिपुरा	0	0	0	[illegible]	2	2	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
उत्तर प्रदेश	0	2	2	2	13	15	1	7	8	0	13	13	0	8		1	8	9	0	7	7
उत्तराखंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	0	3	3	0	2	2	1	0	1
पश्चिम बंगाल	0	0	0	1	0	1	1	0	1	1	2	3	0	1	1	2	1	3	2	1	3
योग	9	13	22	11	175	186	8	58	66	3	204	207	2	112	114	16	121	137	13	84	97

*31 दिसंबर, 2012 तक प्राप्त प्रस्ताव

[हिंदी]

गैस का उत्पादन

2038. श्री अर्जुन राय:
श्री रतन सिंह:
श्री हरीश चौधरी:
श्री हंसराज गं. अहीर:
श्री सोमेन मित्र:
श्री लालजी टंडन:
श्री राजीव रंजन सिंह ऊर्फ ललन सिंह:
श्री अनंत कुमार हेगड़े:
श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम:
श्री रवनीत सिंह:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2012-13 के दौरान सरकारी एवं निजी क्षेत्रें में कुल गैस भंडार का ब्यौरा क्या है और पिछले तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान और वर्तमान वर्ष में उक्त क्षेत्रें से गैस के उत्पादन का क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान गैस के आयात की तुलना में घरेलू उत्पादन की प्रतिशतता कितनी है और अगले तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार कितनी गैस आयात किए जाने की संभावना है;

(ग) देश में गैस के उत्पादन को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं या उठाए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) क्या निजी क्षेत्र की कंपनियों ने सरकार से गैस की कीमत गैस के आयात की दर के आधार पर निर्धारित करने का अनुरोध किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी): (क) 1.4.2012 की स्थिति के अनुसार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयूज) अर्थात् ऑयल एंड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लि. (ओएनजीसी) और ऑयल इंडिया लि. के पास क्रमशः 687.2153 बिलियन घन मीटर (बीसीएम) और 104.52 बीसीएम गैस भंडार हैं। उत्पादन हिस्सेदारी संविदा (पीएससी) व्यवस्था के तहत 1.4.2012 की स्थिति के अनुसार, शेष निकासी योग्य गैस भंडार लगभग 538.53 बीसीएम है।

पिछले तीन वर्षों 2009-10 से 2011-12 और चालू वर्ष 2012-13 (जनवरी, 2013 तक) के दौरान, ओएनजीसी, ओआईएल और निजी/संयुक्त उद्यम (पीवीटी/जेवीज) कम्पनियों द्वारा गैस के उत्पादन के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

वर्ष	ओएनजीसी	ओआईएल	निजी/संयुक्त उद्यम
2009-10	23.11	2.42	21.98
2010-11	23.09	2.35	26.27
2011-12	23.32	2.63	21.61
2012-13 (जनवरी, 2013 तक)*	17.72	2.21	12.68

*अनन्तिम

(ख) वर्ष 2012-13 (अप्रैल से जनवरी, 2013) के दौरान, कुल खपत की तुलना में लगभग 30% आयातित आरएलएनजी की खपत हुई थी। आयातित की जाने वाली एलएनजी की मात्रा का पूर्वानुमान लगाना कठिन है क्योंकि यह दीर्घावधि संविदा, तत्स्थान/अल्पावधि संविदाओं और देश में आरएलएनजी आयात अवसंरचना क्षमता का मिश्रण है।

(ग) सरकार ने गैस के उत्पादन को बढ़ाने और देश की ऊर्जा सुरक्षा बढ़ाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

(i) भावी नई अन्वेषण लाइसेंसिंग नीति (एनईएलपी)/खुला रकबा लाइसेंसिंग नीति (ओएएलपी) बोली दौरों के माध्यम से अन्वेषण के लिए, अधिक गैर अन्वेषित क्षेत्रों की पेशकश करना।

(ii) कोल बेड मिथेन (सीबीएम), शेल गैस/तेल और गैस हाइड्रेट आदि जैसे वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों का अन्वेषण करना।

(iii) तेल पीएसयूज द्वारा विदेश स्थित तेल और गैस परिसम्पत्तियों को अर्जित करना।

(घ) और (ङ) 6 सितम्बर, 2010 को, रिलायंस इंडस्ट्रीज लि. (आरआईएल) ने इस मंत्रालय को अभ्यावेदन दिया था कि उनको ईजीओएम द्वारा अनुमोदित दर से अधिक दर पर गैस की खरीद के लिए प्रस्ताव मिला है और उन्होंने इस संबंध में मार्गदर्शन चाहाहै कि पीएससी के अनुसार वे कैसे कार्रवाई करें। आरआईएल को हिदायत दी गई कि वे पीएससी द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ईजीओएम द्वारा निर्णीत मूल्य का अनुपालन करें।

[अनुवाद]

पारंपरिक दवाइयां

2039. श्रीमती सुप्रिया सुले:
डॉ. संजीव गणेश नाईक:
श्री एम. वेणुगोपाल रेड्डी:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत ने विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यू.एच.ओ.) द्वारा प्रस्तावित एक विधिक बाध्य वैश्विक लिखत में बहुत सी भारतीय पारंपरिक दवाइयों को शामिल करने की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) क्या सरकार समूचे देश में हर्बल एवं होम्योपैथिक औषधियों सहित पारंपरिक दवाइयों हेतु मेडिकल स्टोर खोलने की योजना बना रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रयोजन हेतु राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार कितनी धनराशि मंजूर एवं जारी की गई?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. गांधीसेलवन): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

मुद्रास्फीति जनित मंदी

2040. श्री नीरज शेखर:
श्री यशवीर सिंह:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश की अर्थव्यवस्था आर्थिक मंदी एवं मुद्रास्फीति तथा गंभीर वित्तीय स्थितियों का सामना कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) अर्थव्यवस्था को इस स्थिति से उबारने के लिए सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक उपाय किए गए/किए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा): (क) और (ख) वृहत आर्थिक संकेतकों की प्रवृत्ति से पता चलता है कि अर्थव्यवस्था न तो मुद्रास्फीति-जनित मंदी का सामना कर रही है और न ही दयनीय राजकोषीय स्थितियों का। केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी अग्रिम अनुमानों के अनुसार 2012-13 में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर (2004-05 के स्थिर मूल्य पर उपादान लागत पर) 5.0 प्रतिशत अनुमानित है। हेडलाइन थोक मूल्यय सूचकांक के अनुसार जनवरी, 2013 में मुद्रास्फीति घटकर 6.6 प्रतिशत हो गई है। राजकोषीय सुदृढ़ीकरण हेतु कार्ययोजना की तर्ज पर राजकोषीय स्थिति में सुधार हुआ है। सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात में सकल राजकोषीय घाटा 2012-13 (संशोधित अनुमान) के 5.2 प्रतिशत से घटकर 2013-14 में 4.8 प्रतिशत होने का अनुमान है।

(ग) विकास की गति को फिर से प्राप्त करने के बड़ी निवेश परियोजनाओं को तेजी से आरंभ करने की दृष्टि से निवेश संबंधी मंत्रिमंडल समिति का गठन; वित्तीय और बैंकिंग सैक्टरों को सुदृढ़ करना; कतिपय सरकारी क्षेत्रक उपक्रमो में विनिवेश; बहु-ब्रांड खुदरा व्यापार, सहित विद्युत उत्पादन और विमानन के क्षेत्रों सहित अन्य क्षेत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अनुमत करने; राजकोषीय सुदृढ़ीकरण आदि सहित अनेक कदम उठाए गए हैं। अवसरंचना और उद्योग में निवेश बढ़ाने के लिए केन्द्रीय बजट 2013-14 में अनेक पहलों की रूपरेखा निर्धारित की गई है, इसमें अन्य बातों के साथ-साथ अवसरंचना ऋण निधि को प्रोत्साहित करना, अवसंरचना कम्पनियों के लिए ऋण में बढ़ोतरी करना, ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि की आधारभूत निधि जुटाना, नए उच्च मूल्य के निवेश हेतु निवेश भत्ते की शुरूआत आदि शामिल हैं। इन उपायों से बाजार को पुन: विश्वास प्राप्त होगा। इसके अतिरिक्त मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए आयात शुल्कों में कटौती और कतिपय वस्तुओं में वायदा व्यापार को स्थगित करने, मौद्रिक नीति कठोर बनाने सहित अनेक उपाय किए गए हैं।

[हिंदी]

ई-पंचायत मिशन मोड परियोजना

2041. कुमारी सरोज पाण्डेय: क्या **पंचायती राज मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) छत्तीसगढ़ और ओडिशा में उन ग्राम पंचायतों की संख्या कितनी है जिन्हें ई-पंचायत मिशन मोड परियोजना के अंतर्गत ब्रॉडबैंड इंट्रानेट तथा अन्य सुविधाएं प्रदान की गई हैं और उन शेष पंचायतों की संख्या कितनी है जहां अभी ये सुविधएं प्रदान की जानी हैं; और

(ख) शेष पंचायतों को उक्त सुविधाएं कब तक प्रदान किए जाने की संभावना है?

जनजातीय कार्य मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री वी. किशोर चन्द्र देव): (क) ई-पंचायत मिशन मोड परियोजना के तहत राज्यों को ब्रॉडबैंड कनेक्टीविटी प्रदान नहीं की जा रही है।

(ख) उपर्युक्त (क) को दृष्टिगत करते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

इरादतन चूककर्त्ता

2042. डॉ. रत्ना डे:
श्री आनंदराव अडसुल:
श्रीमती परमजीत कौर गुलशन:
श्री खगेन दास:
श्री धर्मेन्द्र यादव:
श्री अधलराव पाटील शिवाजी:
श्री गजानन ध. बाबर:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में बैंक, ऋण चूककर्त्ताओं के नाम एवं फोटोग्राफ प्रकाशित करते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और वे कंपनियां कौन-सी हैं जिनके ऊपर 10 करोड़ रु. 60 से अधिक का ऋण है और जिनके नाम/फोटोग्राफ प्रकाशित हुए हैं;

(ग) सरकारी क्षेत्र के वे बैंक कौन-से हैं जिन्होंने उन जानबूझकर चूक करने वालों की सूची बनाई है जिन्होंने ऋणों का भुगतान नहीं किया है;

(घ) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षो के दौरान और वर्तमान वर्ष में तत्संबंधी बैंक-वार तथा राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) किसी लेनदार को जानबूझ कर चूक करने वाला घोषित करने के लिए बैंकों द्वारा अंगीकार/विहित किए गए मानदंडों का ब्यौरा क्या है;

(च) ऐसे चूककर्त्ताओं के पास भुगतान न की गई ऋण की बैंक-वार कुल राशि कितनी है; और

(छ) सरकार द्वारा ऐसे जानबूझकर चूक करने वालों से शेष धनराशि वसूल करने के लिए क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा): (क) और (ख) कुछेक मालों में बैंक अपने द्वारा निर्धारित अंतिम तिथि के पश्चात इरादतन चूककर्ता/बकाया न चुकाने वालों की फोटो प्रकाशित करवाते हैं। फोटो प्रकाशित करने के लिए बैंक को अनुमति प्रदान करने वाले खंड को ऋण दस्तावेज/उधारकर्ता के साथ किए गए समझौते में शामिल किया गया है और यह संविदात्मक उपबंध है, जो बैंकों को ऐसी कार्रवाई की अनुमति देता है। बैंक द्वारा फोटो प्रकाशित करने के संबंध में निर्णय चूक के कारणों पर विचार करने के पश्चात् लिया जाता है और जहां कारण वास्तविक हों वहां इस कार्रवाई से बचा जाता है। चूककर्ता/गारंटीदाता को पंजीकृत डाक से बकाया की सूचना का नोटिस देने तथा बैंक के इस निर्णय की सूचना देने कि यदि वे निर्धारित समय के भीतर अपने खाते को नियमित नहीं करते हैं तो उनकी फोटो प्रकाशित करवा दी जाएगी, फोटो छापने के संबंध में निर्णय बैंक के समुचित स्तर पर लिया जाता है। खाते को नियमित करने के लिए उधारकर्ता को पर्याप्त समय दिया जाता है। समाचार पत्रों में प्रकाशित कम्पनियों के नाम/फोटो के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा ब्यौरा एकत्रित नहीं किया जाता है।

(ग) से (च) "इरादतन चूक" का होना तब माना जाता है जब यूनिट ने उधारदाता को दिए जाने वाले अपने भुगतान/ऋण चुकौती दायित्वों में चूक की हो, जबकि यूनिट के पास:

- उक्त दायित्वों को पूरा करने की क्षमता हो,
- निधियों का अन्य उद्देश्यों के लिए उपयोग किया हो,
- उधारदाताओं से लिए गए वित्त का उपयोग विर्निदिष्ट उद्देश्यों के लिए न किया हो जिसके लिए वित्त लिया गया था या बेईमानी की हो या यूनिट के पास अन्य आस्तियों के रूप में निधियां उपलब्ध न हों।
- सावधि ऋण के लिए जमानत के तौर पर उसके द्वारा दी गई चल नियत आस्तियों और अचल सम्पत्तियों को उधारदाता को सूचित किए बिना बेच दिया हो या हटा लिया हो।

भारतीय रिजर्व बैंक, बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं को उनके गोपनीय उपयोग के लिए मुकदमा दायर न किए गए 1 करोड़ रुपये या इससे अधिक के 'संदेहात्मक' तथा 'हानि' वाले उधार खाते की सूची अर्द्धवार्षिक आधार पर तथा मुकदमा दायर न किए गए 25 लाख रुपये तथा इससे अधिक के इरादतन चूककर्ता के खातों की सूची तिमाही आधार पर उपलब्ध कराता है। इसके अलावा, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 ई, सरकारी क्षेत्र के बैंकों की स्थापना से संबंधित अधिनियम तथा लोक वित्तीय संस्था (विश्वस्तता और गोपनीयता विषयक बाध्यता) अधिनियम, 1983 में बैंकों या वित्तीय संस्थाओं के लिए अपने संघटकों के कार्यों के बारे में गोपनीयता बनाए रखने की बाध्यता का प्रावधान है तथा ऋण संबंधी किसी सूचना का खुलासा करने या प्रकाशित करने की अनुमति बैंकरों के बीच प्रचलित प्रथाओं तथा रिवाजों के अनुसार या किसी अन्य नियम के अंतर्गत यथापेक्षानुसार दी जाती है।

(छ) इरादतन चूककर्ताओं (गैर-वार दायर खाते) की सूची और इरादतन चूककर्ताओं (वाद दायर खाते) की सूची की एक प्रति क्रमशः आरबीआई और सीआईबीआईएल द्वारा भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (सेबी) को अग्रेषित की जाती है ताकि वे पूंजी बाजार में प्रवेश न कर सके। किसी बैंक/वित्तीय संस्था द्वारा सूचीबद्ध इरादतन चूककर्ताओं को कोई अतिरिक्त सुविधाएं नहीं दी जानी हैं। जहां कहीं भी वांछित हो, उधारकर्ताओं/जमानतियों के विरुद्ध बैंकों द्वारा कानूनी प्रक्रिया और देय राशि की वसूली के लिए मोचन निषेध प्रक्रिया शीघ्र प्रारंभ की जानी चाहिए। जहां कहीं भी आवश्यक हो, उधारदाता इरादतन चूककर्ता के विरुद्ध आपराधिक कार्यवाही भी शुरू कर सकते हैं।

एनपीए के निपटान और ऋणों की वसूली के लिए बैंकों के पास उपलब्ध अन्य कानूनी विकल्पों, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (सरफासी अधिनियम, 2002), ऋण वसूली अधिकरणों (डीआरटी) और लोक अदालतों की सहायता लेना है।

[हिंदी]

पंचायत मुख्यालय में प्रशासनिक भवन

2043. श्री जगदानंद सिंह: क्या **पंचायती राज मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 'ग्राम सरकार' की अवधारणा के अंतर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय में एक प्रशासनिक भवन के निर्माण का कोई कार्यक्रम है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान इस प्रयोजन हेतु राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रें को कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई तथा उपयोग की गई;

(घ) क्या सरकार ने इस बारे में कोई लक्ष्य निर्धारित किए हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और निष्कर्ष क्या हैं; और

(च) सरकार द्वारा उक्त लक्ष्यों को अर्जित करने के लिए क्या कदम उठाए गए या प्रस्तावित हैं?

जनजातीय कार्य मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री वी. किशोर चन्द्र देव): (क) से (ग) पंचायती राज मंत्रालय (एमओपीआर) में ग्राम सरकार अवधारणा के अंतर्गत पंचायतों के लिए भवन निर्माण हेतु कोई कार्यक्रम नहीं है। तथापि, पंचायती राज मंत्रालय ग्रामस्वराज योजना (आरजीएसवाई) के तहत ग्राम पंचायत भवनों के निर्माण हेतु राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। इस योजना के तहत राज्यों द्वारा निधियों की निर्मुक्ति/उपयोग की स्थिति संलग्न विवरण में दी गई है। आरजीएसवाई के अतिरिक्त, पंचायती राज मंत्रालय पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (बीआरजीएफ) के तहत राज्यों को निधि भी उपलब्ध कराता है जो कि पंचायत घरों के निर्माण सहित स्थानीय स्तर पर आवश्यक महसूस किए जाने वाले कार्यों पर आधारित निर्माण कार्यों को पूरा करने हेतु बतौर अबद्ध अनुदान है। ग्रामीण विकास मंत्रालय (एमओआरडी) भी भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्रों आदि के निर्माण हेतु महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस) से भी निधि उपलब्ध करा रहा है।

(घ) से (च) आरजीएसवाई योजना की प्रकृति मांग पर आधारित है तथा राज्य सरकारों द्वारा योजना दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रस्तुत वैध एवं वास्तविक प्रस्तावों हेतु निधियां निर्मुक्त की जाती हैं।

विवरण

राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजना के अधीन पिछले 3 वर्षों के दौरान ग्राम पंचायत स्तर पर पंचात घरों हेतु स्वीकृत अनुदान एवं उपयोग

क्र.सं.	राज्य	200.-10		2010-11		2011-12	
		निर्मुक्त अनुदान की स्थिति	उपयोग प्रमाणपत्र की स्थिति	निर्मुक्त अनुदान की स्थिति	उपयोग प्रमाणपत्र	निर्मुक्त अनुदान	उपयोग प्रमाणपत्र
1.	असम	-	-	-	3.75	देय नहीं	
2.	छत्तीसगढ़	-	-	6.00	6.00	13.50	देय नहीं
3.	कर्नाटक	1.00	1.00	6.50	2.75	3.00	देय नहीं
4.	हरियाणा	-	-	-	-	0.64	देय नहीं
5.	ओडिशा	-	-	-	-	5.44	देय नहीं
6.	मणिपुर	0.94	0.94	-	-	-	देय
7.	पंजाब	-	-	-	-	8.73	देय नहीं
8.	राजस्थान	3.00	3.00	-	-	5.96	देय नहीं
9.	उत्तर प्रदेश	-	-	-	-	6.08	देय नहीं
	कुल	4.94	4.94	12.50	8.75	47.10	

[अनुवाद]

फिल्म पर्यटन

2044. श्री रघुवीर सिंह मीणाः क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने देश में पर्यटन के विकास में फिल्म पर्यटन की संभावना की पहचान की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ परामर्श से इस बारे में पहचान किए गए परियोजना प्रस्ताव कौन-से हैं और इस प्रयोजन हेतु राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार कितनी धनराशि मंजूर की गई;

(घ) सरकार द्वारा देश में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के सहयोग से फिल्म पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए और क्या उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं; और

(ङ) देश में पर्यटन के विकास में फिल्म पर्यटन के किस सीमा तक उपयोगी होने की संभावना है?

पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (डॉ. के. चिरंजीवी): (क) और (ख) जी, हां। पर्यटन मंत्रालय ने निश पर्यटन उत्पाद के अंतर्गत गंतव्यों के विकास एवं संवर्धन के लिए फिल्मों की एक सशक्त साधन के रूप में पहचान की है। लोकप्रिय घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय फिल्मों का स्थल/स्थान होने के कारण अनेक गंतव्यों को टूरिस्ट इनफ्लो के रूप में लाभ मिला है।

(ग) राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों ने फिल्म पर्यटन के संवर्धन के लिए पर्यटन मंत्रालय को केन्द्रीय वित्तीय सहायता के संबंध में अभी तक कोई प्रस्ताव नहीं भेजा है।

(घ) पर्यटन मंत्रालय ने देश में फिल्म पर्यटन के संवर्धन के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

- वर्ष 2012 में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करना;

- केन्स फिल्म फेस्टिवल और मार्केट, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया (आईएफएफआई, गोवा) और यूरोपियन फिल्म मार्केट, बर्लिन में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के साथ संयुक्त भागीदारी;
- राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों को उनके क्षेत्र में फिल्मिंग को बढ़ावा देने के लिए "सर्वाधिक फिल्म संवध'न हितैषी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र" की श्रेणी में वर्ष 2012 में एक राष्ट्रीय पर्यटन अवार्ड संस्थापित करना;
- पर्यटन मंत्रालय ने फिल्म पर्यटन के संवर्धन के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को वित्तीय सहायता देने के लिए दिशा-निर्देश तैयार किए हैं। इन दिशा-निर्देशों के अनुसार, वित्त वर्ष के दौरान प्रत्येक राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को प्रति फिल्म 2.00 लाख रुपए की केन्द्रीय वित्तीय सहायता दी जाएगी।

(ङ) 'फिल्म पर्यटन' चलचित्रित गंतव्यों को एक्सपोजर और प्रोत्साहन देता है जो क्षेत्र के समग्र आर्थिक विकास में योगदान देने के साथ-साथ रोजगार सृजन, निवेश के अवसर और आय सृजन करता है।

सेवा कर अपवंचक

2045. श्री अनुराग सिंह ठाकुर: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सेवा कर अपवंचकों के कारण अप्रैल से दिसंबर, 2012 के दौरान देश के राजकोष को लगभग 9800 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार भविष्य में कर अपवंचन को रोकने के लिए कोई कदम उठा रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिकम): (क) और (ख) जी, हां। अब तक कराई गई जांच के अनुसार अप्रैल से दिसम्बर, 2012 तक की अवधि के दौरान सेवाकर अपवंचकों ने देश के राजकोष को लगभग 9872.25 करोड़ रुपये से अपवंचित किया है, जैसा कि निम्न सारणी में दर्शाया गया है:

अवधि	पता लगाये गये मामलों की संख्या	निहित सेवाकर अपवंचन (करोड़ रु. में)	वसूली (करोड़ रुपये में)
अप्रैल, 2012 से दिसम्बर, 2012 तक	4133	9872.25	1969.10

सरकार सेवाकर के अपवंचकों का पता लगाने के लिए और वित्त अधिनियम, 1994 के प्रावधानों के अनुसार उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है।

(ग) और (घ) सरकार ने भविष्य में सेवाकर के अपवंचन को रोकने के लिए निम्नलिखित कदम उठाया है:

(i) क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा सर्वेक्षण करवाना।

(ii) सेवाकर की देयता के बारे में व्यापक प्रचार-प्रसार।

(iii) सेवाकर के चूककर्ताओं के खिलाफ मामले दर्ज करना।

(iv) सेवाकर के भुगतान से संबंधित विभिन्न सेवा-प्रदाताओं/व्यक्तियों की देयता के बारे में अन्य सरकारी एजेंसियों/विभागों से जानकारी प्राप्त करना।

[अनुवाद]

केन्द्रीय करों में राज्यों का हिस्सा

2046. श्री अर्जुन राम मेघवाल: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 13वें वित्त आयोग (एफसी-तेरह) के अंतर्गत राज्यों को केन्द्रीय करों का किस अनुपात में भुगतान किया जा रहा है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान करों से केन्द्र द्वारा अर्जित किए जाने वाले राजस्व का ब्यौरा क्या है और राज्य सरकारों को कितनी धनराशि प्राप्त हुई;

(ग) क्या सरकार का विचार केन्द्रीय करों में से राज्यों के हिस्से को बढ़ाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा): (क) 13वें वित्त आयोग (एफसी-xiii) की स्वीकार की गई सिफारिशों के अनुसार राज्यों का हिस्सा 1.4.2010 से 31.3.2015 तक की अवधि के लिए केन्द्रीय करों की शेयर योग्य निवल आय का 32% निर्धारित किया गया है और तदनुसार राज्य सरकारों को अंतरण किया जा रहा है।

(ख) वित्त वर्ष 2010-11, 2011-12 तथा 2012-13 के लिए केन्द्रीय करों की निवल आय और राज्यों के हिस्से की जारी की गई/जारी की जा रही राशि का ब्यौरा निम्नानुसार है:

(करोड़ रु.)

विषय सूची	2010-11	2011-12	2012-13
केन्द्रीय करों की निवल प्राप्ति	569869	629765	742115
राज्यों के हिस्से का अंतरण	219303	255414	291547

(ग) और (घ) केन्द्रीय करों में राज्यों के आनुपातिक हिस्से की अनुशंसा प्रत्येक 5 वर्ष में गठित वित्त आयोग द्वारा की जाती है। 14वें वित्त आयोग का पहले ही 2 जनवरी 2013 को गठन कर दिया गया है जो 1.4.2015 से 31.3.2020 तक की अधिनिर्णय अवधि को कवर करके अक्टूबर 2014 के अंत में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

पंचायतों को स्वायत्तता

2047. श्री तूफानी सरोज: क्या **पंचायती राज मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पंचायती राज संस्थाओं को राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा कतिपय शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैं जैसा कि पंचायतीराज व्यवस्था में परिकल्पित है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और वे राज्य कौन से हैं जिन्होंने शक्तियां प्रत्यायोजित नहीं की हैं और इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार का विचार पंचायतों को न्यायिक तथा वित्तीय शक्तियां प्रदान करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जनजातीय कार्य मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री वी. किशोर चन्द्र देव): (क) और (ख) संविधान के अनुच्छेद 243 छ के अनुसार, राज्यों द्वारा पंचायतों को ऐसी शक्तियों व प्राधिकार, जैसे भी आवश्यक हो, प्रदान किया जाना है जिससे कि वे स्व-शासन की संस्थाओं के तौर पर कार्य करने एवं ग्यारहवीं अनुसूची में सूचीबद्ध विषयों समेत आर्थिक विकास व सामाजिक न्याय की योजनाएं तैयार कर उन्हें कार्यान्वित करने में समर्थ बन सकें। संवैधानिक ढांचे के अंतर्गत, 'स्थानीय सरकार' राज्य का विषय है एवं राज्य विधायिकाएं अपने-अपने संदर्भ में उपयुक्त कानून को पारित करती हैं। विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा पंचायतों को कार्यों, कोषों व कर्मियों (3 क) के अंतरण की वर्तमान स्थिति संलग्न विवरण में दी गई है।

संविधान के भाग IX में संवैधानिक प्रावधानों एवं इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि 'पंचायतें' राज्य से संबंधित विषय है, पंचायती राज मंत्रालय के पास 3 'क' के अंतरण हेतु राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को प्रोत्साहन देने के लिए एक पंचायत सशक्तीकरण एवं जवाबदेही प्रोत्साहन स्कीम (पीईएआईएस) नाम की एक योजना है। मंत्रालय ने परामर्शिकाओं व बैठकों के माध्यम से भी इस मामले को उठाया है।

(ग) और (घ) पंचायतें 'स्थानीय सरकार' होने के नाते एवं एक राज्य विषय हैं। इन्हें राज्य सूची में शामिल किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 246(3) के संदर्भ में, किसी राज्य कयी विधायिका पंचायतों को अधिकार प्रदान कर सकती है। संविधान का अनुच्छेद 243 ज राज्य विधायिका को यह अधिकार देता है; जिसमें निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार एवं निर्धारित सीमाओं के अधीन पंचायतों को पर्याप्त कर, शुल्क, पथकर एवं फीस की उगाही, वसूली को प्राधिकृत करना; करों का निर्धारण, एवं राज्य की समेकित निधि से पंचायतों को विशिष्ट शर्तों एवं सीमाओं के अधीन सहायता अनुदान का प्रावधान करना; पंचायतों द्वारा प्राप्त अथवा उनकी ओर से प्राप्त धन को जमा करने हेतु विशिष्ट निधियों का गठन करना तथा उससे धन की निकासी करने का प्रावधान शामिल हैं।

विवरण

प्रमुख राज्यों में पंचायती राज संस्थानों को कोष, कार्य और कर्मियों के साथ विभागों/विषयों के अंतरण की स्थिति

क्र.सं.	राज्य/संघ क्षेत्र	निम्नांकित के संदर्भ में पंयायतों को स्थान्तरित विभागों/विषयों की सख्या और नाम		
1	2	3	4	5
		कोष	**कार्य**	**कर्मी**
1.	आंध्र प्रदेश	केवल ग्राम पंचायत कर इकठ्ठा करने के लिए अधिकृत हैं। 10 विभागों के निधि के हस्तांतरण के लिए सरकार का आदेश (जीओ) जारी।	1997-2002 के दौरान 22 जीओ जारी किया गए। साथ ही, 10 संबंधित विभागों ने कुछ शक्तियां पंचायती राज संस्था को हस्तांतरित की है।	कर्मियों उनके सदर्भ के संबंधित विभागों के प्रशासनिक नियत्रण में है लेकिन वे कुछ हद तक पंरासं के प्रति उत्तरदायी हैं।
2.	अरुणाचल प्रदेश	पंरासं कर इकठ्टा नहीं करते हैं। विभागों द्वारा निधि का स्थातांतरण नहीं हुआ है।	29 विषयों को हस्तांतरित किया गया है। 20 विभागों को कवर करने वाला जीओ जारी किया गया लेकिन अभी लागू नहीं हुआ है।	कर्मियों को स्थातांतरित नहीं किया गया है।
3.	असम	पंरासं कर एकत्रित करने के लिए सक्षम हैं लेकिन लागू नहीं कर सकते। राजस्व का मुख्य स्रोत बाजार, नदी किनारों और पोखर से पट्टा किराया है।	23 विषयों के लिए एक्टीविटी मैपिंग किया गया। लेकिन जीओ केवल 6 विभाागों द्वारा 7 विषयों के लिए जारी किया गया है।	कर्मियों का बहुत ही न्यूनतम हस्तांतरण रहा है। अधिकारी, विभागों को रिपोर्ट करना जारी रखते हैं।
4.	बिहार	पंरासं द्वारा किसी कर का संग्रह नहीं किया गया है लेकिन उसके समान एक प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन है।	गतिविधि मैपिंग संचालित की गई है। 20 संबंधित विभागों ने जीओ जारी किया है।	विभागीय स्टाफ, विभागों के प्रति जवाबदेह है। आंगनवाड़ी कामगार शिक्षक और स्वास्थ्य कामगारों की नियुक्ति पंरासं द्वारा की जाती है।
5.	ग्राम पंचायत,	विविध प्रकार के करों के संग्रह के लिए सक्षम है। 12 विभागों की निधि हस्तांतरित कर दी गई है।	27 मामलों की गतिविधि मैपिंग शुरू की गई है। जीओ जारी नहीं किया गया।	पंचायत 9 विभागों के लिए नियुक्ति करती है।
6.	गोवा	पंचायत 11 प्रकार का कर लगाता है। अबद्ध निधि, पंचायत को सौंप दिया जाता है	18 मामलों को जीपी को हस्तांतरित किया गया है, जबकि 6 जेपी को हस्तांतरित किया गया है।	कार्यों के निष्पादन के लिए पंरासं का अपने प्रमुख स्टाफ हैं
7.	गुजरात	पंरासं द्वारा 8 प्रमुख करां का संग्रह किया जाता है। 2008-09 में 13 विभगों ने परास को निधि आवंटित किया।	14 कार्यो को पूरी तरह से हस्तांतरित किया गया है और 5 को आशिक रूप से।	14 कार्यों के लिए कर्मियों के हस्तांतरण के लिए जीओ जारी किया गया है।

1	2	3	4	5
8.	हरियाणा	ग्राम पंचायत पंचायत भूमि, शराब उपकर और पंचायत परिसर के किराये के पट्टे से राजस्व उतपादित करते हें	पंचायती राज अधिनियम 29 कार्यों को हस्तांतरित करता है। 10 विभागों के लिए जीओ जारी किया गया है।	कर्मियों का कोई महत्वपूर्ण हस्तांतरण नहीं है।
9.	हिमाचल प्रदेश	केवल ग्राम पंचायत कर उगाहने के लिए स्थातांतरण नहीं किया गया है।	29 में से 27 विषयों को पंरासं को हस्तांतरित किया गया है।	कर्मियों को पंरासं को स्थातांरित नहीं किया गया है।
10.	जम्मू और कश्मीर	राज्य सरकार ने जीओ अधिसूचित गतिविधि मैपिंग जारी किया है। निधि को सीमित अर्थों में हस्तांतरित किया गया है। कर्मियों को गतिविधि मैपिंग दस्तावेज में पहचाना गया है जो पंचायतों को निर्धारित कार्य के निष्पादन में सहायता करेगा लेकिन स्थान्तरित नहीं किया गया है।		
11.	झारखंड	73वें सीएए के प्रभाव में आने के बाद पंरासं के लिए चुनाव नवम्बर-दिसम्बर 2010 में पहली बार किया गया। गतिविधि-मैपिंग अभी तक नहीं की गई है।		
12.	कर्नाटक	पंरासं 7 प्रकार का कर संग्रह करते हैं। पंचायती राज अधिनियम पंरासं को अबद्ध निधि के लिए अनिवार्य स्थान्तरण प्रदान करता है।	कर्नाटक ने गतिविधि मैपिंग को अधि सूचित कर सभी 29 विषयों को परासं को सौंप दिया है।	सभी पंचायत कर्मचारी, संबंधित विभागों और पंरासं के दोहरे नियंत्रण के अंतर्गत काम करते हैं।
13.	केरल	ग्राम पंचायत के पास 9 प्रकार के करों का क्षेत्र है। विभागों द्वारा अबद्ध निधि ओर विशिष्ट उद्देश्यों के लिए निधि को पंरासं को दिया गया।	29 किए गए कार्यों और पंचायतों को हस्तांतरित गतिविधियों के लिए गतिविधि मैपिंग।	पंरासं के पास स्थान्तरित कर्मियों के ऊपर संपूर्ण प्रबंधकीय और आंशिकीय अनुशासनात्मक नियंत्रण है।
14.	मध्य प्रदेश	ग्राम पंचायत को कर संग्रह करने की शक्ति प्राप्त है। 19 मामलों को कवर करने वाले 13 विभागों के लिए निधि, पंरासं को जारी किया गया।	22 विभागों से संबंधित 25 मामलों के संदर्भ में गतिविधि मैपिंग सहित जीओ जारी किया गया है।	13 विभागों के लिए कर्मियों को पंरासं को स्थान्तरित किया गया है। यहा एक राज्य पंचायत सेवा है।
15.	महाराष्ट्र	जिला परिषद और ग्राम पंचायत कर संग्रह करते हैं। 11 विभागों के लिए अनुदान, पंरासं को स्थान्तरित किया गया।	11 विषयों को पूरी तरह से हस्तांतरित कर दिया गया है। 18 विषयों के लिए पंरासं द्वारा योजनाएं लागू की जा रही है।	सभी स्तर के वर्ग 3 और वर्ग 4 के कर्मचारी, जिला परिषद् के कर्मचारी हैं।
16.	मणिपुर	पांच विभागों ने पंरासं को निधि स्थातंरित करने का जीओ जारी किया है।	22 विभागों से संबंधित कार्यों के हस्तांतरण के लिए जीओ जारी किया गया है।	पंचायती राज संस्थाओं को कर्मियों के स्थानान्तरण के लिए 5 विभागों ने जीओ जारी किया गया है।

1	2	3	4	5
17.	ओडिशा	पंरासं 6 प्रकार का कर एकत्र करती है। अबद्ध निधि का स्पष्ट हस्तांतरण नहीं है।	11 विभागों ने 21 विषयों को हस्तांतरित किया है।	11 विभागों के अधिकारी परास के प्रति उत्तरदायी हैं।
18.	पंजाब	ग्राम पंचायतों का मुख्य आय स्रोत पचायत भूमि की नीलामी से है। निधि का स्पष्ट हस्तांतरण नहीं है।	13 विषयों से संबंधित 7 मुख्य विभागों के हस्तांतरण को मंजूरी दी गई।	संबंधित विभागों द्वारा पंरास को कोई कर्मी को स्थान्तरित नहीं किया गया है।
19.	राजस्थान	5 विभागों ने जिला स्तर तक पंरासं को निधि स्थान्तरित करने के लिए जीओ जारी किया है। पंरासं को 10 प्रतिशत अबद्ध निधि।	पांच विभागों ने जिला स्तर पर सभी कार्यों को पंरास को स्थान्तरित कर दिया है। उपर्युक्त 5 विभागों की फिर से गतिविधि मैपिंग की गई है।	पांच विभागों ने जिला स्तर पर सभी कर्मियों को पंरासं को स्थान्तरित कर दिया है।
20.	सिक्किम	पंरासं कर नहीं संग्रह करती हैं। 17 विभागों द्वारा निधि स्थान्तरित किया जा रहा है। प्रत्येक विभाग के कुल निधि का 10 प्रतिशत पंचायतों को दिया गया। अबद्ध निधि पंरासं को दिया गया।	29 सभी विषयों को कानून के अनुसार हस्तांतरित किया गया। 16 विभागों को कवर करने वाले वाले 20 विषयों के लिए गतिविधि मैपिंग का संचालन किया गया है।	कर्मचारी पंरासं के नियत्रण के अंतर्गत हैं, लेकिन पंचायत उन पर सीमित नियंत्रण करते हैं।
21.	तमिलनाडु	केवल ग्रामीण पंचायत को कर उगाहने की शक्ति प्राप्त है 9 प्रतिशत राज्य, स्थानीय निकायों को हस्तांतरित कर राजस्व रखते हैं जिसका 58 प्रतिशत भाग ग्रामीण स्थानीय निकाय प्राप्त करेंगे।	तमिलनाडु सरकार ने पंरासं को 29 विषयों की शक्ति का पर्यवेक्षण और निगरानी सौंपा है।	कर्मियों को कोई महत्वपूर्ण हस्तांतरण नहीं है।
22.	त्रिपुरा	पीडब्ल्यूडी विभाग, प्राथमिक स्कूल और सामाजिक कल्याण और सामाजिक शिक्षा विभाग एवं पेंशन निधि से संबंधित निधि का हिस्सा पंचायतों को स्थान्तरित किया गया है। अबद्ध निधि भी पंरासं को स्थान्तरित किया गया।	अभी तक सिंचाई योजना, प्राथमिक स्कूल और प्रौढ़ एवं गैर-औपचारिक शिक्षा से जुडी गतिविधियां, महिला और बाल विकास और सामाजिक कल्याण के हस्तान्तरण के लिए जीओ जारी किया गया है।	5 विषयों के कर्मियों जिनके लिए कार्यो को हस्तांतरित किया गया है, उन्हें पंचायतों को स्थानांतरित किया गया।
23.	उत्तर प्रदेश	सभी 3 स्तरों को कर संग्रह की शक्ति प्राप्त है।	12 विभागों से संबंधित 16 विषयों को पंचायती राज संस्था को हस्तान्तरित किया गया है।	पंरासं का कर्मियों पर नियंत्रण नहीं है।

1 2	3	4	5
24. उत्तराखंड	केवल जिला परिषद कर संग्रह करते हैं। केवल 3 कार्यो के लिए पंचायती राज संस्था को निधि उपलब्ध कराया गया।	14 विषयों पर वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियों के स्थान्तरण पर 2003 में मास्टर जीओ जारी किया गया है।	14 विषयों से संबंधित कर्मियों के ऊपर पर्यवेक्षी भूमिका।
25. पश्चिम बंगाल	जिला परिषद कर लगा और वसूल सकती है। टीएफसी और साथ ही एसएफसी अनुदान के अंतर्गत अबद्ध निधि को आवंटित किया जाता है। पांच विभागों ने इन वजट पर पंचायत विंडो खोला है।	राज्य सरकार इन 28 विषयों के स्थातान्तरण से सहमत है। अभी तक 14 विभागों ने 27 विषयों के स्थानांतरण के लिए मिलता जुलता जीओ जारी किया है।	पंचायत कर्मचारियों को विभिन्न जिला कैडर में बनाया गया है। पंचायत निकाय में सृजित पद के अतिरिक्त, राज्य सरकार के 7 विभागों ने कर्मियों को हस्तान्तरित किया है।

[अनुवाद]

वॉटर पम्पिंग के लिए सौर ऊर्जा

2048. श्री हरिभाऊ जावले:
श्री निशिकांत दुबे:

क्या **नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में किसानों द्वारा वाटर पम्पिंग के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग करने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और झारखंड सहित देश में राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार अब तक गांवों में कितने सोलर वाटर पम्प लगाए गए हैं;

(ग) सरकार द्वारा इस परियोजना के लिए आवंटित धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(घ) आगामी पांच वर्षो के दौरान सरकार का विचार जिन गांवों में सोलर वाटर पम्प लगाए जाने हैं, का राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है?

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री (डॉ. फारुख अब्दुल्ला): (क) जी, हां।

(ख) जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन की ऑफ-ग्रिड तथा विकेन्द्रित सौर अनुप्रयोग योजना के अंतर्गत 200 डब्ल्यूपी से 5000 डब्ल्यूपी की श्रेणी की प्रकाशवोल्टीय क्षमता वाली सौर प्रकाशवोल्टीय (पीवी) वाटर पंपिंग प्रणालियों को शामिल किया गया है। ये पंप 50 मीटर तक की गहराई से पानी निकाल सकते हैं जो पीवी मॉड्यूलों की क्षमता और पंप के प्रकार पर निर्भर करता है। देश में 8826 सौर पीवी वाटर पंपिंग प्रणाली की संस्थापना की गई है। इस योजना के अंतर्गत अभी तक झारखंड में किसी सौर वाटर पंपिंग प्रणाली की संस्थापना नहीं की गई है।

(ग) मंत्रालय द्वारा सौर वाटर पंपिंग प्रणालियों पर परियोजनाओं के लिए अलग से कोई धनराशि आवंटित नहीं की गई है। तथापि, मंत्रालय द्वारा इस योजना के अंतर्गत चालू वित्त वर्ष के दौरान अभी तक राजस्थान में सौर पीवी वाटर पंपिंग प्रणालियों की संस्थापना हेतु 10.00 करोड़ रु. की राशि जारी की गई है।

(घ) मंत्रालय द्वारा आगामी पांच वर्षो के दौरान एसपीवी वाटर पंपिंग प्रणाली की संस्थापना करने के लिए कोई राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार योजना तैयार नहीं की गई है। जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन के तहत ऑफ-ग्रिड एवं विकेन्द्रित सौर अनुप्रयोग योजना के अंतर्गत मंत्रालय द्वारा सौर वाटर पंपिंग प्रणालियों की संस्थापना के लिए राज्य नोडल एजेंसियों तथा अन्य चैनल भागीदारी से परियोजना प्रस्ताव प्राप्त होने पर सब्सिडी प्रदान की जाएगी।

जनजातीय उत्पादों का विपणन और संवर्धन

2049. श्रीमती जे. हेलन डेविडसन:
श्री मारोतराव सैनुजी कोवासे:
श्री प्रहलाद जोशी:

क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा जनजातीय उत्पादों के विपणन और संर्वन के लिए कार्यान्वित योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास लिमिटेड द्वारा जनजातीय उत्पादों के विपणन के लिए राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई है;

(ग) सरकार द्वारा उक्त अवधि के दौरान टीआरआईएफईडी के विकास के लिए क्या क्रियाकलाप शुरू किए जा रहे हैं;

(घ) उक्त अवधि के दौरान टीआरआईएफई डी से राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार कितने जनजातीय परिवार लाभान्वित हुए हैं तथा इसके अंतर्गत लाभार्थियों के नामांकन में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा जनजातीय उत्पादों को प्रोत्साहन देने तथा उन्हें उनके उत्पादों का लाभकारी मूल्य प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

जनजातीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रानी नरह): (क) जनजातीय कार्य मंत्रालय के तहत "जनजातीय उत्पादों/उपज का बाजार विकास" की केन्द्रीय क्षेत्र की योजना का उद्देश्य जनजातीय उत्पादों का विपणन और संवर्धन करना है। इस योजना के तहत जनजातीय उत्पादों, जिसमें कला, शिल्प, प्राकृतिक, जैविक पदार्थ, लघु वन उत्पाद तथा अन्य संबद्ध गतिविधियां शामिल हैं, के बाजार विकास के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण में एक राष्ट्रीय स्तर के सर्वोच्च सहकारी संगठन भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास लि. (ट्राइफेड) को सहायता अनुदान प्रदान किया जाता है।

(ख) से (ङ) पूरे देश में ट्राइफेड के 13 क्षेत्रीय कार्यालय हैं जो ट्राइब्स इंडिया बिक्री केन्द्रों अपने खुदरा विपणन नेटवर्क के माध्यम से विपणन के लिए जनजातीय उत्पादों को चिन्हित एवं स्रोत करता है। ट्राइफेड पूरे देश में अपने पैनलबद्ध आपूर्ति कर्ताओं के माध्यम से, विभिन्न हस्तशिल्प, हथकरघा और प्राकृतिक एवं खाद्य पदार्थों का स्रोतीकरण कर रहा है। ट्राइफेड द्वारा की गई मुख्य गतिविधियों में निम्नलिखित शामिल हैं:

(1) खुदरा विपणन विकास गतिविधि

(2) लघु वन उत्पाद (एमएफसी) गतिविधि

(3) हस्तशिल्प में कौशल उन्नयन प्रशिक्षण

(4) अनुसंधान एवं विकास गतिविधियां

विगत चार वर्षों के दौरान जनजातीय लोगों के साथ कार्य कर रहे व्यक्तिगत जनजातीय कारीगरों, जनजातीय स्वयं सहायित समूहों (एसएचजी), संगठनों/एजेंसियों/एनजीओ से खरीदे गए जनजातीय उत्पादों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

क्र.सं.	वर्ष	खरीदे गये जनजातीय उत्पाद (लाख रु. में)
1	2008-09	681.78
2	2009-10	609.34
3	2010-11	656.35
4	2011-12	719.58
5	2012-13	880.55 (28.2.2013 तक)

भारत सरकार केन्द्रीय क्षेत्र की योजना के तहज जनजातीय कार्य मंत्रालय से सहायता अनुदान के माध्यम से वेतन एवं स्थापना लागतों सहित निधियों और ट्राइफेड की अन्य गतिविधियों की आवश्यकताओं को पूरा कर रही है।

जनजातीय उत्पादों के स्रोतीकरण हेतु आपूर्तिकर्ताओं के ब्यौरे और जनजातीय लाभार्थी परिवारों और प्रशिक्षण लाभार्थियों की संख्या संलग्न विवरण-I, II और III में दी गई है।

विवरण I

विगत तीन वर्षों के दौरान जनजातीय उत्पादों के स्रोतीकरण हेतु आपूर्तिकर्ताओं तथा राज्य वार संबद्ध जनजातीय लाभार्थी परिवार

क्र.सं.	कार्यालय	2009-10		2010-11		2011-12	
		ट्राइफेड के पैनलबद्ध आपूर्तिकर्ता	संबद्ध जनजातीय लाभार्थी परिवारों की संख्या	ट्राइफेड के पैनलबद्ध आपूर्तिकर्ता	संबद्ध जनजातीय लाभार्थी परिवारों की संख्या	ट्राइफेड के पैनलबद्ध आपूर्तिकर्ता	संबद्ध जनजातीय लाभार्थी परिवारों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	गुजरात	18	8998	23	9559	33	9610

1	2	3	4	5	6	7	8
2.	कर्नाटक	11	360	11	550	16	1000
3.	ओडिशा	38	273	34	387	86	477
4.	मध्य प्रदेश	40	304	56	338	88	378
5.	उत्तराखंड	24	7379	27	8269	30	9386
6.	दिल्ली	10	1623	9	3285	8	77
7.	गंगटोक	44	4130	71	4130	140	1111
8.	पूर्वोतर राज्यों (सिक्किम असम, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश ओर मिजोरम)	214	17083	243	21603	347	43885
9.	आंध्र प्रदेश	13	10984	13	7237	16	7282
10.	राजस्थान	9	284	9	284	7	213
11.	छत्तीसगढ़	114	5755	116	5835	141	5325
12.	महाराष्ट्र	11	4146	11	4146	61	4196
13.	झारखंड	14	526	15	526	13	15733
	कुल	560	61845	638	66149	986	108673

विवरण II

प्रशिक्षण लाभर्मी वर्ष 2009-10 से 2012-13 (फरवरी, 2013 तक)

क्र.सं.	राज्य का नाम	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13 (फरवरी-2013 तक)
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	20	20	40	15
2.	असम	-	-	20	-
3.	छत्तीसगढ़	20	-	-	40
4.	गुजरात	20	149	90	40
5.	हिमाचल प्रदेश	20	36	-	-
6.	जम्मू और कश्मीर	20	-	-	-

1	2	3	4	5	6
7.	झारखंड	20	90	38	35
8.	कर्नाटक	59	-	45	20
9.	मध्य प्रदेश	20	40	44	40
10.	महाराष्ट्र	-	22	55	15
11.	मणिपुर	40	-	-	-
12.	मेघालय	-	30	-	20
13.	नागालैंड	-	20	-	-
14.	ओडिशा	50	57	90	35
15.	राजस्थान	80	-	60	35
16.	सिक्किम	-	-	40	20
17.	तमिलनाडु	-	20	90	-
18.	त्रिपुरा	20	-	-	-
19.	उत्तर प्रदेश	20	20	15	-
20.	उत्तराखंड	20	40	20	35
21.	पश्चिम बंगाल	35	55	70	55
	कुल	464	599	717	405

विवरण III

अलग-अलग एमएफपी प्रशिक्षण तथा इसके मूल्य पर ट्राइफेड से लाभान्वित जनजातीय परिवार (वर्ष 2009-10 से 28.02.2013 तक)

क्र.सं.	एनटीएफसी वस्तुएं	प्रशिक्षित जनजातीय लोगों की संख्या
1.	शहद संग्रहकर्ताओं का प्रशिक्षण	9806
2.	गोंद एकत्रित कर्ताओं का प्रशिक्षण	4728
3.	महुआ के फूल संबंधी गतिविधि	5600
4.	लाख खेती संबंधी गतिविधि	4937
5.	दोना पतल बनाने का प्रशिक्षण	1140
6.	पहाड़ी घास-पहाड़ी घास की सर्वोत्तम संग्रहण प्रक्रियाओं तथा इसके मूल्य संवर्धन संबंधी प्रशिक्षण	300
7.	बांस की खेती की तकनीक संबंधी प्रशिक्षण	100
8.	चिकित्सीय पौधों की खेती के लिए प्रसीजन एग्रो टैक्नोलॉजी	27
9.	एनआईएफपी मदों पर मूल्य संवर्धन एवं जागरूकता प्रशिक्षण-आंवला तथा इमली	190
	कुल	26828

[हिंदी]

गैस की कमी

2050. श्री हंसराज गं. अहीर: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में प्राकृतिक गैस पर आधारित बहुत से उद्योग, जिनमें विद्युत, उर्वरक और सेरामिक उद्योग शामिल हैं, गैस की कमी का सामना कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारकारी कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या देश में प्राकृतिक गैस की उपलब्धता बढ़ाने के लिहाज से सरकार का महाराष्ट्र के दाभोल में तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एल.एन.जी.) टर्मिनल विकसित करने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने कोच्चि और देश के अन्य स्थानों में प्राकृतिक गैस भंडारण के लिए नए विस्तार-केन्द्र स्थापित करने का कोई निर्णय किया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी): (क) जी हां। विभिन्न उद्योग क्षेत्रों की मांग घरेलू उत्पादन से पूर्णत: पूरी नहीं हो पा रही है। वर्ष 2011-12 के दौरान विभिन्न क्षेत्रों को 114.90 एमएमएससीएमडी घरेलू गैस की आपूर्ति की गई थी और खपत के लिए 39.32 एमएमएससीएमडी गैस आयात की गई थी। इस प्रकार देश में समग्र कुल खपत 154.22 एमएमएससीएमडी थी।

(ख) सरकार ने गैस उपलब्धता में सुधार करने के लिए अनेक अन्य कदम उठाए हैं, जैसे नई अन्वेषण लाइसेंसिंग नीति (एनईएलपी) चक्रों के माध्यम से घरेलू अन्वेषण एवं उत्पादन (ईएंडपी) कार्यकलापों का तीव्रीकरण, कोल इंडिया और इसकी सहायक कम्पनियों के पट्टा क्षेत्रों में कोल बैड मीथेन (सीबीएम) का दोहन, शैल गैस नीति ढांचे का विकास, देश में गैस हाइड्रेट संसाधनों का अन्वेषण तथा विकास, तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) का आयात, देशपरिय पाइपलाइनें, कुछ एनईएलपी ब्लॉकों के अन्वेषण और विकास के लिए अनापत्ति, कतिपय शर्तों सहित खनन पट्टा क्षेत्र में अन्वेषण और विदेशी तेल तथा गैस परिसंपत्तियों का अधिग्रहण।

(ग) और (घ) गेल, एनटीपीसी और अन्य के संयुक्त उद्यम, रत्नागिरी गैस एंड पावर प्राइवेट लिमिटेड (आरजीपीपीएल) द्वारा हाल ही में जनवरी, 2013 में दाभोल एलएनजी टर्मिनल चालू किया गया है। इस टर्मिनल की अपेक्षित क्षमता 5 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष (एमएमटीपीए) है।

(ङ) जी नहीं। किसी विस्तार केन्द्र की प्रयोजना नहीं है।

(च) उपर्युक्त (ङ) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता है।

[अनुवाद]

दक्षिण कोरिया के साथ दोहरा कराधान परिहार समझौता

2051. श्री एंटो एंटोनी:
श्री मानिक टैगोर:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत ने श्रीलंका और दक्षिण कोरिया सहित कतिपय देशों के साथ दोहरा कराधान परिहार समझौते (डी.टी.ए.ए.) पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार इन देशों के साथ द्विपक्षीय आर्थिक संबंध बढ़ाने की इच्छुक है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिकम): (क) जी, हां। भारत ने श्रीलंका तथा दक्षिण कोरिया सहित विभिन्न देशों के साथ 88 दोहरे कराधान के परिहार संबंधी करारों (डीटीएए) पर हस्ताक्षर किए हैं जिनमें से 85 लागू हो गए हैं।

(ख) डीटीएए उस राज्य के स्थायी संस्थापनों, अंतर्राष्ट्रीय यातायात में जलयान अथवा वायुयान के संचालन, लाभांश, ब्याज, रायल्टी, पूंजीगत अभिलाभ आदि सहित व्यापारिक लाभ के बारे में स्रोत राज्य तथा निवासी राज्य को कराधान अधिकारों के आबंटन के लिए व्यवस्था करता है।

(ग) और (घ) डीटीएए परस्पर आर्थिक सहयोग को सरल बनाते हैं तथा दोनों देशों के निवासी कर दाताओं को कर निश्चितता प्रदान करते हैं। इसके अलावा, डीटीएए का उद्देश्य दो संधिकारी देशों के निवासियों की आय पर दोहरे कराधान के बोझ को दूर

करना तथा उनके बीच निवेश, प्रौद्योगिकी तथा सेवाओं के प्रवाह को प्रोत्साहित करना है।

सरकारी क्षेत्र की तेल कंपनियों द्वारा व्यय

2052. **श्री वैजयंत पांडा:** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र की तेल कंपनियों की व्यवहार्यता में सुधार करने के लिहाज से अप्रमुख गतिविधियों में उनके द्वारा किए जाने वाले व्यय को कम करने हेतु मार्गनिदेश जारी किए हैं या करने का विचार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान सरकारी क्षेत्र की तेल कंपनियों द्वारा अप्रमुख गतिविध्यिों में वर्ष-वार कुल कितना व्यय किया गया है;

(घ) क्या सरकारी क्षेत्र की तेल कंपनियों द्वारा किया जाने वाला यह व्यय दुनिया भर की अन्य ऐसी कंपनियों की नीति के अनुरूप है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी): (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

आयकर अधिनियम की धारा 80-जी का दुरुपयोग

2053. **श्री सुशील कुमार सिंह:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80-जी के तहत कितनी राशि की छूट प्रदान की गई;

(ख) क्या उक्त धारा के उपबंधों के सिलसिले में सरकार को कोई खामी समझ में आई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिकम): (क) करदाताओं को दी गई कटौतियों के परिणामस्वरूप कर परित्याग को राजस्व परित्याग विवरण के रूप में प्राप्ति बजट में रखा जाता है जो वार्षिक बजट दस्तावेजों का एक भाग होता है। इस विवरण में धारा 80छ के अंतर्गत दावा की गई कटौती के कारण हुआ राजस्व परित्याग भी शामिल होता है। इसे निम्नवत सारणी के रूप में प्रस्तुत किया जाता है:

वित्त वर्ष	धारा 80छ के तहत राजस्व परित्याग की राशि (करोड़ रु. में) श्रेणी-वार		
	निगम	फर्मे/व्यक्तियों का संघ/व्यष्टियों का निकाय	व्यष्टि
2009-10	554	38	761
2010-11	669	40	288
2011-12	404.3	34.9	297.4
2012-13 (लक्षित)	445.7	42.1	358.9

(ख) और (ग) धारा 80छ में गौर की गई कमियों को समय-समय पर विधायी संशोधनों के माध्यम से दूर किया गया है।

सरकारी तेल उपक्रमों का सकल शोधन लाभ

2054. **श्री धनंजय सिंह:** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान देश में सरकारी और निजी क्षेत्र की विभिन्न शोधनशालाओं के सकल शोधन लाभ का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकारी तेल उपक्रमों का औसत सकल शोधन लाभ निजी शोधनशालाओं की तुलना में कम है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकारी क्षेत्र की विभिन्न शोधनशालाओं द्वारा अपनी दक्षता में सुधार करने के क्या उपाय किए जा रहे हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी): (क) विगत तीन वर्षों के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के विभिन्न उपक्रमों एवं निजी रिफाइनरियों द्वारा बताए गए कुल परिशोधन मार्जिन (जीआरएम) के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:

(डालर प्रति बैरल)

कंपनी	रिफाइनरी	2009-10	2010-11	2011-12
इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लि.	बरौनी	3.57	3.91	0.39
	गुजरात	3.91	6.42	5.07
	हल्दिया	5.42	4.03	2.38
	मथुरा	5.62	7.40	0.59
	पानीपत	3.35	5.68	4.39
	गुवाहाटी	7.44	10.01	11.94
	डिगबोर्ड	18.61	16.98	14.85
	बोंगईगांव	5.23	5.23	6.25
	औसत	4.47	5.95	3.63
भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि.	कोच्चि	4.87	4.83	3.20
	मुंबई	1.78	4.23	3.12
	औसत	2.97	4.47	3.16
हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि.	मुंबई	2.80	4.65	2.82
	विशाख	2.59	5.81	2.95
	औसत	2.68	5.30	2.89
चेन्नै पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि.	चेन्नै	4.75	5.02	4.16
मंगलौर रिफाइनरी एवं पेट्रोकेमिकल्स	मंगलौर	5.46	5.96	5.60
नुमलीगढ़ रिफाइनरी लि.	नुमलीगढ़	11.19	15.39	11.97
रिलाएंस इंडस्ट्रीज लि.	जामनगर	6.60	8.40	8.60
इस्सर ऑयल लि.	वडीनार	4.38	6.91	4.23

(ख) से (घ) सार्वजनिक क्षेत्र की तेल रिफाइनरियों का औसत जीआरएम निजी रिफाइनरियों की तुलना में निम्नलिखित कारणों से कम है:

(i) सार्वजनिक क्षेत्र में अधिकतर रिफाइनरियां पुरानी हैं, परिसर अपर्याप्त हैं और उनमें से कुछ का स्थान उपयुक्त नहीं है।

(ii) सार्वजनिक क्षेत्र की कुछ रिफाइनरियां आकार में छोटी हैं। रिफाइनरी को उपर्ईष्टतम आकार के परिणामस्वरूप इसमें उत्पादन की उच्चतम इकाई लागत आती है।

(iii) सार्वजनिक क्षेत्र की कुछ रिफाइनरियां उन बंदरगाहों से कच्चे तेल का आयात करती हैं जिनमें सीमित बुनियादी सुविधाएं हैं जो उन्हें कच्चे तेल की परिवहन लागत पर किफायत बरतने के लिए बड़े आकार के जहाजों को लगाने की अनुमति नहीं देती।

रिफाइनरियों की कार्यक्षमता में सुधार करने और इससे समग्र लाभ को बढ़ाने के लिए, सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कम्पनियां नियमित तौर पर क्षमता विस्तार, मूल्यवर्धन, ऊर्जा कार्यक्षमता में सुधार, उत्पाद गुणवत्ता में सुधार आदि के लिए उपलब्ध सुविधाओं का अन्वेषण करती हैं। परिशोधन मार्जिन को बढ़ाने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की रिफाइनरियों की बेंचमार्किंग के आधार पर कुछ रिफाइनरियों में निष्पादन उन्नयन कार्यक्रम शुरू किए गए हैं।

[हिन्दी]

जनजागरूकता अभियान

2055. योगी आदित्यनाथ:
श्री प्रदीप कुमार सिंह:

क्या **नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश के विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के विकास के संबंध में सूचना-प्रदाय और जनजागरूकता के लिए सरकार ने क्या-क्या विभिन्न तरीके अपनाए हैं; और

(ख) जागरूकता बढ़ाने के अभियानों के माध्यम से पंचायत या ग्राम स्तर पर ऊर्जा के वैकल्पिक साधन विकसित करने में क्या प्रगति हुई है?

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री (डॉ. फारुख अब्दुल्ला): (क) नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय देश में प्रौद्योगिकिय विकास पर सूचना के प्रसार के साथ-साथ अक्षय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों, प्रणालियों, युक्तियों का प्रचार करने के लिए "सूचना एवं जनजागरूकता कार्यक्रम" का कार्यान्वयन कर रहा है। इस कार्यक्रम को मुख्य रूप से राज्य नोडल एजेंसियों, भारत का राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम, विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय, आकाशवाणी के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है। मंत्रालय अक्षय ऊर्जा को लोकप्रिय बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और आउटडोर प्रचार मीडिया का भी प्रयोग कर रहा है।

(ख) देश में बड़ी संख्या में अक्षय ऊर्जा प्रणालियां संस्थापित की गई हैं। इनमें लगभग 46 लाख पारिवारिक आकार के बायोगैस संयंत्र, 20 लाख सौर रोशनी प्रणालियां, सौर जल तापन प्रणालियों का 68.7 लाख वर्ग मीटर संग्राहक क्षेत्र शामिल है। इसके अलावा, अक्षय ऊर्जा प्रणालियों के माध्यम से लगभग 10,000 दूरस्थ गांवों को प्रकाशमान किया गया है तथा देश में लगभग 27,000 मेगावाट की ग्रिड-संबद्ध अक्षय विद्युत परियोजनाएं स्थापित की गई हैं।

बीमा क्षेत्र में अदावाकृत राशि

2056. डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश की विभिन्न सरकारी/निजी बीमा कंपनियों के पास बीमाधारकों की करोड़ों रुपये की धनराशि बिना दावे के पड़ी हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी कंपनी-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार/बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आई.आर.डी.ए.) का बीमा कंपनियों के पास पड़ी अदावाकृत रकम के उपयोग हेतु उन्हें दिशानिर्देश जारी करने अथवा इस हेतु एक तंत्र बनाने का विचार है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा): (क) और (ख) जी, हां। बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण (इरडा) ने यह सूचित किया है कि बीमाकर्ताओं द्वारा सूचित किए गए अनुसार बीमा उद्योग के लिए कुल अदावाकृत राशि 3096.72 करोड़ रुपये (31.3.2012 की स्थिति के अनुसार) है। अदावाकृत राशि का कम्पनी-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) इरडा ने यह भी सूचित किया है कि उसने 4 नवम्बर, 2010 के अपने परिपत्र के तहत बीमाकर्ताओं को सुझाव दिया है कि ऐसी अदावाकृत राशि का किसी भी परिस्थिति में विनियोजन/प्रतिलेखन नहीं किया जाएगा।

विवरण

वित्तीय वर्ष 2011-12 के लिए पालिसीधारको की अदावाकृत राशि

(रु. करोड़)

क्र.सं.	जीवन बीमाकर्ता	2011-12
1.	बजाज एलियान्ज लाइफ इंश्योरेन्स कं.लि.	168.17
2.	बिरला सनलाइफ इंश्योरेन्स कं.लि.	200.14
3.	एचडीएफसी स्टैंडर्ड लाइफ इंश्योरेन्स कं.लि.	351.66
4.	आईसीआईसीआई प्यूडेन्टल लाइफ इंश्योरेन्स कं.लि.	317.13
5.	आईएनजी वैस्या लाइफ इंश्योरेन्स कं.लि.	56.14
7.	मैक्स लाइफ इंश्योरेन्स कार्पोरेशन ऑफ इंडिया	674.64
8.	पीएनबी महिंद्रा ओल्ड म्यूचुअल लाइफ इंश्योरेन्स कं.लि.	26.59
9.	कोटेक महिंद्रा ओल्ड म्यूचुअल लाइफ इंश्योरेन्स कं.लि.	21.63
10.	एसबीआई लाइफ इंश्योरेन्स कं.लि.	52.43
11.	टाटा एआईजी लाइफ इंश्योरेन्स कं.लि.	52.43
12.	रिलायन्स लाइफ इंश्योरेन्स कं.लि.	56.43
13.	अवीवा लाइफ इंश्योरेन्स कं.लि.	176.03
14.	सहारा इंडिया लाइफ इंश्योरेन्स कं.लि.	3.67
15.	श्रीराम लाइफ इंश्योरेन्स कं.लि.	89.86
16.	भारतीय अक्सा लाइफ इंश्योरेन्स कं.लि.	4.35
17.	फ्यूचर जेनरली लाइफ इंश्योरेन्स कं.लि.	2.05
18.	आईडीबीआई फेडरल लाइफ इंश्योरेन्स कं.लि.	1.05
19.	केनरा एचएसबीसी ओबीसी लाइफ इंश्योरेन्स कं.लि.	4.98
20.	एगॉन रिलीगेयर लाइफ इंश्योरेन्स कं.लि.	5.70
21.	डीएलएफ प्रामेरिका लाइफ इंश्योरेन्स कं.लि.	1.17
22.	स्टार यूनियन दाई-इची लाइफ इंश्योरेन्स कं.लि.	0.54
23.	इंडियाफर्स्ट लाइफ इंश्योरेन्स कं.लि.	2.34
24.	ई टोकियो लाइफ इंश्योरेन्स कं.लि.	0.00
	कुल (जीवन उद्योग)	2476.19

	गैर-जीवन बीमाकर्ता	211-12
1.	अपोलो म्यूनिच हैल्थ इंश्योरेन्स कं.लि.	2.47
2.	बजाज एलियान्ज जनरल इंश्योरेन्स कं.लि.	2.47
3.	भारतीय अक्सा जनरल इंश्योरेन्स कं.लि.	0.37
4.	चोलमंडलम एमएस जनरल इंश्योरेन्स कं.लि.	8.94
5.	फ्यूचर जेनरली जनरल इंश्योरेन्स कं.लि.	2.44
6.	एचडीएफसी ईआरजीओ जनरल इंश्योरेन्स कं.लि.	5.89
7.	आईसीआईसीआई लोम्बाई जनरल इंश्योरेन्स कं.लि.	142.95
8.	इफको टोकियो जनरल इंश्योरेन्स कं.लि.	12.75
9.	एल एंड टी जनरल इंश्योरेन्स कं.लि.	0.07
10.	मैक्स बुपा हैल्थ इंश्योरेन्स कं.लि.	0.01
11.	नेशनल इंश्योरेन्स कं.लि.	5.74
12.	न्यू इंडिया एस्योरेन्स कं.लि.	34.53
13.	ओरियन्टल इंश्योरेन्स कं.लि.	61.31
14.	राहेजा क्यूबीई जनरल इंश्योरेन्स कं.लि.	0.01
15.	रियायन्स जनरल इंश्योरेन्स कं.लि.	27.02
16.	रॉयल सुन्दरम अलायन्स इंश्योरेन्स कं.लि.	64.05
17.	एसबीआई जनरल इंश्योरेन्स कं.लि.	0.08
18.	श्रीराम जनरल इंश्योरेन्स कं.लि.	5.78
19.	स्टार हैल्थ एंड एलायड इंश्योरेन्स कं.लि.	1.99
20.	टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेन्स कं.लि.	14.39
21.	यूनाईटेड इंडिया इंश्योरेन्स कं.लि.	97.33
22.	यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेन्स कं.लि.	13.94
23.	एग्रीकल्चर इंश्योरेन्स कं.लि.	60.27
24.	एक्सपोर्ट क्रेडिट गारन्टी कॉर्पोरेशन लि,	1.97
	कुल (गैर-जीवन उद्योग)	620.53
	कुल (बीमा उद्योग)	3096.72

[अनुवाद]

तंबाकूरोधी उपाय

2057. श्री अधलराव पाटील शिवाजी:
श्री गजानन ध. बाबर:
श्री असादूद्दीन ओवेसी:
श्री धर्मेन्द्र यादव:
श्री आनंदराव अडसुल:
श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्य.एच.ओ.) ने वर्ष 2011 में अपर्याप्त तंबाकूरोधी उपायों के लिए भारत पर जुर्माना लगाया था

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में तथ्य क्या हैं;

(ग) विश्व स्वास्थ्य संगठन के तंबाकू-नियंत्रण अभितंत्र समझौते (एफ.सी.टी.सी.) के हस्ताक्षरी होने के नाते भारत की सरकार ने इस हेतु क्या सुधारात्मक उपाय किए हैं/करने का विचार किया है;

(घ) क्या सरकार का ध्यान कतिपय अध्ययनों/रिपोर्टों की ओर आकृष्ट किया गया है जिनमें यह सुझाव दिया गया है कि तंबाकू-उत्पादों के मूल्य में/कर में वृद्धि करने से इनके उपभोग में और देश में तंबाकू सेवन से असमय होने वाली मौतों में कमी आएगी; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है/करने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) से (ग) जी नहीं, विश्व स्वास्थ्य संगठन एक अन्तर-सरकार अभिकरण व संयुक्त राष्ट्र का स्वास्थ्य अभिकरण है। इसका अधिदेश तंबाकू नियंत्रण सहित सरकारों की स्वास्थ्य पहलों को सहायता देना व समर्थन करना है। विश्व स्वास्थ्य संगठन भारत सरकार को विश्व स्वास्थ्य संगठन-तंबाकू नियंत्रण अभितंत्र समझौते (एफसीटीसी) के क्रियान्वयन में तकनीकी सहायता प्रदान कर रहा है।

(घ) और (ङ) जी हां। भारत सरकार को उन रिपोर्टों व अध्ययनों की जानकारी है जिससे यह पता चलता है कि तंबाकू उत्पादों के मूल्य/कर में वृद्धि होने से देश में उनके सेवन व तंबाकू से संबंधित असामयिक होने वाली मौतों में कमी आने की संभावना है।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने राजस्व विभाग (वित्त मंत्रालय) को सभी तंबाकू उत्पादों पर करों को बढ़ाने के साथ-साथ तंबाकू उत्पादों पर 'सिन टैक्स' लगाने के लिए भी सुझाव दिया है जिससे होने वाली आय का तंबाकू नियंत्रण हेतु उपयोग किया जा सकता है।

भारत के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के कंट्री कार्यालय सहित स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने दिसंबर, 2012 में तंबाकू के अर्थशास्त्र पर राष्ट्रीय परामर्श का भी आयोजन किया।

वित्त-अंतरण

2058. श्री अजय कुमार: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार प्रत्यक्ष राजसहायता अंतरण और इलैक्ट्रॉनिक लाभ अंतरण योजनाओं के लिए विभिन्न विभागों को वित्त मंत्रालय से स्वचालित प्रक्रिया के जरिए वित्त-अंतरण करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इससे प्रणाली में चोरी/खामी दूर करने में कहां तक सहायता मिलने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा): (क) से (ग) सरकार ने 26 चुनिंदा केन्द्रीय क्षेत्र और केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीमों के लिए 43 जिलों में 1 जनवरी, 2013 से चरणबद्ध रूप में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) स्कीम की शुरूआत की है। 26 चुनिंदा स्कीमों और 43 अभिनिर्धारित जिलों की सूची क्रमशः संलग्न विवरण-I और II में दी गई है।

विवरण I

प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के लिए चुनी गई स्कीमें

क्र.सं.	मंत्रालय/विभाग	स्कीमों की संख्या		स्कीम का नाम	स्कीम का प्रकार
1.	सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	07	1	अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए पोस्ट मैट्रिस छात्रवृत्ति	सीएसएस
			2	अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति	सीएसएस
			3	अस्वच्छ पेशे में लगे व्यक्तियों के बच्चों के लिए प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति	सीएसएस
			4	अनुसूचित जाति के छात्रों की योग्यता में सुधार	सीएसएस
			5	अन्य पिछड़े वर्गों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति	सीएसएस
			6.	शीर्ष स्तरीय शिक्षा स्कीम	सीएस
			7.	राजीव गांधी राष्ट्रीय फैलोशिप	सीएस
2.	उच्चतर शिक्षा विभाग	03	1.	विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति	सीएस
			2.	विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की फैलोशिप स्कीम	सीएस
			3.	एआईसीटीई की फैलोशिप स्कीम	सीएस
3.	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग	02	1	राष्ट्रीय साधन सह योग्यता छात्रवृत्ति	सीएस
			2.	माध्यमिक शिक्षा के लिए बालिकाओं हेतु राष्ट्रीय प्रोत्साहन स्कीम	
4.	जनजातीय कार्य मामले	03	1	पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति स्कीम	सीएसएस
			2	शीर्ष स्तरीय शिक्षा प्रणाली	सीएस
			3	राजीव गांधी राष्ट्रीय फैलोशिप	सीएस
5.	अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय	03	1	मैट्रिक छात्रवृत्ति स्कीम	सीएसएस
			2	मौलाना आजाद राष्ट्रीय फैलोशिप	सीएस
			3.	योग्यता-सह साधन छात्रवृत्ति स्कीम	सीएसएस
6.	महिला और बाल विकास मंत्रालय	02	1	इन्दिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना	सीएसएस
			2.	धनलक्ष्मी स्कीम	सीएसएस
7.	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	01	1	जननी सुरक्षा योजना	सीएसएस
8.	श्रम और रोजगार मंत्रालय	05	1	बीड़ी कामगारों के बच्चों के लिए छात्रवृति	गैर-योजना
			2	बीड़ी कामगारों के लिए आवास सब्सिडी	गेर-योजना
			3.	बाल श्रमिका परियोजना के अंतर्गत विशेष विद्यालयों में बच्चों के लिए वजीफा	सीएसएस
			4.	प्रशिक्षुओं को वजीफा-कोचिंग सह-मार्गदर्शन एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण के माध्यम से अनु.जा./अनु.ज.जा. का कल्याण	सीएसएस
			5.	वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित जिलों में प्रशिक्षुओं को वजीफा	सीएसएस
	जोड़	26			

सीएस-केन्द्रीय क्षेत्र. सीएसएस-केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीम

विवरण II

डीबीआई की शुरुआत के लिए 43 जिलों की सूची

क्र.सं.	राज्य का नाम	जिले का नाम
1	2	3
1.	कर्नाटक	तुमकुर
2.		धारवाड़
3.		मैसूर
4.	पुदुचेरी	पुदुचेरी
5.	चंडीगढ़	चंडीगढ़
6.	पंजाब	एसबीएस नगर/नवांशहर
7.		गुरुदासपुर
8.		फतेहगढ़ साहिब
9.	दिल्ली	उत्तर-पूर्वी दिल्ली
10.		उत्तर-पश्चिमी दिल्ली
11.	मध्य प्रदेश	होशंगाबाद
12.		निमार (खंडवा)
13.		हरदा
14.	राजस्थान	अजमेर
15.		उदयपुर
16.		अलवर
17.		आंध्र प्रदेश हैदराबाद
18.		अनंतपुर
19.		चितूर
20.		पूर्वी गोदावरी
21.		रंगारेड्डी
22.	दमन और दीव	दीव
23.		दमन
24.	केरल	पठानमतिट्टा
25.		वायनद
26.	हरियाणा	अम्बाला
27.		सोनीपत
28.	सिक्किम	सिक्किम पश्चिम
29.		सिक्किम पूर्व
30.	गोवा	उतरी गोवा
31.	महाराष्ट्र	वर्धा
32.		अमरावती
33.		मुम्बईरुउप-नगरीय
35.		नंदूरबाद
36.	झारखंड	सरायकेला-खरसावन
37.		रांची
38.		खोवई
39.		रामगढ़
40.		हजारीबाग
41.	त्रिपुरा	त्रिपुरा पश्चिम
42.		धलाई
43.		त्रपुरा नॉर्थ

वस्त्र कंपनियां

2059. श्री सुल्तान अहमदः क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश के विभिन्न शेयर बाजारों में कुल कितनी वस्त्र कंपनियां सूचीबद्ध हैं;

(ख) क्या वस्त्र उद्योग घाटा झेल रहा है;

(ग) यदि हां, तो विगत तीन वर्ष और चालू वर्ष में तथा आज तक तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने इस घाटे के कारणों की जांच की है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(च) क्या वस्त्र उद्योगों के बकाया ऋण का पुनर्रचन करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा): (क) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा उपलब्ध करवाए गए आंकड़ों के अनुसार, देश में विभिन्न स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध वस्त्र कम्पनियों की संख्या नीचे दी गई है:

क्र.सं.	एक्सचेंज	सूचीबद्ध वस्त्र कंपनियों की संख्या*
1.	ओटीसी एक्सचेंज आफ इंडिया	4
2.	यू.पी. स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड	7
3.	जयपुर स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड	40
4.	मद्रास स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड	77
5.	कोचिन स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड	5
6.	बंगलौर स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड	10
7.	नेशनल स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड	113
8.	गुवाहाटी स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड	2
9.	लुधियाना स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड	18
10.	कलकता स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड	76
11.	भुवनेश्वर स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड	शून्य
12.	दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड	142
13.	वड़ोदरा स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड	40
14.	अहमदाबाद स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड	41
15.	मध्य प्रदेश स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड	43
16.	पूणे स्टॉक स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड	6
17.	बम्बई स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड	407
18.	इंटर कनेक्टेड स्टॉक एक्सचेंज आफ इंडिया लिमिटेड	शून्य
19.	एमसीएक्स स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड	शून्य
20.	यूनाइटेड स्टॉक एक्सचेंज आफ इंडिया लिमिटेड (यूएसई)	शून्य

*टिप्पणी: कोई भी कंपनी एक से अधिक स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हो सकती है। किसी स्टॉक एक्सचेंज विशेष में सूचीबद्ध वस्त्र कम्पनियों की संख्या, जैसा कि ऊपर दर्शाया गया है, किसी दूसरे स्टॉका एक्सचेंज में सूचीबद्ध वस्त्र कम्पनियों की संख्या से परस्पर अलग नहीं की जा सकती।

(ख) और (ग) वस्त्रोद्योग मंत्रालय को कपास मौसम 2012-13 में, जो 1 अक्तूबर, 2012 को प्रारंभ हुआ, कपड़ा मिलों को हुए नुकसानों के संबंध में इस उद्योग से कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

(घ) और (ङ) पिछले मौसमों में कपड़ा उद्योग को हुए नुकसानों के कारण इस प्रकार थे-(i) कच्ची सामग्रियों की कीमत में अस्थिरता; (ii) विद्युत टेरिफों में अत्यधिक वृद्धि; (iii) तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में बिजली की पर्याप्त उपलब्धता का अभाव; (iv) अनेक दक्षिणी मिलों में विद्युत क्षमता का कम उपयोग (v) वैश्विक मंदी।

(च) और (छ) सरकार ने मैसर्स बैंक ऑफ बड़ौदा कैपिटल मार्केटस लिमिटेड का प्रतिवेदन स्वीकार किया है और भारतीय रिजर्व बैंक के 2008 का विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार मामला-दर-मामला आधार पर वस्त्र उद्योग के लिए 35000 करोड़ रुपए के ऋण पुनर्संरचना पैकेज का अनुमोदन किया है। 2013 में वस्त्र उद्योगों के बकाए कर्जों की पुनर्संरचना संबंधी कोई अन्य प्रस्ताव वस्त्रोद्योग मंत्रालय के विचाराधीन नहीं है।

ऑटो-ईंधन नीति

2060. श्री एस.आर. जेयदुरई:
श्री डी.बी. चन्द्रे गौडा:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पूर्ववर्ती ऑटो-ईंधन नीति दो वर्ष पूर्व चुनिंदा शहरों में वाहनों के लिए भारत चरण-।। के उत्सर्जन-मानकों की अधिसूचना के साथ ही व्यपगत हो गई है

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का देश में वाहनों के लिए नए उत्सर्जन-मानक तय करने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार ने वर्ष 2025 तक के लिए एक नयी ऑटो-ईंधन रूपरेखा सुझाने के लिए एक समिति गठित की है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस हेतु समिति का क्या अधिदेश है तथा समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट/सिफारिशों कब तक सौंपने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) आटो ईंधन नीति ने दिनांक 1.4.2010 से 13 चिन्हित नगरों में भारत चरण (बीएस)-IV और शेष देश में बीएस-III लागू करके आटो ईंधनों (पेट्रोल और डीजल) की गुणवत्ता उन्नयन के लिए एक प्रस्तावना दी थी। तदनुसार, आटो ईंधन नीति में निर्धारित प्रस्तावना के अनुसार चिन्हित नगरों में बीएस-IV पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति एक ही दिन अर्थात् 1 अप्रैल, 2010 को शुरू की गई थी। शेष देश में बीएस-III ईंधन 1 अप्रैल, 2010 से 22 सितम्बर, 2010 के बीच कार्यान्वित की गई थी।

(ग) से (च) सरकार ने निम्नलिखित विचारार्थ विषयों के साथ आटो ईंधन विजन और नीति 2025 का प्रारूप तैयार करने के लिए, श्री सौमित्र चौधरी, सदस्य, योजना आयोग की अध्यक्षता में विशेषज्ञ समिति का गठन किया है:

(i) पिछली आटो ईंधन नीति के तहत प्राप्त उपलब्धियों प्रयोग में आ रहे वाहनों के उत्सर्जस्न में कमी, वाहनों का उत्पादन और ईंधनों की आपूर्ति और उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए, देश के लिए 2025 तक, आटो ईंधनों गुणवत्ता के लिए प्रस्तावना की सिफारिश करना।

(ii) निम्नलिखित पर विचार करते हुए, गैस और इसके विनिर्देशनों सहित आटो ईंधनों के उपयुक्त मिश्रण की सिफारिश करना।

(क) अवसंरचना की उपलब्धता और ईंधन आपूर्तियों का संभार तंत्र,

(ख) आटो ईंधनों का परिष्करण मितव्ययता, और

(ग) ईंधन की तुलना में गुणवत्ता में सुधार

(iii) वाहनों की विभिन्न श्रेणियों के लिए यानीय उत्सर्जन मानदंड और उनके कार्यान्वयन के लिए प्रस्तावना की सिफारिश करना।

(iv) पर्यावरण पर न्यूनतम प्रभाव के लिए, वैकल्पिक ईंधनों के इस्तेमाल की सिफारिश करना।

(v) तेल रिफाइनरियों, संभारतंत्र के अपेक्षित उन्नयन के लिए निधियन और अन्तर ईंधन विकारों को दूर करने के लिए राजकोषीय उपायों की सिफारिश करना।

समिति को दिनांक 31 मई, 2013 तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए अधिदेशित किया गया है।

[हिंदी]

शल्यक्रिया से होने वाले प्रसव

2061. श्री पन्ना लाल पुनिया: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) सहित सरकारी व निजी अस्पतालों में बड़ी संख्या में अनावश्यक रूप से शल्यक्रिया के जरिए प्रसव (सीजेरियन डिलीवरी) कराया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और विगत पांच वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान देश के अस्पतालों में अस्पताल-वार कितने शल्य-प्रसव और कितने सामान्य प्रसव कराए गए; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारोपाय किए जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) से (ग) स्वास्थ्य राज्य का विषय है तथा केन्द्रीय तौर पर ऐसी किसी सूचना का अनुरक्षण नहीं किया जाता है।

तथापि, जहां तक दिल्ली में एम्स तथा केन्द्रीय सरकार के तीन अस्पतालों, नामत: सफदरजंग अस्पताल, डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल और लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और संबद्ध अस्पतालों का संबंध है, प्रसव के जटिल तथा उच्च जोखिम वाले मामलों को अक्सर इन अस्पतालों में भेजा जाता है। इन अस्पतालों में नैदानिक संकेतों के बाद ही सीजेरियन प्रसव कराए जाते हैं।

गत पांच वर्षों के दौरान दिल्ली में केन्द्र सरकार के तीनों अस्पतालों तथा अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में सामान्य तथा सीजेरियन प्रसवों की संख्या नीचे दी गई है:

सफदरजंग अस्पताल

वर्ष	सामान्य प्रसव	सीजेरियन प्रसव	कुल प्रसव
2008	22893	3208	26101
2009	23641	2410	2605
12010	21838	3601	25439
2011	20745	3685	24430
2012	21370	4072	25442

डा. आरएमएल अस्पताल

वर्ष	सामान्य प्रसव	सीजेरियन प्रसव	कुल प्रसव
2008	440	154	594
2009	304	293	597
2010	367	234	601
2011	426	317	743
2012	500	307	807

एलएचएमसी और संबद्ध अस्पताल

वर्ष	सामान्य प्रसव	सीजेरियन प्रसव	कुल प्रसव
2008	11618	2741	1435
92009	10394	2891	13285
2010	10067	2390	12457
2011	8836	2670	11506
2012	9499	2931	12430

एम्स

वर्ष	सामान्य प्रसव	सीजेरियन प्रसव	कुल प्रसव
2008	1280	773	2053
2009	1184	795	1979
2010	1193	897	2090
2011	1308	969	2277
2012	1392	969	2361

एल्युमिनियम उत्पादन

2062. श्री जगदीश सिंह राणा: क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान देश में एल्युमिनियम उत्पादकों के द्वारा राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार कितनी मात्र में व कितने मूल्य के एल्युमिनियम का उत्पादन किया गया है;

(ख) क्या एल्युमिनियम का यह उत्पादन देश की आवश्यकता पूरी करने के लिए पर्याप्त है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) आवश्यकता की पूर्ति हेतु इसका उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा और क्या उपाय किए जा रहे हैं?

खान मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) नेशनल एल्युमिनियम कम्पनी लिमिटेड (नालको), अंगुल, ओडिशा, वेदान्ता एल्युमिनियम लिमिटेड (वीएल), झारसुगड़ा, ओडिशा, हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड (हिंडाल्को), हीराकुंड, ओडिशा और रेनुकूट, उत्तर प्रदेश और भारत एल्युमिनियम कम्पनी लिमिटेड (बालको), कोरबा, छत्तीसगढ़ देश के प्रमुख एल्युमिनियम उत्पादक हैं। प्रमुख एल्युमिनियम उत्पादकों द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में जनवरी, 2013 तक उत्पादित एल्युमिनियम की मात्रा व मूल्य के राज्य/संघ वार ब्यौरे नीचे इस प्रकार हैं:

राज्य/संघ	2009-10		2010-11		2011-12		2012-13 (जनवरी, 2013 तक)*	
	मात्रा टन में)	मूल्य (करोड रु. में)	मात्रा टन में)	मूल्य (करोड रु. में)	मात्रा टन में)	मूल्य (करोड रु. में)	मात्रा टन में)	मूल्य (करोड रु. में)
ओडिशा	852009	7466.95	956937	10187.63	998474	11497.45	838247	10366.48*
छत्तीसगढ़	268425	2950	255298	3327	245654	3114	206053	2761
उत्तर प्रदेश	399198	2822.72	409958	3132.28	`418268	3812.28	192468रु	2021.51*

(स्रोत: नालको, हिंडाल्को, वेदान्ता ग्रुप)

अनंतिम आंकड़े

* चालू वित्तीय वर्ष की हिंडालको के आंकड़े सितम्बर, 2012 तक के हैं।

(ख) और (ग) जी, हां। एल्युमिनियम का उत्पादन देश की चालू मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। गत तीन वर्षों के दौरान एल्युमिनियम की मांग और आपूर्ति निम्नानुसार है:

(टनो में यूनिट)

मद	2009-10	2010-11	2011-12
उत्पादन	1519632.00	1622193.00	1662396.00
आयात	141498.05	105784.37	97595.64
निर्यात	281256.08	248765.28	228336.83
अनुमानित खपत	1379873.97	1479212.09	1531654.81

अनुमानित खपत=(उत्पादन + निर्यात)-आयात (स्रोत: भारतीय खान ब्यूरो और प्रमुख एल्युमिनियम उत्पादक जैसे नालको, हिंडाल्को, वेदान्ता ग्रुप)

(घ) उपरोक्त (ख) और (ग) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

पेट्रोल पम्पों का आबंटन

2063. डॉ. एम. तम्बिदुरई:
श्री हेमानंद बिसवाल:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) तेल विपणन कंपनियों द्वारा देश में पेट्रोल पम्प आवंटित करने के लिए क्या मापदण्ड रखे गए हैं;

(ख) क्या पेट्रोल पम्पों के आबंटन के लिए विभिन्न श्रेणियों के व्यक्तियों हेतु तेल विपणन कंपनियों के भिन्न-भिन्न नियम हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या पेट्रोल पम्पों के आबंटन में अनियमितताओं के सिलसिले में काफी सारी शिकायतें आई हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार ने क्या कार्रवाई की है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी): (क) पेट्रोल पम्पों के आबंटन के लिए निर्धारित मानदंड के अनुसार, आवेदक को उपयुक्त भूमि की उपलब्धता, वित्त, आयु और शैक्षणिक योग्यता के संबंध में न्यूनतम अपेक्षाओं को पूरा करना होता है। चयन लाटरी की पारदर्शी प्रणाली के द्वारा किया जाता है और पात्रता मानदंड को पूरा करने वाले सभी आवेदक ड्रा के लिए योग्य होते हैं। 27% आरक्षण अन्य पिछड़े वर्गों (ओबीसी) के लिए रखा गया है। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड और मिजोरम के पूर्वोत्तर राज्यों को छोड़कर जहां एसटी वर्ग के लिए आरक्षण क्रमशः 70%, 80%, 80% और 90% है, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों (एससीज/एसटीज) वर्गों के लिए 22.5% आरक्षण का प्रावधान है।

(ख) और (ग) रक्षा/अर्धसैनिक/केन्द्रीय और राज्य सरकार के उम्मीदवारों/केन्द्रीय/राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के कर्मचारियों/विकलांगों/उत्कृष्ट खिलाड़ियों/स्वतंत्रता सेनानियों के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यताओं में कुछ ढील दी गई है। एससी/एसटी आरक्षित स्थानों के लिए आवेदन करने वाले एससी/एसटी उम्मीदवारों के मामले में उनको संग्रह निधि योजना की पेशकश की जाती है।

(घ) और (ङ) सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कम्पनियों (ओएमसीज) अर्थात् इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लि. (आईओसीएल), हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि. (एचपीसीएल) और भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि. (बीपीसीएल) के पास शिकायत निवारण प्रणाली है जिसके अनुसार प्रत्येक शिकायत दर्ज की जाती है और ओएमसीज के सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियुक्त वरिष्ठ अधिकारी द्वारा जांच की जाती है। शिकायतों की प्रथम दृष्टया गुण-दोष आधार पर जांच की जाती है और शिकायतकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे अपने आरोपों को सिद्ध करने के लिए, महत्त्वपूर्ण साक्ष्य, यदि कोई है, प्रस्तुत करें। शिकायतों का निपटान सकारण आदेश के जरिए किया जाता है और उसकी एक-एक प्रति सभी संबधितों को दी जाती है।

पिछले तीन वर्षों (2009-10, 2010-11 और 2011-12) और अप्रैल से दिसम्बर, 2012 के दौरान ओएमसीज द्वारा प्राप्त शिकायतों और इन शिकायतों पर की गई कार्रवाई के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

	आईओसीएल	एचपीसीएल	बीपीसीएल
प्राप्त शिकायतें	2752	2548	1413
जांची गई/निपटाई गई शिकायतें	2164	2377	831
शिकायतें जिनकी जांच की जा रही है	588	171	582
प्रमाणित/सिद्ध शिकायतें	456	273	66

पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 2006

2064. श्री सोमेन मित्र:
श्री अशोक तंवर:

क्या **पंचायती राज मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1996 (पी.ई.एस.ए.) के अंतर्गत आने वाले कुछ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने इसके कार्यान्वयन हेतु नियम निर्धारित नहीं किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और इसके कारण क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने पी.ई.एस.ए. के अंतर्गत आने वाले राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रें को आदर्शपी.ई.एस.ए. नियमावली परिचालित की है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने पी.ई.एस.ए. के अंतर्गत आने वाले राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को पी.ई.एस.ए. अधिनियम, 1996 का एक समय-सीमा के भीतर कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए कोई निदेश जारी किए हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) जनजातीय लोगों को पी.ई.एस.ए. अधिनियम, 2006 में प्रदत्त उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

जनजातीय कार्य मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री वी. किशोर चन्द्र देव): (क) से (च) पेसा अधिनियम, 1996 को, 9 राज्यों अर्थात् आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा एवं राजस्थान अनुसूची V के क्षेत्रों तक संविधान के भाग IX को कतिपय आशोधनों व अपवादों के साथ विस्तार देने के उद्देश्य से लागू किया गया था। मंत्रालय द्वारा पेसा के लिए ड्राफ्ट मॉडल नियमावली तैयार की गई एवं उसे पेसा के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु नियमों के प्रतिपादन वास्ते सभी 9 पेसा राज्यों को परिचालित किया गया। तीन राज्य अर्थात् आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश एवं राजस्थान ने अपने-अपने पेसा नियम प्रतिपादित कर लिए हैं। इसके अतिरिक्त, पेसा अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु सरकार द्वारा समस्त पांचवीं अनुसूची वाले 9 राज्यों को दिशानिर्देश भी जारी किए गए हैं। संबंधित राज्य सरकारों को कार्रवाई तेज करने हेतु स्मरण दिलाया गया है। इसके अतिरिक्त, पेसा अधिनियम, 1996 के तहत अधिकारों के बारे में दृश्य-श्रव्य विज्ञापन सामग्री भी जारी की गई है। पेसा राज्य ग्राम सभाओं के क्षमता निर्माण में सक्रिय रूप से लगे हुए हैं। राज्य सरकारें अपने-अपने राज्य ग्रामीण विकास संस्थान से समन्वय करके ग्राम सभा/पंचायत सदस्यों के लिए नियमित रूप से प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करते हैं।

[हिंदी]

किसानों को वित्तीय सहायता

2065. श्री कपिल मुनि करवारिया:
श्री राम सुन्दर दास:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्ष और चालू वर्ष के दौरान सरकार द्वारा देश के किसानों/कृषि क्षेत्र को प्रदत्त राजसहायता का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या हमारे देश में किसानों/कृषि क्षेत्र को दी जा रही राजसहायता विकसित देशों की राजसहायता की तुलना में कम है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायन मीणा): (क) से (घ) विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों द्वारा किसानों को वित्तीय सहायता/सब्सिडी दी जाती है।

ब्याज सहायता योजना के तहत, सरकारी क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी), क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) और सहकारी बैंकों द्वारा 7% प्रतिवर्ष की ब्याज दर से 3 लाख रु. तक लघु-अवधि फसल ऋण संवितरित किए जा रहे हैं।

ऐसे कर्जदारों को भी अतिरिक्त सहायता दी जा रही है जो अपना ऋण समय पर चुकाते हैं। वर्ष 2009-10 में अतिरिक्त सहायता 1%, 2010-11 में 2% और 2011-12 और 2012-13 में 3% थी।

सरकार ने 2009-10 में 2011 करोड़ रु., 2010-11 में 3531. 19 करोड़ रु., 2011-12 में 3282.70 करोड़ रु. जारी किए हैं और 2012-13 में इस योजना के कार्यान्वयन के लिए अब तक 4377. 99 करोड़ रु. जारी किए हैं।

फसल ऋण खातों की संख्या में 34% की वृद्धि दर्ज करते हुए 2009-10 में 482.30 लाख के मुकाबले 2011-12 में 646. 47 लाख की बढ़ोतरी हुई है।

जबकि विकासशील देशों में अंतर-क्षेत्रीय वाणिज्यिक समानता और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा को बनाए रखने के लिए सब्सिडी उपलब्ध कराई जाती है और विकासशील देशों में सब्सिडी का उद्देश्य कृषि क्षेत्र को एक वाणिज्यिक रूप से अर्थक्षम क्षेत्र बनाकर ढांचागत परिवर्तन को पूरा करना है। भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं का उद्देश्य कृषि में उत्पादकता और किसानों की आय को बढ़ाना है।

[अनुवाद]

आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना

2066. श्री एम.बी. राजेश:
श्री गणेश सिंह:

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं/सहायकों के लाभार्थ सामाजिक सुरक्षा योजना के बतौर भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के अंतर्गत आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री बीमा योजना शुरू की गई थी;

(ख) यदि हां, तो उक्त योजना के तहत आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं/सहायकों को प्रदत्त वित्तीय प्रतिपूर्ति का राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान इस योजना के अन्तर्गत राज्य-वार कितने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं/सहायकों को लाभ हुआ;

(घ) क्या सरकार आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं/सहायकों के बच्चों के शिक्षार्थ छात्रवृत्ति भी देती है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त अवधि के दौरान ऐसे प्रत्येक बच्चे को राज्य-वार कितनी छात्रवृत्ति प्रदान की गई और इससे कितने बच्चे लाभान्वित हुए?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा तीरथ): (क) से (ङ) सरकार ने आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों के लाभ के लिए एक कल्याणकारी उपाय के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम के सहयोग से 1.4.2004 से आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री बीमा योजना आरंभ की है। स्कीम भारतीय जीवन बीमा निगम के सामाजिक सुरक्षा समूह स्कीम के माध्यम से चलाई जा रही है। आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री बीमा योजना की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं:

(i) यह योजना 18-59 वर्ष के आयु वर्ग की सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों और सहायिकाओं के लिए प्रयोज्य है।

(ii) स्कीम के अंतर्गत प्रीमियम प्रति वर्ष प्रति मैम्बर 280 रुपये है। इसका खंड-वार विवरण निम्नानुसार है:

- एलआईसी की सामाजिक सुरक्षा निधि से 100 रुपये
- भारत सरकार द्वारा 100 रुपये
- 80 रुपये आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री सहायिका द्वारा (बीमाकृत सदस्या की गंभीर बीमारी हेतु पुरुष के लिए अतिरिक्त)। इन कार्यकर्त्रियों द्वारा गंभीर बीमारी हेतु भुगतान योग्य 80 रुपये को 31.3.2013 तक समाप्त कर दिया गया है।

(iii) स्कीम के अंतर्गत निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाते हैं:

- स्वाभाविक मृत्यु : 30,000 रुपये
- दुर्घटना लाभ:
- मृत्युसंपूर्ण रूप से अस्थायी विकलांगता - 75,000 रुपये
- आंशिक स्थायी विकलांगता - 37,500 रुपये
- महिला गंभीर बीमारी लाभ: निम्नलिखित अंगों में परिलक्षित कैंसर (टयूमर) का पता चलने पर 20,000 रुपये की राशि का भुगतान किया जाएगा (बशर्ते कि निगम इस बीमारी के होने के प्रमाण से संतुष्ट हो)।
- स्तन
- सर्विक्स यूटेरी
- कोरपस यूटेरी
- ओवरीज
- फैलोपियन टयूब
- वीना/वाल्वा
- शिक्षा सहयोग

आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों और आंगनवाड़ी सहायिकाओं के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति लाभ संबंधी निःशुल्क सहायता उपलब्ध है। नौंवी से बारहवीं कक्षा के छात्रों के लिए प्रति तिमाही 300 रुपये की छात्रवृत्ति (यह आईटीआई पाठ्यक्रमों के लिए भी दी जाती है) उपलब्ध है। परन्तु यह प्रति परिवार दो बच्चों तक ही सीमित है।

वर्तमान में स्कीम के अंतर्गत सभी लाभों के लिए सभी पात्र आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों और आंगनवाड़ी सहायिकाओं को शामिल किया गया है। विगत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान 'आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री बीमा योजना' के अंतर्गत निपटाए गए दावों का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

आंगनवाड़ी कार्यकत्री बीमा योजना के अंतर्गत वर्ष 2009-10 में निपटाए गए राज्यवार दावे

2009-10

क्र.सं.	राज्य	प्राकृतिक मृत्यु		दुर्घटना से मृत्यु		गंभीर बीमारी		छात्रवृत्तियां	
		संख्या	संवितरित राशि	संख्या	संवितरित राशि	संख्या	संवितरित राशि	संख्या	संवितरित राशि
1.	आंध्र प्रदेश	83	2470000	7	525000	0	0	4510	3321600
2.	असम	27	810000	1	30000	0	0	0	0
3.	बिहार	1	30000	0	0	0	0	0	0
4.	चंडीगढ़	72	2150000	0	0	0	0	3084	3358800
5.	छत्तीसगढ़	11	220000	0	0	0	0	0	0
6.	गोवा	2	50000	0	0	0	0	0	0
7.	गुजरात	63	1880000	3	195000	1	20000	4293	3224400
8.	हरियाणा	4	120000	0	0	0	0	137	164400
9.	हिमाचल प्रदेश	13	390000	3	225000	0	0	0	0
10.	जम्मू और कश्मीर	12	360000	0	0	0	0	215	102000
11.	कर्नाटक	68	2020000	0	0	0	0	215	102000
12.	केरल	25	750000	0	0	26	520000	15980	9588000
13.	मध्य प्रदेश	44	1300000	6	45000	0	0	856	526500
14.	महाराष्ट्र	36	1025000	11	575000	0	0	417	210000
15.	ओडिशा	30	895000	4	270000	0	0	1128	720900
16.	पंजाब	2	60000	0	0	0	0	0	0
17.	राजस्थान	1	30000	0	0	0	0	0	0
18.	तमिलनाडु	81	243000	3	225000	0	0	2231	1540200
19.	उत्तर प्रदेश	98	2830000	3	240000	1	25000	0	0
20.	उत्तराखंड	18	530000	5	375000	0	0	22563	13537800
21.	पश्चिम बंगाल	69	2060000	5	375000	0	0	22563	13537800
	कुल	760	22410000	47	3185000	28	565000	57665	38749800

उत्तर प्रदेश में उपंगता लाभ का 25,000 रुपये का एक दावा निपटाया गया-वर्ष 2009-10

आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री बीमा योजना के अंतर्गत वर्ष 2010-11 में निपटाए गए राज्यवार दावे

2010-11

क्र.सं. राज्य	प्राकृतिक मृत्यु		दुर्घटना से मृत्यु		गंभीर बीमारी		छात्रवृत्तियां	
	संख्या	संवितरित राशि	संख्या	संवितरित राशि	संख्या	संवितरित राशि	संख्या	संवितरित राशि
1. आंध्र प्रदेश	98	2940000	1	75000	0	0	3606	3049200
2. असम	61	1820000	0	0	0	0	752	451200
3. बिहार	3	90000	0	0	0	0	0	0
4. चंडीगढ़	52	1560000	4	270000	0	0	1987	2384400
5. छत्तीसगढ़	19	380000	4	150000	0	0	0	0
6. गोवा	2	60000	0	0	0	0	0	0
7. गुजरात	39	1260000	4	210000	2	40000	6616	4427400
8. हरियाणा	3	90000	0	0	0	0	96	115220
9. हिमाचल प्रदेश	16	480000	0	0	0	0	1754	1945200
10. जम्मू और कश्मीर	10	300000	0	0	0	0	335	171600
11. कर्नाटक	76	2250000	4	300000	4	80000	3225	3864600
12. केरल	23	69000	2	150000	21	42000	49202	29521200
13. मध्य प्रदेश	48	1400000	6	450000	1	20000	532	324000
14. महाराष्ट्र	59	1700000	6	415000	2	40000	4203	2489400
15. ओडिशा	24	710000	3	225000	5	100000	1170	702000
16. पंजाब	0	0	0	0	0	0	0	0
17. राजस्थान	0	0	0	0	0	0	0	0
18. तमिलनाडु	53	1590000	2	150000	1	20000	7068	4241400
19. उत्तर प्रदेश	102	3020000	3	225000	0	0	20	12000
20. उत्तराखंड	18	540000	2	150000	6	120000	322	280800
21. पश्चिम बंगाल	85	2540000	3	225000	0	0	29637	17787700
कुल	791	2342000	44	2995000	42	480000	110525	71767320

आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री बीमा योजना के अंतर्गत वर्ष 2011-12 में निपटाए गए राज्यवार दावे

क्र.सं. राज्य	प्राकृतिक मृत्यु		दुर्घटना से मृत्यु		गंभीर बीमारी		छात्रवृत्तियां	
	संख्या	संवितरित राशि	संख्या	संवितरित राशि	संख्या	संवितरित राशि	संख्या	संवितरित राशि
1. आंध्र प्रदेश	120	3600000	7	525000	0	0	5544	5456400
2. असम	42	1260000	0	0	0	0	971	582600
3. बिहार	3	90000	0	0	0	0	0	0
4. चंडीगढ़	65	1950000	1	75000	0	0	2547	3056400
5. छत्तीसगढ़	9	240000	0	0	1	2000	0	0
6. गोवा	2	60000	0	0	0	0	0	0
7. गुजरात	45	1410000	3	165000	0	0	11451	6870600
8. हिमालय प्रदेश	43	1290000	4	30000	1	20000	1900	2273700
9. जम्मू और कश्मीर	14	420000	0	0	0	0	1753	1051800
10. झारखंड	3	90000	0	0	0	0	0	0
11. कर्नाटक	82	2460000	4	30000	5	100000	5813	6634200
12. केरल	31	930000	3	225000	17	340000	13931	8358600
13. मध्य प्रदेश	62	1860000	7	525000	1	20000	1273	763800
14. महाराष्ट्र	103	3100000	17	1275000	4	100000	3825	2295000
15. ओडिशा	32	960000	0	0	0	0	706	423600
16. राजस्थान	3	60000	0	0	0	0	0	0
17. उत्तराखंड	31	920000	3	225000	0	0	399	478800
18. उत्तर प्रदेश	97	2850000	9	675000	0	0	37	22200
19. पश्चिम बंगाल	80	2400000	4	300000	9	180000	17235	1034900
20. तमिलनाडु	51	1530000	0	0	0	0	7441	4464600
कुल	917	27480000	62	4590000	38	780000	74826	53073200

जनवरी, 2013 निपटाए गए दावे और संवितरित छात्रवृत्तियां

क्र.सं.	राज्य	प्राकृतिक दावे			दुर्घटना के कारण दावे			गंभीर बीमारी		छात्रवृत्तियां	
		सूचित	निपटाए गए दावे	राशि	सूचित	निपटाए गए दावे	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
1.	आंध्र प्रदेश	68	67	2010000	2	2	150000	0	0	3612	3251400
2.	असम	38	38	1140000	0	0	0	0	0	176	105600
3.	चंडीगढ़	65	65	1950000	5	5	375000	0	0	3713	4454400
4.	छत्तीसगढ़	27	27	810000	1	1	75000	1	30000	0	0
5.	गोवा	5	5	150000	1	1	75000	0	0	0	0
6.	गुजरात	61	61	1830000	3	3	165000	3	6000	4930	2958000
7.	जम्मू और कश्मीर	18	18	540000	0	0	0	0	0	882	550800
8.	हरियाणा	43	43	1290000	4	4	300000	0	0	2115	2536800
9.	हिमाचल प्रदेश	22	22	660000	0	0	0	0	0	1551	18384000
10.	कर्नाटक	73	73	2180000	6	6	450000	0	0	447	4543400
11.	केरला	12	12	360000	0	0	0	0	0	37193	22315800
12.	मध्य प्रदेश	70	70	2070000	10	10	720000	1	20000	114	68400
13.	महाराष्ट्र	58	58	1740000	8	8	570000	3	60000	4150	2490000
14.	ओडिशा	51	51	1530000	1	1	75000	3	60000	713	427800
15.	पंजाब	41	41	1230000	3	3	225000	0	0	1945	2334000
16.	राजस्थान	1	1	30000	0	0	0	0	0	0	0
17.	उत्तराखंड	27	27	810000	3	3	225000	1	2000	296	355200
18.	उत्तर प्रदेश	92	87	2610000	16	16	1175000	0	0	176	106200
19.	पश्चिम बंगाल	96	96	2880000	3	3	240000	0	0	9720	5832000
20.	तमिलनाडु	32	32	960000	1	1	75000	0	0	4946	2967600
	कुल	900	894	26780000	67	67	4895000	12	250000	80679	57135800

बैंक कर्मचारी पेंशन योजना

2067. श्री एम.के. राघवन:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में विभिन्न सरकारी बैंकों के कर्मचारी पेंशन योजना के दायरे में आते हैं; यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या अखिल भारतीय क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कर्मचारी संघ (ए.आई.आर.आर.ई.बी.ए.) की मांग के अनुसार, सरकार का क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कर्मचारियों को सरकारी बैंकों की वर्तमान पेंशन योजना के दायरे में लेने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है/की जा रही है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमो नारायण मीणा): (क) विभिन्न सरकारी क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) के अधिकतर कर्मचारी 1995 में घोषित बैंक कर्मचारी पेंशन विनियमन के अंतर्गत कवर होते हैं। जिन कर्मचारियों ने पेंशन योजना हेतु विकल्प नहीं दिया है अंशदायी भविष्य निधि के अंतर्गत बने हुए हैं। जिन कर्मचारियों ने 1.4.2010 अथवा उसके बाद कार्यभार ग्रहण किया है वे नई पेंशन योजना (एनपीएस) के अंतर्गत कवर होते हैं। भारतीय स्टेट बैंक के कर्मचारी एसबीआई पेंशन निधि नियमावली जो कि 1955 में बनी थी के अंतर्गत कवर होते हैं। 1.8.2010 को अथवा उसके बाद भारतीय स्टेट बैंक में कार्यभार ग्रहण करने वाले कर्मचारी नई पेंशन योजना के अंतर्गत आते हैं।

(ख) जी, नहीं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कर्मचारियों को सरकारी क्षेत्र के बैंकों की विद्यमान पेंशन योजनाओं में सम्मिलित नहीं किया जा सकता क्योंकि वे भिन्न संगठनों से सम्बन्धित हैं।

(ग) राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए पेंशन शुरू करने हेतु उपर्युक्त प्रणाली के संबंध में एक ड्राफ्ट मॉडल पेंशन योजना तैयार की है जिसमें क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को उनके कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीयकृत बैंकों के समान पेंशन योजना शुरू करने के संबंध में अन्य बातों के साथ-साथ अपनी वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेने की संकल्पना की गई है।

पेट्रोलियम उत्पादों की खरीद

2068. श्री एम.के. राघवन: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) तेल विपणन कंपनियों से सीधे पेट्रोलियम उत्पादों की खरीद कर रहे सरकारी उपक्रमों का उपक्रम-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) इन उपक्रमों द्वारा पेट्रोलियम उत्पादों की खपत से सरकार को करस्वरूप उपक्रम-वार कुल कितनी धनराशि प्राप्त हो रही है;

(ग) क्या सरकार का उक्त उपक्रमों को वर्तमान थोक उपभोक्ता के दर्जे से हटाकर सामान्य उपभोक्ता के दर्जे में रखने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी): (क) सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कम्पनियों (ओएमसीज) के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम ग्राहकों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) उन पीएसयू ग्राहकों से एकत्रित करों के ब्यौरे ओएमसीज के पास उपलब्ध नहीं हैं जो ओएमसीज से सीधे ही पेट्रोलियम उत्पाद खरीद रहे हैं।

तथापि, जैसा ओएमसीज द्वारा बताया गया है, वर्ष 2011-12 के लिए आईओसीएल, बीपीसीएल और एचपीसीएल द्वारा सरकार को पेट्रोलियम उत्पादों पर भुगतान किए गए करों और शुल्कों की धनराशि निम्नानुसार है:

धनराशि/करोड़ रुपए

विवरण	2011-12		
	आईओसीएल	बीपीसीएल	एचपीसीएल
सीमा शुल्क	756	1723.67	1321.34
उत्पाद शुल्क	23253	10662.01	8948.91
वैट/बिक्री कर/प्रवेश कर आदि	45540	20954.14	19233.85
योग	60549	33339.82	29504.10

विवरण

सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपवणन कंपनियों से पेट्रोलियम उत्पाद की खरीद कर रहे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयूज)

इंडियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल)		भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल)		हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल)	
क्र.सं.	पीएसयू का नाम	क्र.सं.	पीएसयू का नाम	क्र.सं.	पीएसयू का नाम
1	2	3	4	5	6
1.	एयर इंडिया	1.	आर्डिनेंस फैक्टरी, फिरोजाबाद	1.	एयर इंडिया
2.	आयल एंड नेचुरल गैस कार्पोरेशन	2.	इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज	2.	आयल एंड नेचुरल गैस कार्पोरेशन
3.	हिन्दुस्तान एयारोनाटिक्स लिमिटेड	3.	एक्सन, कोल हैंडलिंग डीआईवीएन-4	3.	इंडियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड
4.	भारत फोर्ज लिमिटेड	4.	भारत पम्पस एंड कम्प्रैशर लि.	4.	भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड
5.	बोकारो स्टील प्लांट	5.	हिन्दुस्तान एयरोनॉटिकस लि.	5.	हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड
6.	पुंज ल्वायड	6.	भारत इलै।क्ट्रानिक्स लि.	6.	बोकारो स्टील प्लांट
7.	स्टील ल्वायड	7.	नवेली लिग्नाईटस कार्पोरेशन लि.	7.	सृटील अथारिटी आफ इंडिया
8.	पवन हंस हैलिकाप्टर	8.	कम्बोडिया टैक्सटाईल्स लि.	8.	पवर हंस हैलिकॉप्टर
9.	कोल इंडिया लि.	9.	श्री रंगाविलास गिनींग स्पाइनिंग एण्ड उबल्यूई	9.	कोल इंडिया लिमिटेड
10.	शिपिंग कार्पोरेशन आफ इंडिया	10.	कोयम्बटूर मुर्गन मिल्स	10.	शिपिंग कार्पोरेशन आफ इंडिया
11.	आयल एंड नेचुरल गैस कार्पोरेशन	11.	पंकज मिल्स	11.	ड्रेडगिंग कार्पोरेशन आफ इंडिया
12.	ड्रेडगिंग कार्पोरेशन आफ इंडिया	12.	न्यूक्लीयर कार्पोरेशन	12.	पुम्पूहर शिपिंग कार्पोरेशन
13.	पोम्पुहार शिपिंग कार्पोरेशन	13.	इडियन रेट अर्थस लि.	13.	बीईएमएल लि.
14.	बीईएमएल लि.	14.	स्लेम स्टील प्लांट	14.	भारत हैव्वी इलैक्ट्रिकल्स लि.
15.	भारत हैव्वी इलैक्ट्रिकल्स लि.	15.	भारत हैव्वी इलैक्ट्रिकल्स लि.	15.	जीएम, आर्डिनेंस फैक्टरी
16.	जी.एम. आर्डिनेंस फैक्टरी	16.	एचईसीएल	16.	हिन्दुस्तान जिंक लि.
17.	हिन्दुस्तान जिंक लि.	17.	गेल	17.	हिन्दुस्तान जिंक लि. पन्त नगर
18.	हिन्दुस्तान जिंक लि., पन्तर नगर	18.	भेल	18.	केरल मिनरल एंड मैटल लि.
19.	केरल मिनरलस एंड मैटल लि.	19.	न्यूक्लियर पावर कार्पोरेशन कैगा	19.	आर्डिनेंस फैक्टरी, सिकन्दराबाद
20.	मद्रास फर्टिलाईजर्स लि.	20.	इसरो	21.	भारत इलैक्ट्रानिकस
22.	एनएफएल, भठिंडा	22.	कांडला पोर्ट ट्रस्ट	22.	बोकारो स्टील प्लांट
23.	आर्डिनेंस फैक्टरी, सिकन्दरबाद	23.	द शिपिंग कार्पोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड	23.	भारत हैव्वी इलैक्ट्रिकल्स लि.
24.	आरसीएफ़ कपूरथला	24.	जनरल मैनेजर/ओएण्डएम, जीएसटीपी भटिंडा	24.	स्टील अथारिटी आफ इंडिया लि. भिलाई
25.	स्लेम स्टील प्लांट	25.	नेशनल हाइड्रो इलैक्ट्रिक पावर कार्पोरेशन, उड़ी, (जम्मू व कश्मीर)	25.	अलाय स्टील प्लांट, दुर्गापुर

1	2	3	4	5	6
26.	भारत इलैक्ट्रानिक्स	26.	कोचीन पोर्ट ट्रस्ट	26.	न्यूक्लीयर फ्यूल कम्पलैक्स, हैदराबाद
27.	भारत गियरस लि.	27.	हिन्दुस्तान इन्सैक्टिसाइट लिमिटेड	27.	नालको, दमन जोड़ी एंड अंगूल
28.	बोकारो स्टील प्लांट	28.	केलट्राम्म कंपोनेंट कम्पलैक्स लिमिटेड	28.	पूरे देश में एनटीपीसी की इकाईयां
29.	कोचीन शिपयार्ड लि.	29.	तरावण कोल टाइटेनियम	29.	पानीपत थर्मल पावर
30.	एफएसीटी	30.	लिक्विड प्रोपूलेशन सिस्टम सेंटर	30.	बोकारो पावर सप्लाई, बोकारो
31.	मद्रास उर्वरक लिमिटेड	31.	एचएलएल लाइफ केयर लिमिटेड	31.	राजीव गांधी थर्मल पावर स्टेशन, हिसार
32.	मद्रास उर्वरक लिमिटेड, चेन्नै	32.	हिन्दुस्तान आर्गेनिक लि.	32.	केईबी, येलेहांका, बंगलोर
33.	मंगलोर कैमिकल एंड फर्टिलाइजर लि., मंगलोर	33.	नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन	33.	कोलाघाट थर्मल पावर स्टेशन, पश्चिम बंगाल
34.	भारत ऐवी इलैक्ट्रिकल लि.	34.	इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड	34.	भारत हेवी इलैक्ट्रिकल लि.
35.	स्टील अथारिटी आफ इंडिया लि. भिलाई	35.	बीएआरसी	35.	पूरे देश में एनटीपीसी इकाईयां
36.	एलोय स्टील प्लांट, दुर्गापुर	36.	आरबीआई	36.	दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, पश्चिम बंगाल
37.	न्यूकलियर फ्यूल कांपलैक्स, हेदराबाद	37.	एमसीएल	37.	दुर्गापुर थर्मल पावर स्टेशन
38.	नालको, दमनजोडी तथा अंगूल	38.	आयल इंडस्ट्री डवेलपमेंट बोर्ड	38.	परिचा थर्मल पावर स्टेशन, उ.प्र.
39.	नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड, बठिण्डा, नांगल तथा पानीपत	39.	सेन्ट्रल इलैक्ट्रिकल लिमिटेड	39.	हरदुआगंज थर्मल पावर स्टेशन, उ.प्र.
40.	पूरे देश में एनटीपीसी इकाईयां	40.	पावर ग्रिड कॉर्पो, आफ इंडिया लि.		
41.	पानीपत थर्मल पावर स्अेशन पानीपत	41.	ओएनजीसी		
42.	बोकारो पावर सप्लाई, बोबारो	42.	एसीसीआई		
43.	राजीव गांधी थर्मल पावर स्टेशन हिसार	43.	ड्रेडिंग कॉर्पोरेशन आफ इंडिया		
44.	केईबी येलाहांका, बंगलोर	44.	मैजागोंन डाक्स		
45.	कोलाघाट थर्मल पावर स्टेशन, पश्चिम बंगाल	45.	मुंबई पोर्ट ट्रस्ट		
46.	नेशनलफर्टिलाइजर लिमिटेड बठिण्डा नांगल तथा पानीपत	46.	एसईसीएल		
47.	गुजरात नर्मदा फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन बरूच	47.	सीएसईबी, कोरबा श्याम प्रसाद		
48.	एईवी येलाहांका	48.	सीएसईबी		
49.	ब्रहमपुरम डीजल पावर संयंत्र केरल	49.	भारत कोकींग कोल लि.		
50.	भारत हेवी इलैक्ट्रिकल लि.	50.	सेन्ट्रल कोल फील्ड लिमिटेड		
51.	पूरे देश में एनटीपीसी इकाईया	51.	इस्को स्टील संयंत्र		
52.	दामोदर वैली कॉर्पो पश्चिम बंगाल	52.	इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड		

1	2	3	4	5	6
53.	दुर्गापुर थर्मल पावर स्टेशन	53.	इंडियन ऑयरन एंड स्टील कंपनी लि.		
54.	परिचा थर्मल पावर स्टेशन, उ.प्र.	54.	जीएम मेटल एंड स्टील फैक्ट्री		
55.	हाडूगंज थर्मल पावर स्टेशन, यू.पी.	55.	मेटल एंड स्टील फैक्ट्री		
56.	सीमेंट कॉर्पोरेशन आफ इंडिया	56.	असम मिनरल डवलेपमेंट कॉपो. लि.		
57.	कंटेनर कॉर्पोरेशन आफ इंडिया लि	57.	स्टील अथारिटी आफ इंडिया लि.		
58.	चेन्ने पेट्रोलिय कॉपो. लि.	58.	इर्स्टन कोलफील्ड लिमिटेड		
59.	इलैक्ट्रानिक कॉर्पो. आफ इंडिया लि.	59.	मिश्रधातु निगम लि.		
60.	गेल	60.	दि सिंगारैनी कोलरीज कंपनी लि.		
61.	गुजरात मिनरल डेव कॉपो. लि.	61.	सिंगारैनी कोलरीज कंपनी लि.		
62.	गुजरात नर्मदा फर्टिलाइजर कार्पो. लि.	62.	एनडीएमसी लि. (स्पंज आयरन यूनिट)		
63.	गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर कॉर्पो.लि.	63.	वाडजैग स्टील प्लांट		
64.	गुजरात स्टेट पेट्रोलियम कॉर्पो. लि.	64.	गुजरात स्टेट पेट्रोलियम कॉर्पो. लि.		
65.	हिन्दुस्तान एरोनॉटिकस लि.				
66.	हिन्दुस्तान कापर लि.				
67.	हैवी इंजीनियरी कॉर्पोरेशन				
68.	हिन्दुस्तान मशीन टूल				
69.	इफको				
70.	नालको				
71.	नेशनल हाडड्रे पावर कॉर्पो. लि.				
72.	नेवली लिग्नाइट कॉर्पो.				
73.	नेशनल मिनरल डेवलपमंट कॉपोरेशन				
74.	न्यूकलियर पावर कॉर्पोरेशन आफ इंडिया लि.				
75.	ऑयल इंडिया लि.				
76.	ओएनजीसी				
77.	सिंगारैनी कॉर्पोरेशन कंपनी लिमिटेड				
78.	युरेनियम कॉर्पोरेशन आफ इंडिया लि.				
79.	विभिन्न राज्यों के एसटीयू				

सौरतापी उपकरण के बारे में विश्व व्यापार संगठन से शिकायत

2069. श्री एस. सेम्मलई: क्या **नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अमरीका ने सब्सिडी-पेशकश के जरिए भारत को बेचे जाने वाले अमरीकी सौरतापी उपकरणों के बारे में कथित पक्षपातपूर्ण रवैया रखने को लेकर विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यू. टी.ओ.) से भारत के खिलाफ कोई शिकायत करने का विचार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अमरीका ने यह शिकायत जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर ऊर्जा मिशन (जे.एन.एन.एस.एम.) को निशाना बनाने के उद्देश्य से की है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री (डॉ. फारुख अब्दुल्ला): (क) से (घ) अमेरिका सरकार ने विवादों के निपटान (डीएसयू) को शासित करने वाले नियमों और प्रक्रियाओं संबंधी समझौते के अनुच्छेद 1 और 4 के अनुसार भारत सरकार के साथ जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन (जेएनएनएसएम) के कुछ कार्यक्रमों में उपलब्ध घरेलू मात्रा की आवश्यकता के मुद्दे पर परामर्श हेतु अनुरोध किया है।

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय इस समय वाणिज्य मंत्रालय से परामर्श कर रहा है।

[हिंदी]

मानव अंग प्रतिरोपण अधिनियम

2070. श्री फ्रांसिस्को कोज्मी सारदीना: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के कतिपय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा मानव अंग प्रतिरोपण अधिनियम, 1994 को अंगीकृत और लागू नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार उक्त अधिनियम में कुछ और संशोधन करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा उक्त अधिनियम को अंगीकृत/लागू कराने के लिए शेष राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों पर दबाव डालने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) और (ख) आंध्र प्रदेश तथा जम्मू और कश्मीर को छोड़कर देश के सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा मानव अंग प्रतिरोपण अधिनियम, 1994 को अंगीकृत तथा लागू कर लिया गया है।

आंध्र प्रदेश राज्य का अपना स्वयं का अधिनियम है। लेकिन यह अधिकांशतः केन्द्रीय अधिनियम पर आधारित है।

(ग) से (ङ) संसद द्वारा मानव अंग प्रतिरोपण अधिनियम, 1994 को पहले ही वर्ष 2011 में संशोधित तथा पारित कर दिया गया है। वर्तमान में, आगामी संशोधन के लिए कोई प्रस्ताव नहीं है। केन्द्र सरकार उक्त अधिनियम लागू करने के लिए समय-समय पर राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों से अनुरोध करती रहती है।

मध्याह्न 12:00 बजे

[अनुवाद]

सभा पटल पर रखे गए पत्त

अध्यक्ष महोदया: अब सभापटल पर पत्र रखे जायगें।

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री (डॉ फारुख अब्दुल्ला): महोदया निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं।

(1) (एक) सेन्टर फॉर विन्ड एनर्जी टेक्नोलॉजी, चेन्नई के वर्ष 2011-2012 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) सेन्टर फॉर विन्ड एनर्जी टेक्नोलॉजी, चेन्नई के वर्ष 2011-12 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 8502/15/13]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमनिकम): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं।

(1) इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमें अथॉरिटी, हैदराबाद के वर्ष 2010-2011 के वार्षिक लेखाओं को एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 8504/15/13]

(3) नेशनल हाउसिंग बैंक, नई दिल्ली के जुलाई, 2011 से जून, 2012 तक की अवधि के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(4) राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 की धारा 42 के अंतर्गत भारत में आवास के रूख और प्रगति (राष्ट्रीय आवास बैंक) 2012 के बारे में प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल.टी. 8505/15/13]

(5) बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋण वसूली अधिनियम, 1993 की धारा 36 की उपधारा (3) के अंतर्गत ऋण वसूली अधिकरण (पीठासीन अधिकारी के अदाचार या असमर्थता की जांच की प्रक्रिया) संशोधन नियम, 2012 जो 21 दिसम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 920(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 8506/15/13]

(6) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत निमनलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):

(एक) 'आयातकों और निर्यातकों के परिसरों में स्थानिक शाधनोत्तर लेखापरीक्षा (संशोधन) विनियम, 2012' जो 27 दिसम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र में अधि सूचना सं. सा. का. नि. 936(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सीमा-शुल्क सदन अभिकर्त्ता अनुज्ञापन (संशोधन) विनियम, 2013 जो 6 फरवरी, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 70(अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.का.नि. 132(अ) जो 1 मार्च, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 9 जुलाई, 2004 की अधिसूचना संख्या 69/2004 सी. शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा.का.नि. 133(अ) जो 1 मार्च, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 22 जुलाई, 2005 की अधिसूचना संख्या 75/2005-सी. शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा.का.नि. 134(अ) जी 1 मार्च, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 9 मार्च, 2012 की अधिसूचना संख्या 9/2012-सी. शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) सा.का.नि. 135(अ) जो 1 मार्च, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 17 मार्च, 2012 की अधिसूचना संख्या 12/2012-सी. शु. में कतिपय संशोधन किए गए है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) सा.का.नि. 136(अ) जो 1 मार्च, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसके द्वारा 17 मार्च, 2012 की अधिसूचना संख्या 19/2012 सी. शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) सा.का.नि. 137(अ) जो 1 मार्च, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसके द्वारा 13 जुलाई 1994 की अधिसूचना संख्या 146/94 सी. शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) सा.का.नि. 138(अ) जो 1 मार्च, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसके द्वारा 1 मार्च, 2011 की अधिसूचना संख्या 27/2011 सी. शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दस) बैंगेज (संशोधन) नियम, 2013 जो 1 मार्च, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 139(अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 8507/15/13]

(7) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 296 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):

(एक) आयकर (14वां संशोधन) नियम, 2012, जो भारत के राजपत्र में 4 अक्तूबर, 2012 की अधिसूचना संख्या का.आ. 2365(अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) स्रोत पर काटे गए कर की विवरणियों की केन्द्रीय प्रक्रिया स्कीम, 2012, जो भारत के राजपत्र में 15 जनवरी, 2013 की अधिसूचना संख्या का.आ. 169(अ) में प्रकाशित हुई थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) आयकर (पहला संशोधन) नियम, 2013, जो भारत के राजपत्र में 31 जनवरी, 2013 की अधिसूचना संख्या का.आ. 308(अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) निर्वाचक न्यास स्कीम, 2013 जो भारत के राजपत्र में 31 जनवरी, 2013 की अधिसूचना संख्या का.आ. 309(अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 8508/15/13]

(8) विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 की धारा 48 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):

(एक) विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी मुद्रा में उधार लेना या देना) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2012 जो 11 दिसम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 886(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) विदेशी मुद्रा प्रबंध (निक्षेप) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2012 जो 17 दिसम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 893(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) सा.का.नि. 894(अ) जो 17 दिसमबर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो भारत से बाहर के निवासी व्यक्ति से प्राप्ति तथा उनको संदायगी के बारे में है।

(चार) विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी मुद्रा में उधार लेना या देना) (संशोधन) विनियम, 2012 जो 7 दिसम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. का.नि. 895(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) विदेशी मुद्रा प्रबंध (माल और सेवाओं का निर्यात) (संशोधन) विनियम, 2012 जो 17 दिसम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का. नि. 896(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(छह) विदेशी मुद्रा (गारंटी) (संशोधन) विनियम, 2012 जो 21 दिसम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र में अधि सूचना संख्या सा.का.नि. 914(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(सात) विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में निवासी व्यक्ति का विदेशी मुद्रा लेखा) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2012 जो 21 दिसम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र में अधि सूचना संख्या सा.का.नि. 915(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(आठ) विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी मुद्रा में उधार लेना या देना) (चौथा संशोधन) विनियम, 2012 जो 21 दिसम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 916(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(नौ) विदेशी मुद्रा प्रबंध (गारंटी) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2012 जो 21 दिसम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 917(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दस) सा.का.नि. 944(अ) जो 31 दिसमबर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम के प्रयोजनार्थ 'प्रतिभूति' की परिभाषा के बारे में हैं।

(ग्यारह) विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) (पांचवां संशोधन) विनियम, 2012 जो 31 दिसम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 945(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(बारह) विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) (पांचवां संशोधन) विनियम, 2012 जो 31 दिसम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 946(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(बारह) विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर के निवासी व्यक्ति द्वारा किसी प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) (चौथा संशोधन) विनियम, 2012 जो 31 दिसम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 947(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चौदह) विदेशी मुद्रा प्रबंध (निक्षेप) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2013 जो 17 जनवरी, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 26(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 8509/15/13]

(9) प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 की धारा 23क की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):

(एक) का.आ. 1(अ) जो 1 जनवरी, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था जो हदोती क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, बड़ौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक और राजस्थान ग्रामीण बैंक का बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के रूप में समामेलन किए जाने के बारे में है।

(दो) का.आ. 60(अ) जो 7 जनवरी, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो नीलांचल ग्राम्य बैंक, कलिंगा ग्राम्य बैंक और बैतरनी ग्राम्य बैंक का ओडिशा ग्राम्य बैंक के रूप में समामेलन किए जाने के बारे में है।

(तीन) का.आ. 2969(अ) जो 21 दिसम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो समामेलन

के कारण मध्य भारत ग्रामीण बैंक, शारदा ग्रामीण बैंक और रीवा सिधी ग्रामीण बैंक के विघटन के बारे में है।

(चार) का.आ. 2970(अ) जो 21 दिसम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो समामेलन के कारण सतपुड़ा नर्मदा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, विदिशा भोपाल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और महाकौशल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के विघटन के बारे में है।

(पांच) का.आ. 2971(अ) जो 21 दिसम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो समामेलन के कारण समस्तीपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और बिहार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के विघटन के बारे में है।

(छह) का.आ. 2972(अ) जो 21 दिसम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो समामेलन के कारण आर्यावर्त ग्रामीण बैंक और क्षेत्रीय किसान ग्रामीण बैंक के विषटन के बारे में है।

(सात) का.आ. 2973(अ) जो 21 दिसम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था जो समामेलन के कारण नर्मदा मालवा ग्रामीण बैंक और झबुआ धर क्षेत्रीय बैंक के विघटन के बारे में है।

(आठ) का.आ. 2974(अ) जो 21 दिसम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो समामेलन के कारण उत्तरांचल ग्रामीण बैंक और नैनीताल अलमोड़ा क्षेत्रीय बैंक के विघटन के बारे में है।

(नौ) का.आ. 2975(अ) जो 21 दिसम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था जो समामेलन के कारण चिकमगलूर कोडागु ग्रामीण बैंक, विश्वेश्वैरैया ग्रामीण बैंक और कावेरी कल्पतरू ग्रामीण बैंक के विघटन के बारे में है।

(दस) का.आ. 2976(अ) जो 21 दिसम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो समामेलन के कारण ऋषिकुल्य ग्राम्य बैंक और उत्कल ग्राम्य बैंक के विघटन के बारे में है।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 8510/15/13]

(10) वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 94 की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):

(एक) सा.का.नि. 152(अ) जो 1 मार्च, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 20 जून, 2012 की अधिसूचना संख्या 26/2012-सेवा कर में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि. 153(अ) जो 1 मार्च, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 20 जून, 2012 की अधिसूचना संख्या 25/2012-सेवा कर में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.का.नि. 154(अ) जो 1 मार्च, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 96क के खंड (ख) के उपखंड (पपप) के अंतर्गत 'निवासी पब्लिक लिमिटेड कंपनी' को व्यक्तियों के वर्ग के रूप में अधिसूचित किया गया है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सेवा कर (पांचवा संशोधन) नियम, 2012 जो 30 नवम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं.सा.का.नि. 858(अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 8511/15/13]

(11) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उपधारा (2) के अंतर्गत निमनलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):

(एक) सा.का.नि. 140(अ) जो 1 मार्च, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 2007 की अधिसूचना संख्या 17/2007- के.उ.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि. 141(अ) जो 1 मार्च, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 24 मार्च, 2011 की अधिसूचना संख्या 20/2011-के.उ.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा.का.नि. 142(अ) जो 1 मार्च, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों में क्षेत्र से संबंधित छूट का उपभोग करन वाली यूनिटों द्वारा माल के विनिर्माण में आबद्ध रूप से खपाए गए मध्यवर्ती माल, को छूट प्रदान करना है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) सा.का.नि. 143(अ) जो 1 मार्च, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 17 मार्च, 2012 की अधिसूचना संख्या 7/2012 के.उ.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा.का.नि. 144(अ) जो 1 मार्च, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 2011 की अधिसूचना संख्या 1/2011 के.उ.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छह) सा.का.नि. 145(अ) जो 1 मार्च, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 2011 की अधिसूचना संख्या 2/2011 के.उ.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) सा.का.नि. 146(अ) जो 1 मार्च, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 9 जुलाई, 2004 की अधिसूचना संख्या 30/2004 के.उ.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) सा.का.नि. 147(अ) जो 1 मार्च, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 17 मार्च, 2012 की अधिसूचना संख्या 12/2012 के.उ.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) सा.का.नि. 148(अ) जो 1 मार्च, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 24 दिसम्बर, 2008 की अधिसूचना संख्या 49/2008 के.उ.शु. (एनटी) में कतिपय संशोधन किए गए हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दस) केन्दीय उत्पाद शुल्क (संशोधन) नियम, 2013 जो 1 मार्च, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 149(अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्यारह) सेनवेट क्रेडिट (संशोधन) नियम, 2013 जो 1 मार्च, 2013 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 150(अ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापनं

(बारह) सा.का.नि. 151(अ) जो 1 मार्च, 2013 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1994 की धारा 23क के खंड (ग) के उपखंड (3) के अंतर्गत 'निवासी पब्लिक लिमिटेड कंपनी' को व्यक्तियों के वर्ग के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिए** संख्या एल.टी. 8512/15/13]

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनबाका लक्ष्मी): मैं पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006 की धारा 62 के अंतर्गत पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन परिवहन टैरिफ का अवधारण) संशोधन विनियम, 2012 जो 13 दिसम्बर, 2012 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं.एफ.सं. पीएनजीआरबी/एम(सी)/62/2012 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभापटल पर रखती हूं।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 8512/15/13]

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: मद संख्या 5 श्री शरद यादव उपस्थित नहीं

श्री अनंत गंगाराम जीते: उपस्थित नहीं।

अब, मद संख्या-5 श्री पबन सिंह घाटोवार

अपराह्न 12:02 बजे

सभा का कार्य

[अनुवाद]

उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन सिंह घाटोवार): महोदया आपकी अनुमति से मैं सोमवार, 11 मार्च, 2013 से आरम्भ होने वाले सप्ताह के दौरान सरकारी सभा कार्य की घोषणा करने वाले लिए से खड़ी हुआ हूँ जिसमें होगा:

1. आज के आदेश पत्र के सरकारी राजकार्य पर विचार।

2. वजट (सामान्य) 2013-14 पर आम चर्चा।

3. निम्न पर विचार और मतदान।

(क) लेखा अनुदान (सामान्य) 2013-14, (ख) अनुपूरक अनुदान (सामान्य) 2012-13 और (ग) वर्ष 2010-11 की अतिरिक्त अनुदानों की मांगे।

4. संवंधित विनियोजन विधेयको का पुरस्थापन, विचारण और उन्हें पारित किया जाना।

5. झारखंड के वजट 2013-14 पर सामान्य चर्चा।

6. निम्न पर चर्चा और मतदान।

(क) वर्ष 2013-14 हेतु अनुदानों की मांगें रख खड और (ख) वर्ष 2012-13 हेतु अनुपूरक अनुदानों की मांगे (झारखंड)

7. संबंधित विनियोजन विधेयकों का पुरःस्थापन अधार विचारण तथा उन्हें प्राप्ति किया जाना।

[हिंदी]

श्री हुकमदेव नारायण यादव (मधुबनी): अध्यक्ष महोदया, अगले सप्ताह की कार्यसूची में इन विषयों को जोड़ा जाए:

1. अन्य पिछड़ा वर्ग राष्ट्रीय आयोग को अन्य आयोग के जैसा संवैधानिक दर्जा दिया जाए। अन्य पिछड़ा वर्ग के कारण समिति के प्रथम प्रतिवेदन पर चर्चा की जाए, जिसमें इस संबंध में सिफारिश की गई है। इस पर चर्चा हो।

2. नयायधीशों की नियुक्ति के लिए संघ न्यायिक सेवा आयोग बनाया जाए, जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गो को आरक्षण दिया जाए। इस पर चर्चा हो।

श्रीमती जयश्रीबेन पटेल (महेसाणा): अध्यक्ष महोदया, अगले सप्ताह की कार्यसूची में इन विषयों को जोड़ा जाए:

1. देश में प्राथमिक शालाओं में मिड-डे-मील का प्रोगाम चलाया जाता है। इसके तहत गुजरात में 30,373 मिड-डे-मील केन्द्र चल रहे हैं। केन्द्रों में किचन-कम-स्टोर रूम भी है तथा 25,650 केन्द्रों को एलपीजी गेस कनेक्शन दिए गए हैं। एलपीजी गैस सिलिंडर रिफिलिंग खर्च में कीमतें बढ़ाने से रसोई खर्च में बढ़ावा हुआ है।

अध्यक्ष महोदया: सिर्फ विषय पर बोलिए।

श्रीमती जयश्रीबेन पटेल: मैं आपसे विनती करती हूं कि एलपीजी गैस में जब-जब बढ़ावा हो, उसे ध्यान में रखकर समान बढ़ावा किया जाए, तथा

2. भारत सरकार द्वारा देश में घोषित की गई 14 सेटिंग-अप ऑफ इनोवेटिव नई यूनिवर्सिटी के निर्माण में गुजरात का भी समावेश था। इसके तहत गुजरात के एच.आर.डी. मंत्रालय ने भारत सरकार के ए.आर.डी. मंत्रालय को 28.2.2011 द्वारा प्रस्तुत यूनिवर्सिटी के निर्माण के बारे में कोई जरूरत है।

अध्यक्ष महोदया: सिर्फ विषय बोलिए।

श्रीमती जयश्रीबेन पटेल: तो उसकी पूर्णता के लिए विनती की थी, लेकिन आज तक भारत सरकार द्वारा इसमें कोई जवाब नहीं दिया गया है।

श्री हंसराज गं. अहीर (चन्द्रपुर): अध्यक्ष महोदया, आगामी सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित विषयों को सम्मिलित किया जाए:

1. देश के महालेखाकार व नियंत्रक (कैग) द्वारा कोयला क्षेत्र में एक लाख 86 हजार करोड़ रुपये के भ्रष्टाचार एवं अवैध आवंटन के मामले की सरकार जांच कर दोषियों पर कार्रवाई करे।

2. देश में महिला सुरक्षा से जुड़े मामले में असफलता से उत्पन्न जानक्रोश को देखते हुए महिला अत्याचार से संबंधित कानूनों में कालोचित बदलाव तथा बलात्कार में फांसी के दंडादेश का संशोधन करने के लिए सरकार कदम उठाए।

श्री अर्जुन राम मेघावाल (बीकानेर): अध्यक्ष महोदया, आगामी सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित विषयों को सम्मिलित किया जाए-

1. प्राइवेट सेक्टर, विशेषकर शिक्षा एवं चिकित्सा के क्षेत्र में बढ़ रहा भ्रष्टाचार।

2. राजमार्गो पर बढ़ रही सड़क दुर्घटनाएं एवं उनकी रोकथाम।

डॉ. भोला सिंह (नवादा): माननीय सभाध्यक्ष महोदया जी, अभी सदन में माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने आगामी सप्ताह की कार्यसूची के बारे में विचार-विमर्श प्रस्ताव रखा है, मैं उसमें दो प्रस्तावों को जोड़ने का आग्रह करता हूं।

1. बिहार राज्य के नवादा जिले में बकसौती बैराज परियोजना जो 650 करोड़ रुपये की है, बिहार सरकार द्वारा केन्द्र सरकार के जल संसाधन मंत्रालय को प्रस्तावित है, को शीघ्रातिशीघ्र मंजूरी देने का प्रश्न।

2. बिहार आज अंधेरे में है, बिहार का नवादा पिछड़ा है और अंधेरे में छाती पीट रहा है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: केवल विषय बोलिए।

डॉ. भोला सिंह: बिहार के रजौली में आणविक विद्युत ताप केन्द्र की स्थापना, जो वर्षों से लंबित पड़ी है, पर विचार।

[अनुवाद]

शेख सैदुल हक (वर्धमान-दुर्गापुर): महोदया, मैं चाहता हूं कि आगे सप्ताह की कार्य सूची में निम्नवत् मदें शामिल की जाए:

(क) राजधानी एक्सप्रेस को वर्धमान रेलवे जंक्शन पर उसकी अवस्थिति के कारण ठहराव दिए जाने की आवश्यकता

इससे न केवल तीन सीमावर्ती जिले जुड़ेंगे बल्कि वहां एक विश्वविद्यालय, एक मेडिकल कॉलेज तथा एक शिक्षा केन्द्र प्रोद्योगिकी संरचना भी इससे जुडेंगे।

(ख) बाल गोना से कटावा के बीच पूर्वोत्तर रेलवे में छोटी लाइन कोबड़ी लाइन ने बदलने की आवश्यकता है, यह वर्धा लिजे जिनमें, पश्चिम बंगाल में वर्धमान कटवा लाइन का शेष भाग है।

[हिंदी]

श्री पन्ना लाल पुनिया (बाराबंकी): अध्यक्ष महोदया, आगामी सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित महत्वपूर्ण विषयों को सम्मिलित किया जाए:

1. खोए हुए नेटवर्क उपकरणों की पुलिस में सूचना दर्ज कराना अनिवार्य करने के संबंध में।
2. पोस्टमार्टम पद्धति में आवश्यक सुधार करने के संबंध में।

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): अध्यक्ष महोदया, आगामी सप्ताह की कार्यसूची में निम्न विषयों को सम्मिलित किया जाए:

1. मनरेगा का धन ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायतों में बराबर जाना चाहिए।
2. अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर सभी महिलाओं, बच्चियों को स्वाभिमान, सम्मान एवं सुरक्षा की गारन्टी होनी चाहिए।

श्री वीरेन्द्र कुमार (टीकमगढ़): अध्यक्ष महोदया, आगामी सप्ताह की कार्यसूची में निम्न विषयों का समावेश किया जाए:

1. केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना मध्य प्रदेश के टीकमगढ़, छतरपुर संसदीय क्षेत्र में की जाए।
2. संसदीय क्षेत्र टीकमगढ़ से होकर निकलने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों झांसी, छतरपुर, सतना पर फोरलेन एक्सप्रेस हाइवे सड़क का निर्माण शीघ्र कराया जाए।

श्रीमती ज्योति धुर्वे (बेतूल): अध्यक्ष महोदया, आगामी सपताह की कार्यसूची में निम्न विषयों को सम्मिलित किया जाए:

1. मेरे संसदीय क्षेत्र में पिछले माह ओलावृष्टि होने के कारण के बेतूल जिले एवं हरदा-हंडिया जिले के 70 प्रतिशत किसान प्रभावित हुए हैं। इन किसानों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा है। अत: मैं केन्द्र सरकार से इन किसानों को सहायता प्रदान की मांग करती हूं।
2. मेरे संसदीय क्षेत्र बेतूल में बहुत सी छोटी-छोटी नगर पंचायतें आती हैं। उन नगर पंचायतों में आज भी शौचालय की सुविधा की भारी कमी है। अत: इन नगर पंचायतों को समग्र स्वच्छता अभियान में शामिल कर इन नगर पंचायतों को स्वच्छता प्रदान करने की आवश्यकता है।

[हिंदी]

अध्यक्ष महोदया: आइटम नम्बर पांच, श्री शरद यादव। हमने पहले भी आपका नाम बुलाया था।

अपराह्न 12:10 बजे

शहरी विकास संबंधी स्थानीय समिति

21वां और 22वां प्रतिवेदन

[हिंदी]

श्री शरद यादव (मधेपुरा): अध्यक्ष महोदया, मैं शहरी विकास संबंधी स्थायी समिति (2010-13) के निम्नलिखित विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:

(1) शहरी विकास मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2010-2013) के बारे में समिति के 18वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के संबंध में समिति के 21वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा आगे की-गई-कार्रवाई को दर्शाने वाला विवरण; और

(2) आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2012-2013) के बारे में समिति के 19वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई के संबंध में समिति के 22वें प्रतिवेदन (15वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा आगे की-गई-कार्रवाई को दर्शाने वाला विवरण।

अपराह्न 12:11 बजे

अनुपूरक अनुदानों की मांगें (सामान्य), 2013

[अनुवाद]

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम) अध्यक्ष महोदया, मैं वर्ष 2012-13 के लिए बजट (सामान्य) के संबंध में अनुदानों की अनुपूरक मांगें दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 8513/15/13]

अपराह्न 12.11½ बजे

अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (सामान्य), 2010-2011

[अनुवाद]

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदमबरम): अध्यक्ष महोदया, में वर्ष 2010-11 के लिए बजट (सामान्य) के संबंध में अतिरिक्त अनुदानों की मांगों दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 8514/15/13]

अपराह्न 12.12 बजे

अध्यक्ष द्वारा उल्लेख

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया: माननीय सदस्यगण, आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक उपलब्धियों के प्रतीक के रूप में विश्व भर में मनाया जा रहा है।

विश्व स्तर पर आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, कला-साहित्य, शिक्षा, खेल-कूद, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में महिलाओं की उल्लेखनीय उपलब्धियां हैं। हमारे देश में भी हर कार्यक्षेत्र में सफलता ने उनके कदम चूमे हैं और वे उन्नति की ध्वजावाहक बनी हैं।

केवल ख्यातिप्राप्त महिलाओं ने ही नहीं, अपितु दिन-रात परिवार की देखभाल करने वाली, खेत में काम करने वाली, मजदूरी करने वाली, छोटे-बड़े काम करके घर की आमदनी में योगदान करने वाली असंख्य नारियों ने स्नेह, निष्ठा, त्याग और परिश्रम से हमारे समाज और देश की प्रगति का मार्ग प्रशस्त किया है। यह दिन भारत की बेटियों को समर्पित है। आज कोटि-कोटि स्वर में उनका अभिनन्दन करने का दिन है।

साथ ही आज उनकी गरिमा, सम्मान, सुरक्षा, हित, कल्याण और सशक्तिकरण पर आत्मविवेचन और विचार-विमर्श करने का भी दिन है। आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक सशक्तिकरण समान रूप से हो, इस पर भी बल देने का दिन है।

महिलाओं का सतत् शोषण इतिहास का एक कटु सत्य है। समाज के क्रियाकलापों में उनके दायरे को सीमित रखने, शिक्षा के अवसरों तथा मूलभूत मानवाधिकारों से वंचित करने, हिंसा तथा प्राय: अमानवीय व्यवहार की शिकार बनाए जाने से सदियों से महिलाओं के लिए अपनी पूर्ण क्षमता के प्रदर्शन के अवसर दुर्लभ कर दिए गए हैं।

महिलाओं के प्रति सदियों से चले आ रहे भेदभाव धीरे-धीरे समाप्त होने और समानता को सिद्धान्तत: व्यापक रूप से मान लिए जाने के बावजूद महिलाओं को आज भी पूरी तरह बराबरी का दर्जा नहीं मिल सका है।

यद्यपि हमारे महानगरों और शहरी क्षेत्रों में उनकी स्थिति में अपेक्षाकृत सुधार हुआ है, लेकिन देश के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली और विशेष रूप से निर्बल वर्गों की महिलाओं की स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया है। यदि महिलाओं को समाज में बराबरी का दर्जा देना है, तो हमें शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों की सभी वर्गों की महिलाओं को समान रूप से शिक्षा, स्वास्थ्य परिचर्या और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करनी होगी।

इस वर्ष का अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का उद्देश्य है:

"महिलाओं के प्रति हिंसा को समाप्त करने के लिए हम वचनबद्ध हैं।"

अपराह्न 12.15 बजे

सदस्यों द्वारा निवेदन

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज (विदिशा): अध्यक्ष जी, मैं आपके प्रति हृदय से धन्यवाद करती हूं कि आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन अध्यक्षीय पीठ से आपने बहुत ही सशक्त टिप्पणी महिलाओं के संबंध में की है।

अध्यक्ष जी, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस होने के कारण आज के दिन पूरी दुनिया में महिलाओं से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की जाती है, समाधान खोजे जाते हैं और संकल्प किये जाते हैं। भारत में भी महिलाओं से संबंधित अनेक मुद्दे हैं, लेकिन मुद्दों पर चर्चा करना और बाद में उन्हें भूल जाना, यह केवल रस्म निभाई होता है।

आज जब मैं सदन में प्रवेश कर रही थी कामरेड गुरुदास दासगुप्त मुझे मिले और हाथ जोड़कर बोले

[अनुवाद] आज मुझे आपका अभिवादन करने दीजिए। मैंने कहा! "जी हां, 364 दिन आप हमें पीटते हैं तथा 365वें दिन आप हमारा अभिवादन करते हैं।" उन्होंने बहुत सहमति के स्वर में कहा, "यह सच है।" *[हिंदी]* इसलिए मेरा सुझाव है कि सभी मुद्दों पर चर्चा करने और बाद में उन्हें भूल जाने के बजाए यदि हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन सबसे अधिक सामयिक, सबसे प्रासंगिक एक मुद्दा पकड़ें और वर्ष-भर संकल्पित होकर उसका समाधान करें और अगले वर्ष यह आंकलन करते हुए संतोष करें क उस मुद्दे का समाधान हमने कर लिया और फिर आगे बढ़ें तो यह ज्यादा बेहतर होगा। पिछले दिनों जो घटनाक्रम चला है उसके लिए मेरा सुझाव है कि यह वर्ष हम "महिला सुरक्षा" को समर्पित करें।

अध्यक्ष जी, जब मैं भारत की महिलाओं पर दृष्टिपात करती हूं तो एक बड़ा असंतुलित चित्र सामने आता है। एक तरफ हम कहते हैं कि महिला हमारे यहां राष्ट्रपति पद पर आसीन हुई, महिला वर्षोवर्ष प्रधानमंत्री रही। आज हमारी अध्यक्षीय पीठ पर महिला शोभायमान है, आज सत्तारूढ़ गठबंधन की शक्तिशाली नेत्री एक महिला है, विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र की नेता-प्रतिपक्ष महिला है। हमारी कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स ने वर्जनाओं को भेदकर अंतरिक्ष में उड़ानें भरी हैं। संतोष यादव ने अपने महिला पांवों से बार-बार हिमालय को नापा है। अध्यक्ष जी, यह वह चित्र है जो हमें गौरवान्वित करता है, यह वह चित्र है जो भारत की प्रतिष्ठा दुनिया में बढ़ाता है। लेकिन एक दूसरा चित्र भी है जहां महिला न जन्म से पहले सुरक्षित है और न बाद में सुरक्षित है। वह माता के गर्भ में मार दी जाती है और भ्रूण हत्या करने के लिए कोई बाहर से नहीं आता है, यह कार्य माता-पिता करते हैं, दादा-दादी करवाते हैं। जन्म के बाद तो न दो वर्ष की बच्ची सुरक्षित है, न 60 वर्ष की वृद्धा सुरक्षित है। दिल और दिमाग कौंधने लगता है जब अखबार में पढ़ने को मिलता है कि दो वर्ष की बच्ची बलात्कार की शिकार हुई, 7 वर्ष क स्कूली बच्ची के साथ स्कूल के ही एक व्यक्ति ने दुष्कर्म किया, 60 वर्ष की बूढ़ी औरत के साथ गैंग-रेप हुआ। हमारा माथा शर्म से झुक जाता है और दिल दर्द से भर जाता है। इसलिए मैं कहना चाहती हूं कि आज का वर्ष यदि महिला सुरक्षा के लिए समर्पित कर दें, तो हम एक संकल्प ले सकते हैं, जो संकल्प दिल्ली के बच्चों ने लिया। दिसम्बर 16 को जो घटना घटी, उसके बाद जनाक्रोश पनपा। हम लोगों को लगा कि स्थिति सुधरेगी, लेकिन अगर आप आज दिल्ली के दो प्रमुख अंग्रेजी अखबारों को देखें तो उनकी हैडलाइन है *[हिंदी]* "96 प्रतिशत महिलाएं राजधानी में असुरक्षित हैं।" *[हिंदी]* दूसरे की हैडलाइन है, *[अनुवाद]* "प्रत्येक दो घंटे में दिल्ली में एक महिला के साथ बलात्कार तथा छेड़छाड़ की जाती है।" *[हिंदी]* यह मामला केवल दिल्ली तक सीमित नहीं है, एक राजधानी या एक शहर तक सीमित होता तो शायद इतनी चिंता की बात नहीं थी, यह कमोबेश पूरे देश में व्याप्त है। किसी भी दल की सरकार हो, यह मामला किसी एक सरकार का नहीं है। किसी भी दल का शासन हो, लेकिन स्थिति यही है। यह स्थिति केवल दो चीजों से बदल सकती है। पहली चीज समाज की सोच से और दूसरी चीज व्यवस्था के खौफ से। मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि समाज की सोच विकृत हो गई है। यह सोच हर समय विकृत रही है, सतयुग में भी रही है। कम या ज्यादा अच्छे बुरे लोग हमेशा समाज में रहते हैं, लेकिन अगर व्यवस्था अपना खौफ बनाए रखे, तो बुराई ढकी रहती है और बुरे लोग बुरा काम करने से डरते हैं। आज दिक्कत यह है कि व्यवस्था का कोई खौफ नहीं बचा है और समाज की सोच विकृत होती जा रही है। इसलिए मुझे लगता है कि आज के दिन चर्चा तभी सार्थक होगी, जब आज हम सभी संकल्प करें, हमारी विभिन्न संस्थाएं भी संकल्प करें, हमारे समाज का हर व्यकित आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर यह संकल्प करे कि हम अपनी बहन और बेटियों को सुरक्षित रखेंगे, उनके मन में कभी भी असुरक्षा का भाव पैदा नहीं होने देंगे, तो मुझे लगता है कि यह अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस वाकई सार्थक हो जाएगा और पहले की तरह केवल एक रस्म निभाने वाला नहीं रह जाएगा।

अध्यक्ष महोदया: श्रीमती दर्शना जरदोश और श्रीमती जयश्रीबेन पटेल अपने आपको श्रीमती सुषमा स्वराज द्वारा उठाए विषय से सम्बद्ध करती हैं।

डॉ. गिरिजा व्यास (चित्तौड़गढ़): अध्यक्ष महोदया, महिला दिवस के अवसर पर मैं सभी को बहुत-बहुत बधाई देना चाहती हूं। आज सोनिया जी का नाम सशक्त महिलाओं में पहले स्थान पर आया है, इसलिए मैं आपको सम्पूर्ण सदन की तरफ से बहुत-बहुत बधाई देना चाहती हूं। मैडम, यह मौका बहुत कम मिला है और आगे भविष्य में पता नहीं कब मिलेगा, जब स्पीकर के पद पर आप बैठी हैं, जब यूपीए की चेयरपरसन सोनिया गांधी जी हैं, विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज जी हैं और सदन में पिछली घटना के बाद पुरुष वर्ग और महिला वर्ग की संवेदना में कोई विभेद मुझे दिखाई नहीं देता है। यही संवेदना के पंख सभी के दिल में हैं। ऐसे हालात में बहुत कुछ परिवर्तन की गुंजाइश है और आज देश की भी यही मांग है। इसीलिए मैं कहती हूं कि बहुत कम मौका मिला और आगे पता नहीं कब मौका मिले इसलिए ये रोशनी के लम्हे कहीं रायेगा न न जाएं, एक ख्वाब देख डालो, एक इंकलाब लाओ, यह हमारा लक्ष्य होना चाहिए। आपने जो गाइड लाइन दी है कि हम बहुत ऊंचाइयों पर पहुंचे हैं, लेकिन यह विश्व भर का पैराडॉक्स है और विशेष कर भारत का भी यत्र नार्यस्तु से लेकर नीचे तक देखा जाए तो जिस बात का जिक्र मैंने पहले किया था कि जब महिला के दोनों हाथ काट दिए जाएं, तो वह कहां से खाना खाएगी।

मैंने बहुत-सी बातों का जिक्र पिछली बार कर दिया था, उनका जिक्र दोबारा नहीं करूंगी, लेकिन आपने कहा था कि हिंसा समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध और उसी को सुषमा जी ने कहा कि यह वर्ष हम महिलाओं की सुरक्षा की दृष्टि से रखें, इसके लिए सरकार ने पहल की है। मुझे एक गाने की लाइनें बार-बार याद आती हैं: आधा है और आधे की जरूरत है। उस दुर्दांत घटना के बाद सरकार जिस तरह से आर्डिनेंस लेकर आई, चिदम्बरम जी को मैं सदन की तरफ से धन्यवाद देना चाहती हूं कि निर्भया योजना बनाकर एक सशक्त कदम और उसके साथ-साथ महिलाओं के लिए बैंक खाते की व्यवस्था की है, लेकिन निर्भय योजना हमारे आज के संकल्प की प्रतिमूर्ति दिखाई देता है, उसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहती हूं।

आज मैं सदन के सामने उन असुरक्षित महिलाओं का जिक्र जरूर करना चाहूंगी जो अछूती रह जाती हैं। उसमें सबसे पहले रेप तो है ही, जिसके संबंध में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब फिर वह बिल जो चार दिसम्बर को रखा था, वह बिल सदन में आएगा, जो आर्डिनेंस को हमें रेटीफाई करना है उस पर हम फिर बात करेंगे इसलिए मैं रेप पर, सुषमा जी ने सही कहा कि रेप की अगर घटनाएं देखें तो न केवल दिल्ली बल्कि आज मेरे पास समस्त राज्यों के मेरे पास डेटा हैं लेकिन मैं समय की कमी के कारण बताना नहीं चाहती हूं। कोई भी राज्य ऐसा नहीं बचा है जहां महिलाओं से बलात्कार या छेड़छाड़ की घटनाओं में लगातार वृद्धि न हो रही हो इसके बावजूद कि सरकार बहुत कड़े कानून ला चुकी है और ला भी रही है। इसके बावजूद अगर ऐसी घटनाएं हो रही हैं तो निश्चित तौर पर सदन के सोचने का विषय है।

यह सदन साक्षी रहा है नेहरू जी की पंचवर्षीय योजनाओं का जिसमें महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की गई थी। यह सदन साक्षी रहा है, जब पता नहीं इंदिरा जी कब महिलाओं के प्रति अपने असूलों के कारण इस देश की मां बन गईं। यह देश साक्षी रहा है जब हर गवर्नमेंट आई है और वर्ष 2001 का भी जिक्र करूंगी तथा राजीव जी का विशेषकर जिक्र जब महिलाओं के लिए काफी कुछ किया गया। लेकिन मैं आज कुछ अनछुए विषयों को केवल टच करूंगी और मैं आपसे करबद्ध निवेदन करूंगी। मैंने 2001 का भी इसलिए जिक्र किया था कि प्रत्येक प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल में बहुत कुछ किया गया था लेकिन बहुत कुछ करना बाकी है जैसा अभी आपने कहा कि थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है।

अध्यक्ष महोदया, मैं इम्मोरल ट्रैफिकिंग एक्ट के बारे में जो प्रोविजन एक्ट है, उसके बारे में सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी। मुझे 70 हजार सैक्स वर्कर्स की तरफ से एक चिट्ठी मिली थी कि मैं उनके बीच में जाऊं। मैं वहां पर गई और बंगाल के हमारे साथी इस बात के साक्षी हैं। डैथ बैड पर पड़ी हुई एक महिला ने मुझे केवल इसलिए बुलाया था कि उसमें शरीक होकर मैं उनके दर्द की बात का सुनूं। मैं यहां यह कहने के लिए नहीं आई हूं कि उसको ठीक किया जाए, उसको लॉफुल बनाया जाए। नहीं बनाया जाए, लेकिन उस महिला ने कहा कि जो हमारे तीन प्रश्न हैं, उनको तो हल करो। जो महिलाएं दुखी, पीड़ित और वृद्ध हो जाती हैं, विशेषकर रोगग्रस्त हो जाती हैं, उनके बारे में क्या व्यवस्था की गई है? मैंने स्वयं यह देखा कि जब उन्हीं में से निकलकर मुझे वहां ले जाया गया तो एक छोटे से कक्ष में वह महिला भर्ती थी और उसको संक्रमण रोग हो गया था। दूर से थाली उसके ऊपर फेंक दी जाती थी कि खाना खाए या नहीं खाए। उसकी परिचर्या की तो बात ही छोड़ दीजिए। उनके बच्चे कहां पर जाएं? उनके बच्चों के लिए शिक्षा की क्या व्यवस्था है? भुभुक्षता किम् न करोति पापम्? कोई भी महिला इस कार्य को अपनी मर्जी से नहीं चुनती है और यदि वह चुनती भी है तो वह उसके लिए जब लास्ट ऑप्शन होता है, तब वह इस व्यवसाय को चुनती है। इसलिए मैं यह जानना चाहूंगी कि ऐसी महिलाओं के बच्चों के लिए शिक्षा की क्या व्यवस्था की गई है? उनके बच्चों का क्या भविष्य होगा? इस संबंध में कानून में बहुत कुछ फेरबदल करना बाकी है।

दूसरा बिन्दु जिसके बारे में शरद जी बीएसी की मीटिंग में बार-बार इस बात को उठाते हैं और वह है-इंडीसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वूमेन इन मीडिया। पता नहीं यह क्या सोच है? जब सुषमा जी आप आई एंड बी मिनिस्टर थीं और मैं भी आई एंड बी मिनिस्टर थी, तब से हम लोगों के प्रयास इस बारे में जारी हैं और जब वहां पर भी महिला को एक सिगरेट के विज्ञापन से लेकर किसी भी विज्ञापन में उस तरह से विज्ञापित किया जाता है या महिला को अधनंगी दिखाकर पेश किया जाता है तो हम उस संबंध में कानून में कोई कड़ा परिवर्तन क्यों नहीं ला पा रहे हैं?

तीसरे, डॉमैस्टिक वॉयलेंस एक्ट बन गया है। वूमैन कमीशन और हमारी महिला मंत्री बैठी हैं, उन्होंने उसको रखने में भी काफी मुशक्कत की थी। लेकिन उसके बावजूद भी आज तक ऑफिसर्स जो बने हैं, वे भी नाकामयाब हुए हैं और केवल एक दो राज्य को छोड़कर डॉमैस्टिक वॉयलेंस पर कोई रोक नहीं लगी है। इसी तरह से आज भी प्रत्येक राज्य में और मैं दावे के साथ कह सकती हूं कि आज भी प्रत्येक राज्य में वह डायन प्रथा कायम है जिसमें किसी महिला को उस गांव में या उस क्षेत्र में डायन करार कर दिया जाता है और चाहे वह वैस्ट बंगाल से लेकर राजस्थान तक का जिक्र हो, चाहे छत्तीसगढ़ से लेकर आसाम तक का जिक्र हो, मैं जब गई तो मुझे पता लगा कि केरल के दो जिले भी इस प्रथा से त्रस्त हैं। इसके संबंध में कोई कानून नहीं है। इसलिए

मैं इस ग्रे एरिया को भी आपके सामने प्रस्तुत करना चाहती हूं।

हम बहुत बार बुजुर्गों के संबंध में कानून लेकर आए हैं लेकिन मैं उन बुजुर्ग महिलाओं की बात करना चाहती हूं जिनको बेटे घर से निकाल देते हैं। मुझे खुशी है कि सरकार सभी बुजुर्गों के लिए एक राहत लेकर आई है कि सरकार वृद्ध पेंशन में वृद्धि कर रही है। लेकिन महिला के दिल की बात मैं जरूर कहूंगी। एक महिला जिसके सारे शरीर में नील पड़े हुए थे और उसने हाथ जोड़कर कहा कि मैं एक शर्त पर अपनी बात, अपना दुख कहूंगी कि जिसने भी मेरे साथ यह कृत्य किया है, उसको सजा नहीं दिलाई जाए। केवल मेरी व्यवस्था की जाए और उसका इस बात के पीछे कहने का यह अर्थ इसलिए था क्योंकि उसके दोनों बेटों ने उसको इस तरह से पीटा था लेकिन फिर भी वह मां उन बेटों के लिए माफी की मांग कर रही थी। मैं आज यहां कहना चाहती हूं कि इस कानून में और कड़ाई करने की जरूरत है। केवल कहने भर से काम नहीं चलेगा। प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य बनता है कि वह माता-पिता की देखभाल करे। महिलाएं अपने घरों में बहुत असुरक्षित हैं।

मैं महिला के संबंध में जेल की बात भी करना चाहूंगी। जेल के जो हालात हैं कि महिलाओं के चालान नहीं होते। महिलाओं के संबंध में कुछ बैठता नहीं है, उनके आगे के लिए कुछ व्यवस्था नहीं होती। जयपुर की जेल में जब मैं पहुंची तो वहां एक सांस्कृतिक कार्यक्रम रखा गया था। उस कार्यक्रम में एक महिला ने पांच-छः नृत्य प्रस्तुत किये थे। वह एक छोटी-सी बच्ची थी और मेरे ख्याल से 20-21 वर्ष की वह होगी। उसने बीच में जाकर अपने बच्चे को दूध भी पिलाया। मैंने पूछा कि यह यहां पर कैसे है? मुझे मालूम पड़ा कि उसके ऊपर चार मर्डर केसेज हैं। मैंने उससे कहा—बेटा ऐसी क्या वजह थी? तब उसने बताया कि मुझे बार-बार गैंगरेप किया जा रहा था, जब कानून ने मेरी बात नहीं सुनी, पुलिस ने नहीं सुनी तब मुझे ही निर्णय लेना पड़ा। मैंने इससे बचने का एक ही तरीका सोचा। मैंने एक दिन उन्हें आमंत्रित किया और उन सबको जहर दे दिया। उसे क्या सजा दें? इस संबंध में क्या बात करें?

अध्यक्ष महोदया, जेल से लेकर एनआरआई महिलाओं की स्थिति बहुत खराब है। रात को दो बजे गिरती बर्फ में महिला को घर से बाहर निकाल दिया जाता है। शादी करके महिलाओं को ले जाया नहीं जाता है। बच्चों को छोड़ कर फिर विदेश चले जाते हैं। यहां झूठ बोलते हैं वे शादीशुदा नहीं हैं जबकि शादीशुदा होते हैं। शादी करके लड़कियों को ले जाते हैं और नौकरानी का कार्य कराते हैं। यदि वे बीमार पड़ जाती हैं तो मजबूर करके बाहर फेंक दिया जाता है। मैं अपील करती हूं क्योंकि एनआरआई को विकसित करने की जरूरत है। मुझे एक बात ने सबसे ज्यादा छुआ है। आज भी मैं रो पड़ती हूं जब मुझे वह घटना याद आती है। एक दिन रेड लाइट पर मेरी गाड़ी खड़ी थी, मैंने एक महिला को भीख मांगते हुए देखा। उसकी आंखें झुकी थी और बाल बिखरे थे। ऐसा लग रहा था कि अर्ध विक्षिप्त या विक्षिप्त है। मैंने गाड़ी से उतरकर उससे एक तरफ ले जाकर बातचीत की तब पता चला कि वह एक्स आईएएस अफसर है। मैंने जब इसी तरह की अन्य महिलाओं का सर्वे कराया तब पता चला कि इनमें से बहुत सी प्रिंसिपल हैं, पढ़ी लिखी हैं। इन महिलओं के खिलाफ पतियों ने डिवोर्स का एक माध्यम अपनाया कि यदि वे मेंटली फिट नहीं है तो डिवोर्स दिया जा सकता है। ऐसी महिलाएं आज सड़क पर हैं। क्या सड़क ही आज इनका रिप्लाई है? सड़क ही इनका उत्तर है? मैं पूछना चाहती हूं कि इस संबंध में कानून बनाकर रिहेबिलिटेशन की व्यवस्था क्यों नहीं कर सकते हैं? मैं सदन से अपील करती हूं कि हिंसा कम के लिए कुछ किया जाए।

अध्यक्ष महोदया, एक छोटी सी बच्ची आई, उसने मुझे कुछ पंक्तियाँ सुनाई थी।

हमको भी देखो, हमको भी जानो,

हम भी हैं इंसान, इतना तो मानो।

मैं यही अपील करती हूं कि हिंसा के खिलाफ सुरक्षा प्रदान की जाए। रेप से बचने के लिए सुरक्षा तो चाहिए ही है। सुप्रीम कोर्ट के जज ने जो कमेंट किया, मैं समझती हूं कि इससे बढ़कर किसी और का कमेंट नहीं हो सकता है। उन्होंने कहा—अगर किसी महिला की मृत्यु होती है तो वह एक बार मरती है लेकिन यदि किसी महिला का बलात्कार होता है तो वह हर पल मरती है। उस दुखांत घटना ने हमें बहुत कुछ सिखाया है लेकिन अभी भी अत्याचार जारी है। हमें सदन और सारा विश्व देख रहा है, इस संबंध में हम सब एक संकल्प के साथ आगे आएं क्योंकि ऐसा मौका बार-बार नहीं मिलेगा। मैं कहना चाहती हूं कि सदन केवल इस महिला दिवस को आज तक सीमित न रखे बल्कि इस बात को लेकर आगे भी चिंतित हो। मैंने कुछ बातों को इंगित किया है लेकिन कुछ बातें और रह गई हैं। क्या महिलाओं को आज भी डायन प्रथा से जलाकर नहीं मार दिया जाता है? इस हिंसा के बारे में हम क्या कहेंगे? हमें इन हालात में जागना चाहिए। सम्पूर्ण हिंसा के प्रति भारत कानून की दृष्टि में आगे है, हमने सारे नेशनल यूएन के प्रोटोकाल को रेटिफाई किया है। इसके अतिरिक्त कई कानून हैं। हमारी चार भुजाएं हैं। हमें कांस्टीट्युशनल राइट मिले हैं, आईपीसी के भी हैं। हम संसद में बार-बार विभिन्न प्रकार के बिल पारित करते हैं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजमेंट हैं जो कानून का रूप ले लेते हैं। इन चारों भुजाओं के

बावजूद भी जब हम पैरों की तरफ देखते हैं तो हमारा हाल वही होता है जो मोर की दशा अपने पैरों को देखकर होती है। मैं आज आक्रोशित हूं। क्या मैं आज शर्मिन्दगी महसूस करूं? मैं किस पर गुस्सा करूं और किस पर नहीं करूं। जनता जनार्दन ने बहुत सोच-समझकर हमें यहां भेजा है। हम बहुत एक-दूसरे की बातों पर लड़ लिए। हमें इन बातों पर न तो राजनीति करनी है और न वोट बैंक को देखकर महिलाओं को केवल सब्जेक्ट समझना है। हमें उन्हें ऑब्जेक्ट समझना है।

अध्यक्ष महोदया, मैं बहुत समय पूर्व एफीजीनिया की बात कहना चाहती हूं। एफीजीनिया ग्रीस की थी। एक बार जब वहां अकाल पड़ा तब पंडितों ने कहा कि जब तक किसी कन्या का वध नहीं होगा तब तक इस अकाल से मुक्त नहीं होंगे। उस समय 13 वर्ष की सुन्दरतम कन्या को ढूंढा गया। मैं आपको केवल अंतिम परिदृश्य की तरफ ले जाना चाहती हूं। अंतिम मंत्र उच्चारण के बीच पंडित कहते हैं–एफीजीनिया, तुम सौभाग्यशाली हो, कल से तुम्हारे लिए आल्टर्स बनेंगे, मंदिर बनेंगे क्योंकि तुम देश और धर्म के लिए कुर्बान हो रही हो, तुम्हारे मन में अंतिम इच्छा है तो बोलो। वह रुकती है, ठिठकती है, पहले मना करती है और फिर गरदन को थोड़ा सा मोड़कर कहती है कि हां, मुझे इतना ही कहना है कि मेरी आने वाली पीढ़ी की बहनों को एक वस्तु नहीं बल्कि व्यक्तित्व का दर्जा दिया जाए। व्यक्तित्व का दर्जा और सुरक्षा हम लोग भीख में नहीं मांग रहे हैं। हम लोग बहुत मशक्कत करके यहां तक पहुंचे हैं, मीरा जी, आपने भी बहुत मशक्कत की है, हम सभी ने बहुत मशक्कत की है, बहुत मशक्कत के साथ आप लोगों ने हमें वोट दिलाया है और आप देते रहे हैं। बहुत मशक्कत के साथ आप एक घर को संभालती हैं। मैं आशान्वित हूं, क्योंकि यदि महिला आशा नहीं रखेगी तो समरसता कहां से आयेगी, समदृष्टि कहां से आयेगी, आपके घर और परिवार कहां से चलेंगे, कैसे एक सुंदर भविष्य का निर्माण होगा, कैसे एक नई सुबह होगी। एक नई सुबह इंतजार में है और आज आज इसकी खबर भारत से जानी चाहिए कि भारत की संसद ने समवेत स्वर में इस बात की घोषणा कर दी है, इस बात का संकल्प लिया है कि किसी भी प्रकार की हिंसा, चाहे वह घर से लेकर बाहर की हो, किसी भी प्रकार की असुरक्षा, चाहे वह कहीं की भी हो, उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कड़े कानून के रूप में हम लोगों की प्राथमिकता हो।

मैडम, मैं आपसे प्रार्थना करना चाहती हूं कि इस बारे में हमारी स्टैंडिंग कमेटी है, लेकिन उसके बावजूद मैं विनम्र प्रार्थना करना चाहती हूं कि आप एक कमेटी बनाइये, उस कमेटी में जो हमारे ग्रे एरियाज रह गये हैं, जिनमें कुछ कानून में थोड़ा सा परिवर्तन करने की जरूरत है और कुछ में नये कानून लाने की जरूरत है और यह काम हम इसी कार्यकाल के दौरान करें।

अंत में मैं आप सबसे निवेदन करूंगी कि जब तक निर्णय लेने की प्रक्रिया में हम लोगों की भागीदारी नहीं होगी, हम 22 से 60 तक तो पहुंचे हैं, लेकिन 22 से 60 तक पर्याप्त संख्या नहीं होती। आप अपने माइंडसैट को बदलिये और आकर मदद कीजिए। चलिये एक नये भारत का, एक नई सुबह का, एक नई फिजां का, एक नई खुशबू का, एक नये संगीत का हम लोग आह्वान करें और वह आह्वान आपकी सुरीली आवाज के साथ होगा, जिस आवाज में सुरीलेपन के साथ-साथ दृढ़ता है, वही सुरीलापन, वही सौंदर्य, वही माधुर्य रखते हुए हम कड़ाई के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। हमारा मार्ग प्रशस्त करने के लिए संसद सामने आयो, करबद्ध होकर यही विनती मैं आपसे करना चाहती हूं।

अध्यक्ष महोदया: श्री पन्ना लाल पुनिया जी, श्री एस.एस. रामासुब्बू और श्री जगदम्बिका पाल जी अपने आपको डॉ. गिरिजा व्यास के विषय से सम्बद्ध करते हैं।

श्रीमती सुशीला सरोज (मोहनलालगंज): माननीय अध्यक्ष महोदया, आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर वर्ष इसके लिए एक थीम निर्धारित किया जाता है और इस बार का थीम है *[अनुवाद]* 'प्रतिज्ञा: महिलाओं के प्रति हिंसा समाप्त करने का समय'।

[हिन्दी]

महिलाओं के लिए यह अत्यन्त महत्त्वपूर्ण वर्ष है। आज हिंदुस्तान में भी राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है। आज कवि महिला के दर्द को उभारेगा, महिला संगठन कुछ नया करने की कसमें खायेंगी, पीड़ित महिलाएं कानून की तरफ आस से देखेंगी, कुछ सरकारी संगठन इस पर्व पर औपचारिकताएं निभायेंगे। सवाल उठता है कि क्या आज मिसेज रचना, मिसेज सपना के लिए मुक्ति की बात होगी या गांव की दुलारी या बिटाना के लिए भी कुछ न्याय की बात होगी। आज तथाकथित राजनेता और नीति-नियंता क्या हमारे लिए कुछ करेंगे? मैं कहना चाहती हूं–"अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी।" छायावाद काव्य की परम्परा को पचास वर्ष से भी अधिक हो गये हैं, दुनिया के नक्शे कई बार बदले हैं, हिंदुस्तान की सूरत बदली है, समाज का ढांचा बदला है, राजनीति के तौर-तरीके बदले हैं, गांवों की तस्वीर बदली है, शहरों की चकाचौंध बदली है, परंतु महिलाओं की स्थिति आज भी वैसी की वैसी है। मैं ग्रामीण परिवेश से चुनकर आती हूं और देखती हूं कि गांव में जब एक महिला के बेटी पैदा होती है तो शोक छा जाता है।

उसी गांव में जब एक भैंस पड़िया को जन्म देती है तो खुशी

आ जाती है क्योंकि लोग कहते हैं कि इससे धन का उपार्जन होगा। हम आज बढ़ते जा रहे हैं, आज दुनिया के नक्शे पर हम छाते जा रहे हैं, पर कितनी विडंबना है कि आज यौन शोषण में भी हमको धकेला जा रहा है। आज यौन शोषण में भी महिलाओं को तड़पाया जा रहा है। महिलाओं के आंचल में उनके लिए कितना दर्द है। क्या बताएं बड़ी तबाही है, महिला की जिंदगी फैलती स्याही है।

माननीय अध्यक्ष महोदया, अगर आपकी इजाजत हो तो केन्द्रीय सरकार द्वारा संकलित आंकड़े मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहती हूं। सात मिनट के अंदर एक महिला अपराध की शिकार हो जाती है। प्रत्येक 24 मिनट बाद एक महिला के साथ ए-वन शोषण का प्रयास किया जाता है। 43 मिनट के अंतराल पर एक महिला का अपहरण हो जाता है। प्रत्येक 51 मिनट पर एक महिला के साथ छेड़छाड़ होती है। पर इन सबकी शिकायत पुलिस के आंकड़ों में ज्यादा दर्ज नहीं होती है। प्रत्येक 54 मिनट पर एक महिला बलात्कार की शिकार होती है। 1 घंटा 42 मिनट के अंतराल पर एक महिला दहेज उत्पीड़न की भेंट चढ़ जाती है। हिंसा के ये आंकड़े मेरे अपने बनाए हुए नहीं हैं, ये केन्द्रीय सरकार द्वारा संकलित महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों के आंकड़े हैं। आज कैसी विडंबना है कि नारों के सैलाब में नारी की चित्कार विलीन होती जा रही है।

महोदया, पूरा सदन आज महिला दिवस का स्वागत कर रहा है, परंतु बीते साल के कुछ ऐसे जख्म हैं, जो मन को व्यथित कर रहे हैं। दिल्ली में गैंगरेप की शिकार युवती नरपिशाचों के चंगुल में फंस गई और हार गई। यह मौत केवल मौत नहीं है बल्कि व्यवस्था पर देश के भरोसे की मौत है। यह देश की राजधानी की सड़कों पर सुरक्षा के अहसास की मौत है। बहादुर लड़की की मौत देश की सरकार, रहनुमाओं, नौकरशाही और पुलिस अधिकारियों का प्रतीक बन गई है। महिलाओं पर होने वाले अन्याय का प्रतीक बन कर उभरी यह युवती पहले एक मशाल बनी, फिर मशाल के साथ समाज के हर तबके को संवेदना दे गई।

माननीय अध्यक्ष महोदया, सरकार को जागना पड़ा। तभी सरकार ने जस्टिस वर्मा कमेटी बनाई। जस्टिस वर्मा कमेटी ने खुद कहा कि हमने देश और विदेश से 80 हजार आंकड़े एकत्रित किए हैं। हमें सुझाव मिले हैं, जिसमें कार्यकर्ताओं ने, महिला संगठनों ने, विद्वानों ने, विदुषियों ने, वकीलों ने तथा विदेश के प्रोफेसरों ने हमें जो सुझाव दिए हैं, उन्हें हमने 631 पृष्ठों में समावेश किया है। हमें इसे दो महीनों में प्रस्तुत करना था, पर हमने 29 दिन में इसको प्रस्तुत कर दिया है। उन्होंने अफसोस भी जताया है। ये आंकड़े हमें समाज के हर वर्गों से मिले हैं। परंतु देश के राज्यों के डीजीपी या वरिष्ठ पुलिस अफसरों से हमें कोई भी सुझाव नहीं मिला है। उन्होंने युवाओं की तारीफ की है और यह कहा है कि युवाओं ने हमें वह सब कुछ दिखाया है, जो आज विशिष्ट श्रेणी के लोगों ने हमें कुछ भी नहीं सिखाया है।

महोदया, मैं कहना चाहती हूं कि जस्टिस वर्मा जी ने आपको जो रिपोर्ट अध्यादेश के रूप में दी है, निश्चित तौर पर यह मील का पत्थर साबित होगी। भले ही यह रिपोर्ट आधी-अधूरी हो, भले ही इसमें कुछ खामियां हों, लेकिन यह रिपोर्ट महिलाओं के लिए सहायक होगी। मैं उस बहादुर निर्भया युवती को महिला दिवस पर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहना चाहती हूं कि–

"तू चुप है, लकिन गुजरेगी सदा ये अहसास पर तेरी, दुनिया की अंधेरी रातों में ढांढस देगी आवाज तेरी।"

महोदया, आज महिला दिवस है। महिलाओं के सशक्तिकरण पर अगर बात न की जाए तो बात अधूरी रह जाती है। महिलाएं अपने पति, अपने पुत्र, अपने पिता के कदमों पर रहती हैं, उनके रहमों पर रहती हैं। पर आज सभी सामाजिक संगठन और सरकारें यह झुनझुना हमको पकड़ाएंगे कि हमने महिलाओं की आत्मनिर्भरता के लिए बहुत सारे काम किए हैं। लेकिन मैं सदन के माध्यम से कहना चाहती हूं कि महिलाओं का सशक्तिकरण मैं उसी दिन मानूंगी, जिस दिन महिलाएं अपने पैरों पर खड़े होकर खुद धन का उपार्जन करेंगी और अपने हाथों से कमा कर अपने हाथों को चूड़ियों से सजाएंगी, अपने माथे को बिंदिया से सजाएंगी, तभी मैं समझूंगी कि उनका सशक्तिकरण हो गया है।

महोदया, डॉ. राम मनोहर लोहिया जी ने कहा था कि अगर साठ सैंकड़ा, दलित, कुचले, दबे हुए, पीड़ित, हरिजन, महिला, अल्पसंख्यक, आदिवासियों के हाथों में जब यह सत्ता आएगी, जो वे मातृभाषा बोलते हैं, वही उस दिन कलम से लिखी जाएगी, तब इस देश में सफल इंकलाब का आगमन होगा। ऐसा इंकलाब आएगा जिससे भारत मां को अपने सारे अपमानों से निजात दिला देगा, जो वह कई वर्षों से सहती चली आ रही है।

महोदया, समाजवादी पार्टी लोहिया जी के सपनों को साकार करने में लगी हुई है। आज हमारे उत्तर प्रदेश में हिंसा और उत्पीड़न की शिकार महिलाओं के लिए हेल्पलाइन 1090 की शुरूआत की गई है, जिससे महिलाओं को पुलिस का पूरा सहयोग मिल रहा है। हेल्पलाइन केन्द्रों पर संपर्क करने वाली महिलाओं को हरसंभव सहायता प्रदान करने का प्रयास किया जा रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में भी आज मुस्लिम बालिकाओं को तीस हजार रुपए के अनुदान का प्रावधान है और इस तीस हजार रुपए वितरण का काम बखूबी किया जा रहा है। हाई स्कूल पास लड़कियों को, जो शिक्षा प्राप्त कर चुकी हैं, कन्या विद्या धन के रूप में उनको बीस हजार रुपए वितरित किए जा रहे हैं। स्कूल और कॉलेज में पढ़ने वाली लड़कियों के लिए चिकित्सीय सहायता दी जा रही है। उत्तर प्रदेश

के हर विकास खंड में डिग्री कॉलेज खोला जा रहा है और यह भी प्रावधान किया जा रहा है कि उसको पांच वर्ष में बी.एड की मान्यता दी जाएगी।

महोदया, प्राथमिक स्तर पर भी सभी बच्चियों के लिए अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था होगी। कक्षा आठ तक की सभी कन्याओं को पुस्तकें मुफ्त में दी जायेंगी और दो ड्रेस हर साल वितरित होंगी।

महोदया, मैं अंत में कहना चाहूंगी कि इस देश की सारी महिलाओं को मैं सलाम करती हूं और शुभकामना देती हूं, जो मंजिल उनको अब तक नहीं मिली है, जिस मंजिल से वे दूर रही हैं, वह मंजिल और कामयाबी पाएं, जो उनसे दूर है। मैं सभी बहनों से कहना चाहती हूं कि हर चिंगारी एक दिन अंगार बनती है, हर टहनी एक दिन पतवार बनती है, जो रौंदी गई मिट्टी समझकर, जो रौंदी गई बेबस मिट्टी समझकर, वही एक दिन मीनार बनती है। सारी महिलाओं और आपको मेरा सलाम।

[अनुवाद]

श्रीमती हरसिमरत कौर बादल (भटिंडा): महोदया, इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर मैं आपको बधाई देती हूं तथा हमारे देश की उस बहुत बड़ी आबादी को बधाई देती हूं जो इस राष्ट्र की आधी आबादी है।

अध्यक्ष महोदया: धन्यवाद।

श्रीमती हरसिमरत कौर बादल: मैं इस दिन पर कुछ तथ्यों तथा आंकड़ों के बारे में भी बात करना चाहती हूं जो इन महिलाओं की दुर्दशा की कठिन तथा दुखद वास्तविकता है। मैं अपने माननीय सहयोगी की तरह जो मझसे पहले बोले तथा कुछ आंकडो को पढ़ा मैं भी उन आंकड़ों को दोहराना चाहूंगी। हम ऐसे देश में रहते हैं जहां प्रत्येक 12 मिनट पर कहीं न कहीं किसी महिला पर हमला अथवा छेड़छाड़ की जाती है; हर एक चौदह मिनट पर एक लड़की का अपहरण होता है; प्रत्येक 20 मिनट पर एक बलात्कार होता है; तथा प्रत्येक 60 मिनट पर एक महिला की दहेज के कारण मृत्यु होती है। मेरे लिये व्यक्तिगत रूप से यह बेहद शर्मनाक है कि यूनेस्को की रिपोर्ट में यह कहा गया है कि 2000 लड़कियां हमारे देश में जन्म नहीं ले पाती हैं। उन्हें जन्म से पहले ही मार दिया जाता है। इस परिदृश्य में यदि हम लिंग निर्धारण के मामलों में दोषसिद्धि दर को देखते हैं तो यह एक प्रतिशत से भी कम है। यदि हम न्यायालयों में दोषसिद्धि देखते हैं चाहे वह हत्या, बलात्कार, हमला अथवा छेड़छाड़ का मामला हो यह 23% से कम है तथा अधिकतम 25% है तथा 75% अपराधकर्ता छूट जाते हैं। कानून का कोई डर नहीं है। महिलाओं के साथ अशोभनीय हरकत करने का कोई डर नहीं है। यही कारण है कि क्यों हमारी महिलाओं की संरक्षा और सुरक्षा ऐसी बात है जिस पर इस सभा को वस्तुत: चिन्ता करने की आवश्यकता है।

मैं यह भी बताना चाहती हूं कि हम ऐसे राष्ट्र में रहते हैं जहां हमारी 58% महिलाएं अभी भी कुपोषण से पीड़ित हैं तथा दुखद बात यह है कि वैश्विक मातृत्व मृत्यु दर की 25% मातृ मृत्यु दर भारत में है जहां माताओं की बच्चे के जन्म के दौरान मृत्यु हो जाती है। हमारी 60% महिलाएं ही शिक्षित हैं।

इस परिदृश्य में जब हमारी सरकार इस स्थिति में सुधार करने के लिये केवल 1000 करोड़ रुपये रखती है तथा इन स्थितियों में सुधार लाने के लिए जिनकी अत्यधिक आवश्यकता है, इन महिलाओं की स्थिति में सुधार करने के लिए मैं समझती हूं यह धनराशि बहुत कम है तथा बहुत देरी से दी गई है। मैं यह भी महसूस करती हूं कि यदि इन सभी चीजों के बारे में बातें करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को लिया जाये तो मैं आपसे अपील करती हूं कि अध्यक्ष महोदया एक महिला के रूप में कम से कम, जैसा कि मैंने पहले अनुरोध किया था प्रत्येक सत्र में दो दिन अलग रखिए जहां महिलाओं संबंधी विशिष्ट मुद्दों पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। यह इस कारण है कि इस एक दिन तथा इस थोड़ी सी राशि से जिसे हमारी सरकार ने अलग रखा है, से अपेक्षित दृढ़ता अथवा दृढ़ संकल्प परिलक्षित नहीं होता है तथा हम चाहते हैं कि यह बातें शब्दों में ही न हों। लाखों महिलायें हमारी ओर देखती हैं कि यह सभा उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए कुछ ठोस कार्य करेगी तथा यह सुनिश्चित करेगी कि वे अपने देश में सुरक्षित महसूस करें जैसा कि हमारे संविधान में वर्णित है। तब हम केवल शब्दों और नाममात्र के प्रयासों में लगे रहते हैं तथा ऐसा कुछ नहीं करते हैं जिसकी आवश्यकता है। एक दृढ़ संकल्प की आवश्यकता है जिस पर यहां विचार किए जाने की आवश्यकता है।

महोदया, मैं आपसे यह अपील करती हूं कि प्रत्येक सत्र में कुछ दिन अलग से रखिये जहां इन मुद्दों पर चर्चा हो ताकि ये मुद्दे केन्द्र में रहें तथा इसके कुछ ठोस परिणाम निकलें। मैं राष्ट्र, सभी महिलाओं तथा सभी पुरुषों से भी अपील करती हूं कि कृपया सरकारों पर दबाव बनाए रखें ताकि इस मुद्दे पर ध्यान दिया जाए। यह केवल तभी संभव है जब जनता ऐसा करेगी तथा मुझे विश्वास है कि हम पुलिस के उत्तरदायिता अथवा जवाबदेही सुनिश्चित कर सकते हैं तथा यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि न्यायपालिका मामलों को तेजी से निपटाए तथा यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि उन गरीब पीड़ितों जिनके पुनर्वास की आवश्यकता है का पुनर्वास किया जाये। यही एकमात्र रास्ता है। यह पहली बार है कि इसके बारे में बात की जा रही है तथा लाखों लोग हैं जिन्हें इनके बारे में बोलने का मौका भी नहीं मिलता है तथा वे इन सब बातों से कष्ट भोगते हैं।

महोदया, अत: मैं इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर अपने राष्ट्र की सभी महिलाओं की ओर से एक महिला के रूप में आपसे

यह अपील करती हूं कि कृपया इसे एक और दिन या एक और अवसर ही न माना जाए जहां हम अपनी भावनाओं को व्यक्त करें। हम आज यह संकल्प लें कि इस पंद्रहवीं लोकसभा के समापन होने से पहले हम कुछ अलग करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि ऐसे कानून बनाएं कि महिलाएं जो सुरक्षित माहौल की तलाश कर रही हैं उन्हें न्याय मिले तथा उन्हें सुरक्षित माहौल मिले जिसकी वे हकदार हैं।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदया: श्री दारा सिंह चौहान।

...*(व्यवधान)*

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): अध्यक्ष महोदया, मेरा भी एक नोटिस है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: दारा सिंह चौहान जी, आप क्यों नहीं बोल रहे हैं?

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: श्री शरद यादव।

श्री जगदम्बिका पाल: इनकी पार्टी में कोई महिला ही नहीं है। ...*व्यवधान*

श्री शरद यादव (मधेपुरा): अध्यक्ष जी, आपने हमारा नाम इतनी धीरे से लिया तो हम ऐसा समझे कि आपकी इच्छा हमें बुलाने की नहीं थी। बात भी सही है कि हम महिला नहीं हैं। लेकिन हम अर्धनारीश्वर तो हैं ही, आधा महिला हैं, आधा पुरुष हैं।

अध्यक्ष महोदया: शरद जी, ऐसा है कि मैंने तो आपका नाम लिया था, मगर आप ही डर-डर के उठे हैं।

...*(व्यवधान)*

श्री शरद यादव: नहीं नहीं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: मगर मैं आपको आश्वस्त करती हूं कि हम सब आपको सुनेंगे।

श्री शरद यादव: अध्यक्ष महोदया, सुषमा जी ने, गिरिजा जी ने और सुशीला सरोज जी ने जो सारी बातें कहीं, इन तीनों की बातों से मैं सहमत हूं। सुषमा जी ने सुझाव दिया है कि एक बरस जरूर इस पर चर्चा चलती रहे। महात्मा बुद्ध ने कहा था कि जगत बनेगा, समाज बनेगा तो व्यक्ति बनेगा। व्यक्ति का मतलब पुरुष और महिला दोनों है। बात यह है कि सुषमा जी ने और गिरिजा जी ने जो बात बोली, ऐसे बहुत लोग बोलते आ रहे हैं। जब भीष्म पितामह मृत्युशैया पर लेटे हुए थे और कौरवों तथा पांडवों को शिक्षा दे रहे थे, आज तो सदन में गिरिजा जी और सुषमा जी हैं, लेकिन उस जमाने में जिसके इतिहास के बारे में सही जानकारी नहीं है लेकिन चरित्र तो विकट है। जब भीष्म पितामह शिक्षा देने लगे कि कैसे दुनिया में रहना चाहिए और कैसे होना चाहिए, मेरे बाद क्या करो, तो द्रौपदी हंस पड़ी। इस पर अर्जुन दौड़ा कि क्यों हंस रही हो, हमारे पितामह मर रहे हैं और किस तरह की बात कर रही हो? कृष्ण ने कहा कि द्रौपदी तो बहुत तेजस्वी महिला है, सुनो तो सही कि वह क्या बात कह रही है। वह बोले कि आप जिंदगी भर जो बात बोलते रहे, उसके विपरीत काम करते रहे और अब आप शिक्षा दे रहे हैं। गिरिजा जी, यानी द्रौपदी ही एक ऐसी महिला है, जिसका हर घर में किस्सा है। इस किस्से को धार्मिक लोग क्यों नहीं निकालते हैं। सुषमा जी ने सही बात कही है कि इस बारे में बहस होनी चाहिए। बहस का मतलब है कि जो थोथी बात है, उसे अलग निकालो और सार बात को रख लो। इसमें एक बात नहीं है। अध्यक्ष महोदया, जिस देश की मां दुखी, पीड़ित और सताई होती है, वह देश दुनिया के इतिहास में पनपता नहीं है। कैसा बदकिस्मत देश है कि 1100 बरस हम हारते ही रहे। हम इसलिए हारे क्योंकि हमने मां गुलाम करके रखी थी। अब मैं उस बात के विस्तार में नहीं जाना चाहता कि मां गुलाम क्यों है। यदि सुषमा जी मुझे इजाजत देंगी तो गिरिजा जी मैं जरूर कहूंगा। महिला की त्रासदी का सबसे बड़ा कारण यह जगत है, समाज है। ...*(व्यवधान)* व्यवस्था की बात छोड़िए। व्यवस्था से काम नहीं चलता है। मैं इतना ही निवेदन करूंगा कि गिरिजा जी ने कहा कि कानून बनना चाहिए, यह बात सही है। आज का जो तात्कालिक हमारा कर्तव्य है वह जरूर व्यावहारिक कारण बनेगा। लेकिन दूर तक लम्बे समय तक कैसे महिला मुक्ति होगी? कैसे मां, बहन, बेटी मुक्त होगी? बायलोजिकल डिफरेंस को इतना बढ़ा दिया गया है कि हमारी खुद महिलाएं कह रही हैं कि आधी आबादी है। मैं आपसे कहता हूं कि आधी क्या बल्कि पूरा देश मिलाकर आप हैं। शरद यादव का तन तो मां से बना है, मेरे बाप का क्या योगदान है। मैं सही कह रहा हूं कि मेरे अंदर जो साहस है, वह मेरी मां के कारण है। मेरी मां और मेरे पिताजी फ्रीडम फाइटर थे, लेकिन मेरी जिंदगी में मेरी कभी अपने पिताजी से नहीं बनी, बल्कि मेरी मां से बनी। मेरी मां इतनी बहादुर थी कि उसका थोड़ा अंश मेरे भीतर है। मैं अगर कोई सही बात न कह पाऊं तो रात को मुझे नींद नहीं आती है। मां के बारे में सुषमा जी ने कहा, जरूर आठ दिन में आधा घंटे इस पर बोला जाए। यह जो त्रासदी है, बीमारी है, यह विकट बीमारी है। सबसे ज्यादा जो गरीब है, उसकी मां, बहन, बेटी सबसे ज्यादा सताई जाती

है। जो गरीब है और जो बिल्कुल लाचार और बेबस जातियां हैं उनकी मां, बहन, बेटी तो मानी ही नहीं जाती हैं वे सबके लिए भोग का सामान बनती हैं। उनमें सुंदर बेटी होना गुनाह है। हम शहर में रहने वाले, गांव में रहने वाले हमें मालूम है। बराबरी की बात दिल्ली में होती है। दिल्ली में लोग इकट्ठा हुए तो यह बात जरूर है कि इसकी चर्चा ज्यादा हो गई। अब यह चर्चा इतनी ज्यादा हो गई कि देश में हजारों साल से यह बीमारी चल रही है। लेकिन अब टीवी वालों को यह तमाशा मिल गया और वे इसे ही दिखा रहे हैं। यह अच्छी बात है, लेकिन उसके पीछे कोई बहस भी तो चलाओगे या सिर्फ यही दिखाते रहोगे। जो बच्चियां हैं, उनके साथ तो दुनिया के किसी समाज में बलात्कार नहीं होता है, गजब है हमारा देश, हम इसमें अव्वल हैं। तीन साल, दो साल, चार साल, छः साल की बच्चियों से दुनिया के किस इलाके में बलात्कार होता है? इसलिए मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा और आप दोनों-तीनों की बातों को समेट कर कहना चाहता हूं कि आपका दर्द जितना है, उससे कम दर्द हमारा नहीं है।

अपराह्न 1.00 बजे

जो लोग दिल्ली में इकट्ठे हुए थे, उन्होंने बात को जरूर उछाला है, बात को बढ़ाया है लेकिन ऐसी बातों से बना नहीं। ऐसी बातें कई बार उछली हैं। द्रौपदी ने तो महाभारत कराया, लेकिन न्याय कहां धरती पर उतरा, बराबरी कहां आई? द्रौपदी का क्या दोष था? पांच पति उसने नहीं रखे थे, अर्जुन की मां ने ऐसा कहा था। लेकिन द्रौपदी ने किसी भी जगह कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, युद्ध करा के रही। अपने बाल युद्ध के बाद बांधे।

महोदया, मैं आपसे एक ही निवेदन करना चाह रहा हूं कि सुषमा जी की बात बिल्कुल पक्की और दुरुस्त है। अगर महीने भर सदन चले तो आप एक दिन एक घंटा जरूर बहस करें। भले ही दो-तिहाई महिला बोलें लेकिन एक-तिहाई हम आदमियों को भी अवसर मिले क्योंकि हम भी मां वाले लोग हैं, बहन वाले लोग हैं। उस के दर्द और तकलीफ में हम न शरीक हों तो फिर लानत है जिन्दगी पर। मां ने ही जन्म दिया है, मां ने ही शरीर दिया है। उसे बचाना है और उसे बढ़ाना है।

इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। मैं सुषमा जी, गिरिजा जी, सरोज जी और हरसिमरत जी को धन्यवाद देता हूं।

श्री पन्ना लाल पुनिया (बाराबंकी): महोदया, मैं श्री शरद यादव द्वारा उठाए गए विषय से स्वयं को सम्बद्ध करता हूं।

डॉ. बलीराम (लालगंज): अध्यक्ष जी, आपने मुझे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर बोलने का अवसर दिया, मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूं। आज के दिन पूरे देश में ही नहीं, पूरे विश्व में महिला दिवस पर चर्चाएं हो रही हैं। लेकिन, मैं यह कहना चाहूंगा कि यह चर्चा सिर्फ साल में एक दिन न हो करके उनके लिए काम करने की जरूरत है। आज हर स्तर पर महिला के साथ शोषण हो रहा है, अत्याचार हो रहा है। उनके साथ जुल्म-ज्यादती हो रही है जबकि हमारे जो वेद हैं, पुराण हैं, अगर उन्हें हम देखें तो इसी देश में महिला को सरस्वती का अवतार कहा गया, महिला को लक्ष्मी का अवतार कहा गया, महिला को दुर्गा का अवतार कहा गया। दूसरी तरफ, हम महिलाओं को सिर्फ एक मनोरंजन का साधन समझते हैं जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए।

महोदया, आज मैं यह कहना चाहूंगा कि जब उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी तो बहन कुमारी मायावती जी ने बच्चियों की भ्रूण हत्या पर रोक लगाने के लिए उन्होंने कठोर कदम उठाया था क्योंकि आजकल मशीनें यह बता देती हैं कि गर्भवती औरत के पेट में बच्ची है या बच्चा। अगर बच्ची है तो तो उसकी भ्रूण हत्या करा देते हैं और बच्चा है तो मिठाई खाते घर चले आते हैं। इसलिए इसे रोकने के लिए उन्होंने कहा कि जो गरीब लोग हैं, अधिकांशतः इनके यहां ऐसा होता है। इसलिए हर समाज, हर धर्म और हर मजहब के गरीबों कके लिए उन्होंने एक व्यवस्था की कि जिस दिन किसी भी गरीब के घर कोई लड़की पैदा होगी तो उसके नाम से बीस हजार रुपया अठारह वर्षों के लिए फिक्स हो जाएगा। जब वह लड़की अठारह वर्ष में बालिग हो जाएगी, शादी करने लायक हो जाएगी तो अपने मां-बाप के ऊपर बोझ नहीं बनेगी। उतने पैसे में गरीब अपने बच्चियों की शादी कर लेगा। इसी तरह से, उनकी पढ़ाई-लिखाई के लिए भी किया गया। उन्होंने हाई स्कूल आज पास कर लिया तो कल पढ़ाई छुड़ा दी जाती है लेकिन माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने कहा कि जो लड़की हाई स्कूल पास करके ग्यारहवीं कक्षा में प्रवेश लेगी, उस को पन्द्रह हजार रुपया और एक मोटर साइकिल दी जाएगी। जब एक साल के बाद वह बारहवीं कक्षा में जाएगी तो उस को दस हजार रुपया दिया जाएगा ताकि वह अपने मां-बाप के ऊपर निर्भर न रह कर अच्छी तरह से अपनी पढ़ाई कर सके। इसलिए आज केवल चर्चा ही नहीं करना है, बल्कि आज हमें इन के लिए इस तरह की योजनाएं बनाना है जिससे ये आत्मनिर्भर हो सकें।

हम सशक्तीकरण की बात तो करते हैं लेकिन आज जो घटनाएं घट रही हैं चाहे वे दिल्ली में घटीं, चाहे देश के किसी भी कोने में घटीं, यह शर्मनाक घटना है। इस पर अंकुश लगाना चाहिए। इसके विरुद्ध कड़े कदम उठाने चाहिए। इनके आगे बढ़ने के लिए कदम उठाने चाहिए। जब हम लोग पढ़ाई कर रहे थे, उन दिनों हमारी क्लास में लड़कों से ज्यादा लड़कियां थीं और वे पढ़ने में भी सबसे ज्यादा तेज थीं। आज अगर महिलाओं को अवसर

दिया जाए तो वह किसी से पीछे नहीं हैं। लेकिन उन्हें अवसर नहीं मिलता है। आज साक्षात आप हमारे सामने स्पीकर की कुर्सी पर बैठी हैं। हमारी प्रतिपक्ष के नेता श्रीमती सुषमा स्वराज जी हैं और तमाम यहां महिला मंत्री हैं। अभी यहां श्रीमती सुशीला सरोज जी बोल रही थीं। हमारी पार्टी की चार महिलाएं हैं। आज हर क्षेत्र में महिलाएं आगे बढ़ रही हैं और उनको आगे बढ़ाने की जरूरत है।

अध्यक्ष महोदया, मैं आपसे यह अनुरोध करूंगा कि आप सरकार के ऊपर इस तरह का दबाव बनाएं कि सरकार इसके लिए कुछ नीति एवं नियम बनाए, जिससे महिलाओं के ऊपर जो जुल्म एवं ज्यादती हो रही है, वह कम हो, उनका शोषण कम हो। उन्हें हर क्षेत्र में आगे बढ़ने का मौका मिले।

अध्यक्ष महोदया, इसी बात के साथ हम आपका आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात समाप्त करते हैं।

[अनुवाद]

डॉ. काकोली घोष दस्तिदार (बारासात): अध्यक्ष महोदया, महिलाओं को सशक्त बनाने हेतु आपके सराहनीय प्रयासों के लिए कृपया मेरी पार्टी की ओर से बधाई स्वीकार कीजिए। आज दुनिया भर की महिलाओं के लिए बहुत ही विशेष दिन है।

नहीं सामान्य नारी

जोड़ी रखो पार्टी मोरे संकटे

संसार सम्पत्ति दाओ जोड़ी कठीचा बाते।

हमारे नोबल पुरस्कार विजेता रविन्द्रनाथ ठाकुर के माध्यम से मणिपुर की योद्धा राजकुमारी चित्रांगदा ने यह बात कही थी। चित्रांगदा ने क्या कहा था?

"शांति और संघर्ष के दौरान, पूरे सम्मान के साथ समान अधिकार और दायित्व के साथ मैं आपके साथ इस ब्रह्माण्ड के मैदानों को पार करना चाहती हूं, मैं सपनों में तथा वास्तविकता में आपके साथ इस ब्रह्माण्ड को पार करना चाहती हूं।" हमारे देश में, विश्व में प्रत्येक महिला का यही विचार है। हमें सम्मान चाहिए। हम दायित्व के साथ अधिकार भी चाहते हैं और आज की महिलाओं ने इसे सिद्ध भी कर दिया। क्लारा जेटकिंस के संघर्ष और सफलता को याद करते हुए हम आठ मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। जेटकिंस ने महिलाओं के लिए समान अधि कारों, समान पारिश्रमिक की मांग की थी और इसमें उन्हें सफलता मिली।

मेरी आपसे, इस सभा से, इसे पूरे ब्रह्मांड से अपील है कि हमें पूरे वर्ष महिलाओं को महत्त्व देना चाहिए। हमें पूरे वर्ष महिलाओं का सम्मान करना चाहिए। हमें महिलाओं को पुरुषों के समान समझना चाहिए। मैं पूरे देश से अपील करता हूं कि वे महिलाओं का सम्मान करें।

सबसे विचित्र बात तो यह है कि हम भूल जाते हैं कि अगर महिलाएं एक विशेष कार्य न करें जो कि पुरुष नहीं कर सकते, तो यह ब्रह्मांड रुक जाएगा, समाज रुक जाएगा तथा देश स्थिर हो जाएंगे। पुरुष कभी मां नहीं बन सकते महिलाएं बन सकती हैं। महिलाएं माता होती हैं। *[हिंदी]* वे बच्चे को पाल-पोस कर बड़ा करते हैं, चूल्हा-चक्की करते हैं, खेत में काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, बोझ उठाते हैं और बड़ा करके वह जिस सोसायटी को बनाती है, वही सोसायटी उसको काटने को दौड़ती है।

[अनुवाद]

यह शर्मनाक है। समूचे समाज संवाहिका अंत:करण को महिलाओं को अपना ही हिस्सा समझना चाहिए।

एक और कवि ने कहा है:

विदूषी मैत्रेयी, खाना लीलावती,

सती सावित्री, कन्या अरुंधति

वधु बीरबाला, बीरेन्द्र प्रसूति,

अपना तदेरी संतति

अनाले दाहिया रखे जारा मान

पति पुत्र साधे सूखे त्याजे प्राण

अपरा तदेरी संतति।

महारानी पद्मिनी के बारे में ये सोचिए। उसने अपने देश, अपने खानदान के सम्मान की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। सावित्री के बारे में सोचिए जिसने अपने पति को वापस लाने के लिए संघर्ष f किया। आपको उन सभी महिलाओं को उनकी प्रतिष्ठा, पराक्रम और सम्मान के लिए स्मरण करना होगा। आजह इन महिलओं को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। यह शर्मनाक है कि आज हमारे देश में जब कोई भी लड़की तथा महिला चित्रांगदा के स्वर में बोलती है तो उसे गंभीरता से नहीं लिया जाता; उसे जीने की अनुमति भी नहीं दी जाती। वह जन्म से पूर्व और उसके पश्चात वही शब्द बोलती है, परन्तु उसे जन्म भी लेने नहीं दिया जाता। आज हमारे देश में प्रतिदिन कन्या भ्रूण हत्याएं हो रही

हैं। आज इस सम्मानीय सभा में यह संकल्प लेना होगा कि गर्भ में इन नन्हीं बालिकाओं की हत्या करने के दोषी विशेषज्ञों को कड़ी सजा दी जाए। परन्तु सबसे विचित्र बात यह है कि जिस समय कन्या भ्रूण हत्या की जाती है, उस समय बच्चे का बाहरी प्रतिरूप (फेलोटाइप) तैयार भी नहीं हो पाता। कई दोषी डॉक्टर विशेषज्ञ हैं जो कुछ मशीनों का उपयोग कर मासूम महिलाओं को बेवकूफ बनाते हैं। परन्तु उस समय गर्भावस्था के 12 सप्ताह अथवा 14 अथवा 16 सप्ताह में गर्भस्थ शिशु लड़का है या लड़की, इसकी पहचान भी नहीं हो पाती। अत: इसे गंभीरता से लिया जाना चाहिए। हम जन्म से पूर्व बालिका शिशु की हत्या नहीं कर सकते और न ही जन्म के बाद उसकी हत्या कर सकते हैं, क्योंकि जन्म लेने के बाद भी वह यातना झेलती है। वह कुपोषण का शिकार होती है हमारे ग्रामीण इलाकों की 70 प्रतिशत महिलाएं रक्ताल्पता से पीड़ित हैं। इस रक्ताल्पता अनीमिया का एक ही समाधान है कि उन्हें थोड़े चने, थोड़ा आयरन और फॉलिक एसिड देना चाहिए। परन्तु उसे यह सब नहीं मिल रहा है। अपने परिवार का चूल्हा जलाने के लिए वह स्वयं ही चूल्हे में जल रही है और कोई भी इस वास्तविकता पर ध्यान नहीं दे रहा है।

हमें स्वास्थ्य मंत्रालय से गंभीरतापूर्वक अनुरोध करना होगा कि वह कन्या भ्रूण हत्या पर ध्यान दे। मातृ मृत्यु दर कम करने, महिलाओं में रक्ताल्पता दूर करने, मातृ मृत्यु दर की समस्या का समाधान करने जिससे कि हम बच्चे के जन्म के साथ अपनी माताओं को न खोएं, के लिए हम एमडीजी-5 का लक्ष्य पूरा करने के आसपास भी नहीं हैं, जिसे कि हमें 2015 तक प्राप्त करना था। वे बच्चे के जन्म के शरीर क्रिया संबंधी कार्य को पूर्ण करने का प्रयास कर रहे हैं, परन्तु हम वहां विफल हुए हैं।

जन्म के पश्चात जब एक छोटी बालिका हर दिन बड़ी हो रही है तो केवल दो वर्ष की आयु से ही वह समाज के निशाने पर आ जाती है—लोग उसे घूरते हैं, उसका पीछा करते हैं। वे उसे गालियां देते हैं उसका दुपट्टा खींचते हैं। हमने निर्भया की लड़ाई देखी—वाह उसने क्या संघर्ष किया। आज हम इस सभा से अपनी जान गंवाने वाली निर्भया ही नहीं बल्कि प्रत्येक गांव, प्रत्येक शहर, प्रत्येक सड़क, प्रत्येक स्कूल, प्रत्येक कॉलेज तथा प्रत्येक कार्यालय में खामोशी से लड़ रही सभी निर्भया को नमन करते हैं। निर्भया लड़ रही हैं और हमें उनके साथ खड़ा होना पड़ेगा। हमें बहुत ही कड़ा नियम, बहुत कड़ा कानून बनाना होगा। हम जानते हैं कि हम इस बारे में एक अध्यादेश लाए हैं, हम जानते हैं कि हम एक संशोधन विधेयक लाने वाले हैं। परन्तु देश के सामूहिक अंत:करण को जगाना होगा और निर्भया की लड़ाई में उसका साथ देना होगा।

आज इस सम्मानीय सभा से इस चर्चा के दौरान मैं पश्चिम बंगाल की माननीय मुख्यमंत्री कुमारी ममता बनर्जी का आज कन्याश्री योजना की घोषणा करने के लिए आभार व्यक्त करना चाहता हूं। इसके द्वारा वह बीपीएल परिवारों की बालिका शिशु की शिक्षा तथा पश्चिम बंगाल का पहला महिला विश्वविद्यालय खोलने के लिए धनराशि उपलब्ध कराएंगी।

हमें सशस्त्र सेना विशेषाधिकार अधिनियम॰ पर भी पुनर्विचार करना चाहिए, जिसकी वजह से इस देश के विशिष्ट राज्यों के विशिष्ट जिलों में महिलाओं को शर्मिन्दा होना पड़ा है। हमें उन सभी महिलाओं का भी ध्यान रखना होगा, जिनकी अनदेखी की जा रही है और जो कुपोषण की शिकार हैं, हमें उनको समान अधिकार देने होंगे।

अध्यक्ष महोदया: श्रीमती सुस्मिता बाउरी, कृपया संक्षेप में अपनी बात कहें। मेरे पास वक्ताओं की एक लंबी सूची है। कृपया संक्षेप में बोलें।

[हिन्दी]

श्रीमती सुस्मिता बाउरी: धन्यवाद, अध्यक्ष महोदया। आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूं। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। इस अवसर पर आपको, इधर जो सारी महिला सांसद हैं और विश्व के सारी महिलाओं को मैं बधाई देती हूं। पहले कुछ लोगों ने जो बताया है, मैं भी उनकी बात करना चाहती हूं—क्लारा जेटकिन जी। हम लोग अभी सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं। लेकिन, वर्ष 1908 में क्लारा जेटकिन ने इसकी शुरूआत की थी। तब उस आंदोलन में 15 हजार महिलाएं शामिल हुई थीं और यह संकल्प लिया गया था कि हम लोगों को काम करना है। उस समय काम करने पर कोई पाबंदी नहीं थी। सारा दिन काम करना पड़ता था। उस समय उन्होंने आंदोलन की शुरूआत की थी तभी से आज यह डे मनाया जा रहा है। बहुत दिन बीतगए लेकिन आज भी देश में महिलाओं की हालत ठीक नहीं है। सारे मेम्बर्स ने इसके बारे में अच्छी तरह से बताया है और मैं भी बता रही हूं, चाहे सामाजिक स्थिति हो या आर्थिक स्थिति कहीं भी महिलाएं ठीक से नहीं हैं। हम लोग जानते हैं कि जब एक बच्ची का जन्म होता है तो बहुत क्रिटिसाइज होता है और उसे हम सभी लोग जानते हैं। बहुत सारी घटनाएं घट रही हैं। सरकार का कानून भी है लेकिन वह काम हो रहा है, डायग्नोस्टिक सेन्टर में वह काम हो रहा है। इसलिए आज महिला-पुरुष का अनुपात इतना कम आ गया है। 1000 पुरुष हैं तो 970 महिलाएं हैं। किसी-किसी स्टेट, जैसे राजस्थान और हरियाणा में यह अनुपात और भी घट गया है। जब हम लोग वर्ष 2025 में पहुंचेंगे तो ऐसा होगा कि एक लड़के को शादी करने के लिए एक लड़की नहीं मिलेगी। ऐसा समय आ रहा है। इसलिए बहुत अच्छे से सोचना चाहिए कि समाज को ठीक करना है तो समाज में महिलाएं भी होनी चाहिए। समाज में हमारा आधा हिस्सा है। लेकिन, हम लोग उस जगह से अभी बहुत दूर हैं।

हम लोग देखते हैं कि महिला कुपोषण की शिकार है। वह खाना खाती नहीं है। वह सब को खाना खिलाती है। अभी महंगाई भी बढ़ गई है। हम लोग गैस के लिए चिल्ला रहे थे। यह मिलना चाहिए। सरकार से मैं भी मांग करती हूं कि मालन्यूट्रिशन तभी बंद होगा जब हम बच्चे को अच्छे से खिला सकेंगे। शिक्षा में भी महिलाओं की साक्षरता दर बहुत ही कम है। केरल और मिजोरम में तो महिलाओं की साक्षरता दर अच्छी है, उधर आर्थिक स्थिति भी ठीक है। वहां वे लोग आत्मनिर्भर हैं। लेकिन, जब हम अन्य राज्यों पर गौर करते हैं तो वहां हालत बहुत ही खराब है। हम लोगों का तो ग्रुप है लेकिन ग्रुप के जरिए उन लोगों को उतना कुछ नहीं मिलता है। जैसे, वे घर में कुछ बनाती हैं लेकिन उसे कहां बेचेंगे। बहुत सारी समस्याएं हैं। स्कीम्स हैं लेकिन उनका इम्पलिमेंटेशन अच्छी तरह से नहीं होता है। हम लोग आईसीडीएस सेन्टर पर गौर करें तो उसमें भी आप देखेंगे कि गवर्नमेंट का पैसा जा रहा है। मालन्यूट्रिशन की समस्या बहुत बड़ी है। अगर स्कीम्स को ठीक से लागू करेंगे, तभी यह कम होगा और हमारा समाज स्वस्थ होगा। माननीय मंत्री जी बैठी हैं। अभी उन्होंने पैसा भी बढ़ाया है। उसको थोड़ा अच्छे-से चलाना है।

आशा वर्कर्स तो हैं। वे लोग काम करती हैं। जनसंख्या के मामले में भी हमारा भारत आगे है। ''आशा'' महिलाएं काम करती हैं। एक बच्चे का जन्म होगा तो उन्हें तीन सौ रुपया मिलेगा। वे लोग कहते हैं कि आप दो बच्चा करोगे तो 600 रुपये मिलेंगे। वे लोग ज्यादा पैसे के लिए ज्यादा बच्चे के बारे में कहेंगे। ऐसी बात आ गई है, इसको आपको देखना है।

महिला रिजर्वेशन जो बिल राज्य सभा में पारित हो कर पड़ा हुआ है। उसको आप यहां तुरंत लाइए। क्योंकि जब चुनाव आ जाता है तो महिलाओं के लिए 33 परसेंट रिजर्वेशन की बात बोलते रहते हैं। ...*(व्यवधान)* लेकिन वास्तविक में यह नहीं होता है।

अध्यक्ष महोदयाः कृपया अपनी बात समाप्त करिए।

श्रीमती सुस्मिता बाउरीः इसे जल्दी लाना चाहिए। दूसरे बिल पास हो जाते हैं। एक और बात है जिसे मैं कहना चाहती हूं। दिल्ली में एक घटना घटी है। हम लोग निर्भया का नाम ले रहे हैं। ...*(व्यवधान)* ऐसी बहुत सारी घटनाएं देश में घटी हैं। जस्टिस भार्गव कमेटी की जो रिपोर्ट है, जिसको आप लोग डाइलूट कर रहे हैं। उसकी पूरी सिफारिशों को आप लीजिए। यह मेरा आग्रह है। तभी, हम लोगों को अच्छा समाज मिलेगा, उन्हें इज्जत मिलेगी, नहीं तो कड़ा से कड़ा कानून रह जाएगा, महिलाओं के लिए कानून तो बहुत सारे हैं लेकिन उनसे सजा कितने लोगों को मिलती है। यह मैं जानना चाहती हूं। सब को तभी अच्छी तरह समझा में आएगा और सब कानून का लाभ उठा सकेंगे। ...*(व्यवधान)* कई राज्यों में महिलाओं के ऊपर बहुत सारी घटनाएं घट रही हैं। इसलिए स्टेट की गवर्नमेंट्स, जैसा ये बता रहे थे कि ये स्कीम्स ला रही हैं लेकिन इज्जत भी देना चाहिए तभी स्कीम्स इम्पलिमेंट हो पाएगी और ये सही जिंदगी जी सकती हैं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयाः धन्यवाद।

श्री गुरुदास दासगुप्तः हम आपको बधाई देते हैं, सुषमा जी को बधाई देते हैं, सोनिया जी को बधाई देना चाहते थे लेकिन वे अभी यहां नहीं हैं, फिर भी हम उन्हें बधाई देना चाहते हैं। हमारे हाउस में आज तीन पर्सनैलिटीज हैं। *[अनुवाद]* जो काफी प्रभावशाली है।

[हिन्दी]

लेकिन हम एक बात शर्म के साथ बोलना चाहते हैं *[अनुवाद]* कि हम पुरुष प्रधान समाज में रह रहे हैं। कृपया इसे स्वीकार करें। यह पुरुष प्रधान समाज देश की महिलाओं के राजनीतिक, आर्थिक और सामजिक शोषण में प्रदर्शित होता है। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदयाः क्या कह रहे हैं? आप बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयाः ऐसा मत कीजिए।

श्री गुरुदास दासगुप्तः महोदया, ऐसे महत्त्वपूर्ण अवसर का राजनीतिकरण किया जाना न तो उचित है और न ही सम्मानीय।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदयाः आप बोलिए।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री गुरुदास दासगुप्तः हम मानते हैं कि हमारे पोलित ब्यूरो में एक वूमेन है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयाः आपको प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करनी है। *[अनुवाद]* आप जिस विषय पर बोल रहे थे, बोलिए।

...*(व्यवधान)*

श्री गुरुदास दासगुप्तः मैडम, सवाल क्या है *[अनुवाद]* बलात्कार ही केवल मुद्दा नहीं है। शारीरिक शोषण ही केवल मुद्दा नहीं है। मूल मुद्दा यह है कि देश की महिलाओं का जीवन के सभी क्षेत्रों में शोषण हो रहा है।

[हिंदी]

महिलाओं को उनके काम का दाम नहीं मिलता। महिलाओं को पुरुषों से कम मजदूरी मिलती है। महिलाओं के लिए मेटरनिटी बैनीफिट नहीं है। महिलाओं के लिए काम-काज की जगह में सुरक्षा का इंतजाम नहीं है।

[अनुवाद]

वे केवल दिल्ली में ही नहीं बल्कि देश में कहीं भी सुरक्षित नहीं है। वे अपने काम करने के स्थान पर भी सुरक्षित नहीं हैं। दुर्भाग्य से महिला को समाज द्वारा वाणिज्यिक वस्तु बना दिया गया है। आप न्यूज पेपर देखिए। छोटे-छोटे कपड़ों में महिला को दिखाया जा रहा है। आप टेलीविजन देखिए। वहां भी छोटे-छोटे कपड़ों में महिला है। क्रिकेट मैच देखिए, 20-20 क्रिकेट मैच, चियर गर्ल्स हैं। कम से कम इस पर तो रोक लगाइए। सरकार से कम से कम इस पर रोक लगाने के लिए तो कहें। मेरा मतलब है कि हमारे देश को आजाद हुए 63 वर्ष हो चुके हैं लेकिन महिलाओं को जीने की आजादी नहीं मिली है। मेरा मानना है कि महिलाओं द्वारा एक आन्दोलन किया जाना चाहिए। महिलाओं में जागृति आनी चाहिए और हमें उसका समर्थन करना चाहिए। मुझे शर्म के साथ यह कहना पड़ रहा है कि इस पुरुष प्रधान समाज ने जीवन के अस्तित्व को ही खतरे में डाल दिया है।

किसी ने यह नहीं कहा है कि देश में महिलाओं का अनुपात कितना है? हमारे यहां प्रतिकूल लिंगानुपात है। देश में महिलाओं की संख्या घटती जा रही है। हमारे देश में पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या कम है। यह देश में शर्मनाक सामाजिक अत्याचार और आर्थिक शोषण का परिणाम है।

अतः हम इस दिन को रस्म अदायगी के रूप में न लें। यह एक रस्म बन गई है। इस सभा की ओर देखिए। यह दिन महिलाओं के गरीबी, शोषण और शारीरिक उत्पीड़न से मुक्त करने के संघर्ष के प्रति स्वयं को समर्पित करने का दिन होना चाहिए। केवल तभी यह दिन संसद में चर्चा के लिए लाभदायक हो सकता है।

डॉ. एस. तम्बिदुरई (करूर): अध्यक्ष महोदया, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे एक ऐसे विषय पर चर्चा में भाग लेने का अवसर प्रदान किया है जिससे देश को एक संदेश देने की कोशिश की गई है।

जैसा कि आपने कहा है कि इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हमें महिलाओं को अच्छी शिक्षा देने की शपथ लेनी होगी। उन्हें शक्तियां प्रदान की गई हैं और समाज में उनका उत्थान किया गया है। मैं कृष्णागिरि जिले से आता हूं जिसे पहले धर्मापुरी कहा जाता था। उन दिनों जब किसी बच्ची का जन्म होता था तो उसे जहरीला दूध पिलाया जाता था जिससे उन बच्चियों की मौत हो जाती थी। उन दिनों मेरे जिले में यह कुरीति प्रचलित थी। जैसा कि श्री दासगुप्त ने कहा है कि स्त्री जनसंख्या घटती जा रही है क्योंकि लोगों में इस प्रकार की सोच है। उन दिनों जब किसी लड़की का जन्म होता था तो वे उसे मार देना चाहते थे। इस प्रकार की समस्या को दूर करने के लिए हमारी तमिलनाडु की सम्मानीय मुख्यमंत्री डॉ. अम्मा ने बालिकाओं को बचाने के लिए 'क्रैडल बेबी स्कीम' प्रारंभ की है। मैं यहां उल्लेख करना चाहता हूं कि इस स्कीम का प्रारंभ धर्मापुरी से ही किया गया था। यह स्कीम इसलिए महत्त्वपूर्ण है क्योंकि बालिकाओं को बचाने के लिए इसका प्रारंभ किया गया था।

जैसा कि उन्होंने कहा है कि हमें उन्हें अच्छी शिक्षा प्रदान करनी होगी। हमारी मुख्यमंत्री ने तीसरी बार पदभार ग्रहण करते ही इस प्रयोजन हेतु महिलाओं की सहायता के लिए कई योजनाएं प्रारंभ की हैं। उदाहरण के लिए लड़कियों को कॉलेज में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में अध्ययन के लिए निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती है और इसके साथ-साथ उन्हें उच्च शिक्षा पाठ्यक्रमों में अध्ययन हेतु प्रोत्साहित किया जाता है। जब उनकी शादी होती है तो सरकार ने उस समय मंगलसूत्र खरीदने के लिए चार ग्राम सोना देने और शादी के खर्चे हेतु 25,000 रु. नकद देने की स्कीम की घोषणा की है। इसके अतिरिक्त यदि लड़की स्नातक है तो उसे अनुदान के रूप में 50,000 रु. दिए जाते हैं। ऐसी कई योजनाएं प्रारंभ की गई हैं।

इस सभा में कई माननीय सदस्यों ने महिला आरक्षण विधेयक पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। मुझे यह कहते हुए गर्व है कि 1998-99 में जब मैं विधि मंत्री था तो उस समय अपनी नेता डॉ. जयललिता की सलाह से इसी सभा में मैंने वह विधेयक पेश किया था। उस समय माननीय वाजपेयी प्रधानमंत्री थे और उसी अवधि में मैंने यह विधेयक पेश किया था। वह विधेयक अभी भी लम्बित है। सभा को इस बारे में गम्भीरतापूर्वक सोचना चाहिए और महिलाओं को प्रचुर अवसर प्रदान करने के लिए इस विधेयक को पारित करना होगा। यह बहुत महत्त्वपूर्ण मुद्दा हे जिसके बारे में मैं इस सभा में अनुरोध कर रहा हूं।

इसके अतिरिक्त, महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए उन्हें राजनीति में भी भाग लेना चाहिए। मुझे यह कहते हुए बड़ा गर्व महसूस हो रहा है कि हमारी नेता एक महिला हैं। वह हमारे राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए साहसिक कदम उठा रही हैं।

हमारे राज्य में स्थानीय निकायों में भी, दस में से कम से कम छह निगमों की मेयर महिलाएं हैं। इस प्रकार, हमारा दल उन्हें प्रशासन में भागीदारी करने में भी और अधिक अवसर प्रदान कर महिलाओं को प्रोत्साहित कर रहा है।

श्रीमती जे. हेलन डेविडसन (कन्याकुमारी): महोदया, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस समारोह के इस सुअवसर पर मैं सर्वप्रथम अध्यक्ष महोदया, यूपीए अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी, नेता प्रतिपक्ष श्रीमती सुषमा स्वराज, इस सम्मानीय सभा की सभी महिला सदस्यों और विश्व की हर महिला को बधाई देती हूं।

महोदया, मैं इस अवसर पर राजनीति सहित सभी क्षेत्रों में महिलाओं को और अधिक अवसर प्रदान करने के लिए भारत सरकार को बधाई देती हूं और उसकी सराहना करती हूं। चुनावों में चाहे संसद चुनाव हों, अथवा विधान सभा चुनाव हों, महिलाओं के 33 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने के लिए हर वर्ष पुरजोर अनुरोध किया जाता है। महिला समुदाय की ओर से मैं भारत सरकार से इस उचित मांग को पूरा करने का आग्रह करती हूं। मेरा सरकार से आग्रह है कि इसी सत्र के दौरान महिला आरक्षण विधेयक पारित कर मांग पूरी की जाए। यदि यह विधेयक लोक सभा में पारित कर दिया जाता है तो भारत का सम्पूर्ण महिला समुदाय भारत की केन्द्र सरकार का हमेशा आभारी रहेगा।

तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री कलाइगनर ने महिलाओं को घर से बाहर निकलकर सार्वजनिक स्थानों पर जाने के लिए काफी अधिकार प्रदान कर तमिलनाडु की महिलाओं को महत्त्व दिया था। हमारी भारतीय महिलाएं पुरुषों के लिए विशेष व्यंजन तैयार करती हैं परन्तु उन्हें समान अधिकार नहीं मिलते हैं।

हाल में महिलाओं पर हमलों और उत्पीड़न में वृद्धि हुई है और लोग बार-बार एक ही गलती कर रहे हैं। महिलाओं का शारीरिक उत्पीड़न रोकने के लिए सरकार सभी राज्य सरकारों और पुलिस विभाग को यह आदेश दे कि वे महिलाओं द्वारा की गई शिकायतों पर कार्रवाई कर विशेष ध्यान दें जिससे महिलाएं खुलकर जनता के बीच आ सकें।

हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने स्वतंत्र भारत में महिलाओं की स्वतंत्रता का स्वप्न देखा और इसके लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी थी। इस सदन में सभा को रोजमर्रा के कार्यों में महिलाओं के सशक्तिकरण और विकास के लिए पूरी स्वतंत्रता देने के लिए संकल्प लेना होगा।

महोदया, मैं पूरे सदन को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य पर पुनः बधाई देती हूं।

अध्यक्ष महोदया: श्री थोल तिरुमावलावन श्रीमती जे. हेलन डेविडसन द्वारा व्यक्त किए गए विचारों से संबद्ध करें।

[हिन्दी]

श्रीमती सुमित्रा महाजन (इन्दौर): धन्यवाद, माननीय अध्यक्ष जी, आज महिला दिवस है। महिलाओं ने जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संघर्ष किया है, कहीं-न-कहीं उस संघर्ष को पहचान देने वाला आज का दिन है। आपने बिल्कुल सही बात कही, माननीय सुषमा जी ने और सभी लोगों ने अपनी बात रखी है। आपने जो बात कही कि केवल जो यहां-वहां हम थोड़ी सी महिलाएं दिखती हैं, वे महिला नहीं हैं, खेत में काम करने वाली महिलाएं और अपने घर में बैठी महिलाएं, कहीं-न-कहीं ये सब नारी शक्ति को एक पहान देने की बात है। कभी-कभी मैं सोचती हूं कि नारी शब्द में ही वह बात है–न अरि, किसी की शत्रु नहीं है। तो नहीं किसी की अरि, वह है भारतीय नारी, फिर भी युगों-युगों से रही ताड़न की अधिकारी। यह प्रश्न आज सबके सामने है कि फिर भी ऐसी स्थिति क्यों है? जब हम महिला दिवस की या महिला उत्थान की बात करते हैं, तो किसी को ऊंगली पकड़कर लाना नहीं है। उसमें वह स्वाभिमान जगाना है, उसे एक आत्मविश्वास देना है, उसे एक पहचान देनी है कि वह आगे आने के लिए खुद को पहचाने। वास्तव में, आज भी वे दहलीज पर खड़ी हैं, आगे जरूर कुछ महिलाएं आई हैं। लेकिन, आज भारत की स्त्री दहलीज पर खड़ी होकर बाहर देख रही है। अपने आप को पहचानने की कोशिश कर रही है। वह पहचान उसे देना है। अगर वह छोटा-मोटा काम भी करती है, तो उसमें आत्मविश्वास भरना है।

महोदया, मुझे याद है, जब हमारी सरकार थी, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, कृष्णा जी भी जानती हैं, हमने एक स्त्री-शक्ति पुरस्कार की स्थापना की थी। उस समय मुझे याद है कि उस स्त्री-शक्ति पुरस्कार में तमिलनाडु की एक सामान्य महिला थी। वह खेतिहर मजदूरों के लिए संघर्ष करने वाली महिला थी। उसे ढूंढ करके पुरस्कार दिया गया था कि वह अच्छा काम कर रही है। जब वह महिला पुरस्कार लेने आई, तो उसके पके हुए बाल, मेहनत किया हुआ दुबला शरीर, पांव में खाली स्लीपर थे। इस प्रकार जब वह महिला पुरस्कार लेने आई, तो इस देश के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने स्टेज पर उस महिला को झुककर प्रणाम किया। यह हमारे देश का चरित्र है। कहीं-न-कहीं इसी चरित्र को कायम करने की बात है। मैं बहुत लम्बी बात नहीं

कहकर, बस इतना ही कहना चाहूंगी कि आज स्त्री बाहर आ रही है, अपनी दुर्बलता को दूर करके बाहर आ रही है, दुर्बलता को झटक-फटक कर, शिक्षा-दीक्षा, सामर्थ्य समेटकर ये वह कर रही है, अग्रसर हो रही नारी, विश्व के कैनवास पर अपने सामर्थ्य की पहचान बनाने। जैसा सुषमा जी ने कहा कि इतना ही करना है कि उसे सुरक्षा देना है। वह ज्यादा कुछ नहीं चाहती है। मैं आपकी बात की पुष्टि करती हूं, सुषमा जी की बात की पुष्टि करती हूं और सदन को नहीं, इस देश के सभी लोगों को, इसमें स्त्री और पुरुष में अलग भाव नहीं करती हूं। लेकिन, समाज में एक वातावरण चाहिए। क्या चाहती है स्त्री? मैं इतनाही कहना चाहती हूं कि

"नहीं चाहती वह नरम कालीन,

लेकिन कांटे तो मत बिछाओ।

बनाएगी वह रास्ता खुद अपना,

लेकिन बीच रास्ते में न छेड़ो, न सताओ।"

यही वह नारी आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर कहती है। यह अगर बन जाए, तो हम बोलते हैं कि भारत को महाशक्ति बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। यही मुझे कहना है। धन्यवाद।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदया: श्रीमती कृष्णा तीरथ।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा तीरथ): अध्यक्ष महोदया, आज के दिन ... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री एच.डी. देवेगौडा (हसन): महोदया, मैं कुछ शब्द कहना चाहता हूं ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: माननीय मंत्री महोदय, क्या आप अपनी बात पर अड़े हुए हैं?

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदया: उन्होंने बोलना शुरू किया है। वह अपनी बात समाप्त नहीं कर रही हैं।

श्री एच.डी. देवेगौडा: मुझे लग रहा है कि आप मुझे एक मौका देंगी। मैं क्षमा चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदया: बोलने के लिए अन्य सदस्यगण भी हैं।

[हिन्दी]

वह समाप्त नहीं कर रही हैं, इंटरवीन कर रही हैं।

[अनुवाद]

यह समाप्त नहीं हो रहा है।

श्री एच.डी. देवेगौडा: आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

[हिन्दी]

श्रीमती कृष्णा तीरथ: अध्यक्ष महोदया, आज ही महत्त्वपूर्ण दिन है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर मैं सरकार की ओर से अपनी ओर से, जैसा आप सभी ने कहा है, अपने देश एवं विदेशों में रहने वाली महिलाओं को मुबारकबाद देती हूं। उनकी शक्ति को पहचाना है, शक्ति को जाना है। यहां माननीय सदस्यों ने बहुत सी बातें कही हैं, उनमें उनके मन का दर्द, महिला का दर्द उभरकर आया है। मुझे मालूम है कि देश की आजादी के बाद हमारा देश पहला ऐसा देश है जिसने महिलाओं को मताधिकार दिया और चुनने के लिए आजादी दी गई। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान में उन्हें बराबर का अधिकार दिया। महात्मा गांधी जी ने कहा कि इस देश में हिंसक प्रवृत्तियों को दूर करके अहिंसा को लेकर कोई चल सकता है, तो वह नारी शक्ति है, जो अहिंसा को लेकर आगे बढ़ सकती है। इसीलिए इस सरकार से मैंने अपने मंत्रालय से अहिंसा मैसेंजर क्रिएट किए हैं। हमारी 1.5 मिलियन निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधि हैं पंचायती राज में, लोकल बॉडीज में, जो देश में अहिंसा मैसेंजर बनकर अलग-अलग गांव स्तर पर, ट्राइबल एरियाज में, अनुसूचित जाति-जनजाति एरियाज में जाकर महिलाओं को सशक्त करने की बात कर रही हैं। इसके साथ ही महात्मा गांधी जी ने कहा था कि अहिंसा में अग्रसर रहेंगी महिलाएं। राजीव गांधी जी ने 33 प्रतिशत आरक्षण पंचायती राज में दिया, लोकल बॉडीज में मिला और अब बहुत सारे राज्यों में, दिल्ली जैसे राज्य में 50 प्रतिशत आरक्षण महिलाओं को देने से महिलाएं आगे उभरकर आई हैं। गुरुदास दासगुप्ता जी चले गए, उन्होंने कहा था कि हमारा समाज मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी रहा है और मैं इसका उदाहरण बताती हूं। जितने भी हमारे शब्द हैं, अगर हम कहते हैं 'फीमेल', तो 'मेल' उसमें आलरेडी समाहित है। अगर हम कहते हैं 'वीमेन', तो 'मेन' उसमें समाहित है। अगर कहते हैं 'लेडी',

तो 'लेड' उसमें समाहित है। कुछ शब्द ऐसे हैं कि महिलाओं में मेल समाहित है, वह ताकत उस महिला में है कि वह सबको समाहित करके चलना चाहती है।

फीमेल फोएइटीसाइड की जब बात आई, तो मैंने एक मैसेज दिया है-''लड़की नहीं है, तो संसार नहीं है।'' आप खुद चिंतन कीजिए, मंथन कीजिए कि अगर लड़की पैदा नहीं होगी, तो संसार नहीं बनेगा, संसार नहीं बन सकता है। इसीलिए ''लड़की नहीं है, तो संसार नहीं है'' का स्लोगन लेकर पूरे देश भर में, हर जिले में हमने नेशनल मिशन एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन शुरू किया है। मैं समझती हूं कि इस प्रोग्राम को लेकर हमें आगे बढ़ना है। आज हम सबला की बात करते हैं, नारियां सबला हैं। हमने एक स्कीम शुरू की थी-राजीव गांधी एम्पावरमेंट ऑफ एडोलसेंट गर्ल, सबल। यह अभी पायलट स्कीम है। देश भर में लाखों सबला निकलकर आई हैं, जिनमें यह शक्ति आई है कि वे अपनी बात को बोल सकती हैं, अपने दर्द-दुख को बता सकती है, लेकिन आज आदमी का माइन्ड सेट चेंज करने की जरूरत है। मैंने एक विचार और किया है, जिसे मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहती हूं कि हम सक्षम स्कीम लेकर आना चाहते हैं-राजीव गांधी एम्पावरमेंट ऑफ एडोलसेंट ब्वाय, जिसका नाम रखेंगे-सक्षम। उन लड़कों को, जो अभी बच्चे हैं, जिनके चित्त में क्या सोच घरवाले डालते हैं, पुरानी परम्परा, जो मेल डोमिनेशन की बाता करते हैं, जो हमारा पुरुष प्रधान देश है। इसमें घर में कभी-कभी उसके साथ भेद होता है। लड़की को दूध नहीं मिलेगा, लड़के को दूध मिलेगा। लड़का काम नहीं करेगा, लड़की काम करेगी, इस बात को बदलना होगा और इसके लिए हम महिलाओं को भी चिंतन करना होगा। इसके लिए हेमं भी अपनी जिम्मेदारी को निभाना होगा। देश भर की समस्त महिलाएं, चाहे वे शहरों में रहती हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में रहती हैं, दूरदराज के ट्राइबल एरियाज में रहती हैं, जंगलों में रहती हैं या कहीं भी हैं, उनको आत्ममंथन करना पड़ेगा कि हमें महिला को सशक्त करने के लिए महिला की ही जरूरत है। जब हम महिलाओं के बारे में फीमेल फोएटिसाइड की बात करते हैं, उस महिला को बाकायदा मुकाबला करना चाहिए कि यह चीज नहीं होगी, मैं बाहर नहीं जाऊंगी, मैं चेकअप नहीं कराऊंगी। कई बार मैंने देखा कि उसके घर के जो मेल मेम्बर्स हैं या उसकी सास ही है, वह भी एक महिला है, उन्हें भी आत्मचिन्तन और आत्ममंथन करना पड़ेगा, महिला को सशक्त बनाने के लिए। इसलिए हम सबको एक होकर इस काम को आगे बढ़ाना होगा। उन्होंने कहा कि महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। हमने वर्किंग प्लेस में काम करने वाली महिलाओं के लिए जो प्रोटेक्शन ऑफ विमेन अगेंस्ट सेक्सुअल हेरासमेंट एट वर्क प्लेस बिल है, दोनों सदनों ने बहुत अच्छी तरह से इसे पास किया है। कामकाजी महिलाएं चाहे संगठित क्षेत्र में हों या असंगठित क्षेत्र में हों, जहां-जहां भी वे काम करती हैं, उन्हें इस एक्ट के माध्यम, जो हम बना रहे हैं, रूल्स बना रहे हैं, से सुरक्षा प्रदान की जाएगी। लेकिन जो हमने नेशनल मिशन एम्पावरमेंट ऑफ विमेन 2010 में शुरू किया है, उसके माध्यम से हर जिले में हमने एक-एक परफार्मा दिया है कि आज महिला की क्या स्थिति है और हम उसे ट्रेनिंग देकर ट्रेंड करते हैं। उसे घर की ट्रेनिंग, स्किल ट्रेनिंग दे रहे हैं, छह महीने के बाद उसका क्या स्तर बढ़ा है, इस बात पर हम लोग काम कर रहे हैं। सरकार भी इसमें सतर्क रहेगी।

मैं आपके माध्यम से पुनः आप सभी को यह जो वर्ष है, यह महिला की सुरक्षा के लिए डेडिकेट करें और हम सब महिला और पुरुष मिलकर उसे सुरक्षित माहौल दें, उसे पलने दें और अपने कदमों पर खड़ा होकर इस देश का अच्छा नागरिक बनने दें।

[अनुवाद]

श्री एच.डी. देवेगौडाः माननीय अध्यक्ष महोदया, आपने मुझे इस महत्त्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा में भाग लेने का अवसर प्रदान किया है। आपने हम सभी को यह सोचने का अवसर प्रदान किया है कि दिल्ली में सामूहिक दुष्कर्म के बाद माहौल कितना खराब हो गया है। अंतर्राष्ट्रीय सम्प्रदाय ने इसे एक शर्मनाक घटना बताया है। इस सभा को क्या करना होगा, और इस बारे में सरकार को क्या कदम उठाने होंगे, एक बड़ा मुद्दा है। मैं प्रख्यापित किये गये अध्यादेश के विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं। परन्तु साथ ही, मैं यह कहना चाहूंगा कि इस समय केन्द्र सरकार और राज्य सरकार की जिम्मेदारी ज्यादा महत्त्वपूर्ण है। मेरे विचार से, मुझे लगता है, कि सदन को यह जानना चाहिए कि कुछ राज्यों ने क्या कदम उठाये हैं। मैं माननीय नेता प्रतिपक्ष और सत्ता पक्ष की कई बहनों के भाषण एवं वाद-विवाद को बड़ी बारीकी से देख रहा था।

माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं कर्नाटक में 18 महीनों की छोटी अवधि के लिए सत्ता में रहा था। जब हमने महिलाओं को समान अधिकार दिये थे; हमने प्राथमिक विद्यालय से विश्वविद्यालय तक के स्तर पर शिक्षण स्टाफ में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया था। मुझे याद है कि जब मैं गठबंधन सरकार का नेतृत्व कर रहा था, तब हम इसी सभा में महिलाओं को आरक्षण देना चाहते थे-मैंने महिलाओं को विधानमंडल में 33 प्रतिशत आरक्षण देने के लिए संविधान (संशोधन) विधेयक स्वयं प्रस्तुत किया था। इतना ही नहीं, सरकार के द्वारा की जाने वाली सभी सीधी भर्तियों में सिपाही के पद से लेकर अन्य सभी पदों पर हमने महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण दिया है। हमने शिक्षा के क्षेत्र में दी जाने वाली सभी सुविधाओं में 33.3 प्रतिशत आरक्षण दिया है। पिछले 18 महीनों में लिये गये कदमों से मैं संतुष्ट होने वाला नहीं हूं। मैंने बालिका के लिए एक योजना शुरू की है। हमारी सरकार जन्म के समय बालिका के नाम पर 10,000 रुपये जमा करती है; और

उसकी शादी के समय यह राशि ब्याज दर के अनुसार 3 से 3.5 लाख रुपये हो जाती है और इसी राशि को उस बालिका की शादी में उपयोग में लाया जाना चाहिए।

महोदया, आज मैं आपके माध्यम से जो सबसे महत्त्वपूर्ण बातें इस सभा के संज्ञान में लाना चाहूंगा वह विज्ञापनों में यौन प्रेमालाप दिखाये जाने के संबंध में हैं, जो युवा बालकों एवं बालिकाओं के चित्त को खराब करती हैं। यह केवल राजस्व अर्जित करने के लिए किया जाता है। सूचना विभाग इसे देख रहा है। यह अत्यंत महत्त्वपूर्ण बात है। इसलिए, मेरी विनम्र राय यह है कि किसी भी तरह इस तरह के मामले को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में या विज्ञापनों में जो युवा बालकों के चित्त को खराब करते हैं न दिखाया जाए।

यह अत्यंत आवश्यक है और यह समय की मांग भी है कि बलात्कार की ऐसी घटनाओं को, जो चाहे राज्य स्तर पर या केन्द्रीय स्तर पर घटित हो रही हैं, रोका जाए। पहली बार हमने इस तरह की शर्मनाक घटना को देखा है। यह सबसे खराब वर्ष था जब हमने इस तरह की स्थिति को महसूस किया, यहां पूरे देश विशेषकर राजधानी दिल्ली ने इस तरह की शर्मनाक घटना को देखा।

अध्यक्ष महोदया: कृपया अपनी बात समाप्त करें। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री एच.डी. देवेगौडा: इस पर पूरे विश्व में प्रतिक्रिया हुई है। इस संदर्भ में, सरकार उग्र सुधारवादी कदम उठाये जिसके लिए हम सभी उसका साथ देंगे। महोदया, आपनेप हमें एक मौका दिया है कि हम सरकार को सहयोग करने के लिए सोचें चाहे वह आरक्षण के लिए हो या वह ऐसा उग्र सुधारवादी कदम हो जो सदन महिलाओं को समान अधिकार दिये जाने के बारे में उठाने जा रहा हो जिससे हमारी बहनों और बेटियों का किसी भी प्रकार का अन्य कोई और यौन उत्पीड़न न हो।

महोदया, हमारा दर्शन मातृदेवो भव: है। यह हमारा मूल दर्शन है। हमें याद है कि माता देवी है, उसने हमें जन्म दिया है। यह अत्यंत महत्त्वपूर्ण और आवश्यक है कि हम अपनी बहनों और बेटियों के हितों की रक्षा करने के लिए कितनी दूर तक जाते हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर हमें शपथ लेनी चाहिए।

[हिन्दी]

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): अध्यक्ष महोदया, नेता विपक्ष सहित सभी नेताओं ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर अपने उद्गार व्यक्त किए हैं, हम उनके समर्थन में हैं। महोदय, शास्त्र और अपनी संस्कृति के मुताबिक मैं देख रहा हूं कि "यत्र नारी पूजयन्ते तत्र रमन्ते देवता।" देवताओं के मंत्रिमंडल में सबसे ताकतवर पोर्टफोलियो महिलाओं को ही दिया गया। दुर्गा जी शक्ति की देवी, लक्ष्मी जी धन की देवी और सरस्वती विद्या की देवी के रूप में पूज्य हैं। पुराने जमाने से हमने नारी को महत्त्वपूर्ण स्थान दिया। आज से ढाई हजार वर्ष पहले भगवान बुद्ध वैशाली में आए। उन्होंने कहा था "वज्जीनाम शत अहरिहान्याधम" अर्थात वज्जीयन के सात सिद्धांत कभी समाप्त नहीं होने वाले हैं। जिस समाज में सात धर्मों का पालन होगा, वह समाज तरक्की में जाएगा, उसकी अवनति नहीं होगी। सात धर्म में एक है कि जिस समाज में महिला और बच्चे सुरक्षित होंगे, वह समाज तरक्की करेगा। नारी सशक्तिकरण आज लोग हमें सिखा रहे हैं लेकिन नारी सशक्तिकरण वैशाली में शुरू हुआ था। भगवान बुद्ध के समय बुद्धिज्म में नारी को बराबरी का अधिकार और प्रवेश मिला था। अभी मैं देखता हूं कि तमाम महत्त्वपूर्ण और ताकतवर पदों पर महिलाएं विद्यमान हैं, फिर भी महिलाओं की दुर्दशा है। कारण क्या है और कैसे इसका समाधान होगा? लोग भाषण में बता रहे थे कि इसका कारण है पुरुष प्रधान समाज और वातावरण। जन्म से लेकर महिला को दबाया जाता है, भ्रूण हत्या की जाती है, बड़े होने पर पढ़ाई में बराबर का अधिकार नहीं दिया जाता, घर में दासी की तरह बर्ताव और अबला-अबला कहकर उसे दबाया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है और दुनिया भर के समाजशास्त्री, ज्ञानी, ध्यानी, वैज्ञानिक, सभी का कहना है कि नारी में नर से कम क्षमता नहीं है। उन्हें दबाकर रखा गया है। कन्यादान, पुरुषदान, गोदान, स्वर्णदान आदि हमारे समाज में किया जाता है। हमारे देश में दहेज प्रथा भी बहुत बड़ी बुराई है। इन सामाजिक बुराइयों का मेरी समझ में इलाज क्रांति से ही हो सकता है। जैसे अमीर गरीब में भेद समाप्त करना चाहिए, ऊंच नीच में भेद समाप्त करना चाहिए, बड़े छोटे में भेद खत्म करना चाहिए, काले गोरे का भेद खत्म करना चाहिए, उसी तरह से नर नारी में समता होनी चाहिए और इनमें भेद समाप्त होना चाहिए। हिंदुस्तान का माथा दुनिया के देशों में नीचे हुआ जब दिल्ली की घटना घटित हुई। लोगों ने कहा कि फांसी का कानून बनाओ। लोगों ने नारे लगाए कि हमें न्याय चाहिए। सारा देश गुस्से से भर गया। उसके बाद भी कोई असर नहीं दिखाई दे रहा है। फिगर्स बताती हैं कि कोई असर नहीं हुआ। हमने कैसे समाज को बनाया?

हमें ऐसा समाज बनाना पड़ेगा जिसमें नर नारी समता हो और उन्हें बराबरी का अधिकार देना चाहिए। महिलाओं पर जो जुल्म हो रहे हैं जैसे छेड़खानी, विश्वासघात, बलात्कार। ये तीन अपराध महिलाओं के साथ हो रहे हैं। जब तक ये जुल्म जड़ से समाप्त नहीं होंगे, जब तक समाज में इस तरह की सोच विकसित नहीं होगी, तब तक हिंदुस्तान दुनिया के सामने अपना माथा ऊंचा नहीं कर सकता। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर यह संकल्प लेने

की जरूरत है और नर नारी समता वाली क्रांति लानी पड़ेगी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जिंदाबाद।

[अनुवाद]

डॉ. रत्ना डे (हुगली): अध्यक्ष महोदया, सबसे पहले मैं माननीय मंत्री कृष्णा जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष सुषमा जी, हमारी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, हमारी यू.पी.ए. अध्यक्ष सोनिया जी, विश्व की सभी महिलाओं और अपनी मां को भी बधाई देती हूं।

आज 8 मार्च महिलाओं के लिए विशेष दिन है, इसे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह केवल समारोह मनाने का ही दिन नहीं है बल्कि यह समीक्षा करने का भी दिन है कि महिलाओं को समाज में अपना स्थान बनाने के लिए और समानता सुनिश्चित करने के लिए समस्याओं का कैसे सामना करना पड़ रहा है। इस वर्ष महिलाओं के प्रति हिंसा पर ध्यान केन्द्रित किया जा रहा है। वर्षों से उनके हालात ठीक नहीं हैं। हम अक्सर महिला सशक्तिकरण, समानता और न जाने कितनी बातें करते हैं। परन्तु सच्चाई क्या है?

हमारे देश की जनसंख्या का 48 प्रतिशत महिलाएं हैं। यदि हम महिलाओं और बच्चों को एक साथ लेते हैं तो वे देश की कुल जनसंख्या का 70 प्रतिशत हैं। मेरा सभी माननीय सदस्यों से यह अनुरोध है कि वे दलगत राजनीति से ऊपर उठकर पिछले दशक में महिलाओं की स्थिति में सुधार के बारे में आत्मचिंतन करें।

सदियों से महिलाओं के प्रति भेदभाव होता रहा है। एक प्रकार से यह हमारे सामाजिक मूल्यों और नीतियों को प्रदर्शित करता है। महिलाओं को सच में न्याय प्रदान करने के लिए काफी आत्मचिंतन करने की जरूरत है। पुरुषों की मानसिकता को बदलने की जरूरत है। कहीं पर यह सही कहा गया है कि हमें महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए पुरुषों को शिक्षित करने की जरूरत है। यदि हम महिलाओं के प्रति दमन और भेदभाव को समाप्त करना चाहते हैं तो हमें कड़े कानून बनाने होंगे। जुर्माने को काफी बढ़ाया जाए और उस हर व्यक्ति को जो महिलाओं के प्रति अपराध या हिंसा में लिप्त होता है और जो महिलाओं के प्रति न्याय के बारे में नहीं सोचता है, ऐसी सजा दें कि वे दुबारा महिलाओं के प्रति अपराध करने से पहले दो बार सोचे।

हमें सुशासन सुनिश्चित करने की जरूरत है। यदि शासन अच्छा होगा तो कोई भी महिलाओं के खिलाफ जाने का साहस नहीं करेगा। यदि लोगों के बीच यह संदेश पहुंच जाता है कि यदि कोई अपराध करता है या नियमों अथवा कानूनों का उल्लंघन करता है तो वह बच नहीं पाएगा, तभी हम समानता, महिलाओं के प्रति न्याय और महिला सशक्तिकरण देख पाएंगे।

अन्त में, मेरा आप सभी से यह अनुरोध है कि सच्चाई से महिला सशक्तिकरण सुनिश्चित करने के लिए पूरे दिल से आगे आएं।

डॉ. मिर्जा महबूब बेग (अनंतनाग): धन्यवाद, अध्यक्ष महोदया। मैं केवल एक मिनट लूंगा। इस विषय पर पूरी सभाने एक ही प्रकार के विचार व्यक्त किए हैं। इसलिए इस पर कोई विवाद नहीं है। मैं केवल दो बातें कहना चाहता हूं।

सुषमा जी ने कहा है: "इस समस्या का एकमात्र समाधान यह है कि हम कड़े कानून बनाकर अपराधियों के दिमाग में भय पैदा करें।" हर कोई इस बात से सहमत है। मेरा सवाल यह है कि क्या इसका मतलब यह है कि हमें व्यवस्था को ठीक करना पड़ेगा? व्यवस्था में ही कमियां हैं। हर व्यक्ति यह चाहता है कि इसे ठीक किया जाए। हर व्यक्ति यही चाहता है। पूरी सभा यही बात कह रही है फिर भी ऐसा नहीं हो पा रहा है। फिर भी महिलाओं को न्याय नहीं मिल रहा है। मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि हमें व्यवस्था में काफी बदलाव अथवा कम से कम कुछ बदलाव अवश्य करना पड़ेगा। हम जो कुछ भी महसूस कर रहे हैं, महिलाओं के लिए हमारी चिंताओं का कुछ मतलब तभी होगा यदि इससे उन्हें सच में न्याय मिलता है। वह केवल तभी मिलेगा जब हम व्यवस्था को ठीक करेंगे।

मैं सुषमा जी से कुछ पूछना चाहता हूं, परन्तु वह यहां पर नहीं हैं। टीएमसी के मेरे सहयोगी और न्यायमूर्ति वर्मा ने भी अपनी रिपोर्ट में कहा है: "चाहे कोई महिला जम्मू और कश्मीर की हो; चाहे पूर्वोत्तर की हो अथवा देश के किसी भी भाग की हो; उसे न्याय चाहिए।" इस मामले को उठाने के लिए मैं न्यायमूर्ति वर्मा का आभारी हूं। उन्होंने यह कहा था और सिफारिश की थी कि "सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम की आड़ में जम्मू एवं कश्मीर, पूर्वोत्तर या देश के किसी अन्य भाग में जिन महिलाओं के साथ बलात्कार होता है, उन्हें भी न्याय मिलना चाहिए।" परन्तु उन्हें न्याय नहीं मिल रहा है क्योंकि वर्दीधारी लोग सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम की आड़ में बच निकलते हैं।

इसलिए मैं सरकार से सिफारिश करता हूं कि वह न्यायमूर्ति वर्मा द्वारा सौंपी गई रिपोर्ट पर विचार करें जिसमें उन्होंने पुरजोर सिफारिश की है कि वर्दीधारी लोगों पर भी सिविल कानूनों के अधीन मुकदमा चलाया जाना चाहिए न कि सेना कानूनों के अधीन। मैं यह सिफारिश भी करता हूं कि महिला तो एक महिला है, चाहे वह जम्मू और कश्मीर की हो, चाहे पूर्वोत्तर की हो अथवा देश के किसी अन्य भाग की हो, उसे एक समान न्याय मिलना चाहिए। मेरा सरकार से यही अनुरोध है।

[हिन्दी]

श्रीमती पुतुल कुमारी (बांका): अध्यक्ष महोदया, मैं आपको एवं सदन की सारी महिला सदस्यों को तथा सभी गणमान्य व्यक्तियों को इस शुभ दिन की बधाई देती हूं। दिल में अत्यन्त दुख के साथ मैं यह बधाई दे रही हूं क्योंकि आज का दिन नारी सशक्तिकरण का दिन है लेकिन हमारे मन में बहुत तकलीफ है। जिस स्थिति से हम गुजर रहे हैं, महिला सशक्तिकरण का समय है लेकिन फिर भी स्त्रियों की स्थिति बहुत दयनीय है।

जब हम अपने पुराने इतिहास को देखते हैं तो हम वेद पुराणों में देखते हैं कि हमारे देश में स्त्रियों को काफी ऊंचा सम्मान दिया गया। वहां पर उनको वेद के पठन-पाठन का अधिकार दिया गया। हवन करने का अधिकार दिया गया। प्राचीन काल में गार्गी और मैत्री जैसी विदुषी महिलाएं थीं। महाकवि कालिदास की प्रेरणा भी एक स्त्री ही थी जिन्होंने अभिज्ञानशाकुंतलम और मेघदूत जैसी रचनाएं लिखने की प्रेरणा दी थी। रत्नावली भी ऐसी ही एक महिला थीं जिन्होंने अपने पति महाकवि तुलसीदास को यह प्रेरणा दी कि रात के अंधेरे में जैसी प्रीति आपकी हमारे साथ है, वैसी प्रीति अगर भगवान प्रभु राम के साथ होती तो आप एक बहुत ऊंचे योगी बन गये होते और उसी उलाहना ने उनको इतना विद्वान बनाया कि उन्होंने रामचरित मानस जैसे महाकाव्य की रचना की। हमारे इतिहास में, हमारे पुराणों में ही लिखा है कि यत्र नार्यस्तु पूजयन्ते, रमन्ते तत्र देवता–अर्थात् जहां नारियों की पूजा की जाती है, वहां ही देवता का निवास होता है। किंतु समय बदला, स्थितियां बदलीं, पर्दे का चलन हुआ और स्त्रियां पर्दे में कैद हो गईं उस समय के साथ-साथ वह गंदगी आई जिसका आज समाज में हम बढ़ता हुआ रूप देख रहे हैं तथा तभी आज हम कहते हैं कि अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में है पानी।

आज एक महीने में 554 महिलाओं से छेड़छाड़ की घटनाएं होती हैं। लगभग एक दिन में औसत 4 बलात्कार की घटनाएं होती हैं। अगर हम आंकड़े उठाकर देखें तो पाएंगे कि ये घटनाएं काफी शर्मसार करने वाली हैं। अभी जो 16 दिसम्बर 2012 में घटना घटी, उस घटना ने हम को भी शर्मसार कर दिया।

अपराह्न 2.00 बजे

उस घटना ने हम सबको सोचने पर मजबूर कर दिया कि हमने आज पढ़ लिखकर, शिक्षित होकर, सभ्य समाज के नागरिक होकर कैसे समाज का निर्माण किया है। आज हम इस तरह के अत्याचार, जघन्य घटनाओं के खिलाफ कड़े नियम बनाने की मांग कर रहे हैं। कभी फांसी देने की मांग करते हैं और कभी शारीरिक दृष्टि से अक्षम बनाने की मांग करते हैं। जब हम अकेले होते हैं तो कहीं न कहीं जरूर सोचने पर मजबूर हो जाते हैं, हर पढ़ा लिखा व्यक्ति सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आज समाज को क्या हो गया है महिला मां बनकर बच्चे को कोख में पालती है, मातृत्व देती है जिसके अमृत से व्यक्तित्व का निर्माण होता है, बहन के रूप में रक्षा सूत्र कलाई पर बांधती है, पत्नी और सहचरी बनकर जीवन के दुख सुख को बांटती हे, जीवन में समरता का भाव लाती है। गांवों में आज भी माना जाता है कि लड़का होगा तो वंश बढ़ेगा इसलिए लड़कियों को जन्म के समय ही मार दिया जाता है इसलिए स्त्रियों का अनुपात कम हो रहा है। हमें लड़कियों की घटती संख्या चेतावनी दे रही है कि आने वाला समय अच्छा नहीं है। आज पढ़े लिखे लोग शहरों में बड़े डाइग्नोस्टिक सेंटर्स में जाते हैं जहां जन्म से पहले ही लड़की को मार दिया जाता है। शहरों में भ्रूण हत्या बहुत तेजी से फैलता हुआ जुर्म है। नियम भी बने हैं लेकिन नियमों का पालन कहीं नहीं हो रहा है। लिंग अनुपात विषम हो रहा है, यह हमें चेतावनी दे रहा है।

अध्यक्ष महोदया, स्त्रियां कुपोषण की शिकार हैं। खून की कमी की शिकार हैं और इसके कारण शिशु मृत्यु दर बढ़ रही है। इन हालातों को देखते हुए स्त्री की दशा में सुधार के लिए कई कार्यक्रमों की जरूरत है। स्त्री को सबसे पहले अपने अस्तित्व को पहचानना होगा। सबसे बड़ी बात है कि स्त्रियों को बदलते परिवेश में उपभोक्तावादी संस्कृति का हिस्सा नहीं बनना चाहिए जिसके लिए उन्हें मजबूर किया जा रहा है। कानूनी व्यवस्था के नियमों के साथ आत्मचिंतन और आत्ममंथन करने की जरूरत है। आज के हालात में हमें महाकवि जयशंकर प्रसाद की इस कविता को अपने जीवन में लाना चाहिएः

नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पल तल में,

पीयूष स्रोत सी बहा करो, जीवन के सुंदर समतल में।

अध्यक्ष महोदयाः इस चर्चा का बहुत सुन्दर समापन हुआ।

[अनुवाद]

माननीय सदस्यगण, हमने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर अत्यन्त लाभदायक चर्चा की है।

हम भारत की संसद हैं जो विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के 120 करोड़ स्त्री-पुरुषों का प्रतिनिधित्व करते हैं। हम कानून बनाते हैं, हम कार्यपालिका पर नियंत्रण रखते हैं और इस सभा में वाद-विवादों के जरिए हम लोगों की सोच भी बदलते हैं। हम महिलाओं की सुरक्षा, संरक्षा, कल्याण और सशक्तिकरण के लिए कानून बनाने का संकल्प लें। हम इस पर भी गहरी नजर रखें कि कार्यपालिका द्वारा इन कानूनों का कार्यान्वयन कैसे किया जा रहा है।

इससे भी अधिक महत्त्वपूर्ण यह है कि जैसा कि सुझाव दिया गया है कि महिलाओं के प्रति लोगों के नजरिए में बदलाव लाने के लिए हम प्रत्येक सत्र में महिलाओं से संबंधित मुद्दों पर कम से कम एक चर्चा अवश्य करें।

इस संसद, जो सर्वोच्च संस्था है ने आज यह स्पष्ट संदेश दिया है कि भारत में महिलाओं को सशक्त बनाया जाएगा और उन्हें हमेशा सर्वोच्च सम्मान दिया जाएगा।

अपराह्न 02.05 बजे

रेल अभिसमय समिति के तीसरे प्रतिवेदन के अनुमोदन के बारे में संकल्प
रेल बजट (2013-14)—सामान्य चर्चा
लेखानुदानों की मांगें—(रेल), 2013-14
अनुपूरक अनुदानों की मांगें—(रेल), 2012-13
तथा
अतिरिक्त अनुदानों की मांगें—(रेल), 2010-11

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयाः सभा अब, मद संख्या 9 से 13 पर एक साथ विचार करेगी।

श्री गणेश सिंह।

[हिन्दी]

श्री गणेश सिंह (सतना): अध्यक्ष महोदया, कल रेल बजट की चर्चा प्रारम्भ करते हुए मैं कह रहा था कि देश को रेल मंत्री जी से बहुत उम्मीदें थीं। लेकिन उन्होंने भी उसी तरह निराश किया, जैसे पूर्व के रेल मंत्रियों ने किया था। इसीलिए मैंने कहा था कि यह बजट अदूरदर्शी तथा निराशाजनक है। 17 वर्षों के बाद रेल मंत्री, श्री पवन कुमार बंसल जी ने खुद रेल की ड्राइविंग सीट पर बैठकर आगे बढ़ाया। अभी तक तो वह एसी फर्स्ट क्लास में बैठकर सिर्फ रेल की यात्रा को देख रहे थे। लेकिन पहली बार उन्होंने ड्राइविंग सीट पर बैठकर इसे चलाने की कोशिश की। लेकिन मुझे लगता है कि इतने बड़े देश में जिस दिशा में उन्हें रेल को

अपराह्न 2.06 बजे

[**श्री फ्रांसिस्को कोज्मी सरदीना** *पीठासीन* हुए]

ड्राइव करना चाहिए था, उस दिशा में वह रेल को ड्राइव नहीं कर पाये। वास्तव में रेल की जो समस्या है और जो हमारे सामने चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों के बारे में उन्होंने अपने भाषण में जरूर कहा है, लेकिन जब रेल बजट की गहराई में जाकर मैंने देखा कि तो मुझे लगा कि उन तमाम सुविधाओं को जुटाने के लिए बहुत धीमा प्रयास इस बजट में किया गया है और ऐसा लगा जैसे "खोदा पहाड़ और निकली चुहिया"। ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस के पास 17 वर्षों के बाद रेल मंत्रालय आया है और अब वह पूरी तरह से देश को ध्यान में रखकर इसे आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आज देश के सामने रेलवे का नेटवर्क 64,600 किलोमीटर है। लगभग 12,335 से अधिक गाड़ियां चल रही हैं। आठ हजार से ज्यादा रेलवे स्टेशंस हैं। दो करोड़ से ज्यादा लोग रोजाना यात्रा करते हैं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि सुविधाएं कितनी हैं। एक तरफ आप कहते हैं कि हमारी रेलवे वन मिलियन क्लब में शामिल हो चुकी है। जहां रूस, चाइना और अमरीका हैं। आज चाइना की तुलना अगर हम अपने देश से करें तो हम देखते हैं कि हमसे बाद में चाइना में रेल नेटवर्क शुरू हुआ था। 1947 में हमारा नेटवर्क 53396 किलोमीटर था। 63 वर्षों में देश में हम सिर्फ नौ हजार किलोमीटर नई रेल लाइन बना पाये हैं और कहा जा रहा है कि हम चीन से आगे विश्व स्तर पर अपनी रेलवे को ले जायेंगे। चीन में माल ढुलाई का रूट 120 किलोमीटर प्रति घंटा है। जबकि हमारे 26 किलोमीटर प्रति घंटा है। उनकी गाड़ियां यात्रियों को लेकर 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती हैं और हमारे यहां 80-90 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा नहीं चल पा रही हैं। यह हालत शताब्दी और राजधानी जैसी गाड़ियों की है। बाकी गाड़ियों की बात ही मत करें, हम कैसे चीन से तुलना कर सकते हैं। दस हजार मीट्रिक टन भाड़ा लेकर हमारी माल गाड़ी चलेगी और ट्रैक की क्या पोजीशन है, ट्रैक की हालत कितनी खराब है। हमें रेल लाइनों के सुदृढ़ीकरण का काम करना चाहिए था। हमें रेलों की संरक्षा और सुरक्षा के लिए काम करना चाहिए था, हमें इसके आधुनिकीकरण के लिए काम करना चाहिए था। हमें यात्रियों के लिए सुविधाएं जुटाने का काम करना चाहिए था। जो ऑन गोइंग प्रोजेक्ट हैं, उन्हें हम समय पर कैसे पूरा करें, हमारे सामने यह चुनौती थी। लेकिन आपने बजट में जो प्रावधान कर दिया है कि अभी तक जो रेल लाइनों के निर्माण का काम चल रहा था, उसे भी हम कम करेंगे। पहले जो आमान परिवर्तन हो रहा था, उसमें भी आपने कम कर दिया। मात्र 30 परसैन्ट रेलवे ट्रैक का अभी तक विद्युतीकरण हो पाया है, इससे बड़ी असफलता और क्या हो सकती है।

महोदय, आपकी सरकार रोज एक तरफ डीजल के दाम बढ़ा रही है और आप कह रहे हैं उसकी वजह से हम माल भाड़े में हम फ्यूल चार्ज लगायेंगे और आपने फ्यूल चार्ज लगा दिया। फ्यूल चार्ज लगाकर आप 4200 करोड़ रुपये वसूल करेंगे और रेलवे का खर्चा मात्र 840 करोड़ रुपये हो रहा है। 840 करोड़ रुपये रेलवे अधिभार देगा और आप 4200 करोड़ रुपये लोगों से ले रहे हैं। यह कहां का न्याय है। आपने 20 जनवरी को यात्री किराया बढ़ा दिया और फिर उसके बाद आपने बजट पेश किया तो उसमें भी आपने टिकट कैंसिलेशन, तत्काल में और आरक्षण में पैसे बढ़ाकर वसूली करने का काम किया। इसलिए मैं कह रहा हूं कि यह बजट पूरी तरह से दिशाहीन है।

श्री रघुदयाल, पूर्व प्रबंध निदेशक, कानकोट में रह रहे हैं। उन्होंने इस बात को कहा है कि इस बार भी रेल बजट वैसा ही है, जैसा वह हमेशा होता है। वही वायदे, वही दावे, वही परियोजनाएं और खस्ता हालत से उबारने का कोई प्रयास नहीं किया गया है। रेल बजट गलत पटरी पर आ गया है तो निश्चित तौर पर एक्सिडेंट होना ही है। जब रेल बजट गलत पटरी पर आएगा तो निश्चित तौर पर विस्फोट होगा और वह उस समय देखने को मिला जब सांसदगण रेल मंत्री जी के बजट भाषण के समय वेल में आ आकर अपना विरोध जाहिर कर रहे थे। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि यह क्यों हुआ था। आज रेल मंत्री जी कह रहे हैं कि हमने रेलवे के लिए पैसे जुटाने के लिए व्यवस्था की है। हम प्राइवेट सेक्टर से पैसा लेंगे। पीपीपी मॉडल में पैसा मांगेंगे। आप कहां से पैसा लाएंगे? रेल का जो शेयर है, वह रोज डाउन हो रहा है। आपको पैसा कौन देगा? आपको किस काम के लिए पैसा देगा? आपने जिस पक्षपातपूर्ण तरीके से इस रेल बजट को प्रस्तुत किया है, मैं उसमें साफ-साफ कहना चाहता हूं कि आपको उस दिशा में बहुत गंभीरता से प्रयास करना चाहिए। मध्य प्रदेश में रेल का जो नेटवर्क है, वह लगभग पांच हजार किलोमीटर है। पांच हजार किलोमीटर रेल नेटवर्क में आपने क्या दिया है? मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपने वहां पर सिर्फ दो गाड़ियां दी हैं। आपने 66 नई गाड़ियों की घोषणा की है। 66 नई गाड़ियों में आपने केवल दो गाड़ियां दी हैं और वह भी सप्ताह में एक-एक दिन के लिए दी हैं। मैं कहना नहीं चाहता हूं कि मेरा उन क्षेत्रों से और क्षेत्र के सांसदों से कोई विरोध है, भले ही वे मेरी पार्टी के नहीं हैं। लेकिन मुझे लगता है कि कहीं न कहीं पक्षपात हुआ है, इसलिए मैं उस बात को कह रहा हूं। चंडीगढ़ से इंदौर और जबलपुर से यशवंतपुर आपने जो दो गाड़ियां दी हैं वह पर्याप्त नहीं हैं। 26 गाड़ियों के फेरे बढ़ाए हैं। एक गाड़ी इंदौर-अमृतसर जो दो दिन की थी, उसको आपने बढ़ाने का काम किया है, जबलपुर-अमरावती को सात दिन का किया है। 26 नई पैसेंजर ट्रेनें चालू की हैं लेकिन मध्य प्रदेश को एक भी नहीं दी है। आठ मेमू गाड़ियों में से एक भी नहीं दी है। 57 गाड़ियों का विस्तार किया है, जिसमें जबलपुर-जयपुर को अजमेर तक बढ़ाने का काम किया है। आखिरकार यह सब क्या है? यह कैसा बजट है? यह पक्षपातपूर्ण बजट क्यों है? मंत्री जी ने हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में दो नए कारखाने दे दिए हैं। दो स्थापना के कारखाने दे दिए हैं, एक विद्युतीकरण का काम सैंक्शन कर दिया है, तीन नई रेल लाइन दे दी हैं, दो दोहरीकरण दे दिए हैं, नौ एक्सप्रेस गाड़ियां दे दी हैं, दो पैसेंजर ट्रेनें दे दी हैं, चार डेमू-मेमू गाड़ियां दे दी हैं, तीन गाड़ियों का विस्तार कर दिया है, तीन गाड़ियों के फेरे बढ़ा दिए हैं। राजस्थान को 12 ट्रेनें दे दी हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है लेकिन कहीं न कहीं पक्षपात दिख रहा है। आपने दिल्ली को नौ ट्रेन दे दी हैं। मुझे लगता है कि यह पक्षपात है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आपको इसमें गंभीरता से देखना चाहिए।

मैंने कल भी निवेदन किया था कि यह रेल बजट रूपी गाड़ी जो पवन कुमार बंसल जी ने चलाई थी, वह रायबरेली, अमेठी से होते हुए हरियाणा, चंडीगढ़ चली गई है। वह मध्य प्रदेश की तरफ गई ही नहीं है। जबकि मध्य प्रदेश देश के हृदय स्थल में है और मध्य प्रदेश को हम मजबूत नहीं करेंगे तो पूरब को पश्चिम से नहीं जोड़ पाएंगे, उत्तर से दक्षिण को नहीं जोड़ पाएंगे, क्योंकि वह मध्य में है। वहीं से सारा रेल नेटवर्क चलता है। अगर वह कमजोर रहेगा तो आपका रेल नेटवर्क कहीं न कहीं बाधित होता रहेगा।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि किराए-भाड़े में जो वृद्धि हुई है, 22 जनवरी को आपने 21 प्रतिशत किराया बढ़ा दिया है और 6,600 करोड़ रुपये का अधिभार आपने आम आदमी पर लगा दिया है। आप उस आम आदमी की दुहाई देते हैं। माल भाड़े में 5. 8 प्रतिशत फ्यूल चार्ज लगाकर आपने 4200 करोड़ रुपये वसूलने का लक्ष्य रखा है। जब कि डीजल में मात्र 850 रुपये अतिरिक्त भार लग रहा है। टिकट के आरक्षण, कैंसलेशन, तत्काल में दस से सौ रुपये तक बढ़ा दिए है। जिसमें से 486 करोड़ का आपको अतिरिक्त लाभ होने वाला है।

अभी मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आखिरकार उन महत्त्वपूर्ण परियोजनाओं का क्या हुआ? रेलवे की जो 918 परियोजनाएं स्वीकृत हैं, उनमें से आपने मात्र 347 परियोजनाओं को वित्तीय सहायता देने की बात कही है, जिसमें 1 लाख 47 हजार करोड़ रुपये देने हैं। लेकिन बाकी की परियोजनाओं का क्या हुआ? एक अखबार ने लिखा है कि सैंकड़ों परियोजनाओं से हाथ खींचा। आखिरकार यह क्या हो रहा है? आप एक तरफ कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने आपको बधाई दी है कि आपने रेल के नेटवर्क को बढ़ाने की बात कही है, आपने सुविधा जुटाने की बात कही है। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि आप मितव्ययिता बरत रहे हैं।

दूसरी तरफ जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं, उनको आप ब्लॉक कर रहे हैं। जो 250 स्वीकृत नई रेल लाइनें भी जो अधूरी हैं, आप उनको बंद करने जा रहे हैं। 225 आमान परिवर्तन के काम रोकने जा रहे हैं। आपने कहा है कि मात्र 347 परियोजनाओं को वित्तीय सहायता देने का काम करेंगे। मैं इसी में कहना चाहता हूं कि इसमें लगभग 9 लाख करोड़ रुपये चाहिए। आप पैसा कहां से लाएंगे? आपके पास पैसा कहां है? आपने देश को नहीं बताया। बुंदेलखंड, जहां पर माननीय राहुल गांधी जी गए थे, और कह रहे थे कि साहब बुंदेलखंड बहुत पिछड़ा हुआ जिला है, बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। बुंदेलखंड बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। वहां से सन 1997-98 में एक रेल लाइन ललितपुर-सिंगरौली के निर्माण करने की बात हुई थी, जो बुंदेलखंड और विंध्य क्षेत्र की लाइफलाइन है। यह बिल्कुल सही बात है। वह 541 किलोमीटर की रेल लाइन है, आज तक उसमें पूरी तरह से काम नहीं हो पाया है, अभी तक उसमें मात्र 25 परसेंट काम हुआ है। जहां से वह रेल रूट जाना था, ललितपुर से टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सीधी और सिंगरौली, अभी कहीं कुछ पता ही नहीं है। वहां पन्ना से सतना को जोड़ने का एक आंदोलन चल रहा है। वहां के विधायक ने 70 किलोमीटर की पदयात्रा की, हजारों लोग उनके साथ थे। आखिरकार लोग चाहते है, ये बहुत महत्त्वपूर्ण परियोजना जल्द पूरी हो जाए। सिंगरौली कोल और विद्युत पॉवर का हब है और ललितपुर से सिंगरौली रेल लाइन जाएगी तो जो कोयला उत्पादन होता है, वह सीधे इसी रूट से आएगा। रेलवे की आमदनी ज्यादा होगी, इसमें खर्च भी कम होगा, कोयले का भाव कम हो जाएगा। ये परियोजनाएं बहुत महत्त्वपूर्ण हैं, लेकिन उनको आपने कभी इसमें महत्त्व नहीं दिया। इस साल आप मात्र 45 करोड़ रुपये दे रहे हैं, कहां 1,000 करोड़ रुपये की योजना है, आप 45 करोड़ रुपये देकर, ऊंट के मुंह में जीरा के बराबर पैसा देकर काम करना चाह रहे हैं।

पिछली बार रेल मंत्री जी ने हमारी नेता सुषमा स्वराज जी के क्षेत्र में घोषणा की थी, कि हम सांची में एक कारखाना देंगे, लेकिन आज तक उसका कुछ पता नहीं है। एक साल बीत गया। आपने मिसरोद में एक नया कारखाना देने की बात कही थी, उसका भी पता नहीं है। आपने भोपाल में मेडिकल कॉलेज खोलने की बात की, उसका भी पता नहीं है। आपने इंदौर से रीवा के लिए सप्ताह के तीन दिन, दिन की एक गाड़ी दी थी, जो अभी 3 मार्च से शुरू हुई है। यह 18 घंटे तक चलेगी, लेकिन इसमें एक भी स्लीपर कोच नहीं है। अब चेयर कार में 18 घंटे बैठकर कौन चलेगा, क्या वह जिंदा बचेगा? मैं समझना चाहता हूं कि रेलवे किस तरह काम करना चाहती है? मेरी मांग है कि इस ट्रेन को सप्ताह भर करिए और उसमें सभी श्रेणियों में स्लीपर लगाइए, तब तो वह गाड़ी चलने लायक है, अन्यथा उसे बंद ही कर दीजिए। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं।

रेल मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): आप किस गाड़ी की बात कर रहे हैं?

श्री गणेश सिंह: इंदौर से रीवा। संरक्षा एवं सुरक्षा का बड़ा सवाल है, मैं इसको विशेष रूप से कहूंगा। रेल की सुरक्षा के संबंध में डॉ. अनिल काकोडकर जी ने अपनी रिपोर्ट दी और रेलवे के आधुनिकीकरण के लिए सैम पित्रोदा जी ने एक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। उन लोगों ने कहा कि लगभग 5.60 लाख करोड़ रुपये लगेंगे, तब जाकर रेलवे ट्रैक पर आएगा। यही सच्चाई है, लेकिन आपने इनको महत्त्व नहीं दिया। एक तरफ आप 10,797 समपार फाटक बंद करने वाले हैं, बंद कर दीजिए, लेकिन आप वहां अंडर ब्रिज, ओवर ब्रिज बनायेंगे या नहीं। आपने कहा कि हमारे पास पैसा नहीं है। 3,700 करोड़ रुपए आपको केंद्रीय सड़क निधि से मिलने चाहिए, लेकिन आपको मात्र 1,100 करोड़ रुपये मिले, बाकी का पैसा कहां से आएगा? आपने उम्मीद की है कि राज्य सरकारें शेयर करेंगी, राज्य सरकारें तब शेयर करेंगी जब राज्य सरकारों को आप महत्त्व देने का काम करेंगे। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश की विधानसभा ने एक संकल्प पारित किया था, उसमें सभी पार्टियों के विधायक हैं, हम लोग हर बार कहते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उसमें उन्होंने ललितपुर-सिंगरौली की बात की थी, इस रेल लाइन को जल्दी से पूरा किया जाए। राजकोट गाड़ी नंबर 1463, 1465 को जबलपुर से सतना, रीवा तक बढ़ाया जाए। हावड़ा जबलपुर शक्तिपुंज को भोपाल तक बढ़ाया जाए। इंदौर से मनमाड़ वाया खरगौन सेधवा रेल लाइन का विस्तार किया जाए। ग्वालियर श्योपुर मीटरगेज को ब्राडगेट में परिवर्तन किया जाए। भिंड से कोच वाया लहार नई रेल लाइन का निर्माण कराया जाए। उज्जैन से भुसावल वाया भोपाल फास्ट ट्रेन शुरू की जाए। सिंगरौली से भोपाल वाया बीना नई ट्रेन शुरू की जाए। सागर से मकरोनिया रेलवे स्टेशन से बड़ा मलेहरा छतरपुर खजुराहो तक नई रेल लाइन स्वीकृत की जाए। पन्ना रेल लिंक को सतना से जोड़ा जाए। भोपाल हावड़ा एक्सप्रेस को प्रतिदिन किया जाए। उज्जैन से वाराणसी वाया भोपाल कटनी एक नई ट्रेन चलाई जाए। ये विधानसभा के पारित प्रस्ताव है, जिन पर मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं। इसी तरह से मुलताई से नटखेर नई रेल लाइन, सिंगरौली से कटनी सतना के लिए एक नई रेल यात्री गाड़ी दी जाए। रीवा-आनन्द विहार रेवांचल एक्सप्रेस को जैतवारा में स्टॉपेज दिया जाए। इंदौर-हावड़ा-क्षिप्रा एक्सप्रेस को पूरे सप्ताह भर किया जाए। एक और मामला इसी के साथ जुड़ा हुआ था, इंदौर-पूना गाड़ी को सप्ताह में तीन दिन बढ़ाकर प्रतिदिन किया जाए और इसे चिंचवड में स्टॉपेज दिया जाये। इंदौर-नागपुर को रायपुर तक बढ़ाया जाए। इंदौर-दाहोद रेल लाइन बिछाने के लिए बजट में प्रावधान किया जाए। प्रधान मंत्री जी ने इसका शिलान्यास किया था। प्रधानमंत्री जी शिलान्यास करें, इसके बावजूद रेलवे भूल जाए, इससे बड़ा मजाक और क्या हो सकता है? सिंगरौली में दूसरा प्लेटफॉर्म बने चूंकि यह पॉवर हब है, कोयले

का हब है और इतनी बड़ी संख्या में यात्री आते हैं कि एक रेलवे स्टेशन में एक प्लेटफार्म है। कम से कम दो प्लेटफॉर्म होने चाहिए।

महोदय, अब मैं अपने लोक सभा क्षेत्र के संबंध में विशेष रूप से कुछ निवेदन करना चाहता हूं। मैंने माननीय पवन कुमार बंसल साहब से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात की थी। मैं रेलवे की स्टैंडिंग कमेटी का सदस्य भी हूं। हम लोगों ने अलग से बैठक की। सभी माननीय सदस्यों ने लिखकर दिया, स्टैंडिंग कमेटी ने रिकमंड भी किया, लेकिन आपके रेल के अधिकारियों ने लगता है कि आपको बताया नहीं। व्यक्तिगत रूप से जब मैं आपसे मिला तो मैंने आपसे निवेदन किया, लेकिन उसको भी आप भूल गए। लगातार हमारे यहां से एक मांग हो रही थी कि रीवा-सतना से मुम्बई की एक ट्रेन हो जिसके लिए आपने कहा था कि देंगे। हमारे यहां के लोग व्यापारिक दृष्टिकोण से मुम्बई जाते हैं, दवाई के लिए और इलाज के लिए वहां जाते हैं और वहां से जितनी गाड़ियां अप-डाउन की चलती हैं, उन सारी गाड़ियों में जगह नहीं मिलती। अप-डाउन की गाड़ियों के लिए हमने कई बार कहा कि सभी श्रेणियों में वीआईपी कोटा दे दीजिए जो पहले थे ताकि वहां के यात्रियों को कुछ लाभ मिले। 25000 यात्री रोज सतना रेलवे स्टेशन से आते-जाते हैं लेकिन उनको आरक्षण सुविधा का लाभ नहीं मिल रहा है।

महोदय, सतना में टर्मिनल और आरक्षण सुविधा की लंबे समय से हम मांग कर रहे हैं। यह वाकई वहां के लिए बहुत जरूरी है। यह सुविधा वहां होनी चाहिए। यहां रीवा से आनन्द विहार के लिए एक ट्रेन चलती है। एक ही ट्रेन है जो दिल्ली से हमारे क्षेत्र को कनेक्ट करती है और वह सुपरफास्ट है। उसकी इतनी खराब हालत है कि पूछिये मत। अभी 3 मार्च को उस गाड़ी में हमारे क्षेत्र के पूर्व विधायक श्री प्रभाकर सिंह यात्रा कर रहे थे। इलाहाबाद में उनकी अटैची चली गई। मैं खुद जाता हूं तो खुद दो लड़के रखता हूं ताकि वे सब सामान को व्यवस्थित रखें और देखते रहें। कॉक्रोच, खटमल और चूहे तो खूब मिलते हैं। बाथरूम में पानी की टोटी चलती नहीं और इतनी बदबू कि हालत खराब है। किस तरह से यात्रा पूरी होती है, इस संबंध में मैंने कई बार रेल बोर्ड के चेयरमैन को और जो मैम्बर ट्रैफिक हैं, उनको लिखकर दिया, निवेदन किया, निवेदन किया, लेकिन दुर्भाग्य है कि उनके कान में आज तक जूं नहीं रेंगी। आज तक उस गाड़ी को ठीक नहीं कर पाए। वह इतनी खराब है और वह सुपरफास्ट गाड़ी है। एक तरफ आप कहते हैं कि हम विश्वस्तरीय गाड़ियां बनाएंगे लेकिन विश्वस्तरीय गाड़ियां कैसे बनाएंगे? उन गाड़ियों के डिब्बे तक आप बदल नहीं पाए। सुपरफास्ट गाड़ियों की हालत यह है कि आप निश्चित तौर पर यात्रियों से पैसा जरूर ज्यादा लेंगे लेकिन इसके बावजूद भी उनको सुविधाएं देने का काम नहीं करेंगे। 58 रेलवे स्टेशन आपने विश्वस्तरीय बनाए हैं जहां से आपको 50 करोड़ रुपये की आमदनी साल में हो रही है। मैं दावे के साथ कहता हूं कि पूरे देश में उन रेलवे स्टेशनों में से किसी एक स्टेशन का नाम बता दीजिए जहां विश्वस्तरीय सुविधाएं हों। अकेले नई दिल्ली के लिए मैं कहता हूं जो भारत की राजधानी का रेलवे स्टेशन है। क्या वह विश्वस्तरीय है? वहां स्टेशन में आर.ओ. का पानी तक नहीं मिल रहा है। और आप क्या देंगे? बदबू के अलावा स्टेशनों में और क्या है? अभी इलाहाबाद भी विश्वस्तरीय रेलवे स्टेशन है। वहां पर क्या हुआ? कुम्भ के यात्रियों के साथ क्या दुर्गति हुई? आपका रेल पुल टूट गया। उसमें लोग मर गए, हताहत हुए।

श्री पवन कुमार बंसलः रेल पुल नहीं टूटा।

श्री गणेश सिंहः कुछ टूटा है।

श्री पवन कुमार बंसलः आप थोड़ा सा फैक्ट्स देख लीजिए, पुल टूटा नहीं है।

श्री गणेश सिंहः अखबारों में मैंने जो पढ़ा उसमें लगा कि रेलवे का पुल क्षतिग्रस्त हुआ, उसी से लोग नीचे गिरे।...*(व्यवधान)*

श्री दारा सिंह चौहानः सच्चाई यह नहीं है।

श्री गणेश सिंहः अब क्या है क्या नहीं है, लेकिन दुर्घटना हुई या नहीं, लोग मरे या नहीं?

श्री पवन कुमार बंसलः पुल नहीं टूटा। ...*(व्यवधान)*

श्री दारा सिंह चौहानः माननीय सदस्य अपने शब्द वापस लीजिए।

श्री गणेश सिंहः अगर पुल नहीं टूटा तो मैं अपने शब्द वापस लेता हूं।

श्री पवन कुमार बंसलः धन्यवाद।

श्री गणेश सिंहः महोदय, रीवा से जबलपुर जाने वाली इंटरसिटी के लिए मैंने निवेदन किया था कि उसमें बगहाई और झुकेही में स्टापेज देना था। रीवा-सतना रेलमार्ग के अंतर्गत जमुना और मैहर कटनी के मार्ग में घुनवाड़ा में नए रेलवे स्टेशन की मांग वहां की जनता ने बड़ा आंदोलन करके किया है। लेकिन आज तक उनकी सुनवाई नहीं हुई। इसी तरह से हमारे कई गांव हैं जो रेलवे लाइन के उस पार हैं, उनकी खेती उस पार है, लेकिन वहां आने जाने के लिए कोई सुविधा नहीं है। अब आप फाटक भी बंद कर रहे हैं लेकिन वहां अंडर ब्रिज नहीं बना रहे हैं। ऐसे ही सतना से आगे चलकर गोबरांव गांव है, एक धतूरा है मैहर के आगे चलकर और एक खैरा गांव है। ऐसे कई गांव हैं जिनके

लिए मैं पहले लिखकर दे चुका हूं। वहां पर अंडर ब्रिज बनाए जाने का काम किया जाना चाहिए। मानिकपुर से झांसी एक ऐसा रेल रूट है जिसका आज तक विद्युतीकरण नहीं हुआ, वह ऐसा रूट है जहां पर दोहरी लाइन नहीं हुई। उस रास्ते में चलने वाली सब गाड़ियां डिले हो रही हैं। आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है? हमारी रीवा और सतना से चलने वाली जितनी ट्रेने हैं, नैनी रेलवे स्टेशन पर उन्हें घंटों रोक दिया जाता है। इलाहाबाद वाले उनको कभी नोटिस में नहीं लेते हैं। फिर जब फोन करते हैं तब उसे आगे बढ़ाने का काम करते हैं। इसलिए मेरा रेल मंत्री जी से निवेदन है कि कुछ ऐसे ट्रैक्स हैं जो बहुत व्यस्त हैं। बनारस, इलाहाबाद से होते हुए मुम्बई तक का हमारा ट्रैक है। यह बहुत बिजी है। यहां से दो सौ गाड़ियां रोज चलती हैं। सतना एक रेलवे स्टेशन है दो सौ किलोमीटर जबलपुर और दो सौ किलोमीटर इलाहाबाद के मध्य में है। कई गाड़ियों का टैक्नीकल स्टॉपेज है, लेकिन कमर्शियल स्टॉपेज नहीं है। इलाहाबाद से मुम्बई एक ट्रेन चलती है। उस ट्रेन के लिए डीजल और स्टाफ हमारे यहां से ले रहे हैं, लेकिन वहां के पैसेंजर को नहीं ले रहे हैं। यह कैसा न्याय है? कहां का न्याय है? किस तरहर से आप रेल को चलाएंगे?

आज रेलवे की जो स्थिति है, खान-पान की व्यवस्था, सफाई की व्यवस्था, यात्रियों की सुरक्षा की व्यवस्था, जिस तरह से अवैध वैंडरों की भरमार है। रेलवे की तरफ से जो खाना मिलता है, उसकी क्वालिटी ठीक नहीं है। इसका ठेकेदार कौन है? कपड़े धोने वाला ठेकेदार कौन है? लेनिन धोने वाला कौन आदमी है? उनमें बदबू आती है। पैसा तो आखिरकार पैसेंजर से लिया जाता है और रेलवे उनका भुगतान भी करती है, लेकिन फिर भी वह ठीक काम क्यों नहीं कर रहे हैं? कई बार मैंने स्वयं कम्पलेंट की है, लेकिन आज तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई।

[अनुवाद]

सभापति महोदयः माननीय सदस्य, कृपया बात समाप्त कीजिए।

[हिन्दी]

श्री गणेश सिंहः महोदय, मैं निवेदन कर रहा हूं कि जो हालात हैं, उनको कौन ठीक करेगा? किस को कहेंगे कि वह हालात ठीक करे? पवन कुमार बंसल जी बहुत सीनियर मिनिस्टर हैं, बहुत जानकार आदमी हैं और उनसे बड़ी उम्मीदें हैं कि वे रेलवे को ठीक ट्रैक पर लाकर खड़ा करेंगे। लेकिन मुझे लगता नहीं है। रेलवे का जो विकास नहीं हो रहा है, उसमें बड़ा रोल अधिकारियों का नादिरशाही का भी है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदयः कृपया समाप्त करें। अपने अपनी बात कह दी है,

[हिन्दी]

श्री गणेश सिंहः यह अधिकारी आपके कन्ट्रोल में नहीं हैं। इनमें इतनी अफसरशाही हो चुकी है कि यह अपनी मनमानी करते चले जा रहे हैं। जब तक आप इन पर लगाम नहीं लगाओगे, जब तक इन पर नियंत्रण नहीं करोगे,जब तक ये जनता की तकलीफ को नहीं समझेंगे, राज्य सरकार के प्रस्तावों पर विचार नहीं करेंगे, कैसे आप सही दिशा में रेलवे को ले जाने का काम कर पाएंगे। इसलिए मेरी विनती है कि यह रेल बजट आपका पहला रेल बजट है। यह हो सकता है कि आपको समय कम मिला हो, लेकिन अभी आप अनुपूरक मांगों को सदन में लेकर आएंगे। अभी यह रेल बजट स्टैंडिंग कमेटी में भी जाएगा। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदयः श्रीमती अन्नू टंडन।

[हिन्दी]

श्री गणेश सिंहः अभी वह रिकमेंड करेंगे। मेरा निवेदन है कि इसे रिव्यू कीजिए। इस पर पुनर्विचार कीजिए। आपने जो यात्री किराया बढ़ाया है, उसे वापस कीजिए। फ्यूल चार्ज खत्म कीजिए। फ्यूल चार्ज अगर लेना है तो उतना ही लीजिए, जितना आप दे रहे हैं। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदयः कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा। मैंने आपको पर्याप्त समय दिया है।

*...(व्यवधान) **

***डॉ. मिर्जा महबूब बेग** (अनंतनाग): दुर्भाग्यवश, 1947 के बाद जम्मू और कश्मीर का विश्व के अन्य भागों से संपर्क टूट गया क्योंकि मुजफ्फराबाद (पीआरके), जम्मू-सियालकोट, कारगिल-अरकारडू, पूंछ-रावलकोट से हमारी सड़क संपर्कता राजनैतिक कारणों से बंद कर दी गई। देश के अन्य भागों से हमारा एकमात्र संपर्क श्रीनगर-जम्मू सड़क से है। कश्मीर घाटी को दोनों तरफ (कश्मीर और जम्मू से) जोड़ने के लिए चार प्रधानमंत्रियों ने शिलान्यास किए। अभी तक यह कार्य पूरा नहीं हुआ है। मैं माननीय

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

रेल मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे काफी दिनों से लंबित इस परियोजना को पूरा करे ताकि देश के अन्य भागों से जुड़ सके। सड़क संपर्क होने से भावनात्मक संबंध भी जुड़ सकेगा जो समय की मांग है।

पूर्ववर्ती डोडा जिले, राजौरी और पूंछ को रेल द्वारा जोड़ा जाये एवं कश्मीर घाटी में रेल के अंत:संपर्क उपलब्ध करवाये जाएं।

मैं मोंघल (अनंतनाग) पर हाल्ट स्टेशन की मांग करता हूं क्योंकि यह स्थानीय जनसंख्या की मांग है। मैं माननीय मंत्री महोदय को धन्यवाद भी देता हूं क्योंकि उन्होंने अपने बजट भाषण में जम्मू और कश्मीर पर काफी ध्यान दिया।

***डॉ. रत्ना डे** (हुगली): मैं बजट (रेल) पर अपने विचार व्यक्त करना चाहती हूं। नये रेल मंत्री, श्री पवन कुमार बंसल ने मंत्रालय का कार्यभार ग्रहण करने के तुरंत बाद रेल यात्रियों का किराया 20% बढ़ा दिया। देश में रेल के इतिहास में ऐसा कभी भी नहीं सुना गया है। मेरा मानना है कि यह गरीबों, जरूरतमंदों और निचले तबके के लोगों के जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा है जो पहले से ही आवश्यक वस्तुओं और पेट्रोलियम उत्पादों की बढ़ती कीमतों की मार झेल रहे हैं।

अब अपने रेल बजट में इन्होंने तत्काल प्रभार, आरक्षण और आरक्षण रद्द करने के प्रभारों में वृद्धि की है। यह किसी भी तरह से सही नहीं है।

रेल बजट पर और रेल की स्थिति पर अपनी अप्रसन्नता व्यक्त करने के बाद मैं बताना चाहूंगी कि पश्चिम बंगाल के लिए बजट में कुछ भी नहीं है। दिखावे के लिए किये गये कुछ प्रावधानों के अलावा पश्चिम बंगाल के लिए किसी भी ठोस योजना की घोषणा नहीं की गई है। किसी भी नई रेल लाइन, आमान परिवर्तन, रेल लाइन के दोहरीकरण, नये सर्वेक्षण, नये पीआरएस की घोषणा नहीं की गई है। विगत वर्ष प्रस्तावित तारकेश्वर-मोगरे रेल लाइन का भी उल्लेख नहीं किया गया है।

हावड़ा से सीरमपुर वाया दांकुनी एवं सिंगुर जिसका पिछले वर्ष के बजट में प्रस्ताव किया गया था उसका भी यहां जिक्र नहीं किया गया है।

आर्थिक रूप से पिछड़े जिलों और नक्सलवाद से प्रभावित क्षेत्रों के लिए किसी भी नई लाइन या गाड़ी का जिक्र नहीं किया गया है।

जैसा कि सभी को ज्ञात है कि रेल हमारे राष्ट्र की जीवन रेखा है। इस पर समग्र राष्ट्र की आवश्यकताओं को पूरा करने की कठिन जिम्मेदारी है। जब सुश्री ममता बनर्जी माननीय रेल मंत्री थी, तब उन्होंने सभी वस्तुओं खासकर आवश्यक खाद्य पदार्थों, पेट्रोलियम उत्पादों इत्यादि के बढ़ते हुए मूल्यों के कारण आम आदमी की कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए यात्री किराये में बढ़ोतरी नहीं की।

रेल बजट के कुछ बातों की मैं प्रशंसा करती हूं। वे इस प्रकार से हैं। महिला यात्रियों की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए महिला आरपीएफ कर्मियों की एक कंपनी का गठन किया गया है। इसके अलावा आठ और कंपनियों गठन का प्रस्ताव है तथा महिलाओं के लिए आरपीएफ रिक्तियों में 10 प्रतिशत आरक्षण किया जा रहा है।

नई दिल्ली में स्टेशनों को बेहतर बनाने के लिए 100 करोड़ रुपयों का प्रावधान किया गया है। मेरा सुझाव है कि रेलवे को प्रयास करने चाहिए और देश के अन्य भागों में अन्य बड़े स्टेशनों की स्थिति में सुधार करने के लिए निधियां निर्धारित करनी चाहिए।

माननीय रेल मंत्री ने कई जगहों पर रेल डिब्बों के विनिर्माण और रखरखाव के लिए नए कारखाने स्थापित करने की घोषणा की है, परन्तु पश्चिम बंगाल में किसी भी जगह नहीं किया गया है। मैं इसकी निंदा करती हूं।

रेल बजट में यह जिक्र किया गया है कि सुरक्षा निधि अपर्याप्त है। अगर यह सही है, तब मैं यह पूछना चाहूंगी कि रेल बजट के लिए निधियां कहां से जुटाई जायेंगी?

क्या माननीय मंत्री महोदय इस बारे में उत्तर देंगे? अगर रेलवे सुरक्षा निधि में पर्याप्त धनराशि नहीं है, तो मंत्री महोदय रेल यात्रियों की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित करेंगे?

मैं चाहती हूं कि सरकार सुरक्षा और अन्य अहम मुद्दों के लिए और निधियां जुटाये तथा इसके लिए यात्री किराये में और वृद्धि कर अथवा तत्काल, आरक्षण, रद्द करने एवं आरक्षण प्रभारों में वृद्धि कर अप्रत्यक्ष रूप से निधियां न जुटाये ताकि गरीबों और दलितों पर इसका प्रभाव पड़े।

देश में सभी जगहों पर रेल स्टेशनों पर स्वच्छता बनाये रखना आवश्यक है। यह कठिन कार्य है। मैं सहमत हूं परन्तु अगर माननीय मंत्री महोदय देश में रेलवे की छवि सुधारना चाहते हैं तो इस दिशा में प्रयास किये जाने चाहिए।

हमारे देश में रेल यातायात का सबसे सस्ता साधन है और यह गरीबों के लिए आवागमन का एक महत्त्वपूर्ण माध्यम है। यह विकास का इंजन है। इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि हमारा रेलवे नेटवर्क विश्व में सबसे बड़ा रेलवे नेटवकर्स में से एक

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

है। ज्यादातर बड़े स्टेशन और छोटे स्टेशनों में शौचालयों, प्रतीक्षालयों, बैंचों इत्यादि की कमी है।

मैं माननीय रेल मंत्री से पुरजोर आग्रह करती हूं कि वे लंबित परियोजनाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता दें और इन्हें शीघ्र पूरा करवायें तथा पूरे देश में समपारों पर कार्मिकों की तैनाती सुनिश्चित करें।

अंत में मैं सरकार से और माननीय रेल मंत्री महोदय से अनुरोध करती हूं कि यात्री किराये में खासकर शयन यान श्रेणी के यात्री किराये में की गई बढ़ोतरी को वापस लिया जाये और साथ ही आरक्षण रद्द करने और आरक्षण प्रभारों में की गई बढ़ोतरी भी वापस ली जाये क्योंकि इससे काफी हद तक गरीबों पर लोड बढ़ा है। इन शब्दों के साथ मैं समाप्त करती हूं।

[हिन्दी]

***श्री श्रीपाद येसो नाईक** (उत्तर गोवा): माननीय रेल मंत्री जी ने 2013-14 का बजट पेश करते हुए कहा कि भारतीय रेल एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण संगठन है जो राष्ट्र को जोड़ने में अतुलनीय भूमिका अदा कर रहा है। राष्ट्र को स्वतंत्र हुए 65 साल हो गए हैं किन्तु अभी भी देश के विभिन्न क्षेत्रों में महत्त्वपूर्ण स्थल रेलवे से नहीं जुड़े हैं। गत वर्ष इसी सदन में रेल बजट पर बोलते हुए मैंने कई सुझाव और मांगें रखी थी पर उनमें से एक पर भी अमल नहीं हुआ। उदाहरण के लिए मैं महाराष्ट्र के सोलापुर से तुलजापुर (मात्र 48 किमी.) नई लाइन डालकर रेल शुरू करने की मांग की थी। पहले इसका सर्वे भी हुआ है। यहां हर दिन माता तुलजा भवानी के दर्शन के लिए हजारों भक्त आते हैं। पूर्णिमा के दिन तो लाखों की संख्या में भक्त आते हैं। आवागमन की सुविधा के अभाव से परेशान रहते हैं। माननीय खैरे साहब ने अपने भाषण में इसकी मांग की है। मैं रेल मंत्री जी से मांग करता हूं कि यह रेल मार्ग बनाकर मां तुलजा भवानी और जनता का आशीर्वाद ले लें।

माननीय मंत्री जी ने प्रत्यक्ष किराया न बढ़ाकर सरचार्ज, केंसलेशन चार्ज, तत्काल चार्ज लगाकर खाद्य और अन्य वस्तुओं की कीमत बढ़ाई जिससे महंगाई और बढ़ेगी। महंगाई से जनता पहले ही त्रस्त है। इसमें आपने महंगाई बढ़ाने वाला बजट प्रस्तुत किया है। रेल यात्रा करने के लिए यदि 6 महीने पहले बुकिंग कराने के बाद भी टिकट कंफर्म नहीं हो पा रही है। गाड़ियां कम और मांग ज्यादा हो गई है। जो गाड़ियां चल रही हैं उनका रखरखाव, साफ-सफाई और खानपान का स्तर भी गिर गया है। जनता रेलवे की लापरवाही से व असुविधाओं से परेशान है।

*भाषण सभापटल पर रखा गया।

पूरा देश संरक्षा और सुरक्षा के बारे में चिंतित है। इलाहाबाद में कुंभ के समय पुल टूटने से बड़ी दुर्घटना हो गई। कई लोग मर गए, कई घायल हो गए हैं। सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी थी। अनेक स्थानों पर अभी भी 'अनमैन गेट्स' हैं, जहां प्रतिदिन दुर्घटना में लोग मरे जा रहे हैं। यहां ओवर ब्रिज या अंडर ब्रिज की जरूरत है। दुर्घटना रोकने के लिए कोंकण रेलवे में एक सुरक्षा कवच किया था जिसे लगाने के बाद गाड़ियां अपने आप रुक जाती हैं। दुर्घटना से बचते हैं। क्या यह सुरक्षा कवच सभी गाड़ियों में लग चुका है। डॉ. अनिल काकोडकर और सैम पित्रोदा की समिति की सिफारिशें लागू करना आवश्यक है।

मैंने पिछले रेल बजट के अपने भाषण में अपने प्रदेश गोवा के लिए 'प्लेस ऑन व्हील' ट्रेन की मांग की थी। मड्गांव स्टेशन को वर्ल्ड क्लास स्टेशन का दर्जा दिया गया था। लेकिन वहां कुछ भी काम शुरू नहीं हुआ है। वैसे ही करमली स्टेशन को आदर्श स्टेशन बनाने की मांग की थी। लेकिन आज तक कुछ भी कार्यवाही नहीं हुई है।

मैं गोवा से निर्वाचित हूं। गोवा विश्व का एक महत्त्वपूर्ण पर्यटन स्थल माना गया है। हिन्दुस्तान से नहीं, बल्कि पूरे विश्व के पर्यटक यहां आते हैं। यहां कोंकण रेलवे रेल की सुविधाएं अपर्याप्त हैं। यहां 6 महीने पहले टिकट बुकिंग करने के बाद भी टिकट कंफर्म नहीं होती। गाड़ियां कम, प्रवासी ज्यादा हैं। इसीलिए मैं इसी संदर्भ में निम्न प्रस्ताव रखना चाहता हूं–

1. कोंकण रेल की लाइन डबल किया जाए ताकि गोवा-मुम्बई, गोवा-मंगलौर, वसई-त्रिवेन्द्रम तक गाड़ियां चलाने की सुविधा हो।
2. पणजी गोवा की राजधानी है। इसके लिए नजदीक स्टेशन करमली (ओल्ड गोवा) है। दिल्ली, मुम्बई, मंगलौर से आने वाली गाड़ियां यहां रुकती नहीं। वह मडगांव स्टेशन पर ही रुकती हैं। न रुकने के कारण पर्यटक और गोवा के लोगों को तीन घंटे का ज्यादा वक्त देना पड़ता है। इसलिए मैं मांग करता हूं कि यह सभी गाड़ियां करमली स्टेशन पर रुकवाई जाए। कई गाड़ियां थिवी स्टेशन पर भी रुकती नहीं हैं। उत्तर गोवा का यह एकमात्र स्टेशन है। यहां नहीं रुकी तो मडगांव जा के फिर 40 कि.मी. वापस आना पड़ता है। वर्तमान रेल सुविधा अपर्याप्त है।

गोवा में कोंकण रेल आने से पहले दक्षिण-पश्चिमी रेल चलती थी। उस रूट का मीटर गेज में रूपांतर करने के बाद ज्यादा गाड़ियां फिर शुरू नहीं की गई। गोवा के कंज्यूमर एसोसिएशन ने गोवा से दिल्ली तक अपनी मांगें पहुंचाई। किंतु कुछ भी कार्यवाही नहीं हुई। मैं मांग करता हूं कि

1. वास्को-डी-गामा से मिराज वापस फास्ट पैसेंजर ट्रेन जो पहले चलती थी वह फिर शुरू किया जाए।

2. प्रतिदिन वास्को-डी-गामा से तिरूपति, सिकंदराबाद फास्ट गाड़ी चलाई जाए।

3. वास्को-डी-गामा बीजापुर-सोलापुर-बीजापुर प्रतिदिन एक्सप्रेस चलाई जाए।

4. 'गोमांतक एक्सप्रेस' नाम से प्रतिदिन वास्को-मुंबई सीएसटी चलाई जाए।

5. वास्को-यशवंतपुर सप्ताह में जो गाड़ी चलती है वह गाड़ी प्रतिदिन चलाई जाए। उसका नाम 'दूधसागर एक्सप्रेस' दिया जाए।

6. वास्को-हावड़ा अमरावती एक्सप्रेस जो सप्ताह में चार दिन चलती है उसे प्रतिदिन चलाया जाए। उसमें पेन्ट्री की व्यवस्था दी जाए।

7. गाड़ी सं. 17312/17311 जो वास्को से चेन्नई जाती है जो एक बार जाती है उसे सप्ताह में दो बार चलाया जाए और उसका नामकरण 'दूधसागर एक्सप्रेस' किया जाए।

8. साउथ-वेस्टर्न रेल का सावर्डे स्टेशन आदर्श स्टेशन बनाया जाए।

पूरे विश्व में से आने वाले पर्यटकों की सेवा के लिए अच्छी सुविधाएं उपलब्ध कराने की जरूरत है। स्टेशनों की मरम्मत करनी पड़ेगी। रेल मंत्री जी ने पिछले दो साल पहले मडगांव स्टेशन को वर्ल्ड क्लास स्टेशन का दर्जा दिया था। लेकिन आज तक यहां काम शुरू ही नहीं हुआ है। करमली स्टेशन जो राजधानी स्टेशन है उसे आदर्श स्टेशन का दर्जा देने की हम मांग करते हैं। इन सभी रेलवे स्टेशनों का काम करके सही मायने में गोवा वर्ल्ड क्लास टूरिस्ट स्टेशन बनाने में आप सहयोग देंगे। ऐसी अपेक्षा रखता हूं।

[अनुवाद]

***डॉ. तुषार चौधरी** (बारडोली): एक बहुत ही प्रगतिशील और आशावादी रेल बजट प्रस्तुत करने के लिए सबसे पहले मैं माननीय रेल मंत्री महोदय का हार्दिक धन्यवाद करता हूं। रेल बजट से गुजरात के लोगों की आशाएं बढ़ी हैं क्योंकि राज्य में एक रेल नीर बॉटलिंग प्लांट खुलेगा और इस पहल के लिए मैं माननीय रेल मंत्री का आभारी हूं। मैं रेल बजट में सम्मिलित सभी प्रस्तावों का समर्थन करता हूं। साथ ही साथ मैं रेल बजट में सम्मिलित करने के लिए कुछ सुझाव देना चाहता हूं जोकि निम्नलिखित हैं–

सूरत, देश का बहुत ही महत्त्वपूर्ण औद्योगिक और वाणिज्यिक केन्द्र है, जिससे रेलवे भारी राजस्व अर्जित करता है। गुजरात में सूरत शहर को वित्तीय और आर्थिक रूप से विकसित शहर के रूप में जाना जाता है। यह शहर हीरा उद्योग, वस्त्र उत्पादन इकाइयों, रिलायंस समूह,

एनटीपीसी, एस्सार समूहए एलएंडटी, अदानी समूह जैसी कारपोरेट जगत की कम्पनियों के महत्त्वपूर्ण औद्योगिक केन्द्र के रूप में विकसित हो गया है। यूरिया, अमोनिया तथा जैव-उर्वरकों के उत्पादन हेतु कृभको का एक उर्वरक परिसर सूरत में है तथा भारत सरकार के अंतर्गत सरकारी क्षेत्र के उपक्रम, ओएनजीसी का कार्यालय सूरत के हजीरा क्षेत्र में है। सूरत में एशिया की सबसे बड़ी चीनी फैक्ट्रियां हैं। पूर्व में घोषणा की गई थी कि सूरत रेलवे स्टेशन को "विश्वस्तरीय रेलवे स्टेशन" के रूप में परिवर्तित किया जाएगा।अतः मेरा अनुरोध है कि उपरोक्त कार्य के लिए वर्तमान बजट 2013-14 में निधियां उपलब्ध कराई जाएं।

सूरत जिले में स्थित बारडोली, "भारत के लौहपुरुष", स्वर्गीय सरदार वल्लभभाई पटेल की कर्मभूमि रही है। बारडोली में सबसे बड़ी चीनी फैक्ट्रियां हैं और यह हीरा उद्योग तथा वस्त्र विनिर्माण इकाइयों के एक महत्त्वपूर्ण औद्योगिक केन्द्र के रूप में विकसित है। यदि माननीय रेल मंत्री बारडोली रेलवे स्टेशन पर "बहु कार्य परिसर योजना" के अंतर्गत विचार करें तो मैं उनका आभारी रहूंगा।

सूरत शहर के रेल यातायात और वाणिज्य को देखते हुए सूरत रेलवे स्टेशन पर श्रेणी-1 कर्मचारी स्तर पर ए.सी.एम. के एक स्थायी पद की नितान्त आवश्यकता है।

सूरत शहर में यातायात की समस्या के समाधान के लिए सूरत रेलवे स्टेशन के गुड्स यार्ड को उधना अथवा भेस्टन रेलवे स्टेशन पर स्थानांतरित कर दिया जाए।

सूरत से सुबह चलने वाली रेलगाड़ियों की कमी की समस्या के समाधान के लिए सूरत से अहमदाबाद और मुंबई के बीच दैनिक रेलगाड़ियों की संख्या बढ़ाने की जरूरत है।

सूरत अमरावती एक्सप्रैस, सूरत-महुआ एक्सप्रैस, सूरत-भागलपुर, सूरत-मुजफ्फरपुर एक्सप्रैस, अमरावती एक्सप्रैस, सूरत-पुरी एक्सप्रैस, बान्द्रा-अजमेर एक्सप्रैस, सूरत ताप्ती गंगा रेलगाड़ी, सूरत से वापी के बीच मेमू रेलगाड़ी, बान्द्रा अजमेर एक्सप्रैस आदि के फेरे बढ़ाकर इन्हें प्रतिदिन किया जाए क्योंकि वर्तमान में ये रेलगाड़ियां सप्ताह में एक अथवा दो दिन ही चल रही हैं।

रेलवे को सौराष्ट्र मेल, दुरन्तो एक्सप्रैस, बान्द्रा भावनगर एक्सप्रैस, त्रिवेन्द्रम नई दिल्ली, भावनगर काकीनाड़ा एक्सप्रैस,

*भाषण सभापटल पर रखा गया।

रेलगाड़ी सं. 2288 कोचीबेली, संपर्क क्रान्ति, गोल्डन टेंपल ट्रेन, फ्लाइंग रानी एक्सप्रैस, सूर्यानगरी एक्सप्रैस 2953, अगस्त क्रांति एक्सप्रैस, बड़ौदा एक्सप्रैस, गुजरात मेल और अरावली एक्सप्रैस, रेलगाड़ी सं. 2951 राजधानी एक्सप्रैस, देहरादून एक्सप्रैस, ब्रान्दा अवध एक्सप्रैस, गुजरात क्वीन, पश्चिम एक्सप्रैस में सूरत का आपात कोच बढ़ाना चाहिए क्योंकि उसके न होने के कारण यात्री बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं।

दुरन्तो एक्सप्रैस, त्रिवेन्द्रम-नई दिल्ली एक्सप्रैस, संपर्क क्रान्ति जैसी कुछ एक्सप्रैस रेलगाड़ियों का सूरत रेलवे स्टेशन पर और वलसाड बड़ोदरा इंटरसिटी का उधना रेलवे स्टेशन पर ठहराव प्रदान किया जाए।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र बारडोली में, उमरपाड़ा और मंगरोल तहसीलें मुख्यत: अविकसित तथा जनजातीय क्षेत्र हैं। इन क्षेत्रों में न तो कोई उद्योग है और न ही लोगों के लिए कोई अन्य आधुनिक सतत रोजगार का स्त्रोत। काफी संख्या में लोग विशेषकर युवा रोजगार और शिक्षा के लिए प्रतिदिन कोसांबा, अंकलेश्वर और सूरत जैसे औद्योगिक रूप से विकसित क्षेत्रों में जाते हैं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र के उमरपाड़ा, कोसांबा और मंगरोल से छोटी लाइन की एक रेलगाड़ी दिन में एक बार गुजरती है। पहले इस रेलगाड़ी के अधिक फेरे हुआ करते थे लेकिन अब इसके फेरे घटा दिये गये हैं। मैं इस उमरपाड़ा-कोसांबा रेलगाड़ी को आम लोगों की सुविध ा के अनुसार सुबह और शाम में कम से कम दो-दो बार चलाने का अनुरोध करता हूं ताकि इस पिछड़े क्षेत्र में आवागमन सुगम हो सके। मेरा अनुरोध है कि इस बजट में इस छोटी लाइन को बड़ी लाइन में परिवर्तित करने की स्वीकृति प्रदान की जाए। इस संबंध में, मैं एक प्रमुख समाचार पत्र 'गुजरात मित्र' में प्रकाशित समाचार की एक कतरन माननीय रेल मंत्री को प्रस्तुत करता हूं।

मैं एक और जरूरी बात यह बताना चाहता हूं कि सूरत की उच्छल तहसील और उसके आसपास एक लाख से ज्यादा लोग रहते हैं जो सोनगढ़ के निकट भड्भूजा क्रॉसिंग ही आ और जा रहे हैं। दिन में यह रेलवे क्रॉसिंग केवल 12 घंटे (प्रात: 7 बजे से शाम 7 बजे तक) खुलती है और पूरी रात यह बंद रहती है। इसके कारण रात में आपात स्थिति में वाहन वहां से गुजर नहीं पाते। इस क्षेत्र के अधिकांश गांव केवल इस रेलवे क्रॉसिंग के जरिए ही बाहरी दुनिया से जुड़े हुए हैं।

उक्त रेलवे समपार पर पूरे दिन के लिए उपयुक्त स्थायी कर्मचारी तैनात कर उसे चौबीसों घंटे खुला रखा जाए।

सूरत रेलवे स्टेशन पर वर्तमान टिकट तथा आरक्षण खिड़कियों की संख्या बढ़ाई जाए। इस स्टेशन के पूर्वी किनारे को सुविधाओं के लिए विकसित किया जाए। सूरत स्टेशन के प्लेटफार्म पर शुद्ध पेयजल की व्यवस्था की जाए। इस स्टेशन में बेहतर कानून व्यवस्था के लिए आरपीएफ पुलिस स्टाफ को भूमि तल पर प्लेटफार्म-1 पर स्थानांतरित किया जाए। इस स्टेशन के प्रवेश और निकास द्वारों को चौड़ा तथा यात्रियों के लिए सुगम बनाया जाए। उधाना स्टेशन को सूरत स्टेशन तथा आसपास के नगर निगम क्षेत्र में आवाजाही को सरल बनाने के लिए टर्मिनल के रूप में विकसित किया जाए।

बड़ौदा भडना के सचिन रेलवे स्टेशन-स्यान और किम रेलवे स्टेशनों में रेलवे उपरि पुल बनाये जाने की तत्काल आवश्यकता है।

गुजरात क्वीन को महसणा तक विस्तार दिया जाए तथा उसमें अतिरिक्त एसी चेयर कार का प्रावधान किया जाए।

सूरत-भुसावल यात्री रेलगाड़ी में द्वितीय श्रेणी का एक और आरक्षण डिब्बा जोड़ा जाए।

ताप्ती गंगा रेलगाड़ी, सूरत-भागलपुर एक्सप्रैस, सूरत-वाराणसी एक्सप्रैस में एक-एक 2 टायर एसी कोच जोड़े जाएं।

सचिन गांव और सामन के पास गंगाधरा बारडोली रोड, गोदादारा डिडोली में रेलवे समपार के द्वार बहुत संकरे हैं जिन्हें आसपास की सड़कों के विकास के साथ-साथ चौड़ा किया जाए।

कुछ नई रेलगाड़ियां शुरू की जाएं, सूरत-नंदूवार-सूरत एमईएमयू/डीईएमयू 7.15 और 15.35 बजे के बीच, जलगांव के रास्ते सूरत-सिरडी-नासिक, सूरत-अरावती दैनिक यात्री गाड़ी, दैनिक सूरत-पुरी एक्सप्रैस, भुसावल ट्रैक पर सूरत से नवापुर तक स्थानीय रेलगाड़ी चलाई जाए।

उधाना-जलगांव दोहरी रेल लाइन के शीघ्र निर्माण कार्य के क्रियान्वयन पर निगरानी रखी जाए तथा उसका उपयुक्त निरीक्षण किया जाए।

व्यारा तापी जिले का मुख्यालय है और व्यारा रेलवे स्टेशन को गत वित्त वर्ष के दौरान आधुनिक रेलवे स्टेशन घोषित किया गया था। वर्तमान में व्यारा रेलवे प्लेटफार्म पर केवल एक ही पैदल यात्री उपरि पुल है। व्यारा और तापी गांवों के बाहरी उत्तरी तथा दक्षिणी छोर को जोड़ने के लिए एक पैदल यात्री उपरि पुल की आवश्यकता है ताकि वहां के वासी रेलवे प्लेटफार्म का उपयोग किए बिना रेल लाइन पार कर सकें। इससे पूर्व, व्यारा रेलवे स्टेशन के पास दो रेलवे रोड क्रॉसिंग थे जो अब बंद पड़े हैं और इस कारण दोनों तरफ के लोगों को अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए लगभग तीन किलोमीटर तक चलना पड़ता है। मैं व्यारा रेलवे स्टेशन के उत्तरी छोर को दक्षिणी छोर से एक बाहरी पैदल यात्री उपरि पुल का निर्माण करने का अनुरोध करता हूं ताकि लोगों की सुविधार्थ इन दोनों स्थानों को जोड़ा जा सके।

व्यारा-सोनगढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग-6 पर वीरपुर गांव के पास एक ही रेलवे समपार है जिसके परिणामस्वरूप गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा पर दोनों ओर अत्यधिक यातायात जाम लग जाता है। चूंकि इस क्षेत्र में भारी वाणिज्यिक वाहन चलते हैं तथा यहां के निवासियों के हल्के वाहन भी चलते हैं इसलिए वर्तमान रेलवे समपार के निकट रेलवे लाइन एक भूमिगत पैदल पार पथ की आवश्यकता है और इसे वर्तमान बजट 2013-14 में ही अनुमोदित किया जाए।

मुझे पूरा विश्वास है कि माननीय रेल मंत्री मेरे सभी सुझावों पर विचार करेंगे और उन्हें रेलवे बजट में शामिल करेंगे। मैं एक बार फिर माननीय मंत्री जी को "आम आदमी का रेल बजट" प्रस्तुत करने के लिए धन्यवाद देता हूं।

[हिन्दी]

श्रीमती अन्नू टंडन (उन्नाव): महोदय, मैं आपकी आभारी हूं कि आपने मुझे रेल बजट पर बोलने का अवसर प्रदान किया।

मैं खासकर एक बात कहना चाहती हूं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जा रहा है। आप सभा का समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं?

...*(व्यवधान)* *

सभापति महोदय: माननीय सदस्य, कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्रीमती अन्नू टंडन: सभापति महोदय, मैं एक बात कहना चाहती हूं कि राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा जाए और वर्ष 2014 के चुनाव को ध्यान में रखा जाए तो विपक्ष जो कह रहा है या मीडिया में जो कहा जा रहा है। इन सब बातों को देखकर शायद लगेगा कि बजट में मजा नहीं आया, लोगों को लगता होगा। चूंकि वह चाहते थे कि बड़े-बड़े सपने बुने जाएं, बड़े-बड़े वादे किए जाएं, बड़े-बड़े आश्वासन दिए जाएं, लेकिन सही बात तो यह है कि मैं माननीय मंत्री जी का धन्यवाद देना चाहती हूं कि इन्होंने एक बहुत ही प्रैक्टिकल, प्रैगमेटिक और संतुलित बजट पेश किया है, जिसमें सिर्फ आज की बात नहीं की है, कल की सुरक्षा की भी बात की गई है। योजना आयोग ने 12वीं प्लान में रेलवे के लिए 5.19 लाख करोड़ रुपये निर्धारित किए हैं। भारतीय रेलवे के लिए यह उसका महत्त्व दर्शाता है। एक लाख करोड़ रुपये पीपीपी के माध्यम से और 1.05 लाख करोड़ रुपये आंतरिक संसाधनों के माध्यम से जुटाने की बात कही गई है। मुझे लगता है कि अगर हिन्दुस्तान और भारतीय रेल का जो यह परिवार है, वह चाहेगा तो यह नामुमकिन नहीं है, बहुत आराम से मुमकिन है। लेकिन मैं मंत्री महोदय से आग्रह करना चाहूंगी कि जब आंतरिक संसाधन जुटाने की बात हो तो सामान्य रेल किराये के ऊपर जरूर ध्यान रखें। वर्ष 2013-14 के लिए 63,363 करोड़ रुपये के प्लान इंवेस्टमेंट की बात की गई है जो कि पिछले साल से 3,263 करोड़ रुपये अधिक है। यह भी इसका एक महत्त्व दर्शाता है।

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

अभी हमारे माननीय सदस्य महोदय कह रहे थे कि चीन और रूस के साथ हिन्दुस्तान भी बिलियन टन फ्रेट के क्लब में आ रहा है। मेरे ख्याल से इस बारे में जो एक आत्मविश्वास और गर्व के साथ मंत्री महोदय जी बता रहे थे तो हमें भी गर्व महसूस हुआ। यह बात तो साबित हो जाती है कि देश का विकास हो रहा है तभी हम बिलियन टन फ्रेट की बात कर सकते हैं, नहीं तो हम कम फ्रेट की बात करते। विकास न होता तो यह बात कैसे होती?

रेल टिकट पर सीधे बढ़ोतरी न कर के फ्रेट में नौ प्रतिशत की वृद्धि करके 94,000 करोड़ रुपये का लक्ष्य रखा गया है जो बिल्कुल सही है।

इस वित्त वर्ष में 3,000 करोड़ रुपये का ऋण ब्याज सहित वित्त मंत्रालय को वापस किया गया। इस पर जब मंत्री महोदय जी चर्चा कर रहे थे तब उनकी आवाज में जो खुशी और आत्मविश्वास झलक रहा था, वह भी साफ नजर आ रहा था। मुझे बेहद खुशी है कि रेल विभाग एवं मंत्रालय अब सही हाथ एवं सही दिशा में है।

मैं इस वर्ष के प्रस्तावित 67 नई एक्सप्रेस गाड़ियां, 26 नई पैसेंजर गाड़ियां, 8 डी.ई.एम.यू. सेवाएं और 57 गाड़ियों के चालन क्षेत्र में विस्तार का स्वागत करती हूं। साथ ही, मैं आशा करती हूं कि जो नई एक्सप्रेस गाड़ियां जैसे कि ब्रांदा टर्मिनस-रामनगर एक्सप्रेस व जयपुर-लखनऊ एक्सप्रैस मेरे संसदीय क्षेत्र से गुजरेंगी उनका ठहराव भी हमारे संसदीय क्षेत्र उन्नाव से किया जाए।

इसके साथ कमजोर वर्गों व अलग तरह से जो सक्षम व्यक्ति हैं, उनके लिए निर्धारित 47,000 रिक्त पदों को भरने व बैकलॉग को समाप्त करने का जो निर्णय लिया गया है, वह सराहनीय है। बहुत दिनों से इसका इंतजार था और इससे उन्हें फायदा होगा।

सभापति महोदय, इसी बात पर मैं एक बात रखना चाहती हूं। आपके द्वारा अपनी सरकार से और इस सदन से अनुरोध करना

चाहती हूं कि इन लोगों की बात जिनके बारे में मैं बात कर रही हूं, इन लोगों के लिए विकलांग शब्द का इस्तेमाल न किया जाए। विकलांग शब्द जब प्रयोग किया जाता है तो थोड़ा-सा अपमानजनक सा साबित होता है। मेरा मानना है कि ऐसे भाई-बहनों को अलग तर हसे सक्षम माना जाए तो वह ज्यादा अच्छा रहेगा। अक्सर हम लोग जब यह चर्चा करते हैं तो बार-बार उनहें विकलांग क्यों कहते हैं?

माननीय रेल मंत्री द्वारा इस बजट में सत्रह रेल पुलों का पुनर्स्थापन शामिल है जिसकी मैं खास सराहना करती हूं। इसकी वजह यह है कि उन्नाव और कानपुर के बीच सन 1875 में अंग्रेजों के जमाने में यह रेलवे का पुल बना था। आप सोच सकते हैं कि इतने सालों में उसकी आज क्या हालत होगी। हम बस यह प्रार्थना करते हैं कि इन सत्रह पुलों में वह पुल भी शामिल हो ताकि आगे हम कोई नुकसान न भुगतें।

हमें रेल की जरूरत क्यों पड़ती है? इसकी जरूरत लोगों को इधर-उधर ले जाने में या माल इधर-उधर ले जाने में पड़ती है। जब माल इधर-उधर जाता है तो औद्योगिक विकास की बात होती है लेकिन इंसान जब इधर-उधर जाता है तो उसके कई कारण होते हैं। इंसानों के मूवमेंट के लिए ह्यूमन ट्रैफिक बढ़ाने के लिए मेरे ख्याल से पर्यटन एक बहुत ही अहम भूमिका निभा सकता है। दस लाख से अधिक की जनसंख्या को सेवित करने वाले धार्मिक या पर्यटन की दृष्टि से सौन्दर्यीकरण के लिए मंत्री जी ने जिन 104 महत्त्वपूर्ण स्टेशनों के नाम चयन करके बताया है, उससे केवल रेल यात्रियों को ही सुविधा नहीं मिलेगी बल्कि इससे वहां का विकास भी होगा और लोगों को वहां पर रोजगार भी मिलेंगे।

इसी क्रम में मैं बताना चाहती हूं कि ऐतिहासिक व धार्मिक दृष्टि से जिस तरह के स्थल उन्नाव में मौजूद हैं, उनकी पहचान बढ़ाने के लिए हमें पर्यटन बढ़ाना पड़ेगा और इसमें रेल मंत्रालय हमारी काफी मदद कर सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि मेरी मांग जायज है। मैं माननीय रेल मंत्री जी से अनुरोध करना चाहती हूं कि उन्नाव में व उन्नाव जैसे भारत के सभी जिलों में पर्यटन को मद्देनजर रखते हुए रेल नेटवर्क व सुविधाएं बढ़ाने पर विचार करें।

उन्नाव जैसी ऐतिहासिक भूमि, शहीदों की भूमि, साहित्यकारों व रण-विजयों की धरती हमारे हिन्दुस्तान में गिनी-चुनी हैं। उन्नाव कलम, कोपीन और कृपाण की धरती कही जाती है। लव-कुश की जन्मस्थली, जानकी कुंड, माता कुशहारी देवी का प्राचीन मंदिर, सफीपुर का 400 सालों से ज्यादा पुराना इमामबाड़ा, राजा राव राम बख्श का किला, राजा सातन पासी का किला, महर्षि परशुराम की जन्मभूमि, पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी 'निराला', मौलाना हसरत मोहानी, पंडित प्रताप नारायण मिश्र, शिव मंगल सिंह सुमन, रमई काका, भगवती चरण वर्मा और अनेकों कवियों और साहित्यकारों की ये जन्मस्थली रही है। उन के साथ अमर शहीद चन्द्रशेखर आजाद, अमर शहीद राजा राव राम बख्श, अमर शहीद गुलाब सिंह लोधी, ठाकुर जसा सिंह से लेकर पंडित विश्वम्भर दयालु त्रिपाठी और हबीबुर्रहमान अंसारी जैसे आजादी की लड़ाई लड़ने वाले उन्नाव के वीर और राजनैतिक हस्तियां पैदा हुई है। आजादी एक्सप्रैस नामक शैक्षणिक पर्यटक गाड़ी चलाने का प्रस्ताव, जिससे वे स्थल आपस में जोड़े जा सकें, जो स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े हैं, वह एक बहुत ही सराहनीय कदम है। इससे हमारे युवकों को उन स्थानों की यात्रा की प्रेरणा तो मिलेगी, पर साथ में उन स्थलों का विकास और रोजगार भी बढ़ेगा।

सभापति महोदय, इसमें मैं मंत्री महोदय से आपके द्वारा यह अनुरोध करना चाहती हूं कि उन्नाव को भी शामिल किया जाए। दूर देशों से, खासकर साइबेरिया से सात समुंदर पार करके बहुत सुन्दर चिड़ियां हमारे यहां पर प्रियदर्शनी पक्षी विहार में आते हैं। पर्यटन स्थल और रेलवे के लिए यह एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण जिला होने में उन्नाव में कोई कमी नहीं है। फिर भी बहुत सालों से बहुत कमियां रही हैं। जिस तरह का काम हम चाहते थे, उस तरीके का काम नहीं हुआ है। फिर भी इतने सालों में नजरअंदाज किए जाने के बावजूद मैं यह नहीं कहूंगी कि तीन सालों में मंत्रालय ने हमारा सहयोग नहीं किया। कई ट्रेनें यहां पर रुकीं, लेकिन पर्याप्त नहीं। अभी तक हम संतुष्ट नहीं हैं। ट्रेनें रुकवाने की फेहरिस्त और लोकल जो ट्रेनों की बोगियां बढ़ाने की बाते हैं, वह मैंने पूरी फेहरिस्त मंत्री महोदय को दी हैं। मैं आशा करती हूं कि मेरे जिले के तीस लाख लोग जो लोग हैं, उनकी आवाज मेरे माध्यम से उनके पास पहुंच चुकी होगी।

मैं अपने लोक सभा क्षेत्र उन्नाव के संदर्भ में एक उदाहरण के तौर पर पेश करना चाहती हूं कि वह एक जंक्शन तो है, लेकिन उसके बावजूद जो आम नागरिक हैं, वह एक्सप्रैस ट्रेन या दूरदराज के लिए जो फास्ट ट्रेनें हैं, उनको पकड़ने के लिए या तो लखनऊ जाता है या कानपुर जाता है। आप अभी जो नई ट्रेनें चालू करवाने जा रहे हैं, उसका ठहराव उन्नाव में हो, ऐसी मैं गुजारिश कर चुकी हूं।

मैं माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तावित रेल सुरक्षा संबंधित जो उपाय हैं, उनका स्वागत करती हूं। बहुत सारी उन्होंने जैसे स्पार्ट है, सेल्फ प्रोपैल्ड एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेनें हैं, क्रेश-वर्दी एलएचबी है, इन सब का मैं स्वागत करती हूं। सब कुछ अगर सही ढंग से किया जाता है तो भी हादसे क्यों होते हैं। अभी हमारे एक माननीय सदस्य इसका जिक्र भी कर रहे थे। अभी हाल ही में मैं भी

इलाहाबाद महाकुंभ में गई थी। वहां जो हादसा हुआ है, उसके दर्द लोगों से मिल कर व्यक्तिगत तौर पर महसूस किए। उस हादसे में वृद्ध महिलाएं और कई बच्चे भी मरे हैं। कम्पैनसेशन के अलावा भावी योजनाओं में और अधिक कंटीजेंसी मार्जिन रखने में माननीय रेल मंत्री जी की सोच बहुत ही सराहनीय है, उसका मैं स्वागत करती हूं। इस हादसे के बावजूद मैंने वहां के रेलवे के प्लेटफार्म पर आवागमन और रेलवे द्वारा किए गए इंतजाम की इतनी तारीफ सुनी कि मुझे बहुत ही अच्छा लगा। पता चला कि राज्य सरकार के साथ मिलकर रेलवे वालों ने प्लानिंग तो बहुत बढ़िया की थी, परन्तु उस दिन रविवार का दिन था और संगम में नहाने वालों की संख्या बहुत ज्यादा थी। उस संगम में नहान करने वाले लोगों के बीच में स्टैमपीड हो गया। जब स्टैमपीड हुआ तो दो लोग मरे और अनेक घायल हुए। उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया गया। नतीजा यह हुआ कि महाकुंभ की व्यवस्था करने वाले जो अधिकारी थे, जो इंतजाम करने वाले थे, उन्होंने वहां से नहान करने वाले लोगों को स्टेशन की तरफ भेज दिया और वह भी सिविल लाइन की तरफ, जो स्टेशन के सिविल लाइंस की तरफ है, वहां पर भेजा, जहां पर सिर्फ आरक्षित रेल यात्रियों का जाना तय था। जब भीड़ वहां पहुंची तो वहां पर इंतजामात ठीक नहीं थे। उसकी वजह यह हुई कि जो पैदल यात्री चलने वाले, एफओबी था, उसके ऊपर भीड़ ज्यादा हो गई। अगर ये समय से रेलवे के अधिकारियों को सूचना दे देते तो उसका पर्याप्त इंतजाम बहुत आराम से हो सकता था और ये हादसा न होता। लोग मरे, लेकिन स्टैमपीड में भी मरे और एफओबी पर चढ़ने वाले लोग भी मरे। लेकिन उसकी गिनती एक ही तरफ हो गई। यह कलंक रेलवे के ऊपर लगा, जिसके लिए मुझे काफी दुख हुआ, वहां पर देखने के बाद।

इससे हमें सिर्फ एक ही सीख मिलती है कि हादसे के बाद नहीं, अगर तुरंत उसी वक्त लोगों के बीच में कोऑर्डिनेशन और समन्वय बना दिया जाए तो इस तरीके का कलंक कभी किसी के ऊपर नहीं लगेगा। समन्वय की बहुत आवश्यकता है। इस हादसे में महिला और बच्चे कई मरे और उनकी सुरक्षा के लिए जो पहलू मंत्री महोदय ने रखे, वे सराहनीय हैं। माननीय मंत्री महोदय को मैं खासकर धन्यवाद देना चाहती हूं कि उन्होंने महिलाओं की सुरक्षा के ऊपर खास ध्यान देते हुए आरपीएफ की महिलाओं की भर्ती बढ़ाने की बात की है, लेकिन आरपीएफ की भर्ती बढ़ाने में चार कम्पनियों का गठन और दस प्रतिशत रिक्तियां महिलाओं से आरक्षित करने की बात की गई है। इसमें मैं उनसे अनुरोध करना चाहती हूं, अगर आप 35 परसेंट नहीं कर सकते हैं, तो कम से कम बीस परसेंट या पच्चीस परसेंट रिक्तियां महिलाओं के लिए आरक्षित करें तो बहुत अच्छा होग, क्योंकि बहुत सी महिलाएं वहां चलती हैं और उनके अधिक मात्रा में वहां रहने पर महिलाओं को काफी सुरक्षा महसूस होगी।

एक आम मुसाफिर की चर्चा क्या होती है? उसकी चर्चा होती है, बुकिंग से लेकर महफूज सफर हो जाए, उसे साफ बिस्तर मिल जाए, उसका लैट्रिन-बाथरूम स्वच्छ हो, ताजा खाना मिल जाए, समय पर पानी मिल जाए और जगह पर आप पहुंच जाएं। बजट भाषण में आप अगर देखें तो मंत्री महोदय ने खासकर बहुत विस्तार से इसके ऊपर चर्चा की। इससे यह लगता है कि उनका इरादा बहुत साफ है। इससे उम्मीद ही नहीं हमारा विश्वास भी जागा है।

अंत में मैं अपने वीर जवानों एवं शहीदों को जो रेल मंत्रालय ने श्रद्धांजलि के रूप में मुफ्त रेल यात्रा की सुविधा उनके वृद्ध माता-पिता के लिए दी है, उसके लिए मैं सलाम करना चाहती हूं और संसद की तरफ से उनको हृदय से धन्यवाद देना चाहती हूं। इस बजट का सही क्रियान्वयन एक अहम कदम होगा, ताकि इसका लाभ भारतवासियों को मिल सके।

महोदय, इसी संदर्भ में मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करना चाहूंगी कि बजट 2012-13 की नई लाइन सर्वेक्षण सूची में जो उन्नाव को दी हुई दो रेल लाइनें थीं, उन्नाव-मौरावां-लखनऊ और दूसरा सफीपुर (उन्नाव-पीलीभीत खंड पर) बिठूर स्टेशन वालों का सर्वेक्षण जल्द से जल्द करवाने की कृपा करें। हमारे क्षेत्र के लोग इसका इंतजार कर रहे हैं। मैं मानती हूं कि इस काम में समय लगता है, लेकिन अब एक साल गुजर गया है। मैं उम्मीद करती हूं कि इस पर काम जल्दी से जल्दी शुरू होगा।

माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय रेल मंत्री द्वारा पेश किए बजट 2013-14 का समर्थन करती हूं और अपनी बात को यहीं समाप्त करती हूं।

***श्री राम सिंह राठवा** (छोटा उदयपुर): हम हर वक्त अलग-अलग बात करते हैं, कभी-कभी चुनाव को ध्यान में रखकर घोषणा करते हैं और योजना को लागू करने और पूरी करने में 10 से 12 साल लग जाते हैं। आज भी कई लाइनें 10 से 15 साल के विलम्ब में पड़ी हैं। उनको पूरा करने में रेलवे ने कभी ठोस कदम नहीं उठाया। हम घोषणा करते हैं। बाद में विलम्ब होने की वजह से धनराशि बढ़ जाती है और बढ़ी हुई धनराशि की वजह से काम रुका पड़ा रहता है।

जहां सब कुछ होते हुए भी रेल मंत्रालय कुछ करना ही नहीं चाहता है ऐसा मेरा मानना है और मैं रेल मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि आज से करीब 150 साल पहले नेरोगेज रेल लाइन शुरू हुई थी। गुजरात की सबसे पुरानी रेल लाइन डभाई मीयांगाम से शुरू हुई थी। धीरे-धीरे प्रताप नगर, छोटा उदयपुर- डभोई-

---

*भाषण सभापटल पर रखा गया।

चांणोद-चांपानेर- अंकलेश्वर- जंबुसर- पादरा- पावी माईत्स-शीवराजपुर-समलाया-टीबा-मालसर आदि कई नेरोगेज रेल लाइन शुरू हुई थी। आज भी कुछ रेल लाइन चल रही हैं।

आमान परिवर्तन की परियोजना के अंतर्गत पादरा-जंबुसर शामिल किया जाए और उनको दहेज तक जोड़ने के लिए नया लाइन डाला जाए। इस बजट में राजपीपला-केवडीया नया लाइन घोषित किया गया है उसका मैं स्वागत करता हूं और मेरा सुझाव है कि इस लाइन को तणखला तक लाया जाए, क्योंकि तणखला तक लाइन है।

मेरा निवेदन है कि डभाई एन.जी. हैरीटेज पार्क बना कर डभोई से जितनी भी नेरोगेज लाइनें चल रही थी कुछ बंद हैं, उन सभी नेरोगेज रेल लाइनों पर हैरीटेज गाड़ियां चलाई जाए या तो सभी लाइनों में परिवर्तन किया जाए।

हैरीटेज कॉरीडोर के संदर्भ में यह उल्लेखनीय है कि भारत का एकमार्ग रेलवे ट्रैनिंग कॉलेज गुजरात के बरोडा में स्थित है। इस कॉरीडोर के बन जाने से इलाके में स्थानीय, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। नैरोगेज रेलवे लाइन का नेटवर्क यहां अर्से से है उसका यथोचित रखरखाव और संरक्षण बहुत जरूरी है। हम नई रेलवे लाइन, नए रेलगाड़ियों का स्वागत करते हैं। साथ ही साथ यह भी चाहते हैं कि पुराने रेल की लाइनों और पुरानी गाड़ियों पर भी रेल मंत्री समय रहते ध्यान दें, ,ताकि खराब हालत में पड़े रेलवे के हालत में सुधार हो और साथ ही इनका संरक्षण हो सके। इस इलाके में यह हेरीटेज कॉरीडोर बन जाने से यह ट्रायबल बेल्ट और यहां रहने वाले लोगों को बहुत सी सुविधाएं मिल सकेगी और विकास भी अच्छे से हो सकेगा।

देश में बहुत तीर्थस्थान हैं जहां श्रद्धालु लोग पूजा अर्चना के लिए जाते हैं। गुजराती में एक कहावत है 'काशी का मरण और सूरत का लोभन' करने का मतलब यह है कि अगर काशी में मृत्यु हुई तो भाग्यवान है वैसे अगर भोजन करना है तो सूरत का वो भी भाग्यवान होता है। यह ऐसा एक बहुत बड़ा तीर्थ है, जहां देश के कई हिस्सों से लोग गुजरात के डभोई से 16 किमी. दूरी पर नर्मदा किनारे चांणोद तीर्थ में आते हैं। चांणोद पूजापाठ के लिए अलग महत्त्व है। देश-परदेश से लोग सर्वपित्रु श्राद्ध पूजा के लिए आते हैं। अपने देश में तीन स्थान ऐसे हैं, जैसे गया में सिर्फ पित्रु श्राद्ध होता है। सिद्धपुरा में मातृ श्राद्ध होता है, लेकिन चांणोद में सर्व पित्रु श्राद्ध होता है। ऐसे महत्त्वपूर्ण तीर्थ स्थान के लिए पहले नैरोगेज भी थी, अभी बंद है। इस बंद नैरोगेज लाइन को बड़ी लाइन में परिवर्तित किया जाए और डभोई से चांणोद लाइन तुरन्त चालू की जाए।

जब देश की आजादी की लड़ाई चल रही थी तब कहीं जानी-मानी हस्तियों ने नर्मदा के किनारे चांणोद में गुप्तवास किया था, जिनमें तात्या टोपे भी थे। ऐसे ऐतिहासिक और तीर्थस्थान के महत्त्व को देखते हुए और हेरीटेज लाइन के महत्त्व को बढ़ावा देने की कृपा करके इस बजट में घोषणा करने का मेरा अनुरोध है।

मैं मा. रेल मंत्री महोदय जी का ध्यान देश के अधिकांश बहुल आदिवासी क्षेत्र में रेल परियोजनाओं के प्रति उदासीनता और अत्यधिक विलम्ब से चल रहे कार्यों के प्रति आकर्षित करना चाहता हूं।

मेरा संसदीय क्षेत्र छोटा उदयपुर जो गुजरात के बहुल आदिवासी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है। गुजरात और मध्य प्रदेश के आदिवासी क्षेत्र के बीच सीधे सम्पर्क के लिए छोटा उदयपुर से धार तक की नई रेल लाइन चालू करने के लिए परियोजना चल रही है, वो बहुत लम्बे समय से धीमी गति से चल रही है और अत्यधिक विलम्ब से इसका कार्य हो रहा है। यह योजना संपन्न होने के बाद आदिवासी क्षेत्र के लिए अत्यंत लाभप्रद साबित होगी।

मा. रेल मंत्री महोदय जी से निवेदन करता हूं कि वे स्वयं इस परियोजना को शीघ्रातिशीघ्र नई रेल लाइन चालू करने के लिए हस्तक्षेप करें। छोटा उदयपुर और धार के स्थानीय आदिवासी लोगों को देश की मुख्य धारा से जोड़ा जा सकेगा वे इस प्रस्ताव को रेल बजट में रखकर छोटा उदयपुर से धार तक की नई रेल लाइन चालू करने के लिए यह योजना रेल बजट में शामिल करें और इस योजना को देय वित्तीय सहायता का आबंटन किया जाए ताकि पश्चिम भारत के आदिवासी संभाग को रेल सम्पर्क से जोड़ा जाए।

प्रतापनगर से छोटा उदयपुर अभी ट्रेन दिन में दो बार चल रही है, उसको बढ़ाकर पांच बार चलाया जाए।

[अनुवाद]

***श्री आर. थामराईसेलवन** (धर्मापुरी): सबसे पहले मैं यहां यह कहना चाहता हूं कि माननीय मंत्री महोदय ने तमिलनाडु राज्य को कुछ खुशशी तो कुछ निराशा दी है। तमिलनाडु के लोगों को माननीय रेल मंत्री महोदय से बहुत आशाएं थीं क्योंकि यह यूपीए-दो का अंतिम रेल बजट था। तथापि, मैं यह कहना चाहूंगा कि जो भी मिला है उससे हमें खुश होना चाहिए और जो हमें नहीं मिला है, उसे प्राप्त करने का प्रयास करते रहना चाहिए।

मैं माननीय रेल मंत्री महोदय का आभारी हूं कि अंततः रेलवे ने मीरापुर और धर्मापुरी के बीच रेल लाइन की मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लोगों की लंबे समय से की जा रही मांग को

*भाषण सभापटल पर रखा गया।

भी मान लिया है और इसे सर्वेक्षण कार्य को अद्यतन करने के लिए बजट में शामिल किया है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र के लोग लंबे समय से यह मांग कर रहे थे। यदि यह परियोजना क्रियान्वित हो जाती है तो धर्मापुरी जिले अर्थात धर्मापुरी शहर मुख्यालय और आसपास के शहरों के लोगों को इससे लाभ होगा और इससे रेलवे को भी काफी राजस्व अर्जित होगा क्योंकि धर्म, वाणिज्य और पर्यटन के महत्त्व वाले स्थानों से जुड़े भौगोलिक ढांचों के कारण ये मार्ग आर्थिक रूप से बहुत लाभकारी हैं।

मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र धर्मापुरी में निम्नलिखित कुछ ऐसी रेल परियोजनाएं हैं, जिन पर आपको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि ये कई दशकों से लटकी पड़ी हैं और मैं चाहता हूं कि इन पर तत्काल कार्य किया जाए।

यद्यपि मेरा पहले वाला पत्र आपके द्वारा बुलाई गई पिछली बैठक से संबंधित था, मैंने अपने निर्वाचन क्षेत्र के लोगों की निम्नलिखित मांगों को क्रियान्वित करने के लिए अभ्यावेदन दिया था और मैं यहां उन्हें फिर दोहराना चाहता हूं तथा अनुरोध करता हूं कि आप उन पर विचार करें और उन्हें तत्काल क्रियान्वित करें। निम्नलिखित स्थान पर रेल ऊपरी पुलों के निर्माण की तत्काल आवश्यकता है:

(क) धर्मापुरी-सेलम राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच-7) पर पड़ने वाला अधियामन, कोट्टाई रेलवे गेट।

(ख) धर्मापुरी शहर में वेन्नमपट्टी रेल द्वार

(ग) पेन्ननाताम रेल द्वार (कुमारसामी पेट्टाई रेल द्वार)

(घ) चंपलबड़ी रेल द्वार

(ङ) बुड्डीरेडडीपट्टी रेल द्वार

यद्यपि इन रेल ऊपरी पुलों को स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है, परन्तु उपरोक्त स्थानों पर इन ऊपरी पुलों का कार्य पूरा करने की तत्काल आवश्यकता है। ये सभी स्थान दक्षिण पश्चिम रेलवे के बंगलौर मंडल और दक्षिण रेलवे के सेलम मंडल के अंतर्गत आते हैं। इन ऊपरी पुलों का निर्माण बहुत आवश्यक है क्योंकि इन द्वारों से गुजरने वाले लोगों को आने-जाने में बहुत कठिनाई होती है।

दक्षिण रेलवे के सेलम मंडल के अंतर्गत सिवानल्ली में एक समपार के निर्माण की भी आवश्यकता है। सिवानल्ली में समपार न होने के कारण 30 से ज्यादा गांवों के लोगों को बिना चौकीदार वाले समपार को पार करने के लिए अपनी जान को जोखिम में डालना पड़ता है। इन सभी 30 गांवों में अच्छी खासी आबादी है। उपरोक्त समपार पर वाहनों की आवाजाही बढ़ी है और दुर्घटनाएं भी ज्यादा हो रही हैं।

2013-14 के बजट में मदुरई- त्रिची- पयक्कल- सेलम- जोलारपेट्टाई-बंगलौर के रास्ते नागरकोडल-बंगलौर-नागरकोडल के बीच नई रेलगाड़ी के मार्ग की घोषणा की गई थी। तथापि, यदि उक्त नई रेलगाड़ी के मार्ग को बंगलौर-होसूर-धर्मापुरी-सेलम-नमक्कल-त्रिची-मदुरई-नागरकोहल कर दिया जाए तो लाखों रेल यात्रियों की मांग पूरी की जा सकती है। अत: यह आग्रह किया जाता है कि कृपया उक्त नई रेलगाड़ी को बजट में घोषित कार्य के स्थान पर उपरोक्त मार्ग पर चलाया जाए।

दक्षिण रेलवे के सेलम मंडल के नियंत्रणाधीन मोरारपुर रेलवे स्टेशन एक प्राचीन रेलवे स्टेशन है, जोकि मेरे निर्वाचन क्षेत्र में आता है। चेन्नई और देश तथा राज्य के अन्य भागों में जाने वाले लोग इसी स्टेशन का उपयोग करते हैं। सैंकड़ों लोग नियमित रूप से इस रेलवे स्टेशन पर आते हैं। धर्मापुरी जिला, तमिलनाडु राज्य का सबसे ज्यादा पिछड़ा जिला है। इस पिछड़ेपन के कारण इस जिले के लोगों को अपनी आजीविका तथा बेहतर अवसरों की तलाश में दूर-दराज के स्थानों पर जाते हैं। तथापि, इस मोरारपुर स्टेशन से गुजरने वाली कुछ रेलगाड़ियां अर्थात् रेलगाड़ी सं. 3351/3352 टाटा नगर अलेप्पी-टाटा नगर-बोकारो एक्सप्रैस ओर 2695/2696 चेन्नई-तिरुवनंतरपुरम-चेन्नई एक्सप्रैस यहां नहीं रुकतीं।

मेरे जिले में आने वाला एक अन्य महत्त्वपूर्ण रेलवे स्टेशन है बोम्मीडी। धर्मापुरी और कृष्णागिरी जिलों के लोग इस स्टेशन का उपयोग करते हैं। यद्यपि, इस स्टेशन पर रेलगाड़ी संख्या 6381/6382 मुंबई-कन्याकुमारी मुंबई तथा वाली तिरुवनंतपुरम से हैदराबाद के बीच चलने वाली और तिरुपति से गुजरने वाली रेलगाड़ी सं. 7229/7230 सवारी एक्सप्रैस का ठहराव नहीं है। यहां इसका उल्लेख दुखद और प्रासंगिक है कि जब मुंबई-कन्याकुमारी जीएसटी एक्सप्रैस केरल में प्रवेश करती है तो यह केरल के सभी स्टेशनों पर रुकती है, जबकि तमिलनाडु के कई महत्त्वपूर्ण स्टेशनों पर यह नहीं रुकती।

धर्मापुरी और कन्याकुमारी के लोग बंगलौर, मुंबई, तिरुवनंतपुरम आदि स्थानों पर जाने के लिए दक्षिण-पश्चिम रेलवे के बंगलौर मंडल के अंतर्गत धर्मापुरी रेलवे स्टेशन का उपयोग करते हैं। तथापि रेलगाड़ी सं. 6537/6538 मंगलौर-बंगलौर एक्सप्रैस यहां नहीं रुकती। इसलिए मैं माननीय मंत्री महोदय से आग्रह करता हूं कि वह धर्मापुरी में इस रेलगाड़ी के ठहराव की व्यवस्था करने के लिए संबंधित प्राधिकारियों को निर्देश दें।

बंगलौर और कन्याकुमारी (नागरकोइल) के बीच चलने वाली एक्सप्रैस गाड़ी सं. 16537/16538 का धर्मापुरी में ठहराव दिए जाने और इसे सप्ताह में दो दिन की बजाय प्रतिदिन चलाए जाने की मांग काफी लोगों द्वारा की जा रही है क्योंकि नागरकोइल और बंगलौर के बीच यात्रियों की संख्या प्रतिदिन काफी अधिक होती है।

बंगलौर-एर्नाकुलम-बंगलौर (12677-12678) मैसूर- मायलादुतरई-मैसूर (16231-16232) इंटरसिटी गाड़ी का पालाकोड में ठहराव दिया जाए। इस क्षेत्र के लोगों की यह मांग काफी समय से लंबित है, पालाकोड धर्मापुरी जिले के सबसे बड़े तालुकों में से एक है। पालाकोड एक बड़ा वाणिज्यिक केन्द्र है जिसमें एक बड़ी चीनी मिल आदि हैं। बड़ा वाणिज्यिक केन्द्र होने के कारण यहां राज्य के कई स्थानों और देश के अन्य भागों से बड़ी संख्या में लोगों का आना-जाना होता है। इसके अतिरिक्त यहां से कोयम्बटूर, तिरुपुर आदि जैसे औद्योगिक नगरों के लिए बड़ी संख्या में यात्रियों का आना-जाना होता है। इसलिए, पालाकोड में यदि इस गाड़ी का ठहराव दिया जाता है तो इससे जनता और रेलवे दोनों को ही लाभ मिलेगा। इसलिए, पालाकोड में इस गाड़ी का ठहराव दिया जाए।

वर्तमान में पालाकोड रेलवे स्टेशन पर आरक्षण सुविधा नहीं है और लोगों को इसके लिए धर्मापुरी रेलवे स्टेशन जाना पड़ता है जो पालाकोड से 25 किमी. से भी अधिक दूर है। पालाकोड में आरक्षण सुविधा न होने के कारण इस क्षेत्र के व्यवसायियों, छात्रों और अन्य लोगों को काफी परेशानी होती है और वे यातायात के अन्य साधन तलाशने के लिए बाध्य होते हैं। इसलिए यदि पालाकोड रेलवे स्टेशन पर आरक्षण काउंटर खोल दिया जाता है तो इससे जनता और रेलवे दोनों को ही काफी लाभ होगा।

कर्नाटक की राजधानी बंगलौर से धर्मापुरी के निकट होने के कारण बड़ी संख्या में यात्रियों का आना-जाना (धर्मापुरी-बंगलौर-धर्मापुरी) होता है जैसा कि देश के अन्य सभी राज्यों की राजधानियों से उनके निकटवर्ती क्षेत्रों के लिए काफी संख्या में यात्रियों का आना-जाना होता है। वर्तमान में यह पैसेंजर गाड़ी केवल बंगलौर-होसुर-बंगलौर के बीच चल रही है। यदि इस गाड़ी को धर्मापुरी और बंगलौर से धर्मापुरी के लिए बढ़ाया जाता है तो धर्मापुरी से बंगलौर और बंगलौर से धर्मापुरी के लिए प्रतिदिन सैंकड़ों लोग यात्रा कर सकते हैं। इसलिए इस गाड़ी को धर्मापुरी तक बढ़ाया जाए।

मेरा माननीय रेल मंत्री से आग्रह है कि जैसा कि उन्होंने मोरपुर और धर्मपुरी के बीच नई रेल लाइन बिछाने पर विचार किया हौ उसी प्रकार मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लोगों की काफी समय से लम्बित इन मांगों पर विचार करें।

[हिन्दी]

***श्री राम सिंह कस्वां** (चुरू): रेल बजट में इस बार उम्मीदें कुछ ज्यादा थी, लम्बे समय पश्चात् कांग्रेस पार्टी का मंत्री रेल बजट पेश कर रहा है, लेकिन इस बार भी रेल बजट वैसा ही है जैसा वह हमेशा होता है। वही वायदे, वही दावे, वही परियोजनाएं और रेल के खस्ता हालात से उबरने का कोई ठोस प्रस्ताव नहीं। 20 वर्ष पूर्व चीन प्रति किलोमीटर यात्री के लिहाज से भारतीय रेल से 15 वर्ष पीछे था, अब चीनी रेलवे के पास 90,000 किलोमीटर का रेलमार्ग है और अब वह भारतीय रेल से 50 वर्ष आगे है। आज रेल की आर्थिक स्थिति बहुत बुरी है, जो रेलवे हमारी अर्थव्यवस्था का इंजन बन सकती थी, वह एयर इंडिया की तरह बोझ बन जाने के हालात पैदा हो गए हैं। रेल मंत्री जी ने कुछ समय पहले रेल यात्री किराए की वृद्धि की थी, अब किराया नहीं बढ़ाने का श्रेय लेने का प्रयास कर रहे हैं। बजट में रेल बजट में यात्री किराया नहीं बढ़ाया गया है लेकिन अन्य जरियों से यात्रा को महंगा कर दिया गया है। मालभाड़े में 5 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। भारत दुनिया का ऐसा देश बन गया है जहां रेलवे का माल ढोने का भाड़ा सबसे ज्यादा है। भविष्य में भी डीजल की कीमत के आधार पर माल भाड़ा नियंत्रित होगा, बजट में हर वर्ष यात्री किराए में 6 फीसदी तक की वृद्धि के संकेत दिए गए हैं।

मेरे संसदीय क्षेत्र की जनता नई गाड़ियां चलाने एवं उनके विस्तार की मांग वर्षों से कर रही है। जोधपुर से दिल्ली सराय रोहिल्ला गाड़ी नम्बर 22481/22482 सुपर फास्ट गाड़ी का संचालन प्रतिदिन करते हुए इसे हरिद्वार तक, बान्द्रा से जम्मू तवी 19027/19028 विवेक एक्स. साप्ताहिक का संचालन सप्ताह में तीन दिन, हावड़ा-जैसलमेर 12371/12372 साप्ताहिक को सप्ताह में तीन दिन, सूरत से चंडीगढ़ एक्सप्रैस गाड़ी वाया अहमदाबाद- जोधपुर-डेगाना-सादुलपुर-हिसाब, ब्रान्दा से हरिद्वार एक्सप्रैस वाया अहमदाबाद-जोधपुर-चुरू, अमृतसुर से मुम्बई वाया हिसार-सादुलपुर-रतनगढ़-जोधपुर, दिल्ली सराय रोहिल्ला-सुजानगढ़ 14705/14706 सालासर एक्सप्रैस का विस्तार लाडनू तक करते हुए छापर ठहराव किया जाए, जोधपुर-ब्रान्दा सूर्यनगरी एक्सप्रैस 12479/12480 का विस्तार रतनगढ़-सादुलपुर, हैदराबाद से हजरत निजामुद्दीन गाड़ी नम्बर 12721/12722 दक्षिण एक्सप्रैस का विस्तार बीकानेर तक, जोधपुर-रेवाड़ी सवारी गाड़ी 54809/54810 का विस्तार दिल्ली सराय रोहिल्ला तक, लुधियाना से हिसार 05401/05402 सवारी गाड़ी का विस्तार डेगाना तक, बाड़मेर-जोधपुर सवारी गाड़ी 54815/54816 का विस्तार रतनगढ़ होते हुए रेवाड़ी तक, बजट में घोषित रतनगढ़-बीकानेर पैसेंजर ट्रेन को सादुलपुर तक, गोरखपुर-हिसार गोरखधाम सुपर फास्ट गाड़ी का विस्तार सादुलपुर तक, बीकानेर से गौहाटी वाया रतनगढ़ सुपर फास्ट, बीकानेर से हावड़ा वाया रतनगढ़ दुरन्तो एक्सप्रैस, रेवाड़ी-बीकानेर साधारण सवारी गाड़ी, बीकानेर-जयपुर गाड़ी वाया रतनगढ़-डेगाना फुलेरा होकर चलाई जावे। डेगाना-सादुलपुर के बीच 6-7 कोच की डी.ई.एम.यू. सवारी गाड़ी के प्रतिदिन 2-2 फेरे लगाए जाए। सादुलपुर ज. के पूर्व व पश्चिम साईड में सी-142 व सी-144 पर निर्मित मानव सहित रेल

*भाषण सभापटल पर रखा गया।

क्रॉसिंग पर रेल उपरिपुल का निर्माण, चुरू जं. के पूर्वी साईड में चुरू-सादुलपुर रेल मार्ग पर (चुरू-राजगढ़ सड़क पर) निर्मित मानव सहित रेल क्रॉसिंग पर रेल उपरिपुल निर्माण, सादुलपुर-हिसार खंड पर मानव सहित समपार सी-43 को यथावत रखने, नोहर-दीपलाना स्टेशनों के मध्य (सादुलपुर हनुमानगढ़ खंड) सोती बड़ी हाल्ट स्टेशन कायम करने, सादुलपुर-हनुमानगढ़ खंड पर गोगामेड़ी-भादरा के मध्य रेल कि.मी. 105 के पास, जहां रेलवे क्वार्टर निर्मित हैं, सरदारगढ़िया हाल्ट स्टेशन कायम करने, सादुलपुर-हिसार खंड पर झूंपा-सिवानी के मध्य सैनीवास हाल्ट स्टेशन कायम करने, उ.प. रेलवे सादुलपुर ज. व सुजागढ़ स्टेशनों के पश्चिमी साईड में आबाद बस्तियों को जोड़ने के लिए फुट ब्रिज, चुरू जं. पर निर्मित रेलवे कॉलोनी को जोड़ने वाली फुट ओवर ब्रिज से प्लेटफार्म नं. 1 व 2 पर सीढ़ियां निर्माण, सादुलपुर-हनुमानगढ़ खंड पर तहसील भादरा स्टेशन के पश्चिम साईड में फुट ओवर ब्रिज, चुरू जं. एवं सादुलपुर जं. पर यात्रियों की भीड़ को देखते हुए आरक्षण केन्द्रों पर एक-एक अतिरिक्त खिड़की चालू करने, सादुलपुर जं. के सी-142 के निकट एकत्रित गंदे पानी को आबादी से अन्यत्र दूर निकासी हेतु नाला निर्माण। पिछले रेल बजटों में घोषित नई रेल लाइन परियोजना सरदारशहर-हनुमानगढ़, सीकर-नोखा, भिवानी-पिलानी-चुरू, सूरतगढ़-सरदारशहर-सादुलपुर, चुरू-तारानगर-नौहर का सर्वेक्षण किया जा चुका है, लेकिन इनमें से किसी एक भी नई रेल लाइन डालने की परियोजना का बजट में चर्चा तक नहीं है। ये महत्त्वपूर्ण रेल लाइन है, जो काफी बड़े भाग को रेल सेवाओं से जोड़ने का काम करेगी। आपकी योजना मानव रहित समपार के स्थान पर रेल अंडर पास का निर्माण की है। यह काम तो आप करने जा रहे हैं लेकिन उन स्थानों, सड़क मार्गों व कटानी रास्तों का क्या होगा, जहां 40-40 किलोमीटर तक रेल समपार नहीं हैं। गांव एक तरफ हैं व गांव की कृषि भूमि रेल लाइन के दूसरी तरफ, उन किसानों के समक्ष विकट संकट है, वे खेतों में जाएं तो कैसे जाएं।

रेलवे का सौ साल पुराना रेल कानून आज भी लागू है, इसे बदला जाना चाहिए। इन रेल अंडर पास पर होने वाला व्यय रेल को वहन करना चाहिए। वर्तमान में 4 × 3.60 मीटर साइज के रेल अंडर पास का निर्माण किया जा रहा है। इस साइज में बड़े वाहन, चारा लाने वाले वाहन क्रोस नहीं कर सकते। उक्त साइज के अंडर पास के स्थान पर 5 × 4 मीटर के अंडर पास का निर्माण किया जाए। निम्न स्थानों पर रेल अंडर पास की मांग काफी समय से की जा रही है। हनुमानगढ़-सादुलपुर खंड पर लाल खां की ढाणी-7, 9, आरपीएम 60/4-5, नौहर-सोती बड़ी 80/4-5, सरदारगढ़िया-45 एसएमआर व ढाणी बेरवाल 105/5-4, कालाना से मोमनवास-डोबी 102/12-14, भनाई-सिधमुख 136/13-14, सिध मुख-चबुकिया ताल 44/11-12, सिधमुख-चुबकिया ताल 146/1-6, ढिगारला-घणाउ 153/6-7, चैनपुरा छोटा-हांसियावास 156/7-8, ख्याली-भगेला, पहाड़सर-नरवासी 165/7-8, भगेला-चैनपुरा गुलपुरा-मिठ्ठीरेडूवान, गुलपुरा-लूदी, गुलपुरा-लुटानासदामुख 169/13, सादुलपुर-रेवाड़ी खंड पर किरतान-बेवड़/भैंसी, भोजाण-बेवड़, कालरी-बेवड़, रड़वा-कान्दराण 215/01, रामपुरा शहर 192/9, गुगलवा-रामपुरा 196/7-8, सादुलपुर-रतनगढ़ खंड पर रतनसरा-खुडेराबीकान-जान्दवा 309/0-1, खारिया-खुडेरा चारणान, जुहारपुरार गांव के पास और सिरसला गांव के उत्तर साईड में, हिसार-सादुलपुर खंड पर लसेड़ी-मिठी रेड़ूवान 56/5-6, एनएच 65 से लुटाना पूर्ण, लुटाना अमीचन्द व लुटाना सदासुख के ग्रामीण रेल अंडर ब्रिज के लिए धरने पर बैठे हैं, रतनगढ़-सरदारशहर खंड पर उदासर-मेहरासर 34/1-2, कल्याणपुरा साजनसर 37/1-2 एवं 38/1-2, रतनगढ़-भानूदा 5/1-2, रतनगढ़-सिकराली 3/8-9, पाबूसर-मालासर 19/2-3, रूपलीसर-मांगासर 24/9, रूपलीसर-खिलेरिया 22/4, घोटड़िया-गोगासर 14/7-8, गोलसर-गोगासर 11/1-2, नौसरिया-कांगड 7/3-4 पर अंडर ब्रिजों की मांग कर रहे हैं, काफी स्थानों पर लोग धरने पर बैठे हैं।

[अनुवाद]

***श्री सुखदेव सिंह** (फतेहगढ़ साहिब): सबसे पहले मैं माननीय रेल मंत्री को संतुलित रेल बजट प्रस्तुत करने के लिए बधाई देता हूं।

मैं रेल यात्रा करने वाली महिलाओं को विशेष सुरक्षा प्रदान करने के लिए माननीय रेल मंत्री द्वारा की गई कार्रवाई की सराहना करता हूं। आजकल हमारे देश की महिलाएं जब अकेली घर से बाहर निकलती हैं तो सुरक्षित महसूस नहीं करती हैं। माननीय मंत्री ने महिला यात्रियों की सुरक्षा और गरिमा के लिए कदम उठाए हैं।

मैं दस लाख से अधिक आबादी को सेवा प्रदान करने वाले स्टेशनों या धार्मिक महत्त्व के स्थलों को सेवा प्रदान करने वाले स्टेशनों पर स्वच्छता से सबंधित सभी पहलुओं, गाड़ियों में प्रगामी रूप से जैव-शौचालयों की व्यवस्था करना यूटीएस और एटीवीएम सुविधाएं प्रदान करने के संबंध में रेल मंत्री द्वारा की गई कार्रवाई की सराहना करता हूं।

मैंने और अधिक रेलवे स्टेशनों के अपग्रेड करने के संबंध में माननीय रेल मंत्री से अनुरोध किया है। मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र की कुछ जायज मांगों के लिए भी अनुरोध करता हूं।

माननीय रेल मंत्री देश में रेलवे बोटलिंग प्लांट स्थापित करने जा रहे हैं परन्तु उन्होंने पंजाब की अनदेखी की है। मैंने अनुरोध किया है कि पंजाब के सरहिंद में एक रेल नीर बोटलिंग प्लांट स्थापित किया जाए।

*भाषण सभापटल पर रखा गया।

पिछले बजट में सरहिंद रेलवे स्टेशन को आदर्श स्टेशन घोषित किया गया था और इसका काम बहुत धीमी गति से चल रहा है। इस काम को जल्दी पूरा किए जाने की जरूरत है।

खन्ना भारत की एक बड़ी अनाज मंडी के रूप में जाना जाता है, पंजाब के खन्ना में एक फ्रेट कॉरीडोर की घोषणा की जाए और खन्ना रेलवे स्टेशन को आदर्श रेलवे स्टेशन घोषित किया जाए।

मैंने रेलमंत्री से अमृतसर से दिल्ली और दिल्ली से अमृतसर के लिए जनशताब्दी चलाने का अनुरोध किया है। यह रिकॉर्ड की बात है कि दिल्ली अमृतसर मार्ग पर दो शताब्दी गाड़ियां सफलतापूर्वक चल रही हैं लेकिन मध्यम वर्ग और गरीब लोगों के लिए जनशताब्दी जैसी कोई गाड़ी नहीं है।

मेट्रो स्टेशन में एस्केलेटर्स सफलतापूर्वक काम कर रहे हैं परन्तु विकलांग और वृद्ध लोगों के लिए छोटे स्टेशनों और जंक्शनों पर लिफ्ट की व्यवस्था की जानी चाहिए।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र के ग्रामीण और सुदूर क्षेत्रों में मोबाइल टिकट वेन की व्यवस्था की जाए।

खान-पान सुविधाओं में निःसंदेह सुधार हुआ है परन्तु माननीय मंत्री भली-भांति जानते हैं कि इसमें और सुधार की जरूरत है।

यह रिकॉर्ड की बात है कि अधिकतर विदेशी पंजाब घूमने आते हैं, वे स्वर्ण मंदिर के पवित्र दर्शन अवश्य करते हैं। इसलिए अमृतसर स्टेशन पर एक्जीक्यूटिव लाउन्ज जैसी सुविधाएं प्रदान करने की जरूरत है।

[हिन्दी]

***श्री जितेन्द्र सिंह बुन्देला** (खजुराहो): रेल मंत्री महोदय द्वारा पेश किए गए रेल बजट 2013-14 पर सदन में चर्चा की जा रही है। मेरे पूर्ववर्ती वक्ताओं द्वारा बजट के संदर्भ में बहुत कुछ कहा गया है। लेकिन एक बात सुनिश्चित है कि रेलवे विकास की वाहिनी है। रेलवे के सम्पर्क मात्र से उस क्षेत्र के विकास की संभावना बढ़ जाती है। किंतु खेद से कहना पड़ता है कि हम जब स्वतंत्र हुए तब हमको अंग्रेजों द्वारा 54 हजार कि.मी. रेल लाइन सौंपी गई थी। लेकिन हमारे स्वतंत्रता के 65 साल बाद हम केवल 11 हजार कि.मी. ही रेल लाइन बिछा पाए हैं। इस पर हमें विचार और चिंतन करने की आवश्यकता है। रेलवे द्वारा 12 हजार 180 रेलगाड़ियों के द्वारा करीब 2 करोड़ 30 लाख यात्रियों द्वार प्रतिदिन आवागमन किया जाता है। लेकिन हमारी बढ़ती जनसंख्या के दबाव को झेलने के लिए यह स्थिति संतोषजनक नहीं कही जा सकती।

*भाषण सभापटल पर रखा गया।

हमारे खंड प्रायः जैसे देश में अभी भी केवल 7 हजार से कुछ अधिक रेलवे स्टेशन है। इसकी संख्या और नई पटरी बिछाने की जरूरत को देखते हुए सरकार को इस पर ध्यान केन्द्रित करने की आवश्यकता है।

लेकिन सरकार द्वारा संसाधनों के अभाव की बात कहकर रेलवे के विस्तार की उपेक्षा की जा रही है। अभी हाल ही में रेलवे में आमूलचूल परिवर्तन लाने के लिए डॉ. अनिल काकोडकर तथा सैम पित्रोदा समिति का गठन किया गया। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में सिफारिश की है। उनको देखते हुए सरकार केवल लोकप्रिय घोषणा तो कर रही है लेकिन इन घोषित परियोजनाओं को पूरा करने पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। उनके आकलन के अनुसार पूर्व घोषित परियोजनाओं को पूरा करने के लिए 1 लाख 47 हजार करोड़ रुपए चाहिए। सरकार ने स्वयं माना है कि रेलवे वित्तीय संकट से जूझ रही है। फिर घोषणाएं क्यों की जा रही हैं। सरकार ने रेलवे बजट में भाड़ा न बढ़ाने की बात कही है किंतु बजट से दो महीने पहले ही रेल भाड़ा बढ़ाकर रेल यात्रियों से 6600 करोड़ रुपए की उगाही का इंतजाम कर लिया गया है। डीजल की मूल्यवृद्धि के कारण रेलवे पर 3300 करोड़ रुपए का बोझ पड़ा है। इसके लिए सरकार ने प्रत्यक्ष मूल्य वृद्धि करने की बजाय पीछे का रास्ता चुना। रेल मंत्री ने आरक्षण शुल्क, तत्काल सेवा तथा टिकट निरस्तीकरण शुल्क में बेहिसाब बढ़ोतरी करके देश की जनता को बरगलाने का प्रयास किया है। डीजल की मूल्यवृद्धि को रेलभाड़े तथा मालभाड़े से जोड़ने के कारण आगे भी रेल टिकट तथा मालभाड़े के दाम बढ़ेंगे। इससे महंगाई में और इजाफा होगा। रेल मंत्री ने माल भाड़े टैरिफ में 5 प्रतिशत बढ़ोतरी करने का प्रस्ताव भी दिया है। यह भविष्य में लोगों पर पड़ने वाले बोझ का सूचक है। इसलिए रेल मंत्री द्वारा लोगों पर कोई बोझ नहीं डाला, यह कहना गलत है।

रेल मंत्री ने कई नई गाड़ियों की घोषणा की है, कई गाड़ियों का विस्तार किया, लेकिन हमारे मध्य प्रदेश की इस रेल बजट में उपेक्षा की गई है। रेलवे पूरे देश की सम्पत्ति है। इसका समावेशी और समन्यायी विवरण और फैलाव होना चाहिए। किसी प्रदेश विशेष पर ध्यान केन्द्रित करने से रेलवे का सार्वत्रिक विकास अवरूद्ध हुआ है। इससे कई क्षेत्र विकास में पिछड़ गए हैं। इसलिए क्षेत्र विशेष पर ध्यान केन्द्रित करने की इस परिपाटी को अब बदलने की आवश्यकता है।

मेरे अपने संसदीय क्षेत्र खजुराहो जो कि एक विश्वस्तरीय पर्यटन स्थल है। यहां पर देश-विदेश से बड़ी संख्या में पर्यटक आते-जाते हैं। उनके परिवहन के लिए रेलवे द्वारा उचित प्रबंध किया गया तो यहां के पर्यटन व्यवसाय को बढ़ावा मिल सकता है। खजुराहो स्टेशन को विश्वस्तरीय रेलवे स्टेशन का दर्जा देकर इसके विकास की प्रत्यक्ष कार्ययोजना बनाने की मैं रेल मंत्री महोदय से

मांग करता हूं। देश के प्रमुख स्थानों, पर्यटन स्थलों और देश के राज्य की राजधानियों से खजुराहो रेलवे स्टेशन को जोड़ने के लिए नई ट्रेनों को परिचालन करने की मांग सरकार से करता हूं।

मेरा क्षेत्र पिछड़े क्षेत्र में आता है, इस क्षेत्र के विकास के लिए स्थानीय स्तर पर यात्री ट्रेनों का परिचालन बढ़ाने की आवश्यकता है। साथ ही, यहां पर रोजगार सृजित करने के लिए रेलवे द्वारा सीमेंट स्लीपर निर्माण या अन्य रेलवे द्वारा संचालित उद्योग स्थापित करने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त, मैं अपने संसदीय क्षेत्र की रेलवे संबंध ी कुछ आवश्यक और महत्त्वपूर्ण मांगों, जिनको पूर्ण करने के लिए क्षेत्र की जनता पिछले कई वर्षों से मांग और संघर्ष करती आ रही है और मैं भी समय-समय पर सदन में उठाता रहा हूं, उनकी ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं।

कटनी जंक्शन के विकास एवं यात्री सुविधाओं की दृष्टि से कई वर्षों से लंबित मांगों को पूर्ण किए जाने की मैं मांग करता हूं। जो इस प्रकार हैं–

कटनी जंक्शन से नई रेल गाड़ियां चलाने के लिए एवं उनके समुचित परीक्षण एवं धुलाई हेतु वॉशिंग पिट का निर्माण किए जाने की आवश्यकता है।

कटनी जं. के अंतर्गत केएमजेड मुड़वारा में रेलवे माल गोदाम है जो शहर के बीच में होने के कारण आम जनता को भारी परेशानी हो रही है। अत: इस माल गोदाम को तत्काल यहां से स्थानांतरित किए जाने की आवश्यकता है। यह भी बहुत पुरानी मांग है।

कटनी एवं इसके पास के गांव एवं शहरों से हजारों लोग प्रतिदिन स्वास्थ्य की दृष्टि से इलाज कराने के लिए नागपुर जाते हैं। किंतु नागपुर के लिए सुविधाजनक रेल सम्पर्क न होने के कारण जनता को काफी कठिनाई होती है। अत: कटनी जं. से नागपुर के लिए सीधे रेल सेवा प्रारम्भ की जाए। इससे रेलवे के राजस्व में भारी बढ़ोतरी होगी।

कटनी जं. के अंतर्गत केएमजेड से मझगंवा फाटक के मध्य स्थित कैलवारा फाटक पर आर.यू.बी. की बहुप्रतीक्षित मांग को पूर्ण करते हुए ब्रिज निर्माण कराया जाए।

कटनी जं. से पटवारा के मध्य लमतरा फाटक और केएमजेड से हरदुआ के मध्य मझगंवा फाटक पर स्वीकृत आर.ओ.बी. शीघ्र बनाए जाने की मैं मांग करता हूं।

कटनी जं. बहुत ही व्यस्ततम रेलवे स्टेशन है। यहां यात्रियों की संख्या को देखते हुए मैं रेलवे स्टेशन के पास ही अलग से सर्वसुविधा युक्त रिजर्वेशन बिल्डिंग बनाए जाने की मांग करता हूं।

रीवा से जबलपुर जाने वाली इंटरसिटी में भारी भीड़ को देखते हुए इसमें एक अतिरिक्त ए.सी. चेयरकार कोच लगाने की मैं मांग करता हूं।

चिरमिरी से चंदिया तक चलने वाली गाड़ी संख्या 58221 एवं 58222 को चंदिया से केएमजेड तक बढ़ाए जाने की मैं मांग करता हूं।

कटनी जं. पर गाड़ी सं. 12141/12142, 11055/11056, 11059/11060, 12165/12166, 12539/12540 का ठहराव देने की मैं मांग करता हूं तथा प्रस्ताव समय-सारणी सभी में लंबित है, इसको शीघ्र स्वीकृत कराए जाने की मैं मांग करता हूं।

दमोह से भााल चलने वाली राजरानी एक्सप्रैस को दमोह के स्थान पर केएमजेड मुड़वारा से भोपाल तक चलाए जाने की मैं मांग करता हूं, ताकि यात्रियों का दबाव कम हो सके।

कटनी जं. स्टेशन पर स्थित पूछताछ कार्यालय पूर्णत: अनुपयोगी है। यात्रियों को गाड़ियों की सही स्थिति जानने में काफी कठिनाई होती है। अत: इस पूछताछ कार्यालय को किसी अन्य उपयुक्त स्थल पर बनाए जाने की मैं मांग करता हूं।

यात्रियों के आवागमन की सुविधा की दृष्टि से कटनी जं. स्टेशन पर प्लेटफार्म क्र. 1 से 6 तक आधुनिकतम फुट ओवर ब्रिज बनाए जाने की मैं मांग करता हूं।

कटनी जं. पर यात्रियों की मांग एवं आवश्यकता को देखते हुए मैं कटनी जं. पर गाड़ी सं. 12141/12142 (पटना-राजेन्द्र नगर-पटना), 11055/11056 (गोदान एक्स.), 11059/11060 (गोदान एक्सप्रैस), 12165/12166 (रत्नागिरी), 12539/12540 (यशवंतपुर-लखनऊ-यशवंतपुर) का ठहराव देने की मांग करता हूं।

कटनी-बीना रेल खंड पर रीठी रेलवे स्टेशन पर सवेरे कटनी की ओर जाने के लिए कोई भी यात्री गाड़ी नहीं है, जिससे जनता को काफी कठिनाई होती है। अत: मैं रीठी रेलवे स्टेशन पर कुर्ला-बनारस (11071/11072), दामोदर एक्स. (12181/12182), दामोदर एक्स. की मांग करता हूं। यह जबलपुर मंडल की है और यह जबलपुर जाकर खड़ी हो जाती है। यदि इसका ठहराव रीठी पर हो जाता है तो कटनी-जबलपुर के लिए लोगों को सुविधा होगी।

भोपाल-बिलासपुर पैसेंजर यात्री गाड़ी का ठहराव पटौदा रेलवे स्टेशन पर देने की मैं मांग मा. रेली मंत्री जी से मांगकरता हूं।

कटनी जं. के अंतर्गत आने वाले रीठी रेलवे स्टेशन पर यात्री प्रतीक्षालय न होने के कारण लोगों को काफी कठिनाई होती है। अत: मैं मांग करता हूं कि रीठी रेलवे स्टेशन पर प्रतीक्षालय बनाया जाए।

कटनी जं. के अंतर्गत आने वाले खन्न बंजारी रेलवे स्टेशन पर यात्री सुविधाओं का भारी अभाव है। इस स्टेशन पर यात्री सुविध एं उपलब्ध कराने तथा यहां से गुजरने वाली साप्ताहिक गाड़ियों का खन्ना बंजारी रेलवे स्टेशन पर ठहराव दिए जाने की मैं मांग करता हूं।

कटनी जं. के अंतर्गत आने वाले खन्ना बंजारी रेलवे स्टेशन का नाम बदले जाने की मांग यहां की जनता द्वारा वर्षों से की जा रही है। मैं भी इसका समर्थन करता हूं और सरकार से मांग करता हूं कि खन्ना बंजारी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बरही किया जाए।

कटनी जं. एवं केएमजेड मुड़वारा स्टेशन से आने-जाने वाली गाड़ी नं. 15159/15160 (सारनाथ एक्स.), 11905/11906 (क्षिप्रा एक्स.), 12823/12824 (सम्पर्क क्रांति), 18207/18208 (जयपुर-दुर्ग), 12549/12560 (जम्मूतवी-दुर्ग), 11072/11073 (कामायनी एक्स.), 18204/18205 तथा 18202/18203 ये सभी गाड़ियां जबलपुर को टच नहीं करती हैं। अत: मैं इन सभी यात्री गाड़ियों के ई-क्यू (इमरजेंसी कोटा) एरिया मैनेजर, एन.के.जे. कटनी को आवंटित करने की मांग रेल मंत्री जी से करता हूं।

बुंदेलखंड क्षेत्र की पहली रेलवे लाइन जो ललितपुर, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना को जोड़ने वाली है। इस ललितपुर-सिगरौली रेलवे लाइन का काम बजट के अभाव में पिछले 15 वर्षों से लंबित पड़ा हुआ है। मैं रेल मंत्री जी से मांग करता हूं कि इस परियोजना को पर्याप्त बजट उपलब्ध कराकर शीघ्र पूरा किया जाए।

पन्ना-सतना रेलवे लाइन के निर्माण में किसी प्रकार का व्यवध ान नहीं है। इसको चालू करने के लिए जनांदोलन चल रहे हैं। जनता की मांग को देखते हुए तत्काल इस योजना पर कार्य आरंभ किया जाए और शीघ्र पूरा किया जाए।

छतरपुर को रेल डिवीजन की मांग वर्षों से होती आ रही है। ललितपुर-टीकमगढ़, छतरपुर-खजुराहो, छतरपुर-सागर-भोपाल, खजुराहो-पन्ना-सतना-न्यू लाइन, सतना-मानकपुर, सतना-रीवा-सिंगरौली-न्यू लाइन, सतना-कटनी, दमोह-हटा- पन्ना-खजुराहो-न्यू लाइन, उक्त सभी रेल लाइनें छतरपुर से गुजरती हैं। अत: यह आवश्यक है कि छतरपुर को रेल डिवीजन बनाया जाए और मैं जनता की इस मांग का पुरजोर समर्थन करता हूं।

छतरपुर-सागर-भोपाल रेलवे लाइन का सर्वे हो चुका है। परन्तु बजट में इस रेल लाइन के निर्माण के लिए प्रावधान नहीं किया गया है। मेरी मांग है कि इस रेलवे लाइन का निर्माण कार्य शीघ्र प्रारंभ किया जाए। इस रेल लाइन के निर्माण से बुंदेलखंड की जनता रेल द्वारा सीधे भोपाल से जुड़ सकेगी।

इसी प्रकार, दमोह-हटा-पन्ना एवं दमोह-हटा-खजुराहो न्यू रेलवे लाइन के लिए बजट आवंटित कर इस पर निर्माण कार्य शीघ्र किया जाए।

छतरपुर और ईशानगर के बीच की दूरी लगभग 25 कि.मी. है और इस बीच कई ग्राम जैसे पनोठा, राहोडमा, दाडरी आदि पड़ते हैं जिनकी आबादी भी काफी है। रेलवे स्टेशन न होने के कारण यहां के लोगों को काफी कठिनाई होती है। अत: मेरी मांग है कि छतरपुर और ईशानगर के बीच में एक नया रेलवे स्टेशन बनाया जाए ताकि बीच के ग्रामवासियों को रेल सुविधा का लाभ मिल सके।

छतरपुर रेलवे स्टेशन के निर्माण के साथ यहां आरक्षण भवन, माल गोदाम और गुड्स साइडिंग निर्माण का कार्य शीघ्र आरंभ करने की मैं सरकार से मांग करता हूं।

मुझे विश्वास है कि रेल मंत्री जी मेरी मांगों पर गंभीरतापूर्वक विचार करेंगे और उनको शीघ्र पूरा करने के लिए आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करेंगे।

[अनुवाद]

***श्री शेर सिंह घुबाया** (फिरोजपुर): माननीय सभापति महोदय, मैं आपका रेलवे बजट (2013-2014) पर बोलने के लिए अवसर प्रदान करने हेतु आपका धन्यवाद करता हूं।

महोदय, देश की स्वतंत्रता से लेकर अब तक पंजाब से पहली बार एक व्यक्ति रेल मंत्री बना है। पंजाब तथा चंडीगढ़ के लोगों को उनसे बड़ी आशायें थीं। हमें यह आशा थी कि पंजाब के साथ न्याय किया जाएगा जो सामान्यत: नहीं किया गया है। हालांकि महोदय, हमारी सारी आशाओं पर पानी फेर दिया गया है। चूंकि हमारी जायज और हकीकी मांग की एक बार फिर उपेक्षा की गई है।

महोदय, रेलवे बजट से पंजाब के लोगों की आशाएं पूरी नहीं हुई हैं। पंजाब के विभिन्न क्षेत्रों को दिल्ली तथा चंडीगढ़ तक रेलगाड़ी-कनेक्टिविटी प्रदान नहीं की गयी है। फिरोजपुर के लोगों ने दिल्ली तक शताब्दी रेलगाड़ी की मांग की थी। तथापि, केवल इंटरसिटी रेलगाड़ी दी गई है जिसमें कोई प्रथम श्रेणी कोच भी नहीं होगा। इस घोषणा से हमारी आशाओं को धक्का पहुंचा है।

फाजिलका भारत-पाक सीमा पर है। फाजिलका से दिल्ली तक शताब्दी रेलगाड़ी हेतु मांग को भी खारिज कर दिया गया है।

*मूलत: पंजाबी में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपांतर।

महोदय, पंजाब तथा चंडीगढ़ के लिए कुछ यात्री रेलगाड़ियों की घोषणा की गई है परन्तु वे हमारी आवश्यकताओं को पूरा नहीं करती हैं। पंजाब के साथ 60 वर्षों से भेदभाव अभी भी जारी है। मैं माननीय मंत्री से यह आग्रह करता हूं कि वे पंजाब के साथ इस भेदभाव को दूर करें।

महोदय, वार्षिक योजना के लिए 63,663 करोड़ रुपये की राशि निर्धारितकी गई है। सरकार यह दावा करती है कि 500 किलोमीटर नई रेलवे लाइन बिछाई जाएगी। तथापि, पंजाब का यहां पर उल्लेख नहीं है। फिरोजपुर को रेलवे नेटवर्क द्वारा अमृतसर से जोड़े जाने की आवश्यकता है। उसी तरह, पट्टी की फिरोजपुर के साथ रेलवे कनेक्टिविटी की आवश्यकता है। विद्यमान मार्ग बहुत लंबा तथा घुमावदार है।

फिरोजपुर-अमृतसर कनेक्टिविटी आज की आवश्यकता है। यह केवल 100 किलोमीटर की दूरी है। लंबे समय से लंबित इस मांग की उपेक्षा की गई है।

महोदय, श्री वाजपेयी के अंतर्गत एनडीए शासन के दौरान अबोहर-फाजिलका रेल लिंक की घोषणा की गई थी। इस मार्ग पर 15 वर्ष के पश्चात कार्य शुरू किया गया है। यह कार्य कब पूरा होगा?

महोदय, पंजाब मे रेलवे उपरिपुलों की तत्काल आवश्यकता है। महोदय, पंजाब सघन आबादी वाला राज्य है। मुक्तसर बड़ा शहर है। परन्तु मुक्तसर-अमृतसर रोड पर कोई रेलवे उपरिपुल नहीं है। फरीदकोट में भी उपरिपुल की आवश्यकता है। तलवंडी में भी उपरिपुल की तत्काल आवश्यकता है। मानवयुक्त लेवल-क्रॉसिंग के कारण लंबे यातायात जाम लगते हैं। अतः मैं माननीय मंत्री से यह अनुरोध करता हूं कि वे इन स्थानों पर उपरिपुलों का निर्माण करके इन क्षेत्रों के लोगों का उत्थान कीजिए।

महोदय, जलालाबाद-मुक्तसर रेलवे लाइन भी समय की मांग है। कुछ स्थानों पर आमान परिवर्तन की भी आवश्यकता है। चंडीगढ़ पंजाब की राजधानी है परन्तु इसकी पंजाब के कई क्षेत्रों तथा शहरों के साथ कोई रेल-कनेक्टिविटी नहीं है। फिरोजपुर-चंडीगढ़ रेलगाड़ी की तत्काल आवश्यकता है। मुक्तसर के रास्ते से फाजिलका-चंडीगढ़ रेलगाड़ी भी समय की मांग है। कपूरथला तथा तरनतारन को भी अवश्य ही राजधानी शहर चंडीगढ़ से रेलगाड़ी द्वारा जोड़ा जाना चाहिए। महोदय, हमें इस बात पर गर्व है कि माननीय रेल मंत्री हमारे पंजाब राज्य से हैं। इस बात को मद्देनजर रखते हुए माननीय मंत्री को पंजाब की वास्तविक मांगों को स्वीकृत करने का मौका हमें अवश्य ही देना चाहिए। अमृतसर से फिरोजपुर को जोड़ने का उनका इनकार हतोत्साहित करने वाला है। उन्हें अवश्य ही पंजाब के लोगों को न्याय तथा राहत प्रदान करनी चाहिए।

सभापति महोदय, पंजाब घनी आबादी वाला राज्य है। अनेक मानवरहित रेलवे क्रॉसिंग पर खतरनाक दुर्घटनायें होती हैं। इसके परिणामस्वरूप अनमोल जानें चली जाती हैं। कई बार स्कूल के बच्चों वाली मिनी बसें भी रेलगाड़ियों से टकराई हैं तथा कई मासूम जानें गई हैं। अतः, सभी मानवरहित लेवल-क्रॉसिंग को अवश्य ही मानव सहित लेवल-क्रॉसिंग में परिवर्तित किया जाना चाहिए। इससे गरीब स्थानीय लोगों को भी रोजगार मिलेगा। इससे मानव जीवन की भी रक्षा होगी। अन्य स्थलों पर उपरि पुलों तथा भूमिगत पथों का अवश्य ही निर्माण किया जाना चाहिए।

सभापति महोदय, पंजाब में अनेक स्थलों पर रेलवे लाइनों के दोहरीकरण की तत्काल आवश्यकता है। पंजाब में रेलवे लाइन अधिकांशतः कई दशकों पहले बिछाई गई थी। लाखों टन भंडार गेहूं तथा चावल की ढुलाई की आवश्यकता है। तथापि, रेलवे के दोहरीकरण की अत्यधिक आवश्यकता है। एकल लाइन से यात्रियों तथा वस्तुओं के परिवहन हेतु समस्यायें पैदा होती हैं।

महोदय, रेलवे में लाखों रिक्तियों को अभी भरा जाना है। तथापि, रेलवे इस मुद्दे पर पीछे हट रहा है। कब इन पदों को भरा जाएगा। महोदय, पंजाब में नवयुवक ड्रग्स के आदी होते जा रहे हैं। हमें अवश्य ही अपने नवयुवकों को रोजगार प्रदान करना चाहिए ताकि वे गुमराह न हों।

सभापति महोदयः कृपया अपनी बात समाप्त कीजिये, आपके पास केवल एक मिनट है।

श्री शेर सिंह घुबायाः सभापति महोदय, मैं केवल दो और मुद्दों को उठाना चाहता हूं।

महोदय, रेलवे ने कुछ पुराने रेलवे स्टेशनों को बंद कर दिया है। महोदय, इन स्टेशनों को निश्चित तौर पर पुनः शुरू किया जाना चाहिए।

महोदय, एक रेलगाड़ी गंगानगर से सराय रोहिल्ला चलती है। अबोहर, माल आउट, भटिंडा, निंदड़ तथा मांसा इस मार्ग पर आते हैं। सिख तीर्थयात्री श्री हजूर साहिब जाते हैं। सिख भाइयों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इन स्टेशनों पर इस रेलगाड़ी का ठहराव दिया जाना चाहिए। एक सप्ताह में दो बार अथवा तीन बार चलने वाली रेलगाड़ियों को अवश्य ही दैनिक रेलगाड़ियों में परिवर्तित किया जाना चाहिए। उनकी आवृत्ति में अवश्य ही बढ़ोतरी की जानी चाहिए। महोदय, फिरोजपुर-गंगानगर रेलगाड़ी शुरू की गई थी। यह अत्यधिक घनी आबादी वाले क्षेत्रों जैसे कि गुरु हर सहाय, मंडी लाडो आदि से गुजरती है। ये 8 से 10 स्टेशन हैं जो महत्त्वपूर्ण हैं तथा इस रेलगाड़ी का ठहराव प्रत्येक स्टेशन पर अवश्य ही दिया जाना चाहिए ताकि इस क्षेत्र के लोग रेलवे सुविधाओं का फायदा उठा सकें।

अपराह्न 2.54 बजे

[**उपाध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*]

महोदय, फिरोजपुर मंडल में स्टेशन पर बहुत ही कम टिकट काउंटर हैं। कई वर्षों में आबादी में अत्यधिक वृद्धि हुई है। यहां पर सेना का भी बहुत बड़ा मुख्यालय है। अत:, स्टेशन पर और ज्यादा टिकट काउंटर खोले जाने चाहिए।

डिफेंस के लोगों के लिए पृथक टिकट काउंटर होने चाहिए ताकि सिविलियन को समस्याओं का सामना न करना पड़े।

सभापति महोदय, फाजिलका-दिल्ली तथा फिरोजपुर-दिल्ली शताब्दी रेलगाड़ियां शीघ्रातिशीघ्र अवश्य ही चचलाई जानी चाहिए। सभी जिला मुख्यालयों को रेलगाड़ी द्वारा चंडीगढ़ से अवश्य ही जोड़ा जाये ताकि लोगों को इससे फायदा मिल सके।

महोदय, माननीय रेलवे मंत्री द्वारा पंजाब की इन वास्तविक मांगों को अवश्य ही स्वीकार किया जाना चाहिए। मैं उन्हें लिखित रूप से अपनी अन्य मांगों की एक सूची प्रदान करूंगा।

[अनुवाद]

*__श्री प्रेमदास राय__ (सिक्किम): मैं रेल बजट का समर्थन करता हूं। हालांकि पहले प्रस्तुत किए गए रेल बजट की परंपरा का पालन करते हुए माननीय रेल मंत्री के बजट भाषण में पुन: सिक्किम राज्य का उल्लेख नहीं किया गया है। काफी लंबे समय से हमारी अनदेखी की गई है और सिक्किम के लोगों ने इस दुर्भाग्यपूर्ण अनदेखी के खिलाफ अपनी आवाज उठाने में मेरा साथ दिया। यह निराशाजनक है कि भारतीय संघ में शामिल होने के 37 वर्ष के उपरांत भी सिक्किम को अभी तक रेल द्वारा नहीं जोड़ा गया है।

हमारे सुंदर पहाड़ी राज्य के लिए, पर्यटन एक महत्त्वपूर्ण सेवा उद्योग है। हमने विश्वस्तरीय पर्यटक स्थल बनाए हैं और इन वर्षों में रेल संपर्क से वंचित किए जाने के बावजूद, पर्यटकों की संख्या में तेजी से वृद्धि हो रही है। इस विकास की गति को बरकरार रखने के लिए रेल संपर्क बहुत महत्त्वपूर्ण है।

माननीय मंत्री महोदय ने गर्व से यह घोषणा की है कि पहली बार, अरुणाचल को रेल नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। अगर अगले बजट भाषण में माननीय मंत्री महोदय इसी तरह की घोषणा सिक्किम राज्य के लिए करने की प्रतिबद्धता करते हैं तो यह उपयोगी होगा।

2010 में आरम्भ किए गए उत्तरी बंगाल में सेवोक से सिक्किम में रंगपो तक रेल संपर्क संबंधी कार्य को शीघ्र किया जाए।

इस बारे में बार-बार प्रश्न करने से निरन्तर एक उम्मीद तो बंधती है किन्तु कोई कार्रवाई नहीं होती है। मैं माननीय मंत्री महोदय से जोर देकर कहना चाहता हूं कि वह रेल सम्पर्क का तेजी से पूरा किया जाना सुनिश्चित करें। मैं इस पर और ज्यादा जोर नहीं दे सकता हूं कि आने वाले समय में यह रेल लिंक सामरिक दृष्टि से कितना महत्त्वपूर्ण होगा। शायद हम इसका महत्त्व इसलिए समझ रहे हैं क्योंकि हमारा संबंध उस क्षेत्र से है। इस रेल सम्पर्क के महत्त्व को नई दिल्ली से नहीं समझा जा सकता।

यद्यपि, इस बात की उपेक्षा नहीं की जा सकती कि पहाड़ी क्षेत्रों में रेल परियोजनाओं को पर्यावरण का ध्यान रखना चाहिए और प्रकृति के संतुलन को बनाये रखना चाहिए। पहाड़ी क्षेत्र में रेल अवसंरचनाओं के निर्माण में नई चुनौतियां आती हैं और इसके प्रबंधन को एक विशिष्ट निकाय को सौंपा जाना चाहिए। इस कार्य के लिए, जैसा कि मैंने पहले भाषणों और पत्रों में प्रस्ताव किया है, मैं पुन: प्रस्ताव करता हूं कि रेल मंत्रालय के अंदर एक विशिष्ट पहाड़ी इकाई बनाई जाए, जो पहाड़ी क्षेत्रों में रेल परियोजनाओं के क्रियान्वयन पर नजर रखेगी। इसे अनुसंधान संस्थाओं जैसे आईआईटी अथवा एनआईटी के सम्बद्ध कर और अधिक मजबूत बनाना चाहिए। ऐसा एक संस्थान सिक्किम में स्थापित किया जा रहा है जिसे कदाचित यह महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए कहा जाएगा।

चीन के साथ हम 3,000 कि.मी. से ज्यादा हिमालय की सीमा साझा करते हैं। चीन शीघ्र हमारी सीमा के अत्यंत समीप नाथूला के ठीक पास रेल लाइन बनाएगा। यह बहुत चिंता का विषय है कि चीन ने भारतीय सीमा क्षेत्रों को रेल और सड़क नेटवर्क द्वारा लगभग घेर लिया है। सिक्किम को भारतीय रेल नेटवर्क से जोड़ा जाना न केवल हमारे राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक है, बल्कि यह सामरिक दृष्टि से भारत के लिए भी महत्त्वपूर्ण है। मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि सेवोक-रंगपो रेल लिंग को समर्पित वित्तीय पैकेज के साथ राष्ट्रीय महत्त्व की परियोजना घोषित करें।

सिक्किम के लोग, सरकार और हमारे नेता और माननीय मुख्यमंत्री, श्री पवन चामलिंग इस उद्यम का समर्थन करेंगे जैसा कि राष्ट्रीय और क्षेत्रीय लाभ के लिए इसका प्रस्ताव किया गया है।

इन शब्दों के साथ मैं बजट प्रस्तावों ओर संशोधनों का समर्थन करता हूं।

*भाषण सभापटल पर रखा गया।

***श्री एन. पीताम्बर कुरूप** (कोल्लम): रेल बजट में नई दूरदर्शिता है और इसमें आधुनिक प्रौद्योगिकी से भारतीय रेल के विकास को ज्यादा महत्त्व दिया गया है।

रेल बजट दर्शाता है कि इसकी आय के 65 प्रतिशत का सृजन माल भाड़े से होता है जबकि 27 प्रतिशत यात्री किराये से आता है और अन्य 7 प्रतिशत अन्य स्रोतों से आता है। यह इस बात को भी इंगित करता है कि इसकी आय का 37 प्रतिशत वेतन भुगतान में उपयोग किया जाता है, 18 प्रतिशत ईंधन में, 16 प्रतिशत पूर्व कर्मियों को पेंशन देने में और इसकी आय का 29 प्रतिशत अन्य व्यय को पूरा करने में उपयोग किया जाता है। रेल बजट में वैसे तो यात्री किराये में वृद्धि नहीं हुई है परन्तु माल भाड़े में वृद्धि की गई है।

मैं केरल के लोगों की ओर से हमारे अनुरोध को स्वीकार करने और दो नई यात्री रेलगाड़ियां (i) पुनालुर से गुरुवाथोर तक और (ii) केरल में शोर्णपुर से कोजिकोड तक शुरू करने के लिए माननीय रेल मंत्री को हार्दिक धन्यवाद देता हूं। मैं केरल के लोगों की ओर से दो साप्ताहिक रेलगाड़ियां (i) मुंबई लोकमान्य तिलक से कोपुवेली तक और (ii) विशाखापत्तनम से कोल्लम तक चलाने के लिए भी उनको हार्दिक धन्यवाद देता हूं। पलक्कड़ में रेल डिब्बा कारखाना बनाने के लिए 56 करोड़ रुपये की राशि आवंटित करने से निर्माण कार्य में तेजी आएगी। अलेप्पी में रॉलिंग स्टॉक कारखाने के लिए बजट आवंटन एक स्वागतयोग्य कदम है और इससे केरल के लोगों को लाभ होगा। यह नोट करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि पीरावम सड़क से कुरूपंथरा तक रेल लाइन के दोहरीकरण का उल्लेख समय पर पूरी होने वाली परियोजनाओं में किया गया है। मीनाक्षीपुरम से पलक्कड़ तक रेल लाइन का दोहरीकरण किया जाना, पुनालुर से एडामोन तक आमान परिवर्तन का कार्य, सदरी लाइन में अंकमाली से कलाडी तक 6 किमी. के मार्ग को पूरा किया जाना और प्रस्तावित शोर्णपुर-मंगलापुराम की तीसरी लाइन का प्रस्तावित सर्वेक्षण एक स्वागत योग्य कदम है। माननीय मंत्री महोदय ने बजट को जनप्रिय और नये युग के अनुकूल बनाने का प्रयास किया है। भारतीय रेल के अंतर्गत कोल्लम स्थित एक कौशल विकास प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने का निर्णय केरल के लोगों के लिए हर्ष का विषय है।

यद्यपि रेलवे घोर वित्तीय अड़चनों से जूझ रहा है, फिर भी माननीय मंत्री महोदय ने सुरक्षा पहलुओं, महिलाओं की सुरक्षा, रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण, स्वच्छ खाना, टिकट आरक्षण सुविधाओं का विविधीकरण, यात्रियों के लिए सुविधाओं का बढ़ाया जाना, इत्यादि पर ध्यान दिया है।

बजट का लक्ष्य 12वीं योजना अवधि के दौरान निजी निवेशकों से 1 लाख करोड़ रुपये के निवेश का है। भारतीय रेल के माल भाड़ा क्षेत्र में नई ऊंचाईयों को छूते हुए हमारा देश चीन, अमेरिका और रूस के साथ बिलियन सलेक्ट क्लब में शामिल हो गया है। इस बजट में पत्तनों, उद्योगों, खानों आदि के सहयोग से संयुक्त रेल उद्यमों के द्वारा संसाधन प्राप्त करने की परिकल्पना की गई है। बजट में अगले 10 वर्षों के दौरान कॉरपोरेट सुरक्षा परियोजना को कार्यान्वित करने की भी परिकल्पना की गई है। यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए गार्ड कक्ष, वातानुकूलित डिब्बों, पैंट्री कार, इत्यादि में अग्निशमन यंत्र मुहैया कराए जाएंगे। महिलाओं के डब्बों में और अधिक महिला पुलिस को तैनात किया जाएगा। रेल सुरक्षा बल में 10 प्रतिशत रिक्तियां महिलाओं के लिए आरक्षित की जाएंगी। मोबाइल के द्वारा ई-टिकट और एक दिन में 23 घंटे इंटरनेट आरक्षण की सुविधा देने से भ्रष्टाचार कम होने में सहायता मिलेग और टिकट आरक्षण की सुविधा बढ़ेगी। हरित ऊर्जा परियोजना को बढ़ावा देने के लिए ऊर्जा प्रबंधन कंपनी स्थापित करने का निर्णय एक स्वागतयोग्य कदम है। यह नोट करना सुखद है कि भारतीय रेल ने राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार जीता है। रेल की खान पान सुविधा में प्लास्टिक का उपयोग रोकना और रिसाइकल्ड पेपर के उपयोग को बढ़ावा देने के निर्णय का यात्रियों द्वारा स्वागत किया जाएगा। माननीय मंत्री महोदय ने बताया है कि उन्होंने रेल स्टेशनों और ट्रेनों को वस्तुत: गंदा पाया। माननीय मंत्री द्वारा रेल स्टेशन और रेलों को आवश्यक साफ-सुथरा बनाने के लिए दिया गया आश्वासन वास्तव में उत्साहवर्धक है।

यद्यपि, केरल के उम्मीद किये जाने वाले लंबी दूरी की रेलों में या रेल बजट में धनराशि के आवंटन का कोई उल्लेख नहीं है। जैसा कि केरल को उम्मीद थी। यद्यपि केरल ने 25 नई रेलगाड़ियों की मांग की थी, फिर भी कुछ रेलगाड़ियों की घोषणा से केरल के लोगों को कष्ट हुआ है। केरल के लिए चालू रेल बजट में 200 करोड़ रु. का आवंटन किया गया है जबकि पिछले वर्ष के दौरान बजट आवंटन 470 करोड़ रुपये था। रेल लाइन को दोहरा बनाने के कार्य को पूरा करने के लिए 68 करोड़ रुपये की राशि अत्यंत कम है। भारतीय रेल द्वारा 2013-14 के दौरान केरल में विद्युतीकरण कार्य के लिए केवल 18. 1 करोड़ रु. की राशि आवंटित की गई है।

मैं माननीय रेल मंत्री का ध्यान भारतीय रेल में निम्नांकित विसंगतियों की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं-

रेल ट्रैक पर पड़े लोगों के मल की जी मतलाने वाली दुर्गन्ध के कारण प्लेटफार्म पर खड़ा होना मुश्किल हो जाता है।

मनुष्यों का मल रेल लाइनों पर रुकावट ही पैदा नहीं करता अपितु यात्रियों के स्वास्थ्य के लिए भी हारिकारक होता है। अत: जैव शौचालय परियोजना को शीघ्रातिशीघ्र कार्यान्वित किया जाना चाहिए।

*भाषण सभापटल पर रखा गया।

केरल जाने वाली रेलगाड़ियों में डिब्बे पुराने हैं और चूहों और तिलचट्टों से संक्रमित हैं। यह बात केरल जाने वाली वातानुकूलित ट्रेनों के लिए भी सही है। कई बार एयर कंडीशनर के काम न करने से यात्रियों को अत्यंत असुविधा होती है। ऐसे कई मामले आये हैं जहां यात्रियों के बैग चूहों ने काट डाले हैं। शौचालयों में खिड़कियों के शीशे न होने से महिला यात्रियों को शौचालय जाने में भारी असुविधा होती है। वैसे तो शौचालयों की सफाई के कार्य का निजीकरण कर दिया गया है, परंतु कई स्टेशनों पर शौचालय की सफाई नहीं होती है। कई बार ट्रेन के शौचालय में पानी नहीं होता है। कई ट्रेनों के शौचालयों में पाइप और नल मौजूद नहीं होते हैं। विंडो शटर के ठीक से बंद नहीं होने के कारण धूल, ठंड और गरम हवा डब्बों में आती रहती है। इसलिए आपसे अनुरोध है कि केरल जाने वाली ट्रेनों में नए डब्बे लगाये जाएं।

वातानुकूलित डब्बों में यात्रियों को बताया गयाहै कि उन्हें दिये गये गरम कपड़ों को कभी धोया/ड्राइक्लीन नहीं किया जाता है। इस बात का जिक्र करना बेकार है कि बिना धुले गरम कपड़ों के उपयोग से यात्रियों में बीमारियां फैलेंगी। यात्रियों को बताया जा रहा है कि भारतीय रेल ने ट्रेनों में तौलियों के उपयोग को हटा दिया गया है।

महत्त्वपूर्ण रेल स्टेशनों पर तो कम से कम सभी प्लेटफार्मों पर कोच डिस्प्ले बोर्ड लगवाए जाने चाहिए ताकि यात्रियों को खासकर बुजुर्गों को सही डिब्बों को ढूंढ़ने और ट्रेन में बैठने में आसानी हो सके।

कोल्लम-शेनकोट्टा रेललाइन पर आमान परिवर्तन के कार्य में तेजी लाई जानी चाहिए।

चूंकि अनेक विदेशी पर्यटक कोल्लम आते हैं इसलिए कोल्लम स्टेशन को अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुसार आधुनिक बनाया जाना चाहिए। ऐतिहासिक महत्त्वपूर्णता को ध्यान में रखते हुए कोल्लम में स्थित चीनी महल की मरम्मत कराई जानी चाहिए और इसका संरक्षण ऐतिहासिक महल के रूप में किया जाना चाहिए।

रेल लाइनों के दोहरीकरण विद्युतीकरण के कार्य को समयबद्ध ढंग से पूरा किया जाना चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं रेल मंत्री द्वारा प्रस्तुत रेल बजट 2013-14 का समर्थन करता हूं।

***श्री संजय दिना पाटील** (मुम्बई उत्तर पूर्व): मैं उपनगरीय मुख्य लाइन पर छत्रपति शिवाजी टर्मिनस से कल्याण जंक्शन तक ऐलिवेटिड उपनगरीय रेल कॉरिडोर की मांग करता हूं।

*भाषण सभापटल पर रखा गया।

मुंबई से जम्मू तक एक साप्ताहिक ट्रेन और चार दिन में एक बार चलने वाली एक ट्रेन है। इस लंबी दूरी पर चलने में यह काफी समय लेती है। जम्मू एक पवित्र स्थल है (वैष्णो देवी) और कश्मीर एक पर्यटक स्थल है, और यह मार्ग में हिमाचल प्रदेश, पंजाब और दिल्ली भी शामिल हैं। अतः इस मार्ग पर यात्रियों की भीड़ को देखते हुए मुंबई से जम्मू तक एक और एसी सुपर फास्ट ट्रेन आवश्यक है।

भारत और विदेशों से लाखों लोग प्रसिद्ध मंदिरों जैसे यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ और हरिद्वार, ऋषिकेश, हेमकुंड साहिब, उत्तरकाशी, चंदा देवी, अंगेश्वर में धार्मिक स्थलों का एवं अत्यधिक आकर्षक और सुंदर गढ़वाल हिमालय, अल्मोड़ा, रानीखेत आदि जैसे महत्त्वपूर्ण पर्यटन स्थलों की तीर्थयात्री और पर्यटक के रूप में यात्रा करते हैं। चूंकि मुंबई और देहरादून एवं मुंबई और काठगोदाम के बीच कोई सीधी सुपर फास्ट ट्रेन नहीं है, इसलिए यात्रियों को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अतः मुंबई से देहरादून के लिए दैनिक सुपर फास्ट ट्रेन और मथुरा के रास्ते से काठगोदाम के लिए सुपर फास्ट ट्रेन अत्यंत आवश्यक है।

लोकमान्य तिलक टर्मिनज मुंबई से बरेली के लिए आला एक्सप्रेस (ट्रेन नं. 4313) सप्ताह में केवल एक दिन चलती है। इस ट्रेन में जाने वाले यात्रियों की संख्या बहुत ज्यादा है। परन्तु यह ट्रेन प्रतीक्षारत अनेक यात्रियों की मांगों को जो ज्यादातर चंदौसी, बिसोली, टुंडला, अलीगढ़, बदायूं, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर और मुरादाबाद से आते हैं, पूरा नहीं कर पाती है। इन जिलों की जनसंख्या लगभग 20 से 25 लाख है और ये लोग ट्रेन सेवाओं की कमी के कारण प्रभावित हो रहे हैं। इसलिए लोगों की सुविधा के लिए यह आवश्यक है कि लोकमान्य तिलक टर्मिनस, मुंबई से बरेली के लिए दैनिक आला हजरत ट्रेन चलाई जाए।

कोट्टायम-तुरुपाला के रास्ते सीएसटी मुंबई-त्रिवेन्द्रम एक नई दैनिक सुपरफास्ट एक्सप्रैस ट्रेन चलाई जानी चाहिए।

2201/2202 एलटीटी कुर्ला-कोचुवेली गरीब रथ को सप्ताह में दो दिन से बढ़ाकर प्रतिदिन चलाया जाए।

तिरुपति एक पवित्र स्थल है। मुंबई से लाखों लोग वर्ष भर तिरुपति दर्शन के लिए आते रहते हैं। फिर भी तिरुपति जाने के लिए कोई सीधी ट्रेन नहीं है और अन्य स्थानों से होकर तिरुपति को जाने वाली पांच गाड़ियों में यात्रियों की हमेशा भीड़ रहती है जिनमें यात्रियों की लम्बी प्रतीक्षा सूची रहती है। इसलिए मुम्बई के लोगों के लिए तिरुपति की यात्रा करना हमेशा असुविधाजनक और कठिन होता है और वे मुम्बई से तिरुपति के लिए एक सीधी गाड़ी की मांग कर रहे हैं।

गाड़ी सं. 2188 गरीब रथ सुपर फास्ट वर्तमान में सीएसटी मुंबई से जबलपुर के लिए सप्ताह में दो दिन चलती है जिसे इलाहाबाद तक बढ़ाया जाए। यह गाड़ी अधिकारिक तौर पर इलाहाबाद तक बढ़ा दी गई है परन्तु यह केवल जबलपुर तक ही चल रही है। मुंबई से भगवान श्रीराम के पवित्र जन्मस्थान अयोध्या के लिए कोई सीधी गाड़ी नहीं है। इसलिए उक्त गरीब रथ गाड़ी सं. 2188 को जबलपुर से इलाहाबाद, जौनपुर, शाहगंज, अम्बेडकर नगर होते हुए अयोध्या/फैजाबाद तक चलाया जाए और इस गाड़ी के फेरों की संख्या बढ़ाकर इसे प्रतिदिन चलाया जाए।

11 मार्च 2012 से एक नई गाड़ी सं. 12293 दूरन्तो/गरीब रथ शुरू की गई है जो यात्रियों के लिए बड़ी लाभदायक है। तथापि लोगों की मांग को देखते हुए इसे वाराणसी तक चलाए जाने की जरूरत है।

गाड़ी संख्या 2161 लश्कर एक्सप्रेस लोकमान्य तिलक टर्मिनस, मुंबई से चलती है। इस गाड़ी के फेरों की संख्या बढ़ाकर इसे सप्ताह में तीन दिन चलाया जाए और इस गाड़ी को भगवान श्रीकृष्ण के पवित्र जन्म स्थान मथुरा जंक्शन तक चलाया जाए जो वृन्दावन आदि को भी कवर करेगी।

गुजरात के कच्छ भुज क्षेत्र के लिए केवल दो गाड़ियां हैं और इस मार्ग पर कोई सुपर फास्ट गाड़ी नहीं है। इस गाड़ी की अधिकारिक अवधि 17 घंटे है जबकि वास्तविक दूरी मात्र 850 किमी. है। इसलिए कच्छ भुज के लिए एक दूरन्तो गाड़ी और एक सुपर फास्ट गाड़ी चलाए जाने की जरूरत है। इसके अतिरिक्त यात्रियों की संख्या को देखते हुए दादर, मुंबई से भुज के लिए प्रतिदिन गाड़ी चलाए जाने की जरूरत है।

जनता द्वारा यह लगातार मांग की जा रही है कि एलटीटी कुर्ला, मुंबई से हरिद्वार के लिए चलने वाली गाड़ी सं. 12171 को सप्ताह में दो बार चलाया जाए। यात्रियों की प्रतीक्षा सूची भी काफी लम्बी रहती है। अत: लोगों की मांग पूरी करने के लिए इस गाड़ी को प्रतिदिन चलाया जाए।

अनेक वर्गों के व्यक्तियों को विशेष आरक्षण कोटा प्रदान किया जाता है। तथापि महिलाओं को कोई विशेष कोटा नहीं दिया जाता है। महिला यात्रियों की संख्या को ध्यान में रखते हुए महिलाओं के लिए विशेष आरक्षण कोटा प्रदान किए जाने की जरूरत है।

रेल यात्रा के दौरान उपलब्ध कराई जाने वाली खाने की वस्तुएं बहुधा गर्म और ताजा नहीं होती हैं। अधिकांश यात्रियों की इस मामले में शिकायतें रहती हैं। खान-पान सेवा के कर्मचारियों से पूछे जाने पर यह पता चला कि ये खाद्य वस्तुएं प्लेटफार्म पर स्थित कैन्टीनों में तैयार या पकाई नहीं जाती हैं बल्कि बाहर से मंगाई जाती हैं। यात्रियों को ताजा और गर्म खाद्य वस्तुएं उपलब्ध कराने की दृष्टि से इन्हें प्लेटफॉर्म पर स्थित कैन्टीनों में पकाए जाने की अनुमति दी जानी चाहिए।

4 माह (120 दिन) पहले की अग्रिम आरक्षण अवधि की वर्तमान व्यवस्था यात्रियों के लिए असुविधाजनक है। इससे यात्रियों को कई तरह की समस्याएं होती हैं क्योंकि 4 माह पहले यात्रा कार्यक्रम बनाना बड़ा कठिन होता है। यात्रियों की सुविधा के लिए एडवांस बुकिंग अवधि को घटाकर 30 दिन अथवा 45 दिन किए जाने की जरूरत है। इससे लम्बी दूरी की यात्रा करने वाले यात्रियों के सामने आ रही कई समस्याओं का समाधान करने में मदद मिलेगी।

ऐसी सभी मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों में पेंट्री कार सुविधा प्रदान किए जाने की जरूरत है जिनकी यात्रा अवधि 12 घंटे से अधिक है। यह देखा गया है कि 1500 किमी. से अधिक दूरी तय करने वाली गाड़ियों में भी पेंट्री कार सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गई है।

तत्काल आरक्षण वाले यात्रियों के लिए एक अलग कोच होना चाहिए क्योंकि वे अन्य यात्रियों से अधिक भुगतान करते हैं। यह व्यवस्था पहले मौजूद थी, हालांकि इसे अभी हटा दिया गया है। प्रतीक्षा सूची वाले यात्री आरक्षण वाले डब्बों में घुस जाते हैं जिससे तत्काल टिकट वाले यात्रियों को काफी असुविधा होती है।

एलटीटी मुम्बई से फैजाबाद के लिए फैजाबाद एक्सप्रैस (12563/64) सप्ताह में केवल एक दिन चलती है। फैजाबाद एक्सप्रैस गाड़ी के यात्रियों की संख्या को देखते हुए इसे प्रतिदिन चलाया जाए। मुम्बई से दो पवित्र स्थलों अर्थात् इलाहाबाद और अयोध्या के लिए केवल यही एक सीधी ट्रेन है।

पूर्वी मुम्बई के उपनगरीय और नवी मुम्बई के क्षेत्रों का बड़ी तेजी से विकास हो रहा है। इन क्षेत्रों के लोगों को दिल्ली के लिए ट्रेन पकड़ने के लिए मुम्बई सेंट्रल जाना पड़ता है जिससे उन्हें काफी असुविधा होती है। इसलिए पूर्वी उपनगरीय क्षेत्रों और नवी मुम्बई में रहने वाले लोगों की सुविधा के लिए एलटीटी कुर्ला, मुम्बई से दिल्ली के लिए राजधानी एक्सप्रैस जैसी एक गाड़ी शुरू की जाए।

इस समय मुम्बई से चेन्नई के लिए केवल तीन गाड़ियां चल रही हैं। चेन्नई के लिए कोई अन्य सुपरफास्ट गाड़ी नहीं है। इसलिए लोगों की सुविधा हेतु मुम्बई से चेन्नई के लिए एक वातानुकूलित सुपरफास्ट गाड़ी चलाए जाने की आवश्यकता है।

मंगलौर के लिए केवल 2 गाड़ियां चल रही हैं जिनमें यात्रियों की काफी भीड़ रहती है। लोगों की मांग को ध्यान में रखते हुए

मुम्बई से मंगलौर के लिए एक एसी सुपरफास्ट ट्रेन चलाई जानी चाहिए।

मुम्बई से कोंकण रेलवे के मडगांव के लिए एक और ट्रेन चलाए जाने की जरूरत है जो कोंकण क्षेत्र को कवर कर सके।

सभी मेल और एक्सप्रैस गाड़ियों में सफाई होनी चाहिए। हरिद्वार एक्सप्रैस और गरीबरथ (1209/10) में भी सफाई कर्मचारी उपलब्ध नहीं रहते हैं जिससे यात्रियों को असुविधा और समस्या होती है।

इंदौर-पुणे-इंदौर एक्सप्रैस इस समय सप्ताह में तीन दिन चलती है। इसे प्रतिदिन चलाया जाए क्योंकि इसकी सभी श्रेणियों के लिए काफी लंबी प्रतीक्षा सूची रहती है।

कोंकण रेलवे के वसई रोड स्टेशन से होकर चलने वाली मेल/एक्सप्रैस गाड़ियों का कोपर (हाई लेवल) पर ठहराव दिया जाए क्योंकि इससे थाणे के आसपास रहने वाले लोग इन गाड़ियों से लाभान्वित होंगे।

रेलयात्रियों में महिलाएं और वरिष्ठ नागरिक भी होते हैं जिनके लिए रेल पुलों की सीढ़ियों पर चढ़ना बड़ा मुश्किल होता है। ऐसे यात्रियों को कुछ राहत और सुविधा प्रदान करने की दृष्टि से नए रेल पुलों पर सीढ़ियों की बजाय रैम्प होने चाहिए। इसके साथ-साथ पुराने रेलवे पुलों पर या तो लिफ्ट की व्यवस्था होनी चाहिए अथवा रैम्प की व्यवस्था होनी चाहिए।

पहले कुर्ला स्टेशन, मुम्बई से पनवेल, नवी मुम्बई के लिए लोकल ट्रेन सेवा थी। परन्तु इसे काफी समय पहले ही बंद कर दिया गया है। नवी मुम्बई का काफी तेजी से विकास हुआ है तथा नवी मुम्बई में नए आवासीय परिसर, शिक्षा संस्थान और मेडिकल कॉलेज खुल गए हैं। नवी मुंबई में नए आईटी परिसर, सरकारी कार्यालय, वाणिज्यिक प्रतिष्ठान, लोहा मंडी, फूल मंडी, अनाज मंडी और सब्जी मंडी खुल गई है। इसके अतिरिक्त इससे सटे हुए क्षेत्र बान्द्रा-कुर्ला कॉम्पलैक्स, बान्द्रा (पूर्व) में कई सरकार्श कार्यालय, कॉरर्पोरेट कार्यालय, आईटी पार्क और हीरा व्यवसाय केन्द्र हैं जहां पर बाहर से आने वाले काफी लोग कार्य कर रहे हैं।

इन लोगों के लिए कुर्ला सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन है। कुर्ला रेलवे स्टेशन शहर के बीचोंबीच स्थित है तथा यह अन्य स्टेशनों जैसे सीएसटी मुम्बई, नवी मुम्बई और अन्य स्टेशनों से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है जिससे रेल यात्रियों की यहां हमेशा भीड़ रहती है और उन्हें नवी मुम्बई जाने के लिए गाड़ी पकड़ने में बड़ी कठिनाई होती है। अतः लोगों की सुविधा हेतु कुर्ला से पनवेल के लिए लोकल ट्रेन सेवा अत्यंत आवश्यक है।

विखरोली के लोगों के लिए विखरोली रेलवे स्टेशन क्रॉसिंग पर रेल उपरि पुल का निर्माण किए जाने की सख्त जरूरत है क्योंकि इससे विखरोली का पूर्वी और पश्चिमी भाग जुड़ जाएगा और घाटकोपर एवं विखरोली-जोगेश्वरी संपर्क पुलों पर यातायात घटेगा। लोगों की सुविधा के लिए विद्या विहार रेलवे स्टेशन पर भी रेल उपरि पुल का निर्माण किए जाने की जरूरत है।

घाटकोपर, भांडूप और मुलुण्ड आदि केन्द्रीय उपनगरीय इलाकों में रहने वाले लोगों को कोपरखैराने, वाशी और नवी मुम्बई के अन्य स्थानों को जाने के लिए कोई सुविधाजनक रेलमार्ग नहीं है। उन्हें गाड़ी पकड़ने के लिए कुर्ला अथवा थाणे रेलवे स्टेशन जाना पड़ता है। उनकी सुविधा के लिए सीएसटी- थाणे-कोपरखैराने-वाशी-सीएसटी के राउण्ड रेल मार्ग पर गाड़ी शुरू किया जाना जरूरी है।

वर्तमान एलटीटी कुर्ला और सीएसटी रेलवे टर्मिनस पर अत्यधिक भीड़ की वजह से काफी दबाव रहता है। अब समय आ गया है कि रेल यात्रियों की निरंतर बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए एक नए रेलवे टर्मिनस हेतु किसी अन्य उचित स्थान की तलाश की जाए। इस संदर्भ में नए टर्मिनस के निर्माण के लिए दीवा सबसे उपयुक्त स्थान है। दीवा में नए रेलवे टर्मिनस के निर्माण के लिए पर्याप्त खुली जगह है। इसलिए दीवा में नए रेलवे टर्मिनस के निर्माण हेतु प्रस्ताव तैयार करना जरूरी है।

वर्तमान में थाणे से वसई के लिए डीएमयू रेल सेवा है। थाणे के लोगों तथा भिवंडी के करघा मालिकों और कामगारों की बढ़ती हुई मांग को देखते हुए थाणे से दीवा होते हुए वसई तक नियमित ट्रेन चलाई जानी आवश्यक है। थाणे सिटी विशाल थाणे जिले का जिला मुख्यालय है। थाणे के कलेक्टर का कार्यालय यहीं स्थित है तथा सिविल सेवाएं प्रदान करने वाले अन्य अधिकारियों के कार्यालय भी थाणे में स्थित हैं। और तो और वसाई और बॉयसर के दूरदराज स्थानों सहित थाणे जिले के लोगों को अपने विभिन्न कार्यों हेतु थाणे का दौरा करना पड़ेगा इसलिए ठाणे, भिवंडी, वसाई तथा बॉयसर आदि के लोगों के लिए यह मार्ग बहुत ही फलदायी रहेगा।

वर्तमान में सभी टिकट खिड़कियों पर भीड़ है जहां पर यात्रियों की लंबी कतारें हैं। इन कतारों का मुख्य कारण यह है कि कर्मचारियों की अनुपलब्धता की वजह से 50% से ज्यादा बुकिंग विंडो बंद हैं। रेल यात्रियों की सुविधा के लिए इस स्थिति में सुधार किए जाने की आवश्यकता है। यात्रियों को टिकट खरीदने के लिए कतारों में खड़े होकर अपना बहुमूल्य समय गंवाना पड़ता है। इस समस्या के निवारण हेतु सभी बुकिंग विंडो खोलकर समुचित व्यवस्था करनी होगी।

रेल दुर्घटनाओं के पीड़ितों को तत्काल चिकित्सा उपचार देने के लिए रेलवे स्टेशनों पर चिकित्सा अधिकारियों की उपलब्धता आवश्यक है। हालांकि चिकित्सा अधिकारियों को कम से कम महत्त्वपूर्ण रेलवे स्टेशनों जैसे कि एलटीटी, कुर्ला, घाटकोपर, भंडअप, मुलुंड, ठाणे तथा कल्याण रेलवे स्टेशनों आदि पर नियुक्त किया जा सकता है।

यह देखा गया है कि रेलवे कर्मचारियों द्वारा स्लीपर क्लास कम्पार्टमेंट्स का समुचित रूप से रखरखाव नहीं किया जाता है। यात्रियों की इस संबंध में गंभीर तथा बार-बार की गई शिकायतें हैं। तथापि, रेलवे के संबंधित अधिकारियों को स्लीपर क्लास कम्पार्टमेंट्स का समुचित रूप से रखरखाव किये जाने हेतु दिशानिर्देश दिये जाने चाहिए।

मुंबई में स्थानीय रेलवे स्टेशन पर अधिकांश प्लेटफार्मों की ऊंचाई को बढ़ाया गया है। हालांकि प्लेटफॉर्म पर शेडों की छतों की ऊंचाई को उस अनुपात में नहीं बढ़ाया गया है जिसके कारण कई बार व्यस्त समय के दौरान यात्रियों का दम घुटता है। इसलिए, प्लेटफॉर्म की बढ़ाई गई छतों के अनुपात में शेडों की छतों की ऊंचाई को बढ़ाना आवश्यक है।

सभी प्लेटफॉर्मों के दोनों तरफ शौचालय सुविधायें प्रदान की जानी चाहिए चूंकि अब प्लेटफॉर्म की लम्बाई को बढ़ाया गया है ताकि बढ़ी हुई संख्या में रैकों को समायोजित किया जा सके।

वरिष्ठ नागरिकों तथा नि:शक्त यात्रियों की सुविधा के लिए सभी एफ.ओ.बी. को रैम्पस/एस्क्लेटर्स/लिफ्टों के साथ जोड़ा जाना चाहिए।

अधिकांश टिकट खिड़कियां कर्मचारियों के अभाव के कारण बंद हैं जिसकी वजह से यात्रियों को गंभीर समस्याएं होती हैं। इसलिए यात्रियों तथा रेलवे के हित में भी सारा समय सभी टिकट विंडो को खोले जाने हेतु प्रावधान किया जाना आवश्यक है चूंकि इससे रेलवे को राजस्व मिलता है।

मुंबई रेलवे विकास कॉरपोरेशन की परियोजनाओं तथा मुंबई शहरी परिवहन परियोजनाओं हेतु पर्याप्त निधियां प्रदान करने तथा वरीयता के आधार पर परियोजनाओं को पूरा किए जाने की आवश्यकता है।

सभी पुराने रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास को समुचित योजना के साथ किया जाना चाहिए।

भीड़-भाड़ वाले स्थानीय रेलवे स्टेशनों पर ट्रैक के दोनों तरफ प्लेटफॉर्मों का निर्माण किया जाना चाहिए।

रेल दुर्घटनाओं के पीड़ितों को तत्काल चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए रेलवे प्राधिकरणों तथा राज्य सरकार की मदद से एक विशेष इकाई बनाई जानी चाहिए।

उप-शहरी रेलवे यात्रियों की हमेशा बढ़ती संख्या को ध्यान में रखते हुए प्रसाधनों, मूत्रालयों तथा पंखों तथा लाइटों तथा बैंचों की उपयुक्त संख्या में वृद्धि करने के लिए कदम उठाये जायें।

रेल दुर्घटनाओं के पीड़ितों को शीघ्र क्षतिपूर्ति देने के लिए रेलवे क्लेम ट्रिब्यूनल की कार्यप्रणाली में तेजी लाने के लिए प्रयास किये जाने चाहिए। दावों के तत्काल निपटान हेतु अपेक्षित कर्मचारियों सहित पर्याप्त संख्या में ट्रिब्यूनल कार्यालय बनाये जाने चाहिए।

सभी उपशहरी रेलवे स्टेशनों पर पर्याप्त संख्या में पेयजल नल लगाये जाने चाहिए तथा सभी निर्माणाधीन रेलवे एफओबी तथा शेडों को वरीयता आधार पर पूरा किया जाना चाहिए।

उपशहरी रेलवे स्टेशनों पर पर्याप्त संख्या में उपरिपुलों तथा भूमिगत सबवे बनाने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए।

अत्यधिक संख्या में यात्रियों को ध्यान में रखते हुए मुंबई उपशहरी खंड हेतु स्वतंत्र जोन की आवश्यकता है।

प्लेटफार्मों की ऊंचाइयों तथा रेल डिब्बों की ऊंचाइयों को ध्यान में रखते हुए निर्धारित सीमाओं के भीतर उपनगरीय रेलवे स्टेशनों की प्लेटफार्मों की ऊंचाई की जाये।

केन्द्रीय रेलवे पर मुंबई मंडल में कोपर रेलवे स्टेशन पर मेल/एक्सप्रैस ट्रेन को ठहराव प्रदान करने के लिए मैं आपसे यह अनुरोध करता हूं कि कृपया वर्तमान रेलवे बजट की घोषणा से पहले उपर्युक्त सुझावों पर विचार करें तथा उपर्युक्त मुद्दों पर समुचित निर्णय लें।

***रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अधीर चौधरी):** आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, हम रेलवे बजट 2013-14 पर चर्चा कर रहे हैं। इस चर्चा का उत्तर भारत के माननीय रेल मंत्री श्री पवन बंसल जी द्वारा दिया जाएगा। मैंने चर्चा में हस्तक्षेप करने के लिए आपसे अनुमति मांगी है तथा आपने मुझे बोलने की अनुमति दी है। मैं इसके लिए आपका धन्यवाद करता हूं तथा मैं गहराई में तो नहीं जाना चाहूंगा परन्तु कुछ शब्द ही बोलूंगा और ज्यादा माननीय सदस्य इस पर बोलेंगे तथा हमारे माननीय मंत्री उसका विस्तृत उत्तर देंगे। उन्होंने रेलवे बजट प्रस्तुत किया है तथा एक बात स्पष्ट है कि इस वर्ष का बजट बहुत ही संतुलित बजट है जिसके दूरगामी प्रभाव होंगे। इस बजट में समुचित दिशानिर्देश

*मूलतः बंगला में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिंदी रूपांतर।

हैं। तथापि, बजट के प्रस्तुत होने के पश्चात् विभिन्न क्षेत्रों, विभिन्न राजनैतिक दलों ने आलोचना की है। इन आलोचनाओं को सुनते हुए और तथ्यों तथा आंकड़ों का विश्लेषण करते हुए मैंने यह महसूस किया है कि यदि मैं कुछ मुद्दों का उत्तर दे नहीं पाता हूं तो मैं अपने कर्तव्यों में विफल रहूंगा। महोदय, यह आरोप लगाया गया है कि यह रेल बजट लोगों के विरुद्ध है तथा यह रायबरेली के लोगों के लिए बनाया गया बजट है। महोदय, रायबरेली राज्य का हिस्सा है; यदि रायबरेली में कार्य किया जाता है तो यह वास्तव में उत्तर प्रदेश राज्य में किया जाता है ऐसा मेरा विश्वास है। परन्तु यह आश्चर्यजनक बात है कि रायबरेली के नाम का जानबूझकर बार-बार उल्लेख किया जा रहा है केवल कांग्रेस प्रेसीडेंट सोनिया गांधी जी पर हमला बोलने के लिए। एक तरफ इसे रायबरेली का बजट कहा गया है तो दूसरी ओर इसे ऐसा बजट कहा गया है जिसमें कुछ नहीं है।

मैंने यह महसूस किया है कि आदरणीय वक्ताओं जो इस चर्चा में मुद्दों को उठा रहे हैं के विचारों तथा समझ में और ज्यादा स्पष्टता होनी चाहिए। मैं सभी माननीय सदस्यों का सम्मान करता हूं तथा मैं उनकी आलोचना नहीं कर सकता हूं। परन्तु जब मैं रेल बजट की ओर देखता हूं तो मैं यह पाता हूं कि जैसा कि कथित है पश्चिम बंगाल राज्य के साथ भेदभाव नहीं किया गया है। महोदय, मैं पश्चिम बंगाल से हूं। एक बार बरकत गनी खान चौधरी इस राज्य से रेल मंत्री हुआ करते थे। पहली बार बंगाल के लोगों ने देखा कि किस तरह से रेलमंत्री के पोर्टफोलियो का इस्तेमाल करके राज्य की खोई शान तथा विरासत को जीवित किया जा सकता है। उन्होंने बहुत बड़ा बदलाव किया है। संपूर्ण राज्य ने रेलवे की मदद से प्रगति करना शुरू किया है तथा वह समृद्ध हुआ है। उनके नेतृत्व में लोगों ने बदलाव देखा है।

वह रेल मंत्री थे तब से पश्चिम बंगाल से तीन कैबिनेट मंत्री रहे हैं अर्थात श्रीमती ममता बनर्जी, श्री दिनेश त्रिवेदी, श्री मुकुल राय। मैं राज्यमंत्री हूं। बंगाल से स्वतंत्रता के पश्चात एक अन्य रेल राज्यमंत्री थे, संभवत: वह परिमल घोष थे। स्वाभाविक है कि पश्चिम बंगाल के लोग बहुत उम्मीद रखते हैं जब कभी कोई बंगाली कैबिनेट मंत्री पदभार संभालता है।

अपराह्न 3.00 बजे

महोदय, मैं पूर्व रेल मंत्री श्री दिनेश त्रिवेदी द्वारा दिये गये वक्तव्य के बारे में सभी को स्मरण कराना चाहता हूं। उन्होंने कहा था कि रेल विभाग, रेल प्रणाली गहन परिचर्या (इन्टेंसिव केयर यूनिट) में चला गया है तथा उन्हें आईसीयू से रेलवे को बाहर निकालना है। मैं दोहराता हूं कि श्री दिनेश त्रिवेदी ने यह बात कही थी जो रेलवे प्रभारी थे। तत्पश्चात् श्री मुकुल राय रेल मंत्री बने तो हमने यह पाया कि यात्री सेवाओं में विभाग को अत्यधिक घाटा हुआ तथा यह घाटा लगभग 25,000 करोड़ रुपये था। इसलिए विभाग को आईसीयू से बाहर निकालने का भार अब हमारे नये मंत्री बंसल जी पर है। उन्हें इसे पुनर्जीवित करना है तथा इसे फिर से लाभदायी बनाना है। उन्हें इसके लिए कुछ समय की आवश्यकता है। वे कोई जादूगर नहीं हैं जो केवल 4 माह में चमत्कार कर सकते हैं। ...*(व्यवधान)* नहीं, नहीं यह केवल हस्तक्षेप है। मैं संपूर्ण उत्तर नहीं दे सकता हूं। माननीय मंत्री यहां पर हैं। वह मेरे वरिष्ठ हैं।

मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं। जब बंसल जी रेलवे की खराब छवि को ठीक करने का भरसक प्रयास कर रहे थे तो हम सभी को उनके साथ पूरे मन से सहयोग करना चाहिए तथा उन्हें सभी कुछ व्यवस्थित करने के लिए कुछ और समय देना चाहिए। उनके द्वारा किये गये कार्य की अभी परीक्षा होनी है। उनके हाथ में कोई जादू की छड़ी नहीं है। सभी समस्याओं का समाधान अल्पकाल में नहीं हो सकता है तथा हमें इस तथ्य को स्वीकार करना चाहिए तथा हमारे मंत्री इस बात को बहुत ही स्पष्ट रूप में कह रहे हैं। महोदय, हमने केवल 87 नई रेलगाड़ियां शुरू की हैं क्योंकि हम लोक लुभावने रास्ते का अनुसरण करना नहीं चाहते। पहली बार बजट में यह घोषणा की गई है कि 347 लंबित परियोजनाओं हेतु निर्धारित निधि प्रदान की जाए ताकि बारहवीं पंचवर्षीय योजना हेतु अपेक्षित निधियों को सुनिश्चित करते हुए समयबद्ध तरीके से इन्हें पूरा किया जा सके। महोदय, मुझे तृणमूल कांग्रेस पार्टी के सदस्यों द्वारा हमारे विरुद्ध लगाये जा रहे आरोपों तथा आलोचनाओं को सुनकर धक्का लगा है। वे कह रहे हैं कि बंगाल की पूर्ण उपेक्षा की गई है।

पश्चिम बंगाल में 3 रेलवे जोन हैं–पूर्वी जोन, दक्षिण-पूर्वी जोन तथा उत्तर-पूर्व फ्रंटियर जोन। इस वर्ष के योजनागत परिव्यय में क्रमश: पूर्वी, दक्षिण-पूर्वी तथा उत्तरी फ्रंटियर जोनों के लिए 4742.91 करोड़ रुपये, 2853.9 करोड़ रुपये तथा 4269.14 करोड़ रुपये अभिनिर्धारित किये गये हैं। इसके बावजूद, यदि कोई यह कहता है कि बंगाल को वंचित किया गया है तो इस बात को स्वीकार नहीं किया जा सकता। जब बंगाल को शामिल करते हुए तीनों जोनों के लिए लगभग 10,000 करोड़ रुपये आवंटित किये गये हैं तो संभवत: कोई भी व्यक्ति हमारे ऊपर उंगली नहीं उठा सकता है तथा यदि कोई व्यक्ति कथित उपेक्षा के लिए हमारी आलोचना करता है तब मुझे यह कहते हुए खेद होता है परन्तु मेरे विचार से माननीय सदस्यों द्वारा बजट दस्तावेज का सतर्कतापूर्वक अध्ययन नहीं किया गया है। अत:, मैं उनसे यह अनुरोध करता हूं कि वे एक बार फिर से बजट का अध्ययन करें।

महोदय, आप अवश्य ही इस तथ्य से अवगत होंगे कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के सत्ता में आने से पहले, अधिकांशत:

तीन मुद्दों–सिंगूर, नंदीग्राम तथा जंगलमहल पर आंदोलन हुए थे। सिंगूर के लोगों ने यह आशा की थी कि सिंगूर में कुछ बड़ी परियोजनायें आयेंगी चूंकि उस समय रेल मंत्री तृणमूल कांग्रेस के नेता थे। टाटा नैनो फैक्टरी के बंद होने के समय से उन्होंने यह आशा की थी कि रेल मंत्रालय विवादित भूमि पर अपनी फैक्टरी स्थापित करेगा तथा विस्थापित लोगों को क्षतिपूर्ति का भुगतान करेगा। उस वर्ष के रेल बजट में एक किसान-विजन परियोजना की घोषणा की गई थी। वर्ष 2009 में आधारशिला रखी गई थी परन्तु उस समय से अभी तक कोई प्रगति नहीं हुई है। किसी बड़े निर्माण के लिए जगह भी उपयुक्त नहीं है क्योंकि संपर्क सड़क (अप्रोच रोड) बहुत संकरी है कि ट्रक वहां पर आसानी से प्रवेश नहशें कर सकते हैं। अत: परियोजना को पूरा करने के लिए आगे आई एजेंसी पीछे हट गई जिसके परिणामस्वरूप यह किसान-विजन परियोजना स्थगित हो गई। इससे सिंगूर के लोग निराश हो गये चूंकि तत्कालीन रेलवे मंत्री द्वारा किये गये वायदे को पूरा नहीं किया गया था।

महोदय, मैं एक अन्य परियोजना के बारे में बताऊं। आपने अवश्य ही जंगलमहल के बारे में सुना होगा। कल पश्चिम बंगाल से माननीय सदस्य यह कह रहे थे कि जंगलमहल के लिए किसी भी चीज की घोषणा नहीं की गई है। महोदय, एक रेल परियोजना, भादूतला-झारग्राम वाया लालगढ़, है का यहां पर उल्लेख किया जा सकता है। महोदय, जैसाकि आप जानते हैं लालगढ़ जंगलमहल का संवेदनशील केन्द्र (नर्व सेंटर) है। यह नक्सलवादी गतिविधियों के कारण प्रकाश में आया। उस क्षेत्र के लोगों ने तृणमूल कांग्रेस का समर्थन किया था तथा तृणमूल तथा उसके नेतृत्व वाली सरकार से बड़ी उम्मीदें थीं। चूंकि इसकी श्रीमती ममता बनर्जी जब वह रेल मंत्री थीं, ने बहुत बड़े वायदे किये थे। उस क्षेत्र में 289 करोड़ रुपये की एक विशेष रेल परियोजना के लिए एक निर्णय लिया गया था। परन्तु वह वायदा साकार नहीं हुआ। उनके कार्यकाल में संशोधित लागत का निर्धारण नहीं किया गया। यह कहा गया था कि लागत में हिस्सेदारी जायेगी अर्थात् आधी लागत का वहन राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। परन्तु आज तक राज्य सरकार द्वारा एक भी पैसा जारी नहीं किया गया है। तथापि यह परियोजना भी स्थगित होने वाली है। तब भी माननीय रेल मंत्री बंसल जी ने इस परियोजना के लिए एक करोड़ रुपये आवंटित किये हैं जिसका वास्तव में उपयोग नहीं हो पायेगा। बंसल जी के इस कार्य की अवश्य ही सराहना की जानी चाहिए तथा मैं उनका इसके लिए धन्यवाद करता हूं। धन महत्त्वपूर्ण नहीं है महत्त्वपूर्ण है उद्देश्य। उन्होंने कम से कम इस परियोजना के लिए बजट में प्रावधान किया था।

आप जानते हैं कि रेलवे में कम से कम वर्ष में तीन बार समीक्षा की जाती है। प्रत्येक परियोजना तथा प्रावधान का विश्लेषण किया जाता है। अत: निधि समस्या नहीं है; इसका प्रबंध अनुपूरक अनुदान से भी किया जा सकता है। परन्तु हमें माननीय मंत्री के उद्देश्य, इच्छा को देखना चाहिए। जब राज्य सरकार द्वारा किये गये वायदे को झुठला दिया गया तो रेल मंत्रालय ने इस कार्य को लिया यह कदम प्रशंसनीय है।

महोदय, आप जानते हैं कि पश्चिम बंगाल में नंदीग्राम जानी-मानी जगह है। तत्कालीन रेल मंत्री ने यह घोषणा की थी कि वैगन कम्पोनेंट फैक्टरी की स्थापना स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया तथा बर्न स्टैन्डर्ड कंपनी लिमिटेड के संयुक्त उद्यम से नंदीग्राममें जेलीनघम में की जाएगी। 35 हेक्टेयर भूमि की पहचान की गई थी, व्यवहार्यता रिपोर्ट अनुमोदित की गई, रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज द्वारा इस प्रस्ताव को चर्चा हेतु प्रस्तुत किया गया, हल्दिया विकास प्राधिकरण द्वारा सड़क कनेक्टिविटी में सुधार किया गया, सर्वेक्षण कार्य पूरा किया गया, सिंचाई विभाग द्वारा अनुमति दी गई थी। परन्तु सड़क को अभी चौड़ा किया जाना है क्योंकि जिला प्रशासन ने हमें यथोचित स्वीकृति नहीं दी है। उत्पादन वर्ष 2015-16 तक शुरू किया जाना है। इन सब के बावजूद कार्य वांछित तरीके से शुरू नहीं किया गया है इस तरह अनिश्चितता बनी हुई है। इस वर्ष के रेल बजट में उस परियोजना हेतु 10 करोड़ रुपये आवंटित किये गये हैं। अत: प्रश्न यह उठता है कि हमें सरकार की आलोचना क्यों करनी चाहिए जो पूर्व रेल मंत्रियों द्वारा घोषित राज्य की सभी लंबित परियोजनाओं हेतु मदद करने के लिए प्रयास कर रही है। महोदय, 347 परियोजनाओं जिन्हें बारहवीं योजना में निर्धारित निधि यां दी जाएंगी में से 67 परियोजनाएं पश्चिम बंगाल से संबंधित हैं। इस सरकार ने टी.एम.सी. से रेल मंत्रालय छोड़ने के लिए नहीं कहा था। उन्होंने अपनी इच्छा से मंत्रालय छोड़ा तथा जो संभवत: उन्हें ज्यादा अच्छा लगा हो।

परन्तु इस वर्ष के बजट में पश्चिम बंगाल के लिए 35 मदें आवंटित की गई हैं। 67 नई एक्सप्रेस गाड़ियों में से पश्चिम बंगाल के लिए पैसेंजर गाड़ियों के अतिरिक्त 6 नई गाड़ियां शुरू की गई हैं। यह कोई मामूली बात नहीं है। इसके अतिरिक्त 18 गाड़ियों को कोलकाता तक बढ़ाया गया है और 80 गाड़ियों में रेल डिब्बों की संख्या 9 से बढ़ाकर 12 कर दी गई है अर्थात् लोगों को 240 नए कोचों की सुविधाएं मिलेंगी।

महोदय, हम जानते हैं कि रेल उपरिपुलों का निर्माण लागत-बंटवारे के आधार पर किया जाता है। रेल उपरि पुल नाम से ही पता चलता है कि यह रेलवे की सम्पत्ति है। हमें यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ था कि रेल विभाग को सूचित किए बिना ही पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने पुल का उद्घाटन किया। यह हास्यास्पद है। वह पूर्व रेल मंत्री हैं, इसलिए उनसे यह आशा की जाती है कि उन्हें मंत्रालय के नियमों और परंपराओं का यथोचित सम्मान

करना चाहिए। लेकिन उन्होंने हमें पूर्णतया अंधेरे में रखते हुए पुल के उद्घाटन में किसी नियम का पालन नहीं किया।

महोदय, दूसरा मुद्दा पश्चिम बंगाल के पहाड़ी क्षेत्र, दार्जिलिंग की पहाड़ियों के संबंध में है। हम कंचनजंगा को पहाड़ों की रानी कहते हैं। दार्जिलिंग और सिक्किम प्रसिद्ध पर्यटक स्थल हैं। दार्जिलिंग-हिमालयन रेल के तत्वाधान में इस क्षेत्र में टॉय ट्रेनें चलती हैं। यूनेस्को ने टॉय ट्रेन को विश्व विरासत के रूप में मान्यता प्रदान की है। पिछले ढाई साल से यह टॉय ट्रेन सेवा बंद पड़ी है। यह कुछ मार्गों पर चल रही है परन्तु भू-स्खलन, भूकंप आदि जैसे अनेक कारणों से पहाड़ों से घाटी के लिए सीधी गाड़ी पूर्णतया बंद है। रेल मार्ग बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुके हैं और उनकी मरम्मत नहीं की गई है। इस टॉय ट्रेन की सवारी पर्यटकों के लिए सबसे बड़ा आकर्षण हुआ करती थी इसलिए राज्य मंत्री के रूप में नहीं बल्कि एक आम आदमी, प्रकृति प्रेमीऔर पर्यटक के रूप में मेरा रेल मंत्री से अनुरोध है कि इस ट्रेन सेवा को पुनः शीघ्र प्रारंभ किया जाए क्योंकि दार्जिलिंग पहाड़ियों के प्रति हमें विशेष प्रेम एवं स्नेह है। लोगों की भावनाओं और उस क्षेत्र के प्रति हमारे भावनात्मक लगाव को ध्यान में रखते हुए इस टॉय ट्रेन सेवा को यथासंभव शीघ्र शुरू किया जाए।

महोदय, अपनी बात समाप्त करने से पहले मैं इस बजट के लिए माननीय मंत्री को बधाई देता हूं। जब यह बजट तैयार किया जा रहा था, उस समय पश्चिम बंगाल के सभी माननीय सदस्यों को पत्र लिखे गए थे और उनके सुझाव और प्रस्ताव आमंत्रित किए गए थे। परन्तु कुछ सदस्यों को छोड़कर किसी ने उत्तर नहीं दिया है। मैं यह दोहराता हूं कि हम सभी रेलवे को नई ऊंचाईयों तक ले जाना चाहते हैं। यह कोई हमारी निजी सम्पत्ति नहीं है। रेलवे देश की और देश के लोगों की सम्पत्ति है। यह भारतीय रेल है, यह राष्ट्र का गौरव है। इसलिए मैं इस नई शुरूआत में आप सभी का सहयोग चाहता हूं। आओ हम सब मिलकर रेलवे को आगे बढ़ाएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री अजय कुमार (जमशेदपुर): उपाध्यक्ष जी, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे रेल बजट पर बोलने का मौका प्रदान किया। इसके साथ ही मैं आपसे यहां से बोलने की अनुमति चाहूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय: ठीक है।

श्री अजय कुमार: उपाध्यक्ष महोदय, रेल मंत्री पवन कुमार बंसल जी, रेल राज्य मंत्री अधीर रंजन जी और रेलवे बोर्ड के चेयरमैन साहब को मैं अपने क्षेत्र में ओबीज बनाने के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा और हमारे स्टेशंस के आधुनिकीकरण के लिए भी उन्हें धन्यवाद देना चाहूंगा। लेकिन झारखंड के लोगों की काफी शिकायतें हैं। रेलवे बजट में 9 हजार करोड़ की व्यवस्था कोयला और आयरन-ओर निकालने के लिए की गई है। हम लोगों का पूरा कैपिटल एक्सपेंडिचर सिर्फ झारखंड या खासतौर से पूर्वी झारखंड या उड़ीसा के क्षेत्र को है। हमें तो सिर्फ इस्तेमाल किया गया है और अगर कैपिटल इंवैस्टमेंट है तो वह सिर्फ आयरन-ओर या कोयला निकालने के लिए है। रेलवे बजट का 40 प्रतिशत फ्रेट रेवेन्यू झारखंड से आता है। लेकिन अगर हमारी संख्या कम है तो उसका कैपिटल एक्सपेंडिचर भी एक प्रतिशत से कम है। आप कोयला निकालने का काम छोड़ दीजिए। आप तो उसी क्षेत्र से हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप दबाव डाल दीजिएगा कि जिस तरह से हम लोगों का रेल मंत्रालय का खर्चा है वह बहुत ही अफसोसजनक है। अभी मंत्री जी ने कहा था कि पंजाब के पास बहुत सारी ट्रेन हैं, बंगाल के पास बहुत सारी ट्रेन हैं, काफी काम यूपी में भी हो रहा है, तो सर, बाकी देश के बारे में भी चिंता करने की आवश्यकता है।

झारखंड में बोकारो, रांची, धनबाद, जमशेदपुर या टाटानगर से बंगलौर, अजमेर, जयपुर आदि के लिए ट्रेन की व्यवस्था नहीं की गई है। मैं एक राजनीतिक पार्टी की हैसियत से नहीं बल्कि पूरे झारखंड की तरफ से कहना चाहूंगा कि पिछले 25-30 सालोंसे झारखंड को नजरअंदाज किया जा रहा है। अगर हमें ट्रेन मिली है तो वह भी कोलकाता से झारखंड को पार करती है, तब वह ट्रेन मिली है लेकिन झारखंड के लिए कोई ट्रेन नहीं है। मेरे संसदीय क्षेत्र में काफी सालों से मांग हो रही है कि भागलपुर के लिए, जयनगर के लिए, अमृतसर के लिए, छपरा के लिए ट्रेन चलाई जाएं। झारखंड के लोग छोटी-छोटी बातों में, जैसे ओवरब्रिज मिल जाए, तो खुश हो जाते हैं। अगर आपकी आमदनी हमारे क्षेत्र से ज्यादा है तो ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिएए कि हम लोगों को सिर्फ रेवेन्यू बढ़ाने के लिए यूज किया जाए, लेकिन पैसेंजर के लिए कोई सुविधा न हो। काफी सालों से पुरुषोत्तम के लिए घाटशिला से छोटा सा हॉल्ट मांगा, जिसके लिए 30-40 सालों से लोग आंदोलन कर रहे हैं लेकिन उसकी व्यवस्था नहीं की गई है।

अगर हम सरायकेला और हजारीबाग क्षेत्र का विकास करना चाहते हैं तो वहां पर रेलवे लाइन बनाने की आवश्यकता है। हम माननीय अधीर चौधरी जी और माननीय पवन बंसल साहब को यह कहना चाहेंगे कि हमारे क्षेत्र में छोटा-छोटा काम तो कर दीजिए, जैसे चकुलिया में ओवरब्रिज के बारे में मैंने कहा है, लेकिन उसे भी नजरअंदाज किया जाता है। पांच साल पहले एक बजट पास हुआ था कि चकुलिया से बुरामाला लाइन के लिए जो उड़ीसा से हम लोगों को झारखंड के पूर्वी क्षेत्र को कनैक्ट करती है, उसके बारे में किसी भी बजट में पैसे की व्यवस्था नहीं की गई है। पांच साल पहले बजट में अनाउंस हो चुका है। वहां पर लाइन बनने

से उड़ीसा में जो 200 किलोमीटर दूर से घूमकर जाना पड़ता है वह 80 किलोमीटर ही रह जाएगा और हम लोग ईस्टर्न कोरीडोर के माध्यम से विशाखापटनम हो या चेन्नई हो, वहां के लोगों को फायदा होगा, लेकिन उसकी व्यवस्था नहीं की गई है। चकरधपुर इस देश का सबसे बड़ा रेवेन्यू जैनरेट करने वाला डिवीजन है। हम माननीय पवन बंसल जी से विनती करेंगे कि इसकी व्यवस्था आप करें। वहां पर दो ट्रेन सांतलकांची से अजमेर अनाउंस की गई थी वह भी कोलकाता से जाते हुए दिल्ली के लिए हैं। अगर झारखंड दिल्ली और चंडीगढ़ के बीच में होता या कहीं और होता तो उसका विकास होता, लेकिन ऐसा नहीं है, यह बहुत अफसोसजनक है। चकरधरपुर में इंटरसिटी की बात जो पिछले बजट में अनाउंस हुई थी वह अभी तक शुरू नहीं हुई है, उसे जल्दी से शुरू किया जाए। हम यह नहीं कह रहे हैं कि आप जोन मत बनाइये। आपने पॉलिटिकल कंसीडिरेशन पर जोन बना दिये लेकिन कम से कम झारखंड में एक जोन तो बना दीजिए। जब आप हमारे प्रदेश से इतना ज्यादा पैसा कमा रहे हैं तो वहां भी बनाइये।

दूसरी बात है कि फैक्ट्री हर जगह बनती है, हमारे जमशेदपुर-टाटानगर से सब लोग रेलवे फैक्ट्री को सप्लाई करते हैं, एक्शन से लेकर वहां सभी बड़े-बड़े उद्योग हैं, प्राइवेट उद्योग हैं, लेकिन आप वहां पर फैक्ट्री स्थापित करने के लिए कोई कारगर कदम नहीं उठा रहे हैं।

अगर हमें नक्सलवाद के खिलाफ कारगर लड़ाई करनी है तो रेलवे एक महत्त्वपूर्ण टूल है। एक तो हमारे क्षेत्र से खनन निकालना और दूसरे वहां पर पैसा खर्च न करना, इस तरह से नक्सलवाद से कैसे लड़ा जाएगा। जितने भी नक्सल क्षेत्र हैं वे आदिवासी बहुल क्षेत्र हैं। अगर आप वहां विकास चाहते हैं तो वहां रेल लाइये। जिस इलाके में रेलवे लाइन शुरू हुआ, उस इलाके में नक्सलवाद एकदम खत्म हो गया। वहां व्यापार बढ़ेगा, तो रोजगार भी बढ़ेगा। आपके माध्यम से मैं रेल मंत्री जी को कहना चाहता हूं कि झारखंड, पूर्वी उड़ीसा या छत्तीसगढ़ को इस तरह से नजरअंदाज करना उचित नहीं है। मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने शहीदों के परिवार वालों के लिए गैलेंटरी अवार्ड के तहत छूट दी है, लेकिन उसमें एक छोटी सी त्रुटि है, क्योंकि मैं भी पुलिस ऑफिसर था और राष्ट्रपति जी से पदक भी मिला है। उन्होंने एक डिफरेंटसिएशन सेना और पुलिस के पदक के बीच में क्रिएट किया है। मेरा कहना है कि संसद में जो घटना घटी थी, उसमें पुलिस वाले शहीद हुए और माओवाद से लड़ते हुए या दूसरी जगहों पर सेना के लोग भी शहीद हुए। पुलिस की वीरता और सेना की वीरता के बीच में भेदभाव करना उचित नहीं है। वीरता तो वीरता ही है। मैं यही अनुरोध करूंगा कि इस विषय पर गंभीरता से सोचा जाए। हमारे कई पुलिस अधिकारी मुझसे मिले थे। सिर्फ यही मांग थी कि हमने भी देश की सेवा में जान दी है, इसलिए सेना और उनमें कोई फर्क नहीं मानना चाहिए।

कुछ दिन पहले मेरे बेटे ने कुंभ मेले जाने के लिए अनरिजर्व्ड कम्पार्टमेंट में जाने का अनुभव लिया था। मैं यही कहना चाहता हूं कि हम तो एसी फर्स्ट क्लास में जाते हैं। हर ट्रेन में एक या दो अनरिजर्व्ड कम्पार्टमेंट लगता है। यदि हम बाकी सुविधाओं को छोड़ कर इनकी संख्या बढ़ा देंगे, तो गरीब लोगों के लिए यह सबसे बड़ा कारगर कदम होगा। हम देखते हैं कि छपरा और पटना वाली ट्रेन में लोग घुस-घुस कर जाते हैं। अनरिजर्व्ड कम्पार्टमेंट्स के डिब्बे बढ़ाने की अति आवश्यकता है।

मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि सफाई पर उन्होंने काफी ध्यान दिया है, लेकिन आपके मंत्री ने ही कहा है कि इंडियन रेलवे इज दि बिग्गेस्ट ओपन टायलेट। अगर हमें सफाई पर कारगर कदम उठाने हैं, तो ओपन टायलेट के सिस्टम को रोकना पड़ेगा।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हुआ अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्रीमती जयश्रीबेन पटेल (महेसाणा): उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने कुछ विचार रेलवे बजट 2013-14 के लिए रखना चाहती हूं। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी है और मैं महिला सदस्य के नाते चाहती हूं कि मंत्री जी इसे नजरअंदाज न करके गौर करें।

महोदय, आज तक जितने भी बजट पेश किए गए हैं सभी में नई-नई घोषणाएं की गई हैं। बजट में की गई घोषणाएं पूरी नहीं होती हैं और नई घोषणाएं कर दी जाती हैं। रेलवे ने भी कुछ ऐसे ही वायदे पिछले साल किए थे, जिन्हें अभी तक पूरा नहीं किया गया है तथा नई घोषणाओं का ऐलान कर दिया गया है, फिर चाहे नई ट्रेन चलाने का मामला हो या नए ट्रेक बिछाने का मामला हो। रेलवे के पास पहले से ही दस साल आगे की परियोजनाएं पड़ी हैं जो आज तक पूरी नहीं हुई हैं। उनके साथ ही दूसरी नई घोषणाएं कर दी गई हैं। सुरक्षा, सफाई और आधुनिकरण में लगातार रेलवे तंत्र पिछड़ता चला जा रहा है। डेडिकेट फ्रेट कोरिडोर महत्त्वपूर्ण परियोजना आगे नहीं बढ़ पा रही है। रेलवे मंत्री जी नई घोषणाएं करते जा रहे हैं, लेकिन पिछले बजट में आईआईएम और एनआईडी के साथ रेलवे कोच डिजाइन और रिसर्च के बारे में एमओयू भी हुए थे, लेकिन आज तक इस प्रोजेक्ट में कोई प्रगति नहीं हुई है। गुजरात में देश की सबसे ज्यादा 1663 किलोमीटर लम्बी दरियाई सीमा है। मंत्री जी गुजरात देश का ग्रोथ इंजन है और इसलिए मैं कहना चाहती हूं कि यहां 42 बंदरगाह हैं और देश का 34 प्रतिशत कार्गो कांडला पोर्ट से ही हैंडल किया जाता है, लेकिन गुजरात सरकार की बंदरगाहों को न जोड़ने की बात करके गुजरात के साथ अन्याय हुआ है। अहमदाबाद को पश्चिम रेलवे का हैडक्वार्टर बनाने की बात आज तक लम्बित है। गुजरात को भारत के उत्तर-दक्षिण के साथ जोड़ने वाली ट्रेनों

की सुविधा नहीं मिल पाई है। ओखा-गुवाहाटी ट्रेन को प्रतिदिन चलाने की बात नहीं बन पाई है। छपइया-सीडी जैसे धार्मिक स्थलों पर आने-जाने के लिए कोई ट्रेन सुविधा नहीं मिल रही है। अहमदाबाद को वर्ल्ड क्लास स्टेशन बनाने की बात आज तक लम्बित है। अहमदाबाद से एक भी नई लम्बी दूरी की ट्रेन हमें नहीं मिल पाई है। गुजरात देश का इंडस्ट्रियल स्टेट बन गया है। इसके कारण भारत के अन्य राज्यों से मजदूर और मध्यम वर्गीय व्यापारी लोग गुजरात के भिन्न-भिन्न शहरों में काम-काज के लिए बसते हैं। उनके आवागमन के लिए नई ट्रेन्स की तथा लंबी दूरी वाली ट्रेन्स को शुरू करने और उसको बढ़ावा देने की आवश्यकता है लेकिन सिर्फ 4 पैसेंजर ट्रेन्स देकर गुजरात के हाथ में एक झुनझुना पकड़ा दिया गया है।

अंकलेश्वर को स्किल्ड डवलपमेंट सेंटर बनाने की बात की गई है पर नॉर्थ गुजरात के पाटन, पालनपुर, मेहसाना से मुंबई और सूरत आने जाने के लिए रेल सुविधा की मांग की घोर उपेक्षा की गई है।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र मेहसाना जो मिल्क, इंडस्ट्रियल ऑयल सिटी तथा उंझा जो एशिया की सबसे बड़ी मसाला मंडी है, एवं धार्मिक स्थल भी है वहां पूरे भारत भर से लोग बसते हैं। उनके आने-जाने की सुविधा तथा सभी गाड़ियों के ठहराव के लिए कुछ भी प्रावधान नहीं किए गए हैं। गांधीनगर जो गुजरात की राजधानी है, उसको कोई रेल सुविधा से संतुष्ट नहीं किया गया है।

कडी जो कॉटन सिटी कहलाती है और बहुचराजी जो बड़ा धार्मिक शक्तिस्थल है, वहां आने जाने के लिए अहमदाबाद से कलोल हो के चाणसमा, रनुज तक की ट्रेन्स की सुविधा में जो कमी की गई है, उसको फिर से चालू किया जाए क्योंकि बहुचराजी में मारूति उद्योग जापान की कंपनी के सहयोग से लगाया जा रहा है।

साबरमती रेलवे स्टेशन के अपग्रेडेशन करने की बाज आज भी लंबित है तथा अहमदाबाद में ट्रैफिक की समस्या आज भी हल नहीं हुई है।

एनयुईटी के मुताबिक रेलवे ओवर ब्रिज बनाने की गुजरात की दरख्वास्त आज तक लंबित है। ट्रेनों की फ्रीक्वेंसी, नई ट्रेनों की शुरूआत करने में गुजरात की सरासर उपेक्षा हुई है। रेल विकास से वंचित मेहसाना से तारंगा, पालनपुर से अम्बाजी, खेडब्रहमा, आबुरोड नई रेल लाइनें बिछाने का काम आज भी कागजों में ही चल रहा है। कलोल, कडी, उंझा, बहुचराजी के आदर्श स्टेशनों के पुराने वादे भी वादे ही बनकर रह गए हैं। उनमें आज तक कोई तरक्की नहीं हुई है।

रेलवे लाइनों के आमान परिवर्तन के बारे में गुजरात की दरख्वास्तें भी स्वीकार नहीं हुई हैं। रेलवे लाइनों के दोहरीकरण में भी गुजरात के साथ अन्याय हुआ है।

आम जनता तक पीने के पानी को पहुंचाने वाली गुजरात सरकार की 26 दरख्वास्तें आज भी केन्द्र सरकार के रेलवे मंत्रालय के पास लंबित हैं जिससे हम आम लोगों को पानी जैसी बुनियादी सुविधाएं भी मुहैया नहीं करवा पा रहे हैं। उभरता हुआ नया मध्यम वर्ग जिसे आजकल महत्वाकांक्षी भारत एसपीरेबल इंडिया कहा जाता है। इस बजट के तहत रेल मंत्री जी ने सरचार्ज डालकर उनकी भी जेब ढीली कर दी है। रेल मंत्री जी ने सैकडों परियोजनाओं से अपना हाथ खींच लिया है जिसमें 130 नई लाईनें और 225 आमान परिवर्तन की लाइनें अधूरी ही छोड़ दी हैं। यात्रियों को इस बजट से सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं मिल रही है।

महिलाओं के साथ बढ़ती हुई घटनाओं की तादाद को देखते हुए आरपीएफ में महिलाओं के लिए दस प्रतिशत रिजर्वेशन देने की घोषणा अपर्याप्त है। आज चूंकि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी है, स्थानीय संस्थाओं में और कई जगहों में 33 प्रतिशत और पचास प्रतिशत की बात महिलाओं के लिए कहते हैं तो हम चाहेंगे कि दस से बीस प्रतिशत रिजर्वेशन देने की घोषणा भी की जाए। खन्ना कमेटी की सिफारिशों में रेल मंत्रालय ने कुछ प्रगति नहीं की है। किराया बढ़ाकर सफर महंगा कर दिया है। भारतीय रेलवे सही ट्रैक पर नहीं चल रही है। इसीलिए मैं इस बजट को जनविरोधी कहती हूं। रेलवे का ऑपरेशन रेशियो क्या है, वह सपष्ट किया जाए और हमारी बातों पर गौर किया जाए।

2009 से लेकर आज 2013 हो गया है। कई बार चार मंत्री बदल चुके हैं। हर रेल मंत्री के पास हमने अपनी मांग रखी है लकिन आज तक वह लम्बित पड़ी हुई है। मैं आशा करूंगी कि आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर मंत्री जी भी यहां बैठे हैं और वे हमारी बात पर गौर करेंगे, यही हमारा उनसे निवेदन है।

***श्री कमल किशोर ''कमांडो''** (बहराइच): रेल मंत्री द्वारा बहुत अच्छा रेल बजट पेश किया गया है, मैं उसका समर्थन करता हूं और साथ ही मेरे संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत पूर्वोत्तर रेलवे से संबंधित निम्न विकास कार्यों की ओर मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। इन परियोजनाओं का क्रियान्वयन किए जाने हेतु अतिरिक्त अनुदान की जरूरत है। मेरा यह संसदीय क्षेत्र विकास व आर्थिक रूप से काफी पिछड़ा हुआ है, इसलिए मेरा आग्रह है इस क्षेत्र को एक विशेष दर्जा देते हुए अतिरिक्त धन आबंटित किया जाए ताकि समस्त योजनाएं जनहित में पूरी हो सकें।

---

*भाषण सभापटल पर रखा गया।

गोंडा से बहराइच के बीच में आमान परिवर्तन की गति बहुत धीमी है। यह परियोजना 10 वर्ष पहले शुरू की गई है, कार्य प्रगति पर है। रेलवे को पर्याप्त निधि आबंटित करनी चाहिए जिससे कार्य में तेजी आ सके।

बहराइच-नानपारा-नेपाल गंज रोड स्वीकृत हो चुके हैं, लेकिन धन के अभाव के कारण इस परियोजना पर कार्य प्रारंभ नहीं हो सका है। यह रेल मार्ग रूपईडीहा बार्डर से नेपाल व भारत को जोड़ता है और इस रास्ते हजारों की संख्या में यात्री आते-जाते हैं, इस रेल मार्ग के बनने से रेल विभाग को बहुत लाभ होगा व राजस्व में भी बढ़ोतरी होगी।

बुढवल-बहराइच आमान परिवर्तन के लिए सर्वे हो चुका है। इस सम्बन्ध में केस फाइल योजना में पड़ी है। मेरा आग्रह है कि इस क्षेत्र के गरीब लोग भी बड़ी लाईन पर रेल की यात्रा कर सकें, उन्हें भी रेल में बैठने का अवसर प्राप्त हो सके। इसे अविलम्ब कार्यान्वित किया जाए।

यात्रियों की भीड़ को देखते हुए दिल्ली से मुम्बई के बीच अतिरिक्त एक्सप्रेस गाड़ी, दिल्ली, लखनऊ के बीच एक एक्सप्रेस गाड़ी तथा दिल्ली गोरखपुर के बीच में एक अतिरिक्त रेलगाड़ी को शुरू किया जाए।

बहराइच रेलवे स्टेशन आदर्श स्टेशन बन गया है, लेकिन अभी तक कोई भी कार्य चालू नहीं हुआ है। इस स्टेशन पर जल्दी समस्त सुविधाओं को अतिशीघ्र चालू किया जाए ताकि यात्रियों को पर्याप्त लाभ मिल सके।

संहजनवा से दोहरीघाट रेल मार्ग को बड़ी लाईन में परिवर्तित किए जाने संबंधी रेल मंत्रालय सलाहकार समिति की बैठक दिनांक 22.2.2013 में चर्चा भी हुई थी, इसे ड्रीम प्रोजेक्ट के रूप में आमान परिवर्तन के लिए जहां तक मेरी जानकारी है, सर्वे हो चुका है। स्थानीय लोगों की मांग पर इस योजना को अतिशीघ्र चालू किया जाना अति आवश्यक है।

गोंडा से बहराइच होते हुए सीतापुर को जाने वाली लाइन की बड़ी लाइन में परिवर्तन किया जाना अति आवश्यक है। इस क्षेत्र में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के ज्यादातर लोग निवास करते हैं। इस रेल मार्ग के आमान परिवर्तन होने से इन गरीब लोगों को भी रेल में यात्रा करने का अवसर प्राप्त होगा और वे रेल यात्रा का अनुभव ले सकेंगे।

गोरखपुर से लखनऊ डबलिंग कार्य करीब-करीब पूरा हो गया है। अतः इस लाइन पर महत्त्वपूर्ण रेलगाडियां राजधानी एक्सप्रेस जैसी गाड़ियों को चलाने की तथा स्पीड बढ़ाने की अति आवश्यकता है।

अत्यधिक ट्रैफिक लोड के कारण इंटरसिटी ट्रेन को जगतबेला रेलवे स्टेशन पर रुकने का प्रावधान करने की जरूरत है तथा आरक्षण एवं यात्री सुविधा प्रदान करना आवश्यक है, इससे रेलवे के राजस्व में बढ़ोतरी होगी।

बहराइच-गोंडा रेलमार्ग किमी. 8 निकट सपना भट्टा, सुहेलदेव चित्तौरा पर बने पुल-कम-पैसेज जैसा विगत कई वर्षों से स्थापित है, को पूर्व की भांति ही पुल डिजाइन करके निर्माण किए जाने की अति आवश्यकता है।

बहराइच जिले में यार्ड, एक माल एवं सवारी डिब्बा कारखाने का निर्माण किया जाना चाहिए, जहां उपयुक्त अवसरंचना और अन्य सुविधाएं हों। राज्य सरकार भूमि और अन्य सुविधाएं उपलब्ध करा सकती है।

महत्त्वपूर्ण रेलगाडियों के समय पालन व निगरानी रखने के लिए क्षेत्रीय रेलवे के स्तर पर निगरानी तंत्र की स्थापना की जानी चाहिए।

कैलाश पुरी हॉल्ट व गायघाट पर रेलवे हॉल्ट की स्वीकृति हो चुकी है जो एम.पी. लैड्स फंड से होना है। इस संबंध में रेलवे की मदद की भी जरूरत है।

बुढवल बहराइच लाइन को शीघ्र पूरा करने व इसका नेपाल गंज, श्रावस्ती, सिरसिया, तुलसीपुर व गोरखपुर तक आमान परिवर्तन करके रेल लाइन का विस्तार करने की जरूरत है।

बरहज बाजार जिला देवरिया में रेलवे आरक्षण सुविधा एवं बरहज रेलवे स्टेशन को आदर्श बनाने की आवश्यकता है।

गोरखपुर से नई दिल्ली व मुम्बई के मध्य अन्य तीव्र गति की रेलगाड़ियां चलाने हेतु क्षेत्रीय रेलवे प्रस्ताव बनाकर केन्द्र सरकार के पास भेजे।

बहराइच जिले में यात्री रेलगाड़ियों में सवारी डिब्बों की कमी है, आम जनता बहुत कठिनाई से यात्रा करती है। इसलिए इस राज्य में यात्री रेलगाड़ियों में अधिक सवारी डिब्बे उपलब्ध कराए जाने चाहिए।

रेलगाड़ियों के अन्दर सफाई अभी तक संतोषजनक नहीं है, उसमें सुधार की जरूरत है।

विभिन्न क्षेत्रों और परियोजनाओं के लिए धन के आबंटन के मानदंड बताए जाएं।

जोनल रेलवे द्वारा जनता, प्रतिनिधियों की मांग के आधार पर नई लाइन/आमान परिवर्तन/दोहरीकरण/रेलवे विद्युतीकरण परियोजनाओं

के लिए जोनल रेलवे स्तर पर सर्वेक्षण रिपोर्ट की जाती है और जांच हेतु रेलवे बोर्ड को प्रस्तुत की जाती है। लेकिन उत्तर प्रदेश के बहराइच क्षेत्र में अब तक क्या-क्या सर्वेक्षण हुआ है।

मिहींपुरवा एवं रायबोझा रेलवे स्टेशनों के बीच गायघाट पर रेलवे हॉल्ट स्टेशनों की अति आवश्यकता है।

गोंडा से बहराइच स्टेशनों के बीच में आमान परिवर्तन पूर्वा से लेकर गोरखपुर रेलवे स्टेशनों के मध्य आमान-परिवर्तन की आवश्यकता है।

बहराइच रेलवे स्टेशन का आदर्श रेलवे स्टेशन बनाए जाने हेतु कार्य बड़ी धीमी गति से चल रहा है। इस कार्य में जनहित में तीव्रता लाने की अति आवश्यकता है।

यात्रियों की सुविधा के लिए मटेरा रेलवे स्टेशन पर एक्सप्रेस गाड़ियों के ठहराव की अति आवश्यकता है।

यात्रियों को रेलवे आरक्षण के लिए दूर जाना पड़ता है, इसलिए मिहीपुरवा रेलवे स्टेशन पर आरक्षण केन्द्र स्थापित किए जाने की व्यवस्था करें।

सभी रेलवे स्टेशनों पर स्टेशन सलाहकार समिति का गठन किया जाए।

विछिया रेलवे स्टेशन पर गोकुल एक्सप्रेस का टिकट उपलब्ध कराने की व्यवस्था करें।

पूर्वोत्तर रेलवे के अंतर्गत अनेक स्थानों पर निष्प्रयोज्य स्क्रैप की नीलामी कराने की जरूरत है।

बहराइच रेलवे स्टेशन पर पड़ी भूमि पर गौशाला एवं यात्री रैन बसेरा निर्माण कराए जाने की व्यवस्था करें, ताकि सामाजिक कार्य में एक नया मील पत्थर साबित हो सके।

पूर्वोत्तर रेलवे के बड़हलगंज व उरूआ, गोला में यात्रियों की सुविधा के लिए रेल आरक्षण स्थापित किया जाना बहुत जरूरी है। इस संबंध में रेल प्रशासन अविलम्ब कार्यवाही करे।

गोरखपुर से लखनऊ डबलिंग का कार्य करीब-करीब पूरा हो गया है। अत: जो महत्त्वपूर्ण रेलगाड़ियां इस मार्ग पर चलती हैं, उनकी स्पीड बढ़ाने की जरूरत है ताकि यात्री अपने गंतव्य पर पहले की अपेक्षा जल्दी पहुंच सकें।

***श्री सज्जन वर्मा** (देवास): वर्ष 2013-2014 के रेल बजट का मैं स्वागत करता हूं। निश्चित रूप से यह बजट आम नागरिकों के लिए हितकारी है। इसलिए देश के तमाम लोगों ने इसका दिल से स्वागत किया है। 17 वर्षों के पश्चात् कांग्रेस के व्यक्ति के हाथ में रेल मंत्रालय का प्रभार आया है, इस हेतु देश की जनता में बड़ी उत्सुकता थी कि कहीं बड़ा कठोर बजट तो नहीं आएगा, कहीं रेल यात्रा के किराए में बढ़ोतरी तो नहीं की जाएगी, पर रेल मंत्री श्री पवन बंसल जी ने एक बहुत ही सरल रेल बजट प्रस्तुत कर देश की जनता के मन को मोह लिया है। इस बजट में कहीं कोई किराया बढ़ोतरी की बात की, ना ही कहीं कोई अधिभार जनता पर लादने की कोशिश की गई, बल्कि रेल यात्रा को अच्छा खाना कैसे मिले तथा रेलों की साफ-सफाई अच्छे स्तर की कैसे मिले, रेलवे स्टेशनों को कैसे उन्नत किया जाए, यात्रियों की सुरक्षा का इंतजाम कैसे बेहतर किया जाए, इन सभी बातों के लिए बजट में प्रावधान किए गए हैं। नई रेल लाइन के सर्वे की घोषणा की गई है, पुरानी परियोजनाओं को पूरा करने की दिशा में एक कदम बढ़ाया गया है।

इस बजट में कुछ विसंगतियां भी हैं जिसकी तरफ मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहूंगा। जैसे हजारों की संख्या में मानव रहित रेल क्रॉसिंगों को बंद करने का निर्णय सूझबूझ के साथ नहीं लिया गया है क्योंकि कई रेल क्रॉसिंग ऐसी जगह हैं जहां किसान का घर एक तरफ है उसके खेत दूसरी तरफ है। वह फसल काट कर अपने घर तक कैसे लाए। दूसरा पहलू है ग्रामीण क्षेत्रों में हॉस्पिटल दूर है, बीमार को हॉस्पिटल ले जाना हो तो कई किलोमीटर का चक्कर लगाकर ले जाना पड़ता है, क्योंकि रेलवे क्रॉसिंग बंद होता है।

अत: मंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि कुछ ऐसा सिस्टम बनाया जाए कि ट्रेन आने के 10 मिनट पहले क्रॉसिंग का गेट ऑटोमेटिक बंद हो जाए तथा रेल निकलने के बाद गेट खुल जाए।

इसके साथ ही मैं अपने संसदीय क्षेत्र की कुछ समस्याओं की तरफ मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट कर रहा हूं, इस आशा और विश्वास के साथ कि अति शीघ्र इनका निराकरण कर दिया जाएगा।

पिछले बजट सत्र 2012-13 में रामगंज मंडी-झालावाड व्हाया आगर होते हुए उज्जैन तक रेलवे लाइन के सर्वे की घोषणा की गई। परन्तु एक वर्ष बीत जाने के बाद सर्वे कार्य प्रारंभ नहीं हुआ। आग्रह है कि आगर (शाजापुर) में सर्वे कार्यालय अतिशीघ्र खुलवाने का निर्देश जारी करें। ज्ञात हो कि यह रेलवे लाइन मेरे संसदीय क्षेत्र देवास और संसदीय क्षेत्र उज्जैन को कवर करती है जो एस. सी. में रिजर्व है।

बजट सत्र 2013-2014 में देवास से हाटपिपलिया होते हुए सोनकच्छ से आष्टा सिहोर होते हुए भोपाल नई रेल लाइन (यह क्षेत्र रेल लाइन से वंचित है) सर्वे हेतु निवेदन किया गया था जो

*भाषण सभापटल पर रखा गया।

स्वीकार हो चुका है कृपया अतिशीघ्र कार्य प्रारंभ करने हेतु निर्देश जारी करें।

पुरी-बलसाड ट्रेन का ठहराव शुजालपुर में दिया जाए। गाड़ी संख्या 19325 एवं 19326 इंदौर-अमृतसर का ठहराव शाजापुर में दिया जाए। ट्रेन नं. 19053 एवं 19054 सूरत-मुजफ्फरपुर का ठहराव शाजापुर में दिया जाए। ट्रेन नं. 19239 एवं 19328 इंदौर-नागपुर-इंदौर का ठहराव बैरछा में दिया जाए। ट्रेन नं 14323 एवं 14324 इंदौर-हबीबगंज-इंदौर का ठहराव बैरछा में दिया जाए। ट्रेन नं 11471 एवं 11472 जबलपुर-इंदौर-जबलपुर-ओवर नाइट का ठहराव कालापीपल में दिया जाए। शाजापुर जिला मुख्यालय पर आरक्षण टिकट एवं सामान्य टिकट एक ही काउंटर से दिए जाते हैं, जिसे अलग-अलग किया जाए। ट्रेन 59379 एवं 59380 इंदौर मक्सी इंदौर, मक्सी में चार घंटे तक रुकी रहती है जिसे शाजापुर तक बढ़ाया जाना चाहिए।

रोड अंडर ब्रिज (सब-वे) लेवल क्रॉसिंग नं. 80 उज्जैन भोपाल सेक्शन नियर शाजापुर का निर्माण कराया जाए। रोड-अंडर ब्रिज (सब-वे) लेवल क्रॉसिंग नं. 31 इंदौर देवास सेक्शन नियर देवास का निर्माण किया जाए।

अत: मेरा अनुरोध है कि जनहित को ध्यान में रखते हुए उक्त प्रस्तावित मांगों को पूरा कराए जाने की कृपा करेंगे।

***श्री हसंराज गं. अहीर** (चंद्रपुर): मैं 2013-14 के रेलवे बजट पर अपने विचार व्यक्त करता हूं। इस बजट में मंत्री जी ने रेल सेवा का विस्तार कर अधिकाधिक क्षेत्र में रेल सेवा उपलब्ध कराने हेतु कोई नई दृष्टि, दिशा नहीं दी है। जिन्हें रेल सेवा उपलब्ध है उन्हें ही इस बजट में सुविधा के बारे में सोचा गया। यह दुर्भाग्य है कि ब्रिटिश काल में जो रेल मार्ग बने, उसमें बहुत बढ़ोतरी नहीं हुई। हम उन लोगों को रेल सुविधा उपलब्ध कराने में असफल साबित हो रहे हैं जिन्हें अभी तक रेल का दर्शन ही नहीं हुआ है। आजादी के 65 साल बाद भी हम यह कार्य नहीं कर सके। जिन-जिन प्रतिनिधियों या सांसदों द्वारा ऐसे प्रस्ताव भेजे गए, उन पर विचार नहीं हुआ है, तो अमल नहीं हुआ है। जिन क्षेत्रों में आदिवासी ग्रामीण लोग रहते हैं, उन वनबहुल, पहाड़ी व दुर्गम क्षेत्रों में रेल की मांग, नई लाइनें जहां पूर्व मंत्रियों ने घोषणा की, उन लाइन हेतु भी इस बजट में प्रावधान नहीं हुआ। जैसे बलारशाह से सुरजागढ़ सर्वे हुआ। आरमोरी-वडसा, गडचिरोली सर्वे पूर्ण हुआ। माणिकगढ़ आदिलाबाद इन नई लाइनों का सर्वे हुआ। 2008-09 में घोषणा हुई। राज्य सरकार अपना हिस्सा देने हेतु पत्र दे चुकी है। फिर भी बजट में प्रावधान नहीं हुआ। 2008-09 में बलारशाह से मुम्बई हेतु सेवाग्राम एक्स. लिंक एक्सप्रेस के रूप में चलने की घोषणा हुई। अभी तक इस गाड़ी के 7 डिब्बे बलारशाह से वर्धा स्टेशन तक नहीं छोड़े गए। 3-4 डिब्बे पैसेंजर गाड़ी को जोड़कर भेजे जा रहे हैं। 5 वर्षों से यही चल रहा है। 7 डिब्बों की अलग से गाड़ी छोड़ी जाए। नंदीग्राम एक्सप्रेस नागपुर-मुम्बई चलती है। नागपुर से अन्य अनेक गाड़ियां मुम्बई चलती हैं। जिन्हें 12-13 घंटे का समय लगता है। इस गाड़ी को वाया नांदेड़ 22-24 घंटे लगते हैं। इस गाड़ी का उपयोग नागपुर से मुम्बई कम होता है। यह देखते हुए इस गाड़ी को बलारशाह-मुम्बई वाया नांदेड़ चलाया जाए, लाभ में चलेगी तथा इसी गाड़ी को मनमाड़ से होते हुए जो गुजरती है। यहां से कुछ डिब्बे अलग कर मुम्बई तथा पूना के लिए लिंक एक्सप्रेस के रूप में चलाई जाए। नई गाड़ियों में बलारशाह वाया चंद्रपुर-वर्धा से होकर नागपुर के लिए शटल ट्रेन या मेमो गाड़ी चलाएं। इस मार्ग पर भारी ट्रैफिक है। कुछ गाड़ियों का विस्तार करने की मांग करता हूं। तेलंगाना गाड़ी जो सिकन्दराबाद, कागजनगर तक चलती है इस गाड़ी को चांदाफोर्ट या बलारशाह स्टेशन तक चलाए। जी.टी. एक्सप्रेस चेन्नई से दिल्ली तक चलती है। जिसको आगे अमृतसर तक विस्तार करें। यशवंतपुर-बिलासपुर गाड़ी को आगे हावड़ा तक चलाएं, जिसे हफ्ते में तीन दिन से बढ़ाकर हर दिन चलाया जाए।

चंद्रपुर स्टेशन से चांदाफोर्ट स्टेशन का अंतर 1.5 किमी. होगा। इन दोनों स्टेशनों को जोड़ने हेतु नई 1.5 कि.मी. रेल लाइन बिछाने की तथा आवश्यक सर्वे की घोषणा हो। कुछ शहरों के बीच गुड्स शेड रेलवे स्टेशन पर है जिन्हें स्टेशन तथा शहरों से कुछ अंतर पर स्थापित करने की जरूरत है। वणी शहर के बीच स्टेशन पर ही कोयला जैसी प्रदूषणकारी वस्तुओं का लदान होने से वणी शहर में भारी समस्या खड़ी हुई है। इस गुड्स शेड को कुछ आगे अंतर पर 5 कि.मी. की दूरी पर स्थापित करें।

कई रेल मार्गों पर जो मेन गेट बने हैं उन्हें बंद किया जा रहा है। ग्रामीणों को दिक्कत होगी। इस पर गेटमैन दें या अंडरब्रिज (आर.यू.बी.) बनाएं। रेल गेट बंद ना करें। वणी आदिलाबाद मार्ग पर पिंपलखुटी स्टेशन के पास गेट था जिसे बंद किया गया इस गेट को पुन: शुरू करें। बलारशाह से चांदाफोर्ट-नागभीड मार्ग पर विद्युतीकरण तथा दूसरी रेलवे लाइन, यह लाइन गेज परिवर्तन की गई थी और जिस पर बने स्टेशन प्लेटफार्म पुराने हैं, उन्हें ऊंचा करने की जरूरत है। जबलपुर-नैनपुर-बालाघाट मार्ग पर गेज परिवर्तन हो रहा है। अधिकाधिक धनराशि का प्रावधान कर जल्द से जल्द पूरा करें। एक नई गाड़ी हैदराबाद से चांदाफोर्ट होकर हावड़ा तक चलाए तथा माणिकगढ़ से गडचांदूर रेल लाइन पर गाड़ी चलाएं। जिस लाइन पर सिर्फ गुड्स गाड़ियां चलती हैं, पैसेंजर चलाने हेतु जांच करें, प्रारंभ करें मुर्तिजापुर-यवतमाल रेल मार्ग का गेज परिवर्तन तथा यवतमाल से वणी हेतु नई रेल लाइन का सर्वे कराने हेतु प्रावधान करें।

*भाषण सभापटल पर रखा गया।

रेल के डिब्बों में हो रहे अत्याचार, हमले, महिलाओं की असुरक्षा तथा ट्रेन से फेंककर हो रही हत्याएं, मारपीट, लूटपाट के मामले बार-बार सामने आ रहे हैं। इस पर अंकुश लगाने हेतु हर डिब्बों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं तथा स्टेशनों पर भी सीसीटीवी कैमरों की संख्या बढ़ाई जाए।

***श्री राकेश सचान** (फतेहपुर): इस रेल बजट में मेरे क्षेत्र फतेहपुर की उपेक्षा की गई है। फतेहपुर जनपद दिल्ली-हावड़ा की मेन रेलवे लाइन के बीच में स्थित फतेहपुर जनपद की आबादी 40 लाख की है, परन्तु रेलवे की उपेक्षाओं के कारण यहां की जनता को दिक्कतें हो रही हैं।

फतेहपुर व बिन्दकी रोड स्टेशनों से 15-20 हजार दैनिक यात्री कानपुर एवं इलाहाबाद अपने रोजगार व अन्य कार्यों के लिए जाते हैं साथ ही उच्च शिक्षा के लिए यहां के छात्र व छात्राएं भी काफी संख्या में शिक्षा के लिए रोज आते व जाते हैं। इन सभी लोगों की परेशानियों को देखते हुए इलाहाबाद से प्रात: फतेहपुर-कानपुर के लिए इंटरसिटी एक्सप्रेस गाड़ी को चलाया जाए। जिससे जनपद के यात्रियों को सुविधा होगी एवं रेलवे को राजस्व का लाभ भी होगा। वर्ष 2013-14 के बजट में घोषित कानपुर से इलाहाबाद एक गाड़ी चलाई जा चुकी है।

दिल्ली से प्रात: 6.50 पर नार्थ ईस्ट एक्सप्रेस के बाद रात्रि में लाल किला एक्सप्रेस ही सीधी गाड़ी फतेहपुर के लिए है और इसी प्रकार फतेहपुर से दिल्ली के लिए रात्रि 10.50 बजे प्रयागराज एक्सप्रेस के बाद प्रात: तूफान एक्सप्रेस है। जबकि इस बीच में दिल्ली व इलाहाबाद के बीच में 15 गाड़ियां फतेहपुर से गुजरती हैं और इन गाड़ियों का फतेहपुर में ठहराव नहीं होने से फतेहपुर के यात्रियों को लम्बी दूरी की गाड़ियों को पकड़ने के लिए कानपुर जाना पड़ता है। जिससे ज्यादा समय व ज्यादा पैसे खर्च करने के बावजूद लोगों को काफी असुविधा होती है और इससे रेलवे को भी राजस्व की हानि उठानी पड़ती है। यदि फतेहपुर स्टेशन पर महाबोधी, लिच्छवी व झारखंड व स्वर्णजयन्ती एक्सप्रेस गाड़ियों का ठहराव दोनों दिशाओं से फतेहपुर कर दिया जाता है तो रेलवे को राजस्व का फायदा होगा। साथ ही, यहां के यात्रियों को भी लम्बी दूरी की यात्रियों के लिए भी नहीं भटकना पड़ेगा।

फतेहपुर रेलवे स्टेशन पर एक टिकट काउंटर की संख्या को बढ़ाया जाए साथ ही एम.एस.टी. के लिए एक अलग काउंटर खोला जाए। फतेहपुर स्टेशन पर आरक्षण काउंटर की संख्या को बढ़ाया जाए तथा यहां पर हो रही असुविधाओं एवं भ्रष्टाचार को समाप्त किया जाए।

*भाषण सभापटल पर रखा गया।

फतेहपुर रेलवे स्टेशन से होने वाली वार्षिक आय को देखते हुए मॉडल रेलवे के स्टेशन के रूप में विकसित किया जाए। स्टेशन के प्लेटफार्म नम्बर 4 का लेबल ऊंचा करके प्लेटफार्म में शेड का भी निर्माण किया जाए।

बिन्दकी रोड स्टेशन में स्वर्णजयन्ती, संगम व झारखंड एक्सप्रेस का ठहराव दिया जाए। खागा स्टेशन में झारखंड एक्सप्रेस का ठहराव दिया जाए।

कुंवरपुर-बिन्दकी सड़क, औंग, खागा और बहरामपुर रेलवे स्टेशन की प्रमुख सड़कों पर रेलवे ओवर ब्रिज का निर्माण कराया जाए। फतेहपुर व बिन्दकी रोड स्टेशनों पर निर्माणाधीन ओवर ब्रिजों में इन दोनों स्टेशनों पर सीधे पहुंचने के लिए सीढ़ियों का भी निर्माण किया जाए जिससे यात्रियों को सीधे स्टेशन में पहुंचने की सुविधा मिल सके।

फतेहपुर स्टेशन में पूछताछ कार्यालय शुरू किया जाए तथा टेलीफोन पर स्थानीय पूछताछ की व्यवस्था की जाए। फतेहपुर-कानपुर पैसेंजर जो प्रात: 7 बजे चलकर 10 बजे कानपुर पहुंच कर पूरे दिन खड़ी रहकर सायं 6 बजे कानपुर से चलकर रात्रि 8.30 बजे फतेहपुर पहुंचती है। फतेहपुर रात्रि में खड़ी रहती है। इस गाड़ी को दिन में कानपुर से एक बार फिर चलाकर फतेहपुर तक के फेरे को बढ़ाया जाए जिससे इस गाड़ी का उपयोग भी दिन में हो सकेगा और इससे रेलवे के राजस्व में भी वृद्धि होगी।

जाड़े के दिनों में कोहरे के कारण 2 से 3 माह के लिए चौरीचौरा, तूफान, लाल किला व जनता एक्सप्रेस गाड़ियों को निरस्त कर दिया जाता है जिससे फतेहपुर के यात्रियों को काफी असुविधा होती है। अत: इन गाड़ियों को निरस्त न करके कम दूरी पर कानपुर तक चलाया जाए।

इलाहाबाद से वाया फतेहपुर होते हुए अजमेर शरीफ से एक नई एक्सप्रेस गाड़ी चलाई जाए। इलाहाबाद मुम्बई एक्सप्रेस वाया फतेहपुर-कानपुर-झांसी होकर सीजनल चलाई जाती है उसे प्रतिदिन किया जाए।

बिंदकी (फतेहपुर) स्टेशन पर चौरी-चौरा एक्सप्रेस का दोनों तरफ से ठहराव प्रदान किया जाए। कानपुर-बांदा रेल लाइन में जहानाबाद-घाटमपुर (मार्ग), कानपुर नगर में एक नया आर.ओ. बी. पुल स्वीकृत किया जाए।

फतेहपुर रेलवे स्टेशन पर समस्त प्लेटफार्मों पर 2-2 वाटर कूलर लगवाए जाएं, जिससे गर्मियों में यात्रियों को ठंडा पानी मिल सके।

इटावा-औराया-भोगनीपुर-घाटमपुर-जहानाबाद-बकेवर होते हुए बिन्दकी रोड तक 184 किमी. नई रेलवे लाइन बनाई जाए जिससे इस पिछड़े हुए क्षेत्र का विकास होगा। साथ ही, दिल्ली-हावड़ा लाइन में दबाव भी कम होगा। घाटमपुर एवं भोगनीपुर में लग रहे नए पावर प्लांटों में रेलवे के सहयोग से कार्य जल्द होगा तथा रेलवे के राजस्व में वृद्धि होगी।

घाटमपुर, कानपुर नगर स्टेशन को उच्चीकृत कर शेड बनाया जाए तथा वहां पर पानी की समुचित व्यवस्था की जाए। फतेहपुर-लखनऊ के बीच में कानपुर होकर एक सीधी ई.एम.यू. गाड़ी को चलाया जाए, जो फतेहपुर से प्रातः चलकर सायं फतेहपुर वापस आए।

फतेहपुर जनपद की रेल समस्याओं को मैं पहले भी पूर्व रेल बजट में उठा चुका हूं, परन्तु इस पर अब तक कोई प्रगति नहीं हो सकी है।

अतः आपसे आग्रह है कि रेलवे इस पर त्वरित कार्रवाई करके इन समस्याओं को दूर कराए, जिससे फतेहपुर की जनता को इसका लाभ प्राप्त हो सके और इससे रेलवे को राजस्व भी अत्यधिक मिल सके।

[अनुवाद]

***श्री रायपति सांबसिवा राव** (गुंटूर): सर्वप्रथम, मैं इस तथ्य को आपके सामने लाना चाहता हूं कि 15 वर्षों में यह पहला बजट है जो किसी कांग्रेसी रेल मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

नए रेल मंत्री श्री पवन कुमार बंसल को अपना मंत्रालय चलाने में कुछ अपनी मजबूरियां रही होंगी और उनके अपने कुछ तर्क होंगे जिसके आधार पर यात्री रेल किराए में 20% वृद्धि की गई है। जब मैं 90% से अधिक उन गरीब और दलित लोगों के बारे में सोचता हूं जो परिवहन के सस्ते साधन के रूप में रेलवे का उपयोग करते हैं, तो मुझे लगता है कि यह सही नहीं किया गया है। इसकी बजाय उन्हें यात्रियों की सुरक्षा में सुधार करने सहित विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए कुछ अन्य उपाय कर रेलवे के राजस्व में वृद्धि करने के बारे में सोचना चाहिए था।

अब मैं दक्षिण-मध्य रेल के गुंटूर मंडल की बात करता हूं जिसकी इस रेल बजट में अनदेखी की गई है।

गुंटूर मंडल पर ध्यान देने से इस क्षेत्र के विकास में निःसंदेह मदद मिलेगी। इस सबसे महत्त्वपूर्ण मंडल पर 2013-14 के रेल बजट में कोई ध्यान नहीं दिया गया है।

*भाषण सभापटल पर रखा गया।

अब मैं गुंटूर (नल्लापाहु)-नाडीकुडी-नालगोंडा-बीबीनगर रेल लाइन के दोहरीकरण और विद्युतीकरण की बात करूंगा जिसके लिए योजना आयोग के अनुमोदन की प्रतीक्षा है। यदि इसे कार्यान्वित कर दिया जाता है तो इस परियोजना से न केवल मेरे संसदीय क्षेत्र, गुंटूर के स्थानीय यात्रियों की आकांक्षाएं पूरी होंगी बल्कि अत्यधिक भीड़ वाले विजयवाड़ा-काजीपेट खंड पर भी यात्रियों की भीड़ कम होगी। इस खंड पर सड़क यातायात की शब्दावली में "बम्पर टू बम्पर" गाड़ियां चलती हैं।

इस वर्ष के रेल बजट में काकीनाड़ा और मुंबई के बीच सप्ताह में दो बार चलने वाली एक्सप्रेस रेलगाड़ी आरंभ करने का उल्लेख किया गया है, परन्तु दुर्भाग्यवश इसके मार्ग का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। अतः माननीय मंत्री महोदय से यह आग्रह करना अप्रासंगिक नहीं होगा कि सप्ताह में दो बार चलने वाली यह एक्सप्रेस रेलगाड़ी गुंटूर-नाडीकुडी-नालगोंडा तथा बीबी नगर के रास्ते अथवा गुंटूर-गुंटाकल-वाडी के रास्ते चलाई जाए ताकि मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र गुंटूर के लोगों को इसका फायदा मिल सके।

विजयवाड़ा-काजीपेट-सिकंदराबाद के रास्ते शिर्डी साई नगर जाने वाली रेलगाड़ियों की कोई कमी नहीं है। इस वर्ष के बजट में रेलगाड़ी सं. 17213/17214-नरसापुर-नागरसोल (साई नगर शिर्डी के निकट) के फेरे बढ़ाकर प्रतिदिन करने का प्रस्ताव है। अतः मैं इस बात का उल्लेख करते हुए रेल मंत्री महोदय श्री बंसल जी का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूं कि वह यह सुनिश्चित करने के लिए प्राधिकारियों को निर्देश दें कि यह रेलगाड़ी गुंटूर-नाडीकुडी-नालगोंडा और बीबी नगर-सिकंदराबाद से होकर गुजरे, जिससे इस क्षेत्र के लोगों को बहुत लाभ होगा।

यदि कोई रेलगाड़ी अथवा मार्ग सबसे आवश्यक है तो वह है-गुंटूर-चेन्नई-गुंटूर परन्तु दुर्भाग्यवश सुबह से शाम तक चेन्नई और गुंटूर के बीच कोई सीधी रेलगाड़ी नहीं है। प्रातःकाल में गुंटूर से, गुंटूर-चेन्नई-गुंटूर-इंटरसिटी एक्सप्रेस रेलगाड़ी शुरू किए जाने की भी आवश्यकता है।

पहले सिकंदराबाद-तेनाली-सिकंदराबाद, नागार्जुन एक्सप्रेस तेनाली, गुंटूर-सिकंदराबाद के बीच चला करती थी, जिससे इस क्षेत्र के यात्रियों की आवश्यकता पूरी होती थी। गुंटूर, नाडीकुडी के रास्ते जन्मभूमि एक्सप्रेस के सिकंदराबाद तक विस्तार के बाद नागार्जुन एक्सप्रेस को बंद कर दिया गया जिससे गुंटूर क्षेत्र के यात्रियों को निराशा हुई। इसके परिणामस्वरूप इस क्षेत्र के यात्रियों को विशाखापटनम-सिकंदराबाद के बीच चलने वाली लंबी दूरी की जन्मभूमि एक्सप्रेस में सीट प्राप्त करने में काफी कठिनाई हो रही है। जैसा कि माननीय मंत्री महोदय को मालूम है कि तेनाली, गुंटूर-सिकंदराबाद के बीच यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ रही है,

इसलिए नागार्जुन एक्सप्रेस को फिर शुरू करने के लिए तत्काल उपाय किया जाना चाहिए।

मैं माननीय मंत्री महोदय की जानकारी में लाना चाहता हूं कि गुंटूर के रास्ते सिकंदराबाद और तिरूपति के बीच रात में केवल नारायणाद्री एक्सप्रेस चलती है। यद्यपि, गुंटूर-तिरूपयति यात्री रेलगाड़ी भी चलती है, परन्तु यह गाड़ी तिरुपति पहुंचने में काफी समय लेती है और इसमें आरक्षण सुविधा भी नहीं है।

इसके अतिरिक्त, दिन में गुंटूर से बापरला, चिराला, ओंगोल, नेल्लोर को जोड़ने वाली कोई एक्सप्रेस रेलगाड़ी नहीं है। अत: गुंटूर-तिरूपति-गुंटूर के बीच एक इंटरसिटी एक्सप्रेस रेलगाड़ी बहुत आवश्यक हो गई है क्योंकि इससे छात्र समुदाय, कामगारों और कर्मचारियों को अपने गंतव्य स्थल तक पहुंचने में सहायता मिलेगी।

इसी प्रकार, आरपीएफ की 10% रिक्तियां महिलाओं के लिए आरक्षित करने का प्रस्ताव है। मैं माननीय रेल मंत्री महोदय के इस प्रस्ताव का हार्दिक स्वागत करता हूं। एक अन्य विशेषता स्वतंत्रता सेनानियों को पास जारी करना है। घोषणा के अनुसार, उनके पासों का अब हर 3 वर्ष में नवीकरण किया जा सकता है। पहले हर वर्ष नवीकरण होता था।

मेरा अनुरोध है कि देश के सभी चौकीदार रहित समपारों पर चौकीदार तैनात किये जाएं। यह बहुत ही बड़ा कार्य है परन्तु श्री पवन कुमार बंसल जैसे सक्रिय और नई सोच वाले मंत्री के लिए कुछ भी असंभव अथवा अप्राप्य नहीं है। अगला मुद्दा रेलवे स्टेशनों की स्वच्छता का है। मुझे लगता है कि नए रेल मंत्री के कार्यकाल में इस पर ध्यान दिया जाएगा। मैं रेल मंत्री महोदय से रेल यात्रियों की सुरक्षा और संरक्षा सुनिश्चित करने का पुरजोर आग्रह करता हूं।

अब मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र गुंटूर की बात करता हूं। मैंने वहां की खामियों और कमियों का इस उम्मीद के साथ उल्लेख किया है कि हमारे योग्य रेल मंत्री महोदय, जिनकी दूरदृष्टि और इच्छा में रेलवे का मानचित्र बदल देने की है, वे इन सभी कमियों को दूर करने हेतु अनुपूरक रेल बजट में प्रावधान करेंगे, जिससे यात्रा करने वाले लोगों और मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, गुंटूर तथा क्षेत्र के लोगों को लाभ होगा।

मैंने जितनी भी परियोजनाओं का मुद्दा उठाया है वे सभी व्यवहार्य हैं। इसलिए, मैं अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र गुंटूर के लोगों की ओर से और अपनी ओर से माननीय रेल मंत्री महोदय से आग्रह करता हूं कि वह मेरे द्वारा उठाए गए मुद्दों पर विचार करें तथा शीघ्रातिशीघ्र इसका क्रियान्वयन सुनिश्चित करें।

श्री ललित मोहन शुक्ल वैद्य (करीमगंज): धन्यवाद महोदय, पूरा देश वर्ष 2013-14 के लिए वास्तविक बजट की घोषणा करने के लिए माननीय रेल मंत्री महोदय को बधाई दे रहा है।

महोदय, मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता हो रही है कि पहली बार अरुणाचल प्रदेश को रेलवे के मानचित्र में शामिल किया जाएगा और मेरे राज्य असम को कामाख्या से बोगाईगांव तक पहली बार दोहरी लाइन मिलेगी।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: आप अगले दिन इसको जारी रखेंगे। अब प्राइवेट मैम्बर्स बिल लेंगे।

...(व्यवधान)

अपराह्न 3.30 बजे

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के 30वें और 31वें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: अब गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य को लेते हैं। प्रो. सौगत राय।

[हिन्दी]

प्रो. सौगत राय (दमदम): उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि यह सभा क्रमश: 27 फरवरी और 6 मार्च को सभा में प्रस्तुत गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के 30वें और 31वें प्रतिवेदनों से इस उपांतरण के अध्यधीन सहमत है कि संकल्पों के लिए समय के नियतन के संबंध में 30वें प्रतिवेदन के पैरा 6 और पैरा 7 के उप-पैरा (चार) का लोप किया जाए।"

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि यह सभा क्रमश: 27 फरवरी और 6 मार्च को सभा में प्रस्तुत गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी

समिति के 30वें और 31वें प्रतिवेदनों से इस उपांतरण के अध्यधीन सहमत है कि संकल्पों के लिए समय के नियतन के संबंध में 30वें प्रतिवेदन के पैरा 6 और पैरा 7 के उप-पैरा (चार) का लोप किया जाए।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 3.35 बजे

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक पुरः स्थापित

(एक) निराश्रित बालक (पुनर्वास और कल्याण) विधेयक, 2011*

[अनुवाद]

श्रीमती प्रिया दत्त (मुम्बई उत्तर-मध्य): मैं प्रस्ताव करती हूं कि निराश्रित बालकों के पुनर्वास और कल्याण और उससे संबंधित अथवा आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

''कि निराश्रित बालकों के पुनर्वास और कल्याण और उनसे संबंधित अथवा आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्रीमती प्रिया दत्त: मैं विधेयक पुर:स्थापित करती हूं**।

अपराह्न 3.35½ बजे

(दो) लेखक और कलाकार सामाजिक सुरक्षा विधेयक, 2011*

[अनुवाद]

श्रीमती प्रिया दत्त (मुम्बई उत्तर-मध्य): मैं प्रस्ताव करती हूं कि लेखकों और कलाकारों हेतु सामाजिक सुरक्षा और कल्याणकारी उपायों से संबंधित अथवा आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

''कि लेखकों और कलाकारों हेतु सामाजिक सुरक्षा और कल्याणकारी उपायों से संबंधित अथवा आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्रीमती प्रिया दत्त: मैं विधेयक पुर:स्थापित करती हूं।

अपराह्न 3.36 बजे

(तीन) नि:शक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार, संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) संशोधन विधेयक, 2011*

(धारा 33 का संशोधन)

[अनुवाद]

श्रीमती प्रिया दत्त (मुम्बई उत्तर-मध्य): मैं प्रस्ताव करती हूं कि नि:शक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार, संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) 1995 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

''कि नि:शक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार, संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) 1995 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाये।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्रीमती प्रिया दत्त: मैं विधेयक पुर:स्थापित करती हूं।

अपराह्न 3.36½ बजे

(चार) निजी क्षेत्र में रिश्वत का निवारण विधेयक, 2012*

[अनुवाद]

श्री वरूण गांधी (पीलीभीत): मैं प्रस्ताव करता हूं कि रिश्वत को दांडिक अपराध के रूप में स्थापित करने और निजी क्षेत्र में रिश्वत का निवारण करने हेतु प्रभावी कार्यों को प्रोत्साहन देने और उससे संबंधित अथवा आनुषंगिक विषयों के विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

---

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II खंड 2, दिनांक 8.3.2013 में प्रकाशित।

** राष्ट्रपति की सिफारिश से पुर:स्थापित।

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II खंड 2, दिनांक 8.3.2013 में प्रकाशित।

"कि रिश्वत को दांडिक अपराध के रूप में स्थापित करने और निजी क्षेत्र में रिश्वत का निवारण करने हेतु प्रभावी कार्यों को प्रोत्साहन देने और उससे संबंधित अथवा आनुषंगिक विषयों के विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री वरूण गांधी: मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

अपराह्न 3.37 बजे

(पांच) भारतीय दंड संहिता (संशोधन) विधेयक, 2012*
(नई धारा 304 क का अंत:स्थापन)

[हिन्दी]

डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी (अहमदाबाद पश्चिम): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारतीय दंड संहिता, 1860 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि भारतीय दंड संहिता, 1860 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[हिन्दी]

डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी: मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: मद संख्या 26, श्री सतपाल महाराज, उपस्थित नहीं।

अपराह्न 3.37½ बजे

(छह) लक्षद्वीप नारियल वृक्ष आरोहक (कल्याण) विधेयक, 2012*

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II खंड 2, दिनांक 8.3.2013 में प्रकाशित।

[अनुवाद]

श्री हमदुल्लाह सईद (लक्षद्वीप): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि लक्षद्वीप नारियल वृक्ष आरोहकों के कल्याण और संरक्षण तथा उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दें।

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि लक्षद्वीप नारियल वृक्ष आरोहकों के कल्याण और संरक्षण तथा उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री हमदुल्लाह सईद: मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

अपराह्न 3.38 बजे

(सात) पक्ष प्रचारण के क्रियाकलापों का प्रकटीकरण विधेयक, 2013*

[अनुवाद]

श्री कालीकेश नारायण सिंह देव (बोलंगीर): मैं प्रस्ताव करता हूं कि शासन में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए विधायी और कार्यपालक निर्णय क्षमता को प्रभावित करने वाले पक्ष प्रचारण क्रियाकलापों के प्रकटीकरण, पक्ष प्रचारकों के विद्रूपीकरण हेतु एक प्राधिकरण की स्थापना करने और उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि शासन में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए विधायी और कार्यपालक निर्णय क्षमता को प्रभावित करने वाले पक्ष प्रचारण क्रियाकलापों के प्रकटीकरण, पक्ष प्रचारकों के विद्रूपीकरण हेतु एक प्राधिकरण की स्थापना करने और उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री कालीकेश नारायण सिंह देव: मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

---

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II खंड 2, दिनांक 8.3.2013 में प्रकाशित।

अपराह्न 3.38½ बजे

(आठ) जूट उत्पादक (लाभकारी मूल्य और कल्याण) विधेयक, 2013*

[अनुवाद]

डॉ. काकोली घोष दस्तिदार (बारासात): महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं कि जूट उत्पादकों को कच्चे जूट के लिए लाभकारी मूल्य का संदाय करने जूट की फसल का निःशुल्क बीमा करने और जूट उत्पादकों के समग्र कल्याण तथा उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदयः प्रश्न यह है:

"कि जूट उत्पादकों को कच्चे जूट के लिए लाभकारी मूल्य का संदाय करने जूट की फसल का निःशुल्क बीमा करने और जूट उत्पादकों के समग्र कल्याण तथा उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

डॉ. काकोली घोष दस्तिदारः मैं विधेयक पुरःस्थापित करती हूं।

अपराह्न 3.39 बजे

(नौ) अंतरराज्यीय नदियों का राष्ट्रीयकरण विधेयक, 2013*

[अनुवाद]

श्री रमेन डेका (मंगलदोई): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राज्यों के बीच नदियों के पानी के समान वितरण के उद्देश्य हेतु अंतरराज्यीय नदियों का राष्ट्रीयकरण और उससे संबंधित अथवा आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

उपाध्यक्ष महोदयः प्रश्न यह है:

"कि राज्यों के बीच नदियों के पानी के समान वितरण के उद्देश्य हेतु अंतरराज्यीय नदियों का राष्ट्रीयकरण और उससे संबंधित अथवा आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II खंड 2, दिनांक 8.3.2013 में प्रकाशित।

** राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरःस्थापित।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री रमेन डेकाः मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

अपराह्न 3.39½ बजे

(दस) भारतीय दंड संहिता (संशोधन) विधेयक, 2013*

[हिन्दी]

डॉ. भोला सिंह (नवादा): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारतीय दंड संहिता, 1860 (धारा 304 (क) का संशोधन आदि) और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदयः प्रश्न यह है:

"कि भारतीय दंड संहिता 1860 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[हिन्दी]

डॉ. भोला सिंहः महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

अपराह्न 3.40 बजे

(ग्यारह) बालक कल्याण विधेयक, 2013*

[हिन्दी]

डॉ. भोला सिंह (नवादा): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि बालकों के कल्याण और तत्संबंधी विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदयः प्रश्न यह है:

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II खंड 2, दिनांक 8.3.2013 में प्रकाशित।

"कि बालकों के कल्याण और तत्संबंधी विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[हिन्दी]

डॉ. भोला सिंहः महोदय, मैं विधेयक को पुर:स्थापित** करता हूं।

अपराह्न 3.40½ बजे

(बारह) अनिवार्य सैनिक प्रशिक्षण विधेयक, 2013*

[हिन्दी]

डॉ. भोला सिंह (नवादा): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि समर्थ शरीर वाले सभी व्यक्तियों के लिए सैन्य प्रशिक्षण अनिवार्य करने और तत्संबंधी विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदयः प्रश्न यह है:

"कि समर्थ शरीर वाले सभी व्यक्तियों के लिए सैन्य प्रशिक्षण अनिवार्य करने और तत्संबंधी विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[हिन्दी]

डॉ. भोला सिंहः महोदय, मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं।

अपराह्न 3.41 बजे

(तेरह) चारा बैंक विधेयक, 2013*

[हिन्दी]

श्री हंसराज गं. अहीर (चन्द्रपुर): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अकाल, सूखा या बाढ़ जैसे प्राकृतिक आपदा से प्रभावित स्थानों में पशुओं के लिए चारा और पानी उपलब्ध करने के लिए चारा बैंक की स्थापना करके और उससे संसक्त या उससे आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदयः प्रश्न यह है:

" कि अकाल, सूखा या बाढ़ जैसे प्राकृतिक आपदा से प्रभावित स्थानों में पशुओं के लिए चारा और पानी उपलब्ध करने के लिए चारा बैंक की स्थापना करने और उससे संसक्त या उससे आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री हंसराज गं. अहीरः महोदय, मैं विधेयक को पुर:स्थापित** करता हूं।

अपराह्न 3.41½ बजे

(चौदह) संविधान (संशोधन) विधेयक, 2013*

(नये अनुच्छेदों 16क और 16कक का अंत:स्थापन)

[हिन्दी]

श्री हंसराज गं. अहीर (चन्द्रपुर): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदयः प्रश्न यह है:

"कि भारत के संविधान में संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[हिन्दी]

श्री हंसराज गं. अहीरः महोदय, मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं।

---

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II खंड 2, दिनांक 8.3.2013 में प्रकाशित।
** राष्ट्रपति की सिफारिश से पुर:स्थापित।

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II खंड 2, दिनांक 8.3.2013 में प्रकाशित।
** राष्ट्रपति की सिफारिश से पुर:स्थापित।

अपराह्न 3.42 बजे

(पंद्रह) संविधान (संशोधन) विधेयक, 2013*

(आठवीं अनुसूची का संशोधन)

[हिन्दी]

श्री हंसराज गं. अहीर (चन्द्रपुर): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदयः प्रश्न यह है:

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[हिन्दी]

श्री हंसराज गं. अहीरः महोदय, मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं।

अपराह्न 3.42½ बजे

(सोलह) संविधान (संशोधन) विधेयक, 2013*

(नये अनुच्छेद 72क का अंतःस्थापन)

[हिन्दी]

श्री हंसराज गं. अहीर (चन्द्रपुर): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदयः प्रश्न यह है:

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[हिन्दी]

श्री हंसराज गं. अहीरः महोदय, मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं।

अपराह्न 3.43 बजे

(सत्रह) पावरलूम सेक्टर (कल्याण) विधेयक, 2013*

[हिन्दी]

श्री सुरेश काशीनाथ तवारे (भिवन्डी): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि पावरलूम सेक्टर के बुनकरों, कर्मकारों और लघु उद्यमियों के संरक्षण और कल्याण के उपायों और उससे संसक्त विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदयः प्रश्न यह है:

'कि पावरलूम सेक्टर के बुनकरों, कर्मकारों और लघु उद्यमियों के संरक्षण और कल्याण के उपायों और उससे संसक्त विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[हिन्दी]

श्री सुरेश काशीनाथ तवारेः महोदय, मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं।

अपराह्न 3.43½ बजे

(अठारह) जवाबदेही ब्यूरो विधेयक, 2013*

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II खंड 2, दिनांक 8.3.2013 में प्रकाशित।

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II खंड 2, दिनांक 8.3.2013 में प्रकाशित।

[अनुवाद]

श्री जयप्रकाश अग्रवाल (उत्तर-पूर्व दिल्ली): मैं प्रस्ताव करता हूं कि भ्रष्टाचार को खत्म करने; प्रशासन को कुशल बनाने के लिए उपायों का सुझाव देने के लिए जवाबदेही ब्यूरो की स्थापना और उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि भ्रष्टाचार को खत्म करने; प्रशासन को कुशल बनाने के लिए उपायों का सुझाव देने के लिए जवाबदेही ब्यूरो की स्थापना और उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री जयप्रकाश अग्रवाल: मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं।

अपराह्न 3.44 बजे

(उन्नीस) चलचित्र (संशोधन) विधेयक, 2013*

(धारा 2 का संशोधन आदि)

[अनुवाद]

श्री जयप्रकाश अग्रवाल (उत्तर-पूर्व दिल्ली): मैं प्रस्ताव करता हूं कि चलचित्र अधिनियम, 1952 में और संशोधन करने वाले विधेक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि चलचित्र अधिनियम, 1952 में और संशोधन करने वाले विधेक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री जयप्रकाश अग्रवाल: मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं।

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II खंड 2, दिनांक 8.3.2013 में प्रकाशित।

[हिन्दी]

श्री जयप्रकाश अग्रवाल (उत्तर-पूर्व दिल्ली): सर, आपसे मेरी एक दरख्वास्त है। मैंने यह दरख्वास्त आपके सामने पहले भी रखी थी। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: पहले इसको तो पूरा कर लीजिए।

...*(व्यवधान)*

श्री जयप्रकाश अग्रवाल: सर, आप पहले मेरी बात सुन लीजिए। आप परिपाटी नहीं बदलना चाहते हैं तो मत बदलिए। मेरा कहना है कि जो ऑर्डनरी बिल है, उसमें आपने विषय लिखा है, लेकिन जो संविधान संशोधन बिल होता है, उसके लिए विषय लिखने में क्या तकलीफ है? आप मुझसे कहते हैं कि जो पक्ष में है वे 'हां' कहें। किसी को पता है कि इसके अंदर मेरा क्या विषय है? सर, क्या दिक्कत है? उसमें एक लाइन यह जोड़ दीजिए कि आप किस विषय पर संविधान संशोधन करना चाहते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय: आगे से सुधार किया जाएगा।

...*(व्यवधान)*

श्री जयप्रकाश अग्रवाल: ऑर्डिनरी बिल में है, लेकिन संविधान संशोधन बिल में नहीं लिखते हैं। ...*(व्यवधान)*

प्रो. सौगत राय (दमदम): महोदय, आप ऑर्डर दे दीजिए। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: हमने बोल दिया है कि आगे से हम लोग सुधार करेंगे।

...*(व्यवधान)*

श्री जयप्रकाश अग्रवाल: महोदय, परिपाटी बदलनी चाहिए। ...*(व्यवधान)* कोई चीज गलत हो रही है तो उसको कहने में क्या दिक्कत है। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: हमने बोल दिया है कि आगे से हम लोग सुधार करेंगे।

...*(व्यवधान)*

अपराह्न 3.45 बजे

(बीस) संविधान (संशोधन) विधेयक, 2013*

(नये अनुच्छेद 30क का अंत:स्थापन)

[अनुवाद]

श्री जयप्रकाश अग्रवाल (उत्तर-पूर्व दिल्ली): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री जयप्रकाश अग्रवाल: महोदय, मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: मद संख्या 44, श्री सुदर्शन भगत: उपस्थित नहीं।

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): आप हम लोगों को तो बता दीजिए।...*(व्यवधान)*

अपराह्न 3.46 बजे

अध्यक्ष पीठ द्वारा टिप्पणी

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों का संख्याकन

[हिन्दी]

श्री जयप्रकाश अग्रवाल (उत्तर-पूर्व दिल्ली): मुझे खुद मालूम नहीं है। ...*(व्यवधान)* मैंने कई बिल डाल रखे हैं, मुझे क्या पता कि यह कौन सा है? ...*(व्यवधान)* यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ...*(व्यवधान)*

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II खंड 2, दिनांक 8.3.2013 में प्रकाशित।

उपाध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यगण, मुझे इस सभा को यह सूचित करना है कि कार्य सूची में विधेयकों का संशोधन करने के उद्देश्य का उल्लेख करने के संबंध में श्री जयप्रकाश अग्रवाल, संसद सदस्य के अनुरोध को साध्य नहीं पाया गया है, तथापि यह निर्णय किया गया है कि अब से गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों की कार्य-सूची में सभी गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा विधेयक संख्या का उल्लेख किया जाए, ताकि सदस्य ऐसे विधेयक का उद्देश्य जानने हेतु उनका संदर्भ ले सकें।

अनेक माननीय सदस्य: बहुत अच्छा।

...*(व्यवधान)*

अपराह्न 3.47 बजे

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी (संशोधन) विधेयक, 2010

(धारा 2 का संशोधन, आदि)–जारी

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: सभा अब मद संख्या 45 पर विचार करेगी।

श्री अर्जुन राम मेघवाल अपना भाषण जारी रखें।

[हिन्दी]

श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर): माननीय सदस्य, श्री हंसराज गं. अहीर के द्वारा गैर सरकारी बिल के माध्यम से नरेगा में जो अमेंडमेंट प्रस्तावित किया गया है, उसके संबंध में मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ है। हंसराज जी का अमेंडमेंट यह है कि 100 दिन के रोज का बंधन क्यों? केवल 100 दिन क्यों और परिवार में एक ही आदमी को रोजगार क्यों दिया जाये? यह अमेंडमेंट करने के लिए यह बिल आया है और बहुत ही सही विषय पर यह बिल आया है। मैं पिछली बार बोलते हुए यह कह रहा था कि यह लिमिटेड परपज के लिए अमेंडमेंट है, लेकिन मैं इसमें जोड़ना चाहता हूं कि नरेगा में 60-40 का एक प्रावधान है, माननीय मंत्री जी यहां बैठे हैं। कुछ काम ऐसे होते हैं जो 60-40 के रेश्यो से नहीं हो सकते हैं।

[अनुवाद]

महोदय, 60% श्रम संबंधी घटक हैं तथा 40% सामग्री संबंधी घटक हैं।

[हिन्दी]

आप भी जिस क्षेत्र से आते हैं, वहां कई जगह, पठारी क्षेत्रों में यह प्रॉब्लम आती होगी कि यह 60 परसेंट लेबर का कम्पोनेंट कैसे खड़ा करें? मेरा यह कहना है कि अपवाद स्वरूप इसमें भी अमेंडमेंट होना चाहिए। जैसे मैं बीकानेर राजस्थान से आता हूं, कई जगह ऐसे काम हैं, जहां लेबर 60 परसेंट से भी ज्यादा जाता है और कुछ ऐसे काम हैं, जहां लेबर 40 परसेंट ही रहता है। मैटीरियल कम्पोनेंट 60 परसेंट हो जाता है। मेरा यह कहना है कि यह जैसे एक पत्थर की लकीर की तरह है कि हमने तो कानून बना दिया, अगर 60-40 का रेश्यो मैन्टेन नहीं करेंगे तो हम आपकी किस्त नहीं देंगे। पहले हम सुनते थे कि यह रेश्यो स्टेट लेवल पर मैन्टेन होना चाहिए, बाद में पता चला कि यह रेश्यो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर मैन्टेन होना चाहिए। अब जानकारी आ रही है कि हर ग्राम पंचायत लेवल पर यह रेश्यो मेनटेन होना चाहिए। उपाध्यक्ष जी, यह नहीं हो सकता है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। हमने एक अमेंडमेंट किया, हमने रेलवे के साथ एक इनीशियेशन लिया। राजस्थान से भी हमारे भाई जितेन्द्र सिंह जी बैठे हैं। हमारे बीकानेर डीआरएम रेलवे ने एक बड़ा अच्छा इनीशियेशन लिया कि जो आर.यू.बी. यानी रेलवे अंडर ब्रिज और एफ.यू.बी. ग्रामीण क्षेत्रों में होते हैं, ये नरेगा से क्यों नहीं बन सकते? हमने अपनी डिस्ट्रिक्ट मॉनीटरिंग कमेटी में इस इश्यू को उठाया। धीरे-धीरे जिला कलेक्टर को राजी किया। वे मान गए और उन्होंने प्रस्ताव कर दिये। हमारे यहां 21 नरेगा से डवटेल करके आर.यू.बी. बने हैं जिससे किसानों को खेतों में आने-जाने का रास्ता मिल गया। पहले लंबा रास्ता था, ट्रैसपास करके जा रहे थे, उससे सुविधा मिल गई और बहुत बढ़िया काम हुआ। जब रेल बजट पेश होने वाला था, तब वह मेरा ही लैटर था जिसके तहत रेल मंत्री पवन कुमार बंसल जी कह रहे थे कि हम आर.डी. से भी कुछ काम कराएंगे। काम वही हैं, लेकिन इसमें भी अड़चन है। वे कह रहे हैं कि नरेगा में अमेंडमेंट नहीं है। मैं जयराम नरेश जी से भी मिला। मैंने कहा किस तरह का अमेंडमेंट चाहिए? उन्हांने कहा कि हमारा 60:40 का रेशियो मेनटेन नहीं हो सकता। मैं यह कह रहा हूं कि नरेगा में कई तरह के भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, कई तरह की दुविधाएं आ रही हैं। जो ये काम हैं, जैसे किसान ने अपनी फसल पैदा कर दी, अब वह अपनी मंडी में ले जाना चाहता है। आप कहते हैं कि उसको ट्रैसपास करो, या कहते हैं कि जहां फाटक है, वहां जाओ। वहां वह खड़ा रहता है। तो क्यों नहीं जहां फीजीबल है, वहां आप आर.यू.बी. बना देते? ग्रामीण क्षेत्र के किसानों के काम वह आएगा, रोजगार में काम आएगा, लोगो के आने-जाने का रास्ता सुगम होगा और इसमें अगर 60:40 का रेशियो आड़े आता है तो इसमें संशोधन होना चाहिए। ऐसे कई काम हैं जिसमें 60:40 का रेशियो आड़े आता है।

उपाध्यक्ष महोदय, जे.सी.बी. से काम की शिकायतें बहुत आती हैं। कई जगह 60:40 का रेशियो मेनटेन नहीं होता है तो सरपंच लोग, प्रधान लोग मशीन से काम करा लेते हैं और उसके बाद उसमें पेमेन्ट करते समय दिक्कत आती है। मेरा अमेंडमेंट है कि एक तो 60:40 के रेशियो पर अमेंडमेंट होना चाहिए। दूसरा, नरेगा स्कीम में लिखा हुआ है कि हम जॉब कार्ड देंगे। जो आदमी जॉब कार्ड मांगेगा, उसको हम जॉब कार्ड देंगे। हंसराज जी कह रहे हैं कि सौ दिन का ही बंधन क्यों और परिवार में एक ही आदमी को रोजगार क्यों? मेरा कहना है कि इस जॉब कार्ड में भी धांधली होती है। वे कहते हैं कि क्या आपने फार्म सं. 6 भरा है? आपने जॉब कार्ड मांगा ही नहीं, हम काम क्यों देंगे? जॉब कार्ड भी लोग फर्जी बना लेते हैं। मेरा आपके माध्यम से यह सुझाव है कि नरेगा में यह अमेंडमेंट भी होना चाहिए कि जैसे हर नागरिक को राशन कार्ड मिलता है और उस राशन कार्ड का उपयोग वह करे या नहीं करे, ऐसे ही नरेगा में जॉब कार्ड सबको मिल जाए, उसके बाद जिसको जंचेगा, वह काम करेगा, जिसको नहीं जंचेगा, वह काम नहीं करेगा। इस जॉब कार्ड को राशन कार्ड की तरह क्यों नहीं बना दिया जाए, नहीं तो ये जो रोजगार सहायक लोग हैं, वे इसमें भी करप्शन करते हैं। जॉब कार्ड ये आसानी से नहीं बनाते हैं। तीसरा मेरा कहना था कि एरिया स्पैसिफिक आपको प्लान करने का भी अमेंडमेंट करना पड़ेगा। आप प्रोटोटाइप नहीं कर सकते। मैं रेगिस्तान से आता हूं। वहां आप कहेंगे कि 60:40 का रेशियो लागू होगा, लेकिन वहां कई जगह नहीं होगा। आप यह कहेंगे कि पातालतोड़ कुंआ अपने यहां बना लो। पता नहीं हमारे यहां वह सक्सैसफुल है या नहीं है। फिशरीज के लिए अलग होगा, रेगिस्तानी इलाके लिए अलग होगा, नदियां जहां ज्यादा हैं, वहां के लिए अलग होगा। एक प्रोटोटाइप योजना होनी चाहिए। हुक्मदेव जी यहां बैठे हैं। ये हमारे यहां कई गांवों में गए हुए हैं। वहां बरसात में गांवों में पानी भरा रहता है। पानी निकालने के लिए नाली नहीं है। नरेगा में आप पानी निकासी का काम तो ले सकते हैं पाइपलाइन के थ्रू, तो ऐसा क्यों नहीं कर सकते आप कि एक पातालतोड़ कुंआ बना दो, नीचे भी पानी रीचार्ज होगा। लेकिन वे कहते हैं कि कानून आड़े आता है। खाली निकासी कर सकते हैं पाइपलाइन के थ्रू। पाइपलाइन लोग खोद देते हैं। आगे भी जहां जाएगा, वे कहेंगे कि हमारे गांव की बदबू इस घर के पास आ गई, उस घर के पास आ गई। ग्रामीण क्षेत्रों में इनफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए नरेगा है। आप आप रोजगार तो उपलब्ध कराएंगे ही, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में इनफ्रास्ट्रक्चर भी खड़ा होना चाहिए जिससे इस देश का पैसा काम आ सके, एक आधारभूत संरचना खड़ी हो सके।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से यह कहना है कि हम जब भी फिल्ड में जाते हैं तो चार-पांच तरह की शिकायतें बार-बार हमें नरेगा में सुनने को मिलती हैं। पहली शिकायत, समय

पर काम नहीं मिलता, जिसको हल करने के लिए हंसराज जी बिल लाए हैं। एक को जॉबकार्ड क्यों? मांगने वाले को क्यों? ऑन डिमान्ड क्यों? जितने भी ग्रामीण क्षेत्र में नागरिक हैं, सभी को जॉब कार्ड दे दीजिए, जैसे राशन कार्ड देते हो। जिसको इच्छा होगी, वह काम करेगा। जैसे राशन कार्ड में जिसको जरूरत होती है, वह लेता है, नहीं तो नहीं लेता है। इसलिए पहली शिकायत है कि समय पर काम नहीं मिलता है।

दूसरी शिकायत रहती है कि काम का पूरा पैसा नहीं मिलता है। इन्होंने यह टास्क बेस कर रखा है। एक ग्रुप होगा उसमें इतने लोग होंगे, उसके बाद काम का बंटवारा होगा। इसमें होता यह है कि मजबूत आदमी कहता है कि मेरे ग्रुप में काम करो। वह खुद तो काम करता नहीं है। तीन आदमी काम करते हैं, बाकी का वह रजिस्टर में नाम लिखवा देता है। इससे क्या होता है कि काम तो तीन आदमी करते हैं, लेकिन पैसा सात-आठ का उठ रहा है। यह जो टास्क बेस सिस्टम बनाया गया है, उसको कहीं न कहीं चेंज करने की जरूरत है, जिससे भ्रष्टाचार की शिकायत कम मिले।

एक शिकायत मिलती है कि समय पर पेमेंट नहीं मिलती है। यह बड़ी शिकायत है। हालांकि हमने यह कर रखा है कि पोस्ट ऑफिस या बैंक के माध्यम से पेमेंट लेंगे। लेकिन समय पर पेमेंट नहीं मिलता है, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के पास इतने संसाधन नहीं हैं कि वह समय पर पेमेंट कर सके। आपने ग्रामीण क्षेत्र में जिसको भी काम देना था, आरआबी को या जिसको भी काम देना था, आप ब्रांचिज ज्यादा खोलिए या रिप्रजन्टेटिव इस तरह का बनाइए, जो कि नरेगा की पेमेंट करे। आपको इस तरह का कोई सिस्टम करना पड़ेगा, अन्यथा पोस्ट ऑफिस के भरोसे पेमेंट नहीं होगा। महीने-महीने भर तक पेमेंट नहीं होता है। इसलिए समय पर भुगतान नहीं होता है।

चौथी शिकायत आती है कि सोशल ऑडिट नहीं होने के कारण भ्रष्टाचार बढ़ा है। यह कुछ ऐसी चीजें हैं, जिनके अमेंडमेंट की जरूरत है। मैं मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि जब यह नरेगा आई थी तो जिसको हम लाइन डिपार्टमेंट बोलते हैं, पीडब्ल्यूडी, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, ईरीगेशन डिर्पाटमेंट,पहले बहुत काम करते थे, लेकिन आजकल लाइन डिपार्टमेंटल काम ही नहीं करते हैं। फॉरेस्ट वाले काम नहीं करते हैं। ईरीगेशन वालों से मैंने मेरे एरिया में कहा कि नहर की सफाई करनी है। लेकिन वह काम नहीं करते। कहते हैं कि काम हो ही नहीं सकता है, क्योंकि आप मशीन को एलाऊ नहीं करते हैं। यदि आप ईरीगेशन फैसीलिटी गांवों में नहीं बढ़ाओगे तो नरेगा का क्या मतलब हुआ? मेरा यह कहना है कि समय की मांग है कि नरेगा में एमेंडमेंट होना चाहिए, क्योंकि समय की यह मांग है। हंसराज जी जो एमेंडमेंट लाए हैं, हम उसको स्वागत करते हैं। मंत्री जी बैठे हैं शायद सारी चीजें इन्होंने नोट की होंगी। यह होलीस्टिक एप्रोच के साथ पूरा अमेंडमेंट लेकर के आएंगे। आपने मुझे बोलने का समय दिया बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे श्री हंसराज अहीर जी के मनरेगा में संशोधन पर बोलने का अवसर दिया।

महोदय, मैं बहुत ही विस्तार से अपने साथी अर्जुन मेघवाल जी की बातें सुन रहा था। उन्होंने जो बातें रखीं, वह बहुत ही तार्किक और सामयिक हैं और बहुत ही आवश्यक भी हैं।

महोदय, यह योजना वर्ष 2005 में लागू हुई थी। मेरे ख्याल से इस योजना की शुरूआत आपने त्रिवेन्द्रम से की थी। सौभाग्य से पिछली लोक सभा में मैं ग्रामीण विकास मंत्रालय की कंसल्टेटिव कमेटी में सदस्य था। माननीय रघुवंश प्रसाद सिंह जी इसके मंत्री थे। इसलिए मुझे वहां जाने का अवसर प्राप्त हुआ। वहां जाकर हम लोगों ने देखा कि जिन बिंदुओं पर अभी अर्जुन मेघवाल चिंता व्यक्त की थी, जिन गड़बड़ियों के बारे में कहा, वही गड़बड़ी जहां से उद्घाटन हुआ था, वहां हमने पायीं। मैम्बर ऑफ पार्लियामेंट की टीम थी। सब इधर-उधर छिटक गए। कुछ प्रदर्शनी में चले गए। हम लोगों ने देखा कि एक प्रधान एक पेड़ के नीचे बैठकर बना रहा था। जो मजदूर वहां काम कर रहे थे उनसे पूछा गया कि तुम्हारा कार्ड कहां है और कहां रहता है तो वह बोले कि वह प्रधान के पास जमा रहता है। जहां से इस योजना की शुरूआत हुई और जहां से उद्घाटन हुआ, अगर वहां बड़े पैमाने पर यह गड़बड़ी पाई गई तो मेरे ख्याल से इस योजना का सात वर्षों में अब तक क्या हश्र हुआ है, यह आप सोच सकते हैं।

दूसरी बात पहले इस योजना को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना किया गया। फिर महात्मा गांधी जी का नाम जोड़ दिया गया।

अपराह्न 4.00 बजे

मैं कहना चाहता हूं कि वैसे भी महात्मा गांधी जी बेचारे हो गए हैं। तस्वीरें लगी हैं लेकिन उनकी बातों पर अमल नहीं होता। मेरे ख्याल से उनका नाम जोड़ने के बाद आपने इस योजना पर ठीक से अमल नहीं किया। अब आपने यह कहा कि पूरी दुनिया में रोजगार का सबसे बड़ा अवसर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना में है। मेरे ख्याल से वह फलीभूत नहीं हुई है। यह योजना तभी फलीभूत होगी जब आप आम आदमी को रोजगार देते हुए उस को आमदनी से जोड़ेंगे कि अगर वह काम कर रहा है तो उसकी आमदनी क्या है। महंगाई दिन-पर-दिन बढ़ रही है। आज जो खेतिहर मजदूर है, कृषक मजदूर है वह महंगाई के बोझ से बिल्कुल दबा जा रहा है। आपने कहा कि पूरे देश में हमने आठ करोड़ लोगों का रोजगार दिया जिसमें हमने 47 प्रतिशत

महिलाओं को रोजगार दिया। अब आज हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी मना रहे हैं। अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल से आजादी के साठ-पैंसठ वर्षों के बाद भी हम ने अभी तक उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जो हमारे पूर्वजों ने, पूर्व नेताओं ने जो सपना संजोया था। वह सपना पूरे तरीके से फलीभूत नहीं हुआ।

हंसराज अहीर जी ने जो अमेंडमेंट दिया है कि मजदूरी साठ रुपये, कुछ बढ़ाया है आपने। इनका अमेंडमेंट है कि 150 रुपये किया जाए। फिर राज्य सरकार उसमें जो जोड़ कर दे सके, वह दे। यह व्यवस्था हो और इसको आप बैलेंस कीजिए। जिस हिसाब से, जिस अनुपात में महंगाई बढ़ रही है उस हिसाब से मजदूरी के दर को भी आपको बढ़ाना चाहिए तभी वह योजना सफल हो पाएगी। इसमें जो आपने अनुमान लगाया है कि दस हजार करोड़ रुपये प्रति वर्ष खर्च होगा तो इसको अमली जामा पहनाने की जरूरत है।

माननीय मंत्री जी, आप तो बुंदेलखंड क्षेत्र से आते हैं जहां पर बड़ी गरीबी, बड़ी गुरबत है, जहां पानी नहीं है, खेती नहीं है, किसानी नहीं है तो ऐसे हालात में आपको इस पर गंभीरता से सोचना पड़ेगा। जहां तक इसमें गड़बड़ी की बात है तो इसी सदन में मैंने देखे कि चाहे प्रश्न काल हो या डिस्कशन में हमेशा देखा गया है कि उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, राजस्थान, मध्य प्रदेश में गड़बड़ियां पाई गई हैं। मैं चाहूंगा कि जो गरीब प्रदेश हैं, जहां पर वाकई स्थिति बहुत खराब है, ऐसे राज्यों में स्पेशल टीम भेजकर इसका परीक्षण कराएं कि कहां पर क्या गड़बड़ी हो रही है। इस गड़बड़ी को भी दूर करने के लिए आप को प्रयास करना चाहिए।

आप इस में एक योजना ला सकते हैं। आपने अभी इसे कृषि से जोड़ा, आपने इसे रेलवे से भी जोड़ा। मैं तो चाहता हूं कि मजदूरी से संबंधित जितने भी विभाग हैं, उन विभागों को इस योजना से बिल्कुल जोड़ दीजिए। दूसरी बात यह है कि उत्तर प्रदेश में मैंने बहुत पहले देखा था, आपको भी याद होगा कि जब कभी सूखा पड़ा था जब कभी इस प्रकार के अकाल की स्थिति आई है तो हम लोगों ने काम के बदले अनाज योजना लागू किया था। उस योजना को भी आप गंभीरता से देखें। आज समय-समय पर इसी हाउस में हमेशा इस बात की चर्चा हुई कि हम सौ दिनों के रोजगार की गारंटी देंगे। अब वह परिवार 265 दिन क्या करेगा? एक परिवार से आप एक को 100 दिनों का रोजगार देंगे तो वह 265 दिन क्या करेगा, यह भी सोचने की जरूरत है। मैं तो चाहूंगा कि अगर रोजगार गारंटी देना है तो आप उसे साल भर की गारंटी दीजिए। उसे आगे बढ़ाने की आवश्यकता है।

दूसरी बात, बहुत शिकायतें आई हैं। चाहे वह तालाब की खुदाई हो या नहरों की खुदाई हो, अब तो नहरों की खुदाई भी आप ने दे दिया, तमाम पटरियों को पीडब्ल्यूडी और सड़क विभाग जो आर.ई.एस. देखता है उनको भी आपने दे दिया हैकि आप उससे काम कराएंगे। लेकिन बहुत जगहों पर देखा गया है कि लोग जेसीबी मशीन लगाकर काम करते हैं। फर्जी जॉब कार्ड पर पेमेंट उठा लेते हैं। ये शिकायतें बराबर आई हैं। 60-40 का जो रेशियो है, यह तो मेरे ख्याल से आपने ऐसा बना दिया है, जैसे अर्जुन जी ने कहा कि हम लोगों ने रेलवे की योजना परित की और किसी तरीके से प्रस्ताव बनाकर उसे कार्य रूप में परिणत करने की योजना बनाई लेकिन वह फलीभूत नहीं हो सकी। दूसरी बात यह है कि इतने क्यूबिक मीटर मिट्टी की खुदाई करनी है तब जाकर वह पूरा हो पाएगा, मेरे ख्याल से वह भी तार्किक नहीं है। उसमें भी बहुत सारी भ्रांतियां हैं। मैं चाहूंगा कि जब आप जवाब दें तो इसे बड़े विस्तार से बताएं।

जिस प्रकार से आप ने ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की गारंटी दी है उसी प्रकार से इस योजना को शहरी क्षेत्रों में भी दें। आज भी शहरों में बहुत-से ऐसे एरियाज हैं। इसको शहर की योजना से भी जोड़ने की आवश्यकता है, आप कहेंगे कि हम तो ग्रामीण विकास मंत्रालय देखते हैं, शहर को नहीं देखते। ये मजदूर पलायन करता है, जब उसको रोजगार नहीं मिलता तो वह शहरों की तरफ आता है और मजदूरी कहीं उसको शहर में इससे ज्यादा मिलती है। इस योजना को, चाहे शहरी विकास मंत्रालय से बैठ कर आपको बात करनी पड़े, आप ग्रामीण शहरी रोजगार गारंटी योजना इस प्रकार से बनाएं कि दोनों विभागों में तालमेल हो और लोगों को रोजगार मिल सके।

आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। आपने कहा कि पूरे देश में हमने मनरेगा से रोजगार देने की व्यवस्था की है। लेकिन एक-तिहाई नौकरी महिलाओं को देने के लिए आप सुनिश्चित कीजिए। इस योजना में एक-तिहाई महिलाओं को हम रोजगार दें। बहुत सी महिलाएं ऐसी हैं, जो बाहर नहीं जा सकतीं। विधवा हैं, जिनके घर पर कोई देखने वाला नहीं है। यह महत्वाकांक्षी योजना है, इसको अमलीजामा पहनाने के लिए जहां भी गड़बड़ी है, उसमें सुधार करने की आवश्यकता है। न्यूनतम वेतन गारंटी भी हो, खासकर उसको महंगाई से जोड़कर, आवश्यक वस्तुओं के खाद्यान्न में कितनी वृद्धि हो रही है, इसे देखा जाए। महंगाई बढ़ रही है, समय-समय पर इस सदन में आवाज उठ रही है, तो उस हिसाब से आपको मजदूरी को भी आगे घटाने-बढ़ाने की आवश्यकता है।

आज मैं ज्यादा कुछ न कह कर, क्योंकि मेरे ख्याल से मूलभूत सभी बातों पर यहां पर बड़े विस्तार से बातें कही गई हैं। इसको कारगर और अच्छे तरीके से लागू करने की आवश्यकता है। मैं चाहूंगा कि इसे आप गहराई से देखें। एक महत्त्वपूर्ण बात यह है कि इसमें शिकायतें आती हैं। सतर्कता निगरानी समिति की बैठक

में, क्षेत्र पंचायत समिति की बैठकों में हम लोग जाते हैं, जो ब्लॉक पर होती हैं। जिला पंचायतों की बैठकों में ब्लॉक प्रमुख खड़े होकर यह कहता है, गांव पंचायत को डायरेक्ट पैसा आता है, उसके खाते में आता है। लेकिन जो क्षेत्र पंचायत का, ब्लॉक का पैसा है, वह ब्लॉक्स में नहीं जा रहा है। जिला पंचायतों का जो पैसा मनरेगा से जाना चाहिए, वह नहीं जा पा रहा है। प्रस्ताव बनाकर ब्लॉक्स को भेजा जाता है, लेकिन उस पर पैसा नहीं मिल पा रहा है। यह बड़े पैमाने पर शिकायत है। मैं चाहूंगा कि तमाम राज्यों के नाम जो मैंने लिए हैं, उनकी आप निगरानी एवं जांच करा कर देखें कि बराबर से जो धनराशि आबंटित की गई है, क्षेत्र पंचायत, ग्राम पंचायत, जिला पंचायत को वह धनराशि जा रही है या नहीं? जो प्रस्ताव बनाकर भेजे जा रहे हैं, उसके अनुरूप धन निर्गत हो रहा है या नहीं? ये व्यवस्था आप सुनिश्चित करें तो मेरे ख्याल से यह रोजगार गारंटी योजना और सफल होगी।

उपाध्यक्ष महोदय, इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। हंसराज अहीर जी को मैं पुन: धन्यवाद देना चाहूंगा, जो अमेंडमेंट बिल यहां पर लाए हैं।

प्रो. सौगत राय (दमदम): सभापति महोदय, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लायमेंट गारंटी अमेंडमेंट बिल, 2010 जो हंसराज अहीर जी लाए हैं, मैं उसका समर्थन करता हूं और उनको बधाई देता हूं कि इस बिल के उद्देश्य बढ़ाने के लिए उन्होंने कोशिश की। मुझे यह भी अच्छा लगा कि यह बिल थोड़ा बाइपार्टिजन है, क्योंकि इस बिल को यूपीए की सरकार, कांग्रेस के लोग लाए थे। बीजेपी के लोग भी चाहते थे कि इस बिल को रखा जाए और इसका प्रसार किया जाए। मान लिया कि यह बिल का उद्देश्य अच्छा है। यह बाइपार्टिजनशिप मुल्क के लिए अच्छा है, अच्छा काम सब लोग मिल कर करें। कई माननीय सदस्यों के सुझाव आए कि इस काम को आगे बढ़ाया जाए। महाराष्ट्र में शायद सन 1972 से इंप्लायमेंट गारंटी स्कीम चालू थी, इसके साथ ही और भी कई प्रांतों में इंप्लायमेंट गारंटी स्कीम चालू की गई, क्योंकि जब किसान के पास काम नहीं रहता है तो उसे मदद करने के लिए हर प्रांत में यह कोशिश चलती रही है। समस्या थी राशि की, साधन की, तो केन्द्रीय सरकार के इस कानून को लाने के बाद राशि की समस्या हल हो गई। प्रांतों में जो अलग-अलग इंप्लायमेंट गारंटी स्कीम थीं, ये एक साथ हो गयीं। इस कानून को आठ साल हुए हैं। कानून कैसे चल रहा है, इसके बारे में लोगों में एक धारणा बनी है। उसी की बेसिस पर हंसराज गंगाराम अहीर जी यह संशोधन लाए हैं। उनका कहना है कि विधेयक के दायरे को बढ़ाया जाए। अभी जॉब कार्ड में एक परिवार के सभी एडल्ट सदस्यों के नाम रहते हैं। उनमें से कोई भी एक आदमी काम कर सकता है। उनका कहना है कि यह रिस्ट्रिक्शन क्यों रहे? एक परिवार में अगर पांच एडल्ट सदस्य हैं, उनमें से दो काम करें, तीन काम करें, तो उनको काम देना चाहिए।

दूसरी बात, वह चाहते हैं कि अभी सौ दिन के काम की बात कानून में है। वह कह रहे हैं कि सौ दिन क्यों? जितने वर्किंग डेज साल में होते हैं, साल में 52 रविवार होते हैं ...*(व्यवधान)* यह आहिस्ता-आहिस्ता होगा। 365 में से 52 दिन हटाइए, 313 दिन हो गए। वह कहते हैं कि ऑल वर्किंग डेज काम मिलना चाहिए। वह कहते हैं कि अगर कोई भी आदमी वर्किंग डे में काम करना चाहता है, तो उसे काम मिलना चाहिए। काम न मिले तो बिल में जो प्रावधान है कि उनको बेरोजगारी भत्ता या अनइंप्लायमेंट एलाउंस मिलना चाहिए।

मैं नीतिगत रूप से इसका समर्थन करता हूं, लेकिन इस पूरी स्कीम के बारे में दो-चार सवाल हैं। यह स्कीम पॉलिटिकली एक गेम चेंजर थी। इसने कांग्रेस को, यूपीए वन को बहुत लाभ पहुंचाया, क्योंकि एक स्कीम जो ग्रामीण क्षेत्रों में सब लोगों की जिंदगी पर एक असर रखती है, इससे कुछ सुधार भी हुआ है। यह एक अच्छी स्कीम है। मैं समझता हूं कि यह गरीबी विरोधी स्कीम है, इसका समर्थन होना चाहिए। इस स्कीम के चालू होने के आठ साल बाद हम क्या देखते हैं? मैं माननीय सदस्य से बात कर रहा था, मेघवाल जी बीकानेर के हैं, एक्सपीरियंस्ड आदमी हैं, अहीर जी महाराष्ट्र के हैं, चंद्रपुर जहां शेर निकलता है, एक्सपीरियंस्ड हैं, तो उनको क्या एक्सपीरियंस है? मैं भी अपने प्रांत पश्चिम बंगाल में देखता हूं कि सौ दिन का काम आप कह रहे हैं, कोई प्रांत ऐसा नहीं है जहां एवरेज सौ दिन का काम हुआ है। हमारे बंगाल में पहले सरकार थी, उस समय एवरेज 12 दिन का काम हुआ करता था। हमारी सरकार आने के बाद अभी 33 दिन का काम हो रहा है। हम आशा करते हैं कि इस साल के अंत तक पचास दिन काम हो। हमें यह सोचना है कि सरकार देने के लिए तैयार है, तब भी एवरेज सौ दिन का काम क्यों नहीं होता है? इस पर मंत्री जी की भावना या मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट की भावना पर यहां प्रकाश डालना चाहिए।

दूसरी बात, इस स्कीम में क्या हो रहा है? एक ग्रुप बनता है। ग्रुप को कहते हैं कि तुमको यह टास्क देते हैं कि इतने क्यूबिक फीट मिट्टी खोदना है, उठाना है, तो देखा जाता है कि कोई ग्रुप उसे पूरा नहीं कर पाता है। सौ क्यूबिक फीट अगर स्टैंडर्ड है, तो लोग चालीस-पचास क्यूबिक फीट पूरा करते हैं, तो उसका पैसा भी वैसे ही घट जाता है। और क्या होता है कि उसमें जो दादा किस्म का आदमी है वह जाकर कहता है कि अरे, हम काम नहीं करेंगे, हम ग्रुप में हैं, हमको भी भाग दे दो। कुछ लोग बिना काम किए हुए भी पैसा लेते हैं। ऑफिसर लोग ग्रामीण स्तर पर बहुत खुश होते हैं। एक गरीब आदमी को पैसा मिल गया, बिना

काम किए हुए ही वह खुश हो गया, बाकी ऑफिसर कागज पर कर दिया। इस पर जो मॉनिटरिंग होती है, ये मॉनिटरिंग अभी तक अच्छा नहीं है। इसमें कौन-कौन काम हो सकता है–रास्ता बनाना, तालाब खोदना, पेड़ लगाना, ये कुछ काम लिखे हुए हैं। मैं कहता हूं कि ये लिस्ट न बनाकर *[अनुवाद]*

यह ग्रामीण विकास से जुड़ा हुआ कुछ भी होना चाहिए। यह स्थानीय लोगों के लिए है।

[हिन्दी]

पंचायत पर छोड़ दीजिए कि क्या काम वे कराते हैं। कुछ साल पहले मैं ग्रामीण क्षेत्र से एमएलए था। वहां पर एक नदी पूरा वाटर हाईसिंथ से भरा हुआ था। हम चाहते थे कि मनरेगा से वह साफ कराया जाए लेकिन डीएम साहब ने बताया कि हमारे लिस्टर में वाटर हाईसिंथ घटाना नहीं है।

[अनुवाद]

यह एक निर्वाचन क्षेत्र की विशिष्ट समस्या हो सकती है।

[हिन्दी]

आप इस पर क्यों पाबंदी रखे हैं, मैं चाहता हूं कि काम का जो लिस्ट है यह और भी जनरलाइज फार्म में रखा जाए, स्पेसिफिक लिस्ट नहीं हो। पहले जो टारगेट था, हमारे पश्चिम बंगालमें सरकार आने के बाद हम ने टारगेट कम कर दिया। क्योंकि शायद 96 क्यूबिक फीट था, हम उसको घटाकर 69 या 70 क्यूबिक फीट किया। क्योंकि राजस्थान के लोग हट्टा-कट्टा होते हैं। बंगाल के लोग साइज में छोटे होते हैं। हमारे मैन्युअल काम में ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: आप तो पहलवान हैं।

प्रो. सौगत राय: सर, मैं अनटिपीकल हूं। ...*(व्यवधान)* बंगाल का जो किसान है, हम लोग थोड़े अंडर नैरिश्ड हैं, हाइट में भी कम हैं। ये जो उत्तर और उत्तर पश्चिम भारत के लोग हैं इनका तो एरियन बल्ड ज्यादा है। हम लोग तो डाविडयन और प्रोटो-आस्ट्रेलायटु के मिक्स हैं। हिन्दुस्तान में लोगों की बहुत सारी वेरायटी है। सभी जगह आप एक तरह का काम नहीं दे सकते हैं। जैसे, आप यहां खूंटी से हैं, हमारे यहां जो आदिवासी भाई हैं वह हट्टा-कट्टा हैं। वे स्पोर्ट्स में आगे हैं। उसके साथ हम लोग तो बराबरी नहीं कर सकेंगे। इसलिए हॉकी में वहां लड़का-लड़की सब अच्छा करते हैं। इसमें थोड़ा फलैक्सिबिलिटी होनी चाहिए। इसके बारे में स्कीम में थोड़ा फलेक्सिबिलिटी लानी चाहिए। यह मेरा ख्याल है।

सर, एक और चीज है। मनरेगा में एक सवाल होता है। मैं जिस क्षेत्र से चुन कर आया हूं, खासकर हमारा शहरी औद्योगिक क्षेत्र है। हमारे यहां काफी जूट मिल्स हैं। छोटे-छोटे कुछ गांव हैं। ये कम हैं। इंडस्ट्रियल एरिया ज्यादा है। चटकल के मजदूर बिहार और उत्तर प्रदेश के गांव से आते हैं। बंगाली लेबर चटकल का जो लेबेरियस काम है, नहीं कर पाते हैं। ट्रेडिशनली चटकल के 80 प्रतिशत मजदूर बिहार और यूपी के होते हैं। चटकल के मालिक-मैनेजर ने मुलाकात होने पर बोला कि मजदूर नहीं मिल रहा है। चटकल में वेज बढ़ाना चाहिए। क्योंकि मनरेगा के कारण कोई यहां आना नहीं चाहते हैं। यह देखना है कि मनरेगा लोगों को लेजी न कर दे। वे सोचते हैं कि अपने गांव में रह कर इतना मिल जाता है तो क्यों वह कोलकाता जाकर जूट मिल में हार्ड वर्क करेगा। दूसरी तरह से यह भी एक चिंता होतीहै। हमारी जो सोशियो इकोनॉमिक सिचुएशन है, मेरे ख्याल से मनरेगा में फ्रेश असैसमेंट करने की जरूरत है। यह देखना है कि हमारे गांव में इन्फ्रास्ट्रक्चर का काम करना बाकी है। पहले फूड फार वर्क था, उसके बाद सम्पूर्ण ग्राम समृद्धि योजना थी, फिर मनरेगा आया। इससे परमानेंट असैट बियर नहीं होता, बैलेंस होना चाहिए। अभी मेघवाल जी बता रहे थे कि 60 प्रतिशत वेज कॉस्ट, 40 प्रतिशत मेटीरियल कॉस्ट है। क्या हमने कोई असैसमेंट किया है कि मनरेगा से परमानेंट असैट कितना बना है या लोगों को ऐसे ही पैसे दिए गए। हमारा लक्ष्य है कि लोगों को काम दिया जाए, पैसा दिया जाए और गांव में कुछ परमानैंट असैट बनाए जाएं। इन तीनों के लिए मॉनीटरिंग की जरूरत है।

श्री जयराम नरेश से पहले जो मंत्री थे, श्री सी.पी. जोशी, उन्होंने हर जिले में डिस्ट्रिक्ट विजिलैंस एंड मॉनीटरिंग कमेटी बनाई। मैं जिस जिले से आता हूं, उसका नाम उत्तर 24 परगना है। वह बहुत बड़ा जिला है। वहां पांच एमपीज सीट हैं। मैं उस विजिलेंस एंड मॉनीटरिंग कमेटी का चेयरमैन हूं। लेकिन हमें जगह-जगह पर जाकर काम देखने का मौका नहीं मिलता। डीएम रिपोर्ट देता है और उसके बेसिस पर हम विचार करते हैं। हम मीटिंग बुलाते है। तो एमएलए या पंचायत समिति के सभापति आते हैं। हम मीटिंग इसलिए बुलाते हैं क्योंकि विजिलेंस एंड मॉनीटरिंग कमेटी की मीटिंग होने से रुपये रिलीज नहीं किए जाते। डीएम बोलते हैं कि रुपये ब्लॉक हो रखे हैं, इसलिए आप मीटिंग कर दीजिए। मैं जाता हूं। कुछ एमएलए आते हैं, कुछ नहीं आते। पंचायत समिति के सभापति आते हैं क्योंकि उनका डायरेक्ट इंटरस्ट है कि वहां काम हो। लोगों को काम मिले, वे इसके पीछे पड़े हुए हैं। हमें देखना है कि लोगों के काम करने के दिनों को कैसे बढ़ाया जाए। जैसे मैंने कहा, पहले हमारे बंगाल में 12 दिन का कार्य था, अब 33 दिन हुए हैं, हम 50 दिन करेंगे, लेकिन 70-80 दिन क्यों नहीं हो रहे हैं? अहीर जी का कहना है कि लोगों को और काम देना है, और

सारा साल देना है, यह अच्छा है। हमें असैस करना है कि अभी जो प्रोजेक्ट है, उसमें हम पूरे पैसे का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। पचास दिन के काम का मतलब आधा पैसा इस्तेमाल हुआ। पैसा रहते हुए भी पूरा काम नहीं हो रहा है। बिल के साथ जो फाइनेंशियल मेमोरंडम होता है, उन्होंने असैसमेंट किया है कि इससे 20 हजार करोड़ रुपये एक्सट्रा लगेंगे। मैं नहीं जानता कि उन्होंने किस बेसिस पर यह असैसमेंट किया, शायद अंदाज होगा। चिदम्बरम साहब ने अगले साल के बजट में मनरेगा के लिए एक पैसा नहीं बढ़ाया। 33 हजार करोड़ रुपये इस साल एलोकेट किए गए। मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा, किताब देखने से मिल जाएगा, कितना खर्च हुआ। ...*(व्यवधान)* चिदम्बरम साहब पहले बोलते थे कि आउटले नहीं अपितु आउटकम इंपोर्टेंट है। मतलब आप आंकड़ों में जितना दिखाते हैं कि इतना एलॉट किया, अगर खर्च नहीं हो तो क्या फायदा है। यह थियोरिटिकल रह जाता है। क्यों पूरा पैसा खर्च नहीं हो रहा? एक तरफ आप कहते हैं कि हम ग्रामीण गरीबी को दूर करने के लिए महात्मा गांधी के नाम से यह स्कीम लाये हैं। यह गेम चेंजर है। ये सब बातें करके, जैसे मेघवाल जी बता रहे थे कि इस स्कीम के साढ़े सात हजार करोड़ रुपये खर्च नहीं हुए। शायद इसलिए इस बार इसकी राशि नहीं बढ़ाई गई, लेकिन यह असेसमैंट हमें करना है। वैसे पैसे की कमी हर स्कीम के लिए रहती है। आप कह रहे हैं कि हम फूड सब्सिडी सब लोगों को देंगे। उसके लिए केवल दस हजार करोड़ रुपये हैं। उसके बारे में हम बजट में चर्चा करेंगे। दस हजार करोड़ रुपये एक्सट्रा देकर आप कहते हैं कि फूड सब्सिडी हो जायेगी। मैं इस प्रस्ताव का समर्थन इसलिए करता हूं क्योंकि

[अनुवाद]

सैद्धांतिक रूप में यह किसी व्यक्ति का लोकतांत्रिक अधिकार होना चाहिए जो सरकार से कार्य पाने के लिए वर्ष के किसी भी दिन कार्य करना चाहता हो।

[हिन्दी]

यह डेमोक्रेटिक राइट है। वह करे या न करे, दूसरी बात है।

मेघवाल जी बीकानेर से आते हैं। वह एरिया पूरा डेजर्ट है। वहां काम करना भी मुश्किल है, क्योंकि वहां बहुत जगह केवल सैंड ही सैंड है। पेड़ लगाना, कुंए खोदना, तालाब खोदना आदि छोड़कर और कोई काम ही नहीं है। वहां लोग बहुत मुश्किल में रहते हैं। हिन्दुस्तान का जो ह्यूज ह्यूमन रिसोर्स है, उसे कैसे इस्तेमाल करके गांव का चेहरा बदल सकते हैं, यह हमारा लक्ष्य होना चाहिए। केवल एक स्कीम ले आयें और वोट के लिए बोलें कि हमने इतना ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: अब आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

...*(व्यवधान)*

प्रो. सौगत राय: मैं समाप्त ही कर रहा हूं। सर, क्या आपके यहां मनरेगा अच्छा काम कर रहा है? ...*(व्यवधान)* वहां तो सारे ट्राइबल्स माओवादी बन गए है। जयराम जी झारखंड गए थे। वहां बहुत सारे लोग माओवादी हो गये। ...*(व्यवधान)* मैं प्रिंसिपली इस बिल का समर्थन करता हूं। मैं चाहता हूं कि यह डेमोक्रेटिक हो, लेकिन यह भी चाहता हूं कि आठ साल के बाद मनरेगा का प्रॉपर असेसमैंट हो कि इतना असेट क्रिएट हुआ है, खासकर कितने दिन लोगों ने काम किया है? हम क्यों पूरा खर्चा नहीं कर पाते हैं और कैसे इस स्कीम को अच्छा किया जाये? यह पोलिटिकल बातें, गेम चेंजर हैं, वोट लाता है। गांव के गरीबों के पास पहुंचने का रास्ता है। यह सब वोट का स्लोगन है। असल में मुल्क की कैसे भलाई होती है, यह देखना चाहिए।

श्री हंसराज गं. अहीर बहुत पिछड़े हुए इलाके चन्द्रपुर से आते हैं। उधर गढ़चिरौली में भी माओवादी लोग पहुंच गये हैं। गांव में बहुत गरीबी है। वे समझते हैं कि गरीबी की समस्या क्या है? महाराष्ट्र में दूसरी जगह अच्छा है, लेकिन विदर्भ का इलाका बहुत ही पिछड़ा हुआ है। अगर हिन्दुस्तान को बदलना चाहते हैं, तो कैसे हम इस कानून की मदद से नरेगा का यूनीवर्सलाइजेशन कर सकते हैं, यह हमें सोचना है।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं।

श्री हुक्मदेव नारायण यादव (मधुबनी): महोदय, किसानों के लिए संसद की जो स्थायी समिति है, उसने देश भर में दौरा किया। उस कमेटी के सभापति श्री बसुदेव आचार्य जी हैं। जब हम हिन्दुस्तान के आधे से ज्यादा राज्यों में दौरा किया तो सरकारी अधिकारियों के साथ साथ किसानों के संगठनों को भी हम साक्ष्य के तौर पर उसमें बुलाते हैं जिसमें एक विषय रहता है कि मनरेगा से किसान को लाभ हुआ या नुकसान। हमने हिन्दुस्तान के दस-बारह प्रांतों, जो देश के मुख्य रूप से बड़े-बड़े राज्य हैं, उनमें दौरा किया। सब जगह किसानों की एक ही राय थी कि मनरेगा के कारण किसान की हालत खराब हुई है और कृषि पर इसका सबसे बुरा प्रभाव पड़ा है, क्योंकि किसान को मजदूर नहीं मिलते। मैं किसान होने के नाते, किसानों की भावनाओं से अपने को जोड़ते हुए, कह सकता हूं कि मनरेगा में चाहे जितने भी सुधार किए जाएं, संशोधन किए जाएं, लेकिन मनरेगा का लाभ किसानों को तभी मिलेगा, जब इसको बंद करके इसका रूपांतरण ग्रामीण विकास के लिए किया जाए। इसकी राशि गांव के विकास के लिए खर्च की जाए। लेकिन, इसका रूपांतरण होना चाहिए। शिखर से लेकर सतह तक भ्रष्टाचार का एक तंत्र खड़ा किया जाए, मुख्य रूप

से इसके लिए मनरेगा बनाया गया था। जो समय आने पर भ्रष्टाचारियों का अंतर्प्रवाह के द्वारा मिलन हो जाए और भ्रष्टाचारियों का राज देश में सतह से शिखर तक बना रहे। गांव के किसान मरे या गांव उजड़े, इससे कोई मतलब नहीं। मैं भी गांव का हूं। हम और आप पहली बार सन 1967 में एम.एल.ए. बनकर आए थे। मैं सन 1959-60 में ग्राम पंचायत का प्रधान बना तथा दो कार्यकाल तक प्रधान रहा, ब्लॉक का प्रधान रहा और जिला परिषद् का भी अध्यक्ष रहा। मैंने देखा था कि सन 1962 तथा 1967 में अकाल पड़ा, उस समय श्री कर्पूरी ठाकुर उपमुख्यमंत्री थे। उस अकाल के समय में एक योजना बनी थी, जिसका नाम था—कठिन श्रम योजना (हार्ड मैनुअल लेबर स्कीम)। कठिन श्रम योजना को बाद में काम के बदले अनाज योजना से जोड़ दिया गया। उन्हें अनाज के रूप में पांच किलो गेहूं दिया जाता था, तो हम लोगों ने श्री कर्पूरी ठाकुर जी से आग्रह किया था कि जो पांच किलो गेहूं दिया जाता है, उसमें से ये एक किलो गेहूं को दाल और सब्जी खरीदने के लिए बेच देते हैं। इसके बाद उन्होंने पांच किलो गेहूं के साथ दो रुपए नकद भी मजदूरों को देने के लिए योजना में जोड़ा था। उसके साथ-साथ काम की ड्यूटी लगी हुई थी कि दस फीट बाई दस फीट, गहरा एक फीट, इतनी मिट्टी की खुदाई करेंगे, तो इसके बदले में उन्हें पांच किलो गेहूं औ दो रुपए नकद दिए जाएंगे। लोग मेहनत-मजदूरी करके, उतना काम करके दिखाते थे। उस समय मैंने अपने गांव में बाढ़ सुरक्षा तटबंध को बनाया था। वह बांध सन् 1967 का बनाया हुआ है। आज भी उसकी मजबूती बनी है। लोग इसकी जांच करके देखें, तो मालूम होगा कि वे बांध इतने मजबूत बने हुए हैं कि बाढ़ में भी ध्वस्त नहीं हुए। इसलिए मैं कहता हूं कि मनरेगा का रूपांतरण किया जाए। आज यह जिस रूप में है, उस रूप में इसका नाम है—किसान मरेगा, गांव उजड़ेगा, सामाजिक भ्रष्टाचार बढ़ेगा। ये तीन काम मनरेगा के द्वारा बहुत ज्यादा हुए हैं और किसानों का नाश हुआ है। इसलिए मुझे उन गरीबों के प्रति हमदर्दी है। मैं गरीब किसानों के लिए लड़ते रहा हूं, पसीना बहाते रहा हूं। जिस समय मैं समाजवादी आंदोलन में डॉ. लोहिया के नेतृत्व में जेल में बंद होता था, जेठ की दुपहरिया में जब दीवार और छत गर्मी से तपने लगते थे, चमड़ी झुलसने लगती थी, तो हम लोग आनन्द लेने के लिए उसमें बैठकर गाया करते थे—

"धूप-ताप में मेहनत करते, बच्चे तड़प-तड़प कर मरते,
फिर भी पेट नहीं है भरता, जीवन कटता रो-रो कर,
हम चलो बसाएं नया नगर, हम चलो बसाएं नया नगर।
जहां न होवे छोट-बड़ाई, गले मिलें सब भाई-भाई,
ऊंच-नीच का भेद न होवे, सुख का होवे डगर-डगर,
हम चलो बसाएं नया नगर।"

कहां गया वह नया नगर का सपना! हमने अपनी जवानी को उस जेल में सड़ाया, हड्डी गलाया, लेकिन खुशी है कि जो आंदोलन हमने किया, उससे संसद के स्वरूप में बदलाव आया। आज पिछड़े, दलित, शोषित, अनुसूचित जाति के समाज के लोगों को सीना तानकर बैठे देखता हूं, इस पर चलते देखता हूं, हमारी संसद की कालीन पर रानी और राजाओं के चप्पल फिसला करते थे, उस पर आज पिछड़े, अनुसूचित जाति और जनजाति के धूल-धूसरित चप्पल से जब इस कालीन की छाती को रगड़ता हूं, तो मैं कहता हूं, तब मैं उसे कहता हूं कि एक जमाना था, जब शादी में भी इस पर बैठने का मौका नहीं मिलता था। आज हिन्दुस्तान का इतना रूपांतरण हुआ है कि मैं अपनी जूती से तेरी छाती को रगड़ रहा हूं। यह परिवर्तन हिन्दुस्तान में हुआ है। आज मैं प्रार्थना करना चाहूंगा कि क्या आप इसका रूपांतरण कर सकते हैं? आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना गांव के लिए है, जिसे श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने चलाया। क्या प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में मिट्टी का काम नहीं होता? बिना मिट्टी के काम के सड़कें नहीं बन सकतीं। उसमें ईंट के खडंज लगते हैं। यहां ईंट भट्ठे में बनता है, जहां मजदूर को काम मिलता है। दो सौ-तीन सौ मजदूर ईंट के भट्ठे में काम करते हैं, वे भी ग्रामीण मजदूर होते हैं। उनको ईंट के भट्ठे पर काम करने से जितना पैसा मिलता है, उसका आधा पैसा भी उन्हें मनरेगा में नहीं मिलता। इसलिए मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि इस सारे पैसे को प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में डायवर्ट कीजिए, गांव-गांव की सड़कों को पक्की कीजिए, गांव की सड़कें पक्की हो जाएंगी, तो हमारा विकास होगा, किसान को यातायात का लाभ मिलेगा, उनकी फसल की उचित कीमत मिलेगी, बारह महीने वे शहर जा सकेंगे, अस्पताल जा सकेंगे, स्टेशन जा सकेंगे, हमारे गांव के बच्चों को रोजगार मिलेगा।

जिला योजना के तहत ग्रामीण सड़कों को, गली-गली में ईंट का खड़ंजा लगवाइए, पीपीसी की ढलाई कराइए जिससे गांवों में पानी न लगे, कीचड़ न हो। राजस्थान और अन्य रेगिस्तानी इलाकों में प्राकृतिक बनावट अलग है, लेकिन हम बिहार के, उत्तर बिहार के हैं, नदी के पेट में बसने वाले हैं, जून से लेकर नवम्बर तक, इन छः महीनों के लिए सरकार की तरफ से वहां लिखा हुआ होता है कि रेनी सीजन है, इस दौरान कोई अर्थवर्क नहीं चलेगा। छः महीने उसी में चले गए, बचे छः महीने, उन छः महीनों में काम चलेगा, तो उसमें धान की कटनी चली गई, गेहूं की खेती चली गई, तीन महीने इसमें चले गए। बचे केवल तीन महीने। तीन महीनों में क्या काम होगा। मिट्टी खोदो, बांध बनाओ, फिर उसी मिट्टी से गढ्ढे को भरो, फिर गढ्ढा खोदकर ऊंचा करो, फिर ऊंचे को गढ्ढा करो। इसके अलावा और कोई काम बचा नहीं है। मिट्टी कहां मिलेगी? मेरे यहां गांव में चलकर मिट्टी लाकर दिखाइए, जो लोग ट्रैक्टर के द्वारा मिट्टी की ढुलाई करते हैं, तो पांच से छः रुपए प्रति मन मिट्टी की कीमत हो रही है। कौन किसान अपने खेत में मिट्टी काटने देगा? किसान खेत में मिट्टी काटने नहीं देता है, तो फर्जी कागज भर दिए जाते हैं कि मिट्टी का

काम हो गया, अर्थवर्क हो गया। कहां हुआ अर्थवर्क? किसान खेत में मिट्टी काटने नहीं देता है, उसकी उर्वरा शक्ति नष्ट हो जाती है। अगर तालाब की खुदाई हो, तालाब की उड़ाही हो, आप भी ग्रामीण क्षेत्र से आए हैं, हम भी ग्रामीण क्षेत्र से आए हैं, भोला सिंह जी बैठे हैं, किसी भी तालाब की खुदाई बिना जेसीबी मशीन के कोई करा दे और भारत सरकार के योजना वाले अफसर उस जगह बैठें, वे जितना पैसा कहें, मैं अपने घर से देना चाहूंगा, बिना जेसीबी मशीन के मेरा एक एकड़ तालाब खुदवा दें। खुद नहीं सकता है क्योंकि आज उतनी दूर तक सिर पर मिट्टी ढोने वाला मजदूर नहीं मिलेगा। आज श्रम करने वाला मजदूर नहीं है, हल चलाने वाला मजदूर नहीं है, कुदाल चलाने वाला मजदूर नहीं है, कंधे पर धान का बीज उठाने वाला मजदूर नहीं है क्योंकि आज वह लड़का पढ़ा-लिखा है, मैट्रिक पास है, बीए पास है। किसान का बेटा पढ़-लिखकर भी कोई रोजगार न मिलने से खेत में मजदूर के रूप में काम करता है, लेकिन उसको इस योजना में आप लगाते हैं। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: आप मनरेगा के बारे में क्या सुझाव दे रहे हैं?

श्री हुक्मदेव नारायण यादव: महोदय, ग्रामीण सड़कों पर खड़ंजा लगाया जाए और पीपीसी कराया जाए। किसानों के लिए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना है, जिससे हरित क्रांति आ रही है और अन्न का अधिक उत्पादन हो रहा है। मनरेगा में से पैसा निकालकर इन तीन योजनाओं में पैसा डाल दीजिए, गांव का रूपांतरण होगा, किसान का रूपांतरण होगा, मजदूर को मजदूरी मिलेगी, देश में धन और अनाज की वृद्धि होगी, गांव का कायाकल्प हो जाएगा और गांव से भ्रष्टाचार मिट जाएगा।

अंतिम बात, जो पैसा पंचायतों को दिया गया है, वह पंचायत को दिया जाए, प्रखण्ड समिति को दिया जाए और जिला समिति को दिया जाए, तीनों जगह बांट दिया जाए। पंचायत स्तर की ग्रामीण योजना पंचायत समिति करे, एक प्रखण्ड से दूसरे प्रखण्ड को जोड़ने वाली सड़कों का कार्यान्वयन प्रखण्ड करे और एक प्रखण्ड से दूसरे प्रखण्ड, तीसरे प्रखण्ड जाने वाली लम्बी सड़कों का निर्माण जिला समिति के द्वारा कराया जाए, जो इस पैसे का सदुपयोग होगा। एक बात पर ध्यान दें। सभी माननीय सदस्य जी बोल रहे थे मैं उनकी भावनाओं का समर्थन करता हूं। अर्जुन मेघवाल जी ने बड़े प्रभावकारी ढंग से सुधार की बात की है। ग्रामीण क्षेत्र में वर्ष 1951 में गांव में बसने वाले लोगों की जनसंख्या 82.7 प्रशितात थी, वर्ष 2001 में 72.2 प्रतिशत हो गई, 10.5 प्रतिशत माइनस हो गए। इतने लोग गांव छोड़कर चले गए, लोग अपने आदमी को खोज रहे हैं। हम किसान हैं, हम खोजते हैं कि हमारे 10.5 प्रतिशत आदमी गांव से कहां चले गए, कहां विलीन हो गए। वर्ष 1951 में किसान थे 71.9 प्रतिशत, जो वर्ष 2001 में घटकर 54.6 प्रतिशत हो गए, 17.5 प्रतिशत माइनस हो गए। खेतिहर मजदूर वर्ष 1951 में 28.1 प्रतिशत थे, जो वर्ष 2001 में 45.6 प्रतिशत हो गए, 17. 5 प्रतिशत प्लस हो गए। क्या यह भयावह स्थिति नहीं है? अगर उस गांव का सुधार करना चाहते हैं, तो इस पर ध्यान दीजिए। आप देखें कि साढ़े 17 प्रतिशत किसान कम हो गए और साढ़े 17 प्रतिशत खेतीहर मजदूर बढ़ गए। इस व्यवस्था ने गांवों के अंदर ऐसी योजनाएं चलाई हैं जिसकी वजह से किसान निरंतर निर्धन होकर, शोषित होकर और गरीबी में डूबता तथा टूटता चला जा रहा है। सबसे ज्यादा पिछड़ा वर्ग मर रहा है, जो खेती पर निर्भर है, जो दलित, अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग हैं। इसलिए मेरी सदन से विनम्र प्रार्थना है कि इस योजना पर पुनर्विचार किया जाए। इस लूट-खसोट की योजना को बंद किया जाए और किसानोन्मुखी तथा ग्रामोन्मुखी योजना बनाई जाए। उस पर संसद में बहस कराई जाए। विशेषज्ञों के साथ-साथ गांवों के गरीब के प्रतिनधियों को बुलाया जाए और उनके साथ बहस करके योजना बनाई जाए। सफेदपोश लोगों द्वारा, योजना आयोग में बैठे तथाकथित बुद्धिजीवियों द्वारा योजना न बनाई जाए। जिन्होंने न गांव देखा, न किसान देखा, न खेत देखा, न खलिहान देखा, न आरी देखी, न मेढ़ देखी, न सावन-भादो का कीचड़ देखा, न ज्वार देखा, न बाजरा देखा, न धान देखा, न गेहूं देखा। उनके द्वारा आप योजना बनाते हो और हमारे सिर पर उसे लादते हो। इसलिए इस योजना को बंद करो और ग्रामोन्मुखी, किसानोन्मुखी योजना का निर्माण करो, यही मेरी विनम्र प्रार्थना है।

[अनुवाद]

श्री एस. सेम्मलई (सलेम): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे यह मौका देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

माननीय सदस्य श्री हंसराज गं. अहीर द्वारा लाये गए इस विधेयक का मैं सैद्धांतिक रूप से स्वागत करता हूं क्योंकि इस विधेयक में ग्रामीण अर्थव्यवस्था बढ़ाये जाने का उपबंध है। मौजूदा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम को निःसंदेह नई दिशा प्रदान किये जाने की आवश्यकता है क्योंकि यह पूरी तरह से ग्रामीण लोगों की आवश्यकताओं का समाधान नहीं कर पा रहा है। इस अधिनियम के अधीन कार्यक्रम के कार्यान्वयन में कई कमियां हैं। कई अनियमितताएं जैसे विलंब से भुगतान, कम मजदूरी देना, रिकार्ड से छेड़खानी, इत्यादि कई राज्यों में सामने आ रही हैं। मस्टर रोल्स तैयार किये जा रहे हैं और रिकार्ड में गलत किये जारहे हैं जैसे कार्य अब किया गया था जब वास्तविक कार्य कार्यान्वित नहीं किया गया था।

महोदय, कोई भी ठोस परिसंपत्ति नहीं बनाई गई है और जिसे बनाया गया था वह टिकाऊ नहीं है। माननीय मंत्री महोदय ने दिये

गए उत्तर में वैसे तो बताया है कि राज्य और जिला स्तर पर सतर्कता निगरानी समितियों को योजनाओं की निगरानी करने की जिम्मेदारी दी गई है, परन्तु जिला स्तर के प्राधिकारियों द्वारा करायी गई स्थानीय लेखा प्रभावी नहीं है क्योंकि वे कार्यान्वयन करने वाली अभिकरणों के साथ सांठ-गांठ कर लेते हैं। इसलिए मेरातो यह प्रबल मानना है कि व्यवस्था में कमियों को दूर किया जाये।

साथ ही, मैं तमिलनाडु के कार्यक्रम पर संदेह नहीं कर रहा हूं। राज्य प्रशासन प्रभावशाली ढंग से कार्यक्रम को लागू कर रहा है। एक राष्ट्रीय दैनिक, द हिन्दू ने, हाल ही में तमिलनाडु सरकार द्वारा प्रभावशाली तरीके से कार्यक्रम को लागू किया जाना दर्शाया है। इसका श्रेय निश्चित रूप से, तमिलनाडु की माननीय मुख्यमंत्री महोदया डॉ. पुराचीभलवी जे. जयललिता को जाता है। वास्तव में तमिलनाडु की माननीय मुख्यमंत्री महोदया चाहती हैं कि केंद्रीय अथवा राज्य के किसी भी कार्यक्रम का जिसका उद्देश्य लाभ पहुंचाना है, उसे लाभार्थियों तक पहुंचाना सुनिश्चित किया जाये। हाल ही में, तमिलनाडु की माननीय मुख्यमंत्री महोदया ने दैनिक मजदूरी को 100 रु. से बढ़ाकर 132 रु. कर दिया है और एक वर्ष में कार्य दिवसों को 100 से बढ़ाकर 150 दिन कर दिया है। यह उपाय तमिलनाडु के डेल्टा क्षेत्रों में मजदूरों की तकलीफों को कम करना है। कर्नाटक के द्वारा पानी नहीं छोड़े जाने के कारण आये सूखे से आय अर्जित करने की क्षमता कम हो गई थी।

अब विधेयक पर आते हुए मैं कहना चाहता हूं कि विधेयक के प्रावधानों पर मुझे कुछ आपत्ति है। सार्वजनिक अवकाशों को छोड़कर, सभी कार्य दिवसों पर नौकरियां मुहैया कराने के प्रावधानों को ग्रामीण परिवेश से जोड़ने का कोई महत्त्व नहीं है। सार्वजनिक अवकाशों का कार्य के लागू करने से कोई संबंध नहीं है। हकीकत तो यह है कि मजदूरोंको श्रम कानून के वर्तमान प्रावधानों के अनुसार कार्य करना पड़ता है। साप्ताहिक अवकाश और त्योहारों के दिन कार्य नहीं करना कार्य संबंधी मापदंड है। वास्तव में, वित्तीय संसाधनों को ध्यान में रखते हुए, कोई भी सरकार अवकाश दिवसों को छोड़कर सभी कार्य दिवसों पर रोजगार मुहैया नहीं करा पाती है। मजदूरों से सभी कार्य दिवसों पर कार्य करने की अपेक्षा करना अगर असंभव नहीं है, तब भी अत्यंत कठिन है।

दूसरा मुद्दा, जिस पर मैं माननीय संसद सदस्य से सहमत नहीं हू, वह ग्रामीण क्षेत्रों में सभी वयस्कों को रोजगार मुहैया कराने से संबंधित है। जैसा मैंने पहले कहा कि हमारे संसाधन सीमित हैं और इन्हें बढ़ाया नहीं जा सकता है।

इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह एक मुख्य कार्यक्रम है और मुझे इस कार्यक्रम की प्रशंसा करने में कोई झिझक नहीं है, परंतु कुछ मामलों का निबटारा करना आवश्यक है। पहले ये तीव्र शहरीकरण और ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में पलायन के कारण कृषि भूमि पर कार्य करने के लिए मजदूरों को लाना मुश्किल कार्य प्रतीत हो रहा है। कृषि कार्यों के मौसम के दौरान, मजदूरों का सुदूर क्षेत्रों से लाना पड़ता है। इससे कृषि कार्यों के लागत में बढ़ोतरी होती है। मजदूर जो कि एक महत्त्वपूर्ण आदान है वह दुर्लभ हो जाता है। इसलिए, इस अधिनियम के अंतर्गत, कार्यक्रम के कार्यान्वयन का सबसे अच्छा तरीका और मजदूरों की कमी को दूर करना, कार्यक्रम को वर्तमान प्रणाली से परिवर्तन कर सरकारी निजी भागीदारी में करना है। संशोधित प्रक्रिया के अनुसार, कृषि मजदूरों को मौसम के अनुसार मजदूरी पर रखा जा सकता है और किसी भूमि पर कार्य करने की अनुमति दी जा सकती है। छोटे और सीमांत किसान कार्यक्रम के अंतर्गत जरूरत के अनुसार मजदूरों को मजदूरी पर रख सकते हैं और उनके लिए दायित्व केवल यह है कि खेतों में कार्य पर लगाये हरेक मजदूरों को दैनिक मजदूरी का 25 प्रतिशत भुगतान करें। कार्यक्रम के अंतर्गत शेष 75 प्रतिशत मजदूरी सरकार द्वारा भुगतान की जाएगी।

इसी प्रकार, बड़े किसान अपने खेतों पर कार्य के लिए जरूरत के अनुसार मजदूरों को मजदूरी पर रख सकते हैं और अपने खेतों पर कार्य में लगे मजदूरों को मजदूरी का 50 प्रतिशत भुगतान करना होगा और शेष 50 प्रतिशत भुगतान सरकार द्वारा किया जाएगा।

मैंने पहले ही अपने द्वारा कही गई बातों के तर्क पर एक प्रारूप विधेयक का प्रस्ताव रखा है जिसमें मनरेगा में संशोधन का प्रस्ताव है।

इस पद्धति को अपनाने से, हम दो उद्देश्यों की प्राप्ति कर सकते हैं। पहला यह है कि भूमि मालिकों को कृषि कार्यों के लिए आवश्यक कामगार मिलेंगे और वे अपनी क्षमता के अनुसार या तो 25 प्रतिशत या 50 प्रतिशत मजदूरी भुगतान करेंगे। दूसरा यह है कि सरकार द्वारा दी जाने वाली मजदूरी भुगतान बिल भी काफी हद तक कम हो जाएगा और साथ ही यह भी सुनिश्चित करेगा कि जरूरतमंदों और वयस्क इच्छुक कामगारों को कार्य दिया जाये। निश्चित तौर पर, किसी खेत पर कार्य करने के लिए मजदूरों की संख्या का पता लगाने जैसे कारकों पर विचार किया जा सकता है। मुझे लगता है कि इस वैकल्पिक नीति का सबसे बड़ा लाभ जो प्राप्त हुआ है, वह कृषि उत्पादकता में बढ़ोतरी है। यह ग्रामीण अर्थव्यवस्था और देश के स.प.उ. के लिए सबसे बड़ा प्रोत्साहन होगा।

मैं आशा करता हूं कि यह सरकार मेरे सुझावों पर गंभीरतापूर्वक विचार करेगी और इसे जरूरत के अनुसार तेजी से कार्यान्वित करेगी।

[हिन्दी]

श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण (साबरकांठा): महोदय, हमारे सम्मानीय सांसद श्री हंसराज जी जो प्रस्ताव लाए हैं कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण नियोजन गारंटी अधिनियम 2005 में संशोधन किया जाए, उसका मैं समर्थन करता हूं। वे जो संशोधन लाए हैं, वे बहुत जरूरी है कि केवल सौ दिन ही रोजगार क्यों हो। गांवों में 265 दिन रोजगारी की नहीं मिलती है, इसलिए रोजगारी के दिनों में बढ़ोतरी करनी चाहिए। परिवार में सिर्फ एक व्यक्ति को ही नहीं बल्कि परिवार के अन्य सदस्यों को भी रोजगार देना चाहिए। मिट्टी और सीमेंट के रेश्यो में परिवर्तन करके चालीस मिट्टी का और साठ सीमेंट का करना चाहिए। मनरेगा का उद्देश्य बहुत अच्छा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में अकुशल लोगों के परिवारों को सौ दिन का शारीरिक कार्य का रोजगार उपलब्ध कराना है। यह बहुत अच्छी बात है, लेकिन दिखाई कुछ और ही देता है। मनरेगा आज भ्रष्टाचार का पर्याय बन गया है। अधिकारियों, पदाधिकारियों तथा दलालों की मिलीभगत से मनरेगा में करोड़ों रुपयों के घोटाले का भ्रष्टाचार हो रहा है। हम जब क्षेत्र का दौरा करते हैं तो हम देखते हैं कि हजारों महिलाएं गर्मियों के दिनों में तालाब खोदती हैं। अपने सिर पर मिट्टी की टोकरी उठा कर तालाब की ढलान चढ़ रही हैं और पसीने से तर-बतर हांफती हुई कुपोषित महिलाओं को देखकर दया आ जाती है। आज हम यहां महिला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मना रहे हैं, लेकिन वहां महिलाओं की बहुत दयनीय स्थिति है। जिन महिलाओं के शरीर में खून नहीं है, ऐसी महिलाएं वहां काम करती हैं। हम उस गर्मी में खड़ा भी नहीं रह सकते, लेकिन उन्हें काम करने पर मजबूर होना पड़ रहा है। जब वेतन की बात आती है, तो उन्हें पर्याप्त वेतन नहीं दिया जाता है। हम पूछते हैं कि आपको कितना वेतन मिलता है तो वे कहती हैं कि पचास या साठ रुपया मिल रहा है। यह बहुत अन्याय है। यह गरीबों का शोषण हो रहा है।

हमारे साथी जो संशोधन लेकर आए हैं, उसके अनुसार वेतन में बढ़ोतरी करनी चाहिए। अभी हुक्मदेव जी ने कहा कि तालाब खोदना कोई आसान काम नहीं है। बड़ी मशीनों के बिना तो तालाब खोदा ही नहीं जा सकता है। महिलाओं के हाथों में छाले पड़ जाते हैं, वह कैसे काम करेगी? महिलाओं को अच्छा वेतन मिले, अच्छी खुराक मिले इस बात को भी हमें देखना चाहिए। महिलाएं अपना खून पसीना बहाकर जो काम करती हैं, मिट्टी की सड़क या तालाब का वह काम एक-दो बारिश में खत्म हो जाती है। बारिश होती है तो मिट्टी की सड़क खत्म हो जाती है। कुछ कंक्रीट कम होना चाहिए। इसके लिए टिकाऊ राष्ट्रीय सम्पत्ति का निर्माण होना चाहिए, जिससे देश को भी लाभ मिले।

चाइना ने वैज्ञानिक संशोधनों द्वारा लोगों को काम देने की कोशिश की है। 65 सालों से हम गड्ढे खोदते आए हैं, उसमें परिवर्तन लाकर जैसे चाइना ने किया है, उसी वैज्ञानिक ढंग से छोटे उपकरण जैसे वे अपने घरों में बनाते हैं, वैसे कुछ काम करने चाहिए। हम क्यों न अम्बर चरखे का प्रयोग करें। अम्बर चरखा पहले बहुत अच्छी रोजी देता था, आज वह देखने को भी नहीं मिल रहा है। महिलाएं घर बैठकर भी काम कर सकती हैं। जरूरी नहीं है कि वे गर्मी में मिट्टी का काम करें। अम्बर चरखे का काम करके महिलाओं को उनके घरों में रोजी मिले, ऐसा कुछ होना चाहिए। मनरेगा का साइड इफेक्ट कृषि पर भी पड़ रहा है। कृषि में जितनी जल्दी पहले मजदूर मिलते थे, आज वे मजदूर समय पर और पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल रहे हैं। मेरा एक सुझाव है कि मनरेगा को कृषि के साथ जोड़ा जाए। जब मजदूर खेत में काम करेगा तो आधा पैसा सरकार देगी और आधा पैसा किसान देगा, तो उससे मजदूर को ज्यादा पैसा मिलेगा और कृषि का काम ज्यादा होगा तथा फसल भी अच्छी होगी। मैंने शून्यकाल में एक प्रश्न रखा था कि जो जंगली जानवर हैं, जैसे नीलगाय वगैरह हैं जो फसल को नष्ट कर देते हैं जो रात को बड़े झुंड बनाकर खेतों में आकर फसल नष्ट कर देते हैं। तब हमारे वन और पर्यावरण मंत्री जी ने हमें जवाब दिया था कि हम मनरेगा के माध्यम से चौकीदार रखकर फसल की रक्षा करेंगे। लेकिन आज तक कुछ नहीं किया गया है।

मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि यह जो फसल नष्ट हो रही है और किसान खेती करना छोड़ रहे हैं क्योंकि तैयार फसल खेतों में है ओर किसान अगर रात में घंटा-दो घंटा खेतों में न जाएं तो पूरी फसल ही नष्ट हो जाती है। हमारे क्षेत्र में स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि लोग अपना खेत छोड़कर शहरों में मजदूरी करने के लिए जा रहे हैं। मनरेगा के माध्यम से जो लोग कृषि की चौकीदारी करने में लगे हुए हैं, उनको भी उसमें शामिल किया जाए और मनरेगा में जो भ्रष्टाचार हो रहा है, उस पर रोक लगाई जाए और मजदूरों को अच्छी मजदूरी मिले। वही मेरा कहना है।

डॉ. भोला सिंह (नवादा): उपाध्यक्ष महोदय, श्री हंसराज अहीर जी ने जो मनरेगा पर संशोधन रखने का प्रस्ताव रखा है, मैं उसके समर्थन में खड़ा हुआ हूं।

"अश्कों ने जो पाया है, गीतों में वह दिया है,
फिर भी सुना है दुनिया को मुझसे कुछ गिला है।
जो तार से निकली है धुन, वह सबने सुनी है,
पर जो शाक पर गुजरी है, वह किस दिल को पता है।
हम औरों के लिए हैं फूल, लाए हैं खुशबू,
पर अपने को सिर्फ एक दाग मिला है।"

काफी मंथन करने के बाद, काफी चिंतन करने के बाद मनरेगा के रूप में एक अमृत कलश गांव के जीवन में उपस्थित हुआ। लेकिन इस अमृत कलश को जिसका उद्देश्य था कि ग्रामीण जीवन की जो आबादी है, काम के अभाव में जो बेकार पड़े हैं जिनकी गरीबी बढ़ती जा रही है, काम का अभाव है, इसलिए कम से कम सौ दिनों का रोजगार उनको प्राप्त हो। योजना अच्छी थी, विचार अच्छा था, नीति भी ठीक थी, नीयत को भी मैं खोटा नहीं कह सकता हूं परंतु जो योजना जमीन पर उतरी है, वह अपराध बोध से ग्रसित है।

मैंने प्रेमचंद के 'गोदान' को पढ़ा है। उस गोदान में एक बुधिया गर्भवती है। डिलीवरी होने वाली है। वह चिल्ला रही है और उसका पति और उसका बेटा घूरा में आलू पका रहा है। गुरुवा उसका बाप नहीं जा रहा है कि अगर हम बुधिया को संभालने के लिए जाएंगे तो बेटा आलू खा जाएगा और बेटा अपनी मां को बचाने के लिए नहीं जा रहा है कि अगर हम जाएंगे तो हमारा बाप आलू खा जाएगा।

अपराह्न 5.00 बजे

मैं जिस रास्ते से जाता हूं और देखता हूं कि नेशनल हाइवे के किनारे कचरे में कुत्ते भी जिंदगी की तलाश में हैं, गाय भी जिंदगी की तलाश में है, छोटे-छोटे नन्हें बच्चे भी जीवन की तलाश में हैं। कुत्ते रोटी के टुकड़े को खींचते हैं और वहीं इंसान का बच्चा कुत्ते के मुंह से रोटी का टुकड़ा खींचता है। आज यह दयनीय स्थिति है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं नहीं जानता कि आंध्र प्रदेश की क्या हालत है। मैं नहीं जानता कि कर्नाटक किस स्थिति में है। मुझे नहीं मालूम कि राजस्थान की स्थिति क्या है। मैं नहीं जानता कि पश्चिम बंगाल की स्थिति क्या है। मैं बिहार से आता हूं इसलिए मैं कह सकता हूं कि मनरेगा जीवित नहीं है, मर गया है। सच पूछिए जो मैं आज यहां श्रद्धांजलि देने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं इस बात को इसलिए कहना चाहता हूं कि मैं नवादा लोकसभा क्षेत्र से आता हूं। मैं वहां अनुश्रमण निगरानी समिति का चेयरमैन हूं। कलक्टर उसके सचिव हैं, मैंने उस बैठक में पूछा—हमें बताइए कितने सैंकड़ों रुपये मनरेगा पर खर्च हुए हैं? योजनाएं कितनी हैं? उन योजनाओं का नाम दीजिए, हम उनकी जांच करेंगे। तीन-तीन कलक्टर बदल गए लेकिन आज तक योजनाओं की सूची सामने नहीं आई है। जब मैं कहता था तब कलक्टर जवाब देता था कि अगली बैठक में जवाब दे देंगे। जब वह बैठक होती थी तब कहा जाता था कि आधा तैयार हुआ है और आधा तैयार कर रहे हैं, दूसरी बैठक में दे देंगे। जब तीसरी बैठक में पूछते थे तब कहा जाता था कि बस, आपके सामने प्रस्तुत ही होने वाला है। लेकिन वह कभी प्रस्तुत नहीं हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय, आज खेती बर्बाद हो रही है। मजदूरों की कई पीढ़ियां बुढ़ापे का शिकार हो चुकी हैं। नई पीढ़ी जिसकी उम्र 18, 20, 22 वर्ष है, उनके पास सर्टिफिकेट हैं, बीए के हैं, एमए के हैं, वे मिट्टी का काम नहीं करना चाहते हैं। किसानों के बेटे भी खेत को नहीं पहचानते हैं। मजदूरों के बेटे भी खेत पर नहीं जाते हैं। बूढ़ा आदमी खेत में काम कर रहा है। मैं बहुत जिम्मेदारी कहना चाहता हूं कि प्रत्येक पंचायत में गिरोह की स्थापना हो गई है। ऐसा गिरोह जो पदाधिकारियों से मिलकर बैठा है। पढ़े-लिखे लड़कों का जॉब कार्ड में नाम देकर पैसा लिया जाता है। वे लड़के कहीं भी नौकरी करते हों उन्हें 20, 25, 30, 40 रुपए दे दिए जाते हैं लेकिन काम नहीं हो रहा है। यह विडंबना नहीं है तो और क्या है? मैं इस बात को इसलिए कहना चाहता हूं कि डेमोक्रेसी में जनता ईश्वर है, परमेश्वर है। जब डेमोक्रेसी में जनता वोट बैंक बन जाती है, कमोडिटीज बन जाती है, बाजार की वस्तु बन जाती है, बाजार की वस्तु की तरह खरीद और बिक्री होने लगती है तो समाज में कोई भी योजना अच्छी हो, नीयत अच्छी हो, फलवती हो, दृष्टिकोण ठीक हो लेकिन वह कार्यान्वित नहीं हो पाती है।

उपाध्यक्ष महोदय, ग्रामीण जीवन में हमने गांवों को देखा है, वे वीरान हैं। मजदूर भी नहीं हैं, वे बाहर पलायन कर गये हैं। उनकी बहुएं, बेटियां, पत्नियां वहां हैं, लेकिन उनके पति बाहर हैं। इस स्थिति में देखा जाए तो मजदूरी कम है, उसे बढ़ाया जाए। अब तो मजदूरों की मजदूरी 150, 200 और 250 रुपए हो गई है। हरियाणा में मजदूरों की मजदूरी 250 रुपये हो गई है। लेकिन असैट्स क्या क्रिएट हो रही है। हमने मजदूरों की मजदूरी तो बढ़ाई, उन्हें अधिकार भी दिया, लेकिन उन्हें कितना काम करना है, घंटे तय किये हैं, कितना उत्पादन करना है, कितना असैट्स क्रिएट करना है, यह शून्य नतीजा है। आज गांवों में कौवे भी नहीं रहते। कौवे भी शहर चले गये हैं। इंसान शहर चले गये, लोग शहर चले गये, कौवे भी शहर चले गये और वे रात को कांव-कांव करते हैं। गांवों में अब कौवे भी नहीं रहते। क्योंकि उन्हें वहां आहार भी नहीं मिलता है।

उपाध्यक्ष महोदय: आपका क्या सुझाव है?

डॉ. भोला सिंह: उपाध्यक्ष महोदय, मेरे पास सुझाव है। आप तो उसी मिट्टी की काया से आए हैं। आपने उसी पीड़ा को भोगा है। सुझाव यही है कि मनरेगा को आपने क्या बनाया है, लोग आयेंगे, दरख्वास्त देंगे कि हमें काम चाहिए तो 15 दिन में हम काम देंगे और नहीं देंगे तो 15 दिन का बेकारी का भत्ता देंगे। शायद ही किसी भकुआ को बेकारी का भत्ता मिला हो। वह 15

दिन में दरख्वास्त देगा, मजदूरों को आपने देखा है, जिसके बदन पर कपड़े नहीं हैं, फटे-चीथड़े कपड़े हैं, वे पदाधिकारी के यहां दरखास्त देंगे। दरखास्त लिखवाने में भी उसे पैसा देना पड़ता है, दरखास्त को स्वीकृत कराने में भी उसे पैसा देना पड़ता है। आपने मुखिया पर विश्वास नहीं किया। मैं यह नहीं कहता हूं कि आपने विश्वास क्यों नहीं किया। आपने पोस्ट ऑफिस बैंक को जिम्मेदारी दे दी। क्या वे हंस हैं, क्या बैंक के लोग धर्मराज हैं, क्या पोस्ट ऑफिस के लोग नक्षत्र लोक से आये हैं, क्या वे ईमानदारी के प्रतीक हैं? क्या तमाशा है, समस्या का समाधान करने के बदले आप समस्या से भागते रहे हैं, समस्या को छोड़ते रहे हैं। इसलिए यह मनरेगा जिसका परीक्षण हम कर रहे हैं और जिसके बारे में पीड़ा से कह रहे हैं, तू बड़ा अच्छा था, तू बड़ा सुंदर था, तू गांव की गरीबी को दूर करने के लिए आया था। तुझे लोगों ने मार दिया, लोभ ने मार दिया, भ्रष्टाचार ने मार दिया। मैं तुझे श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। यह आज जो मैं सदन में कह रहा हूं, बड़ी पीड़ा से कह रहा हूं। इसके सुधार के उपाय हैं और सुधार के उपाय ये हैं कि मनरेगा को राज्य की केन्द्र की योजनाओं के साथ जोड़ना होगा। जो मिट्टी के काम हैं, उन कामों के साथ, जैसे प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क सम्पर्क योजना है, जैसे जल संसाध न विभाग की योजनाएं हैं, इनके साथ आपको इसे जोड़ना होगा और कितने पैसे खर्च होंगे, कितना काम होगा, इसकी गारंटी करनी पड़ेगी। जब तक यह नहीं होगा, तब तक हम इस बात की गारंटी नहीं कर सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, महात्मा गांधी ने कहा था कि जब तुम किसी योजना को तैयार करो तो उस आदमी का ख्याल करो, उस आदमी की चिंता करो, उसका चिंतन करो, जिसका पेट पीठ से सटा हुआ है। जिसके बदन पर कपड़े फटे-चिटे हुए हैं। देखो कि तुम्हारी इस योजना में उसके आंसुओं को पोंछने के उपाय हैं या नहीं। देखो कि तुम्हारी उस योजना में उसके लिए कुछ राशि है या नहीं है। अगर नहीं है तो तुम इस पर विचार करो।

उपाध्यक्ष महोदय, आपकी घंटी हमारे मन के अंदर चेतना पैदा करती है। मैं जानता हूं कि आपको यह बात अच्छी नहीं लगती है। लेकिन मैं एक बात कह कर अपनी बात को समाप्त करना चाहता हूं। मैं यह कहना चाहता हूं कि आज हम आपके सामने इस बात को रख रहे हैं कि एक नया वर्ग पैदा हो रहा है। एक नया मध्यम वर्ग पैदा हो रहा है। नया मध्यम वर्ग, जिसके पास पैसे हैं, वह पुराने मध्यम वर्ग को पीछे धकेल रहा है। जो मध्यम वर्ग है, उसके अंदर मजदूर भी है और मालिक भी है। वह कुछ काम अपने हाथ से करता है और कुछ काम वह मजदूरों से करवाता है। उसमें मालिक और मजदूर दोनों का समन्वय है। आपने उस किसान के मजदूर और किसान का जो मालिक है, उसके बारे में कोई ख्याल नहीं किया है। अगर आपने मनरेगा को किसानों की खेती के साथ, मनरेगा को किसानों की कृषि के साथ, मनरेगा को ग्रामीण जीवन के साथ नहीं जोड़ा तो मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं कि आज ग्रामीण जीवन में और समाज के जीवन में जो बलात्कार हो रहे हैं वे नहीं रुकेंगे। आज शराब की बोतलें जगह-जगह दिखाई पड़ती हैं। ग्रामीण जीवन में 80 प्रतिशत लोग शराब के नशे में चूर हो रहे हैं। संपूर्ण ग्रामीण जीवन शराब के नशे में मस्त हो गया है। ये नाजायज पैसे, अकारण पैसे हमारे सामाजिक जीवन को ध्वस्त कर रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मनरेगा के संबंध में मैं आपके द्वारा केंद्र सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि तमाम राजनैतिक पार्टियों के नेताओं को बुला कर इसके संबंध में समीक्षा करें। समीक्षा के बाद, इसका जो तत्त्व उपस्थित हो, उसके आधार पर उसको पुनर्जीवित करें, नहीं तो मनरेगा मर चुका है। हम सभी उसके लिए पैसा बढ़ाते जाएं और उसको देखने वाला कोई नहीं है। क्या गरीबी समाप्त हो गई कि पैसे खर्च नहीं हो रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात को समाप्त करते हुए आपके माध्यम से इस बात का आग्रह करना चाहता हूं कि मनरेगा को सामाजिक जीवन के साथ, ग्रामीण जीवन के साथ और किसानों के साथ जोड़कर और भारत की जो ग्रामीण पद्धति है, भारत का जो ग्रामीण जीवन है, उसके साथ इसको लगाकर इसे पुनर्जीवित किया जाए ताकि यह अमृत का कलश सभी के हित में हो, सभी की जिंदगियों में सुधार लाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यगण, इस विधेयक पर तीन और सदस्यों को अपनी बात कहनी है। अगर यह सभा सहमत होती है, तो मैं इस विधेयक के लिए आधा घंटा समय बढ़ा सकता हूं।

कई माननीय सदस्य: जी हां।

उपाध्यक्ष महोदय: इस विधेयक के लिए मैं आधा घंटा समय बढ़ाता हूं।

श्री रमेन डेका।

श्री रमेन डेका (मंगलदोई): उपाध्यक्ष महोदय, मैं यहां पर अहीर जी के विधेयक का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। एमजीएनआरईजीए में व्यापक संशोधन किए जाने की आवश्यकता है और इसमें संशोधन की गुंजाइश भी बहुत है। मेरे सम्मानीय सहयोगी प्रो. सौगत राय ने कहा था कि यह दिशा बदलने वाला विधेयक है। मैं सरकार से अपील करता हूं कि इसे गरीबों की

आजीविका का तरीका बदलने दीजिए। परन्तु चुनाव की स्थिति बदलने के लिए इसका उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। मैं बहुत ही पिछड़े राज्य असम से हूं। संचार प्रणाली में यह एक बाधा है। आप सभी यह जानते हैं कि हमारे यहां नियमित रूप से बाढ़ आती है। कुछ लोग कहते हैं कि असम में यह एक समारोह है क्योंकि हमारे यहां नियमित रूप से बाढ़ आती है। असम में तटबंधों की आयु पूरी हो चुकी है। उनकी मरम्मत किए जाने की आवश्यकता है। जिला सतर्कता समिति का अध्यक्ष होने के नाते मैंने जिला समिति से आग्रह किया था कि तटबंधों की मरम्मत का कार्य एमजीएनआरईजीए को सौंपा जाए। परन्तु उन्होंने यह कहके ऐसा करने से इंकार कर दिया कि यह एमजीएनआरईजीए के दायरे में नहीं आता। यदि यह एमजीएनआरईजीए के दायरे में होता तो हम बहुत से तटबंधों की मरम्मत कर लेते। इससे किसानों को लाभ होगा क्योंकि तटबंधों के कमजोर होने के कारण खेतों में पानी भर जाता है।

इसके अतिरिक्त, वनरोपण एमजीएनआरईजीए के दायरे में है। परन्तु वनरोपण को भी कवर नहीं किया गया है। हाल ही में वन क्षेत्र कम हुआ है। वन क्षेत्र घटता जा रहा है और वैश्विक तापन भी चिंताजनक रूप से बढ़ रहा है। संगोष्ठियों और बैठकों में हम कहते हैं कि वैश्विक तापन में चिंताजनक रूप से वृद्धि हो रही है। परंतु हम एमजीएनआरईजीए को धनराशि वनरोपण हेतु नहीं दे सकते हैं। यह नोट कर मैं आश्चर्यचकित हूं कि उत्तर प्रदेश में केवल 4 प्रतिशत वन क्षेत्र है। देश के सर्वाधिक आबादी वाले राज्य में वन क्षेत्र केवल 4 प्रतिशत है। आप जरा इसके बारे में सोचिए। एमजीएनआरईजीए की राशि वनरोपण के लिए दी जा सकती है परन्तु ऐसा नहीं किया गया।

माननीय ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश जी ने कहा कि धनराशि की कोई समस्या नहीं है। यह ठीक है कि राशि की कोई समस्या नहीं है परन्तु कार्यान्वयन के बारे में आप क्या कहेंगे? मेरे जिले नलबाड़ी में एमजीएनआरईजीए के बारे में सीबीआई जांच रही है। गोलापाट जिले में भी सीबीआई जांच चल रही है। क्यों? क्योंकि वहां भ्रष्टाचार है। हमें इसके कार्यान्वयन पहलू पर ध्यान देना चाहिए। राष्ट्रीय स्तर का एक पर्यवेक्षक वहां जाता है, परन्तु फिर भी कुछ नहीं होता है। नियम 377 के अंतर्गत मैं यह मामला कई बार उठा चुका हूं। यहां से राष्ट्रीय स्तर का एक पर्यवेक्षक जाता है परन्तु वह कुछ नहीं करता। मैंने माननीय मंत्री महोदय को इस बारे में एक पत्र लिखा था। जब असम में बाढ़ आईतो पूरे विश्व को पता चल गया था कि वहां बाढ़ आई है परन्तु राष्ट्रीय स्तर का एक पर्यवेक्षक नलबाड़ी जिले में गया और उसने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की। सड़कों पर पानी भरा था। वह किस प्रकार से कथित भ्रष्टाचार की जांच करता? वह किसी होटल अथवा सर्किट हाउस में बैठा हुआ था और वहां बैठकर उसने रिपोर्ट तैयार की है। उसके बाद माननीय मंत्री महोदय ने एक और व्यक्ति को वहां भेजा। यह सब हो रहा है। आपको इसके कार्यान्वयन सबंधी पहलू पर ध्यान देना चाहिए।

हमारी ब्रह्मपुत्र नदी में जल ऊपर आ रहा है। एमजीएनआरईजीए यहां कुछ कर सकता है। लोग नदी तल में कार्य कर सकते हैं जिससे कि पानी की अधिक खपत हो और बाढ़ न आ सके। गांवों की सड़कों सहित ये सभी कार्य एमजीएनआरईजीए के अंतर्गत किए जाने चाहिएं। जैसा कि माननीय भोला सिंह जी ने कहा कि इसमें भ्रष्टाचार है और पंचायतों में भी भ्रष्टाचार है। यह बात सच है। वे सड़कों के लिए खेतों को चुनेंगे परन्तु वे गांव में मार्ग को नहीं चुनेंगे। वे ऐसा मार्ग नहीं चुनेंगे जो स्कूलों को जोड़ता है। वे अन्य गांवों को जोड़ने वाले मार्ग को नहीं चुनेंगे। वे ऐसा मार्ग चुनेंगे, जहां लोग नहीं जाते हों। मेरे निर्वाचन क्षेत्र रंगिया में, 26 लाख रुपये खर्च कर एमजीएनआरईजीए के अंतर्गत एक सड़क का निर्माण किया गया है और कोई भी उस सड़क का उपयोग नहीं कर रहा है। उस सड़क का क्या फायदा? मनरेगा के अंतर्गत परिसंपत्ति निर्माण को भी शामिल किया गया है। मनरेगा के अंतर्गत हमने कितनी परिसंपत्तियों का सृजन किया है। हमने 33,000 करोड़ रुपये की परिसंपत्ति का सृजन किया है। पिछले वर्ष हमने 28,000 करोड़ रुपये खर्च किए थे। जरा विश्लेषण कीजिए कि हमने कितनी परिसंपत्ति बनाई? एक और संशोधन किए जाने की आवश्यकता है।

महोदय, हमारा संबंध असम से है। हमारे माननीय सदस्य और पूर्व मंत्री श्री हान्डिक यहां बैठे हुए हैं। वे इस बात से अच्छी तरह अवगत हैं कि हमारी सड़कें गांवों को जोड़ती हैं और वहां जमीन नहीं है। अत: वहां ट्रैक्टर होना चाहिए। आप चीजें ले जाने के लिए उन्हें ट्रैक्टर का उपयोग करने की अनुमति नहीं दे रहे हैं। सिर पर सामान ढोकर हम सड़कें नहीं बना सकते।

अत: इन चीजों को दुरुस्त किए जाने की जरूरत है। मैं श्री हंसराज गंगाराम अहीर द्वारा प्रस्तुत विधेयक का समर्थन करता हूं और अधिक गांवों को इसके दायरे में लाकर इसमें संशोधन किया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी।

उपस्थित नहीं हैं।

श्री वीरेन्द्र कश्यप।

श्री वीरेन्द्र कश्यप (शिमला): उपाध्यक्ष महोदय, श्री हंसराज अहीर जी द्वारा महात्मा गांधी ग्रामीण नियोजन गारंटी 2005 में संशोधन पर यहां जो विधेयक पेश किया गया है, उस बारे में कुछ बातें मैं भी यहां कहना चाहता हूं। इसमें कुछ संशोधनों की आवश्यकता है।

महोदय, मैं हिमाचल प्रदेश से आता हूं जो एक पहाड़ी राज्य है। पहाड़ी राज्य में मनरेगा का जो कार्य है, उसमें मैं देखता हूं और मैं हिमाचल प्रदेश कशी स्पैसिफिक बात कर रहा हूं। वहां पर आज मजदूर मिलते नहीं हैं और मजदूर न मिलने की वजह से इस योजना को गांवों में जबरदस्ती गांव में प्रधान लोग जिस तरह से उसको यूटिलाइज करना चाहते हैं, उस पैसे को लगाना चाहते हैं, वहां पर गलत तरीके से जॉब काड्र्ज बन रहे हैं।

दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि आज ग्रामीण क्षेत्र की दशा इससे सुधर नहीं रही है खासकर जो हमारे हिली क्षेत्र हैं, उसमें कुछ बातें जोड़ने की जरूरत है। मंत्री जी यहां बैठे हैं। मैं उनको ध्यान दिलाना चाहता हूं कि पिछले दिनों जब जयराम रमेश जी फॉरेस्ट एंड एनवायर्नमेंट मिनिस्टर थे और डॉ. सी.पी. जोशी जी रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर थे तो मैंने दो बातें यहां हाउस में भी कई बार उठाईं। जीरो आवर के माध्यम से भी और 377 के माध्यम से भी उठाईं। मैंने मंत्री जी को पत्र भी लिखा था। उसमें मैंने कहा था कि आप हिमाचल प्रदेश और जो हिली स्टेट्स हैं, और दूसरी जगह भी मैं कहना चाहता हूं कि एक सबसे बड़ी दिक्कत आ गई जिसका रैफरेन्स मेरे सहयोगी डॉ. महेन्द्र सिंह जी कर रहे थे कि आज गांवों में वहां के पशु खेती उजाड़ रहे हैं, जंगली जानवर खेती उजाड़ रहे हैं। मैं हिमाचल प्रदेश की बात आपके ध्यान में लाऊं कि वहां इतनी संख्या में बंदर हो गए हैं कि वे खेती उजाड़ देते हैं। रात में सुअर, हाथी और नीलगाय खेती उजाड़ देते हैं। मैं मंत्री जी के ध्यान में यह बात लाया था और प्रदेश की सरकार ने एक रिजॉल्यूशन केन्द्र सरकार को भेजा था कि मनरेगा के अंतर्गत आप एक आइटम ला दें कि इसके लिए रखवालों की नियुक्ति की जाए ताकि वहां के लोगों को रोजगार मिल जाए और पहाड़ में हमारी जो खेती है, वह इन पशुओं से और जंगली जानवरों से बच सके। हमारे यहां हिमाचल प्रदेशश में वैसे भी खेती बहुत कम है। चार-पांच बीघा से ज्यादा हमारे पास जमीनें नहीं हैं और भाइयों में बंटवारा हो गया तो दो-ढाई बीघा जमीनें रह जाती हैं। जो लोग खेतों में फसलें लगाते हैं, आलू लगाते हैं, टमाटर लगाते हैं, सब्जियां लगाते हैं, बंदर 15 मिनट में आकर उसको उजाड़ देते हैं। कहीं रात को सूअर आकर खेती उजाड़ देते हैं।

उपाध्यक्ष महोदयः आपका सुझाव क्या है?

श्री वीरेन्द्र कश्यपः हमारा सुझाव यह है कि आप इसमें रखवाले नियुक्त करवाएं ताकि वह पैसा ठीक जगह पर लगे और वहां के लोगों को रोजगार मिल जाए और वहां की खेती भी बच जाए। इसका एक दुष्परिणाम यह हो रहा है कि वहां जमीनों के रेट कई गुना बढ़ गए हैं। जो जमीन पांच हजार रुपये बीघा थी, वह पांच लाख रुपये बीघा हो गई है। लोग उन जमीनों को बेच रहे हैं और बेचने के बाद भूमिहीन होते जा रहे हैं। दूसरा, हिमाचल प्रदेश के जंगलों के बारे में मेरा एक सुझाव था। अभी हमारे असम के सहयोगी रमेन जी भी कह रहे थे।

मैं कहना चाहता हूं कि वहां पर फायर वॉचर अप्रैल से लेकर जून तक रख दिए जाएं तो जहां-जहां जंगल में आग लगती है, क्योंकि वहां चीड़ के जंगल हैं। मैडम चन्द्रेश कुमारी जी यहां बैठी हैं, इनको ज्यादा पता है, तीन महीनों में आग लगती है और अरबों-खरबों के जंगल जल जाते हैं, उसके लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है, जिससे वहां के जंगल बच सकें। इसलिए मेरा सुझाव है सरकार के लिए कि यदि वहां फायर वॉचर रख दिए जाएंगे तो अवश्य ही वहां के लोगों को रोजगार भी मिलेगा और हमारे अरबों-खरबों रुपयों के जंगल, जिनको हम बच्चों की तरह पालते हैं, वह 10-12 साल के होने के बाद वह आग में नष्ट हो रहे हैं। इससे बड़ी बात यह है कि वहां का फ्लोरा और फोना टोटली खत्म हो रहा है। उसका भी हम बचाव कर सकते हैं। मैं यही कहना चाहता हूं कि मनरेगा में यह जो सौ दिन की बात कह रहे हैं, सौ दिन से काम चलने वाला नहीं है। कई जगह पर कहा जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब यहां मनरेगा पर कोई प्रश्न उठता है तो सारा हाउस और सभी सांसद कहते हैं कि भ्रष्टाचार हो रहा है। इसमें हो सकता है कि बहुत से राज्यों में भ्रष्टाचार हो रहा होगा। मैं यह कह सकता हूं कि पिछले पांच वर्षों में हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, प्रोफेसर धूमल की सरकार रही है, जिसका लाभ वहां के लोगों को मिला है। भ्रष्टाचार वहीं पर होगा, जहां के मुखिया के द्वारा उसकी इम्पलीमेंटेशन ठीक ढंग से नहीं हो रही होगी। मैं यह कह सकता हूं कि भ्रष्टाचार के अड्डे तो यह बन गए होंगे, परंतु इस पर यदि प्रोपर मॉनीटरिंग अगर होगी तो यह लोगों के लिए लाभदायक हो सकता है। यह मैं आपको कहना चाहता हूं। इसलिए इसे सौ दिन की जगह दो सौ दिन किया जाए ताकि 365 दिन में कम से कम आधा साल अगर आप लोगों को रोजी-रोटी देना चाहते हैं, तो उसके माध्यम से वह मिल सकती है।

इसी तरह से पहाड़ों में जब आपने इसकी शुरूआत की थी तो कहा था कि 60-40 की रेश्यो होगी। 60 प्रतिशत लेबर कम्पोनेंट है और 40 प्रतिशत मैटीरियल कम्पोनेंट है। परंतु पहाड़ी राज्यों के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि हमने वहां छोटे-छोटे रास्ते बनाए, क्योंकि हमारे पास सड़कें नहीं हैं। इसलिए हमने उन रास्तों को सीमेंटिड बनाने का प्रयास किया था और गांव-गांव को पक्के रास्ते

के साथ जोड़ने का प्रयास किया था। उसमें पैसा ज्यादा लगता है। इसलिए मंत्री महोदय आप इसकी उलटी रेश्यो कर दें, 60 प्रतिशत मैटीरियल और 40 प्रतिशत लेबर कम्पोनेंट या पचास-पचास प्रतिशत करेंगे तो इससे हमारे पहाड़ी राज्यों को बड़ा लाभ मिल सकेगा।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया। मुझे पूर्ण विश्वास है कि जंगली जानवरों से हमारी फसलें बच जाएं, उसके लिए रखवाले इसके अंतर्गत लाएंगे और साथ ही साथ हमारे जंगल बच सकें, उसके लिए फायर वॉचर को केवल तीन महीने के लिए एड करेंगे तो मैं समझता हूं कि यह बड़ा काम मनरेगा के अंतर्गत होगा। इसी के साथ श्री अहीर जी जो यह रेजोल्यूशन लाए हैं, मैं उसका समर्थन करते हुए अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि कांग्रेस और यूपीए के द्वारा एक अत्यन्त महत्वकांक्षी योजना जो देश के खेत-खलिहान, चौपाल में गरीब नौजवान जो वहां किसी रोजगार के अभाव में देश के मुख्तलिफ हिस्सों में पलायन करते थे, हम तो उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, उस क्षेत्र की नुमाइंदगी करते हैं, जिस इलाके में न आज कोई इंडस्ट्री है और हमारा जो परम्परागत उद्योग था शुगर केन इंडस्ट्री, वह भी एक-एक करके चाहे उत्तर प्रदेश की शुगर फेडरेशन की इंडस्ट्री हो, चाहे कारपोरेशन की इंडस्ट्री हो, आज एक-एक करके सिक हो गई हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश जो सबसे बड़ा मैनचेस्टर कहलाता था, जो कि चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक था, आज वह सबसे पीछे हो रहा है। कहीं न कहीं इस महत्वकांक्षी योजना ने देश के हर गांव में लोगों की मांग के सापेक्ष जो भी 18 साल से ऊपर हों, उनको रोजगार देने की गारंटी दी। इसको केवल एक गारंटी योजना के रूप में ही नहीं बनाया, कांग्रेस और यूपीए सरकार को मैं बधाई दूंगा कि इसको कानून बनाकर देश की जनता को अधिकार दिया है कि आपको रोजगार मिले। अभी तक यह मांग होती थी कि हर हाथ को काम मिले लेकिन पहली बार हिन्दुस्तान में किसी सरकार ने इस पर कानून बनाने का काम किया। लोगों को रोजगार देने की बात उठती थी कि इसको फंडामेंटल राइट की तरह ट्रीट किया जाए, काम नहीं मिले तो बेरोजगारी भत्ता दिया जाए। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा पर यह बात सारी मुख्तलिफ सियासी पार्टियां अपने मैनिफेस्टो में रखती थीं लेकिन वह अतीत का दस्तावेज बन जाता था, वह केवल भविष्य के गर्त में रह जाता था। अगर वास्तविकता के धरातल पर उसे उतारने का काम किया कि किसी भी गांव का नौजवान, नवयुवती अगर रोजगार मांगेंगे तो उस देश की कल्याणकारी सरकारों की जवाबदेही होगी उस नौजवान को, उस युवती को रोजगार देने की अन्यथा उसे बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। इसे अगर किसी ने मूर्त रूप से कानून बनाया है तो कांग्रेस-यूपीए की सरकार ने बनाया है। इसके लिए मैं डॉ. मनमोहन सिंह और श्रीमती सोनिया गांधी को बधाई दूंगा।

अभी मेरे साथी कश्यप जी बड़ी गंभीरता से बहुत अच्छी बात कह रहे थे कि यह जो सौ दिनों का काम है यह नहीं चलने वाला। इसे सौ दिनों के जगह पर 365 दिन किया जाए। इसी तरह से भ्रष्टाचार की बात हमारे माननीय हुक्मदेव नारायण यादव जी ने भी कही। मैं कहता हूं कि वर्ष 2005 में इसका एक्ट बना कि हिन्दुस्तान के गांवों में मनरेगा लागू किया जाए। 5 फरवरी, 2006 से यह मनरेगा देश के तमाम गांवों में कन्याकुमारी से कश्मीर तक लागू है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पूरे सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि आज तक 146 लाख वर्क टेक-अप हुआ है और उस 146 लाख में से केवल 60% काम पूरा हुआ है जिसमें 20% रूरल कनेक्टिविटी बनी, 25% काम में गांवों में जैसे कुंओं का, तालाब का निर्माण हुआ। आज कितनी कठिनाई है कि जब सूखा पड़ता है तो गांव में तालाब सूख जाते हैं। उस बुंदेलखंड की कल्पना कीजिए जहां से माननीय मंत्री जी आते हैं। वहां कई-कई वर्ष सूखा पड़ता है। लोग भुखमरी के कगार पर आकर आत्महत्या तक कर लेते हैं। मैं विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं। चौदह प्रतिशत काम इंडीविडुअल बेनेफिशियरीज को मिला।

माननीय कश्यप जी, इस साल सरकार ने 39,000 करोड़ रुपये बजट का परिव्यय रखा। पिछली बार 41,000 करोड़ रुपये था। उसके पिछले साल 40,000 करोड़ रुपये का परिव्यय था लेकिन खर्च कितना किया? आज तक राज्यों में औसतन 42 दिनों से ज्यादा खर्च नहीं हुआ। वे 42 दिनों से ज्यादा का काम नहीं जेनरेट कर पाए। यह किस की जिम्मेदारी है? अगर हम सौ दिनों के काम की गारंटी दे रहे हैं तो आज मनरेगा में यह सुनिश्चित करना पड़ेगा कि लोगों को कम से कम सौ दिनों की काम मिले। अब तक केन्द्र सरकार द्वारा जो 2,18,000 करोड़ रुपये राज्यों को दिया गया है, उस 2,18,000 करोड़ रुपये का उपयोग कितना हुआ? इसका उपयोग 70% हुआ और वह भी 70% ऐसे नहीं हुआ। जब उस में मैटेरियल कम्पोनेंट के नाम पर खरीदारी हो गई, स्टेशनरी की खरीदारी हो गई, अन्य चीजें जैसे अलमारी की खरीदारी हो गई, कुर्सी-मेज की खरीदारी हो गई तो मान्यवर अब इसे भ्रष्टाचार कहा जा रहा है। यही बात तो हम कहते हैं कि भ्रष्टाचार बिल्कुल हो रहा है लेकिन भ्रष्टाचार अगर गांवों में हो रहा है तो उसे रोकने की जिम्मेदारी बीडीओ की है, सीडीओ की है, अधिकतम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की है। हम पैसा भी दे रहे हैं और हमारे ही ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया जाता है। हम तो कहते हैं कि अगर आज इस महत्वाकांक्षी योजना को पारदर्शी बनाना है तो राज्य सरकारों को इच्छाशक्ति जाग्रत करनी होगी कि वह राज्य सरकार उस भ्रष्टाचार को रोके। इसमें संलिप्तता है। यह नेक्सस बन गया है। आज जॉब कार्ड अपने पास रख लिया जाता है।

उपाध्यक्ष महोदयः आपका सुझाव क्या है?

श्री जगदम्बिका पालः महोदय, मेरा सुझाव तो बहुत अच्छा है कि कोई भी राज्य सीबीआई की जांच करा दे। जयराम रमेश जी ने बयान दिया कि हमने राज्यों को सीबीआई जांच के लिए लिखा कि भ्रष्टाचार है।

मान्यवर, आज एक-एक तालाब को बनाने में एक-एक, डेढ़-डेढ़ करोड़ रुपये लग गए। नेता, प्रतिपक्ष के विदिशा में मनरेगा के अंतर्गत छः-छः लाख के टॉयलेट बन रहे हैं। अगर हम इस सदन में ही बैठ कर इस बात को गंभीरता से नहीं सोचेंगे कि अगर आज सैनिटेशन डिपार्टमेंट का मानक क्या है? पहले इंडीविडुअल बेनेफिशियरी को देने के लिए यह 4500 था, अब यह साढ़े नौ हजार हो गया।

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन (भागलपुर): ये गलत इल्जाम लगा रहे हैं।

श्री जगदम्बिका पालः महोदय, मैं जो बात कहता हूं वह बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदयः संक्षेप में बोलिए।

श्री जगदम्बिका पालः मान्यवर, मैं बहुत संक्षेप में कहूंगा। ...*(व्यवधान)* शाहनवाज साहब बहुत विद्वान हैं, बहुत काबिल हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए उनको पार्टी ने प्रवक्ता बना रखा है।

उपाध्यक्ष महोदयः यह विषय मनरेगा का नहीं है।

श्री जगदम्बिका पालः महोदय, ये जान रहे हैं कि जगदम्बिका पाल जो कह रहे हैं, वे सच्चाई कह रहे हैं। अब कहीं न कहीं उन्हें प्रतिवाद करना है और उन्हें अपने दायित्व का निर्वहन करना है। लेकिन, वे मुस्कुरा इसलिए रहे हैं कि वे दिल से समझ रहे हैं कि जगदम्बिका पाल सच कह रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदयः आप मनरेगा के बारे में बोलिए।

श्री जगदम्बिका पालः महोदय, मैं एक सुझाव देना चाहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से बड़ी गंभीरता से जानना चाहता हूं कि मंत्री जी ऐसा कोई मेकेनिज्म तैयार करेंगे कि आप केवल यह कहेंगे कि हमने मनरेगा में सभी राज्यों को रोजगार की गारंटी देने के लिए कानून बना करके आपकी आवश्यकताओं के अनुसार जिस दिन सोशल ऑडिट कर लेंगे, यूसी सर्टिफिकेट भेज देंगे, उस दिन हम आपकी फिर से डिमांड ड्रिवन स्कीम है, अगर डिमांड ड्रिवन स्कीम है, उस स्कीम में इसको इम्पलीमेंट करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है और राज्य सरकार अगर इम्पलीमेंटेशन में, हुक्म नारायण जी कहें बिहार का कलेक्टर नहीं सुन रहा है ...*(व्यवधान)* मैं बहुत गंभीर बात कह रहा हूं, मैं समझता हूं कि इस पर पूरा सदन सहमत होगा। यह कोई पार्टी का सवाल नहीं है, मैं किसी राज्य की आलोचना करने के लिए नहीं खड़ा हुआ हूं। इसको कौन सा मेकेनिज्म हम बनायेंगे। हम संसद सदस्य सोचें कि इसका क्या रास्ता होगा। जिस तरीके से आज मनरेगा के नाम पर इरीगेशन डिपार्टमेंट को दे दिया जाएगा, फॉरेस्ट को दे दिया जाएगा। जून में जहां मानसून नहीं आता, पहली जुलाई से फॉरेस्ट का मानसून सत्र शुरू होता है। वन महोत्सव में वन मंत्री रहा हूं, एक से सात जुलाई होता है और करोड़ों रुपये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट मनरेगा का फॉरेस्टेशन में खर्च कर देता है। आज इसीलिए 14 परसेंट कुल फॉरेस्ट हैं, रिमोट सेंसिंग से 21 परसैंट कह दीजिए। आज इकोलोजिकल बैलेंस भी बिगड़ रहा है। ये मेकेनिज्म, कि आज मनरेगा में हम रोजगार की गारंटी के लिए पैसा दे रहे हैं। किसी का दबाव पड़ गया। ...*(व्यवधान)* बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी। ...*(व्यवधान)* जिला परिषद अध्यक्ष कलेक्टर से दबाव डाल करके डेढ़-डेढ़ करोड़ रुपये उन्होंने इरीगेशन को दिला दिया। तीन बार कम से कम पांच करोड़ रुपया दिलाया। क्या उसकी सीबीआई जांच होगी? मैं शैलेन्द्र जी से कहता हूं कि उसकी जांच कराइए, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। ये जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा है। हम रोजगार देने की गारंटी देते हैं कि हिन्दुस्तान के एक-एक नौजवान को रोजगार मिलेगा। ...*(व्यवधान)* धनजंय जी, मैं सत्य कह रहा हूं। ...*(व्यवधान)* नाम नहीं लेना चाहिए, जिसने यह काम किया। लेकिन मैं कह रहा हूं। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदयः आप सुझाव दीजिए।

श्री जगदम्बिका पालः उपाध्यक्ष महोदय, आप झारखंड की स्थिति को जानते हैं कि कंवर्जन के नाम पर जो मनरेगा का पैसा जा रहा है, वह सीधे मजदूर को भी नहीं मिल रहा। जेसीबी मशीन से राज्यों में काम हो रहा है। आज ठेकेदार काम कर रहे हैं, शैलेन्द्र जी, इसको कैसे रोका जाए, यह चिन्ता का विषय है। हम लोगों को जनता चुन कर भेजती है, हमारी जनता के प्रति जवादेही है। क्या आप कोई मेकेनिज्म बनाएंगे? राज्य सरकार को हमने पैसा दे दिया, ये राज्य सरकार का दायित्व हो गया। आपसे हम कहते हैं तो आप कहते हैं कि यूसीओ भेजें। ...*(व्यवधान)* सोशल ऑडिट कराएं। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदयः उसको ठीक करने के लिए क्या होना चाहिए, यह आप एक लाइन में बता दीजिए।

श्री जगदम्बिका पालः मैं समझता हूं, आपने कहा कि जो चीजें हो रही हैं, उससे हम सब सहमत हैं। आज मनरेगा पर जो

सवालिया निशान लग रहा है, इस सवालिया निशान को हटा करके, इस महत्त्वाकांक्षी योजना, चाहे हम किसी पार्टी से ताल्लुक रखते हों, हम सब की प्रतिबद्धता है कि देश के गांवों के उस बेरोजगार को, नौजवान को सौ दिन का रोजगार मिल सके। मैं कहता हूं कि एक ऐसा मेकेनिज्म, कि हम डेढ़ सौ दिन की मांग करें, उसके बजाए सौ दिन के काम का, इस तरीके के प्रोजेक्ट तैयार हों, कि वह सौ दिन का काम हो। जिस तरह से 60-40 की बात हो रही है, बेसिकली बुनियादी तौर से ये बना था कि हम मजदूरी देंगे। इसलिए 60 परसेंट मजदूरी था और 40 परसेंट मेटिरियल कम्पोनेंट था। लेकिन गांव में कितनी बार तालाब खुदवाएंगे, कुंआ बनवाएंगे। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: जगदम्बिका जी, आप सुझाव देकर अपनी बात को खत्म कीजिए।

...*(व्यवधान)*

श्री जगदम्बिका पाल: धनंजय जी, मैं आपकी बात से सहमत हूं, आप मेरी बात से सहमत हों कि आज उन स्थाई परिसम्पत्तियों को सृजन करने का काम करना चाहिए, यह मेरा सुझाव है। राज्य सरकार को जो दोषी हैं, जिस तरह से नेक्सस हो गया, उनको जिलों में एक एकाउंटेबल नोडल ऑफिसर बना करके, स्टेट पर टॉस्क फोर्स बना करके, इसकी चैकिंग करा कर जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्यवाही करनी चाहिए। ...*(व्यवधान)* कुछ जनपदों की सीबीआई जांच करा दीजिए। यही मेरा सुझाव है।

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन (भागलपुर): उपाध्यक्ष जी, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। मैं लंबी तकरीर नहीं करूंगा, क्योंकि मैं कम शब्दों में बड़ी बात कहने के लिए खड़ा हुआ हूं। ...*(व्यवधान)* पाल साहब, कई बार मुझे टेलीविजन पर मिल जाते हैं, उनसे सवाल-जवाब होता है।

उपाध्यक्ष जी, मैं अपनी कांस्टीच्युएंसी में जब मनरेगा की योजना देखने जाता हूं तो दु:ख होता है। मनरेगा योजना जो बनी है, जिसकी पाल साहब बहुत तारीफ कर रहे थे, वह कह रहे थे कि पहली बार इस सरकार ने किया। जो काम नेहरू जी ने नहीं किया, इंदिरा जी ने नहीं किया, राजीव जी ने नहीं किया, वह काम मनमोहन सिंह जी ने कर दिया। ...*(व्यवधान)* राहुल जी के लिए भी कुछ छोड़ नहीं रहे हैं। पाल साहब बोल रहे थे, तो जब किसी भी सरकार के लिए कहते हैं तो यह भूल जाते हैं कि इंदिरा जी जैसी वरिष्ठ नेता इस देश की प्रधानमंत्री रही हैं। राजीव गांधी जी ने देश के लिए सपना देखा। ...*(व्यवधान)* मनमोहन सिंह जी आपको मंत्री भी नहीं बना रहे हैं और आप उनकी इतनी तारीफ किए जा रहे हैं। ...*(व्यवधान)* इतने सीनियर आदमी की उपेक्षा अलग से हो रही है।

उपाध्यक्ष महोदय: मनरेगा पर कहिए।

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन: उपाध्यक्ष जी, जो मनरेगा योजना बनी, यह चुनाव के पहले बनी, यह बहुत अच्छी योजना है। इस पर बड़ी जांच की भी बात हो रही है। सीबीआई इंक्वायरी की बात हो रही है। जब सीबीआई की खुद ही क्रैडिबिलिटी नहीं है तो वह इंक्वायरी क्या करेगी? सीबीआई इंक्वायरी अब एक फैशन हो गया है। हर बात में सीबीआई इंक्वायरी की बात होती है। सीबीआई इंक्वायरीतो आप करायेंगे। सीबीआई आपके कंट्रोल में है, यह तो हमें मालूम है, कैसे कंट्रोल करते हैं, यह बताने का समय नहीं है। ...*(व्यवधान)* सवाल यह है कि जो मनरेगा योजना बनी थी, वह नौजवानों को रोजगार देने के लिए बनी थी। उनको रोजगार तो मिल नहीं रहा है, रेलवे में नौकरी देनी थी, वह नहीं दे रहे हैं, सरकारी नौकरियों में दस लाख पोस्ट्स खाली हैं। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोगों की नौकरी खाली है, वह उनको नहीं दे रहे हैं। मनरेगा की योजना बनाई, देश की इकॉनामी की हालत क्या है, उस पर अलग से चर्चा बजट में हुकुम देव बाबू करेंगे। मैं आपके सामने कहने के लिए खड़ा हुआ हूं कि जो मनरेगा योजना है, मैं भागलपुर में गया था, दियारा के क्षेत्र में, बाखड़पुर, खवासपुर एरिया में देखा कि जो प्रधानमंत्री सड़क योजना से रोड बनी है, उसके बगल में नाली खोद दिया और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क की रोड पर मिट्टी लाकर रख दिया। वह बना हुआ रोड भी चलने लायक नहीं है। आप मनरेगा को पॉजीटिव काम में जोड़िए। आपने कहा कि इसे रेलवे से जोड़ेंगे। मनरेगा में जो मिट्टी का काम है, सांसद निधि से अगर पांच लाख रुपए की कोई रोड बनाते हैं तो उसके अंदर मिट्टी डालनी पड़ती है, फिर ईंट डालनी पड़ती है, फिर उस पर सी.सी. रोड डालना पड़ता है। बिहार में पी.सी.सी. कहते हैं, यूपी में शायद सी.सी. रोड कहते हैं। ...*(व्यवधान)* हम लोग उसको थोड़ अपग्रेड कर देते हैं। हमारे यहां भी योजना का टेंडर होता है। जब एस्टीमेट बनता है, तो मिट्टी का एस्टीमेट बना देता है, फिर ईंट का बना देता है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से जो रोड बन रही है, क्या उसमें भी मनरेगा को जोड़ सकते हैं? एमपीलैड में अगर मिट्टी और ईंट का काम मनरेगा से हो जाए और उसके ऊपर हम छ: इंच का सी.सी. रोड डाल दें, तो इस योजना का बहुत अच्छा उपयोग हो सकता है।

सांसद को आपने अधिकार दे दिया। आपने कहा कि सांसद अनुश्रवण समिति का अध्यक्ष है। इतना बड़ा पद दे दिया, इससे यह लगा कि इसे लिखकर चलना चाहिए कि वह अनुश्रवण समिति का अध्यक्ष है। कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं है। पाल साहब की बात कोई और नहीं सुनता होगा, क्योंकि इनकी सरकार को समाजवादी पार्टी समर्थन दे रही है, तो यह वहां हल्ला भी

नहीं कर सकते हैं। ...*(व्यवधान)* यह वहां हल्ला करेंगे तो यहां गड़बड़ होगी। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: मनरेगा पर बोलिए। इधर-उधर क्यों चले जाते हैं?

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: आप बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन: उपाध्यक्ष महोदय, बिना रस का क्या कोई भाषण होता है? मैं थोड़ा-थोड़ा रस इसमें डाल रहा हूं। ...*(व्यवधान)* मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं कि मैं ठोस सुझाव देने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैंने देखा कि इस पर चर्चा हो रही है और आप आसन पर हैं। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: आप पांच मिनट में समाप्त कीजिए।

...*(व्यवधान)*

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन: महोदय, मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं कि मनरेगा की योजना ऐसी नहीं है कि कांग्रेस के दफ्तर से कोई चंदा का पैसा आप बांट रहे हैं। यह देश के टैक्स पेयर की मनी है। आप सरकार में आए हैं। आपको उसे खर्च करने का अधिकार मिला है। इसका मतलब यह नहीं है कि आप उसे देश में औने-पौने बहा देंगे, भ्रष्टाचार हो जाएगा। इसमें जिम्मेदारी आपकी है। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: आप इधर देखकर बोलिए।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: दोस्ती इतनी गहरी नहीं होनी चाहिए।

...*(व्यवधान)*

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन: महोदय, मैं चाहता हूं कि वह ग्रामीण विकास मंत्री बन जाएं, उनको चांस ही नहीं मिल रहा है। आज मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि मनरेगा की याजना बनाई गई, आज वाटर लेबल नीचे जा रहा है, हम अपने क्षेत्र में जाते हैं, वहां कुआं सूख रहा है, ट्यूब वेल सूख रहा है, तालाब सूख रहा है। आप कुआं और तालाब बनाइए। मिट्टी में नाली खोदने की योजना पर तुरंत पाबंदी लगनी चाहिए, नाली का विकास नहीं है। गांव में नाली खोद देते हैं और गंदा पानी जमा हो जाता है जिससे बीमारी हो जाती है। मैं आपके माध्यम से यह अनुरोध करना चाहता हूं कि आप बड़े-बड़े तालाब खोदिए, कुआं खोदिए। जो नदी है उस नदी के अंदर पानी कहीं से कहीं बह कर जा रहा है। हमने देखा है कि आज हमारे यहां बालू का उठान हो जाता है। हमारे यहां भागलपुर में बालू का उठान हो गया। नदी में पानी कम है। मैं भागलपुर की भाषा में कहूं तो लोग कहते हैं कि छिटका बनवा दीजिए। यदि मनरेगा के पैसा से छोटे-छोटे डैम्स बना दिए जाएं तो उसका उपयोग होगा। मनरेगा के अंदर आप उपलब्धि मत मानिए। देश के इतिहास में आपको माफ नहीं किया जाएगा। आप मनरेगा पर हजारों करोड़ रुपया देने का यहां पर नारा दे रहे हैं और देश का हजारों करोड़ रुपया बर्बाद करने के लिए, इतिहास में लिखा जाएगा कि एक ऐसी सरकार थी जिसने ऐसी योजना बनाई जिसमें देश का हजारों करोड़ रुपया इधर-उधर बर्बादहो गया। अगर आप योजना बना रहे हैं तो हम लोगों से थोड़ा सलाह ले लीजिए। आप सत्ता में हैं। आपको तो सुझाव ही नहीं चाहिए। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया आप अपना सुझाव दीजिए।

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन: मैं अपनी बात दो मिनट में समाप्त कर रहा हूं। आप इस योजना का सदुपयोग कीजिए। इस योजना को देश के हित में काम करने के लिए कीजिए। जो सुझाव यहां पर आए हैं, पाल साहब सरकार में हैं, फिर भी इतना सुझाव देते रहते हैं। आप पाल साहब की भी बात मान लें। क्योंकि कांग्रेस में अब वह डेमोक्रेसी नहीं है कि वह अपने सांसदों से पूछे कि क्या-क्या करना चाहिए। आप मंत्री लोग बैठते हैं तो सांसदों से भी फीड बैक लीजिए कि क्या सलाह चाहिए। हम सरकार कैसे चलाएं? हमारी हालत ऐसी खराब क्यों हो रही है? इतनी बड़ी-बड़ी योजना बनाते हैं फिर गुजरात में चुनाव क्यों हारते हैं। इस पर ये लोग सही-सही सलाह देंगे। बढ़िया-बढ़िया काम करिए तो राजनीति में आपको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। देश के लोगों ने आपको सत्ता दिया है और अगर आप लोगों को जो सत्ता मिला है उसका सदुपयोग नहीं किया, आपने देश के हित में काम नहीं किया तो वर्ष 1991 के बाद आप वर्ष 2004 में सरकार में आए हैं, फिर लंबा सूखा पड़ने वाला है। आप सत्ता में आने वाले नहीं हैं। मैं यह बात आपको बता देना चाहता हूं। सत्ता में कौन आएगा, यह जनता तय करेगी। इसका आप सही उपयोगी करेंगे। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया अपनी बात समाप्त करें।

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन: उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका धन्यवाद भी करना चाहता हूं कि इतने बढ़िया विषय पर चर्चा हो रही है। मुझे आपको आसन्न पर देख कर प्रोत्साहन मिला। मैंने हुकुमदेव जी से वादा किया है कि बगल में घर है, शाम में आकर

यहां पर बैठा करेंगे। बढ़िया विषय पर बोलने के लिए जो मौका मिलता है इसे याद रखूंगा और मैं आपके जरिए मंत्री जो सुझाव देना चाहता हूं कि मनरेगा की योजना में ज्यादा कुछ नहीं करना है। ये जो अधिकारी हैं, इनको ज्यादा कुछ पता नहीं होता है। ये अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं, आप इम्प्रेस हो जाते हैं। सांसदों से पूछिए जो जमीन से चुनाव जीत कर आते हैं। दादा जी की भी अंग्रेजी अच्छी है लेकिन वे जमीन वाले आदमी हैं। कुछ हम लोगों से सुझाव लीजिए और सांसदों के सुझाव के आधार पर ग्रामीण विकास मंत्री एक मीटिंग बुलाएं, हम लोगों से सुझाव लें। सुझाव हमारा और राज्य आप करेंगे। अगर आप सुझाव भी नहीं सुनेंगे तो कुछ होने वाला नहीं है।

उपाध्यक्ष जी मैं फिर से आपको धन्यवाद करते हुए, उम्मीद करता हूं कि मनरेगा में भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए यह सरकार कोई काम करेगी और हमारी बात इधर से सुनकर उधर नहीं निकलेगी। बात निकली है तो दूर तक जाएगी। यह मैं आपसे उम्मीद करता हूं।

سید شاہنواز حسین (بھاگلپور): محترم ڈپٹی اسپیکر صاحب، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے بولنے کا موقع دیا۔ میں لمبی تقریر نہیں کروں گا، کیونکہ میں کم الفاظ میں بڑی بات کہنے کے لئے کھڑا ہوا ہوں۔ (مداخلت)۔۔ پال صاحب کئی بار مجھے ٹیلی ویژن پر مل جاتے ہیں، ان سے سوال جواب ہوتا ہے۔۔

ڈپٹی اسپیکر صاحب، میں اپنے پارلیمانی حلقہ میں جب منریگا کی یوجنا دیکھنے جاتا ہوں تو بہت دکھ ہوتا ہے منریگا یوجنا جو بنی ہے، جس کی پال صاحب بہت تعریف کر رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ پہلی بار اس سرکار نے کیا ہے۔ جو کام نہرو جی نے نہیں کیا، اندرا جی نے نہیں کیا، راجیو جی نے نہیں کیا وہ کام منموہن سنگھ جی نے کر دیا۔ راہل جی کے لئے بھی کچھ چھوڑ نہیں رہے ہیں۔ پال صاحب بول رہے تھے تو جب کسی بھی سرکار کے لئے کہتے ہیں تو یہ بھول جاتے ہیں کہ اندرا جی جیسی سینئر نیتا جو اس ملک کی وزیر اعظم رہی ہیں۔ راجیو گاندھی جی نے ملک کے لئے ایک خواب دیکھا تھا (مداخلت) منموہن سنگھ جی آپ کو منتری بھی نہیں بنا رہے ہیں اور آپ ان کی اتنی تعریف کئے جا رہے ہیں۔ (مداخلت)۔ اتنے سینئر آدمی کی اُپیکشا الگ سے ہو رہی ہے۔

ڈپٹی اسپیکر صاحب، جو منریگا یوجنا بنی، یہ چناؤ کے پہلے بنی، یہ بہت اچھی یوجنا ہے۔ اس پر بڑی جانچ کی بھی بات ہو رہی ہے۔ سی۔بی۔آئی۔ کی انکوائری کی بھی بات ہو رہی ہے۔ جب سی۔بی۔آئی۔ کی خود کی ہی کریڈیبلیٹی نہیں ہے تو وہ انکوائری کیا کرے گی؟ سی۔بی۔آئی۔ انکوائری تو آپ کرائیں گے۔ سی۔بی۔آئی۔ آپ کے کنٹرول میں ہے یہ تو ہمیں معلوم ہے، کیسے کنٹرول کرتے ہیں، یہ بتانے کا وقت نہیں ہے۔ (مداخلت) سوال یہ ہے کہ جو منریگا یوجنا بنی تھی وہ نوجوانوں کو روزگار دینے کے لئے بنی تھی۔ ان کو روزگار تو مل نہیں رہا ہے، ریلوے میں نوکری دینی تھی، وہ نہیں دے رہے ہیں، سرکاری نوکریوں میں دس لاکھ پوسٹس خالی ہیں۔ شیڈیولڈ کاسٹس، شیڈیولڈ ٹرائبس کے لوگوں کی پوسٹس خالی ہیں، وہ ان کو نہیں دے رہے ہیں۔ منریگا کی یوجنا بنائی، ملک کی معاشی حالت کیا ہے، اس پر الگ سے چرچہ حکم دیو بابو کریں گے۔ میں آپ کے سامنے کہنے کے لئے کھڑا ہوا ہوں جو کہ منریگا یوجنا ہے، میں بھاگلپور میں گیا تھا، دیارہ کے علاقہ میں، باکھڑپور، خواص پور علاقے میں دیکھا کہ جو پردھان منتری یوجنا سے سڑک بنی ہے اس کے بغل میں نالی کھود دیا ہے اور پردھان منتری گرام سڑک کی روڈ پر مٹی لا کر رکھ دیا ہے۔ وہ بنا ہوا روڈ بھی چلنے لائق نہیں ہے۔ آپ منریگا کو پوزیٹیو کام میں جوڑیئے۔ آپ نے کہا کہ اسے ریلوے سے جوڑیں گے۔ منریگا میں جو مٹی کا کام ہے، ایم۔پی۔ فنڈ سے اگر ہم پانچ لاکھ روپے کی کوئی روڈ بناتے ہیں تو اس کے اندر مٹی ڈالنی پڑتی ہے، پھر اینٹ ڈالنی پڑتی ہے، پھر اس پر سی۔سی۔ روڈ ڈالنا پڑتا ہے۔ بہار میں پی۔سی۔سی۔ کہتے ہیں۔ یو۔پی۔ میں شاید سی۔سی۔ کہتے ہیں۔ (مداخلت)۔ ہم لوگ اس کو تھوڑا اپگریڈ کر دیتے ہیں۔ ہمارے یہاں بھی یوجنا کا ٹینڈر ہوتا ہے، جب اسٹیمیٹ بنتا ہے تو مٹی کا اسٹیمیٹ بنا دیتے ہیں، پھر اینٹ کا بنا دیتے

ہیں۔ پردھان منتری گرام یوجنا سے جو روڈ بن رہی ہے، کیا اس میں بھی منریگا کو جوڑ سکتے ہیں؟ ایم۔ پی۔ لیڈ میں اگر مٹی اور اینٹ کا کام منریگا سے ہو جائے اس اس کے اوپر اگر ہم چھ انچ کا سی۔ سی۔ روڈ ڈال دیں اس یوجنا کا بہت اچھا استعمال ہو سکتا ہے۔

ممبر آف پارلیمنٹ کو آپ نے حق دے دیا۔ آپ نے کہا کہ ممبر آف پارلیمنٹ ان شروِن کمیٹی کا صدر ہے۔ اتنا بڑا عہدہ دے دیا، اس سے یہ لگا کہ اسے لکھ کر چلنا چاہئے کہ وہ انوشروِن کمیٹی کا صدر ہے۔ کوئی اس کی بات سننے کو تیار نہیں ہے۔ پال صاحب کی بات کوئی اور نہیں سنتا ہوگا۔ کیونکہ ان کی سرکار کو سماجوادی پارٹی سمرتھن دے رہی ہے، تو وہاں شور شرابہ بھی نہیں کر سکتے (مداخلت)۔ یہ وہاں شور شرابہ کریں گے تو گڑبڑ ہو جائے گی۔۔(مداخلت)۔

ڈپٹی اسپیکر صاحب، بنا رس کا کیا کوئی بھاشن ہوتا ہے؟ میں تھوڑا تھوڑا رس اس میں ڈال رہا ہوں۔۔(مداخلت) میں بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ میں ٹھوس سجھاؤ دینے کے لئے کھڑا ہوا ہوں۔ میں نے دیکھا کہ اس پر بحث ہو رہی اور آپ چیئر پر بیٹھے ہیں۔

جناب، میں بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ منریگا کی یوجنا ایسی نہیں ہے کہ کانگریس کے دفتر سے کوئی چندہ کا پیسہ آپ بانٹ رہے ہیں۔ یہ ملک کے ٹیکس پیئر کا پیسہ ہے، آپ سرکار میں آئے ہیں۔ آپ کو اسے خرچ کرنے کا حق ملا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اسے ملک میں اونے، پونے بہا دیں گے، بھرشٹاچار ہو جائے گا۔ اس میں ذمہ داری آپ کی ہے (مداخلت)۔۔۔

جناب، میں چاہتا ہوں کہ وہ گرامین وکاس منتری بن جائیں، ان کو موقع ہی نہیں مل رہا ہے۔ آج میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ منریگا کی یوجنا بنائی گئی، آج واٹر لیول نیچے جا رہا ہے، ہم اپنے علاقہ میں جاتے ہیں، وہاں کنواں سوکھ رہا ہے، ٹیوب ویل سوکھ رہا ہے، تالاب سوکھ رہا ہے۔ نالی کا نکاس نہیں ہے۔ گاؤں میں نالی کھود دیتے ہیں اور گندہ پانی جمع ہو جاتا ہے، جس سے بیماری پھیلتی ہے۔ میں آپ کے ذریعہ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ بڑے بڑے تالاب کھودئے، کنویں کھودئے، جو ندی ہے اس میں پانی کہیں سے کہیں بہہ کر جا رہا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ آج ہمارے یہاں ریت کا اٹھان ہو جاتا ہے۔ ہمارے یہاں بھاگلپور میں ریت کا اُٹھان ہو گیا۔ ندی میں پانی کم ہے۔ میں بھاگلپور کی بھاشا میں کہوں تو لوگ کہیں گے کہ چھٹکا بنوا دیجئے۔ اگر منریگا کے پیسے سے چھوٹے چھوٹے ڈیم بنوا دئے جائیں تو اس کا استعمال زیادہ ہوگا۔ منریگا کے اندر آپ اپنی کامیابی مت مانئے۔ ملک کی تاریخ میں آپ کو کبھی معاف نہیں کیا جائے گا۔ آپ منریگا میں ہزاروں کروڑ روپے دینے کا یہاں پر نارہ دے رہے ہیں، اور ملک کا ہزاروں کروڑ روپے برباد کرنے کے لئے تاریخ میں لکھا جائے گا کہ ایسی سرکار تھی کہ جس نے ایسی یوجنا بنائی جس میں ملک کا ہزاروں کروڑ روپے ادھر اُدھر

برباد ہو گیا۔ اگر آپ یوجنا بنا رہے ہیں تو ہم لوگوں سے بھی تھوڑا مشورہ کیجئے۔ آپ حکومت میں ہیں آپ کو تو مشورے ہی نہیں چاہئے۔۔(مداخلت)۔۔۔

جناب، میں اپنی بات دو منٹ میں ختم کرتا ہوں۔ آپ اس یوجنا کا استعمال سہی ڈھنگ سے کیجئے۔ اس یوجنا کو ملک کے فائدے میں کام کرنے کے لئے کیجیے۔ جو مشورے یہاں پر آئے ہیں، پال صاحب سرکار میں ہیں، پھر بھی اتنا سجھاؤ دیتے رہتے ہیں، آپ پال صاحب کی بھی بات مان لیں۔ کیونکہ کانگریس میں اب وہ ڈیموکریسی نہیں ہے کہ وہ اپنے ممبروں سے پوچھے کہ کیا کیا کرنا چاہئے۔ آپ منتری لوگ بیٹھتے ہیں تو ممبروں سے بھی صلاح کیجئے۔ ہم سرکار کیسے چلائیں؟ ہماری حالت ایسی خراب کیوں ہو رہی ہے؟ اتنی بڑی بڑی یوجنا بناتے ہیں پھر گجرات میں چناؤ کیوں ہار جاتے ہیں۔ اس پر یہ لوگ آپ کو صحیح صلاح دیں گے۔ اچھے اچھے کام کیجئے تو سیاست میں آپ کو آگے آنے کا موقع ملے گا۔ ملک کے لوگوں نے آپ کو حکومت کرنے کو موقع دیا ہے اور اگر آپ لوگوں کو جو حکومت ملی ہے اس کا صحیح استعمال نہیں کیا، ملک کے مفاد میں کام نہیں کیا تو سال 1991 کے بعد سال 2004 میں سرکار میں آئے ہیں، پھر لمبا سوکھا پڑنے والا ہے، آپ پاور میں آنے والے نہیں ہیں، میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں۔ پاور میں کون آئے گا، یہ عوام طے کریں گی۔ اس کا آپ صحیح استعمال کریں گے۔

ڈپٹی اسپیکر صاحب، آپ کا شکریہ ادا بھی کرنا چاہتا ہوں کہ اتنے اہم موضوع پر بحث ہو رہی ہے، مجھے آپ کو چیر پر دیکھ کر بے حد خوشی ہو رہی ہے۔ میں نے حکم دیو جی سے وعدہ کیا ہے کہ بغل میں گھر ہے، شام میں آکر یہاں بیٹھا کریں گے۔ اچھے موضوع پر بولنے کے لئے جو موقع ملتا ہے اسے یاد رکھوں گا اور میں آپ کے ذریعہ منتری جی کو مشورہ دینا چاہوں گا کہ منریگا کی یوجنا میں زیادہ کچھ نہیں کرنا ہے۔ یہ جو افسران ہیں انہیں زیادہ کچھ پتہ نہیں ہوتا ہے، یہ اچھی انگریزی بولتے ہیں، آپ متاثر ہو جاتے ہیں۔ ممبران سے پوچھئے جو زمین سے چناؤ جیت کر آتے ہیں۔ دادا جی کی بھی انگریزی اچھی ہے، لیکن وہ زمین والے آدمی ہیں۔ کچھ ہم لوگوں سے سجھاؤ لیجئے اور ممبران کے سُجھاؤ کی بنیاد پر گرامین وکاس منتری ایک میٹنگ بلائیں، ہم لوگوں سے مشورے لیں، سجھاؤ ہمارا اور حکومت آپ کریں گے۔ اگر آپ سُجھاؤ بھی نہیں سنیں گے تو کچھ ہونے والا نہیں ہے۔

ڈپٹی اسپیکر صاحب، میں پھر سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے یہ امید کرتا ہوں کہ منریگا میں بھرشٹاچار کو دور کرنے کے لئے یہ سرکار کوئی کام کرے گی اور ہماری بات اِدھر سے سن کر اُدھر نہیں نکلے گی۔ بات نکلی ہے تو دور تک جائے گی۔ یہ میں آپ سے امید کرتا ہوں۔۔۔شکریہ۔۔

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रदीप जैन): माननीय उपाध्यक्ष जी, एक बहुत अच्छा विषय है। इस पर हमारे साथी हंसराम गंगाराम अहीर जी ने विधेयक रखा है, जिस पर हमारे 12 माननीय सदस्यों ने विचार रखे। विचार ब्रह्माण्ड की सबसे बड़ी ताकत है। निश्चित रूप से मैंने देखा कि चाहे हमारे सत्ता पक्ष के लोग हों या विपक्ष के लोग हों, सारे लोगों ने इस अधिनियम की तारीफ की है। उस समय हम लोगों की प्रसन्नता और बढ़ जाती है जब हमारे देश के विपक्षी दल के नेता, भारतीय जनता पार्टी के आडवाणी जी यूएनओ जाकर महात्मा गांधी नरेगा की तारीफ करते हैं। ...*(व्यवधान)* निश्चित रूप से यूपीए चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी और प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने ... *(व्यवधान)*

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन: आडवाणी जी कंट्री के बिहाफ पर गए थे। ...*(व्यवधान)*

श्री प्रदीप जैन: उपाध्यक्ष जी, मैं कोई भी बात गलत नहीं बोल रहा हूं और यह पूरा रिकार्ड में है। ...*(व्यवधान)* हम चाहे हिमाचल से आए हुए कश्यप जी को देखें, चाहे दूसरे साथियों को देखें, कश्यप जी ने कहा, प्रश्न का जवाब भी हमारे साथियों ने दिया। उन्होंने कहा कि फैडरल स्ट्रक्चर में अगर स्टेट का चीफ मिनिस्टर स्टेट को सही ढंग से चला रहा है तो उस स्टेट में महात्मा गांधी नरेगा गांव के अंतिम परिवार को मुख्य धारा से जोड़ने का कार्य कर रहा है। यह बहुत सारे मंथन मैंने इसी सदन में सब सदस्यों से सुने। वहीं जब भोला सिंह जी ने यह बात कही तो मेरे मन में विचार आया कि बिहार के अंदर सुशासन का दावा करने वाले मुख्य मंत्री जी को चाहिए, क्योंकि हमारा देश फैडरल स्ट्रक्चर से चलता है, हमारा संघीय ढांचा है, एक केन्द्र की ताकत है और दूसरी राज्य की ताकत है। जिस राज्य का मुख्य मंत्री अपने सांसद को इतनी शक्ति नहीं दे सकता कि वह उन्हें सारी जानकारी उपलब्ध कराए जो महात्मा गांधी नरेगा में कार्यों से संबंधित है, तो यह विचारणीय प्रश्न है।

भारत सरकार, यूपीए चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी, प्रधान मंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने जब वर्ष 2006 में इस कानून को देश के दो सौ जिलों में लागू किया था, तो उसका प्रभाव हुआ। उसके पश्चात् वर्ष 2007 और 2008 में 130 जिलों में उसे लागू किया गया और अब देश के पूरे जिलों में, जहां ग्रामीण आबादी है, यह कानून लागू है। इस कानून के अंदर हमारे देश के सात लाख से ज्यादा गांव, दो लाख पचास हजार से ज्यादा ग्राम पंचायतों के ग्यारह करोड़ परिवारों को रोजगार मिल रहा है। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: मंत्री जी को बोलने दीजिए।

...*(व्यवधान)*

श्री प्रदीप जैन: हमारे साथी हंसराज गं. अहीर जी ने जो विधेयक रखा, क्योंकि यह एक डिमांड ड्रिवन स्कीम है, इस स्कीम के अंदर देश में जो अतिरिक्त रोजगार है, हमारे देश के अधिकांश लोग कृषि पर निर्भर हैं, गांव के लोग माइग्रेट नहीं करें, गांव में रहकर ही उन्हें ग्राम पंचायत के माध्यम से काम मिले, बेरोजगारी भत्ता मिले, सोनिया जी और प्रधान मंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने उसके लिए इस कानून का निर्माण किया। इसमें बहुत सारे सुझाव आए हैं। राय साहब ने बहुत अच्छा सुझाव दिया, शैलेन्द्र भाई ने बहुत अच्छा सुझाव दिया, असम के सिंह साहब ने बहुत अच्छा सुझाव दिया। ...*(व्यवधान)* इसके बाद आपका और शाहनवाज भाई ने जो कहा, हमने प्रयास भी किया। निश्चित रूप से जो प्रश्न और उत्तर है, बहुत से उत्तर हमारे एक सांसद ने दूसरे सांसद को दिए। इस एक्ट की जो मूलभूत भावना है, इस एक्ट में बहुत सारी धाराएं नहीं हैं, केवल 34 धाराएं हैं। इसका प्रीएम्बल है कि किसी भी गांव के अर्ध कुशल श्रमिक को सुनिश्चित रूप से रोजगार मिले। जब रोजगार मिलना है तो बहुत से विचारों के मंथन के बाद सामग्री और श्रमिक की मजदूरी में एक परसेंटेज फिक्स की गई। जैसे आपने अभी अपने बीकानेर की समस्या उठाई। चूंकि भ्रष्टाचार की बहुत सारी शिकायतें आती थीं। कई राज्यों में सीबीआई जांच हुई। कई राज्यों में हम लोग मांग कर रहे हैं और हमें उम्मीद है। उत्तर प्रदेश में भी पिछली सरकार के समय कुछ जिलों के अंदर जो गड़बड़ी थी, उस संबंध में हमारे माननीय मंत्री जी ने पत्र लिखा था। चाहे राज्य हो या केन्द्र, दोनों की ही जिम्मेदारी है कि योजनाएं पारदर्शी रूप से, ईमानदारी से प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचे और हमें उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश से भी हमें वह अनुमति मिलेगी। मैं इसलिए यह बात कहना चाहता हूं कि हमारे मेघवाल जी का आशय था कि जो आरयूवी बने, क्योंकि हम लोगों ने जो परसेंटेज मेनटेन यि है, वह ग्राम पंचायत लैवल पर इसलिए किया है, ताकि गांव के व्यक्ति अपनी जो योजना बनायें, उनके ऊपर कोई बंदिश न हो कि हम बाहरी दबाव से करें, क्योंकि पूरे राज्यों ने आज पंचायती राज को स्वीकार किया है। हम जितने भी सांसद हैं, हम सबका लक्ष्य है। अगर हम देखें, हम देश की सबसे बड़ी महापंचायत में हैं, तो ग्राम प्रधान भी देश की सबसे बड़ी महापंचायत में है। उसे सशक्त करना, हमने और आप सबने पढ़ा होगा कि हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अपने सुप्रसिद्ध जंतर में कहा था कि जब भी मैं किसी पीड़ित अंतिम व्यक्ति की आंखों की तरफ देखता हूं, उसके चेहरे की बेबसी और उदासी की तरफ देखता हूं, मेरे मन में एक समाधान के भाव उत्पन्न होते हैं और यह योजना उस अंतिम व्यक्ति के समाधान के लिए बनी थी। वह अंतिम व्यक्ति ग्राम पंचायत के अंदर रहता है। वह परसेंटेज गांव में निर्माण के लिए आरयूवी में नहीं हो सकता।

माननीय उपाध्यक्ष जी, निश्चित रूप से बहुत सारे सुझाव आए हैं। मैं कहना चाहता हूं कि हमारे पूर्व मुख्यमंत्री सम्मानित श्री

जगदम्बिका पाल जी ने भी मॉनीटरिंग की बात की। उन्होंने कुछ उदाहरण दिये जहां करप्शन हुआ। मैंने बताया, क्योंकि इम्प्लीमैंटेशन की भारत सरकार गारंटी देती है। आज कई राज्य ऐसे हैं, राजस्थान सरकार ने अपने राज्य के अंदर 50 दिन के अतिरिक्त रोजगार की व्यवस्था की है। हमारे महाराष्ट्र से साथी आते हैं, महाराष्ट्र की सरकार, भारत सरकार सौ दिन की गारंटी देती है। आज भी हम देखें, तो आठ फीसदी परिवारों ने सौ दिन का कार्य किया है। . ..*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदयः आप संक्षेप में अपनी बात कहिए।

...*(व्यवधान)*

श्री धनंजय सिंह (जौनपुर): उपाध्यक्ष महोदय, सभी सांसदों ने एक ही बात कही थी। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदयः आप बीच में इंटरप्ट मत कीजिए। उन्होंने जवाब दे दिया है।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदयः वे बोल रहे हैं कि सबकी सलाह मान रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

श्री धनंजय सिंह: उपाध्यक्ष महोदय, वे सलाह कहां मान रहे हैं। ...*(व्यवधान)* जो काम लोगों ने कहा, कच्चा-पक्का काम का रेशियो था, उस रेशियो में बढ़ोतरी की बात थी। पक्के काम को बढ़ाने की बात थी। उस पर आप कोई एश्योरेंस सदन में दे ही नहीं रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री प्रदीप जैनः हमारे सम्मानित साथी ने जो बात रखी है, चूंकि यह एक एक्ट है और इस एक्ट में संशोधन नहीं हो सकता। यह एक अच्छा विषय है जिससे सब लोग जुड़े हैं। मैं अपने सम्मानित साथी से आग्रह करूंगा कि वे अपना विधेयक वापिस लेने की कृपा करें।

श्री हंसराज गं. अहीर (चन्द्रपुर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं जिस विषय पर संशोधन विधेयक लाया था, उस पर मंत्री जी ने जवाब नहीं दिया। आपने आरोपों का जवाब देते समय बिल के मुख्य उद्देश्य पर जवाब नहीं दिया। मैं कह रहा था कि सौ दिन के रोजगार को साल भर में बदला जाये। हम एक दूसरा प्रस्ताव भी लाये थे कि परिवार के एक सदस्य को काम दिया जा रहा है, वह गलत है। जो सदस्य काम मांगेगा, उसे काम दिया जाये। उस पर आपने कुछ नहीं कहा। मैं इस बारे में थोड़ा बताना चाहता हूं कि इसमें भ्रष्टाचार कम होने के आसार हैं। गांव में हर परिवार काम पर नहीं जाता। एक गांव में 20-25 मकान होते हैं, जिनके सदस्य मजदूरी पर जा सकते हैं, मनरेगा पर काम में जाते हैं। उस परिवार में अगर आप एक व्यक्ति को काम देते हैं, तो 20-25 लोग ही काम पर जाते हैं। अगर अधिक से अधिक लोगो को काम दिया जाएगा तो ऐसे बोगस रजिस्टर नहीं बनेंगे। रजिस्टर पर बोगस नाम नहीं लिखे जाएंगे। असली आदमियों को काम मिलेगा और उसमें भ्रष्टाचार नहीं होगा। आप इस पर गहराई से नहीं सोच रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों का हर व्यक्ति काम नहीं मांग रहा है। इसलिए एक परिवार से एक ही व्यक्ति को काम दिया जाएगा, उसे आप रोकिए। हम उसके लिए मना कर रहे हैं। हमारा कहना है कि यह नहीं होना चाहिए। ....*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदयः आप संक्षेप में अपनी बात कहिए।

सायं 6.00 बजे

श्री हंसराज गं. अहीरः दूसरी बात यह है कि मनरेगा में सौ दिन के रोजगार में गारंटी शब्द क्यों दिया? गारंटी मत दो। महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना कैसे बन सकती है? इसमें सौ दिन के रोजगार में गारंटी नहीं होनी चाहिए। इसलिए ये सौ दिन की जो शर्त है, वह निकाली जाए। इसमें आप बार-बार कह रह हैं कि किसानों के प्रति भी ध्यान दिया है।

उपाध्यक्ष महोदयः संक्षेप में कीजिए।

श्री हंसराज गं. अहीरः मैं कह रहा हूं कि गांव में जो स्किल्ड वर्कर्स रहते हैं, उन्हें भी काम मिलना चाहिए। उनको काम नहीं मिल रहा है। इसलिए ज्यादा दिन का रोजगार मिले और भ्रष्टाचार पर रोक लगाएं। इस बात को आप स्पष्ट करें, तो इस बात को मैं मान लूंगा।

श्री प्रदीप जैनः हमारे सम्मानित सदस्य की जो भावना है, उनकी जो नीयत और नीति है, उसको मैंने समझा है। मैं यह बताना चाहता हूं कि आपने दो बातों पर विधेयक लाया था। आज देश के सात लाख से ज्यादा गांव और ढाई लाख से ज्यादा ग्राम पंचायतों का, हम हर राज्य का यदि सारांश देखें, तो किसी भी राज्य ने पचास दिन से ज्यादा का रोजगार नहीं दिया है।

उपाध्यक्ष महोदयः संक्षेप में बोलिए।

श्री प्रदीप जैनः देश में आठ फीसदी ही ऐसे लोग हैं, जिन्होंने उसके अंदर सौ दिन का काम किया है। जब 92 फीसदी लोग सौ दिन का काम नहीं कर रहे हैं, तो हम सौ दिन से ज्यादा

इसे नहीं बढ़ा सकते। दूसरा जो जॉब-कार्ड है, उसमें परिवार में जितने वयस्क सदस्य हैं, वे सारे उसमें कार्य कर सकते हैं। उसमें कोई प्रतिबंध नहीं है। मैं माननीय सदस्य से आग्रह करूंगा कि वे इसे वापस लें।

श्री हंसराज गं. अहीर: महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण नियोजन गारंटी अधिनियम, 2005 में और संशोध न करने वाले विधेयक को वापस लेने की अनुमति दी जाए।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण नियोजन गारंटी अधिनियम, 2005 में संशोधन करने वाले विधेयक को वापस लेने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[हिन्दी]

श्री हंसराज गं. अहीर: मैं विधेयक वापस लेता हूं।

सायं 6.01 बजे

सफाई कर्मचारी बीमा योजना विधेयक, 2011

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: सभा मद संख्या 46 पर विचार करेगी। श्री अर्जुन राम मेघवाल।

[हिन्दी]

श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि सफाई कर्मचारियों को उनके कार्य के दौरान किसी दुर्घटना होने पर आर्थिक संरक्षण प्रदान करने, उनके हितों की रक्षा करने तथा उससे संबंधित मामलों के लिए एक व्यापक और अनिवार्य बीमा योजना का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

महोदय, मैं आज बहुत ही महत्त्वपूर्णा विषय पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। समाज का सबसे कमजोर तबका सफाई कर्मचारियों को उनके कार्य के दौरान किसी दुर्घटना होने पर आर्थिक संरक्षण प्रदान करने, उनके हितों की रक्षा करने तथा उससे संबंधित मामलों के लिए एक व्यापक और अनिवार्य बीमा योजना का उपबंध करने वाले विधेयक पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। आपने मुझे इसके लिए समय दिया है, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय: मेघवाल जी, आप अभी बैठ जाइए, अगली बार आप इसको कंटीन्यू करेंगे।

श्री अर्जुन राम मेघवाल: धन्यवाद।

उपाध्यक्ष महोदय: अगर सभा की अनुमति हो तो सभा का जीरो अवर समाप्त होने तक बढ़ा दिया जाए।

कुछ माननीय सदस्य: जी हां।

[हिन्दी]

श्री हुक्मदेव नारायण यादव (मधुबनी): उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक महत्त्वपूर्ण विषय की ओर सदन और सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। देश भर में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का जो निर्माण हो रहा है। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: संक्षेप में बोलिए।

श्री हुक्मदेव नारायण यादव: प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना बहुत लंबी बन रही है, इसलिए बात थोड़ी लंबी हो सकती है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का काम ठप्प पड़ा हुआ, जो राशि केंद्र से जानी चाहिए, वह नहीं जा रही है। दो साल से काम अधूरा पड़ा हुआ है, जो सड़कें बन रही थीं, उनके ईंट और खड़ंजे की खुदाई कर दी गई, सड़क पर कीचड़ का अम्बार है, गांव वालों को बरसात में चलने में कष्ट हो रहा है। इसलिए उनको जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए। बिहार में मधुबनी और दरभंगा में, अपने क्षेत्र में मैं जब घूमता हूं, तो प्रथम चरण में वर्ष 2002 में जो सड़कें बनी थीं, उनमें से आधी दर्जन सड़कें अधूरी पड़ी हुई हैं, पैसा बेकार गया। इसलिए प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना को युद्धस्तर पर पूरा कराने के लिए, जो अधूरे काम हैं, उनके लिए राशि केंद्र सरकार निर्गत करे और राज्य सरकारों के साथ समन्वय बनाकर उस योजना को पूरा करवाने में पूर्ण रूप से केंद्र सरकार सहयोग दे। केंद्र सरकार की उपेक्षा की नीति बर्दाश्त योग्य नहीं है, मैं उसकी निंदा करता हूं। केंद्र सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए, राज्य सरकारों को पूरी मदद देनी चाहिए, जिससे वह योजना पूरी हो सके।

श्री हंसराज गं. अहीर (चन्द्रपुर): उपाध्यक्ष जी, एक नेशनल हाइवे जो नागपुर से चन्द्रपुर की ओर जाता है, उस पर कुछ काम

हो रहा था और कुछ काम हुआ है। वहां पर अवैध रूप से एक टोल प्लाजा बनाया गया है और एक निजी कंपनी वहां पर टोल वसूली कर रही है। इस अवैध टोल वसूली की वजह से चन्द्रपुर से नागपुर की ओर उस हाइवे पर चलने वाले सभी वाहनों, गाड़ियों और प्रवासियों को टोल पर बेमतलब रुपया देना पड़ता है। जो काम इस कंपनी ने किया नहीं, यह कार्य एनडीए सरकार के कार्यकाल में किया गया था, वह कार्य गोल्डन नेशनल कॉरीडोर स्कीम के अंतर्गत किया गया था। उस कार्य को एनडीए सरकार ने पूरा किया। अब यहां ओरिएण्ट नाम की एक कंपनी ने उस रोड के बगल में हाइवे के लिए एक एप्रोच रोड एवं एक ब्रिज बनाया है, जिसमें उन्होंने 210 करोड़ रुपये का काम किया है। जिस रोड का उन्होंने निर्माण किया है, उस पर टोल प्लाजा लगाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने उस रोड को छोड़कर, जो कार्य एनडीए सरकार के समय में पूरा हुआ है, उस पर टोल प्लाजा लगाकर लोगों से टोल वसूल कर रहे हैं। करीब 70 से 80 लाख रुपये रोज वहां टोल के रूप में वसूल होते हैं। चन्द्रपुर से नागपुर की ओर जो गाड़ियां आती हैं, वहां सीमेंट, कोयला, स्टील आदि आदि की इंडस्ट्रीज हैं। ये सारी चीजें जब वहां से आती हैं, तो करीब 80 लाख रुपये वहां रोज टोल वसूली अवैध रूप से होती है। उस रोड का काम उन्होंने किया ही नहीं है। वह काम एनडीए सरकार के समय में किया गया था। कोर्ट के असत्य एफिडेविट देकर ऐसा किया जा रहा है। पहले वे अवैध काम कर रहे थे, तो हाईकोर्ट ने उस टोल प्लाजा को बंद कर दिया था। हाईकोर्ट द्वारा बंद किए जाने के बाद भी एनएचएआई के वरिष्ठ अधिकारियों ने उन्हें वहां टोल प्लाजा लगाने की अनुमति दी। यह बहुत गंभीर मामला है। मैं आपके सामने बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का मामला रख रहा हूं। इसमें मैं एक लाइन भी गलत कहने नहीं जा रहा हूं। *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: आप क्या चाहते हैं?

श्री हंसराज गं. अहीर: महोदय, जो रोड उन्होंने बनाया नहीं है, उस पर वसूली जारी है। इसमें एनएचएआई के अधिकारी, डायरेक्टर, चेयरमैन, एमडी आदि जो भी लोग वहां हैं, उनकी मिलीभगत से यह किया गया है। यहां जितनी भी वसूली होती है, उसमें भ्रष्टाचार हो रहा है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि नागपुर और चन्द्रपुर, इन दो शहरों के बीच के इस रास्ते पर लूट हो रही है। इस लूट को रोकने के लिए आप सरकार से कहें। जब तक यह लूट रुकेगी नहीं, तब तक हम यह समझेंगे कि...* उसमें मिले हुए हैं। *...(व्यवधान)* मैं मंत्री से मिला हूं। *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: आप बात को लम्बा कर रहे हैं। किससे-किससे मिले, यह बताएंगे, तो पूरे दिन बात चलेगी, जीरो अवर का मतलब यह नहीं है। जीरो अवर का मतलब है कि एक घंटे बोलिए।

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री हंसराज गं. अहीर: महोदय,, मैं सीपी जोशी साहब से मिला, उनको पूरी डिटेल्स दी हैं। उन्होंने अभी तक मुझे जवाब तक नहीं दिया है। मंत्री यहां नहीं हैं। मुझे जवाब नहीं दिया है। दो माह से मैं लिख रहा हूं। चार माह से वसूली हो रही है, वहां पर करीब 20 करोड़ रुपया हर महीने वसूलते हैं, अभी तक उन्होंने करीब 100 करोड़ रुपये वसूल किए हुए हैं और यह तीस साल तक चलने वाला है। 30 साल में करीब आठ से दस हजार करोड़ रुपये की यहां पर उगाही होने वाली है, भ्रष्टाचार होने वाला है। यह मैं आपको पेपर में दे रहा हूं। मैं लोक सभा में बोल रहा हूं। जिम्मेदारी से बोल रहा हूं। *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: आप क्या चाहते हैं?

श्री हंसराज गं. अहीर: इसे रोका जाए। यह टोल प्लाजा बंद किया जाए। यही मैं मांग करता हूं।

श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर): महोदय, आपने मुझे बहुत ही महत्त्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं।

महोदय, राजस्थान सरकार ने वर्ष 2009 में एक खनिज नीति बनाई और खनिज सम्पदा के आवंटन के लिए उन्होंने कहा कि 'पहले आओ, पहले पाओ' की नीति के आधार पर सैंड स्टोन के पट्टे के लिए आवेदन की मांगकी थी। उसके तहत उनको 87 आवेदन पत्र प्राप्त हुए और उसमें यह शर्त थी कि पट्टा कम से कम पांच हेक्टेयर के लिए दिया जाएगा। वर्ष 2011 में राजस्थान खनन नीति में 50 प्रतिशत आरक्षित वर्ग को और 50 प्रतिशत खदानें नीलामी में दी जानी थी। इसके साथ ही खदान का पट्टा कम से कम पांच हेक्टेयर के लिए देने की शर्त थी। 23 नवम्बर, 2012 को मुख्यमंत्री ने कैबिनेट में प्रस्ताव लेकर राजस्थान खनन नीति में संशोधन कर पांच हेक्टेयर की शर्त की जगह एक हेक्टेयर की शर्त कर दी गई। उसमें यह शर्त जोड़ दी गई कि जोधपुर जिले के गांव बड़कोटेजा में खदान उसी को मिलेगी जिसका जोधपुर के लिए मंडोर स्टोन पार्क में सैंड स्टोन का कारखाना होगा। राजस्थान सरकार के इस संशोधन का पूरा लाभ राजस्थान के ...* को गया। 87 आवेदनों में से 50 आवेदक इस शर्त के साथ बाहर हो गए। बाकी बचे 37 आवेदनों में से 17 राजस्थान के ...* को गए। *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: एलीगेशन नहीं लगाना है, नाम लेकर एलीगेशन नहीं लगाना है।

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री अर्जुन राम मेघवाल: उन लोगों को खानें आबंटित हो गईं। राजस्थान सरकार के मुख्य मंत्री संवैधानिक पद पर हैं।

उपाध्यक्ष महोदय: जो नाम लिया गया है, उसे डिलीट कर दिया जाए।

श्री अर्जुन राम मेघवाल: मैं उसी पर आ रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय: सीधे आइए, आप क्या चाहते हैं, वह बोलें।

श्री अवतार सिंह भडाना (फरीदाबाद): सुप्रीम कोर्ट में मामला है, सीसी कमेटी जांच कर रही है।

उपाध्यक्ष महोदय: ठीक है, उन्हें बोलना था, बोल दिया, आपको जवाब नहीं देना है। जवाब देने का काम सरकार का है।

श्री अर्जुन राम मेघवाल: राजस्थान के मुख्यमंत्री संवैधानिक पद पर हैं। मैं भारत सरकार के गृह मंत्री जी से मांग करता हूं कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए और जिन्हें खानें आबंटित हुई हैं, वे रद्द होनी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय: श्री राजेन्द्र अग्रवाल और श्री वीरेन्द्र कश्यप, श्री अर्जुन मेघवाल द्वारा उठाए गए विषय से स्वयं को सम्बद्ध करते हैं।

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): उपाध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे एक लोक महत्त्व के विषय को उठाने का यहां मौका दिया। इस विषय की प्रासंगिकता इसलिए और बढ़ जाती है कि आज मेरा जो यह विषय स्वीकार हुआ है, सौभाग्य से आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और सदन में भी माननीय सदस्याओं, स्पीकर साहिबा और अन्य सदस्यों ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तीकरण का संकल्प लिया है। भारत के महामहिम राष्ट्रपति महोदय आज राष्ट्रपति भवन में आज उस निर्भया को स्त्री शक्ति के रूप में उसके साहस का सम्मान कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर अमेरिका में मिशेल ओबामा जो वहां की प्रथम महिला हैं, वह भी उस निर्भया के साहस को सम्मानित कर रही हैं।

उपाध्यक्ष महोदय: आपको क्या कहना है, यह बताएं।

श्री जगदम्बिका पाल: मैंने विषय शुरू किया है। उस 16 दिसम्बर की घटना ने पूरी दुनिया और हमारे देश को सोचने के लिए बाध्य कर दिया है कि आज महिलओं की सुरक्षा, सशक्तीकरण समाज के लिए आवश्यक-आवश्यक अंग है, वहीं दूसरी तरफ 16 दिसम्बर के बाद आज भी लगता है कि जैसे दिल्ली पुलिस की व्यवस्था नहीं बदली है। एक महिला पत्रकार के साथ देश की राजधानी इसी दिल्ली की सड़कों पर छेड़खानी हुई और उसे 15 घंटे लगे पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराने में, क्योंकि 15 घंटे तक उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी गई। आज भी उस घटना के बाद जिस दिल्ली में या जस्टिस वर्मा की रिपोर्ट बने और आज भी 96 प्रतिशत महिलाएं अपने को यहां असुरक्षित महसूस करें तो हमें निश्चित तौर से इस विषय पर सोचना होगा। पिछले 145 दिनों में अगर 141 बलात्कार की घटनाएं होती हैं।

उपाध्यक्ष महोदय: आपकी सरकार से क्या मांग है, यह बताएं।

श्री जगदम्बिका पाल: मेरी सरकार से मांग है कि कम से कम देश की इस राजधानी को जिस तरीके से एक घटना ने हम लोगों को उद्वेलित कर दिया, उन महिलाओं की सुरक्षा के लिए पुलिस को जवाबदेह बनाया जाए। उनकी जवाबदेही हो कि राजधानी की महिलाएं सुरक्षित हों। दूसरी तरफ जो कोख के कातिल हैं, जो भ्रूण हत्या करते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय: इसका इस विषय से कोई सम्बन्ध नहीं है। आप दो विषय उठा रहे हैं, जबकि आपको एक ही विषय पर बोलना है।

श्री जगदम्बिका पाल: एक ही विषय है। आज कारण क्या है कि 1000 लड़कों पर 866 लड़कियां हैं। यह भी एक महत्त्वपूर्ण कारण है। चाहे महाराष्ट्र हो, उसमें 1000 लड़कों पर 837 लड़कियां हैं। यू.पी. में 1000 लड़कों पर 832 लड़कियां हैं। इस तरीके से जो यह प्रतिशत घटा है, मैं समझता हूं कि इस तबके को सुरक्षा मिलनी चाहिए।

[अनुवाद]

श्री रमेन डेका (मंगलदोई): धन्यवाद, उपाध्यक्ष महोदय। मैं यहां पर अपने निर्वाचन क्षेत्र मंगलदोई, असम के बहुत ही महत्त्वपूर्ण मुद्दे को उठाने के लिए खड़ा हुआ हूं। उदलगिरी, दाररंग तथा कामरूप ग्रामीण जिले मेरे निर्वाचन-क्षेत्र में आते हैं तथा राष्ट्रीय राजमार्ग-52 मेरे निर्वाचन क्षेत्र से गुजरता है जो अरुणाचल प्रदेश को जोड़ता है। अरुणाचल प्रदेश भारत-चीन सीमा पर स्थित है। उत्तर कामरूप, दाररंग तथा उदलगिरी भारत-भूटान सीमा में आते हैं। एकमात्र कनेक्टिविटी राष्ट्रीय राजमार्ग-52 है। इस सीमा क्षेत्र में रहने वालों की जिला मुख्यालयों तथा 34 मंडल मुख्यालय तक कोई पहुंच नहीं है। एकमात्र सम्पर्क मार्ग (लाइफलाइन) राष्ट्रीय राजमार्ग-52 है।

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

अत:, मैं सरकार से यह अनुरोध करता हूं कि सरकार भारत-भूटान सीमा क्षेत्र में आने वाले उदलगिरी, दाररंग तथा कामरूप जिलों को सीमा सड़क से जोड़े जिससे ऊपर बताये गये सीमा क्षेत्रों में रहने वाले उपमंडल (सब-डिवीजनल) तथा जिला मुख्यालयों तक सुगमतापूर्वक पहुंच सकेंगे।

इससे हमें सीमावर्ती क्षेत्रों पर उचित निगरानी रखने में मदद मिलेगी। ये जिले महत्त्वपूर्ण बिंदुओं पर स्थित हैं और बाहरी तथा आंतरिक सुरक्षा के मद्देनजर उचित कनेक्टिविटी की आवश्यकता है। माननीय मंत्री, श्री पवन सिंह घाटोवार यहां हैं। मुझे लगता है कि वह इस पर ध्यान देंगे जिससे कि एक सीमावर्ती मार्ग का निर्माण हो और सीमावर्ती क्षेत्रों को कनेक्टिविटी मिलेगी। रक्षा की दृष्टि से भी यह महत्त्वपूर्ण है क्योंकि यदि चीन और भारत के बीच युद्ध छिड़ता है तो युद्ध सामग्री ले जाने के लिए केवल राष्ट्रीय राजमार्ग-52 ही है। दूसरा कोई वैकल्पिक मार्ग नहीं है। अत: हमारे पास एक ऐसा वैकल्पिक राजमार्ग होना चाहिए जो अरुणाचल प्रदेश को दहांग के साथ जोड़े जिससे कि हमारे सैन्यकर्मी इसका उपयोग कर सकें।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: श्री अर्जुन मेघवाल, श्री राजेन्द्र अग्रवाल एवं श्री धनंजय सिंह जी को श्री रमेन डेका जी के विषय के साथ सम्बद्ध किया जाता है।

श्री नारायण सिंह अमलाबे (राजगढ़): उपाध्यक्ष जी, प्रत्येक व्यक्ति की हार्दिक इच्छा रहती है कि जीवन में गंगा स्नान कम से कम एक बार किया जाए। प्रयागराज जो कि अब इलाहाबाद में है, हिंदू धर्म में श्रद्धालुओं का सबसे पवित्र तीर्थ स्थान है। प्रयागराज संगम महाकुंभ में स्नान हेतु जाने वाले श्रद्धालुओं की स्थिति अत्यन्त दयनीय रहती है। ट्रेनों में पैर रखने की जगह नहीं मिलती है। महिलाएं एवं वृद्धजनों एवं बच्चों को अन्यत्र जंक्शनों पर जाकर रेलगाड़ियां बदलनी पड़ती हैं। इलाहाबाद के लिए सीधी ट्रेन की मांग मेरे संसदीय क्षेत्र की जनता की बहुत पुरानी है। उज्जैन तथा इलाहाबाद दोनों ही सप्तपुरी के नाम से प्रसिद्ध तीर्थ नगरी हैं तथा दोनों को वाया गुना होकर जोड़ने की आवश्यकता है ताकि मक्सी-गुना-माणिकपुर रेलखंड के दौरान पड़ने वाले स्टेशनों की जनता भी सीधे जुड़ सके। मक्सी- रूठियाई-गुना-मालखेड़ी-कटनी-माणिकपुर सेक्शन पश्चिम मध्य रेलवे का ही सेक्शन है जिसमें से रूठियाई से कटनी तक तो पूर्णत: विद्युतीकृत है तथा कहीं भी इंजन की दिशा बदलने की आवश्यकता नहीं है। पश्चिम मध्य रेलवे जोन में स्थित संसदीय क्षेत्र राजगढ़ सहित उज्जैन, देवास-शाजापुर तथा गुना संसदीय क्षेत्र के यात्रियों को सुविधा उपलब्ध करवाने हेतु इन रेल खंडों को जोड़ते हुए एक नवीन रेलगाड़ी रतलाम-उज्जैन से इलाहाबाद वाया मक्सी, ब्यावरा, रूठियाई, गुना, मालखेड़ी तथा कटनी होकर चलाया जाना अत्यंत आवश्यक है।

अत: आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी से विनम्र निवेदन है कि एक नवीन रेलगाड़ी रतलाम-उज्जैन से इलाहाबाद वाया मक्सी, ब्यावरा, रूठियाई, गुना होकर चलवाने की कृपा करें।

श्री शैलेन्द्र कुमार (कौशाम्बी): मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि जो शून्य काल में सम्मानित सदस्य अपनी बात रखते हैं उन्हें मंत्रालय भिजवाकर इस पर कार्रवाई करवायें। उसी कड़ी में विगत पिछले वर्ष यह देखा गया है कि मनरेगा की धनराशि ग्राम पंचायतों को डायरेक्ट जाती है। क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत को नहीं जा रही है जबकि केन्द्र की यह योजना है कि जिला पंचायत के अलावा यह राशि क्षेत्र पंचायतों में जाए। उपाध्यक्ष जी, आप भी जानते हैं कि जिला सतर्कता निगरानी समिति के सभी सम्मानित सदस्य अध्यक्ष हैं, लेकिन बार-बार वहां कहने के बावजूद भी उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाता। अभी माननीय मंत्री जी को भी मैंने इस बारे में कहा है। क्षेत्र पंचायत एक तरीके से विकास की कड़ी ग्रामीण क्षेत्रों में होती है। हमारे यहां दो स्तर पर व्यवस्था है, एक प्रधान जिसे डायरेक्ट धनराशि जाती है, दूसरा बीडीसी जो क्षेत्र पंचायत का सदस्य होता है वह बिल्कुल बेकार रहता है, निरीह और बेसहारा रहता है। उसके पास कोई काम नहीं रहता है। अगर यह धनराशि क्षेत्र पंचयत ब्लॉक स्तर पर जाए तो मेरे ख्याल से क्षेत्र पंचायत जो बीडीसी के सदस्य हैं वे काम कराएं, उनके हाथों में भी काम आयेगा और क्षेत्र का भी विकास होगा। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय: श्री रवनीत सिंह एवं धनंजय कुमार जी को श्री शैलेन्द्र कुमार जी के विषय के साथ सम्बद्ध किया जाता है।

श्री पोन्नम प्रभाकर (करीमनगर): उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बहुत गंभीर विषय पर बोलने का मौका दिया है, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मैं समझता हूं कि जितने सदस्य सदन में बैठे हैं, वे इस विषय पर मुझे सपोर्ट करेंगे। मार्च महीना शुरू हो गया है और पूरे देश में पीने के पानी की दिक्कत शुरू हो चुकी है। विशेषकर आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में भी पीने के पानी की बहुत तकलीफ हो रही है। भारत सरकार और राज्य सरकार की तरफ से यहां पीने के पानी के लिए जितने प्रोजेक्ट्स के लिए इनवेस्टमेंट करनी है, उतनी इनवेस्टमेंट नहीं की जा रही है, जिस कारण लोगों को बहुत दिक्कत हो रही है। पीने का पानी नार्म्स के आधार पर हर व्यक्ति को 140 लीटर मिलना चाहिए, लेकिन अभी केवल 70

लीटर पानी भी नहीं दे पा रहे हैं और इसमें भी क्वालिटी के पानी की बहुत कमी है। इस कारण बहुत लोग रोगग्रस्त हो रहे हैं। पानी में फ्लोराइड का भी बहुत प्रभाव है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि इस गंभीर विषय पर चर्चा करे और देश के सभी लोगों को स्वच्छ पानी के लिए ज्यादा से ज्यादा पैसा खर्च करके प्रोजेक्ट्स बनाए। यह सरकार की सोशल रिस्पोंसिबिलिटी है।

प्रो. सौगत राय (दमदम): महोदय, आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। आज सुबह इस सदन में हमने चर्चा सुनी, जिसमें माननीय अध्यक्ष महोदया, नेता प्रतिपक्ष, सम्माननीय गिरिजा व्यास और बहुत सारी महिला सदस्यों ने इस चर्चा में भाग लिया और कुछ पुरुष सदस्य, श्री शरद यादव जी ने भाग लिया। आज महिला दिवस है, इसलिए इस विषय पर मैसेज देना जरूरी है। मुझे कहना है कि हम सब लोगों ने तय किया कि अध्यक्ष जी की बात पर चलते हुए कि महिलाओं को सम्मान और सुरक्षा हम सुनिश्चित करेंगे। लेकिन अभी आप हाउस को देखिए, एक भी महिला सदस्य नहीं है, क्योंकि छः बज गए हैं और आज अखबार में एक सर्वे रिपोर्ट निकली है, टाइम्स ऑफ इंडिया और दूसरे अखबारों में, कि दिल्ली में 96 प्रतिशत महिला अपने को शाम ढलने के बाद सुरक्षित नहीं समझती हैं। यहां महिलाओं को सुरक्षा नहीं है। यहां जगदम्बिका पाल जी शासक दल बहुत वरिष्ठ सदस्य, एक कमेटी के चेयरमैन और भूतपूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी इस बात को दोहराया है कि दिल्ली में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। महिलाओं से छेड़छाड़ होने के बाद रिपोर्ट दर्ज कराने में 16 घंटे लगते हैं। इस सर्वे में यह भी बताया गया है कि काम की जगहों पर ह्रासमेंट होता है, उसकी सुनवाई के लिए कोई इंतजाम नहीं है। 16 दिसम्बर की घटना बड़ी दुखद थी। जिसके बाद पूरी दिल्ली उबल पड़ी। पूरी दुनिया में आज निर्भय के नाम की चर्चा हो रही है। अमेरिका में भी उसकी हिम्मत की चर्चा हो रही है। फिर भी हमारी हालत सुधरी नहीं है। यह बहुत दुखद बात है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर मुझे यह बोलना पड़ा। आपको पता होगा कि जो नया बिल आना था, सरकार जल्दबाजी में एक आर्डिनेंस लाई है। उसकी जगह बिल आना था और वह बिल क्या होगा क्योंकि इसको लेकर हम होम मिनिस्ट्री और लॉ मिनिस्ट्री का झगड़ा चलता रहता है जिसके कारण बिल फाइनल नहीं किया गया। इसलिए हम जानना चाहते हैं कि क्या यह सरकार महिलाओं को सुरक्षा देने के मामले में गंभीर है? मैं चाहता हूं कि महिलाओं के साथ जो घटनाएं घटती हैं, उन पर कार्रवाई की जानी चाहिए ताकि हिन्दुस्तान की राजधानी दिल्ली में महिलाओं के खिलाफ ऐसी कोई घटना न घटे जो हम सबका सिर देश में और देश से बाहर शर्म से झुका देती है। यही मेरा कहना है।

डॉ. भोला सिंह (नवादा): उपाध्यक्ष महोदय, बिहार सर्वधर्म समभाव की मां है परंतु बिहार चीनी उद्योग के क्षेत्र में पिछड़ गया है। वहां अंग्रेजों के जमाने में 42 चीनी मिल के कारखाने थे और आज वहां मात्र 8 कारखाने बचे हुए हैं। उत्तर बिहार में पूर्वी पश्चिमी चम्पारण, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर इत्यादि सारे हिस्सों में चीनी के कारखाने थे। मैं जिस नवादा से आता हूं, वहां पर वारिसलीगंज में चीनी का कारखाना था। उस चीनी के कारखाने में उस समय की महारानी विक्टोरिया वारिसलीगंज के चीनी मिल की चीनी खाया करती थीं। उतना स्वाद, उतनी बढ़िया चीनी दूसरी जगह प्राप्त नहीं होती थी लेकिन आज चीनी के कारखाने नहीं रहने के कारण हजारों किसानों की जिन्दगी में तुषारापात हो गया है।

उपाध्यक्ष महोदय, आज भी जिस गाड़ी से उपज का उठान किसान करते हैं, वे उसकी आज भी पूजा किया करते हैं। आज भी उस चीनी के कारखाने की मशीन के सामने जाकर इस आशा से हूक दिया करते हैं कि उनकी जिन्दगी में भी बहार आएगी और ये चीनी के कारखाने खुलेंगे। ये कारखाने इसलिए बंद हैं कि बिहार सरकार ने केन्द्र सरकार के पास प्रस्ताव भेजा कि अभी जो चीनी के कारखाने हैं और जब तक इथनॉल का उत्पादन नहीं होगा, तब तक वह वॉयबल नहीं है। इसलिए इथनॉल के उत्पादन की अनुज्ञप्ति दी जाए। इसी सदन में हमारे कृषि मंत्री श्री शरद पवार ने घोषणा की थी कि यद्यपि वे नहीं चाहते हैं लेकिन बिहार का जो प्रस्ताव है, उस प्रस्ताव को ध्यान में रखते हुए हम उन्हें अनुज्ञप्ति देने पर विचार करेंगे। मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करना चाहता हूं कि चीनी के कारखाने वारिसलीगंज में नहीं रहने के कारण 30-30, 40-45 साल की लड़कियां वहां कुंवारी हैं। उनकी शादियां नहीं हो पा रही हैं और बच्चों की पढ़ाई में भी बाधा हो रही है। इस कारण से वहां की जिन्दगी काफी मुसीबतग्रस्त और बेपनाह है। वहां पर कई तरह की दुर्भावनाएं और कई तरह की हिंसक घटनाएं हो रही हैं। लोग बेरोजगार हैं। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि बिहार सरकार का जो चीनी के कारखाने खोलने के संबंध में इथनॉल को अनुज्ञप्ति देने से संबंधित जो प्रस्ताव है, भारत सरकार उस पर विचार करे और इथनॉल की अनुज्ञपप्ति दे ताकि नवादा और बिहार में फिर से खुशियां आ सके और बहार आ सके। धन्यवाद।

श्री कौशलेन्द्र कुमार (नालंदा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। रक्षा मंत्रालय ने आयुध निर्माण बोर्ड के माध्यम से रक्षा बलों की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु राजगीर नालंदा में आयुध फैक्ट्री की स्थापना का कार्य 1999 में 501.42 करोड़ रुपए की पूंजीगत परिव्यय से प्रारंभ किया था। यह देश का दुर्भाग्य है कि एक ओर जहां सरकार देश को सामरिक रूप से समर्थ बनाना चाहती है वहीं दूसरी ओर 13 साल बीत जाने के बाद भी इस अति महत्त्वपूर्ण आयुध फैक्ट्री परियोजना राजगीर नालंदा को पूरा

नहीं किया जा सका है जबकि इसे नवंबर 2005 में पूरा किया जाना था। मेरा सरकार से आग्रह है कि इस तरह की परियोजना के प्रबंधन में घोर लापरवाही बरतने के लिए जिम्मेदारी निर्धारित कर हम समुचित कार्यवाही कर आयुध फैक्ट्री परियोजना नालंदा को जल्द से जल्द चालू कराया जाए।

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन (भागलपुर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे जीरो आवर में बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। बजट पर नालंदा की चर्चा हुई थी, मैं इसके लिए सरकार को धन्यवाद देता हूं कि सरकार इस बारे में चिंता कर रही है लेकिन सरकार विक्रमशिला को भूल जाती है। मैं भागलपुर से सांसद हूं। मैं इस संबंध में माननीय प्रधानमंत्री जी से भी मिला था। कल्चर मिनिस्ट्री की तरफ से सर्वे टीम भी गई थी, अभी पूरी खुदाई भी नहीं हुई है। सरकार विक्रमशिला को क्यों भूल रही है, यह प्रश्न हमारे दिमाग में आता है। मैं आपके जरिए सरकार के समक्ष विक्रमशिला की उपेक्षा का विषय उठाना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि विक्रमशिला बहुत पुरानी संस्कृति की धरोहर है। इस तरफ सरकार को जिस तरह से ध्यान देना चाहिए और इसकी पूरी तरह खुदाई होनी चाहिए। आपने नालंदा के नाम पर यूनिवर्सिटी बनाई है। जब आप बहुत सी सैंट्रल यूनिवर्सिटी बना रहे हैं तो क्यों नहीं सरकार विक्रमशिला के नाम पर एक अलग यूनिवर्सिटी कायम कर रही है? मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि सरकार ने विक्रमशिला नाम की एक्सप्रेस गाड़ी चला दी है, आप भी उसमें कई बार बैठे होंगे लेकिन विक्रमशिला के नाम पर और कुछ सरकार ने एकदम से नहीं किया है। मैं भागलपुर से सांसद हूं, मुझे इस बात पर गर्व है कि वहां के लोग लगातार इस विषय को उठाने के लिए कहते हैं। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि विक्रमशिला के नाम पर फंड दिया जाए। दो सैंट्रल यूनिवर्सिटी बिहार को मिली हैं लेकिन विक्रमशिला के नाम पर भी यूनिवर्सिटी खोली जाए। विक्रमशिला सिर्फ बिहार की नहीं बल्कि पूरे देश की धरोहर है। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। हमें इसकी उपेक्षा स्वीकार नहीं है। सरकार कम से कम 100 करोड़ रुपए की राशि विक्रमशिला के रखरखाव के लिए दी जानी चाहिए। इसे इस तरह से डेवलप किया जाना चाहिए जिस तरह से नालंदा डेवलप हो रहा है। हम जब स्पीकर साहिबा के साथ पाकिस्तान गए थे, तब देखा था कि तक्षशिला को किस तरह से उन्होंने देखभाल की है हालांकि पूरा पाकिस्तान उजड़ा हुआ है लेकिन तक्षशिला का ध्यान रखा है। भारत सरकार अकसर कहती है कि हमारी इकनामी बहुत अच्छी है, धरोहर को बचाने का काम करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि विक्रमशिला की उपेक्षा क्यों हो रही है? क्या कांग्रेस की हुकूमत नहीं है, भागलपुर के फसाद की वजह से पूरे नॉर्थ में खत्म हो गई है? क्या इस बात का गुस्सा उतार रही है?

उपाध्यक्ष महोदय: आप सरकार से क्या चाहते हैं?

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन: मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि विक्रमशिला के लिए सरकार अच्छी राशि दी जाए, 100 करोड़ की राशि दे, एक सैंट्रल यूनिवर्सिटी विक्रमशिला के नाम पर शुरू करे। हम सरकार की हैसियत जानते हैं कि सरकार बहुत दिक्कत में है। आपने बिहार को एक के बदले दो यूनिवर्सिटी गया और मोतीहारी दी हैं, इसके लिए हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। इसके साथ यह निवेदन करते हैं कि विक्रमशिला सैंट्रल यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाए। मंत्री जी आप रिस्पांड कर दें, हमारी बात को वहां पहुंचा दें, विक्रमशिला के लिए खड़े होकर कह दें।

سید شاہنواز حسین (بھاگلپور): محترم ڈپٹی اسپیکر صاحب، آپ نے مجھے زیرو آور میں بولنے کا موقع دیا اس کے لئے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بجٹ پر نالندہ کی بحث ہوئی تھی، میں اس کے لئے سرکار کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ سرکار اس بارے میں متفکر ہے، لیکن سرکار وکرم شلا کو بھول جاتی ہے۔ میں بھاگلپور سے ممبر آف پارلیمنٹ ہوں۔ میں اس سلسلے میں وزیر اعظم صاحب سے بھی ملا تھا۔ کلچر منسٹری کی طرف سے سروے ٹیم بھی آئی تھی، ابھی پوری کھدائی بھی نہیں ہوئی ہے۔ سرکار وکرم شلا کو کیوں بھول رہی ہے، یہ سوال ہمارے دماغ میں بار بار آتا ہے۔ میں آپ کے ذریعہ سرکار کے سامنے وکرم شلا کی اُپیکشا کا مسئلہ اٹھاتا ہوں۔

ڈپٹی اسپیکر صاحب، آپ جانتے ہیں کہ وکرم شلا بہت پرانی تہذیب کا گہوارہ ہے، اس طرف سرکار کو جس طرح سے دھیان دینا چاہئے اور اس کی پوری طرح سے کھدائی ہونی چاہئے۔ آپ نے نالندہ کے نام پر یونیورسٹی بنائی ہے۔ جب آپ بہت سی مرکزی یونیورسٹیز بنا رہے ہیں تو کیوں نہیں سرکار وکرم شلا کے نام پر ایک الگ یونیورسٹی قائم کر رہی ہے؟ میں بہت ذمہ داری

کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ سرکار نے وکرم شلا نام کی ایکسپریس گاڑی چلا دی ہے، آپ بھی اس میں کئی بار بیٹھے ہوں گے۔ لیکن وکرم شلا کے نام پر اور کچھ سرکار نے ایک دم سے نہیں کیا ہے۔ میں بھاگلپور سے ممبر آف پارلیمنٹ ہوں، مجھے اس بات پر فخر ہے کہ وہاں کے لوگ لگاتار اس مسئلے کو اٹھانے کو کہتے ہیں۔ میں سرکار سے گزارش کرتا ہوں کہ وکرم شلا کے نام پر فنڈ دیا جائے۔ دو سینٹرل یونیورسٹی بہار کو ملی ہیں لیکن وکرم شلا کے نام پر بھی یونیورسٹی کھولی جائے۔ وکرم شلا صرف بہار کی نہیں بلکہ پورے ملک کی دھروہر ہے۔ سرکار کو اس طرف دھیان دینا چاہئے۔ ہمیں اس کی اپیکشا منظور نہیں ہے۔ سرکار کو کم سے کم 100 کروڑ روپے وکرم شلا کے رکھ رکھاؤ کے لئے دئے جانے چاہئے۔ اسے اس طرح سے ڈیولپ کیا جانا چاہئے جس طرح سے نالندہ ڈیولپ ہو رہا ہے۔ ہم جب اسپیکر صاحبہ کے ساتھ پاکستان گئے تھے، تب دیکھا تھا کہ ٹکشیلا کو کس طرح سے انہوں نے دیکھ بھال کی ہے حالانکہ پورا پاکستان اجڑا ہوا ہے لیکن ٹکشیلا کا دھیان رکھا ہوا ہے۔ بھارت سرکار اکثر کہتی ہے کہ ہماری اکنومی بہت اچھی ہے، دھروہر بچانے کا کام کرتے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ وکرم شلا کی اپیکشا کیوں ہو رہی ہے؟ کیا کانگریس کی حکومت نہیں ہے۔ بھاگلپور کے فساد کی وجہ سے پورے نارتھ میں ختم ہو گئی ہے؟ کیا اس بات کا غصہ اتار رہی ہے؟

میں آپ کے ذریعہ سے کہنا چاہتا ہوں کہ وکرم شلا کے لئے سرکار اچھی رقم مہیا کرائے۔ 100 کروڑ روپے مہیا کرائے، ایک سینٹرل یونیورسٹی وکرم شلا کے نام پر شروع کرے۔ ہم سرکار کی حیثیت جانتے ہیں کہ سرکار بہت دقت میں ہے۔ آپ نے بہار کو ایک کے بدلے دو یونیورسٹی کیا اور موتی ہاری دی ہیں، اس کے لئے ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہ گزارش کرتے ہیں وکرم شلا یونیورسٹی بھی قائم کی جائے۔ منتری جی آپ ریسپانڈ کریں، ہماری بات کو وہاں تک پہنچا دیں، وکرم شلا کے لئے کھڑے ہو کر کہہ دیں --- شکریہ---

[अनुवाद]

श्री एस. सेम्मलई (सलेम): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मेरे संसदीय क्षेत्र से संबंधित एक महत्त्वपूर्ण मामले को उठाने का मौका दिया।

मेरे संसदीय क्षेत्र में स्थित सलेम इस्पात संयंत्र के परिसर में जहां लगभग 2500 एकड़ भूमि खाली पड़ी हुई है और जिसे एसएसपी द्वारा उपयोग नहीं किया जा रहा है सलेम में एक सार्वजनिक सुविधा केंद्र स्थापित करने की लंबी समय से चली आ रही मांग है।

एमएसएमई ने पहले ही आवश्यक संयंत्र और मशीनरी लगाने के लिए इस सार्वजनिक सुविधा केन्द्र को 12.76 करोड़ रु. की वित्तीय सहायता आवंटित की है परन्तु इस निधि का अभी तक उपयोग नहीं किया गया है और अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है। सलेम इस्पात संयंत्र में कई उत्पादों को मिलाकर इस्पात की कुल मात्रा, कच्चे मालों से लेकर तैयार माल तक लगभग 6000 मैट्रिक टन है जिसका उपयोग नहीं किया जा रहा है। इसकी कीमत लगभग 800 करोड़ रुपये है। प्राधिकरण के अधिकारी कह रहे हैं कि इसे मांग के अनुसार कई राज्यों को भेजा जाएगा। परन्तु जो बात स्थानीय संघ अर्थात सलेम जिला लघु एवं सूक्ष्म उद्योग संघ कह रहे हैं वह यह है कि अगर सलेम इस्पात संयंत्र के कच्चे मालों एवं उत्पादों का उपयोग जिले में ही किया जाएगा, तब कई इकाईयां बन जाएंगी और बेरोजगार युवकों के लिए रोजगार के ज्यादा अवसर उपलब्ध होंगे। परन्तु अभी तक भारतीय इस्पात प्राधि करण लिमिटेड ने इस संदर्भ में कोई पहल नहीं की है।

इसलिए मैं, सरकार से, खासकर एमएसएमई मंत्रालय और इस्पात मंत्रालय से अनुरोध करता हूं कि सलेम इस्पात संयंत्र में एक डाउन स्ट्रीम उद्योग स्थापित करें जिससे सलेम इस्पात संयंत्र प्रस्तावित एमएसएमई इकाईयों के उपभोग के लिए अपने उत्पादों को नियमित रूप से विपणन कर सके।

उपाध्यक्ष महोदय: आपकी मांग क्या है?

श्री एस. सेम्मलई: सेलम में एमएसएमई इकाईयों द्वारा झेली जा रही कठिनाइयों को सुलझाने के लिए दोनों माननीय मंत्रियों को आवश्यक कार्रवाई करनी चाहिए।

[हिन्दी]

श्री विष्णु पद राय (अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह): उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। वर्ष 2013 की जनवरी में भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय ने हिली और रिमोट एरियाज में जहां स्वास्थ्य सेवाएं नहीं पहुंची हैं, उन्होंने वहां के लिए एक स्कीम टाइम टू केयर बनाई। इस स्कीम के मुताबिक हैबिटेशन, जहां उनके घर हैं, वहां से 30 मिनट की दूरी के अंदर उन्हें स्वास्थ्य सेवा मिले, इसलिए इस स्कीम का नाम टाइम टू केयर दिया। ऐसे सात सब-हैल्थ सैन्टर्स बनने तय हुए हैं। उसी के मुताबिक आसाम, मेघालय, अरुणाचल, राजास्थान और गुजरात का नाम आया। लेकिन अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह का नाम नहीं आया। अंडमान निकोबार द्वीपसमूह में कम से कम दो सौ से तीन सौ ऐसे गांव हैं, जो रिमोट, बैकवर्ड, ट्राइबल, फारेस्ट और रेवेन्यू

विलेजिज हैं। इनके नाम पाइलोन, बर्माचार, नारायण टिकरी, बंदनाला, गोपालनगर आदि हैं। इन एरियाज में आज भी कोई स्वास्थ्य सेवा नहीं पहुंची है। वहां से हैल्थ सब-सैंटर्स जाने के लिए तीन से चार घंटे चलना पड़ता है। वहां समुद्र के रास्ते डोंगी से आना-जाना पड़ता है। जिसके कारण रास्ते में देर हो जाने के कारण पेशेन्ट्स की मौत हो जाती है। हमारे द्वीपसमूह में पांच सौ ट्रेन्ड नर्सेज, एएनएम्स और हैल्थ वर्कर्स बेकार बैठे हैं, उन्हें नौकरियां नहीं मिल रही हैं।

मैं केन्द्र के स्वास्थ्य मंत्रालय के ध्यान में लाना चाहता हूं कि अंडमान निकोबार द्वीपसमूह के चार अनएम्पलायड ट्रेन्ड नर्सेज हमारे साथ मंत्रालय में गये, उन्होंने वहां स्वास्थ्य मंत्री जी से मुलाकात की और पत्र देकर मांग की कि अंडमान निकोबार द्वीपसमूह में जो दो सौ, तीन सौ गांव फारेस्ट, रेवेन्यू, ट्राइबल विलेज हैं, जहां सब-सैन्टर्स नहीं हैं, वहां पर टाइम टू केयर स्कीम के माध्यम से सब-हैल्थ सैंटर्स खोले जाएं, ताकि वहां के लोगों को ट्रीटमेंट का मौका मिले और हर सब-हैल्थ सैन्टर में कम से कम एक नर्स, एएनएम तथा हैल्थ वर्कर्स की नियुक्ति हो, क्योंकि ये सब-सैन्टर पीएससी की तरह स्वास्थ्य सेवाएं देंगे और पीएचसी पहुंचने के लिए घंटों की यात्रा करनी पड़ती है।

अंत में मैं एक मांग करूंगा कि हमारे यहां पीएससी और सीएचसी में जब लोगों की भर्ती हुई थी, उसके मुकाबले आज पापुलेशन बहुत बढ़ चुकी है। इसलिए पीएससी और सीएचसी में नर्सिंग स्टाफ की भर्ती की जा जाए।

श्री धनंजय सिंह (जौनपुर): उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। आपको चेयर पर देखकर मुझे लगा कि यह एक बहुत महत्त्वपूर्ण विषय है, इसलिए इसे शून्यकाल में उठाना बहुत आवश्यक है। मैं उम्मीद करूंगा कि जो विषय शून्यकाल में उठते हैं, उनके बारे में आप सरकार को निर्देशित करेंगे कि वह उन पर गंभीरता से ध्यान दे।

उपाध्यक्ष महोदय: सरकार यहां बैठी है, ध्यान दे रही है।

श्री धनंजय सिंह: सरकार ध्यान नहीं देती है, इसीलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं।

महोदय, आप भी ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, यहां जो अधिकांशतः सांसद बैठे हैं, वे ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं। उनके संसदीय क्षेत्र का अधिकांश हिस्सा ग्रामीण क्षेत्र में पड़ता है। उपाध्यक्ष जी, आप भी ग्रामीण क्षेत्र से हैं। हम लोग देखते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकांश लोगों के गरीब परिवारों के घर छप्पर के बने होते हैं। यदि उन्होंने एक कमरा बना लिया तब भी उनके घर पर आठ-दस छप्पर पड़े होते हैं, जिसके नीचे वे लोग रहते हैं। उनकी गाय, भैंस, अनाज आदि सब चीजें उनके नीचे रहती हैं। अभी गर्मी का मौसम शुरू हो रहा है, मार्च का महीना है, गर्मी के मौसम में हम लोग देखते हैं कि अक्सर बहुत बड़ी-बड़ी आग लगती हैं, जिसमें पूरा गांव का गांव जल जाता है। उसके तुरंत बाद जून-जुलाई में उन्हें बाढ़ की त्रासदी भी झेलनी पड़ती है।

उपाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि भारत सरकार यह प्रयास करे कि जो जिले बने थे, उन प्रत्येक जिलों में सैंट्रल रिजर्व फंड जनरेट करें, जिससे कि जो पीड़ित व्यक्ति होते हैं, जो प्राकृतिक आपदा का सामना करते हैं, जिनके घर जल जाते हैं, बाढ़ में बह जाते हैं, उन्हें एक लम्बी प्रक्रिया के तहत गुजरना पड़ता है, जिसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन स्टेट को प्रपोजल भेजता है, स्टेट गवर्नमेंट सैंट्रल गवर्नमेंट को प्रपोजल भेजती है तो पता चलता है कि डेढ़-डेढ़, दो-दो साल बाद उन्हें रिलीफ मिल पाता है।

मेरा आपसे आग्रह है कि भारत सरकार इस दिशा में विचार कर रही है, यदि विचार कर रही है तो सरकार को विचार करना चाहिए। सरकार प्रत्येक जिले में एक सैंट्रल रिजर्व फंड बनाये, जिससे कि ऐसी समस्याओं का त्वरित निस्तारण किया जा सके, ताकि गरीब व्यक्तियों को दर-दर न भटकना पड़े।

श्री राजेन्द्र अग्रवाल (मेरठ): उपाध्यक्ष महोदय, मैं पश्चिम उत्तर प्रदेश के मेरठ से आता हूं। यह क्षेत्र गन्ने का बड़ी मात्रा में उत्पादन करता है। लेकिन इस क्षेत्र का गन्ना किसान बहुत परेशान है तथा आंदोलनरत है। हालत यह है कि मिलें गन्ने का ठीक समय पर उठान नहीं करती हैं और समय से भुगतान नहीं करती हैं। मेरठ मंडल के किसानों द्वारा 15 दिन या उससे पहले मिलों पर डाले गये गन्ने का लगभग 800 करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान चीनी मिलों पर बकाया है। देश की सर्वोच्च अदालत का यह फैसला है कि 15 दिन के बाद किए गए भुगतान पर मलें किसानों को 15 प्रतिशत की दर से ब्याज का भुगतान करें। क्या सर्वोच्च न्यायालय के इस आदेश का पालन हो रहा है? इस आदेश का चीनी मिलों से पालन कराने की जिम्मेदारी किसकी है? क्या असंगठित गरीब किसान स्वयं यह लड़ाई लड़ सकता है?

उपाध्यक्ष जी, सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की अवमानना का चीनी मिलों को कोई भय नहीं है तथा इसी कारण गन्ना किसान का भुगतान धीरे-धीरे किश्तों में अगले पेराई सीजन तक मिलें करती रहती हैं। वर्ष 2009-10 के पेराई सीजन का 75 रुपये प्रति क्विंटल का अंतर मूल्य अभी तक किसानों को नहीं मिला है। पिछले वर्ष ही सर्वोच्च न्यायालय ने तीन किश्तों में किसानों का बकाया भुगतान करने के आदेश दिए थे। 7 जून, 7 जुलाई तथा

7 अगस्त 2012 में यह भुगतान होना था परन्तु इन आदेशों का भी पालन नहीं किया गया।

उपाध्यक्ष जी, किसान का इसी प्रकार से शोषण तथा उत्पीड़न होता है। उसे उसकी उपज का भुगतान कई-कई महीनों बाद किश्तों में मिलता है, उसे ब्याज मिलता नहीं, परंतु ब्याज देना पड़ता है। समय से बिल न चुकाने से उसकी बिजली काट दी जाती है। ऋण की किश्त समय से न चुकाने पर प्रशासन द्वारा उसकी आर.सी. काट दी जाती है, उसको अपमानित किया जाता है।

मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि सरकार इस संबंध में हस्तक्षेप करे। वर्ष 2009-10 का 75 रुपये का अंतर मूल्य किसानों को दिलवाया जाए। किसानों का भुगतान समय से दिलाना सुनिश्चित किया जाए। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयानुसार भुगतान में विलंब होने पर उसका ब्याज किसान को मिले तथा किसान को भुगतान न होने तक ऋण वसूली को रोका जाए।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: अब सभा 11 मार्च 2013 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित होती है।

सायं 6.41 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा सोमवार, दिनांक 11 मार्च, 2013/20 फाल्गुन 1934 (शक) के पूर्वाह्न 11.00 तक के लिए स्थगित हुई।

अनुबंध I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमाणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	तारांकित प्रश्न संख्या
1	2	3
1.	श्री रामसिंह राठवा श्री पी.के. बिजू	161
2.	श्री दानवे रावसाहेब	162
3.	श्री ए. गणेशमूर्ति श्री एकनाथ महादेव गायकवाड	163
4.	डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी श्री कपिल मुनि करवारिया	164
5.	श्रीमती मेनका गांधी श्रीमती कमला देवी पटले	165
6.	डॉ. संजय सिंह राजकुमारी रत्ना सिंह	166
7.	श्री एस. अलागिरी श्री एस.आर. जेयदुरई	167
8.	श्री राकेश सिंह	168
9.	डॉ. पी. वेणुगोपाल श्री पुलीन बिहारी बासके	169
10.	श्री गणेशराव पाटील गवली श्रीमती भावना पाटील गवली	170
11.	श्री इज्यराज सिंह श्री रतन सिंह	171
12.	श्री अम्बिका बनर्जी	172
13.	श्री वीरेन्द्र कुमार श्री सुरेश काशीनाथ तवारे	173
14.	श्री कौशलेन्द्र कुमार	174
15.	श्री हरिश्चंद्र चव्हाण	175
16.	श्री देवराज सिंह पटेल डॉ. अरविन्द कुमार शर्मा	176
17.	श्री नित्यानंद प्रधान	177
18.	श्री पी. विश्वनाथन श्री गुरूदास दासगुप्त	178
19.	श्री अशोक कुमार रावत	179
20.	श्री पी. करूणाकरन	180

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमाणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
1	2	3
1.	श्री ए साई प्रताप	1859
2.	श्री ए.के.एस. विजयन	1853, 1920, 1943
3.	श्री अधलराव पाटील शिवाजी	1945, 1993, 2042, 2057,
4.	श्री आधि शंकर	1985
5.	श्री आनंदराव अडसुल	1953, 1993, 2042, 2057
6.	श्री जय प्रकाश अग्रवाल	1920, 1969
7.	श्री राजेन्द्र अग्रवाल	1884, 1926, 1994, 2006
8.	श्री हंसराज गं. अहीर	1879, 1982, 2038, 2050
9.	श्री सुल्तान अहमद	1949, 2059
10.	श्री बदरुद्दीन अजमल	1963
11.	श्री नारायण सिंह अमलाबे	1908
12.	श्री अनंत कुमार	1955
13.	श्री अंतन कुमार हेगड़े	1983, 2038
14.	श्री सुरेश अंगड़ी	1916, 1968, 1987, 2035, 2036

1	2	3
15.	श्री कीर्ति आजाद	1901
16.	श्री गजानन ध. बाबर	1945, 1953, 1993, 2042, 2057
17.	श्रीमती हरसिमरत कौर बादल	1991
18.	श्री प्रताप सिंह बाजवा	1849, 1998
19.	डॉ. बरीराम	2024
20.	श्री अम्बिका बनर्जी	2024
21.	श्री पुलीन बिहारी बासके	2033
22.	श्री सुदर्शन भगत	1978
23.	श्री ताराचन्द्र भगोरा	1909
24.	श्री समीर भुजबल	1940
25.	श्री पी.के. बिजू	1860, 1992
26.	श्री हेमानंद बिसवाल	1867, 2037, 2063
27.	श्रीमती बोचा झांसी लक्ष्मी	1886, 2014
28.	श्री जितेन्द्र सिंह बुन्देला	1926
29.	श्री सी. शिवासामी	1908, 1957, 1987
30.	श्री हरीश चौधरी	1931, 2023, 2038
31.	श्री जयंत चौधरी	1944
32.	श्री महेन्द्रसिंह पी. चौहाण	1872
33.	श्री संजय सिंह चौहान	1904
34.	श्री हरिश्चंद्र चव्हाण	1988, 1999
35.	श्री एन.एस. वी. चित्तन	1989, 2029
36.	श्री भूदेव चौधरी	1900
37.	श्रीमती श्रुति चौधरी	1847
38.	श्री भक्त चरण दास	1928
39.	श्री खगेन दास	2042
40.	श्री राम सुन्दर दास	1921, 2065
41.	श्रीमती जे. हेलन डेविडसन	1936, 2049
42.	श्री रमन डेका	1960

1	2	3
43.	श्री कालीकेश नारायण सिंह देव	1862, 1944, 2012
44.	श्रीमती रमा देवी	1986
45.	श्री के.पी. धनपालन	1876, 2028, 2037
46.	श्री संजय धोत्रे	1947
47.	श्रीमती ज्योति धुर्वे	1845, 1997
48.	श्री चार्ल्स डिएस	1972
49.	श्री निशिकांत दुबे	1863, 1988, 2048
50.	श्री गणेशराव नागोराव दूधगांवकर	2018
51.	श्री पी.सी. गद्दीगौदर	1878, 1955, 2003
52.	श्री एकनाथ महादेव गायकवाड	1989, 2029
53.	श्रीमती मेनका गांधी	1989, 1985
54.	श्री वरुण गांधी	1961
55.	श्री एल. राजगोपाल	1967
56.	श्री डी.बी. चन्द्रे गौडा	1965, 2035, 2036, 2060
57.	श्रीमती परमजीत कौर गुलशन	2042
58.	श्री महेश्वर हजारी	1881, 2021
59.	श्री सैयद शाहनवाज हुसैन	1855, 2015
60.	श्री प्रतापराव गणपतराव जाधव	1917
61.	श्री बलीराम जाधव	1905, 2016, 2026
62.	श्रीमती दर्शना जरदोश	1850
63.	श्री हरिभाऊ जावले	1908, 1935, 2048
64.	श्री महेश जोशी	1935
65.	डॉ. मुरली मनोहर जोशी	1918, 1983
66.	श्री प्रहलाद जोशी	1841, 1994, 2049
67.	श्री दिलीप सिंह जूदेव	1852, 1940, 1988
68.	श्री सुरेश कलमाडी	1950
69.	श्री पी. करुणाकरन	1921, 1995
70.	श्री कपिल मुनि करवारिया	2065

1	2	3
71.	श्री नलिन कुमार कटील	1864
72.	श्री कौशलेन्द्र कुमार	2025
73.	डॉ. किरोड़ी लाल मीणा	1891
74.	श्री मारोतराव सैनुजी कोवासे	1964, 2049
75.	श्री अजय कुमार	1948, 2058
76.	श्री पी. कुमार	1987
77.	श्री यशवंत लागुरी	1931
78.	श्री एम. कृष्णास्वामी	1857, 1902, 1915, 1942
79.	श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम	1873, 2038
80.	श्रीमती सुमित्रा महाजन	1922
81.	श्री बैद्यनाथ प्रसाद महतो	1992
82.	श्री नरहरि महतो	1853, 2032
83.	श्री भर्तृहरि महताब	1947
84.	श्री प्रदीप माझी	1907, 1910, 1912,, 2030, 2034
85.	श्री जोस के. मणि	1888, 1896
86.	श्री रघुवीर सिंह मीणा	1911, 1927, 2044
87.	श्री अर्जुन राम मेघवाल	1861, 2046
88.	श्री सोमेन मित्रा	1895, 2038, 2064
89.	श्री गोपीनाथ मुंडे	1882, 2037
90.	श्री विलास मुत्तेमवार	1976
91.	श्री सुरेन्द्र सिंह नागर	1974
92.	डॉ. संजीव गणेश नाईक	1919, 1982, 2039
93.	श्री नामा नागेश्वर राव	1908, 1973
94.	श्री नरेनभाई काछादिया	1939, 1997
95.	श्री संजय निरुपम	1842, 1987, 1991
96.	श्रीमती मौसम नूर	1892, 1908, 2010

1	2	3
97.	श्री असादूद्दीन ओवेसी	1856, 1913, 2000, 2034, 2057
98.	श्री पी.आर. नटराजन	1871
99.	श्री वैजयंत पांडा	1938, 2052
100.	कुमारी सरोज पाण्डेय	1854, 2041
101.	श्री जयराम पांगी	1893, 1976, 2011
102.	श्री आनंद प्रकाश परांजपे	1989, 2029,
103.	श्री देवराज सिंह पटेल	2026
104.	श्रीमती जयश्रीबेन पटेल	1908
105.	श्री किसनभाई वी. पटेल	1907, 1910, 1912, 2030, 2034
106.	श्री हरिन पाठक	1914
107.	श्रीमती भावना पाटील गवली	2018
108.	श्री सी.आर. पाटिल	1911, 1980
109.	श्री भास्करराव बापूराव पाटील खतगांवकर	1989, 2029
110.	श्रीमती कमला देवी पटले	1996
111.	श्री पोन्नम प्रभाकर	1915, 1922, 1980
112.	श्री अमरनाथ प्रधान	1896, 1973
113.	श्री नित्यानंद प्रधान	2027
114.	श्री प्रेमचन्द गुड्डू	1903, 2026
115.	श्री प्रेमदास	1923
116.	श्री पन्ना लाल पुनिया	1877, 2061
117.	श्री एम.के. राघवन	1954, 2067
118.	श्री अब्दुल रहमान	1913, 1987, 2035
119.	श्री प्रेम दास राय	1897, 1990, 1992, 2013
120.	श्री रमाशंकर राजभर	1951
121.	श्री सी. राजेन्द्रन	1866, 2002
122.	श्री एम.बी. राजेश	1858, 2066

1	2	3
123.	प्रो. रामशंकर	1975
124.	श्री रामकिशुन	1981
125.	श्री जगदीश सिंह राणा	1885, 2062
126.	श्री निलेश नारायण राणे	1848, 1944, 1976
127.	श्री रामसिंह राठवा	2009
128.	डॉ. रत्ना डे	1924, 2042
129.	श्री अशोक कुमार रावत	2020
130.	श्री अर्जुन राय	1918, 2038
131.	श्री रुद्रमाधव राय	1896
132.	श्री गुथा सुखेन्द्र रेड्डी	1962
133.	श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी	1890, 1944
134.	श्री एम. वेणुगोपाल रेड्डी	2057
135.	श्री नृपेन्द्र नाथ राय	1846, 1853
136.	प्रो. सौगत राय	1956, 2068
137.	श्री एस. अलागिरी	1986, 2022
138.	श्री एस. सेम्मलई	1920, 1959, 2069
139.	श्री एस. पक्कीरप्पा	1865, 1976
140.	श्री एस.आर. जेयदुरई	2036, 2060
141.	श्री एस.एस. रामासुब्बू	1868, 1976
142.	डॉ. अनूप कुमार साहा	1939, 1977
143.	श्री ए. सम्पत	1926
144.	श्री फ्रांसिस्को कोज्मी सारदीना	1896, 2070
145.	श्री तूफानी सरोज	1921, 1934, 2047
146.	श्री हमदुल्लाह सईद	1854
147.	श्री एम.आई. शानवास	1911, 1990, 2031
148.	श्री नीरज शेखर	1920, 1988, 2040
149.	श्री सुरेश कुमार शेटकर	1908
150.	श्री राजू शेट्टी	1992

1	2	3
151.	श्री एंटो एंटोनी	1937, 2051
152.	श्री बालकृष्ण खांडेराव शुक्ला	1933
153.	श्री जी.एम. सिद्देश्वर	1869, 1944, 2037
154.	डॉ. भोला सिंह	1932
155.	श्री भूपेन्द्र सिंह	1851, 1908
156.	श्री गणेश सिंह	1984, 2066
157.	श्री इज्यराज सिंह	2023
158.	श्री जगदानंद सिंह	1925, 2043
159.	श्रीमती मीना सिंह	1934
160.	श्री प्रदीप कुमार सिंह	1920, 1952, 2055
161.	डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह	1894, 2056
162.	श्री रतन सिंह	1917, 2038
163,	श्री रवनीत सिंह	1970, 2038
164.	श्री सुशील कुमार सिंह	1906, 2053
165.	श्री उदय सिंह	1887, 1954, 2007
166.	श्री यशवीर सिंह	1920, 1988, 2040
167.	चौधरी लाल सिंह	1909
168.	श्री धनंजय सिंह	1941, 2054
169.	श्री रेवती रमण सिंह	1940, 1971, 1988
170.	श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह	2038
171.	राजकुमारी रत्ना सिंह	2022
172.	श्री उदय प्रताप सिंह	1985
173.	श्री विजय इन्दर सिंह सिंगला	1958
174.	श्री राजय्या सिरिसिल्ला	1875
175.	डॉ. किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी	2021
176.	श्री ई.जी. सुगावनम	1880, 1991, 2004
177.	श्री के. सुगुमार	1883, 2005
178.	श्रीमती सुप्रिया सुले	1919, 2039

1	2	3
179.	श्री एन. चेलुवरया स्वामी	1866, 1970, 1954, 1981, 1988,
180.	श्री मानिक टैगोर	1889, 1911, 2008, 2051
181.	श्रीमती अन्नू टन्डन	1843
182.	श्री लालजी टन्डन	1844, 1918, 1932, 2038
183.	श्री अशोक तंबर	1968, 2064
184.	श्री सुरेश काशीनाथ तवारे	2017
185.	श्री अनुराग सिंह ठाकुर	1913, 1930, 2045
186.	डॉ. एम. तम्बिदुरई	1902, 2063
187.	श्री पी.टी. थॉमस	1908, 1944
188.	श्री मनोहर तिरकी	1846, 2032
189.	श्री मनोहर तिरकी	1846, 2032
190.	श्री लक्ष्मण टुडु	1929
191.	श्री शिवकुमार उदासी	1979
192.	श्रीमती सीमा उपाध्याय	1881, 2021
193.	श्री हर्ष वर्धन	1881, 2021
194.	श्री मनसुखभाई डी. वसावा	1929
195.	डॉ. पी. वेणुगोपाल	1908, 1987, 2001
196.	श्री सज्जन वर्मा	1959
197.	श्रीमती ऊर्षा वर्मा	1881, 2021
198.	श्री वीरेन्द्र कुमार	2019
199.	श्री अदगुरु एच. विश्वनाथ	1990
200.	श्री भाउसाहेब राजाराम वाकचौरे	1898, 1992
201.	श्री सुभाष बापूराव वानखेड़े	1946
202.	श्री धर्मेन्द्र यादव	1945, 1953, 1993, 2042, 2057
203.	प्रो. रंजन प्रसाद यादव	1966
204.	श्री मधु गौड यास्खी	1910, 2030
205.	योगी आदित्यनाथ	1988, 2055

अनुबंध II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

वित्त	:	163, 166, 170, 174
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	:	165, 169, 173, 178, 180
खान	:	161
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा	:	171
पंचायती राज	:	176
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस	:	162, 167, 168, 172, 179
पर्यटन	:	177
जनजातीय कार्य	:	175
महिला और बाल विकास	:	164

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

वित्त	:	1841, 1842, 1843, 1847, 1855, 1857, 1858, 1859, 1861, 1862, 1864, 1871, 1877, 1878, 1889, 1890, 1891, 1893, 1895, 1906, 1907, 1909, 1913, 1920, 1927, 1930, 1941, 1947, 1948, 1955, 1956, 1958, 1960, 1961, 1965, 1969, 1974, 1979, 1981, 1983, 1986, 1994, 1995, 2003, 2006, 2008, 2014, 2015, 2016, 2018, 2021, 2025, 2029, 2030, 2035, 2036, 2040, 2042, 2045, 2046, 2051, 2053, 2056, 2058, 2059, 2065, 2067
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	:	1876, 1879, 1894, 1896, 1898, 1899, 1911, 1914, 1917, 1923, 1924, 1939, 1942, 1944, 1953, 1971, 1976, 1982, 1984, 1985, 1987, 1988, 1991, 1993, 2026, 2027, 2033, 2037, 2039, 2057, 2061, 2070
खान	:	1845, 1912, 2062
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा	:	1844, 1849, 1850, 1852, 1865, 1866, 1874, 1886, 1892, 1919, 1922, 1925, 1938, 1940, 1951, 1968, 1972, 1990, 1998, 2002, 2012, 2019, 2032, 2048, 2055, 2069
पंचायती राज	:	1863, 1867, 1901, 1903, 1904, 1931, 1935, 1967, 2013, 2020, 2041, 2043, 2047, 2064
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस	:	1846, 1851, 1853, 1856, 1860, 1868, 1869, 1870, 1873, 1880, 1881, 1883, 1884, 1885, 1887, 1888, 1902, 1910, 1915, 1916, 1918, 1926, 1928, 1932, 1933, 1934, 1945, 1952, 1954, 1959, 1962, 1970, 1973, 1975, 1977, 1978, 1980, 1996, 2007, 2009, 2024, 2034, 2038, 2050, 2052, 2054, 2060, 2063, 2068
पर्यटन	:	1848, 1875, 1921, 1936, 1943, 1964, 1989, 2000, 2004, 2011, 2044
जनजातीय कार्य	:	1854, 1897, 1900, 1929, 1992, 2017, 2028, 2031, 2049
महिला और बाल विकास	:	1872, 1882, 1905, 1908, 1937, 1946, 1949, 1950, 1957, 1963, 1966, 1997, 1999, 2001, 2005, 2010, 2022, 2023, 2066

इंटरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद-विवाद का मूल संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध है:

http://www.parliamentofindia.nic.in

लोक सभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का लोक सभा टी.वी. चैनल पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रात: 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की सभा समाप्त होने तक होता है।

लोक सभा वाद-विवाद बिक्री के लिए उपलब्ध

लोक सभा वाद-विवाद के मूल संस्करण, हिन्दी संस्करण और अंग्रेजी संस्करण की प्रतियां तथा संसद के अन्य प्रकाशन, विक्रय फलक, संसद भवन, नई दिल्ली-110001 पर बिक्री हेतु उपलब्ध हैं।

पी.एल.एस.–48/31/11/2013 (एन.)
360

© 2013 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (तेरहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और अनुपम आर्ट प्रिंटर्स, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित।